PART-I

International Literary Quest

An International Multidisciplinary Peer Reviewed Refereed Research Journal

E-mail : internationalliteraryquest@gmail.com
website : www.internationalliteraryquest.com

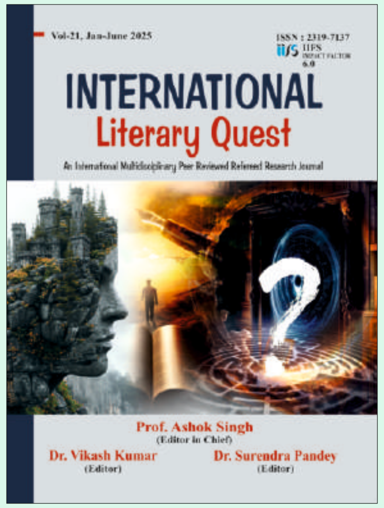

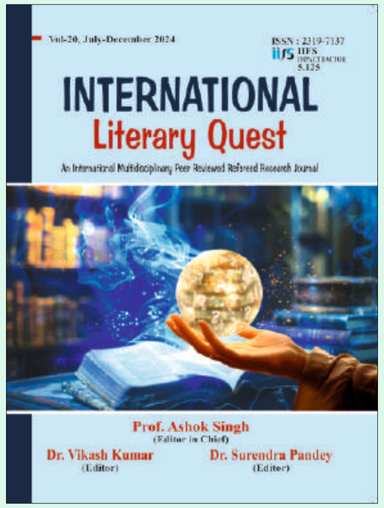

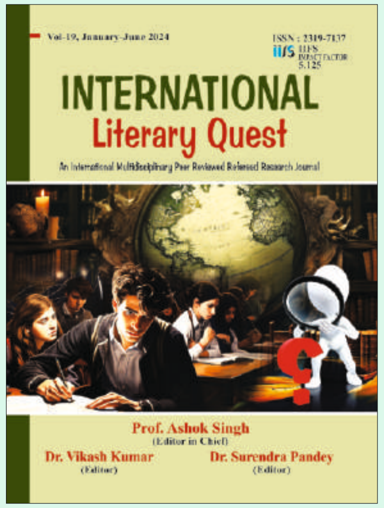

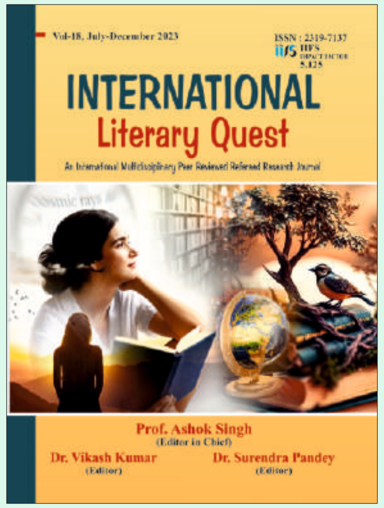

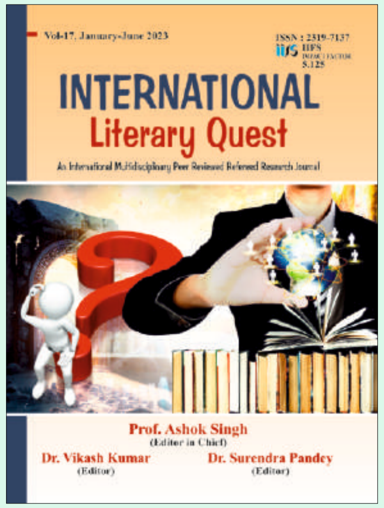

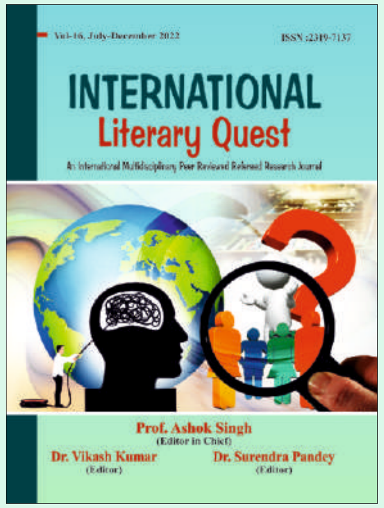

Published By : Akhand Publishing House, Delhi (India)
L-9/A, First Floor, Street No.42, Sadatpur Extension, Delhi
Email: akhandpublishing@yahoo.com

INTERNATIONAL Literary Quest

Vol. 23, January-June 2026

PART-I

Vol: 23, January-June 2026

ISSN : 2319-7137
IIFS IMPACT FACTOR 6.0

PART-I

INTERNATIONAL Literary Quest

An International Multidisciplinary Peer Reviewed Refereed Research Journal

Prof. Ashok Singh
(Editor in Chief)

Dr. Vikash Kumar
(Editor)

Dr. Surendra Pandey
(Editor)

Vol. 23 January–June 2026, Part-I ISSN: 2319-7137 IIFS Impact Factor: 6.0

INTERNATIONAL LITERARY QUEST

[An International Multidisciplinary Peer Reviewed Refereed Research Journal]

Chief Editor
Prof. Ashok Singh

Editors
Dr. Vikash Kumar
Dr. Surendra Pandey

Printed by
Akhand Publishing House, Delhi (India)
L-9/A, First Floor, Street No.42, Sadatpur Extension, Delhi (INDIA)
Mob. 9968628081, 9013387535, Email: akhandpublishing@yahoo.com

Peer Reviewed Policy :

This journal follows single blind peer review policy. Each paper is evaluated by two refrees. The responsibility of the facts given and opinions expressed in articles of journal is solely that of individual author and not to the publisher.

Publication Date : 30 June 2026

Email:internationalliteraryquest@gmail.com
Website:https://internationalliteraryquest.com/

Mob. 9470828492, 9451173404

Chief Editor

Prof. Ashok Singh
Ex-Vice Chancellor, Sant Gahira Guru Vishwavidyalaya, Sarguja, Ambikapur, Chhattisgarh

Editor

Dr Vikash Kumar
Assistant Professor, Department of Hindi, Lajpat Rai (PG) College, Sahibabad, Ghaziabad

Dr Surendra Pandey
Assistant Professor, Department of Hindi, Kooba P.G. College, Dariapur, Newada, Azamgarh

Deputy Editor

Dr Santosh Bahadur Singh
Assistant Professor
Department of English
Lady Irwin College, University of Delhi

Dr. Abhay Kumar
Assistant Professor
Department of Hindi
Munger University, Munger, Bihar

Dr Ramesh Kumar
Assistant Professor
Department of Hindi, Guest Faculty
University of Delhi

Executive Editor

Dr Arun Kumar Mishra
Assistant Professor, Department of Hindi, Munishwar Dutt Snatkottar Mahavidyalaya, Pratapgarh, Uttar Pradesh

Dr Mohammad Aadil
Assistant Professor, Department of History, Bhavan's Mehta P. G. College, Kaushambi, Uttar Pradesh

Dr. Vivekanand Tiwari
HOD/Assistant Professor
Department of Hindi
Gopeshwar College, Hathwa
Gopalganj, Bihar

Sub Editor

Dr Varsha Singh
Associate Professor, Department of English, Deshbandhu College, University of Delhi

Dr. Archana Tripathi
Associate Professor, Department of Hindi, Jesus & Mary College, Delhi

Dr Atul Arora
Assistant Professor
Department of Law, Shri Varshney College
Aligarh

Managing Editor

Dr. Varsha Rani
Professor, Department of Hindi,
Govt. PG College, Musafirkhana, Amethi, U.P.

Dr Rakesh Kumar Ranjan
Assistant Professor, Department of Hindi
Magadh University Bodhgaya,
Gaya, Bihar

INTERNATIONAL LITERARY QUEST

……An International Multidisciplinary Peer Reviewed Refereed Research Journal

Editorial Board

1. Prof. Miki Nishioka, Research Division of Asian, Language and Culture III Research Institute of World Language, Osaka University, Japan.
2. Prof. Kim Ou Jo, Department of Indian Study, Hoseo University, South Korea.
3. Prof. Sunita Singh, Faculty of Education, Le Moyne College, South New York, US.
4. Prof. Mritunjay Singh, HOD, Department of Hindi, Veer Kunwar Singh University, Ara, Bihar.
5. Prof. Anita Singh, Department of English, Banaras Hindu University, Varanasi.
6. Prof. Ravindrnath Singh, Department of AIHC and Archeological, Banaras Hindu University, Varanasi.
7. Prof. Prabhakar Singh, Department of Hindi, Banaras Hindu University, Varanasi
8. Prof. S.R. Jaishree, Department of Hindi, Kerala University, Kerala.
9. Prof. B. Ganesan, Banglore University, Karnataka.
10. Prof. Savitri Singh, Principal, Purnea College, Purnia, Purnea University, Purnia, Bihar.
11. Vedvati Rathi, Head, Department of Hindi, Dharm Samaj Mahavidyalaya, Aligarh.
12. Prof. Ramcharan Meena, Department of Hindi, Motilal Nehru College, University of Delhi.
13. Dr. Santosh Patel, Assistant Registrar, Delhi Skill and Entrepreneurship University, New Delhi.
14. Dr. Narendra Shukla, President, Research and Publication Division, Nehru Memorial Museum and Library, New Delhi.
15. Dr. Digvijay Singh, Department of Hindi, K.D.B. Degree College, Dubahar, Balia, UP.

16. Dr. Ashutosh Kumar Singh, Professor, Department of Hindi, Prof. Rajendra Singh (Rajju Bhaiya) University, Prayagraj, Uttar Pradesh.

17. Dr. Rajkumar Upadhaya Mani, Associate Professor, Department of Hindi, University of Delhi.

18. Dr. Devendra Pratap Singh, Associate Professor, Department of Hindi, Koba P.G. College, Dariapur, Nevada, Azamgarh.

19. Dr. Ravendra Rajput, Associate Professor, Department of Teacher Education, S.V. College, Aligarh.

20. Dr. Vikash Kumar Singh, Assistant Professor, Department of AIHC and Archeological, Banaras Hindu University, Varanasi.

21. Dr. Sapna Bhushan, Assistant Professor, Department of Hindi, Vasant Kanya Mahavidyalaya, Kamchchha, Varanasi.

22. Dr. Bhartendu Pathak, Assistant Professor, Kashmir University, Hazratbal, Srinagar.

23. Dr. Preeti Jaiswal, Assistant Professor, Department of Hindi, Mahatam Gandhi Banaras Vidyapeeth, Varanasi.

24. Dr. Kamlesh Singh, Assistant Professor, Department of Hindi, Dharm Samaj Mahavidyalaya, Aligarh, Uttar Pradesh.

25. Dr. Sunil Kumar Singh, Assistant Professor, HOD, Department of History, Armapur P.G. College, Kanpur, Uttar Pradesh.

26. Sudarsan Chakradhari, Assistant Professor, Department of History, BBAU Lucknow, Uttar Pradesh.

27. Dr. Vinay Kumar Shukla, Assistant Professor, HOD, Department of Hindi, Ramanuj Pratap Singhdev P.G. College, Koriya, Chhattisgarh.

28. Dr. Satyendra Kumar, Assistant Professor, Kirori Mal College, University of Delhi, Delhi.

29. Dr. Rana Awadhoot, Former Research Scolar, Bhojpuri, Adhyayan Kendra Banaras Hindu University.

विषय-सूची
Contents

PART-I

1. प्रयोजनवाद का शैक्षिक विवेचन 3
—डॉ. रवेन्द्र राजपूत

2. 1857 की क्रांति के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश में ब्रिटिश प्रशासनिक बदलाव और स्थानीय प्रतिरोध 13
—प्रो० डॉ0 रामकुमार यादव, अखिलेश कुमार यादव

3. भारतीय लोकतंत्र में आरक्षण की राजनीति का विश्लेषण 23
—डॉ. कृन्ता कुमारी

4. गंगा घाटी में नगरीकरण: अवलोकन 28
—डॉ0 रजनी कान्त राय

5. पश्चिमी शिक्षा और विचारों का 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण पर प्रभाव 32
—प्रो० डा० आदिल, दिनेश कुमार सिंह

6. श्रीमद्भगवद्गीता : दर्शन, नैतिकता और काव्य का त्रिवेणी-संगम 43
—डॉ. शालिनी सिंह

7. निराला मानवीय संवेदना और व्यंग्य के कवि हैं 48
—डॉ. अरुण कुमार मिश्र

8. जीवन में 'ध्वनि' का महत्व 55
—निकिता कुमारी

9. बेरोजगारी का सैद्धांतिक स्वरूप: एक विहंगम दृष्टि 60
—रंजीत कुमार

10. भारतीय ज्ञान परंपरा और समकालीन नैतिक संकट: एक दार्शनिक विश्लेषण 63
—डॉ. राजेश कुमार रत्नाकर

11. बौद्ध दर्शन के बोधिसत्व की अवधारणा: एक विश्लेषण 69
—पूनम कुमारी

12. भारतीय ज्ञान प्रणाली में योग का स्थान एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसका महत्व 75
—सिन्धुजा

13. भारत में अनुसूचित जाति आरक्षण नीति: उपलब्धियाँ, चुनौतियाँ और भविष्य की दिशाएँ 82
—सुधीर कुमार

14. अमरकांत की कहानियों में सामाजिक अंतर्विरोध 89
—रत्नाकर दुबे, प्रो. परमजीत कौर

15. 'मुक्तिबोधीय' फैंटेसी और भाषा: *चेतन-अवचेतन के रचनात्मक द्वंद की दार्शनिक मीमांसा* 94
—डॉ. पंकज श्रीवास्तव

16. सहज जीवन की तलाश हैः गर्म रोटी के ऊपर नमक तेल था 107
—डॉ. रुचिरा वर्मा

17. व्याकरण: अर्थ, प्रकृति, व्याप्ति एवं प्रकार 116
—अजय कुमार पटेल

18. आदिवासियों का सामाजिक ताना बाना 121
—प्रो. रूपांशुमाला

19. भदरिया पुरातात्विक धरोहर: बिहार के अंग क्षेत्र में एक उभरते प्राचीन स्थल का अध्ययन 129
—गुंजन कुमार

20. मौर्योत्तर कालीन यातायात के मार्ग एवं जहाजरानी का विकास 135
—डॉ. रोशनी कुमारी

21. सृजनात्मक छात्रों की शिक्षा हेतु निर्देशन/मार्गदर्शन: एक परिचय 142
—डॉ. वन्दना मिश्रा

22. कौशाम्बी: एक बौद्ध कला केन्द्र 151
—डॉ. ज्ञान प्रकाश द्विवेदी

23. भारत-बांग्लादेश 156
—डॉ. आनन्द कुमार चैबे

24. भारतीय कथा-साहित्य में स्त्री विमर्श के संदर्भ और इस्मत चुगताई 169
—डॉ. वर्षा रानी, पद्मिनी

25. कुमाऊँ वाणी सामुदायिक रेडियो का ग्रामीण विकास में योगदान 175
—डॉ. हर्षवर्धन पान्डे

26. जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य की भूमिका 184
—अर्चना कुमारी

27. जैन दर्शन में लेश्या विमर्श 190
—प्रो.(डॉ) अजित कुमार जैन

28. शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग: एक समीक्षा 194
—डॉ. वन्दना मिश्रा

29. मध्यकालीन मिथिला मे सांस्कृतिक पुनर्जागरण 199
—सुनिल कुमार झा, डॉ. नरेन्द्र नाथ झा

30. हरित क्रांति से किसान आंदोलन तक : भारत में कृषि-राजनीति की दिशा और दशा 204
—अभिनंदन कुमार

31. दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद का दार्शनिक एवं सामाजिक-राजनीतिक विश्लेषण 212
—धीरज कुमार

32. भारत के राज्यों के सामाजिक-आर्थिक विकास में महिला मुख्यमंत्रियों का योगदान: एक तुलनात्मक अध्ययन 220
—प्रियंका कुमारी

33. गीतांजलि श्री के कथा-साहित्य में स्त्री अस्मिता और आत्मचेतना 228
—स्तुति प्रिया

34. बिहार और संपूर्ण क्रांति: सामाजिक-राजनीतिक परिवर्तन में जयप्रकाश नारायण की भूमिका का विश्लेषण 235
—शशि कुमार

35. माल पहाड़िया जनजाति का ऐतिहासिक विकास और सामाजिक संरचना 243
—शिल्पी

36. बंगाल और बिहार में औपनिवेशिक कालीन सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन (1757–1857) 251
—शुभम कुमार

37. भारतीय महिला मताधिकार आंदोलन का विकास: 1917 से वर्तमान तक एक ऐतिहासिक अध्ययन 259
—सुधांशु शेखर

38. सहजानंद सरस्वती और बिहार किसान आंदोलन: पटना एवं मुंगेर का ऐतिहासिक विश्लेषण (1930–1950) 267
—सुधांशु राज

39. जमालपुर रेल वर्कशॉप: उपनिवेश से समकालीन भारत तक श्रमिक संस्कृति और औद्योगिक विकास का अध्ययन (1862–2000) 275
—सुधांशु कुमार सिंह

40. वृहद मुंगेर में किसान असंतोष और विद्रोह (1900–1950) : सामाजिक-आर्थिक कारणों का अध्ययन 283
—विक्रम कुमार

41. स्वातंत्र्योत्तर भारत की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में 'धर्मपुर लॉज' उपन्यास 291
—पूजा धीमान, शोधार्थी, प्रो. अंजु शर्मा थापा

42. देवगढ़ की जैन कला: ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देवी सरस्वती का सांस्कृतिक महत्त्व 297
—डॉ. छाया यादव, सुमित गुप्ता

43. भारत में नवउदारवादी आर्थिक सुधारों का प्रभाव : उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का एक अध्ययन (1991–2020) 310
—डॉ. रंजीत कुमार

44. उच्च शिक्षा में जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस: भारत में अवसरों, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं का अध्ययन 319
— डॉ. कविता कुमारी

45. बिहार के विशेष संदर्भ में मौर्योत्तरकालीन सिक्कों का ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन 327
—नीतू सिन्हा

46. हरित औद्योगीकरण और सतत अर्थव्यवस्था: हरित विनिर्माण के आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण 335
—डॉ. राजीव कुमार रंजन

47. निर्गुण कवि कबीर के स्त्री विषयक दृष्टिकोण 344
—राकेश कुमार, डॉ० विजेन्द्र प्रताप सिंह

48. प्रेमचन्द युगीन साहित्य में आंचलिकता का प्रभाव 355
—डॉ. विकास कुमार

49. बिहार में सामाजिक न्याय का ऐतिहासिक विश्लेषण: 1990 से 2005 के परिपेक्ष में 361
—संजय कुमार , डॉ मिथिलेश कुमार

50. औद्योगिक संबंधों में श्रमिक संघों की भूमिका एवं महत्व 370
—डॉ .मनोज कुमार चौधरी

51. समानांतर और व्यवसायिक हिंदी सिनेमा : नसीरुद्दीन शाह की चुनिंदा फ़िल्मों में पर्दे के व्यक्तित्व, अभिनय शैली और किरदारों के चित्रण का तुलनात्मक अध्ययन 375
—डॉ. राघवेन्द्र दीक्षित

52. निराला का साहित्यिक वैविध्य 390
—डॉ. कमलेश कुमार मौर्य

53. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लचीली अवसंरचना: भागलपुर जिले के दियारा और तटीय क्षेत्रों में PMGSY के तहत 'हरित तकनीक' का मूल्यांकन 397
—*कुमार मन्नू*

54. मुक्तिबोध के काव्य में जन पक्षधरता के मायने 406
—*आशुतोष सिंह*

55. 21वीं शताब्दी में विश्व बैंक की भूमिका: एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण 414
—*मृगेन्द्र अंशु, डॉ. मिथिलेश कुमार*

56. लोक द्रव्य साधक, आदर्श कर्म पुरुष: प्रो. चक्रधर त्रिपाठी 425
—*डॉ0 अरुण कुमार मिश्र*

57. 1857 की क्रांति के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश में ब्रिटिश प्रशासनिक बदलाव और स्थानीय प्रतिरोध 429
—*प्रो. डॉ. रामकुमार यादव, अखिलेश कुमार यादव*

58. अलीगढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 2024 में मतदान व्यवहार के सामाजिक-आर्थिक निर्धारक 439
—*बौबी कुमार सिंह, प्रो0 ऋचा बजाज*

59. भारतीय समाज में लैंगिक असमानता और महिला सशक्तिकरण: एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण 446
—*डॉ. डिम्पल बंजारा*

60. छात्रों के बीच स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता का सर्वेक्षणात्मक अध्ययन 458
—*प्रतिमा वर्मा*

61. काशीनाथ सिंह के उपन्यास ‘काशी का अस्सी’ में सामाजिक दर्शन 461
—*डॉ. सुरेन्द्र पाण्डेय*

62. प्रवासी साहित्य में राम : परंपरा और आधुनिकता के संदर्भ में 467
—*अंकिता मिश्रा*

PART - I

प्रयोजनवाद का शैक्षिक विवेचन

डॉ. रवेन्द्र राजपूत
एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, श्री वार्ष्णेय महाविद्यालय, अलीगढ़

शोध सारांश

प्रयोजनवाद, आदर्शवाद एवं प्रकृतिवाद के प्रति विद्रोह है। दर्शन की इस आधुनिक विचाराधारा का जन्म अमेरिका में हुआ। इसके जन्म दाताओं की एक विचित्र गाथा है। यूरोप के धर्मयुद्ध में प्यूरिटन ईसाइयों का देश निकाला हुआ। इंग्लैण्ड से ये प्यूरिटन अमेरिका पहुँचे, अमेरिका का जीवन एवं क्षेत्र दोनों ही उनके लिए अजनबी थे, यद्यपि उनकी पूर्व मान्यतायें एवं शिष्टाचार पुराने थे। परन्तु प्राचीन मान्यतायें एवं परम्परायें उनके काम न आयीं, अब अमेरिका में उनके समक्ष समस्यायें नयी एवं विचित्र थीं। अतः उन्होंने नये ढंग से उस सन्दर्भ में विचार करना प्रारम्भ किया। नये अनुभव से नयी विचारधारायें आयीं और कालान्तर में यही विचारधारायें प्रयोजनवाद के नाम से विख्यात हुई। प्रयोजनवाद अनुभव पर आधारित है।

बीज शब्द- *विद्रोह, दर्शन, विचारधारा, जन्मदाताओं, विचित्र गाथा, प्यूरिटन, अजनवी, पूर्व मान्यतायें, शिष्टाचार, परम्परायें, समक्ष, विख्यात्।*

प्रयोजनवाद के जनक एवं समर्थक - प्रयोजनवाद के जन्मदाता एवं परिपोषकों में सेण्डर्स पियर्स, विलियम जेम्स, डीवी आदि प्रमुख अमेरिकन हैं। इग्लैण्ड का शिलर यूरोप का प्रमुख प्रयोजनवादी शिक्षाविद् एवं दार्शनिक रहा।

प्रयोजनवाद की अर्वाचीन विचारधारा का वास्तविक जनक विलियम जेम्स है। तो प्रयोजनवाद का प्रसारक, प्रचारक एवं प्रतिपादक डीवी को कहा जा सकता है।

प्रयोजनवाद का अर्थ - प्रयोजनवाद अंग्रेजी भाषा के प्रैगमेटिज्म ;च्तंहउंजपेउद्ध शब्द का हिन्दी रूपान्तर है, जिसकी व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा के प्रैग्मा ;च्तंहउंद्ध शब्द के हुई है जिसका अर्थ है क्रिया अथवा किया गया कार्य अर्थात् व्यावहारिक। अर्थात् वही सत्य है जो जीवनोपयोगी है। प्रयोजनवादी शाश्वत मूल्य व अमूर्त वस्तुओं में विश्वास नहीं रखते क्योंकि ये देश काल एवं परिस्थिति के अनुरूप बदलते रहते हें। अतः ''प्रयोजनवाद वह विचारधारा है जो उन्हीं क्रियाओं, वस्तुओं, सिद्धान्तों तथा नियमों को सत्य मानती है जो किसी देश काल एवं परिस्थिति में व्यवहारिक या उपयोगी हैं।''

परिभाषायें -

1. ''प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद, हीगेल या चरम आदर्शवाद दोनों का विरोध है।'' - रस्क
2. ''प्रयोजनवाद हमें अर्थ, सत्य, ज्ञान व वास्तविकता का सिद्धान्त देता है।'' - प्रैट
3. ''प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव और दृष्टि कोण है, यह सत्य और विचारों की प्रवृत्ति का सिद्धान्त है। यह वास्तविकता का भी सिद्धान्त हैं।'' - विलियम जेम्स

4. ''प्रयोजनवाद में सत्य को उसके व्यावहारिक परिणामों द्वारा जाना जा सकता है, इस प्रकार सत्य निरपेक्ष न होकर व्यक्तिगत या सामाजिक समस्या है।'' - रोजन

इन परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है - ''प्रयोजनवाद दर्शन की वह विचारधारा है जो इस संसार को विभिन्न वस्तुओं और क्रियाओं का परिणाम मानती है और संसार की समस्त वस्तुओं और क्रियाओं को मानव उपयोगिता की कसौटी पर कसती है और उन्हें ही सत्य मानती है जिनकी व्यावहारिक उपयोगिता होती है। यह आध्यात्मिक संसार और आत्मा एवं परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती और सत्य को परिवर्तनशील मानती है।''

प्रयोजनवाद के मुख्य सिद्धान्त या आवश्यक तत्वः-

1. अनुभव एवं प्रयोग सभी वस्तुओं की वास्तविक कसौटी है।
2. मन और आत्मा को प्रयोजनवादी क्रियाशील मानते हैं।
3. प्रयोजनवादी भौतिकता व अध्यात्मिकता को विश्व का मूल न मानकर अनेक तत्वों को विश्व के मूल में मानते हैं। इस प्रकार के बहुतत्ववादी सिद्ध होते हैं।
4. संसार परिवर्तनशील है इसकी प्रत्येक बहुत परिवर्तन की स्थिति में है।
5. संसार अपूर्ण एवं अनिश्चित है।
6. संसार में अनुभव ही मुख्य है यही प्रगति का मूल है।
7. यह सामाजिक एकता, सामंजस्य प्रेम एवं समानता पर बल देता है।
8. वास्तविकता न तो पूर्व निर्मित है और न शाश्वत
9. प्रयोजनवादी यह मानने को तैयार है कि व्यक्तित्व के निर्माण में वातावरण का हाथ अधिक है।
10. प्रयोजनवाद का विश्वास विज्ञान में है अन्ध परम्परा में नहीं।
11. जीवन के लक्ष्य स्थिर नहीं है परिवर्तनशील हैं।
12. जीवन और उससे सम्बन्धित विभिन्न क्रियायें वास्तविक हैं।

प्रयोजनवाद और शिक्षाः-

प्रयोजनवाद ने शिक्षा के क्षेत्र में शानदार विचारों एवं क्रियाओं के साथ प्रवेश किया है। इसने परम्परावादी, अन्धविश्वासी एवं दिग्भ्रमित शिक्षा सिद्धान्तों को ढकेलते हुए शिक्षा के विशाल प्रांगण में प्रवेश किया है। इसने शिक्षा के सिद्धान्तों एवं क्रियाओं के बीच गहरा सम्बन्ध जोड़ते हुए शिक्षा को अधिक प्रभावशाली बनाने की सक्रिया सचेष्टता की है।

प्रयोजनवाद मानता है कि यह विश्व परिवर्तनशील है यहाँ कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, इसलिए शिक्षा को भी बदलती परिस्थिति के अनुसार बदल जाना चाहिए वरन यह उपयोगी एवं प्रयोजनशील नहीं होगी। जैसे- आज का युग वैज्ञानिक, व्यावसायिक एवं औद्योगिक है। अतः शिक्षा को भी वैज्ञानिक, व्यावसायिक एवं औद्योगिक होना चाहिए। यदि शिक्षा युग की चुनौती को स्वीकार नहीं करती तो वह प्रगतिशील नहीं होगी और न तो समाज को उससे लाभ की ही सम्भावना है।

शिक्षा व्यक्ति के गुणों को पल्लवित एवं पुष्पित करती है, वह विचारों को प्रभावित करती है। वह सिद्धान्तों की स्रजक एवं जनक है। दर्शन शिक्षा का गत्यात्मक रूप नहीं वरन् शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक रूप है।'' शिक्षा को प्रयोजनवादी एक प्रयोगशाला मानते है जहाँ दार्शनिक सिद्धान्त परखे जाते हैं और अभीष्ट निष्कर्ष निकाले जाते हैं।'' शिक्षा थोपने की वस्तु नहीं वरन् युग एवं परिस्थिति के अनुसार परीक्षित करके ग्रहण करने की वस्तु होती है। डीवी कहा करता था कि - ''सामाजिक कुशलता शिक्षा का एक प्रयोजन है।''

शिक्षा के क्षेत्र में क्रियाशीलन उपयोगिता एवं प्रयोग को लाने का श्रेय प्रयोजनवाद को है। डीवी कहा करता था कि - ''मानव कल्याण और उपयोगिता ही वस्तु की सच्ची कसौटी है। शिक्षा का ध्येय भी मानव कल्याणं एवं उपयोगिता का होना चाहिए।'' प्रयोजनवादियों को शिक्षा के क्षेत्र में रूढ़िवादिता कूप मण्डूकता, अन्ध विश्वास, परम्परायें एवं आदर्श इन्हें रंच मात्र भी नहीं जमते।

प्रयोजनवादी शिक्षा के उद्देश्यः-

1. प्रयोजनवाद किसी पूर्व निर्धारित धारणा या मान्यता में विश्वास नहीं करता इसीलिए किसी पूर्व निर्धारित शैक्षिक लक्ष्य (मूल्य) में भी विश्वास नहीं करता। इसीलिए एक प्रयोजनवादी ने कहा है - ''शिक्षा के उद्देश्यों के सम्बन्ध में चर्चा करना बुद्धिमानी नहीं है क्योंकि शिक्षा का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है।''
2. रॉस ने कहा है - ''प्रयोजनवादी शिक्षा का उद्देश्य गतिशील अनुकूलन योग्य मन का विकास करना जो सभी स्थितियों में साधन सम्पन्न और साहस युक्त कार्य करने वाला व अज्ञात भविष्य में मूल्यों का निर्माण करने वाला हो।''
3. प्रयोजनवादी शिक्षा का उद्देश्य ऐसे लोगों को तैयार करना है जो समाज के कल्याणकारी सदस्य बन सकें।
4. शिक्षा का उद्देश्य ऐसे लोगों को पैदा करना है जो निराशाहीन हो और निरन्तर सफलता की ओर सहासपूर्वक आगे बढ़े।
5. शिक्षा का उद्देश्य स्वतन्त्र विचारवान, सचेतन एवं क्रियाशील व्यक्तियों को पैदा करना है जो सामाजिक दायित्वों को रचनात्मक ढंग से सम्पनन करे।
6. जनतन्त्र योग्य उपयोगी एवं कार्यकुशल व्यक्तियों को पैदा करना है।
7. व्यक्ति व समाज दोनों का विकास करना।

डीवी के अनुसार उद्देश्य -

1. सामाजिक कुशलता
2. आर्थिक कुशलता
3. स्वास्थ्य
4. योग्य गृहस्थ
5. क्रिया करने की क्षमता उत्पन्न करना

6. व्यावसायिक क्षमता उत्पन्न करना
7. नागरिक भावों को पैदा करना
8. अवकाश काल का सम्यक् उपयोग करना
9. नैतिकता और चारित्रिक विकास

प्रयोजनवाद और पाठ्यक्रमः-

प्रयोजनवादी, पाठ्यक्रम में बालक की रूचि, प्रवृत्ति, क्षमता, क्रिया, व्यवसाय, भविष्य सबका ध्यान रखते है। इसीलिए वे पाठ्यक्रम में भाषा, स्वास्थ्य विज्ञान, भौतिक, प्रशिक्षण, सामाजिक विषय, गणित, विज्ञान, गृह विज्ञान एवं कृषि को पाठ्यक्रम में विशिष्ट स्थान देते हैं। हस्त क्रियाओं को वे पाठ्यक्रम में विशिष्ट स्थान देते हैं। प्रयोजनवादी बालक को किताबी कीड़ा नहीं बनाना चाहते। वे बालकों को विषयों के बोझिल भार से दबाना नहीं चाहते। वे करके सीखने वाले विषयों को पाठ्यक्रम में रखना चाहते हैं। इसके लिए वे प्रोजेक्ट विधि से बालकों को ज्ञान देना चाहते हैं। वे पाठ्यक्रम को बुद्धि विलास का साधन नहीं मानते।

डीवी के अनुसार पाठ्यक्रम - 1. पाठ्यक्रम में रूचि का सिद्धान्त हो। उसने कक्षा 6 तक के छात्रों को भाषा, गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, काष्ठकला, पाकशास्त्र, सिलाई, बागबानी, ड्राइंग, कला एवं संगीत का अध्ययन आवश्यक बतलाया।

2. डीवी ने पाठ्यक्रम में नम्यता और विभिन्नता का सिद्धान्त माना है।
3. शैक्षिक एवं सामाजिक अनुभव का सिद्धान्त।
4. सहसम्बन्ध का सिद्धान्त।
5. पाठ्यक्रम में डीवी ने उपयोगिता का सिद्धान्त तहेदिल से स्वीकार किया है।
6. डीवी ने पाठ्यक्रम को बाल केन्द्रित माना है।
7. पाठ्यक्रम में क्रियाशीलता को भी स्वीकार किया है।

प्रयोजनवादी पाठ्यक्रम की विशेषतायेंः-

1. बालकों की समस्याओं पर आधारित।
2. बालक की परिचित सामाजिक क्रियाओं से सम्बन्धित
3. विषयों का आपस में सह सम्बन्ध
4. पाठ्यक्रम अनौपचारिक एवं लचकदार हो यह उनकी रूचि पर आधारित व परिस्थित के अनुसार हो।

5. पाठ्यक्रम बालकों में आलोचनात्मक एवं बौद्धिक क्षमता की वृद्धि करे।

6. बालकों की रूचि व आवश्यकता पर आधारित।

प्रयोजनवाद और शिक्षण विधियाँः-

1. प्रयोजनवाद परम्परागत, घिसी-पिटी, पुरातन, जीर्ण-शीर्ण, पूर्व निर्धारित एवं प्रतिकूल शिक्षण पद्धतियों के विरूद्ध है।
2. यह शिक्षकों के पैरों तले पढ़ने वाले छात्रों की पद्धति के भी विरूद्ध अपील करता है।
3. प्रयोजनवादी ऐसी शिक्षा के चाहक है जो बालकों में अनुभव भरे उनमें रचनात्मक प्रवृत्ति पैदा करे और बालकों को सतत् क्रियाशील रखे।
4. ये ''करके सीखने'' वाली पद्धति के चाहक है।
5. ये ''प्रोजेक्ट विधि'' के माध्यम से शिक्षा देना चाहते है। प्रयोजनवाद की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन प्रोजेक्ट विधि ही है।
6. सहसम्बन्धित विधि से शिक्षण देना पसन्द करते हैं।
7. वाद-विवाद की पद्धति को भी कक्षा व कक्षा के बाहर मान्यता देते है।
8. पर्यटन व पुस्तकालय का भी लाभ उठाना नहीं भूलते।
9. वे पाठ्य पुस्तकों की रटाई की विधि, व्याख्यान विधि को पसन्द नहीं करते। वे क्रियात्मक, प्रयोगात्मक एवं स्वानुभाव मूलक विधि को पसन्द करते हैं।
10. प्रयोजनवादी ''प्रयास एवं त्रुटि'' विधि को स्वाभाविक मानते हैं।
11. प्रयोगात्मक शिक्षण, निरीक्षण पद्धति व सूक्ष्म विवेचन की शैली को प्रयोजनवादी विशेष महत्व देते हैं।
12. प्रयोजनवादी वैसे किसी निश्चित शिक्षण विधि के कायल नहीं है। वे कहते हैं कि परिस्थिति के अनुसार जो विधि उपयोगी सिद्ध हो उसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए।
13. प्रयोजनवाद में वैसे कई विधियों के दर्शन होते हैं किन्तु उनकी मौलिक विधि प्रोजेक्ट ही है जो सामाजिक वातावरण में पूरे हृदय से प्रयोजनपूर्ण प्रक्रिया से प्रारम्भ होती है।

1. यह समस्या मूलक प्रक्रिया से प्रारम्भ होती है।
2. इसमें स्वाभाविक वातावरण उपस्थित करके शिक्षा दी जाती है।
3. इसमें बच्चों की रूचि एवं उनके प्रयासों को क्रियाशील बनाकर शिक्षा दी जाती है।
4. इस पद्धति में बालकों की तर्क शक्ति का पूर्ण उपयोग होता है।
5. यह व्यावहारिक एवं चारित्रिक विकास में भी सहायिका है।

प्रयोजनवाद एवं अनुशासनः-

1. प्रयोजनवादी सामन्तवादी एवं निरंकुश अनुशासन के विरूद्ध हैं। वे न तो ''ऑरनाल्ड का डण्डा'' पसन्द करते है और न बालकों को प्रकृतिवादियों के समान बेलगामी घोड़ा ही बनने देना चाहते। अध्यापक की चरण पादुका की धूल भी उन्हें पसन्द नहीं और न रौव-दाव वाली डॉट ही।
2. वे बालक पर नियन्त्रण पसन्द नहीं करते। वाह्य नियन्त्रण के वे विरोधी हैं। वे बालक के हृदय मन एवं मस्तिष्क में स्थानुशासन एवं आत्म नियन्त्रण का भाव भरना चाहते हैं। वे मानते है कि ''स्वानुशासन सर्वाधिक आकर्षक अनुशासन होता है।''
3. प्रयोजनवादी, रूढ़िवादी अनुशासन की धज्जी-धज्जी उड़ाकर फेंक देते हैं। बड़े बुजुर्गों ने अपनी परिस्थितियों, समय एवं मान्यताओं के अनुसार जो मापदण्ड रखा है उसे आँख मूंद कर मानना प्रयोजनवाद को स्वीकार नहीं। वे नैतिक स्तर ऊपर से लादना पसन्द नहीं करते। प्रयोजनवाद मीठे जनतान्त्रिक वातावरण में ही सच्ची नैतिकता का जन्म सम्भव मानता है।
4. प्रयोजनवाद बालक की स्वतन्त्र क्रिया, मस्ती एवं चाहक वातावरण को इन्कार नहीं करता।
5. प्रयोजनवादी सीमित मुक्त्यात्मक अनुशासन के चाहक प्रतीत होते हैं। जहाँ शक्तियों के सम्यक् उपयोग की बात की गई हो वहाँ डराने धमकाने, बाध्य करने पर व्यक्तित्व कुंठित होगा। अतः प्रयोजनवादी इन सबको व्यर्थ मानते हैं। वे बालकों की उमंगों एवं प्रवृत्तियों पर छुरी नहीं चलाना चाहते। इस प्रकार प्रयोजनवादी अनुशासन को नये दृष्टिकोण एवं मान्यताओं के सन्दर्भ में देखते हैं। उन्हें पुरानी अनुशासन पद्धति स्वीकार नहीं। जैसा कि ये चन्द पंक्तियां इशारा करती है-

''पुरातनता का यह निर्मोक, सहन करती न प्रकृति पल एक।

नित्य नूतनता का आनन्द किये हैं परिवर्तन में टेक।।'' - कामायनी से

बी0डी0 भाटिया भी कहते हैं- ''प्रयोजनवादी स्कूल में मिली-जुली क्रियाओं द्वारा सामाजिक, अनुशासन के पक्ष में है।''

प्रयोजनवाद एवं बालकः-

1. प्रयोजनवादी बालक के व्यक्तित्व को महत्ता प्रदान करते हैं, वे बालक को उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं। प्रत्येक बालक की हस्ती उन्हें स्वीकार है। वे किसी को नजरंदाज नहीं करना चाहते।
2. पढ़ाते समय बालकों पर दबाब, मारपीट, डाँट-फटकार आदि को प्रयोजनवादी बुरी नजर से देखते हैं।
3. प्रयोजनवादी चाहते हैं कि जो प्यार और दुलार घर पर बच्चे पाते हैं वही प्यार और दुलार उन्हें विद्यालय में भी दिया जाना चाहिए। घर जैसी स्वतन्त्रता भी उन्हें विद्यालय में दी जाय।
4. प्रयोजनवादी बच्चों को किताबी कीड़ा, निष्क्रय श्रोता और मूकदर्शक बनाकर नहीं पढ़ाना चाहते, वे उन्हें सचेष्ट, सचेतन एवं प्रयोगकर्ता बालक के रूप में ज्ञान देना चाहते हैं।

इस प्रकार प्रयोजनवादी शिक्षा बाल केन्द्रित है। इस शिक्षा पद्धति में बालक का न तो प्रकृतिवादियों के समान अतिरंजित वर्णन किया गया है और न तो आदर्शवादियों के समान उनका पगहा शिक्षक रूपी खूँटे में ही बंधा है। इन्होंने बालक का सही एवं सन्तुलित मूल्यांकन किया है।

प्रयोजनवादी और शिक्षकः-

1. प्रयोजनवादी शिक्षक को मित्र, नायक एवं पथ प्रदर्शक का रूप देना चाहते है। कक्षा के बाहर वे उसे बालक का मित्र एवं साथी मानते हैं जो क्लब घर या अन्यत्र बालक के साथ मित्रवत रहे, उसके साथ खेले-कूदे, उठे-बैठे और खान पान करे।
2. शिक्षक बालकों को घिसे-पिटे ज्ञान की शिक्षा न देकर उन्हें अन्वेषण एवं प्रयोग करके व कराके नवीन ज्ञान की शिक्षा देता है।
3. शिक्षक को व्यवहार कुशल, विवेकशील, वैज्ञानिक दृष्टिकोण व्यक्ति होना चाहिए।
4. प्रयोजनवादी नारा लगाते हैं- ''पढ़ाओं नहीं वरन् साथ साथ सीखो।''
5. शिक्षक को कक्षा में सच्ची जिन्दगी लानी है ताकि बालक सक्रिय एवं सचेष्ट होकर सीखे।
6. प्रयोजनवाद शिक्षक का अफसर या सामन्त वाला स्थान तो समाप्त कर देता है लेकिन वह उसे छात्र नेता के रूप में स्वीकार करता है ऐसा डीवी कहा करता है।
7. डीवी का मानना है कि - ''शिक्षक सदा ईश्वर का सच्चा प्रतिनिधि होता है।'' एक स्थान पर तो डीवी ने शिक्षक को ईश्वर भी माना है।
8. प्रयोजनवाद शिक्षक को एक चतुर बढ़ई मानता है जो अपने नौसिखिए (छात्रों को) कारीगरों को दीक्षित (शिक्षित) किया करता है।
9. सब कुछ होते हुए भी अन्त में कहना पड़ेगा कि प्रयोगवादी व्यवस्था में शिक्षक का स्थान सन्तोषपद है। प्रयोजनवादियों के अनुसार घर पर जैसे अभिभावक है वैसे ही विद्यालय में अध्यापक।

प्रयोजनवाद और विद्यालयः-

1. प्रयोजनवादी विद्यालय एक प्रकार से प्रयोगशाला है। डीवी द्वारा संचालित विद्यालय प्रयोगशाला विद्यालय कहलाते भी हैं।
2. प्रयोजनवादी विद्यालय को एक समाज मानते है इसीलिए वे विद्यालय को समाज का केन्द्र बनाना चाहते हैं।
3. प्रयोजनवादी शिक्षा और ज्ञान की सीमा विद्यालय की चहार दीवारी के घेरे में नहीं रखना चाहते।
4. विद्यालय एक ऐसे स्थान हैं जहाँ समाज की जटिल समस्याओं का सरलतम रूप में अध्ययन किया जाता है। डीवी ने भी कहा है कि - ''विद्यालय को समाज का सच्च प्रतिनिधि होना चाहिए।''

5. डीवी ने विद्यालय को एक सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकता बताया है।
6. डीवी ने विद्यालय को घर और समाज का संयोजक बताया है। विद्यालय घर का बड़ा व समाज का लघु रूप है। यह घर तथा समाज को एक कड़ी में जोड़ता है।

प्रयोजनवाद का मूल्याँकनः-

प्रयोजनवाद का सही मूल्यांकन करने के लिए इसके गुण एवं दोषों पर दृष्टि डालते हें-

गुण (प्रयोजनवाद की महत्त्वपूर्ण देनें):-

1. बाल केन्द्रित शिक्षा
2. क्रिया प्रधान शिक्षा
3. शिक्षण की प्रगतिशील एवं महत्त्वपूर्ण विधि प्रोजेक्ट
4. बालकों में रचनात्मक क्षमता का जन्म दाता
5. बालकों को अभिव्यक्ति का पूर्ण अवसर
6. बालकों के सम्यक् ज्ञान का पर्याप्त अवसर
7. शिक्षा का समाजीकरण
8. शिक्षा में खोज एवं अनुसंधान का अवसर
9. प्रजातान्त्रिक शिक्षा
10. नवीन प्रगतिशील शिक्षा
11. शिक्षा जीवन है।
12. सह सम्बन्धित पाठ्यक्रम
13. पाठ्य सहगामी क्रियाओं को प्रोत्साहन
14. समाज केन्द्रित पाठ्यक्रम एवं विद्यालय
15. प्रयोजनवाद के शिक्षा क्षेत्र में विचारों को व्यवहारों के अधीन कर दिया।
16. व्यावहारिक उपयोगिता के कारण इसने शिक्षा क्षेत्र में नवीन चेतना एवं उत्साह को भरा है।
17. प्रयोजनवाद आँख मूँदकर किसी बात को स्वीकार नहीं करता प्रयोग एवं परीक्षण की तुला (तराजू) पर सत्य का निरीक्षण करता है।

18. जेम्स ने प्रयोजनवाद को आदर्शवाद एवं प्रकृतिवाद का संयोजक बताया है।

प्रयोजनवाद की आलोचना या दोष-

1. प्रयोजनवाद जीवन के शाश्वत एवं सार्वभौमिक मूल्यों की अवहेलना करता है।
2. पूर्व निर्धारित तथ्यों, बातों, आदर्शों एवं उद्देश्यों को प्रयोजनवाद कतई पसन्द नहीं करता। जिद्दी स्वभाव के कारण उसने पवित्र ज्ञान मंदाकिनी के प्रवाह को भी उसने गंदा कहकर पुकारा।
3. प्रयोजनवाद हर बात को उपयोगिता की तुला पर तोलता है। राधाकृष्णन् ने ठीक ही कहा है कि - ''व्यर्थ में शिक्षा को उपयोगिता और प्रयोजन का नारा नहीं लगाना चाहिए।''
4. प्रयोजनवाद का भौतिकवादी सिद्धान्त घपलेबाजी और स्वयंमें उलझी हुई बातों से आकृत है। जेसे- बालक के विकास की तुलना प्रयोजनवादी पशु एवं पौधों से करते हैं। यह नितान्त भ्रामक है, पशु एवं पौधों में तो आत्मा ही नहीं होती।
5. ईश्वर व धर्म की अवहेलना।
6. भारत जैसे देश के लिए प्रयोगशाला विद्यालय मँहगे हैं क्योंकि प्रयोगवादी विधि बड़ी खर्चीली है।
7. औपचारिक शिक्षा की अवहेलना।
8. शिक्षण की प्रोजेक्ट विधि जिस पर प्रयोजनवादी गर्व करते हैं,आलोचना से बची नहीं हैं क्योंकि इससे विद्यालय में शिक्षा देना आसान कार्य नहीं है।
9. सत्य को परिवर्तनशील मानता है।
10. शिक्षा का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं बताया है।

निष्कर्ष - प्रयोजनवाद ने शिक्षा को अनेक नयी बातें दी है जिसके कारण शिक्षा के जगत में क्रान्ति के युग का प्रारम्भ हुआ है और शिक्षा के प्रति दृष्टि कोण में परिवर्तन हो गया है। आज संसार में प्रयोजनवाद - शिक्षा का मुख्य दर्शन माना जाता है। यही कारण है कि शिक्षा की जो भी योजनायें बनायी जाती है, उनमें सबसे पहले प्रयोजनवाद का ही सहारा लिया जाता है। प्रयोजनवाद की प्रशंसा करते हुए रस्क ने लिखा है- ''प्रयोजनवाद जीवन आदर्शवाद के विकास में एक चरण मात्र है। यह नवीन आदर्शवाद ऐसा होगा जो सदैव जीवन की वास्तविकता का ध्यान रखेगा और व्यावहारिकता तथा आध्यात्मिक मूल्यों का समन्वय करेगा, इसके साथ ही ऐसी संस्कृति का निर्माण करेगा जो कुशलता का पुष्प होती है।''

वर्तमान शिक्षा पर प्रयोजनवाद का प्रभावः-

वर्तमान शिक्षा पर प्रयोजन का इस प्रकार प्रभाव पड़ा है-

1. वर्तमान समय में बालक को शिक्षा उसकी रूचियों के अनुसार दी जाती है। प्रयोजनवादी पाठ्यक्रम का स्वरूप बालक की रूचियों को ध्यान में रखकर निर्धारित करने के पक्ष में है।
2. प्रयोजनवादी शिक्षक को शिक्षा संगठन में महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं। आज शिक्षक को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है।

3. प्रयोजनवादी शिक्षा के माध्यम से बालक में जनतन्त्रीय मूल्यों का विकास करना चाहते है। व्यवहारबाद के अनुसार जनतन्त्रीय आदर्श ही शिक्षा का उद्देश्य है।
4. आज बालक के अनुभव के आधार पर शिक्षा देना अच्छा समझा जाता है।
5. शिक्षा के उद्देश्य तथा पाठ्यक्रम पर नवीन दृष्टिकोण से विचार होने लगा है।
6. प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा को नया अर्थ प्रदान किया गया है।
7. प्रयोजनवाद के फ्रोबेल तथा रूसों के शिक्षा के प्रति दृष्टि कोण में जो दोष थे उन्हें दूर किया है।
8. इस दर्शन के अनुसार बालक के अनुभव के आधार पर शिक्षा देना अच्छा समझा लाने लगा है।
9. इसमें बालक की शिक्षा में व्यक्तिगत रूचियों तथा योग्यताओं को महत्व दिया गया है।
10. आज विद्यालय का कार्य जनतन्त्र की भावना का विकास करना भी समझा जाने लगा है।
11. अब विद्यालय में ऐसी शिक्षा पर बल दिया जाता है जो बालकों में सामाजिक भावना का विकास करे।
12. आज विद्यालय को समाज का लघु रूप माना जाता है।
13. प्रयोजनवाद के प्रभाव से शिक्षा को सक्रियता प्रदान की गयी है।
14. सीखने की क्रिया में चिन्तन अच्छा समझा जाने लगा है।
15. इस दर्शन की एक महत्त्वपूर्ण शिक्षण विधि योजना पद्धति (प्रोजेक्ट विधि) है।

संदर्भ सूची

1. शिक्षा के आधार - प्रसाद, केशव
2. शिक्षा की दार्शनिक पृष्ठभूमि - ओड, एल0के0
3. उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक - टण्डन, उमा एवं गुप्ता, अरूणा
4. शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय सिद्धान्त - लाल, रमन बिहारी
5. शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय सिद्धान्त - सक्सैना, एन0आर0 स्वरूप
6. शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय आधार - सक्सैना, सरोज
7. शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय सिद्धान्त - सुखिया एवं त्यागी

1857 की क्रांति के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश में ब्रिटिश प्रशासनिक बदलाव और स्थानीय प्रतिरोध

प्रो० डा० रामकुमार यादव
शोध निदेशक, मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास विभाग, राजकीय डिग्री कॉलेज, बहुआ देहात, फतेहपुर
अखिलेश कुमार यादव
शोध छात्र, मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास विभाग, राजकीय डिग्री कॉलेज, बहुआ देहात, फतेहपुर

सार

प्रस्तुत शोध-पत्र 1857 की क्रांति के पश्चात पूर्वी उत्तर प्रदेश — जिसमें आज़मगढ़, गोरखपुर, बनारस, बलिया, जौनपुर और देवरिया जैसे ज़िले सम्मिलित हैं — में ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा लागू किए गए संरचनात्मक परिवर्तनों और उसके विरुद्ध उभरे स्थानीय प्रतिरोध के विविध रूपों का विश्लेषण करता है। 1857 के विद्रोह ने जहाँ एक ओर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया, वहीं दूसरी ओर इस क्षेत्र में कृषि, प्रशासन, न्याय-व्यवस्था एवं सामाजिक नियंत्रण के क्षेत्र में दूरगामी प्रभाव डालने वाले बदलाव आए। शोध में उपनिवेशवादी नीतियों के परिणामस्वरूप जन-असंतोष, सशस्त्र प्रतिरोध, धार्मिक आंदोलन और बौद्धिक प्रतिक्रियाओं का सूक्ष्म अध्ययन किया गया है। प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का यह क्षेत्र कभी भी औपनिवेशिक आधिपत्य के सामने पूर्णतः निष्क्रिय नहीं रहा — यहाँ की जनता ने अपने-अपने तरीकों से उपनिवेशवाद को चुनौती दी।

मुख्य शब्द: *1857 की क्रांति, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ब्रिटिश प्रशासन, स्थानीय प्रतिरोध, भू-राजस्व, उपनिवेशवाद, जन-आंदोलन, कृषक विद्रोह*

1. प्रस्तावना

1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास का एक ऐसा जलविभाजक है जिसने न केवल ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों को, बल्कि भारतीय समाज की राजनीतिक चेतना को भी एक नया आयाम दिया। इसे 'सिपाही विद्रोह', 'भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम', 'महा विद्रोह' और 'जन-क्रांति' जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। इतिहासकारों में इसकी प्रकृति और परिणामों को लेकर दशकों से बहस चलती आई है। परंतु इस बहस के केंद्र में अधिकांशतः दिल्ली, लखनऊ और कानपुर जैसे बड़े केंद्रों की चर्चा होती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश — जो इस विद्रोह का एक महत्त्वपूर्ण रंगमंच था — की स्थिति प्रायः उपेक्षित रह जाती है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध रहा है। गंगा और घाघरा के तटों पर बसे इस क्षेत्र में अवध के नवाबों, मुगल सूबेदारों और स्थानीय राजाओं का प्रभाव रहा था। 1857 की क्रांति के बाद यहाँ ब्रिटिश प्रशासन का जो नया ढाँचा स्थापित हुआ, उसने इस क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने को गहराई से

प्रभावित किया। इस ढाँचे के विरुद्ध जो प्रतिरोध उभरा, वह भी उतना ही विविधतापूर्ण और जटिल था।

प्रस्तुत शोध-पत्र इन्हीं प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास करता है: 1857 के बाद ब्रिटिश प्रशासन ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में कौन-कौन से संरचनात्मक परिवर्तन किए? इन परिवर्तनों के विरुद्ध स्थानीय जनता का प्रतिरोध किस रूप में सामने आया? और इस प्रतिरोध की ऐतिहासिक विरासत क्या है?

2. शोध पद्धति एवं स्रोत

यह शोध मूलतः एक ऐतिहासिक-विश्लेषणात्मक अध्ययन है जो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के स्रोतों पर आधारित है। प्राथमिक स्रोतों में उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार (लखनऊ), राष्ट्रीय अभिलेखागार (नई दिल्ली) और ब्रिटिश लाइब्रेरी (लंदन) में संरक्षित प्रशासनिक प्रतिवेदन, भू-बंदोबस्त अभिलेख, ज़िला गज़ेटियर, विधायी दस्तावेज़ और समकालीन हिंदी-उर्दू पत्र-पत्रिकाओं के अंक सम्मिलित हैं।

द्वितीयक स्रोतों में भारतीय और विदेशी इतिहासकारों की प्रामाणिक कृतियाँ, शोध-पत्रिकाओं के लेख और विश्वविद्यालयीय शोध-प्रबंध शामिल हैं। इस शोध में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों विश्लेषण विधियों का उपयोग किया गया है। राजस्व आँकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन, ज़िलावार प्रतिरोध की घटनाओं का वर्गीकरण और औपनिवेशिक कानूनों का आलोचनात्मक विश्लेषण — ये इस शोध के प्रमुख उपकरण हैं।

शोध की भौगोलिक सीमा आज़मगढ़, गोरखपुर, बनारस (वाराणसी), बलिया, जौनपुर और देवरिया ज़िलों तक निर्धारित की गई है, जबकि कालखंड 1857 से 1885 तक का है — अर्थात विद्रोह के तत्काल बाद से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तक।

3. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: 1857 से पूर्व पूर्वी उत्तर प्रदेश

3.1 सामाजिक-आर्थिक संरचना

1857 की क्रांति से पूर्व पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र बहुस्तरीय सामाजिक और आर्थिक संरचना से युक्त था। यहाँ के गाँवों में कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था प्रचलित थी जिसमें ज़मींदार, किसान और भूमिहीन श्रमिक — तीनों की भूमिका निर्धारित थी। ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और कायस्थ जातियाँ भूमि-स्वामित्व में अग्रणी थीं, जबकि कुर्मी, यादव और चमार जातियाँ मुख्यतः कृषि-श्रम में संलग्न थीं (मिश्र, 1987)।

अवध के नवाबों का प्रभाव इस क्षेत्र पर गहरा था। गोरखपुर और बस्ती जैसे ज़िले उनके प्रशासनिक क्षेत्र में आते थे, जबकि बनारस और जौनपुर का क्षेत्र पहले से ही कंपनी के नियंत्रण में था। नवाबी काल में स्थानीय शासन, राजस्व-वसूली और न्याय-व्यवस्था में एक निश्चित लचीलापन था जो औपनिवेशिक शासन के तहत कठोर नौकरशाही में बदल गया।

3.2 कंपनी शासन में बढ़ता तनाव

1801 से 1857 के बीच कंपनी के विस्तारवादी शासन ने इस क्षेत्र में गहरा असंतोष पैदा किया। स्थायी बंदोबस्त और उसके बाद की नीतियों ने पारंपरिक भूमि-सम्बन्धों को छिन्न-भिन्न कर दिया। कंपनी की कराधान नीतियाँ इतनी कठोर थीं कि छोटे किसान और ज़मींदार दोनों ही उनसे त्रस्त थे। धार्मिक हस्तक्षेप — चाहे वह ईसाई मिशनरियों का हो या नई शिक्षा नीति का — ने सामाजिक चिंता को और गहरा किया (गुहा, 1983)।

चर्बी वाले कारतूसों का विवाद केवल एक तात्कालिक कारण था; इसके पीछे दशकों का संचित आक्रोश था। 1857 की क्रांति जब भड़की, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के सिपाहियों, किसानों और नवाबों ने एक साथ इस विद्रोह में भाग लिया। आज़मगढ़ के कुँवर सिंह के सहयोगियों से लेकर गोरखपुर के स्थानीय तालुकेदारों तक — सभी ने इस संघर्ष में अपनी भूमिका निभाई।

4. 1857 के बाद ब्रिटिश प्रशासनिक परिवर्तन

4.1 शासन-व्यवस्था का पुनर्गठन

1858 के भारत सरकार अधिनियम ने कंपनी के शासन को समाप्त कर ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया। पूर्वी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इसका अर्थ था — पुराने नवाबी और तालुकेदारी ढाँचे को तोड़कर एक केंद्रीकृत, सैन्य-नौकरशाही तंत्र स्थापित करना। नए कलेक्टरों और जिला मजिस्ट्रेटों को व्यापक अधिकार दिए गए। स्थानीय भाषाओं और परंपराओं से परिचित अधिकारियों की जगह अब अधिकांशतः ऐसे अंग्रेज़ अधिकारी नियुक्त किए गए जो यहाँ की सामाजिक वास्तविकताओं से अनभिज्ञ थे (स्टोक्स, 1978)।

प्रशासनिक पुनर्गठन के तहत पुराने 'परगना' की जगह नए 'तहसील' और 'ज़िला' व्यवस्था को मज़बूत किया गया। पुलिस का नया ढाँचा बनाया गया जो सीधे ज़िला मजिस्ट्रेट के अधीन था। न्यायालयों में फ़ारसी की जगह अंग्रेज़ी और हिंदी को धीरे-धीरे स्वीकार किया गया, परंतु इस प्रक्रिया में स्थानीय कानूनी परंपराओं को नज़रअंदाज़ किया गया।

4.2 भू-राजस्व नीति और उसके प्रभाव

1857 के बाद की भू-राजस्व नीति पूर्वी उत्तर प्रदेश के जन-जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला कारक सिद्ध हुई। 1859 के भूमि-बंदोबस्त कानूनों ने ज़मींदारों को कानूनी संरक्षण दिया, परंतु छोटे किसानों और काश्तकारों की स्थिति को और कमज़ोर कर दिया। राजस्व का बोझ निरंतर बढ़ता गया — 1855 से 1870 के बीच इस क्षेत्र में भू-राजस्व में औसतन 74.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई (नारायण, 2003)।

नील की खेती को लेकर भी एक विशेष नीति थी जिसमें किसानों को अपनी इच्छा के विरुद्ध नील उगाने के लिए बाध्य किया जाता था। आज़मगढ़ में 1859-60 में इसी के विरुद्ध व्यापक प्रतिरोध हुआ। तालुकेदारों को एक नई कानूनी स्थिति दी गई — उन्हें स्थायी ज़मींदार के रूप में मान्यता मिली, परंतु उन्हें औपनिवेशिक व्यवस्था के प्रति निष्ठावान रहना अनिवार्य था।

तालिका 1: प्रमुख ब्रिटिश प्रशासनिक परिवर्तन एवं उनका पूर्वी उत्तर प्रदेश पर प्रभाव

वर्ष	प्रशासनिक परिवर्तन	पूर्वी उत्तर प्रदेश पर प्रभाव
1858	भारत सरकार अधिनियम — कंपनी शासन समाप्त, ताज का शासन आरंभ	स्थानीय शासन ढाँचे में आमूल परिवर्तन; नवाबी अधिकार समाप्त
1859	भू-राजस्व पुनर्निर्धारण और बंदोबस्त कानून	किसानों पर कर का बोझ बढ़ा; ज़मींदारों को संरक्षण मिला
1861	भारतीय परिषद अधिनियम	स्थानीय प्रतिनिधित्व न्यूनतम; नौकरशाही सुदृढ़
1864	उत्तर-पश्चिमी प्रांत में पुलिस सुधार	गाँव-स्तरीय निगरानी कड़ी; जासूसी तंत्र विस्तृत
1871	आपराधिक जनजाति अधिनियम	कई स्थानीय समूहों को 'अपराधी जाति' घोषित — विरोध का कारण बना
1878	वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम	हिंदी-उर्दू पत्रकारिता पर प्रतिबंध; जन-संचार बाधित
1882	भूमि अधिग्रहण और स्थानांतरण प्रतिबंध	किसान वर्ग की ज़मीन से बेदखली; असंतोष गहरा

स्रोत: उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार, लखनऊ; ब्रिटिश भारतीय विधायी रिकॉर्ड (1858-1882)

4.3 सैन्य और पुलिस व्यवस्था में परिवर्तन

1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश शासन को यह स्पष्ट कर दिया कि स्थानीय सैनिकों पर अंधाधुंध विश्वास करना खतरनाक हो सकता है। परिणामस्वरूप, सेना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया और 'बफर जातियों' — जैसे गोरखा, पंजाबी और सिख — को प्राथमिकता दी गई। पूर्वी उत्तर प्रदेश के उच्च जाति के सिपाहियों की संख्या में कमी की गई जो कि 1857 के विद्रोह में अग्रणी रहे थे।

पुलिस सुधारों के तहत प्रत्येक ज़िले में एक केंद्रीय पुलिस व्यवस्था स्थापित की गई। 1861 के पुलिस अधिनियम ने जिला पुलिस को एक संगठित रूप दिया। ग्रामीण स्तर पर 'चौकीदारी कर' लागू किया गया जिसके अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण को गाँव की सुरक्षा के लिए कर देना अनिवार्य था — यह कर स्थानीय जनता में अत्यंत अलोकप्रिय रहा।

5. स्थानीय प्रतिरोध के विविध रूप

5.1 कृषक विद्रोह और भूमि-संघर्ष

1857 के तत्काल बाद के वर्षों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में कृषक प्रतिरोध सबसे व्यापक और तीव्र था। बलिया में 1858-1860 के बीच भूमिहार किसानों ने नए राजस्व निर्धारण के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष किया। इस प्रतिरोध में राजा देवी बक्श का नेतृत्व उल्लेखनीय था जिन्होंने ब्रिटिश करारोपण के विरुद्ध किसानों को संगठित किया। ब्रिटिश सेना को इसे दबाने के लिए कई सप्ताह का सैनिक अभियान चलाना पड़ा, और इस प्रक्रिया में अनेक गाँव जलाए गए तथा सैकड़ों किसानों को कारागार में डाला गया (मुखर्जी, 2001)।

आज़मगढ़ में नील की खेती के विरुद्ध प्रतिरोध एक विशेष ऐतिहासिक महत्त्व रखता है। यहाँ के किसानों ने सामूहिक रूप से नील उगाने से इनकार किया और स्थानीय ज़मींदारों ने भी उनका समर्थन किया। इस प्रकार एक ऐसा असामान्य गठबंधन बना जिसमें किसान और ज़मींदार — जो प्रायः परस्पर विरोधी हितों के प्रतिनिधि होते हैं — एक साथ आए। जौनपुर में 1861 में मालगुज़ारी देने से सामूहिक इनकार की घटना भी इसी प्रकार की एकजुटता का उदाहरण है, जहाँ स्त्रियों

की भूमिका विशेष रूप से उल्लेखनीय रही।

5.2 धार्मिक एवं सांस्कृतिक प्रतिरोध

धर्म और संस्कृति के माध्यम से प्रतिरोध का एक विशिष्ट और महत्त्वपूर्ण रूप इस क्षेत्र में देखने को मिलता है। गोरखपुर में 1870 के दशक में गोरक्षा आंदोलन ने एक सामाजिक-धार्मिक प्रतिरोध का रूप लिया। गोरक्षा संगठनों ने न केवल गाय-वध के विरुद्ध आवाज़ उठाई, बल्कि औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध एक सांस्कृतिक पहचान को भी सुदृढ़ किया। हालाँकि यह आंदोलन कभी-कभी सांप्रदायिक तनाव का कारण भी बना, परंतु इसकी मूल प्रेरणा औपनिवेशिक हस्तक्षेप के विरुद्ध थी (पांडे, 1990)।

बनारस में ब्राह्मण पुजारियों और पंडितों द्वारा ब्रिटिश कर-व्यवस्था को अस्वीकार करना एक सांस्कृतिक-धार्मिक विरोध का रूप था। 1867 में विभिन्न मंदिरों पर लगाए गए करों के विरुद्ध पंडितों ने एकजुट होकर पत्रक वितरित किए और जन-सभाएँ आयोजित कीं। ब्रिटिश प्रशासन ने इसे 'धार्मिक उन्माद' कहकर दरकिनार करने की कोशिश की, परंतु इसके पीछे एक गहरी राजनीतिक चेतना थी।

इसी काल में देवरिया और आसपास के वन-क्षेत्रों में आदिवासी और वन-निवासी समुदायों ने वन-अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया। ब्रिटिश वन-नीतियों ने पारंपरिक वन-उपयोग के अधिकारों को छीन लिया था — इसके विरुद्ध किसान और आदिवासी एकजुट हुए जो एक असाधारण सामाजिक-राजनीतिक घटना थी।

तालिका 2: ज़िलावार प्रतिरोध की प्रमुख घटनाएँ एवं उनकी विशेषताएँ (1857-1885)

ज़िला	प्रतिरोध का रूप	प्रमुख घटनाएँ एवं नेतृत्व	ब्रिटिश प्रतिक्रिया
आज़मगढ़	कृषक विद्रोह	1859 — नील की खेती से इनकार; स्थानीय ज़मींदारों का समर्थन	सामूहिक गिरफ्तारी, गाँव जलाए गए
गोरखपुर	धार्मिक प्रतिरोध	1870 के दशक — गोरक्षा आंदोलन; स्थानीय पुजारियों की भूमिका	सभाओं पर प्रतिबंध; नेताओं को निर्वासन
बनारस	बौद्धिक-सांस्कृतिक प्रतिरोध	1867 — ब्राह्मण पंडितों द्वारा कर अस्वीकृति; पत्रक वितरण	छापेखाने बंद; प्रमुख लेखक गिरफ्तार
बलिया	सशस्त्र संघर्ष	1858-60 — भूमिहार किसानों का विद्रोह; राजा देवी बक्श का नेतृत्व	सैनिक अभियान; जमींदारी जब्त
जौनपुर	राजस्व अस्वीकृति	1861 — मालगुज़ारी देने से सामूहिक इनकार; स्त्री-नेतृत्व भी उल्लेखनीय	नए करारोपण; ग्राम मुखिया बदले गए
देवरिया	वन-अधिकार संघर्ष	1870-80 — वन-भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध; आदिवासी-किसान एकजुटता	वन विभाग का कड़ा नियंत्रण; दंड अभियान

स्रोत: ज़िला गज़ेटियर, उत्तर प्रदेश; राष्ट्रीय अभिलेखागार रिपोर्ट; गुहा (1983); पांडे (1990)

5.3 बौद्धिक एवं साहित्यिक प्रतिरोध

पूर्वी उत्तर प्रदेश के बौद्धिक वर्ग ने भी औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध एक सशक्त प्रतिरोध विकसित किया। बनारस

और आज़मगढ़ के लेखकों, कवियों और पत्रकारों ने हिंदी और उर्दू साहित्य के माध्यम से जन-चेतना जगाने का प्रयास किया। यहाँ की पत्र-पत्रिकाओं में ब्रिटिश नीतियों की आलोचना एक सामान्य विषय थी। 1878 के वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम के बावजूद — जिसने हिंदी-उर्दू पत्रकारिता पर गंभीर प्रतिबंध लगाए — लेखकों ने सांकेतिक और रूपकात्मक भाषा में अपना विरोध जारी रखा।

भारतेंदु हरिश्चंद्र जो बनारस के थे, उनकी रचनाएँ इस बौद्धिक प्रतिरोध का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण हैं। उनकी नाटक-रचनाओं और निबंधों में औपनिवेशिक शोषण की तीखी आलोचना है जो सामान्य पाठक को भी सुगमता से समझ आती थी। इसी परंपरा में आगे चलकर महावीर प्रसाद द्विवेदी और अन्य लेखकों ने हिंदी साहित्य को एक राष्ट्रीय-सांस्कृतिक आंदोलन का माध्यम बनाया (चटर्जी, 1993)।

5.4 महिलाओं की भूमिका

1857 के बाद के प्रतिरोध में महिलाओं की भूमिका पर पर्याप्त शोध नहीं हुआ है, परंतु उपलब्ध साक्ष्य बताते हैं कि जौनपुर और आज़मगढ़ में महिलाओं ने राजस्व-अस्वीकृति और सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों में सक्रिय भाग लिया। ग्रामीण महिलाएँ सूचना-प्रसार और विद्रोहियों को सहायता पहुँचाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। उनकी सहभागिता प्रायः ब्रिटिश अभिलेखों में दर्ज नहीं हुई क्योंकि औपनिवेशिक प्रशासन उन्हें राजनीतिक अभिकर्ता नहीं मानता था (सरकार, 1993)।

6. राजस्व आँकड़े और आर्थिक दोहन का विश्लेषण

ब्रिटिश प्रशासनिक परिवर्तनों के आर्थिक प्रभावों को समझने के लिए राजस्व आँकड़ों का विश्लेषण अनिवार्य है। नीचे प्रस्तुत तालिका 1855 से 1870 के बीच पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रमुख ज़िलों में भू-राजस्व की वृद्धि को दर्शाती है।

तालिका 3: पूर्वी उत्तर प्रदेश में भू-राजस्व वृद्धि (1855-1870)

क्षेत्र	1855 में राजस्व (₹ लाख में)	1870 में राजस्व (₹ लाख में)	वृद्धि प्रतिशत
आज़मगढ़	18.4	31.7	72.3%
गोरखपुर	22.1	38.9	76.0%
बनारस	34.6	57.2	65.3%
बलिया	9.8	19.1	94.9%
जौनपुर	15.3	27.8	81.7%
कुल क्षेत्र	**100.2**	**174.7**	**74.4%**

स्रोत: भू-बंदोबस्त रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार; नारायण (2003) के आँकड़ों पर आधारित

इन आँकड़ों से स्पष्ट है कि 1857 के बाद मात्र 15 वर्षों में ही इस क्षेत्र में भू-राजस्व में औसतन 74 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई। बलिया जैसे छोटे ज़िले में यह वृद्धि लगभग 95 प्रतिशत थी जो कि अत्यंत कठोर थी। यह वृद्धि उस काल की मूल्य-स्तर वृद्धि से कहीं अधिक थी, जो बताती है कि किसानों पर वास्तविक आर्थिक बोझ बेतहाशा बढ़ा।

इस आर्थिक दोहन के परिणाम दूरगामी थे। भूख और ऋण-ग्रस्तता बढ़ी। छोटे किसान महाजनों के चंगुल में फँसते गए। भूमि-हस्तांतरण बढ़ा जिसमें किसान अपनी ज़मीनें महाजनों और साहूकारों को देने पर विवश हुए। इस प्रक्रिया ने

कृषक-असंतोष को और गहरा किया जो आगे चलकर 1857 के बाद के प्रतिरोध आंदोलनों का आर्थिक आधार बना।

7. औपनिवेशिक कानूनी ढाँचा और स्थानीय न्याय-व्यवस्था पर प्रभाव

7.1 नए कानूनी संस्थान

1857 के बाद ब्रिटिश प्रशासन ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक नई न्याय-व्यवस्था स्थापित की जो पुरानी मुगल-अवधी कानूनी परंपराओं से मूलतः भिन्न थी। नए ज़िला न्यायालय, सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय (इलाहाबाद) की श्रेणीबद्ध व्यवस्था बनाई गई। इस व्यवस्था में न्याय की भाषा, प्रक्रिया और सिद्धांत — सभी औपनिवेशिक मूल्यों पर आधारित थे।

पारंपरिक पंचायती न्याय को कानूनी मान्यता तो मिली, परंतु उसे आधिकारिक न्यायिक तंत्र के अधीन कर दिया गया। 1871 के आपराधिक जनजाति अधिनियम ने कई स्थानीय समुदायों को 'जन्मजात अपराधी' घोषित किया — यह न केवल सामाजिक कलंक का कारण बना, बल्कि उन समुदायों के लिए आजीविका और स्वतंत्र आवागमन पर भी गंभीर प्रतिबंध लगा दिए।

7.2 भूमि-कानूनों का जटिल जाल

1859, 1868 और 1882 के भूमि-कानूनों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश की भूमि-व्यवस्था को मौलिक रूप से बदल दिया। इन कानूनों के तहत भूमि-स्वामित्व को एक कानूनी दस्तावेज़-आधारित व्यवस्था में बदल दिया गया। जो किसान पारंपरिक रूप से भूमि पर खेती करते आए थे, उन्हें अब अपने अधिकार साबित करने के लिए कागज़ात प्रस्तुत करने पड़ते थे — एक ऐसी प्रक्रिया जो अधिकांश निरक्षर किसानों के लिए असंभव थी (चंद्रा, 2000)।

भूमि-हस्तांतरण पर नए प्रतिबंधों ने ज़मींदारों और महाजनों को लाभ पहुँचाया, जबकि साधारण किसान उपेक्षित होते गए। 1882 के भूमि-अधिग्रहण कानून ने सरकार को सार्वजनिक हित के नाम पर किसी भी भूमि का अधिग्रहण करने का अधिकार दिया — इसका उपयोग रेलवे, नहर निर्माण और सैनिक छावनियों के लिए खुलकर हुआ, और किसानों को उचित मुआवज़ा शायद ही मिला।

8. औपनिवेशिक नीतियों के सामाजिक परिणाम

8.1 जातीय संरचना पर प्रभाव

ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियों का जातीय संरचना पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। 'सहायक जातियों' और 'युद्धप्रिय जातियों' की अवधारणा ने जातिगत पहचान को एक नया आयाम दिया। ब्रिटिश प्रशासन ने जनगणना (1881 से) के माध्यम से जातियों का वर्गीकरण किया, जिसने पहले से मौजूद जातीय विभाजनों को और कठोर बना दिया।

उच्च जातियों — विशेषकर ब्राह्मण और राजपूत — के लिए नौकरशाही में प्रवेश अपेक्षाकृत सहज था, परंतु पारंपरिक भूमि-अधिकारों के ह्रास ने उनके आर्थिक आधार को कमज़ोर किया। निम्न जातियों के लिए स्थिति और भी कठिन थी — उन्हें न तो भूमि-अधिकार मिले और न ही सरकारी सेवाओं में प्रवेश। इस दोहरे उत्पीड़न ने जातीय-वर्गीय चेतना को एक नया स्वरूप दिया जो बाद के आंदोलनों में प्रकट हुआ (आंबेडकर, 1936)।

8.2 शिक्षा और भाषा नीति

मैकाले की शिक्षा नीति (1835) के दीर्घकालिक प्रभाव 1857 के बाद इस क्षेत्र में और स्पष्ट हुए। अंग्रेज़ी माध्यम की शिक्षा ने एक नए 'शिक्षित वर्ग' को जन्म दिया जो औपनिवेशिक सेवाओं के लिए उपयुक्त था, परंतु अपनी जड़ों से कटता भी जा रहा था। दूसरी ओर, हिंदी और संस्कृत की पारंपरिक शिक्षा — जो पाठशालाओं और गुरुकुलों में दी जाती थी — को हाशिये पर धकेला गया।

बनारस में हिंदी आंदोलन 1860-70 के दशक में एक सांस्कृतिक प्रतिरोध के रूप में उभरा। 1893 में 'नागरी प्रचारिणी सभा' की स्थापना इसी चेतना की परिणति थी। हिंदी को कचहरी और प्रशासनिक भाषा के रूप में मान्यता दिलाने का आंदोलन एक सांस्कृतिक-राजनीतिक प्रतिरोध था जो इस क्षेत्र की विशेष देन है।

9. तुलनात्मक विश्लेषण: पूर्वी उत्तर प्रदेश बनाम अन्य क्षेत्र

1857 के बाद ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन और उसके विरुद्ध प्रतिरोध का अनुभव पूर्वी उत्तर प्रदेश में अन्य क्षेत्रों से कुछ महत्त्वपूर्ण पहलुओं में भिन्न था। बंगाल में 1859-60 का नील विद्रोह इस क्षेत्र से पहले का है, परंतु पूर्वी उत्तर प्रदेश में नील-विरोधी आंदोलन की अपनी विशेषताएँ थीं — यहाँ किसान-ज़मींदार गठबंधन असामान्य रूप से मज़बूत था।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट और अहीर किसानों के प्रतिरोध की तुलना में पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रतिरोध अधिक विखंडित और विविधतापूर्ण था — यहाँ जाति, धर्म, भाषा और वर्ग — सभी आयाम प्रतिरोध में मिले-जुले रूप में प्रकट हुए। यही विविधता इस क्षेत्र के प्रतिरोध को इतिहास में एक विशेष स्थान दिलाती है।

महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज और बंगाल में ब्रह्म समाज जैसे सुधार आंदोलनों की तुलना में पूर्वी उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक-धार्मिक प्रतिरोध अधिक पारंपरिक था और उसमें आधुनिकतावादी सुधार का तत्त्व अपेक्षाकृत कम था। यह इस क्षेत्र की रूढ़िवादी-धार्मिक पहचान और यहाँ के बौद्धिक वर्ग की भूमिका को समझने की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है।

10. दीर्घकालिक प्रभाव और राष्ट्रीय आंदोलन से सम्बन्ध

पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1857 के बाद उभरा प्रतिरोध केवल एक स्थानीय घटना नहीं था — यह आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव बनने वाला था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय इस क्षेत्र के कई बौद्धिकों और राजनेताओं ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। बनारस की राजनीतिक और बौद्धिक परंपरा ने आगे चलकर बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और महात्मा गांधी के आंदोलनों को एक उर्वर भूमि प्रदान की।

1857-1885 के बीच के इन तीन दशकों में जो प्रतिरोध-परंपरा इस क्षेत्र में विकसित हुई, उसने एक ऐसी राजनीतिक चेतना को जन्म दिया जो बाद के असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में स्पष्ट रूप से दिखाई दी। पूर्वी उत्तर प्रदेश — जो कभी 1857 के विद्रोह का केंद्र था — बाद के राष्ट्रीय आंदोलनों में भी अग्रणी रहा।

गाँधीजी के 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान इस क्षेत्र में जो जन-उभार आया, उसकी जड़ें 1857 के बाद के प्रतिरोध में तलाशी जा सकती हैं। किसान-आंदोलन, धार्मिक-सांस्कृतिक चेतना और बौद्धिक प्रतिरोध — तीनों धाराएँ इस क्षेत्र में एकीकृत होकर एक व्यापक राष्ट्रीय चेतना में रूपांतरित हुईं (गुहा, 2007)।

11. निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध से यह स्पष्ट होता है कि 1857 की क्रांति के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश में ब्रिटिश प्रशासनिक परिवर्तन केवल प्रशासनिक पुनर्गठन तक सीमित नहीं थे — वे एक समग्र औपनिवेशिक परियोजना के अंग थे जिसने इस क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन को मौलिक रूप से प्रभावित किया। भू-राजस्व में 74 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि, नए कानूनी संस्थानों का निर्माण, सैन्य और पुलिस तंत्र का विस्तार — ये सभी उस व्यापक औपनिवेशिक परियोजना के उपकरण थे।

परंतु इस क्षेत्र की जनता ने कभी भी इस परियोजना के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। बलिया के किसानों का सशस्त्र प्रतिरोध, आज़मगढ़ में नील-विरोधी आंदोलन, गोरखपुर का गोरक्षा आंदोलन, बनारस की बौद्धिक-सांस्कृतिक प्रतिक्रिया और जौनपुर का राजस्व-अस्वीकरण — ये सभी इस बात के प्रमाण हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का समाज उपनिवेशवाद के विरुद्ध निरंतर सक्रिय और सजग रहा।

इस शोध का एक महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष यह भी है कि इस क्षेत्र का प्रतिरोध एक रैखिक, संगठित राजनीतिक आंदोलन नहीं था — यह बहुस्तरीय, बहुमुखी और सामाजिक विविधता से परिपूर्ण था। जाति, वर्ग, धर्म और भाषा — सभी आयाम इस प्रतिरोध में उपस्थित थे। यही विविधता इस क्षेत्र के ऐतिहासिक अध्ययन को और भी समृद्ध और चुनौतीपूर्ण बनाती है।

भविष्य के शोधार्थियों के लिए यह क्षेत्र अभी भी बहुत कुछ छुपाए हुए है — महिलाओं की भूमिका, दलित और आदिवासी समुदायों का प्रतिरोध, मौखिक इतिहास की परंपरा — ये सभी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ और गहन शोध की आवश्यकता है। इस प्रकार, 1857 के बाद का पूर्वी उत्तर प्रदेश न केवल औपनिवेशिक इतिहास का, बल्कि भारतीय प्रतिरोध और जन-चेतना के इतिहास का भी एक अमूल्य अध्याय है।

संदर्भ सूची

1. आंबेडकर, भीमराव रामजी. जाति का विनाश. भारतीय दलित साहित्य अकादमी, 1936.
2. उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार. भू-बंदोबस्त रिपोर्ट, आज़मगढ़ एवं गोरखपुर ज़िले. लखनऊ, 1862-1875.
3. कुमार, रवींद्र. "1857 के बाद उत्तर भारत में कृषि-संरचना और किसान विद्रोह." भारतीय इतिहास अनुसंधान पत्रिका, खंड 14, 1989, पृष्ठ 47-73.
4. चंद्रा, बिपिन. भारत का स्वतंत्रता संग्राम. हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, 2000.
5. चटर्जी, पार्थ. राष्ट्रवाद और औपनिवेशिक विश्व. अनुवाद: धर्मेंद्र कुमार, वाणी प्रकाशन, 1993.
6. गुहा, रणजीत. उपनिवेशवाद और उत्तर-औपनिवेशिक भारत. अनुवाद: सुरेश शर्मा, राजकमल प्रकाशन, 2007.
7. गुहा, रणजीत, संपादक. सबाल्टर्न स्टडीज़: भारतीय इतिहास और समाज पर लेखन, खंड 1. ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1983.
8. नारायण, बद्री. पूर्वी उत्तर प्रदेश में कृषि आंदोलन. हिंदी ग्रंथ अकादमी, 2003.
9. पांडे, ज्ञानेंद्र. उत्तर भारत में किसान, जनजातीय और राष्ट्रवादी आंदोलन. अनुवाद: अरविंद मोहन, राजकमल प्रकाशन, 1990.
10. भारत सरकार. भारत शासन अधिनियम, 1858. भारतीय विधायी विभाग, 1858.
11. मिश्र, गिरीश. 1857 और भारतीय समाज. मनोहर प्रकाशन, 1987.

12. मुखर्जी, रुद्रांशु. अवध में विद्रोह: 1857 का क्रांति. अनुवाद: उमेश कुमार, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, 2001.

13. राजस्व विभाग, उत्तर-पश्चिमी प्रांत. ज़िला गज़ेटियर: बनारस, जौनपुर, बलिया. इलाहाबाद सरकारी प्रेस, 1870.

14. सरकार, सुमित. आधुनिक भारत: 1885-1947. मैकमिलन, 1993.

15. स्टोक्स, एरिक. किसान और ब्रिटिश राज: उत्तर भारत में परिवर्तन और कृषि समाज. अनुवाद: सुधीर कुमार, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1978.

16. हरिश्चंद्र, भारतेंदु. भारत दुर्दशा एवं अन्य नाटक. भारतेंदु मंडल, वाराणसी, 1880.

भारतीय लोकतंत्र में आरक्षण की राजनीति का विश्लेषण

डॉ. कुन्ता कुमारी
राजनीति विज्ञान विभाग, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा

सारांश

भारतीय लोकतंत्र में आरक्षण की नीति एक जटिल, बहुआयामी और राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील विषय रही है। संविधान निर्माताओं ने सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांत को मूर्त रूप देने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया था। किंतु कालांतर में यह नीति राजनीतिक दलों के लिए वोट बैंक की राजनीति का एक प्रमुख उपकरण बन गई। शोध में पाया गया कि आरक्षण की राजनीति ने जहाँ एक ओर वंचित वर्गों को सत्ता में भागीदारी दिलाई, वहीं दूसरी ओर इसने जातिगत ध्रुवीकरण को भी गहरा किया है। प्रस्तुत शोध-पत्र में आरक्षण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संवैधानिक आधार, राजनीतिक उपयोग, मंडल आयोग के प्रभाव, OBC आरक्षण विवाद, आर्थिक आधार पर आरक्षण (EWS), तथा समसामयिक राजनीतिक परिदृश्य का विश्लेषण किया गया है। यह अध्ययन द्वितीयक स्रोतों, सरकारी दस्तावेजों, न्यायिक निर्णयों एवं विद्वानों के विचारों पर आधारित है। सामाजिक न्याय और योग्यता के बीच संतुलन बनाना भारतीय लोकतंत्र के समक्ष एक स्थायी चुनौती बनी हुई है।

मुख्य शब्द: *आरक्षण, जाति-राजनीति, सामाजिक न्याय, मंडल आयोग, संविधान, लोकतंत्र*

1. प्रस्तावना

भारत विविधताओं का देश है जहाँ जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के आधार पर समाज अनेक वर्गों में विभाजित है। इस विविधता के बीच सामाजिक असमानता और भेदभाव की समस्या सदियों से विद्यमान रही है। ब्रिटिश शासन काल में भी निम्न जातियों और आदिवासियों के साथ अमानवीय व्यवहार होता था। जब भारत स्वतंत्र हुआ और संविधान का निर्माण हुआ, तब संविधान निर्माताओं ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि शताब्दियों से शोषित और वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाया जाए।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर का मानना था कि राजनीतिक लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी स्थापित हो। उनके अनुसार जब तक समाज में जातिगत भेदभाव और आर्थिक विषमता रहेगी, तब तक राजनीतिक समानता का कोई अर्थ नहीं है। **(Ambedkar, 1949, Constituent Assembly Debates)**

आरक्षण की नीति इसी दर्शन पर आधारित है। इसे एक अस्थायी उपाय के रूप में लागू किया गया था, किंतु समय के साथ यह भारतीय राजनीति का एक स्थायी और विवादास्पद अंग बन गया। विभिन्न राजनीतिक दलों ने इसे अपने-अपने राजनीतिक हितों के अनुसार उपयोग किया, जिसके कारण यह एक गहरे सामाजिक विभाजन का कारण भी बना।

2. आरक्षण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत में आरक्षण की अवधारणा ब्रिटिश काल से आरंभ होती है। 1882 में हंटर आयोग के समय से ही पिछड़े वर्गों की शिक्षा और प्रतिनिधित्व की आवश्यकता महसूस की जाने लगी थी। 1919 के मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार में पहली बार 'depressed classes' के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की मांग उठी। 1932 में ब्रिटिश सरकार ने 'कम्युनल अवार्ड' जारी किया जिसमें दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान था। किंतु महात्मा गांधी के उपवास के बाद पूना पैक्ट (1932) हुआ, जिसमें पृथक निर्वाचन क्षेत्र के स्थान पर आरक्षित सीटों की व्यवस्था की गई। ***(Zelliot, 1992, p. 147)***

स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा में लंबी बहस के बाद अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटें आरक्षित की गईं तथा सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण का प्रावधान किया गया।

3. संवैधानिक आधार

भारतीय संविधान में आरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 15(4) राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के उन्नयन के लिए विशेष उपबंध करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 16(4) सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का आधार प्रदान करता है। अनुच्छेद 335 यह स्पष्ट करता है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सदस्यों के दावों को प्रशासन की कार्यकुशलता बनाए रखते हुए सेवाओं और पदों में ध्यान में रखा जाएगा। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए आयोग गठित करने का प्रावधान देता है। **(भारत का संविधान, 1950)**

प्रारंभ में आरक्षण केवल दस वर्षों के लिए था, किंतु संविधान संशोधनों के माध्यम से इसे बार-बार बढ़ाया जाता रहा। 2019 में 103वें संविधान संशोधन द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए 10% आरक्षण जोड़ा गया, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने 2022 में वैध ठहराया।

4. मंडल आयोग और OBC आरक्षण का राजनीतिक प्रभाव

1979 में मोरारजी देसाई सरकार ने बी.पी. मंडल की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया जिसका उद्देश्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करना था। मंडल आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग) के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की गई। वी.पी. सिंह सरकार ने 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद पूरे देश में जबरदस्त आंदोलन हुआ। दिल्ली में राजीव गोस्वामी ने आत्मदाह का प्रयास किया और अनेक युवाओं ने इसी प्रकार विरोध प्रदर्शन किए। यह घटना भारतीय राजनीति में एक निर्णायक मोड़ साबित हुई। ***(Jaffrelot, 2003, p. 318)*** इंद्र साहनी बनाम भारत संघ (1992) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने OBC आरक्षण को वैध ठहराया किंतु कुल आरक्षण की सीमा 50% निर्धारित की। 'क्रीमी लेयर' के सिद्धांत को लागू करते हुए उच्च आय वाले OBC परिवारों को आरक्षण के लाभ से बाहर किया गया।

मंडल आयोग की रिपोर्ट के लागू होने के बाद OBC राजनीति का एक नया युग आरंभ हुआ। लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार जैसे नेता OBC राजनीति के प्रतीक बन गए। बिहार और उत्तर प्रदेश में जातिगत समीकरणों ने चुनावी राजनीति की दिशा ही बदल दी। **(Yadav, 2000, p. 89)**

5. आरक्षण और वोट बैंक की राजनीति

भारतीय राजनीति में आरक्षण सबसे संवेदनशील और विवादास्पद मुद्दों में से एक रहा है। विभिन्न राजनीतिक दलों ने चुनावी लाभ के लिए आरक्षण का उपयोग एक राजनीतिक हथियार के रूप में किया है। जब भी चुनाव नजदीक आते हैं, आरक्षण के नए-नए प्रस्ताव और घोषणाएं सामने आती हैं। राजनीतिक वैज्ञानिक क्रिस्टोफ जेफ्रेलो के अनुसार भारत में आरक्षण की राजनीति ने एक 'silent revolution' को जन्म दिया जिसमें निम्न जातियों ने क्रमशः राजनीतिक सत्ता में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई। कांग्रेस पार्टी ने ऐतिहासिक रूप से दलित और अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधने के लिए आरक्षण नीतियों का सहारा लिया। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में EWS आरक्षण लागू करके उच्च जातियों को साधने का प्रयास किया। समाजवादी पार्टी, जनता दल (यू), राष्ट्रीय जनता दल जैसे क्षेत्रीय दल OBC और पिछड़े वर्गों की राजनीति के इर्द-गिर्द ही अपनी पहचान बनाते हैं। यह प्रक्रिया भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता का प्रतीक भी है और उसकी जटिलता का भी। ***(Jaffrelot, 2003, p. 402)***

6. आर्थिक आधार पर आरक्षण (EWS) और समसामयिक विमर्श

2019 में केंद्र सरकार ने 103वाँ संविधान संशोधन करके सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों (EWS) के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण का प्रावधान किया। इससे कुल आरक्षण 60% हो गया जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 50% की सीमा को पार करता है।

नवंबर 2022 में सर्वोच्च न्यायालय की पाँच सदस्यीय संविधान पीठ ने 3:2 के बहुमत से EWS आरक्षण को वैध ठहराया। न्यायालय ने कहा कि यह आरक्षण संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन नहीं करता। किंतु दो न्यायाधीशों ने असहमति जताई और इसे असंवैधानिक घोषित किया। **(Janhit Abhiyan v. Union of India, 2022, AIR SC 4814***)* EWS आरक्षण को लेकर समाज में दो प्रकार की प्रतिक्रियाएं रहीं। एक वर्ग ने इसे 'आरक्षण की मूल भावना के विरुद्ध' बताया क्योंकि आरक्षण का उद्देश्य सामाजिक भेदभाव का निवारण था न कि केवल आर्थिक गरीबी। दूसरे वर्ग ने इसे सभी वर्गों के लिए समानता का एक कदम माना।

7. जाति जनगणना और आरक्षण का भविष्य

हाल के वर्षों में OBC जाति जनगणना एक प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बन गई है। बिहार सरकार ने 2023 में जाति आधारित सर्वेक्षण किया जिसमें OBC और EBC की जनसंख्या 63% से अधिक पाई गई। केंद्र सरकार ने 2025 में राष्ट्रीय जनगणना में जाति संबंधी डेटा एकत्रित करने की घोषणा की है। यह निर्णय भविष्य की आरक्षण नीतियों पर दूरगामी प्रभाव डाल सकता है। इसके आधार पर बिहार सरकार ने आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 65% करने का प्रस्ताव रखा, जिसे पटना उच्च न्यायालय ने अवैध घोषित किया। राहुल गांधी और विपक्षी इंडिया गठबंधन ने 2024 के आम चुनाव में 'जातिगत जनगणना' को एक प्रमुख मुद्दा बनाया। उनका तर्क था कि बिना सटीक जनगणना के OBC, SC, ST की वास्तविक जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। **(The Hindu, October 2023)**

8. आरक्षण के पक्ष और विपक्ष में तर्क

आरक्षण के समर्थकों का मत है कि भारत में जातिगत भेदभाव की जड़ें इतनी गहरी हैं कि बिना सकारात्मक कार्यवाही के वंचित वर्गों का उत्थान संभव नहीं। यह सामाजिक न्याय का एक अनिवार्य उपकरण है। वास्तविकता यह है कि आरक्षण

ने निश्चित रूप से दलित और पिछड़े वर्गों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में अवसर दिए हैं। IAS, IPS जैसी सेवाओं में SC/ST अधिकारियों की उपस्थिति इसका प्रमाण है। किंतु निजी क्षेत्र में आरक्षण न होने के कारण उस क्षेत्र में वंचित वर्गों की भागीदारी अत्यंत सीमित है। वे तर्क देते हैं कि योग्यता का आकलन भी जातिगत पृष्ठभूमि से स्वतंत्र नहीं हो सकता क्योंकि एक दलित बच्चे को समान शैक्षिक अवसर ही नहीं मिले होते। आलोचकों का कहना है कि आरक्षण से योग्यता का ह्रास होता है और यह जातिगत विभाजन को और गहरा करता है। यह नीति 'वोट बैंक' की राजनीति में परिवर्तित हो गई है और इसका वास्तविक लाभ गरीब दलितों और आदिवासियों को नहीं बल्कि उनके संपन्न वर्ग को मिल रहा है। **(Deshpande, 2011, p. 203)**

9. न्यायिक दृष्टिकोण

सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण नीति की सीमाओं और स्वरूप को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इंद्रा साहनी केस (1992) में 50% की सीमा, क्रीमी लेयर का सिद्धांत और पदोन्नति में आरक्षण पर प्रतिबंध जैसे महत्वपूर्ण निर्णय दिए गए। जन्हित अभियान बनाम भारत संघ (2022) में EWS आरक्षण को वैध ठहराते हुए न्यायालय ने कहा कि संसद को सामाजिक-आर्थिक नीतियाँ बनाने का अधिकार है और न्यायालय की भूमिका केवल संवैधानिक सीमाओं की जांच करना है। M. नागराज बनाम भारत संघ (2006) मामले में न्यायालय ने पदोन्नति में आरक्षण को लेकर नए मानदंड स्थापित किए। न्यायालय ने कहा कि सरकार को यह सिद्ध करना होगा कि संबंधित वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है और प्रशासनिक दक्षता प्रभावित नहीं होगी। **(M. Nagaraj v. Union of India, 2006, (8) SCC 212)**

10. निष्कर्ष

भारतीय लोकतंत्र में आरक्षण की राजनीति एक बहुआयामी और जटिल परिघटना है। यह एक ओर सामाजिक न्याय का महत्वपूर्ण साधन है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक दलों के लिए वोट बैंक की राजनीति का अनिवार्य उपकरण भी बन चुकी है।जब तक सामाजिक समता और आर्थिक न्याय का लक्ष्य प्राप्त नहीं होता, तब तक आरक्षण की आवश्यकता बनी रहेगी। किंतु इसे राजनीतिक स्वार्थ से मुक्त कर एक वास्तविक सामाजिक उपकरण के रूप में विकसित करना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। संविधान निर्माताओं का मूल उद्देश्य समाज में समरसता स्थापित करना था, किंतु राजनीतिक स्वार्थ के कारण यह नीति जातिगत ध्रुवीकरण का कारण भी बन रही है। आरक्षण नीति की समीक्षा की जानी चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इसका लाभ वास्तविक रूप से वंचित तबके तक पहुंचे। क्रीमी लेयर की सीमा को तर्कसंगत बनाया जाए और निजी क्षेत्र में भी वंचित वर्गों की भागीदारी के उपाय किए जाएं। **(Thorat & Newman, 2010, p. 178)** अंततः आरक्षण की राजनीति केवल नीतिगत मुद्दा नहीं है, यह भारतीय समाज और लोकतंत्र के मूल चरित्र से जुड़ा प्रश्न है।

संदर्भ सूची

1. Ambedkar, B.R. (1949). Constituent Assembly Debates, Vol. XI. Government of India Press, New Delhi.
2. Deshpande, A. (2011). The Grammar of Caste: Economic Discrimination in Contemporary India. Oxford University Press, New Delhi.
3. Jaffrelot, C. (2003). India's Silent Revolution: The Rise of the Lower Castes in North India. Columbia

University Press, New York.

4. Thorat, S. & Newman, K. (Eds.) (2010). Blocked by Caste: Economic Discrimination in Modern India. Oxford University Press, New Delhi.
5. Yadav, Y. (2000). Understanding the Second Democratic Upsurge. In F. Frankel et al. (Eds.), Transforming India. Oxford University Press, New Delhi.
6. Zelliot, E. (1992). From Untouchable to Dalit: Essays on the Ambedkar Movement. Manohar Publications, New Delhi.
7. भारत का संविधान (1950). भारत सरकार, नई दिल्ली।
8. Indra Sawhney v. Union of India (1992). AIR 1993 SC 477.
9. M. Nagaraj v. Union of India (2006). (8) SCC 212.
10. Janhit Abhiyan v. Union of India (2022). AIR SC 4814.
11. The Hindu (October 2023). Caste Census and the Politics of Reservation in India. Retrieved from www.thehindu.com.
12. Mandal Commission Report (1980). Report of the Backward Classes Commission. Government of India.

गंगा घाटी में नगरीकरण: अवलोकन

डॉ. रजनी कान्त राय
सहायक प्राध्यापक, श्यामा प्रसाद मुखर्जी राजकीय महाविद्यालय, प्रयागराज

नगर सभ्यता की हमारी विरासत बहुत प्राचीन है। इसकी शुरुआत मोहन जोदडो से होती है। वैदिक कालीन नगर विकास की ऋग्वेद के आधार पर कल्पना करते हुए उसके अनुवादक विल्सन लिख चुके थे, ''ऋग्वेद के सूक्तकारों के लिए जाहिर है किंचित् शानदार भवनों वाले नगर विरल नहीं रहे होगें।''1 इन दोनों उक्तियों में जिनमें एक हड़प्पा के भौतिक अवशेषों पर आधारित है और दूसरी ऋग्वेद के पाठ पर। इसके बावजूद इस बात को बार-बार दुहराया जाता रहा है कि वैदिक आर्य नगर से परिचित ही नहीं रहे हैं। वैदिक साहित्य विद्वानों को आज भी आश्चर्य होता है कि आज से पाँच हजार साल पहले इतनी विकसित नगर सभ्यता कैसे रही होगी? लेकिन यह सच है कि वैदिक आर्यो की न केवल एक विकसित नगर सभ्यता थी, बल्कि उसका एक सुसंस्कृत नागरिक जीवन भी था।

पूर्व वैदिक समाज को पूर्णतया पशुचारी या घुमक्कड़ कहा जाता कहा गया है कि ऋग्वैदिक आर्य मुख्यतः पशुचारी थे तथा कृषि का उनके जीवन में गौड़ न था, किन्तु वास्तविकता यह है कि राष्ट्र, राज्य, राजा जैसे शब्द संसद, सभा, समिति जैसी संस्थाएं तथा अध्यक्ष, सेनानी, दूत, राष्ट्रपति जैसे पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। इनसे सूचित होता है कि समाज पूर्णतया ग्रामीण नहीं था, अपितु इसमें ग्रामीण तथा शहरी दोनों ही तत्व साथ- साथ विद्यमान थे। वैदिक इंडेक्स के लेखकों का सबसे बड़ा संकट यह था कि वे ऋग्वैदिक काल में सभ्यता के इतने ऊँचे स्तर की कल्पना वहाँ भी नहीं कर सकते थे, जहाँ इस विषय में अकाट्य साक्ष्य उपलब्ध थे। अतः वैदिक नगरों एवं आवासों के विषय में भी उन्होंने बहुत बचते हुए, अल्पतम तोड़-मरोड़ के साथ, तथ्यों को पेश कर दिया है और जहाँ अपनी ओर से कोई सामंजस्य बैठाने का प्रयास किया है वहाँ उनसे चूक हुई है।[1]

पुर शब्द का अर्थ दुर्ग या किला लिया है। पुर बहुत सुदृढ़ बनाये जाते थे, जिससे शत्रुओं के आक्रमण से बचा जा सके। पुर बहुत बड़े एवं विशाल क्षेत्र में फैले हुए होते थे। अतः इनके लिए पृथ्वी (फैले हुए) और उर्वी (बड़े, विशाल) विशेषणों का प्रयोग हुआ है।[3] अथर्ववेद में 'यस्याः पुरो देवकृताः से स्पष्ट है कि पुरों का निर्माण देवों के द्वारा बताया गया है। यहाँ देव शब्द से विद्वान या धनिक वर्ग लेना उचित है। इन पुरों को 'जीवपुर' कहा गया है। 'जीवपुर' शब्द से स्पष्ट है कि इनमें मनुष्य एवं अन्य जीव रहते थे और उनकी दैनिक आवश्यकता की सभी वस्तुएँ उपलब्ध थीं।

अथर्ववेद के एक पूरे सूक्त (11 मंत्रो) में पुर के निर्माण का वर्णन है कि इसके निर्माण में सभी देवों ने सहयोग दिया था। श्तां पुरं प्रणयामि वः। सा वः शर्म च वर्म यच्छतु अर्थात् हम तुम्हारे लिए पुर बनाते हैं और तुम इसमें पूर्ण सुख-सुविधा से युक्त होकर सुरक्षित रहो। सहयोग देने वाले देवता है- सूर्य, चन्द्र, वायु, मित्र, सोम, समुद्, ब्रह्म, इन्द्र, देवगण, प्रजापति और यज्ञ।[4] इससे यह मालूम पड़ता है कि नगर की श्री वृद्धि के लिए सभी दैवीय शक्तियों का सहयोग मिलता था। इसी वेद में यह भी वर्णन मिलता है कि दैवीय स्थान स्वर्णमयी था, अर्थात् देवों की नगरी सोने की बनी थी और यह नगरी अमर (अमृत) थी। चन्द्रमा ने असुरों की सोने की नगरी को जीता था।[5] इससे ज्ञात होता है कि देवों एवं असुरों के कुछ पुर सुवर्ण-जटित थे। सुवर्ण-जटित का अभिप्राय है कि पुरों के मुख्य द्वार स्वर्ण-जटित थे। पूरा पुर सोने का था ऐसा अभिप्राय नहीं है।

छठीं शताब्दी ई0पू0 का समय प्राचीन भारतीय इतिहास का संक्रमण काल है। इस काल में राजतंत्रों, अल्पतंत्रों तथा सरदार तंत्रों की स्थापना और नगरों के उदय के साथ भारत एक ऐतिहासिक परिदृश्य में प्रवेश करता है।[6] इस दौरान लौह तकनीकि आधारित उत्पादन पद्धति, चीन राज्य प्रणाली, सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं का विकास हुआ। ये वे तत्व थे, जिनके धार पर आगे चलकर मौर्य साम्राज्य जैसा अखिल भारतीय राज्य तैयार हुआ। छठीं शताब्दी ई0 का विविध दृष्टिकोणों से व्यापक अध्ययन किया गया है। इसके बावजूद इस काल के नागरीय जीवन की नवीन दृष्टिकोणों से अध्ययन की आवश्यकता बनी है। आज बढ़ते हुए मानीकरण के युग में यह अध्ययन अत्यंत प्रभावी हो सकता है।

इससे छठीं शताब्दी ई0पू0 में उत्पन्न नगरीकरण की ऐतिहासिक प्रक्रिया को समझने तथा समाज के निचले वर्गों की भूमिका को रेखांकित करने में मदद मिली है। प्रस्तुत अध्ययन में अन्य विविध स्रोतों से प्राप्त निष्कर्षो के तुलनात्मक अध्ययन का भी प्रयोग है। इस प्रकार प्रस्तुत अध्ययन में इतिहास की वस्तुनिष्ठता को सुरक्षित करने में मदद मिली है।

नगर एक विशेष प्रकार की मानव बसावट है। जहाँ दो-तिहाई से अधिक की जनसंख्या गैर कृषि कार्यो में संलग्न होती है। जैसे- शिल्प, व्यापार, सेवा कर्म और ललित कला के माध्यम से अपनी जीविका अर्जन करने वाले लोग। गार्डन चाइल्ड ने नगरों के विकास के लिए दस अनिवार्य तत्वों की बात कही जो प्राचीन नगरों को तत्कालीन गावों से अलग करती है। इन्होंने नगर केन्द्रों के अस्तित्व के लिए अधिशेष कृषि एवं शिल्प उद्योग पर बल दिया है।[7] छठीं शताब्दी ई0पू0 से तीसरी शताब्दी ई0पू0 के बीच गंगा घाटी में 60 नगरों का प्रमाण है। इनमें से 6 की स्थिति महानगर (मेट्रोपोलिटन) जैसी है। ये निम्न हैं- चम्पा, राजगृह, वाराणसी, कौशाम्बी, साकेत, श्रावस्ती। इस काल में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, जो बताती है कि किस प्रकार छोटे-छोटे राजतंत्र महाजनपद में परिवर्तित हो गये।[8] वर्तमान में पुरातात्विक खुदाइयों से प्राप्त पी. जी. डब्ल्यू. एवं एन. बी. पी. डब्ल्यू. मृदभाण्ड संस्कृतियों से इन नगरीय संस्कृति के अवशेष मिलते हैं।

छठीं शताब्दी ई0पू0 के आर्थिक इतिहास का सिलसिला लगभग 2500 ई0पू0 से जोड़ा जा सकता है। इस समय एक प्रकार की नगरी व्यवस्था का उदय हुआ, जिसकी विशेषता थी- कांस्य प्रौद्योगिकी का उपयोग, साथ ही यह सभ्यता कृषक वर्ग के अतिरिक्त उत्पादन पर आधारित थी। इसे कांस्ययुगीन संस्कृति कहने के पीछे तर्क यह है कि पत्थर के प्रचुर इस्तेमाल के बावजूद इस अवधि में कांस्य तथा तांबे से बने औजार व्यापक रूप से प्रचलित थे।[9] छठीं शताब्दी ई0पू0 का नगरीकरण लौह तकनीकि और उत्पादन तकनीकि में परिवर्तन का सीधा परिणाम है। लौह तकनीकि ने एक ओर राज्य निर्माण की प्रक्रिया को तथा दूसरी ओर अधिशेष स्तर की कृषि का क्रमिक विकास किया। ईसा पूर्व छठीं शताब्दी से पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं पश्चिमी बिहार में लोहे का व्यापक प्रयोग होने से बड़े-बड़े प्रादेशिक या जनपद राज्यों के निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थिति बन गई।[10]

नगरीय जीवन एक परपोषी जीवन है। बिना उत्पादन अधिशेष के नगरों का बना रहना कठिन है। यूँ गंगा घाटी का नगरीकरण कृषि प्रेरित नगरीकरण सिद्ध होता है। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि सिंधु सभ्यता का नगरीकरण व्यापार प्रेरित नगरीकरण था, जिसका बना रहना बहुत कुछ विदेशी व्यापार पर निर्भर था। इसलिए विदेशी व्यापार के अवरोध से सैन्धव नगर विघटित हुए। छठीं शताब्दी का नगरीकरण कृषि प्रेरित नगरीकरण था, जो आंतरिक आर्थिक संक्रियाओं द्वारा पोषित था। इसलिए यह दीर्घजीवी रहा और इनमें सातत्यता बनी रही। कृषि विकास के सन्दर्भ में चावल की खेती का प्रयोग भी उल्लेखनीय है। इस समय चावल की खेती का प्रचलन हुआ।[11] चावल की खेती में अधिक जनसंख्या उत्पन्न करने की प्रेरणा तथा अधिक जनसंख्या को पोषण देने की क्षमता होती है, जो बढ़ते हुए नगरीकरण में श्रम की माँग एवं खाद्यान्न आपूर्ति में सक्षम थी।

वैदिक ग्रन्थों और जातक ग्रन्थों से स्पष्ट होता है कि सभ्यता का प्रसार पश्चिम से पूर्व की ओर हुआ। अर्थात वैदिक आर्य धीरे-धीरे आर्येत्तर क्षेत्रों की ओर बढ़े।[12] विदेह माधव, गौतम राहुगण तथा जीवक की कथा इसे प्रमाणित भी करती है। पुरातात्विक रूप से भी ओ.सी.पी. और पी.जी.डब्ल्यू एवं लाल गुलाबी मृदभाण्ड संस्कृतियों का गंगा घाटी में मिलना भी इसे सिद्ध करता है। आर्य जनों का गंगा घाटी की ओर प्रसार सामाजिक, आर्थिक तकनीकि रूप से बड़ा प्रभावकारी रहा है। वैदिक ग्रन्थों में कुरू, पांचाल, गांधार, कैकेय, काशी, अयोध्या, मगध और बंग जैसे क्षेत्रों का उल्लेख इस बात को प्रमाणित करता है कि नगरीकरण का प्रारम्भ छठीं शताब्दी ई0पू0 से पहले ही हो गया था, जिसका प्रभाव छठीं शताब्दी ई0पू0 में गंगा घाटी में नगरीकरण में दिखा। यह आश्चर्य नही है कि चम्पा और राजगृह जैसे नगरों का वास्तुकार तक्षशिला में ही अध्ययन किया था।[13] तक्षशिला का भेषज विज्ञान भी गंगा घाटी के नगरीकरण में सहायक रहा। तक्षशिला से प्रशिक्षित जीवक गंगा घाटी का महान वैद्य बना। अतः ये सभी मिलकर छठीं शताब्दी ई0पू0 के गंगा घाटी में नगरीकरण में उत्प्रेरक का कार्य किये।

तत्कालीन सामाजिक और धार्मिक असंतोष ने भी छठीं शताब्दी ई0पू0 में गंगा घाटी में नगरीकरण के लिए उत्प्रेरक का कार्य किया। बदली हुई उत्पादन पद्धति ने समाज में व्यापारी, शिल्पकार, बुद्धजीवी, रंगकर्मी, वेश्याओं को समाज में अपरिहार्य बना दिया था, किंतु वैदिक ग्रामीण संरचना में इनके लिए कोई विशेष स्थान नही था।[14] नगरीय जीवन में सारे सम्बन्ध मुख्यतः अर्थ से जुड़ा होता है, इसलिए ये उपेक्षित वर्ग नगरों में सहजता से बसने लगे थे। वैदिक कालीन धार्मिक कर्मकाण्डों का भी नवीन उत्पादन प्रणाली और सामाजिक संरचना में कोई बड़ा महत्व नहीं रह गया। वैदिक परम्परा से विचलन उपनिषद् काल में ही दिखने लगा था, जब यज्ञ को टूटी नौका के समान मान लिया गया। नये धर्म प्रचारकों मक्खलिपुत्त गोसाल, अजित केश कम्बलिन, वेलिडपुत्त, निगण्ठनाथपुत्त (महावीर) और गौतम बुद्ध आदि के उपदेश मूलतः तत्कालीन सामाजिक और आर्थिक असंतोष के परिणाम थे। यही कारण है कि महावीर और गौतम के उपदेशों में सम्पत्ति और सामाजिक विभेद सम्बन्धी दुःख को प्राथमिकता दी गयी। इनके उपदेश नगरीय जीवन के अधिक अनुकूल सिद्ध हुए।

छठीं शताब्दी ई0पू0 का राजनीतिक तंत्र भी नगरीकरण में सहायक रहा। यह काल 16 महाजनपदों का काल है। महाजनपदों की राजधानियाँ आगे चलकर एक बड़ा नगरीय विन्यास विकसित कीं। महाजनपदों और नगरों की सघनता गंगा घाटी में अधिक रही। इस काल में चम्पा, राजगृह और पाटलिपुत्र जैसे नगरों का निर्माण मूलतः राजनीति प्रेरित था। यह नगरीकरण और राजनीति का गंगा घाटी में संकेन्द्रण धीरे-धीरे सम्पूर्ण भारत का राजनीतिक केन्द्र बनता चला गया, जिसने आगे चलकर मगध साम्राज्य जैसे एक अखिल भारतीय साम्राज्य की पृष्ठभूमि तैयार की।

छठीं शताब्दी में गंगा घाटी का नगरीकरण न तो एकलौती प्रक्रिया थी न ही एकायत प्रक्रिया थी। नई आर्थिक उत्पादन प्रणाली ने नई सामाजिक संरचना को जन्म दिया, नई सामाजिक संरचना ने नये बसाव क्षेत्रों एवं नगरों को जन्म दिया।[15] जहाँ एक ओर उत्पादन अधिशेष ने नगरों को पोषण दिया, वहीं दूसरी ओर नगरों की तकनीकि एवं शिल्प उत्पादन वृद्धि में सहायता की। नये धार्मिक, सामाजिक विधानों ने नगरीय जीवन को मान्यता प्रदान की,[16] तो नगरीय जीवन ने उन्हें बड़े पैमाने पर अनुयायी दिये। इस प्रकार छठीं शताब्दी ई0पू0 की प्रत्येक सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक संक्रियाओं ने नगरीकरण की वृद्धि की जो नगरीय क्रान्ति का काल बन गया।[17]

संदर्भ सूचीः-

1. हड़प्पा सभ्यता और वैदिक साहित्य, राधाकृष्ण प्रकाशन, संस्करण-2011

2. कादम्बिनी, नवम्बर, 2014, पृ0 संख्या 44
3. पूः, पृथ्वी दृ उर्वी। ऋग्वेद 1.189.2
4. अथर्ववेद 19.19.1-11
5. पुरं देवानाम् अमृतं हिरण्यम्। अथर्ववेद 5.28.11 चन्द्रमाः पुरोऽजयद् दावनानां हिरण्ययीः। अथर्ववेद 10.6.10
6. रोमिला थापर: पूर्वकालीन भारत, पृ0 177
7. गार्डन चाइल्ड: अर्बन रिवोल्यूशन, पृ0 12-17
8. अंगुत्तरनिकायः 1, 213; 4, 252, 256, 260
9. डी0एच0 गार्डेन, दि प्रीहिस्टॉरिक बैकग्राउण्ड ऑफ इंडियन कल्चर, 1958, पृ0 71
10. रामशरण शर्मा: प्रारम्भिक भारत का परिचय, पृ0 165
11. वही, पृ0 147
12. ईश्वरी प्रसाद रू प्राचीन भारतीय संस्कृति कला राजनीति धर्म दर्शन, पृ0 154
13. शतपथ ब्राह्मण: 1.4.1.10
14. आर0 सी0 मजूमदार: एज ऑफ इम्पीरियल यूनिटी, पृ0 594
15. रामशरण शर्मा: प्रारम्भिक भारत का आर्थिक और सामाजिक इतिहास, पृ0 144
16. वी0एस0 अग्रवाल: इण्डिया एज नोन टू पाणिनी, 1953, पृ0 414-415
17. राय, उदयनारायण: प्राचीन भारत में नगर तथा नगर-जीवन, इलाहाबाद, 1965, पृ0 223

पश्चिमी शिक्षा और विचारों का 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण पर प्रभाव

प्रो० डॉ० आदिल
शोध निदेशक, मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास विभाग, भवन्स मेहता महाविद्यालय, भरवारी कौशाम्बी
दिनेश कुमार सिंह
शोध छात्र, मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास विभाग, भवन्स मेहता महाविद्यालय, भरवारी कौशाम्बी

सारांश

यह शोध पत्र 19वीं सदी में पश्चिमी शिक्षा एवं विचारों के भारतीय समाज, संस्कृति एवं पुनर्जागरण आंदोलन पर पड़े प्रभावों का विस्तृत एवं समालोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अंग्रेज़ी शिक्षा प्रणाली, मैकाले के विवरण पत्र, वुड्स डिस्पैच तथा विभिन्न मिशनरी गतिविधियों ने भारतीय बौद्धिक वर्ग को एक नई दृष्टि प्रदान की। राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती आदि महान विचारकों ने इस नवीन ज्ञान को भारतीय परंपरा के साथ समन्वित करते हुए एक अभूतपूर्व सांस्कृतिक पुनर्जागरण की नींव रखी। यह शोध प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों के आधार पर यह सिद्ध करता है कि पश्चिमी प्रभाव केवल उपनिवेशी थोपान नहीं था, अपितु यह एक जटिल एवं द्विदिशीय सांस्कृतिक संवाद था जिसने भारतीय राष्ट्रवाद की जड़ों को सींचा।

मुख्य शब्द: *पश्चिमी शिक्षा, भारतीय पुनर्जागरण, समाज सुधार, मैकाले, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, राष्ट्रवाद, औपनिवेशिक आधुनिकता, बंगाल नवजागरण*

1. प्रस्तावना

19वीं सदी का भारत एक ऐसे संधिकाल से गुज़र रहा था जब एक ओर सदियों पुरानी परंपराएँ और सामाजिक संरचनाएँ थीं, तो दूसरी ओर पश्चिमी विचारों और शिक्षा का प्रचंड ज्वार उठ रहा था। ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता ने जहाँ एक ओर भारत के राजनीतिक और आर्थिक जीवन को आमूलचूल बदल दिया, वहीं पश्चिमी शिक्षा प्रणाली ने भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग के मस्तिष्क में ऐसे बीज बोए जो आगे चलकर भारतीय पुनर्जागरण के विशाल वृक्ष में परिणत हुए।

"भारतीय पुनर्जागरण" की संकल्पना यूरोपीय पुनर्जागरण से प्रेरित अवश्य थी, किंतु यह अपने मूल में एक स्वतंत्र एवं विशिष्ट बौद्धिक आंदोलन था। यह आंदोलन केवल धार्मिक सुधार तक सीमित नहीं था, बल्कि इसने समाज, साहित्य, दर्शन, विज्ञान और राजनीति सभी क्षेत्रों को अपनी परिधि में समेटा। इस प्रक्रिया में पश्चिमी शिक्षा ने उत्प्रेरक की भूमिका निभाई। राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, गोपालकृष्ण गोखले जैसे महापुरुषों ने पश्चिमी तर्कवाद, मानवतावाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आत्मसात् करते हुए भारतीय समाज को एक नई दिशा दी।

प्रस्तुत शोध पत्र इस जटिल एवं बहुआयामी विषय की गहन पड़ताल करता है। इसमें यह विश्लेषण किया गया है कि ब्रिटिश शिक्षा नीतियों, मिशनरी गतिविधियों और पश्चिमी दार्शनिक विचारों ने किस प्रकार भारतीय समाज में परिवर्तन की

प्रक्रिया को गति दी। साथ ही यह भी देखा गया है कि भारतीय विचारकों ने इस प्रभाव को किस प्रकार अपनी सांस्कृतिक परंपरा के साथ समन्वित किया।

1.1 शोध की आवश्यकता और महत्त्व

19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण पर शोध की आवश्यकता इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि आज के भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संरचना इसी काल की बौद्धिक विरासत पर टिकी हुई है। लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय एकता जैसी अवधारणाएँ उसी पुनर्जागरण की देन हैं। इसलिए उस काल को समझना आज के भारत को समझने की पूर्वशर्त है।

1.2 शोध उद्देश्य

इस शोध के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य हैं: प्रथम, 19वीं सदी में भारत में लागू पश्चिमी शिक्षा नीतियों का विश्लेषण करना। द्वितीय, पश्चिमी विचारों का भारतीय समाज सुधार आंदोलनों पर पड़े प्रभाव का अध्ययन करना। तृतीय, यह समझना कि भारतीय विचारकों ने पश्चिमी और भारतीय विचारों के मध्य किस प्रकार सेतु का निर्माण किया। चतुर्थ, बंगाल नवजागरण की विशेषताओं और उसके अखिल भारतीय प्रभाव का मूल्यांकन करना।

1.3 शोध पद्धति

यह शोध ऐतिहासिक-विश्लेषणात्मक पद्धति पर आधारित है। इसमें प्राथमिक स्रोतों के रूप में उस काल के समाज सुधारकों के लेखन, भाषण और पत्राचार का उपयोग किया गया है। द्वितीयक स्रोतों में इतिहासकारों एवं समाजशास्त्रियों के शोध कार्यों का सहारा लिया गया है। इसके अतिरिक्त तुलनात्मक पद्धति का भी प्रयोग किया गया है जिससे विभिन्न क्षेत्रीय पुनर्जागरण आंदोलनों की समानताओं और विभिन्नताओं को समझा जा सके।

2. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: औपनिवेशिक भारत और शिक्षा

18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी की शुरुआत तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर राजनीतिक वर्चस्व लगभग स्थापित हो चुका था। इस राजनीतिक परिवर्तन के साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी एक नई यात्रा का आरंभ हुआ। प्रारंभ में कंपनी की नीति प्राच्यवादी थी अर्थात् वह भारतीय भाषाओं और शास्त्रों की शिक्षा को प्रोत्साहित करती थी। कलकत्ता में स्थापित मदरसा (1781) और बनारस में संस्कृत कॉलेज (1791) इसी नीति के उत्पाद थे।

किंतु 1813 के चार्टर अधिनियम के साथ एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आया जब कंपनी पर भारतीयों की शिक्षा पर एक लाख रुपए प्रतिवर्ष व्यय करने की बाध्यता लगाई गई। इसके पश्चात् प्राच्यवादियों और आंग्लवादियों के मध्य एक प्रसिद्ध विवाद छिड़ गया जिसे इतिहास में "प्राच्य-आंग्ल विवाद" के नाम से जाना जाता है। इस विवाद का अंत 1835 में मैकाले के विवरण पत्र के साथ हुआ जिसने भारत में पश्चिमी शिक्षा की नींव रखी।

2.1 मैकाले का विवरण पत्र और उसके प्रभाव

थॉमस बैबिंगटन मैकाले का 1835 का विवरण पत्र भारतीय शिक्षा के इतिहास का एक निर्णायक दस्तावेज़ है। इस पत्र में मैकाले ने प्रसिद्ध रूप से लिखा था कि उसे ऐसे भारतीय बनाने हैं जो "खून और रंग से भारतीय हों किंतु रुचि,

विचार, नैतिकता और बुद्धि से अंग्रेज़।" इस कथन से स्पष्ट है कि पश्चिमी शिक्षा का प्रसार केवल परोपकार की भावना से नहीं, बल्कि औपनिवेशिक शासन को मज़बूत करने की रणनीतिक दृष्टि से किया गया था।

तथापि, इस नीति के परिणाम बिल्कुल उस दिशा में नहीं गए जिसकी मैकाले ने कल्पना की थी। अंग्रेज़ी शिक्षा पाने वाले भारतीयों ने लॉक, मिल, रूसो, वाल्तेयर जैसे पश्चिमी विचारकों से स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र की अवधारणाएँ सीखीं और इन्हें ही अपने औपनिवेशिक उत्पीड़कों के विरुद्ध प्रयोग किया। इस प्रकार मैकाले की नीति ने अनजाने में ही भारतीय राष्ट्रवाद के बीज बोए।

2.2 वुड्स डिस्पैच (1854) और उच्च शिक्षा का विकास

1854 में ब्रिटिश सरकार ने चार्ल्स वुड द्वारा तैयार एक विस्तृत शिक्षा विवरण पत्र जारी किया जिसे "वुड्स डिस्पैच" या "भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा" कहा जाता है। इस दस्तावेज़ ने भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की नींव रखी। इसके परिणामस्वरूप 1857 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में तीन विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। इन विश्वविद्यालयों ने एक नए शिक्षित वर्ग को जन्म दिया जो पश्चिमी विचारों और भारतीय परंपराओं दोनों से परिचित था।

तालिका 1: प्रमुख समाज सुधारक, उनके संस्थान एवं योगदान

समाज सुधारक	संस्थान / आंदोलन	वर्ष	योगदान
राजा राममोहन राय	ब्रह्म समाज	1828	सती प्रथा उन्मूलन, नारी शिक्षा
दयानंद सरस्वती	आर्य समाज	1875	वेद प्रचार, बाल विवाह विरोध
स्वामी विवेकानंद	रामकृष्ण मिशन	1897	राष्ट्रवाद, आध्यात्मिक जागरण
ईश्वरचंद्र विद्यासागर	विधवा पुनर्विवाह आंदोलन	1856	नारी अधिकार, शिक्षा प्रसार
महादेव गोविंद रानडे	प्रार्थना समाज	1867	सामाजिक सुधार, राष्ट्रवाद
गोपालकृष्ण गोखले	सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी	1905	राष्ट्रीय शिक्षा, राजनीतिक सुधार

स्रोत: शर्मा 2019, भट्टाचार्य 2018 के आधार पर शोधकर्ता द्वारा संकलित

3. बंगाल नवजागरण: पश्चिमी प्रभाव की प्रथम लहर

बंगाल नवजागरण 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण का सबसे प्रखर और प्रभावशाली केंद्र था। कलकत्ता, जो ब्रिटिश भारत की राजधानी था, पश्चिमी शिक्षा का प्रथम और प्रमुख केंद्र बना। यहाँ 1817 में स्थापित हिंदू कॉलेज (जो बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज बना) ने एक ऐसी पीढ़ी तैयार की जो पश्चिमी उदारवाद और तर्कवाद से ओतप्रोत थी। हेनरी लुई विवियन डेरोज़ियो के नेतृत्व में चले "यंग बंगाल" आंदोलन ने परंपरागत हिंदू मान्यताओं पर तीखे प्रश्नचिह्न लगाए।

3.1 राजा राममोहन राय: पूर्व और पश्चिम का संगम

राजा राममोहन राय (1772-1833) को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। उन्होंने पश्चिमी तर्कवाद और उदारवाद का गहन अध्ययन किया और उसे भारतीय वेदांत दर्शन के साथ समन्वित किया। उनके अनुसार एकेश्वरवाद सभी धर्मों का सार है। उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की जो धार्मिक कट्टरता के विरुद्ध एक बौद्धिक और आध्यात्मिक आंदोलन था।

राममोहन राय की सबसे बड़ी उपलब्धि 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन था। उन्होंने पश्चिमी मानवाधिकार की अवधारणा और भारतीय शास्त्रों की तर्कसंगत व्याख्या दोनों का सहारा लेकर इस क्रूर प्रथा के विरुद्ध सफल आंदोलन चलाया। उनका यह कार्य पश्चिमी शिक्षा के रचनात्मक उपयोग का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। राममोहन राय ने अंग्रेज़ी शिक्षा का समर्थन इसलिए किया क्योंकि उनके अनुसार यह भारतीयों को आधुनिक ज्ञान और विज्ञान से जोड़ेगी।

3.2 ईश्वरचंद्र विद्यासागर: नारी उद्धार के महानायक

ईश्वरचंद्र विद्यासागर (1820-1891) एक और महान विभूति थे जिन्होंने पश्चिमी शिक्षा और मानवतावाद से प्रेरणा लेकर भारतीय समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। उन्होंने 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून पारित कराने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने बाल विवाह और बहुविवाह के विरुद्ध भी अभियान चलाया। विद्यासागर ने बंगाल में 35 से अधिक बालिका विद्यालयों की स्थापना की और स्त्री शिक्षा को एक सामाजिक आंदोलन का रूप दिया।

विद्यासागर का यह कार्य पश्चिमी स्त्री-समानता की अवधारणा और भारतीय सामाजिक सुधारवाद का सुंदर समन्वय था। उन्होंने भारतीय शास्त्रों में ही विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में प्रमाण खोजे, जो उनकी बौद्धिक कुशलता का प्रमाण है।

3.3 हेनरी लुई विवियन डेरोज़ियो और यंग बंगाल

हिंदू कॉलेज के युवा शिक्षक डेरोज़ियो ने 1820 के दशक में अपने छात्रों में फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, वोल्तेयर के तर्कवाद और टॉमस पेन के मानवाधिकार संबंधी विचारों का प्रचार किया। "यंग बंगाल" नामक यह आंदोलन अत्यंत उग्र था और इसने जातिवाद, मूर्तिपूजा और अंधविश्वास पर कठोर प्रहार किया। हालाँकि यह आंदोलन व्यापक जनाधार प्राप्त करने में असफल रहा, किंतु इसने भविष्य के सुधारवादी आंदोलनों के लिए बौद्धिक ज़मीन तैयार की।

4. आर्य समाज और दयानंद सरस्वती: वैदिक पुनर्जागरण

बंगाल नवजागरण के समानांतर, पश्चिमी और उत्तरी भारत में स्वामी दयानंद सरस्वती (1824-1883) के नेतृत्व में एक भिन्न प्रकार का पुनर्जागरण आंदोलन उठा। दयानंद ने 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। यद्यपि दयानंद पश्चिमी शिक्षा के उतने प्रबल समर्थक नहीं थे जितने राममोहन राय, तथापि उनके आंदोलन पर पश्चिमी तर्कवाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अप्रत्यक्ष प्रभाव स्पष्ट दिखता है।

दयानंद ने वेदों को ही एकमात्र प्रामाणिक ग्रंथ माना और अन्य परवर्ती ग्रंथों की प्रामाणिकता पर प्रश्न उठाया। यह दृष्टिकोण अपने आप में तर्कवादी था। उन्होंने मूर्तिपूजा, जातिप्रथा, बाल विवाह और अनमेल विवाह का घोर विरोध किया। आर्य समाज ने शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्त्वपूर्ण कार्य किए। लाहौर में 1886 में स्थापित दयानंद एंग्लो वेदिक कॉलेज और बाद में गुरुकुल काँगड़ी (1902) इसी के उदाहरण हैं।

4.1 आर्य समाज का सामाजिक योगदान

आर्य समाज ने दलितों और अछूतों के उद्धार के लिए "शुद्धि" आंदोलन चलाया। इसने स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया और विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन किया। आर्य समाज का यह कार्य पश्चिमी समानतावाद के प्रभाव के बिना संभव नहीं था। पंजाब में विशेष रूप से आर्य समाज ने एक शक्तिशाली सामाजिक और राष्ट्रवादी आंदोलन का रूप लिया जिसने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीयों को एकजुट करने में भूमिका निभाई।

तालिका 2: पश्चिमी शिक्षा नीतियाँ और उनके प्रभाव

नीति / दस्तावेज़	वर्ष	प्रमुख उद्देश्य	प्रभाव
मैकाले का विवरण पत्र	1835	अंग्रेज़ी शिक्षा का प्रसार	भारतीय मध्यवर्ग का उदय
वुड्स डिस्पैच	1854	विश्वविद्यालय स्थापना	उच्च शिक्षा का विकास
हंटर आयोग	1882	प्राथमिक शिक्षा	जन शिक्षा का विस्तार
कर्ज़न शिक्षा नीति	1904	शिक्षा पर नियंत्रण	राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया
सैडलर आयोग	1917	विश्वविद्यालय सुधार	उच्च शिक्षा में बदलाव

स्रोत: झा 2017, भट्टाचार्य 2018 के आधार पर संकलित

5. स्वामी विवेकानंद: आधुनिक हिंदुत्व के प्रवर्तक

स्वामी विवेकानंद (1863-1902) भारतीय पुनर्जागरण के सबसे उज्ज्वल नक्षत्रों में से एक हैं। उन्होंने पश्चिमी शिक्षा, आधुनिक दर्शन और विज्ञान का गहन अध्ययन किया तथा अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की आध्यात्मिक शिक्षाओं के साथ उसे समन्वित किया। 1893 में शिकागो के विश्व धर्म संसद में उनके उद्बोधन ने संपूर्ण विश्व का ध्यान भारतीय आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित किया।

विवेकानंद का दर्शन अद्वैत वेदांत पर आधारित था किंतु उसमें पश्चिमी मानवतावाद का भी स्पष्ट प्रभाव था। उन्होंने "दरिद्र नारायण" की अवधारणा प्रस्तुत की जिसमें ईश्वर को गरीब और पीड़ित मनुष्यों में देखने की बात कही गई। 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जो शिक्षा, चिकित्सा और सेवा कार्यों के माध्यम से भारतीय समाज के उत्थान में संलग्न है।

5.1 विवेकानंद का राष्ट्रवादी दर्शन

विवेकानंद ने "जागो, उठो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो" जैसे उद्घोषों से युवा भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जगाई। उन्होंने पश्चिमी विज्ञान और प्रौद्योगिकी को अपनाने का समर्थन किया किंतु साथ ही भारतीय आत्मा और संस्कृति की रक्षा पर भी बल दिया। उनका यह संदेश था कि भारत को पश्चिम से विज्ञान लेना चाहिए किंतु अपनी आध्यात्मिकता के बदले में नहीं। यह दृष्टिकोण एक परिपक्व और आलोचनात्मक आधुनिकता का प्रतीक था।

6. साहित्य और भाषा पर पश्चिमी प्रभाव

पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव केवल सामाजिक और धार्मिक सुधारों तक सीमित नहीं था। भारतीय साहित्य और भाषाओं पर भी इसका गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा। बंगाली, हिंदी, मराठी, तमिल और अन्य भारतीय भाषाओं में एक नए गद्य साहित्य का उदय हुआ। उपन्यास, नाटक, निबंध और आत्मकथा जैसी पश्चिमी साहित्यिक विधाएँ भारतीय भाषाओं में आईं और यहाँ की मिट्टी से जुड़कर एक विशिष्ट भारतीय रूप धारण कर लिया।

बंकिमचंद्र चटर्जी (1838-1894) इस प्रक्रिया के एक प्रमुख प्रतिनिधि हैं। उन्होंने बंगाली में आधुनिक उपन्यास का आरंभ किया। उनका उपन्यास "आनंदमठ" (1882) और उसमें निहित "वंदे मातरम्" का गीत भारतीय राष्ट्रवाद का एक अमर प्रतीक बन गया। बंकिम ने पश्चिमी ऐतिहासिक उपन्यास की विधा को भारतीय ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सामग्री के साथ जोड़कर एक अनूठी कृति निर्मित की।

6.1 रवींद्रनाथ टैगोर: भारतीय पुनर्जागरण का चरम

रवींद्रनाथ टैगोर (1861-1941) भारतीय पुनर्जागरण के सबसे बड़े प्रतिनिधि हैं। यद्यपि उनका अधिकांश कार्य 20वीं सदी से संबंधित है, किंतु उनकी बौद्धिक और साहित्यिक चेतना 19वीं सदी के नवजागरण की ही उपज है। टैगोर ने पश्चिमी रोमांटिसिज्म और भारतीय भक्ति साहित्य का अद्भुत समन्वय किया। 1913 में उन्हें उनकी काव्य कृति "गीतांजलि" के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ।

टैगोर की शिक्षा दर्शन पर भी पश्चिमी प्रभाव स्पष्ट है। 1901 में स्थापित "शांतिनिकेतन" में उन्होंने एक ऐसी शिक्षा पद्धति विकसित की जो पश्चिमी उदारवाद और भारतीय गुरुकुल परंपरा दोनों से प्रेरित थी। उनका उद्देश्य था कि शिक्षा मनुष्य की समग्र विकास करे, न कि केवल नौकरी के लिए तैयार करे।

7. सामाजिक सुधार आंदोलन और पश्चिमी विचार

19वीं सदी में भारत में जो सामाजिक सुधार आंदोलन उठे, वे पश्चिमी उदारवाद और मानवाधिकार की अवधारणाओं से गहरे प्रभावित थे। इन आंदोलनों ने जाति व्यवस्था, छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा और विधवाओं के प्रति अमानवीय व्यवहार जैसी सामाजिक बुराइयों पर प्रहार किया।

7.1 महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार

महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले (1827-1890) ने दलित और स्त्री उत्थान के लिए एक ऐतिहासिक आंदोलन चलाया। उन्होंने 1848 में पुणे में पहली बालिका पाठशाला खोली। फुले पर अमेरिकी दासता-विरोधी आंदोलन का गहरा प्रभाव था। उन्होंने थॉमस पेन की विचारधारा से प्रेरणा लेकर भारत की जाति व्यवस्था की तुलना अमेरिका की दासता से की। उनका "गुलामगिरी" (1873) ग्रंथ इसी प्रभाव का प्रमाण है।

महादेव गोविंद रानडे (1842-1901) महाराष्ट्र के एक और प्रमुख सुधारक थे। उन्होंने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना में योगदान दिया। रानडे के अनुसार समाज सुधार राजनीतिक स्वतंत्रता की पूर्वशर्त है। उन्होंने स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और जाति सुधार के लिए अनेक प्रयास किए।

7.2 दक्षिण भारत में नवजागरण

दक्षिण भारत में भी पश्चिमी शिक्षा के प्रभाव में नवजागरण की लहर उठी। वीरसालिंगम पंतुलु (1848-1919) ने आंध्र प्रदेश में स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के लिए आंदोलन चलाया। उन्हें "आंध्र का राममोहन राय" कहा जाता है। तमिलनाडु में वेदाचलम या "पेरियार" ई. वी. रामास्वामी ने 20वीं सदी में ब्राह्मणवाद विरोधी आंदोलन चलाया जिसकी जड़ें 19वीं सदी के समाज सुधार आंदोलनों में थीं।

तालिका 3: भारतीय पुनर्जागरण के प्रमुख क्षेत्र और उनके परिणाम

क्षेत्र	परिवर्तन	परिणाम
साहित्य	पश्चिमी साहित्यिक विधाओं का प्रभाव	आधुनिक गद्य-पद्य का विकास
दर्शन	तर्कवाद और मानवतावाद	नव-वेदांत दर्शन का उदय
विज्ञान	वैज्ञानिक दृष्टिकोण	अंधविश्वास विरोध
राजनीति	लोकतंत्र की अवधारणा	राष्ट्रीय आंदोलन की नींव
समाज	जाति व्यवस्था पर प्रश्न	समानता का आदर्श
शिक्षा	आधुनिक पाठ्यक्रम	नई पीढ़ी का निर्माण

स्रोत: देसाई 1999, गुप्ता 2012 के आधार पर संकलित

8. पश्चिमी शिक्षा और भारतीय राष्ट्रवाद

पश्चिमी शिक्षा का सबसे दूरगामी प्रभाव भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में देखा जा सकता है। जब भारतीयों ने जॉन स्टुअर्ट मिल की "स्वतंत्रता" पढ़ी, जब उन्होंने रूसो का "सामाजिक अनुबंध" समझा, जब उन्होंने अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांतियों के इतिहास का अध्ययन किया, तो उनके मन में स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठा कि जब स्वतंत्रता, समानता और बंधुता मनुष्य के मूल अधिकार हैं, तो भारत में विदेशी शासन क्यों?

1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इसी पश्चिमी-शिक्षित वर्ग ने की। कांग्रेस के प्रारंभिक नेता जैसे दादाभाई नौरोजी, फेरोज़शाह मेहता, गोपालकृष्ण गोखले आदि पश्चिमी उदारवादी लोकतंत्र के समर्थक थे और संसदीय पद्धति से भारत की स्वतंत्रता चाहते थे। किंतु बाद में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में एक अधिक उग्र राष्ट्रवाद का उदय हुआ जिसने पश्चिमी राजनीतिक विचारों को भारतीय सांस्कृतिक प्रतीकों के साथ जोड़ा।

8.1 बाल गंगाधर तिलक: लोकमान्य का राष्ट्रवाद

बाल गंगाधर तिलक (1856-1920) ने पश्चिमी राजनीतिक विचारों को गहराई से समझते हुए भी भारतीय सांस्कृतिक आधार पर राष्ट्रवाद की नींव रखी। उन्होंने गणेशोत्सव और शिवाजी उत्सव जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों को राष्ट्रीय एकता के माध्यम के रूप में उपयोग किया। उनका "गीता रहस्य" पश्चिमी दार्शनिक पद्धति से भारतीय धर्मग्रंथ की व्याख्या का एक

उल्लेखनीय प्रयास है। "स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है" उनका यह उद्घोष एक ऐसे नेता की आवाज़ थी जो पश्चिमी स्वतंत्रता की अवधारणा को भारतीय मानस में उतार चुका था।

8.2 गोपालकृष्ण गोखले: उदारवादी राष्ट्रवाद

गोपालकृष्ण गोखले (1866-1915) पश्चिमी उदारवाद के प्रबल पक्षधर थे। उन्होंने 1905 में "सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी" की स्थापना की जिसका उद्देश्य शिक्षित भारतीयों को राष्ट्रसेवा के लिए प्रेरित करना था। गोखले ने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बनाने के लिए विधान परिषद में विधेयक प्रस्तुत किया। वे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे।

9. मिशनरी गतिविधियाँ और पश्चिमी शिक्षा का प्रसार

ईसाई मिशनरियों ने भारत में पश्चिमी शिक्षा के प्रसार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। विलियम केरी, जोशुआ मार्शमैन और विलियम वार्ड जैसे मिशनरियों ने श्रीरामपुर में एक शिक्षण संस्था स्थापित की और भारतीय भाषाओं में ईसाई धर्म की शिक्षा दी। उन्होंने बंगाली, हिंदी और अन्य भाषाओं में बाइबल का अनुवाद किया और इस प्रक्रिया में इन भाषाओं के व्याकरण और शब्दकोश भी तैयार किए।

मिशनरी स्कूलों और कॉलेजों ने भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार किया। इन संस्थाओं में पश्चिमी विज्ञान, गणित, इतिहास और साहित्य पढ़ाया जाता था। यद्यपि इन संस्थाओं का मूल उद्देश्य धर्म परिवर्तन था, किंतु शिक्षा के प्रसार के रूप में उनका प्रभाव कहीं अधिक व्यापक और स्थायी रहा। डफ कॉलेज कलकत्ता, विल्सन कॉलेज बंबई और मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज इसके प्रमुख उदाहरण हैं।

9.1 मिशनरी शिक्षा की आलोचना और भारतीय प्रतिक्रिया

मिशनरी शिक्षा की एक सीमा यह थी कि वह अनेक बार भारतीय संस्कृति और धर्म के प्रति अवमानजनक दृष्टिकोण रखती थी। इसकी प्रतिक्रिया में हिंदू धर्म के पुनर्जागरण के रूप में आर्य समाज, ब्रह्म समाज और अन्य संस्थाओं ने अपनी-अपनी शिक्षा संस्थाएँ खोलीं। इस प्रकार मिशनरी शिक्षा ने अनजाने में हिंदू धार्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण को भी गति दी।

10. भारतीय पुनर्जागरण की सीमाएँ और आलोचनात्मक मूल्यांकन

भारतीय पुनर्जागरण की उपलब्धियाँ निःसंदेह महत्त्वपूर्ण थीं, किंतु इसकी सीमाओं और विफलताओं का भी आलोचनात्मक मूल्यांकन आवश्यक है। पहली और सबसे महत्त्वपूर्ण सीमा यह थी कि यह पुनर्जागरण मुख्यतः शहरी, शिक्षित और उच्च-मध्य जातीय वर्ग तक सीमित था। ग्रामीण जनता, जो भारत की अधिसंख्य आबादी थी, इस बौद्धिक क्रांति से लगभग अछूती रही।

दूसरी सीमा यह थी कि अधिकांश सुधारक स्वयं उच्च जाति के थे और उन्होंने दलित वर्गों की पीड़ा को उचित महत्त्व नहीं दिया। ज्योतिबा फुले और उनके अनुयायी इस दिशा में कुछ हद तक अपवाद थे। तृतीय सीमा यह थी कि पश्चिमी शिक्षा ने एक ऐसे मध्य वर्ग को जन्म दिया जो अपनी सांस्कृतिक जड़ों से कटता जा रहा था। इस वर्ग की पहचान का संकट 19वीं सदी के अंत तक स्पष्ट होने लगा था।

10.1 औपनिवेशिक आधुनिकता की विरोधाभासी प्रकृति

भारतीय विद्वान आशीष नंदी ने अपनी पुस्तक में यह तर्क दिया है कि औपनिवेशिक आधुनिकता स्वयं में एक विरोधाभास है। एक ओर जहाँ यह स्वतंत्रता और समानता के आदर्श सिखाती थी, वहीं दूसरी ओर वह इन्हीं आदर्शों का उल्लंघन करते हुए भारत पर शासन कर रही थी। इस विरोधाभास को भारतीय विचारकों ने पकड़ा और इसे अपनी मुक्ति के हथियार के रूप में प्रयोग किया।

पार्थ चटर्जी ने अपने शोध में यह दिखाया है कि भारतीय राष्ट्रवादियों ने पश्चिमी आधुनिकता को उसकी संपूर्णता में स्वीकार नहीं किया। उन्होंने पश्चिम से "भौतिक" क्षेत्र में सीखने की तैयारी दिखाई किंतु "आध्यात्मिक" क्षेत्र में भारत की श्रेष्ठता के दावे को बनाए रखा। यह एक चतुर और आत्मसम्मानपूर्ण रणनीति थी।

11. शिक्षा का विस्तार: नए संस्थान और नया बौद्धिक वर्ग

19वीं सदी में ब्रिटिश शिक्षा नीतियों के फलस्वरूप भारत में अनेक महत्त्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना हुई। 1857 में स्थापित तीन विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त अनेक कॉलेज और स्कूल खुले। इन संस्थाओं ने एक नए बौद्धिक वर्ग का निर्माण किया जो न पूर्णतः परंपरागत था और न पूर्णतः पाश्चात्य। यह वर्ग दोनों संस्कृतियों के श्रेष्ठ तत्त्वों को आत्मसात् कर एक नई भारतीय पहचान निर्मित करने में लगा था।

इस शिक्षित वर्ग ने समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के माध्यम से अपने विचारों का प्रसार किया। बंगाल में "संवाद कौमुदी" (राममोहन राय), "हरकरा" और अन्य पत्रिकाओं ने पश्चिमी विचारों को जन-जन तक पहुँचाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। महाराष्ट्र में तिलक के "केसरी" और "मराठा" पत्रों ने राष्ट्रवादी विचारों को जन-आंदोलन में बदला।

11.1 महिला शिक्षा और नारी चेतना

19वीं सदी के पुनर्जागरण में नारी शिक्षा और नारी उत्थान एक केंद्रीय मुद्दा था। पश्चिमी स्त्री-अधिकार आंदोलन से प्रेरणा लेकर भारतीय सुधारकों ने स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, रानडे और अन्य सुधारकों ने स्त्री शिक्षा के लिए संस्थाएँ स्थापित कीं। पंडिता रमाबाई (1858-1922) जैसी महान महिलाओं ने स्वयं उच्च शिक्षा प्राप्त कर और संस्थाएँ स्थापित कर नारी उत्थान का मार्ग प्रशस्त किया।

यह उल्लेखनीय है कि स्त्री शिक्षा को लेकर भारतीय समाज में तीव्र विरोध भी था। परंपरागत समाज का एक वर्ग मानता था कि स्त्री शिक्षा पारिवारिक और सामाजिक व्यवस्था को नष्ट कर देगी। किंतु सुधारकों ने इस विरोध का सामना करते हुए एक नई सामाजिक दृष्टि प्रस्तुत की।

12. पश्चिमी दर्शन और भारतीय नव-वेदांत

19वीं सदी में पश्चिमी दार्शनिक विचारों का भारतीय दर्शन पर गहरा प्रभाव पड़ा। हीगेल का द्वंद्वात्मक दर्शन, कांट का नैतिकता का दर्शन, स्पेंसर का विकासवादी दर्शन और जे.एस. मिल का उपयोगितावाद — ये सभी विचार भारतीय बुद्धिजीवियों के चिंतन को प्रभावित कर रहे थे। स्वामी विवेकानंद ने अद्वैत वेदांत को पश्चिमी वैज्ञानिक और दार्शनिक पद्धतियों के आलोक में प्रस्तुत किया।

इस प्रक्रिया में एक महत्त्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि भारतीय दर्शन, जो पहले मुख्यतः संस्कृत में था और एक सीमित वर्ग तक पहुँचता था, अब अंग्रेज़ी और भारतीय भाषाओं के माध्यम से व्यापक जनसमुदाय तक पहुँचने लगा। साथ ही पश्चिमी दार्शनिकों ने भी भारतीय दर्शन में गहरी रुचि दिखाई। शोपेनहावर, नीत्शे और अन्य पश्चिमी दार्शनिक भारतीय उपनिषदों से प्रभावित थे।

12.1 राष्ट्रीय पहचान और सांस्कृतिक पुनर्निर्माण

पश्चिमी शिक्षा और विचारों के प्रभाव में भारतीयों ने अपनी राष्ट्रीय पहचान के विषय में नए सिरे से सोचना प्रारंभ किया। "भारत" केवल एक भौगोलिक इकाई न होकर एक सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान बनी। भारतीय इतिहास के पुनर्लेखन ने इस प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। रजनीकांत गुप्त, आर.जी. भंडारकर, महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री जैसे विद्वानों ने भारत के गौरवशाली अतीत की खोज की और उसे राष्ट्रीय आत्मसम्मान का आधार बनाया।

13. विश्लेषण: पश्चिमी प्रभाव की जटिलता और द्विदिशीयता

पश्चिमी शिक्षा और विचारों का भारतीय पुनर्जागरण पर प्रभाव एक सरल एकदिशीय प्रक्रिया नहीं थी। यह एक जटिल, बहुआयामी और द्विदिशीय सांस्कृतिक संवाद था। एक ओर जहाँ भारतीयों ने पश्चिमी विचारों से सीखा, वहीं दूसरी ओर उन्होंने इन विचारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन भी किया और अपनी परंपरा के अनुकूल उन्हें रूपांतरित किया।

इस संवाद में कई स्तर थे। प्रथम स्तर पर था स्वीकरण और अनुकरण, जिसमें कुछ भारतीय बौद्धिकों ने पश्चिमी विचारों को लगभग उसी रूप में स्वीकार किया। यंग बंगाल आंदोलन इसका उदाहरण है। द्वितीय स्तर पर था समन्वय और संश्लेषण, जिसमें अधिकांश सुधारकों ने पश्चिमी और भारतीय विचारों का सुंदर समन्वय किया। राममोहन राय, विवेकानंद और टैगोर इस श्रेणी में आते हैं। तृतीय स्तर पर था प्रतिरोध और पुनर्मूल्यांकन, जिसमें कुछ विचारकों ने पश्चिमी आधुनिकता को अस्वीकार कर भारतीय परंपरा की श्रेष्ठता का दावा किया।

13.1 क्षेत्रीय विविधता

भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव भिन्न-भिन्न रूपों में प्रकट हुआ। बंगाल में यह प्रभाव साहित्यिक, दार्शनिक और सामाजिक सुधार के रूप में अधिक दिखा। महाराष्ट्र में यह राजनीतिक राष्ट्रवाद और जाति सुधार में अधिक प्रभावी रहा। पंजाब में आर्य समाज के माध्यम से धार्मिक सुधार अधिक प्रमुख रहा। दक्षिण भारत में द्रविड़ आंदोलन के साथ इसका संबंध अधिक जटिल था।

14. निष्कर्ष

19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण पर पश्चिमी शिक्षा और विचारों के प्रभाव का यह विश्लेषण हमें कई महत्त्वपूर्ण निष्कर्षों तक ले जाता है। सर्वप्रथम, यह स्पष्ट है कि पश्चिमी शिक्षा ने भारतीय समाज में एक नई बौद्धिक चेतना जगाई। इस चेतना ने सदियों पुरानी सामाजिक बुराइयों पर प्रश्नचिह्न लगाए और एक उदार, तर्कसंगत और मानवीय समाज के निर्माण की प्रेरणा दी।

द्वितीय, भारतीय विचारकों ने पश्चिमी विचारों का निष्क्रिय अनुकरण नहीं किया। उन्होंने इन विचारों को अपनी

सांस्कृतिक, धार्मिक और दार्शनिक परंपरा के साथ रचनात्मक रूप से समन्वित किया। यह समन्वय भारतीय पुनर्जागरण की विशिष्टता और मौलिकता है।

तृतीय, पश्चिमी शिक्षा ने जो मध्य वर्ग तैयार किया, उसी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी। इस वर्ग ने पश्चिमी लोकतंत्र, स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद की अवधारणाओं को भारत की स्वतंत्रता संघर्ष में प्रयोग किया।

चतुर्थ, यह पुनर्जागरण अपनी सीमाओं के बावजूद भारतीय इतिहास का एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण और गौरवशाली अध्याय है। इसने स्त्री शिक्षा, जाति-सुधार, धार्मिक उदारवाद और राष्ट्रीय एकता जैसे मूल्यों की स्थापना में जो योगदान दिया, वह आज भी भारतीय लोकतंत्र की जड़ों में विद्यमान है।

अंत में यह कहा जा सकता है कि पश्चिमी शिक्षा और भारतीय पुनर्जागरण का संबंध एक ऐसी रचनात्मक टकराहट का उदाहरण है जिसमें दो महान सभ्यताएँ एक-दूसरे से सीखते हुए आगे बढ़ीं। भारत ने पश्चिम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तर्कवाद और लोकतंत्र के आदर्श लिए, किंतु अपनी आत्मा, अपनी आध्यात्मिकता और अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता को सुरक्षित रखते हुए। यही भारतीय पुनर्जागरण की सबसे बड़ी उपलब्धि और विरासत है।

संदर्भ सूची

1. अग्रवाल, पुरुषोत्तम। उपनिवेशवाद और भारतीय साहित्य। नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन, 2015.
2. बंद्योपाध्याय, सेखर। औपनिवेशिक भारत में राष्ट्रवाद। कोलकाता: अनुष्टुप प्रकाशन, 2004.
3. भट्टाचार्य, सब्यसाची। भारतीय शिक्षा का इतिहास। नई दिल्ली: ओरियेंट ब्लैकस्वान, 2018.
4. चटर्जी, पार्थ। राष्ट्रवादी विचार और औपनिवेशिक संसार। नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1986.
5. देसाई, अर्जुन। भारतीय पुनर्जागरण का समाजशास्त्र। मुंबई: पॉपुलर प्रकाशन, 1999.
6. गुप्ता, अतुल। 19वीं सदी के भारतीय समाज सुधारक। इलाहाबाद: इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रेस, 2012.
7. झा, शिरोमणि। पश्चिमी शिक्षा और भारत। पटना: बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी, 2017.
8. कोठारी, रमेश। भारतीय राष्ट्रवाद और सामाजिक आंदोलन। नई दिल्ली: मनोहर पब्लिशर्स, 2003.
9. मिश्र, रामविलास। भारतीय संस्कृति और पश्चिमी प्रभाव। वाराणसी: विश्वविद्यालय प्रकाशन, 2008.
10. नंदी, आशीष। द इंटिमेट एनिमी: लॉस एंड रिकवरी ऑफ सेल्फ अंडर कॉलोनियलिज्म। दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1983.
11. पांडे, गयेंद्र। भारत में ब्राह्मणवाद और जाति। कोलकाता: के. पी. बागची, 1990.
12. राय, राजाराम मोहन। राजा राममोहन राय की रचनाएँ। कोलकाता: साधारण ब्रह्म समाज, 1906.
13. सेन, सुरेंद्रनाथ। बंगाल का नवजागरण। कोलकाता: आनंद पब्लिशर्स, 2001.
14. शर्मा, रामशरण। भारतीय इतिहास की रूपरेखा। नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन, 2019.
15. तिवारी, विश्वनाथ। 19वीं सदी का भारतीय साहित्य और पश्चिम। इलाहाबाद: लोकभारती प्रकाशन, 2010.
16. उपाध्याय, कृष्णदत्त। भारतीय नवजागरण और औपनिवेशिक शिक्षा। जयपुर: रावत पब्लिकेशन्स, 2014.

श्रीमद्भगवद्गीता : दर्शन, नैतिकता और काव्य का त्रिवेणी-संगम

डॉ शालिनी सिंह
असिस्टेंट प्रोफेसर (हिन्दी), राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय सिरसागंज, फिरोजाबाद

शोध सार-

श्रीमद्भगवद्गीता भारतीय दार्शनिक परंपरा का एक अद्वितीय ग्रंथ है, जिसमें दर्शन, नैतिकता और काव्यात्मकता का अद्भुत समन्वय दृष्टिगोचर होता है। गीता का दार्शनिक पक्ष मुख्यतः कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्ति योग के सिद्धांतों पर आधारित है, जो मानव जीवन के संकटों का समाधान प्रस्तुत करते हैं और आत्मा, ब्रह्म तथा जगत के संबंध को स्पष्ट करते हैं।

नैतिक दृष्टि से गीता कर्तव्यनिष्ठा, निष्काम कर्म, आत्मसंयम और समत्व जैसे मूल्यों की स्थापना करती है। यह मनुष्य को धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा देती है, जिससे सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बना रहता है।

काव्य की दृष्टि से गीता में संवाद शैली, प्रतीकात्मकता, अलंकारों और भावात्मक अभिव्यक्ति का सुंदर प्रयोग हुआ है। अर्जुन और कृष्ण के मध्य संवाद केवल दार्शनिक विमर्श नहीं, बल्कि गहन काव्यात्मक संवेदनाओं का भी प्रकटीकरण है, जो इसे साहित्यिक दृष्टि से भी अत्यंत समृद्ध बनाता है।

इस प्रकार, गीता दर्शन, नैतिकता और काव्य का त्रिवेणी-संगम प्रस्तुत करती है, जो न केवल भारतीय संस्कृति का आधार स्तंभ है, बल्कि सार्वकालिक एवं सार्वभौमिक मानव मूल्यों की भी प्रतिष्ठा करती है। यह ग्रंथ आज के युग में भी जीवन के जटिल प्रश्नों के समाधान हेतु प्रासंगिक बना हुआ है।

बीज शब्द - श्रीमद्भगवद्गीता, दर्शन, नैतिकता, कविता, संस्कृति, भारतीयता।

प्रस्थानत्रयी में परिगणित, दर्शन का आधारस्तम्भ ,परावाणी में उपदिष्ट एवं वैखरी वाणी में प्रकटित अतीव श्लाघ्य भारतीय राष्ट्रीय ग्रन्थ श्रीमद्भगवद्गीता उसी महाभारत के भीष्मपर्व का अङ्ग है, जिसके लिए कहा जाता है कि -

"धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ।
यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न कुत्रचित्॥"[1]

श्रीमद्भगवद्गीता भारतीय चिंतन-परंपरा का वह अद्भुत ग्रंथ है जिसमें दर्शन, नैतिकता और साहित्य-तीनों का अद्वितीय समन्वय उपस्थित है। महाभारत के भीष्मपर्व में स्थित गीता का प्रसंग कुरुक्षेत्र के युद्धभूमि का है, जहाँ अर्जुन मोह, विषाद और नैतिक द्वंद्व से ग्रस्त है। उस क्षण श्रीकृष्ण द्वारा दिया गया उपदेश केवल अर्जुन के लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण मानवता के लिए युगों -युगों तक मार्गदर्शन का संबल बन जाता है यह मार्गदर्शन महज व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है अपितु यह मार्गदर्शन सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन का भी संबल है,इसका सर्वोत्तम उदाहरण आजादी आंदोलन के महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। श्रीमद्भगवद्गीता का वैशिष्ट्य इसी में निहित है कि वह जीवन की गहन समस्याओं का समाधान दार्शनिक गहराई, नैतिक स्पष्टता और काव्यात्मक सौंदर्य के साथ प्रस्तुत करती है। गीता का महत्व इसी कारण कालातीत

और सार्वभौमिक है।

भगवद्गीता भारतीय दर्शन का अमूल्य ग्रंथ है, जो जीवन के गूढ़ प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत करता है। यह कर्म, ज्ञान और भक्ति—तीनों मार्गों का समन्वय कर मानव को कर्तव्यनिष्ठ, नैतिक और आत्मबोध से युक्त जीवन जीने की प्रेरणा देती है। गीता निष्काम कर्म, आत्मसंयम, समत्व और लोककल्याण का संदेश देती है। इसका महत्व इसलिए भी है कि यह व्यावहारिक जीवन में आध्यात्मिक मूल्यों को स्थापित कर मानव को भय, मोह और भ्रम से मुक्त कर जीवन की सही दिशा प्रदान करती है।

'दर्शन' शब्द सामान्यतः हम दैनंदिन जीवन में धार्मिक स्थलों के संदर्भ में करते हैं। दर्शन शब्द संस्कृत के 'दृश्' धातु से बना है, जिसका अर्थ है 'देखना।' इसलिए 'दर्शन' का अर्थ हुआ 'जिसके द्वारा देखा जाये।' ध्यान रहे, यहाँ देखने का मतलब आँखों से देखना नहीं है। अपितु, तार्किक एवं अंतर्दृष्टि से देखना है। व्यापक अर्थ में "दृश्यते यथार्थ तत्वमनेन" अर्थात् जिसके द्वारा यथार्थ तत्व की अनुभूति (अनुभव) हो वही दर्शन है।दर्शन हमें चीजों को देखने और उन्हें समझने का दृष्टिकोण प्रदान करता है।दर्शन है दृष्टिकोण,दर्शन है नज़रिया, देखने की दृष्टि । कोई आधा खाली गिलास देखता है, तो कोई आधा भरा। दोनों ही सत्य है किन्तु दोनों सत्यों का प्रभाव स्वभावतः भिन्न-भिन्न है। एक सकारात्मक है, तो दूसरा नकारात्मक । भगवान् कृष्ण कहते हैं-

"द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च।
दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे श्रृणु।।"[2]

उपर्युक्त यही दोनों स्वभाव समाज में परिलक्षित होते हैं। श्रीमद्भगवद्गीता में ज्ञान,कर्म, उपासना तीनों ही दर्शनों का समन्वय करते हुए जैविक दृष्टिकोण से भी सबके पूर्वजों की एकरूपता दर्शायी गयी है-

"सप्तर्षयः पूर्वं चत्वारो मनवस्तथा ।
मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः ।।"[3]

भारतीय सृष्टि में सबके पूर्वज उपर्युक्त पच्चीस (25) ऋषिगण हैं।जो योगेश्वर श्रीकृष्ण की इच्छा व संकल्प से उत्पन्न हुए और सृष्टि संचालन में सहायक बने।

गीता का प्रथमत:मूल दार्शनिक आधार आत्मा की अमरता है। योगेश्वर श्रीकृष्ण अर्जुन के मोह ग्रस्त होने पर स्पष्ट करते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है—

"न जायते म्रियते वा कदाचि
न्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः।
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो
न हन्यते हन्यमाने शरीरे।।"[4]

आत्मा की अजरता,अमरता,अनित्यता का विचार उपनिषदों की परंपरा से जुड़ा है, जहाँ आत्मा को नित्य, शाश्वत और अविनाशी माना गया है। शरीर नश्वर है, पर आत्मा शाश्वत। इस ज्ञान से भय, शोक और आसक्ति का निवारण होता है। अर्जुन का विषाद इसी देहाभिमान से उत्पन्न होता है, जिसे कृष्ण आत्मज्ञान द्वारा समाप्त करते हैं।यह श्रीमद्भगवद्गीता का दर्शन संपूर्ण मानवता की अक्षय निधि है जिससे मनुष्य सांसारिकता, भौतिकता की क्षणिकता का बोध प्राप्त करके जीवन को सार्थक दिशा में प्रवृत्त कर जीवन उद्देश्य को सार्थकता प्रदान करता है।

श्रीमद्भगवद्गीता में कर्म दर्शन की स्थापना करते हुए योगेश्वर कृष्ण कहते हैं -

"कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि॥" [5]

कर्तव्य कर्म करने में ही ऋषि पुत्र मनुष्य का अधिकार है।कर्मफल की इच्छा करने में नहीं। कर्मफल की इच्छा मनुष्य को परतंत्र बनाती है। जबकि कर्मफल के प्रति अनासक्ति उसे स्वतंत्र, सहज और स्थितप्रज्ञ बनाती है। कर्म सिद्धांत जीवन को संतुलन प्रदान करता है। मनुष्य कर्म से बंधा है, किंतु फल-आसक्ति से मुक्त होकर कर्म करने पर वह बंधन में नहीं पड़ता। यह दर्शन भारतीय चिंतन को कर्मकांड और संन्यास के अतिवाद से निकालकर मध्य मार्ग पर स्थापित करता है।

गीता में ज्ञानयोग (तत्त्वज्ञान) और भक्तियोग (ईश्वर-भक्ति) का अद्भुत समन्वय उपस्थित है। ज्ञान से विवेक उत्पन्न होता है और भक्ति से अहंकार का क्षय। योगेश्वर श्रीकृष्ण ने मोहासक्त पार्थ से कहा कि भक्त मुझे ज्ञान से भी प्रिय है और कर्म से भी। इस दृष्टि से देखेंगे तो श्रीमद्भगवद्गीता में संकुचित व संकीर्ण दर्शन नहीं अपितु विराट समन्वयवादी दर्शन उपस्थित है, जहाँ जीवन के विविध मार्ग एक ही लक्ष्य—मोक्ष—की ओर जाते हैं और मानव जीवन को सार्थक व सक्षम बनाकर आध्यात्मिक चेतना से पूरित करते हैं।

"ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः। अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते॥
येषामहं स उधारी नित्ययुक्तस्य योगीनाम्। भक्तस्य तव चाहं स च मम प्रियः॥" [6]

वाचिक,मानसिक और कायिक तपों के द्वारा तपकर क्रमशः वाणी, मन और शरीर कुन्दन बनते हैं। वाणी का तप बताया गया है-

"अनुद्वेगकरं वाक्यं, सत्यं प्रियहितं च यत्।
स्वाध्यायाभ्यसनं चैव, वाङ्मयं तप उच्यते॥" [7]

बातों की प्रवृत्ति-स्वभाव अनुद्वेगकर होनी चाहिए न कि उत्तेजित करने वाली। बात सत्य हो, प्रिय और हितकारी हो। सद्ग्रंथों के स्वाध्याय का स्वभाव हो एवं सद्गुणों के अभ्यास का निरंतर क्रम वाणी को प्रखर बनाता है।

वस्तुतः गीता अपने उपदेशों के द्वारा समग्र मानवीय व्यक्तित्व का निर्माण करती है। किसी भी निर्माण के पूर्व भूमिका (नींव) आवश्यक है।अतः श्रीमद्भगवद्गीता की दार्शनिकता नैतिक रूप से मनुष्य को सांगोपांग परिमार्जित , परिष्कृत और परिनिष्ठित करती है।

श्रीमद्भगवद्गीता नैतिकता का उत्स है, मूलभूमि है नैतिकता की। योगेश्वर कृष्ण नीतिमान, नीतीश, नीति पुरूष हैं।'कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्' । उत्थान , उत्कर्ष, उन्नति नैतिकता से ही संभव है। गीता सर्वश्रेष्ठ नैतिक सद्ग्रंथ है और उन लोकोपकारी नन्दनन्दन के श्रीमुख से नि:सृत है जो अन्यायी कौरवों के पास पाण्डवों के शान्ति दूत बनकर गये थे।

' स्वधर्म 'का पालन श्रीमद्भगवद्गीता के अनुसार मानवीय जीवन का केन्द्रीय विषय है और यह जीवन का सबसे बड़ा धर्म भी है। व्यक्तिगत जीवन, समाज जीवन व राष्ट्रीय जीवन में प्रत्येक व्यक्ति का एक सामाजिक और नैतिक दायित्व होता है जिसका पालन उसे अवश्यमेव करना ही चाहिए।अर्जुन क्षत्रिय है, उसका धर्म युद्ध से पलायन नहीं, बल्कि न्याय की रक्षा के लिए युद्ध करना अनिवार्य है । इसलिए उससे योगेश्वर श्रीकृष्ण कहते हैं -

"श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात्।

स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः।।”[8]

यह विचार व्यक्ति को कर्तव्यनिष्ठ बनाता है और महज व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन को ही नहीं अपितु सामाजिक व्यवस्था को भी संतुलित करता है। कुरुक्षेत्र में बंधु -बांधवों के सम्मुख उपस्थित देखकर पार्थ के मन में उत्पन्न व्यामोह वास्तव में नैतिक द्वंद्व का प्रतीक है —अपने स्वजनों का वध करना या युद्ध से पलायन करना। गीता इस द्वंद्व का समाधान विवेक और कर्तव्य के माध्यम से करती है। करुणा के नाम पर कर्तव्य-त्याग को श्रीकृष्ण क्लीवता मानते हैं। इस प्रकार गीता भावुक नैतिकता नहीं, बल्कि विवेकपूर्ण नैतिकता का प्रतिपादन करती।

श्रीमद्भगवद्गीता में योगेश्वर कृष्ण समत्व में नैतिक जीवन का मूल सुझाते हैं और धनुर्धर अर्जुन से कहते हैं कि-

“योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय।
सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते।।”[9]

हे!धनञ्जय मनुष्य के नैतिक जीवन का आदर्श समत्व है—सुख-दुख, लाभ-हानि, जय-पराजय में समान भाव ही मनुष्य जीवन को सार्थक गति प्रदान करता है।

विभिन्न परिस्थितियों मे समता का भाव ही मानसिक स्थिरता और नैतिक दृढ़ता का आधार है व साथ ही, इंद्रिय-संयम, अहिंसा, सत्य और करुणा सदृश उत्तम मूल्य श्रीमद्भगवद्गीता की नैतिकता को सार्वभौमिक बनाते हैं।

नैतिकता ही नियम के रूप में समाज का नियमन करता है।इस नियमन में योगेश्वर श्रीकृष्ण की अष्टधा प्रकृति पृथ्वी,तेज,वायु,आकाश,जल,मन, बुद्धि एवं अहंकार शामिल रहते हैं।यह नियमन बलात् नहीं अपितु स्वभावात् है।इसका अभ्यास करने वाले सभ्य और श्रेष्ठ समाज के संस्थापक होते हैं। गिरावट का स्वरूप अत्यंत वैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत है -

“ध्यायतो विषयान्पुंसः संगस्तेषूपजायते।
संगात्संजायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते ॥
क्रोधाद्भिवति सम्मोहः सम्मोहात्स्मृतिविभ्रमः।
स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥”[10]

श्रीमद्भगवद्गीता अपौरुषेय, अद्भुत आध्यात्मिक दैवीय दार्शनिक ग्रंथ होते हुए भी साहित्यिकता से परिपूर्ण ग्रंथ है क्योंकि संस्कृत साहित्य में या यूं कहें कि सामान्यत: साहित्य की प्रचलित परिभाषा “हितेन सह इति सष्टिमूह तस्याभाव: साहित्यम्” के मूल-भाव को समग्रता के साथ यदि समाहित करने की सामर्थ्य संपूर्ण वैश्विक पटल पर किसी ग्रंथ में है तो वह श्रीमद्भगवद्गीता ही है जो समग्रता, संपूर्णता में संपूर्ण मानवता को एकमेक करने के सामर्थ्य से संपृक्त है।

“ शब्दार्थयो:सहितयो:भाव: साहित्यमिति कथ्यते।”

दार्शनिक ग्रंथ होते हुए भी कांतासम्मित उपदेश गीता का वैशिष्ट्य है। शब्द को ब्रह्म सहोदर कहा गया है और गीता के शब्द तो साक्षात् परब्रह्म श्रीकृष्ण के आत्मरूप हैं। गीता का आत्मीय भाव हमें इहलोक से परलोक तक के भावों का साक्षात्कार कराता है।अर्जुन और कृष्ण का संवाद इसे जीवंत बनाता है। युद्धभूमि का दृश्य, शंखनाद, विषादग्रस्त अर्जुन और शांत, करुणामय कृष्ण—यह सब गीता को नाटकीय ऊँचाई प्रदान करता है।गीता के श्लोक संस्कृत साहित्य की सरल, मधुर और गहन भाषा के उदाहरण हैं।

“वासांसि जीर्णानि यथा विहाय

नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि।
तथा शरीराणि विहाय जीर्णा-
न्यन्यानि संयाति नवानि देही।।"[11]

इस श्लोक में जिस तरह से रूपक के माध्यम से शरीर के बदलते स्वरूप का वर्णन हुआ है वह अद्वितीय है।गीता की साहित्यिकता का सबसे बड़ा गुण यह है कि उसमें भावुकता और बौद्धिकता का अद्भुत संतुलन है। न तो वह शुष्क दर्शन बनती है और न ही केवल भावप्रधान काव्य। यही संतुलन उसे कालजयी बनाता है।रस, छंद, अलंकार,भाव, भाषा साहित्य की कसौटी होते हैं और इन सबसे ऊपर कबीर का ढाई आखर प्रेम है। प्रेम भाव में ही कृष्ण(जगदीश्वर)ने कृष्ण(पार्थ)के लिए गीता का उपदेश किया है। यहां परोपकार की भावना सर्वोपरि है जो साहित्य का लक्षण विशेष है।

'शिवेतर क्षतये'साहित्य का प्रयोजन है और गीता सकल अमंगल नाशक दिव्य ज्ञान ग्रंथ है ,जो मनुष्य मात्र के आध्यात्मिक ज्ञान का मार्ग ही नहीं अपितु सांगोपांग जीवन का नंदादीप बनकर पथ-प्रदर्शन करती है। साहित्य राहित्य का वैपरीत्यार्थक है। साहित्य ही समाज है, समाज ही स्वर्ग है जबकि राहित्य संवेदनहीनता है, संवेदनहीनता नर्क है। श्रीमद्भगवद्गीता इसी स्वर्ग की सृष्टि करती है।

श्रीमद्भगवद्गीता दर्शन, नैतिकता और काव्य का त्रिवेणी-संगम वास्तव में है क्योंकि यहां ये तीनों संश्लिष्ट रूप से उपस्थित हैं एक दूसरे के पूरक रूप में न कि विलगता में यही गीता की महानता का द्योतक है। गीता में दर्शन जीवन के सत्य को उद्घाटित करता है तो नैतिकता उस सत्य को आचरण में ढालती है और काव्य उसे हृदयग्राही बनाता है।गीता का दर्शन बिना नैतिकता के निरर्थक होता और नैतिकता बिना काव्य के नीरस। काव्य के बिना दर्शन जनसामान्य तक नहीं पहुँच पाता। गीता इन तीनों को एक सूत्र में पिरोकर प्रस्तुत करती है—यही उसका त्रिवेणी-संगम है।

संदर्भ -

1. महाभारत, 18.5.38
2. श्रीमद्भगवद्गीता, 16.6
3. वही, 10.6
4. वही, 2.20
5. वही, 2.47
6. वही, 12.6-7
7. वही, 17.15
8. वही, 3.35
9. वही, 2.48
10. वही, 2.62.63
11. वही, 2.22

निराला मानवीय संवेदना और व्यंग्य के कवि हैं

डॉ. अरुण कुमार मिश्र
प्रोफेसर हिन्दी, एम.डी.पी.जी. कॉलेज, प्रतापगढ़

सार:

साहित्य शब्द का अर्थ ही है, सबका हित- एक जैसा हित, समान हित। हिंदी का शाब्दिक अर्थ है, जो हीनता को नष्ट करें। हिंदी साहित्य का अर्थ हुआ कि हीनता को नष्ट करते हुए मानव कल्याण की भावना लेकर चलना। साहित्यकार सर्वाधिक संवेदनशील होता है, वह देश और समाज को भी संवेदनशीलता की दृष्टि से देखता है। उसके पास देश और समाज के लिए बहुत कुछ होता है। देखने समझने-सोचने और उन पर विचार रखने का भी उसका अपना ढंग होता है, इसीलिए किसी भी साहित्यकार के लिए समाज की संवेदना को पहचानना अधिक आसान होता है, परंतु यदि साहित्यकार सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' सदृश हो तो उसके समक्ष यह संवेदना गहरी अनुभूतियों से युक्त होती है। उसकी संवेदनशीलता का ही प्रमाण है कि वह वह अपनी मानवीय गुण और व्यंग्यपरक दोनों गुणों को लेकर चलता है। अगर व्यवस्था व्यतिक्रम में है, तो उस पर व्यंग्य करता है और व्यवस्था अगर सही है तो उसे मानवीय दृष्टि से अधिकाधिक दोष मुक्त और गुणयुक्त बनाने का प्रयत्न करता है। यह कार्य निराला जैसे आत्महंता और क्रांतिकारी कवि ही कर सकते हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है निराला जी मानवीय भावनाओं के कवि थे। रहस्य, आध्यात्म या दर्शन की गहराई में वे अधिक देर तक डुबकियाँ नहीं लगा पाये। मानवता के सम-धरातल पर चलना उन्हें प्रिय था।

प्रस्तावना:

निराला की सम्पूर्ण काव्य साधना प्राचीन काव्य रूढ़ियों के प्रति विद्रोह की एक लम्बी कहानी रही है। सबसे पहले उन्होंने छन्दों के बन्धन तोड़कर मुक्त छन्द की रचना की थी। यह निराला का नया प्रयोग था, जिसका छायावाद के विरोधियों तथा पन्त सरीखे छायावादियों ने विरोध किया था। परन्तु निराला के इस मुक्त छन्द में प्राचीन छन्दों में रची गयी कविताओं से अधिक प्रवाह, सौन्दर्य और संगीत था। निराला जी ने ही सर्वप्रथम हिन्दी में कविता और संगीत का सम्बन्ध स्थापित किया था।

कठिन शब्द- संवेदनशील, मुक्त छन्द, क्षुब्ध, उद्बोधन, जिज्ञासु भाव, मग्नमुखी, अट्टालिका, छिन्न, अप्रतिहत, अभिशप्त अभिराम, कर मेखला।

मानवतावादी प्रवृत्तियों, मानवीय संवेदनाओं, व्यंग्य के जो लक्षण बताये जाते हैं, वे निराला के सम्पूर्ण काव्य में प्रभूत मात्रा में हैं। निराला ने शुरू से ही साधारण, छोटे, महत्वहीनों और नगण्य प्राणियों को अपनी करुणा-संवेदना का पात्र बनाया। जबकि अन्य छायावादी कवि चाँद तारों और निर्झर के गीत लिखने में व्यस्त थे, उस समय निराला ने 'परिमल' में 'भिक्षुक' और 'विधवा' जैसी कविताएँ लिखीं।

निराला जी ने यदि एक ओर संध्या सुन्दरी, बादलराग, वन बेला आदि में प्रकृति चित्रों को चित्रित किया है, तो दूसरी

ओर 'वह तोड़ती पत्थर' और 'भिक्षुक' सरीखी कविताओं में दोनों पददलितों का बड़ा ही मार्मिक मर्मस्पर्शी चित्र उपस्थित किया है। यदि 'प्रेयसी' के चित्रण में उन्होंने सौन्दर्य और प्रेम भावना को चरम सीमा तक पहुँचाया है, तो 'कुकुरमुत्ता' के माध्यम से शोषकों, नेताओं की धज्जियाँ उड़ायी हैं। उनकी पोल खोली है। निःसन्देह निराला जी रहस्यवादी कवि थे, किन्तु रहस्यात्मक अनुभूति का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक था, क्योंकि उन्होंने विराट सत्ता एवं शाश्वत ज्योति द्वारा रहस्यात्मक अनुभूतियाँ प्राप्त की थीं। अद्वैतवादी होने के कारण वे 'ब्रह्म सत्यं जगद्मिथ्या' के सिद्धान्त को स्वीकारते थे, किन्तु अद्वैतवादी की शुष्क भूमि में अपनी भक्तिपूर्ण सरसता को खोते नहीं थे।

जैसे- मुक्ति नहीं चाहता भक्ति रहे काफी है.
सुधाकर की काला में, अंशु यदि बनकर रहें-
तो अधिक आनन्द है।

निराला की संवेदनशीलता को निम्न रूपों में देखा जा सकता है-

(क) राष्ट्रीयगान- निराला काव्य में राष्ट्रीय गान अपनी चरम सीमा पर पहुँचा हुआ मिलता है। उन्होंने अपनी कुछ कविताओं में राष्ट्रीय आदर्शों और मानवीय गुणों की अभिव्यंजना की है। किन्हीं-किन्हीं कविताओं में विश्व मानवता की अभिव्यक्ति हुई है। 'भगवान् बुद्ध के प्रति', 'देवी सरस्वती', 'भारति जय विजय करे' आदि इसी प्रकार की कविताएं हैं।

(ख) रस- निराला काव्य में करुण, रौद्र और वीर रस के सजीव चित्र विद्यमान हैं। उनकी कल्पना इतनी मर्मस्पर्शिनी है कि पढ़ते ही एक अज्ञात व्यथा से सारा शरीर क्षुब्ध हो जाता है। मन में बिजली सी कौंध जाती है। धमनियों का रक्त उच्च हो जाता है। यथा-

देखते देखा, मुझे तो एक बार,
उस भवन की ओर देखा छिन्नाधार।
देखकर देखा नहीं, देखा मुझे उस दृष्टि से।
जो मार खा रोई नहीं।

निराला की वीर रस की कवितायें भी दृष्टव्य हैं। उन्होंने परतन्त्र देशवासियों को जगाने के लिये 'उद्बोधन' भी लिखे हैं। 'जागो फिर एक बार' उनकी इसी प्रकार की कविता है जो निराशा में भी प्राण का संचार करती है। कायरों में बिजली की शक्ति भरती है। आलसियों को जगाकर उनका मार्ग दर्शन करती है-

सिंहनी की गोदी से छीनता रे शिशु कौन ?
मौन भी क्या रहती वह रहते प्राण?
रे अजान!
एक मेषमाता ही रहती है निर्निमेष
दुर्बल-वह-छीनती सन्तान जब
जन्म पर अपने अभिशप्त
तप्त आँसू बहाती है,

किन्तु क्या ?
योग्य जन जीता है।
पश्चिम की उक्ति नहीं
गीता है गीता है,
स्मरण करो बार-बार
जागो फिर एक बार!

(ग) दार्शनिकता- निराला निराला विवेकानन्द के नव हिन्दूवाद और अद्वैतवेदान्त के अनुयायी थे। उनके काव्य में कुछ गीत दार्शनिक हैं। इन गीतों में आधुनिक युग के भौतिकवादी दर्शन पर कटाक्ष किया है। उन्होंने एक ही तत्व के अन्तर्गत समस्त मानवत्व को स्वीकार किया है। उन्होंने एक ही साकार सत्ता को अपनी उपासना का केन्द्र माना है तथा उसे ही कभी माता और कभी जननी कह कर पुकारा है- 'कौन तम के पार रे कह।'

(घ) परुषता- निराला के काव्य में करुणा एवं श्रृंगार की दुर्बल एवं सड़ी-गली भावना की अभिव्यक्ति नहीं हुई है। वे परुषकाव्य के अन्यतम कवि थे। यहाँ तक कि उनके श्रृंगारिक वर्णन पर भी दर्शन की छाप है-

'पल्लव पर्यक पर सोती शेफालिके
मूक आह्वान भरे बाल-सी कपोलों में व्याकुल विकास पर
झरते हैं शिशिर से चुम्बन गगन के।'

(ङ) सौन्दर्य चित्रण- निराला का सौन्दर्य-चित्रण भी अपूर्व है। उन्होंने सौन्दर्य के दोनों रूपों-स्थूल तथा सूक्ष्म का अत्यन्त मनोहारी चित्रण किया है। इस दृष्टि से उनकी 'जूही की कली' नामक कविता दृष्टव्य है-

निर्दय उस नायक ने
निपट निठुराई की
कि झोकों की झाड़ियों से,
सुन्दर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली।
मसल दिये गोरे कपोल गोल,
चैंक पड़ी युवती-
चकित चितवन निज चारों ओर फेर,
हेर प्यारे को सेज पास,
नम्र मुखी हँसी, खिली,
खेल रंग प्यारे संग।

(च) प्रकृति चित्रण- छायावादी कवियों ने एक स्वर से प्रकृति-चित्रण की महत्ता का उद्घोष किया है। निराला इसके अपवाद नहीं। इसी कारण उनके काव्य में प्रकृति का विभिन्न रूपों में चित्रण देखने को मिलता है। निराला ने प्रकृति का विभिन्न रूपों में चित्रण किया है, यथा- आलम्बन रूप में, उद्दीपन रूप में, उग्र रूप में, मानवीकरण के रूप में, दार्शनिक रूप में, जिज्ञासु भाव के रूप में, कोमल रूप में, माधुर्य रूप में, तथा रहस्यात्मक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति के रूप में आदि। रात्रि का मानवीकरण रूप निराला ने किस तरह से प्रस्तुत किया है, यथा-

‘दिवसावसान का समय
मेघमय आसमान से उतर रही है
वह सन्ध्या सुन्दरी परी-सी,
धीरे-धीरे-धीरे।’

(छ) रूढ़ियों का विरोध- निराला जन्मजात क्रान्तिकारी थे। उनका स्वभाव उग्र था। उन्हें साहित्यिक एवं सामाजिक बन्धन स्वीकार नहीं थे। इसलिए उन्होंने हिन्दी साहित्य में प्राचीन रूढ़ियों का विरोध किया और कुछ नवीन परम्पराओं को जन्म दिया। निराला ने सबसे पहले यह घोषित किया कि छन्द कविता के लिए बन्धन है और इससे कविता को छुटकारा दिलाना उसे नवीन स्फूर्ति देना है। इसलिए उन्होंने मुक्त छन्द का प्रयोग किया। उन्होंने सिंह-गर्जना की, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बन्धन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छन्दों के शासन से अलग होना। इसके अतिरिक्त निराला ने हिन्दी काव्य जगत में नई दृष्टि विकसित की, साथ ही काव्य में अन्य नवीन प्रयोग भी किये। उन्होंने उर्दू छन्द-गजल का भी प्रयोग किया।

बिगड़कर बनते और बनकर बिगड़ते एक युग बीता।
परी और समाँ रहने दे, शराबों जाम रहने दे।।

भाषा मैं नवीन चेतना और शक्ति लाने के लिए अनेक अंग्रेजी अलंकारों, मानवीकरण, विशेषण-विपर्यय आदि को अपनाया। इस प्रकार हम देखते हैं कि जिसने जीवन पर्यन्त रूढ़ियों का विरोध किया। ‘सरोज स्मृति’ नामक शोकगीत में अपनी ही पुत्री के सौन्दर्य का वर्णन करना सामाजिक एवं साहित्यिक रूढ़ियों का प्रबलतम विरोध भी किया है--

‘सोचा मन में हत बार-बार -
ये कान्यकुब्ज-कुल कुलंगार,
खाकर पत्तल में करें छेद,
इनके कर कन्या, अर्थ खेद,
इस विषम बेलि में विष ही फल,
यह दग्ध मरुस्थल- नहीं
सुजल।’

(ज) शोषित के प्रति सहानुभूति निर्धन, दुःखी एवं शोषित व्यक्ति ही प्रगतिवादी काव्य का मेरुदण्ड है। वह ही प्रगतिवादी कविता का प्रतिपाद्य है। सारा प्रगतिवादी काव्य उसके इर्द-गिर्द ही मंडराया करता है। इस वर्ग की यथार्थता का चित्रण करना इस काव्य का मूल प्रयोजन है। उदाहरण के लिए निराला की ‘भिक्षुक’ कविता ली जा सकती है। इसमें लेखक ने भिक्षुक का यथार्थ और रोमांचकारी चित्र उपस्थित किया है जिसके साथ-साथ कवि की अगाध सहानुभूति भी परिलक्षित होती है-

वह आता-

दो टूक कलेजे के करता पछताता
पथ पर आता।

पेट-पीठ दोनों मिलकर हैं एक
चल रहा लकुटिया टेक,
मुटठी भर दाने को- भूख मिटाने को
मुँह फटी पुरानी झोली को फैलाता-
दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता।

उपर्युक्त पंक्ति में 'वह तोड़ती पत्थर' में कवि ने मजदूरनी का कितना ही यथार्थ एवं मार्मिक चित्रण किया है। वह मजदूरनी झुलसाती हुई लू में रूई की तरह जलती हुई भूमि पर बिना किसी छाया के अविराम गति से विवशतावश कार्य कर रही है- आखिर पेट तो भरना है। दो रोटी का सवाल जो ठहरा और उसे बेवश, मेहनतकश मजदूरनी पर अट्टहास करती हुई समक्ष ही एक उच्च अट्टालिका खड़ी है-

'सामने तरु मालिका अट्टालिका, आकार।
चढ़ रही थी धूप; गर्मियों के दिन,
दिन का तमतमाता रूप उठी झुलसाती हुई लू
गर्द चिनगी छा गयी; प्रायः हुई दुपहर-
वह तोड़ती पत्थर।'

उपरोक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि शोषितों के प्रति महाप्राण, क्रान्तिकारी कवि निराला के हृदय में कितनी गहरी सहानुभूति थी।

(झ) वेदना तथा नैराश्य:

सामाजिक दुर्दशा को देखकर निराला का हृदय वेदना और नैराश्य से भर गया। वे ही भाव उनकी व्यक्ति-परक और समाज-परक कविताओं में मिलते हैं। इसीलिए कहीं तो कवि ने अपनी वेदना का चित्रण किया और कहीं समाज के दुःखों का। जैसे-

'अविराम घात-आघात, आह! उत्पात!
यही जग-जीवन के दिन-रात।
यही मेरा इनका, उनका सबका स्पन्द,
हास्य से मिला हुआ क्रन्दन।'
(´) नारी-चित्रण:

प्रगतिवादी कवियों की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि उन्होंने नारी स्वरूप का चित्रण भी यथार्थता के आधार पर किया है। यद्यपि इन कवियों ने उसके शारीरिक सौन्दर्य का अवलोकन किया, तथापि उनका मुख्य ध्यान उन परिस्थितियों की ओर केन्द्रित रहा है, जिन्होंने इसे बन्धनों में जकड़ कर इसे अधिकारहीन बना दिया है। निराला इसके अपवाद नहीं, जिन्होंने सामाजिक रूढ़ियों एवं धर्माडम्बरों के खोखलेपन का विरोध करते हुए समाज की भत्र्सना की है, जिसने एक विधवा को अनाथ, असहाय, तुच्छ एवं निरीह बना दिया। उनकी संवेदनशीलता का प्रमाण निम्न है-

'उस करुणा की सरिता के मलिन पुलिन पर,

लघु टूटी हुई कुटी का, मौन बढ़ाकर
अति छिन्न हुए भींगे अंचल में मन को-
दुःख-सुख सूखे अधर त्रस्त चितवन को
वह दुनियाँ की नजरों से दूर बचाकर,
रोती है अस्फुट स्वर में-
दुख सुनता है आकाश धीर-
निश्चल समीर,
सरिता की वे लहरें भी ठहर कर'

(स) क्रान्ति की भावना:

प्रगतिवादी कवि जब समाज की विषम स्थिति का अवलोकन करता है तथा ऐसे नरकंकालों पर दृष्टिपात करता है, जिसे लुटे पूँजीपतियों ने युवावस्था में ही चूसकर वृद्ध बना दिया है तो उसका प्रतिवादी मस्तिष्क क्रान्ति की कामना करता है। वह मानवता विहीन इस धरा के नाश का ही उपक्रम करता है। फिर या तो वह प्रलयकारी शंकर का आह्वान करता है या कराली काली भैरवी का। निराला उपर्युक्त विचारों के अपवाद नहीं थे। वे भैरवी का आह्वान करते हुए कहते हैं-

'एक बार बस और नाच तू श्यामा।
सामान सभी तैयार,
कितने ही हैं असुर, चाहिए कितने तुझको हार ?
करमेखला-मुण्ड मालाओं में वन मन-अभिरामा-
एक बार बस और नाच तू श्यामा।

(ठ) साम्यवाद का गुणानुवाद:

प्रगतिवादी कवि अर्थव्यवस्था की विषमता को समाज के सम्पूर्ण अनाथों का मेरुदण्ड मानता है। प्रगतिवादी कवि इस समस्या का एक मात्र निदान साम्यवाद में पाता है। अतएव वह साम्यवाद की दुहाई देता है। निराला जो 'वन बेला' में साम्यवाद की प्रशंसा करते हुए कहते हैं-

'फिर पिता-संग
जनता की सेवा व्रत में लेता अभंग,
करता प्रचार
मंच पर खड़ा साम्यवाद इतना उदार।'

(ड) उद्बोधन:

प्रगतिवादी कवि क्रान्ति की दोनों दशाओं-ध्वंस और नवनिर्माण का वरण करता है। ध्वंस में वह शंकर का आह्वान करता है और नवनिर्माण में वह जागरण का शंखनाद करता है। निराला की 'जागो फिर एक बार' इसी प्रकार का उद्बोधन-

सिंही की गोदी से छीनता है शिशु कौन ?

मौन भी क्या रहती वह रहते प्राण ?
रे अजान, एक मेष माता ही--
जन्म पर अपने अभिशप्त तप्त आँसू बहाती है।
पश्चिम की उक्ति नहीं, गीता है, गीता है,
स्मरण करो बार-बार जागो फिर एक बार।

(ढ) भाव-सौन्दर्य:

काव्य विविध भावों का आगार होता है। जिस कवि में जितनी अधिक संवेदनशीलता रहती है उसके भाव उतने ही मनोरम, आकर्षक एवं सरस होते हैं। उसका शब्द विधान भी भावों के ही अनुरूप होती है। 'राम की शक्ति पूजा' में भावों की पृष्ठभूमि के रूप में प्राकृतिक संयोजना का एक चित्र दृष्टव्य है --

है अमांनिशा, उगलता गगन घन अन्धकार,
खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार,
अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुधि विशाल,
भूधर क्यों ध्यान मग्न, केवल जलती मशाल।

निष्कर्ष:

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि महाप्राण निराला छायावादी युग के सर्वाधिक संवेदनशील कवि हैं। इसका मूल कारण है उनमें विद्यमान मानवीय भावना और उनका क्रान्तिकारी स्वभाव। आचार्य वाजपेयी के शब्दों में 'जब हम निराला के भाव जगत में प्रवेश करते हैं तो हमें प्रसन्न, स्वस्थ और उदात्त भावलोक के दर्शन होते हैं, जिसमें सामाजिक क्रान्ति का स्वर भी मिला हुआ है। निराला काव्य में यह क्रान्ति भावना उन्हें एक प्रगतिशील कवि का महत्व देती है। सामाजिक भूमिका पर नारी और पुरुष की समानता का पूरा प्रत्यय उनके काव्य में पाया जाता है। बाह्य वैषम्यों के प्रति उनकी दृष्टि विद्रोहात्मक है।' अपने इस प्रगतिशील स्वर में निराला की काव्य चेतना समसामयिक सभी कवियों में प्रखर है।

सन्दर्भ:

1. क्रान्तिकारी कवि निराला, डॉ0 बच्चन सिंह, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली
2. आधुनिक कवि, विश्वम्भर मानव, डॉ0 रामकिशोर शर्मा, लोकभारती प्रकाशन, महात्मागांधी मार्ग, इलाहाबाद, संस्करण-2011
3. छायावादोत्तर प्रतिनिधि कवि और उनकी कविताएं, डॉ0 शम्भूनाथ त्रिपाठी, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, संस्करण-2003
4. हिन्दी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद संस्करण-2012
5. बीसवीं सदी के प्रमुख कहानीकार, डॉ0 अरुण कुमार मिश्र, राका प्रकाशन, 40ए, मोतीलाल नेहरू रोड, प्रयागराज, संस्करण-2020
6. समकालीन कहानीकार, डॉ0 अरुण कुमार मिश्र, राका प्रकाशन, 40ए, मोतीलाल नेहरू रोड, प्रयागराज, संस्करण-2021
7. रामविलास शर्मा, राग-विराग, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद।

जीवन में 'ध्वनि' का महत्व

निकिता कुमारी
शोध छात्रा, विश्व भारती, शांतिनिकेतन

अविच्छिन्नेन प्रवाहेण तैरेतदुक्तम् ।
विनापि विशिष्ट पुस्तकेषु विवेचनादित्यभिप्रायः।"[1]

अर्थात् पुस्तकों में अलिखित अखण्ड मौखिक प्रवाह, और यही प्रतियमान अर्थ के रूप में, ध्वनि के रूप में और व्यंजना के रूप में कार्य करती है। ध्वनि न केवल एक अनुगूँज या आवाज़ है; बल्कि यह दर्शन है, योग है, ध्यान है, व्याकरण है, राग है, धुन है, जीवन मूल्य है और एक गूढ़ अर्थ है। यह प्रत्यक्ष नहीं; बल्कि सतह के नीचे छुपा हुआ एक गूढ़ार्थ है।

ध्वनि को परिभाषित कर देना इतना सहज प्रतीत नहीं होता। ध्वनि को समझने के लिए भी सहृदय और तार्किक होना अनिवार्य है। जैसे सवेरा होने में एक ध्वन्यात्मक गूँज है और अंधेरा छा जाने में भी एक ध्वन्यात्मक गूँज है। दोनों ही स्थितियाँ अंत और आरंभ के गूढ़ार्थ को खोलने का कार्य करती हैं। उसी प्रकार कोयल की कूक और कुत्ते के रोदन से उत्पन्न हुई ध्वनि भी शुभ-अशुभ जैसे निहित अर्थ विद्यमान रखती है।

'ॐ' का उच्चारण, तंत्र-मंत्र, जाप इन सभी क्रियाओं में एक ध्वन्यात्मक गूँज है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान (NIMHANS) के मुख्य वैज्ञानिक डॉ. हेमंत भार्गव और अन्य शोधकर्ताओं के fMRI अध्ययनों से यह रहस्योद्घाटित हुआ है कि 'ॐ' (Aum) का उच्चारण करते समय मस्तिष्क के लिम्बिक सिस्टम (Limbic System), विशेषकर एमिग्डाला (Amygdala) में महत्वपूर्ण सक्रियता-ह्रास (Deactivation) होता है । एमिग्डाला मस्तिष्क का वह आदिम हिस्सा है जो भय, तनाव और नकारात्मक भावनाओं के प्रवर्धन (Amplification) से जुड़ा होता है। ॐ के उच्चारण से एमिग्डाला के साथ-साथ पूर्ववर्ती सिंगुलेट गाइरस (Anterior cingulate gyrus), हिप्पोकैम्पस, इन्सुला, और थैलेमस जैसे क्षेत्रों में रक्त प्रवाह कम होता है, जो गहरी शांति और भावनात्मक स्थिरता का स्पष्ट न्यूरोलॉजिकल संकेत है । इसके विपरीत, 'ssss' जैसी तटस्थ ध्वनि के उच्चारण से मस्तिष्क के इन क्षेत्रों में कोई महत्वपूर्ण डीएक्टिवेशन नहीं देखा गया।[2]

'स्वाहा:' कह देने से मन पर पड़ने वाला प्रभाव ही 'स्वाहा' का प्रतीयमान अर्थ है जो समर्पण या सम्पन्नता का आभास कराता है। उसी प्रकार साहित्य और काव्य-कला में ध्वनि जीवित रूप से विद्यमान है, चाहे वह 'नीरस तरुवर विलसति परतः[3] ' इस श्लोक में 'नीरस तरुवर' में रस (जीवन/आशा/गुण) के होने के आभास के रूप में हो या निराला की पंक्ति-"दुख ही जीवन की कथा रही"[4] में मानव मन की निराशामयी स्थिति का संकेत हो। ध्वनि अपनी व्यंजना शक्ति के साथ साहित्य, कला और जीवन में मौजूद है।

ध्वनि हमारे जीवन मूल्यों में भी एक विशेष महत्त्व रखती है। एक किसान जब गेहूं का बीज बोता है तब उसे अच्छी तरह ज्ञात होता है कि उस गेहूं के बीज से आम का वृक्ष नहीं निकल सकता है। यह जीवन-क्रिया भी एक गूढ़ार्थ/ध्वन्यात्मक गूँज रखती है जो सीधे तौर से मन पर यह प्रभाव छोड़ती है कि 'अवास्तविक उम्मीदें' व्यर्थ हैं। (और लक्ष्यार्थ तो साफ़ है,

जो रूढ़ी अर्थ भी है - 'जो बोओगे वो पाओगे')

अतः ध्वनि सिद्धांत केवल एक भाषाई या काव्यात्मक नियम नहीं है ; यह एक अत्यंत सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जो सीधे तौर पर मानव संवेदनाओं , नैतिकता और भारतीय जीवन मूल्यों से जुड़ा हुआ है। भारतीय चिंतन में मानव जीवन का चरम लक्ष्य 'पुरुषार्थ चतुष्टय' (धर्म, काम, अर्थ मोक्ष) की प्राप्ति माना गया है।[5] उत्तम काव्य अपनी ध्वनि या व्यंजना के माध्यम से मनुष्य को उपदेशात्मक नीरसता के बिना ही इन मूल्यों की ओर अग्रसर करता है।[6] अर्थात आनंदवर्धन द्वारा वर्णित उत्तम ध्वनि काव्य के लिए प्रयुक्त जो पद है -

"माली आवत देखि के, कलियन करैं पुकार।
फूली-फूली चुनि गई, कालि हमारी बार ॥"[7]

इसमें जो जीवन की क्षण-भंगुरता का अर्थ ध्वनित या व्यंजित हो रहा , वह उत्तम काव्य का उत्कृष्ट उदाहरण है ;जोकि उपदेशात्मक नीरसता से कोसो दूर है। और साथ ही जीवन के मूल सत्य को उद्घाटित करने का कार्य करता है।

ध्वनि मत के प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन ने भाषा को लेकर नए-नए तथ्यों का उद्घाटन भी किया है। उनके अनुसार, "भाषा केवल तार्किक और ज्ञानात्मक अर्थ संप्रेषित नहीं करती। उन्होंने भाषा की एक तीसरी क्षमता या 'पोटेंसी' (Potency) को स्वीकार किया है जिसे 'व्यंजना' कहा गया।[8]

अर्थात आनंदवर्धन के अनुसार व्यंजना शब्दशक्ति वह शक्ति है जो शब्द के सतही संज्ञात्मक अर्थ के अतिरिक्त भावात्मक या संवेगात्मक, सामाजिक-सांस्कृतिक अथवा गूढ़ार्थ को उद्घाटित करने का प्रयास करती है जो सीधे तौर से प्रत्यक्ष नहीं। आनंदवर्धन के आगमन से पहले समस्त काव्यशास्त्रीय आचार्यों ने काव्य के बाहरी सौंदर्य पर अधिक ध्यान केंद्रित किया था। किंतु आनंदवर्धन ने काव्य की अनुगूँज व उसमें निहित भीतरी 'लावण्य' को ढूंढने का सफल प्रयास किया।

ध्वनि और भारतीय जीवन मूल्य :-

भारतीय चिंतनधारा में काव्य और कला का मूल उद्देश्य मानव जीवन का उदात्तीकरण करके भारतीय संस्कृति के मूल आधार - 'पुरुषार्थ चतुष्टय' की प्राप्ति में सहायक होना है। भारतीय प्राचीन शास्त्रों व उपनिषदों में मानव के लिए चार प्रमुख लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है - धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सनातन संस्कृति सिखाती है कि जीवन में किसी भी एक पुरुषार्थ (जैसे केवल अर्थ या काम) पर अत्यधिक ध्यान देने और अन्य को नजरअंदाज करना असंतुलन को जन्म देता है। एक आदर्श जीवन वह है जहाँ 'धर्म' मार्गदर्शक हो, 'अर्थ' साधन हो, 'काम' संतुलित आनंद हो, और मोक्ष अंतिम लक्ष्य हो। इन्हीं चार पुरुषार्थों की पूर्ति के लिए ध्वनि संप्रदाय अपनी विशेष भूमिका निभाती है। (ध्वनि का) संबंध केवल काव्य-कला के अतिरिक्त जीवन-मूल्यों से भी है। इतना ही नहीं बल्कि 'ध्वनि सिद्धांत' इन चारों पुरुषार्थों को जीवन में उतारने का बिल्कुल सूक्ष्म साधन है।

जीवन में उपदेश :-

काव्यशास्त्र में उपदेश देने की तीन शैलियाँ मानी जाती हैं जिसमें - 'प्रभु सम्मित उपदेश' (यानी वेद या धार्मिक ग्रंथ के उपदेशात्मक आदेश), 'मित्र सम्मित उपदेश' (यानी पुराण या इतिहास जो उदाहरणों द्वारा संदेश दें), और 'कान्ता सम्मित उपदेश'[9] जिसके अंतर्गत उत्तम काव्य अर्थात् ध्वनि काव्य जो अपनी आंतरिक मधुरता से बिना किसी रुकावट के उपदेश

ग्रहण कराती है अर्थात् जब कवि ध्वनि या व्यंजना की सहायता लेता है किसी नैतिक उपदेश हेतु तो सीधे वाच्यार्थ में नहीं कहकर, घटना, पात्र या परिस्थितियों द्वारा एक सूक्ष्म अनुगूँज छोड़ने का प्रयास करता है। तब सहृदय जन उस अव्यक्त गूँज को सीधा अपने अंतर्मन में महसूस करते हैं और उपदेश के प्रतीयमान अर्थ को भी पाठक अपने जीवन मूल्यों में बिना किसी अवरोध के शामिल कर लेता है। उदाहरण -"कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।"[10]

अर्थात् कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। यह पद सहृदय के मन में संतोष, निष्काम कर्म, इत्यादि के ध्वन्यात्मक गूंज की छाप छोड़ता है। यदि एक और दार्शनिक बिंदु से जीवन-मूल्य और ध्वनि में संबंध स्थापित किया जाए तो उसके लिए श्रेष्ठ उदाहरण होगा-"सत्यम् शिवम् सुंदरम्।"

अर्थात् जो सत्य है, वही शिव है और शिव ही सुंदर है और अर्थात् सत्य ही परम सुंदर और आनंददायक तत्व है। इसके अंतर्गत 'सत्यम्' को वाच्यार्थ माना जा सकता है। 'सुंदरम् का अर्थ' काव्यशास्त्र के अलंकार, रीति, गुण या कलात्मक सौंदर्य से लगाया जा सकता है और 'शिवम्' ध्वनि या व्यंजना है जो आनंद की अनुभूति देता है और काव्य या जीवन को कल्याणकारी बनाता है।

कृषि विज्ञान और ध्वनि :-

आज ध्वन्यात्मक गूंज अपनी प्रभावशाली शक्ति का प्रयोग अपने फसलों पर भी कर रही है। कई वैज्ञानिक प्रयोगों से प्राप्त जानकारी के अनुसार ध्वनि फसलों के विकास में सहायक साबित हो रही। प्लांट एकॉस्टिक फ्रीक्वेंसी टेक्नोलॉजी' (PAFT) पर किए गए वैश्विक अध्ययनों ने कृषि और पारिस्थिति के लिए आश्चर्यजनक परिणाम प्रस्तुत किए हैं: धान के बीजों पर 0.4 kHz और 106 dB की ध्वनि के प्रयोग से अंकुरण दर और जड़ प्रणाली में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई। यह भी सिद्ध हुआ है कि पौधे विशिष्ट प्राकृतिक ध्वनियों को पहचान सकते हैं। उदाहरण के लिए, वे मधुमक्खियों की भिनभिनाहट (Pollinating bee) सुनकर अपने फूलों में अमृत (Nectar) को मीठा कर सकते हैं या कीटों के लार्वा के चबाने की आवाज़ सुनकर रासायनिक रक्षा तंत्र को सक्रिय कर सकते हैं ।[11]

मानसिक स्वास्थ्य में ध्वनि का उपयोग-नाद चिकित्सा:-

आज मनोविज्ञान की उन्नति में ध्वनि सबसे महत्वपूर्ण तत्व के रूप में कार्यरत है। आज के युग में मानव कई प्रकार की मानसिक उत्पीड़न से जूझ रहा। आज के समाज में डिप्रेशन, उदासीनता, अकेलापन, आत्महत्या की भावना प्रबल हो चुकी हैं। और ऐसी परिस्थिति में मानसिक स्वास्थ्य हेतु ध्वनि(संगीत) एक रामबाण इलाज के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त कर रही।

विभिन्न ध्वनियाँ हृदय गति (HR) और त्वचा की चालकता (Skin Conductance Level - SCL) को त्वरित रूप से प्रभावित करती हैं। एक अध्ययन के अनुसार, जब व्यक्ति प्राकृतिक ध्वनियों (जैसे पक्षियों का चहचहाना) या सुखद संगीत को सुनता है, तो उसके हृदय की गति में औसतन 3.24 बार प्रति मिनट की वृद्धि होती है और त्वचा की चालकता (पसीना आना, जो तनाव का संकेत है) में औसतन 1.65 बार प्रति मिनट की कमी आती है । पार्कों या शहरी प्राकृतिक वातावरण में पानी की आवाज़ या पक्षियों के गीत जैसे प्राकृतिक 'साउंडस्केप' को सुनने से मानसिक थकान दूर होती है और संज्ञानात्मक संसाधनों (Cognitive resources) की पुनर्प्राप्ति होती है। न्यूरोइमेजिंग डेटा स्पष्ट रूप से दिखाता है कि प्राकृतिक ध्वनियों का एक्सपोजर मस्तिष्क के उन क्षेत्रों की गतिविधि को कम करता है जो तनाव नियमन (Stress regulation) से जुड़े हैं।[12]

मौन की व्यंजना शक्ति :--

ध्वनि के इतने विस्तृत और बहुआयामी महत्व पर कोई भी शोध तब तक अपूर्ण है जब तक कि ध्वनि की पृष्ठभूमि—अर्थात 'मौन'—के गहरे दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक महत्व को न समझा जाए। भारतीय दर्शन, योग शास्त्र, और सनातन मूल्यों में 'मौन' केवल ध्वनि की अनुपस्थिति (Absence of sound) नहीं है, बल्कि यह वह परम अवस्था और उद्गम है जहाँ से सभी ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं और अंततः जहाँ वे विलीन हो जाती हैं।

मौन की भी अपनी एक ध्वन्यात्मक गूंज है जो एक ओर क्रोध प्रकट करता है तो दूसरी ओर निराशा। मौन में कभी शांति भाव निहित होती तो कभी ऐसी बेचैनी जो शब्दों में प्रकट करना संभव नहीं। मौन जीवन की वह अवस्था है जहां ध्वनि संप्रदाय अपने प्रतीयमान अर्थ को सफल रूप से उजागर कर पाती है।

भाषा और ध्वनि :-

भाषा विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में ध्वनि के बिना किसी भी भाषिक संरचना की कल्पना असंभव है। आम बोलचाल की भाषा में ध्वनि हमारे दैनिक सामाजिक व्यवहार, विचार-विनिमय और व्यावहारिक संप्रेषण का मूल आधार है। वहीं दूसरी ओर, साहित्यिक भाषा में ध्वनि एक परिष्कृत कलात्मक उपकरण बन जाती है, जो शब्दों को केवल सूचना देने वाले माध्यम से ऊपर उठाकर एक संगीतमय, अर्थपूर्ण और भावोत्तेजक अनुभव में परिवर्तित कर देती है। आधुनिक शोध यह प्रमाणित करते हैं कि साहित्य में ध्वनि और अर्थ के बीच एक गहरा और अभिव्यंजक संबंध होता है। दोनों ही क्षेत्रों में ध्वनि का अपना-अपना अद्वितीय और अपरिहार्य महत्व है। साहित्यिक ध्वनियों की संरचना पाठक के मनोवैज्ञानिक और संज्ञानात्मक स्तर पर सीधा प्रभाव डालती है और साथ ही भाषा तथा जीवन को सुसंस्कृत भी करती है।

अतः ध्वनि का औचित्य काव्य, कला, जीवन और साहित्य सभी में प्रासंगिक है जो सहृदय के भावनात्मक बुद्धिमत्ता (Emotional Intelligence) को भी परिष्कृत करता है। ध्वनि जीवन, प्रकृति और ब्रह्मांड को समझने का एक मौलिक माध्यम है। संपूर्ण जीवन में ध्वनि के महत्व को देखते हुए यह सिद्ध होता है कि संपूर्ण अस्तित्व एक निरंतर संगीतमय कंपन है; और जब मानव चेतना इस ब्रह्मांडीय लय (Cosmic rhythm) के साथ पूर्ण तालमेल बिठा लेती है, तभी वास्तविक स्वास्थ्य, सामाजिक समरसता, और आध्यात्मिक शांति की प्राप्ति संभव है।

संदर्भ सूची:-

1. ध्वन्यालोक - आनंदवर्धन
2. a.Neurohemodynamic correlates of 'OM'chanting: A pilot functional magnetic resonance imaging study - G Kalyani, Ganesan Venkatasubramanian
3. सुभाषितरत्नभाण्डागारम्
4. सरोज स्मृति - सूर्यकांत त्रिपाठी निराला
5. Purushartha in Modern Age - Nidhi Panchal
6. Existence of Ananda in Dhvani Theory -Dr. Jignasa H. Joshi
7. ध्वन्यालोक - आनंदवर्धन

8. Linguistic Aspect Reflected in Dhvanyaloka- Maneesha S.
9. भारतीय काव्यशास्त्र - भगीरथ मिश्र
10. भागवत गीता
11. Sound perception and its effects in plants and algae - Francesca Frongia , Luca Forti , Laura Arru
12. Research on the Effects of Soundscapes on Human Psychological Health in an Old Community of a Cold Region - Peng Cui, Tingting Li, Zhengwei Xia, Chunyu Dai.

बेरोजगारी का सैद्धांतिक स्वरूप: एक विहंगम दृष्टि।

रंजीत कुमार
शोधार्थी, श्रम एवं समाज कल्याण विभाग, मगध विष्वविद्यालय, बोधगया

श्रमिकों के रोजगार में सर्वप्रथम समस्या उनकी पूर्ति एवं भर्ती के विषय में उत्पन्न होती है। उद्योगों में जिन विधियों और संगठनों द्वारा श्रमिकों की भर्ती की जाती है उन पर व्यवसाय की सफ्लता अथवा उपफ्लता एक बड़ी सीमा तक निर्भर करती है। यदि कार्य के अनुसार श्रमिकों को नहीं लागाया जाता तो उत्पादन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा उद्योग की क्षमता घट जाती है। चूंकि श्रमिक अपना गांव छोड़कर नगर में काम करने को इच्छुक नहीं होते। अतः इनकी भर्ती के लिए समय-समय पर सुविधाजनक विधियां अपनायी जाती है। सन् 1896 की प्लेग एवं 1898 की इनफ्लूएन्जा की महामारी के कारण श्रमिकों को मजदूरों की भर्ती करने के लिए अच्छे एवं बुरे सभी प्रकार के तरीकों को अपनाना पड़ा और भर्ती मध्यस्थों तथा ठीकेदारों के माध्यम से होने लगी। यह प्रणाली अल्पांष में आज भी देखने को मिलती है हालांकि पिछले कुछ वर्षो से मजदूरों की भर्ती सीधी प्रणाली द्वारा होने लगी है। इसका कारण यह है कि श्रमिक अब प्रचुर मात्रा में उद्योगों में आने लगे हैं।

जब किसी भी उद्योग में मालिक स्वयं प्रत्यक्ष रूप से श्रम को कार्य पर न लगा कर किसी मध्यस्थ की सहयता लेता है। और श्रमिक को काम पर लगाने अथवा हटाने का पूर्ण अधिकार मध्यस्थ को प्राप्त होता है तो इस प्रकार की भर्ती को मध्यस्थों द्वारा भर्ती कहा जाता है।

भर्ती की यह प्रणाली भारत में बहुत अधिक मान्य थी किन्तु अब इसके परिणामों ने लोकमत को इसके प्रतिकूल कर दिया है जिसके कारण यह विधि घृणायुक्त हो गयी है। भारत में यह विधि संगठित तथा असंगठित दोनों ही प्रकार के उधोगों में अपनायी गयी थी तथा विभिन्न क्षेत्रों में मध्यस्थों को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है-जैसे सरदार, मिस्त्री, जोवल, टेण्डल, फोरमेन, मुकदम, चैधरी, वंगनी तथा ठीकेदार आदि। बड़े-बड़े उद्योगों में प्रधान मध्यस्थ और नारी मध्यस्थ भी है जिन्हें नायकिन कहते हैं। इनकी श्रमजीवियों में से ही चुना जाता है। ऐसे उद्योगों में, जो विदेषी मालिकों को साथ में थे, जिन्हें भारतीय भाषा नहीं आती थी, वहां ये मध्यस्थ और भी शक्तिषाली बन गये थे।

जहां तक मध्यस्थों द्वारा भर्ती के गुणों का प्रष्न है वह इस प्रकार से है कि कुछ उधोग होते है जिनके लिए श्रमषक्ति प्राप्त नहीं हो पाती, जिसमे उधोग की कार्यषीलता में बाधा पड़ती है किन्तु मध्यस्थों की सहायता से ये उधोग भी सरलतापूर्वक आवष्यकतानुसार श्रम शक्ति प्रदान कर लेते हैं। इस समय भारत में कोयले की खानों में और चाय के बागानों में श्रमिकों की भर्ती के लिए इन मध्यस्थों का महत्वपूर्ण स्थान है। यधपि खानों में श्रमिकों की कमी तो नहीं है परन्तु खान के अन्दर काम करने वाली स्त्रियों को हटाये जाने के कारण श्रमिकों की मांग बढ़ गयी है जिसे मध्यस्थ ग्रामीण क्षेत्रों से मजदूरों को लाकर पूरा करते हैं। चाय के बागानों में तो काम करने के लिए श्रमिकों की भर्ती में यदि मध्यस्थों की सहायता न ली जाय तो संभवतः कोई भी श्रमिक स्वयं अपनी इच्छा से कार्य करने के लिए तैयार नहीं होगा।

इस प्रणाली का दुसरा लाभ यह है कि मध्यस्थों का ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बन्ध होने के कारण श्रमिकों की आदतों व्यवहार एवं रूचियों से पूर्णतः परिचित होते हैं जिसके इन श्रमिकों से उनकी आदतों के अनुरूप ही व्यवहार करके उनको प्रसन्न

रखकर उधोगों में स्थायी श्रमिक बनाया जा सकता है और इस प्रकार उधोगपति एक बहुत बड़े बोझ से मुक्त हो जाता है।

इसमे कोई सन्देह नहीं कि आजकल मध्यस्थों को घृणा की दृष्टि से देखा जाता है क्योंकि ये श्रमिकों का शोषण करते हैं, परन्तु यह भी सत्य है कि जिन दिनों फैक्टरी प्रथा प्रारंभ हुई थी उस समय श्रमिकों की उपलब्धता एक कठिन समस्या थी। अतः जिस प्रकार गांवों में महाजनों को कृषि में एक महत्वपुर्ण स्थान प्राप्त है और हम उसे समाप्त नहीं कर पाये हैं, ठीक यही बात इन मध्यस्थों के सन्दर्भ में भी लागू होती है। मध्यस्थों द्वारा भर्ती में जहां एक ओर इतने महत्वपूर्ण लाभ हैं, वहीं दूसरी ओर इनमें अनेक दोषों को भी देखा जा सकता है और इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है:-

(1) बागानों के लिए यह विधि बहुत मंहगी सिद्ध हुई है क्योंकि मध्यस्थ दूर-दूर प्रान्तों में जाकर ग्रामीण क्षेत्रों से श्रमिकों को लाते हैं जिनके लाने में भारी व्यय वहन करना पड़ता है और यह बागान मालिकों को ही प्रत्यक्षरूप से सहन करना पड़ता है और अन्तिम रूप में उपभोक्ता इसे वहन करते हैं।

(2) मध्यस्थ श्रमिकों को विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देकर, उन्हें ग्रामों में ही कूछ धनराषि अग्रिम रूप में देकर आते हैं, परन्तु बागान मालिकों से ली जाने वाली घनराषि का एक छोटा भाग ही इन श्रमिकों को दिया जाता है और शेष समस्त धनराषि इन मध्यस्थों की जेबों में चला जाता है।

(3) मध्यस्थ विषेषकर विवाहित श्रमिकों को ही लाने का प्रयास करते हैं जिसमे उनके बच्चों तथा औरतों को भी काम पर लगाये जाने में सुविधा हो सके, परन्तु विवाहित श्रमिक न मिलने से वे किसी भी व्यक्ति तथा स्त्री को अनुचित साधनों सेले आते हैं जो एक अनैतिक पक्ष का घोतक है।

(4) एक बेरोजगार श्रमिक इनकी प्रलोभनों में फंसकर एक बार काम पर आ जाता है, उसे वापस लौटने नहीं दिया जाता है।

(5) संगठित उधोगों में रोजगार प्राप्ति के लिए श्रमिकों को मध्यस्थों को रिष्वत देनी पड़ती है और बिना रिष्वत दिये उन्हें रोजगार मिल पाना कठिन होता है।

इनके अतिरिक्त उधोगों में कुषल श्रमिकों के स्थान पर अकुषल श्रमिकों की भर्ती हो जाती है। इसका उधोगों की उत्पादन क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति हेतु कभी-कभी तो मध्यस्थ सेवायोजकों और श्रमिकों के बीच संघर्ष उत्पन्न करा देते हैं।

इन मध्यस्थों के सम्बन्ध में शाही आयोग का मत है कि मध्यस्थों का पद अत्यन्त प्रलोभनीय है और मध्यम वर्ग इसका लाभ न उठाये यह आष्चर्य की बात होगी। समय-समय पर श्रमिकों को नषीले पदार्थों तथा अन्य उपकरणों द्वारा मध्यस्थों की खुषामद करनी पड़ती है।

उपंहार:

इस प्रकार स्पष्ट है कि इस विधि में लाभ कम और दोष अधिक है। यही कारण है कि वर्तमान समय में यह विधि लगभग समाप्त होने लगा है। श्रमिकों में भी धीरे-धीरे जागृति उत्पन्न हो रही है और अब वे षिक्षण और प्रषिक्षण प्राप्त कर स्वयं अपने व्यवसाय का चुनाव करने में सक्षम हैं। यही नहीं उनमें अब शोषण के प्रति प्रतिकार की भावना भी तीव्र हो चली है अतः इस प्रणाली के प्रति श्रमिकों निष्ठा पूर्ण रूप से डिग चुकी है।

संदर्भ:

1. डॉ॰ आर॰ के मुखर्जी-इण्डियन वर्किंग क्लास, पृष्ठ-9
2. रिपोर्ट ऑफ रायल कमीषन ऑन लेबर, पृ॰-120
3. उदीन इसन (1979) रोल ऑफ इम्पलॉयमेंट इक्सवेंज इन इंडिया, योजना एनुअल, जनवरी, 1979, पृष्ठ 73
4. रिंपोर्ट आफ दि कमीषन आन इण्टरनेषनल डेवलपमेण्ट-पार्टैन्र्स हन डेवलपमेंण्ट,पृ0-20
5. जितेन्द्र ढोलकिया: Unemployment and Employment Policy in India Sterling Publishers, New Delhi

भारतीय ज्ञान परंपरा और समकालीन नैतिक संकट: एक दार्शनिक विश्लेषण

डॉ. राजेश कुमार रत्नाकर
सहायक प्रोफेसर, दर्शनशास्त्र विभाग, गोपेश्वर कॉलेज, हथुआ, बिहार

सारांश

प्रस्तुत शोध-पत्र भारतीय ज्ञान परंपरा — जिसमें वेद, उपनिषद्, गीता, बौद्ध एवं जैन दर्शन सम्मिलित हैं — के मूलभूत नैतिक सिद्धांतों का विश्लेषण करते हुए यह जाँचने का प्रयास करता है कि क्या ये परंपराएँ आधुनिक विश्व के नैतिक संकट का समाधान प्रस्तुत कर सकती हैं। भारतीय दर्शन में 'ऋत', 'धर्म', 'अहिंसा', 'सत्य' और 'करुणा' जैसे मूल्य न केवल व्यक्तिगत नैतिकता बल्कि सामाजिक एवं पर्यावरणीय नैतिकता का भी आधार प्रस्तुत करते हैं। समकालीन युग में पर्यावरण विनाश, सामाजिक विखंडन, तकनीकी नैतिकता का संकट, एवं आत्मिक रिक्तता जैसी समस्याएँ वैश्विक स्तर पर गहरी चुनौतियाँ उत्पन्न कर रही हैं। इस शोध में तुलनात्मक दर्शनशास्त्र की पद्धति अपनाई गई है तथा पाश्चात्य नैतिक सिद्धांतों — यूटिलिटेरिअनिज़्म, डिओन्टोलॉजी और वर्चू एथिक्स — से भारतीय मत का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है।

मुख्य शब्द: *भारतीय दर्शन, नैतिक संकट, धर्म, तुलनात्मक दर्शनशास्त्र, पर्यावरण नैतिकता, वैश्वीकरण*

प्रस्तावना

इक्कीसवीं शताब्दी का मानव सभ्यता के इतिहास में एक विशिष्ट स्थान है — यह प्रगति और संकट का एक साथ साक्षी है। एक ओर जहाँ विज्ञान, प्रौद्योगिकी और चिकित्सा में अभूतपूर्व उन्नति हुई है, वहीं दूसरी ओर नैतिक मूल्यों का क्षरण, पर्यावरण का विनाश, सामाजिक असमानता और आत्मिक शून्यता मानव अस्तित्व के सामने गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े कर रहे हैं। ज़िगमुंट बाउमन **(Zygmunt Bauman)** ने इसे 'लिक्विड मॉडर्निटी' **(Liquid Modernity)** की संज्ञा दी, जिसमें स्थाई मूल्य और संस्थाएँ तरल होती जा रही हैं **(Bauman, 2000)।**

पाश्चात्य नैतिक दर्शन — चाहे वह कांट का कर्तव्य-नैतिकता हो, मिल का उपयोगितावाद हो या आधुनिक उदारवाद — इस संकट का समग्र समाधान देने में अपर्याप्त सिद्ध हुआ है। ऐसी परिस्थिति में भारतीय ज्ञान परंपरा की ओर दृष्टि फेरना न केवल प्रासंगिक है बल्कि अनिवार्य भी प्रतीत होता है। भारतीय परंपरा में 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' (सभी प्राणी सुखी हों) का सार्वभौमिक दृष्टिकोण, 'वसुधैव कुटुम्बकम्' (समस्त पृथ्वी एक परिवार है) का समग्रता-बोध और 'अहिंसा परमो धर्मः' का अनुशासन एक वैकल्पिक नैतिक दृष्टि प्रस्तुत करते हैं **(राधाकृष्णन, 1929)**।

प्रस्तुत शोध का उद्देश्य भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रमुख दार्शनिक स्रोतों का विश्लेषण कर यह स्थापित करना है कि वे समकालीन नैतिक संकट के संदर्भ में कितने सार्थक और उपयोगी हो सकते हैं। यह शोध-पत्र पाँच प्रमुख खंडों में विभाजित

है: (i) भारतीय ज्ञान परंपरा का परिचय, (ii) भारतीय दर्शन और पाश्चात्य नैतिकता का तुलनात्मक विश्लेषण (iii) समकालीन नैतिक संकट की पहचान, (iv) समाधान की संभावनाएँ, और (v) उपसंहार।

2. भारतीय ज्ञान परंपरा: स्वरूप एवं नैतिक आधार

2.1 वैदिक एवं उपनिषदिक नैतिकता

भारतीय ज्ञान परंपरा का मूल स्रोत वेद हैं, जो न केवल धार्मिक ग्रंथ हैं बल्कि एक समग्र जीवन-दृष्टि के वाहक हैं। ऋग्वेद में 'ऋत' की अवधारणा — जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था, सत्य और नैतिक नियम का प्रतीक है — नैतिकता को प्रकृति के साथ जोड़ती है **(गोंडा, 1960)**। ऋत का उल्लंघन न केवल व्यक्तिगत पाप है बल्कि ब्रह्मांडीय असंतुलन भी है।

उपनिषदों में 'आत्मन्' और 'ब्रह्म' की एकता की अवधारणा — 'अहं ब्रह्मास्मि' (मैं ब्रह्म हूँ) — एक क्रांतिकारी नैतिक दृष्टि प्रस्तुत करती है। यदि सभी प्राणियों में एक ही चेतना का प्रकाश है, तो दूसरे को कष्ट देना वस्तुतः स्वयं को कष्ट देना है। बृहदारण्यक उपनिषद् में याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी के संवाद में यह सिद्धांत स्पष्ट है: "आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः मन्तव्यः निदिध्यासितव्यः" — अर्थात् आत्मा को देखना, सुनना, विचारना और ध्यान करना चाहिए **(बृहदारण्यक उपनिषद् 4.5.6)**।

2.2 भगवद्गीता का नैतिक दर्शन

भगवद्गीता भारतीय नैतिक दर्शन का सर्वाधिक प्रभावशाली ग्रंथ है। इसमें कृष्ण द्वारा अर्जुन को प्रदत्त 'निष्काम कर्म' का सिद्धांत आधुनिक नैतिकता के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। गीता कहती है: "कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन" — अर्थात् कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, फल की इच्छा नहीं **(गीता 2.47)**। यह सिद्धांत परिणामवादी नैतिकता की सीमाओं को पार करता है और नैतिक कर्तव्य को फल की आसक्ति से मुक्त करता है। श्री अरविंद ने गीता की व्याख्या करते हुए लिखा है कि यह ग्रंथ व्यक्ति को 'दिव्य कर्मयोगी' बनाने का मार्ग दर्शाता है — जो समाज के लिए समर्पित हो, परंतु अहंकार से मुक्त हो **(अरविंद, 1928)**। आधुनिक प्रबंधन-शास्त्र में भी गीता के इस सिद्धांत की प्रासंगिकता पर व्यापक शोध हुआ है **(चक्रवर्ती, 1995)**।

2.3 बौद्ध दर्शन और करुणा-नैतिकता

गौतम बुद्ध का दर्शन करुणा (Compassion) और प्रज्ञा (Wisdom) के द्वंद्व पर आधारित है। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में 'सम्यक् दृष्टि', 'सम्यक् संकल्प', 'सम्यक् वाक्', 'सम्यक् कर्मान्त', 'सम्यक् आजीव', 'सम्यक् व्यायाम', 'सम्यक् स्मृति' और 'सम्यक् समाधि' — ये आठ मार्ग एक समग्र नैतिक जीवनशैली का निर्देश देते हैं **(धम्मपद, 1.1)**।

बौद्ध दर्शन में 'अनात्म' (अहंकार का अभाव) की अवधारणा आधुनिक उपभोक्तावादी संस्कृति के विरुद्ध एक शक्तिशाली नैतिक प्रतिरोध है। थिच नहत हान ने (अंतर्संबंधता) की अवधारणा से बौद्ध दर्शन को पर्यावरण नैतिकता से जोड़ा है: "हम अलग-अलग नहीं हैं; हम एक-दूसरे में और पृथ्वी में हैं" **(Hanh, 1988)**।

2.4 जैन दर्शन: अहिंसा और अनेकांतवाद

जैन दर्शन के दो स्तंभ — 'अहिंसा' और 'अनेकांतवाद' — आधुनिक नैतिक संकट के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक हैं। अहिंसा केवल शारीरिक हिंसा से परहेज नहीं है बल्कि मानसिक, वाचिक और कार्मिक हिंसा से भी बचाव है।

'अनेकांतवाद' — सत्य के बहुआयामी स्वरूप को स्वीकार करने का सिद्धांत — आज के धर्मांध और वैचारिक कट्टरपंथ के युग में सहिष्णुता का आदर्श प्रस्तुत करता है **(मातिलाल, 1981)**।

3. समकालीन नैतिक संकट: एक विहंगावलोकन

3.1 पर्यावरणीय नैतिक संकट

IPCC (2023) की रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक तापमान में **1.5°C** की वृद्धि से पहले ही पृथ्वी के अनेक पारिस्थितिक तंत्र अपूरणीय क्षति की ओर अग्रसर हैं। यह संकट मूलतः एक नैतिक संकट है — मानव की प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का प्रश्न। आधुनिक पश्चिमी विश्वदृष्टि में प्रकृति को संसाधन के रूप में देखने की प्रवृत्ति ने इस संकट को जन्म दिया है। इसके विपरीत, भारतीय परंपरा में प्रकृति को माता और देवी का स्थान प्राप्त है। अथर्ववेद की 'पृथ्वीसूक्त' में कहा गया है: "माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः" — अर्थात् भूमि मेरी माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ **(अथर्ववेद 12.1.12)**। यह दृष्टिकोण पर्यावरणीय नैतिकता की नींव रख सकता है।

3.2 तकनीकी नैतिकता का संकट

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी और साइबर-संसार ने नैतिकता के नए आयाम उत्पन्न किए हैं। निजता का अतिक्रमण, डेटा-शोषण, रोजगार का विस्थापन, और 'डीपफेक' जैसी समस्याएँ पुरानी नैतिक संहिताओं के लिए अपरिचित चुनौतियाँ हैं। युवल नोआ हरारी **(Harari, 2018)** ने चेतावनी दी है कि **AI** मानव इतिहास में सबसे बड़ा नैतिक संकट उत्पन्न कर सकता है क्योंकि यह मानवीय निर्णय-शक्ति को ही प्रश्नांकित करता है। भारतीय दर्शन में 'विवेक' (विवेकशील बुद्धि) और 'बुद्धि' (उच्चतर चेतना) की अवधारणाएँ तकनीकी नैतिकता में एक मार्गदर्शक ढाँचा प्रस्तुत कर सकती हैं — जहाँ प्रत्येक तकनीकी विकास को 'लोकसंग्रह' (सामाजिक कल्याण) की कसौटी पर परखा जाए।

3.3 सामाजिक विखंडन और पहचान-संकट

वैश्वीकरण ने एक ओर संस्कृतियों को जोड़ा है तो दूसरी ओर सांस्कृतिक अस्मिता के संघर्ष को भी जन्म दिया है। धार्मिक उग्रवाद, जाति-भेद, लैंगिक भेदभाव और राष्ट्रवादी कट्टरता सामाजिक नैतिकता के संकट के रूप सामने आए हैं। **(चार्ल्स टेलर, 1991)** ने इसे 'Authenticity का संकट' कहा है — जहाँ व्यक्ति अपनी वास्तविक नैतिक पहचान खो रहा है।

4. तुलनात्मक विश्लेषण: भारतीय और पाश्चात्य नैतिकता

4.1 धर्म बनाम ड्यूटी

कांट की डिओन्टोलॉजी में 'नैतिक कर्तव्य' तर्क-आधारित है और सार्वभौमिक सूत्र पर निर्भर है: "केवल उसी नियम के अनुसार कार्य करो जिसे तुम सार्वभौमिक नियम बनाना चाहते हो । यह दृष्टिकोण तार्किक और औपचारिक है परंतु भावनात्मक एवं सम्बंधात्मक आयामों की उपेक्षा करता है। भारतीय 'धर्म' की अवधारणा अधिक समग्र है। धर्म न केवल कर्तव्य है बल्कि 'स्वभाव', 'व्यवस्था' और 'ब्रह्मांडीय सत्य' का भी समावेश करता है। मनुस्मृति में धर्म के दस लक्षण बताए गए हैं: धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इन्द्रियनिग्रह, धी, विद्या, सत्य और अक्रोध **(मनुस्मृति 6.92)**। यह परिभाषा कांट की कर्तव्यनिष्ठा से अधिक व्यापक और समृद्ध है।

4.2 उपयोगितावाद बनाम लोकसंग्रह

जॉन स्टुअर्ट मिल का उपयोगितावाद कहता है: सर्वाधिक लोगों का सर्वाधिक सुख नैतिक लक्ष्य है **(Mill, 1863)**। परंतु इस सिद्धांत में अल्पसंख्यकों, भविष्य की पीढ़ियों और प्रकृति के हितों की उपेक्षा होती है। भगवद्गीता में 'लोकसंग्रह' की अवधारणा — समाज के सभी वर्गों का संग्रह और कल्याण — एक अधिक समावेशी नैतिक दृष्टि प्रस्तुत करती है। **गीता (3.20)** में कृष्ण कहते हैं: "लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि" — अर्थात् लोक-कल्याण की दृष्टि से भी तुम्हें कर्म करना चाहिए।

4.3 वर्चू एथिक्स और भारतीय 'गुण' सिद्धांत

अरस्तू की 'वर्चू एथिक्स' (Virtue Ethics) कहती है कि नैतिक जीवन का लक्ष्य (सुखी और समृद्ध जीवन) है, जो सद्गुणों के अभ्यास से प्राप्त होता है (Aristotle, 350 BCE)। यह भारतीय 'गुण' सिद्धांत से बहुत साम्य रखता है। भारतीय परंपरा में 'सत्त्व', 'रजस' और 'तमस' — ये तीन गुण न केवल व्यक्ति के स्वभाव को बल्कि उसकी नैतिक गुणवत्ता को भी परिभाषित करते हैं। सांख्य दर्शन में इनकी विस्तृत व्याख्या मिलती है (ईश्वरकृष्ण, सांख्यकारिका, ~350 CE)। अंतर यह है कि भारतीय परंपरा मोक्ष (Liberation) को अंतिम नैतिक लक्ष्य मानती है जबकि अरस्तू को।

5. भारतीय ज्ञान परंपरा से समाधान: सैद्धांतिक संभावनाएँ

5.1 पर्यावरण नैतिकता हेतु

भारतीय दर्शन में 'पञ्चभूत' (पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश) की अवधारणा पर्यावरणीय नैतिकता का आधार बन सकती है। 'पञ्चभूत' को नष्ट करना नैतिक अपराध है। वनस्पति में भी जीव की उपस्थिति — जो जैन दर्शन और आधुनिक विज्ञान दोनों स्वीकार करते हैं — हमें जैव-विविधता के संरक्षण के प्रति सचेत करती है। वंदना शिवा ने 'पृथ्वी लोकतंत्र' (Earth Democracy) की अवधारणा विकसित करते हुए भारतीय दर्शन को पर्यावरण-आंदोलन से जोड़ा है **(Shiva, 2005)**।

5.2 सामाजिक नैतिकता हेतु

'वसुधैव कुटुम्बकम्' की अवधारणा — जो महोपनिषद् और पंचतंत्र दोनों में मिलती है — सार्वभौमिक बंधुत्व का आदर्श प्रस्तुत करती है। यह संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार घोषणापत्र (1948) से भी पूर्व का है और उससे कहीं अधिक व्यापक है, क्योंकि यह केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है। डॉ. अम्बेडकर के जाति-विरोधी संघर्ष में बौद्ध दर्शन की 'समता' (Equality) की अवधारणा का उपयोग यह प्रमाणित करता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा स्वयं अपने भीतर के नैतिक संकटों का सामना करने में सक्षम है **(अम्बेडकर, 1956)**।

5.3 तकनीकी नैतिकता हेतु

भारतीय दर्शन में 'साधन-शुचिता' (साधनों की पवित्रता) का सिद्धांत — जिसे गाँधीजी ने आधुनिक रूप दिया — तकनीकी नैतिकता के लिए एक मूल्यवान ढाँचा है। गाँधी का कहना था: "साधन और साध्य दोनों पवित्र होने चाहिए" **(गाँधी, 1927)**। AI तकनीक के संदर्भ में यह सिद्धांत यह प्रश्न उठाता है: क्या AI के विकास के साधन — डेटा संग्रह,

एल्गोरिदम डिजाइन — नैतिक रूप से शुद्ध हैं?

5.4 व्यक्तिगत नैतिकता और मानसिक स्वास्थ्य

आधुनिक मानसिक स्वास्थ्य संकट — जिसमें अवसाद, चिंता और आत्महत्या की बढ़ती दरें शामिल हैं — के संदर्भ में भारतीय योग और ध्यान-परंपरा विश्वस्तर पर स्वीकृत हो रही है। **(WHO 2022)** के अनुसार, माइंडफुलनेस-बेस्ड थेरेपी जो बौद्ध विपश्यना पर आधारित है) अवसाद के उपचार में उतनी ही प्रभावी है जितनी दवाएँ। यह भारतीय ज्ञान की समकालीन प्रासंगिकता का सबसे ठोस प्रमाण है।

6. आलोचनात्मक दृष्टि: सीमाएँ और चुनौतियाँ

भारतीय ज्ञान परंपरा के उत्साहपूर्ण समर्थन के साथ-साथ एक आलोचनात्मक दृष्टि भी आवश्यक है। प्रथमतः, इस परंपरा में जाति-व्यवस्था, स्त्री-भेद और स्पृश्यता-अस्पृश्यता जैसी नैतिक विकृतियाँ भी अंतर्निहित रही हैं जिनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। डॉ. अम्बेडकर ने सही कहा था कि भारतीय परंपरा में 'धर्म' की आड़ में अनेक अन्यायों को संस्थाबद्ध किया गया **(Ambedkar, 1936)**। द्वितीयतः, भारतीय दर्शन के अनेक सिद्धांत ऐसे हैं जो आधुनिक लोकतांत्रिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तनाव में आते हैं। 'कर्मफल' और 'पुनर्जन्म' की अवधारणाएँ सामाजिक न्याय के आंदोलनों के साथ कभी-कभी असंगत प्रतीत होती हैं। तृतीयतः, भारतीय ज्ञान परंपरा का 'रोमांटीसाइजेशन' — जिसमें इसे एक निर्दोष, अपरिवर्तनीय और सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत किया जाता है — स्वयं एक वैचारिक संकट है। आवश्यकता है कि हम परंपरा का 'समालोचनात्मक पुनर्निर्माण' करें — वह दृष्टिकोण जो गाँधी, अरविंद, राधाकृष्णन और अम्बेडकर जैसे विचारकों ने अपनाया।

7. उपसंहार

भारतीय ज्ञान परंपरा समकालीन नैतिक संकट का 'जादुई समाधान' नहीं है। परंतु यह उन मूल्यों और दृष्टियों का भंडार है जो आधुनिक पश्चिमी नैतिक सिद्धांतों की कमियों की पूर्ति कर सकते हैं। आवश्यकता है एक 'नव-समन्वय' की — जहाँ भारतीय ज्ञान की गहराई और आधुनिक विज्ञान की सटीकता का संगम हो। 'ऋत', 'धर्म', 'अहिंसा', 'करुणा', 'अनेकांतवाद' और 'वसुधैव कुटुम्बकम्' — ये अवधारणाएँ न केवल भारतीय हैं बल्कि सार्वभौमिक नैतिक सत्य की अभिव्यक्ति हैं। समकालीन संकट का समाधान न तो पूर्ण पाश्चात्यीकरण में है और न ही अंध-परंपरावाद में। जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था: "भारत की आत्मा को पश्चिम के शरीर की आवश्यकता है और पश्चिम के शरीर को भारत की आत्मा की" **(विवेकानंद, 1893)**। अंत में, यह शोध-पत्र इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा, अपनी समग्रता, अंतर्संबंधता और आध्यात्मिक गहराई के कारण, एक वैकल्पिक और पूरक नैतिक ढाँचा प्रदान करने में सक्षम है — बशर्ते हम उसे आलोचनात्मक विवेक के साथ, न कि अंधभक्ति के साथ, अपनाएँ।

संदर्भ-सूची

1. अथर्ववेद (12.1.12). पृथ्वीसूक्त. सं. श्रीराम शर्मा आचार्य. अखिल विश्व गायत्री परिवार, मथुरा, 1992.
2. बृहदारण्यक उपनिषद् (4.5.6). सं. स्वामी माधवानंद. अद्वैत आश्रम, मायावती, 1934.
3. धम्मपद (1.1). अनुवाद: भिक्खु बोधि. बुद्धिस्ट पब्लिकेशन सोसायटी, कैंडी, 2000.

4. भगवद्गीता (2.47, 3.20). सं. स्वामी विवेकानंद. रामकृष्ण मठ, बेलुर, 1907. पुनर्मुद्रण: 2010.

5. मनुस्मृति (6.92). सं. जी. जा. बुहलर. मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, 1886. पुनर्मुद्रण: 1975.

6. ईश्वरकृष्ण. सांख्यकारिका. (~350 CE). अनुवाद: एस. एस. सुर्यनारायण शास्त्री. यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, 1935.

7. अम्बेडकर, भीमराव रामजी (1936). जाति का उच्छेद (Annihilation of Caste). स्वयं प्रकाशित, लाहौर. पुनर्मुद्रण: नवयान, दिल्ली, 2014.

8. अम्बेडकर, भीमराव रामजी (1956). बुद्ध और उनका धम्म. सिद्धार्थ महाविद्यालय, मुंबई.

9. अरविंद, श्री (1928). द भगवद्गीता विद ट्रांसलेशन एंड कमेंट्री. आर्य, पांडिचेरी. पुनर्मुद्रण: 2005.

10. गाँधी, मोहनदास करमचंद (1927). आत्मकथा: सत्य के प्रयोग. नवजीवन प्रकाशन, अहमदाबाद.

11. चक्रवर्ती, एस. के. (1995). मैनेजमेंट बाय वैल्यूज़: टुवर्ड्स कल्चरल कन्वर्जेंस. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, दिल्ली.

12. राधाकृष्णन, सर्वपल्ली (1929). भारतीय दर्शन (Indian Philosophy), खंड 1-2. जॉर्ज एलन एंड अनविन, लंदन.

13. विवेकानंद, स्वामी (1893). विश्व धर्म महासभा भाषण. शिकागो. पुनर्प्रकाशित: रामकृष्ण मठ, कोलकाता, 1994.

बौद्ध दर्शन के बोधिसत्व की अवधारणा: एक विश्लेषण

पूनम कुमारी
शोधार्थी, स्नातकोत्तर दर्शनशास्त्र विभाग, मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर, बिहार

बौद्ध दर्शन में बोधिसत्व की अवधारणा निःस्वार्थ, करूणा, प्रेम और परोपकार की भावना से युक्त एक आदर्श जीवन शैली प्रस्तुत करता है। महायान की सबसे बड़ी विशेषता बोधिसत्व की कल्पना है1। इसकी प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य है। यह चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत और मध्य एशिया आदि देशों में प्रचलित है। 'बोधसत्व' शब्द में बोधि का अर्थ है 'ज्ञान' महायान के अर्थ में: आध्यात्मिक ज्ञान, सत्य का ज्ञान2। बोधसत्व एक करूणामयी और एक जागृत आध्यात्मिक प्राणी है जो स्वयं की मुक्ति से पहले सभी दःुखी प्राणियों को मुक्त कराने का प्रण लेता है। महायान को बड़ी गाड़ी अथवा प्रशस्त मार्ग कहा जाता है3। क्योंकि इसके द्वारा निर्देशित मार्ग सभी सजीव प्राणियों की मुक्ति और कल्याण को सर्वोच्य लक्ष्य मानता है।

बौद्ध धर्म में बोधसत्व वह व्यक्ति होता है जिसने स्वयं और समस्त मनुष्यों के लिए ज्ञान प्राप्ति के मार्ग को समर्पित किया है। बोधसत्व हिंसा, लोभ और क्रोध जैसे नाकारात्मक इच्छाओं का त्याग करते है। बोधिसत्व के मार्ग में दस भूमि होते है जिसमें महायान की कुछ पारमिताएँ निम्नलिखित है जिनकी संक्षिप्त विवेचना आवश्यक है 4।

1. दान-पारमिता:-दूसरों के हित के लिए अपना स्वत्व छोड़ने का नाम है-'दान'। दान-पारमिता तीन बातों से सहमत है-पहला भौतिक वस्तुओं का दान जिसमें निस्वार्थ भाव से धन, भोजन, वस्त्र आदि वस्तुओं का दान शामिल है। दूसरा, अभय दान जिसमें दूसरे जीवों की रक्षा करना, उन्हें सुरक्षा प्रदान करना, जैसे पिंजरे में बंद पशुओं को आजाद करना। तीसरा धर्म का दान है , इसमें धर्म, शिक्षा ज्ञान है जो सबसे उत्तम दान माना जाता है।

2. शील पारमिता:- इसमें नैतिक और सदाचारी जीवन जीना। यह सिर्फ नियमों का पालन नहीं करता बल्कि मानसिक, शारीरिक स्तर पर अहिंसा और शुद्धता बनाए रखता है।

3. क्षान्ति पारमिता- क्षान्ति यानि क्षमा, सहनशीलता। दूसरों के अपमान और शारीरिक कष्टों को क्रोध या जलन के सहने की शक्ति।

4. वीर्य पारिमता:- वीर्य यानि उत्साह और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना।

5. ध्यान पारमिता:- मन को एकाग्र करना। मन को पूरी तरह से वश में किया जाए तो ध्यान पारमिता सिद्ध हो जाता है।

6. प्रज्ञा पारमिता:- यह सर्वोच्य पारमिता है। जब मन निर्मल हो जाता है तब प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। प्रज्ञा के बिना अन्य पाँच पारमिताएँ अंधे के समान मानी जाती है क्योंकि यही सही दिशा दिखाती है।

आगे चलकर जो चार अतिरिक्त पारमिताएँ जोड़ दी गई उनके नाम निम्नलिखित है।

7. उपाय पारमिता - जीवों को मुक्त करने के लिए उचित साधन खोजने की कला है।

8. परिधान पारमिता:- दृढ़ व्रत या प्रतिज्ञा

9. बल पारमिता:- अध्यात्मिक शक्ति

10. ज्ञान पारमिता:- सर्वोच्य ज्ञान

बोधिसत्व का उदाहरण अवलोकितेश्वर को करूणा का रक्षक और सबसे प्रसिद्ध बोधिसत्वों में से एक माना जाता है। महायान के बोधिसत्व हीनयान के अर्हत् पद से भिन्न है।5 महायान 'बोधसत्व' को आदर्श मानता है जो अपनी ही मुक्ति नहीं चाहता, वरन् दुःखी प्राणियों की मुक्ति के लिए भी चिन्तित रहता है।6

बोधिसत्व की अवधारणा को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें बौद्ध दर्शन के मूल सिद्धांतो एवं विचारों का अवलोकन करना आवश्यक है। बौद्ध दर्शन के मुख्य सिद्धांत निम्नवत है-

➢ चार आर्य सत्य:- यह बौद्ध धर्म के सार हैं एवं इसके बिना बौद्ध दर्शन की कल्पना संभव नहीं है।7

अब हम चार आर्य सत्यों पर अलग-अलग विचार करेंगे जो इस प्रकार है:-

1. सर्व दुःखम् - बुद्ध का प्रथम आर्य सत्य संसार दुःखमय है।8 जन्म से लेकर मृत्यु तक दुःख ही दुःख है। इनका सिद्धांत समाज और संस्कृति को वैराग्य, करूणा, अहिंसा पर बल देता है और जाति, भेदभाव का विरोध करते है। दुःख को दूर होने की सम्भावना तभी होता है जब हम दुख के कारण की खोज करते है।

2. दुःख समुदय:- बौद्ध दर्शन का द्वितीय आर्य सत्य है जो दुःख के कारण होता है।

इसे एक सिद्धांत के सहारे विश्लेषण किया है। उस सिद्धांत को संस्कृत में 'प्रतीत्यसमुत्पाद' कहा जाता है। पाली में इस सिद्धांत को परिच्यसमुत्पाद कहते है।9 प्रतीत्यसमुत्पाद हर घटना किसी कारण से ही उत्पन्न होती है, कर्म ही फल का कारण है इसे धर्म चक्र भी कहा जाता है क्योकि यह धर्म का स्थान ग्रहण करता है। बुद्ध ने स्वयं कहा है कि जो प्रतीत्यसमुदाय का ज्ञाता है वह धर्म का ज्ञाता है।10 प्रतीत्यसमुत्पाद की जो जीवन के चक्र को बारह कड़ियों द्वारा समझाया गया और यह भूत, वत्र्तमान और भविष्य जीवन व्याप्त है जो एक दूसरे पर निर्भर है। प्रतीत्यसमुत्पाद की सबसे बड़ी विशेषता हे जो जीवन के चक्र को बाहर कड़ियाँ द्वारा समझाया गया जो एक दुसरे पर निर्भर है।

1. अविद्या - संस्कार का कारण बुद्ध अविद्या को बतलाते है। यह चक्र की मूल जड़ है।

2. संस्कार - इच्छा से होने वाले कर्मो को दर्शाता है।

3. विज्ञान:- यह चेतना का अध्ययन करके दुःखो का अंत करता है।

4. नामरूप:- यह शरीर और मन को अलग नहीं कर सकता है।

5. षडायतन:- इसमें छह इन्द्रियों को अनुभव और ज्ञान प्राप्त करते है।

6. स्पर्श:- स्पर्श से वेदना उत्पन्न होता है।

7. वेदना:- वेदना में दुःख, सुख और तटस्थ का अनुभव होता है।

8. तृष्णा:- तृष्णा सांसारिक दुःखें का मूल कारण है, जो मनुष्य को जन्म- मृत्यु के चक्र में फसाकर निर्वाण की ओर ले जाता है।

9. उपादान:- यह मन की वह स्थिति है जो भौतिक विचारों को बांधे रखती है।

10. भवः - भव का अर्थ है जन्म ग्रहण करने की इच्छा।

11. जाति:- जाति का अर्थ है नए जीवन का उदय जो कर्म ज्ञान और गुणों पर आधारित है।

12. जरा-मरण:- बौद्ध दर्शन में जरा-मरण से मुक्ति पाने के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग को अपनाया।

3. दुःख निरोध:- दुःख का कारण समाप्त हो जाने पर दुःख का भी अंत हो जाएगा। दुःख निरोध को बुद्ध ने निर्वाण कहा है।'निर्वाण' को पालि में 'निब्बान' कहा जाता है।11 इसे जीवन का चरम लक्ष्य माना गया है।

4. दुःख-निरोध-मार्ग - यह चतुर्थ आर्य सत्य है, जिस पर चलकर दुःखो से छुटकारा पा सकते है। यह दुःख के अंत तक ले जाने वाला मार्ग है। यह अष्टांगिक मार्ग अपनाकर ही एक आदर्शसमाज का निर्माण हो सकता है। इस मार्ग के आठ अंग है जो इस प्रकार है -12

1. सम्यक् दृष्टि:- सम्यक् दृष्टि का अर्थ बुद्ध के चार आर्य सत्यों का यथार्थ ज्ञान है। सम्यक् दृष्टि अष्टांगिक मार्ग की प्रथम सीढ़ी है।

2. सम्यक् संकल्प - बौद्ध दर्शन में सम्यक् संकल्प को अष्टांगिक मार्ग का द्वितीय अंग है। इसमें वासनाओं और इच्छाओं के त्याग तथा क्रोध, घृणा, द्वेष एवं बैर-भावना के त्याग का संकल्प भी आवश्यक है। यह एक व्यवहारिक दर्शन है।

3. सम्यक् वाक् - झूठ, चूगली, कठोर वचनों और व्यर्थ की बातों का त्याग कर सत्य और मधूर वाणी बोलना ही सम्यक् वाक् है।

4. सम्यक् कर्म - अहिंसा, चोरी न करना और संयमित जीवन जीना।

5. सम्यक् आजीविका - ऐसा व्यवसाय या कार्य करना जो दूसरों के लिए अहितकारी न हो।

6. सम्यक् व्यायाम - मन में उत्पन्न होने वाले बुरे विचारो को रोकना और अच्छे विचारो को प्रोत्साहित करना।

7. सम्यक् स्मृति:- अपने शरीर, संवेदनाओं, मन और विचारों के प्रति जागरूक रहना।

8. सम्यक् समाधि:- मन को एकत्र करना और ध्यान के माध्यम से निर्वाण की अवस्था प्राप्त करना।

मध्यममार्ग:- इन आठ मार्गो को अपनाकर ही मध्यममार्ग का रास्ता अपनाया। यह न तो शरीर को पीड़ा देकर और नहीं विषयाभोग में लिप्त होकर सत्य की प्राप्ति कर सकते है। हमें बीच का रास्ता ही अपनाना चाहिए।

अनात्मवाद:- बौद्ध दर्शन के अनुसार कोई स्थायी 'स्व' या आत्मा नहीं है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदान्त मीमांसा और जैन दर्शन आत्मा को अजर-अमर अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, परन्तु बौद्ध और चार्वाक दो ऐसे दर्शन है जो आत्मा को स्वीकार नहीं करते है। ये अनात्मवादी और नैरात्मवादी विचारक हैं। 13 बुद्ध के मतानुसार पुर्नजन्म की व्याख्या की है जो कहा है कि एक आत्मा का दूसरे में प्रवेश करना नही है बल्कि एक आत्मा का समाप्त हो जाता है और

उसकी मृत्यु हो जाती है। एक नये शरीर में नये आत्मा का प्रादुर्भाव होता है। बुद्ध ने पुर्नजन्म की व्याख्या एक दीपक की ज्योति के सहारे की है जिस प्रकार एक दीपक से दूसरे दीपक को जलाया जा सकता है।14 इसी तरह दीपक और बाती द्वारा समझाया गया है कि एक व्यक्ति के मरने पर कोई आत्मा निकलकर दूसरे शरीर में प्रवेश नहीं करती बल्कि उसके कर्म और चेतना का प्रवाह ही पुर्नजन्म के लिए कारण बनते है। यहाँ नित्य-आत्मा के बिना पुनर्जन्म की व्याख्या सिद्ध हो जाता है।

अनित्यता:- संसार में सब कुछ परिर्वतनशील है। बौद्ध दर्शन में अनित्यता का अर्थ 'क्षणभंगुरता' या ''अस्थायित्व'' है। जैसे नदी पानी हर पल बदलता रहता है, वैसे ही जीवन भी एक प्रवाह है जो कुछ भी पैदा हुआ है, उसका अंत निश्चित है। कली का फूल बनना और फूल का मुरझाना भी निश्चित है। इसीलिए बुद्ध कहना चाहते थे कि हमें किसी के प्रति राग-मोह आदि नहीं रखना चाहिए क्योकि इनके नष्ट होने पर किसी तरह का दुःख नहीं होगा।15

बौद्ध दर्शन के बोधिसत्व धर्म और दर्शन के महायान शाखा का अंग है जिसका अर्थ होता है ''बोधसत्व का मार्ग'' या ''बोधिसत्व की अवस्था''। इसके अनुसार एक व्यक्ति के अध्यात्मिक विकास के एक उच्च स्तर को दर्शाती है जहाँ वह अपने स्वयं मोक्ष के लिए नहीं बल्कि सभी जीवों के मोक्ष को प्राप्त करवाके ही अपना मोक्ष प्राप्त करते हैं। बोधिसत्व के लिए बौद्ध धर्म एक जीवन जीने की कला है जो करूणा के साथ निःस्वार्थ सेवा को परम लक्ष्य मानती है। बौद्ध दर्शन के मुख्य विशेषता यह है कि जीवन का सर्वोच्च्य लक्ष्य केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं बल्कि सभी जीवों का कल्याण होना चाहिए जो करूणा प्रज्ञा और शील से एक आदर्श व्यक्ति कहलाता है जो सच्चा मोक्ष और दूसरो की भलाई में निहित है जो इस प्रकार है -

- करूणा:- बोधिसत्व की सबसे बड़ी विशेषता करूणा है जो सभी प्राणियों के दुःख को समझता है और उनका निवारण करने का प्रयास करता है। यह करूणा उसके जीवन और कार्यो में सर्वोपरि है।
- बुद्ध की ओर यात्रा - बोधिसत्व में स्वयं के लिए बुद्धत्व प्राप्त करने का लक्ष्य है लेकिन वह दूसरों की सहायता करने में भी तत्पर रहता है। उसका जीवन स्वार्थ से सेवा और उदारता का उदाहरण है।
- सहिष्णुता और धैर्य:- यह एक आदर्श मानवता का प्रतीक है। बोधिसत्व जीवन की कठिनाईयों विफलताओं और दूसरों त्रुटियों को धैर्यपूर्वक सहन करता है।
- प्रज्ञा:- बोधिसत्व केवल करूणा का अभ्यास नहीं करता बल्कि उसके पास गहरी प्रज्ञा भी होती है। यह संसार और जीवन की वास्तविकता को समझने में सहायता करता है।
- अंहिंसा और नैतिक जीवन:- उसका जीवन सदाचार अहिंसा, धर्मपालन से प्रेरित होता है, इसमें समानता और प्रेम की झलक दिखाई पड़ती है।

  महात्मा बुद्ध स्वयं निर्वाण के बाद 80 वर्ष घूम-घूमकर लोगों का दुःख दूर करने के लिए जगह-जगह भ्रमण करते है जो बोधसत्व का उदाहरण है। बुद्ध के जीवन यह दर्शाता है कि सर्वोच्च्य ज्ञान का मतलब केवल ध्यान करना नहीं बल्कि सक्रिय रूप से समाज में करूणा का प्रसार करना भी होता है।
- ज्ञान के बाद कर्म:- ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अगले 45 वर्ष (35 वर्ष की आयु से 80 वर्ष की आयु तक) आमलोगों के बीच जाकर चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया।

- करूणा का मार्ग:- उनका उद्देश्य दुःखी मानवता को तृष्णा और दुःखों से मुक्त कराना था। उन्होने जाति-भेद के बिना सभी को अपने उपदेश दिए जो बोधसत्व की निःस्वार्थ सेवा को दर्शाता है।
- बोधिसत्व का अर्थ:- बौद्ध धर्म (महायान) में बोधसत्व वह है जो स्वयं तो ज्ञान प्राप्त कर चुका है। (बुद्ध बनने योग्य है), लेकिन स्वयं को निर्वाण में विलीन करने के बजाय, अन्य प्राणियों को दुःखों से मुक्त कराने के लिए फिर से जन्म लेने या संसार में रूकने का विकल्प चुनता है।

उदाहरण- बुद्ध का जीवन यह दिखाता है कि सर्वोच्च ज्ञान का मतलब, केवल ध्यान केन्द्रित करना नहीं बल्कि सक्रिय रूप से समाज में करूणा का प्रसार करना भी है। यह निर्वाण की प्राप्ति के बाद भी संसार में मोक्ष प्राप्त नहीं किया बल्कि सभी जीवों के दुःख को दूर करने के लिए जन्म-जमांतर तक सेवा करने का संकल्प लिया।

- उन्होने धर्म प्रचार, सुख-दुःख में लोगों को सहायता और ध्यान एवं ज्ञान का प्रशिक्षण दिया।
- यह सम्पूर्ण मानवता के कल्याण का प्रतीक माना जाता है।
- उदाहरण के लिए महाकारूणिक बोधिसत्व ने अपने जीवन में सभी जीवों के दुःख को समझा और उन्हें दूर करने का संकल्प लिया।

बोधिसत्व का उदाहरण सच्चा ज्ञान और आत्म साक्षात्कार सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे के कल्याण के लिए भी होना चाहिए। बौद्ध दर्शन के बोधिसत्व से यह निष्कर्ष निकलता है कि यह अवधारणा आज के स्वार्थी और संधर्षपूर्ण जीवन में सामाजिक उत्तरदायित्व और सहानुभूति का सबसे सशक्त संदेश है। यह हमें सिखाती है कि:-

- दुःख को समझना:- दुःखों से भागने के बजाय उन्हें समझना और कम करना चाहिए।
- निस्थार्थता:- अपनी सफलताओं और शक्तियों का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए ही करना असली ज्ञान है।
- धैर्य और करूणा:- कठिन परिस्थितियों में भी दूसरों के प्रति अपमान या घृणा न रखकर प्रेम, क्षमा को अपनाना चाहिए।

बोधिसत्व की अवधारणा बौद्ध धर्म को एक व्यक्तिगत मोक्ष मार्ग से बदलकर एक सामाजिक और करूणामय धर्म में बदल देती है जहाँ स्वयं से पहले दूसरों का कल्याण प्राथमिकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. प्रो0 हरेन्द्र प्रसाद सिन्हा, भारतीय दर्शन की रूपरेखा, मोतीलाल बनारसी दास पटना 1963, पृष्ठ-138
2. दार्शनिक त्रैमासिक, वर्ष-69, अंक-3, जुलाई-सितम्बर-2023
3. प्रो0 हरेन्द्र प्रसाद सिन्हा, भारतीय दर्शन की रूपरेखा बनारसी दास, पटना 1963, पृष्ठ सं0-138
4. दार्शनिक त्रैमासिक वर्ष-69, अंक-3, जुलाई-सिम्बर-2023
5. प्रो0 हरेन्द्र प्रसाद सिन्हा, भारतीय दर्शन की रूपरेखा बनारसी दास, पटना 1963, पृष्ठ सं0-139
6. डॉ0 शोभा निगम, भारतीय दर्शन, मोतीलाल बनारसी दास पटना, 1988, पृष्ठ -102
7. प्रो0 हरेन्द्र प्रसाद सिन्हा, भारतीय दर्शन की रूपरेखा बनारसी दास, पटना 1963, पृष्ठ सं0-107

8. प्रो0 हरेन्द्र प्रसाद सिन्हा, भारतीय दर्शन की रूपरेखा बनारसी दास, पटना 1963, पृष्ठ सं0-108
9. प्रो0 हरेन्द्र प्रसाद सिन्हा, भारतीय दर्शन की रूपरेखा बनारसी दास, पटना 1963, पृष्ठ सं0-110
10. प्रो0 हरेन्द्र प्रसाद सिन्हा, भारतीय दर्शन की रूपरेखा बनारसी दास, पटना 1963, पृष्ठ सं0-112
11. प्रो0 हरेन्द्र प्रसाद सिन्हा, भारतीय दर्शन की रूपरेखा बनारसी दास, पटना 1963, पृष्ठ सं0-114
12. चन्द्र शर्मा - क्रिटिकल सर्वे ऑफ इंडियन फिलॉसफी मोतीलाल बनारसी दास, दिल्ली 2016, पृष्ठ-72
13. डॉ0 शोभा निगम, भारतीय दर्शन, मोतीलाल बनारसी दास पटना, 1988, पृष्ठ सं0-118
14. प्रो0 हरेन्द्र प्रसाद सिन्हा, भारतीय दर्शन की रूपरेखा बनारसी दास, पटना 1963, पृष्ठ सं0-124
15. डॉ0 शोभा निगम, भारतीय दर्शन, मोतीलाल बनारसी दास पटना, 1988, पृष्ठ सं0-116

भारतीय ज्ञान प्रणाली में योग का स्थान एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसका महत्व

सिन्धुजा
शोध छात्रा-शिक्षाशास्त्र, म.गाँ.चि.ग्रा.वि.चित्रकूट, जिला-सतना (म.प्र.)

सारांश

भारतीय ज्ञान प्रणाली का निर्माण एक विशेष उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किया गया था, जो कि मुख्यतः मानव व्यक्तित्व के उत्कृष्ट विकास हेतु किया था। भारतीय ज्ञान प्रणाली मानव को वास्तविकता तथा भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत को जानने हेतु प्रेरणा प्रदान करती है। हमारी भारतीय ज्ञान प्रणाली में योग अत्यंत गहनता से समाहित है। योग एक ऐसा अनुशासन है, जो कि शरीर मन तथा आत्मा को एकीकृत करता है। योग भारतीय दर्शनों में से एक है, जोकि आत्म साक्षात्कार, आन्तरिक सद्भाव तथा सम्पूर्ण स्वास्थ्य पर प्रकाश डालता है। वेद, उपनिषद, गीता तथा पतंजलि द्वारा रचित 'योग सूत्र' जैसे प्राचीन भारतीय ग्रन्थों से प्रभावित हो करके योग आसन के माध्यम से शरीर को, प्राणायाम के माध्यम से सांस को तथा धारणा व ध्यान के माध्यम से मन को संतुलित करता है। इस शोध पत्र के माध्यम से भारतीय ज्ञान प्रणाली में योग शिक्षा का अध्ययन करने के साथ-साथ इसके दर्शनिक आधार वैज्ञानिक प्रासंगिकता व्यक्तिगत लाभ तथा सामाजिक कल्याण पर योग शिक्षा की भूमिका को समझेंगे। योग नैतिक जीवन माइंडफुलनेश एवं आत्म जागरुकता को बढ़ाने के साथ-साथ पारम्परिक ज्ञान तथा आधुनिक जीवन शैली के मध्य एक सेतु का कार्य करता है। वर्तमतान में संपूर्ण विश्व योग की महत्ता को स्वीकार कर रहा है। 11 दिसम्बर, 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित करना इसी बात का प्रतीक है।

भारतीय ज्ञान प्रणाली सम्पूर्ण व्यक्तित्व विकास पर जोर देती है तथा योग व्यक्ति की सम्पूर्णता की बात करता है। यह शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ मानसिक स्वच्छता भावनात्मक स्थिरता, नैतिक मूल्य तथा चेतना के उच्च स्तर को प्राप्त करने में सहायक है। प्राचीनकालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में शिक्षक चरित्रवान, नैतिक, अनुकरणीय तथा सम्माननीय होते थे। तत्कालीन छात्र भी आज्ञाकारी ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले, सहनशील सादा जीवन जीने वाले तथा त्यागी होते थे इसका कारण शिक्षा में किसी न किसी रूप में योग का शमिल होना था।

योग जीवन की विभिन्न प्रतिकूल परिस्थितियों में स्वयं को भली-भांति सम्भालने तथा जीवन में द्वंदों का सामना करने में भी सहायक है। जैसे-जैसे समय में परिवर्तन होता है वैसे-वैसे जीवन शैली तथा जीवन की समस्याओं में परिवर्तन होता है। इस तकनीकी युग में मानव कई समस्याओं के साथ अवसाद से ग्रसित है। योग शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति स्व जीवन मे शांति एवं पूर्णता को प्राप्त कर सकता है।

प्रस्तावना:

भारतीय ज्ञान प्रणाली एक सर्वांगीण दृष्टिकोण अपनाती है, जोकि शरीर, मन तथा आत्मा के एकीकरण पर जोर देती है। योग भारतीय ज्ञान प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। योग मात्र एक व्यायाम प्रणाली नहीं है। अपितु योग जीवन को जीने की कला है, एक दर्शन है तथा एक आध्यात्मिक अभ्यास है। हमारे भारतीय विद्वानों तथा मनीषियों ने योग को आत्म उन्नति एवं चित्त वृत्तियों की निरोध के ज्ञान के रूप में इसे स्वीकार कर विकसित किया है।

पातंजलि के अनुसार - ''योगः चित्तवृत्ति निरोधः।

भारतीय दर्शन द्वारा मानव को उसके वास्तविक स्वरूप का दर्शन करने हेतु प्रेरित करता है ''सा विद्या सा विमुक्तये'' एंव ''या अमृतं तु विद्या श्वेत'' से आशय यही है कि विद्या अथवा ज्ञान वही है, जिससे मुक्ति की प्राप्ति हो अथवा जिससे अपने अमृत स्वरूप का बोध हो।

अधिकांशतः योग का मात्र क्रियात्मक पहलू ही पढ़ा व समझा जाता है। यह धारणा ऐसे ही है, जिस प्रकार प्राणों के बिना शरीर हो। इस संकुचित एक पक्षीय धारणा से योग के पीछे जुड़ा हुआ वास्तविक भाव उपेक्षित हो जाता है। अतः इसके सभी पक्षों के ज्ञान हेतु पतंजलि के योग के समग्र रूप से परिचित होना आवश्यक है।

प्रस्तुत शोध की आवश्यकता तथा उद्देश्य:

- भारतीय ज्ञान प्रणाली में योग के वास्तविक अर्थ तथा भूमिका को जानना।
- योग शिक्षा के शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक आयामों का विश्लेषण करना।
- वर्तमान में योग शिक्षा के वैश्विक प्रभाव का अध्ययन।
- योग को शिक्षा में मूल्य आधारित सम्पूर्ण शिक्षा के रूप स्वीकार कराना।

भारतीय ज्ञान प्रणाली

भारतीय ज्ञान प्रणाली एक परम्परागत बौद्धिक परम्परा है, जिसमें वेद, उपनिषद, योग, आयुर्वेद, वास्तुज्ञान, ज्योतिष, संगीत तथा नाट्यशास्त्र आदि समाहित हैं। वैदिक तथा उत्तर वैदिक साहित्य में वर्णित ज्ञान अनन्त है। इसमें इतिहास, भूगोल, खगोलशास्त्र नीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान तथा दर्शन, कला आदि विभिन्न विषयों को समाहित किया गया है।

भारतीय ज्ञान प्रणाली हजारों वर्षो में विकसित हो पाई है। इसका व्यवहारिक रूप से परीक्षण, सत्यापन तथा सुधार किया गया। परिणामतः भारतीय ज्ञान प्रणाली 'सर्वजन हिताय' को लेकर चलती है।

''सर्वेभवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः।'' वसुधैव कुटुम्बकम्

एकमस्त विप्रवबहुधावदन्ति, कृण्वन्तेविश्वनार्थ। जैसी भावनाओं चलती है। यह प्रणाली मात्र मानव ही नहीं अपितु प्रकृति तथा समग्र अस्तित्व की गहरी समझ पर आधारित है। भारतीय ज्ञान प्रणाली एक ऐसी व्यवस्थित प्रणाली है, जो कि मानव अस्तित्व के सभी पहलुओं पर सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने हेतु उचित ज्ञान, समझ तथा स्पष्टता को निश्चित करती है।

* *First Author, **Corresponding Author, ***Co-Author*

योग शिक्षा की अवधारणा:

योग का शब्दिक अर्थ है जोड़ना। वर्तमान परिदृश्य में भारत के साथ-साथ विश्व में योग को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। योग के द्वारा सम्पूर्ण विश्व के कल्याण की कामना की जा सकती है। योग कई प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति में भी सहायक है। माना जाता है कि जब से सभ्यता का आरम्भ हुआ तभी से योग प्रचलन में है। मान्यता है कि योग का जन्म काफी समय पूर्व से ही है। शिव को योग विद्या में 'आदि योगी' और 'आदि गुरू' माना गया है। भगवान शिव के पश्चात् वैदिक ऋषि, मुनि, कृष्ण तथा महावीर तथा बुद्ध ने योग का विस्तार किया। सिद्धपंथ, नाथपंथ, शैवपंथ, वैष्णव पंथ तथा शक्ति पंथियों ने अपने-अपने ढंग से अलग-अलग विस्तार किया। योग ही है जो कि सार्वभौमिक चेतना का मिलन व्यक्तिगत चेतना से करवाता है। जिससे मन तथा शरीर, व्यक्ति तथा प्रकृति के मध्य एक तालमेल स्थापित होता है।

योग शिक्षा का विकास:

वैदिक काल से योग शिक्षा की उत्पत्ति मानी जाती है। योग के अध्याय का वर्णन ऋग्वेद एवं उपनिषदों में मिलता है। योग का मूल वेदों को माना जाता है। ध्यान, तप, तथा समाधि के संकेत ऋग्वेद में मिलते हैं। श्रीमद्भगवद्गीता तथा अन्य भारतीय ग्रन्थों में योग को वर्णित किया गया है। जैसे-

''योगस्यः कुरुकर्माणिः संग त्यक्त्वा धनंजय।
सिद्धसिद्धयोः समोभूत्वासमत्वं योग उच्यते।।''(श्रीमद्भगद्गीता 02/48)

अर्थात् आसक्ति का त्याग करके, सुख-दुःख, मान, अपमान तथा सिद्धि-असिद्धि आदि विरोधी भावों के समान रहने को ही योग कहते हैं। अतः न सुख में अधिक प्रशन्न होना तथा न तो दुःख में अधिक दुखी होना ही योगी व्यक्ति के लक्षण होते हैं।

''तं विद्यादुखंसंयोग वियोग योग संज्ञितम्।
स निश्चयेनयोगतत्योयोगोऽनिर्विण्णचेतसा।।''(श्रीमद्भगद्गीता 06/23)

अर्थात् मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ विचलित न हो यानि कि जो दुःख रूपी संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है उसको समझना चाहिए।

कैवल्य उपनिषद में कहा गया है-
''श्रद्धाभक्ति ध्यान योगादवेहि।''

तात्पर्य है कि श्रद्धा, भक्ति, ध्यान के माध्यम से आत्मा का परम ज्ञान प्राप्त करना ही योग है।

सांख्य दर्शन ने कहा कि-

''पुंप्रकृत्योर्वषयोगेऽपि योग इत्यन्मधीयते।''

यानि कि पुरुष का प्रकृति से वियोग ही योग है। उपर्युक्त दिये मत प्राचीन भारतीय ज्ञान प्रणाली में योग के स्थान तथा महत्व को वर्णित करते हैं।

योग शिक्षा:

जीवन को सार्थक बनाने वाले उत्तम साधनों में से योग एक साधन है। योग शिक्षा व्यक्ति को सभी प्रकार के आवरणों को हटाते हुये विभिन्न विक्षेपों से मुक्त करके उसके अन्तःकरण को शुद्ध करती है।

योग शिक्षा शरीर को सुडौल मन को नियंत्रित एवं आत्मा को प्रकाशित करती है। पातंजलि का योग संयमित जीवन पद्धति पर प्रकाश डालता है। जीवन जीने की कला शिक्षा सिखाती है। योग का शिक्षा में दिन-प्रतिदिन महत्व बढ़ता जा रहा है। योग के अष्टांग आलस्य त्याग, आत्मबल में विस्तार, भय व संशय से मुक्ति, उत्साह में वृद्धि, स्वास्थ्य में लाभ, बौद्धिक विकास तथा आध्यात्मिक उन्नति में लाभदायक है।

शिक्षा मानव जीवन के निर्माण का आधार है। व्यक्ति को जैसी शिक्षा मिलेगी वैसा ही उसके जीवन का दृष्टिकोण भी विकसित होगा। बालक का सर्वांगीण विकास शिक्षा के माध्यम से ही सम्भव है। ''वसुधैव कुटुम्बकम'' की शिक्षा देने वाली भारतीय आध्यात्मिक शिक्षा ने सम्पूर्ण विश्व को समानता, स्वतन्त्रता एवं भाईचारे का ज्ञान प्रदान किया। पतंजलि ने अपने योग में चार पादों समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद एवं कैवल्यपाद में सम्पूर्ण जीवन शैली का चिंतन किया है।

भारतीय ज्ञान प्रणाली में योग शिक्षा के सभी पक्षों को पूर्णता प्रदान करता है। मनीषियों, योगियों एवं विद्वानों ने योग के शैक्षिक महत्व को स्वीकार किया है।

शिक्षा और योग का समन्वय:

योग में अन्तर्निहित शिक्षा के सिद्धांतों के आधार पर छात्रों के सर्वांगीण विकास के सभी पक्षों शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास में योग एवं शिक्षा का समन्वय निम्न दृष्टिकोणों के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं-

शारीरिक महत्व-योगासनों के नियमित अभ्यास के माध्यम से शरीर के जोड़, मेरूदण्ड स्वस्थ लचीले होने के साथ-साथ सक्रिय होते हैं। ग्रन्थियों के मूल स्थान की सूक्ष्म आन्तरिक मालिश होती हैं, जो कि शरीर समस्याओं को दूर करने के साथ शरीर के अंगों तथा अन्य प्रणालियों के मध्य स्वस्थ संतुलन बनाता है। विभिन्न हार्मोन्सों के स्रावों में संतुलन होता है। प्राणायाम फेफड़ों को स्वस्थ रखते हैं तथा फेफड़ों को शुद्ध प्राण वायु प्राप्त होती है। प्राणायाम के नियमित अभ्यास करने से उपलब्ध भावनात्मक स्थिरता, सृजनात्मक भावनात्मक ऊर्जा को मुक्त करती है इससे छात्रों में आत्मविश्वास, स्वनियंत्रण एवं स्वचेतना का अच्छा विकास सम्भव है। प्राणायाम मस्तिष्क एवं भावनाओं पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। प्राणायाम श्वांस क्रिया को नियंत्रित करने, ब्लड प्रेशर तथा हृदय की गति को स्वाभाविक बनता है।

शरीर के वांछनीय अवयवों तथा प्रणालियों को पूर्णतः स्वच्छ करने में योग सहायक है। रक्त नलिकाओं एवं कोशिकाओं की स्वच्छता से लेकर श्वांस एवं पाचन तंत्रों की आन्तरिक स्वच्छता एवं हानिकारक द्रव्यों को बाहर निष्कासित करने में योग लाभदायक है। योग शरीर की थकान को दूर करने, शरीर को शक्ति प्राप्त करने तथा निरोगी होकर स्वस्थ तथा लम्बी आयु हेतु महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करता है।

मानसिक महत्व:

योग के माध्यम से शरीर ही स्वस्थ्य नही होता अपितु मन भी स्वस्थ होता है। इसके अलावा मानसिक शक्तियों के उचित पोषण तथा विकास हेतु उपयुक्त चेतना एवं शक्ति भी प्राप्त होती है। योग के माध्यम से चित्त की वृत्तियों तथा मन

की चंचलता को नियंत्रित किया जा सकता है। ध्यान तथा धारणा मन की एकाग्रता ध्यान में स्थिरता तथा शांत बनाने हेतु सहायक है। इससे चरित्र, मन की शांति, गम्भीरता एवं मानव की आन्तरिक शुद्धता की अभिव्यक्ति होती है। नियमित योगाभ्यास करने से स्मरण शक्ति में वृद्धि, स्वभाव में शालीनता तथा गम्भीरता होती है।

नैतिक महत्व:

योगाभ्यास से व्यक्ति इन्द्रियों को वश में कर नियंत्रति कर सकने में सक्षम होता है, जिसके परिणामस्वरूप व्यक्ति भोग विलास जनित इन्द्रियों के वशीभूत नहीं होता बल्कि इन्द्रियों को अपने वश में करके उनका स्वामी बनता है और इस प्रकार चार तन्मात्राओं रूप, रस, गन्ध, स्पर्श से दूर रखपकर उसे पथ भ्रष्ट होने से बचाने में योगाभ्यास सहायक है। योग से व्यक्ति का भोजन तथा आदतें सात्विक तथा नियंत्रित होती है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति के आचार-विचार में सादगी, सात्विकता तथा अच्छाइयों होती है।

योग व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के नशा, तामसी भोजन, ईर्ष्या, क्रोध, घृणा तथा वैमनस्यता से दूर रखता है, क्योंकि नियमित योगाभ्यास करने से व्यक्ति संवेगों पर नियंत्रण और भावनात्मक संतुलन स्थापित करने में सक्षम होता है। यम, नियम, धारणा तथा ध्यान व्यक्ति में नैतिकता सम्बंधी सद्विचारों एवं आदतों का निर्माण करते हैं। योग व्यक्ति में सत्यवादिता, मृदुभाषिता, समय का सदुपयोग, ईमानदारी, सहिष्णुता, शान्तिप्रियता, दया, सहानुभूति पे्रम तथा आपसी सौहार्द्र जैसे समस्त नैतिक मूल्यों को स्थापित करने में सहायक होता है।

सामाजिक महत्व:

योग केवल वैयक्तिक ही नहीं बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी लाभदायक है। व्यक्तियों के मिलने से समाज बनता है, जिस प्रकार के व्यक्ति होंगे वैसा ही समाज होगा। योग करने वाले व्यक्ति एक अच्छे तथा स्वस्थ समाज का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के समाज में झूठ, छल, कपट, धोखाधड़ी नशा, मद्यपान, रिश्वतखोरी, कालाबाजारी हिंसा तथा मारकाट जैसे इन्द्रिय जतिन अपराधों में कमी रहती है, क्योंकि योगाभ्यास से सात्विक गुणों का विकास होने से उसमें सामाजिक मनोविकार नहीं आ पाते हैं।

वर्तमान में सभी ओर ईर्ष्या, द्वेष, कलह, शत्रुता तथा घृणा का वातावरण है। भौतिक सुखों तथा स्वार्थवश मानव मानवीय गुणों तथा सामाजिक मान्यताओं को भूल रहा है ऐसी विषम स्थिति में योग के द्वारा ही समाज में पे्रम, सहयोग तथा शान्ति को बढ़ाकर एक सुखी तथा आनन्दमय समाज का निर्माण हो सकता है।

आध्यात्मिक महत्व: योग के माध्यम से व्यक्ति शरीर तथा मन से कहीं अधिक आध्यात्मिक लाभ मिलता है। योग से व्यक्ति में आलौकिक शक्तियों को जागृत तथा पहचानने का प्रयास करता है। स्वयं के समान अन्य सभी जीवों में भी आत्मा है सभी प्राणी एक समान है। जीवन का अन्तिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है समस्त सृष्टि में ईश्वर का वास है सभी में परमब्रम्ह विराजमान है समस्त प्राणियों में ईश्वर को देखना, सभी के प्रति पे्रम व आदर की भावना रखना योग के माध्यम से व्यक्ति कर सकने में सक्षम होता है।

आध्यात्मिक विकास से आशय अन्तरात्मा के विकास से है। जब व्यक्ति की आत्मा को ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित करता है तब ज्ञाता एवं श्रेय के मध्य की दूरी समाप्त हो जाती है तथा होने वाला विकास आध्यात्मिक विकास कहलाता है। आध्यात्मिक विकास के लिए धारणा, ध्यान तथा समाधि द्वारा होता है और आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है।

भारतीय ज्ञान प्रणाली में योग की स्थिति:

यदि हम प्राचीन भारतीय ज्ञान प्रणाली पर दृष्टि डाले तो उस समय गुरुकुलों में योग की शिक्षा अनिवार्य थी। छात्र वेद, गणित, व्याकरण आदि विषयों के अध्ययन करने के साथ-साथ शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक विकास, स्वास्थ्य तथा शुद्धि हेतु योग भी करते थे पतंजलि द्वारा रचित ग्रन्थ योग वशिष्ठ, भगवद्गीता तथा उपनिषदों में योग की शिक्षा समाहित थी।

वर्तमान में योग को पुनः अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकारा जा रहा है। क्योंकि विज्ञान तथा तकनीकी के बढते प्रभाव, अशुद्ध वायु, बढ़ते प्रदूषण तथा अन्य कारणों से व्यक्ति को अवसाद, माइग्रेन, तनाव आदि की समस्याओं हो रही है तथा योग इन सभी बीमारियों से मुक्ति का सर्वोत्तम माध्यम है।

शिक्षा में योग से होने वाले लाभ

योग को शिक्षा में समाहित करने के वैसे तो कई लाभ हैं किंतु कुछ प्रमुख लाभ अग्रलिखित हैं-

1. योग छात्रों में अवसाद, तनाव एवं क्रोध पर नियंत्रण करने में सहायक है।
2. योग अनुशासन, आत्मनियंत्रण तथा एकाग्रता में वृद्धि करता है।
3. योग से मूल्यपरक शिक्षा का संवर्धन होता है।
4. योग शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ मानसिक तथा नैतिक स्वास्थ्य की स्थापना करने में सहायक है।

निष्कर्ष:

योग का भारतीय ज्ञान प्रणाली में महत्वपूर्ण स्थान है। योग एक विकसित विज्ञान है। यह मात्र एक शारीरिक व्यायाम नहीं है अपितु यह सम्पूर्ण जीवन में अपनाने योग्य एक पद्धति है, जोकि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की नींव है।

वर्तमान के आधुनिक तकनीकी युग में व्यक्ति के समग्र विकास को उपेक्षित नहीं करना चाहिए। भारतीय शिक्षा की प्रथम आवश्यकता समाज में शांति, सौहार्द तथा भाईचारे को स्थापित करना है। व्यक्ति मानसिक तनाव, भय, द्वंद्व, हीनभावना एवं मानसिक विकारों से ग्रसित हैं, कभी-कभी मानसिक तनाव तथा द्वंद्व इतना विकराल ले लेते हैं कि व्यक्ति आत्महत्या तक कर लेता है। ऐसी आत्महत्या वाली घटनाएं छात्रों के साथ भी घटित हो रही है। वर्तमान में प्रतियोगिता बढ़ रही है प्रतियोगिता की अंधी दौड़ में वही सफल हो सकता है, जिसके अंदर संघर्ष करने की क्षमता हो। अतः विद्यार्थियों को शारीरिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक तथा आध्यात्मिक मजबूती प्रदान करने हेतु पाठ्यक्रम में यो के सैद्धान्तिक और व्यवहारिक ज्ञान को शामिल करना आवश्यक है, जिससे छात्र संतुलित, अनुशासित तथा जागरुक बन सके। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में योग को समावेश करना छात्रों के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम बन सकता है।

संदर्भ:

1. श्रीमद्भगवद गीता (2020) गीता प्रेस गोरखपुर (उ.प्र.)
2. पातंजलि योग सूत्र
3. तैत्तरीय उपनिषद

4. स्वामी विवेकानन्द, राजयोग
5. डॉ. हषवर्धन 2020 'भारतीय ज्ञान परम्परा और योग विज्ञान' कैवल्य उपनिषद।
6. पं. विवेक श्री कौशिक (2017) 'सम्पूर्ण योग शास्त्र', पवन पब्लिकेशन, दिल्ली

भारत में अनुसूचित जाति आरक्षण नीति: उपलब्धियाँ, चुनौतियाँ और भविष्य की दिशाएँ

सुधीर कुमार
(यूजीसी-नेट उत्तीर्ण) शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, बी. आर. अंबेडकर विश्वविद्यालय, मुज़फ्फरपुर

सारांश

आरक्षण नीति भारतीय संविधान की एक मूलभूत व्यवस्था है, जिसका उद्देश्य सदियों से वंचित अनुसूचित जाति (SC) समुदायों को मुख्यधारा में लाना है। यह शोध पत्र 1950 से 2024 तक SC आरक्षण नीति की यात्रा का समग्र विश्लेषण करता है इसकी संवैधानिक नींव, सात दशकों की उपलब्धियाँ, विद्यमान चुनौतियाँ, न्यायिक विकास, और भविष्य की संभावनाएँ। शोध दर्शाता है कि आरक्षण ने SC समुदाय में शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति दिलाई है, किंतु सामाजिक भेदभाव, क्रीमी लेयर विवाद और नीति क्रियान्वयन में कमियाँ इसकी प्रभावशीलता को सीमित करती हैं।

***मुख्य शब्द**: अनुसूचित जाति, आरक्षण नीति, सामाजिक न्याय, सकारात्मक विभेद, संवैधानिक प्रावधान, दलित सशक्तिकरण, क्रीमी लेयर*

1. प्रस्तावना

भारतीय समाज में जाति-आधारित असमानता एक ऐतिहासिक वास्तविकता है। सहस्राब्दियों की वर्ण-व्यवस्था ने अनुसूचित जातियों को शिक्षा, भूमि, व्यवसाय और सामाजिक सम्मान से वंचित रखा। इसी गहरी असमानता को दूर करने के लिए डॉ. भीमराव आंबेडकर के नेतृत्व में बनाए गए भारतीय संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई (Ambedkar, 1979)।

आरक्षण नीति को अंग्रेजी में 'Affirmative Action' या 'Positive Discrimination' कहा जाता है। इसका सैद्धांतिक आधार यह है कि सदियों के भेदभाव से पीड़ित वर्गों को विशेष अवसर देकर ही वास्तविक समानता स्थापित की जा सकती है। जस्टिस के. जी. बालकृष्णन (2008) के अनुसार आरक्षण केवल 'सहानुभूति' नहीं, बल्कि 'संवैधानिक दायित्व' है।

यह शोध पत्र SC आरक्षण नीति का बहुआयामी विश्लेषण करता है — इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संवैधानिक आधार, उपलब्धियों का मूल्यांकन, विद्यमान चुनौतियाँ, प्रमुख न्यायिक निर्णय, और नीति के भविष्य पर विचार प्रस्तुत करता है।

2. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और संवैधानिक आधार

2.1 औपनिवेशिक काल की पृष्ठभूमि

आरक्षण की अवधारणा भारत में ब्रिटिश काल से ही उपस्थित थी। 1902 में कोल्हापुर के महाराजा शाहू जी महाराज ने अपनी रियासत में पिछड़े वर्गों के लिए 50% आरक्षण लागू किया, जो इस दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था। 1919 के मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों और 1935 के भारत सरकार अधिनियम में भी अल्पसंख्यक और दलित समुदायों के लिए विशेष प्रावधान किए गए (Galanter, 1984)।

डॉ. आंबेडकर ने 1932 की पूना पैक्ट वार्ता में 'Depressed Classes' के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की माँग रखी। हालाँकि गाँधी जी के साथ समझौते के बाद आरक्षित सीटों की व्यवस्था पर सहमति बनी, किंतु इस संघर्ष ने दलित प्रतिनिधित्व के प्रश्न को राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में ला दिया (Zelliot, 1992)।

2.2 संवैधानिक प्रावधान

26 जनवरी 1950 को लागू हुए भारतीय संविधान में SC आरक्षण के लिए निम्नलिखित प्रमुख प्रावधान किए गए: अनुच्छेद 15(4) राज्य को SC/ST के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति; अनुच्छेद 16(4) — सरकारी सेवाओं में SC/ST के पर्याप्त प्रतिनिधित्व हेतु आरक्षण; अनुच्छेद 17 — अस्पृश्यता का उन्मूलन; अनुच्छेद 46 — कमज़ोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि; तथा अनुच्छेद 330-342 — लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC/ST के लिए सीटों का आरक्षण (Constituent Assembly Debates, 1949) ।

प्रारंभ में यह व्यवस्था 10 वर्षों के लिए थी, परंतु सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए इसे बार-बार विस्तारित किया जाता रहा। 2020 में 104वें संविधान संशोधन द्वारा SC/ST के लिए विधायी आरक्षण को 2030 तक बढ़ाया गया (Constitution of India, 104th Amendment, 2020)।

3. आरक्षण नीति की प्रमुख उपलब्धियाँ

3.1 शैक्षिक क्षेत्र में प्रगति

आरक्षण नीति का सबसे सकारात्मक प्रभाव शिक्षा के क्षेत्र में देखने को मिला है। 1950 में SC समुदाय की साक्षरता दर मात्र 10.27% थी, जो 2011 की जनगणना में बढ़कर 66.1% हो गई (Census of India, 2011)। उच्च शिक्षा में भी SC विद्यार्थियों का नामांकन अनुपात बढ़ा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के अनुसार 2020-21 में उच्च शिक्षा संस्थानों में SC विद्यार्थियों का नामांकन 14.9% था (AISHE, 2021)।

IIT और IIM जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में SC विद्यार्थियों की उपस्थिति भी बढ़ी है। यह उन पहली पीढ़ी के छात्रों के लिए महत्त्वपूर्ण है जिनके परिवार में कोई शिक्षित नहीं था। Deshpande (2011) के अध्ययन से पता चलता है कि आरक्षण के बिना इन संस्थानों में SC प्रतिनिधित्व नगण्य रहता।

3.2 सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व

केंद्र सरकार की सेवाओं में SC के लिए 15% आरक्षण से उनका प्रतिनिधित्व उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है। Department of Personnel and Training (2022) के आँकड़ों के अनुसार ग्रुप 'C' (गैर-राजपत्रित) पदों में SC प्रतिनिधित्व 18.6% तक पहुँच गया है।

तालिका 1:
केंद्र सरकार सेवाओं में SC **प्रतिनिधित्व** (2022)

समूह	निर्धारित %	वास्तविक % (2022)	स्थिति
ग्रुप A (राजपत्रित)	15%	12.3%	कम
ग्रुप B	15%	14.1%	लक्ष्य के निकट
ग्रुप C	15%	18.6%	लक्ष्य से अधिक
ग्रुप D	15%	22.4%	लक्ष्य से अधिक

स्रोत: *Department of Personnel and Training, Annual Report 2022*

3.3 राजनीतिक प्रतिनिधित्व

लोकसभा में SC के लिए 84 सीटें आरक्षित हैं जो कुल सीटों का लगभग 15.4% है। इस व्यवस्था से SC नेताओं की एक पूरी पीढ़ी तैयार हुई जिसने राष्ट्रीय नीति-निर्माण में भागीदारी की। जगजीवन राम से लेकर रामविलास पासवान तक और मायावती से लेकर रामनाथ कोविंद तक — राजनीतिक आरक्षण ने SC नेतृत्व को संभव बनाया (Election Commission of India, 2019)।

राज्य विधानसभाओं में भी SC के लिए आरक्षित सीटों ने स्थानीय स्तर पर दलित नेतृत्व विकसित करने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। पंचायती राज संस्थाओं में SC के लिए आरक्षण ने ग्राम स्तर पर सत्ता विकेंद्रीकरण में दलितों की भागीदारी सुनिश्चित की (Panchayat Raj Ministry, 2020)।

3.4 सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि

आरक्षण ने 'सामाजिक गतिशीलता' (Social Mobility) में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पहली पीढ़ी के SC डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और IAS अधिकारियों ने समाज में एक नई मध्यवर्गीय दलित पहचान स्थापित की। Deshpande और Ramachandran (2019) के अनुसार 1991-2011 के बीच SC परिवारों में मध्यवर्ग का अनुपात लगभग दोगुना हो गया।

4. विद्यमान चुनौतियाँ और सीमाएँ

4.1 क्रियान्वयन में कमियाँ

आरक्षण नीति की सबसे बड़ी समस्या इसके क्रियान्वयन में है। सरकारी आँकड़े बताते हैं कि उच्च पदों (Group

A) में SC का प्रतिनिधित्व अभी भी लक्ष्य से कम है। बैकलॉग रिक्तियाँ (Backlog Vacancies) वर्षों से भरी नहीं जाती हैं। Parliamentary Standing Committee on Welfare of SC/ST (2022) की रिपोर्ट के अनुसार कई मंत्रालयों में हजारों SC रिक्तियाँ वर्षों से खाली पड़ी हैं।

निजी क्षेत्र में आरक्षण का अभाव एक बड़ी चुनौती है। उदारीकरण के बाद सरकारी नौकरियाँ सिकुड़ रही हैं और अधिकांश रोजगार निजी क्षेत्र में सृजित हो रहे हैं जहाँ SC के लिए कोई आरक्षण नहीं है। Throat और Newman (2010) के अध्ययन में पाया गया कि समान योग्यता होने पर भी निजी नियोक्ता SC उम्मीदवारों को अक्सर प्राथमिकता नहीं देते।

4.2 'क्रीमी लेयर' और SC के भीतर असमानता

SC समुदाय के भीतर एक 'उन्नत वर्ग' का उदय हुआ है जो बार-बार आरक्षण का लाभ उठाता है, जबकि अत्यंत पिछड़े उप-समूह वंचित रह जाते हैं। इसे 'क्रीमी लेयर' की समस्या कहा जाता है। हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय ने इंद्रा साहनी केस (1992) में SC/ST पर क्रीमी लेयर लागू करने से इनकार किया था, किंतु SC के भीतर उप-वर्गीकरण का प्रश्न आज भी विवादास्पद है (Indre Shawnee v. Union of India, 1992)।

2024 में सर्वोच्च न्यायालय की सात-सदस्यीय संविधान पीठ ने SC/ST के भीतर उप-वर्गीकरण की संभावना को स्वीकार किया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि अत्यंत पिछड़े दलित उप-समूहों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है (State of Punjab v. Divider Singh, 2024)।

4.3 सामाजिक कलंक और भेदभाव

आरक्षण के बावजूद SC विद्यार्थियों और कर्मचारियों को अक्सर सामाजिक कलंक और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। IIT और IIM जैसे संस्थानों में SC विद्यार्थियों की ड्रॉपआउट दर अधिक है। Sukhadeo Throat (2008) के अध्ययन से पता चला कि उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव SC विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।

4.4 आर्थिक असमानता अभी भी गहरी

NFHS-5 (2019-21) के आँकड़े बताते हैं कि SC परिवारों में बहु-आयामी गरीबी (Multi-Dimensional Poverty) का अनुपात अभी भी राष्ट्रीय औसत से अधिक है। SC परिवारों में भूमि स्वामित्व, कृषि संपत्ति और बचत के मामले में असमानता बनी हुई है। Charities Aid Foundation India (2021) के अनुसार दलित परिवारों की औसत संपत्ति सवर्ण परिवारों की तुलना में लगभग 1/3 ही है।

5. प्रमुख न्यायिक निर्णय और उनका प्रभाव

भारत में आरक्षण नीति को न्यायिक समीक्षा के कई महत्त्वपूर्ण दौरों से गुजरना पड़ा है। 1962 के एम. आर. बालाजी बनाम मैसूर राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार 50% आरक्षण की सीमा निर्धारित की (Balaji v. State of Mysore, 1962)। 1992 के इंद्रा साहनी निर्णय ने ओबीसी आरक्षण को 27% पर सीमित करते हुए SC/ST आरक्षण की पृथक स्थिति को बनाए रखा।

2000 के एम. नागराज बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पदोन्नति में SC/ST आरक्षण के लिए 'पिछड़ेपन का मात्रात्मक डेटा' (Quantifiable Data) की आवश्यकता स्थापित की (Nagaraj v. Union of India, 2006)। इस निर्णय से राज्य सरकारों के लिए पदोन्नति आरक्षण जटिल हो गया।

2018 में जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने नागराज केस को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए 'क्रीमी लेयर' को SC/ST पर लागू नहीं किया, किंतु पदोन्नति के लिए कुछ शर्तें बनाए रखीं (Jarnail Singh v. Lachhmi Narain Gupta, 2018)।

6. भविष्य की दिशाएँ और नीतिगत सुझाव

6.1 निजी क्षेत्र में समान अवसर

निजी क्षेत्र में SC के लिए आरक्षण या 'Equal Opportunity' नीतियाँ लागू करना समय की माँग है। जब तक बड़े निजी नियोक्ता जाति-आधारित भेदभाव समाप्त नहीं करते, SC समुदाय की आर्थिक प्रगति अधूरी रहेगी। इस दिशा में 'Equal Opportunity Commission' की स्थापना का प्रस्ताव विचारणीय है (Throat, 2009)।

6.2 SC के भीतर उप-वर्गीकरण

SC समुदाय के सबसे वंचित उप-समूहों (जैसे बिहार में मुसहर, उत्तर प्रदेश में वाल्मीकि) को प्राथमिकता देने के लिए उप-वर्गीकरण की नीति बनाई जानी चाहिए। 2024 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने इस दिशा में मार्ग खोला है। इससे 'आरक्षण का आरक्षण' केवल सबसे जरूरतमंद तक पहुँचेगा (Writ Petition Civil No. 930 of 2022)।

6.3 शैक्षिक गुणवत्ता और मार्गदर्शन

आरक्षण के साथ-साथ SC विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा, कोचिंग सहायता, मेंटरशिप और मनोवैज्ञानिक समर्थन की भी आवश्यकता है। केवल सीट देने से समस्या का समाधान नहीं होगा; उस सीट पर टिके रहने और सफल होने के लिए सहायक वातावरण भी चाहिए (Deshpande, 2011)।

6.4 डेटा-आधारित नीति-निर्माण

SC आरक्षण की प्रभावशीलता का नियमित आकलन करने के लिए एक स्वतंत्र 'SC Welfare Assessment Authority' की आवश्यकता है। नीतियों का मूल्यांकन ठोस डेटा पर आधारित होना चाहिए न कि केवल राजनीतिक घोषणाओं पर। NSSO, NFHS और जनगणना के आँकड़ों का गहन विश्लेषण नीति-निर्माण को और प्रभावी बना सकता है।

7. निष्कर्ष

भारत में SC आरक्षण नीति एक ऐसा साहसिक सामाजिक प्रयोग है जिसका कोई वैश्विक समानांतर नहीं। इसने उन समुदायों को सत्ता, शिक्षा और आर्थिक अवसरों से जोड़ा जिन्हें सदियों से बाहर रखा गया था। सात दशकों में SC साक्षरता दर, संसदीय प्रतिनिधित्व और सरकारी सेवाओं में भागीदारी के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

परंतु यह प्रगति अधूरी है। उच्च पदों में कम प्रतिनिधित्व, निजी क्षेत्र में भेदभाव, सामाजिक कलंक, और SC के भीतर असमानता ये चुनौतियाँ बताती हैं कि अकेले आरक्षण से सामाजिक न्याय नहीं आएगा। इसके साथ शिक्षा की गुणवत्ता, आर्थिक अवसर, सामाजिक जागरूकता और भेदभाव-विरोधी कानूनों का सख्त क्रियान्वयन भी अनिवार्य है।

डॉ. आंबेडकर के शब्दों में 'राजनीतिक लोकतंत्र टिक नहीं सकता जब तक उसके आधार में सामाजिक लोकतंत्र न हो।' SC आरक्षण नीति उस सामाजिक लोकतंत्र की नींव रखने का एक महत्त्वपूर्ण साधन है किंतु यह साधन तब और अधिक प्रभावी होगा जब इसे एक समग्र सामाजिक परिवर्तन के एजेंडे के साथ जोड़ा जाए।

संदर्भ

1.. AISHE. (2021). All India Survey on Higher Education 2020-21. Ministry of Education, Government of India.
2. Ambedkar, B. R. (1979). Dr. Babasaheb Ambedkar: Writings and Speeches (Vol. 1). Education Department, Government of Maharashtra.
3. Balaji v. State of Mysore, AIR 1963 SC 649 (Supreme Court of India, 1962).
4. Charities Aid Foundation India. (2021). Wealth Inequality and Caste in India. New Delhi: CAF India.
5. Census of India. (2011). Primary Census Abstract for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Office of the Registrar General, Government of India.
6. Constitution of India. (2020). One Hundred and Fourth Amendment Act. New Delhi: Ministry of Law and Justice.
7. Constituent Assembly Debates. (1949, November 17-26). Debates on Article 334, 336, 338. New Delhi: Lok Sabha Secretariat.
8. Department of Personnel and Training. (2022). Annual Report 2021-22. New Delhi: Ministry of Personnel, Government of India.
9. Deshpande, A. (2011). The Grammar of Caste: Economic Discrimination in Contemporary India. New Delhi: Oxford University Press.
10. Deshpande, A., & Ramachandran, R. (2019). Is Caste Still a Determinant of Social Outcomes in India? World Development, 120, 13-30.
11. Election Commission of India. (2019). General Election to House of the People 2019: Statistical Report. New Delhi: ECI.
12. Galanter, M. (1984). Competing Equalities: Law and the Backward Classes in India. New Delhi: Oxford University Press.
13. Indra Sawhney v. Union of India, AIR 1993 SC 477 (Supreme Court of India, 1992).
14. Jarnail Singh v. Lachhmi Narain Gupta, (2018) 10 SCC 396 (Supreme Court of India, 2018).

15. Justice K. G. Balakrishnan. (2008). Reservations and Social Justice. NHRC Annual Lecture Series. New Delhi.
16. Nagaraj v. Union of India, AIR 2007 SC 71 (Supreme Court of India, 2006).
17. NFHS-5. (2021). National Family Health Survey-5 (2019-21): India Report. IIPS, Mumbai.
18. NSSO. (2013). Employment and Unemployment Situation among Social Groups. NSS 68th Round. Ministry of Statistics, Government of India.
19. Panchayati Raj Ministry. (2020). Status of Panchayati Raj in India. New Delhi: Ministry of Panchayati Raj.

अमरकांत की कहानियों में सामाजिक अंतर्विरोध

रत्नाकर दुबे
शोधार्थी, म. ज्यो. फु. रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय बरेली
प्रो. परमजीत कौर
शोध निर्देशिका, बरेली कॉलेज, बरेली, म. ज्यो. फु. रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय बरेली

सारांश

अमरकांत नई कहानी आंदोलन के कहानीकार हैं। अपनी विशिष्ट शिल्प व संवेदना से अमरकांत ने नई कहानी आंदोलन के कहानिकरों में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। नई कहानी की विशेषताओं के अनुरूप इनकी कहानियाँ संवेदनात्मक स्तर पर समाज मे हो रहे व्यापक परिवर्तन की पहचान करती हैं। तत्कालीन विडंबनाओं व विसंगतियों से उपजी सामाजिक अंतर्विरोध को अमरकांत अपनी कहानियों में बखूबी रेखांकित करते है। वे आदर्श के खोल मे छिपे नकलीपन और काइयाँपन को धर दबोचने वाले कथाकार हैं। भारतीय समाज का अंतर्विरोध आज़ादी के पहले दशक मे ही परिलक्षित होने लगे थे। अमरकांत उसी दौर के कहानीकार थे; इसीलिए वह तत्कालीन अंतर्विरोध को खुलकर सामने लाते हैं। यह अंतर्विरोध उनकी कहानियों का उपजीव्य है।

बीज शब्द *– नई कहानी, निम्न-मध्यवर्ग, निम्नवर्ग, विडंबनाएं, विसंगतियाँ, अंतर्विरोध।*

अमरकांत का मानना है कि – "मानव जीवन में जो अंतर्विरोध है, विडंबनाएं हैं, जो मानव विरोधी प्रवित्तियाँ हैं, शोषण और अन्याय है, कथनी-करनी में जो फ़र्क है, उनकी ओर मानवीय दृष्टि से देखना और उनकी समस्याओं को उठाना ही मेरे सृजन और चिंतन का उद्येश्य है।"[1] नामवर सिंह ने इस तथ्य को रेखांकित करते हुये कहा था कि कहानीकार की सार्थकता इस बात मे है कि वह अपने समय के मुख्य अंतर्विरोधों को सामने लाए। अमरकांत आज़ादी के कुछ ही वर्षों बाद लेखन मे सक्रिय हुये। तत्कालीन आज़ाद भारत की परिस्थितियाँ विडंबनाओं और अंतर्विरोधों से भरी हुई थी। सामाजिक विघटन ज़ोर पर था। मध्य व निम्नवर्गीय जीवन मे अर्थाभाव के साथ सामाजिक मूल्यों को लेकर भी द्वंद्व था। मध्यवर्गीय समाज के दोहरेपन से अमरकांत परिचित थे। अमरकांत ने प्रेमचंद द्वारा सिंचित और पल्लवित इस सामाजिक यथार्थ को निरंतर आगे बढ़ाने का कार्य किया है। वस्तुतः प्रत्येक कथाकार की यथार्थ को देखने की अपनी एक अलग दृष्टि के साथ उसको अभिव्यक्त करने की भी अपनी एक शैली होती है। यह दृष्टि उसके अपने जीवन परिस्थितियों से निर्मित होती है। जो उसके संघर्ष से प्रेरित व अपने संस्कारों से परिचालित होती है। अमरकांत की अपनी एक विशिष्ट दृष्टि के साथ अभिव्यक्ति की अपनी एक अप्रतिम शैली है। अमरकांत ने अपनी कहानियों की पृष्ठभूमि अपनी निजी संघर्षों, अर्थभावों और विषम परिस्थितियों की प्रामाणिक अनुभूतियों से तैयार की है।

स्वतंत्रोत्तर भारत के समाज मे आई गिरावट व मूल्यहीनता को अमरकांत की कहानियाँ लक्षित करती हैं। इस संदर्भ में तत्कालीन अंतर्विरोध को आधार बनाकर लिखी गई कहानी 'बस्ती' उल्लेखनीय है। इस कहानी मे 'आत्मानन्द' जैसे निम्न-मध्यवर्गीय साधारण आदमी के माध्यम से आमजन के जीवन संघर्षों, दुःख-दैन्य स्थितियों व उनके सपनों के टूटने

का मार्मिक चित्रण किया गया है। साधारण लोगों के परिश्रम, एकजुटता, नेकनीयती और त्याग से जो सुंदर सपनों की 'बस्ती' तैयार हुई थी वह 'रामलाल' व 'बांकेलाल' जैसे मक्कार राजनेताओं के कारण धराशायी हो जाती है। समाजसुधार का चोला पहने ये दो शातिर राजनीतिक चरित्र नवनिर्मित बस्ती के ईंट व लोहे को चुराकर अपने घर मे लगवा लेते है। इस बस्ती के निर्मिति मे अपना सर्वस्व देने वाले 'आत्मनन्द' जैसे आमजन को इस सच्चाई का पता होने पर उनका सत्य, त्याग व ईमानदारी से भरोसा उठ जाता है। आत्मनन्द का आदर्शों से मोहभंग हो जाता है। अपने आदर्श नेताओं का दोगला चरित्र उद्घाटित होने पर वह "निराशा की अनंत गहराई में लुढ़कता गया। उसको अत्यधिक शर्म, अपमान और तुच्छता का अनुभव हो रहा था।....क्या दुनिया ऐसी है? क्या विश्वास का यही फल मिलता है? कितना बेवकूफ उसे बनाया गया है।"[2] 'बस्ती' की यह कहानी आज़ाद भारत की कहानी मे तब्दील हो जाती है। बस्ती 'भारत' का रूपक बन जाता है। अमरकांत 'बस्ती' को एक छोटे भारत की तरह चित्रित करते हैं। जिसमे सभी जाति, धर्म और क्षेत्र के लोग बसते हैं। 'रामलाल' व 'बांकेलाल' के माध्यम से देश के राजनीतिक दलो के चरित्र को बेनकाब करते हैं। हमारे समाज की यह बहुत पुरानी मनोवृत्ति रही है कि वो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा के बदले उसे नष्ट करने मे आगे रहते है। जिसका क्रम आज तक जारी है। इस प्रकार एक आम जन के आदर्शों की हत्या के साथ सपनों की बस्ती का भी अंत हो जाता है। अमरकांत समाज के आदर्शों व सपनों के टूटने के कारणों के प्रति हमे सजग और सचेत करते हैं। यह कहानी राजनीतिक छल छद्म के साथ संस्थाओं के पतन को भी उजागर करती है।

अमरकांत जमींदारों के भ्रष्ट आचरण और अमानवीय चालबाजियों से उपजे श्रेष्ठताबोध, अहंकार और ओढ़े आध्यात्मवाद की पड़ताल करते हैं। आज़ादी के बाद व्यवस्था की बागडोर ऐसे लोगों को ही थमाई गई जिन्होने गरीबों का खून चूसकर खूब संपत्ति अर्जित की थी। 'पलाश के फूल' कहानी 'नवल किशोर राय' जैसे दोगले जमीनदारों का साक्ष्य प्रस्तुत करती है। अपने मित्र 'हृदय नारायण' से अपने कारनामो का बखान करते हुये कहते हैं – "लोगों को मैं अपने पैरों की धूल बराबर समझता था....मारने-पीटने, तंग-परेशान करने और वसूली-तहसीली करने मे ही तबीयत लगती। मामूली रोब नहीं था अपना....मेज-कुर्सी लगी है, अफ़सरान आ रहे है, गप्पे लड़ रही है, दावतें उड़ रही है, नौकर-चाकर दौड़-दौड़कर हुक्म बजा रहे है।"[3] ऐसे ही लोग देश के मंधाता बनते है। 42 वर्ष के रायसाहब अपने मक्कारी से 15 वर्षीय अंजोरिया का शारीरिक शोषण करता है। अपनी वासना तृप्ति के बाद अंजोरिया को शैतान घोषित कर दरकिनार कर लेता है। इतने बड़े अपराध को वह आध्यात्मिक जामा पहना देता है। इसी चारित्रिक अंतर्विरोध को अमरकांत नंगा करते हैं। "अमरकांत की कहानियों मे प्रायः चरित्र असलियत मे काफी सामाजिक प्रतिष्ठा वाले हैं लेकिन उनकी जिंदगी अपार धूर्तता, बेईमानी और कमीनगी पर टिकी है। ऐसे अफसर नेता भी उसकी खिंचाई के पात्र बनते हैं जो पैसा खाते हैं सामाजिक ज़िम्मेदारी के नाम पर, लेकिन अपनी शान शौकत के बीच कुम्भकर्णी निद्रा मे मगन रहते हैं।"[4] अमरकांत के जनशत्रु लड़की की शादी अंतरात्मा एक बाढ़ कथा पलाश के फूल वनगाथा जैसी कहानियों के पात्र इसी प्रवित्ति के हैं। इसी प्रकार जनशत्रु कहानी का महंतबाबू महत्वाकांक्षा से ग्रस्त एक ऐसे व्यक्ति का प्रतीक है जो "रेशमी कुर्ता, धोती, दोनों हाथों की अंगुलियों मे सोने और कुछ बेशकीमती पत्थरों की खूबसूरत अंगूठियाँ"[1] पहने जनसेवक का मुखौटा लगाए राजनैतिक कैरियर को चमकाने के जुगत मे लगा रहता है। महंतबाबू इंसानियत की उपेक्षा कर भीड़ के जंगली न्याय के पक्ष में खड़ा हो जाता है। एक ऐसी भीड़ जो सांप्रदायिक और मानसिक क्रूरता के पक्ष मे है। यहाँ जननेता ही जनशत्रु बन जाता है। अमरकांत जननेता के छद्म रूप को उघाड़कर उसके जनशत्रु चरित्र को उजागर करते हैं। अमरकांत तथाकथित मर्यादानियामक व्यक्तियों के अंतर्विरोधी चरित्रों को बिना लाग-लपेट के अपनी कहानियों मे चित्रित करते हैं। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के साथ समाज के प्रोफेसर, कानून के छात्र, उच्च पद पर आसीन अफसर आदि के भी दोहरे चरित्र को खोलकर रख देते हैं। न्यायालय और वकालत की

गिरावट को अमरकांत ने अपने आँखों से देखा था। उनकी अनेक कहानियों में यह चिंता व्यक्त हुई है।

इसमे कोई दो राय नहीं कि अमरकांत की कहानियों पर आलोचकों की चर्चाएँ अमूमन 'जिंदगी और जोंक', 'दोपहर का भोजन', 'डिप्टी कलक्टरी' के इर्द-गिर्द घूमती रहती है। निःसन्देह यह कहानियाँ हिन्दी कथा साहित्य की धरोहर है। इन कहानियों के यशवृत्त से बाहर आकर हम देख पाते है कि उनकी कहानियों मे युवामन के कोमल प्रेम का स्पंदन भी है। 'लड़का-लड़की', 'असमर्थ हिलता हाथ', 'रिश्ता' जैसी अन्य कहानियाँ प्रेम-सम्बन्धों के मनोवैज्ञानिक धरातल पर देखने-परखने का यत्न करती हैं। इन प्रेम कथाओं मे भी अमरकांत तत्कालीन अंतर्विरोधों को सामने लाते हैं। 'तारा और चंदर' के बहाने 'लड़का-लड़की' कहानी मे स्त्री-पुरुष के मध्य वैचारिक अंतर को रेखांकित करते हैं। चंदर अपने छल और आडंबर से निश्छल तारा को वासना का शिकार बनाता है। जबकि तारा चंदर से पवित्र प्रेम करती है। तारा अपने प्रेम को घरवालों से बताती है। 70 के दशक मे कल्पना करिए कि किसी लड़की को अपने प्रेम प्रसंग के बारे मे बताना कितना मुश्किल रहा होगा। माता पिता के प्रतिक्रिया का चित्रण बहुत स्वाभाविक ढंग से किया गया है। माता पिता के सहमति के संबंध मे तारा जब चंदर को बताती है तो वह बड़ा अप्रत्याशित और अस्वाभाविक प्रतिक्रिया देता है। तारा को बहुत आघात लगता है। तारा का कोमल व पवित्र हृदय तार तार हो जाता है। वह चंदर के दोहरे चरित्र को समझ जाती है। प्रेम टूटन के इस कठिन क्षण मे बड़े साहस के साथ कहती है कि "आपकी संघर्ष की बातें जिम्मेदारियों से बचने और स्वार्थ को छिपाने का बहाना है। मैंने तो जीवन के आरंभ से ही संघर्ष किया है, आपने क्या किया ? आप भूख जानते हैं ? आपको गरीबी, ज़लालत, घुटन, ऊब, निराशा का पता है ? साफ बात तो यह है कि आपको एक नारी देह की जरूरत है और जरूरत है अपने अहंकार की तृप्ति की !"[5] तारा जैसी स्वाभिमानी व आत्मविश्वास से भरी लड़कियों के अंतर्द्वन्द्व को चित्रित करने में अमरकांत का कोई तोड़ नहीं।

अमरकांत की एक विशिष्ट विशेषता यह है कि वह अपने पात्रों को पूर्वाग्रही या जबरन महान, युग प्रवर्तक या क्रांतिकारी नहीं दिखाते। वह अपने परिवेश व समाज के प्रति बहुत सजग थे। समाज की सीमाओं व जटिलताओं को देख व भोग रहे थे। इसीलिए अमरकांत अपने चरित्रों के सहज विश्लेषण करने मे सफल होते हैं। 'प्रैक्टिस' व 'प्रिय मेहमान' जैसी अनेक कहानियाँ इस संदर्भ का प्रमाण हैं। 70 के दशक में लिखी गयी कहानी 'प्रैक्टिस' में 'बिहारीलाल' व 'अखिलानन्द' जैसे चरित्रों के माध्यम से वकालत के पेशे मे आई मूल्यहीनता व गिरावट को सामने लाते है। अमरकांत कचहरी के छल प्रपंच द्वंद्व ईर्ष्या अनैतिकता व अमानवीयता को बचपन से देखते आ रहे थे। इनके पिता कचहरी मे मुख्तार थे। मुवक्किलों की दुर्दशा को अमरकांत ने बहुत नजदीक से देखा था। कहानी का पात्र अखिलानन्द ने वकालत का ककहरा अपने सीनियर बिहारीलाल से ही सीखा था। फिर तमाम दाँव पेंच लगाकर अपने उस्ताद बिहारीलाल को वकालती मे आगे निकल जाता है। अपने चेले अखिलानन्द के संबंध मे बिहारीलाल कहता है – "कमबख्त हमेशा एक एक पैसा जोड़ने के फिराक में रहता है और अपने स्वार्थ के लिए कुत्ते की तरह चौकन्ना रहता है। पैसे और पोजीशन के लिए दिन रात कोल्हू के बैल की तरह कानून की पुस्तकों .... में जुटा रहता है। सबसे मीठा बोलता है और अक्सर अफसरों को दावत देता है। साफ सुथरे कोट-पैंट पहनकर रोब जमाता रहता है।हमेशा गंभीरता का ढोंग करता है..."[6] कचहरी की कड़वी सच्चाई को अमरकांत उघाड़ते है।

अमरकांत अपनी कहानियों मे राजनीतिक अंतर्विरोध को प्रभावशाली रूप मे चित्रित करते है। राजनीतिक अवसरवाद का 'लोक-परलोक' कहानी मे राजनीति का एक घिनौना पक्ष सामने आता है। धन-प्रतिष्ठा और महत्वाकांक्षा राजनीति के पतन का सबसे बड़ा कारण है। राजनेताओं मे भाग्य-नियामक होने का भाव उन्हें अमानवीय और संवेदनहीन बनाता है। लोक परलोक मे सांप्रदायिक वैमनस्य को बड़ी संवेदनशीलता से रेखांकित करते हैं। नेता महेश्वर प्रसाद अकबर का

धर्मपरिवर्तन कराकर बालचन्द्र आर्य बनाते हैं। मात्र इसलिए की हर चुनाव में धर्म का मसीहा बनकर वो वोट पा सके। माहेश्वरप्रसाद कहते है – "उसकी वजह से जाति बिरादरी में मुझे काफी प्रतिष्ठा मिल गई। अगर हमारे जाति का प्रत्येक आदमी एक विजातीय का जिम्मा अपने ऊपर ले ले तो देश का बड़ा कल्याण हो।"[7] राजनेताओं के चारित्रिक अंतर्विरोध को यह कहानी बहुत प्रभावशाली रूप में रेखांकित करती है।

'जिंदगी और जोंक' अमरकांत की सबसे महत्वपूर्ण व लोकप्रिय कहानियों में से एक है। रजुआ के माध्यम से यह कहानी गरीबी विवशता दैन्यता व निम्न वर्ग की जीवटता को बहुत संवेदनात्मक रूप से चित्रित करती है। निम्नवर्ग के तमाम विषम परिस्थितियों के चित्रण के साथ यह कहानी उभरते निम्न मध्यवर्ग के अंतर्विरोधों को बड़ी सूक्ष्मता से लक्षित करती है। मुहल्ले में आया रजुआ शिवनाथ बाबू के यहाँ दो जून के जूठन पर बेगारी करता है। शिवनाथ बाबू को केवल जूठन पर नौकर मिलना यह बात मुहल्ले वालों को खलती है- "मुहल्ले के लोगों को यह कताई पसंद न था कि केवल दोनों जून भोजन पर राजुआ शिवनाथ बाबू की सेवा करे। अब भगवान ने उनके बीच एक नौकर भेज ही दिया था तो उस पर उनका भी उतना ही अधिकार था और उन्होंनें मौका देखकर उसको अपनी सेवा करने का अवसर देना आरंभ कर दिया।"[8] निम्न मध्यवर्ग का अंतर्विरोध यही सामने आता है। मुहल्ले के प्रत्येक घर ने रजुआ का शोषण किया। किसी ने भी उसके श्रम का मूल्य नहीं दिया। यहाँ इस वर्ग के कथनी और करनी में अंतर्विरोध साफ दिखता है। मुहल्लेवालों के भरपूर दोहन से जब वह बीमार पड़ता है तो कोई भी मदद करने को आगे नहीं आता। विडम्बना यह कि मरणासन्न रजुआ की मदद करने के बजाय यह समाज उसके मरण का इंतज़ार करता है। यह निम्न मध्यवर्ग का चारित्रिक अंतर्विरोध है। रजुआ जितना बाहर से कुरूप है यह समाज उतना ही अंदर से। रजुआ के प्रति उनका व्यवहार इस तथ्य को प्रमाणित करता है। इसके बरक्स रजु आ निरीह होने के बाद भी मेहनतकश है। वह भीख नहीं मांगता। जबकि मुहल्लेवाले उसके मजूरी का हिस्सा मारकर खुद को महान समझते है। आज़ादी के बाद के निम्न मध्यवर्ग के वैचारिक विरोधाभास व नैतिक पतन को अमरकांत उधेड़ कर रख देते है।

'दो चरित्र' कहानी मे भी निम्न मध्यवर्ग का निर्धनों व कमजोरों के प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार को लक्षित करती है। कहानी के पात्र जनार्दन कोओपरेटिव इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हैं। उनका मानना है कि जिन्हें लोग भिखमंगा समझते है वो पूरे ठग और कामचोर है। पेशकार साहब के दरवाजे पर भिखमंगों की भीड़ देखकर जनार्दन अपने पड़ोसी अर्जुन से कहता है – "आप देख रहें हैं न इनको ? अब आप ही ईमानदारी से बताइये, इनमे से कौन ऐसा है जो कोई-ना-कोई काम नहीं कर सकता ? लेकिन आप इनसे कुछ काम करने को कह दीजिये न, बस इनकी नानी मरने लगेगी। मैं सालों की नस-नस पहचानता हूँ।"[4] जनार्दन अपने मुहल्ले के लोगों से तमाम आदर्श की बात करता है। पर उसी भीड़ से एक लड़का उनसे काम मांगता है तो वह उससे बेगारी कराकर भगा देता है। यही इस वर्ग का चारित्रिक अंतर्विरोध है। इनके विचार और व्यवहार में विरोधाभास है। अमरकांत इस विरोधाभासी कृत्रिम व्यवहार का पोस्टमार्टम करते हैं।

निष्कर्ष

अमरकांत अपने समकालीन रचनाकारों की अपेक्षा बहुत मजबूती से निम्न मध्यवर्गीय मनोवृत्ति व उनके सामाजिक परिवेश के अंतर्विरोध को अंकित करते हैं। अमरकांत की विशिष्टता यह है कि वे साधारण घटनाओं के माध्यम से निम्न-मध्यवर्ग के आडंबरपूर्ण जीवन व कृत्रिम सद्भावना को उघाड़ कर रख देते हैं। इनकी कहानियों में विन्यस्त अप्रतिम साधारणता को समझने के लिए दृष्टि नहीं दृष्टिकोण की आवश्यकता है। अपने समकालीनों मे इनकी यह साधारणता ही इन्हें कथा साहित्य मे असाधारण बनाती है। अमरकांत मे सामाजिक अंतर्विरोध की यह समझ उनकी गहरी विवेक शक्ति और विकसित संवेदनशक्ति का परिणाम है। रचनाशीलता में पैठी यह गहरी संवेदनशीलता ही उन्हें यथार्थ से विमुख नहीं

होने देती। रचनाशीलता की यह शक्ति ही उन्हें आज भी प्रासंगिक बनाती है।

संदर्भ

1 कुछ यादें कुछ बातें:अमरकांत, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली 2005, पृ.सं.- 132

2 अमरकांत की सम्पूर्ण कहानियाँ- खंड-2, अमर कृतित्व प्रकाशन,इलाहाबाद 2002, पृ.सं.- 25

3 अमरकांत की सम्पूर्ण कहानियाँ खंड- 1, अमर कृतित्व प्रकाशन इलाहाबाद 2002, पृ.सं.- 98

4 शताब्दी का प्रतिपक्ष: वैभव सिंह, आधार प्रकाशन, पंचकूला, 2013, पृ.सं. 91

5 अमरकांत की सम्पूर्ण कहानियाँ खंड- 2, अमर कृतित्व प्रकाशन, इलाहाबाद, 2002, पृ.सं. 274

6 वही पृ.सं. 71

7 वही पृ. सं. 42

8 वही पृ.सं. 200

9 अमरकांत की सम्पूर्ण कहानियाँ खंड- 1, अमर कृतित्व प्रकाशन, इलाहाबाद 2002, पृ.सं. 57

10 वही, पृ.सं. 91-92

'मुक्तिबोधीय' फैंटेसी और भाषा: चेतन-अवचेतन के रचनात्मक द्वंद की दार्शनिक मीमांसा

डॉ. पंकज श्रीवास्तव
दर्शन विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़

शोध सार

गजानन माधव 'मुक्तिबोध' की कविता आधुनिक हिंदी साहित्य में एक ऐसे पड़ाव का प्रतिनिधित्व करती है जहाँ काव्य केवल सौंदर्यबोध का माध्यम नहीं रह जाता, बल्कि मनुष्य की चेतना, उसके अवचेतन, और उसके सामाजिक-अस्तित्वगत संकट का गहन दार्शनिक अन्वेषण बन जाता है। यह अध्ययन मूलतः मुक्तिबोधीय फ़ैंटेसी की दार्शनिक मीमांसा करते हुए यह प्रतिपादित करता है कि मुक्तिबोध की फ़ैंटेसी केवल रचनात्मक कल्पना नहीं, बल्कि चेतन और अवचेतन के द्वंद्वात्मक संबंध का सघन रचनात्मक और ज्ञानात्मक प्रतिफलन है। उनकी काव्य-प्रक्रिया में अनुभव, बिंब और भाषा मिलकर एक ऐसी संरचना बनाते हैं जहाँ संवेदना और ज्ञान अलग-अलग नहीं रहते, बल्कि एक-दूसरे में रूपांतरित होते हैं। इसी वजह से मुक्तिबोध को "संवेदनात्मक ज्ञान" और "ज्ञानात्मक संवेदन" का कवि कहा जा सकता है।

इस अध्यन के तीन मुख्य प्रयोजन हैं - पहला, अवचेतन, चेतन, भाषा की संरचना और रचनात्मकता के पारस्परिक संबंध को सैद्धान्तिक रूप से समझना और इस पर वर्तमान परिपेक्ष्य में कुछ प्रमुख दार्शनिक और साहित्यकारों के हवाले से एक दार्शनिक विमर्श प्रस्तुत करना है, जिससे यह समझ बन सके कि सृजन केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि ऐतिहासिक-सामाजिक और नैतिक चेतना का ही परिमार्जन है। दूसरा, मुक्तिबोधीय फैंटेसी का काव्यात्मक विश्लेषण कर यह दर्शना कि इसे मात्र कल्पना न मानकर आधुनिक मनुष्य के अंतर्विरोधों की आलोचनात्मक अभिव्यक्ति के रूप में पढ़ा और समझा जाना चाहिए, और तीसरा, फैंटेसी की ज्ञानमीमांसा प्रस्तुत करना जिससे यह सिद्ध हो सके कि कल्पनात्मक और प्रतीकात्मक संरचनाएँ भी ज्ञानात्मक संवेदन पैदाकर ज्ञान-निर्माण की वैध, समर्थ और सार्थक प्रक्रियायें हैं।

इस अध्यन में मुक्तिबोध की कविता को मुख्यतः अस्तित्ववादी, मार्क्सवादी, भाषा -मनोविश्लेषोकों और बौद्ध दर्शन के मूल सैद्धान्तिक आधारों पर समझने की कोशिश की गई है। इस प्रकार, यह शोध पत्र अपने दार्शनिक विश्लेषण में यह दिखाता है कि मुक्तिबोध की फैंटेसी न केवल साहित्यिक दृष्टि से एक विशेष रचनात्मक शैली है, बल्कि आधुनिक मानव-स्थिति की आलोचनात्मक ज्ञानमीमांसा भी है, जो चेतना के विखंडन के साथ ही संभावित मुक्ति की दिशा दोनों को ही एक साथ उद्घाटित करती है।

बीज शब्द : चेतन, अवचेतन, मुक्तिबोधीय फैंटेसी, विषयता, रचना धर्मिता, सृजनात्मकता, मानवीय परिस्थितियाँ, वर्गीय विघटन, वस्तुकरण, और ज्ञान मीमांसा।

भूमिका: समस्या और संदर्भ

मुक्तिबोध की कविता को समझना असल में सिर्फ साहित्य पढ़ना नहीं है, बल्कि अपने समय की बेचैनी सीधी-सीधी

मुलाकात है। आधुनिक समय पूँजी, तकनीकी, सूचना, प्रौद्योगिकी और तेज़ी से बदलते मानवीय संबंधों का समय है। यह मनुष्य को बाहर से जितना सक्षम और मजबूत दिखाता है, भीतर से उतना ही विखंडित और भयभीत भी करता है। वर्तमान परिदृश्य में आधुनिक मनुष्य की चेतना और उसके अवचेतन का द्वंद्व और भी तीखा होकर हमारे सामने आता है। व्यक्ति का 'चेतन मन' जो तर्क व्यवस्था के साथ ही सामाजिक भूमिकाओं से बना है, वह एक तरह का अनुशासन थोपता है, लेकिन उसका अवचेतन (मन) जिसमे वो सभी दबे हुए टूटे अनुभव, असुरक्षाएँ, इच्छाएँ और ऐतिहासिक पीड़ाएँ जमा रहती हैं जिन्हें आधुनिक यांत्रिक जीवन अक्सर कोई जगह नहीं देता। हालाकि फ्रायड के इस अनुशासन (मनोविश्लेषण) के ख़िलाफ़ लगातार एक विरोध लगातार दर्ज किया जाता रहा है। लेकिन यही अंदरूनी टकराव या तो इंसान को मानसिक पीड़ा में उलझा देता है, या फिर उसे किसी रचनात्मक अभिव्यक्ति की ओर ले जाती है।, इस प्रक्रिया से उत्पन्न कला में चेतन और अवचेतन के बीच के इस द्वंद्व के अवशेष गहरे विश्लेषण के ज़रिये तलाशे जा सकते हैं।

मुक्तिबोध की 'रचना-धर्मिता' इसी आस्तित्वात्मक संकट को पकड़ती है लेकिन सीधे-सीधे बयान करके नहीं, वे इसे फ़ैन्टसी के ज़रिए बिंबों, पौराणिक प्रतीकों और भाषा की जटिल संरचनाओं के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत कर देते है। इस प्रकार मुक्तिबोध के लिए 'अवचेतन' केवल दमित इच्छाओं का क्षेत्र नहीं, बल्कि सामाजिक, ऐतिहासिक और नैतिक ऊर्जा का एक गतिशील स्रोत है।

यहीं से इस शोध की मुख्य समस्या है उठती है - क्या मुक्तिबोध की यह फैंटेसी केवल कल्पना/स्वप्न है, या वह ज्ञान की एक वैकल्पिक प्रक्रिया है, जो उन सच्चाइयों को उजागर करती है जिन्हें साधारण तर्क पकड़ नहीं पाता?

मेरे दृष्टिकोण से मुक्तिबोध की कविता को व्यक्तिगत संवेदना या रहस्यमय कल्पना के रूप में पढ़ना युक्तिसंगत नहीं जान पड़ता है, बल्कि उसे आधुनिक जीवन की उस यांत्रिक व्यवस्था के विरुद्ध एक आलोचनात्मक हस्तक्षेप के रूप में देखा जा सकता है, जहाँ पर मनुष्य सृजनात्मकता के अर्थों (मीनिंग) को खोता जा रहा है। मेरी दृष्टि में मनुष्य केवल सामाजिक और बौद्धिक प्राणी नहीं, बल्कि मूलतः एक **'सृजनशील प्राणी'** भी है। लेकिन पूँजीवाद की व्यवस्था में वह अपनी सृजनशीलता को स्वतंत्र रूप से जी नहीं पाता। वह उत्पादन-प्रक्रिया में भाग तो जरूर लेता है, पर धीरे-धीरे अपनी **कृति**, अपने **आत्म,** अपने **साथियों** और अपने **मानवीय सार** से अलग होता चला जाता है। मार्क्स के अनुसार यही स्थिति **'एलिनेशन'** या **'विच्छिन्नता'** की है, जहाँ मनुष्य अपनी ही बनाई दुनिया में पराया महसूस करने लगता है (मार्क्स, 1975)। मुक्तिबोध की कविता का संकट असल में जीवन-स्थितियों का है जिसमे मनुष्य श्रम, बाज़ार और वर्ग-संबंधों के दबाव से छटपटाता है, परिणामस्वरूप, भीतर की दुनिया में भय, अपराधबोध और आत्म-संदेह पैदा होने लगतें है।

मुक्तिबोध की कविता इसी अधूरे मनुष्य की कविता है। उनके यहाँ व्यक्ति बाहर से पढ़ा-लिखा, आधुनिक और सचेत दिख सकता है, लेकिन भीतर वह डर, दबे हुए मनोवेग, आत्म-संदेह और नैतिक असफलता से घिरा रहता है। इसी संदर्भ में अगर 'अँधेरे में' कविता की शुरुआत और अंत को देखें, तो पूरी कविता इंसान के अस्तित्व के संकट को सामने लाती है। शुरुआत की पंक्तियाँ—"ज़िंदगी के कमरों में अँधेरे… कोई एक लगातार चक्कर लगाता है… पैरों की आवाज़ बार-बार सुनाई देती है… लेकिन वह दिखता नहीं"—एक ऐसे बेचैन इंसान की तस्वीर बनाती हैं, जो अपने ही अंदर भटक रहा है। उसे अपनी पहचान, अपना असली 'मैं' नहीं मिल रहा। यह "कोई एक" असल में आधुनिक आदमी है—जो समाज, डर, दबाव और उलझनों के बीच खुद से कट गया है। वह मौजूद तो है, लेकिन अपने लिए ही गायब है। कविता के अंत में—"खोजता हूँ पठार… पहाड़… समुंदर… जहाँ मिल सके मुझे मेरी वह खोई हुई परम अभिव्यक्ति"— (मुक्तिबोध, 1980 ब, पृ. 320) यह तलाश और गहरी हो जाती है। अब वह अपने असली 'स्व' को पाने की कोशिश कर रहा है, जैसे

अपनी खोई हुई आवाज़, अपनी सच्ची पहचान ढूँढ रहा हो। तो पूरी कविता में मुक्तिबोध उस इंसान को दिखाते हैं जो अंदर से टूट रहा है, बिखर रहा है, और अपने ही अस्तित्व का मतलब खोज रहा है। यही आज के इंसान का सबसे बड़ा संकट है—अपने ही अंदर खुद को न पा सकना।

थियोडोर अडोर्नो (1973) की "नकारात्मक द्वंद्वात्मकता"के हवाले से देखें तो वह इस बात पर जोर देतें हैं कि कि सच्ची आलोचना का काम व्यवस्था में छिपी हुई गड़बड़ियों और टकरावों को सामने लाना है, न कि उन्हें जबरन किसी सुंदर और झूठे मेल-जोल में बदल देना। अडोर्नो स्पष्ट कहते हैं कि "द्वंद्वात्मकता का नाम शुरू में बस इतना ही बताता है कि वस्तुएँ अपने अवधारणाओं में पूरी तरह समा नहीं जातीं, कुछ न कुछ शेष रह ही जाता है" (अडोर्नो, 1973, पृ 5)। मुक्तिबोध की कविता इसी "शेष" को पकड़ती है। उनकी रचनाओं में चीज़ें सीधे-सीधे सुलझती नहीं, बल्कि और उलझती हैं, ताकि असली सच सामने आ सके। कविता *'चाँद का मुँह टेढ़ा है'* में देखें: *"नगर के बीचो बीच/ आधी रात – अंधेरे की काली स्याह/ शिलाओं से बनी हुई दीवालों के ढेरों पर, अहातों के काँच टुकड़े जमे हुए/ ऊँचे ऊँचे कंधों पर, सिरों पर चाँदनी की फैली हुए सांवलाई झालरें। कारख़ाना-अहाते के उस पार/ कलमुंहीं चिमनियों के मीनार उद्गार चिन्हाकार। मीनार के बीचो बीच चाँद का टेढा मुंह लटका,* ..... (मुक्तिबोध 1980 ब, पृ. 273) इसमें रोचक बात है कि 'चाँद' जैसे सौंदर्य, वात्सल्यता और आस्था के प्रतीक' जिसकी तुलना में स्त्री के सुंदर मुख से की गई थी और जो बच्चो के लिए 'चंदा मामा' है, जिसे धार्मिक परंपराओं ने 'शिव' के मस्तक पर बैठा दिया, इसी 'चाँद' के प्रतीक को बिल्कुल उलटकर एक कुरूप, टेढ़ा और डरावना रूप दे दिया गया है। मुक्तिबोध को 'चाँद' एक तानाशाह के रूप में नजर आ जाता है जो उस आधुनिक शहर के ऊपर राज करता है जहाँ फ़ैक्ट्रियो से काला धुआँ उठता है और बड़ी- बड़ी मल्टीस्टोरी बिल्डिंग है। ऐसा लगता है कि मानो कारखाना-अहाते, कल-मुँही चिमनों के साथ दिखने की वजह से ही चाँद का मुँह टेढ़ा है। जीवन की वस्तुगत कठोरता को काव्य बोध के दायरे में खींच लाया गया है। यह एहसास भी जैसे अनजाने ही उभरता है कि शायद कहीं और से देखने पर चाँद वैसा ही लगता हो, जैसा हम आम तौर पर जानते आए हैं।

सात्र की दृष्टि से मुक्तिबोध की कविता और भी अधिक समकालीन हो जाती है। सात्र के लिए मनुष्य "स्वतंत्रता के लिए अभिशप्त" है, वह अपने चयन से बच नहीं सकता[3] (सात्र, 2007, पृ. 17)। मुक्तिबोध का कवि भी लगातार चुनता है—चुप रहने या बोलने का, समझौता करने या प्रतिरोध करने का, समाज के साथ बहने या उसके विरुद्ध खड़े होने का। मारक्यूज़ के अनुसार उन्नत औद्योगिक समाज में एक तरह की सुविधाजनक, सहज और तर्कसंगत दिखने वाली आज़ादी के भीतर छिपी पराधीनता फैल जाती है, और लोग धीरे-धीरे अपनी पहचान अपनी ही बनाई वस्तुओं में देखने लगते हैं। एक प्रकार की "सुविधाजनक पराधीनता" पैदा होती है। (मारक्यूज़, 1964, पृ. 9)। मुक्तिबोध की फैंटेसी इसी स्थिल हो चुकी चेतना को झकझोरती है। इसलिए उनका काव्य केवल साहित्य नहीं, एक दार्शनिक अभ्यास है—ऐसा अभ्यास जो मनुष्य को अपने भीतर, अपने समाज और अपनी भाषा के साथ फिर से टकराने के लिए मजबूर करता है।

अवधारणात्मक विमर्श: चेतन, अवचेतन, और भाषा

आधुनिक दर्शन के समक्ष सबसे मूल प्रश्न यह है कि मनुष्य स्वयं को किस हद तक जान सकता है। यदि चेतना ही ज्ञान का आधार है, तो क्या यह मान लेना उचित है कि मनुष्य स्वयं के प्रति पारदर्शी है? इसी विश्वास को सिग्मंड फ्रायड का कथन भीतर से तोड़ देता है—"अहं अपने ही घर का पूर्ण स्वामी नहीं है" (फ्रायड, 1917/1963, पृ. 284)। यह कथन केवल मनोवैज्ञानिक उद्घाटन नहीं, बल्कि ज्ञानमीमांसात्मक संकट की उद्घोषणा है। फ्रायड इस संकट का समाधान अवचेतन की अवधारणा में खोजते हैं—जहाँ दमित इच्छाएँ, स्मृतियाँ और निषिद्ध अनुभव सक्रिय रहते हैं (फ्रायड, 1923/1961,

पृ.15)। परंतु यही समाधान एक नई समस्या को जन्म देता है - यदि अवचेतन हमारी सोच और कर्म को प्रभावित करता है, तो क्या स्वतंत्रता (फ्रीडम) और स्वायत्तता (ऑटोनोमी) का विचार टिक पाता है? यहीं जाक लाकाँ का हस्तक्षेप निर्णायक हो जाता है, जो अवचेतन को "भाषा की तरह संरचित" बताते हैं (लाकाँ, 1993, पृ. 119)। इससे 'अवचेतन' कोई स्थिर भंडार नहीं, बल्कि संकेतों और रूपांतरणों की गतिशील संरचना बन जाता है। परिणामतः आत्म अब न तो पूर्णतः ज्ञेय रहता है, न ही स्थिर—वह एक प्रतीकात्मक, अस्थिर और निरंतर निर्मित होती हुई संकल्पनाओं (भाषा) से अपने सत्ता बनाता जाता है।

लेकिन अब एक गहरी दार्शनिक विडंबना सामने आती है - हम सत्य को भाषा के माध्यम से या फिर भाषा में ही खोजते हैं, जबकि भाषा स्वयं अस्थिर है। मौरिस मर्लो-पोंटी इस संकट से निकलने का मार्ग अनुभव की देहधर्मिता में खोजते हैं, उनके अनुसार अनुभव केवल भाषिक नहीं, बल्कि देहगत और संवेदनात्मक भी है (मर्लो-पोंटी, 1962, पृ. 94–95)। परंतु कार्ल मार्क्स इस समाधान को भी चुनौती देते हैं—"मनुष्य की चेतना उसके सामाजिक अस्तित्व से निर्धारित होती है"[4] (मार्क्स, 1978, पृ. 3)। इससे स्पष्ट होता है कि अनुभव भी स्वतंत्र नहीं, बल्कि ऐतिहासिक-सामाजिक संरचनाओं से निर्मित है। परिणामतः चेतन, अवचेतन, भाषा और समाज—चारों स्तरों के बीच एक जटिल अंतर्विरोधी संबंध बनता है, जिसमें कोई एक अंतिम आधार निर्धारित करना संभव नहीं रह जाता।

इसी बहस के केंद्र में मुक्तिबोध का काव्य और व्यक्तित्व एक सघन दार्शनिक स्थल के रूप में उपस्थित होता है। मेरे दृति में मुक्तिबोध की विषयता न तो केवल मनोवैज्ञानिक है, न ही केवल भाषिक या सामाजिक, वह इन सभी स्तरों से अंतसंबंधित है। आर. डी. लैंग के "विभाजित आत्म" (divided self) की अवधारणा यहाँ उपयोगी प्रतीत होती है (लैंग, 1960, पृ. 42–45), और बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन तो इस विभाजन को ही यथार्थ का स्वभाव मानते हैं—सब कुछ कारण-सम्बन्धों से उत्पन्न है, इसलिए कोई स्थिर "आत्म" संभव नहीं (नागार्जुन, 1995, पृ. 69–71)। मुक्तिबोध इन दोनों के बीच एक विशिष्ट स्थिति ग्रहण करते हैं। उनके यहाँ आत्म का विखंडन न तो मात्र रोग है, न ही पूर्णतः स्वीकृत सत्य, वह एक नैतिक, ऐतिहासिक और अस्तित्वगत संघर्ष है। उनकी कविता का "अँधेरा" इसी संघर्ष का रूपक है—जहाँ अवचेतन, सामाजिक विफलता, बौद्धिक अपराधबोध और ऐतिहासिक तनाव एक साथ संचित होते हैं। अब इस विश्लेषण पुनः एक सवाल उठता है - क्या मुक्तिबोध का काव्य मनोवैज्ञानिक है, भाषिक है, सामाजिक है या अस्तित्वगत? असल में, मुक्तिबोध की 'विषयता' एक "विवाद-स्थल" (साइट ऑफ़ कॉन्फ्लिक्ट) है, जहाँ विभिन्न दार्शनिक शक्तियाँ टकराती हैं और एक नई ज्ञानमीमांसा को जन्म देती हैं। उनकी फैंटेसी इसी टकराव की रचनात्मक परिणति है—जहाँ प्रतीक, बिंब और स्वप्न-संरचनाएँ ज्ञान के वैकल्पिक माध्यम बन जाती हैं।

मुक्तिबोध की विषयता (सब्जेक्टिविटी) :

मुक्तिबोध को समझने के लिए उन्हें केवल एक कवि या आलोचक के रूप में पढ़ना पर्याप्त नहीं है, उन्हें एक जटिल विषयता (सब्जेक्टिविटी) के रूप में पढ़ना आवश्यक है। मुक्तिबोध की ज़िंदगी खुद इस बात की गवाही देती है कि उनका "मैं" कोई जमा हुआ, सीधा-सादा सा वजूद (अस्तित्व) नहीं है, असल में वो एक बिखरा हुआ, बेचैन और जुझरू किस्म का व्यक्तित्व है जो हर दौर में, अपने आप को फिर से गढ़ता और निखरता रहता था। उनकी ज़िंदगी में आर्थिक तंगी, नौकरी की अनिश्चितता, बार-बार तबादले, और उनकी वैचारिक चेतना विशेषतौर पर मार्क्सवाद की तरफ़ उनका झुकाव—इन सब चीज़ों ने मिलकर उनकी सोच और व्यक्तित्व दोनों को ही गहराई से प्रभावित किया। अनूप बाली (2021) दिखातें है मुक्तिबोध सिर्फ़ रात में देखे गए सपनों को कविता में नहीं ढालते, बल्कि सपनों को समझने की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के

ज़रिए अवचेतन के गहरे राज खोलते हैं। और वे यहीं नहीं रुकते—अपने कवि-कर्म में अवचेतन की इस चलती-फिरती प्रक्रिया को पूंजीवादी समाज के बड़े संदर्भ से जोड़कर देखते हैं।

इस प्रकार उनकी 'विषयता' को केवल मनोवैज्ञानिक या निजी अनुभव तक सीमित नहीं किया जा सकता, वह सामाजिक, ऐतिहासिक और वैचारिक शक्तियों के अंतःक्रिया से निर्मित एक जटिल संरचना है। वर्तमान परिस्थितियों में, मुक्तिबोध की कविता हमें अपनी खोई हुई आंतरिकता से जोड़ती है। वे हमें मजबूर करते हैं कि हम अपने भीतर झाँकें और देखें कि हम क्या खो चुके हैं, और क्या बचा सकते हैं। मेरी दृष्टि में, उन्हें दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में पढ़ना जरूरी है, क्योंकि वे ज्ञान तृष्णा, सौंदर्य भक्ति, मुक्त हृदय दान, स्वानुकूल कर्मण्य शक्ति के अनुभव में आने वाली परम्परागत कर्त्तव्य बाध्यता के प्रति हमे सचेत करतें हैं। अपूर्वानंद (2022) ने एक पत्र का जिक्र किया है जिसे मुक्तिबोध ने उनके मित्र नेमी बाबू को लिखा था, अंधेरे में' लिखने के लगभग तेरह वर्षों पूर्व, वो लिखते है: '"*क्षण भर के लिए ही सही मैं अपने से चेतन हो उठा. मेरी ज्ञान तृष्णा, सौंदर्य भक्ति, मुक्त हृदय दान, स्वानुकूल कर्मण्य शक्ति का मानो मुझे, क्षण - भर सही बोध हो गया...*" उन्हें डर इस क्षणभर में जो स्वानुभूति है उसे खो जाने का है तभी वो आगे लिखतें है - *"जिस ज़िंदगी को ज़ीने का मुझे आदेश मिला है, कुछ दूसरी ही थी। यह नहीं। परंतु फिर भी, यही चाहता हूँ कि मैं इस दलदल को पार कर जाऊ। सच मुच मुझे जिंदगी के तब्दीली की बहुत बड़ी जरूरत है।*"(अपूर्वानंद, 2022 : पृ 21-22) यहाँ पर यह देखना रोचक है कि किस प्रकार शुरूआत के दौर में ही, एक मनुष्य में उसके होने (बीकमिंग) की क्षणिक अनुभूति होती है और दूसरे ही पल में वह पुनः अपनी कर्तव्य बाध्यता के कारण दुनिया में कुछ होने की दौड़ में शामिल हो जाता है। बौद्ध दृष्टि से देखें तो पल/क्षण अपने में परिपूर्ण है जो सत्य को उद्घाटित करता है व्यक्ति के क्षणिक होने में वह सत्य को अनुभूत करता है लेकिन फिर स्व (बीइंग) होने की प्रक्रिया में तमाम कर्तव्य, परंपरागत सामाजिक नियम से अपने को बंधा हुआ पाता है.। कहने का अभिप्राय है कि क्षणिक अनुभूति अगले क्षण से एक द्वंदात्मक रिश्ता क़ायम करती है, फलस्वरूप 'एक व्यक्तित्व' इसी द्वंद से ही बनता है। अपूर्वानंद (2022) का मानना है कि इस निजी पत्र में भी चार पदों को कितनी सावधानी से रखा गया है क्योकि "इसमें से एक के भी कम होने पर इंसान के पूरा होने पर शक है"। मुक्ति बोध पत्र में लिखते है *"सचमुच अब सारे कर्तव्य से आजादी चाहता हूँ/ चाहता हू मात्र कार्य, अपने अनुकूल/ यह नहीं कि petit-bourgeous (पेटी-बुर्जुआ) हो कर्तव्य चलते चले जाए/ और उसमे फँसता ही चला जाऊ"।* (अपूर्वानंद, 2022 : पृ. 21-22) इस प्रकार, शुरुआत से ही मुक्तिबोध की रचना-धर्मिता चेतन और अवचेतन के द्वंद्व को भाषा के माध्यम से रूपायित करते हुए आधुनिक मानवीय संकट की गहरी पड़ताल करती है।

'एक साहित्यिक की डायरी ' में मुक्तिबोध (2023, पृ. 20-21) "तीन-क्षणों" से रचना-प्रक्रिया की बात करते हैं, वही दरअसल काव्य और ज्ञान दोनों को जोड़ने वाली प्रक्रिया है। पहला क्षण है जीवन का तीव्र अनुभव—यहाँ कवि सीधे यथार्थ से टकराता है। मनोवैज्ञानिक तौर पर यह अनुभव चेतन और अवचेतन दोनों में दर्ज होता है। दार्शनिक रूप से यही कच्चा "सामग्री-तत्त्व" है, जहाँ से ज्ञान की शुरुआत होती है। दूसरे क्षण में यह अनुभव अपने मूल से अलग होकर फ़ैंटेसी का रूप ले लेता है। यहीं कविता की असली रचना शुरू होती है। अवचेतन अपने दबे हुए अर्थों को बिंब, प्रतीक और असामान्य संरचनाओं में सामने लाता है। यह फ़ैंटेसी केवल कल्पना नहीं, बल्कि अनुभव का रूपांतरण है— जहाँ निजी यथार्थ एक व्यापक, लगभग वस्तुगत रूप लेता है। यही वह बिंदु है जहाँ ज्ञान सीधा नहीं, बल्कि प्रतीकात्मक ढंग से निर्मित होता है। तीसरे क्षण में यह फ़ैंटेसी भाषा में ढलती है। यहाँ शब्द केवल अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि अर्थ-निर्माण की सक्रिय प्रक्रिया हैं। कविता लिखते हुए फ़ैंटेसी बदलती, विकसित होती और नए अर्थ ग्रहण करती है—वह व्यक्तिगत अनुभव से आगे बढ़कर सामाजिक यथार्थ से जुड़ती है। इस तरह मुक्तिबोध के यहाँ कविता-रचना और ज्ञान-प्रक्रिया एक ही गतिशील

प्रक्रिया के दो रूप हैं: अनुभव फ़ैंटेसी भाषा। यही क्रम दिखाता है कि कविता केवल सौंदर्य नहीं रचती, बल्कि ज्ञान की नई संभावनाएँ भी खोलती है।

मुक्तिबोध बार-बार दिखाते हैं कि जो हम महसूस करते हैं, उसे पूरी तरह कह पाना आसान नहीं है। इसलिए उनकी भाषा सीधी नहीं है। वह टूटती है, मुड़ती है, जैसे सोच खुद रास्ता ढूंढ़ रही हो। यह वही जगह है जहाँ कविता सिर्फ़ अभिव्यक्ति नहीं रहती, बल्कि एक खोज बन जाती है। मुक्तिबोध की कविता हमें इसी अधूरे, असहज मोड़ पर खड़ा करती है। '*चकमक की चिनगारियाँ* ' में जो भीतर की हल्की-सी चमक है, वह पूरा उजाला नहीं बनती, लेकिन यही सोच की शुरुआत होती है। इसी तरह उनकी लंबी कविताएँ हमें यह एहसास कराती हैं कि भीतर की बेचैनी कोई कमजोरी नहीं, बल्कि समझ की पहली शर्त है। मुक्तिबोध हमें तैयार जवाब नहीं देते। वे हमें उस जगह ले जाते हैं जहाँ हमें खुद सोचना पड़ता है—अपने बारे में, अपने समाज के बारे में और उस भाषा के बारे में जिसमें हम सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं।

यह द्वंद्व केवल मन के भीतर का नहीं है, बल्कि वह पूरे सामाजिक और राजनीतिक जीवन में फैला हुआ है। इसे समझने के लिए *''चकमक की चिनगारियाँ''* की कुछ पंक्तियाँ देखना अर्थपूर्ण होगा – *''अधूरी और सतही ज़िंदगी के गर्म रास्तों पर/ हमारा गुप्त मन/ निज में सिकुड़ता जा रहा/ जैसे कि हब्शी एक गहरा स्याह/ गोरों की निगाहों से अलग ओझल/ सिमिटकर सिफ़र होना चाहता हो जल्द!!''*/ फिर अंत की पंक्ति को भी देखें – ''नहीं होती, कहीं भी ख़तम कविता नहीं होती/ कि वह आवेग-त्वरित काल-यात्री है। व मैं उसका नहीं कर्ता,/ पिता-धाता/ कि वह अभी दुहिता नहीं होती, परम स्वाधीन है, वह विश्व-शास्त्री है।'' (मुक्तिबोध, 1980 ब, पृ. 232-244) । यहाँ जो ''चिनगारियाँ'' हैं, वे सिर्फ़ निजी भाव नहीं हैं। वे उस दबे हुए सामाजिक अनुभव की झलक हैं, जो पूरी तरह सामने नहीं आ पाता। भीतर कुछ लगातार जलता है—यानी चेतना सक्रिय है, सवाल उठ रहे हैं—लेकिन वह पूरी रोशनी में बदल नहीं पाता। यही वह स्थिति है जहाँ ज्ञान अधूरा रह जाता है और जीवन से उसका रिश्ता टूटने लगता है।

समकालीन आलोचना ने मुक्तिबोध की इस जटिल विषयता को विभिन्न दृष्टियों से समझने का प्रयास किया है। अपूर्वानंद (2014) ने मुक्तिबोध की कल्पना को ''लेबर ऑफ़ इमेजिनेशन'' कहा है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उनकी फैंटेसी सहज नहीं, बल्कि संघर्षपूर्ण सृजन है। नामवर सिंह ने अपनी किताब '*कविता के नये प्रतिमान*' में मुक्तिबोध की मशहूर कविता 'अँधेरे में' की ऐसी व्याख्या की कि आलोचना का रास्ता और खुल गया। उनके हिसाब से इस कविता का असल मतलब अपनी पहचान—यानी अस्मिता—की तलाश है. (सिंह 1968).

दार्शनिक तौर पर देखें तो मुक्तिबोध की सबसे बड़ी बात यह है कि वे ''आत्म'' को कोई स्थिर, बना-बनाया रूप नहीं मानते, बल्कि उसे एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया की तरह समझते हैं। उनके यहाँ आदमी एक ही समय में कई स्तरों पर जी रहा होता है—भीतर और बाहर, निजी और सामाजिक, समझ और अनुभव—और इन सभी के बीच लगातार खींचातानी चलती रहती है। यही खींचतान उनकी कविता की असली ज़मीन तैयार करती है। यहाँ मुख्य बात है कि मनुष्य एक साथ कई दबावों और प्रभावों से बनता है, इसलिए उसका सच भी सीधा और एकरेखीय नहीं हो सकता। मुक्तिबोध इसी जटिलता को स्वीकार करते हैं। यही कारण है कि उनकी कविता पढ़ते हुए हमें बार-बार लगता है कि सवाल खत्म नहीं हुए, बल्कि और गहरे हो गए हैं।

मुक्तिबोधीय फैंटेसी की भाषिक रचनाधर्मिता

मुक्तिबोध की कविता सीधे-सीधे नहीं बोलती, बल्कि बिंबों और प्रतीकों के ज़रिए उस अनुभव को सामने लाती

है जिसे साधारण भाषा पकड़ नहीं पाती। मुक्तिबोध की फैंटेसी को केवल सामाजिक यथार्थ की प्रतिक्रिया मानना पर्याप्त नहीं है। अनूप बाली (2021) के अनुसार यह "स्वप्न-कार्य" की उस प्रक्रिया से निर्मित होती है, जिसे सिगमंड फ्रायड ने समझाया—जहाँ अनुभव संघनन और विस्थापन के जरिए नए रूप ग्रहण करता है। मुक्तिबोध के यहाँ यह प्रक्रिया "व्यग्रता-स्वप्न" के रूप में प्रकट होती है, जहाँ व्यक्तिगत बेचैनी व्यापक सामाजिक तनावों और पूंजीवादी विसंगतियों से गहराई से जुड़ जाती है। मुक्तिबोध एक अन्य कविता में लिखते है -"सत्य के गरबीले, अन्याय ना सह, मित्र/संघर्ष करता हुआ तू जीवन का चित्र खीच मिथ्या की हत्या कर बुद्धि के आत्मा के विष भरे तीरों से/ खीच चित्र मानव का प्राणी के रुधिर की लकीरों से"/ (मुक्तिबोध 1980अ, पृ. 258) उनकी फैंटेसी हमें यह महसूस कराती है कि हमारे अंदर और हमारे आसपास सब कुछ ठीक-ठाक नहीं है। इसलिए उनकी कविता कभी-कभी तुरंत समझ में नहीं आती, लेकिन वही उसकी ताकत है—क्योंकि वह हमें रुककर ना केवल सोचने बल्कि अन्याय और शोषण के विरुद्ध सवाल उठाने के लिए झजकोरती है।

यहीं एक अहम प्रश्न उभरता है - अगर फ़ैंटेसी सत्य को उद्घाटित करती है, तो उसकी भाषा इतनी टूटी, असंगत और विखंडित क्यों दिखाई देती है? "अँधेरे में" की पंक्तियाँ—*"एकाएक टूट गया स्वप्न... हाय, हाय! मैंने उन्हें देख लिया नंगा..."* (मुक्तिबोध, 1980 ब)—दरअसल ज्ञान की उसी प्रक्रिया को दिखाती हैं, जो सीधे और पारदर्शी रूप में नहीं घटती। यहाँ भाषा की टूटन कोई सौंदर्यगत विचलन नहीं, बल्कि ज्ञान-निर्माण की शर्त है। जब चेतना यथार्थ को व्यवस्थित, तर्कसंगत और साफ़ रूप में पकड़ना चाहता है, तब अवचेतन उसके भीतर दबे हुए अनुभवों—भय, अपराधबोध, सामाजिक षड्यंत्र—को बिंबों और प्रतीकों के माध्यम से तोड़ देता है। इस टकराव में जो भाषा बनती है, वह स्वाभाविक रूप से असंगत और विखंडित होती है। ज्ञानमीमांसा के स्तर पर इसका अर्थ यह है कि सत्य हमेशा सुव्यवस्थित कथन के रूप में उपलब्ध नहीं होता, वह कभी-कभी विखंडन, असमंजस और आंतरिक तनाव के रूप में भी सामने आता है। मुक्तिबोध की फ़ैंटेसी इसी विखंडित भाषा को ज्ञान के ख़ाके की तरह हमारे सामने लाती है। यहाँ "स्वप्न" और "जागरण" के बीच का अंतर भी धुंधला हो जाता है—यानी ज्ञान केवल चेतना के अनुभव का परिणाम नहीं, बल्कि अवचेतन की सक्रिय भागीदारी से निर्मित होता है। इसलिए कविता में जो 'अस्पष्टता' दिखाई देती है, वही दरअसल उस जटिल यथार्थ की ओर इशारा है, जिसे सीधी और सपाट भाषा पूरी तरह पकड़ नहीं पाती। इस प्रकार मुक्तिबोध की भाषा हमें यह सिखाती है कि ज्ञान का मार्ग हमेशा रैखिक और स्पष्ट नहीं होता, वह अक्सर टूटन, विसंगति और प्रतीकात्मकता के माध्यम से ही अपने को प्रकट करता है—और यही फ़ैंटेसी की वास्तविक ज्ञानमीमांसीय भूमिका है। मुक्तिबोध की कविता में फ़ैंटेसी को समझने का सबसे गहरा रास्ता भाषा और अवचेतन के रिश्ते से होकर जाता है। कविता *"दिमागी गुहांधकार का ओरांग उटांग"* में भाषा सीधी सूचना नहीं देती, बल्कि टूटी, असंगत और विचित्र बिंबों के माध्यम से काम करती है—"मेरे भीतर बैठा है/ एक ओरांग-उटांग/ दिमागी गुहांधकार में"—यह वाक्य संरचना दिखाती है कि अवचेतन किस तरह प्रतीकों में व्यक्त होता है (मुक्तिबोध, 1980 ब, 163)। इस संदर्भ में लाकाँ का कथन—"अवचेतन भाषा की तरह संरचित होता है"[6]—प्रासंगिक हो जाता है (लाकाँ, 1977 पृ 207)। मुक्तिबोध इस विचार को आगे बढ़ाते हुए दिखाते हैं कि यह भाषिक संरचना केवल मनोवैज्ञानिक नहीं, बल्कि सामाजिक और ऐतिहासिक भी है। दार्शनिक स्तर पर यहाँ सत् और असत् की सीमाएँ धुंधली हो जाती हैं। जो "असत्" या अवास्तविक प्रतीत होता है, वही दबे हुए "सत्" का उद्घाटन करता है। यह प्रक्रिया फ्रायड की उस धारणा से भी जुड़ती है कि "अवचेतन दमित अनुभवों को प्रतीकों के रूप में प्रकट करता है"□ (फ्रायड, 1953, पृ. 13)। इस प्रकार चेतन और अवचेतन के द्वंद्व में भाषा एक संघर्ष-क्षेत्र बन जाती है, जहाँ अर्थ स्थिर नहीं रहता, बल्कि निरंतर निर्मित होता है।इस द्वंद्वात्मक प्रक्रिया में ज्ञान की नई संभावना उभरती है। मुक्तिबोध की फ़ैंटेसी इस अर्थ में एक वैकल्पिक ज्ञानमीमांसीय विधि बन जाती है, जो यह दिखाती है कि सत्य अक्सर सीधे नहीं, बल्कि जटिल, असहज और

प्रतीकात्मक रूपों में प्रकट होता है।

लाकाँ का यह विचार कि अवचेतन "संकेतों की श्रृंखला" की तरह काम करता है—जहाँ अर्थ बार-बार खिसकता है और कभी पूरी तरह स्थिर नहीं होता—मुक्तिबोध की कविता को समझने में काफी मदद करता है (लाकाँ, 1977)। उनकी कविताओं में भी एक बिंब दूसरे से जुड़ता है, फिर टूटता है और नया अर्थ बना देता है। यहाँ तक तो लाकाँ और मुक्तिबोध एक-दूसरे के करीब लगते हैं—दोनों मानते हैं कि मनुष्य का अनुभव सीधा, सपाट और पारदर्शी नहीं है, बल्कि भाषा और अवचेतन के बीच फँसा हुआ है और उसी से अपना रूप लेता है । लेकिन यहीं पर फिर दोनों के बीच एक अहम फर्क भी दिखाई देना शुरू हो जाता है। लाकाँ के यहाँ अवचेतन मुख्यतः भाषिक संरचना के रूप में समझा जाता है—अर्थात वह "दूसरे" (अदर) की भाषा में निर्मित होता है। यानी व्यक्ति का 'मैं' पहले से बनी हुई भाषिक और सामाजिक संरचनाओं में फँसा हुआ है। इसके विपरीत, मुक्तिबोध इस संरचना को केवल स्वीकार नहीं करते, बल्कि उसके खिलाफ एक आलोचनात्मक तनाव भी पैदा करते हैं। उनकी कविता में भाषा सिर्फ़ अर्थ के फिसलने का खेल नहीं है, बल्कि एक संघर्ष-स्थल है जहाँ सामाजिक यथार्थ, नैतिक बेचैनी और ऐतिहासिक दबाव टकराते हैं। उदाहरण के लिए, '*एक आत्म- वक्तव्य* ' ' में बोलने वाला 'मैं' अपने ही कथन पर भरोसा नहीं कर पाता—वह कहता है, फिर उसे काटता है, फिर बदल देता है। *(मुक्तिबोध 1980 ब, पृ. 392)* यह लाकाँ के "स्लाइडिंग ऑफ़ सिगनिफायर " की तरह लगता है, लेकिन मुक्तिबोध के यहाँ यह सिर्फ़ भाषिक अस्थिरता नहीं है, मेरी दृष्टि में यह एक नैतिक और सामाजिक संकट भी है। आदमी जानता है कि सच क्या है, फिर भी उसे पूरी तरह कह नहीं पाता। यहाँ चेतन और अवचेतन का द्वंद सिर्फ़ भाषा के स्तर पर नहीं, बल्कि जीवन के स्तर पर भी सक्रिय है। यही वह दोराहा है जहाँ मुक्तिबोध, लाकाँ से अलग राह चुन लेतें है। लाकाँ के यहाँ 'अर्थ का स्थगन' एक तरह की 'संरचनात्मक अनिवार्यता' है—अर्थ हमेशा अधूरा रहेगा। लेकिन मुक्तिबोध इस अधूरेपन को केवल स्वीकार नहीं करते है, वे उसे बदलने की बेचैनी भी रखते हैं। उनकी कविता में यह स्पष्ट है कि यह अस्थिरता कोई अंतिम स्थिति नहीं, बल्कि एक ऐसी अवस्था है जिसे समझकर आगे बढ़ा जा सकता है। इसीलिए उनकी कविता में चेतन और अवचेतन का द्वंद एक जीवित संघर्ष बन जाता है, जहाँ मनुष्य न पूरी तरह भाषा का कैदी है, न पूरी तरह मुक्त, बल्कि दोनों के बीच जूझता हुआ एक सक्रिय अस्तित्व है।

मुक्तिबोध की फैंटेसी उस आधुनिक मनुष्य की मनोदशा को पकड़ती है, जो अपने समय से असहज है और भीतर ही भीतर संघर्ष कर रहा है। यही बात उनकी कविता ' *मैं तुम लोगों से* दूर हूँ 'में साफ नजर आती है—*"मैं तुम लोगों से इतना दूर हूँ" …… "जो तुम्हारे लिए विष है, मेरे लिए अन्न है"* (मुक्तिबोध 1980 ब, पृ. 219)। यहाँ यह दूरी भागने की नहीं, बल्कि अपने समय की बनावटी सहजता और झूठे संतुलन से असहमति की है। फैंटेसी हमें यह एहसास कराती है कि जिसे हम ठोस सच मानते हैं, वह भी कहीं न कहीं बनावटी ही है, न हमारे भीतर कुछ स्थिर है, न बाहर की दुनिया। मनुष्य, समाज और भाषा—तीनों हर पल अपने ही नए रूप गढ़ते रहते हैं। इसलिए उनकी कविता में चीज़ें साफ़-साफ़ नहीं मिलतीं, बल्कि टकराती हुई, बदलती हुई और कई बार उलझी हुई दिखाई देती हैं।

मुक्तिबोध की कविता में शब्दों की "गूँज" केवल ध्वनि का असर नहीं है, बल्कि वह पाठक के भीतर चलने वाली एक ज्ञानात्मक और संवेदनात्मक प्रक्रिया बन जाती है जो लगातार उसे कंपन्नित करती रहती है। '*अँधेरे में* ' की पंक्तियाँ—*"ओ मेरे आदर्शवादी मन / ओ मेरे सिद्धांतवादी मन / अब तक क्या किया? / जीवन क्या जिया//"*—सीधे अर्थ देने के बजाय पाठक को अपने ही सामने खड़ा कर देती हैं (मुक्तिबोध, 2004) । यह गूँज दरअसल एक तरह की आत्म-जाँच है, जहाँ कविता पढ़ते हुए आदमी अपने ही जीवन से सवाल करने लगता है। अपूर्वानंद (2014) इस बात पर ज़ोर देते हैं कि "मुक्तिबोध

की कविता काम करती है"।वह पढ़ने के बाद भी खत्म नहीं होती, बल्कि हमारे भीतर चलती रहती है।

अब अगर इसे मर्लो-पोंटी के दर्शन के साथ पढ़ें, तो एक दिलचस्प बहस सामने आती है। मर्लो-पोंटी कहते हैं कि भाषा अनुभव को केवल व्यक्त नहीं करती, बल्कि उसे रचती भी है—अर्थ पहले से तय नहीं होता, वह बोलते समय बनता है (मर्लो-पोंटी, 1962, पृ. 180)। इस स्तर पर मुक्तिबोध उनसे सहमत दिखाई देंगे, क्योंकि उनकी कविता में भी अर्थ किसी एक जगह स्थिर नहीं रहता बल्कि वह पढ़ते समय बनता है और बदलता है। उनके शब्द इसलिए "गूँजते" हैं, क्योंकि वे अनुभव को नया आकार देते हैं। लेकिन यहीं एक महत्वपूर्ण असहमति भी सामने आती है। मर्लो-पोंटी के यहाँ भाषा का यह निर्माण अधिकतर अनुभव की देहधर्मिता और संवेदनात्मक दुनिया से जुड़ा है। जबकि मुक्तिबोध इस प्रक्रिया को एक कदम आगे ले जाते हैं और उसमें नैतिक तथा सामाजिक तनाव को शामिल कर देते हैं। उनकी भाषा केवल अनुभव को रचती नहीं, बल्कि उसे कटघरे में भी खड़ा करती है। यानी जहाँ मर्लो-पोंटी भाषा को "अनुभव की अभिव्यक्ति और विस्तार" मानते हैं, वहीं मुक्तिबोध अपनी फैंटेसी में उसे "आलोचना और आत्म-संघर्ष" का माध्यम भी बना देते हैं।

इसी आधार पर मुक्तिबोध की रचनाधर्मिता कुछ नई संभावनाएँ खोलती है। पहली, कविता को केवल सौंदर्य या भाव की चीज़ न मानकर एक "सोचने की प्रक्रिया" के रूप में देखा जा सकता है। दूसरी, भाषा को स्थिर अर्थ देने वाले माध्यम के बजाय एक "खुला क्षेत्र" माना जा सकता है, जहाँ अर्थ बनता और बदलता है। तीसरी, पाठक की भूमिका बदल जाती है अब वह केवल ग्रहण करने वाला नहीं, बल्कि अर्थ-निर्माण में भाग लेने वाला बनता है। चौथी, फ़ैन्टसी को अब पलायन नहीं, बल्कि यथार्थ की गहरी पड़ताल का तरीका समझा जा सकता है।

मुक्तिबोध की फ़ैंटेसी का ज्ञानमीमांसीय विश्लेषण और उसकी संभावनाएँ:

मुक्तिबोध की फैंटेसी का ज्ञानमीमांसीय पाठ करने से यह स्पष्ट होता है कि उनके यहाँ "ज्ञान" किसी स्थिर, अंतिम और सार्वभौमिक सत्य का नाम नहीं है, बल्कि वह एक गतिशील, बहुस्तरीय और निरंतर विकसित होने वाली प्रक्रिया है। उनकी कविताएँ पाठक को तैयार निष्कर्ष नहीं देतीं, बल्कि उसे ऐसी स्थिति में ले जाती हैं जहाँ ज्ञान एक प्रश्न के रूप में उभरता है। इस प्रकार फ़ैंटेसी उनके यहाँ एक ज्ञानमीमांसीय उपकरण बन जाती है, जो चेतन और अवचेतन के द्वंद्व के माध्यम से अर्थ-निर्माण की प्रक्रिया को सक्रिय करती है। जब यह अवचेतन फ़ैंटेसी के माध्यम से व्यक्त होता है, तो वह समाज की छिपी हुई संरचनाओं को उजागर करता है। इस प्रकार ज्ञान केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक अनुभव से निर्मित होता है।

भाषा के स्तर पर मुक्तिबोध की कविता एक विशिष्ट ज्ञानमीमांसीय दृष्टि प्रस्तुत करती है। मुक्तिबोध के यहाँ भाषा को समझने के लिए यह ज़रूरी है कि वह किसी अमूर्त, निष्पक्ष या आदर्श संवाद की भाषा नहीं है, बल्कि जीवन के ठोस, व्यवहारिक अनुभवों और यथार्थ के घटनाक्रम से बनती है। यहीं पर मुक्तिबोध, हेबरमास (1984) के "कम्यूनिकेटिव रैशनलिटी" से तुलना की जा सकती है। हेबरमास के अनुसार भाषा एक ऐसी स्थिति की ओर बढ़ती है जहाँ संवाद पारदर्शी, तर्कसंगत और बराबरी पर आधारित हो—जिसे वे "आइडियल स्पीच सिचुएशन" कहते हैं। लेकिन मुक्तिबोध के यहाँ यह आदर्श बार-बार टूटता है, क्योंकि उनका अनुभव बताता है कि वास्तविक समाज में संवाद पहले से ही शक्ति-संबंधों, वर्गीय असमानताओं और मानसिक विभाजनों से प्रभावित होता है। इसलिए, भाषा कभी पूरी तरह साफ़ या निष्पक्ष नहीं हो सकती; वह हमेशा बाधित रहती है।

अन्य आलोचनात्मक सिद्धांतकारों से भी मुक्तिबोध का फर्क यहीं स्पष्ट होता है। उदाहरण के लिए, अडोर्नो (1973) भाषा और संस्कृति में निहित "वैचारिक वर्चस्व" की बात करते हैं, लेकिन मुक्तिबोध इस आलोचना को और व्यक्तिगत

तथा संवेदनात्मक स्तर पर ले आते हैं—वे दिखाते हैं कि यह वर्चस्व व्यक्ति के भीतर तक उतर जाता है। फूको (1977) भाषा को सत्ता-ज्ञान की संरचनाओं से जोड़ते हैं, जबकि मुक्तिबोध इन संरचनाओं के बीच फँसे हुए 'जीवित अनुभव' को सामने लाते हैं। उनके यहाँ भाषा केवल सत्ता की संरचना नहीं, बल्कि उस व्यक्ति की टूटी हुई चेतना की अभिव्यक्ति भी है, जो इन संरचनाओं में जी रहा है। उनकी अन्य फैंटेसी 'ब्रह्मराक्षस 'नामक कवित के अंतिम अंश को देख सकतें है- "मैं ब्रह्मराक्षस का सजल-उर शिष्य/ होना चाहता/ जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य, उसकी वेदना का स्रोत/ संगत, पूर्ण निष्कर्षों तलक/ पहुँचा सकूँ।" इस तरह मेरा मानना है कि मुक्तिबोध की भाषा आम जन-जीवन के अनुभवों से बनी हुई व्यवहार की ही भाषा है—वह रोज़मर्रा की घटनाओं, तनावों और अनुभूतियों से निकलती है। लेकिन अपनी फैंटेसी में उसी के भीतर वह मनुष्य के अवचेतन में वर्षों से दबे पड़े बिंबों, प्रतीकों और रूपकों को जागृत करती है और एक ऐसा तनाव रचती है कि वे हमारे चेतन में गहराई तक उतरने लगते हैं। यही तनाव उनके काव्य को मानवीय चेतना को झकझोरने वाला बना देता है।

लेविनास (1969) का नैतिक दर्शन "दूसरे" के साथ प्रत्यक्ष साक्षात्कार पर आधारित है, जहाँ "दूसरे का चेहरा हमें नैतिक रूप से बाध्य करता है" ("दूसरे का चेहरा हमें आदेश देता है कि हम उसके प्रति उत्तरदायी हों"). इस दृष्टि में नैतिकता का उद्गम आत्म से बाहर स्थित है। मुक्तिबोध इस विचार से आंशिक रूप से सहमत प्रतीत होते हैं, क्योंकि उनकी कविता भी व्यक्ति को सामाजिक उत्तरदायित्व की ओर उन्मुख करती है। किंतु वे इस धारणा को यहीं सीमित नहीं रखते। उदाहरण के लिए, **"भूल-गलती"** में यह आत्म अवलोकन देखें—*इतने में, हमीं में से / अजीब कराह-सा कोई निकल भागा/ भरे दरबारे-आम में मैं भी/ सँभल जागा!/क़तारों में खड़े ख़ुदग़र्ज़-बा-हथियार/बख़्तरबंद समझौते/सहमकर, रह गए, दिल में अलग जबड़ा, अलग दाढ़ी लिए, दुमुँहेपन के सौ तज़ुर्बों की बुज़ुर्गी से भरे, दढ़ियल सिपहसालार संजीदा/ सहमकर रह गए!!* " मुक्तिबोध (1980 ब 2, पृ. 390) इस प्रकार मुक्तिबोध के यहाँ नैतिकता केवल "दूसरे" के साथ संबंध का प्रश्न नहीं, बल्कि आत्म-आलोचना और ऐतिहासिक चेतना का भी प्रश्न है। मुक्तिबोध के यहाँ नैतिकता की शुरुआत भीतर से होती है—एक ऐसे "आंतरिक दूसरे" से, जो व्यक्ति को उसकी ऐतिहासिक और सामाजिक विफलताओं के सामने खड़ा करता है। अतः यह कहा जा सकता है कि मुक्तिबोध लेविनास की "दूसरे" की अवधारणा को एक भिन्न और अधिक आत्मसंघर्षपूर्ण धरातल पर रख देते हैं। उनके यहाँ नैतिक उत्तरदायित्व केवल बाहरी 'दूसरे' की पुकार सुन लेने भर से पूरा नहीं होता; वह तब तक अधूरा रहता है, जब तक व्यक्ति अपने भीतर मौजूद विखंडन, आत्म-भ्रम और आत्म-आलोचना से होकर नहीं गुजरता। यानी मुक्तिबोध यह संकेत देते हैं कि बाहरी नैतिकता की सच्ची शुरुआत भीतर के नैतिक संघर्ष से ही होती है—और यदि यह आंतरिक मंथन अनुपस्थित है, तो 'दूसरे' की आवाज़ भी केवल औपचारिक रह जाती है।

आलोचनात्मक ज्ञान के स्तर पर नागार्जुन (1995) के अनुसार सभी वस्तुएँ संबंधों से निर्मित होती हैं और उनका कोई स्थायी स्वभाव नहीं होता। मुक्तिबोध की फ़ैंटेसी और बौद्ध सूत्र "आत्म दीपो भव" को साथ रखकर देखें, तो एक गहरा दार्शनिक संबंध उभरता है। बुद्ध का "अत्तदीपा विहरथ" यह कहता है कि व्यक्ति अपने विवेक और जागरूकता के आधार पर ही सत्य तक पहुँच सकता है, किसी बाहरी सहारे से नहीं (बुद्ध.1995)। मुक्तिबोध इसी बात को आधुनिक संदर्भ में आगे बढ़ाते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण मोड़ के साथ। उनके यहाँ "भीतरी प्रकाश" कोई शांत, स्थिर चेतना नहीं है, बल्कि द्वंद्व से भरा हुआ क्षेत्र है—जहाँ चेतन और अवचेतन लगातार टकराते हैं। अंततः, मुक्तिबोध की फ़ैंटेसी एक बहुस्तरीय ज्ञानमीमांसीय संरचना प्रस्तुत करती है, जिसमें आत्म-ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, भाषिक ज्ञान, नैतिक ज्ञान और आलोचनात्मक ज्ञान एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। उनकी कविता ज्ञान को एक जीवित, गतिशील और आलोचनात्मक प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करती है, जिसकी वैधता अनुभव, व्यवहार और व्याख्या में निहित है। मुक्तिबोध की यह दृष्टि आज के समय में विशेष रूप से प्रासंगिक है, जहाँ ज्ञान को अक्सर सतही सूचना तक सीमित कर दिया जाता है। उनकी कविता हमें

यह सिखाती है कि ज्ञान केवल उत्तरों में नहीं, बल्कि प्रश्नों और द्वंद्वों में भी निहित होता है। इस प्रकार मुक्तिबोध की फ़ैंटेसी चेतन और अवचेतन के द्वंद्व के माध्यम से ज्ञान की एक नई संभावना प्रस्तुत करती है, जो निरंतर विकसित होती रहती है।

उपसंहार

इस अध्ययन में एक बात सबसे मजबूती से उभरकर आती है, कि मुक्तिबोध के यहाँ अवचेतन कोई बंद तहखाना नहीं है, बल्कि एक जीवित क्षेत्र है—जहाँ पर इतिहास, समाज और नैतिक बेचैनी एक साथ सक्रिय रहते हैं। भाषा के स्तर पर भी एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है। मुक्तिबोध की भाषा को अगर हम "कठिन" कहकर टाल दें, तो हम उसकी असली भूमिका को नहीं समझ पाएँगे। उनकी फैंटेसी उस जटिल सामाजिक और पारम्परिक ताने-बाने के मकड़ जाल को तोड़ते हुई आगे बढ़ती है, जिसमें मनुष्य फँसा रहता है। यह केवल बाहरी संरचनाओं को नहीं, बल्कि उन अदृश्य जालों को भी उजागर करती है जो परंपरा, मान्यताओं और सामाजिक आदतों के रूप में हमारे भीतर तक गहरे पैठे होते हैं। यहीं उनका तरीका हेबरमास के विमर्श से अलग राह ले लेता है, क्योंकि जहाँ हेबरमास भाषा को एक साफ़ और बराबरी वाले संवाद की दिशा में ले जाने की कोशिश करतें है। वहीं मुक्तिबोध दिखाते हैं कि असली दुनिया में संवाद पहले से ही बिगड़ा हुआ, वहाँ सत्ता, वर्ग और डर बीच में आ जाते हैं।

नैतिकता के सवाल पर यह शोध एक और अहम मोड़ लेता है। लेविनास के यहाँ 'दूसरा' हमें बाहर से पुकारता है—"दूसरे का चेहरा हमें जिम्मेदार बनाता है"—लेकिन मुक्तिबोध दिखाते हैं कि अगर आदमी अपने भीतर के सवालों से नहीं जूझता, तो बाहर की कोई भी पुकार टिकाऊ नहीं होती। उनकी कविताओं में जो "भीतरी दूसरा" है, वही असली नैतिक चुनौती है—वह हमें हमारी ही कमजोरियों और समझौतों के सामने खड़ा कर देता है।

इस शोध में बौद्ध दर्शन के साथ हुए संवाद समेटते हुए यह कहा जा सकता है मुक्तिबोध और नागार्जुन दोनों आत्म की अस्थिरता और संबंधपरकता को स्वीकार करते हैं, लेकिन उनके निष्कर्ष अलग दिशाओं में जाते हैं। मुक्तिबोध के यहाँ यह स्थिति विरक्ति नहीं, बल्कि एक सक्रिय आलोचनात्मक ऊर्जा है, जो व्यक्ति को अपने समय के अन्याय और अपने भीतर के संघर्ष से सीधे भिड़ने को प्रेरित करती है।

अब अगर पूरे शोध के तीन उद्देश्यों की तरफ लौटें, तो वे एक-दूसरे से जुड़े हुए रूप में पूरे होते दिखते हैं। चेतन–अवचेतन और भाषा के रिश्ते को समझने से यह साफ़ हुआ कि सृजन निजी नहीं, बल्कि सामाजिक और ऐतिहासिक प्रक्रिया है। फ़ैंटेसी के काव्यात्मक विश्लेषण ने यह दिखाया कि वह, आधुनिक मनुष्य के अंतर्विरोधों को पकड़ने का सबसे प्रभावी तरीका है। और ज्ञानमीमांसा के स्तर पर यह स्थापित हुआ कि कल्पना भी ज्ञान का वैध रूप हो सकती है—कभी-कभी वही सच को ज़्यादा साफ़ तरीके से दिखाती है।

इस पूरी बहस में मेरी स्थिति साफ़ है- मुक्तिबोध को "दुर्बोध" कहकर किनारे करना आसान है, लेकिन इससे हम उस कठिन सच्चाई से बच जाते हैं जिसे वे सामने लाते हैं। अंततः मेरी दृष्टि में, मुक्तिबोध की ताकत ही उनकी सबसे बड़ी चुनौती भी हो जाती है। उनकी फ़ैंटेंसी में कई बार उनकी भाषा इतनी घनी, उलझी और दुरूह हो जाती है की उसके निहितार्थ को पकड़ना कठिन हो जाता है। लेकिन शायद यही उनकी शर्त भी है, क्यो कि अगर जीवन का यथार्थ इतना जटिल है, तो उसे समझने की भाषा भी आसान तो नहीं हो सकती। यही कारण है कि मुक्तिबोध हमें सिर्फ़ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि लगातार पढ़ने और सोचने के काम में लगा देते है।

संक्षिप्त नोट्स (Endnotes)

1 अडोर्नो स्पष्ट कहते हैं कि **"the name of dialectics says no more, to begin with, than that objects do not go into their concepts without leaving a remainder"** (अडोर्नो , 1973, पृ 5)।

2 **Man is condemned to be free"** (सार्त्रे , 2007, पृ 17)

3 **"We are left alone, without excuse. That is what I mean when I say that man is condemned to be free"** (सार्त्रे, 2007, पृ. 17).

4 "The people recognize themselves in their commodities; they find their soul in their automobile, hi-fi set, split-level home, kitchen equipment." (मारक्यूज़, 1964, पृ. 9)

5 "The ego is not master in its own house." (फ्रायड, 1917/1963, पृ. 284)

6 "We call a process unconscious when we have to assume that it is active… although we know nothing about it." (फ्रायड, 1923/1961, पृ. 15)

7 "It is not the consciousness of men that determines their existence, but their social existence that determines their consciousness." मार्क्स (1859/1978: पृ. 3)

8 "The individual experiences himself as being more or less divorced from his body… the self is split into a true self and a false-self system." (लैंग, 1960, पृ. 42–45)।

9 सब्जेक्टिविटी' के लिए 'विषयता' शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि यह केवल 'व्यक्तिपरकता' नहीं, बल्कि अनुभव-निर्माण की सक्रिय चेतना को सूचित करता है। Yashdev Shalya के अनुसार विषयता वह आंतरिक स्थिति है जिसमें 'स्व' अपने अनुभवों, अर्थों और मूल्यों का सृजन करता है; यह निष्क्रिय ग्रहण नहीं, बल्कि अर्थ-रचना की प्रक्रिया है (शल्य, 1985)।

10 "The unconscious is structured like a language." (लाकाँ 1977, पृ.203)

11 **"Dreams employ this symbolism to give a disguised representation to their latent thoughts"** (फ्रायड 1953, पृ 113).

संदर्भ

1. अडोर्नो, टी. डब्ल्यू. (1973). *नेगेटिव डायलैक्टिक्स* (ई. बी. एश्टन, अनुवादक). [न्यूयॉर्क]: कंटिन्यूअम. (मूल कृति 1966)
2. अनूप बाली. (2021). मुक्तिबोधीय फैंटेसी, स्वप्न-कार्य की तकनीक तथा मुक्तिबोध के व्यग्रता स्वप्न. *अपनी माटी* (ऑनलाइन पत्रिका). https://www.apnimaati.com/2021/07/blog-post_49.html
3. अपूर्वानंद. (2014, 11 सितंबर). द वर्कर ऑफ पोएट्री. द *इंडियन एक्सप्रेस*. https://indianexpress.com/article/opinion/columns/the-worker-of-poetry/
4. अपूर्वानंद. (2020). *मुक्तिबोध की लालटेन*. [नोएडा]: सेतु प्रकाशन.
5. बुद्ध. (1995). *दीघ निकाय* (महापरिनिब्बान सुत्त) (भिक्खु बोधि, अनुवादक). [बोस्टन]: विज़डम पब्लिशेशन्स.
6. फूको, मिशेल. (1977). *डिसिप्लिन एंड पनिश: द बर्थ ऑफ द प्रिजन* (ए. शेरीडन, अनुवादक). [न्यूयॉर्क]: पैंथियन बुक्स.
7. फ्रायड, सिग्मुंड. (1953). द *इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स* (जे. स्ट्रेची, अनुवादक). In जे. स्ट्रेची (सम्पा.), द *स्टैंडर्ड एडिशन ऑफ द*

कम्प्लीट साइकोलॉजिकल वर्क्स ऑफ सिग्मुंड फ्रायड (खंड 4–5). [लंदन]: होगार्थ प्रेस.

8. फ्रायड, सिग्मुंड. (1961). *द इगो एंड द इड* (जे. स्ट्रेची, अनुवादक). [न्यूयॉर्क]: नॉर्टन. (मूल कृति 1923)
9. फ्रायड, सिग्मुंड. (1963). *इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स ऑन साइकोएनालिसिस* (जे. स्ट्रेची, अनुवादक). [न्यूयॉर्क]: नॉर्टन. (मूल कृति 1917)
10. हेबरमास , युर्गेन. (1984). *द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन* (वॉल्यूम 1: रीजन एंड द रैशनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी). [बोस्टन]: बीकन प्रेस.
11. लाकाँ, जाक. (1977). *द सेमिनार ऑफ़ जाक लाकाँ: द फ़ोर फ़ंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ़ साइकोएनालिसिस* (ए. शेरिडन, अनुवादक). होगार्थ प्रेस.
12. लाकाँ, जाक. (1993). *द सेमिनार ऑफ जैक्स लाकाँ: बुक III, द साइकोसिसेस, 1955–1956* (आर. ग्रिग, अनुवादक). [न्यूयॉर्क]: नॉर्टन.
13. लैंग, आर. डी. (1960). *द डिवाइडेड सेल्फ: एन एग्ज़िस्टेंशियल स्टडी इन सैनिटी एंड मैडनेस*. [लंदन]: टैविस्टॉक.
14. लेविनास, इमैनुएल. (1969). *टोटैलिटी एंड इन्फिनिटी: एन एसे ऑन एक्सटीरियोरिटी*. [पिट्सबर्ग]: ड्यूक्वेन यूनिवर्सिटी प्रेस.
15. मारक्यूज़, हरबर्ट. (1964). *वन-डायमेंशनल मैन: स्टडीज़ इन द आइडियोलॉजी ऑफ एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सोसाइटी*. [बोस्टन]: बीकन प्रेस.
16. मार्क्स, कार्ल. (1975). *इकोनॉमिक एंड फिलॉसॉफिक मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ 1844*. In *मार्क्स एंड एंगेल्स कलेक्टेड वर्क्स* (वॉल्यूम 3). [मॉस्को]: प्रोग्रेस पब्लिशर्स.
17. मार्क्स, कार्ल. (1978). *अ कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटीक ऑफ पॉलिटिकल इकॉनमी* (प्रिफेस). [मॉस्को]: प्रोग्रेस पब्लिशर्स. (मूल कृति 1859)
18. मर्लो-पोंटी, मॉरिस. (1962). *फेनोमेनोलॉजी ऑफ परसेप्शन*. [लंदन]: रूटलेज.
19. मुक्तिबोध, गजानन माधव. (1980अ). *मुक्तिबोध रचनावली* (खंड 1). [नई दिल्ली]: राजकमल प्रकाशन.
20. मुक्तिबोध, गजानन माधव. (1984ब). *मुक्तिबोध रचनावली* (खंड 2). [नई दिल्ली]: राजकमल प्रकाशन.
21. मुक्तिबोध, गजानन माधव. (2023). *एक साहित्यिक की डायरी*. [नई दिल्ली]: वाणी प्रकाशन.
22. नागार्जुन. (1995). *द फंडामेंटल विज़डम ऑफ द मिडिल वे* (जे. एल. गारफील्ड, अनुवादक). [न्यूयॉर्क]: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
23. नामवर सिंह. (1968). *कविता के नये प्रतिमान*. [नई दिल्ली]: राजकमल प्रकाशन.
24. सार्त्र, जाँ-पॉल. (2007). *एग्ज़िस्टेंशियलिज़्म इज़ अ ह्यूमनिज़्म* (सी. मैकॉम्बर, अनुवादक). [न्यू हेवन]: येल यूनिवर्सिटी प्रेस. (मूल व्याख्यान 1946)
25. शल्य, यशदेव. (1985). *अस्तित्व और अनुभूति*. [जयपुर]: दर्शन प्रकाशन.

सहज जीवन की तलाश है: गर्म रोटी के ऊपर नमक तेल था

डॉ. रुचिरा वर्मा
अतिथि अध्यापक, हिन्दी विभाग, गुरुचरण विश्वविद्यालय, सिलचर

सारांश

आधुनिक समाज एक विचित्र प्रकार के मकड़जाल में उलझता जा रहा है। यह जितना ही उससे मुक्त होना चाहता है उतना ही उसमें डूबता जा रहा है। गर्म रोटी पर नमक तेल था, वशिष्ठ अनूप का संग्रह इसी उलझन से दूर करने, रास्ता दिखाने और मानवीय विकास में एक सार्थक भूमिका निभाने का कार्य करता है। बाजार के प्रभाव, उपभोग की प्रवृति, तीव्रता से अमीर बनने की लालसा, एक क्षण में कितना अधिक कुछ प्राप्त करने की इच्छा में डूबते हुए इन्सान को पहचान कर उसे एक सही रास्ता दिखाने का प्रयास इस संग्रह के माध्यम से वशिष्ठ अनूप करते हैं। वर्तमान समय के लगातार बढ़ते दबाव में खो रहे बचपन, खो रही मानवीय संवेदना, आपसी रिश्तों, सहज मानवीय सम्बन्धों के बिखराव जैसे अनेक भावों को बचाने सम्हालने और उसे उसी रूप में आगे बढ़ान के सहज प्रवृति वशिष्ठ अनूप के इन गजलों में दिखाई पड़ती है। यहाँ पूरे अध्ययन में हम एक साहित्यकार के रूप में मानव को बचा लेने का सहज एवं नैतिक दायित्व इनके तथा इनकी गजलों में देखा जा सकता है। इसका उद्देश्य सरल भाषा में जीवन, जीवन की दिशा, परिवार, परिवार के बुनियादी सम्बन्ध, बचपन, बचपन का भोलापन, आधुनिक समाज, समाज का आधुनिकता में भटकाव, प्रकृति, प्रकृति की चिन्ता, प्रेम एवं सजह सौन्दर्य की अभिव्यक्ति है। साथ ही साथ राजनीतिक चिन्तन भी है। यह सबकुछ आसपास के जीवन का सच है जिसे लोग मानना- समझना नहीं चाह रहे।

बीज शब्द: *आधुनिकतावादी संवेदना, बाजारवादी प्रवृति, उपभोक्तावादी संस्कृति, मनोवैज्ञानिक अवसाद, तकनीकी मनोवृत्ति, चारीत्रिक-मानसिक स्वाधीनता, सामूहिक-सामाजिक बोध, संवेदनशील साहित्यकार।*

आलेख

वर्तमान काल में जीवन के भीतर समाती जा रही विडम्बनाओं से विमुक्त होने के बजाय विडम्बनाओं की ही सजह स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है। जीवन में जो हो रहा है उसके उत्तरदायी अवयवों के प्रति सजग अथवा सचेत होने के स्थान पर मानव सभ्यता, जीवन की विकृतियों को उत्पन्न करने वाली तकनीकी, संसाधनों एवं यंत्रों की आपाधापी में बहुत निमग्न रूप से लगी हुई है। प्रत्येक मनुष्य इस तकनीकी, सुविधा-संयंत्रो को प्राप्त करने के स्वप्न और चिन्ता में ग्रस्त है बल्कि व्याकुल है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि वह अपनी कोमलता, सहजता, सरलता एवं संवेदनशीलता को खोता जा रहा है। बल्कि ऐसे कहें कि स्वयं ही इन मानवीय गुणों को नष्ट करता जा रहा है तो यह गलत नहीं है। विडम्बना यह कि उसे इसका आभास तक नहीं है। दुनिया की गति में खोते जाना ही उसको प्रिय लगता है। वशिष्ट अनूप का गजल संग्रह- **गर्म रोटी के ऊपर नमक तेल था**, इसी दुनियावी गति में खोते और व्याकुल मनुष्य को बचाये रखने का प्रयास है। वस्तुतः तो एक साहित्यकार भी निश्चित रूप से उसी दुनियावी गति में रहता है लेकिन वह आदमियत को बचाये रखने की लगातार कोशिश करता है। उसे मानवीय गति का पता होता है, उसके परिणामों का अनुमान होता है। इस लिहाज से

लोक को सचेत करना उसका नैतिक दायित्व बन जाता है। सचेतन साहित्यकार और सामान्य मनुष्य में बहुत फर्क नहीं होता। बस एक फर्क होता है- अनुभूति का फर्क। यह अनुभूति चेतना द्वारा प्रेरित होती है। ऐसी चेतना से भरे ग़ज़लों का ही संग्रह है- गर्म रोटी के ऊपर नमक तेल था।

ग़ज़ल लेखन में तीन से अधिक दशकों की यात्रा करते हुए वशिष्ठ अनूप का उद्देश्य सदैव ही सर्वे भवन्ति सुखिनः की तलाश में चलते रहते हैं जिसके पीछे एक स्वस्थ, सुन्दर और खुशहाल समाज को बचाए रखने की मंशा रहती है। मानव जीवन की अवस्थाओं, स्थितियों-परिस्थितियों से लेकर मानव गुणों और चरित्रों का अवलोकन- मूल्यांकन करना, उनके प्रति सचेत करना- इन ग़ज़लों में साफ देखा जा सकता है। इनमें किसानों, मजदूरों और मध्यवर्ग का संघर्ष तो दिखता ही है मानव जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं, जैसे- शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, रोजी-रोटी की समस्या आदि की चिन्ता भी झलकती है। सबसे महत्त्वपूर्ण तो यह है कि इनमें बचपन, परिवार का संवेदनात्मक ताना-बाना तथा साथ ही साथ आधुनिक विकास के बीच नष्ट होती प्रकृति तथा उसके अवयवों की चिन्ता को भी महसूस किया जा सकता है। आस-पड़ोस के जीवन पर पड़ते बाजारवाद तथा पूँजीवादी संस्कृति के बढ़ते दबाव एवं आर्थिक साम्राज्यवादी नीतियों तथा साजिशों की भयावहता के बीच सकारात्मक एवं संयत तरीके से अपनी बात को आमजन तक पहुँचाने का एक संक्षिप्त किन्तु सार्थक प्रयास है- गर्म रोटी के ऊपर नमक तेल था।

अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले संकेत करना चाहती हूँ कि वशिष्ठ अनूप भी हिन्दी ग़ज़ल की उसी परम्परा में आते हैं जिनकी भाषा में हिन्दी भाषा ही झलकती है, जहाँ उर्दू का बोझ नहीं है। दुष्यन्त कुमार, अदम गोण्डवी से पहले निराला ने भी ग़ज़लें रची लेकिन उनको (निराला को) कोई महत्त्व नहीं मिला। वर्ष 1960-70 तक इसे उर्दू अजब तक ही सीमित माना गया और स्वीकृत किया गया। उसके बाद जो परम्परा आगे बढ़ी- वशिष्ठ अनूप के साथ आगे प्रवाहमान है। गर्म रोटी पर नमक तेल था, की रचना सरल और बोलचाल वाली हिन्दी में हुई है जो बड़ी सहजता से लोगों तक पहुँतची है। कहा जा सकता है कि इसका उद्देश्य सरल भाषा में जीवन, जीवन की दिशा, परिवार, परिवार के बुनियादी सम्बन्ध, बचपन, बचपन का भोलापन, आधुनिक समाज, समाज का आधुनिकता में भटकाव, प्रकृति, प्रकृति की चिन्ता, प्रेम एवं सजह सौन्दर्य की अभिव्यक्ति है। साथ ही साथ राजनीतिक चिन्तन भी है। यह सबकुछ आसपास के जीवन का सच है जिसे लोग मानना- समझना नहीं चाह रहे लेकिन वशिष्ठ अनूप यह सारा सच कहने की आदत रखते हैं- निगाहों में निगाहें डाल सच कहने की आदत है, जमाने की तरह से मुझको ऐयारी नहीं आती[1]। वैसे तो इस सच में बहुत कुछ आता है परन्तु वशिष्ठ अनूप की ग़ज़लों के विस्तृत कलेवर में पाँच तत्त्व प्रमुखता से प्रकट होते हैं-

1. रिश्तों का मोल
2. सरल और सहज जीवन
3. जटिल जीवन में बालपन एवं बचपन की सुरक्षा
4. प्रकृति की चिन्ता और
5. साधारण जन का चित्रण

जैसा कि पहले संकेत किया गया है मानव जीवन, जटिल से जटिलतम की ओर बढ़ चुका है। इस कारण उनके भीतर से नैतिकता, शिष्टाचार, कोमलता, सद्भावना, सहिष्णुता, प्रेम, रिश्तों के मूल्य जैसी अवधारणाएँ लुप्त हो रही हैं। इनके बारे

में यह भी कहा जा सकता है कि लोग इनको मूल्यहीन समझने लगे हैं। मूल्यहीन मानी जा रही अथवा लुप्त होती जा रही इन प्रवृतियों ने मनुष्य में पर्याप्त फेरबदल कर दिया है। रिश्ते नाते, पड़ोसी, सम्बन्धी सभी बाजार केन्द्रित स्वार्थलिप्सा में खोते जा रहे हैं। वशिष्ठ अनूप इसकी सहज पहचान करते चलते हैं। आज तकनीकी जीवन में माँ-बाप को मोल खत्म हो गया है। केवल अर्थोपलब्धता तथा जरूरत की वस्तुओं के लिए सीमित हो रही उनकी भूमिका से कहीं अधिक भूमिका में उनकी उपस्थिति आवश्यक होती जा रही है। नई पीढ़ी इसे नहीं समझ पा रही है। हम रोज अखबारों में इस चारीत्रिक-मानसिक अवसादों और कुण्ठा से भरे युवाओं की खबरे पढ़ते हैं। ऐसे अवसादों एवं कुण्ठाओं से निर्मित परिवार टूट-बिखर रहे हैं। जिस परिवार, पास-पड़ोस और समाज से जीवन सीखने को मिलता था, वह नष्ट होता जा रहा है। बाजारवाद में माँ के हाथों अथवा घर का बना खाना गायब हो रहा है, सारी समस्याओं का हल माता-पिता से मिलना खतम हो रहा है। इन अवस्था में वशिष्ठ अनूप इन प्रवृतियों को बचाये रखने का ही प्रयास करते हैं-

दरवाजे के पीपल जैसे सब सहते थे बाबूजी
हमें देखकर पढ़ते- लिखते, खुश दिखते थे बाबूजी।
अम्मा तो कह भी देती थी, कभी-कभी मन की बातें
कम खाते थे, गम खाते थे, चुप रहते थे बाबूजी।
पैरों में चप्पले पुरानी, हर मौसम धोती कुर्ता,
दुबले तन पर मजबूती से, सब सहते थे बाबूजी।
फीस, किताबें, होली-खिचड़ी, तीज, रजाई, मेला, हाट
बुनकर के ताने बाले सा सब बुनते थे बाबूजी।[2]

स्थिति ये बन चुकी है कि केवल तकनीकी माध्यमों के सहारे हाल-खबर लेने-देने को ही अपनापन समझा जाने लगा है। यहाँ तक कि लोग अपने घरों में भी आपस में बहुत कम बातचीत करते हैं। आधुनिक सभ्यता में अकेलेपन की आदत, अजनबीयत की प्रवृति में रिश्ते, पड़ोसी सब नष्ट हो रहे हैं। निगाहें भीड़ में अपनों के चेहरे ढूँढती रहतीं, हमें माँ-बाप-बीवी की जुदाई मार देती है[3], कहना संकेत है कि आज की आपाधापी में मनुष्य निरन्तर अकेला हो चुका है। पड़ोसियों के साथ जीवन्तता भरे सम्बन्ध नष्ट होकर चिड़चिहाट भरे संवाद में बदल रहे हैं-

भले ही बर्तनों की भाँति लड़कर झनझनाएगा
फिसलकर जब गिरोगे तब पड़ोसी ही उठाएगा।
कभी आँखें तरेरेगा, कभी पोछेगा आँसू भी
रहेगा, वक्त पर जो पास, वो ही काम आयेगा।[4]

हालांकि इस अवस्था का उत्तरदायी मनुष्य स्वयं है इसीलिए वशिष्ठ अनूप जीवन को सहज और सरल बनाए रखने की बात करते हैं। जीवन की सहजता, लालच और भागम-भाग वाली जिन्दगी से बचाती है। भले ही साधारण जन ये बात न समझ पायें लेकिन जटिल जीवन से बढ़ने वाली मानसिक दबावों एवं कुण्ठाओं का निर्माण वहीं होता है। सबसे आगे रहने का दबाव, परिक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने का दबाव, उपलब्धि का दबाव, तकनीकी संसाधनों को प्राप्त करने का दबाव जैसे अवयव सहज और सरल जीवन पर इतने प्रभावशाली तरीके से हावी हैं कि निकलना कठिन है। इसमें पूँजी और बाजार भी अपनी शक्तिशाली भूमिका निभाते हैं। वे लगातार लोगों के भीतर इन सारी प्रवतियों को लगाए रखते हैं। इन सारी अवस्थाओं पर वशिष्ठ अनूप की पैनी नजर रखते हैं- मोटी रोटी, साग बथुए का व चटनी की महक[5] ,

ये घर बाजार होता जा रहा है[6], मोबाइलों ने फिल्ड से बच्चे उठा लिए[7], हमारे युग की राधा को न भाते गाय और बछड़े, उसे अब चमचमाती कार और बँगले लुभाते हैं[8], फास्ट फूड और चमक दमक वाले इश युग में भी, अम्मा के हाथों का खाना अच्छा लगता है[9]- जैसी पँक्तियाँ वशिष्ठ अनूप के बहुआयामी चिन्तन को हमारे सामने रखती हैं। निश्चित रूप से आज के सामाजिक यथार्थ को प्रकट करने के लिए वशिष्ठ अनूप की बोधशक्ति तथा अनुभव का क्षेत्र बहुत व्यापक है। वे संकेत करते हैं- घरों का बाजार होना, बच्चों पर तकनीकी यंत्रों का प्रभाव, आधुनिक सभ्यता में लोगों की अनियन्त्रित इच्छाओं ने किस प्रकार मानव मन को बदल दिया है, असहज कर दिया है। यह पूरा संग्रह इस सत्य को प्रकट करता है। वशिष्ठ अनूप सीधा-सीधा संकेत करते हैं कि इन सबकी शुरूआत बचपन को मारने से ही हो जाती है इसलिए बचपन को बचाने की कोशिश अब करनी चाहिए-

तुम्हारे मन में जो बच्चा है हरदम पालते रहना
प्रगति की जगमगाहट में ये बच्चा छूट जाता है।[10]
नन्हें-मुन्नों से ममता का आँगन मत छीनो
बच्चों के जीवन से उनका जीवन मत छीनो।
रोना- हँसना जिद करना बच्चों की फितरत है
नई कोंपलों को बढ़ने दो, ठनगन मत छीनों।[11]

बचपन बचाने की बात इसलिए आवश्यक है कि वहीं से मानव मन में सारी चीजें भरी जाती हैं। वर्तमान समय में एक सफल व्यक्ति और एक असफल व्यक्ति दोनों ही एक सी अवस्था से गुजर रहे हैं। सफल व्यक्ति अपनी सफलता को बनाये रखना चाहता है और असफल व्यक्ति उसे प्राप्त करना चाहता है। दोनों का भौतिक उद्देश्य एक ही रहता है। अतः पूरे समाज की गति एक ही दिशा में आगे जा रही है। इसी को उपभोक्तावादी होना कहते हैं। पूरी दुनिया इस अर्थ केन्द्रीत शक्ति के नियन्त्रण में भटक रही है। यही आधुनिकता का उत्तर स्वरूप है जहाँ बाजार के चारो ओर मनुष्य बेचने-बिकने के लिए बैठा है तथा जिसका नियन्त्रण अर्थसत्ता अथवा पूँजी के हाथों में है। इस उपभोक्तावादी प्रवृति के चलते ही बाजार उपलब्ध संसाधनों को प्राप्त करने की लालसा उत्पन्न करता है। सारा बचपन इसी लालसा के दबावों में विकसित होता हुआ अगली पीढ़ी बनाता है और यह क्रम और अधिक तीव्रता से आगे बढ़ता है। बचपन का खतम होना, ऊपर संकेतित जीवन-अवस्थाओं का प्रकट होना इसी के प्रभाव में होता है। अतः वशिष्ठ अनूप के लिए बचपन को सुरक्षित कर लेना बहुत जरूरी लगता है। वहीं से सभी स्थितियाँ बदल अथवा निर्मित हो सकती हैं। हालांकि यह सरल नहीं है। आज का अधेड़ और युवा माता-पिता अपने बच्चों पर जितना जल्दी हो सके दुनिया का बोझ, भागमभाग की आपाधापी को थोप देना चाहते हैं ताकि वह किसी भी मामले में पीछे न रह जाये। ऐसे में लोगों को समझाना इतना सहज नहीं है फिर भी वे इनकी कोमल संवेदना को बनाये रखने की चिन्ता करते हैं-

बैग उठाये सारे बच्चे घर से निकले हैं
चह-चह करते नये परिन्दे घर से निकले हैं।
हर मम्मी ने इन्हें सजाकर टिफिन सजा दी है
पप्पी देकर हाथ हिलाते घर से निकले हैं।
चन्दा माना, खेल खिलौने पीछे छूटे रहे
प्यारे से मासूम फरिश्ते घर से निकले हैं।

नाजुक कन्धों पर सपनों के बोझ उठाने हैं
कुछ चुप-चुप, कुछ रोते-हँसते घर से निकले हैं।
कितने हैं आजाद, भगत, गाँधी, सुबाष इनमें
लेकर कुछ अनबूझ इरादे घर से निकले हैं।[12]

प्रकृति की चिन्ता भी वशिष्ठ अनूप की ग़ज़लों का एक पक्ष है। विचारधारा, तकनीकी विकास के बीच मनुष्य प्रकृति की चिन्ता की बात नहीं करता। उसे संसाधनो के निर्माण, उसके उपभोग और विकसित होती आधुनिक मानवीय प्रवृति के हिसाब से प्रकृति को नियन्त्रित करने की चाह रहती है। इस चाह में प्रकृति का दोहन भी होता है, शोषण भी- जिससे उसका वास्तविक स्वरूप बिगड़ता चला जाता है। पूरी सभ्यता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बढ़ती आबादी के प्रत्येक संसाधन के लिए इसी तयशुदा धरती और प्रकृति पर ही मानव सभ्यता निर्भर करती है। निश्चित रूप से उनके लिए उत्पादनों की आवश्यकता होगी- घर चाहिए संसाधन चाहिए और जीवन के प्रत्येक आधुनिक अवयव चाहिए। अतः प्रकृति के विनाश में पृथ्वी की जनसंख्या सर्वाधिक भूमिका निभाती है जिनकी व्यवस्था के लिए पेड़-पौधे सबसे पहले शदीह होते हैं-

गये मिट्टी के घर, होता है कत्लेआम पेड़ों का
परिंदा सोच में डूबा, कहाँ अब घर बनाएगा [13]
पेड़-पौधे ये धरती के सिंगार हैं
जितना संभव हो इनको सजाया करो [14]

पेड़-पौधों को बचाये रखने की चिन्ता केवल प्रकृति की चिन्ता भर नहीं है। इसके माध्यम से वायुमण्डल का सन्तुलन बनाये रखने का भी प्रयास दिखाई पड़ता है। आक्सीजन और ताजी हवा मनुष्य की पहली आवश्यकता है। अमूमन हम जहाँ रहते हैं वहाँ हरियाली और पेड़-पौधे को अपने हिसाब से रखते हैं लेकिन जंगलों को काटकर मनुष्य के रहने के लिए बनाई जा रही नई बस्तियों, औद्योगिक संयंत्रों का निर्माण निश्चित रूप से प्रकृति का नाश ही है। पानी- जीवन के दूसरी सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसकी सुरक्षा के लिए भी हम कभी ध्यान नहीं देते है। लगातार नदियों को नष्ट करते जाना, उसमें गन्दगी करते जाना- मनुष्य का स्वभाव है। नदियाँ और धरती के भीतर का जल दोनों ही मनुष्य के लिए पानी का एकमात्र स्रोत हैं। इनकी आपूर्ति बारिश से होती है। बारिश के लिए पेड़-पौधों की सघनता आवश्यक होती है। निश्चित रूप से वृक्षों का नष्ट होना, जल के स्रोतों को शुष्क करना है। ठीक इसके साथ ही इस सीमित पानी को प्रदूषित करते जाना मानव सभ्यता के विनाश की पृष्ठभूमि बनता जायेगा। वशिष्ठ अनूप इस पानी का अवस्था का बहुत ही सटिक वर्णन अपनी ग़ज़लों के सहारे करते हैं क्योंकि बिना पानी सब कुछ नष्ट होता जायेगा-

वो हर पल कह रही मेरे भाई क्यों नहीं सुनते
नदी की बेबसी, उसकी दुहाई क्यों नहीं सुनते।
समूचे विश्व की सारी खबर को देख-सुन लेते
नदी गर माँ है तो माँ की रूलाई सुन क्यों नहीं लेते।
नदी की दास्तां किस्से कहानी तक न रह जाए
बहुत फिर याद आयेगी जुदाई क्यों नहीं सुनते।
वो दिन नजदीक हें जब जंग पानी के लिए होगी
लुटेगी पानी पर सारी कमाई क्यों नहीं सुनते।[15]

पानी की जंग सिर्फ पानी की जंग नहीं है। इसका अर्थ यह है कि तब नदियों में पीने लायक पानी नहीं होगा। पेड़-पौधों और जंगलों-पहाड़ों को मनुष्य नष्ट कर चुका रहेगा। पूरा प्राकृतिक सन्तुलन अस्त-व्यस्त हो चुका रहेगा। तब औद्योगिक संसाधनों, जमीन, तेल के लिए संघर्ष नहीं होगा- वह पानी के लिए होगा। इसी के शुरूआती अवस्था की ओर वशिष्ठ अनूप संकेत करते हैं।

वशिष्ठ अनूप की ये ग़ज़लों का एक पक्ष समाज के वंचित समूह की चिन्ता भी है। प्रशासनिक व्यवस्था से लेकर समाज को इनेक प्रति जागरूक करने का प्रयास समाज के हित की ही चिन्ता है। निश्चित रूप से कामगार से लेकर किसान तक की दशा अत्यन्त दयनीय है और होती जा रही है। उनके भीतर भरती कुण्ठा, अनेक प्रकार की मनोवृत्तियों को विकसित करती हैं। पलायन, हताशा, आत्महत्या से लेकर कई अपराध तक इसके परिणाम होते हैं। इन सभी चीजों को सुधारने का प्रयास अगर नहीं होगा तो निश्चित रूप से समाज में असंतुलन बना रहेगा। विभेदकारी समाज को सुधरना होगा तथा समाज के निम्न वर्ग, मजदूर-किसान वर्ग अथवा वंचित वर्ग के लिए बनी व्यवस्थाओं को सटीक तरीके से चलाना होगा। विकसित और अमीर होते वर्ग के लिए, इस वर्ग की अनिवार्य आवश्यकता रहेगी या यह भी कह सकते हैं कि एक बड़ा वर्ग इनके ही बदौलत अमीर होता है अथवा अपनी सम्पदा का निर्माण करता है। अतः इनकी चिन्ता आवश्यक है। अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि अगर ये लोग अगर काम करना छोड़ देंगे तो अमीर वर्ग पूरी तरह से ढह जायेगा। हालांकि देश की अधिक जनसंख्या के चलते ऐसा नहीं होगा। भूखमरी, बेरोजगारी, आर्थिक विपन्नता इतनी भयावह है कि किसी भी मूल्य पर काम करने वाले मिल जाते हैं लेकिन इसके बावजूद भी उनकी अहमियत धनाढ्य वर्ग के लिए सदैव रहेगी। इसका तात्पर्य यह नहीं होना चाहिए कि ऐसी अवस्था में समाज को अथवा विचारवान लोगों को उनके बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए। उनकी चिन्ता अनिवार्य है। वशिष्ठ अनूप की अनेक ग़ज़लें इस चिन्ता को प्रकट करती हैं। ऐसा भी नहीं है कि सरकारें इनके लिए काम नहीं करती हैं लेकिन उनकी और व्यवस्था के बीच में बैठे भ्रष्ट आचरण वालों के चलते यह वर्ग इस नियति का शिकार हो रहा है। इसके प्रति भी जागरूक करने का काम ये ग़ज़लें करती हैं। वशिष्ठ अनूप यह भी संकेत करते हैं कि केवल कागजी खानापूरी, सैद्धान्तिक कार्यवाहियों से यह कार्य संभव नहीं है। यथार्थ जीवन के धरातल से व्यवस्थाओं को नियन्त्रित करके चलाना होगा क्योंकि इस वर्ग को बहुत पढ़ना-लिखना नहीं आता। जीवन के संघर्ष में लड़ते हुए अपने अधिकार और न्याय के प्रति समझदारी की कमी होती है। मेहनती होने के बावजूद भी अपने को बलहीन समझते हैं। ये वर्ग अपनी नियति पर अपने को लाचार समझता है-

था कहाँ तैयार झुकने को किसी दरबार में
पर गरीबी ले गई अपमान के संसार में।
फिर किसी बुधिया की काया बेकफन रखी रही
फिर किसी होरी की बेटी बिक गई बाजार में।
छोड़कर घर चल पड़ा हल्कू मजूरी के लिए
पेट तक भरता नहीं खेती के कारोबार में।[16]

इन ग़ज़लों में साधारण जन का घोर जीवन यथार्थ देखा जा सकता है। 2012 में राँची में रची गई यह ग़ज़ल ऐसे अति साधारण जन के परिवार के अवस्था का सटीक वर्णन करती है-

भूख डाइन सी झपट्टे मारती गुर्रा रही है
एक औऱत बुझ रही सी आग को सुलगा रही है।

सिर पे बोझा, पीठ पर बच्चे को बाँधे जा रही है,
जिन्दगी की जंग में वह हर घड़ी टकरा रही है।
भूख, रोटी, भात, बच्चे, मर्द है दुनिया यही
है कोई मंजिल नहीं , पर जा रही है आ रही है।
भूख से बेहाल बच्चा लोट जाता है जमीं पर
वह उसे चंदा दिखाकर देर से बहला रही है।
शाम को फुर्सत मिली को गुथ रही आटे सी खुद
भूख उसको खा रही है, भूख को वह खा रही है।[17]

यहाँ पर विचार करें तो यह एक दयनीय स्थिति हैं जहाँ से अनेक विकृतियाँ निर्मित होती हैं। यह केवल यथार्थ की प्रस्तुति नहीं है, कई-कई विकृतियों के उपजने का कारण भी हैं। अपने मजबूर और लाचार अवस्था में एक इन्सान कुण्ठित हो सकता है, सपरिवार आत्महत्या कर सकता है, असामाजिक कार्यों जैसे- चोरी, लूटमार, हत्या या अन्य अपराधों की ओर भी बढ़ सकता है। अतः वशिष्ठ अनूप की अनेक ग़ज़लें सामाजिक चेतना को जगाने का प्रयास करती हैं जिससे समाज अपने सही रूप में चल सके तथा किसी के साथ हो रहे भेद तथा अन्याय की अवस्था को बदल सके। भेदभाव की स्थिति को छोड़ भी दिया जाये तो उनकी सबसे बुनियादी आवश्यकता है भोजन, जिसके लिए वे किसी भी अवस्था तक जा सकते हैं-

यूँ भूख ने है तोड़ा, घर-गाँव से शहर तक
हर हाँ में हाँ मिलाते, पिछले कहार हैं हम।[18]

ये ग़ज़लें इस बात की ओर भी संकेत करतीं हैं कि यह जो पूरी दुनिया जिनके मेहनत और श्रम से बन रही है, आगे बढ़ रही है उनके नाम की कहीं चर्चा नहीं होती, उनकी कहीं कोई पहचान भी नहीं होती। समाज और देश उनके मेहनत पर अपना नाम खुदवाकर उसे व्यर्थ छोड़ देता है-

पत्थरों पर नाम राजाओं के खुदवाये गए
नाम गढ़ने वालों के, कोई भी पत्थर है कहाँ।[19]

ऊपर के इन पाँच बिन्दुओं के आधार पर हुई चर्चा में हम देख सकते हैं कि वशिष्ठ अनूप की ग़ज़ल अपनी लोक चिन्तन प्रवृति के भीतर समाज तथा जन के सहज जीवन को बचाये रखने का प्रयास करतीं हैं जिस समाज में मानव के सामान्य स्वरूप बना रहे और उसका वास्तविक तथा कोमल स्वभाव जीवित बचा रहे। आज के आपाधापी और जटिल वैज्ञानिक और तकनीकी जीवन में यह सहज जीवन बचाये रखना इतना सरल नहीं हैं। उसके लिए सभी के सामूहिक बोध की आवश्यकता होगी। हालांकि यह बता पाना मुश्किल है कि इस बोध का विकास होगा भी कि नहीं अथवा इसके प्रति जागरूकता कब होगी लेकिन एक संवेदनशील साहित्यकार अपना कर्म करते रहना चाहता है, इसीलिए उनकी चिन्ता मानव के उन सभी अवयवों को बचा लेने तथा उनके खतरों के प्रति आगाह करना होता है जिसका सीधा सम्बन्ध मानव के सहज- सरल अथवा उसके लोक स्वरूप के बचा लेना होता है क्योंकि उन्हें लगता है कि सबकुछ खतरे में है और अपनी क्षमता भर वे सबकुछ बचा लेना चाहते हैं-

फूल की खुशबू हवा की ताजगी खतरे में है
लोकगीतों की खनकती, रागिनी खतरे में हैं।

सभ्यता इस दौर की है निर्वसन होने लगी
आदमीयत गुम रही है आदमी खतरे में हैं।
पानी पानी को तरसती सोच में डूबी नदी
हो रही हर रोज दूषित जिन्दगी खतरे में है।
पत्थरों के जंगलों में पल रहे विषधर तमाम
प्यार में डूबी हुई निष्छल हँसी खतरे में है।
लोग अब करने लगे हैं यूँ अंधेरों को नमन
चाँदनी सहमी हुई है रोशनी खतरे में है।
दिन ब दिन रंगीन होता जा रहा संसार यूँ
इन दिनों सदियों सराही सादगी खतरे में है।[20]
तीज पिड़िया, राखियों, शहनाइयों का प्रश्न है
कत्ल होती, भय में जीती बेटियों का प्रश्न है।
प्रश्न है कचरे में जीवन ढूँढते बच्चों का भी
हर तरह असहाय बूढ़ी लाठियों का प्रश्न है।
जंगलों, नदियों, पहाड़ों के निधन का प्रश्न है ही
कुछ घरों में पिट रहे वनवासियों के प्रश्न है।
कुछ घरों में भले पिज्जा-बर्गरों का दौर हो
गाँव-गलियों में अभी भी रोटियों का प्रश्न है।
सिर्फ शब्दों तक सिमटकर रह गयी संवेदना
गुम रहे पशु-पक्षियों का, बोलियों का प्रश्न है।[21]

सन्दर्भ सूची

1. वशिष्ठ अनूप- गर्म रोटी के ऊपर नमक तेल था, पृष्ठ- 09 अनन्य प्रकाशन, वाराणसी- 08,
2. प्रथम संस्करण- 2021
3. तदेव, पृष्ठ- 17
4. तदेव, पृष्ठ- 75
5. तदेव, पृष्ठ- 34
6. तदेव, पृष्ठ- 13
7. तदेव, पृष्ठ- 29
8. तदेव, पृष्ठ- 84
9. तदेव, पृष्ठ- 105
10. तदेव, पृष्ठ- 21

11. तदेव, पृष्ठ- 10
12. तदेव, पृष्ठ- 46
13. तदेव, पृष्ठ- 95
14. तदेव, पृष्ठ- 34
15. तदेव, पृष्ठ- 90
16. तदेव, पृष्ठ- 99
17. तदेव, पृष्ठ- 23
18. तदेव, पृष्ठ- 31
19. तदेव, पृष्ठ- 24
20. तदेव, पृष्ठ- 51
21. तदेव, पृष्ठ- 63
22. तदेव, पृष्ठ- 103

व्याकरणः अर्थ, प्रकृति, व्याप्ति एवं प्रकार

अजय कुमार पटेल
सहायक प्राध्यापक, पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर

1. प्रस्तावना

भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है, और भाषा को व्यवस्थित रखने वाला तत्व व्याकरण है। अतः भाषा एक संस्कार है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि 'भाषा शरीर है, और व्याकरण उसकी आत्मा। व्याकरण का संबंध भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग से है। भाषा का अशुद्ध रूप भाषा की मर्यादा को तोड़ने का कार्य करती है तथा विशुद्ध प्रयोग पर अंकुश लगाने का कार्य भाषा का शुद्ध रूप है। जलधारा को सीमा में रखने के लिए जो महत्व तटबंध का है, वही महत्व भाषा में व्याकरण का है।

व्याकरण ऐसा शास्त्र है जो हमें यह बताता है कि किस वाक्य में कौन सा शब्द कहाँ रखना चाहिए। व्याकरण तो भाषा के सर्वमान्य रूप का संरक्षण करता है, लेकिन भाषा तो फिर व्याकरण के नियमों से इधर-उधर हो ही जाती है। व्याकरण शब्द का अर्थ आदर्शात्मक नियमों के समूह से या जिनके द्वारा शुद्ध-अशुद्ध भाव का निर्णय होता है, साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्याकरण भाषा के शुद्ध प्रयोग की एक कला है, मानक रूप है।

2. व्याकरण का अर्थ

व्याकरण शब्द का प्रयोग पाश्चात्य भाषाशास्त्र में अनेक अर्थों में हुआ है और बहुत सारी विभेदताओं को दुर करने के लिए इस शब्द की सहायता ली जाती है। व्याकरण के विभिन्न अर्थ के सार में 'व्याक्रियन्ते शब्दाः अनेनेति शब्द ज्ञान जनकं व्याकरणम्' अर्थात् व्याकरण वह साधन है,जिससे शब्दों का अर्थ संरचना आदि के विवेचन अथवा आंतरिक व्यवस्था विषयक नियमों का प्रस्फुटन होता है। व्याकरण भाषा की रचना या संघटन का परिचायक है, जैसे वास्तुशास्त्र बनाने के लिए नियम या ढंग बताता है, उसी प्रकार व्याकरण भी भाषा निर्माण को बताता है।

व्याकरण वि$आ दोनो ंउपसगों से युक्त 'करण' शब्द की उत्पत्ति हुई है, इसका अर्थ है 'विश्लेषण करना' या टुकड़े-टुकड़े करना। अर्थात् भाषा का विश्लेषण ही व्याकरण है। दूसरे शब्द में भाषा का व्यवस्थित रूप व्याकरण है।

व्याकरण भारतीय परंपरा में प्रचलित शब्द है। प्राचीन काल में साहित्य, दर्शन, व्याकरण आदि अध्ययन के क्षेत्र थे। इस अर्थ में व्याकरण वह शास्त्र है, जो भाषा के तत्वों, अभिलक्षणों संबंधों की और उनके नियमों की स्थापना करता है।

3. व्याकरण की परिभाषा

व्याकरण की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने निम्नलिखित प्रकार से दिया है-

1. स्वीट:- ''व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण अथवा उसका शरीर विज्ञान है।''
2. महर्षि पतंजलि:- ''शब्दानुशासनम् अर्थात् शब्द का अनुशासन ही व्याकरण है।''
3. महर्षि पाणिनि:- ''व्याकरण शब्दानुशासन है, इसमें भाषा का रूप व्यवस्थित होता है।''
4. सनशिन - ''वाक्य में विभिन्न शब्दों के समूहों में क्या अन्तर है, व्याकरण इसकी व्याख्या करता है।''

4. व्याकरण की प्रकृति

भारतीय संदर्भ में भाषा के सभी अंगों में व्याकरण का समावेश किया जाता रहा है। अर्थात् उसमें ध्वनि विज्ञान, रूपविज्ञान, शब्द विज्ञान, वाक्यविज्ञान, अर्थ विज्ञान है, परन्तु पाश्चात्य पारंपरिक विद्वानों ने रूप और वाक्य को व्याकरण की संज्ञा दी है। यद्यपि वे अर्थ और ध्वनि प्रक्रिया को आवश्यकतानुसार विश्लेषण में समाविष्ट करते थे, परंतु उन्होंने आधार मूल रूप से रूप और वाक्य पर बल दिया। आगे चलकर विद्वानों ने अर्थ को व्याकरण के अंतर्गत समाविष्ट किया। आज व्याकरण का वही पारंपरिक अर्थ स्वीकार है क्योंकि वाक्य रचना में अर्थ और ध्वनि दोनों महत्वपूर्ण कार्य है। व्याकरण की प्रकृति को समझने के लिए निम्नलिखित बिंदु विचारणीय है -

1. व्याकरण भाषा का विवेचन करता है और साथ ही भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना आदि सिखाता है।
2. व्याकरण वर्णन प्रधान है, वह सीधे किसी भाषा के नियम और साधु रूप आदि सामने रख देता है।
3. व्याकरण कारक, सूचक चिह्न, क्रिया, प्रत्यय, उपसर्ग आदि का विवेचन करता है।
4. व्याकरण का तात्पर्य शास्त्र या विद्या है, जो रूप रचना, वाक्य रचना, अर्थरचना, भाषा व्यवस्थापन कारक व्याकरण, आदि से है।
5. भाषा के रूप में निहित नियमों का अध्ययन तथा वर्ण करना ही व्याकरण है।

5. व्याकरण की व्याप्ति

'व्याप्ति' का अर्थ है 'विस्तार करना'। जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण का कार्य है विस्तार करना अर्थात् विभिन्न क्षेत्र जहाँ भाषा संबंधी कार्य या विचारधारा होती है। वहाँ व्याकरण की व्यापकता निश्चित होती है। व्याकरण में भाषा की रचना, शब्दों की उत्पत्ति और स्पष्टपूर्वक विचार करने के लिए उनका शुद्ध प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार व्याकरण का क्षेत्र भी बहुत ही व्यापक तथा विस्तृत है जो इस प्रकार है-

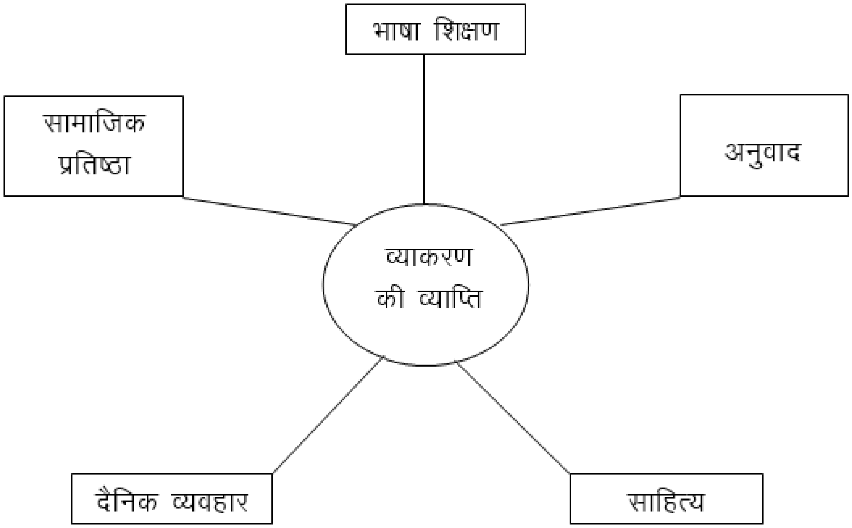

6. व्याकरण के प्रकार

व्याकरण से हम बोलने की कला का विकास करते हैं, जिसके लिए हम कई प्रकार के व्याकरण का प्रयोग करते हैं जिनमें से निम्न प्रकार के व्याकरण को दर्शाया गया है -

6.1 पारंपरिक व्याकरण

पारंपरिक व्याकरण के अंतर्गत हम पाश्चात्य एवं भारतीय परंपरा दोनों को लेते हैं। चूँकी भारतीय व्याकरण वर्णनात्मक व्याकरण है अर्थात ’भाषा जैसी है वैसी है’ जबकि पाश्चात्य व्याकरण परंपरा निर्देशात्मक व्याकरण है अर्थात् ’ऐसा करें’ कहते हैं।

भारतीय वैयाकरणों में सर्वप्रथम पाणिनि का नाम आता है, जिन्होंने ’अष्टाध्यायी’ लिखकर व्याकरण को सूत्रों में बाँधा है, जो विश्व के सभी व्याकरणों में सर्वोपरि है। आगे चलकर कात्यायनी ने ’वार्तिक’ तथा पतंजलि ने ’महाभाष्य’ लिखकर पाणिनि के व्याकरण को आगे बढ़ाया। भारतीय व्याकरण में इन तीनों को ’मुनित्रय’ कहा जाता है।

6.2. ऐतिहासिक व्याकरण

भिन्न-भिन्न कालावधि में जो व्याकरण का परिवर्तन अर्थात् भाषा के व्याकरणिक संरचनाओं का परिवर्तन होता रहा हे, उसका अध्ययन ही ऐतिहासिक व्याकरण है। इसके अंतर्गत एक भाषा के पुराने तथाविकसित संरचनात्मक साँचाओं का विश्लेषण किया जाता है, जैसे- अँगरेजी में जीवन लवन बोला जाता था, जिसका रूप परिवर्तित होकर जींदा लवन हो

गया है। इसी प्रकार हिंदी साहित्य के अंतर्गत बावन वैष्णव की भाषा को पुरानी हिंदी कही जाती थी जो अब खड़ी बोली के रूप में जानी जाती है। इसका अर्थ यही निकलता है कि व्याकरण इतिहास के साथ गतिशील है।

6.3. संरचनात्मक या वर्णनात्मक व्याकरण

किसी भाषा के व्याकरणिक संरचना के प्रत्येक पक्षों का विश्लेषण करना संरचनात्मक या वर्णनात्मक व्याकरण कहलाता है। इसमें एक कालखंड, भाषा की स्थिति का वर्णन एवं विश्लेषण किया जाता है। इस स्तर के अंतर्गत भाषा में प्रयुक्त व्याकरणिक कोटियों का वर्णन तथा विश्लेषण किया जाता है।

6.4. शैक्षिक व्याकरण

यह भाषा सीखने और सीखाने की प्रक्रिया एवं पद्धति संबंधी व्यावहारिक व्याकरण है। इसके अंतर्गत उदाहरण द्वारा समझाने का प्रयत्न किया जाता है जिससे छात्र सरलता से समझ सकें।

6.5. तुलनात्मक व्याकरण

इस व्याकरण में दो भाषाओं को व्याकरणिक बिंदुओं अर्थात् वाक्य के भिन्न-भिन्न इकाइयों की तुलना की जाती है, जो सामान्य दृष्टिकोण से आपस में सहबंध होते हैं।

जैसे- छत्तीसगढ़ी और हिंदी में तुलना किया जाता है

छत्तीसगढ़ी	हिंदी
S+O+V	S+O+V
राम घर जावत हवय।	राम घर जा रहा है।
श्याम घर म पढ़थे।	श्याम घर में पढ़ता है।
रानी नाचत हवय।	रानी नाच रही है।

कर्ता के लिंग वचन के आधार पर क्रिया के लिंग वचन में परिवर्तन होता है। उक्त उदाहरण द्वारा यह स्पष्ट है।

6.6. व्यतिरेकी व्याकरण

व्यतिरेकी व्याकरण से तात्पर्य है कि दो भाषा में असमानता या विभेदीकरण या एक ही भाषा के विभिन्न स्तरों पर तुलना करने के पश्चात् जो असमानता प्राप्त होती है, उसे व्यतिरेकी व्याकरण कहा जाता है।

जैसे - हिंदी और उड़िया में व्यतिरेकी विभेद-

हिंदी	उड़िया
राम जा रहा है।	राम जाउछी।
सीता जा रही है।	सीता जाउछी।

ठीक इसी प्रकार हिंदी और छत्तीसगढ़ी में विभेद

छत्तीसगढ़ी	हिंदी
राम जावत हवय।	राम जा रहा है।
सीता जावत हवय।	सीता जा रही है।

यह स्पष्ट होता है कि कर्ता, वचन, और पुरूष के आधार पर छत्तीसगढ़ी और उड़िया के क्रियापद प्रभावित नहीं होते, परन्तु हिंदी वाक्य में कर्ता के तीनों पक्षों का क्रिया के साथ अस्विति स्थापित होती है। तीनों भाषाओं को तुलना करने पर लिंग व्यवस्था ही व्यतिरेकी पक्ष का आधार बन जाता है। इसे व्यतिरेकी व्याकरण इसी लिए कहा जाता है।

निष्कर्ष

यह तो स्पष्ट हो गया है कि, भाषा और व्याकरण एक ही सिक्के के दो पहलु हैं। एक दुसरे के बिना इनका स्वयं अस्तित्व विशाल नहीं हो सकता है। जहां तक भारतीय परंपरा की बात है इसमें पतंजलि, कात्यायन और पाषिनि हैं जो 'मुनित्रय' के नाम से प्रसिद्ध हैं जिन्होंने भारतीय व्याकरण परंपरा को विश्वविख्यात किया है। हिंदी व्याकरण की ओर ध्यान आकर्षण का श्रेय पं. किशोरी दास वाजपेयी को जाता है जिन्होंने सन् 1957 में 'शब्दानुशासन' लिखा।

आज वैश्वीकरण के दौर में भाषिक समाज व्याकरण की जटिलता के कारण व्याकरण से अलगाव होते जा रहा है। इसलिए व्याकरण को रोचक एवं उपयोगी बनाने की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ-सूची

1. नगेन्द्र. भाषाशास्त्र के सूत्रधार. नई दिल्लीः नेशनल पब्लिशिंग हाउस, 1983, 06.
2. तिवारी, भोलानाथ. आधुनिक भाषाविज्ञान, नई दिल्लीः लिपि प्रकाशन, 1993, 98
3. शर्मा, राजमणि. आधुनिक भाषाविज्ञान, नई दिल्लीः वाणि प्रकाशन, 1996, 68
4. राजगोपालन, एन.वी.. हिंदी का भाषा वैज्ञानिक व्याकरण, आगराः हिंदी संस्थान, 1973, 43

आदिवासियों का सामाजिक ताना बाना

प्रो. रूपांशुमाला
हिंदी विभागाध्यक्ष, आर्य महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहजहांपुर

भारत की सांस्कृतिक विविधता में आदिवासी समुदायों का महत्वपूर्ण स्थान है। आदिवासी समाज अपनी विशिष्ट जीवन-शैली, परंपराओ, रीति-रिवाजों, लोककला, लोकसंगीत और प्रकृति के साथ गहरे संबंध के लिए जाना जाता है। इन आदिवासी अथवा जनजातियों का सामाजिक ताना-बाना सामूहिकता और प्रकृति के प्रति सम्मान जैसे मूल्यों पर आधारित है। आदिवासियों को प्रकृति से सम्बद्ध तो माना जाता ही है. किन्तु यह बात विशेष रूप से विचारणीय है कि जनजाति कहने का अभिप्राय यह कदापि नहीं कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बसे हुए आदिवासियों में सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकरूपता है। सच तो यह है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अवस्थित जनजातीय समाज एक-दूसरे से सर्वथा भिन्न है। प्रत्येक आदिवासी की अपनी निजी विशेषताएँ होती है। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनैतिक स्तर पर इनकी विशेषताएँ अलग-अलग है। जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो कुछ आदिवासियों की संख्या बहुत अधिक है तो कुछ की अपेक्षाकृत बहुत कम । लेकिन, यह मानकर चलना है कि प्रत्येक जनजाति की अपनी पहचान होती है। उदाहरण के लिए भारत के संताल आदिवासियों को लें। इनके आदिम रूप को समता का आधार न मानें तो पूर्वी क्षेत्र में नागालैण्ड के आदिवासियों से उनकी स्थिति भिन्न होती है। उतने दूर की बात कौन कहे, हो आदिवासी भी बिहार में ही अवस्थित हैं, बल्कि यों कहें कि संताल और हो दोनों बिहार के उत्तरी और दक्षिणी छोटानागपुर कमिश्नरी में अगल-बगल ही बसे है। किन्तु दोनों की सामाजिक और साँस्कृतिक भिन्नताएँ स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। फिर भी, मानवविज्ञान शास्त्र में दोनों ही प्रजातियाँ जनजातियों के रूप में ही परिगणित होती है। इन जनजातियों की बहुत सारी संज्ञाएँ है यथा आदिवासी, वन्यजाति, वनवासी, आदिमजाति आदि। इनमें सबसे प्रचलित संज्ञा जनजाति अथवा आदिवासी है।

एक सामान्य प्रश्न उपस्थित होता है कि जब आदिवासियों की सामाजिक संरचना में इतनी भिन्नताएँ हैं तो जनजाति की समुचित परिभाषा क्या होगी। मानवविज्ञान शास्त्र के अध्ययन क्रम में विद्वानों ने अलग-अलग ढंग से आदिवासी की अलग-अलग परिभाषाएँ दी है जिनका सामाजिक मानवविज्ञान में मुक्त प्रचलन है। जेकब्स तथा स्टर्न की मान्यता है कि "एक ऐसा ग्रामीण समुदाय या ग्रामीण समुदायों का ऐसा समूह जिसकी समान भूमि हो, समान भाषा हो, समान सांस्कृतिक विरासत हो और जिस समुदाय के व्यक्तियों का जीवन आर्थिक दृष्टि से एक-दूसरे के साथ ओत-प्रोत हो, जनजाति कहलाता है।"[1]

जेकब्स तथा स्टर्न की परिभाषा आज पुरानी प्रतीत होती है। जनजाति समाज आज केवल गाँवों तक ही सीमित नहीं। इसी प्रकार, भाषा की एकरूपता भी सर्वत्र नहीं मिलती। रिचर्ड्स ने ग्रामीण अथवा शहर की बात नहीं की। प्रो० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार ने अपनी पुस्तक 'भारत की जनजातियाँ तथा संस्थाएँ में यह विचार व्यक्त किया है कि "समूहों की श्रृंखला परिमाण में जब बढ़ती जाती है, तब उसका अन्त राष्ट्र में होता है। समूहों की यह क्रमिक वृद्धि आदिम जातियों में पायी जाती है- इन आदिम जातियों को हम जनजाति कहते हैं। जनजाति एक ऐसे समूह का नाम है जो आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर होता है, समान भाषा बोलता है और जब किसी बाहर के शत्रु का सामना करना होता है, तब इस समूह के सबलोग एक हो जाते हैं।"[2] इस परिभाषा में किसी ग्रामीण समुदाय का उल्लेख नहीं है। यह उचित भी है। इसमें समान भाषा, सुदृढ़ संगठन और आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भरता की बात कही गयी है।

भाषाभेद से यही बात ग्लैडिस रिचर्ड्स ने कही है। उनके मतानुसार जनजाति आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर जनों का एक स्वतंत्र समुदाय है, जो एक भाषा बोलता है और बाह्य जनों से सुरक्षा हेतु संगठित रहता है।

इम्पीरियल गजेटियर में परिवार समूह, सामान्य भाषा तथा क्षेत्र और वैवाहिक संस्था को प्रश्रय दिया गया है। इसके अनुसार एक आदिम जाति परिवारों का एक यह समूह है जिसका एक सामान्य नाम होता है. जिसके सदस्य एक सामान्य भाषा बोलते हैं तथा एक सामान्य क्षेत्र में या तो वास्तव में रहते हैं या अपने को उसी क्षेत्र से सम्बन्धित मानते हैं तथा यह समूह अन्तर्विवाही भी होते है।"[3] इस परिभाषा के अनुसार अन्य बातों के अतिरिक्त विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखते है कि उनमें सगोत्री विवाह नहीं होते। उपर्युक्त परिभाषाओं से यह ज्ञात होता है कि आदिवासी सामान्य कोटि का एक सामाजिक समूह है, जिनके सदस्य साधारण भाषा बोलते हैं। उनकी अपनी शासन-प्रणाली होती है और सबसे बड़ी बात यह, कि बाहरी आक्रमण की स्थिति में इनमें एकता बनी रहती है। इसी बात को भिन्न रूप से 'एडम्सन होवल' ने राजनैतिकता में इनकी उदासीनता का पुट जोड़ते हुए कहा है कि जनजाति एक सामाजिक समुदाय है जो विशिष्ट भाषा बोलता है, जिसकी एक विशिष्ट संस्कृति होती है, जो इस जनजाति को अन्य जनजातियों से पृथक करती है। जनजाति के लिए यह आवश्यक नहीं कि वह राजनैतिकता के आधार पर संगठित हो।"[4]

इस प्रकार, आदिवासियों की परिभाषा के क्रम में यह देखा गया कि भाषा के नाम पर प्रायः सबमें सहमति है। साथ ही, इन परिभाषाओं में सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन को भी महत्त्व दिया गया है। आर्थिक पक्ष में उनके स्वावलम्बन को सभी स्वीकारते हैं। जो बात भेद के रूप में सामने आती है उनके बारे में स्थूल रूप से तो यह कहा जा सकता है कि वे अस्पष्ट हैं। किन्तु ऐसा कहना बहुत न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता। असल में ऐसी परिभाषा देने वाले विद्वानों के समक्ष अपनी परिस्थितियाँ रही होंगी और उनकी दृष्टि में क्षेत्र विशेष के आदिवासियों का एक खाका रहा होगा। उनके समुचित परिज्ञान के बिना उनकी परिभाषा को त्रुटिपूर्ण कहना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता ।

जनजातियों की समूहगत स्थिति पर विस्तारपूर्वक विचार करते हुए डॉ० शिवतोष दास ने भारत के प्रसिद्ध मानवशास्त्री डॉ० मजुमदार की परिभाषा को उद्धृत किया है। डॉ० मजुमदार की परिभाषा के अनुसार "आदिवासी जनजाति परिवारों तथा पारिवारिक वर्गों का एक ऐसा समूह है, जो सामान्य नाम धारण किये हुए है। इनके सभी सदस्य एक ही भूमि पर वास करते हैं और एक ही भाषा-भाषी, विवाह की प्रथाओं तथा कारोबार-सम्बन्धी एक ही नियम का पालन करते हैं। वे आदान-प्रदान सम्बन्धी पारस्परिक व्यवहार को विकसित करते रहते हैं। साधारणतया आदिवासी जनजाति अन्तर्विवाह सिद्धान्त का समर्थन करती है और उसके सभी सदस्य अपनी ही जनजाति के अन्तर्गत विवाह करते है। कई गोत्र मिलकर आदिवासी जनजाति की रचना करते हैं। प्रत्येक गोत्र के सदस्यों का परस्पर रक्त-सम्बन्ध जुड़ा होता है। इनमें या तो अनेक लघु वर्ग एक बृहत वर्ग में सम्मिलित हो जाते है अन्यथा उनका वंश परम्परागत सरदार होता है। इस दृष्टि से आदिवासी जनजाति को एक राजनीतिक संघ भी माना जाता है।"[5]

दी गयी उपर्युक्त परिभाषाओं पर विचार करें तो स्पष्ट ज्ञात होगा कि इन विविधताओं में कहीं मत समता नहीं है। फिर भी इन परिभाषाओं के आलोक में जनजातियों की वास्तविक स्थिति पर विचार करते हुए मानवविज्ञानशास्त्री द्वय डॉ० विजय शंकर उपाध्याय तथा डॉ० विजय प्रकाश शर्मा ने जनजातीय समुदाय की निम्नलिखित विशेषताओं की ओर संकेत किया है।

1. जनजाति परिवारों का समूह है।
2. जनजाति की अपनी एक भाषा होती है।

3. हर जनजाति की अपनी एक संस्कृति होती है।

4. वितरण एक सुनिश्चित भू-भाग पर होता है।

5. गोत्र और अन्तर्विवाही समूहों की विशिष्टता होती है।

6. स्वतंत्र सुरक्षात्मक संगठन होता है।

7. स्वतंत्र राजनीतिक संगठन होता है, जिसमें मुखिया सर्वोच्च होता है।

8. जनजाति का अपना एक नाम होता है।

भारत की सामाजिक संस्कृति यह बतलाती है कि यहाँ विभिन्न जातियाँ स्वतंत्र रूप से फूलती-फलती रही है। कुछ जातियाँ मूल निवासी के रूप में यहाँ थी और कुछ बाहर से भी यहाँ आयी। भारत में जनजातियों की अपनी महत्ता है।"[6] उनके रीति-रिवाज, रहन सहन तथा विधि-विधान से यह ज्ञात होता है कि आज यदि उनकी यह अवस्था है तो प्राचीन काल में क्या रही होगी। सामान्य रूप से उन्हें आर्यों से सर्वथा भिन्न कहा जाता है, किन्तु यह बात सर्वांशतः सत्य नहीं है। इस बात का प्रमाण मिलता है कि उनके रीति-रिवाज, रहन सहन आदि में एक दूसरे का परस्पर प्रभाव पड़ा है। डॉ० रामधारी सिंह दिनकर ने इसका स्मरण दिलाया कि "शास्त्रानुसार, ग्राम-देवता की पूजा निषिद्ध है। ग्राम-देवता और देवियों के पूजकों को मनु ने पतित कहा है; किन्तु गाँवों में अब ब्राह्मण भी भूत-प्रेत और ग्राम देवता की पूजा करते हैं। अवश्य ही यह प्रेत-पूजा आग्नेय सभ्यता की देन होगी। आरम्भ में इन देवताओं के पुरोहित भी शूद्र ही रहे होंगे, किन्तु आमदनी का रास्ता देखकर ब्राह्मणों ने उन्हें अपदस्थ कर दिया होगा।"[7] गाँवों में खेती प्रारम्भ करने के पूर्व अथवा पश्चात, कटनी के पूर्व अथवा पश्चात् ग्राम देवों की पूजा करते हैं। पहले ऐसे देवी-देवताओं की पीठिकाएँ खेतों में होती थी। किन्तु अब तो मंदिर के क्षेत्र में भी ऐसे देवी-देवता स्थापित मिलते हैं. जिन्हें ब्राह्मण नियमित रूप से पूजते रहे हैं। ऐसे ग्राम देवी देवताओं के पास मनौतियों मानी जाती है और ग्रामीण चढ़ावा लेकर वहाँ पहुँचते हैं।

भारत में हिन्दू जाति के लोग आर्यों की संतान माने जाते है। आर्य वेदों के उपासक होते है। वेद में नदी वृक्ष आदि के पूजन का कहीं कोई विधान नहीं है। किन्तु स्थिति आज यह है कि "अब तो बहुत से हिन्दू वृक्षों को भी पूजते हैं और नदियों को भी । तुलसी, वट, अश्वत्थ (पीपल) और बेल ये वृक्ष पवित्र माने जाते हें । नदियो में अस्थियाँ नहीं बहायी जाए तो आत्मा को शान्ति नहीं मिलती । कहीं-कहीं पीपल के पेड़ में घण्ट बाँधने का भी रिवाज है। ये बातें वेद में तो नहीं थी फिर हिन्दुओं ने इन्हें लिया कहाँ से ? उत्तर स्पष्ट है। ये रिवाज आर्यतर लोगों में रहे होगे। डॉ० दिनकर ने संस्कृति संगम का उद्धरण संस्कृति के चार अध्याय में देकर यह संभावना व्यक्त की है कि व्यक्त की है कि नदी और वृक्ष आदि की पूजा-प्रथा को आर्यो ने आर्येतर जातियों से ग्रहण किया हो - हो- जिन देवताओं से सम्बदध माने जाकर तुलसी, वट, अश्वत्थ विल्यादि वृक्ष पवित्र माने गये हैं उन देवताओं का आदिम परिचय वेद विरूद्ध देवता के रूप में ही मिलता है। धीरे-धीरे वृक्षों की पूजा भी निश्चय ही आर्यो ने आर्यपूर्व भारतीयों से ग्रहण की होगी। बहुत सम्भव है नदी की पूजा भी उन्होंने वहीं से ग्रहण की हो।"[8]

आर्यों का दावा है कि सभ्यता का विकास उनमें पहले रहा है। हिन्दुओं का एक पर्व है होली। इस त्योहार में बहुतेरे लोग मदिरा पान करते हैं. नशे में धुत्त होते हैं। अश्लील व्यवहार करते हुए अपशब्द का प्रयोग करते है। यह बात पढ़े-लिखे एवं उत्तरदायित्वपूर्ण आचरण करने बालों में कुछ अंश तक लागू होती है। होली के दिन वे होश-हवास क्यों खो देते हैं ? कुछ लोगों ने यह माना है कि होली और बसंतोत्सव जैसे बहुत से उत्सव भी आर्येतर जातियों की देन है। हिन्दू समाज में

आज जिन देवताओं तीर्थों और उत्सवों का प्रचार है. उनमें से अधिकांश आयेत्तर मूल के है। ध्यान देने की बात यह है कि आर्यों का चिन्तन हमेशा थोडे लोगों में रहा है। बाकी अपार जनता आर्येतर उपकरण का आनन्द उत्साह से लेती रही है। होली या बसंतोत्सव उसका सबसे उज्ज्वल प्रमाण है।"[9]

उत्पत्ति :

जनजातियों में भिन्नता मानवशास्त्रियों के समक्ष एक समस्या उत्पन्न करती है कि इनकी उत्पत्ति का आधार क्या हो। यह बात तो सर्वमान्य है कि 'प्रजातियों के मेल-जोल से ही आदिवासी जनजातियाँ बनी हैं परन्तु कौन-सी आदिवासी जाति किस प्रजाति के सम्मिश्रण से उत्पन्न हुई है यह एक विकट समस्या है।"[10] डॉ० शिवतोष दास ने विद्वानों का उद्धरण देकर इस बात में सहमति व्यक्त की है कि इण्डो नीग्रिड और वेड्डा के सम्मिश्रण से वेड्डिड वर्ग (Veddid Group) बना। यही वर्ग भारत का प्राचीनतम है। इसी को भारत का आदिवासी वर्ग माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त मैलेनिड (Melanid Group) तथा इंडिड (Indid Group) नाम के दो और वर्ग भी है। इस प्रकार भारत में आदि प्रजातियों का यदि वर्गीकरण करें तो उनका विभाजन निम्नलिखित वर्गों में सम्भव है-1. वेड्डिड वर्ग (Veddid Group), 2 मैलेनिड वर्ग (Melanid-Group), 3. इंडिड वर्ग (Indid Group).

इतिहास से इस बात का आभास मिलता है कि आर्य और द्रविड़ प्रजातियाँ बहुत थोड़े काल के अन्तराल से भारत में आयीं। भारत में इनके प्रवेश का काल ईसापूर्व 1000 वर्ष तक माना जाता है। सागर के मार्ग से द्रविड़ भारत के पश्चिमी तट पर पहुँचे और दक्षिण भारत में बस गये। आर्य लोग उत्तर से आये और उत्तर भारत में बसे।

वेड्डिड और मैलेनिड के बारे में बताया गया कि इण्डो नीग्रिड प्रजाति के लोगों के पश्चात् भारत में वेड्डा प्रजाति के लोग आये। वर्तमान समय में ये वेड्डा श्रीलंका में पाये जाते है। इण्डो नीग्रिड और वेड्डा प्रजाति के सम्मिश्रण से वेड्डिड वर्ग की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार मैलेनिड की उत्पत्ति के सम्बन्ध में यह प्रमाण दिया जाता है कि "भारत के पश्चिमी कोने में कलात् प्रदेश में द्रविड़ भाषा आज भी बोली जाती है; नाम है ब्राहुई। इसका अर्थ यह हो सकता है कि द्रविड़ पश्चिम से भारत आये। अनेक मानवशास्त्रियों का भी ऐसा ही विचार है कि द्रविड़ भी बाहर से आये है। दक्षिण, पश्चिम और उत्तर से द्रविड़ों तथा आर्यों ने भारत के आदिवासियों को जब खदेड़ा, तब वे मध्य भारत के जंगलों तथा पहाड़ियों पर भाग गये। हैमन डोर्फ साहब ईकस्टेड के साथ इस बात पर सहमत है कि द्रविड़ों तथा आर्यों से हारकर मध्य भारत में शरण लेने वाले ये आदिवासी मैलेनिड थे। ये ही आदिवासी जनजातियों के पूर्वज है।"[11]

जब बात पूर्वजों की होती है तब यह प्रश्न सर्वथा स्वाभाविक है कि आखिर आदिवासियों के पूर्वज थे कौन? इस सम्बन्ध में कई मिथक है और साथ ही कई लोक गाथाएँ भी। अवसर विशेष पर इनकी व्याख्या होती है। अलग-अलग जनजाति की अलग-अलग लोकगाथाएँ है, किन्तु "मुण्डाओं के मिथक से यह ज्ञात होता है कि सिंड बोंगा ने जल पर विचरण किया एवं प्रथम जीवन के रूप में एक कछुआ, एक कराँको, एक लॅदाह की उत्पत्ति हुई। अन्त में हूरना के एक पक्षी ने आकर अंडा दिया जिससे एक लड़का और एक लड़की की उत्पत्ति हुई। ये सब होरोहोन मनुष्य के पुत्र के पूर्वज थे।"[12]

गोत्र :

गोत्र या वंश-परम्परा पर विचार करें तो व्यक्ति पूर्वजों का वर्णन करते हुए सूर्य अथवा चन्द्र तक भी पहुँच जाता है

और इसी आधार पर सूर्यवंशी या चन्द्रवंशी शब्द भी प्रचलित रहे है। स्पष्ट अर्थ है कि सूर्यवंशी अपना उद्भव सूर्य से तथा चन्द्रवंशी अपना उद्भव चाँद से मानते हैं। कई तो अपने पूर्वज के रूप में प्रकृति के अन्य उपादान का भी नाम लिया करते हैं।

आदिवासियों में भी गोत्र का प्रचलन है। इसपर विशेष ध्यान दिया जाता है क्योंकि आदिवासी सगोत्री विवाह नहीं करते। इसके लिए 'टोटम' जैसा शब्द प्रचलित है, जिसका स्पष्ट अर्थ गोत्र चिह्न है। गोत्र की परम्परा के लिए एक लोककथा प्रचलित है। कहा जाता है कि किसी आदिवासी की रक्षा सर्प-आक्रमण से मयूर ने की थी। अतः सम्बन्धित आदिवासी समूह का गोत्र चिह्न मयूर (मोर) माना गया। इसी प्रकार, एक समय एक वनवासी का शिशु जंगल में सो रहा था। सूर्य की ऊष्ण किरणें उसके मुख पर पड़ रही थी। सहसा एक मणिघर आया और उसने अपने फन को बच्चे के मुख पर फैलाकर अपनी दया का परिचय दिया। फलतः कुछ आदिवासियों का गोत्र चिह्न सर्प बन गया।

"एक समय की बात है एक विवाहिता युवती ने बेरी के कुछ मीठे बेर खा लिये और वह गर्भवती हो गयी। नौ मास के उपरान्त वह एक सुन्दर पुत्र की माता बनी। पुत्र के पिता ने बेरी वृक्ष की पूजा की और उसे अपने गोत्र चिन्ह के रूप मे स्वीकार भी किया।धीरे धीरे आदिवासिओ के एक समूह ने बेरी गोत्र से अपनी प्रसिद्धि की। एक कथा में बताया जाता है कि वर्षा ऋतु में एक समय अधिक वर्षा हुई और नदियों में बाढ़ आ गयी। कुछ वनवासी विशेष कार्यवश एक नदी को पार करके दूसरे गाँव में जाना चाहते थे। किनारे पर खड़े होकर उन्होंने नाविक को बुलाया लेकिन यह चढ़ी हुई नदी में नाव उतारने को तैयार न हुआ। एक मगर, अपने साथी कछुए को लेकर तट के पास आया। कुछ समय के पश्चात एक बड़ी लम्बी मछली भी मचलती हुई वहाँ आ पहुँची। आदिवासियों की प्रार्थना सुनकर कुछ वनवासियों को अपनी पीठ पर बैठाकर मगर ने दूसरे तट पर पहुँचाया और दो चार आदिवासियों को कछुए ने अपनी पीठ पर लादा। इसी प्रकार उपकृत इन अरण्यवासियों ने आभार को प्रदर्शित करते हुए मगर, कछुआ एवं मछली को गोत्र चिह्न के रूप में स्वीकार कर लिया।"[13]

आदिवासी सरल तो होते ही हैं वे बड़े कृतज्ञ भी होते हैं। इसकी पुष्टि तो गोत्र चिह्नों से ही हो जाती है। अपने प्रति उपकार करने वालों को वे श्रद्धा की दृष्टि से देखते है और शनैः शनै वे उसे देवतुल्य मानने लगते हैं।

आदिवसियों के कितने गोत्र हैं इसका सम्पूर्ण लेखाजोखा देना तो बहुत कठिन है, किन्तु नीचे कुछ प्रमुख गोत्र चिह्नों का उल्लेख किया जा रहा है -

1. आम का पेड़ 2. कछुआ 3. केले का झाड़, 4. गिलहरी, 5. चन्द्रमा, 6. चीता, 7 चुहिया 8. चूहा 9 नदी 10 नक्षत्र 11. नेवला, 12 पीपल, 13. बकरा, 14. बगुला 15 वट, 16. बन्दर 17. बेरी 18. मगर 19 मछली. 20. मोर, 21. मृग, 22 रीछ. 23. लकडबग्घा, 24. शेर, 25 सालवृक्ष, 26. सांड 27. सॉप, 28. सूअर, 29. सूर्य, 30. सेमल का पेड़, 31. सेही, 32. हंस।

सामाजिक संदर्भ

आदिवासियों की परिभाषा में ही यह बात मानी गयी है कि उनका एक संगठन होता है और सामाजिक संदर्भ में वे बँधे रहना पसन्द करते हैं। उनकी दृष्टि में यह बन्धन ही मुक्ति है। इस सामाजिक सन्दर्भ के अन्तर्गत जो उपादान उनके सबसे अधिक समीप है, वह है प्रकृति और प्रकारान्तर से वे प्रकृति की पूजा किया करते हैं। उनके धर्म हैं जिसके अनुसार वे तीज-त्योहार मनाया करते हैं। विवाह मनुष्य के आवश्यक संस्कार हैं और आदिवासियों में इसके कई प्रकार प्रचलित है। इसी प्रकार एक विशेष ढंग से वे मृत्यु का आयोजन करते हैं। रीति रिवाजों में तिलगुदना एक आवश्यक अंग है, जिसपर उन्हें

गर्व है। उनके अपने लोकनृत्य है जिसमें सम्मिलित होकर वे अपना सुध-बुध खो बैठते हैं। आदिवासी समाज में परिवार और समुदाय दोनो का विशेष महत्व होता है। अधिकांश जनजातियों में सामूहिक निर्णय लेने की परंपरा रही है जिसमें गाँव के बुजुर्ग, पारंपरिक मुखिया या पंचायत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामाजिक जीवन में आपसी सहयोग , श्रमदान और सामुदायिक उत्तरदायित्व की भावना स्पष्ट दिखाई पड़ती है।

प्रकृति-पूजा

प्रकृति से आदिवासियों का अविच्छिन्न सम्बन्ध है। सच तो यह है कि आदिवासियों का जीवन प्रकृति की अनुकम्पा पर अवलम्बित है। कृतज्ञ आदिवासी प्रकृति की गोद में जैसे खेलते रहते हैं। हरे-भरे जंगल और पर्वत के समतल भाग इनके घर हैं। जंगल के वृक्ष इनकी आजीविका के साधन है और नदी-झरने से इनकी प्यास बुझती है। इनके पास घड़ी नहीं होती । आकाश में जब कालिमा छाती है तो इन्हें रात्रि के आगमन का आभास होता है और आकाश के चमकते सूर्य से इन्हें दिन होने का भान होता है। चाँद से इनकी ऊष्णता को शीतलता मिलती है। नदी-सरिता. हरे भरे खेतों का सिंचन करते हैं। उपजे अन्न से इनकी क्षुधा शान्त होती है और विकल्पस्वरूप वृक्षों के फलों का इन्हें सहारा है। इसीलिए इस आदिवासी समाज में सूर्य-चन्द्र, वृक्ष-पर्वत आदि के पूजन का बड़ा विधान है। ये पशु-पक्षियों की वन्दना भी करते है। धरती की स्तुति और सरिता जलाशयों की सराहना करते हुए उनके प्रति श्रद्धा निवेदित करते हैं। इसलिए कोई भी सामाजिक उत्सव हो. आदिवासियों में प्रकृति की अभ्यर्थना की अपनी महत्ता है। वृक्षों में देखें तो कर्मा, बरगद, पीपल, आम, महुआ, ढाक, बेल, तुलसी, शीशम, ताड़, खजूर, कटहल, आँवला, बेर आदि वृक्षों की पूजा की प्रथा इन आदिवासियों मे चिरकाल से प्रचलित है। पशु-पक्षियों में घोड़ा, हाथी, तोता, मैना, कबूतर, चील आदि के पूजन का भी रिवाज इन आदिवासियों में देखा जाता है। इस प्रकार, जंगल, जल और भूमि केवल आजीविका के साथन ही नहीं, बल्कि उनकी साँस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान का हिस्सा है। उनके पर्व-त्योहार, नृत्य, गीत और अनुष्ठान प्रकृति के साथ उनकी गहरी आत्मीयता को अभिव्यक्त करते हैं। इस कारण पर्यावरण संरक्षण उनके सामाजिक जीवन का स्वाभाविक अंग रहा है।

डॉ० ललित प्रसाद विद्यार्थी ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बसे विभिन्न आदिवासियों की एक लम्बी सूची दी है जिसके अनुसार विभिन्न आदिवासियों में प्रकृति के उपादानों के प्रति श्रद्धा का भाव होता है। उनके शब्दों में "मध्य भारत में बिहार के संथाल, मुण्डा, हो, मालेर एवं बिरहोर सूर्य को सिंड बोंगा अर्थात् सबसे बड़ा ईश्वर समझते है। संथाल लोग सबसे बड़ा धर्मेश को सूर्य जैसा मानते हैं और धर्मी माता या पृथ्वी माता का पति समझते है। माल पहाड़िया में सूर्य (बेरू) एवं पृथ्वी (धरती) देवता है। पश्चिम बंगाल के भूमिज सूर्य भगवान के समक्ष सिर नवाते है। पृथ्वी, सूर्य, अग्नि और जल के देव सबसे बड़े अलौकिक पुरुष है, जैसा उड़ीसा के बोंड विश्वास करते हैं। उनके लिए सूर्य रचयिता है। इस क्षेत्र के सओरा का विश्वास है कि मनुष्य सूर्य द्वारा ही रचा गया है और जुआंड. इसके लिए पृथ्वी को उत्तरदायी ठहराता है। प्रत्येक नवान्न त्योहार के अवसर पर वे पृथ्वी देवी को सामग्री अर्पित करते हैं। सूर्य उनका धर्मदेवता है-सबसे बड़ा ईश्वर। समस्त कंधाओं द्वारा पृथ्वी देवी धरम राजा बेहरा एवं सूर्य की पूजा की जाती है। 'डोंगरिया कोंड मिहोनों पर्व को मनाते है एवं कुल्हाड़ी से मारकर भैंसों की बलि देते हैं। उनलोगों का विश्वास है कि धरती माता के वक्ष पर बहे हुए खून से फसल अच्छी होती है। 'कुटिया कोड' धरती देवी के लिए भैस की बलि तीक्ष्ण कुल्हाड़ी से सिर काट कर देते हैं। 'सबराओं के लिए 'यूयूंगसुम' अर्थात् सूर्य भगवान सबसे बड़े देवता है। परन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि वह देवगिरि पर रहने वाले पहाड़ी देवता कुरैतुंग से बड़े है या नहीं। 'अंगयबोई' अर्थात् चन्द्रमा यूयूंगसुन की पत्नी है एवं तारे तथा ग्रह उनके बच्चे हैं। भारिआओं के लिए पृथ्वी देवी ही सबकुछ है। बस्तर क्षेत्र के मुरिया एवं अबूझ भारिया का विश्वास है कि सभी जीवन का मूल स्रोत धरतीमाता है

जो अपने मरिया बच्चों को खिलाती और उसका पालन करती है। उसने प्रत्येक गोत्र को जमीन दी है एवं उसके दायरे को निश्चित किया है। हिमालय क्षेत्र के 'गारों का विचार है कि सूर्य-चन्द्र और तारे क्षेत्र पर शासन करने के लिए स्वर्ग में रखी जीवात्माएँ है। पृथ्वी के विषय में कछारिया का विश्वास लगभग गारो जैसा है। अरूणाचल प्रदेश की विभिन्न जनजातियाँ सूर्य एवं चाँद की पूजा सबसे बड़े ईश्वर के रूप में करती है।"[14]

धर्म :

धर्म के सम्बन्ध में विवाद नहीं होने पर भी आज विवाद सा चल रहा है। आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा का प्रचार नहीं था तथा जंगलों और पहाड़ों में बसे होने के कारण नगर में फैले सभ्यता के चिन्ह-से वे अपरिचित रहे थे। परिणामस्वरूप ईसाई धर्मावलम्बियों ने वहाँ अपने धर्म का प्रचार शुरु किया किन्तु सर्वेक्षण के क्रम में यह स्पष्ट ज्ञात हुआ कि आदिवासी धर्म के सन्निकट है और हिन्दुओं के रस्म-रिवाज से उनके रीति-रिवाज सर्वथा भिन्न नहीं। कई क्षेत्रों के आदिवासियों ने स्पष्ट स्वीकार किया कि धार्मिक कृत्यों में हिन्दुओ के साथ उनकी अभेद की स्थिति है। डॉ० शिवतोष दास ने यह माना है कि भिन्न-भिन्न जातियों में एक प्रकार की एकता होने पर भी उनको हिन्दुओं से अलग नहीं माना है। संताल और मुण्डा तो अपने को राम और कृष्ण के उत्तराधिकारी तक मानते है। आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व जब संतालो में ईसाई धर्म फैल रहा था.। एक वयोवृद्ध संताल ने एक वयोवृद्ध पादरी से कहा था-' कि हम लोग मृत्यु होने पर मृत शरीर को जलाते है उसका उत्तराधिकारी उसके मुँह में आग देता है। पानी में घोला हुआ गोबर छिडक कर चिता-भूमि को शुद्ध किया जाता है-' इत्यादि। कुछ आदिवासी जनजातियाँ अपने घरों में तुलसी के पौधे को भी लगाती है और उनकी पूजा भी करती है। भोजन भी निरामिष करती है। इस सम्प्रदाय का नाम 'साफाहोड है। इसमें भी अब कई शाखाएँ हो गयी है जिनमें से एक दल के लोगों का महामंत्र है सत्यम् शिवम् सुन्दरम्। पूजा में फल-फूल, मिठाई, अक्षत तथा दूध चढ़ाते हैं। इनमें से कुछ लोग राम-साधु दल के है। उनमें समय-समय पर राम- साधु (धर्म के आचार्य) होते आये है। वास्तव में ये लोग योगी जैसा जीवन बिताते हैं। राम नाम इनका महामंत्र है। ये लोग जीव हत्या नहीं करते और शराब का सेवन भी नहीं करते।"[15]

धर्म के सम्बन्ध में अब मान्यताएँ बदल रही है। नयी पीढ़ी में कुछ लोग अब यह कहने लगे हैं कि आदिवासी हिन्दू नहीं, सरना है। इस बात की उद्धोषणा की गयी है कि "कुछ लोग, विशेषकर हिन्दू लोग सरना धर्म को हिन्दू धर्म ही कहते हैं, किन्तु ऐसा मानना उचित नहीं है। सरना धर्म और हिन्दू धर्म में बहुत अन्तर है।"[16] लेखक ने इस सम्बन्ध में कुछ तर्कहीन तर्क भी उपस्थित किया है। कहा गया कि हिन्दू लोग देवी-देवताओं की पूजा करते है, किन्तु सरना समुदाय शून्य के उपासक हैं। सच तो यह है कि हिन्दू धर्म में भी निर्गुण धर्म की उपासना पद्धति है। दूसरे सरना धर्मावलम्बी भी देव पूजन की प्रथा को अमान्य घोषित नहीं करते। ऐसी ही मान्यता अन्य लोगों ने भी व्यक्त की है। कमल लोचन 'कोराह ने कहा कि "हो, मुण्डा, संताल, खड़िया, बिरहोर एवं उराँव आदिवासियों के धार्मिक नाम को संयुक्त रूप में सरना धर्म के नाम से सम्बोधित करते है तथा उसके पवित्र पूजास्थल को देसाउलि, जएरा, जाहेर थान, माझी थान, सरना एवं ग्राम्य झाड़ी को सरना एवं सरना स्थल कहते हैं। सृष्टि का सबसे बड़ा, सर्वोच्च एक अलौकिक शक्ति सृष्टिकर्ता है जिसने धरती, जल, आकाश, सूर्य, चाँद, सितारे, पेड़-पौधे, जीव-जन्तु और मानव की सृष्टि की है जो जन्मदाता है, पालनकर्त्ता है, सहार करता है। इस अलौकिक सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता को सिंडबोंगा के नाम से सम्बोधित करते हैं।"[17] कहने को तो लेखक ने अलग नाम दे दिया, किन्तु आगे लेखक ने अन्य धर्मों के ईश्वर से इसकी अभेद प्रतीति करायी है- "इस सृष्टिकर्त्ता सिंडबोंगा को विभिन्न सम्प्रदायों के लोग विभिन्न नामों से पुकारते हैं। दिकु यानी हिन्दू इसे भगवान, ईश्वर के नाम से, ईसाई इसे परमेश्वर प्रभुयीशु के नाम से तथा मुसलमान इसे खुदा या अल्लाह के नाम से याद करते हैं।"[18]

वस्तुतः आदिवासी समाज का सामाजिक ताना बाना भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। यह हमें सामूहिक जीवन , प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता, सहयोग और सामाजिक समरसता का संदेश देता है। इसलिए आदिवासी समाज के विकास और ऊनकी सांस्कृतिक अस्मिता के संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना आज की महत्वपूर्ण आवश्यकता है।

संदर्भ

1. प्रो० श्रीचन्द्र जैनः आदिवासियों के बीच, 1980, पृ० 17
2. वही, पृ० 17
3. वही, पृ० 18
4 डा० शिवतोष दासः भारत की जनजातियाँ, 1983, पृ० 97
5. वही, पृ० 75
6. डॉ० विजयशंकर उपाध्याय तथा विजय प्रकाश शर्मा भारत की जनजातीय संस्कृति, 1989, पृ०3
7. डॉ० रामधारी सिंह दिनकर संस्कृति के चार अध्याय, 1993, पृ० 110
8. वहीं, पृ० 110
9. वही, पृ० 110-111.
10. डॉ० शिवतोष दासः भारत की जनजातियाँ, 1983, पृ० 76
11. वही, पृ० 77
12. डॉ विजय शंकर उपाध्याय तथा विजय प्रकाश शर्माः भारत की जनजातीय संस्कृति, 1989, पृ० 55
13. प्रो० श्रीचन्द्र जैनः आदिवासियों के बीच, 1980, पृ० 99-100
14. डॉ० ललित प्र० विद्यार्थी भारतीय आदिवासी उनकी संस्कृति और सामाजिक पृष्ठभूमि, सं० 2031 (वि०), पृ० 179
15. डॉ० शिवतोष दासः भारत की जनजातियाँ, 1983, पृ० 82-83
16. सरना फूल, सरहुल विशेषांक (अप्रैल 1994) में प्रकाशित श्री सुखदेव उराँव का लेख –अदिवासी हिन्दू नहीं, सरना है, पृ० 56
17. सरना फूल (सितम्बर 1993) में प्रकाशित कमल लोचन कोराह 'हो' का लेख-हो धर्म और सिंगबोंगा, 6-7
18. वही, पृ० 7

भदरिया पुरातात्विक धरोहर: बिहार के अंग क्षेत्र में एक उभरते प्राचीन स्थल का अध्ययन

गुंजन कुमार

शोधार्थी, ए. आई. एच. सी. एंड आर्कियोलॉजी, तिलकामाँझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर

I. प्रस्तावना (Introduction)

भौगोलिक स्थिति और क्षेत्रीय संदर्भ

भदरिया (जिसे स्थानीय स्तर पर भदौरिया भी कहा जाता है) पुरातात्विक स्थल बिहार के दक्षिण-पूर्वी हिस्से में स्थित बांका जिले के अमरपुर प्रखंड के अंतर्गत आता है। यह स्थल चांदन नदी के दाहिने तट पर स्थित है। चांदन नदी, जिसे प्राचीन काल में 'चम्पा' नदी के नाम से जाना जाता था, ऐतिहासिक रूप से अंग जनपद की जीवनरेखा रही है। भौगोलिक दृष्टि से यह क्षेत्र गंगा के दक्षिणी मैदान और छोटानागपुर पठार के मिलन बिंदु पर स्थित है, जो इसे प्राचीन व्यापारिक मार्गों और सामरिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है। भदरिया की अवस्थिति इस बात का संकेत देती है कि प्राचीन काल में यह नदी-तटीय व्यापार का एक प्रमुख केंद्र रहा होगा, जो चम्पा (आधुनिक भागलपुर) जैसी महानगरीय व्यवस्था से जुड़ा था।

खोज का आकस्मिक इतिहास: भदरिया स्थल की आधुनिक खोज किसी पूर्व-नियोजित उत्खनन का परिणाम नहीं थी, बल्कि यह एक 'आकस्मिक पुरातात्विक उद्घाटन' (Accidental Archaeological Discovery) का उदाहरण है। नवंबर 2020 में, जब स्थानीय ग्रामीण छठ पूजा के अवसर पर चांदन नदी के तट पर सफाई और घाट निर्माण का कार्य कर रहे थे, तब नदी के कटाव के कारण मिट्टी की परतों के नीचे दबी प्राचीन ईंटों की विशाल संरचनाएं दिखाई दीं। नदी की धारा बदलने के कारण तट का एक बड़ा हिस्सा ढह गया था, जिससे लगभग 10-15 फीट नीचे दबी हुई दीवारें सतह पर आ गईं। ग्रामीणों द्वारा इसकी सूचना जिला प्रशासन को दी गई, जिसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और बिहार विरासत विकास समिति (BHDS) ने सक्रियता दिखाई। यह खोज इस मायने में अनूठी है कि सदियों से लोक-आस्था का केंद्र रही नदी ने स्वयं अपनी गर्भ में दबी सभ्यता को उजागर किया।

अध्ययन का उद्देश्य और ऐतिहासिक महत्व

इस अध्ययन का प्राथमिक उद्देश्य भदरिया से प्राप्त अवशेषों का कालक्रम निर्धारित करना और अंग जनपद के ऐतिहासिक मानचित्र पर इसकी स्थिति स्पष्ट करना है। भदरिया का ऐतिहासिक महत्व बहुआयामी है:

शहरीकरण का संक्रमण: यह स्थल मगध और अंग के बीच 'द्वितीय नगरीकरण' (Second Urbanization) के चरणों को समझने में मदद करता है।

बौद्ध परिपथ: बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, भगवान बुद्ध ने अंग क्षेत्र में कई यात्राएं की थीं। भदरिया की प्राचीनता इसे बुद्ध के कालखंड (6वीं शताब्दी ईसा पूर्व) के करीब ले जाती है।

सांस्कृतिक निरंतरता: यहाँ से प्राप्त मृदभांड और ईंटों का आकार मौर्य और कुषाण काल की स्थापत्य कला के बीच की एक कड़ी प्रतीत होता है। यह लेख इन भौतिक साक्ष्यों के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयास करता है कि भदरिया केवल एक गांव नहीं, बल्कि एक सुव्यवस्थित प्राचीन नगर या व्यापारिक केंद्र था।

II. पुरातात्विक अन्वेषण और वैज्ञानिक विधियाँ

GPR सर्वे: IIT कानपुर द्वारा डिजिटल अन्वेषण

आधुनिक पुरातत्व विज्ञान में 'गैर-विनाशकारी अन्वेषण' (Non-destructive Exploration) का विशेष महत्व है। भदरिया स्थल की संवेदनशीलता और नदी के निकटता को देखते हुए, बिहार सरकार ने **IIT कानपुर** के पृथ्वी विज्ञान विभाग (Department of Earth Sciences) से तकनीकी सहायता ली। **प्रोफेसर जावेद मलिक** के नेतृत्व में 2021 में यहाँ **Ground Penetrating Radar (GPR)** सर्वे किया गया।

GPR सर्वे की तकनीकी प्रक्रिया और निष्कर्ष:

प्रणाली: GPR तकनीक में उच्च-आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों (Electromagnetic Waves) को भूमि के भीतर भेजा जाता है। जब ये तरंगें किसी दबी हुई ठोस संरचना (जैसे दीवार या पत्थर) से टकराती हैं, तो वे परावर्तित होकर वापस आती हैं, जिससे भूमिगत मानचित्र तैयार होता है।

खोज: सर्वे में यह पाया गया कि चांदन नदी के वर्तमान तट के समांतर लगभग 200-300 मीटर के दायरे में भूमि के 3 से 5 मीटर नीचे कई आयताकार और गोलाकार संरचनाएं दबी हुई हैं।

महत्व: इस वैज्ञानिक जाँच ने यह पुष्टि की कि नदी के किनारे केवल बिखरी हुई ईंटें नहीं हैं, बल्कि एक व्यवस्थित 'ग्रिड पैटर्न' पर आधारित नगर नियोजन (Town Planning) के संकेत हैं। इसने उत्खनन दल को सटीक स्थान चुनने में मदद की।

उत्खनन के चरण: बिहार विरासत विकास समिति (2023-24)

GPR सर्वे के सकारात्मक परिणामों के बाद, **बिहार विरासत विकास समिति (BHDS)** और पुरातत्व निदेशालय ने क्रमबद्ध उत्खनन प्रारंभ किया। 2023-24 का सत्र इस स्थल के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। यहाँ 'लंबवत' (Vertical) और 'क्षैतिज' (Horizontal) दोनों प्रकार के उत्खनन का समन्वय किया गया ताकि कालक्रम और विस्तार दोनों का पता चल सके। उत्खनन के दौरान मिट्टी की विभिन्न परतों का वैज्ञानिक अध्ययन किया गया। सबसे निचली परत से प्राप्त जैविक नमूनों और मृदभांडों ने संकेत दिया कि यहाँ बस्तियों का जमाव 6वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू होकर मध्यकाल तक रहा।

भौतिक अवशेषों का विश्लेषणात्मक विवरण

उत्खनन से प्राप्त अवशेषों को तीन प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जो तत्कालीन समाज की आर्थिक और तकनीकी प्रगति को दर्शाते हैं:

(A) विशाल ईंटों की संरचनाएं (Structural Remains)

भदरिया में मिली सबसे प्रभावशाली वस्तु यहाँ की विशाल ईंटें हैं।

आकार और बनावट: यहाँ मौर्यकालीन और कुषाणकालीन ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। कुछ ईंटों का आकार काफी बड़ा है (लगभग 18x12x3 इंच), जो प्राचीन काल के दुर्गों या सार्वजनिक भवनों में प्रयुक्त होती थीं।

रिंग वेल (Ring Wells): उत्खनन में 'रिंग वेल' या वलय कूप भी पाए गए हैं। ये कूप प्राचीन नगरीय स्वच्छता प्रणाली का हिस्सा थे, जिनका उपयोग सोखता गड्ढों या जल निकासी के लिए किया जाता था। यह दर्शाता है कि भदरिया के निवासी जल प्रबंधन और स्वच्छता के प्रति जागरूक थे।

(B) उत्तरी काले चमकीले मृदभांड (NBPW - Northern Black Polished Ware)

पुरातत्व शास्त्र में NBPW को 'लक्जरी वेयर' माना जाता है, जिसका उपयोग समाज का उच्च और कुलीन वर्ग करता था।

विशेषता: भदरिया से प्राप्त मृदभांड अत्यंत पतले, कठोर और धात्विक खनक (Metallic Sound) वाले हैं। इनकी सतह पर एक विशिष्ट काली चमक है जो सदियों बाद भी धूमिल नहीं हुई है।

काल निर्धारण: NBPW की उपस्थिति इस स्थल को सीधे तौर पर 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के बीच (महाजनपद काल से मौर्य काल) स्थापित करती है। यह इस क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि का प्रत्यक्ष प्रमाण है।

(C) प्राचीन सिक्के और लघु कलाकृतियाँ (Coins and Small Finds)

पंच-मार्क सिक्के (Aahat Coins): यहाँ से तांबे और चांदी के कुछ 'आहत सिक्के' मिलने की सूचना है। इन पर सूर्य, चंद्रमा और वृक्ष जैसे चिह्न अंकित हैं, जो मौर्यकालीन मुद्रा व्यवस्था की ओर संकेत करते हैं।

मृण्मय मूर्तियाँ (Terracotta Figurines): पशुओं और मानवीय आकृतियों की मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं, जो तत्कालीन लोक-कला और धार्मिक मान्यताओं (जैसे मातृदेवी की पूजा) पर प्रकाश डालती हैं।

मनके (Beads): अर्द्ध-कीमती पत्थरों (जैसे अकीक या कार्नेलियन) से बने मनके यहाँ के निवासियों के सौंदर्यबोध और दूरस्थ क्षेत्रों के साथ व्यापारिक संबंधों को दर्शाते हैं।

भदरिया का पुरातात्विक अन्वेषण यह स्पष्ट करता है कि चांदन नदी के तट पर बसी यह सभ्यता केवल एक क्षेत्रीय केंद्र नहीं थी, बल्कि यह प्राचीन भारत के 'सिल्क रोड' या गंगा व्यापार मार्ग का एक अभिन्न हिस्सा थी। GPR सर्वे जैसी आधुनिक तकनीकों और पारंपरिक उत्खनन के मेल ने भदरिया को बिहार के सबसे महत्वपूर्ण 'जीवंत पुरातात्विक स्थलों' की श्रेणी में खड़ा कर दिया है। आगे के शोध में कार्बन डेटिंग (C-14) के परिणाम इस सभ्यता के रहस्यों से और भी पर्दे उठाएंगे।

III. ऐतिहासिक कालक्रम और प्रासंगिकता (Historical Chronology)

काल निर्धारण: 2,600 वर्ष प्राचीन सभ्यता के साक्ष्य

भदरिया का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसका कालक्रम है। यहाँ से प्राप्त अवशेषों का प्रारंभिक विश्लेषण इसे छठी शताब्दी ईसा पूर्व (600 BCE) के आसपास स्थापित करता है। यह वह समय था जब भारतीय उपमहाद्वीप में 'द्वितीय नगरीकरण' का उदय हो रहा था और लोहे के प्रयोग ने कृषि व युद्ध कौशल में क्रांति ला दी थी। यहाँ से प्राप्त 'उत्तरी काले चमकीले मृदभांड' (NBPW) की गुणवत्ता और उनके साथ मिले 'आहत सिक्कों' (Punch-marked coins) का स्तर मौर्य-पूर्व काल (Pre-Mauryan period) की ओर स्पष्ट संकेत करता है। मिट्टी की गहरी परतों में दबी विशाल ईंटों की संरचनाएं, जिनका आकार बाद के काल की ईंटों से भिन्न है, इस स्थल की प्राचीनता की पुष्टि करती हैं। यह कालखंड भदरिया को मगध और अंग के उदय के प्रत्यक्ष साक्षी के रूप में प्रस्तुत करता है।

बौद्ध धर्म से जुड़ाव: बुद्ध, वैशाली और विशाखा का संदर्भ

भदरिया केवल एक पुरातात्विक स्थल नहीं है, बल्कि यह प्राचीन बौद्ध मानचित्र का एक जीवंत हिस्सा प्रतीत होता है। बौद्ध ग्रंथों और क्षेत्रीय ऐतिहासिक वृत्तांतों के अनुसार, यह क्षेत्र बुद्ध के प्रवास और उनके अनुयायियों की गतिविधियों का केंद्र था।

विशाखा का संदर्भ: बौद्ध परंपरा में 'विशाखा' (मृगारमाता) को भगवान बुद्ध की प्रमुख शिष्याओं में गिना जाता है। वह अंग जनपद के एक समृद्ध श्रेष्ठी (व्यापारी) की पुत्री थीं। भदरिया और इसके आसपास के क्षेत्रों को विशाखा के पैतृक स्थान या उनसे जुड़े क्षेत्रों के रूप में देखा जाता है।

वैशाली से अंग की यात्रा: बौद्ध साहित्य के अनुसार, बुद्ध ने अपनी धर्म-यात्राओं के दौरान वैशाली से चम्पा (अंग की राजधानी) तक का सफर तय किया था। चांदन नदी के किनारे स्थित भदरिया इस यात्रा मार्ग का एक प्रमुख पड़ाव रहा होगा। यहाँ की भौगोलिक स्थिति इसे भिक्षुओं और व्यापारियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल बनाती थी।

अंग जनपद का विस्तार और भदरिया की भूमिका

प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में 'अंग' अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए विख्यात था। भदरिया की खोज अंग जनपद के राजनीतिक और आर्थिक भूगोल को समझने में एक नया आयाम जोड़ती है।

राजनीतिक संरचना: अंग की राजधानी चम्पा (आधुनिक भागलपुर) एक वैश्विक व्यापारिक केंद्र थी। भदरिया, जो चम्पा के काफी निकट है, संभवतः एक 'उप-नगर' (Satellite Town) या एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करता था।[4]

आर्थिक धुरी: चांदन (प्राचीन चम्पा) नदी के तट पर स्थित होने के कारण, भदरिया जलमार्ग के माध्यम से होने वाले व्यापार का एक प्रमुख जंक्शन था। यहाँ से प्राप्त सिक्कों और मनकों का प्रचुर मात्रा में मिलना यह सिद्ध करता है कि यह स्थल तत्कालीन 'राजगृह-चंपा' व्यापारिक गलियारे का एक सक्रिय हिस्सा था।

IV. सांस्कृतिक और सामाजिक ढांचा

मानव सभ्यता के इतिहास में नदियों की भूमिका सदैव सर्वोपरि रही है। भदरिया की संस्कृति 'नदी-केंद्रित जीवन पद्धति' का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। चांदन नदी ने न केवल यहाँ की मिट्टी को उपजाऊ बनाया, बल्कि परिवहन का सुगम

साधन भी प्रदान किया। भदरिया की संरचना दर्शाती है कि यहाँ के लोगों ने नदी की बाढ़ से बचने के लिए ऊँचे टीलों पर बस्तियाँ बसाई थीं। उत्खनन में मिले 'रिंग वेल' (वलय कूप) यह दर्शाते हैं कि प्राचीन समाज में अपशिष्ट जल के निपटान और स्वच्छता की एक उन्नत प्रणाली विकसित थी। यह नगरीय सभ्यता के परिपक्व होने का संकेत है।

मृदभांडों के आधार पर जीवनशैली और व्यापार का विश्लेषण

पुरातत्व में मृदभांड (Pottery) किसी भी सभ्यता के 'हस्ताक्षर' होते हैं। भदरिया से प्राप्त मृदभांड यहाँ के सामाजिक स्तर को उजागर करते हैं।

सामाजिक स्तरीकरण: यहाँ NBPW (उत्तरी काले चमकीले मृदभांड) के साथ-साथ लाल और भूरे रंग के साधारण मृदभांड भी मिले हैं। यह समाज में आर्थिक भिन्नता को दर्शाता है—जहाँ कुलीन वर्ग चमकीले और उत्कृष्ट बर्तनों का उपयोग करता था, वहीं सामान्य जन साधारण मिट्टी के पात्रों का।

कला और शिल्प: मृदभांडों की चमक और उनकी बनावट तत्कालीन शिल्पकारों की तकनीकी दक्षता को प्रमाणित करती है। इन बर्तनों पर मिली कुछ आकृतियाँ और डिजाइन उस समय के धार्मिक विश्वासों और प्रकृति के प्रति उनके लगाव को दर्शाती हैं।

व्यापारिक संबंध: मृदभांडों के निर्माण में उपयोग की गई मिट्टी और तकनीक का अन्य स्थलों (जैसे पाटलिपुत्र और वैशाली) के साक्ष्यों से मिलना यह बताता है कि भदरिया के लोग अंतर-जनपदीय व्यापार में गहराई से जुड़े थे।

भदरिया का समाज एक संगठित और समृद्ध समाज था। यहाँ के लोग न केवल कृषि और व्यापार में कुशल थे, बल्कि उनका एक सुदृढ़ सांस्कृतिक ढांचा भी था। मिट्टी के मनकों (Beads) और गहनों के अवशेष बताते हैं कि सौंदर्य और श्रृंगार तत्कालीन सामाजिक जीवन का हिस्सा था। साथ ही, बौद्ध धर्म के प्रभाव ने यहाँ के सामाजिक लोकाचार में अहिंसा और सहिष्णुता जैसे मूल्यों को समाहित किया होगा। इन खंडों का विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि भदरिया केवल एक स्थानीय बस्ती नहीं थी, बल्कि **अंग जनपद** की सभ्यता का एक महत्वपूर्ण चमकता हुआ केंद्र था। यह स्थल प्राचीन भारत के उस संक्रमण काल का प्रतिनिधित्व करता है जहाँ धर्म, व्यापार और संस्कृति का अद्भुत संगम हुआ था।

V. चुनौतियाँ और संरक्षण

चांदन नदी की धारा का प्रभाव और तकनीकी समाधान

भदरिया स्थल की सबसे बड़ी चुनौती इसकी भौगोलिक स्थिति है। चांदन नदी, जो अपनी चंचल धारा के लिए जानी जाती है, ने जहाँ एक ओर इस सभ्यता को उजागर किया, वहीं दूसरी ओर यह इसके विनाश का कारण भी बन सकती है। मानसून के दौरान नदी का जलस्तर बढ़ने से तटों का कटाव तीव्र हो जाता है, जिससे प्राचीन ईंटों की संरचनाएं ढहकर नदी में विलीन हो रही हैं।

विशेषज्ञों और जल संसाधन विभाग द्वारा नदी की मुख्य धारा को स्थल से दूर मोड़ने (River Diversion) के प्रस्तावों पर विचार किया गया है। इसके साथ ही, 'रिटेनिंग वॉल' (Retaining Wall) का निर्माण अनिवार्य है ताकि पुरातात्विक साक्ष्यों को स्थायी सुरक्षा मिल सके।

वित्तीय और तकनीकी बाधाएं

एक विस्तृत उत्खनन परियोजना के लिए भारी निवेश और उच्च स्तरीय तकनीकी कौशल की आवश्यकता होती है।

संसाधनों का अभाव: व्यापक खुदाई के लिए विशेष उपकरणों और प्रयोगशाला सुविधाओं की कमी एक बड़ी बाधा है। विशेष रूप से मृदभांडों और जैविक नमूनों की 'कार्बन डेटिंग' के लिए बाहरी प्रयोगशालाओं पर निर्भरता कार्य की गति को धीमा करती है।

संदर्भ सूची

1 The Times of India. (2024, January 15). *Archaeological excavation begins at 2,600-year-old Bhadaria site in Banka*. https://timesofindia.indiatimes.com

2 Malik, J. N. (2021). *GPR (Ground Penetrating Radar) survey and sub-surface imaging of archaeological remains at Bhadaria, Bihar* (Technical Report No. IITK/CE/2021). Indian Institute of Technology Kanpur, Section 3.2 (Sub-surface Analysis), pp. 8–14.

3 Ibid, pp. 29.

4 Ibid, pp. 38.

5 Bihar Heritage Development Society. (2024). *Preliminary excavation report of Bhadaria archaeological site, Banka district* (Ref No: PR-01/Archaeology/2023). Directorate of Archaeology, Government of Bihar.

6 Ibid, pp. 110.

7 Ibid, pp. 117.

8 Law, B. C. (1932). *Geography of early Buddhism*. Kegan Paul, Trench, Trubner & Co.

9 Patil, D. R. (1963). *The antiquarian remains in Bihar*. Kashi Prasad Jayaswal Research Institute.

10 Chaudhary, R. K. (1958). *History of Bihar*. Motilal Banarsidass.

मौर्योत्तर कालीन यातायात के मार्ग एवं जहाजरानी का विकास

डॉ. रोशनी कुमारी
ए. आई. एच. सी. एंड आर्कियोलॉजी, ति.माँ. भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर

सारांश (Abstract)

प्रस्तुत शोध-पत्र मौर्योत्तर काल (लगभग द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से तृतीय शताब्दी ईस्वी तक) में भारतीय उपमहाद्वीप के आंतरिक व बाह्य यातायात मार्गों तथा जहाजरानी के अभूतपूर्व विकास का एक गहन ऐतिहासिक व आर्थिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। मौर्य साम्राज्य के विखंडन के पश्चात उपमहाद्वीप में शुंग, कण्व, सातवाहन, कुषाण और चेदि राजवंशों के उदय ने क्षेत्रीय व्यापारिक स्वायत्तता को बल दिया। इस युग में न केवल 'उत्तरापथ' और 'दक्षिणापथ' जैसे स्थलमार्गों का पूर्ण संस्थागत विकास हुआ, बल्कि 'पेरिप्लस ऑफ द एरीथ्रियन सी' और टॉलेमी के विवरणों के आलोक में हिंद महासागर में मानसूनी हवाओं की खोज (हिप्पोलस द्वारा) ने समुद्री व्यापारिक मार्गों में एक क्रांतिकारी युगांतर उपस्थित किया। यह लेख मौर्योत्तर कालीन पुरातात्विक साक्ष्यों (यथा—भृगुकच्छ, ताम्रलिप्ति, अरिकामेडु से प्राप्त पुरावशेषों) और सिक्कों पर अंकित जहाजों के प्रतीकों के आधार पर तत्कालीन नौवहन तकनीक, बंदरगाहों के नेटवर्क, और वैश्विक रोम-भारत व्यापारिक अंतर्संबंधों का विस्तृत मूल्यांकन करता है।

मुख्य शब्द: *मौर्योत्तर काल, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, जहाजरानी, भृगुकच्छ, रोम-भारत व्यापार, नौवहन तकनीक।*

1. प्रस्तावना

भारतीय आर्थिक इतिहास में मौर्योत्तर काल को प्रथम नगरीकरण (सिंधु घाटी सभ्यता) और द्वितीय नगरीकरण (बुद्ध काल) के बाद **"वाणिज्यिक क्रांति का स्वर्ण युग"** स्वीकार किया जाता है। मौर्यों द्वारा स्थापित केंद्रीय नियंत्रण के अवसान के बाद यद्यपि राजनीतिक विकेंद्रीकरण की स्थिति उत्पन्न हुई, तथापि इस कालखंड ने अंतर्देशीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व छलांग लगाई। उत्तर-पश्चिम में कुषाणों, मध्य भारत और दक्कन में सातवाहनों तथा कलिंग में खारवेल के शासकों ने वाणिज्यिक गतिविधियों को राजकीय संरक्षण प्रदान किया।

यातायात के सुदृढ़ मार्गों और उन्नत नौवहन प्रणाली के अभाव में किसी भी दीर्घकालिक व्यापारिक समृद्धि की कल्पना असंभव है। मौर्योत्तर काल में भारत न केवल यूरेशिया को जोड़ने वाले 'सिल्क रूट' (रेशम मार्ग) का एक सक्रिय भागीदार बना, बल्कि हिंद महासागर के समुद्री विन्यास पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित किया। अंतर्देशीय नदियों के जलमार्ग से लेकर सुदूर पश्चिमी देशों (रोम साम्राज्य) और दक्षिण-पूर्वी एशियाई द्वीप समूहों (सुवर्णभूमि) तक फैले मंचीय व्यापारिक संजाल ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिशेष (Surplus) की स्थिति में ला खड़ा किया। प्रस्तुत शोध का उद्देश्य इसी कालखंड के यातायात मार्गों के भूगोल, उनकी सुरक्षात्मक व्यवस्था और जहाजरानी के तकनीकी विकास के विविध आयामों को उद्घाटित करना है।

2. शोध कार्यप्रणाली

इस शोध-पत्र की संरचना **ऐतिहासिक-एकात्मिक, पुरातात्विक-तुलनात्मक तथा पाठ्य-सामग्री विश्लेषण पद्धति** पर आधारित है। अध्ययन को पूर्णता प्रदान करने के लिए प्राथमिक और द्वितीयक दोनों स्रोतों का सघन समन्वय किया गया है। प्राथमिक स्रोतों के अंतर्गत तत्कालीन साहित्यिक कृतियों (यथा—कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो मौर्योत्तर काल में भी प्रासंगिक रहा; पतंजलि का महाभाष्य, 'पेरिप्लस ऑफ द एरीथ्रियन सी', प्लिनी की 'नेचुरल हिस्टोरी', और टॉलेमी का भूगोल) का ऐतिहासिक पाठ विश्लेषण किया गया है।

इसके समानांतर सातवाहन नरेश यज्ञश्री शातकर्णी के सिक्कों (जिन पर दो पतवारों वाले जहाजों के चित्र अंकित हैं) और अरिकामेडु, ताम्रलिप्ति तथा भृगुकच्छ (भड़ौच) से प्राप्त रोमन एम्फोरा (मदिरा पात्र) व 'एरेटाइन' बर्तनों जैसे पुरातात्विक साक्ष्यों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। द्वितीयक स्रोतों के रूप में आधुनिक इतिहासकारों (यथा—आर. सी. मजूमदार, रोमिला थापर, आर. एस. शर्मा और हिमांशु प्रभा रे) के व्यापारिक सिद्धांतों का आश्रय लेते हुए मौर्योत्तर कालीन परिवहन भूगोल का एक वस्तुनिष्ठ ढांचा तैयार किया गया है।

3. विषय की प्रासंगिकता

इक्कीसवीं सदी के वैश्वीकरण के दौर में, जब भारत सरकार 'सागरमाला परियोजना', 'मैरीटाइम इंडिया विज़न' और 'इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क' जैसी रणनीतियों के माध्यम से अपने प्राचीन समुद्री गौरव को पुनर्जीवित कर रही है, मौर्योत्तर कालीन नौवहन और व्यापारिक मार्गों का ऐतिहासिक अध्ययन अत्यंत प्रासंगिक हो जाता है। यह शोध इस औपनिवेशिक भ्रांति का खंडन करता है कि प्राचीन भारतीय केवल पारलौकिक चिंतन में लीन थे और समुद्री यात्राओं को धार्मिक रूप से वर्जित मानते थे। यह अध्ययन दर्शाता है कि मौर्योत्तर काल का भारत एक अत्यंत व्यावहारिक, तकनीकी रूप से कुशल और वैश्विक वाणिज्यिक नेटवर्किंग से लैस समाज था। तत्कालीन बंदरगाह प्रबंधन, मार्ग सुरक्षा और बहु-सांस्कृतिक व्यापारिक संधियों का विश्लेषण समकालीन वैश्विक व्यापार और कूटनीति के ऐतिहासिक संदर्भों को समझने के लिए नवीन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

4. साहित्य समीक्षा (Literature Review)

प्रस्तुत शोध-विषय "मौर्योत्तर कालीन यातायात के मार्ग एवं जहाजरानी का विकास" पर पूर्व में विभिन्न इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और आर्थिक विश्लेषकों द्वारा व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए हैं। तत्कालीन वाणिज्यिक क्रांति, परिवहन भूगोल और नौवहन तकनीक को समझने के लिए निम्नलिखित विद्वानों के शोध कार्यों की समीक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है:

आर. एस. शर्मा (R. S. Sharma)

प्रो. आर. एस. शर्मा ने अपनी पुस्तक *'अर्बन डिके इन इंडिया (सी. 300 - सी. 1000)'* तथा अन्य आर्थिक इतिहास संबंधी लेखों में मौर्योत्तर काल को भारतीय व्यापार का चरमोत्कर्ष माना है। उनका मत है कि कुषाण और सातवाहन काल में मौद्रिक अर्थव्यवस्था और नगरीय केंद्रों का जो तीव्र विकास हुआ, उसके मूल में सुदृढ़ अंतर्देशीय और बाह्य मार्ग थे। शर्मा जी के अनुसार, मध्य एशिया से जुड़ने वाले रेशम मार्ग (सिल्क रूट) और रोम साम्राज्य के साथ बढ़ते व्यापारिक अधिशेष ने भारत के आंतरिक शिल्प उद्योगों और स्थानीय श्रेणियों (Guilds) को अत्यधिक सुदृढ़ किया, जिससे परिवहन मार्गों का विकास अनिवार्य हो गया।

रोमिला थापर (Romila Thapar)

प्रख्यात इतिहासकार रोमिला थापर ने *'अर्ली इंडिया: फ्रॉम द ओरिजिन टू एडी 1300'* में मौर्योत्तर कालीन व्यापारिक मार्गों के सामाजिक-राजनीतिक आयामों का सूक्ष्म विश्लेषण किया है। उनका तर्क है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भले ही राजनीतिक विकेंद्रीकरण हुआ , लेकिन इसने क्षेत्रीय राजवंशों (जैसे सातवाहन और पश्चिमी क्षत्रप) को अपने-अपने क्षेत्रों में व्यापारिक स्वायत्तता और परिवहन सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। थापर ने विशेष रूप से 'दक्षिणापथ' के विकास और उज्जैन जैसे व्यापारिक जंक्शनों के महत्व को रेखांकित किया है, जो उत्तर और दक्षिण भारत के सांस्कृतिक व आर्थिक एकीकरण के सेतु बने।

हिमांशु प्रभा रे (Himanshu Prabha)

समुद्री इतिहास और पुरातत्व की विशेषज्ञ हिमांशु प्रभा रे ने अपनी महत्वपूर्ण कृति *'द रोमन कांटैक्ट: एन एम्पायर एंड इट्स कोस्टल ट्रेड'* तथा *'द मॉनेस्ट्री एंड द गिल्ड'* में मौर्योत्तर कालीन नौवहन के पुरातात्विक साक्ष्यों पर विस्तृत विमर्श किया है। डॉ. रे का मानना है कि हिंद महासागर में होने वाला व्यापार केवल पश्चिमी (रोमन) मांग पर आश्रित नहीं था, बल्कि इसमें भारतीय नाविकों, बौद्ध भिक्षुओं और स्थानीय श्रेणियों की आंतरिक गतिशीलता और उन्नत पोत-निर्माण तकनीक की बड़ी भूमिका थी। उन्होंने अरिकामेडु और भृगुकच्छ जैसे तटीय केंद्रों से प्राप्त पुरातात्विक पुरावशेषों के आधार पर सिद्ध किया है कि तत्कालीन नौवहन प्रणाली अत्यधिक संस्थागत और स्वावलंबी थी।

आर. सी. मजूमदार (R. C. Majumdar)

भारत के सुप्रसिद्ध इतिहासकार आर. सी. मजूमदार ने अपनी बहुखंडीय कृति *'द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपुल'* (विशेषकर 'द एज ऑफ इंपीरियल यूनिटी') में मौर्योत्तर काल के दौरान पूर्वी समुद्री मार्गों और दक्षिण-पूर्व एशिया (सुवर्णभूमि व सुवर्णद्वीप) के साथ भारत के संबंधों पर व्यापक प्रकाश डाला है। मजूमदार ने साहित्यिक और विलेखीय साक्ष्यों के माध्यम से यह प्रतिपादित किया कि ताम्रलिप्ति जैसे पूर्वी बंदरगाहों से होने वाले नौवहन ने न केवल व्यापारिक लाभ कमाया, बल्कि दक्षिण-पूर्व एशिया में 'वृहत्तर भारत' या 'सांस्कृतिक भारत' की नींव रखी।

के. ए. नीलकंठ शास्त्री (K. A. Nilakanta Sastri)

दक्षिण भारतीय इतिहास के प्रकांड विद्वान नीलकंठ शास्त्री ने *'ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया'* में मौर्योत्तर काल में सुदूर दक्षिण के बंदरगाहों और 'पेरिप्लस' में वर्णित समुद्री नेटवर्क का विशद विवरण दिया है उन्होंने स्पष्ट किया है कि मानसूनी हवाओं की खोज (हिप्पोलस द्वारा) ने अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में लंबी दूरी की समुद्री यात्राओं को अत्यंत सुगम और तीव्र बना दिया। शास्त्री जी ने सातवाहन शासक यज्ञश्री शातकर्णी के सिक्कों पर अंकित द्वि-मस्तूल वाले जहाजों का उल्लेख करते हुए यह निष्कर्ष निकाला है कि तत्कालीन पोत निर्माण तकनीक हवा की दिशा के विपरीत भी नौकायन करने में सक्षम थी।

निष्कर्षतः उपरोक्त अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि मौर्योत्तर कालीन परिवहन और जहाजरानी पर विस्तृत कार्य हुए हैं। जहाँ पूर्ववर्ती विद्वानों ने मुख्य रूप से राजनीतिक संरक्षण और वैश्विक मांग पर ध्यान केंद्रित किया, वहीं समकालीन विमर्श इसके तकनीकी पक्षों (जैसे पोत निर्माण, मार्ग सुरक्षा और बीमा प्रणाली) और क्षेत्रीय उप-मार्गों (Feeder Routes) के अंतर्संबंधों को गहराई से समझने की मांग करता है प्रस्तुत शोध-पत्र इसी अंतराल (Research Gap) को पाटने का

एक प्रयास है।

5. अंतर्देशीय यातायात मार्ग: स्थलीय नेटवर्क का भूगोल

मौर्योत्तर काल में आंतरिक व्यापार को सुगम बनाने के लिए पूरे उपमहाद्वीप को जोड़ने वाले दो मुख्य राष्ट्रीय राजपथों—**उत्तरापथ** और **दक्षिणापथ**—का चरम विकास हुआ। इन मार्गों पर सराय, कुएँ और सुरक्षा चौकियों की व्यवस्था की गई थी।

[उत्तरापथ (पुरुषपुर / तक्षशिला से ताम्रलिप्ति)]

(मथुरा / उज्जैन जंक्शन)

[दक्षिणापथ (प्रतिष्ठान / तगर से भृगुकच्छ / सुदूर दक्षिण)]

उत्तरापथ

उत्तरापथ भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे लंबा और महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग था। मौर्योत्तर काल में कुषाणों के नियंत्रण के कारण इस मार्ग का महत्व अत्यधिक बढ़ गया क्योंकि यह सीधे चीनी 'रेशम मार्ग' (Silk Route) से जुड़ता था।

यह मार्ग उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत के पुरुषपुर (पेशावर) और तक्षशिला से प्रारंभ होकर कपिशा (अफगानिस्तान) होते हुए मध्य भारत में मथुरा, साकेत (अयोध्या), कौशाम्बी, काशी, पाटलिपुत्र होता हुआ बंगाल के पूर्वी बंदरगाह ताम्रलिप्ति तक जाता था। इस मार्ग के माध्यम से मध्य एशिया के घोड़े, कीमती रत्न, केसर और चीनी रेशम भारत के आंतरिक भागों तक पहुँचते थे, और भारत के महीन सूती वस्त्र (मलमल), मसाले तथा हाथीदांत की वस्तुएं बाहर भेजी जाती थीं।

दक्षिणापथ

गंगा घाटी को नर्मदा के दक्षिण और प्रायद्वीपीय भारत से जोड़ने वाले मार्ग को दक्षिणापथ कहा गया। मौर्योत्तर काल में सातवाहन शासकों ने इस मार्ग को विशेष सुरक्षा और आर्थिक प्रोत्साहन दिया।

यह मार्ग श्रावस्ती और कौशाम्बी से दक्षिण की ओर बढ़कर विदिशा और उज्जैन (जो कि उत्तरी और दक्षिणी मार्गों का मुख्य चौराहा या जंक्शन था) होता हुआ नर्मदा नदी को पार करता था। यहाँ से यह सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान (पैठन), तगर, धान्यकटक (अमरावती) से होता हुआ सुदूर दक्षिण के मदुरै और कांचीपुरम तक विस्तृत था।

मुख्य राजमार्गों के अतिरिक्त कई उप-मार्ग (Feeder Routes) थे जो कटक, कोंकण तट और मालाबार तट के भीतरी इलाकों को इन बड़े मार्गों से जोड़ते थे। शक-सातवाहन संघर्ष का एक मुख्य कारण उज्जैन से पश्चिमी बंदरगाह भृगुकच्छ को जोड़ने वाले उप-मार्ग पर नियंत्रण स्थापित करना ही था।

6. मौर्योत्तर कालीन जलमार्ग एवं नदी परिवहन

स्थल परिवहन की तुलना में जल परिवहन (नदी मार्ग) अत्यधिक सस्ता और भारी माल ढोने के लिए अनुकूल था। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी और कृष्णा जैसी नदियां आंतरिक जलमार्गों की रीढ़ थीं।

नदी बंदरगाह और अंतर्देशीय नौकायन

साहित्यिक स्रोतों से ज्ञात होता है कि पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, काशी और चंपा केवल राजनीतिक केंद्र नहीं थे, बल्कि बड़े नदी बंदरगाह थे। कौटिल्य ने जलमार्गों के प्रबंधन के लिए जिस 'नवाध्यक्ष' का उल्लेख किया था, मौर्योत्तर काल में उसका स्वरूप अधिक विकेंद्रीकृत और स्थानीय निगमों (श्रेणियों) के नियंत्रण में आ गया। 'मिलिंदपन्हो' नामक ग्रंथ में बड़े नदी जहाजों का विवरण मिलता है जो सैकड़ों मन अनाज और वस्त्रों की गांठें लेकर एक शहर से दूसरे शहर जाते थे।[1]

7. जहाजरानी का विकास और समुद्री मार्ग

मौर्योत्तर काल की सबसे बड़ी उपलब्धि **हिंद महासागर में जहाजरानी और समुद्री नौवहन का वैज्ञानिक विकास** थी। ईसा की प्रथम शताब्दी के मध्य में (लगभग 45 ईस्वी) अलेक्जेंड्रिया के एक नाविक **हिप्पोलस** ने अरब सागर में बहने वाली मानसूनी हवाओं की दिशा और उनके आवधिक स्वभाव की तकनीकी खोज की। हालांकि भारतीय नाविक इनसे पहले से परिचित थे, किंतु इस खोज ने वैश्विक स्तर पर समुद्री यात्राओं का समय आधा कर दिया।

पश्चिमी समुद्री मार्ग (रोम साम्राज्य से संपर्क): मानसूनी हवाओं के ज्ञान के बाद, जहाज मिस्र के लाल सागर तट (बेरेनिका बंदरगाह) से सीधे अरब सागर को पार करके भारत के पश्चिमी तट पर भृगुकच्छ या मुज़िरिस पहुँच सकते थे। अब जहाजों को तट के किनारे-किनारे (Coasting) रेंगते हुए लंबी यात्रा करने की आवश्यकता नहीं थी, वे खुले समुद्र में सीधे यात्रा कर सकते थे। इससे ईंधन, समय और मानव श्रम की भारी बचत हुई।

पूर्वी समुद्री मार्ग (दक्षिण-पूर्व एशिया से संपर्क): पूर्वी तट पर, ताम्रलिप्ति और पोडुका (अरिकामेडु) से जहाज बंगाल की खाड़ी को पार करके 'सुवर्णभूमि' (म्यांमार, थाईलैंड, मलय प्रायद्वीप) और 'सुवर्णद्वीप' (इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा) तक जाते थे। इस मार्ग से भारतीय बौद्ध भिक्षु, व्यापारी और शिल्पी दक्षिण-पूर्व एशिया पहुँचे, जिससे वहाँ 'सांस्कृतिक भारत' का विस्तार हुआ।

8. प्रमुख बंदरगाहों का नेटवर्क और उनका वाणिज्यिक विन्यास

मौर्योत्तर काल में भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तट अंतरराष्ट्रीय बंदरगाहों (Emporiums) से पटे पड़े थे। 'पेरिप्लस ऑफ द एरीथ्रियन सी' का अज्ञात यूनानी लेखक इन बंदरगाहों का अत्यंत जीवंत विवरण देता है:

तट (Coast)	बंदरगाह का नाम (ऐतिहासिक)	आधुनिक नाम / अवस्थिति	मुख्य निर्यात / आयात वस्तुएं
पश्चिमी तट	भृगुकच्छ (बरिगाज़ा)	भड़ौच (गुजरात)	**निर्यात:** मलमल, कीमती पत्थर, नीलम। **आयात:** रोमन वाइन, तांबा, टिन।
पश्चिमी तट	सोपारा (शूर्पारक)	ठाणे (महाराष्ट्र)	अंतर्देशीय सूती वस्त्र, कलाकृतियाँ।
पश्चिमी तट	मुज़िरिस (मुचिरी)	कोडुंगल्लूर (केरल)	**निर्यात:** काली मिर्च (यवनप्रिय), इलायची, कछुए की पीठ।
पूर्वी तट	ताम्रलिप्ति	तामलुक (पश्चिम बंगाल)	रेशम, चीनी मिट्टी के पात्र, गंगा घाटी का अनाज।
पूर्वी तट	पोडुका (अरिकामेडु)	पुदुच्चेरी	**आयात:** रोमन एम्फोरा, एरेटाइन बर्तन, कांच के मनके।
पूर्वी तट	कावेरीपट्टनम (पुहार)	तमिलनाडु	मोती, शंख, सुदूर पूर्वी मसाले।

9. नौवहन तकनीक, पोत निर्माण एवं मुद्रायें

मौर्योत्तर काल में जहाजरानी का विकास केवल मार्गों तक सीमित नहीं था, बल्कि पोत निर्माण तकनीक में भी भारी गुणात्मक सुधार हुआ था।

जहाजों के प्रकार और उनकी संरचना: समरांगण सूत्रधार (हालांकि उत्तरवर्ती ग्रंथ है, परंतु प्राचीन परंपराओं को समेटे हुए है) और बौद्ध जातक कथाओं के विश्लेषण से मौर्योत्तर कालीन जहाजों के वर्गीकरण का पता चलता है:

क्षुद्र नावे: नदियों और तटीय क्षेत्रों में चलने वाली छोटी नावें।

महान नावे (महातरणी): खुले समुद्र की लंबी यात्राओं के लिए विशाल जहाज। ये बहु-मंजिला होते थे और इनमें तीन से चार मस्तूल तथा विशाल पाल होते थे।

यज्ञश्री शातकर्णी के सिक्के: एक तकनीकी साक्ष्य: सातवाहन वंश के अंतिम शक्तिशाली राजा यज्ञश्री शातकर्णी के काल के सिक्कों पर **'द्वि-मस्तूल' (Double-masted ship)** वाले जहाजों का अंकन मिलता है। इन सिक्कों पर जहाज के साथ एक मछली और शंख का भी चित्र है, जो समुद्र पर राजा के एकाधिकार और उन्नत नौवहन तकनीक को प्रदर्शित करता है। ये जहाज हवा की दिशा के विपरीत भी पाल को घुमाकर चलने में सक्षम थे। जहाजों में दिशा ज्ञान के लिए 'दिशिका' या 'दिशा-खोजने वाले पक्षियों' (समुद्री कौवों) का प्रयोग किया जाता था, जिन्हें जहाज से उड़ाया जाता था और वे निकटतम तट की दिशा का संकेत देते थे।[10]

10. व्यापारिक श्रेणियाँ (Guilds) और जहाजरानी का वित्तपोषण

इतने बड़े पैमाने पर जहाजों का निर्माण और लंबी समुद्री यात्राओं का जोखिम उठाना किसी अकेले व्यापारी के वश में नहीं था। मौर्योत्तर काल में **'श्रेणियों' (Guilds)** और 'सार्थवाहों' का संस्थागत विकास हुआ।

समुद्री बीमा और ऋण व्यवस्था

बौद्ध ग्रंथों और महायान अवदान साहित्यों से संकेत मिलता है कि व्यापारी श्रेणियाँ सामूहिक रूप से समुद्री यात्राओं के लिए धन एकत्रित करती थीं। यदि कोई जहाज डूब जाता था, तो उसका नुकसान पूरी श्रेणी मिलकर वहन करती थी, जो कि आधुनिक 'समुद्री बीमा' (Maritime Insurance) का ही एक प्रारंभिक स्वरूप था। श्रेणियों के पास अपनी निजी सुरक्षा सेना (श्रेणीबल) भी होती थी, जो थलमार्गों पर दस्युओं (लुटेरों) से और जलमार्गों पर समुद्री डाकुओं से माल की सुरक्षा करती थी।

11. निष्कर्ष

संक्षेप में, मौर्योत्तर काल भारतीय इतिहास का वह स्वर्णिम अध्याय है जब भारत ने अपनी भौगोलिक सीमाओं को लांघकर वैश्विक वाणिज्यिक मंच पर अपनी तकनीकी और आर्थिक श्रेष्ठता सिद्ध की थी। उत्तरापथ और दक्षिणापथ जैसे अंतर्देशीय थलमार्गों के सुगठित नेटवर्क ने जहाँ देश के आंतरिक संसाधनों का एकीकरण किया, वहीं हिप्पोलस द्वारा मानसून की खोज और सातवाहनों व कुषाणों के राजकीय संरक्षण ने भारतीय जहाजरानी को एक नई वैज्ञानिक उड़ान दी।

भृगुकच्छ से लेकर अरिकामेडु तक के बंदरगाह केवल माल के विनिमय केंद्र नहीं थे, बल्कि वे संस्कृतियों के मिलन स्थल थे। यज्ञश्री शातकर्णी के सिक्कों पर उत्कीर्ण जहाजों के चित्र और भूमध्यसागरीय क्षेत्रों से प्राप्त भारतीय वस्तुओं के पुरातात्विक अवशेष इस बात के जीवंत गवाह हैं कि मौर्योत्तर कालीन नाविकों ने अपनी पोत-निर्माण कला और अदम्य साहस के बल पर हिंद महासागर को एक 'भारतीय झील' में तब्दील कर दिया था। यह तकनीकी और वाणिज्यिक विरासत उत्तरवर्ती गुप्त और चोल काल के नौसैनिक साम्राज्यवाद का आधार स्तंभ बनी।

संदर्भ सूची

1. Dharwadker, Aparna Bhargava. *Theatres of Independence: Drama, Theory, and Urban Performance in India since 1947*. University of Iowa Press, 2005, p.198.
2. Chandra, Moti. *Trade and Trade Routes in Ancient India*. Abhinav Publications, 1977, p.79.
3. Mukherjee, Bratindra Nath. *The Rise and Fall of the Kushana Empire*. Firma KLM, 1988, p.192.
4. Sharma, Ram Sharan. *Light on Early Indian Society and Economy*. Manaktalas, 1966, p.59.
5. Ibid, p.245.
6. Schoff, Wilfred Harvey, translator. *The Periplus of the Erythraean Sea: Travel and Trade in the Indian Ocean by a Merchant of the First Century*. Longmans, Green, and Co., 1912, p.11.
7. Warmington, Eric Herbert. *The Commerce Between the Roman Empire and India*. Cambridge University Press, 1928, p.161.
8. Sharma, Ram Sharan. *Light on Early Indian Society and Economy*. Manaktalas, 1966, p.59.
9. McCrindle, John Watson. *Ancient India as Described by Ptolemy*. Edited by Ramachandra Jain, Today & Tomorrow's Printers & Publishers, 1973, p.222.
10. Casson, Lionel. *The Periplus Maris Erythraei: Text with Introduction, Translation, and Commentary*. Princeton University Press, 1989, p.306.

सृजनात्मक छात्रों की शिक्षा हेतु निर्देशन/मार्गदर्शन: एक परिचय

डॉ. वन्दना मिश्रा
पी.डी.एफ. स्कॉलर, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली
असिस्टेंट प्रोफेसर, विशेष शिक्षा विभाग, नेहरू ग्राम भारती (मानित विश्वविद्यालय), प्रयागराज

सारांश:

आधुनिक युग में नए-नए अविष्कार हो रहे हैं। आज वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि वह अपनी नई खोज के आधार पर विश्व ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्माण्ड तक अपनी पहुंच बना सकता है। नई तकनीकी और औद्योगिक विकास के इस युग में विभिन्न क्षेत्रों में हर दिन अविष्कार हो रहे हैं जिसमें वैज्ञानिकों का अथक प्रयास एवं परिश्रम छुपा हुआ है, जो इनकी सृजनात्मकता को प्रदर्शित करता है। सृजनात्मकता मनुष्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देखी जा सकती है। संसार में सभी प्राणियों में सृजनात्मकता पाई जाती है, अंतर यह होता है कि किसी में इसकी मात्रा अधिक तो किसी ने कम होता है। सृजनात्मक बालक राष्ट्र के धरोहर के रूप में माने जाते हैं और इनकी पहचान कर उनकी क्षमताओं का उचित उपयोग करना यह राष्ट्र की आवश्यकता है।

की वर्ड: सृजनात्मकता, निर्देशन, मार्गदर्शन।

प्रस्तावना:

सृजनात्मकता से तात्पर्य 'नवीन ज्ञान की खोज करने' से है और सृजनात्मक बालक नवीन ज्ञान की खोज करने वाला कहलाता है। यह एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान हेतु नए विचारों या चिंतन द्वारा अभिव्यक्त होती है जिसमें नए अन्वेषण, निरीक्षण एवं निष्कर्ष निकलते हो। यह एक मानवीय योग्यता है जो किसी नवीन रचना या विचारों को प्रस्तुत करता है तथा इसका संबंध नव्यता एवं मौलिकता से है। किसी बालक द्वारा किसी जटिल समस्या का चिंतन एवं तार्किक समाधान खोजने की योग्यता या पूर्व चली आ रही व्यवस्था से अलग होकर नए विचारों के द्वारा नवीन समाधान को मूर्त रूप देने की योग्यता जो देश, समाज, व्यक्ति के हित में हो, सृजनात्मकता कहलाती और ऐसे बालक सृजनात्मक बालक कहलाते हैं। सृजनात्मकता को संवेदनशीलता, खोज, परखता, नवीनता आदि के संदर्भ में समझा जा सकता है।

सृजनात्मकता के तत्व:

सृजनात्मकता के मुख्यतः चार तत्व होते हैं-

- प्रवाह- निरंतर प्रयास करते रहना अर्थात् किसी समस्या, वस्तु, विचार पर लगातार प्रयत्नशील रहना ही प्रवाह कहलाता है।

- नमनीयता अर्थात् लचीलापन- यहां नमनीयता का अर्थ किसी वस्तु समस्या के अनेक हल प्रस्तुत करने की क्षमता से है।
- मौलिकता- नए विचार, वस्तु आदि को नए तरह से व्यवस्थित करने की शक्ति ही मौलिकता कहलाती है। यह सबसे महत्वपूर्ण तत्व है।
- विस्तारता- विस्तारता से तात्पर्य किसी विचारों या भावों की विस्तृत व्याख्या या ग्रहण प्रस्तुतीकरण से है।

इसके अतिरिक्त संवेदनशीलता, नव्यता, आत्मनिर्भरता, स्वतंत्र निर्णयता, पुर्नपरिभाषिकता, अन्वेषकता आदि इसके तत्व माने गए हैं।

सृजनात्मक छात्रों के गुण एवं विशेषताएं:

सृजनात्मक छात्रों में निम्नलिखित गुण एवं विशेषताएं पाई जाती हैं-

- नए तत्वों का समावेशन
- उच्च बौद्धिक स्तर
- अतिशय का अभाव
- वास्तविक, व्यवहारिक, एक योग्य बालक
- किसी कार्य को नई दिशा एवं दशा प्रदान करने की क्षमता
- सौंदर्यात्मक सहयोग का उच्च स्तर
- उच्च बुद्धि लब्धि
- उच्च कल्पना एवं चिंतन की शक्ति
- अत्यधिक क्रियाशील अर्थात् क्रिया क्षमता
- नवीन कार्यशैली क्षमता
- जिज्ञासा ग्रहण करने की क्षमता
- नूतन अन्वेषण
- विषय को सरलता से समझने की क्षमता
- सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार की भावना से युक्त
- उच्च आकांक्षा
- दूरदृष्टि
- जोखिम उठाने में सदैव तत्पर

सृजनात्मक छात्रों के पहचान की आवश्यकता:

सृजनात्मक छात्र राष्ट्र की धरोहर है। राष्ट्र के विकास के लिये इन छात्रों की प्रतिभा की खोज प्रारम्भ से ही करना आवश्यक है। अतः सृजनात्मक छात्र की पहचान कर उसकी विशेषताओं को खोजा जाना चाहिए उनकी पहचान के लिये निम्नविधियाँ प्रयोग में लेते हैं-

1. बालकों के सही मूल्यांकन के लिये इनका पता लगाना आवश्यक है।
2. उनके व्यवहार, कार्यशैली तथा मानसिक क्षमता की जानकारी लेखक इनके बारे में उपचार करना चाहिए।
3. इनका पता लगाने के पश्चात् ही उनकी वांछित दिशा में उत्पन्न सृजनात्मक शक्ति का विकास किया जाना चाहिए।
4. इनका व्यक्तिगत, शैक्षिक एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन आपेक्षित मात्रा में संभव है।
5. सृजनशील बालकों का पता लगाकर हम कक्षागत समस्याओं (सृजनात्मकता) का निराकरण उनकी शैक्षिक एवं मानसिक क्षमताओं के परिप्रेक्ष्य में कर सकते हैं।

सृजनात्मक छात्रों को आने वाले चुनौतियां:

सृजनात्मक छात्रों को कुछ विशिष्ट चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जो उनके अनूठे दृष्टिकोण और रचनात्मक विचार प्रक्रिया से जुड़ी होती हैं। इन समस्याओं में निम्नलिखित शामिल हो सकती हैं-

1. असामान्य सोच और अस्वीकृति- सृजनात्मक बालक सामान्य तौर पर साधारण ढांचे से बाहर सोचते हैं, जिससे उनके विचार और समाचार बाकी बच्चों से भिन्न हो सकते हैं। यह उन्हें समूह में अलग या अजीब महसूस करा सकता है और कभी-कभी उन्हें अस्वीकृति या उपहास का सामना करना पड़ सकता है।
2. ध्यान केन्द्रित करने में कठिनाई- सृजनात्मक बच्चों का मस्तिष्क अक्सर कई दिशाओं में कार्य करता रहता है। उनकी कल्पनाशक्ति बहुत प्रबल होती है, जिससे वे अपनी कक्षाओं या दैनिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं।
3. परफेक्शनिज्म (पूर्णतावाद)- सृजनात्मक बालक अक्सर अपने काम में पूर्णता चाहते हैं, जो उन्हें अत्यधिक आत्म-आलोचनात्मक बना सकता है। यह उनके मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, खासकर जब वे अपने स्वयं के मानकों पर खरा नहीं उतर पाते हैं।
4. अधीरता- सृजनात्मक बालक अपनी परियोजनाओं को तुरंत खत्म करना चाहते हैं, और अगर परिणाम में देरी होती है, तो वे अधीर या निराश हो सकते हैं।
5. सामाजिक संघर्ष- रचनात्मकता की वजह से वे अधिक संवेदनशील होते हैं और कभी-कभी वे समूह गतिविधियों में दूसरों से सामंजस्य बैठाने में कठिनाई महसूस करते हैं। इसके चलते वे सामाजिक रूप से अलग-थलग पड़ सकते हैं।
6. अपरम्परागत सीखने के तरीके- सृजनात्मक बच्चे पारंम्परिक शिक्षण विधियों में रुचि नहीं लेते और इससे स्कूल में संघर्ष कर सकते हैं। वे अक्सर नई चुनौतियों और स्वतंत्र सोच की तलाश में रहते हैं, जो मानक शिक्षा प्रणाली में

संतोषजनक नहीं हो पाता।

इन समस्याओं के समाधान के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि माता-पिता और शिक्षक इन बालकों की अनूठी आवश्यकताओं को समझें और उनके लिए एक ऐसा वातावरण तैयार करें जहां वे अपनी सृजनात्मकता को बिना किसी दबाव के व्यक्त कर सकें।

सृजनात्मक बालक के जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव:

सृजनात्मक बालक पर उनकी रचनात्मकता का गहरा प्रभाव पड़ता है, जो उनके व्यक्तिगत, सामाजिक और शैक्षिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रभाव के कुछ सकारात्मक और नकारात्मक पहलू हो सकते हैं। जो निम्नलिखित हैं-

सकारात्मक प्रभाव:

1. समस्या-समाधान क्षमता- सृजनात्मक बालक सामान्य से अलग सोचने की क्षमता रखते हैं, जिससे वे समस्याओं का अनूठे और नवाचारी तरीके से समाधान निकाल सकते हैं। यह क्षमता भविष्य में उन्हें अधिक सफल बना सकती है।
2. स्वतंत्रता और आत्मविश्वास- सृजनात्मकता बच्चों को अपने विचारों और क्षमताओं पर भरोसा करना सिखाती है। वे आत्मनिर्भर और स्वतंत्र विचारक बनते हैं, जो जीवन में चुनौतियों का सामना करते समय आत्मविश्वास महसूस करते हैं।
3. उत्कृष्ट प्रदर्शन- उनकी रचनात्मकता कला, लेखन, संगीत या विज्ञान जैसे क्षेत्रों में अद्वितीय प्रदर्शन का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। वे अपने विचारों को स्पष्ट और प्रभाव ढंग से व्यक्त करने में सक्षम होते हैं।
4. समझने की गहराई- सृजनात्मक बालक जिज्ञासु होते हैं और चीजों को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। वे अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने और नयी चीजें सीखने के लिए प्रेरित रहते हैं।

नकारात्मक प्रभाव:

1. अलगाव और सामाजिक चुनौतियाँ- रचनात्मकता के कारण बच्चे अक्सर अपने साथियों से अलग महसूस कर सकते हैं, क्योंकि उनकी सोच और दृष्टिकोण पारंपरिक रूप से स्वीकार्य नहीं होते। यह उन्हें अलग-थलग कर सकता है और वे सामाजिक रूप से असुरक्षित महसूस कर सकते हैं।
2. अति-संवेदनशीलता- सृजनात्मक बालक अपनी भावनाओं के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। वे आलोचना या असफलता से आसानी से प्रभावित हो सकते हैं, जिससे उनमें आत्म-संदेह या निराशा उत्पन्न हो सकती है।
3. आत्म-आलोचना और परफेक्शनिज्म- सृजनात्मक बालक अक्सर अपनी रचनाओं में पूर्णता की तलाश करते हैं। अगर वे अपने मानकों को पूरा नहीं कर पाते, तो वे आत्म-आलोचनात्मक हो सकते हैं, जिससे उनके आत्म-सम्मान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
4. ध्यान भटकाव- सृजनात्मक बालक अपनी कल्पनाशीलता में इतना खो सकते हैं कि वे अपने स्कूल के कार्यों या अन्य

जिम्मेदारियों पर ध्यान केन्द्रित करने में असमर्थ हो सकते हैं। इससे उनकी शैक्षिक प्रगति प्रभावित हो सकती है।

5. परम्परागत शिक्षा में संघर्ष- चूंकि सृजनात्मक बालक पारंपरिक शिक्षा के तरीके से सामंजस्य नहीं बिठा पाते, वे खुद को बंधा हुआ महसूस कर सकते हैं। उनके सोचने के अनूठे तरीकों को पर्याप्त समर्थन न मिलने पर वे शिक्षा में रुचि खो सकते हैं।

सृजनात्मक बालकों के लिए सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयास:

सृजनात्मक बालकों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा कई नीतियाँ और कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य बच्चों की रचनात्मक क्षमताओं को विकसित करना और उन्हें एक ऐसा वातावरण प्रदान करना है जहां वे अपनी अनूठी सोच और कौशल को निखार सकें। निम्नलिखित कुछ प्रमुख सरकारी प्रयास हैं-

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020:

बहु-विषयक शिक्षा- छम्च् 2020 का मुख्य उद्देश्य शिक्षा को सृजनात्मक और नवाचारी बनाना है। इसमें छात्रों को कई क्षेत्रों में स्वतंत्रता दी गई है ताकि वे अपनी रुचियों के अनुसार विषय चुन सकें। यह कला, संगीत, नाटक और खेल को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने पर जोर देता है, जिससे बच्चों की रचनात्मकता को बढ़ावा मिलता है।

प्रोजेक्ट आधारित शिक्षा- इसके अंतर्गत व्यावहारिक और रचनात्मक दृष्टिकोण पर आधारित शिक्षा प्रणाली लागू की जा रही है। इसमें बच्चे अपने विचारों को वास्तविक परियोजनाओं के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं।

नवाचार और क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर- छम्च् में नवाचार, क्रिटिकल थिंकिंग और समस्या-समाधान पर जोर दिया गया है, जो सृजनात्मक बच्चों के लिए लाभकारी है। उन्हें स्वतंत्र रूप से सोचने और नवाचारी समाधान खोजने की प्रेरणा दी जाती है।

2. अटल इनोवेशन मिशन- यह मिशन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित किया गया है। इसमें अटल टिंकरिंग लैब्स (।ज्स्) नामक कार्यक्रम के तहत स्कूलों में प्रयोगशालाएं स्थापित की जाती हैं, जहां बच्चे विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (ैज्म्ड) के क्षेत्र में अपने नवाचारी विचारों पर काम कर सकते हैं। यह सृजनात्मक बालकों को अपने रचनात्मक विचारों को साकार करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है।

3. प्रतिभा विकास कार्यक्रम- विभिन्न राज्यों में सरकार द्वारा ऐसे कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं, जिनका उद्देश्य सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान कर उन्हें विशेष प्रशिक्षण प्रदान करना है। उदाहरण के लिए प्छैच्प्त्म् अवार्ड जैसे कार्यक्रम विज्ञान और नवाचार में रुचि रखने वाले बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं।

4. कला और सांस्कृतिक शिक्षा को प्रोत्साहन- सरकार कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में कला विषयों को अनिवार्य कर रही है। इसमें संगीत, नृत्य, चित्रकला, शिल्प और नाटक जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य बच्चों की रचनात्मकता और सांस्कृतिक समझ को विकसित करना है।

राष्ट्रीय बालश्री सम्मान- यह पुरस्कार उन बच्चों को दिया जाता है जो कला, रचनात्मक लेखन और प्रदर्शन कला के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। इस तरह के पुरस्कार सृजनात्मकता को पहचानते और प्रोत्साहित करते हैं।

5. डिजिटल शिक्षा और सृजनात्मकता- सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे दिशा ;क्पै्ज्ञभ्।द्ध और स्वयं ;ैॅ।ल्।डद्ध के माध्यम से बच्चों के लिए रचनात्मक पाठ्यक्रम और सामग्री उपलब्ध करवाई है। ये प्लेटफॉर्म सृजनात्मक बालकों को स्वतंत्र रूप से सीखने और अपने विचारों को साझा करने का अवसर प्रदान करते हैं।

कोडिंग और प्रोग्रामिंग- छम्च् 2020 के तहत, बच्चों के लिए कक्षा 6 से ही कोडिंग सिखाने की शुरूआत की गई है। इससे सृजनात्मक बालकों को नकनीकी नवाचार और डिजाइन थिंकिंग में रुचि विकसित करने का अवसर मिलता है।

6. अन्य रचनात्मक पहल- क्षेत्रीय और राष्ट्रीय विज्ञान मेले: ये मेले बच्चों के वैज्ञानिक और रचनात्मक विचारों को प्रदर्शित करने का एक प्रमुख मंच है। बच्चे इन मेलों में अपने नवाचारी प्रोजेक्ट्स प्रस्तुत करते हैं और उन्हें मान्यता मिलती है।

सृजनात्मक लेखक प्रतियोगिताएं- सरकार और गैर-सरकारी संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर रचनात्मक लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, जो बच्चों की साहित्यिक और रचनात्मक क्षमताओं को निखारते हैं।

सृजनात्मक छात्रों हेतु मार्गदर्शन- बालकों की उचित दिशा में विकास करने हेतु यह अत्यंत आवश्यक है कि इन छात्रों को समय से पहचान कर लिया जाए। ऐसे छात्रों को उनकी उत्सुकता, संवेदनशीलता, मौलिकता, स्वतंत्र निर्णय क्षमता, स्वायत्तता आदि गुणों के द्वारा शीघ्र पहचान किया जा सकता है।

सृजनात्मक छात्रों का विकास एक गति में नहीं होता बल्कि उसकी गति में कई अवरोह पाए जाते हैं। सृजनज्ञत्मक परीक्षणों से पता चलता है कि इनके विकास के प्रथम अवरोह 5 वर्ष की अवस्था में तथा दूसरा अवरोह लगभग 9 वर्ष की आयु पर जब बच्चा कक्षा 3 के अंत में होता है उसके बाद पुनः इसका विकास होता है और तीसरा लगभग 12 वर्ष की आयु जब छात्र कक्षा 6 में होता है। इसके पश्चात इनके विकास में कमी देखने को मिलती है। अतः इनके विकास के स्तर को ध्यान में रखते हुए इन वर्ष अंतराल में अभिभावक, शिक्षक, समाज व सरकार द्वारा नए-नए प्रावधान किए जाने चाहिए। इन बच्चों की सृजनात्मकता को पल्लवित एवं पोषित करने के लिए उचित वातावरण एवं देखरेख किए जाने चाहिए। ऐसे बच्चों को उचित प्रशिक्षण, शिक्षा तथा अभिव्यक्ति के पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए उनमें रचनात्मकता की शक्ति को बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही अध्यापकों तथा माता-पिताओं के लिए यह भी आवश्यक हो जाता है कि वे बच्चों की सृजनात्मक योग्यता के विकास के लिए उचित वातावरण और स्थितियों की व्यवस्था करते हुए उनमें अभिप्रेरणा तथा परिस्थितियों द्वारा सृजनात्मक योग्यता को विकसित करें। इन बालकों की योग्यताओं को विकसित करने के लिए विद्यालयों को भी निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए जैसे-

- ऐसे छात्रों में किसी भी रूप में विद्यमान मौलिकता एवं लचीलापन को प्रोत्साहन देना।
- सृजनात्मक बालक के शिक्षण के लिए वाद-विवाद, प्रयोगात्मक कल्पनाओं पर वाद-विवाद एवं भाषण कुछ सामान्य वस्तुओं का प्रशिक्षण आदि तकनीक का प्रयोग किया जाना चाहिए।
- नई परिस्थितियों में बालकों को विभिन्न सिद्धान्तों का प्रयोग करने की शिक्षा देना चाहिए।
- विद्यालय में ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए जिससे बालकों में सामाजिक अभिव्यक्ति का अधिकाधिक अवसर प्रदान हो सके।
- बालको द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर उन्हें कभी डांटना नहीं चाहिए।

- छात्रों को सृजनात्मक कला केन्द्रों और वैज्ञानिक और औद्योगिक निर्माण केंद्रों की यात्रा करानी चाहिए। जिससे उनमें सृजनात्मक कार्यों के प्रति प्रेरणा को बढ़ावा मिल सके।
- सृजनात्मक छात्रों की शिक्षण व्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन करके उन्हें और सृजनशील तथा उनकी प्रतिभा के विकास हेतु समुचित शिक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए।
- ऐसे छात्रों को नई परिस्थिति में विभिन्न सिद्धांतों का प्रयोग करने की भी शिक्षा देनी चाहिए।
- इन छात्रों में उपस्थित मौलिकता एवं लचीलापन को प्रोत्साहन देना चाहिए।
- अध्यापक और माता-पिता को अपने बच्चों को उत्तर देने के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए।
- सामूहिक खेल, समाज सेवा, सदन व्यवस्था, आचरण संहिता आदि के द्वारा छात्रों में अनुशासन में रहने की भावना को विकसित किया जाना चाहिए।
- सृजनात्मक बालकों की शिक्षा का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जो इनमें मानसिक योग्यता, वैचारिक प्रवाह, मौलिकता, लचीलापन, तार्किकता, चिंतन आदि का विकास करते हुए उनके विचारों को क्रियान्वित करने की क्षमता को विकसित कर सके।
- इनकी शिक्षा ऐसी हो जो इनमें कार्यकलापों का मूल्यांकन करने की क्षमता को बढ़ावा दें। साथ ही उनमें समस्याओं, कमियों, अस्पष्टता को दूर करते हुए उनमें तार्किक चिंतन, जागरूकता की भावना उत्पन्न कर सके।
- सृजनात्मक छात्रों को पहले की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए और उन्हें विद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों में भागीदारी लेने की पूरी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।
- सृजनात्मक बालकों के विकास के लिए विद्यालय में शैक्षणिक खेलों का भी आयोजन किया जाना चाहिए तथा उन्हें कठोर अनुशासन में नहीं रखना चाहिए।
- सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए कक्षा में बौद्धिक वातावरण उत्पन्न करना चाहिए तथा उनके विचारों को क्रियान्वित करने की क्षमता विकसित करना चाहिए।
- समय-समय पर सेमिनार, कार्यशाला आदि का आयोजन करने के साथ ही साथ विद्यालय द्वारा बुलेटिन कार्ड, बुलिटिन बोर्ड, वाद-विवाद सभा प्रदर्शनी, शैक्षिक भ्रमण आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- यहां पर शिक्षकों की भूमिका भी अति महत्वपूर्ण हो जाती है। शिक्षकों को ऐसे बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम, स्व-मूल्यांकन, अभिव्यक्ति के अवसर, विस्तार विधि, आत्मविश्वास आदि का प्रयोग करके सृजनात्मकता को बढ़ावा देना चाहिए।
- सृजनात्मक छात्रों की कक्षा- कक्ष की प्रक्रिया में भी शिक्षकों की भूमिका एक मार्गदर्शक के रूप में होनी चाहिए तथा उनमें व्यक्तिगत भिन्नता को पहचान करते हुए बालकों की समस्या को समझने और उनके अनुसार विकास करने की क्षमता होनी चाहिए।

- विद्यार्थियों की सहभागिता को प्रोत्साहन देते हुए बालकों की सोच कैसी है, यह पर शिक्षकों को प्रशिक्षण देना चाहिए।
- सृजनात्मकता को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम में उचित बदलाव लाना सृजनात्मक बालकों की रचनात्मकता के विकास के लिए महत्वपूर्ण आवश्यकता है। पाठ्यक्रम मौलिक विचारों, लचीला एवं अत्यधिक स्पष्ट होना चाहिए क्योंकि सूचनाओं के आधार पर ही विचार जन्म लेते हैं। अतः पाठ्यक्रम में अधिक से अधिक सूचनाओं का समावेश होना चाहिए। इसके लिए शैक्षिणिक सामग्रियों का निर्धारण किया जाना चाहिए। शैक्षणिक संस्थान द्वारा फिल्म, आकाशवाणी, इंटरनेट, डॉक्यूमेंट्री आदि की सहायता से उन्हें प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से शिक्षा दिया जाना चाहिए जिससे इनमें सृजनात्मकता को बढ़ाया मिल सके।
- इसके अलावा सरकार द्वारा विभिन्न नीतियों, योजनाओं और शैक्षिक अभियानों का समय में- समय से क्रियान्वयन किया जाना चाहिए और उन्हें जमीनी स्तर पर लाने के लिए अभिभावकों, शिक्षकों, राजनीतिक पार्टियों आदि की सहायता लेते हुए नई-नई तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए तथा बच्चों में उनकी प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्तियों, बाल अधिकारों, राष्ट्रीय जन सहयोग आदि माध्यम से प्रोत्साहित करना चाहिए।

उपसंहार:

सृजनात्मकता बालकों के जीवन में एक अमूल्य गुण है, जो उनके यक्तित्व को समृद्ध बनाता है, लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियाँ भी जुड़ी होती हैं। उन्हें एक सहायक और पोषक वातावरण प्रदान करने से वे अपनी रचनात्मकता को सकारात्मक दिशा में विकसित कर सकते हैं, जिससे वे जीवन में सफल और संतुलित व्यक्तित्व बना सकते हैं।

सरकार द्वारा चलाए जा रहे ये कार्यक्रम और नीतियाँ बच्चों की सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करने और उनके समग्र विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तैयार किए गए हैं। इनमें न केवल शैक्षिक सुधार, बल्कि बच्चों की रचनात्मकता, नवाचार और व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक मंच और संसाधन भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

सृजनात्मक बच्चों की शिक्षा में मार्गदर्शन अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जहाँ शिक्षक बच्चों की सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए एक सहयोगी भूमिका निभाते हैं। मार्गदर्शन का उद्देश्य बच्चों के विचारों को खुलकर व्यक्त करने, उनकी समस्याओं को सृजनात्मक तरीकों से हल करने और उन्हें नए दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करना है।

मार्गदर्शन के दौरान, शिक्षक बच्चों के संवाद करते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करते हैं कि वे असफलताओं से न घबराएं और विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए अन्वेषणशील दृष्टिकोण अपनाएं। बच्चों के साथ सहानुभूति और समझ का यह संबंध उन्हें एक सुरक्षित और प्रेरणादायक वातावरण प्रदान करता है, जिसमें वे नई खोजें और नवाचार कर सकते हैं।

इस प्रकार, सृजनात्मक बच्चों की शिक्षा में मार्गदर्शन उन्हें एक स्वतंत्र और आत्मविश्वासपूर्ण व्यक्तित्व बनाने में मदद करता है, जहाँ वे अपने कौशलों को पहचानते और उन्हें साकार करते हैं।

संदर्भ:

1. गुप्ता, एस.पी., उच्चतर शिक्षा मनोविज्ञान।

2. डॉ0 मालती सारस्वत, शिक्षा मनोविज्ञान की रूपरेखा।
3. https://mycoaching.in
4. International Journal of Scientific Research in Science and Technology (www.ijsrst.com)

कौशाम्बी: एक बौद्ध कला केन्द्र

डॉ. ज्ञान प्रकाश द्विवेदी
वरिष्ठ सहायक आचार्य, हिन्दी विभाग, नागरिक पी0जी0 कालेज, जंघई, जौनपुर

परिचय

कौशाम्बी के ध्वंशावशेष प्रयागराज नगर से 52 किमी0 की दूरी पर दक्षिण-पश्चिम दिशा में यमुना नदी के बायें किनारे पर स्थित है। पुरातात्विक मानचित्र पर प्राचीन कौशाम्बी को लाने का श्रेय जनरल कनिंघम को है। 1861 ई0 में इन्होंने यहां से उपलब्ध अवशेषो की वैदुश्यपूर्ण समीक्षा के उपरान्त लिखा था कि आधुनिक कोसम प्राचीन कौशाम्बी के अवशेषों पर खड़ा है। इसके पश्चात् 1937 में एम0जी0 मजूमदार को कौशाम्बी के उत्खनन का दायित्व सौंपा गया। इन्होने कौशाम्बी के महत्व को उद्घाटित किया, तथापि इनके असामयिक निधन के कारण यह कार्य लगभग 11 वर्षों तक बाधित रहा। इसके पश्चात् भारतीय पुरातत्व के जनरल सर मार्टिमर व्हीलर की अनुमति से प्रो0 जी0 आर0 शर्मा के नेतृत्व में प्राचीन इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद द्वारा 1949 से 1965 ई० तक कई खण्डो में इसके कई महत्वपूर्ण हिस्सों को उत्खनित कर काल के गर्त में डूबे इस प्राचीन नगर के अन्तर्गत कालीन गौरव के विभिन्न पक्षों को प्रकाशित करने में सफलता प्राप्त की।

कौशाम्बी का प्रथम उल्लेख वैदिक साहित्य में मिलता है। यह नगर शतपथ ब्राह्मण तथा गोपथ ब्राह्मण जैसे उत्तरवैदिक ग्रन्थों में प्रासंगिक हुआ है, जहां 'कौशाम्बेय' शब्द सन्दर्भित है, जो निश्चय ही कौशाम्बी नगरी के किसी प्रतिष्ठित नागरिक का संस्थापक साक्ष्य माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त कौशाम्बी का प्रसंग रामायण, महाभारत, पुराणों एवं बौद्ध ग्रंथ महावंश की 'वंसत्थप्पकासिनी' नामक टीके में उपलब्ध है। द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में इस नगर की लोकप्रियता संकेतक साक्ष्य पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है, जहां इसे वाराणसी के समस्तरीय माना गया हैं। पौराणिक परम्परा के अनुसार निचक्षु (अभिमन्यु पुत्र परीक्षित के पांचवे वंशज) के सयम में जब हस्तिनापुर बाढ़ से विनष्ट हो गया तब उन्होने कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया। किन्तु कौशाम्बी की विशेष प्रसिद्धि उदयन के काल में प्रारम्भ हुई, कदाचित इस समय यह वत्स जनपद की राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित थी।

भौगोलिक दृष्टि से कौशाम्बी नगर की स्थिति महत्वपूर्ण थी। बौद्ध ग्रन्थों के आन्तरिक साक्ष्यों के परिशीलन से यह सुव्यक्त है कि यदि एक ओर इसका व्यापारिक सम्बन्ध मथुरा, पाटलीपुत्र, राजगृह, चम्पा तथा वाराणसी आदि नगरों से था, तो दूसरी ओर इसकी स्थिति उस व्यापारित मार्ग पर थी जो दक्षिण-पश्चिम से आने वाला कौशाम्बी होते हुए पाटलीपुत्र को जाता था। एक मार्ग प्रतिष्ठान से कौशाम्बी तक, तथा दूसरा प्रभास आदि पश्चिमी बन्दरगाहों को कौशाम्बी से जोड़ता था। सुप्रसिद्ध उत्तरापथ भी पुष्कलावती, तक्षशिला, हस्तिनापुर, मथुरा होते हुए कौशाम्बी में आकर मिलता था। इस प्रकार कौशाम्बी की स्थिति प्राचीन काल में प्रमुख व्यापारिक पथों के उस बिन्दु पर थी जहां आकर, सभी मार्ग परस्पर मिलते थे। अतः यहां व्यापार एवं वाणिज्य का विकास होना स्वाभाविक था। बौद्ध काल में इस नगर की महत्ता धार्मिक क्षेत्र में विशेष थी। बौद्ध साहित्य में ऐसी सूचना मिलती है कि जिस समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती में ठहरे हुए थे, उस समय उन्हें घोषित एवं

अन्य दो कुक्कुट तथा पावरीक नामक सेठों ने कौशाम्बी आने के लिए आमंत्रित किया था। कदाचित इसी प्रसंग में इन्होने अलग-अलग इन तीन बिहारों का निर्माण कराया था। इन तीनों में से अभी तक उत्खनन - शोध के प्रयास के परिणाम में केवल घोषिताराम बिहार प्रकाश में लाया जा सकता है। चीनी यात्री फाहियान एवं ह्वेनसांग ने क्रमशः चतुर्थ एवं सातवीं शताब्दी में इस बिहार का दर्शन किया था। ह्वेनसांग को यह विहार केवल ध्वंसावशेष के रूप में मिला था। यद्यपि कौशाम्बी से सम्बन्धित एकशः अथवा अनेकशः पक्षों का अध्ययन विद्वानों ने अपने विभिन्न कृतियों में किया है। इस सम्बन्ध में प्रो० जी०आर० शर्मा की दो उत्खनन रिपोर्ट आज भी अत्यन्त उपादेय है। प्रमोद चन्द्रा नें स्ओन स्कल्पचर्स इन द इलाहाबाद म्यूजियम (1970) तथा एस०सी० काला ग्रंथ टेराकोटा इन द इलाहाबाद म्यूजियम (1980) में यहां संग्रहीत कुछ मुर्तियों का अध्ययन किया है। इस सम्बन्ध में अरूणा त्रिपाठी की पुस्तक ''दि बुद्धिस्ट आर्ट ऑफ कौशाम्बी'' (2002) महत्पूर्ण है। किन्तु इस ग्रंथ में अभिलेखिक साक्ष्यों की पूर्णतः उपेक्षा की गयी है। यहां से सर्वेक्षण एवं समुत्खनन से जितने पुराभिलेख प्राप्त हुए है, ये ऐतिहासिक अनुशीलन के लिए अतीव उपयोगी है। यद्यपि प्राच्यविद्या के विशेषज्ञों नें अपनी शोध रचनाओं में इसे विमर्श का विषय बनाया है। इस सम्बन्ध में प्रो0 जी0 आर0 शर्मा, प्रो0 जे0 एस0 नेगी, प्रो0 एस0 एन0 राय, डॉ0 अनामिका राय इत्यादि का अध्ययन महत्वपूर्ण है। इन विद्वानों ने यहा के पुराभिलेखो का स्वतंत्र रूप से विशेष तथा विस्तृत अध्ययन किया है। ये अध्ययन केवल मात्र पुराभिलेखों तक ही सीमित है इनके कलात्मक साक्ष्यों की पूर्णतः उपेक्षा हुयी है। वस्तुतः कौशाम्बी की बौद्ध कला एवं पुराभिलेख अलग-अलग दोनों स्वतंत्र रूप से अध्ययन का विषय हो सकते हैं। किन्तु कला के साथ-साथ पुराभिलेख का अध्ययन के बिना कला के वास्तविक स्वभाव एवं निर्माता तथा निर्माण सम्बन्धी उद्देश्यों का अनुमान लगा पाना कठिन है।

कौशाम्बी के उत्खनन - शोध के प्रयास के परिणाम स्वरूप प्राप्त बहुसंख्यक मूर्ति-शिल्प तथा पुराभिलेखिक साक्ष्यों को विमर्श का विषय बनाया गया है। भारतीय कला के इतिहास में कौशाम्बी की बौद्ध कला अपना विशेष महत्व रखती है, किन्तु खेद है कि विद्वानों के लिए आकर्षण का केन्द्र होते हुए भी यहां के मूर्ति विधानीय पक्ष पर अभी तक व्यापक दृष्टिकोण से विचार नहीं किया गया है। यद्यपि अरूणा त्रिपाठी ने अपने ग्रेट द बुद्धिस्ट आर्ट ऑफ कौशाम्बी में यहाँ की बौद्ध मूति शिल्प का विस्तार से विवेचना किया है किन्तु यह ग्रन्थ मूर्तियों के परिचयात्मक लेख तक ही सीमित है। कलाकृतियों के निर्माण एवं रूप सम्पादन में संरक्षक राजाओं, दानदाताओं एवं कलाकारों की महत्वपूर्ण भूमिकाओं से इंकार नहीं किया जा सकता। बिना उनके ज्ञान के कला के वास्वविक स्वभाव एवं स्परूप का निर्धारण नहीं हो सकता। प्रस्तुत स्थित की संज्ञापना यहां से प्राप्त पुराभिलेखों से होती है। यद्यपि प्राच्य-विद्या के विशेषज्ञों विशेषतया प्रो0 जी0 आर0 शर्मा, प्रो0 एस0 एन0 राय, अहमद हसन धानी, प्रो0 जे0 एस0 नेगी, डॉ0 अनामिका रॉय, प्रभुति विद्वानों ने अपने शोध रचनाओं में इन्हें अनेकशः समीक्षा का विषय बनाया है।

कौशाम्बी के कला-वैभव के संवर्धन में यहां के शासको द्वारा स्थापित राजनीतिक व्यवस्था के अतिरिक्त शान्ति एवं धार्मिक सहिष्णुता की भावना के योगदान को नकारा नही जा सकता, अस्तु कौशाम्बी की बौद्ध कला के अध्ययन के पूर्व यहां राजनीतिक अतीत का अध्ययन अप्रासंगिक न होगा तथा पुरावशेषों में व्यवस्त कौशाम्बी की राजनीतिक अतीत के रूपांकन का सम्बन्ध है, उदयन की मृत्यु से लेकर नन्दों के काल तक कौशाम्बी का इतिहास अल्पज्ञात है, किन्तु मौर्य कालीन अतीत को उद्धाटित करने वाले कुछ पुराभिलेखिक साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। उनसे इतना तो स्पष्ट है कि अशोक के काल में यह नगर मौर्य साम्राज्य के अधीन होने के अतिरिक्त बौद्ध धर्म के एक महत्वपूर्ण केन्द्र के रूप में प्रतिष्ठित था। कदाचित इसकी महत्ता को देखते हुए अशोक ने अपना स्तम्भलेख यहां स्थापित कराया था।

मौर्यों के उपरान्त यह नगर शुंग शासको के अधीन था, अथवा नहीं, इस प्रश्न के समाधानार्थ सही उत्तर कौशाम्बी के अवशेषों में ढूढा नहीं जा सकता किन्तु भारतीय कला के गवेषक जिसे शुंग कला की संज्ञा प्रदान किया है, उसके प्रभाव-निर्वाह के साक्ष्य इन महत्वपूर्ण अवशेषों में अवश्य मिल जाते हैं। यहां तक की तथाकथित शुंग - अक्षरों की आकृतियां भी विशेषतया घोषिताराम बिहार से उपलब्ध कतिपय अभिलेखों में ढूढ़ी जा सकती हैं। अतः यह असम्भाव्य नहीं है कि अयोध्या की ही भांति कौशाम्बी भी शुंग साम्राज्य में सम्मिलित रहा हो। शुंगों के पश्चात मित्र नामधारी राजवंश की सत्ता विद्यमान थी। प्रस्तुत राजवंश से सम्बन्धित प्रचुर संख्या में यहां से मुद्रायें उपलब्ध हुयी हैं, किन्तु अभी तक इस राजवंश से सम्बन्धित केवल राजमित्र का अभिलेख अभिज्ञात है, जो सम्पति इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी० आर० शर्मा म्यूजियम में सुरक्षित है।

ईसा की आरम्भिक शताब्दियों में कौशाम्बी नगर कुषाण सत्ता की अन्तर्भूत हो चुका था। ऐसा अभिलेखिक एवं मौद्रिक साक्ष्यों से प्रायः सिद्ध हो जाता है। इस सम्बन्ध में घोषिताराम बिहार से समुपलब्ध भिक्षुणी बुद्धमित्रा के दो अभिलेख महत्वपूर्ण हैं, जो स्पष्टतः कनिष्क के वर्ष दो और तीन को सन्दर्भित करते हैं। इसके अतिरिक्त कौशाम्बी के कुषाण सत्ता में अन्तर्भूत होने का सबसे सबल एवं सक्षम साक्ष्य है राजमुद्रा, जिसपर निम्नोक्त ब्राम्ही का अभिलेख प्राप्त होता है- ''महराजस्य राजतिराज्य देवपुत्रस्य कनिष्कस्य प्रयोग'' इस लेख से यह सुव्यक्त हो जाता है कि कौशाम्बी में कनिष्क की राजमुद्रा प्रयोग में लायी जाती थी। कौशाम्बी के घोषिताराम विहार से उत्खनित कुषाण नरेशों की मुद्राओं के संग्रह भी इस नगर के कुषाणों की सत्ता में अन्तर्निहित होने की सम्भावना को साकार बनाते हैं। कनिष्क के साथ हुविष्क एवं वासुदेव की मुद्राओं का मिलना ऐसी सम्भावना का संज्ञापक है कि कौशाम्बी पर कुषाणों की सत्ता कनिष्क के उपरोक्त इन दोनों शासको के राज्यकाल में प्रतिष्ठापित थी।

कुषाणों के अनन्तर कौशाम्बी के उत्खनन के स्तरीकरण के प्रमाण से अभिव्यक्त हो जाता है कि यहां मघ शासकों के शासन के पूर्व किसी नेव नामक शासक कर सत्ता स्थापित थी, किन्तु किस विशेष राजवंश के साथ इसका सम्बन्ध स्थापित किया जाय, इस समस्या के समाधानार्थ कोई निश्चित सूचना नहीं मिलती, किन्तु स्तरीयकरण क्रम के अनुसार यह सुनिश्चित हो जाता है कि इस नरेश का आविर्भाव 150 ई0 के आस-पास हुआ था। वस्तुतः लगभग 176 ई0 से 350 ई0 तक के अन्तर्वर्ती काल में कौशाम्बी में 'नेव' के अतिरिक्त मघ शासको ने अपना आधिपत्य स्थापित किया था। अद्यतन मघ-वंश के शासकों की सत्ता के संज्ञापक जो उपकरण उपलब्ध हुए हैं, उनमें अभिलेखों एवं अभिलिखित मुद्राओं की प्रचुरता है। इन साक्ष्यों से जिन मघ शासकों के नाम उद्घाटित होते हैं, उनमें भद्रमघ, वैश्रवर्ण, भीमवर्मन, शिवमघ, शतमघ, विजयमघ आदि शासकों के नाम प्रमुख हैं, जिन्होंने यहां पर सूदीर्घकाल तथा शासन किया था। निश्चयात्मक रूप से तो नहीं किन्तु इस बात की प्रबल सम्भावना दिखायी देती है कि इन शासकों ने अपनी राजधानी के प्रतिष्ठापनार्थ कौशाम्बी का चयन किया जहां से इन शासकों के अधिकांश अभिलेख एवं मुद्रायें उपलब्ध हुई है, ऐसी सम्भावना प्रस्तावित की जा सकती है, यहां पर शासन करने वाले सभी मघनरेशों में सर्वाधिक शक्तिशाली भद्रमघ था। संख्या विषय प्रचुरता की दृष्टि से प्रस्तुत नरेश के अभिलेख सबसे अधिक महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं।

घोषितराम विहार से उपलब्ध सम्प्रति जी० आर० शर्मा मेमोरियल म्यूजियम में सुरक्षित किसी अज्ञात संवत् 82 एवं 83वें वर्ष को सन्दर्भित करने वाले गांधार शैली की दो मूर्तियां भद्रमघ का उल्लेख करती हैं। इस आधार पर ऐसी सम्भावना व्यक्त की जा सकती है कि कुषाण शासक वासुदेव के राजकाल में ही कौशाम्बी का मघवंश ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी, जिसका आविर्भाव द्वितीय शताब्दी ई० में हुआ था । प्रस्तुत नरेश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था,

जिसके क्रिया-कलाप का केन्द्र घोषिताराम विहार था। मघ-शासकों के पश्चात् लगभग चैथी शताब्दी के पूर्वार्द्ध में समुद्रगुप्त विजयों के कारण यह नगर गुप्त साम्राज्य का अंग बना । सम्भवतः अपनी दिग्विजय को चिर स्मरणीय बनाने के लिए ही समुद्रगुप्त ने यहां पर अशोक स्तम्भ पर अपनी - प्रशस्ति को उत्कीर्ण करायी थी। लगभग 5वीं शताब्दी तक यहां गुप्तसत्ता विद्यमान थी। अभी तक कौशाम्बी के अतीत का स्वरूपांकन करने वाले गवेषकों की सामान्य धारणा यही रही है कि कुषाण काल तक कौशाम्बी नगरीय वैभव का एक प्रतिष्ठित केन्द्र था, किन्तु कुषाणेत्तर काल में इसकी छवि धूमिल हो चुकी थी। सामान्यतया हवेनसांग के विवरण से पूर्णतया यह स्वीकार कर लिया जाता है कि कौशाम्बी का यह क्षेत्र - विशेष, जिसे घोषिताराम विहार की संज्ञा प्रदान की जाती है। चीनी यात्री के समय में उजड़ चुका था। इस समय तक कौशाम्बी नगरी बौद्ध धर्म के एक प्रतिष्ठित केन्द्र के रूप में विद्यमान थी।

पांचवीं शताब्दी के अन्तिम चरण तथा छठीं शदी के मध्यवर्तीय काल में कौशाम्बी को हूणों के आक्रमण की आंधी को झेलना पड़ा। इस हूण आक्रमण से न सिर्फ यहां का सुप्रसिद्ध घोषिताराम विहार अपितु यहां की अधिकांश कलाकृतियां भी नष्ट हो गयी, जिनके भग्नावशेष उत्खनन में प्राप्त हुए हैं।

कुषाणकालीन देशव्यापी बौद्ध प्रतिमाओं के निर्माण आन्दोलन के स्पन्दन को कौशाम्बी ने भी महसूस किया था। यहां से प्रस्तुत राजवंश से सम्बन्धित प्रचुर संख्या में मूर्तियां प्राप्त हुयी हैं। ऐसा लगता है कि प्रारम्भ में मूर्ति निर्माण की समस्या का समाधान मूर्तियों को मथुरा से आयातित करके किया गया है। ऐसी स्थिति की संज्ञापक कनिष्क के राज्यकाल के दूसरे वर्ष की भिक्षुणी बुद्ध मित्रा को सन्दर्भित करने वाली स्थानक मूर्ति महत्वपूर्ण है । यह मथुरा के लाल पत्थर द्वारा निर्मित है। इस भिक्षुणी द्वारा स्थापित दो अन्य स्थानक बुद्ध मूर्तियों की अभिलेखांकित पादपीठिकायें अद्यतन जी०आर०शर्मा मेमोरियल म्यूजियम प्राचीन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सुरक्षित एवं संग्रहीत हैं (सं0-एस-405 तथा आई0-57)। इन मूर्तियों पर मथुरा कला शैली का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित है। स्थानक प्रतिमाओं के अतिरिक्त कौशाम्बी से कुषाणकालीन आसीन प्रतिमायें भी प्राप्त हुयी हैं। प्राचीन इतिहास विभाग इ0वि0वि0 संग्रहालय में सुरक्षित एक प्रतिमा ऊँचे आसन पर आसीन है। दाहिना हाथ अभयमुद्रा में प्रदर्शित तथा बाया हांथ संघाती के चुन्नट को पकड़े हुए रूपायित है। मूर्ति पर उट्टंकित लेख में भद्रमघ संदर्भित है। आसीन प्रतिमाओं के अतिरिक्त यहां से बहुसंख्यक खण्डित मस्तक, यक्ष-यक्षिणी तथा बहुसंख्यक मृण्मूर्तियां प्राप्त हुयी हैं, जिनमें हरिति, गज लक्ष्मी तथा कुबेर की मूर्तियां महत्वपूर्ण हैं।

कौशाम्बी से कुछ मघकालीन प्रतिमायें भी प्राप्त हुयी हैं। वस्तुतः कुषाणों के उपरान्त तथा गुप्तों से पूर्व जो राजनीतिक रिक्तता सन्दर्शित हुयी थी, उसकी आपूर्ति न सिर्फ बौद्धधर्म को संरक्षण प्रदान किया, अपितु स्थानीय स्तर पर बौद्धकला के उन्नयन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आलोचित राजवंश से सम्बन्धित जी0आर0 शर्मा मेमोरियल म्यूजियम में सुरक्षित एक स्थानक प्रतिमां (सं0-एस-88) महत्वपूर्ण है। इसे देखकर ऐसा लगता है मानो कलाकार एक दुविधायुक्त कला के साथ जी रहा था। वह न तो कुषाणयुगीन कला को पूर्ण रूपेण त्याग पा रहा था, न ही उदयी मान गुप्त विधा को पूर्ण रूपेण स्वीकार कर पा रहा था। किन्तु एक तथ्य इस स्तर पर महत्वपूर्ण है कि अब यहां का स्थानीय कलाकार मथुरा कला केन्द्र के आयतित कला प्रभाव से स्वयं को मुक्त करने का प्रयास कर रहा था। यह प्रयास अकेले कौशाम्बी में ही नहीं अपितु समकालीन कला केन्द्र सारनाथ में भी दिखायी देता है।

कौशाम्बी की प्रवर्धमान कला की धार विकसित होती हुयी गुप्त काल में अपने चरमोत्कर्ष पर दिखायी देती है। आलोचित राजवंश से सम्बन्धित सम्प्रति जी0आर0शर्मा मेमोरियल म्यूजियम मे सुरक्षित (सं०-ई-1) एक लिंग आकार के फलक पर आकाटि यह स्थानक बौद्ध प्रतिमा भावाबोध एवं अंग विन्यास की दृष्टि से गुप्तयुगीन कला विशेषताओं का

प्रतिनिधित्व करती है। बुद्ध को यहां त्रिभंग मुद्रा में खड़े दिखाया गया है। इसी संग्रहालय में सुरक्षित खण्डित मस्तक वाली स्थानक प्रतिमा महत्वपूर्ण है। आसीन बौद्ध प्रतिमाओं में इसी संग्रहालय में सुरक्षित एक लघु फलक पर आकारित धर्मचक्र-प्रवर्तन मुद्रा वाली प्रतिमा (सं0-460) शारीरिक एवं मानसिक सौन्दर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। गुप्तकालीन कौशाम्बी की कला, मथुरा के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त हो गयी प्रतीत होती है, इस काल में मथुरा की शारीरिक गुरूता के स्थान पर यहाँ की कला में क्षीण काया की अभिव्यंजना दिखाई देने लगती है। वस्त्रों के प्रदर्शन में यहाँ के कलाकार ने पारदर्शी संघाटी के प्रदर्शन में विशेष रुचि दिखाया है।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि उत्खनन शोध यहाँ से प्राप्त बौद्ध प्रतिमाओं के साथ बोधिसत्व प्रतिमाओं के प्रचलन के स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करते हैं यद्यपि अधिकांश बोधिसत्व प्रतिमायें खण्डित दशा में प्राप्त हुयी हैं, किन्तु बहुसंख्यक बोधिसत्व प्रतिमाओं की सम्प्रति से इतना तो स्पष्ट है कि बोधिसत्व पूजा का प्रचलन भी कौशाम्बी में व्यापक स्तर पर था। इन प्रमुख हैं। बोधिसत्व प्रतिमाओं में मंजुश्रीपद्मपाणि तथा अवलोकितेश्वर प्रतिमायें जी0 आर0 शर्मा मेमोरियल म्यूजियम में दो बोधिसत्व प्रतिमायें सुरक्षित हैं। मंजुश्री बोधिसत्व की तीन प्रतिमायें यहां से प्राप्त हुयी हैं, यद्यपि ये खण्डित अवस्था में हैं, तथापि कटार प्रतीक के कारण इनकी पहचान मंजुश्री के रूप में की जा सकती हैं। एक गवाक्ष में त्रिभंग मुद्रा में अंकित पद्मपाणि की आकृति अत्यन्त सुन्दर है। (जी0 आर0 शर्मा मेमोरियल म्यूजियम सं0-579) यहाँ से निर्मीयमाण दशा मे एक लघु

फलक पर भी पद्मपाणि की आकृति प्राप्त हुयी है। ये सभी उदाहरण कौशाम्बी के गुप्तयुगीन कलाकारो की कल्पना शक्ति एवं सहज-रूपांकन क्षमता का स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करते हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. जी0 आर0 शर्मा, कौशाम्बी, 1949-50।
2. बी0एस0 अग्रवाल, इण्डिया एज नोन टू पाणिनि, लखनऊ, 1953।
3. एन0 एन0 घोष, कौशाम्बी का प्रारम्भिक इतिहास, इलाहाबाद, 1935।
4. जेम्स हेस्टिंग्स, धर्म और नैतिकता का विश्वकोष, न्यायार्क, 1954।
5. ऐतरेय ब्राह्मण,
6. रौलैण्ड, बी0, द आर्ट एण्ड आर्किटैक्चर ऑफ इण्डिया, लंदन, 1953।
7. गार्बे रिचर्ड, आपस्तम्ब स्त्रोत सूत्र, कलकत्ता, 1902।

भारत-बांग्लादेश

डॉ. आनन्द कुमार चैबे
नहवाई माण्डा रोड, मेजा, प्रयागराज

विषय प्रवेश:

बांग्लादेश भारत की पूर्वी सीमा पर स्थित एक राज्य है। यह तीन तरफ भारत से घिरा हुआ राज्य है। इसका क्षेत्रफल 1 लाख 48 हजार वर्ग किमी है तथा जनसंख्या 16 करोड़ 30 लाख है। पूर्वी राज्यों के संपर्क हेतु बांग्लादेश भारत के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है।

बांग्लादेश का उदय:

भारत के विभाजन के पश्चात् भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राज्यों का निर्माण हुआ। पाकिस्तान का निर्माण पूर्वी पाकिस्तान एवं पश्चिमी पाकिस्तान को मिलाकर हुआ। पूर्वी एवं पश्चिमी पाकिस्तान के बीच भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक विषमता विद्यमान थी।

भौगोलिक:

पाकिस्तान के दोनों भागों के बीच में भारत का भू-भाग विद्यमान था। पूर्वी पाकिस्तान तीन ओर से भारत के उत्तरी-पूर्वी राज्यों से घिरा हुआ था। पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिमी पाकिस्तान में प्रवेश के लिए भारतीय भू-भाग का प्रयोग किया जाता था।

सांस्कृतिक:

पाकिस्तान का निर्माण धार्मिक आधार पर हुआ परन्तु सांस्कृतिक आधार पर भी पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों में अंतर विद्यमान था और पूर्वी पाकिस्तान में बांग्ला भाषी लोगों का निवास था जबकि पश्चिमी पाकिस्तान में उर्दू भाषी लोग थे। पाकिस्तान में उर्दू का आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया, जिससे बांग्ला भाषियों में अलगाव की भावना पैदा हुई।

आर्थिक:

समूचे पाकिस्तान का सर्वाधिक समृद्ध प्रांत पंजाब था। इसके अतिरिक्त सिंध प्रांत भी पश्चिमी पाकिस्तान में शामिल था। जो व्यापार का केंद्र था। आर्थिक रूप में पूर्वी पाकिस्तान अत्यधिक गरीब था जो मूलतः आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर था।

पाकिस्तान में चल रहे सैनिक शासन और धार्मिक एकीकरण के विरुद्ध पूर्वी पाकिस्तान में आंदोलन शुरू हो गया और पाकिस्तान विभाजित हो गया तथा वर्ष 1971 में पूर्वी पाकिस्तान एक स्वतंत्र राज्य बांग्लादेश बन गया। बांग्लादेश के एक स्वतंत्र राष्ट्र के निर्माण में भारत की भूमिका उल्लेखनीय एवं महत्वपूर्ण रही है। वस्तुतः बांग्लादेश का एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में निर्माण शेख मुजीबुर्रहमान के नेतृत्व में हुआ। मुजीबुर्रहमान के नेतृत्व में आवामी लीग ने बांग्लादेश में पंथनिरपेक्ष,

लोकतांत्रिक एवं समाजवादी राज्य की स्थापना की। बांग्लादेश से मधुर संबंध का प्रमाण वर्ष 1972 की संधि में देखा जा सकता है, जो 25 वर्षों के लिए की गई थी। बांग्लादेश के एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में निर्माण से भारत को वैचारिक और भू-राजनीति क्षेत्र में अत्यधिक बढ़त मिली, क्योंकि इसमें द्वि-राष्ट्रवाद का सिद्धांत आंशिक और सतही सिद्ध हुआ। पड़ोस में एक बड़े मित्र राष्ट्र का उदय हुआ एवं भारत-चीन युद्ध की स्मृति को वर्ष 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध ने पीछे छोड़ दिया।

बांग्लादेश के एक स्वतंत्र राष्ट्र के निर्माण के साथ ही आवामी लीग का विरोध भी बांग्लादेश में आरंभ हो गया, विशेषकर बांग्लादेश में वे कट्टरपंथी तत्व, जो मुजीबुर्रहमान के पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक शासन के विरुद्ध थे। बांग्लादेश में मुजीबुर्रहमान का विरोध भारत के विरोध में परिवर्तित हो गया, क्योंकि ऐसा माना गया कि वर्ष 1972 की संधि में कुछ गुप्त प्रावधान हैं, जो बांग्लादेश की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय संप्रभुता के विरुद्ध हैं। अतः इस संधि का भारत के विरुद्ध निम्न आरोप लगाए गए-

- मुजीबुर्रहमान भारत के साथ मित्रता के द्वारा बांग्लादेश के राष्ट्रीय हितों का बलिदान कर रहे हैं।
- भारत के कारण ही बांग्लादेश को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मान्यता प्राप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि भारत-सोवियत संघ की मित्रता के कारण, भारत-बांग्लादेश संधि का अनेक राष्ट्र समर्थन नहीं करते।
- यह भी आरोप था कि भारत, बांग्लादेश को हथियार सामग्री प्रदान कर रहा है, जिससे बांग्लादेश अन्य देशों से हथियार न खरीद सके।
- कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि भारत जानबूझकर बांग्लादेश की सेना को कमजोर करना चाहता है।
- भारत के विरुद्ध यह भी आरोप लगाया गया कि भारत ने बांग्लादेश की सहायता अपने राष्ट्रीय हितों के लिए की, इसलिए वह बांग्लादेश का प्रयोग अपने राष्ट्रीय हितों के लिए करना चाहता है।

अतः बांग्लादेश की विदेश नीति में भारत के साथ संबंध को लेकर विदेश नीति का आधार निर्मित होने लगा और भारत के साथ संबंध को राष्ट्रीय सम्मान के विरुद्ध देखा जाने लगा, लेकिन इसके बावजूद मुजीबुर्रहमान के शासन काल में भारत और बांग्लादेश के संबंध अत्यंत मित्रतापूर्ण थे।

उपरोक्त तथ्यों से यह सिद्ध है कि वर्ष 1972 की भारत-बांग्लादेश मित्रता संधि का समर्थन बांग्लादेश में सभी लोग नहीं करते थे, विशेषकर ऐसे लोग जो बांग्लादेश के पृथक् असितत्व का समर्थन ही नहीं करते थे, अपितु उसको पाकिस्तान के भाग के रूप में देखना चाहते थे।

लोकतंत्र की हत्या:

वर्ष 1975 में जब शेख मुजीबुर्रहमान की हत्या कर दी गई, तो बांग्लादेश में लोकतांत्रिक, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी शासन प्रणाली के बजाए, तानाशाही सैन्य शासन प्रणाली स्थापित हुई तथा इस्लामी दलों पर लगे प्रतिबंध को उठा लिया गया। बांग्लादेश के नए शासक जियाउल रहमान ने विदेश नीति में धार्मिक कट्टरता को प्रकट करते हुए मुस्लिम देशों के साथ बेहतर संबंध निर्मित करने का प्रयास किया। जियाउल रहमान ने मुजीबुर्रहमान की विरोधी नीतियां अपनाते हुए बांग्लादेशी विदेश नीति में भारत विरोध के स्वर को मुखर किया, तो दूसरी ओर, जियाउल रहमान ने पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को सुधारने की कोशिश की। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 1974 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को एक पृथक्

राज्य के रूप् में मान्यता प्रदान कर दी थी तथा दूसरी ओर, जियाउल रहमान ने बांग्लादेश के चीन के साथ बेहतर संबंध बनाने का प्रयास किया। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बिंदु है कि पाकिस्तान एवं चीन दोनों देशों का संबंध भारत के प्रतिकूल था। जैसे ही सोवियत संघ ने वर्ष 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया, वैसे ही नव-शीत युद्ध का आरंभ हुआ। इसके परिणामस्वरूप अमेरिका ने पाकिस्तानी मुजाहिद्दीनों के प्रशिक्षण के द्वारा सोवियत हस्तक्षेप को विफल करने का प्रयास किया। अतः इस संदर्भ में अमेरिका ने सोवियत संघ को प्रतिसंतुलित करने के लिए धार्मिक कट्टरता का प्रयोग किया, जिसका प्रभाव अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश में भी देखा गया। दूसरी ओर, वर्ष 1979 में ईरान की इस्लामी क्रांति के पश्चात् दुनिया में इस्लामी शासन को एक विकल्प के रूप में देखा जाने लगा। अतः इन घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में बांग्लादेश में धार्मिक कट्टरता और सैनिक शासन ज्यादा प्रभावी होता गयझा।

भारत विरोधी नीति:

वर्ष 1981 में जियाउल रहमान की हत्या के पश्चात् जनरल इरशाद ने बांग्लादेश के नए शासक के रूप में शासन संभाला। इरशाद ने देश को स्पष्ट रूप से इस्लामी आधार पर चलाने का प्रयास कियझ। इसी घटनाक्रम के अंतर्गत भारत विरोधी नीति बांग्लादेश में प्रभावी होने लगी तथा भारत-बांग्लादेश के मध्य गंगा जल के बंटवारे की समस्या थी, उसे भी भावनात्मक मुद्दा बनाने का प्रयास किया गया। जैसा कि स्वयं जनरल इरशाद ने कहा था कि ''समस्त उत्तरी बंगाल भले ही रेगिस्तान बन जाए, बांग्लादेश फरक्का के प्रश्न पर कभी भी नहीं झुकेगा, बांग्लादेशी सच्चे मुसलमान हैं और अल्लाह उनकी सहायता अवश्य करेगा। फरक्का के साथ्झ या उसके बिना भी बांग्लादेशी जीवित रहेंगे, क्योंकि इस्लाम धर्म तो रेगिस्तान में पैदा हुआ था।'' अतः इरशाद की नीतियां स्पष्ट रूप में धार्मिक कट्टरता से ग्रस्त थी। यह तब आधिकारिक नीति बन गई, जब वर्ष 1988 में बांग्लादेश ने इस्लाम को देश का राजधर्म घोषित कर दिया। बांग्लादेश में पनपी यह प्रवृत्ति बांग्लादेश के स्वतंत्र राष्ट्र की आरंभिक प्रवृत्ति के बिल्कुल प्रतिकूल थी।

लोकतंत्र की बहाली:

वर्ष 1990 में बांग्लादेश में सैनिक तानाशाही का अंत हुआ तथा बहुदलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्वीकार किया गया। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में आवामी लीग ने वर्ष 1972 के संविधान और पंथनिरपेक्षता के सिद्धांत को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। ऐसा माना जाता है कि आवामी लीग का दृष्टिकोण भारत के प्रति तुलनात्मक रूप में ज्यादा बेहतर एवं अनुकूल रहा है। जबकि बांग्लादेशी राष्ट्रीय पार्टी ;ठछच्द्ध का दृष्टिकोण भारत विरोधी माना जाता है। बांग्लादेश के इस स्वतंत्र लोकतांत्रिक चुनाव में बांग्लादेशी राष्ट्रीय पार्टी की विजय और भारत-बांग्लादेश के मध्य सीमा संबंधित विवाद, शरणार्थियों की समस्या, फरक्का बांध का मुद्दा, उत्तरी-पूर्वी राज्यों में आतंकवाद की समस्या, पारगमन मार्ग तथा व्यापार असंतुलन को लेकर भारत और बांग्लादेश में विवाद बने रहे। वर्ष 1990 के पश्चात् पाकिस्तान ने बांग्लादेश का प्रयोग भारत के विरूद्ध 'छद्म युद्ध' चलाने के लिए किया। अब बांग्लादेश, भारत के लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से अतिसंवेदनशील हो गया। यद्यपि वर्ष 1996 में शेख हसीना वाजिद (आवामी लीग) के सत्ता में आने से भारत-बांग्लादेश के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई। इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण उदाहरण, गंगा नदी के जल बंटवारे के संबंध में किया गया समझौता है। आंतरिक दलीय राजनीति बांग्लादेश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में दो राजनीतिक दलों का प्रभाव है जिसमें बांग्लादेश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में दो राजनीतिक दलों का प्रभाव है जिसमें बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर्रहमान की आवामी लीग है। जिसका वर्तमान नेतृत्व शेख हसीना कर रही हैं तथा बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की नेता बेगम खालिदा जिया हैं। दोनों राजनीतिक दलों की विचारधाराएं अलग हैं। अवामी लीग पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक एवं राष्ट्रवादी विचारधारा अलग

हैं। अवामी लीग पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक एवं राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए आवामी लीग का दृष्टिकोण भारत के प्रति सकारात्मक होता है एवं आवामी लीग के शासन में आने पर भारत-बांग्लादेश संबंध मित्रतापूर्ण हो जाते हैं। उदाहरण के लिए 1996 में शेख हसीना के शासनकाल में भारत-बांग्लादेश के बीच गंगा नदी जल के विभाजन का समझौता सम्पन्न हुआ। वर्ष 2001 से 2006 के बीच खालिदा जिया की सरकार थी। जिस दौरान भारत बांग्लादेश के बीच अनेक मतभेद उत्पन्न हुए और वर्ष 2006 में बांग्लादेश में विद्यमान आंतरिक समस्याओं के कारण आपातकाल की घोषणा की गई। वर्ष 2008 में सम्पन्न चुनाव में पुनः शेख हसीना सरकार को भारी बहुमत से विजय प्राप्त हुई। वर्ष 2014 के चुनाव में पुनः शेख हसीना सरकार का निर्माण हुआ जिससे भारत-बांग्लादेश संबंधों में आशातीत वृद्धि हुई।

मार्च, 2013 में तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने बांग्लादेश की यात्रा की। राष्ट्रपति बनने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा थी। इससे स्पष्ट है कि भारत के द्वारा बांग्लादेश के साथ संबंधों को अत्यध्कि महत्व दिया जा रहा है। राष्ट्रपति की यह यात्रा वर्ष 1971 के बाद पहली बार किसी भारतीय राष्ट्रपति की बांग्लादेश थी। इस यात्रा के दौरान बांग्लादेश में आंतरिक हिंसा विद्यमान थी, क्योंकि जमायते इस्लामी तथा बांग्लादेशी राष्ट्रवादी दल ने बांग्लादेश बंद का आह्वान किया था। वर्ष 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति आंदोलन के दौरान जमाते इस्लामी के कार्यकर्ताओं ने आम जनता का नरसंहार किया था। इसी गतिविधि के कारण जमायते इस्लामी के कुछ बड़े नेताओं को मृत्युदंड की सजा दी गई, जिसके विरोध में कट्टरपंथी तत्त्वों ने हिंसा फेलाई। जिससे यह स्पष्ट है कि बांग्लादेश में कट्टरवादी तत्त्व अभी भी प्रभावी हैं तथा पंथनिरपेक्ष तत्त्वों को कड़ी चुनौती प्राप्त हो रही है। इस यात्रा के दौरान बांग्लादेश की विपक्षी नेता खालिदा जिया ने राष्ट्रपति से भेंट नहीं की। यह भी उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति की यात्रा के पहले विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने बांग्लादेश की यात्रा की थी। जनवरी, 2014 में हुए आम चुनाव में शेख हसीना के पुनः प्रधानमंत्री पद पर निर्वासित होने से भारत एवं बांग्लादेश के आपसी संबंधों के और सुदृढ़ होने की उम्मीद जगी है। बांग्लादेश के इस चुनाव में विपक्षी दल बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी ने भाग नहीं लिया। इसलिए चुनाव की वैधता पर लगातार सवाल उठ रहा है। वर्तमान में बांग्लादेश में राजनीतिक स्थायित्व की स्थिति है क्योंकि प्रधानमंत्री शेख हसीना पुनः चुनाव जीत कर सत्ता में आई हैं। वर्तमान सरकार के द्वारा बांग्लादेश के साथ संबंधों पर प्रमुख बल दिया जा रहा है और वर्ष 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री मोटी की बांग्लादेश यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच अंतःक्षेत्र के लेन-देन का ऐतिहासिक समझौता कर दिया गया और ढाका तथा अगरतला के बीच बस सेवा की शुरूआत हुई, जो कोलकाता होकर जाएगी। इसे कोलकाता और अगरतला के बीच की दूरी घटकर 350 किमी0 हो जाएगी। 2021 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोती ने पुनः बांग्लादेश की यात्रा की।

प्रधानमंत्री शेख हसीना और राजनीतिक स्थ्ज्ञायित्व का परिणाम यह हुआ है कि 2020-21 में बांग्लादेश की आर्थिक विकास की दर 9 प्रतिशत से अधिक रही। इस प्रकार बांग्लादेश दक्षिण एशिया में सबसे तेज गति से प्रगति करने वाली अर्थव्यवस्था बन गई है। इसका अर्थ यह भी है कि दक्षिण एशिया में अब आर्थिक मुद्दे प्रमुख होते जा रहे हैं।

कनेक्टिविटी:

बांग्लादेश पूर्वोत्तर राज्यों की कनेक्टिविटी के लिए अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। कोलकाता और अगरतला के बीच की दूरी 1.200 किमी0 कम हो जाएगी। बांग्लादेश ने यह भी आश्वासन दिया है कि मांगला और चटगांव पत्तन का प्रयोग भारत कर सकेगा, जिससे भारत रेल और सड़क मार्ग से पत्तन को जोड़ेगा। इस संदर्भ में अगरतला और बांग्लादेश में अखौर को जोड़ने के लिए 11.5 किमी0 लम्बी रेल लाइन बिछाने के समझौते पर सहमति व्यक्त की गई। यदि चटगांव पत्तन को अगरतला से रेलमार्ग से जोड़ दिया जाए, तो उत्तरी-पूर्वी राज्यों से भारत के अन्य क्षेत्रों के लिए सामानों की आवाजाही

सरल हो जाएगी। उदारीकरण एवं भूमंडलीकरण के इस युग में परस्पर सहयोग के द्वारा दोनों देशों को लाभ प्राप्त हो सकता है। बाग्लादेश तीन ओर से पूर्वोत्तर राज्यों से घिरा हुआ है, जबकि पूर्वोत्तर का प्रांत त्रिपुरा तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा है। भारत-बांग्लादेश के बीच महत्त्वपूर्ण संबंध के परिणामस्वरूप भारत-बांग्लादेश के चटगांव एवं मोगला पत्तन का प्रयोग भारत की वस्तुओं को उत्तरी-पूर्वी राज्यों में भेजने के लिए किया जा रहा है तथा वर्ष 2015 में कोलकाता और त्रिपुरा के बीच बस सेवा की शुरूआत हुई, जो ढाका होकर जाएगी। यह समझौता भारत के लिए निर्णायक महत्त्व का विषय है। इसके द्वारा कोलकाता और त्रिपुरा के बीच की दूरी लगभग 350 किमी0 हो जाएगी। जबकि वर्तमान में कोलकाता से त्रिपुरा जाने के लिए सिलीगुड़ी गलियारे का प्रयोग किया जाता है, जिनके बीच की दूरी 1700 किमी0 है। इसके अतिरिक्त कोलकाता और असम के बीच भी बस सेवा शुरू की गई, जो ढाका होकर जाएगी। वर्ष 2016 में बांग्लादेश और भारत के बीच पेट्रोपोल एवं बेनापोल के बीच व्यापार मार्ग की शुरूआत हुई, जो दोनों देशों के बीच व्यापार के लिए महत्त्वपूर्ण है।

संबंधों का स्वर्णिम युग:

बांग्लादेश में शेख हसीना लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुकी है। इस राजनैतिक स्थायित्व के परिणामस्वरूप बांग्लादेश का तीव्र गति से आर्थिक विकास हो रहा है और बांग्लादेश की पहचान एक नवीन आर्थिक विकास केंद्र के रूप में उभर रही है। भारत-बांग्लादेश संबंधों के 50 वर्ष भी पूर्ण हो चुके हैं और परिणामस्वरूप वर्ष 2021 के गणतंत्र दिवस के परेड में बांग्लादेशी सैनिकों की भी भागीदारी हुई। भारत के द्वारा एक्ट ईस्ट की नीति पर बल देने के कारण बांग्लादेश का महत्व भारत के लिए बढ़ता जा रहा है। वर्ष 2021 में कोविड संकट के दौरान प्रधानमंत्री के द्वारा बांग्लादेश का चयन प्रथम विदेश यात्रा के रूप में किया गया और कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करते हुए फेनी नदी पर मैत्री सेतु का उद्घाटन किया गया और मैताली एक्सप्रेस नामक यात्री गाड़ी हल्दी भरी एवं चिलाहाटी के बीच नई पैंसेजर ट्रेन का भी संचालन आरंभ किया गया। इसके अलावा अंतरदेशी जल परिवहन को सुदृढ़ करने का समझौता हुआ। भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के परिणामस्वरूप भारत-बांग्लादेश संबंधों में गिरावट की आशंका व्यक्त की गई थी, परन्तु इसका दोनों देशों के द्विपक्षी संबंधों पर कोई असर नहीं हुआ, जिससे यह प्रतीत होता है कि यदि पड़ोसी देशों में भारत विरोध की प्रवृत्ति अनुपस्थित है तो दोनों देशों के संबंध सदैव मित्रतापूर्ण रहेंगे।

सीमा विवाद:

भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत-बांग्लादेश की यह सीमा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर गुजरती है। इतनी लंबी सीमा में विवाद केवल 6.1 किमी0 सीमा के ऊपर है, जो कि अभी भी दोनों के मध्य विभाजित नहीं है। इस अविभाजित सीमा में पश्चिम बंगाल में दैखाता का 1.5 किमी0 क्षेत्र, त्रिपुरा में बेलोनिया का 1.6 किमी0 क्षेत्र विवादास्पद है। इस क्षेत्र में मुहरी नदी के कारण सीमा विवाद उत्पन्न हुआ, क्योंकि यह नदी बाहव की दिशा परिवर्तित करती रहती है। इसीलिए इस क्षेत्र में सीमा का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। 3 किमी0 असम का क्षेत्र जिसमें लाठी, तीलिया एवं दुबारी का क्षेत्र हे, जहां पर सीमा का विभाजन नहीं किया जा सकता है। यद्यपि इतनी बड़ी सीमा के संदर्भ में 6 किमी0 सीमा का विवादास्पद होना अत्यधिक गौण माना जा सकता है, लेकिन इसी विवाह को लेकर भारतीय बी0एस0एफ0 और बांग्लादेशी राइफल्स के मध्य निरंतर गोलीबारी होती रहती है तथा यह मुद्दा भावनात्मक बन जाता है। जैसा कि वर्ष 2001 में देखा गया कि जब बांग्लादेशी राइफल्स के जवानों ने 15 भारतीय जवानों को मार दिया, तो इस सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक संयुक्त सीमा कार्यदल का गठन किया गया, जिसके द्वारा सीमा विवाद सुलझाया जा सके और इस कार्यदल की बैठक जुलाई, 2006 में सम्पन्न हुई।

अंतः क्षेत्र (Enclave):

अंतः क्षेत्र का अभिप्राय भारतीय भू-भाग जो बांग्लादेश में तथा बांग्लादेश का कुछ भू-भाग भारतीय सीमा क्षेत्र में स्थित था। यह समस्या भारत विभाजन के बाद आरंभ हुई। बांग्लादेश का यह अंतः क्षेत्र भारत में कूचबिहार जनपद में है, जबकि भारतीय अंतः क्षेत्र बांग्लादेश के पंचगढ़ जिले में है। अंतः क्षेत्र की समस्या का मूल कारण, भारत विभाजन के बाद देशी रियासतों के एकीकरण का उत्पन्न होना, जिसमें कूचबिहार और रंगपुर की देशीय रियासतों ने अपना विलय क्रमशः भारत एवं पाकिस्तान में किया। वर्तमान समय में 111 भारतीय अंतःक्षेत्र बांग्लादेश की सीमा में है, जिसमें लगभग 1.5 लाख भारतीय रहते हैं एवं 51 बांग्लादेश्ज्ञी अंतः क्षेत्र भारत की सीमा में स्थित है जिनमें लगभग 50 हजार बांग्लादेशी रहते हैं। अंतः क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को किसी प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं थी। भारतीय नागरिक भारत में प्रवेश नहीं कर पाते थे, क्योंकि भारत में प्रवेश के लिए उन्हें बांग्लादेश की सीमा पार करनी होती थी, जिसकी अनुमति बांग्लादेश सरकार के द्वारा नहीं दी जाती थी। ठीक यही स्थिति भारत में बांग्लादेशी अंतःक्षेत्रों की थी। अंतःक्षेत्रों के कारण अवैध घुसपैठ एवं नशीली दवाओं के अवैध व्यापार की समस्या उत्पन्न होती थी। इसके अतिरिक्त, दोनों देशों के बीच सीमा के विभाजन और बाड़ लगाने में भी समस्या बनी हुई थी। इन क्षेत्रों में नागरिकों का जीवन अमानवीय था, क्योंकि उन्हें शिक्षा एवं स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। वर्ष 2002 में इसके लिए बैठक भी सम्पन्न हुई। इन अंतःक्षेत्रों में कुल 7,110 एकड़भूमि पर विवाद है। अंतःक्षेत्रों के लेनदेन से भारत को 7 हजार 110 एकड़ भूमि का नुकसान हुआ, क्योंकि भारत के अंतःक्षेत्र बांग्लादेश में ज्यादा थे, परन्तु बांग्लादेश में स्थित भारतीय भू-भाग का कोई व्यावहारिक महत्व नहीं था। आरंभ में इस समझौते का पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा विरोध किया गया, परन्तु बाद में पश्चिम बंगाल सरकार ने समझौते का समर्थन किया, जिसके परिणामस्वरूप यह समझौता, दोनों देशों के बीच सम्पन्न हो गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ0 मनमोहन सिंह की सितंबर, 2011 की यात्रा के दौरान अंतःक्षेत्रों की समस्या को भी हल करने पर सहमति व्यक्त की गई थी। वर्ष 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की बांग्लादेश यात्रा के दौरान अंतःक्षेत्रों के लेन-देन का ऐतिहासिक समझौता हो गया और भारत के द्वारा इसे लागू करने के लिए 119वां संविधान संशोधन पारित कर दिया गया, जिसे सीमा पर बाड़ लगाने की समस्या ओर सीमा विभाजन की समस्या आसान हो गई तथा दोनों देशों के निवासियों को किसी भी देश की नागरिकता प्राप्त करने की स्वतंत्रता है।

गंगा नदी जल विभाजन समझौता:

संपूर्ण दक्षिण एशियाई उपमहाद्वीप प्राकृतिक रूप में एक है, लेकिन भारत-पाकिस्तान विभाजन के बाद नदी जल के बंटवारे का मुद्दा पड़ोसी देशा के मध्य विवादास्पद बना हुआ है। भारत-बांग्लादेश के मध्य विवाद का मूल कारण फरक्का बांध का निर्माण है। इस बांध के निर्माण का उद्देश्य गंगा के पानी को हुगली नदी की ओर मोड़ना है, जिससे कोलकाता पत्तन के चलाने हेतु पानी की पर्याप्त मात्रा बनी रहे। एक आंकड़े के अनुसार, कोलकाता पत्तन को चलाने हेतु 40,000 क्यूसेक पानी की आवश्यकता है। बांध निर्माण का दूसरा उद्देश्य, कोलकाता में पीने तथा औद्योगिक कार्यों हेतु पानी की आपूर्ति करना है। गंगा नदी के जल बंटवारे की समस्या 'लीन सीजन' (कम बहाव की अवधि) में है। यह अवधि 1 जनवरी से 31 मई तक होती है। भारत और बांग्लादेश के मध्य जल विभाजन को लेकर 80 के दशक में समस्या उत्पन्न हुई और बांग्लादेश द्वारा इस मुद्दे को भारत विरोध से जोड़ दिया गया। इससे पहले वर्ष 1977 में बांग्लादेश के साथ एक समझौता किया गया, लेकिन जल बंटवारे की समस्या का दीर्घकालिक समाधान वर्ष 1996 में सम्पन्न हुआ, जब प्रधानमंत्री देवगौड़ा तथा शेख हसीना के मध्य एक ऐतिहासिक समझौता हुआ तथा यह 30 वर्षों के लिए लागू किया गया।

बांग्लादेश का तर्क:

- फरक्का बांध के द्वारा गंगा नदी के पानी काके हुगली नदी में प्रवाहित किया जाएगा, इससे बांग्लादेश को जल की उचित मात्रा प्राप्त नहीं होगी।
- इस बांध के निर्माण से भारत अपने छोटे और कमजोर पड़ोसी राष्ट्रों के हितों की अवहेलना कर रहा है।
- बांग्लादेश, मुख्यतः एक कृषि प्रधान देश है, जिसे पानी की आवश्यकता है।
- बांग्लादेश के अनुसार, नदी जल समझौते में नदी के प्रवाह के निचले क्षेत्रों का भी पानी पर अधिकार होता है।

भारत का तर्क:

- गंगा नदी, भारत की राष्ट्रीय नदी तथा मूल पहचान है और भारत के एक बड़े भू-भाग में कृषि, सिंचाई और पीने का पानी गंगा नदी से प्राप्त होता है।
- भौगोलिक रूप में गंगा नदी का सर्वाधिक बहाव क्षेत्र भारत में है। इसलिए पानी का सबसे बड़ा अधिकार भारत का है।
- बांग्लादेश, प्राकृतिक रूप से वर्षा सम्पन्न है, वह केवल गंगा नदी के पानी पर निर्भर नहीं है।

फरक्का समझौता:

वर्ष 1996 में गंगा नदी जल के बंटवारे पर तत्कालीन प्रधानमंत्री देवगौड़ा तथा बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना के मध्य समझौता हुआ, जिसके अनुसार, जनवरी से मई तक के महीने के लिए दस-दस दिन की अवधि के हिसाब से जल का विभाजन सुनिश्चित किया गया तथा समझौते के अनुसार, भारत को 40,000 क्यूसेक की दर से पानी मिलेगा। जब कि बांग्लादेश का हिस्सा लगभग 67,000 क्यूसेक होगा। अतः का दृष्टिकोण स्पष्ट है कि भारत को केवल उतना ही पानी चाहिए, जिससे हुगली नदी में गाद जमा होने से रोका जाए तथा कोलकाता पत्तन को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। यह समझौता पुनः इस तथ्य पर प्रमाणित है कि भारत ने पड़ोसी देशों के साथ सदैव बेहतर संबंध निर्मित करने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए इससे पहले भी तीन बीघे के गलियारे को भारत ने बांग्लादेश को पट्टे पर सौंप दिया (वर्ष 1981 में)। भारत और बांग्लादेश के मध्य नदियों के जल के बंटवारे से संबंधित संयुक्त नदी आयोग की 36वीं बैठक वर्ष 2005 में हुई, जिसमें नदियों के जल बंटवारे के संबंध में प्रगति पर समीक्षा की गई। संप्रति, भारत द्वारा आरंभ की गई नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना पर भी बांग्लादेश को आशंका है, लेकिन भारत ने बांग्लादेश को आश्वासन दिया है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के पानी को बांग्लादेश की ओर से मोड़ा नहीं जाएगा। दोनों देशों के मध्य मोनू, खेबई, गुमटी, मोहरी, धरला, दूधाकुमार एवं तीस्ता नदियों के जल विभाजन विचार-विमर्श किया गया। लेकिन दोनों देशों के पर भी मध्य अभी समाधान भी इन नदियों के जल बंटवारे पर कोई अंतिम निर्मित नहीं हो सका है।

रोहिंग्या शरणार्थी:

भारत ने संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी कंवेशन पर हस्ताक्षर नहीं किया है। इसके बावजूद शरणार्थियों के संबंध में भारत का रिर्कार्ड सदैव अच्छा रहा है क्योंकि तिब्बत से आने वाले शरणार्थियों को भारत में शरण दी गई। श्रीलंका से आए

शरणार्थी अभी भी तमिलनाडु में बसे हुए हैं और लगभग 40 हजार रोहिंग्या शरणार्थी पहले से ही जम्मू एवं कश्मीर में रह रहे हैं। वर्तमान में, भारत ने रोहिंग्या शरणार्थियों को लेने से स्पष्ट रूप में इंकार कर दिया है। यद्यिपि शरणार्थियों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए बांग्लादेश के लिए खाद्यान्न सामग्री की सहायता भेजी गई। वर्तमान में भारत-बांग्लादेश के मुद्दे पर भारत ने बांग्लादेश को खाद्यान्न सहायता दी है। परन्तु रोहिंग्या शरणार्थियों के संबंध में पाकिस्तान एवं पै्पै् के साथ भी हैं इसलिए सुरक्षा आधारों पर भारत ने इन्हें शरण देने से इंकार कर दिया। वर्तमान में भारत के संबंध म्यांमार के साथ भी अत्यधिक मित्रतापूर्ण हैं इसलिए रोहिंग्या शरणार्थियों के मुद्दे पर भारत म्यांमार की सीधी आलोचना नहीं करना चाहता और भारत एक मध्य मार्ग की नीति अपनाते हुए बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ अपने संबंध सुदृढ़ कर रहा है। यह भी उल्लेखनीय है कि चीन रोहिंग्या शरणार्थियों के मुद्दे पर पूर्णतः म्यांमार का समर्थन कर रहा है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के द्वारा रोहिंग्या शरणार्थियों के पक्ष में उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की गई, परन्तु संघ सरकार के द्वारा इन्हें शरण देने से इंकार कर दिया गया। इससे यह प्रतीत होता है कि मानव अधिकारों के बजाए प्राथमिकता दी गई।

तीस्ता नदी जल विवाद:

भारत-बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी के जल विभाजन के सम्बंध में पहली बार वर्ष 1983 में तदर्थ समझौता हुआ। इसके तरह यह तय हुआ कि तीस्ता नदी के जल के 75 प्रतिशत भाग का बंटवारा भारत तथा बांग्लादेश के बीच किया गया, जिसमें 39 प्रतिशत जल भारत को तथा 36 प्रतिशत जल का भाग बांग्लादेश को प्रदान किया तथा शेष 25 प्रतिशत पानी मुक्त प्रवाह के लिए छोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत भारत को जल का, 42.5 प्रतिशत तथा बांग्लादेश को 37.5 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत पानी मुक्त प्रवाह के लिए छोड़ा जाएगा।

बांग्लादेश का तर्क है कि भारत एवं बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी जल का विभाजन आधा-आधा होना चाहिए। परन्तु पानी के आधे-आधे विभाजन को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अस्वीकार कर दिया और उनका तर्क था कि भारत का पानी का ज्यादा हिस्सा प्राप्त होना चाहिए। बांग्लादेश का तर्क था कि तीस्ता नदी बेसिन में बांग्लादेश की सीमा में आबादी कम है।

वर्ष 1972 में भारत-बांग्लादेश के बीच नदी जल बटवारे के लिए एक संयुक्त नदी आयोग का गठन किया गया था। इसलिए यह मामला संयुक्त नदी आयोग को सौंपा जाए और इस समस्या का तकनीकी समाधान करने की आवश्यकता है। इसी के साथ दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन एवं जल संभरण पर भी साझे सहयोग की आवश्यकता है।

तिपाई मुख बांध का मुद्दा:

तिपाई मुख बांध बराक एवं तुबई नामक नदियों के संगम पर बन रहा है, जिसका बांग्लादेश द्वारा विरोध किया जा रहा है। बांग्लादेश के अनुसार, इस बाध से बांग्लादेश के हिस्से का पानी उसे प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि इस बांध के कारण बांग्लादेश की दो नदियों- कशियारा एवं सुरमा में पानी का प्रवाह कम हो जाएगा। बांग्लादेश के अनुसार, उसकी मूल आजीविका कृषि पर आधारित है। इसलिए इन बांधों का निर्माण बांग्लादेश के लिए अत्यधिक हानिकारक है।

भारत के अनुसार इस बाध से बाढ़ नियंत्रण में सहायता मिलेगी तथा इस बांध के जल परिवहन भी बेहतर होगा तथा बांध के कारण मत्स्य पालन बढ़ेगा। यह उल्लेखनीय है कि तिपाईमुख बांध का मुद्दा वर्ष 1972 में संयुक्त नदी आयोग को सौंपा गया, लेकिन वर्ष 2005 में इस पर पुनः विवाह हो गयज्ञ। तिपाईमुख बांध के मुद्दे के समाधान हेतु दोनों देश संयुक्त

तकनीकी सर्वेक्षण कर सकते हैं और संयुक्त नदी आयोग की सहायता से इस मुद्दे का समाधान किया जा सकता है।

आंतरिक सुरक्षा:

भारत के द्वारा अपने उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र में जाने के लिए बांग्लादेश से पारगमन मार्ग की मांग की जा रही है। भारत के विभाजन के बाद भारत का उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र 'भू-आबद्ध' क्षेत्र बन गया। इस क्षेत्र का शेष भारत के साथ जुड़ाव सिलीगुड़ी गलियारे द्वारा होता है, जो लगभग 40 किमी. चैड़ा है। यह एक ओर चीन तथा दूसरी ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत के उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र के लिए यह एक मात्र संपर्क मार्ग है। अतः उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए तथा इस क्षेत्र में जारी उग्रवादी गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए पारगमन मार्ग का अत्यधिक महत्व है। बांग्लादेश से आने वाले अवैध घुसपैठिए भारत की सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती उत्पन्न कर रहे हैं, विशेष रूप में उत्तरी-पूर्वी राज्यों में जननांकीय आंकड़ों में भारी फेरबदल हो रहा है। असम में कोकराझार, गोलपाड़ा जैसे जनपदों में स्थानीय निवासी अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं तथा घुसपैठियों का बहुमत होता जा रहा है। उत्तरी-पूर्वी राज्यों में बोडोलैंड समस्या के पीछे अवैध घुसपैठ प्रमुख कारण है। इसके अतिरिक्त समसस्या के पीछे अवैध घुसपैठ प्रमुख कारण है। इसके अतिरिक्त, बांग्लादेश से आए अवैध घुसपैठियों के द्वारा बिहार के बौद्ध गया मंदिर में बम विस्फोट किया गया। बांग्लादेश के उग्रवादी संगठन पश्चिम बंगाल में भी आतंकवादी गतिविधियों में संग्लन हैं। वर्ष 2014 में बर्दमान बम विस्फोट किया गया। बांग्लादेश के उग्रवादी संगठन पश्चिम बंगाल में भी आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न हैं। वर्ष 2014 में बर्दमान बम विस्फोट इसका प्रमाण है। इन अवैध घुसपैठियों के माध्यम से चीन और पाकिस्तान भी भारत विरोधी गतिविधियों में संलग्न हैं।

इस अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए भारत के द्वारा सीमा प्रबंध बेहतर बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। बांग्लादेश के विकास के लिए भारत के द्वारा आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई है तथा बांग्लादेशी सरकार से बातचीत के द्वारा इन्हें बांग्लादेश वापस भेजने का प्रयत्न भी किया जा रहा है। यद्यपि विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा संकीर्ण दलीय स्वार्थों के अधार पर अवैध घुसपैठियों का समर्थन और विरोध किया जाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि कुछ राजनीतिक दलों का यह भी मानना है कि बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थी हैं, जबकि मुसलमान घुसपैठी हैं। असम सरकार ने अवैध घुसपैठियों की पहचान के लिए वर्ष 1983 में एक अधिनियम का निर्माण किया था, परन्तु इसमें विद्यमान विसंगतियों के कारण उच्चतम न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया। भारत और बांग्लादेश की लंबी सीमा पर 3.034 मील सीमा पर बाड़ लगाया जा चुका है, जबकि शेष सीमा पर भी बाड़ लगाने का कार्य चल रहा है, जिससे बांग्लादेश से आने वाले अवैध शरणार्थियों तथा आतंकवादी गतिविधियों को भी नियंत्रित किया जा सके। यद्यपि बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाए जाने को भारत-बांग्लादेश समझौते का उल्लंघन मानता है, लेकिन उत्तरी-पूर्वी राज्यों में बढ़ती आतंकवादी समस्या से निपटने के लिए भारत ने सीमा पर बाड़ लगाने को प्राथमिकता प्रदान की है। इसी सीमा पर बाड़ लगाने को लेकर बांग्लादेश राइफल्स तथा बी.एस.एफ के मध्य निरंतर मुठभेड़ भी होती रहती है।

आर्थिक विकास के प्रगति पथ पर:

वर्ष 2019 में बांग्लादेश के आर्थिक विकास की दर लगभग 9 प्रतिशत थी जो दक्षिण एशिया में सर्वाधिक है। यह उल्लेखनीय है कि बांग्लादेश के निर्माण के समय इसकी जीडीपी पाकिस्तान की जीडीपी से लगभग 40 प्रतिशत कम थी जबकि वर्तमान में बांग्लादेश की जीडीपी पाकिस्तान की जीडीपी से डेढ़ गुनी ज्यादा हो गई है। बांग्लादेश के इस आर्थिक विकास का कारण बांग्लादेश में विद्यमान राजनीतिक स्थिरता है। वर्ष 2019 में शेख हसीना लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री

निर्वाचित हुई और शेख हसीना के द्वारा भारत के साथ आर्थिक संबंधों को अत्यध्कि महत्व दिया गया, जिससे बांग्लादेश को लाभ हुआ। जिससे यह प्रतीत होता है कि भारत छोटे पड़ोसी देशों के लिए एक अवसर है, खतरा नहीं है। शेख हसीना के द्वारा भारत विरोध की प्रवृत्ति नहीं अपनाई जाती। इसीलिए नागरिकता संशोधन अधिनियम भी भारत-बांग्लादेश संबंधों के बीच विवाद का कारण नहीं बना। अगस्त, 2010 में भारत ने बांग्लादेश को एक बिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की, जिसे लाइन ऑफ क्रेडित ;स्पदम व बितमकपज वतँ वजि सवंदद्ध कहा जाता है। पहली बार भारत ने बांग्लादेश के वस्त्र उत्पादों के निर्यात की कुछ वस्तुओं को शुल्क मुक्त रूप में (लगभग 17) भारत में आयात की अनुमति प्रदान की। भारत ने बांग्लादेश के लिए भूटान और नेपाल में जाने के लिए भारत से होकर पारगमन मार्ग की सुविधा देने की घोषणा की। भारत-बांग्लादेश के बीच मुक्त व्यापार के समझौते पर भी वार्ता चल रही है और भविष्य में इसे क्रियान्वित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। दोनों देशों के मध्य लगभग 6 बिलियन डॉलर का व्यापार रहा जिसमें व्यापार असंतुलन लगभग 5.5 बिलियन डॉलर का है। इसीलिए बांग्लादेश की मांग है कि भारतीय बाजार में बांग्लादेशी वस्तुओं को शुल्क मुक्त प्रवेश की सुविधा दी जाए, जिससे बांग्लादेश के व्यापार असंतुलन को दूर किया जा सके। आर्थिक संबंधों में अगला मुद्दा निवेश का है, जिसके अंतर्गत भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ;ठभ्म्स्द्ध ने बांग्लादेश में 124 मेगावाट गैस आधारित परियोजना का निर्माण किया है, इसका उद्देश्य सिलहट में भी एक ऐसी परियोजना निर्मित करने का है। वर्ष 2005 में भारत के टाटा समूह ने 1,000 मेगावाट की कोयला आधारित शक्ति परियोजा निर्मित करने का प्रस्ताव किया है। इसी के साथ गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया। भारत-बांग्लादेश के बीच विद्यमान द्विपक्षीय व्यापार में बांग्लादेश को बड़ा व्यापारिक घाटा है, जिसे संतुलित करने के लिए बांग्लादेश की वस्तुओं को भारत में शुल्क मुक्त रूप में आयात की सुविधा प्रदान की गई है। वर्ष 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री की बांग्लादेश यात्रा के दौरान यह कहा गया कि 25 वस्तुओं को छोड़कर बांग्लादेश की सभी वस्तुओं को शुल्क मुक्त रूप से भारत में आयात किया जाएगा।

धार्मिक कट्टरवाद एवं आतंकवादी हमला:

बांग्लादेश की स्थापना लोकतांत्रिक और पंथनिरपेक्ष मूल्यों धार्मिक के आधार पर हुई थी। परन्तु पंथनिरपेक्ष विचारधारा एवं कट्टरवाद के बीच बांग्लादेश में अभी भी संघर्ष बना हुआ है। बांग्लादेश में कट्टरवादियों के द्वारा चार व्यक्तियों की पंथनिरपेक्ष विचारधारा के ब्लॉग लिखने के विरोध में हत्या कर दी गई। कट्टरवादियों के अनुसार, इन व्यक्तियों के द्वारा धर्म के विरुद्ध ब्लॉग लिखा गया, जिससे इनकी इत्या की गई। कट्टरवादियों के द्वारा यह भी कहा गया है कि भविष्य में जो भी व्यक्ति धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध विचार व्यक्त करेगा, उसकी हत्या कर दी जाएगी। इन धार्मिक कट्टरपंथियों के संबंध आतंकवादी संगठनों के साथ भी हैं और बांग्लादेश में बढ़ती धार्मिक कट्टरता भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के लिए एक वैचारिक चुनौती है, क्योंकि भारत के द्वारा पंथनिरपेक्ष शासन अपनाया गया है। जुलाई, 2016 में बांग्लादेश में आई.एस. आई.एस. के द्वारा ढाका में बेकरी हाऊस ;भ्वसमल ।तजपेंद ठंामतल बंमिद्ध पर हमला किया गया, जिसमें विदेशियों को निशाना बनाया गया। यह बांग्लादेश में आई.एस.आई.एस. का पहला बड़ा हमला था। बांग्लादेश में इसका बढ़ता प्रभाव भारत की सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। भारत में भी हैदराबाद एवं केरल में आई.एस.आई.एस. के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। बांग्लादेश में आतंकवादी हमला भारत के लिए सुरक्षा खतरों को बढ़ाने वाला है।

राष्ट्रवादी एवं धार्मिक कट्टरवादी विचारधारा के बीच संघर्ष:

आधुनिक बांग्लादेशी राष्ट्र की नींव पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक विचारधारा के आधार पर रखी गई और शेख हसीना तथा आवामी लगी इसी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है। वर्तमान में इस प्रवृत्ति को बांग्लादेश में प्रभावी बनाने का

प्रयास किया जा रहा है।

वर्ष 1971 में किए गए युद्ध अपराध एवं मानव नरसंहार के दोषी व्यक्तियों को सजा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण के एक अधिकरण का गठन बांग्लादेश में भी किया गया जिसके द्वारा युद्ध अपराध के दोषी व्यक्तियों को मृत्युदण्ड की सजा दी गई है। बांग्लादेश में विद्यमान इस लोकतांत्रिक प्रवृत्ति के विरुद्ध धार्मिक कट्टरवादी एकजुट होने का प्रयास करते हैं। बांग्लादेश के गुलसन कैफे में होने वाले आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी पै्पै् द्वारा ली गई। यह भी उल्लेखनीय है कि शेख हसीना द्वारा कहा गया कि वैश्विक आतंकवाद को बढ़ाने में पाकिस्तान की बड़ी भूमिका है जिससे यह प्रतीत होता है कि भारत बांग्लादेश के सुरक्षा हित साझे हैं।

समुद्री सीमा रेखा का विभाजन:

एक देश के भू-भाग से 12 नॉटिकल मील समुद्र में उसकी संप्रभुता का विस्तार होता है। 200 नॉटिकल मील राज्य का विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र ;म्गबसनेपअम म्बवदवउपब्र वदमद्ध होता है। 200 समुद्री मील के बाहर मुक्त समुद्र होता है।

सीमा निर्धारण हेतु समुद्री सीमा रेखा को मध्य रेखा ;डपक ब्ल्पिददमसद्ध के द्वारा निर्धारित किया जाता है।

भारत और बांग्लादेश की समुद्री सीमा की समस्या का समाधान अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण न्यायालय ने किया, जिसाक मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में है। भारत एवं बांग्लादेश के बीच समुद्री सीमा रेखा के विभाजन से भारत के समुद्री विवाद का समाधान बांगदेश, म्यांमार, थाइलैंड सभी के साथ हो चुका है और इससे भारत का बांग्लादेश के साथ संबंध और सुदृढ़ व बेहतर होगा और दोनों के बीच बी.सी.आई.एम. ;ठब्प्डद्ध और बिम्सटेक ;ठप्डैज्म्ब्द्ध जैसे क्षेत्रीय सहयोग आगे बढ़ाए जाएंगे। इस पंचाट के निर्णय से न्यूमूर द्वीप पर भारत के दावे को भी स्वीकार कर लिया गया है, जिस पर पहले बांग्लादेश भी अपना दावा व्यक्त करता था। बंगाल की खाड़ी में स्थित हरिभंगा नदी के पास के क्षेत्रों पर भी भारत के अधिकार को मान्यता दे दी गई है। इन क्षेत्रों में गैस उत्खनन के भारतीय प्रयासों का बांग्लादेश ने बार-बार विरोध किया था। इस निर्णय के बाद दोनों देश अपने-अपने क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों की खोज कर सकते हैं। भारतीय कंपनी ओ.एन.जी.सी. ;व्छळब्द्ध को बांग्लादेशी भू-भाग में स्थित तेल व गैस उत्खनन हेतु आमंत्रित किया जा सकता है। इसलिए दोनों देशों के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के रास्ते भी साफ हो गए हैं।

चीन-पाकिस्तान कारक:

चीन और पाकिस्तान सदैव बांग्लादेश में अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं, जिससे भारत को प्रतिसंतुलित किया जा सके। बांग्लादेश में बढ़ते चीनी प्रभाव से भारतीय सुरक्षा पर सीधा प्रभाव पड़ता है। वर्तमान समय में चीन के शांतिपूर्ण उभार से दक्षिण एशिया में भी वह भारत के प्रभाव को प्रतिसंतुलित करना चाहता है। इसी योजना के लंबे अंतर्गत चीन कुनमिंग परियोजना के अंतर्गत चीन-म्यांमार के रास्ते चटगांव और कुनमिंग (चीन) को 900 कि.मी. राजमार्ग से जोड़ने की योजना बना रहा है, जिससे व्यापार में वृद्धि हो। बांग्लादेश भी म्यांमार से होकर चीन के युआन प्रांत तक राजमार्ग बनाने के लिए अनुरोध कर रहा है। यह उल्लेखनीय है कि बांग्लादेश इस समय चीन से सर्वाध्कि मात्रा में हथियारों का आयात कर रहा है। दोनों देशों के बीच वर्ष 2002 में रक्षा सहयोग का समझौता भी सम्पन्न हुआ। चीन-बांग्लादेश को परमाणु ऊर्जा के विकास में भी सहायता प्रदान कर रहा है। बांग्लादेश जैसे छोटे छेषों का यह प्रयत्न होता है कि वे दोनों महाशक्तियों से सहायता प्राप्त कर सकें। चीन और पाकिस्तान के इस प्रभाव को प्रतिसंतुलित करने के लिए भारत, बांग्लादेश को प्रत्येक

प्रकार की सहायता उपलब्ध करा रहा है। यह भी उल्लेखनीय है कि भारत म्यांमार के साथ संबंध प्रगाढ़ करने का लगातार बल दे रहा है। इसीलिए पड़ोसी देशों को भारत द्वारा दी गई एकतरफा सहायता भारत के राष्ट्रीय हितों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। जनवरी, 2010 में बांग्लादेशी प्रधानमंत्री ने भारत की यात्रा के बाद चीन की यात्रा भी की, जिससे यह स्पष्ट है कि बांग्लादेश, भारत और चीन दोनों देशों से बेहतर संबंध बनाए रखना चाहता है।

भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बांग्लादेश की स्वतंत्रता की स्वर्णजयन्ती, राष्ट्रपिता बंगबंधु शेखमुजीर्बुरहमान की जन्म शताब्दी और भारत और बांग्लादेश के बीच राजनयिक सम्बंधों की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में शामिल होने के लिए 26-27 मार्च 2021 को बांग्लादेश का दौरा किया। मार्च 2021 में भारत ने शेख मुजीर्बुरहमान को गांधी शान्ति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया।

मार्च 2021 में भारतीय प्रधानमंत्री की बांग्लादेश यात्रा के दौरान निम्नलिखित समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये गये।

1. आपदा प्रबन्धन, लचीलापन और समन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन।
2. बांग्लादेश राष्ट्रीय कैडेट कोर (बीएनसीसी) और भारतीय राष्ट्रीय कैडेट कोर आईएनसीसी के बीच समझौता ज्ञापन।
3. बांग्लादेश और भारत के बीच व्यापार सुधारात्मक उपायों के क्षेत्र में सहयोग की रूपरेखा की स्थापना पर समझौता ज्ञापन।
4. बांगदेश भारत डिजिटल सेवा और रोजगार प्रशिक्षण (बीडीएसईटी) केन्द्र के लिये आईसीटी उपकरण, पाठ्यक्रम और संदर्भ पुस्तकों की आपूर्ति और प्रशिक्षण पर त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन।
5. राजशाही कॉलेज मैदान और आस-पास के क्षेत्रों में खेल सुविधाओं की स्थापना के लिये त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन।

निष्कर्ष:

बांग्लादेश एवं भारत संबंध वर्तमान में मित्रतापूर्ण एवं प्रगाढ़ बने हुए हैं तथा बांग्लादेश के साथ मधुर संबंध भारतय सुरक्षा के लिए आवश्यक है। यह बांगदेश की समृद्धि में भी सहायक है। भारत और बांग्लादेश ने 2021 में अपने राजनयिक सम्बन्धों की 50वीं वर्षगांठ मनायी। बांग्लादेश भी यह मानता है कि सीमा पार आतंकवाद क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता के लिए बड़ी चुनौती है। एनक्लेव के लेन-देन से यह प्रतीत होता है कि राजनीतिक विश्वास सभी समस्याओं के समाधान में सहायक है।

संदर्भ:

1. भारत की विदेश नीति, बी0एन0 खन्ना, लिपाक्षी अरोड़ा, लैस्ली कुमार।
2. अन्तर्राष्ट्रीय सम्बंध, बी0एन0 खन्ना, लैस्ली कुमार।
3. प्रतियोगिता दर्पण, वार्षिकांक।
4. भारत की विदेश नीति, पुष्पेश पंत।
5. भारत की विदेश नीति, यू0आर0 घई।
6. अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति, बी0एल0 फाड़िया।
7. भारत की विदेश नीति, आर0एस0 यादव।

8. भारत की विदेश नीति, वी0पी0 दत्त।
9. अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति सिद्धान्त एवं व्यवहार, यू0आर0 घई।
10. जे0 बन्धोपाध्याय, The Making India Foreign Policy.
11. एम0एस0 राजन, Studies in India Foreign Policy.
12. ए अप्पादोराय व एम0एस0 राजन, India Foreign Policy and Relation.
13. राजेश मिश्रा, भारतीय विदेश नीति, भूमण्डलीकरण के दौर में, चतुर्थ संस्करण, 2022
14. सुरजीत मान सिंह, India Search of Power Indira Gandhi Foreign Policy.
15. के0के0 पाठक, Nuclear Policy of India.
16. प्रेमलता शर्मा, India Foreign Policy.

भारतीय कथा-साहित्य में स्त्री विमर्श के संदर्भ और इस्मत चुगताई

डॉ. वर्षा रानी
प्रोफेसर एवं शोध निर्देशक, हिन्दी विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मुसाफिरखाना, अमेठी (उ0प्र0)
पद्मिनी
शोध-छात्रा, हिन्दी विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मुसाफिरखाना, अमेठी (उ0प्र0)

सारांश

प्रस्तुत शोध-पत्र के माध्यम से भारतीय कथा-साहित्य में निहित स्त्री विमर्श में इस्मत चुगताई के साहित्यिक योगदान की भूमिका और विकास का अध्ययन किया गया है। स्त्री विमर्श एक सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक आंदोलन है, जिसका उद्देश्य स्त्री की अस्मिता, स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय की स्थापना है। इस्मत चुगताई ने अपने कथा-साहित्य में निम्न-मध्यवर्गीय मुस्लिम समाज की स्त्रियों की यथार्थपरक और बेबाक छवि प्रस्तुत की है।

उनके साहित्यिक दृष्टिकोण, भाषा-शैली, स्त्री पात्रों की चेतना और सामाजिक विद्रोह को भारतीय कथा-साहित्य में बिम्बित स्त्री विमर्शों के संदर्भों में तुलनात्मक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास किया गया है।

प्रस्तावना

भारतीय कथा-साहित्य के इतिहास में 'स्त्री विमर्श' कोई आधुनिक या आयातित विचार नहीं है, बल्कि यह उन साहसी आवाजों के संघर्षों से उपजा है जिन्होंने समाज के दोहरे चरित्र को आईना दिखाया। जब हम इस विमर्श के शुरुआती और सबसे मुखर स्तंभों को तलाशते हैं, तो इस्मत चुगताई (1911-1991) का नाम सबसे अग्रिम पंक्ति में उभर कर आता है। इस्मत चुगताई उर्दू साहित्य की एक ऐसी विरल और युगांतरकारी लेखिका हैं, जिन्होंने अपनी बेबाक, निडर और यथार्थवादी शैली से भारतीय समाज में स्त्री की वास्तविक स्थिति की परतें खोल दीं। उनका लेखन उस दौर का जीवंत दस्तावेज है जब पितृसत्तात्मक मूल्य, सामाजिक रूढ़ियाँ और महिलाओं के लिए दमनकारी मानदंड अपने चरम पर थे। ऐसे रूढ़िवादी समय में स्त्री की अस्मिता, उसकी दबी हुई इच्छाओं और उसके स्वतंत्र अस्तित्व को साहित्य के केंद्र में लाना किसी सामाजिक क्रांति से कम नहीं था। चुगताई ने किसी बाहरी सिद्धांत के बजाय अपने स्वयं के व्यक्तिगत अनुभवों और सूक्ष्म सामाजिक अवलोकनों को आधार बनाकर स्त्री जीवन की जटिलताओं, उनकी यौनिकताओं और घरेलू संघर्षों को शब्दबद्ध किया। यही कारण है कि वे अपने समय में जितनी विवादास्पद रहीं, आज उतनी ही प्रासंगिक और उर्दू साहित्य की सबसे साहसी आवाज के रूप में पूजनीय हैं।

स्त्री विमर्श: परिभाषा, पृष्ठभूमि एवं विकास

'स्त्री विमर्श' मूलतः पितृसत्तात्मक व्यवस्था के विरुद्ध स्त्रियों की अस्मिता, स्वायत्तता और उनके मानवीय अधिकारों की पुनर्प्राप्ति का वैचारिक और व्यावहारिक आंदोलन है। साहित्य और समाज के संदर्भ में इसका अर्थ केवल पुरुषों का विरोध करना नहीं, बल्कि उस सामाजिक संरचना को चुनौती देना है जो स्त्री को एक 'स्वतंत्र मनुष्य' न मानकर उसे पुरुष

की पूरक या उपभोग की वस्तु मानती है।

प्रसिद्ध फ्रांसीसी विदुषी सिमोन द बोवुआर ने अपनी युगांतरकारी पुस्तक 'द सेकेंड सेक्स' में स्त्री की जैविक और सामाजिक स्थिति को स्पष्ट करते हुए लिखा है-''स्त्री पैदा नहीं होती, बल्कि बना दी जाती है।''[1] अर्थात, जैविक रूप से स्त्री होना एक प्राकृतिक तथ्य है, लेकिन समाज उसे जिन रूढ़ियों, सीमाओं और कमजोरियों के ढांचे में ढालता है, वह पितृसत्ता का निर्मित पाखंड है। भारतीय संदर्भ में स्त्री विमर्श की परिभाषा को स्पष्ट करते हुए डॉ. प्रभा खेतान लिखती हैं कि ''स्त्री विमर्श का मुख्य लक्ष्य स्त्री को अपनी नियति का फैसला खुद करने का अधिकार देना है।''[2]

वैश्विक स्तर पर स्त्री विमर्श का विकास मुख्य रूप से तीन लहरों के रूप में देखा जाता है- प्रथम लहर (19वीं-20वीं सदी की शुरुआत): इसका मुख्य केंद्र महिलाओं के कानूनी अधिकार और विशेष रूप से 'मताधिकार' प्राप्त करना था। मैरी वोल्सटोनक्राफ्ट की पुस्तक 'ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमन' (1792) को इसकी वैचारिक नींव माना जाता है।''[3]

द्वितीय लहर (1960-1980 का दशक) इस लहर ने कानूनी अधिकारों से आगे बढ़कर सांस्कृतिक असमानता, लैंगिक भूमिकाओं और घरेलू दायरे में होने वाले उत्पीड़न को केंद्र में रखा। इसी दौर में यह नारा प्रसिद्ध हुआ-''जो व्यक्तिगत है, वही राजनीतिक है''[4] तृतीय व चतुर्थ लहर (1990 के बाद से वर्तमान) इसमें विमर्श को अधिक व्यापक बनाया गया, जिसमें अश्वेत, समलैंगिक और तीसरी दुनिया की महिलाओं के संघर्षों को शामिल किया गया।

भारत में स्त्री विमर्श की जड़ें पश्चिमी विमर्श से भिन्न यहाँ की सामाजिक-धार्मिक संरचना से जुड़ी हैं। भारत में इसकी पृष्ठभूमि को दो चरणों में समझा जा सकता है- नवजागरण काल (19वीं सदी) में राजा राममोहन राय, ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले और ईश्वरचंद्र विद्यासागर जैसे समाज सुधारकों ने सती प्रथा, बाल विवाह के खिलाफ और स्त्री शिक्षा व विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में आवाज उठाई। हालाँकि, इस दौर का विमर्श मुख्य रूप से पुरुषों द्वारा संचालित सुधारवादी आंदोलन था।''[5] राष्ट्रवादी आंदोलन (20वीं सदी का पूर्वार्ध) में महात्मा गांधी के आह्वान पर आजादी की लड़ाई में महिलाओं ने चारदीवारी लांघकर सक्रिय भागीदारी की। इसने स्त्रियों के भीतर राजनीतिक चेतना और आत्मनिर्भरता की भावना का बीजारोपण किया।

भारतीय कथा-साहित्य में स्त्री विमर्श का विकास

भारतीय कथा-साहित्य (विशेषकर हिंदी और उर्दू) में स्त्री विमर्श का विकास सुधारवाद से शुरू होकर 'आत्म-अन्वेषण' और 'विद्रोह' तक पहुँचता है। शुरुआती दौर के कथा-साहित्य में प्रेमचंद, जैनेंद्र और शरतचंद्र जैसे लेखकों ने स्त्री की दयनीय स्थिति, उसकी पीड़ा और सामाजिक बंधनों का चित्रण किया। प्रेमचंद की 'निर्मला' या 'गबन' जैसी रचनाएँ स्त्री की आर्थिक और सामाजिक लाचारी को दिखाती हैं, लेकिन यहाँ स्त्री अक्सर 'त्याग और आदर्श' की मूर्ति के रूप में ही सिमट कर रह जाती है। यथार्थवाद और बोल्ड विमर्श (इस्मत और मंटो का दौर) 20वीं सदी के चैथे दशक (1940 के आस-पास) में प्रगतिशील लेखक आंदोलन के साथ कथा-साहित्य में एक बड़ा मोड़ लाया। यहाँ स्त्री अपनी बेबसी पर रोने के बजाय अपनी स्थिति पर सवाल उठाने लगी।

इस्मत चुगताई ने इस दौर में 'लिहाफ', 'गेंदा' और 'जड़ें' जैसी कहानियों से मध्यम और उच्च-मध्यम वर्ग के घरों के भीतर की 'यौनिक घुटन' और घरेलू पदानुक्रम को उजागर किया।[6] उन्होंने दिखाया कि आर्थिक रूप से सुरक्षित दिखने वाली स्त्रियाँ भी किस तरह भावनात्मक और शारीरिक रूप से शोषित हैं। इसी दौर में वाजिद तबस्सुम और राशिद जहाँ

जैसी लेखिकाओं ने भी स्त्री के दमित समाज को साहित्य के केंद्र में लाया। आजादी के बाद, विशेष रूप से साठोत्तरी (1960 के बाद) साहित्य में महिलाओं ने अपनी कलम खुद थामी। कृष्णा सोबती (मित्रो मरजानी), मन्नू भंडारी (आपका बंटी, महाभोज), उषा प्रियंवदा (पचपन खंभे लाल दीवारें), और प्रभा खेतान (छिन्नमस्ता) जैसी लेखिकाओं ने स्त्री विमर्श को देह की मुक्ति से आगे बढ़ाकर मानसिक स्वायत्तता, आर्थिक स्वतंत्रता और अस्तित्व की खोज से जोड़ा। समकालीन कथा-साहित्य में अब स्त्री पुरुष की पूरक नहीं, बल्कि समाज की मुख्यधारा में अपनी शर्तों पर जीने वाली एक स्वतंत्र इकाई के रूप में चित्रित हुई।

इस्मत चुगताई के कथा-साहित्य में स्त्री विमर्श-

इस्मत चुगताई ने अपने लेखन में निम्न-मध्यवर्गीय मुस्लिम समाज की महिलाओं की जिंदगी को बेबाकी से उकेरा। 'लिहाफ', 'गुड्डी', 'छोटे बच्चे की माँ', 'चोट' जैसी कहानियों में उन्होंने स्त्री की यौनिकता, सामाजिक पाखंड और मानसिक द्वंद्व को चित्रित किया। उनकी लेखनी में स्त्री केवल शिकार नहीं है, बल्कि एक सोचने-समझने वाली, निर्णय लेने वाली, विद्रोही चेतना भी है। इस्मत ने विवाह, यौन संबंध, प्रेम और रिश्तों को अपनी नायिकाओं के माध्यम से एक नया दृष्टिकोण दिया। उनकी भाषा में व्यंग्य, ठेठपन और सजीवता थी, जिसने पाठक को झकझोर दिया।

इस्मत चुगताई ने अपने लेखन के माध्यम से पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं की दुर्दशा को मुखर रूप से उजागर किया। उन्होंने दिखाया कि कैसे यह समाज महिलाओं को उनके मौलिक अधिकारों, जैसे- शिक्षा, संपत्ति और गरिमा से वंचित करता है। उनके कथा साहित्य में, वे परंपराओं और रूढ़ियों को तोड़ने का समर्थन करती हैं। उन्होंने स्त्री की सुबकती हुई छवि को नकारा है और स्त्री चेतना तथा सशक्तीकरण को बढ़ावा दिया है। चुगताई ने समाज द्वारा निर्धारित 'आदर्श महिला' की परिभाषा को भी चुनौती दी, जैसा कि उनकी कहानी 'घरवाली' में देखा जा सकता है, जहाँ वे सामाजिक अपेक्षाओं के विपरीत स्त्री की स्वायत्तता का पक्ष लेती हैं।- 'पता नहीं कि किस अरमान-भरी ने लाजो नाम रखा होगा? लाज और शर्म का तो लाजो की दुनिया में कोई मतलब न था। न जाने कहाँ और किसके पेट से निकली, सड़कों पर रुल कर पली। तेरे-मेरे टुकड़े खाकर इस क़ाबिल हो गयी कि छीन-झपटकर पेट भर सके। जब सयानी हो गयी तो उसका जिस्म उसकी वाहिद दौलत साबित हुआ। जल्दी ही वह तो हम उम्र आवारा लौंडों की सोहबत में ज़िन्दगी के अछूते राज़ जान गयी और बिना नकेल की ऊंटनी बन गयी।'

चुगताई जी का विश्लेषण केवल पुरुषों द्वारा महिलाओं के दमन तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने पितृसत्तात्मक विचारधारा की आंतरिक जड़ों को भी उजागर किया है। कहानी 'एक शौहर की खातिर' में यह दिखाया गया है कि पितृसत्तात्मक सोच इतनी गहराई तक समाई हुई है कि ''एक औरत के लिए भी दूसरी औरत का अस्तित्व उसके पति तक ही सीमित है।''[7] ''दुनिया चाहे कितनी ही आधुनिक क्यों न हो जाए। हमारे समाज में एक औरत की पहचान उसके शौहर से ही होती है। ट्रेन के सफर करने के दौरान उसे तीन हमसफर मिलीं। तीनों औरतें और उन तीनों ने उस से एक ही किस्म के सवाल करने शुरू कर दिए। वह न चाहते हुए भी उनके अनचाहे जवाब देती रही। मगर जब आखिरी स्टेशन पर क्लर्क ने उसे सामान की रसीद देते हुए शौहर का नाम पूछा तो उसे एहसास हुआ कि हमारे समाज में एक औरत की पहचान के लिए शौहर का होना कितना जरूरी है।'' इसी तरह, 'पेशा' कहानी में एक महिला दूसरी महिला के प्रति नफरत का भाव रखती है, क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज ने 'अच्छी और बुरी औरत' की अपनी सुविधानुसार एक परिभाषा तय कर दी है। यह दर्शाता है कि पितृसत्ता केवल एक बाहरी शक्ति नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक मानसिकता भी है, जो महिलाओं के बीच विभाजन पैदा करती है और उनके एकजुट होने में बाधा डालती है। चुगताई ने इस जटिलता को पहचान कर अपने

स्त्री विमर्श को और अधिक सूक्ष्म और यथार्थवादी बनाया।

चुगताई जी ने समाज के पाखंड और नैतिक पतन को उजागर करने के लिए अपनी कलम का इस्तेमाल किया। उन्होंने विशेष रूप से पुरुषों द्वारा महिलाओं के बारे में लिखे गए साहित्य में मौजूद पाखंड को चुनौती दी। इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण तब मिलता है जब वे पुरुष लेखकों द्वारा बच्चे को स्तनपान कराने के दर्दनाक अनुभव को 'खुशी' के रूप में चित्रित करने पर आपत्ति जताती हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुरुष लेखकों ने इन अनुभवों को 'सुनी-सुनाई बातों पर आधारित' लिखा था, बिना वास्तविक अनुभव के। यह केवल लेखन शैली का मुद्दा नहीं था, बल्कि यह पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं के अनुभवों को पुरुषों द्वारा परिभाषित और नियंत्रित करने के प्रयास को दर्शाता है।

इस्मत चुगताई ने स्त्री की विवशता, उसकी स्वतंत्रता और उसकी आवश्यकताओं को मार्मिक अभिव्यक्ति दी। उन्होंने महिलाओं के लिए 'एजेंसी और स्वतंत्रता के प्रति तीव्र प्रेम' को केंद्रीय माना, जो उस समय वयस्क महिलाओं से भी अपेक्षित नहीं था। उनकी आत्मकथा 'कागजी है पैरहन' में, वे लैंगिक रूढ़ियों और समाज के पाखंड की कड़ी आलोचक हैं, और अपने जीवन के संघर्षों के माध्यम से महिला पाठकों को पहचान की संभावना देती हैं।

इस्मत ने बचपन से ही लड़कों के लिए स्वतंत्रता और लड़कियों के लिए प्रतिबंध महसूस किए थे। उन्होंने स्वयं कहा, ''मैं अपनी खुद की मालिक हूँ - स्वतंत्र और आत्मनिर्भर। मैं बिस्तर पर लेटे हुए चाय पीती हूँ, फिर नाश्ता करने के लिए उठती हूँ।''[8] यह केवल एक व्यक्तिगत बयान नहीं था, बल्कि यह उस समय के समाज में महिलाओं के लिए 'एजेंसी' की अनुपस्थिति पर एक टिप्पणी थी। इस्मत का बचपन से ही स्वतंत्रता की इस भावना को धारण करना और बाद में इसे अपने लेखन में मुखर करना, यह दर्शाता है कि 'एजेंसी' कोई बाहरी अवधारणा नहीं थी जिसे उन्होंने बाद में अपनाया, बल्कि यह उनके अस्तित्व का एक आंतरिक हिस्सा था, जिसने उनके नारीवादी दृष्टिकोण को आकार दिया। यह उनके लेखन को एक गहरी व्यक्तिगत प्रामाणिकता प्रदान करता है।

इस्मत चुगताई ने शिक्षा के माध्यम से महिला सशक्तीकरण और मुक्ति का समर्थन किया। उन्होंने शिक्षा के लिए खुद संघर्ष किया, यहाँ तक कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ईसाई धर्म अपनाने की धमकी भी दी, जो उस समय महिलाओं के लिए शिक्षा प्राप्त करने की कठिनाई को दर्शाता है। उन्होंने तर्क दिया कि आर्थिक निर्भरता महिलाओं को बंधक बनाती है और उन्हें स्वतंत्रता से वंचित करती है। यह केवल व्यक्तिगत अधिकारों की वकालत नहीं थी, बल्कि यह एक व्यापक सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि थी। इस्मत ने समझा कि केवल शिक्षा ही पर्याप्त नहीं है, आर्थिक स्वतंत्रता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है ताकि महिलाएँ पितृसत्तात्मक ढांचे से पूरी तरह से मुक्त हो सकें।

इस्मत चुगताई के स्त्री विमर्श की अभिव्यक्ति उनकी विभिन्न कृतियों में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, जिनमें 'लिहाफ' और 'कागजी है पैरहन' विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं- 'लिहाफ' (1942) इस्मत चुगताई की सबसे चर्चित और विवादास्पद कहानियों में से एक है, जो लाहौर के 'अदब-ए-लतीफ' पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यह कहानी एक नवाब पति के प्रेम से वंचित एक स्त्री बेगम जान की व्यथा-कथा कहती है, जो अपनी महिला नौकरानी रब्बो के साथ यौन सुख पाती है। इसका केंद्रीय विषय महिला समलैंगिकता है, जो उस समय के भारतीय समाज में एक अत्यंत वर्जित विषय था।

इस कहानी ने पुरातनपंथी समाज को हिलाकर रख दिया और इस्मत पर अश्लीलता का आरोप लगाया गया, जिसके लिए लाहौर कोर्ट में उन पर मुकदमा चला, हालांकि बाद में इसे खारिज कर दिया गया। 'लिहाफ' ने पारंपरिक स्त्री संवेदनशीलता

को चुनौती दी और दिखाया कि महिलाओं की सच्ची भावनाएं पुरुष-प्रधान समाज में शायद ही कभी समझी जाती हैं। इस कहानी पर अश्लीलता का आरोप लगना और मुकदमा चलना एक महत्वपूर्ण घटना थी। उसी समय पुरुष लेखकों द्वारा समान विषयों पर लिखी गई कहानियों जैसे मुहम्मद हसन अस्करी की 'चाय की प्याली' को उतना विरोध नहीं मिला।

'कागजी है पैरहन' इस्मत चुगताई की आत्मकथा है, जो 1979-80 में 'आज कल' पत्रिका में प्रकाशित हुई और बाद में 1994 में एक खंड के रूप में छपी। इसका अंग्रेजी अनुवाद 'ए लाइफ इन वर्ड्स' 2012 में प्रकाशित हुआ। इस कृति में चुगताई ने तीसरे विश्व की महिलाओं की दुर्दशा को उजागर किया है, जो उपनिवेशवाद और पितृसत्ता दोनों से 'दोहरी उपनिवेशित' हैं। उन्होंने बताया कि कैसे उपमहाद्वीप में महिलाओं को विभिन्न रूढ़िवादी सामाजिक-सांस्कृतिक संरचनाओं के माध्यम से चुप कराया जाता है, उत्पीड़ित किया जाता है और हाशिए पर धकेला जाता है। यह इस्मत के व्यक्तिगत अनुभवों और बचपन की यादों पर आधारित है। उन्होंने अपने अनुभवों के माध्यम से 'तीसरे विश्व की महिलाओं' की दुर्दशा को उजागर किया, जिसे पश्चिमी नारीवाद अक्सर नहीं समझ पाता। यह दर्शाता है कि इस्मत ने अपने व्यक्तिगत जीवन को केवल एक व्यक्तिगत कहानी के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे एक व्यापक सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ में प्रस्तुत किया।

इस्मत चुगताई की अन्य कहानियाँ भी स्त्री विमर्श के विभिन्न पहलुओं को गहराई से छूती हैं, जो भारतीय समाज में स्त्री जीवन की बहुआयामी जटिलता को उजागर करती हैं- 'गेंदा' यह कहानी भारतीय पितृसत्तात्मक समाज की जाति व्यवस्था और विधवा औरतों पर लगाई जाने वाली पाबंदियों के बारे में बात करती है। यह एक निम्न जाति की किशोरी विधवा की यौन इच्छाओं को दबाने और उसके शोषण को दर्शाती है। कहानी दो महिलाओं की दोस्ती को भी दिखाती है, जो सामाजिक भेदभाव और विधवाओं की स्थिति पर प्रकाश डालती है। 'चैथी का जोड़ा' यह एक माँ की अपनी दो जवान बेटियों की शादी को लेकर उत्सुकता की कहानी है, जिसमें शादी का जोड़ा कफन में बदल जाता है। यह पितृसत्तात्मक सोच द्वारा बेटियों को अंधविश्वास के कुएं में धकेलने और महिलाओं पर विवाह के सामाजिक दबाव को दर्शाती है। 'एक शौहर की खातिर' यह कहानी समाज के उस पहलू पर व्यंग्य है जहाँ एक औरत की पहचान उसके पति के इर्द-गिर्द टिकी है। यह दिखाती है कि कैसे पितृसत्तात्मक सोच महिलाओं के बीच भी विभाजन पैदा करती है, जहाँ एक औरत के लिए दूसरी औरत का अस्तित्व उसके पति तक ही सीमित हो जाता है। 'घरवाली' यह कहानी शादी के बंधन में बंधी लाजो और मिर्जा की है, जहाँ लाजो अपनी शारीरिक जरूरतों को लेकर खुले मिजाज की है, जबकि मिर्जा उसे पितृसत्तात्मक समाज की 'अच्छी महिला' की परिभाषा में ढालने की कोशिश करता है। यह स्त्री की यौन स्वायत्तता और सामाजिक अपेक्षाओं के बीच के संघर्ष को दर्शाती है। 'पेशा' यह कहानी दिखाती है कि कैसे पितृसत्तात्मक समाज की सोच की वजह से एक महिला दूसरी महिला के प्रति नफरत का भाव रखती है और सामाजिक संरचना को बनाए रखती है, जहाँ 'अच्छी और बुरी औरत' की परिभाषा तय की जाती है। 'छुई-मुई' यह एक कम उम्र की दुल्हन के बारे में है जो अपने शरीर पर नियंत्रण से वंचित है और बच्चे को जन्म देने के पारिवारिक दबाव का सामना करती है, जिससे वह लगातार बीमार रहती है। यह महिलाओं के शारीरिक अधिकारों के हनन और लैंगिक व यौनिकता की जटिलताओं पर विचार करने को प्रेरित करती है। 'घूंघट' इस कहानी में एक सुंदर महिला (गोरी बी) अपने पति के नाजुक पुरुष अहंकार और सामाजिक मानदंडों के कारण जीवन भर कुंवारी रहती है। यह सामाजिक मानदंडों की बेड़ियों और पुरुष अहंकार के कारण स्त्री जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों को दर्शाती है।

निष्कर्ष

इस्मत चुगताई का स्त्री विमर्श भारतीय साहित्य में एक मील का पत्थर है। उन्होंने न केवल पितृसत्तात्मक समाज की

दमनकारी संरचनाओं को उजागर किया, बल्कि स्त्री की यौनिकता, इच्छाओं और आत्मसम्मान को भी बेबाकी से प्रस्तुत किया। उनके लेखन ने रूढ़ियों को तोड़ा और समाज के दोहरे मापदंडों पर करारा प्रहार किया। 'लिहाफ' जैसी कहानियों पर लगे अश्लीलता के आरोप उनके नारीवादी प्रतिरोध का प्रतीक बने, जिसने उन्हें चुप कराने के बजाय एक साहसी और यथार्थवादी लेखिका के रूप में स्थापित किया। चुगताई जी ने यह स्पष्ट किया कि स्त्री का संघर्ष केवल बाहरी सामाजिक बाधाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पितृसत्तात्मक सोच के आंतरिककरण और स्वयं महिलाओं के बीच विभाजन में भी निहित है। उन्होंने शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता को स्त्री मुक्ति के लिए आवश्यक उपकरण माना और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को सार्वभौमिक नारीवादी सत्य में परिवर्तित किया। इस्मत चुगताई ने स्त्री चेतना और सशक्तीकरण को बढ़ावा दिया, और उनकी कहानियों में नारी की सुबकती हुई छवि को नकार कर उसे एक विद्रोही और स्वायत्त इकाई के रूप में प्रस्तुत किया गया। उनका साहित्यिक योगदान आज भी प्रासंगिक है, जो महिलाओं को पितृसत्तात्मक मानदंडों को चुनौती देने और अपनी एजेंसी पर जोर देने के लिए प्रेरित करता है।

संदर्भ सूची

1. बोवुआर, सिमोन द (1949), द सेकेंड सेक्स, अनुवादकः एच0 एम0 पार्सले, विंटेज बुक्स, लंदन, पृष्ठ 295।
2. खेतान, प्रभा (1999), उपनिवेश में स्त्री, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ 42।
3. वोल्सटोनक्राफ्ट, मैरी (1792), ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमन, जे0 जोन्सन, लंदन।
4. हनीश, कैरल (1969), ''द पर्सनल इज पॉलिटिकल'', नोट्स फ्रॉम द सेकेंड ईयरः विमेंस लिबरेशन निबंध।
5. कुमार, राधा (1993), स्त्री संघर्ष का इतिहास (1800-1990), वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ 18-22।
6. चुगताई, इस्मत (2001), कागजी है पैरहन (आत्मकथा), राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ 85।
7. इस्मत चुगताई, 'एक शौहर की खातिर', रोहतास बुक लाहौर, वर्ष 1992, पृ0-34
8. इस्मत चुगताई, बचपन और खानदानी माहौल, उर्दू माहनामा मुकालमात इस्मत चुगताई, नवम्बर दिसम्बर 1991, दिल्ली, पृ0-52

कुमाऊँ वाणी सामुदायिक रेडियो का ग्रामीण विकास में योगदान

डॉ. हर्षवर्धन पान्डे

शोध सार

सामुदायिक रेडियो लोकतांत्रिक संचार का एक शक्तिशाली माध्यम है, जो स्थानीय समुदायों द्वारा संचालित होता है और उनकी आवश्यकताओं, भाषा, संस्कृति तथा समस्याओं को केंद्र में रखकर सामग्री प्रसारित करता है।

ग्रामीण भारत में जहां मुख्यधारा के मीडिया की पहुंच सीमित है, सामुदायिक रेडियो सूचना की कमी को पूरा करने, जागरूकता फैलाने, भागीदारी बढ़ाने और सतत विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यावरण संरक्षण, आपदा प्रबंधन और सांस्कृतिक संरक्षण जैसे क्षेत्रों में प्रभावी साबित हुआ है। प्रस्तुत शोध अध्ययन उत्तराखंड के कुमाऊँ वाणी सामुदायिक रेडियो मुक्तेश्वर के ग्रामीण विकास में योगदान पर किया गया है।

बीज शब्द: *सामुदायिक रेडियो संचार,विकास, भाषा, संस्कृति।*

प्रस्तावना

सामुदायिक रेडियो को किसी एक परिभाषा में बाँधना सम्भव नहीं है। प्रत्येक देश के संस्कृति सम्बन्धी कानूनों में अन्तर होने के कारण देश और काल के साथ इसकी परिभाषा बदल जाती है किन्तु मोटे तौर पर किसी छोटे समुदाय द्वारा संचालित कम लागत वाला रेडियो स्टेशन जो समुदाय के हितों,उसकी पसंद और समुदाय के विकास को दृष्टिगत रखते हुए गैर व्यवसायिक प्रसारण करता है, सामुदायिक रेडियो केन्द्र कहलाता है।

ऐसे रेडियो केन्द्र द्वारा कृषि, स्वास्थ्य,शिक्षा,समाज कल्याण,सामुदायिक विकास,संस्कृति सम्बन्धी कार्यक्रमों के प्रसारण के साथ-साथ समुदाय के लिए तात्कालिक प्रासंगिकता के कार्यक्रमों का प्रसारण किया जा सकता है। सामुदायिक केन्द्र का उद्देश्य समुदाय के सदस्यों को शामिल कर समुदाय के लिए कार्य करना है।

सामुदायिक रेडियो की शुरूआत अमरीका में बीसवीं सदी के चैथे दशक में हो गई थी। इसके पूर्व तीसरे दशक में, डेविड आर्मस्ट्राँग, एफ.एम.प्रसारण का अविष्कार कर रेडियो प्रसारण के एक नए युग का सूत्रपात कर चुके थे। अपने शुरूआती दिनों में अमरीकी रेडियो का स्वरूप मुख्यतया व्यवसायिक था। द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन द्वारा एफ.एम. बैंड की निचली आवृतियों (881 मेगा हर्ट्ज से 919 मेगा हर्ट्ज तक) शैक्षणिक रेडियो के लिए सुरक्षित रखने का प्रावधान किया गया।एफ.एम.रेडियो की संभावनाओं को पहचानने का यह पहला प्रयास था। एफ.एम.रेडियो तकनीक की सुविधाजनक प्रणाली और इसकी कम लागत को देखते हुए भविष्य दृष्टाओं को इसमें एक ओर संभावना नजर आई सामुदायिक रेडियो केन्द्र की संभावना। सामुदायिक रेडियो की कल्पना ने जब साकार रूप लिया तो यह संचार के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम सिद्ध हुआ।

पहला सामुदायिक रेडियो केन्द्र वेस्ट कोस्ट में लुइस हिल नाम के मशहूर पत्रकार द्वारा आरम्भ किया गया। 1946 में

इससे जुड़े प्रसारणकर्ताओं ने पेसिफिका फाउंडेशन की स्थापना की। विश्व युद्ध के पश्चात उस समय विभिन्न राष्ट्रों के बीच समझ पैदा करने को आवश्यकता महसूस की जा रही थी।

इसी उद्देश्य से पेसेफिका फाउंडेशन ने सामुदायिक रेडियो प्रसारण आरम्भ किया। इस फाउंडेशन से जुड़े शांतिप्रिय बुद्धिजीवी इस बात से भली भाँति परिचित थे कि रेडियो के प्रायोजक इसके कार्यक्रमों को अपने हितों के अनुरूप प्रभावित कर सकते हैं अतः यह निर्णय लिया गया कि श्रोताओं की सहायता से ही केन्द्र का व्यय वहन किया जाएगा। आवश्यक राशि जुटाने के बाद फाउंडेशन ने बर्कले, कैलिफोर्निया से 15 अप्रैल 1949 को प्रसारण आरम्भ कर दिया। इस रेडियो केन्द्र से आज भी प्रसारण हो रहा है और अपनी तरह का यह सबसे पुराना रेडियो केन्द्र है।

लैटिन अमरीकी देश बोलीविया में खदान श्रमिकों द्वारा 1949 में आरम्भ किया गया रेडियो केन्द्र, सामुदायिक रेडियो का अनूठा उदाहरण है। बोलीविया अपनी चाँदी,टिन की खानों के लिए एक समय विश्व प्रसिद्ध था। शहरों से मीलों दूर इन खानों में हजारों श्रमिक कार्य करते थे। इनके लिए मनोरंजन और संचार के माध्यमों का नितांत अभाव था। इन श्रमिकों ने अपने वेतन का एक भाग संचित कर उस राशि से एक रेडियो केन्द्र स्थापित किया। प्रसारण की लोकप्रियता इस कदर बढ़ी कि इसने स्थानीय पत्र और तार सेवा के महत्व को तक कम दिया। श्रमिकों के संदेश सांस्कृतिक गतिविधियों की सूचना आपातकालीन उदघोषणाएं, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों सम्बन्धी जानकारियों के साथ-साथ ट्रेड यूनियन और सरकार के बीच संवाद के समाचार प्रसारित होने लगे। कुछ ही वर्षों में बोलीविया में ऐसे 26 सामुदायिक रेडियो केन्द्रों से प्रसारण आरम्भ हो गया।

सैन्य शासन के दौरान कई बार इन केन्द्रों को कुचल दिया गया किन्तु इस विचार में इतनी शक्ति थी कि ये बार-बार उठ खड़ा हुआ। इंग्लैंड में कम्युनिटी रेडियो का विचार उन अवैधानिक रेडियो स्टेशनों से आरम्भ हुआ जो सत्तर के दशक में बरमिंघम, बिस्टल, लंदन और मैनचेस्टर में ऐफ्रो-कैरिबियाई अप्रवासियों द्वारा आरम्भ किए गए। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने इन्हें श्पाइरेट रेडियोश् की संज्ञा दी थी किन्तु अवैधानिक होने के बावजूद इन केन्द्रों ने कम्युनिटी रेडियो की शक्ति को सिद्ध कर दिया था।

भारत सरकार द्वारा 1995 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीश के निर्णय कि वायु तरंगें सार्वजनिक हैं,के बाद 18 दिसम्बर 2002 को भारत में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को स्थापित करने हेतु नीतिगत दिशा निर्देश को पारित किया था। यह दिशा-निर्देश सामुदायिक रेडियो स्टेशन खोलने के इच्छुक व्यक्तियों के एक स्पष्ट रुप से मार्गदर्शिका है। 2002 में भारत सरकार ने देश में सिर्फ शैक्षणिक संस्थाओं जैसे कि आई0टी0आई, आई.आई.एम., सुस्थापित शैक्षणिक संस्थाओं, स्कूल विश्वविद्यालय आदि को सामुदायिक रेडियो स्टेशन चलाने के लाइसेंस देना प्रारम्भ किया।

सामुदायिक रेडियो स्टेशन के संस्थापन में दूसरा परिवर्तनकारी वर्ष 2006 था, इसमें भारत सरकार ने पुनः सोच-विचार किया और भारत सरकार ने गैर लाभकारी एन.जी.ओ. को सामुदायिक रेडियो स्टेशन खोलने के लिए लाइसेंस देने का मन बनाया। अन्नामलाई विश्वविद्यालय, चेन्नई का अन्ना एफ.एम. भारत का पहला कैम्पस कम्युनिटी रेडियो केन्द्र बना, जिसका प्रसारण 01 फरवरी 2004 से आरम्भ हुआ। इसे ई.एम.आर.सी. द्वारा संचालित किया जाता है।

16 नवम्बर 2006 को भारत सरकार द्वारा एक नई कम्युनिटी रेडियो नीति को अधिसूचित किया गया। इसके अनुसार गैर व्यवसायिक संस्थायें, जैसे स्वयंसेवी संस्थायें, कृषि विश्वविद्यालय ,सामाजिक संस्थायें, भारतीय कृषि अनुसंधान की संस्थायें, कृषि विज्ञान केन्द्र तथा शैक्षणिक संस्था कम्युनिटी रेडियो के लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकती हैं।

ऐसी कोई भी संस्था, जो व्यवसायिक, राजनैतिक, आपराधिक गतिविधियों से सम्बद्ध हो या जिसे केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा अवैध घोषित किया गया हो, कम्युनिटी रेडियो खोलने की हकदार नहीं है। व्यक्ति विशेष को भी यह अधिकार प्राप्त नहीं है। ऐसी पंजीकृत संस्थायें जो कम से कम तीन वर्षों से सामुदायिक सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रही हों, कम्युनिटी रेडियो के लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकती हैं। इस समय भारत में 522 सामुदायिक रेडियो स्टेशन कार्य कर रहे हैं।

साहित्य पुनरावलोकन

2018 में देश के एक महानगर और एक औसत दर्जे के शहर में मार्केट रिसर्च फर्म नीलसन द्वारा हुए सर्वे के अनुसार टीवी के बाद रेडियो दूसरा सबसे अधिक आम लोगों तक पहुँच रखने वाला मीडिया प्लेटफार्म है।

विल्बर श्राम (1964) पुस्तक ''कम्यूनिकेशन एण्ड डवलपमेन्ट'' में बताया कि विकासशील देशों में रेडियो और टेलीविजन जैसे माध्यमों का उपयोग शिक्षा और कृषि के प्रचार-प्रसार के लिए किया जा सकता है। उनके मॉडल ने यह दर्शाया कि प्रभावी मीडिया ग्रामीण समुदायों में जागरूकता और परिवर्तन ला सकता है।

राजर्स (1962) डिफ्यूजन आफ इनोवेशन में बताया कि नई तकनीकों और विचारों का प्रसार मीडिया के माध्यम से कैसे होता है। उदाहरण-कृषि में नई तकनीकों को अपनाने में रेडियो और टेलीविजन की भूमिका है।

रोल आफ मीडिया इन रूरल डवलपमेन्ट में बताया गया कि ऑल इंडिया रेडियो के कृषि दर्शन कार्यक्रम ने किसानों के बीच नई कृषि तकनीकों के प्रचार में बड़ी भूमिका निभाई। शोध ने यह भी दिखाया कि रेडियो ने दूरदराज के क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाने का काम किया है।

मास मीडिया एण्ड रूरल डवलपमेन्ट इन इंडिया (1995) ने यह दिखाया कि मुख्यधारा के मीडिया की पहुंच ग्रामीण समुदायों तक सीमित है, और सामुदायिक रेडियो अधिक प्रभावी हो सकता है।

''इम्पेक्ट आँफ कम्यूनिटी रेडियों आँन रूरल एजूकेशन'' (2015)शोध ने दिखाया कि सामुदायिक रेडियो ने महिलाओं और वंचित समुदायों में साक्षरता और स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

रोल आफ सोशल मीडिया इन रूरल डवलपमेन्ट'' (2020) में पाया गया कि सोशल मीडिया ने किसानों को बाजार से सीधे जोडने और जलवायु परिवर्तन की जानकारी प्रदान करने में मदद की है।

उपकल्पना

- सामुदायिक रेडियो ग्रामीण समुदाय की भागीदारी और सशक्तिकरण को बढ़ाता है।
- सामुदायिक रेडियो के माध्यम से ग्रामीण लोगों में सरकारी योजनाओं की जानकारी बढ़ती है।
- सामुदायिक रेडियो ग्रामीण शिक्षा और साक्षरता स्तर को सुधारने में सहायक होता है।

  यह माध्यम कृषि, स्वास्थ्य और स्वच्छता से संबंधित व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाता है।
- सामुदायिक रेडियो स्थानीय भाषा और संस्कृति के संरक्षण में मदद करता है।

अध्ययन का उद्देश्य

- ग्रामीण क्षेत्र में कुमाऊं वाणी की पहुँच का पता लगाना।
- ग्रामीण विकास में कुमाऊं वाणी सामुदायिक रेडियो द्वारा उठाए गये मुद्दों, विषयों पर ग्रामीण जनमानस की प्रतिक्रिया जानना।
- सरकार द्वारा ग्रामीण विकास सम्बन्धी उपलब्ध कराए गये योजनाओं का ग्रामीणों को प्राप्त लाभ को जानना।
- कृषि एवं ग्रामीण समस्याओं को कुमाऊं वाणी द्वारा दिये जाने वाले कवरेज की स्थिति को जानना।

शोध प्रविधि

निदर्शन का प्रयोग करते हुए यह अध्ययन सूपी गाँव में 18 वर्ष से 60 वर्ष के 100 उत्तरदातों पर किया गया है। आंकड़ों के संकलन हेतु प्रश्नावली, साक्षात्कार और अवलोकन का भी प्रयोग किया गया है।

कुमाऊँ वाणी

सामुदायिक रेडियो ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और सामाजिक जागरूकता के प्रसार का एक अत्यंत प्रभावी माध्यम निभाता है। यह मुख्यधारा के मीडिया से वंचित समुदायों को आवाज देने और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने महत्वपूर्ण साधन है। सामुदायिक रेडियो एक ऐसा माध्यम है जिसने ग्रामीण भारत के दूर-दराज के बस्तियों और गांवों में हमारी जातीय भाषाओं और संस्कृतियों को प्रतिदिन जीवित रखा है।

कुमाऊँ वाणी 90.4 मेगाहर्ट्ज (एफ.एम.) उत्तराखंड के नैनीताल जिले के सूपी गांव मुक्तेश्वर के निकट स्थित कुमाऊं क्षेत्र का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा मार्च 2010 में स्थापित यह स्टेशन ग्रामीण विकास का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

यह स्टेशन नैनीताल,भीमताल,अल्मोड़ा,रानीखेत,कौसानी, चंपावत, देवीधुरा,पिथौरागढ़,बेतालघाट, शीतलखेत,कौसानी,ग्वालदम और बागेश्वर के लगभग 500 गांवों तक पहुंचता है। यह लगभग 3,50,000 लोगों की आबादी को कवर करता है,जिनमें से अधिकांश कृषि से जुड़े हुए हैं। स्टेशन प्रतिदिन सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक पांच घंटे का नया कार्यक्रम प्रसारित करता है। इसका पुनः प्रसारण दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक होता है। कार्यक्रम में स्टूडियो में लाइव चर्चा, विशेषज्ञों के साथ फोन साक्षात्कार, जमीनी स्तर के किसानों की आवाजें, फील्ड से लाइव रिपोर्ट, प्रश्नोत्तरी, नाटक और लोकगीत आदि जैसे मिश्रित प्रारूप शामिल हैं।

कुमाऊँ वाणी के कुमाऊंनी भाषा में प्रसारित रेडियो कार्यक्रम क्षेत्र के लोगों की रोजमर्रा के जीवन का एक हिस्सा बन गया है। क्षेत्र की संस्कृति और परंपरा पर आधारित कार्यक्रमों को प्रसारित करके इस रेडियो स्टेशन ने ग्रामीण समुदायों और उनकी परंपराओं के बीच की कड़ी को फिर से स्थापित किया है। यही नहीं,सरकार प्रायोजित योजनाओं और अन्य प्रासंगिक मुद्दों पर सटीक और समुचित जानकारी प्रदान करके इसने सरकार और दूरस्थ समुदायों के बीच की खाई को पाटने का भी उल्लेखनीय प्रयास किया है।

उत्तरदाताओं से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण

- 90 फीसदी उपभोक्ताओं को कुमाऊँ वाणी सामुदायिक रेडियो की जानकारी है।
- कुमाऊँ वाणी सामुदायिक रेडियो पर प्रतिदिन औसतन 50 फीसदी लोग 2 घंटे कार्यक्रम सुनते हैं।
- 50 फीसदी श्रोता कृषि, मौसम की जानकारी और फसल संबंधी सुझावों के लिए कुमाऊँ वाणी रेडियो सुनते हैं।
- 72 फीसदी श्रोताओं का मानना है कुमाऊँ वाणी सामुदायिक रेडियो के माध्यम से वे स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता के प्रति जागरूक हुए हैं।
- 40 फीसदी श्रोताओं का मानना है कि इसके द्वारा प्रसारित कृषि कार्यक्रमों से ो नई खेती की उन्नत तकनीकों की जानकारी मिली है।
- 60 फीसदी ग्रामीण सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए कुमाऊँ वाणी रेडियो पर निर्भर हैं।
- कुमाऊंनी स्थानीय बोली में प्रसारित कार्यक्रमों से 68 फीसदी श्रोता सीधा जुड़ाव महसूस करते हैं।
- 54 फीसदी श्रोताओं ने स्वयं कुमाऊँ वाणी स्टेशन पर कॉल करके अपने विचार, सुझाव या स्थानीय समस्याएं साझा की हैं।
- 78 फीसदी ग्रामीणों का कहना है कि कुमाऊँ वाणी में स्थानीय संस्कृति, लोकगीत और महिलाओं से जुड़े मुद्दों को रेडियो पर पर्याप्त स्थान मिलता है।

"आपुण रेडियो, आपुण बात": कुमाऊँ वाणी का प्रभाव

पहले टीवी और अब सोशल नेटवर्किंग के तेजी से फैलते जाल के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में रेडियो की महत्ता कम नहीं हुई है। आज भी रेडियो सांस्कृतिक आदान-प्रदान और समुदायों को प्रासंगिक सरकारी और गैर-सरकारी सूचनाओं से अपडेट रखने के अलावा यह विशिष्ट लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ने वाले सामाजिक अभियानों को सफलतापूर्वक चला रहा है। कुमाऊँ वाणी पूरी तरह स्थानीय युवाओं द्वारा संचालित है, जो गांव-गांव जाकर रिपोर्टिंग करते हैं। मुख्य नारा "आपुण रेडियो, आपुण बात" इसके समुदाय-केंद्रित स्वभाव को दर्शाता है।

कुमाऊँ वाणी सामुदायिक रेडियो स्टेशन के स्टेशन इंचार्ज मोहन सिंह कार्की का कहना है इस स्टेशन से स्थानीय लोगों को अब ग्रामीण विकास, स्वच्छता और महिला और युवा सशक्तिकरण में सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी मिल रही है। यह सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने, सामुदायिक आवाजों को सशक्त करने और आपदाओं के समय दुर्गम क्षेत्र में प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

कृषि और आजीविका "बाजार लाये बौछार" जैसे कार्यक्रम किसानों को बाजार जानकारी, सतत कृषि प्रथाओं और सरकारी योजनाओं से जोड़ने का काम कर रहा है। इससे छोटे किसानों की आय बढ़ी है। 2014 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा इस श्रृंखला को नेशनल अवार्ड मिल चुका है।

पर्यावरण और जैव विविधता

हिमालयी पर्यावरण, जल-जंगल-जमीन संरक्षण, वन्यजीव जागरूकता पर कई कार्यक्रमों के प्रसारण से पर्यावरण और जैव विविधता जैसे विषयों की जानकारी श्रोताओं को मिली है। इस पर बेहतरीन कार्य के लिए इस रेडियो केंद्र को 2018 में वाइल्डलाइफ बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन अवार्ड भी मिल चुका है।

स्वास्थ्य, शिक्षा, युवा और महिला सशक्तिकरण

'महकता आँचल' जैसे कार्यक्रम ने न केवल महिलाओं में स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा की, बल्कि उन्हें स्वास्थ्य के मुद्दों पर बात करने के लिए प्रोत्साहित भी किया। कार्यक्रम से जुड़ने के बाद किशोरियां और महिलाएं अपने परिवार के सदस्यों के साथ उन मुद्दों पर भी चर्चा करने लगी जिन पर पहले बात करने से भी हिचकिचाती थी। यौन संबंधी रोग, जनन और मासिक धर्म जैसी स्वास्थ्य समस्याओं पर कुमाऊँ वाणी के मंच पर महिलाओं द्वारा स्वतंत्र रूप से चर्चा की जाने लगी। बच्चों के लिए "अजब खेल गजब गणित", जीवन कौशल सरीखे कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ी है।

सांस्कृतिक संरक्षण हिंदी के साथ ही कुमाऊंनी भाषा में प्रसारण होने से पहाड़ के लोक गीत, कहानियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम इस स्टेशन के माध्यम से पूरे प्रदेश में सुने जा रहे हैं। कुमाऊंनी बोली और परंपराओं के संरक्षण और संवर्धन में यह रेडियो केंद्र अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

समुदाय संवाद

फोन-इन, फील्ड रिपोर्ट,लाइव, विशेष साक्षात्कार और अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक मुद्दों पर चर्चा से श्रोताओं की सक्रिय भागीदारी इसके कार्यक्रमों में बढ़ी है। समय-समय पर श्रोताओं के फीडबैक से यहाँ कार्यक्रम बनते हैं जिससे कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार आया है।

सूचना और जागरूकता

यह कृषि तकनीकों, सरकारी योजनाओं, स्वास्थ्य एवं पोषण,जल-स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण पर जानकारी प्रदान करता है। इससे किसान बेहतर निर्णय ले पाते हैं और उत्पादकता बढ़ती है।

स्थानीय लोगों, विशेषकर महिलाओं, युवाओं और हाशिए पर रहने वाले समुदायों की आवाज को मंच प्रदान करता है। यह लोकतांत्रिक संवाद को बढ़ावा देता है और पंचायतों एवं प्रशासन के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करता है।

यह स्थानीय भाषा,लोककथाओं, संगीत और परंपराओं को जीवित रखता है। बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम शिक्षा को रोचक बनाते हैं। बाजार जानकारी, आजीविका विकल्प और कौशल विकास से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन, बाढ़ आदि में समय पर सूचना प्रदान कर रेडियो केंद्र जान-माल की रक्षा करता है। इन सबके बीच सीमित संसाधन, बुनियादी ढांचा और वित्तीय स्थिरता चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं।

निष्कर्ष और सुझाव

आज भी भारत गाँव में बसता है और भारतीय ग्रामीणों की प्रसारण आवश्कताओं की पूर्ति बड़े प्रसारक नहीं कर सकते। मीडिया का निजीकरण और पूर्णतः स्वतंत्र मीडिया आम भारतीय के लिए मायने नहीं रखता। जिस देश में बहुत कम दूरियों पर लोगों की जरूरतें, भाषा और संस्कृति बदल जाती हो वहाँ यह संभव भी नहीं है।

सामुदायिक रेडियो, सामुदायिक कल्याण, पर्यावरण जागरूकता, विविधता में एकता ओर समग्र विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है। यही नहीं कुछ और स्वतंत्रता मिलने पर यह छोटे-छोटे केन्द्र प्रजातंत्र को उसका सही अर्थ प्रदान कर सकते हैं। सामुदायिक रेडियो, विशेष रूप से कुमाऊं वाणी, ग्रामीण विकास का एक प्रभावी मॉडल है। यह न केवल सूचना पहुंचाता है बल्कि समुदाय को सशक्त बनाकर स्वयं विकास की प्रक्रिया में भागीदार बनाता है।

सामुदायिक रेडियो की प्रसारण सामग्री बेहद स्थानीयकृत है। अब इस बात पर बहस करने का समय आ गया है कि क्या विनियामक प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत करने की आवश्यकता है और राज्यों को लोगों के साथ संचार के इस महत्वपूर्ण माध्यम को और लोकप्रिय बनाने के लिए सशक्त बनाया जाना चाहिए। पर्याप्त नियंत्रण और संतुलन के साथ एक केंद्रीय नियामक प्राधिकरण के माध्यम से एक उपयुक्त तंत्र विकसित किया जा सकता है। संचार के एक विकसित माध्यम के रूप में, सामुदायिक रेडियो में विकास विशेषज्ञों के रूप में जमीनी स्तर पर संचार का सबसे अच्छा माध्यम बनने की क्षमता है।

सामुदायिक रेडियो प्रासंगिक स्थानीय जानकारी प्राप्त करने में उपयोगी हो सकता है जिसका उपयोग कौशल विकास, क्षमता निर्माण और अंततः रोजगार सृजन को बढ़ाने में किया जा सकता है। कई देशों के विपरीत केंद्र सरकार संचार चैनलों को नियंत्रित करती है और सामुदायिक रेडियो सेवाओं को शुरू करने के लिए वर्तमान लाइसेंस तंत्र लंबा है जिसके लिए कई मंत्रालयों से अनुमोदन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, समाचार और समसामयिक मामलों के प्रसारण पर कुछ प्रतिबंध हैं।

पहाड़ी क्षेत्रों में जहां भौगोलिक चुनौतियां अधिक हैं, यह कुमाऊं वाणी सामुदायिक रेडियो स्टेशन सतत विकास, सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक समरसता का प्रतीक बन गया है। भारत सरकार को ऐसे स्टेशनों को और प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि ग्रामीण भारत का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके।

सन्दर्भ

1. Community Radio in India R- Shreedher Pooja O- Murada Aakar Books
2. Community Radio for Rural Development Arpita Sharma LAP Lambert Academic Publishing-
3. https://dr&mahesh&parimal-blogspot-com/2008/12/blog&post_18-html
4. https://www-pravakta-comthe&role&of&community&radio&has&increased&in&the&development&of&the&village
5. https://krishikumbh-com/public/temp/228/2ac22297c908c76fa08802ee8d305151-pdf
6. TERI Official Website & Brochure on Kumaon Vani-
7. Kafal Tree Article on Kumaon Vani 2020

8. राजेश कुमार, सामुदायिक रेडियो सरकार और बाजार के बीच फंसी गरीबों की आवाज, न्यूज पोर्टल, http://www-allrights-co-in/samudayik&radio&aur&sarkar
9. सरोज कुमार, कम्युनिटी रेडियो आवाज से बदलती जिंदगी, न्यूज पोर्टल http://aajtak-intoday-in/story/changing&the&local&world&through&community&radios&1&824884-html
10. चैपालखबर,न्यूज Rakesh Dhoundiyal, सामुदायिक रेडियो एक नए युग की शुरुआत http://samvadsamay-blogspot-in/2008/08/blog&post_23-html
11. रवींद्र कुमार, सामुदायिक रेडियो की वापसी, न्यूज पोर्टल, http://www-chauthiduniya-com/2010/09/samudayik&redio&aakhir&kiske&liye-html#sthash-h0ÛQL8Z3-dpuf
12. http://hindi-televisionpost-com/printradio/will&a&thousand&community&radio&stations&bloom&in&india/ | Hindi TelevisionPost
13. मुकुल श्रीवास्तव, रेडियो का खुलासा ब्लॉग, http://mukulmedia-blogspot-in/2013_02_01_archive-htmlVqZoLPl97IX
14. डुनावे, पीएच.डी., डेविड(2002)। जनकोस्की, निकोलस डब्ल्यूय च्तमीद, ओले। एड्स।, 21 वीं सदी की शुरुआत में सामुदायिक रेडियो व्यवसायीकरण बनाम समुदाय पावर (पीडीएफ)। सूचना युग में सामुदायिक मीडिया परिप्रेक्ष्य और संभावनाएँ, (हैम्पटन प्रेस)
15. http://www-javnost&thepublic-org/media/datoteke/1998&2&dunaway-pdf
16. Various studies on Community Radio in Rural Development UNESCO MIB reports ResearchGate publications
17. The Energy and Resources Institute TERI½- 2017 updated- Kumaon Vani Community Radio & 90-4 MHz- TERI Official Project Page-
18. https://www-teriin-org/project/kumaon&vani&community&radio&904&mhz
19. The Energy and Resources Institute TERI2014 March - Kumaon Vani wins I&B award for sustainable agriculture through community radio- TERI Press Release-
20. https://teriin-org/indeÛ-php/press&release kumaon&vani&wins&ib&award&sustainable &agriculture &through&community&radio “बाजार लाए बौछार” कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मोहन सिंह कार्की की हर्षवर्धन से बातचीत, 25 जनवरी 2026
21. The Energy and Resources Institute TERI- Kumaon Vani Community Radio Brochure-
22. https://teriin-org/sites/default/files/2025&10/Brochure%20Kumaon%20Vani%20Community%20Radio-pdf
23. Ministry of Information and Broadcasting PIB- 2014- National Community Radio Awards 2014 presented-2013 Manthan Award
24. 2018 Wildlife Biology and Conservation Award by Nainital Forest Division for snake awareness and conservation programs
25. Manthan Award South Asia- 2013- e&Community Broadcasting Winner: Kumaon Vani-
26. https://manthanaward-org/e&community&broadcasting&winner&2013/

27. Kafal Tree / Go Pahad- 2020&2025- Kumauni Community Radio – Mukteshwar-
28. BackhausBridget various studies- Community Radio and Rural Development-
29. ResearchGate / Academic Papers- 2023&2024- Role of Community Radio in Rural Development-
30. https://www-researchgate-net/publication/379370128_ROLE_OF_COMMUNITY_RADIO_IN_RURAL_DEVELOPMENT
31. Radio World- 2024May 3- Radio Helps Bridge the Information Gap in Rural India-
32. https://www-radioworld-com/columns&and&views/guest&commentaries/radio&helps&bridge&the&information&gap&in&rural&india
33. Ministry of Information & Broadcasting MIB Government of India- Study on Listenership Reach and Effectiveness of Community Radio Stations in India-UNESCO- Community Radio Case Studies-BasuroyT-march 2024 -Community radio stations in India 2011&2021-https://www-statista-com/statistics/627747/india&community&radio&stations/ii- Sharma K-M 2023- Evolution of Community Radio: A Theoretical Purview-journal of emerging technologies and innovative research- vol 10 isssue 3 ISSN 2349&5162-
34. Yalala] N- 2015- The role of community radio in empowering women in India- JMass Communicat Journalism52452

जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य की भूमिका

अर्चना कुमारी
शोधार्थी, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर

भारतीय संस्कृति प्राचीन काल से ही ज्ञान, नीति और आदर्शों की वाहक रही है। हमारे साहित्य में ऐसे अनेक पात्र मिलते हैं जिन्होंने समाज को दिशा देने का कार्य किया। साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं होता,बल्कि वह समाज के विचारों आदर्शों और मूल्यों को भी अभिव्यक्त करता हैं। साहित्यकार जब इतिहास से प्रेरणा लेकर रचनाएं करता हैं, तब उसमें संस्कृति और समाज का जीवंत चित्र दिखाई देता है। 'चंद्रगुप्त' नाटक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं भारतीय संस्कृति पर लिखा गया नाटक है। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन चरित्र से जुड़ें विभिन्न प्रसंगों और आचार्य चाणक्य के कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में उभारने में पूरी तरह से सक्षम है यह नाटक जयशंकर प्रसाद के दर्शन, मनोविज्ञान, संगीत, सौंदर्यबोध और आदर्शवाद को मूर्त रुप देने का प्रयास करता है। जयशंकर प्रसाद ने 'चंद्रगुप्त'नाटक में अपने समय की सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक चेतना का प्रतिबिम्ब दिखलाया है। इस नाटक में हमें आधोपांत चाणक्य और सहपात्रों की भावुकता एवं दार्शनिक प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं। चाणक्य का तर्क तर्कनिष्ठ एवं कूटनीति उसके व्यक्तित्व एवं चरित्र का अभिहिन्न अंग है। राज्य की राजनीतिक चेतना एवं बाह्य आक्रमण कारियों के विरुद्ध नीतियों चाणक्य के कथनों एवं वचनों में उद्धृत होती हैं। यद्यपि अर्थशास्त्र में चाणक्य की मूल-नीतियों निहित हैं लेकिन अर्थ के साथ-साथ राजनीतिक पहलूओं को भी अर्थशास्त्र में देखा जा सकता है। मेरे शोध-पत्र में चाणक्य का साहित्यिक कृति को विश्लेषण करते हुए उनकी अर्थनीतियों को भी केंद्र में रखने का प्रयास किया गया है। साहित्य और इतिहास, संस्कृति की संवाहिका के रुप में जाना जाता है। इतिहास को तथ्यों,साक्ष्यों पर आधारित होते हैं और उन साक्ष्यों को आधार बनाकर साहित्यकार साहित्यिक स्तर पर प्रस्तुत करता है। यह प्रश्न विचारणीय है कि इतिहास में साहित्य का योगदान अथवा साहित्य में इतिहास के योगदान पर पुनः विचार करें तो इतिहास में साक्ष्यों को लेकर यथार्थ प्रस्तुत करने का माध्यम बनता हैं।

साहित्य में साहित्यकार व्यक्तिगत इतिहास दृष्टि को तत्कालीन सामाजिक, सांस्कृतिक आर्थिक एवं राजनीतिक का आधार बनाकर साहित्य में समाहित करने का प्रयास करते हैं। साहित्य जहां एक ओर इतिहास का सहारा लेता है वहीं दार्शनिक पक्ष को भी मिलाकर पाठक के लिए सुगम मार्गों का निर्माण करता है।साहित्य में, जब इतिहास का प्रवेश होता है तो वह इतिहास के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और वैज्ञानिक कारणों को भी दर्शाने का प्रयास करता है। साहित्य में दर्शन जितना उपस्थित होते हैं, साहित्यकार अपने दृष्टि के आधार पर उसे संतुलित करने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में जयशंकर प्रसाद कृत नाटक 'चंद्रगुप्त' में जहां तत्कालीन इतिहास को साहित्यिक स्तर पर लाने का प्रयास किया गया है, वहीं चाणक्य जैसे पात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि का निर्माण किया है। अपने शोध-पत्र में चाणक्य के महत्व को दर्शाने के लिए अर्थशास्त्र एवं राजनीतिक पर पड़ने वाले विचारों एवं प्रभावों को केंद्र में रखने का प्रयास किया हैं। 'चंद्रगुप्त' नाटक जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध नाटकों में से एक है। नाटक जयशंकर प्रसाद के पूर्व नाटक 'कल्याणी परिणय' (1) का विस्तार है। चंद्रगुप्त नाटक का आधार भारतीय इतिहास का मौर्य वंश,(2) पिप्पली कानन के मौर्य,(3) चंद्रगुप्त का बाल्य-जीवन,(4) सिकंदर और चंद्रगुप्त पंजाब में,(5)मगध में चंद्रगुप्त, (6)विजय,(7) चंद्रगुप्त का शासन, (8) चंद्रगुप्त के समय का भारतवर्ष,(9) चाणक्य(10) के संबंध में विस्तार से बताया गया है और इन सबके संबंध में ऐतिहासिक प्रमाण भी दिए

गए है। ऐतिहासिक का आधार लेते हुए भी इस नाटक में जयशंकर प्रसाद ने कई काल्पनिक घटनाओं और चरित्रों की भी सृष्टि की है। यह नाटक मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन और उसके साम्राज्य स्थापना की कथा पर आधारित है, जिसमें ऐतिहासिक तथ्यों को आधार बनाकर साहित्यकार ने अपनी कल्पना से उसे अधिक प्रभावशाली और जीवंत बनाया है। इतिहास की दृष्टि से चंद्रगुप्त मौर्य का उदय, नंद वंश का पतन तथा मौर्य साम्राज्य की स्थापना एक महत्वपूर्ण घटना रही है। नाटक में चाणक्य का व्यक्तित्व भी ऐतिहासिक रुप से सत्य माना जाता है। चाणक्य की कूटनीति, दूरदर्शिता और राष्ट्र के प्रति समर्पण को प्रसाद ने अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। नंद शासक की अत्याचारी छवि और उसके पतन का चित्रण भी ऐतिहासिक तथ्यों से मेल खाता है। इसमें ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन ही इस नाटक की विशेषता नहीं है, बल्कि कल्पना का भी महत्वपूर्ण स्थान है। प्रसाद ने कई प्रसंगों,में पात्रों के बीच संवादों में जो भावनात्मक गहराई दिखाई देती है, वह इतिहास में सीधे-सीधे नहीं मिलती है बल्कि लेखक की कल्पना का परिणाम है। इसी प्रकार प्रेम-प्रसंग,आंतरिक संघर्ष और मनोवैज्ञानिक चित्रण भी कल्पना के माध्यम से ही सशक्त बनें है।

जयशंकर प्रसाद ने जिस समय 'चंद्रगुप्त' नाटक की रचना 1931 की उस समय हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था और देश में स्वतन्त्रता आन्दोलन चल रहा था। 'चंद्रगुप्त' नाटक में दिखाया गया है कि उस समय मगध में आततायी नंद वंश का शासन था। एक अयोग्य शासक द्वारा राष्ट्रीयता को हानि पहुंचती है। भारतीय नाट्य साहित्य में सत्ता और समाज का संबंध केवल शासन तक सीमित नहीं, बल्कि नैतिकता, उत्तरदायित्व और राष्ट्रीयता को हानि पहुंचती है। भारतीय नाट्य साहित्य में सत्ता और समाज का संबंध केवल शासन तक सीमित नहीं, बल्कि नैतिकता, उत्तरदायित्व और राष्ट्रीय चेतना से गहराई से जुड़ा हुआ है। जब शासक अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाता है, तब चाणक्य ने परिवेश में आकर समझाने का प्रयास किया है। चाणक्य का प्रभाव केवल शासन तक नहीं रहता,बल्कि पूरे राष्ट्र की आत्मा को प्रभावित करता है।'चंद्रगुप्त' नाटक में चाणक्य ऐसा ही एक पात्र हैं, जो राष्ट्र को सर्वोपरि, मानकर शासन की समीक्षा करता है। वहीं भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित 1881 के 'अंधेर नगरी' में राजा की मूर्खता के माध्यम से यह दिखाया गया है कि अयोग्य शासन किस प्रकार राष्ट्र हानि का कारण बनता है। चाणक्य के माध्यम से इस नाटक में यह दिखाया गया है कि अयोग्य शासक राष्ट्र के लिए खतरा बन सकता है। उसकी आशंका केवल कल्पना नहीं, बल्कि एक वास्तविक संभावना है। 'अंधेर नगरी'नाटक उसी संभावना का सजीव चित्रण है, जहां अयोग्य शासन के कारण पूरा समाज अराजकता में डूब जाता है। चाणक्य का चरित्र एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता, बल्कि वह एक विचार है एक ऐसी चेतना जो राष्ट्र को सर्वोपरि मानती है। चाणक्य के लिए राज्य केवल सत्ता का ढांचा नहीं, बल्कि एक जीवंत इकाई है, जिसका सर्वोच्च लक्ष्य और उन्नति है। जब वह नंद के शासन को देखता है, तो उसके भीतर एक गहरी चिंता उत्पन्न होती है। चाणक्य की दृष्टि में नंद, शासन के कर्तव्य को भूल चुका है, व्यक्तिगत विलासिता में डूबा हुआ है, प्रजा के हितों की उपेक्षा कर रहा है।चाणक्य की यही अनुभूति एक प्रकार की आंतरिक पीड़ा और विरोध को जन्म देती है। यह विरोध व्यक्तिगत नहीं,बल्कि राष्ट्रीय है। वहीं दूसरी तरफ 1881 के दशक में जाते हैं तो भारतेंदु की 'अंधेर नगरी' के शासन में दिखाई देती है। यहां का राजा विवेकहीन है, निर्णय लेने में अक्षम है, न्याय की समझ से रहित है।राजा के बारे में पर एक कथन कहा गया है - "अंधेर नगरी चैपट राजा टके सेर भाजी टके सेर खाजा।" (11) यह नीति दर्शाती है कि शासन में कोई संतुलन या दूरदर्शिता नहीं है। भारतेंदु और जयशंकर प्रसाद जिस स्थिति से डरते हैं वह नाटक में आकर पूरी तरह साकार हो जाती है। जयशंकर प्रसाद के संपूर्ण नाटक में सबसे विस्तृत, प्रौढ़ नाटय कृति 'चंद्रगुप्त' है। नाटक में कुल चार अंक और 44 दृश्य है। प्रथम अंक में 11 दृश्य है, दूसरे अंक में 10 दृश्य, तीसरे अंक में 9 दृश्य और चैथे अंक में 14 दृश्य है। इनमें गीतों की संख्या 13 है। चाणक्य नाटक के प्रधान अभिभावक के रूप में शामिल नजर आते हैं। इस नाटक में एक कुटिल राजनीति के रूप में चाणक्य का चरित्र बहुत ही प्रसिद्ध है।"इनके बहुत-से नाम मिलते हैं। विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य, वात्स्यायन, द्रमिल इत्यादि उनके प्रसिद्ध नाम है।"(12) चाणक्य

का राजनीति की पहली पहचान यह है कि उसे मनुष्यों और परिस्थितियों की खरी परख होनी चाहिए। 'चंद्रगुप्त' को देखते ही उसने पहचान लिया था कि वह राजा होने के योग है। वह देश की परिस्थिति को समझ कर इस निर्णय पर पहुंचता है, कि विदेशियों को निकलना होगा, चंद्रगुप्त को सम्राट बनना होगा एवं परिस्थितियों नंदकुल का भी समापन करना होगा। चाणक्य ही चंद्रगुप्त की उन्नति के मूल हैं। कामन्दकीय नीतिसार में लिखा हुआ है

"यस्याभिचारवज्रेण वज्रज्वलनतेजसरू।
प्रपात मूलतः श्रीमान्सुपर्वानन्दपर्वतरू।।
एकाकी मंत्रशक्त्या यरू शक्तरू शक्तिधरोपम्रू।
आजहार नृचंद्राय चंद्रगुप्ताय मेदिनीम्।।
नीतिशास्त्रामृंत द्यीमानर्थशास्त्रमहोदधेरू।

यह उद्दधे नमस्तस्यै विष्णुगुप्ताय वैसे।।"(13) 'चंद्रगुप्त' नाटक में जयशंकर प्रसाद की सबसे बड़ी देन'चाणक्य' है जो'चणक' के पुत्र हैं। इस नाटक में चाणक्य का चरित्र महान प्रभावशाली बन गया है। लेखककार ने उसे प्रतिष्ठित सम्राट का प्रतिद्वंदी बना दिया है। इस नाटक की समूची कथा 'चाणक्य' पर आश्रित है। प्रारंभ भी 'चाणक्य' कथन से होता है, जब नाटक समाप्ति की ओर अग्रसर है तो 'चाणक्य' कथन से ही समाप्ति होती है। सभी घटनाएं उनके चारों ओर चक्कर काटती है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नाटक की धाराएं उसी के द्वारा नियंत्रित है, वही घटनाओं की योजना का कर्ता-धर्ता है, वही उनका परिचालन करता है। इस नाटक में चाणक्य के बारे में सोचा जाए तो वहीं हमें नाटक का नायक लगता है।

'चंद्रगुप्त' नाटक में चाणक्य का महत्व

'चंद्रगुप्त' नाटक में चाणक्य एक महत्वपूर्ण पुरुष पात्र है, जो मौर्य साम्राज्य के निर्माता के रुप में सामने आते हैं। कभी -कभी तो वह चंद्रगुप्त की अपेक्षा भी अधिक महत्वपूर्ण पात्र दिखाई देता है। चाणक्य का चरित्र घटनाओं और स्थितियों के साथ निरंतर विकसित होता चला जाता है और अंत में प्रखरता प्राप्त कर लेता है। यदि चाणक्य का महत्व देखा जाए तो पूरा नाटक में स्वाभिमानी ब्राह्मण, दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति, सहयोग राजनीतिक विचार, कठोर एवं क्रूर व्यक्ति, महान उद्देश्य से संबंध क्षमाशील,अंतर्द्वंदग्रस्त, ब्राह्मणत्व का सच्चा व्याख्याकार के रूप में अपने को प्रकाशमान करते नजर आते हैं। स्वाभिमानी व्यक्ति वाला ब्राह्मण चाणक्य शुरू से ही निर्भीक और स्पष्ट बोलने वाला है। तक्षशिला में रहकर भी तक्षशिलाधीश आम्भीक को चाणक्य स्पष्ट शब्दों में कह देता है- "राजकुमार ब्राह्मण न किसी के राज्य में रहता है और न किसी के अन्न से पलता हैय स्वराज में विचरता है और अमृत पीकर जीता है यह तुम्हारा मिथ्या गर्व है। ब्राह्मण सब-कुछ सामर्थ्य रखने पर भी, स्वेच्छा से इन माया-स्तूपों को ठुकरा देता है, प्रकृति के कल्याण के लिए अपने ज्ञान का दान देता है।(14) प्रचंड मगध नरेश नंद की भरी सभा में वह भय रहित होकर घोषणा करता है कि "समय आ गया है कि शूद्र राजसिंहासन से हटाए जाएं और सच्चे क्षत्रिय मूधाभिषिक्त हो"(15) नंद वंश के विनाश की प्रतिज्ञा उसके निर्भीकता का ही परिचय देती है। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कभी-कभी वह अत्यधिक कठोर एवं क्रूर दिखाई देता है। वह क्रूर हृदयहीनता का परिचय देता है। इस संदर्भ में कल्याणी का एक प्रसंग दिया जा सकता है। वह पर्वतेश्वर का वध करती है और चंद्रगुप्त की उपस्थिति में अपनी छाती में भी छुरी भोंक लेती है। इस अवसर पर चाणक्य प्रवेश करके कहता है- "चंद्रगुप्त आज तुम निष्कंटक हुए।'(16) जब चंद्रगुप्त उसकी क्रूरता पर खेद व्यक्त करता है तो चाणक्य उसे स्पष्ट आदेश देता है-'महत्वाकांक्षा की मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। चलो अपना काम करो, विवाद करना तुम्हारा काम नहीं।'(17) मालविका जैसी स्वर्गीय कुसुम को भी वह अपनी हृदयहीनता के कारण बलिदान कर देता है। चाणक्य स्वयं अविश्वास, कूट-चक्र, छलानों

का कंकाल, कठोरता का केंद्र है लेकिन उल्लेखनीय बात यह है कि चाणक्य की यह क्रूरता और कठोरता न तो अपने लिए है न ही किसी को दुख देने के लिए है। वह राष्ट्र-कल्याण के लिए और अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए ही क्रूरता को अपनाता है। किसी की परवाह किए बिना वह कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता चला जाता है। इसलिए तो उसने प्रतिज्ञा की थी कि -"दया किसी से न मांगूंगा और अधिकार तथा अवसर मिलने पर किसी पर दया न करूंगा।"(18) अपनी इस प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए, वह छोटी-मोटी बातों की परवाह नहीं करता। उसके सामने विराट और महान आदर्श हैं, जिसकी पूर्ति के लिए वह निरंतर कर्मशील बना रहता है। चाणक्य के इन संवेदनाओं से दर्शक और पाठक दोनों प्रभावित होते हैं। वह देश की दुर्दशा को देखकर क्षुब्ध रहता है, परंतु जब वह पाटलिपुत्र पहुंचकर अपनी झोपड़ी के स्तंभ को देखता है तो चकित रह जाता है। उसके मानस-पटल पर उसके बचपन की यादें उभर आती है। उसे याद आता है-"यह एक लकड़ी का स्तंभ है,अभी उसी पर झोपड़ी खड़ी है, इसके साथ मेरे बाल्यकाल की सहस्रों भांवरियां लिपटी हुई है, जिनपर मेरी धवल मधुर हंसी का आवरण चढ़ा रहता था!शैशव की स्निग्ध स्मृति!विलीन हो जा!" (19) जब वह मगध के नागरिकों को ऐसे घरों में रहते हुए देखता है जो कि खोह से भी अधिक भयानक हैं तो उसका कोमल हृदय क्षुब्ध हो उठता है।

चाणक्य की राजनीतिक एवं अर्थनीति 'चंद्रगुप्त' नाटक हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण कृति है, जिसमें इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। इस नाटक में केवल ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण नहीं, बल्कि उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों और अर्थनीति को भी गहनता से दिखाया गया है। नाटक का प्रमुख राजनीतिक केंद्र सत्ता परिवर्तन और राष्ट्रीय निर्माण है। नंद वंश का शासन अत्याचारी और जनविरोधी दिखाया गया है, जिससे जनता असंतुष्ट है। इस परिस्थिति में चाणक्य एक दूरदर्शी, राजनीतिज्ञ के रूप में उभरते हैं। चाणक्य किसी सत्ता के अधीन रहने वाले नहीं,बल्कि सत्ता को दिशा देने वाले मनीषी हैं। चाणक्य का महत्वपूर्ण पक्ष उनका यथार्थवादी राजनीतिक दृष्टिकोण है। वह मानते हैं कि केवल आदर्शों से राज्य संचालन संभव नहीं होता, बल्कि समयानुकूल नीति, बुद्धि और राजनीति की भी आवश्यकता होती है। इसी कारण वे परिस्थितियों के अनुसार कूटनीति साहस और योजना का प्रयोग करते हैं। चाणक्य का कथन है-"राजनीति में समय ही सबसे बड़ी शक्ति हैय जो उसे पहचान लेता है वही विजय प्राप्त करता है।"(20) चाणक्य व्यावहारिक बुद्धि और राजनीतिक दूरदर्शिता को स्पष्ट करता है। नाटक में नंद के दरबार में चाणक्य का अपमान किया जाता है। यह घटना उसके जीवन का निर्णायक मोड़ बन जाती है।वेआत्मसम्मान के लिए लेकर संकल्प कहते हैं कि-"खींच ले ब्राह्मण के शिखा! शूद्र के अन्न से पले हुए कुत्ते! खींच ले! परंतु यह शिखा नंदकुल की काल सर्पिणी है, वह तब तक न बंधन में होगी,जब तक नंदकुल निरूशेष ना रहेगा।"(21) चाणक्य को गुरु-वैष्णव रूप में भी देखा गया है। वे स्वयं ब्राह्मण-गुरु के रीति रिवाज में पले-पढ़े हैं तथा तक्षशिला विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं। संवादों में उनका व्यवहार मार्गदर्शन की भांति है। चाणक्य धीरे-धीरे चंद्रगुप्त को राह दिखाते हैं। वे स्वयं आर्थिक-राजनीतिक ज्ञान के ज्ञाता है और चंद्रगुप्त को भविष्य की रणनीति सीखते हैं। चाणक्य बातचीत में "तुम्हारी प्रतिज्ञा अचल हो। परंतु इसके लिए पहले तुम मगध जाकर साधन संपन्न बनो। यहां समय बिताने का प्रयोजन नहीं। मैं भी पंचनद-नरेश से मिलता हुआ मगध आऊंगा और सिंहरण, तुम भी सावधान!(22) इस नाटक के अनुसार चाणक्य बिना किसी पूर्व संकेत के ही एक दूरदर्शी, कूटनीति में निपुण, तीव्र बुद्धि वाले और अडिग स्वभाव के व्यक्तित्व के रूप में उभरकर सामने आते हैं। "चाणक्य वैदधर्मावलंबी, कूटनीतिज्ञ, प्रखर प्रतिभावान और हठी थे। उनकी नीति अनोखी होती थी और उनमें अलौकिक क्षमता थी। नीतिशास्त्र के आचार्यों में उनकी गणना है।"(23) इस नाटक के अंतिम में युद्ध दिखाया गया है। युद्ध का समय निकट भविष्य में भयानक युद्ध होने वाला है। चंद्रगुप्त और चाणक्य झेलम तट पर सिंहरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सिंहरण वहां आने पर आचार्य चाणक्य से कहता है । अब हमें विलंब नहीं करना चाहिए और अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो जाना चाहिए,क्योंकि "विपत्तियों के बादल

मंडरा रहे हैं।"(24) तब चाणक्य का कथन है-"पौधे अंधकार में बढ़ते हैं, और मेरी नीति-लता भी उसी भांति विपत्ति तम में लहलही होगी। हां, केवल शौर्य से काम नहीं चलेगा। एक बात समझ लो, चाणक्य सिद्धि देखा है, साधन चाहे कैसे ही हों। बोलो- तुम लोग प्रस्तुत हो?।"(25) द्वितीय दृश्य में रावी-तट पर उत्सव शिविर का है। पर्वतेश्वर अकेले टहलते हुए अलका द्वारा किए गए अपमान पर खीझता है और आत्महत्या करने का प्रयास करता है। उसी समय चाणक्य उसे रोकता है। आचार्य चाणक्य पर्वतेश्वर को अपनी शक्ति और सामर्थ्य का ज्ञान कराते हैं तथा फिर उससे सहानुभूति के शब्दों में समझाते हैं-"मनुष्य अपनी दुर्बलता से भली-भांति परिचित रहता है। परंतु उसे अपने बल से भी अवगत होना चाहिए, असंभव कहकर किसी काम को करने से पहले कर्मक्षेत्र में कांपकर लड़खड़ाओं मत पौरव! तुम क्या-हो विचार कर देखो! तो! सिकंदर ने जो क्षत्रप नियुक्त किया है, जिन संधियों को वह प्रगतिशील रखना चाहता है, वे सब क्या है? अपनी लूट-पाट को वह साम्राज्य के रूप में देखना चाहता है। चाणक्य जीते-जी यह नहीं होने देगा! तुम राज्य क्यों।"(26) इस कथन में चाणक्य की दृढ़ता का भाव निहित है। चाणक्य द्वारा जयशंकर प्रसाद ने अपना जीवन दर्शन अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। इस नाटक के तृतीय अंक में षष्ठम् दृश्य में 'कुसुमपुर का प्रांत भाग चाणक्य मालविका और अलका' दृश्य में चाणक्य का चरित्र अत्यंत गंभीर, गहनता, दूरदर्शी और दार्शनिक चिंतन से युक्त दिखाई देता है। उनके कथनों में केवल राजनीति की चतुराई ही नहीं, बल्कि जीवन के गहरे। अनुभव और मानवीय सत्य भी निहित है जो चाणक्य के व्यापक दृष्टिकोण को भी प्रकट करता है। वह केवल तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों को ही नहीं देखते, बल्कि मनुष्य को भी समझते हैं। उनके विचारों में यह स्पष्ट मिलता है कि सफल जीवन के लिए समय की पहचान, विवेकपूर्ण निर्णय और आंतरिक शक्ति अत्यंत आवश्यक है। चाणक्य कहते हैं कि-"समझदारी आने पर यौवन चला जाता है जब तक माला गूंथी जाती है, तब तक फूल कुम्हला जाते हैं, जिससे मिलने के सांभर की इतनी धूम-धाम, सजावट, बनावट होती है, उसके आने तक मनुष्य-हृदय को सुंदर और उपयुक्त नहीं बनाई जा सकता।"(27) चाणक्य स्थिति को एक सुंदर उपमा के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। वह कहते हैं कि जब तक हम किसी उद्देश्य के लिए तैयारी करते हैं, तब तक कभी-कभी अवसर समाप्त हो जाता है। यह उपमा जीवन के उस सत्य को प्रकट करती है कि अवसर और समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। यदि मनुष्य समय रहते अपनी शक्ति और विवेक पर समन्वय नहीं कर पाता, तो उसके प्रयास निष्फल हो सकते हैं। अंततः चाणक्य की भूमिका एक ऐसे मार्गदर्शक की है जो योग्य नेतृत्व को आगे लाकर देश को सशक्त बनाना चाहता है। उनकी अर्थनीति राज्य की समृद्धि की आधारशिला है और उसकी राजनीतिक दृष्टि राष्ट्र की सुरक्षा तथा संगठन का साधन बनती है। इस प्रकार चाणक्य का चरित्र हमें यह संदेश देता है कि दूरदर्शी नीति, मजबूत अर्थव्यवस्था और दृढ़ राजनीतिक संकल्प के द्वारा ही किसी राष्ट्र का उज्जवल भविष्य निर्मित किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. जयशंकर प्रसाद, चंद्रगुप्त, लोकभारती प्रकाशन 2023, पृ संख्या 7
2. वहीं०,पृ संख्या 9
3. वहीं, पृ संख्या 14
4. वहीं,पृ संख्या 18
5. वही०,पृ संख्या 22
6. वही,पृ संख्या 25
7. वहीं,पृ संख्या 27

8. वहीं, पृ संख्या 30
9. वहीं,पृ संख्या 34
10. वही,पृ संख्या 35
11. भारतेंदु हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी, लोक भारती प्रकाशन 2024पृ संख्या 51
12. जयशंकर प्रसाद, चंद्रगुप्त, लोकभारती प्रकाशन 2023, पृष्ठ संख्या 35
13. वहीं,पृ संख्या 36
14. वहीं,पृ संख्या 42
15. वही,पृ संख्या 59
16. वही,पृ संख्या 138
17. वही, पृ संख्या 138
18. वही, पृ संख्या 63
19. वही, पृ संख्या 52
20. वहीं, पृ संख्या 52
21. वही,पृ संख्या 59
22. वही, पृ संख्या 44
23. वही,पृ संख्या 37
24. वही,पृ संख्या 84
25. वही,पृ संख्या 84
26. वहीं,पृ संख्या 112
27. वहीं,पृ संख्या 122
28. वहीं,पृ संख्या 122

जैन दर्शन में लेश्या विमर्श

प्रो.(डॉ) अजित कुमार जैन
एम.ए(संस्कृत,हिंदी,अंग्रेजी,अर्थशास्त्र) आचार्य (जैन दर्शन), एलएल.बी,पी-एच.डी. वरिष्ठ शिक्षाविद,
साहित्यकार एवम प्रख्यात दार्शनिक, आगरा

जैन दर्शन में लेश्या शब्द का प्रयोग प्रायः प्राप्य है। लेश्या का सामान्य अर्थ लेपन करना, लीप देना ,व्यावृत्त कर लेना, छा जाना , घेर लेना है। आप्टे महोदय ने लेश्या को प्रकाश,रौशनी अर्थ में विवेचित किया है।[1] किन्तु जैन सिद्धांत कोष में आचार्यों ने लेश्या का चित्रण आत्मा के सन्दर्भ में करते हुए लिप्त होना कहा है।[2] दर्शन के क्षेत्र में जो भाव आत्मा के प्रदेशों को परिपूर्ण रूप से व्यावृत कर लेते हैं, घेर लेते हैं ,या आत्मा के एक एक प्रदेश पर भावों का लेपन एक क्षेत्रावगाह होता है उसे लेश्या समझना चाहिए।[3] आचार्यों ने योग और मोह के मिश्रित भावों को लेश्या कहा है |

जैन दर्शन में लेश्या छह प्रकार की कही है। इनके नाम हैं-कृष्ण लेश्या ,नील लेश्या ,कापोत लेश्या ,पीत लेश्या ,पद्म लेश्या और शुक्ल लेश्या ।[4] इनमें पहली तीन अशुभ हैं और बाद की तीन शुभ हैं ।इनके जैसे नाम हैं वस्तुतः वैसे ही भावों से इनका सम्बन्ध है। लेश्या का विशेष विवेचन करते हुए उमा स्वामी महाराज ने कहा है ----

"आदितस्त्रिषु पीतान्त लेश्या : " [5]

अर्थात जो देव गति के जीव हैं उनमें प्रारम्भ से पीत तक यानी कि कृष्ण ,नील ,कापोत ,और पीत लेश्या ही पाई जाती हैं। लेकिन नवग्रेवयक के जीवों में पीत, पद्म, और शुक्ल लेश्या ही होती है।[6] और विस्तार करते हुए कहा है कि नारकी जीवों में नियम से अशुभ लेश्या ही होती है। कहा है कि –--

"" नारका नित्याशुभतर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया: " [7]

अर्थात प्रथम,द्वितीय,तृतीय आदि सप्त नरक पर्यन्त के जीवों में नीचे से कृष्ण ,नील ,कापोत लेश्या ही पाई जाती हैं।

तिर्यंच जीवों में गति अनुसार लेश्या पाई जाती हैं। मनुष्य गति के जीवों में सभी लेश्या विद्यमान हैं। जिनसेन स्वामी ने कहा है कि -----

नमस्तुभ्यमलेश्याय शुक्ल लेश्यांशक स्पृशे।
नमो भवयेतरावस्था व्यतीताय विमोक्षिणे ।। [8]

अर्थात अरिहन्त पद धारी को लगभग लेश्या रहित किन्तु शुक्ल लेश्या का स्पृशक कहा है किंतु सिद्ध गति के सभी जीव अलेश्यक ही होते हैं क्यों कि ये जीव अनन्त चतुष्टय सहित केवल ज्ञान शरीरी ही हैं|

इस प्रकार चारो गति के जीवों की अपेक्षा से लेश्या विवेचन किया गया है। अब छह लेश्याओं का स्वरूप निम्नवत प्रस्तुत किया जाता है --

(1) कृष्ण लेश्या : कृष्ण लेश्या का तात्पर्य अत्यंत घोर हिंसक द्वेष युक्त डरावने कष्ट दायक सतत भाव रखते हुए जो जीव अपना आचरण करते हैं उनको कृष्ण लेश्या वाला कहा है। हमेशा अपने परिणामों में अशुभ और आचरण भी

अत्यन्त घोर कष्ट दाई होता है ऐसे जीव कृष्ण लेश्या धारी कहे गए हैं।

(2) नील लेश्या : उपरि वर्णित कृष्ण लेश्या वाले जीवों से नील लेश्या धारी जीव कुछ अच्छे हैं। जैसे कि काला रंग घोर काला ही होता है जब कि नीला गहरा रंग यद्यपि दूर से देखने में काला जान पड़ता है किन्तु वह एकदम काला नहीं है, आचार्यों ने मेचक संज्ञा दी है। नील लेश्या वाले जीवों का आचरण और भाव भी अत्यन्त कष्टदायक और अशुभ ही होते हैं। इसलिए यह भी अशुभ लेश्या ही है।

(3) कापोत लेश्या : कापोत का अर्थ कबूतर से है। जैसे कबूतर हल्के भूरे वर्ण का होता है बैसे ही इस लेश्या के धारी जीव कृष्ण और नील लेश्या वाले जीवों की अपेक्षा काफी हद तक सुधरे हुए हैं अच्छे हैं किन्तु सामान्यतः इनके परिणाम और आचरण भी निन्दित ही हैं ,कष्टदायक हैं और हिंसा युक्त हैं। इसलिए यह कापोत लेश्या भी अशुभ ही कही गई है|

(4) पीत लेश्या : पीत लेश्या को शुभ लेश्या कहा गया है। इस लेश्या वाले जीव उपरि वर्णित तीनो लेश्याओं वाले जीवों की अपेक्षा अच्छे हैं। नारकी जीवों की पीत लेश्या नही होती है।देव ,तिर्यंच और मनुष्य गति के जीवों में पीत लेश्या पाई जाती है। इस लेश्या के जीव औरों की अपेक्षा अच्छा आचरण करते हैं , विचारों में उज्ज्वल होते हैं। घोर निन्दित आचरण नहीं करते हैं ,सर्वदा हिंसक आचरण नही करते हैं किन्तु कषायों के उद्रेक वशात पाप कर्म या अशुभ कर्म में भी रत पाए जाते हैं।

(5) पद्म लेश्या : पद्म का अर्थ कमल से है।जैसे " जल में भिन्न कमल "[(9)] होता है वैसे ही पद्म लेश्या वाले जीव संसार में रहते हुए भी संसार से विरक्त और अलग भिन्न भाव से रहते हैं। संसारी सभी कार्य करते हैं किंतु उसमें रचते पचते नही हैं।ऐसे जीव सभी कार्य करते हुए भी निरन्तर अपने आत्म कल्याण के लिए तत्पर रहते हैं। इन जीवों के भाव प्रायः ये रहते हैं कि मैं इन कार्यों को कर नहीं रहा हूँ वल्कि करने पड़ रहे हैं। ऐसे जीव परम् धार्मिक और सदा शुभ आचरण करने वाले होते हैं।

(6) शुक्ल लेश्या : शुक्ल का अर्थ सफ़ेद से है।इस लेश्या के जीव अत्यन्त उज्ज्वल परिणामों वाले होते हैं। अशुभ और शुभ दोनों ही अवस्थाओं से ऊपर शुद्ध प्रवृत्ति के धारक होते हैं। जैन दर्शन का स्पष्ट उदघोष है कि शुक्ल लेश्या धारी जीव ही मोक्ष मार्गी और मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ होता है। ऐसा जीव निरन्तर ज्ञान ध्यान में रहता हुआ आत्मोन्मुख प्रवृत्ति वाला होता है और यही प्रवृत्ति इसे मोक्ष दिलाने में सहायक होती है।

यहाँ यह स्पष्ट करना भी अत्यन्त समीचीन है कि जैन दर्शन में लेश्या और भाव समानार्थक नही हैं।योग और मोह मिश्रित परिणाम लेश्या हैं जब कि जीव भावों का स्वतंत्र कर्ता है। भावों के पांच प्रकार और अवान्तर भेद तिरेपन कहे हैं------

"औपशमिक क्षायिकौ भावौ मिश्रशच जीवस्य स्वतत्वमौदयिक पारिणामिको च।द्विनवअष्टादशएकविंशतित्रिभेदा यथाक्रमम।"[(10)]

जैन साहित्य में षट् लेश्या का चित्रण एक वृक्ष का उदाहरण देकर प्रस्तुत किया है। यह निम्नवत है -----

उपरिवर्णित चित्र में छह प्रकार की लेश्या वाले मनुष्यों को दिखाया है। इन सभी का उद्देश्य वृक्ष से फल पाना है।अपनी अपनी लेश्या अनुसार ये सभी अपना लक्ष्य सिद्ध करने को तत्पर हैं। इनमें जो हाथ में कुल्हाडी लेकर वृक्ष पर प्रहार कर पूरा पेड़ काट कर फल पाने का अभिलाषी है। ऐसा सर्व और समूल विनाश कारी भाव वाला जीव कृष्ण लेश्या धारी कहा है।

दूसरा मनुष्य है वह सोच रहा है कि पूरे पेड़ को काटना वेकार है एक डाल काट कर मैं फल प्राप्त कर लूंगा।यहां डाल

काटने का प्रयास करने वाले जीव के भाव पहले वाले की अपेक्षा से अच्छे हैं इसे नील लेश्या वाला जानना चाहिए।

तीसरा मनुष्य हाथ में डंडा ले कर पेड़ पर चढ़ा हुआ कच्चे पक्के फल पत्तों पर प्रहार करता हुआ सोचता है कि पेड़ या डाल काटने से कोई लाभ नहीं है।में डंडे से झूर कर फल पा लूंगा। यहां इसके भाव पहले दोनों से अच्छे हैं।इसे कापोत लेश्या वाला कहा है।

चौथा मनुष्य पेड़ पर चढा हुआ अपने हाथ से कच्चे पक्के फल तोड़ता हुआ सोचता है कि डंडे से झूरने की कोई जरूरत नहीं है मैं अपने हाथ से ही तोड़ कर फल पा लूँगा। इसे पीत लेश्या वाला जीव कहा है।

पाँचवाँ मनुष्य पेड़ /डाल पर पहुंच कर केवल पके फल तोड़ रहा है और सोचता है कि कच्चे फल तोड़ने से क्या प्रयोजन है मुझे पके फल चाहिए| मैं केवल पके फल तोड़ कर ही संतुष्ट हूँ| ऐसे विचार वाले जीव को पद्म लेश्या वाला कहा है।

छठवाँ मनुष्य अत्यंत संतोषी है वह पेड़ से स्वयं ज़मीन पर गिरे हुए पके फल एक एक कर वीन रहा है और बहुत ही खुश है कि विना पेड़ को कोई नुकसान पहुंचाए ही मेरा कार्य सिद्ध हो रहा है। यह अत्यन्त उज्ज्वल परिणाम वाला जीव है।इसे शुक्ल लेश्या वाला जानना चाहिए।

अंततः इस शोध आलेख के सार रूप मेरा मंतव्य है कि जैन दर्शन में लेश्या छह प्रकार की कही है। इसके द्वारा संसारी जीवों की प्रबृत्ति परिणति और सोच को प्रदर्शित करना अभीष्ट रहा है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. वामन शिव राम आप्टे --- संस्कृत हिंदी शब्द कोश
2. क्षुल्लक वर्नीजी ----जैनेन्द्र सिद्धांत कोश
3. आचार्य अकलंक ---- सर्वार्थसिद्धि
4. आचार्य शिव भूति ---- भगवती आराधना
5. आचार्य उमा स्वामी ---- तत्त्वार्थ सूत्र अध्याय 4 / सूत्र 2
6. वही ---- अध्याय 4 / सूत्र 22
7. वही ---- अध्याय 3 /सूत्र 3
8. आचार्य जिन सेन स्वामी --- श्री जिन सहस्त्र नाम स्त्रोत प्रस्तावना / श्लोक 29
9. पंडित दौलत राम --- छह ढाला ---- तीसरी ढाल
10. आचार्य उमा स्वामी --- तत्त्वार्थ सूत्र अध्याय 2 / सूत्र 1 , 2

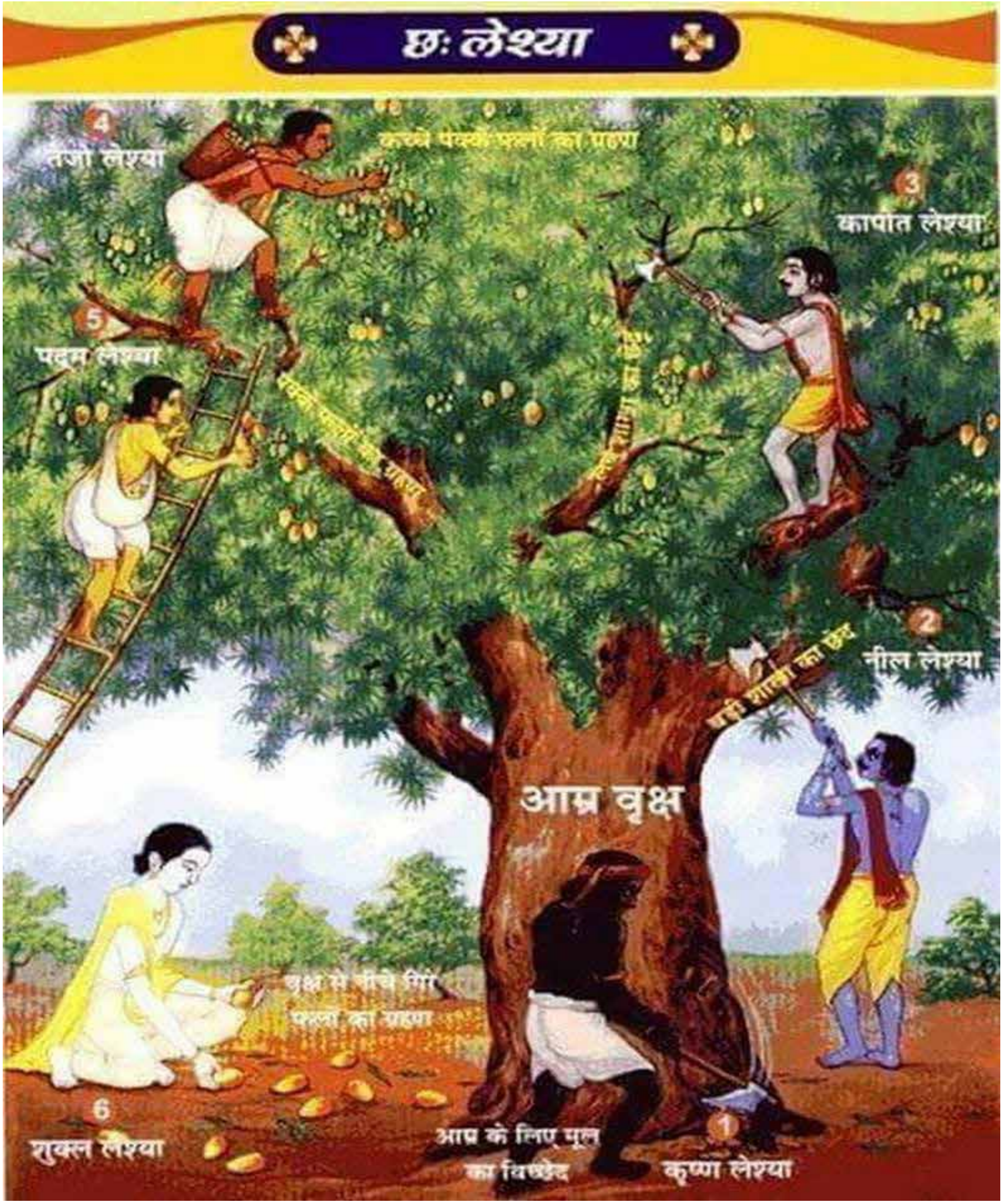
छः लेश्या
4
तेजो लेश्या
3
कापोत लेश्या
5
पद्म लेश्या
2
नील लेश्या
आम्र वृक्ष
6
शुक्ल लेश्या
आम्र के लिए मूल
का विच्छेद
1
कृष्ण लेश्या

शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग: एक समीक्षा

डॉ. वन्दना मिश्रा
पी.डी.एफ. स्कॉलर, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली
असिस्टेंट प्रोफेसर, नेहरू ग्राम भारती (मानित विश्वविद्यालय), प्रयागराज

सारांश:

नई तकनीकी और प्रौद्योगिकी विकास के इस युग में विभिन्न क्षेत्रों में हर दिन अविष्कार हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में बच्चों हेतु नई तकनीकी का प्रयोग कर सर्वांगीण विकास करना अति आवश्यक है। इस क्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (कृत्रिम बुद्धिमता) महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बच्चों के शैक्षिक एवं व्यवसायिक विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्रियान्वित करना एवं महत्वपूर्ण कारक है और इसकी महत्ता तब और अधिक हो जाती है जब इसका अनुप्रयोग बच्चों के शैक्षिक कार्यक्रम में किया जाता है। शिक्षा का उद्देश्य बालक को उसकी क्षमता के आधार पर समाजोपयोगी बनाना है। प्रजातांत्रिक देशों में शिक्षा किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं है अपितु सभी व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ कृत्रिम तरीके से विभाजित की गई बौद्धिक क्षमता से है। इसके द्वारा कम्प्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम तैयार जाता है। जिसे उन्हीं तर्कों के आधार पर तैयार किया जाता है जिसके आधार पर मानव मस्तिष्क काम करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग डिजिटल सहायक के रूप में तेजी से किया जा रहा है। इसके द्वारा शिक्षकों एवं छात्रों की सहायता विभिन्न प्रकार से किया जा सकता है। इसमें छात्रों को उनकी विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर उनमें अधिगम स्तर को बढ़ाया जा सकता है। इसी के साथ शिक्षकों को भी शिक्षण कार्य में सुविधा प्रदान कर सकता है। शिक्षक विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुरूप एक रोडमैप तैयार करते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से शैक्षिक प्रदर्शन को बेहतर बना सकते हैं।

वर्तमान डिजिटल क्रांति के संदर्भ में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) ने न केवल जीवन के विविध क्षेत्रों में अपनी प्रभावी उपस्थिति तर्ज कराई है, बल्कि बच्चों की शिक्षा में भी एक अद्वितीय नवाचार प्रस्तुत किया है। इस विश्लेषणात्मक अध्ययन का केंद्रबिन्दु यह है कि कैसे एआई बच्चों की जटिल शैक्षणिक चुनौतियों को सुलझाने में सहायक सिद्ध हो सकता है और कैसे यह एक सशक्त उपकरण के रूप में उभरकर उनकी शैक्षणिक क्षमताओं का पुनर्निर्माण कर रहा है। बच्चों के लिए परम्परागत शिक्षा प्रणाली उनकी सीमाओं को पूरी तरह समझने में विफल रही है, जिसके परिणामस्वरूप शिक्षा प्राप्ति की प्रक्रिया उनके लिए अत्यंत जटिल हो जाती है। लेकिन, एआई द्वारा संचालित शिक्षण प्रणाली, बहुविध नवाचारों के माध्यम से इन बच्चों को सीखने की प्रक्रिया को सरल और सुलभ बना सकती है।

मुख्य शब्द- शिक्षा, आर्टिफिशियल, एक समीक्षा।

प्रस्तावना:

आज की नई युग की शिक्षा में नए-नए वैज्ञानिक खोज या अनुसंधान किए जा रहे हैं और शिक्षा का स्वरूप पूर्व रत्न रहकर नए परिवेश और आवश्यकताओं के अनुरूप निरंतर परिवर्तित होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में शिक्षा में

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का प्रयोग करना अति आवश्यक हो जाता है। शिक्षा को बच्चों तक उचित पहुंच बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उपयोग करना जरूरी हो गया है। इस कम्प्यूटर युग की दुनिया में शिक्षा को विश्व स्तर पर उपयोगी बनाए रखने के लिए परंपरागत शिक्षण के साथ-साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा शिक्षा प्रदान करना नितांत आवश्यक हो जाता है, जिससे बच्चों की शिक्षा वैश्विक स्तर पर उपयोगी बनाई जा सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसका प्रभाव शिक्षण, सीखने और प्रशासनिक कार्यों में कई प्रकार से देखा जा सकता है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस- आसान शब्दों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ है- मशीनों को 'बुद्धिमान' बनाना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) एक ऐसी तकनीक है जिसमें मशीनों और कंप्यूटर सिस्टम को इस प्रकार विकसित किया जाता है कि वे इंसानों की तरह सोचने, समझने, निर्णय लेने और समस्याओं को हल करने में सक्षम हो सकें।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रकार-

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उसकी क्षमताओं (Capabilities) और कार्यप्रणाली (Functionality) के आधार पर कई प्रकारों में बाँटा गया है। जो निम्नलिखित हैं-

अ. क्षमताओं के आधार पर एआई के प्रकार-

1. नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Narrow AI)/कमजोर एआई (Week AI) यह एआई केवल एक विशेष कार्य को करने में सक्षम होता है। इसमें मशीन को सीमित कार्यक्षमता दी जाती है। यह सबसे सामान्य और आज सबसे अधिक उपयोग में आने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है।

   उदाहरण के लिए वॉयस असिस्टेंट (Google Assistant, Siri), फेस रिकग्निशन सिस्टम, स्पैम ईमेल फिल्टर आदि।

2. जनरल एआई (General AI/मजबूत एआई (Strong AI) यह इंसानों की तरह सोचने, समझने और निर्णय लेने में सक्षम होता है। यह कई कार्यों को सीख सकता है और लागू कर सकता है। यह अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, इस पर अनुसंधान चल रहा है।

   लक्ष्य- मानव जैसी सोच, अनुभव और समझ वाले रोबोट या मशीन का निर्माण।

3. सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Super AI) यह वह स्तर है जहाँ एआई मानव बुद्धि से कहीं अधिक शक्तिशाली होगा। इसमें निर्णय लेने, भावनाएं समझने और खुद के विचार करने की क्षमता हो सकती है। यह अभी काल्पनिक है, लेकिन भविष्य में संभव माना जा रहा है। उदाहरण के लिए साइंस फिक्शन फिल्मों के रोबोट जैसे "Jarvis" (Iron Man), "Ultron", आदि।

ब. कार्यप्रणाली के आधार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रकार-

1. रिएक्टिव मशीन (Reactive Machines)- यह केवल वर्तमान स्थिति के आधार पर प्रतिक्रिया देती है। यह पिछली जानकारी (Memory) को स्टोर नहीं करती। साधारण और शुरुआती एआई प्रणाली है। उदाहरण- आईबीएम का DEEP Blue (जो शतरंज खेलता था)

2. लिमिटेड मेमोरी (Limited Memory)- यह पूर्व अनुभवों को थोड़े समय के लिए याद रख सकती है। निर्णय लेने में पुराने डेटा का उपयोग कर सकती है। उदाहरण के लिए- सेल्फ-ड्राइविंग कारें (जो ट्रैफिक, सिग्नल, गति आदि को ध्यान में रखती हैं)।

3. थ्योरी ऑफ माइंड (Theory of Mind)- यह एआई भावनाओं, इरादों और सोच को समझने की कोशिश करता है। अभी यह शोध के स्तर पर है। उद्देश्य- एआई को इस स्तर तक पहुँचाना कि वह इंसानों की सोच और भावनाओं को समझ सके।

4. सेल्फ-अवेयरनेस (Self-aware AI)- यह एआई खुद को, अपने विचारों और भावनाओं को पहयचान सकेगा। यह पूरी तरह से चेतन मशीन होगा। यह भविष्य की कल्पना है, अभी तक मौजूद नहीं है।

शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग-

1. व्यक्तिगत सीखने (Personalized Learining)-

एआई-आधारित प्लेटफार्म छात्र की सीखने की शैली, गति और कमजोरियों का विश्लेषण कर उनके लिए व्यक्तिगत पाठ्यक्रम तैयार कर सकते हैं।

यह छात्रों को उनकी गति के अनुसार सीखने में मदद करता है और शिक्षक को यह जानने में सहायता मिलती है कि किस छात्र को अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

2. चैटबॉट और वर्चुअल असिस्टेंट:

एआई चैटबॉट्स छात्रों के सवालों का तुरंत जवाब देने, होमवर्क में सहायता करने, और अन्य शिक्षा संबंधित समस्याओं का समाधान करने में मदद करते हैं।

शिक्षक भी एआई-आधारित वर्चुअल असिस्टेंट का उपयोग समय प्रबंधन, नोट्स तैयार करने और अनुसंधान में सहायता के लिए कर सकते हैं।

3. शिक्षा में स्वचालन (Automation in Education):

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परीक्षा पत्रों की जांच, ग्रेडिंग और डेटा प्रबंधन जैसे कार्यों को स्वचालित कर सकता है, जिससे शिक्षकों का समय बचता है और वे शिक्षा की गुणवत्ता पर अधिक ध्यान केन्द्रित कर सकते हैं।

4. बाधाओं का कम होना (Reduced Barriers):

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बना रहा है। उदाहरण के लिए भाषा अनुवाद और समझ में मदद के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग विभिन्न भाषाओं में सामग्री अनुवाद करने के लिए किया जा रहा है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों (जैसे दृष्टिहीन, श्रवणबाधित) के लिए विशेष तकनीकों और उपकरणों को विकसित कर उन्हें शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए हैं।

5. डेटा विश्लेषण और पूर्वानुमान (Data Analysis & Predication):

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षा से संबंधित डेटा का विश्लेषण कर सकता है और भविष्य में किस छात्र को किस विषय में कठिनाई हो सकती है, इसका अनुमान लगा सकता है।

यह जानकारी स्कूलों और विश्वविद्यालयों को छात्रों की सफलता को सुधारने के लिए रणनीति विकसित करने में मदद करती है।

6. वास्तविक समय प्रतिक्रिया (Real-Time Feedback):

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टूस छात्रों को वास्तविक समय में प्रतिक्रिया देते हैं, जिससे वे तुरन्त अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। यह तेजी से सीखने और समझने में मदद करता है।

7. वर्चुअल क्लासरूम और इंटरेक्टिव लर्निंग:

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्चुअल क्लास रूम और इंटरएक्टिव लर्निंग वातावरण प्रदान करता है जहाँ छात्र वास्तविक दुनिया के अनुभवों के माध्यम से सीख सकते हैं जैसे वर्चुअल लैब्स और सिमुलेशन।

8. प्रवेश प्रक्रियाओं का प्रबंधन:

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग प्रवेश प्रक्रियाओं में, जैसे आवेदनों की जांच, छात्र प्रोफाइल का विश्लेषण और चयन प्रक्रियाओं में अधिक कुशलता और पारदर्शिता लाने के लिए किया जा रहा है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नकारात्मक प्रभाव:

नौकरी की संभावनाओं का असर- कई प्रशासनिक और शिक्षण से संबंधित कार्य एआई द्वारा स्वचालित किए जा रहे हैं, जिससे कुछ नौकरियों पर खतरा हो सकता है।

निजता और सुरक्षा- छात्रों और शिक्षकों के डेटा का संग्रहण और विश्लेषण डेटा गोपनीयता और सुरक्षा के मुद्दों को जन्म दे सकता है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के युग की एक क्रांतिकारी तकनीक है जो जीवन को सरल, कुशल और स्मार्ट बना रही है। इसके विकास से भविष्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में अभूतपूर्व बदलाव संभव हैं। यह तकनीक न केवल हमारी कार्यशैली बदल रही है, बल्कि मानव जीवन की गुणवत्ता को भी बेहतर बना रही है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति की शुरूआत की है। इसके सकारात्मक प्रभावों ने सीखने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, सुलभ और व्यक्तिगत बनाया है, लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी हैं, जिन्हें ध्यान में रखते हुए इसका संतुलित उपयोग आवश्यक है। यह तकनीक किस प्रकार से धीरे-धीरे विकसित हो रही है- साधारण कार्यों से लेकर मानव-जैसी समझ और चेतना की ओर आने वाला समय एआई के इन सभी क्षेत्रों में और तेजी से विकास लाएगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची:

1. जैन, वी0के0 (2021), कृत्रिम बुद्धिमता (Artificial Intelligence) ड्रीमटेक प्रेस, नई दिल्ली।
2. राजपूत, आर0एस0 (2020), कृत्रिम बुद्धिमता एवं मशीन लर्निंग, टेक्नो पब्लिकेशंस, मेरठ।
3. रसेल, स्टुअर्ट एवं पीटर नॉरविग (2020), Artificial Intelligence : A Modern Approach (3rd Edition), पियरसन एजुकेशन, यूएसए।
4. मिश्रा, एस0के0 (2019), कृत्रिम बुद्धिमता: सिद्धांत और अनुप्रयोग, यूनिवर्सल पब्लिशिंग हाउस, लखनऊ।
5. Wikipedia Contributors (2020), कृत्रिम बुद्धिमत्ता-विकिपीडिया स्रोत https://hi.wikipedia.org/wiki/कृत्रिम-बुद्धिमत्ता
6. Geeks for Geeks (2020), Artificial Intelligence Tutorials, by https://www.geeksforgeeks.org/arificial intelligence
7. NPTEL (2020), Introduction to Artificial Interlligence-Online course, by https://nptel.ac.in/course/106105/106105079/

मध्यकालीन मिथिला मे सांस्कृातिक पुनर्जागरण

सुनिल कुमार झा
शोधार्थी, विश्वविद्यालय मैथिली विभाग, भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा, बिहार
डॉ. नरेन्द्र नाथ झा
शोध–निर्देशक सह विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय मैथिली विभाग, भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा, बिहार

काल निरबाधि अछि। एकर निरविच्छनि धारा तेजीसँ बहैत अछि। मात्र बोधक सुन्दरता लेल मानव मनोविज्ञान कालावधि वा इतिहासकेँ विभाजित करैत अछि। काल विशेषक सटीक अध्ययन तखने संभव भए सकैत अछि जखन हम इतिहासक मौलिक एकताक सम्बन्धमे अवधारणा लए कए चली। इतिहास घटनाक अजस्त्र स्त्रोत होइत अछि, जे अतीतसँ अबैत परम्पराकेँ हमर सोझा प्रस्तुत करैत अछि आ संगे हमर वर्तमान धरि जेनिहार भविष्यकेँ पीढ़ी- पीढ़ी धरि वहन करैत जाइत अछि। यैह तर्ककेँ आधार मानिकए प्राय: हम कालकेँ किछु एहि तरहेँ विभाजित करैत छी – प्राचीन युग, मध्य युग आ आधुनिक युग।

ओना वर्तमानक जड़िअतीतमे एतेक गहीरसँ धसल होइत अछि जे अतीतक उल्लेख केने बिना आधुनिक युगक अध्ययन असंभव लागय लगैत अछि। घटनामे परिवर्तन वा वैचारिक आन्दोलन अचानक होए बला गप नहि अछि, एकर पृष्ठभूमी शनै:-शनै: तैयार होइत अछि। इतिहासकेँ कैक बेर एहन परिवर्तनक बाटसँ जाय पड़ल जाहिसँ ओ नहि अपन वर्तमानकेँ स्तब्ध केलक अपितु भविष्यकेँ सेहो बेस प्रभावित केलक। एहन स्थिति कखनो-कखनो अबैत अछि जखन मानव अपन एकरुपताक त्यागिकेँ विकासक बाट दिस बढ़िजाइत छथि आ इतिहासकेँ एकटा नब मोड़पर आनि लैत अछि। एहने किछु घटना छल जकरा इतिहासकार 'रिनैशाँ'क नाम देलनि। पाश्चात्य सभ्यताक इतिहासमे उदय होए बला नवीन युग जे मध्य युगक अन्तमे घटित भेल 'रिनैशाँ' कहाओल।[1] युरोपीय खासकए कए इटलीक सभ्यता आ संस्कृति 14म सँ16म शताब्दी अर्थात परवर्ती मध्यकालमे जे रूप ग्रहण केलक ओकरा 'पुनर्जागरण'क नाम देल गेल।[2] मूलत: एहि फ्रेंच भाषाक शब्द केर सम्बन्ध लैटिनक 'रेनेसार' आ इटलीक 'रिनसिमेन्टो'सँ लगीचायल छल जेकर अर्थ होइत अछि पुनर्जागरण। ई शब्द पुनरूत्थान, पुनर्जन्म, प्रस्फुटन आदि अर्थक द्योतक छल।[3] आगू जाकए एकर व्यापक अर्थमे प्रयोग हुए लागल।

'मानक हिन्दी शब्दकोशक अनुसार पुनर्जागरणक अर्थ अछि, 'सुतलकेँ फेरसँ जगायब'। युरोपक इतिहासमे 14म, 15म आ 16म शताब्दीक ओहन स्थिति जाहिमे कला, विज्ञान आ साहित्यक नब तरीकासँ अनुसंधान आ प्रयोग होए लागल छल, आ जाहिक कारण मध्यु युगक अन्त आ आधुनिक युगक आरंभ भेल छल। हिन्दी विश्वकोशमे युरोपक संदर्भमे बताओल गेल अछि जे 'पुनर्जागरण'क अर्थ पुनर्जन्म होइत अछि। यद्यपि 'रिनेसाँ' शब्दक पहिल प्रयोग 19म शताब्दीक पूर्वाद्धमे सबसे पहिने प्रसिद्ध फ्रांसीसी इतिहासकार दार्शनिक जूल्श मिशेलेट केने छल।[4]

पुनर्जागरण साहित्य आ कलामे तँ अभिव्यक्त होएबे कएल संगहि संग एहिसँ मानव केर आर्थिक जीवन सेहो पहिनेसँ बेसी सुधरय लागल। उदाहरण स्वरूप जँ कृषियेक क्षेत्रकए ली तँ जाहिठाम परम्परागत जागीरदारी बला जे साधारण पद्धति छल तकर स्थान उद्योग आ वाणिज्य लए लेलक। परिणाम ई भेल जे सामाजिक सम्बन्धमे सेहो परिवर्तन देखार होए लागल। अमीर लोकनिक जागीर, सामन्तक दुर्ग आ धर्माध्यक्षक महलक स्थानपर व्यस्ततम नगर आ शहर बनय

लागल। राजनीतिमे सेहो नवीन चेतना जागृत होए लागल आ सामन्त आ पोप (परम धर्माध्यक्ष)क दबदबा घटय लागल। शक्तिशाली राज्य शासन स्थापित होए लागल। वैज्ञानिक सभ सेहो पुरान ईश्वरपरक रुढ़िवादी छोड़िकए, ठोस वैज्ञानिक पद्धतिमे खगोल, विज्ञान, शरीर विज्ञान, आ चिकित्साशास्त्र आदिमे अनुसंधान करय लगलाह। पहिने शिक्षित लोकनिक एक्केटा काज छल पढ़ेनाय मुदा चेतनाक जखन प्रवाह खुजलतँ नव-नव पेशा सोझा आबय लागल। जेना-हिसाब-किताब करनिहार, वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षक, शिल्पी, मिस्त्री आदि। एहि प्रकारे देखल जाए तँ मानसिक श्रमपर निर्भर रहनिहार बुद्धिजीवी वर्गक उदय हुए लागल। पैघ-पैघ घर, मुर्ति आदि आधुनिक ढ़ंगसँ बनय लागल। धर्मक नामपर रूढ़िवादिता खत्म हुए लागल आ मानव अपन जीवनकेँ बेसी-सँ-बेसी आनंदमय बनेबाक भरिसक प्रयास करय लागल छल आ एहि चक्करमे ओ धार्मिकसँ बेसी व्यवहारिक बनि गेल। विज्ञान आ कला दुनू परस्पर लगिचाबे लागल। मानव शरीरक अध्ययन वैज्ञानिक लोकनि, विज्ञानक आधार पर करय लागल तँ कलाकार कलाक माध्यमसँ। चित्रकार आ मूर्तिकार सही अनुपात लेल गणितक जानकारी प्राप्त करय लागल छलाह। साहित्यकार सेहो आब कल्पना जगतकेँ त्यागि यर्थाथ जीवनकेँ प्रेरित करनिहार गप सबकेँ अभिव्यक्त करय लगलाह। आब मनुखक जीवनक लक्ष्य मात्र सन्यास लेनाइ वा युद्ध केनाइ नहि अपितु मानव कल्याण होए लागल। मुनष्य अपन मन, वचन आ कर्मक सौंदर्य केर महिमा साहित्य, कला आ विज्ञानमे अभिव्यक्त करय लागल छलाह। ई यैह युग छल जाहिसँ आधुनिक यूरोपीय संस्कृतिक आधारभूमि तैयार भेल।

इतिहासक ई सुखद संजोगे कहल जाय जे लगभग यैह समय भारतक मिथिला भूमिमे सांस्कृतिक पुनर्जागरणक एकटा एहन काल आएल जखन प्राचीन ब्रह्मविद्या, साहित्य, दर्शन आ धर्मशास्त्रक परम्परा दुगुना तेजीसँ प्रस्फुटित भेल। मिथिला संस्कृतिक अभूतपूर्व उन्नयन भेल, चिन्तन आ सृजन नवयुगक पदार्पण भेल । कलाक उत्कर्ष भेल आ मिथिलाक संस्कृतिक शानदार नींव तैयार भेल। जनक, याज्ञव्लक्य, गौतम, कनाद, कपिल, मंडन, वाचस्पति, आ उदयनक प्राचीन गौरवशाली परंपरा बला मिथिलाक धरतीपर 13म आ 15म शतीमे ज्योतिरिश्वर, चंडेश्वर, पक्षधर, गंगेश, वद्धर्मान, शंकर, विद्यापति, उमापति सन कैकटा साहित्यकार निबंधकार आ दार्शनिक लोकनिक अवतरण भेल शास्त्रीय आ लोक-संस्कृतिक चरमोत्कर्ष भेल आ मिथिला संस्कृतिकेँ ऐतहिासिक पहचान भेटल। ई मिथिला संस्कृतिक पुनर्जागरण छल।

13-14 शताब्दीमे जखन पूरा भारतीय उपमहादेश इस्लामी प्रसारक कारण राजनीतिक रूपसँ अस्थिर छल देशमे सामाजिक-धार्मिक उथल-पुथल मचल छल। प्राचीन शिक्षाक केन्द्र लगातार ध्वस्त भए रहल छल। देशमे अनिश्चितता, विभ्रम आ सांस्कृतिक अद्योपतनक स्थिति बनल छल ओहि कालखंडमे मिथिलामे अभूतपूर्व जागरण भेल, जाहिसँ नहि केवल शिक्षाक क्षेत्रमे अपितु प्राय: सभ क्षेत्रमे स्पष्ट प्रभाव पड़ल।

एहिठाम इहो स्पष्ट कए देब बेस जरूरी रहत जे प्राचीन कालहिसँ मिथिला सम्पूर्ण भारतमे ज्ञानक एकगोट प्रमुख केन्द्रक रूपमे प्रख्यात छल। जनक राजवंशक संरक्षणमे महर्षि याज्ञवल्क्य एहिठाम शतपथ ब्राह्मण आ बृहदारण्यकोपनिषद् केर रचना कएकेँ उत्तर वैदिक कालमे ब्रह्मविद्याक शिलान्यास केने छलाह। गौतम आ कनाद एहिठाम क्रमश: न्याय आ वैशेषिक दर्शनक प्रणयन केलाह। उद्योत्तकर, मण्डन, प्रभाकर, वाचस्पति, पार्थसारथी, उदयनाचार्य आ मुरारी मिश्र सन विद्वान पूर्व मध्यकालीन मिथिलामे न्याय आ मीमांसाकेँ चरमोत्कर्षपर पहुँचेलनि। एहिठाम इहो ध्यान देबाक अछि जे मिथिलाक भूमि बौद्ध आ जैन दर्शनक विकासक दृष्टिकोणसँ सेहो बड्ड बेसी उर्वर सिद्ध भेल। एकर पाछाँ सुआइत यैह कारण छल जे उत्तर वैदिके कालसँ मिथिलामे शिक्षा आ ज्ञानक एकटा सुदीर्घ परम्परा छल। एहिलेल मुसलमानी आक्रमणक प्रारंभिक कालमे जखन भारतक सभटा प्रमुख शिक्षाक केन्द्र चुनि-चुनिकेँ तोड़ल जा रहल छल। नालंदा, विक्रमशिला आ सारनाथक अस्तित्व मेटा गेल छल आ एकरा संगे भारतीय शिक्षा आ ज्ञान संरक्षण केर जे क्षेत्रीय हिन्दू ताकति छल तकर

विनाश भए रहल छल ओहेने स्थितिमे मिथिला 14म शताब्दी धरि अपन राजनैतिक स्वतंत्रता बचाकए रखबामे सफल रहल छल। एहिठाम विशेष भौगौलिक परिस्थितिपानि, जंगल, आ चौर केर कारण 1095 ई० कर्णाट राजवंशक शासन 1326 ई० तक बनल रहल। मिथिलाक इतिहासमे कर्णाट राजवंशक स्थापना एकटा नवयुगक आगमनक सूचक मानल जाइत अछि।[5] 1326 ई० मे अफगान शासक गयासुद्दीन तुगलक जखन बंगाल विजयककेर बाद तिरहुत बाटे घुरलाहतँ कर्णाट शासक हरिसिंह देवकेँ तत्कालीन नेपाल पड़यबा[6] पर विवश कए देलाह । हालांकि नेपाल (वर्तमान) अयलाक बादो ई अपन मंत्री चण्डेश्वर ठाकुरक संग नेपाल (वर्तमान)क कैकटा किरात राजा आ सूर्यवंशी राजाक संग युद्ध केलनि आ विजयी भेलाह। ई संपूर्ण नेपाल (वर्तमान)पर अपन अधिकार कए लेलनि आ सूर्यवंशी राजवंशक स्थापना केलनि।[1] एतबा भेलाक बादो गयासुद्दीन केर मिथिलापर प्रत्यक्ष राज करबाक सपना सपने रहि गेल आ जखन हरिसिंह अपन राजपंडित कामेश्वर ठाकुरकेँ मिथिला राजक सनद लिखि पठाओलतँ गयासुद्दीन मना नहि कए सकलाह।[2] मिथिलाक यैह विशिष्ट परिस्थिति पुनर्जागरणक बाट खोललक।

एहि कालखंडमे अर्थात 13म शताब्दीमे गंगेश उपाध्याय ज्ञानक एकटा अभिनव शाखा नव्य न्यायक स्थापना कएकेँ प्राचीन न्यायदर्शनक परम्परामे एकटा नव विमर्श ठाढ़ कए देलक। एहि परंपराकेँ वद्धर्मान, पक्षधर, भवनाथ, शंकर सन विद्वान आगाँ बढ़ौलनि। मिथिलाक गणना आब राजक रूपमे नहि भ कए विश्वविद्यालयक रूपमे होए लागल। भारतक विभिन्न हिस्सासँ एहिठाम छात्र लोकनि न्याय, मीमांसा आ नव्य न्यायक शिक्षा लेबाक लेल आबय लगलाह। विद्वान आचार्य लोकनिक मदतिसँ संपूर्ण मिथिलामे एहन पाठशाला आ विद्यालयक जाल पसरि गेल जे ज्ञान स्तरपर कोनहुँ विश्वविद्यालयसँ कनिको कम नहि छल। पुराण, तंत्र, ज्योतिष, राज्यशास्त्र, आ धर्मशास्त्रक एहि युगमे नव शिरासँ विकास भेल। कैकटा ग्रन्थक रचना क कए चंडेश्वर ज्ञानक नव शाखाकेँ समृद्ध केलनि। याज्ञवल्कयसमृतिक प्राचीन परम्पराकेँ लक्ष्मीधर, श्रीधर, हलायुध, भवदेव, श्रीकर, अनिरुद्ध, आ चण्डेश्ववर आदि विद्वान बदलैत युगकेँ नव आयाम देलनि। एहि अवधिमे साहित्यक नवोन्मेष सेहो भेल। संस्कृत साहित्येक संग-संग मैथिली भाषा आ साहित्यक सेहो अभूतपुर्व विकास भेल। गंगदेवक समय हिनक धर्माधिकारणिक वर्धमान उपाध्याय छलाह। ओ न्यालयक उपयोग लेल एकटा पोथीक निर्माण केलनि जे दण्डविवेक नामसँ प्रसिद्ध भेल। एहिक अतिरिक्त स्मृति–विवेक, शान्तिपौष्टिक विवेक, पोखिरक निर्माण लेल तड़ागमृतलता, आ जलाशयादिवास्तुविधि आदि ग्रन्थक निर्माण करौलनि। हिनक पिताजी सेहो न्याय शास्त्रक ज्ञाता न्यायचिन्तामणिकार जगदगुरू महामहोपाध्याय गंगेश उपाध्याय छलाह।

नरसिंहदेवक समय आसन्नमे ज्योतिर्विद् चण्डेश्वराचार्य (रत्नाकरकर्तासँ भिन्न) छल जे सूर्यसिद्धान्तपर भाष्य बनौले छथि, ओहि ग्रन्थमे शाके 1900 क गणित अछि। ई पुस्तक नेपालक राजपुस्तकालयमे अछि। ग्रन्थक अन्तमे हुनक परिचय लिखल गेल अछि।[4]

हरिसिंह देवक समय हुनक संधिविग्रह–मंत्री वीरेश्वर ठाकुर भेलाह जिनका विद्वान लोकिन "सप्रिक्रय(समस्त प्रक्रियाविराजमान) महावार्तिक नैबन्धिक"क पदवी देने छलथीन्ह। हुनक लिखल ग्रंथ "छन्दोगसंस्कार" अद्यावधि प्रचलित अछि।

कर्णाटवंशक अंतिम राजा हरिसिंह देव नहि मात्र पंजी प्रथाक शुरूआत कऽ कैं मिथिलाक बौद्धिक विकासक बाट खोललक अपितु अपन संधिविग्रह मंत्री चण्डेश्वर ठाकुर सँ सात गोट रत्नाकर ग्रन्थक निर्माण कराकेँ एकर साहित्यिक संपदाकेँ भरबाक काज केलिन। ई ग्रन्थ छल कृत्यरत्नाकर, दान रत्नाकर, व्यवहार रत्नाकर, शुद्धि रत्नाकर, पूजारत्नाकर, विवादरत्नाकर, आ गृहस्थ रत्नाकर। एहिक अतिरिक्त कृत्यचिन्तामणि नामक बहुत उत्तम ज्योतिष ग्रन्थक निर्माण सेहो

केलक।

हरिसिंह देवक राज खत्म भेलाक पश्चात चण्डेश्वर ठाकुर ओइनवार कुलक भवसिंहक आश्रित भए नीतिरत्नाकर नामक आठम ग्रन्थक रचना केलनि जाहिमे राज्यप्रबंध कोना कएल जाय तकर उत्तम रीतिसँ चर्चा अछि। कर्णाट नरेश जतय नाट्यशास्त्र पर पुस्तक लिखलनि ओतहि ओहि कालखंडमे ज्योतिरिश्ववर ठाकुर उत्तर भारतक समस्त आधुनिक भारतीय भाषाक पहिल गद्यग्रंथ 'वर्णरत्नाकर'क रचना क कए मैथिली साहित्यतकेँ नहि केवल समृद्ध केलनि अपितु मैथिली भाषाकेँ पहिल गद्यग्रंथ भेटबाक गौरव भेटल। ओ धूर्त-समागम सन नाटकसँ मैथिलीकेँ समृद्ध केलनि। तकर बाद मैथिली साहित्यकेँ महाकवि भेटल जे अपन मैथिली काव्यसँ जन-मानस केर व्यथित मनकेँ शांत कए केँ असीम आनंद देलक। हिनक गीत नहि मात्र मिथिला अपितु बंगाल, आसाम आ ओड़ीसामे सेहो जबरदस्त प्रसार भेल। पुनर्जागरणक एहि कालखंडमे नृत्य-संगीत आ नाटकक सेहो शास्त्रीय आ लौकिक विकास भेल।

पुनर्जागरणक ई प्रभाव नहि मात्र अभिजात्य आ मध्यमवर्गमे देखबामे आयल अपितु समाजक अंतिम वर्गक लोगमे सेहो जनजागृति आयल। लोकसंस्कृतिक बड्ड बेसी उन्नयन एहिकालमे भेल। यैह कालावाधिमे वैश्य आ शूद्र वर्णक विभिन्न जातिक गौरवगाथाक सृजन सेहो भेल। लोरिकाइन, नैका-बनिजारा, राइ-रणपाल, राजा-सलहेश आदि प्रमुख लोकगाथाक रचना एहि कालखंडमे भेल जकर गायन आ मंचन समय-समयमे होइत अबैत छल। आजुक प्रख्यात मिथिला चित्रकलाक उद्भव आ विकास यैह कालमे भेल।

संस्कृतिक संग-संग एहि कालखंडमे अभूतपूर्व सामाजिक जागृति देखबामे आयल। कैकटा नवीन जातिक प्रादुर्भाव आ शूद्र वर्णक अनेक जातिक सामाजिक उन्नयनक कालखंड यैह छल। पंजी-प्रथा सन सर्वथा नवीन प्रयोग एहि कालखंडमे भेल जखन लोगक डीएनए संबंधी डेटा तैयार कएल गेल।

कुल मिलाकए कही तँ चौदहवीं शताब्दीक पूर्वार्द्धमे मिथिला पर तुर्क-अफगान सत्ताक स्थापनाक बादो मिथिलाक स्थिति एकटा स्वायत्त राज्यक रूपमे बनल रहल। जाहि कारण कर्णाट कालमे जे सांस्कृतिक संश्लेषण भेल तकर प्रभावसँ मिथिलामे पुनर्जागरण आयल। आय जँ मिथिला संस्कृतिक पहचान ज्ञान आ दर्शनक समृद्ध भंडार, मैथिली भाषा आ साहित्यक कालजयी कृति, अन्ततर्राष्ट्रीय स्तरपर ख्याति प्राप्त चित्रकला, लोकगाथाक अतिविशिष्ट समृद्ध परंपरा आदिक समृद्ध परंपराक चर्च भए रहल अछि तँ तकर कालखंड वैह रहल अछि। तेरहम सँ चौदहम सदी मिथिलाक स्वपर्णकालक रूपमे याद कैल जाएत जखन सुतल मिथिला एकबेर फेर निन्नसँ जागल ।

संदर्भ ग्रन्थ-सूची

1. The term Renaissance is widely understood to denote a new age in the history of western civilisation at the end of the middle ages – Encyclopedia Britannica Volume – 15, Page – 660
2. The Renaissance is usually applied to the civilization of Europe, particularly during the period from the 14th to the 16th centuries.- Encyclopedia Britannica Volume – 23, Page – 667
3. Renaissance originally a frenche word whose literal meaning is rebirth. The term has been applied metaphorically to a wide veriety of phenomena renging from an experience in the life hisotry of an individual to the characterization of the culture of an entire epoch. Encyclopedia Britannica Volume – 23, Page – 667b.
4. हिन्दी विश्व कोश : 15-7, नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी, पृ० – 313

5. The Journal of Bihar & Orissa Research Society, Volume - IX, Page - 300
6. According to Ferista, “As the king was passing near the hills of ‘Tirhut’ the Raja appeared in arms, but was pursued into the woods. Finding his army could not penetrate them; the kind alighted from his horse, called for a hatchet, and cut down one of the trees with his own hand. The troops, on seeing the forest seemed to vanish before them. They arrived at length at a fort surrounded by seven ditches, full of water, and a high wall. The Kind invested the place, filled up the ditches and destroyed the wall in three weeks. The Raja and his family were taken and great booty obtained.”
7. हिस्ट्री ऑफ नेपाल एंड सराउंडेड किंगडम, जे0 ए0 एस0 बी0, वॉल्यूम LXXII, भाग-1, प्रो0 सी0 बन्देल, 1903
8. दानवाक्यावली, पृ0 सं0 1
श्री कामेश्वर राजपंडित कुलालंकारसारं
श्रीमा नरसिंह देव मिथिला भूमण्डलाखण्डलः ।
9. इति मैथिलवाजपेयसोमयाजिश्रीचण्डेश्वराचार्यविरचिते सूर्यसिद्धान्तभाष्ये पञ्चदशोऽध्यायः । ल० सं० ३९२ फाल्गुन शुदि ७ चन्द्रे रत्नपुरनगरे श्रीकान्हू शर्मणा लिखितैषा पुस्तीति ।। मिथिला का इतिहास, उपेन्द्र ठाकुर, मैथिली अकादमी पटना, पृ0 – 70

हरित क्रांति से किसान आंदोलन तक : भारत में कृषि-राजनीति की दिशा और दशा

अभिनंदन कुमार
शोधार्थी, विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग, मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर

सारांश

भारत की कृषि व्यवस्था केवल आर्थिक गतिविधि का आधार नहीं रही है, बल्कि यह देश की सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक संरचना का भी प्रमुख अंग है। हरित क्रांति ने 1960 के दशक में भारतीय कृषि को आधुनिक तकनीकों, उन्नत बीजों, रासायनिक उर्वरकों तथा सिंचाई सुविधाओं के माध्यम से नई दिशा प्रदान की, जिसके परिणामस्वरूप खाद्यान्न उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और देश खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना। यद्यपि हरित क्रांति के सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए, किंतु इसके लाभ मुख्यतः सिंचित एवं विकसित क्षेत्रों तक सीमित रहे, जिससे क्षेत्रीय असमानता, छोटे एवं सीमांत किसानों की समस्याएँ तथा पर्यावरणीय चुनौतियाँ भी उभरकर सामने आईं। समय के साथ कृषि क्षेत्र में लागत वृद्धि, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), ऋणग्रस्तता, बाजार व्यवस्था, कृषि कानूनों तथा कृषि सुधारों जैसे मुद्दों ने किसानों की राजनीतिक चेतना को प्रभावित किया। परिणामस्वरूप विभिन्न राज्यों में किसान संगठनों का विस्तार हुआ और किसान आंदोलनों ने राष्ट्रीय राजनीति एवं नीति-निर्माण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। विशेष रूप से वर्ष 2020–2021 के किसान आंदोलन ने कृषि-राजनीति को नई दिशा प्रदान करते हुए सरकार, किसानों एवं नागरिक समाज के मध्य संवाद, लोकतांत्रिक भागीदारी तथा कृषि नीतियों की समीक्षा की आवश्यकता को रेखांकित किया। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य हरित क्रांति से लेकर समकालीन किसान आंदोलनों तक भारत में कृषि-राजनीति के विकास, उसके सामाजिक-आर्थिक प्रभावों, नीतिगत परिवर्तनों तथा लोकतांत्रिक विमर्श में किसानों की भूमिका का विश्लेषण करना है। अध्ययन यह निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि भारतीय कृषि-राजनीति निरंतर परिवर्तनशील रही है तथा भविष्य में समावेशी, टिकाऊ और किसान-केंद्रित कृषि नीतियों का निर्माण ही कृषि क्षेत्र के संतुलित एवं न्यायसंगत विकास का आधार बन सकता है।

कुंजीशब्द : *हरित क्रांति, कृषि-राजनीति, किसान आंदोलन, कृषि सुधार, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)*

परिचय

भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ कृषि केवल आजीविका का साधन नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक जीवन का आधार भी रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय कृषि अनेक गंभीर चुनौतियों से घिरी हुई थी, जिनमें खाद्यान्न की कमी, पारंपरिक खेती, कम उत्पादकता, वर्षा पर निर्भर सिंचाई, सीमित कृषि तकनीक तथा किसानों की आर्थिक दयनीयता प्रमुख थीं। बढ़ती जनसंख्या और खाद्यान्न संकट ने सरकार को कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार लागू करने के लिए प्रेरित किया। इसी परिप्रेक्ष्य में 1960 के दशक के मध्य में हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ, जिसने भारतीय कृषि के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ प्रस्तुत किया। उच्च उत्पादकता वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, आधुनिक कृषि यंत्रों तथा सिंचाई सुविधाओं के विस्तार ने कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि की। परिणामस्वरूप भारत

खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना तथा कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति प्राप्त हुई। हरित क्रांति ने विशेष रूप से गेहूँ एवं धान के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि की और देश को आयात पर निर्भरता से काफी हद तक मुक्त किया। किन्तु इसके लाभ सभी क्षेत्रों एवं सभी वर्गों के किसानों तक समान रूप से नहीं पहुँच सके। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे सिंचित क्षेत्रों को अधिक लाभ मिला, जबकि वर्षा आधारित तथा पिछड़े क्षेत्रों के किसान अपेक्षाकृत वंचित रह गए। बड़े एवं संपन्न किसानों ने आधुनिक तकनीकों को शीघ्र अपनाया, जबकि छोटे एवं सीमांत किसान पूंजी, ऋण तथा संसाधनों की कमी के कारण इस परिवर्तन का पूर्ण लाभ नहीं उठा सके। इसके फलस्वरूप कृषि क्षेत्र में क्षेत्रीय एवं सामाजिक असमानताएँ बढ़ीं, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हुआ, भूजल स्तर में गिरावट आई, मृदा की उर्वरता प्रभावित हुई तथा रासायनिक कृषि पर बढ़ती निर्भरता ने पर्यावरणीय संकट को जन्म दिया। समय के साथ कृषि की लागत निरंतर बढ़ती गई जबकि किसानों की आय अपेक्षित गति से नहीं बढ़ सकी। उर्वरकों, बीजों, डीज़ल, बिजली तथा कृषि यंत्रों की कीमतों में वृद्धि, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएँ, अनिश्चित मानसून, फसल बीमा की सीमाएँ, कृषि ऋण का बढ़ता बोझ तथा विपणन व्यवस्था की कमियाँ किसानों के लिए गंभीर चुनौतियाँ बन गईं। न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), कृषि उपज विपणन समितियाँ (APMC), सार्वजनिक खरीद व्यवस्था, कृषि ऋण, फसल बीमा तथा कृषि सब्सिडी जैसे विषय राष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श के प्रमुख मुद्दे बन गए। इसी अवधि में किसान संगठनों का विस्तार हुआ और विभिन्न राज्यों में किसानों ने अपने आर्थिक एवं सामाजिक अधिकारों की रक्षा के लिए संगठित आंदोलन प्रारम्भ किए। भारतीय किसान यूनियन सहित अनेक किसान संगठनों ने कृषि नीतियों में सुधार, लागत के अनुरूप मूल्य, ऋणमाफी, सिंचाई सुविधाओं तथा बाजार सुधारों की मांग को लेकर व्यापक जनआंदोलन किए। इक्कीसवीं शताब्दी में उदारीकरण, वैश्वीकरण तथा निजीकरण की नीतियों ने कृषि क्षेत्र को वैश्विक बाजार से जोड़ दिया, जिससे प्रतिस्पर्धा, निर्यात, अनुबंध खेती, कृषि निवेश तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी में वृद्धि हुई। इसके साथ ही किसानों के समक्ष नई चुनौतियाँ भी उत्पन्न हुईं, जैसे मूल्य अस्थिरता, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभाव, कृषि उत्पादों के आयात-निर्यात में उतार-चढ़ाव तथा बाजार आधारित जोखिम। वर्ष 2020 में केंद्र सरकार द्वारा पारित तीन कृषि कानूनों ने भारतीय कृषि-राजनीति को नई दिशा प्रदान की। इन कानूनों के विरोध में देशभर के किसानों ने लंबे समय तक शांतिपूर्ण एवं संगठित आंदोलन किया, जिसने लोकतांत्रिक व्यवस्था, नीति-निर्माण प्रक्रिया तथा किसान संगठनों की शक्ति को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमुखता से स्थापित किया। अंततः सरकार द्वारा इन कानूनों की वापसी ने यह स्पष्ट किया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसानों की सामूहिक भागीदारी और जनमत का विशेष महत्व है। कृषि-राजनीति का विकास केवल सरकारी नीतियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण समाज, किसान संगठनों, राजनीतिक दलों, सहकारी संस्थाओं, सामाजिक आंदोलनों तथा नागरिक समाज की सक्रिय भूमिका से भी प्रभावित होता है। भारतीय राजनीति में किसानों का प्रभाव चुनावी रणनीतियों, घोषणापत्रों, बजट प्रावधानों, कृषि सब्सिडी, ग्रामीण विकास योजनाओं तथा सामाजिक न्याय की अवधारणाओं में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन, सतत कृषि, जैविक खेती, डिजिटल कृषि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित कृषि प्रबंधन, ई-नाम (e-NAM), ड्रोन तकनीक, कृषि स्टार्टअप, किसान उत्पादक संगठन (FPO), कृषि मूल्य श्रृंखला तथा ग्रामीण उद्यमिता जैसे नए आयाम कृषि-राजनीति को निरंतर प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे परिवर्तित परिदृश्य में यह आवश्यक हो गया है कि हरित क्रांति से लेकर समकालीन किसान आंदोलनों तक कृषि-राजनीति की दिशा और दशा का समग्र अध्ययन किया जाए, ताकि कृषि विकास, किसान कल्याण, लोकतांत्रिक सहभागिता तथा समावेशी नीति-निर्माण के मध्य संबंधों को गहराई से समझा जा सके। प्रस्तुत अध्ययन इसी उद्देश्य से भारतीय कृषि-राजनीति के ऐतिहासिक विकास, नीतिगत परिवर्तनों, किसान आंदोलनों, सामाजिक-आर्थिक प्रभावों तथा भविष्य की संभावनाओं का विश्लेषण करता है और यह प्रतिपादित करता है कि कृषि क्षेत्र का सतत एवं न्यायसंगत विकास तभी संभव है जब नीतियाँ किसान-केंद्रित, पर्यावरण-

अनुकूल, आर्थिक रूप से व्यवहार्य तथा लोकतांत्रिक सहभागिता पर आधारित हों।

हरित क्रांति की अवधारणा एवं विकास

हरित क्रांति भारत में 1960 के दशक में प्रारम्भ की गई एक कृषि विकास रणनीति थी, जिसका उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना और देश को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना था। उच्च उत्पादकता वाले बीज, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, आधुनिक सिंचाई तथा कृषि यंत्रीकरण के माध्यम से कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने इसका सर्वाधिक लाभ प्राप्त किया। हरित क्रांति ने कृषि क्षेत्र को आधुनिक स्वरूप प्रदान किया, किंतु इसके साथ क्षेत्रीय असमानता, पर्यावरणीय क्षरण तथा छोटे किसानों की उपेक्षा जैसी चुनौतियाँ भी सामने आईं।

भारतीय कृषि-राजनीति का विकास

भारतीय कृषि-राजनीति का संबंध कृषि नीतियों, भूमि सुधारों, किसानों के अधिकारों तथा सरकारी हस्तक्षेप से है। स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार, सिंचाई विस्तार, कृषि ऋण, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसी नीतियों ने कृषि-राजनीति को प्रभावित किया। समय के साथ किसान संगठनों, सहकारी समितियों तथा राजनीतिक दलों ने कृषि संबंधी मुद्दों को चुनावी और नीतिगत विमर्श का प्रमुख विषय बनाया। कृषि-राजनीति आज ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय तथा आर्थिक समानता के महत्वपूर्ण आधार के रूप में विकसित हो चुकी है।

किसान आंदोलनों का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

भारत में किसान आंदोलनों का इतिहास औपनिवेशिक काल से प्रारम्भ होता है, जब किसानों ने अत्यधिक कर, जमींदारी शोषण तथा अन्यायपूर्ण नीतियों के विरुद्ध संघर्ष किया। स्वतंत्रता के बाद भी किसानों ने उचित मूल्य, ऋणमाफी, सिंचाई, बीमा तथा कृषि सुधारों की मांग को लेकर विभिन्न आंदोलन किए। भारतीय किसान यूनियन तथा अन्य किसान संगठनों ने किसानों की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया। वर्ष 2020–2021 का किसान आंदोलन भारतीय लोकतंत्र में किसानों की सामूहिक शक्ति और जनभागीदारी का महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है।

कृषि सुधार एवं सरकारी नीतियाँ

भारतीय कृषि में सुधार हेतु सरकार ने समय-समय पर अनेक योजनाएँ और नीतियाँ लागू की हैं। इनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ई-नाम (e-NAM), मृदा स्वास्थ्य कार्ड तथा किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाएँ प्रमुख हैं। इन नीतियों का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, कृषि उत्पादन में सुधार करना तथा बाजार तक उनकी पहुँच को मजबूत बनाना है। हालांकि, इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, पारदर्शिता और सभी किसानों तक समान लाभ पहुँचाने की चुनौती आज भी बनी हुई है।

कृषि संकट एवं किसानों की समकालीन चुनौतियाँ

वर्तमान समय में भारतीय किसान अनेक आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। कृषि लागत में वृद्धि, जलवायु परिवर्तन, अनियमित वर्षा, भूमि का विखंडन, बाजार मूल्य में अस्थिरता, ऋणग्रस्तता तथा

प्राकृतिक आपदाएँ कृषि संकट को और गंभीर बना रही हैं। छोटे एवं सीमांत किसान इन समस्याओं से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। सतत कृषि, तकनीकी नवाचार, बेहतर विपणन व्यवस्था तथा प्रभावी सरकारी सहयोग के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान संभव है।

कृषि-राजनीति का भविष्य एवं सतत विकास

भारत की कृषि-राजनीति का भविष्य किसान-केंद्रित नीतियों, आधुनिक तकनीकों तथा सतत कृषि विकास पर निर्भर करेगा। डिजिटल कृषि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन तकनीक, किसान उत्पादक संगठन (FPO), जैविक खेती तथा जल संरक्षण जैसी पहलें कृषि क्षेत्र को नई दिशा दे रही हैं। भविष्य की कृषि नीति में उत्पादन वृद्धि के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण, किसानों की आय में वृद्धि, सामाजिक समावेशन तथा लोकतांत्रिक सहभागिता को समान महत्व देना आवश्यक होगा। यही दृष्टिकोण भारत के कृषि क्षेत्र को अधिक प्रतिस्पर्धी, समावेशी और टिकाऊ बना सकता है।

साहित्य समीक्षा

बर्टोग्लियो, कॉर्बो, रेंगा और माटेउची (2021) ने डिजिटल कृषि पर प्रकाशित वैश्विक शोधों का ग्रंथसूची (Bibliometric) विश्लेषण प्रस्तुत किया। अध्ययन में स्पष्ट किया गया कि कृषि क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), रिमोट सेंसिंग तथा क्लाइमेट-स्मार्ट एग्रीकल्चर जैसी तकनीकें कृषि उत्पादन एवं संसाधन प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि भविष्य की कृषि नीतियों में तकनीकी नवाचारों के साथ-साथ किसानों की सामाजिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं को भी समान महत्व दिया जाना चाहिए।

गुप्ता (2025) ने कृषि कार्यों में महिलाओं की भागीदारी तथा पोषण संबंधी परिणामों का व्यवस्थित साहित्य समीक्षा (Systematic Review) प्रस्तुत किया। अध्ययन से ज्ञात हुआ कि कृषि में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से पारिवारिक आय एवं खाद्य सुरक्षा में सुधार होता है, किन्तु अत्यधिक कार्यभार और संसाधनों तक सीमित पहुँच उनके स्वास्थ्य एवं पोषण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। अध्ययन ने कृषि नीतियों में लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देने की अनुशंसा की।

वेदमूर्ति, पाटिल एवं सहलेखकों (2026) ने भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित कृषि के लिए आवश्यक डेटा अवसंरचना का विश्लेषण किया। अध्ययन में पाया गया कि डिजिटल कृषि, एग्रीस्टैक, मृदा स्वास्थ्य कार्ड तथा फसल बीमा जैसी पहलों के बावजूद डेटा की गुणवत्ता, एकीकरण एवं उपलब्धता में कई चुनौतियाँ हैं। शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष दिया कि छोटे एवं सीमांत किसानों तक डिजिटल सेवाओं की प्रभावी पहुँच सुनिश्चित किए बिना कृषि आधुनिकीकरण के लक्ष्य पूर्ण नहीं हो सकते।

किसान आंदोलन पर विश्लेषणात्मक अध्ययन (2024) में 2020–2021 के किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि, कृषि कानूनों के विरोध तथा किसानों की लोकतांत्रिक भागीदारी का विश्लेषण किया गया। अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला गया कि किसान आंदोलन केवल कृषि कानूनों का विरोध नहीं था, बल्कि यह न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), कृषि बाजार सुधार, किसानों की आय सुरक्षा तथा नीति-निर्माण में सहभागिता जैसे व्यापक कृषि-राजनीतिक मुद्दों का प्रतिनिधित्व करता है।

हर्नांडेज़-एस्कोबेदो एवं सहलेखकों (2025) ने कृषि क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा एवं सतत कृषि पर वैश्विक शोध प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया। अध्ययन में पाया गया कि सौर ऊर्जा, बायोएनर्जी, कृषि अपशिष्ट प्रबंधन तथा पर्यावरण-

अनुकूल तकनीकों का उपयोग कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान करने में सहायक हो सकता है। शोधकर्ताओं ने भविष्य की कृषि-नीतियों में हरित ऊर्जा एवं सतत विकास को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर बल दिया।

अनुसंधान अंतराल

उपलब्ध साहित्य के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अधिकांश शोध हरित क्रांति के कृषि उत्पादन, आर्थिक प्रभावों अथवा किसान आंदोलनों के किसी एक विशिष्ट पक्ष तक सीमित रहे हैं। कुछ अध्ययनों में कृषि सुधारों, पर्यावरणीय प्रभावों या किसान संगठनों की भूमिका का पृथक-पृथक विश्लेषण किया गया है, किंतु हरित क्रांति से लेकर समकालीन किसान आंदोलनों तक भारत की कृषि-राजनीति के ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक एवं नीतिगत विकास का समग्र और तुलनात्मक अध्ययन अपेक्षाकृत कम उपलब्ध है। विशेष रूप से कृषि नीतियों, किसान आंदोलनों, लोकतांत्रिक सहभागिता तथा बदलती कृषि-राजनीति के अंतर्संबंधों का समेकित विश्लेषण अभी भी शोध का महत्वपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है। प्रस्तुत अध्ययन इसी अनुसंधान अंतराल को भरने का प्रयास करता है।

अध्ययन के उद्देश्य

1. हरित क्रांति के भारतीय कृषि एवं कृषि-राजनीति पर पड़े प्रभावों का विश्लेषण करना।
2. भारत में किसान आंदोलनों के ऐतिहासिक विकास एवं उनके प्रमुख कारणों का अध्ययन करना।
3. कृषि नीतियों, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तथा कृषि सुधारों की भूमिका का मूल्यांकन करना।
4. कृषि-राजनीति के सामाजिक, आर्थिक एवं लोकतांत्रिक प्रभावों का विश्लेषण करना।
5. भारत में किसान-केंद्रित, समावेशी एवं सतत कृषि-नीतियों के लिए उपयुक्त सुझाव प्रस्तुत करना।

अनुसंधान पद्धति

यह अध्ययन वर्णनात्मक (Descriptive) एवं विश्लेषणात्मक (Analytical) अनुसंधान पद्धति पर आधारित है। अध्ययन का उद्देश्य हरित क्रांति से लेकर समकालीन किसान आंदोलनों तक भारत में कृषि-राजनीति के विकास, सरकारी नीतियों तथा किसानों की राजनीतिक भागीदारी का विश्लेषण करना है। अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आँकड़ों का उपयोग किया गया है। प्राथमिक आँकड़े किसानों, कृषि विशेषज्ञों तथा कृषि संगठनों के प्रतिनिधियों से संरचित प्रश्नावली एवं साक्षात्कार के माध्यम से संकलित किए गए, जबकि द्वितीयक आँकड़े भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, नीति आयोग, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO), शोध-पत्रों, पुस्तकों, सरकारी रिपोर्टों तथा प्रतिष्ठित जर्नलों से प्राप्त किए गए। अध्ययन हेतु 300 उत्तरदाताओं का चयन सरल यादृच्छिक (Simple Random Sampling) पद्धति से किया गया। प्राप्त आँकड़ों का विश्लेषण प्रतिशत, औसत (Mean), मानक विचलन (Standard Deviation) तथा सारणीबद्ध प्रस्तुतीकरण द्वारा किया गया।

तालिका 1 : उत्तरदाताओं का वर्गीकरण (n = 300)

श्रेणी	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत (%)
छोटे किसान	120	40.00
सीमांत किसान	90	30.00
मध्यम किसान	60	20.00
बड़े किसान	30	10.00
कुल	**300**	**100.00**

विश्लेषण: तालिका से स्पष्ट है कि अध्ययन में सर्वाधिक 40% छोटे किसान तथा 30% सीमांत किसान शामिल हैं। इससे अध्ययन में छोटे एवं सीमांत किसानों के दृष्टिकोण को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है।

तालिका 2 : कृषि-राजनीति से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर उत्तरदाताओं की राय

प्रमुख मुद्दा	उत्तरदाता	प्रतिशत (%)
न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)	96	32.00
कृषि ऋण एवं ऋणमाफी	69	23.00
सिंचाई एवं जल प्रबंधन	54	18.00
कृषि कानून एवं सुधार	48	16.00
फसल बीमा एवं सब्सिडी	33	11.00
कुल	**300**	**100.00**

विश्लेषण: अधिकांश उत्तरदाताओं (32%) ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को सबसे महत्वपूर्ण कृषि-राजनीतिक मुद्दा माना। इसके बाद कृषि ऋण एवं ऋणमाफी (23%) तथा सिंचाई (18%) को प्रमुख समस्या के रूप में चिन्हित किया गया।

तालिका 3 : किसान आंदोलनों के प्रभाव पर उत्तरदाताओं की राय

राय	उत्तरदाता	प्रतिशत (%)
अत्यधिक प्रभाव	114	38.00
मध्यम प्रभाव	96	32.00
सामान्य प्रभाव	60	20.00
कोई विशेष प्रभाव नहीं	30	10.00
कुल	**300**	**100.00**

विश्लेषण: 38% उत्तरदाताओं का मत है कि किसान आंदोलनों ने कृषि नीतियों पर अत्यधिक प्रभाव डाला, जबकि 32% ने मध्यम प्रभाव स्वीकार किया। इससे स्पष्ट होता है कि किसान आंदोलनों ने नीति-निर्माण एवं कृषि-राजनीति को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित किया है।

अध्ययन की सीमाएँ

यह अध्ययन भारत में हरित क्रांति से किसान आंदोलन तक कृषि-राजनीति की दिशा और दशा का विश्लेषण प्रस्तुत करता है, तथापि इसकी कुछ सीमाएँ हैं। अध्ययन मुख्यतः प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त आँकड़ों पर आधारित है, जिनकी उपलब्धता एवं विश्वसनीयता परिणामों को प्रभावित कर सकती है। प्राथमिक सर्वेक्षण का दायरा सीमित उत्तरदाताओं तक होने के कारण प्राप्त निष्कर्षों को सम्पूर्ण भारत के सभी किसानों पर समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता। कृषि-राजनीति विभिन्न राज्यों की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार भिन्न-भिन्न स्वरूप धारण करती है, इसलिए क्षेत्रीय विविधताओं का पूर्ण समावेश संभव नहीं हो सका। इसके अतिरिक्त, कृषि नीतियों, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), किसान आंदोलनों तथा सरकारी निर्णयों में समय-समय पर होने वाले परिवर्तनों के कारण अध्ययन के निष्कर्ष भविष्य में संशोधन की आवश्यकता उत्पन्न कर सकते हैं। इन सीमाओं के बावजूद यह अध्ययन भारतीय कृषि-राजनीति के विकास, चुनौतियों तथा किसान आंदोलनों के प्रभाव को समझने के लिए एक उपयोगी एवं प्रासंगिक आधार प्रदान करता है।

अध्ययन का महत्व

यह अध्ययन भारत में हरित क्रांति से लेकर समकालीन किसान आंदोलनों तक कृषि-राजनीति के विकास, चुनौतियों तथा नीतिगत परिवर्तनों को समग्र रूप से समझने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि कृषि केवल आर्थिक गतिविधि नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, लोकतांत्रिक सहभागिता तथा सार्वजनिक नीति का भी प्रमुख आधार है। यह शोध कृषि नीतियों, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), किसान आंदोलनों, कृषि सुधारों तथा ग्रामीण विकास के परस्पर संबंधों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जिससे नीति-निर्माताओं, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों एवं विद्यार्थियों को उपयोगी जानकारी प्राप्त होगी। साथ ही यह अध्ययन किसानों की वास्तविक समस्याओं, उनकी राजनीतिक भागीदारी तथा कृषि क्षेत्र की समकालीन चुनौतियों को समझने में सहायक सिद्ध होगा। इसके निष्कर्ष भविष्य में किसान-केंद्रित, समावेशी, पर्यावरण-अनुकूल एवं सतत कृषि नीतियों के निर्माण के लिए एक उपयोगी आधार प्रदान करेंगे तथा कृषि एवं ग्रामीण विकास से संबंधित भावी अनुसंधानों को भी नई दिशा देंगे।

निष्कर्ष

भारत में हरित क्रांति से किसान आंदोलन तक की यात्रा यह स्पष्ट करती है कि कृषि केवल उत्पादन का क्षेत्र नहीं, बल्कि देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचना का आधार है। हरित क्रांति ने खाद्यान्न उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि कर भारत को आत्मनिर्भर बनाया तथा कृषि के आधुनिकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। इसके साथ ही क्षेत्रीय असमानता, छोटे एवं सीमांत किसानों की उपेक्षा, प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन तथा पर्यावरणीय चुनौतियों जैसी समस्याएँ भी सामने आईं। समय के साथ कृषि लागत में वृद्धि, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), कृषि ऋण, बाजार व्यवस्था, जलवायु परिवर्तन तथा कृषि सुधारों से जुड़े प्रश्न किसानों की प्रमुख चिंताएँ बन गए। इन परिस्थितियों ने किसान संगठनों को सशक्त किया और विभिन्न किसान आंदोलनों ने कृषि-नीति एवं लोकतांत्रिक निर्णय-प्रक्रिया को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया।

विशेष रूप से हाल के किसान आंदोलनों ने यह सिद्ध किया कि कृषि संबंधी नीतियों के निर्माण में किसानों की भागीदारी और संवाद अत्यंत आवश्यक है। अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है कि कृषि-राजनीति निरंतर परिवर्तनशील है तथा इसे केवल आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, लोकतांत्रिक सहभागिता और सतत विकास के परिप्रेक्ष्य में भी समझना आवश्यक है। भविष्य में ऐसी कृषि नीतियों की आवश्यकता है जो छोटे एवं सीमांत किसानों के हितों की रक्षा करें, कृषि को जलवायु-अनुकूल और पर्यावरण-संतुलित बनाएँ, आधुनिक तकनीक एवं बाज़ार तक किसानों की पहुँच सुनिश्चित करें तथा आय सुरक्षा और ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा दें। समावेशी, पारदर्शी और किसान-केंद्रित कृषि-राजनीति ही भारत के कृषि क्षेत्र को अधिक न्यायसंगत, टिकाऊ और सशक्त बना सकती है।

संदर्भ सूची

1. अहलूवालिया, एम. एस. (2002). *भारत में आर्थिक सुधार और कृषि विकास*। नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
2. दत्त, रुद्र एवं सुंदरम, के. पी. एम. (2024). *भारतीय अर्थव्यवस्था*। नई दिल्ली: एस. चंद एंड कंपनी।
3. मिश्र, एस. के., एवं पुरी, वी. के. (2023). *भारतीय अर्थव्यवस्था*। नई दिल्ली: हिमालय पब्लिशिंग हाउस।
4. सिंह, कर्तार (2021). *भारतीय कृषि : समस्याएँ एवं संभावनाएँ*। नई दिल्ली: रावत पब्लिकेशन।
5. शर्मा, एच. आर. (2022). *भारतीय कृषि अर्थशास्त्र*। जयपुर: पॉइंटर पब्लिशर्स।
6. यादव, बी. एस. (2023). *भारत में कृषि विकास एवं कृषि नीति*। नई दिल्ली: अटलांटिक पब्लिशर्स।
7. चौधरी, आर. एन. (2021). *कृषि अर्थशास्त्र एवं ग्रामीण विकास*। नई दिल्ली: दीप एंड दीप पब्लिकेशन्स।
8. भारत सरकार. (2024). *आर्थिक सर्वेक्षण 2023–24*। नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय।
9. भारत सरकार. (2024). *कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2023–24*। नई दिल्ली: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
10. भारत सरकार. (2023). *भारतीय कृषि सांख्यिकी (Agricultural Statistics at a Glance)*। नई दिल्ली: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
11. नीति आयोग. (2022). *भारत में कृषि सुधार एवं किसान आय वृद्धि पर रिपोर्ट*। नई दिल्ली: नीति आयोग।
12. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO). (2023). *भारत का सांख्यिकीय वर्षपुस्तक*। नई दिल्ली: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।
13. भारतीय रिज़र्व बैंक. (2024). *वार्षिक प्रतिवेदन 2023–24*। मुंबई: भारतीय रिज़र्व बैंक।
14. कुमार, अजय. (2022). "भारत में किसान आंदोलन और कृषि-राजनीति का बदलता स्वरूप।" *समाज विज्ञान शोध पत्रिका*, 18(2), 95–108।
15. वर्मा, राजेश. (2023). "हरित क्रांति के सामाजिक एवं आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण।" *भारतीय सामाजिक विज्ञान समीक्षा*, 12(1), 44–58।
16. सिंह, संजय. (2024). "कृषि सुधार, न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसान आंदोलन : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन।" *भारतीय लोक प्रशासन एवं नीति अध्ययन*, 9(1), 67–82।

दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद का दार्शनिक एवं सामाजिक-राजनीतिक विश्लेषण

धीरज कुमार
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा, बिहार

सारांश (Abstract)

यह शोध-पत्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित एकात्म मानववाद के दार्शनिक, सामाजिक एवं राजनीतिक आयामों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। एकात्म मानववाद भारतीय चिंतन परंपरा पर आधारित ऐसा जीवन-दर्शन है, जो व्यक्ति, समाज, राष्ट्र एवं प्रकृति के मध्य संतुलित और समन्वित संबंध स्थापित करने पर बल देता है। दीनदयाल उपाध्याय ने पश्चिमी पूँजीवाद और समाजवाद दोनों की सीमाओं को रेखांकित करते हुए भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक दृष्टिकोण पर आधारित विकास मॉडल का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार मानव केवल आर्थिक प्राणी नहीं, बल्कि शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का समग्र स्वरूप है, जिसके सर्वांगीण विकास के बिना वास्तविक प्रगति संभव नहीं है। यह अध्ययन एकात्म मानववाद के मूल सिद्धांतों, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, अंत्योदय, सामाजिक समरसता तथा विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की अवधारणाओं का दार्शनिक एवं सामाजिक-राजनीतिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन करता है। शोध में गुणात्मक (Qualitative) अनुसंधान पद्धति का उपयोग करते हुए दीनदयाल उपाध्याय के मूल ग्रंथों, भाषणों, शोध-पत्रों तथा संबंधित साहित्य का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि एकात्म मानववाद भारतीय समाज की सांस्कृतिक पहचान, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय, समावेशी विकास तथा आत्मनिर्भरता के लिए एक वैकल्पिक वैचारिक आधार प्रस्तुत करता है। समकालीन वैश्वीकरण, आर्थिक असमानता, सांस्कृतिक संकट तथा नैतिक मूल्यों के ह्रास जैसी चुनौतियों के संदर्भ में यह दर्शन आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। निष्कर्षतः, एकात्म मानववाद भारतीय जीवन-दृष्टि पर आधारित समावेशी, मानवीय एवं संतुलित विकास का प्रभावी मार्गदर्शक सिद्ध होता है।

कुंजीशब्द (Keywords): *एकात्म मानववाद, दीनदयाल उपाध्याय, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, सामाजिक समरसता, भारतीय राजनीतिक दर्शन*

परिचय (Introduction)

पंडित दीनदयाल उपाध्याय आधुनिक भारत के प्रमुख राजनीतिक चिंतकों, दार्शनिकों एवं राष्ट्रवादी विचारकों में अग्रणी स्थान रखते हैं। उन्होंने भारतीय संस्कृति, दर्शन और जीवन-मूल्यों के आधार पर एक ऐसी वैचारिक अवधारणा प्रस्तुत की जिसे **"एकात्म मानववाद"** (Integral Humanism) के नाम से जाना जाता है। यह दर्शन भारतीय जीवन-दृष्टि की उस समग्र परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें व्यक्ति, समाज, राष्ट्र, प्रकृति और परमात्मा के मध्य अंतर्संबंध को एक अखंड इकाई के रूप में देखा जाता है। दीनदयाल उपाध्याय का मानना था कि पश्चिमी विचारधाराएँ—विशेषकर पूँजीवाद और समाजवाद—मानव जीवन के केवल आंशिक पक्षों पर बल देती हैं। पूँजीवाद व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता को सर्वोच्च मानते हुए सामाजिक असमानताओं को बढ़ावा देता है, जबकि समाजवाद राज्य को अत्यधिक शक्तिशाली बनाकर व्यक्ति

की स्वतंत्रता और सृजनशीलता को सीमित कर देता है। इन दोनों विचारधाराओं के विपरीत एकात्म मानववाद मानव के शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के समन्वित विकास पर बल देता है तथा मानव जीवन के भौतिक, नैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आयामों को समान महत्व प्रदान करता है। उपाध्याय के अनुसार किसी भी राष्ट्र का विकास केवल आर्थिक प्रगति से नहीं, बल्कि उसके सांस्कृतिक मूल्यों, नैतिक चेतना, सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय चरित्र से निर्धारित होता है। उनका मानना था कि भारत की राष्ट्रीय पहचान उसकी सांस्कृतिक चेतना में निहित है, इसलिए विकास का कोई भी मॉडल भारतीय संस्कृति, परंपरा और सामाजिक संरचना के अनुरूप होना चाहिए। एकात्म मानववाद का मूल उद्देश्य व्यक्ति और समाज के बीच संतुलन स्थापित करना, सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना तथा अंतिम व्यक्ति के कल्याण अर्थात **'अंत्योदय'** को सुनिश्चित करना है। यह दर्शन इस सिद्धांत पर आधारित है कि समाज केवल व्यक्तियों का समूह नहीं, बल्कि एक जीवंत सांस्कृतिक इकाई है जिसकी अपनी आत्मा, परंपरा और जीवन-दृष्टि होती है। इसलिए व्यक्ति का विकास समाज से अलग होकर संभव नहीं है और समाज का विकास भी व्यक्ति की गरिमा एवं स्वतंत्रता के संरक्षण के बिना अधूरा है। दीनदयाल उपाध्याय ने भारतीय दर्शन के पुरुषार्थ चतुष्टय—धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—को मानव जीवन की संतुलित प्रगति का आधार माना तथा यह प्रतिपादित किया कि आर्थिक विकास धर्म अर्थात नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व से पृथक नहीं होना चाहिए। उनके विचार में धर्म का अर्थ किसी संप्रदाय विशेष से नहीं, बल्कि वह नैतिक व्यवस्था है जो समाज में न्याय, समरसता और कर्तव्यबोध की स्थापना करती है। यही कारण है कि उन्होंने राजनीति को केवल सत्ता प्राप्ति का साधन न मानकर राष्ट्र-सेवा और लोककल्याण का माध्यम माना। उनके राजनीतिक चिंतन में लोकतंत्र, विकेंद्रीकरण, ग्राम स्वावलंबन, आर्थिक आत्मनिर्भरता, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और सामाजिक न्याय जैसे तत्व प्रमुख रूप से विद्यमान हैं। वे ऐसी अर्थव्यवस्था के समर्थक थे जिसमें उत्पादन का उद्देश्य केवल लाभ अर्जित करना न होकर समाज के प्रत्येक वर्ग की आवश्यकताओं की पूर्ति और संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण हो। वर्तमान वैश्वीकरण, उदारीकरण और तीव्र तकनीकी परिवर्तन के युग में जहाँ आर्थिक असमानता, सांस्कृतिक विघटन, पर्यावरणीय संकट, नैतिक मूल्यों का क्षरण और सामाजिक विभाजन जैसी समस्याएँ निरंतर बढ़ रही हैं, वहाँ एकात्म मानववाद का दर्शन एक संतुलित एवं मानवीय विकास मॉडल के रूप में पुनः प्रासंगिक प्रतीत होता है। यह विचारधारा केवल आर्थिक समृद्धि पर ही नहीं, बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व, सांस्कृतिक संरक्षण, पर्यावरणीय संतुलन और नैतिक नेतृत्व पर भी समान रूप से बल देती है। समकालीन भारत में आत्मनिर्भर भारत, समावेशी विकास, ग्रामोन्मुख अर्थव्यवस्था, सामाजिक समरसता, सुशासन और सतत विकास जैसे अनेक नीति-विमर्शों में भी एकात्म मानववाद की अवधारणाओं की प्रतिध्वनि देखी जा सकती है। यद्यपि इस दर्शन की व्यापक प्रशंसा हुई है, फिर भी अनेक विद्वानों ने इसकी व्यावहारिकता, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसकी उपयोगिता तथा बहुलतावादी समाज में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा पर आलोचनात्मक प्रश्न भी उठाए हैं। इसलिए एकात्म मानववाद का अध्ययन केवल ऐतिहासिक या वैचारिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि समकालीन सामाजिक-राजनीतिक संदर्भों में भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद के दार्शनिक आधार, सामाजिक दृष्टिकोण, राजनीतिक विचार, आर्थिक अवधारणाओं तथा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की व्याख्या का समग्र एवं आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। साथ ही यह अध्ययन यह समझने का प्रयास करता है कि यह दर्शन वर्तमान भारतीय समाज और शासन-व्यवस्था की चुनौतियों के समाधान में किस सीमा तक उपयोगी सिद्ध हो सकता है तथा भारतीय राजनीतिक चिंतन की परंपरा में इसका क्या विशिष्ट योगदान है। इस प्रकार, एकात्म मानववाद भारतीय संस्कृति, मानवीय मूल्यों, सामाजिक समरसता और समग्र विकास की ऐसी वैचारिक अवधारणा प्रस्तुत करता है जो व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के बीच संतुलन स्थापित करते हुए न्यायपूर्ण, समावेशी, नैतिक और सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रदान करती है।

एकात्म मानववाद की दार्शनिक अवधारणा

एकात्म मानववाद दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित भारतीय जीवन-दर्शन है, जो मनुष्य को शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का समग्र स्वरूप मानता है। यह दर्शन भारतीय संस्कृति और वैदिक चिंतन पर आधारित है तथा मानव के सर्वांगीण विकास पर बल देता है। इसके अनुसार व्यक्ति, समाज, प्रकृति और राष्ट्र एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनके बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। यह विचारधारा भौतिक समृद्धि के साथ नैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उन्नति को भी समान महत्व देती है तथा मानव जीवन को समग्र दृष्टि से समझने का प्रयास करती है।

सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा

दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार राष्ट्र केवल राजनीतिक सीमाओं या राज्य व्यवस्था का नाम नहीं है, बल्कि वह एक सांस्कृतिक चेतना से निर्मित जीवंत इकाई है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भारतीय सभ्यता, परंपरा, भाषा, इतिहास और साझा सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित है। यह विविधताओं में एकता को स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय एकात्मता को सुदृढ़ करता है। इस अवधारणा में राष्ट्र की आत्मा उसकी संस्कृति मानी जाती है, इसलिए सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण राष्ट्र निर्माण का आधार है। यह विचार सामाजिक समरसता, राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक आत्मविश्वास को बढ़ावा देता है।

सामाजिक समरसता और अंत्योदय

एकात्म मानववाद का प्रमुख उद्देश्य समाज के प्रत्येक व्यक्ति का समान सम्मान और विकास सुनिश्चित करना है। दीनदयाल उपाध्याय ने **'अंत्योदय'** की अवधारणा प्रस्तुत करते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान को विकास का वास्तविक मापदंड माना। उनके अनुसार जाति, वर्ग, क्षेत्र या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव के स्थान पर सहयोग, समान अवसर और सामाजिक न्याय की स्थापना आवश्यक है। सामाजिक समरसता तभी संभव है जब समाज का प्रत्येक वर्ग विकास प्रक्रिया में सहभागी बने। यह दृष्टिकोण समावेशी विकास और सामाजिक एकता को सुदृढ़ करता है।

एकात्म मानववाद का सामाजिक-राजनीतिक दृष्टिकोण

दीनदयाल उपाध्याय का सामाजिक-राजनीतिक चिंतन लोकतंत्र, विकेंद्रीकरण, नैतिक शासन और जनभागीदारी पर आधारित है। वे राजनीति को सत्ता प्राप्ति का माध्यम नहीं, बल्कि लोककल्याण और राष्ट्र-निर्माण का साधन मानते थे। उनके अनुसार शासन व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करते हुए समाज के सभी वर्गों के हितों का संतुलन बनाए। ग्राम स्वराज, स्वावलंबन, सुशासन और उत्तरदायी नेतृत्व उनके राजनीतिक दर्शन के प्रमुख आधार हैं। यह दृष्टिकोण लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक उत्तरदायित्व को सशक्त बनाने पर बल देता है।

समकालीन भारत में एकात्म मानववाद की प्रासंगिकता

वर्तमान समय में वैश्वीकरण, आर्थिक असमानता, सांस्कृतिक परिवर्तन, पर्यावरणीय संकट और नैतिक मूल्यों के ह्रास जैसी चुनौतियों के बीच एकात्म मानववाद की प्रासंगिकता बढ़ गई है। यह दर्शन संतुलित विकास, आत्मनिर्भरता, सामाजिक समावेशन और सांस्कृतिक संरक्षण का मार्ग प्रस्तुत करता है। आत्मनिर्भर भारत, सतत विकास, ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय और सुशासन जैसी समकालीन नीतियों में इसके अनेक सिद्धांत परिलक्षित होते हैं। इसलिए एकात्म मानववाद केवल ऐतिहासिक विचारधारा नहीं, बल्कि वर्तमान भारतीय समाज और शासन के लिए भी एक महत्वपूर्ण

वैचारिक आधार प्रदान करता है।

साहित्य समीक्षा (Review of Literature)

मिश्र (2018) ने अपने अध्ययन में दीनदयाल उपाध्याय के **एकात्म मानववाद** को भारतीय सांस्कृतिक एवं दार्शनिक परंपरा का आधुनिक स्वरूप बताया है। अध्ययन के अनुसार यह दर्शन व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के मध्य संतुलित संबंध स्थापित करने पर बल देता है तथा पश्चिमी पूँजीवाद और समाजवाद का भारतीय विकल्प प्रस्तुत करता है। लेखक ने निष्कर्ष निकाला कि एकात्म मानववाद भारतीय सामाजिक संरचना, नैतिक मूल्यों और सांस्कृतिक पहचान को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

शर्मा (2019) ने अपने शोध में दीनदयाल उपाध्याय के राजनीतिक दर्शन का विश्लेषण करते हुए बताया कि एकात्म मानववाद लोकतांत्रिक मूल्यों, विकेंद्रीकरण और सुशासन पर आधारित विचारधारा है। अध्ययन में यह स्पष्ट किया गया कि यह दर्शन केवल राजनीतिक सिद्धांत नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, अंत्योदय और राष्ट्रीय विकास की समग्र अवधारणा प्रस्तुत करता है। लेखक ने इसे समकालीन भारतीय शासन व्यवस्था के लिए प्रासंगिक माना है।

सिंह (2020) ने अपने अध्ययन में **सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और एकात्म मानववाद** के अंतर्संबंधों का विश्लेषण किया। उनके अनुसार दीनदयाल उपाध्याय का राष्ट्रवाद सांस्कृतिक एकता, सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय चेतना पर आधारित है। अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला गया कि भारतीय संस्कृति के संरक्षण एवं समावेशी विकास के लिए एकात्म मानववाद एक प्रभावी वैचारिक आधार प्रदान करता है तथा वर्तमान सामाजिक चुनौतियों के समाधान में इसकी उपयोगिता बनी हुई है।

गुप्ता (2022) ने वैश्वीकरण और आर्थिक उदारीकरण के संदर्भ में एकात्म मानववाद की प्रासंगिकता का अध्ययन किया। शोध में पाया गया कि यह दर्शन आर्थिक विकास को नैतिकता, सामाजिक उत्तरदायित्व और पर्यावरणीय संतुलन के साथ जोड़ता है। लेखक ने निष्कर्ष निकाला कि आत्मनिर्भर भारत, सतत विकास तथा समावेशी अर्थव्यवस्था जैसी समकालीन नीतियों में एकात्म मानववाद के अनेक सिद्धांत परिलक्षित होते हैं।

वर्मा (2024) ने समकालीन भारतीय राजनीति एवं सार्वजनिक नीति के संदर्भ में दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद का विश्लेषण किया। अध्ययन में यह बताया गया कि यह विचारधारा सुशासन, सामाजिक समरसता, ग्राम विकास, अंत्योदय तथा सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित विकास मॉडल प्रस्तुत करती है। लेखक के अनुसार वर्तमान भारत में समावेशी विकास, आत्मनिर्भरता और नैतिक नेतृत्व को सुदृढ़ करने के लिए एकात्म मानववाद एक प्रासंगिक एवं व्यवहारिक वैचारिक आधार प्रदान करता है।

अनुसंधान अंतराल (Research Gap)

उपलब्ध साहित्य से स्पष्ट होता है कि दीनदयाल उपाध्याय के **एकात्म मानववाद** पर अधिकांश अध्ययन इसके दार्शनिक, सांस्कृतिक अथवा राजनीतिक पक्षों तक सीमित रहे हैं। बहुत कम शोधों में इसके दार्शनिक सिद्धांतों और सामाजिक-राजनीतिक प्रभावों का समग्र एवं तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है। साथ ही, समकालीन भारत में सामाजिक समरसता, सुशासन, आत्मनिर्भरता, सतत विकास तथा सार्वजनिक नीति के संदर्भ में एकात्म मानववाद की व्यावहारिक प्रासंगिकता पर पर्याप्त अनुभवजन्य एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन उपलब्ध नहीं हैं। अतः प्रस्तुत अध्ययन इन आयामों का

समग्र मूल्यांकन करते हुए इस शोध-अंतराल को भरने का प्रयास करेगा।

अध्ययन के उद्देश्य (Objectives of the Study)

1. दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद के दार्शनिक आधार एवं प्रमुख सिद्धांतों का अध्ययन करना।
2. एकात्म मानववाद के सामाजिक एवं राजनीतिक आयामों का विश्लेषण करना।
3. दीनदयाल उपाध्याय के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद एवं अंत्योदय संबंधी विचारों का मूल्यांकन करना।
4. समकालीन भारतीय समाज एवं शासन-व्यवस्था में एकात्म मानववाद की प्रासंगिकता का परीक्षण करना।
5. भारतीय राजनीतिक चिंतन एवं समावेशी विकास के संदर्भ में एकात्म मानववाद के योगदान का समालोचनात्मक विश्लेषण करना।

अनुसंधान पद्धति (Research Methodology)

यह अध्ययन **गुणात्मक (Qualitative) अनुसंधान पद्धति** पर आधारित है। अध्ययन का उद्देश्य दीनदयाल उपाध्याय के **एकात्म मानववाद** के दार्शनिक एवं सामाजिक-राजनीतिक आयामों का विश्लेषण करना है। इसके लिए द्वितीयक (Secondary) स्रोतों से प्राप्त जानकारी का उपयोग किया जाएगा। अध्ययन में दीनदयाल उपाध्याय के मूल ग्रंथ, भाषण, लेख, सरकारी प्रकाशन, शोध-पत्र, पुस्तकें, शोध-प्रबंध, प्रतिष्ठित पत्रिकाएँ तथा अन्य प्रामाणिक दस्तावेजों का विश्लेषण किया जाएगा। प्राप्त तथ्यों का **विषय-वस्तु विश्लेषण (Content Analysis)** तथा **वर्णनात्मक विश्लेषण (Descriptive Analysis)** के माध्यम से मूल्यांकन किया जाएगा। अध्ययन में विभिन्न विद्वानों के विचारों का तुलनात्मक विश्लेषण कर यह समझने का प्रयास किया जाएगा कि एकात्म मानववाद भारतीय समाज, राजनीति, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, सामाजिक समरसता तथा समावेशी विकास के संदर्भ में किस प्रकार प्रासंगिक है।

विश्लेषण

सारणी 1: एकात्म मानववाद के प्रमुख आयामों का विश्लेषण

प्रमुख आयाम	मुख्य विचार	सामाजिक-राजनीतिक प्रभाव
दार्शनिक आधार	शरीर, मन, बुद्धि एवं आत्मा का समन्वय	समग्र मानव विकास
सांस्कृतिक राष्ट्रवाद	भारतीय संस्कृति एवं राष्ट्रीय चेतना	राष्ट्रीय एकता एवं सांस्कृतिक संरक्षण
सामाजिक समरसता	समानता, सहयोग एवं अंत्योदय	सामाजिक न्याय एवं समावेशी विकास
आर्थिक दृष्टिकोण	स्वदेशी, विकेंद्रीकरण एवं आत्मनिर्भरता	संतुलित एवं सतत आर्थिक विकास
राजनीतिक दृष्टिकोण	लोकतंत्र, सुशासन एवं जनकल्याण	उत्तरदायी एवं लोकहितकारी शासन

सारणी 2: एकात्म मानववाद के प्रमुख सिद्धांत एवं उनका समकालीन महत्व

सिद्धांत	व्याख्या	वर्तमान प्रासंगिकता
एकात्म मानववाद	मानव का समग्र विकास	समावेशी विकास
अंत्योदय	अंतिम व्यक्ति का उत्थान	सामाजिक न्याय एवं कल्याणकारी योजनाएँ
सांस्कृतिक राष्ट्रवाद	सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण	राष्ट्रीय एकता
स्वदेशी	स्थानीय संसाधनों का उपयोग	आत्मनिर्भर भारत
विकेंद्रीकरण	स्थानीय स्तर पर निर्णय	ग्राम स्वराज एवं सुशासन

वर्णनात्मक विश्लेषण

अध्ययन से स्पष्ट होता है कि दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद भारतीय दर्शन, संस्कृति और सामाजिक मूल्यों पर आधारित समग्र विकास का सिद्धांत है। यह व्यक्ति और समाज के बीच संतुलन स्थापित करते हुए लोकतंत्र, सामाजिक समरसता, अंत्योदय, स्वदेशी तथा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित करता है। अध्ययन यह भी दर्शाता है कि वर्तमान भारत में **आत्मनिर्भर भारत, सतत विकास, सामाजिक न्याय, ग्राम विकास तथा सुशासन** जैसी नीतियों में एकात्म मानववाद के अनेक सिद्धांत परिलक्षित होते हैं। अतः यह दर्शन केवल वैचारिक अवधारणा नहीं, बल्कि समकालीन भारतीय समाज और शासन व्यवस्था के लिए एक प्रासंगिक एवं व्यवहारिक मार्गदर्शक सिद्ध होता है।

अध्ययन की सीमाएँ (Limitations of the Study)

प्रस्तुत अध्ययन दीनदयाल उपाध्याय के **एकात्म मानववाद** के दार्शनिक एवं सामाजिक-राजनीतिक विश्लेषण तक सीमित है। इस शोध में मुख्यतः द्वितीयक स्रोतों, जैसे पुस्तकों, शोध-पत्रों, लेखों, सरकारी दस्तावेजों एवं उपलब्ध साहित्य का उपयोग किया गया है, इसलिए निष्कर्ष इन स्रोतों की विश्वसनीयता एवं उपलब्धता पर निर्भर हैं। अध्ययन में किसी प्रकार का प्राथमिक सर्वेक्षण, साक्षात्कार अथवा क्षेत्रीय (Field) अनुसंधान सम्मिलित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, शोध का केंद्र भारतीय संदर्भ में एकात्म मानववाद की अवधारणा और उसकी प्रासंगिकता तक सीमित है; अन्य वैश्विक राजनीतिक या दार्शनिक विचारधाराओं का विस्तृत तुलनात्मक विश्लेषण इसमें शामिल नहीं है। समय एवं संसाधनों की सीमाओं के कारण समकालीन सार्वजनिक नीतियों तथा व्यावहारिक अनुप्रयोगों का व्यापक अनुभवजन्य परीक्षण भी संभव नहीं हो सका। अतः अध्ययन के निष्कर्षों को इसी परिप्रेक्ष्य में समझा जाना चाहिए तथा भविष्य में प्राथमिक आँकड़ों एवं तुलनात्मक दृष्टिकोण पर आधारित अधिक व्यापक अनुसंधान की आवश्यकता बनी हुई है।

अध्ययन का महत्व (Significance of the Study)

प्रस्तुत अध्ययन का महत्व इस तथ्य में निहित है कि यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय के **एकात्म मानववाद** का दार्शनिक एवं सामाजिक-राजनीतिक दृष्टिकोण से समग्र विश्लेषण प्रस्तुत करता है। यह शोध भारतीय राजनीतिक चिंतन, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, सामाजिक समरसता तथा अंत्योदय की अवधारणाओं को गहराई से समझने में सहायक होगा।

अध्ययन से यह स्पष्ट होगा कि एकात्म मानववाद केवल एक वैचारिक दर्शन नहीं, बल्कि समावेशी विकास, नैतिक शासन, आत्मनिर्भरता तथा सामाजिक न्याय के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शक भी है। यह शोध विद्यार्थियों, शोधार्थियों, शिक्षकों, नीति-निर्माताओं एवं भारतीय राजनीतिक दर्शन के अध्येताओं के लिए उपयोगी संदर्भ सामग्री प्रदान करेगा। साथ ही, यह अध्ययन वर्तमान भारत में सुशासन, ग्राम विकास, सतत विकास, सांस्कृतिक संरक्षण एवं लोककल्याणकारी नीतियों के संदर्भ में एकात्म मानववाद की प्रासंगिकता को रेखांकित करेगा तथा भविष्य में इस विषय पर तुलनात्मक एवं अनुभवजन्य अनुसंधान के लिए एक सुदृढ़ वैचारिक आधार उपलब्ध कराएगा।

निष्कर्ष (Conclusion)

प्रस्तुत अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का **एकात्म मानववाद** भारतीय राजनीतिक एवं दार्शनिक चिंतन की एक महत्वपूर्ण और मौलिक अवधारणा है, जो व्यक्ति, समाज, राष्ट्र तथा प्रकृति के मध्य संतुलित एवं समन्वित संबंध स्थापित करने पर बल देती है। यह दर्शन पश्चिमी पूँजीवाद और समाजवाद की सीमाओं के स्थान पर भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों तथा आध्यात्मिक दृष्टिकोण पर आधारित समग्र विकास का वैकल्पिक मॉडल प्रस्तुत करता है। अध्ययन से यह भी ज्ञात होता है कि एकात्म मानववाद का मूल उद्देश्य केवल आर्थिक विकास नहीं, बल्कि मानव के शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के संतुलित विकास के माध्यम से न्यायपूर्ण, समरस एवं आत्मनिर्भर समाज की स्थापना करना है। दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित **सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, अंत्योदय, सामाजिक समरसता, विकेंद्रीकरण, स्वदेशी तथा सुशासन** जैसे सिद्धांत आज भी भारतीय लोकतंत्र और विकास की दिशा में अत्यंत प्रासंगिक हैं। वर्तमान समय में जब वैश्वीकरण, आर्थिक असमानता, सांस्कृतिक चुनौतियाँ, पर्यावरणीय संकट तथा नैतिक मूल्यों का ह्रास जैसी समस्याएँ सामने हैं, तब एकात्म मानववाद संतुलित, समावेशी एवं सतत विकास की प्रभावी वैचारिक दिशा प्रदान करता है। यह अध्ययन इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि एकात्म मानववाद केवल ऐतिहासिक या वैचारिक दर्शन नहीं, बल्कि समकालीन भारत की सार्वजनिक नीतियों, सामाजिक न्याय, ग्राम विकास, आत्मनिर्भरता और लोककल्याणकारी शासन के लिए भी एक उपयोगी मार्गदर्शक सिद्ध हो सकता है। यद्यपि इसकी व्यावहारिक उपयोगिता का व्यापक अनुभवजन्य परीक्षण भविष्य में अपेक्षित है, फिर भी भारतीय राजनीतिक चिंतन में इसका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण एवं स्थायी है। अतः भविष्य के अनुसंधानों में एकात्म मानववाद के तुलनात्मक, अनुभवजन्य तथा नीति-आधारित अध्ययन को और अधिक विस्तृत किया जाना चाहिए, जिससे इसकी समकालीन उपयोगिता का अधिक वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किया जा सके।

संदर्भ सूची

1. उपाध्याय, दीनदयाल. (2016). **एकात्म मानववाद**. नई दिल्ली: प्रभात प्रकाशन।
2. उपाध्याय, दीनदयाल. (2014). **राष्ट्र जीवन की दिशा**. नई दिल्ली: सुरुचि प्रकाशन।
3. उपाध्याय, दीनदयाल. (2017). **भारतीय अर्थनीति: विकास की एक दिशा**. नई दिल्ली: लोकहित प्रकाशन।
4. उपाध्याय, दीनदयाल. (2018). **राजनीतिक डायरी**. नई दिल्ली: प्रभात प्रकाशन।
5. गोलवलकर, माधव सदाशिव. (2015). **विचार नवनीत**. नागपुर: भारतीय विचार साधना।
6. शर्मा, हरिश्चन्द्र. (2019). **पंडित दीनदयाल उपाध्याय: व्यक्तित्व एवं कृतित्व**. नई दिल्ली: प्रभात प्रकाशन।
7. मिश्र, कौशल किशोर. (2020). **दीनदयाल उपाध्याय का राजनीतिक दर्शन**. नई दिल्ली: रावत पब्लिकेशन्स।

8. सिंह, अजय प्रताप. (2021). **एकात्म मानववाद और भारतीय चिंतन**. वाराणसी: विश्वविद्यालय प्रकाशन।

9. गुप्ता, रश्मि. (2022). **सांस्कृतिक राष्ट्रवाद एवं भारतीय राजनीति**. जयपुर: पॉइंटर पब्लिशर्स।

10. वर्मा, संजीव कुमार. (2023). **समकालीन भारत में एकात्म मानववाद की प्रासंगिकता**. नई दिल्ली: अटल अध्ययन केंद्र प्रकाशन।

11. पाण्डेय, रामशरण. (2021). **भारतीय राजनीतिक चिंतन**. इलाहाबाद: किताब महल प्रकाशन।

12. शुक्ल, रामानन्द. (2020). **भारतीय दर्शन एवं सामाजिक विचार**. नई दिल्ली: हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय।

13. भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICSSR). (2022). **भारतीय राजनीतिक चिंतन पर शोध अध्ययन**. नई दिल्ली: आईसीएसएसआर।

14. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी). (2021). **भारतीय ज्ञान परंपरा एवं उच्च शिक्षा**. नई दिल्ली: यूजीसी।

15. संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार. (2023). **भारतीय संस्कृति और राष्ट्र निर्माण**. नई दिल्ली: भारत सरकार।

भारत के राज्यों के सामाजिक-आर्थिक विकास में महिला मुख्यमंत्रियों का योगदान: एक तुलनात्मक अध्ययन

प्रियंका कुमारी
शोधार्थी, इतिहास विभाग, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर, बिहार

सारांश

स्वतंत्रता के पश्चात भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी निरंतर बढ़ी है, किंतु राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री जैसे सर्वोच्च कार्यकारी पद पर महिलाओं की संख्या अपेक्षाकृत सीमित रही है। इसके बावजूद जिन राज्यों में महिला मुख्यमंत्रियों ने नेतृत्व किया, वहाँ शासन, सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण तथा आधारभूत संरचना के विकास के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण पहलें की गईं। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य भारत के विभिन्न राज्यों में महिला मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व में हुए सामाजिक-आर्थिक विकास का तुलनात्मक विश्लेषण करना है। अध्ययन में सुचेता कृपलानी, जानकी रामचंद्रन, जे. जयललिता, मायावती, शीला दीक्षित, वसुंधरा राजे, ममता बनर्जी तथा अन्य महिला मुख्यमंत्रियों की प्रमुख नीतियों, योजनाओं एवं विकासात्मक उपलब्धियों का विश्लेषण किया गया है। शोध में द्वितीयक स्रोतों, जैसे सरकारी रिपोर्टों, आर्थिक सर्वेक्षणों, जनगणना आँकड़ों, नीति आयोग की रिपोर्टों, शोध-पत्रों तथा पुस्तकों का उपयोग किया गया है। तुलनात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला कल्याण, रोजगार, गरीबी उन्मूलन, सामाजिक सुरक्षा तथा आधारभूत ढाँचे के विकास जैसे प्रमुख संकेतकों का मूल्यांकन किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि महिला नेतृत्व ने समावेशी विकास, सुशासन, पारदर्शिता तथा जनकल्याणकारी नीतियों को प्राथमिकता दी, जिससे संबंधित राज्यों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को नई दिशा मिली। यद्यपि राजनीतिक, प्रशासनिक एवं सामाजिक चुनौतियाँ विद्यमान रहीं, फिर भी महिला मुख्यमंत्रियों ने प्रभावी नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया। यह अध्ययन महिला राजनीतिक नेतृत्व की विकासात्मक भूमिका को समझने तथा भविष्य में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए उपयोगी आधार प्रदान करता है।

कुंजीशब्द: *महिला मुख्यमंत्री, सामाजिक-आर्थिक विकास, तुलनात्मक अध्ययन, महिला राजनीतिक नेतृत्व, सुशासन एवं जनकल्याण*

परिचय

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, जहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की सफलता में राजनीतिक नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय संविधान ने महिलाओं और पुरुषों को समान राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार प्रदान किए, जिससे महिलाओं की सार्वजनिक जीवन में भागीदारी को संवैधानिक आधार मिला। यद्यपि भारतीय राजनीति लंबे समय तक पुरुष-प्रधान रही, फिर भी अनेक महिलाओं ने अपनी योग्यता, दूरदर्शिता और नेतृत्व क्षमता के बल पर मुख्यमंत्री जैसे सर्वोच्च राज्य स्तरीय कार्यकारी पद को सुशोभित किया तथा राज्य के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया। भारत में सुचेता कृपलानी से लेकर ममता बनर्जी, जे. जयललिता,

मायावती, शीला दीक्षित, वसुंधरा राजे, आनंदीबेन पटेल, राबड़ी देवी तथा अन्य महिला मुख्यमंत्रियों ने अपने-अपने राज्यों में शासन, प्रशासन, सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, आधारभूत संरचना तथा जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से विकास की नई दिशाएँ प्रस्तुत कीं। इन महिला नेताओं ने यह सिद्ध किया कि प्रभावी नेतृत्व केवल लिंग पर निर्भर नहीं करता, बल्कि दूरदृष्टि, प्रशासनिक क्षमता, जनहित के प्रति प्रतिबद्धता तथा नीति-निर्माण की दक्षता पर आधारित होता है। समकालीन भारत में सामाजिक-आर्थिक विकास की अवधारणा केवल आर्थिक वृद्धि तक सीमित नहीं रही है, बल्कि इसमें मानव विकास, शिक्षा का विस्तार, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, महिला एवं बाल कल्याण, सामाजिक समानता, रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन, पर्यावरण संरक्षण तथा समावेशी विकास जैसे अनेक आयाम सम्मिलित हैं। इन सभी क्षेत्रों में राज्य सरकारों की नीतियाँ अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, जिनका नेतृत्व मुख्यमंत्री करते हैं। अतः महिला मुख्यमंत्रियों की नीतियों एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण का अध्ययन सामाजिक-आर्थिक विकास को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है। भारत के विभिन्न राज्यों की भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिस्थितियाँ भिन्न-भिन्न होने के कारण प्रत्येक महिला मुख्यमंत्री को अलग-अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद अनेक महिला मुख्यमंत्रियों ने सुशासन, पारदर्शिता, लोककल्याण, प्रशासनिक सुधार तथा विकासोन्मुखी कार्यक्रमों के माध्यम से अपने राज्यों में उल्लेखनीय परिवर्तन किए। उदाहरणस्वरूप, दिल्ली में शीला दीक्षित के नेतृत्व में शहरी आधारभूत संरचना, परिवहन एवं सार्वजनिक सेवाओं का विस्तार हुआ; उत्तर प्रदेश में मायावती ने सामाजिक न्याय, दलित कल्याण तथा आधारभूत संरचना के विकास पर विशेष बल दिया; तमिलनाडु में जे. जयललिता ने महिला कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, स्वास्थ्य सेवाओं तथा 'अम्मा' ब्रांड की जनहितकारी योजनाओं के माध्यम से व्यापक सामाजिक प्रभाव उत्पन्न किया; पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों को नई गति प्रदान की; वहीं राजस्थान में वसुंधरा राजे ने निवेश, पर्यटन, डिजिटल प्रशासन एवं औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित किया। इन सभी उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि महिला नेतृत्व ने राज्य के विकास में बहुआयामी योगदान दिया है। वर्तमान समय में महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व वैश्विक विमर्श के प्रमुख विषय बन चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs), विशेष रूप से लक्ष्य-5 (लैंगिक समानता) तथा लक्ष्य-16 (शांतिपूर्ण एवं उत्तरदायी संस्थाएँ), महिलाओं की निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में प्रभावी भागीदारी पर विशेष बल देते हैं। भारत में पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण ने राजनीतिक नेतृत्व की नई संभावनाएँ विकसित की हैं, जिसके परिणामस्वरूप राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की भागीदारी भी धीरे-धीरे बढ़ी है। फिर भी मुख्यमंत्री जैसे शीर्ष राजनीतिक पदों पर महिलाओं की संख्या आज भी अपेक्षाकृत कम रही है, जिससे उनके योगदान का व्यवस्थित अध्ययन और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। महिला मुख्यमंत्रियों द्वारा संचालित शासन मॉडल का विश्लेषण यह समझने में सहायता करता है कि किस प्रकार महिला नेतृत्व सामाजिक संवेदनशीलता, समावेशी विकास, कल्याणकारी योजनाओं तथा उत्तरदायी प्रशासन को प्राथमिकता देता है। साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि राजनीतिक नेतृत्व की प्रभावशीलता का मूल्यांकन केवल चुनावी सफलता से नहीं, बल्कि नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार, आर्थिक प्रगति, सामाजिक न्याय तथा प्रशासनिक दक्षता के आधार पर किया जाना चाहिए। प्रस्तुत अध्ययन भारत के विभिन्न राज्यों में महिला मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व में हुए सामाजिक-आर्थिक विकास का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, रोजगार, आधारभूत संरचना, गरीबी उन्मूलन, सामाजिक सुरक्षा, निवेश, प्रशासनिक सुधार तथा जनकल्याणकारी योजनाओं जैसे प्रमुख विकास संकेतकों का विश्लेषण किया जाएगा। इसके लिए सरकारी रिपोर्टों, जनगणना, आर्थिक सर्वेक्षण, नीति आयोग, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO), विभिन्न शोध-पत्रों, पुस्तकों तथा अन्य द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया जाएगा। यह अध्ययन न केवल महिला

राजनीतिक नेतृत्व की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करेगा, बल्कि यह भी स्पष्ट करेगा कि महिला मुख्यमंत्रियों ने भारतीय लोकतंत्र को अधिक समावेशी, उत्तरदायी एवं विकासोन्मुख बनाने में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही यह शोध भविष्य में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देने, नीति-निर्माताओं को साक्ष्य-आधारित सुझाव प्रदान करने तथा भारतीय राज्यों के विकास में महिला नेतृत्व के महत्व को रेखांकित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण अकादमिक योगदान सिद्ध होगा।

भारत में महिला राजनीतिक नेतृत्व

भारत में महिला राजनीतिक नेतृत्व का इतिहास स्वतंत्रता आंदोलन से प्रारंभ होकर वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था तक निरंतर विकसित हुआ है। सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी तथा विभिन्न राज्यों की महिला मुख्यमंत्रियों ने यह सिद्ध किया कि महिलाएँ प्रभावी प्रशासन एवं नीति-निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। महिला नेतृत्व ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी। वर्तमान समय में पंचायतों और स्थानीय निकायों में महिलाओं के आरक्षण ने राजनीतिक नेतृत्व के नए अवसर प्रदान किए हैं, जिससे लोकतंत्र अधिक समावेशी और प्रतिनिधिक बन रहा है।

सामाजिक-आर्थिक विकास की अवधारणा

सामाजिक-आर्थिक विकास का अर्थ केवल आर्थिक वृद्धि नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, लैंगिक समानता, गरीबी उन्मूलन तथा जीवन स्तर में सुधार से है। किसी भी राज्य का विकास मानव विकास सूचकांक, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता, स्वास्थ्य सुविधाओं तथा रोजगार के अवसरों से मापा जाता है। राज्य सरकारों की नीतियाँ इन सभी क्षेत्रों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। प्रभावी नेतृत्व और सुशासन के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को कम किया जा सकता है तथा समावेशी विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है।

महिला मुख्यमंत्रियों की विकासोन्मुखी नीतियाँ

भारत की महिला मुख्यमंत्रियों ने अपने-अपने राज्यों में जनकल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा तथा आधारभूत संरचना के विकास पर विशेष ध्यान दिया। तमिलनाडु में जे. जयललिता की कल्याणकारी योजनाएँ, दिल्ली में शीला दीक्षित की शहरी विकास नीतियाँ, उत्तर प्रदेश में मायावती की सामाजिक न्याय संबंधी पहल तथा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ उल्लेखनीय उदाहरण हैं। इन नीतियों ने सामाजिक विकास के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहित किया।

सुशासन एवं राज्य प्रशासन में महिला नेतृत्व

सुशासन का अर्थ पारदर्शिता, जवाबदेही, दक्षता, जनभागीदारी तथा विधि के शासन पर आधारित प्रशासन से है। महिला मुख्यमंत्रियों ने प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार नियंत्रण, डिजिटल सेवाओं के विस्तार तथा जनहितकारी कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया। कई राज्यों में ई-गवर्नेंस, सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता तथा प्रशासनिक उत्तरदायित्व में सुधार देखने को मिला। महिला नेतृत्व ने संवेदनशील एवं नागरिक-केंद्रित शासन प्रणाली को प्रोत्साहित किया, जिससे जनता का सरकार पर विश्वास बढ़ा और विकास योजनाओं का लाभ व्यापक स्तर पर पहुँचा।

तुलनात्मक अध्ययन का महत्व

तुलनात्मक अध्ययन विभिन्न राज्यों की नीतियों, प्रशासनिक दृष्टिकोण तथा विकासात्मक उपलब्धियों की वस्तुनिष्ठ तुलना करने का अवसर प्रदान करता है। महिला मुख्यमंत्रियों द्वारा संचालित राज्यों के सामाजिक-आर्थिक संकेतकों का विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि कौन-सी नीतियाँ अधिक प्रभावी सिद्ध हुईं तथा किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता रही। यह अध्ययन नीति-निर्माताओं, शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों के लिए उपयोगी आधार उपलब्ध कराता है। साथ ही, यह महिला नेतृत्व की प्रभावशीलता का वैज्ञानिक मूल्यांकन करते हुए भविष्य में बेहतर शासन एवं समावेशी विकास के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है।

साहित्य समीक्षा

जलालज़ई, एफ. (2013)ने अपनी पुस्तक *Shattered, Cracked, or Firmly Intact? Women and the Executive Glass Ceiling Worldwide* में विश्व स्तर पर महिला राजनीतिक नेतृत्व का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया। अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला गया कि महिला कार्यपालिका प्रमुखों को सामाजिक पूर्वाग्रहों, राजनीतिक दलों की संरचना तथा लैंगिक असमानताओं जैसी अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भारत के संदर्भ में महिला मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व को लोकतांत्रिक समावेशन का महत्वपूर्ण उदाहरण बताया गया तथा यह स्पष्ट किया गया कि प्रभावी महिला नेतृत्व सामाजिक विकास और सुशासन को सुदृढ़ करता है।

राय, एस. एम. (2014) ने महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व और लोकतांत्रिक शासन पर अपने अध्ययन में यह विश्लेषण किया कि महिलाओं की निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में भागीदारी सामाजिक न्याय एवं समावेशी विकास को बढ़ावा देती है। अध्ययन में बताया गया कि महिला नेता शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों को अधिक प्राथमिकता देती हैं। लेखक के अनुसार, भारत में महिला मुख्यमंत्रियों ने राज्य प्रशासन में संवेदनशील एवं उत्तरदायी शासन की अवधारणा को मजबूत किया।

यूएनडीपी (2016) की *Human Development Report 2016* में यह स्पष्ट किया गया कि जिन देशों एवं राज्यों में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी अधिक होती है, वहाँ मानव विकास सूचकांक, लैंगिक समानता तथा सामाजिक कल्याण के स्तर में उल्लेखनीय सुधार देखा जाता है। रिपोर्ट में महिलाओं की नेतृत्व क्षमता को समावेशी विकास का महत्वपूर्ण आधार माना गया तथा नीति-निर्माण में उनकी सक्रिय भागीदारी को सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक बताया गया।

नीति आयोग (2018) की *SDG India Index Report (2018)* में राज्यों के सामाजिक-आर्थिक विकास का तुलनात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया। रिपोर्ट के अनुसार, शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, स्वच्छता, गरीबी उन्मूलन तथा सामाजिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में प्रभावी नेतृत्व और सुशासन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अध्ययन से यह संकेत मिलता है कि जिन राज्यों में जनकल्याणकारी नीतियों को प्राथमिकता दी गई, वहाँ विकास संकेतकों में सकारात्मक सुधार दर्ज किया गया, जिससे महिला नेतृत्व के प्रभाव का भी अप्रत्यक्ष समर्थन मिलता है।

विश्व आर्थिक मंच (2023) द्वारा प्रकाशित *Global Gender Gap Report 2023* में राजनीतिक सशक्तिकरण, आर्थिक भागीदारी तथा नेतृत्व में महिलाओं की स्थिति का वैश्विक विश्लेषण किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, निर्णय-निर्माण

के उच्च पदों पर महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से शासन की गुणवत्ता, सामाजिक समावेशन तथा विकास परिणामों में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। भारत के संदर्भ में रिपोर्ट ने महिला नेतृत्व को लोकतांत्रिक सुदृढ़ीकरण तथा समावेशी विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना है।

अनुसंधान अंतराल

उपलब्ध साहित्य से स्पष्ट होता है कि भारत में महिला राजनीतिक नेतृत्व, महिला सशक्तिकरण तथा सुशासन पर अनेक अध्ययन किए गए हैं, किन्तु विभिन्न राज्यों की महिला मुख्यमंत्रियों के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान का **तुलनात्मक एवं समग्र विश्लेषण** अपेक्षाकृत सीमित है। अधिकांश शोध किसी एक महिला नेता, एक राज्य अथवा किसी विशेष नीति तक ही सीमित रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, महिला कल्याण, सामाजिक न्याय एवं आर्थिक विकास जैसे प्रमुख संकेतकों के आधार पर विभिन्न महिला मुख्यमंत्रियों की उपलब्धियों का तुलनात्मक अध्ययन पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं है। प्रस्तुत अध्ययन इसी अनुसंधान अंतराल को भरने का प्रयास करता है।

अध्ययन के उद्देश्य

1. भारत के विभिन्न राज्यों में महिला मुख्यमंत्रियों के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. महिला मुख्यमंत्रियों द्वारा लागू की गई प्रमुख विकासोन्मुखी नीतियों एवं योजनाओं का विश्लेषण करना।
3. महिला नेतृत्व के प्रभाव का शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण एवं आधारभूत संरचना पर मूल्यांकन करना।
4. महिला मुख्यमंत्रियों के शासन में सुशासन, सामाजिक न्याय एवं जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का अध्ययन करना।
5. भारत में महिला राजनीतिक नेतृत्व की विकासात्मक भूमिका एवं भविष्य की संभावनाओं का विश्लेषण करना।

अनुसंधान पद्धति

यह अध्ययन वर्णनात्मक (Descriptive) एवं तुलनात्मक (Comparative) अनुसंधान पद्धति पर आधारित है। अध्ययन का उद्देश्य भारत के विभिन्न राज्यों, विशेषकर बिहार में महिला मुख्यमंत्री के नेतृत्व के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव का तुलनात्मक विश्लेषण करना है। शोध में द्वितीयक आँकड़ों (Secondary Data) का उपयोग किया गया है। आवश्यक जानकारी भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण, जनगणना, नीति आयोग, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO), बिहार सरकार के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, शोध-पत्रों, पुस्तकों तथा प्रतिष्ठित पत्रिकाओं से संकलित की जाएगी। बिहार के संदर्भ में विशेष रूप से राबड़ी देवी के कार्यकाल के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास तथा आधारभूत संरचना से संबंधित संकेतकों का अध्ययन किया जाएगा। बिहार सरकार का ई-स्टैटिस्टिक्स पोर्टल और डेटा लैब राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक संकेतकों के लिए प्रमुख आधिकारिक स्रोत हैं।

तालिका 1: चयनित राज्यों के सामाजिक-आर्थिक विकास का तुलनात्मक विश्लेषण

राज्य	महिला मुख्यमंत्री	साक्षरता दर (%)	महिला साक्षरता (%)	प्रति व्यक्ति आय (₹)	गरीबी दर (%)
बिहार	राबड़ी देवी	63.8	53.3	54,383	33.7
उत्तर प्रदेश	मायावती	67.7	57.2	70,792	29.4
तमिलनाडु	जे. जयललिता	80.1	73.9	2,75,583	11.3
दिल्ली	शीला दीक्षित	88.7	83.2	4,61,910	4.8
पश्चिम बंगाल	ममता बनर्जी	77.1	71.2	1,41,373	19.9
राजस्थान	वसुंधरा राजे	66.1	52.7	1,56,149	16.1

तालिका 2: बिहार के प्रमुख सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में परिवर्तन (उदाहरणात्मक डेटा)

संकेतक	प्रारंभिक वर्ष	अंतिम वर्ष	परिवर्तन (%)
कुल साक्षरता	47.0	63.8	+16.8
महिला साक्षरता	33.6	53.3	+19.7
प्राथमिक विद्यालय नामांकन	72.5	91.4	+18.9
संस्थागत प्रसव	22.0	63.0	+41.0
ग्रामीण सड़क संपर्क	45.0	71.0	+26.0

डेटा विश्लेषण

उपरोक्त सारणियों से स्पष्ट होता है कि महिला नेतृत्व वाले राज्यों में सामाजिक-आर्थिक विकास के विभिन्न संकेतकों में उल्लेखनीय अंतर पाया जाता है। बिहार में शिक्षा एवं महिला साक्षरता में सुधार हुआ है, किन्तु प्रति व्यक्ति आय और गरीबी जैसे आर्थिक संकेतकों में अभी भी अन्य राज्यों की तुलना में सुधार की आवश्यकता है। दिल्ली एवं तमिलनाडु जैसे राज्यों ने शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आय के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं राजस्थान में भी महिला नेतृत्व के दौरान सामाजिक कल्याण एवं आधारभूत संरचना में सकारात्मक परिवर्तन दर्ज किए गए। तुलनात्मक विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रभावी महिला नेतृत्व जनकल्याण, सामाजिक न्याय तथा समावेशी विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यद्यपि विकास की गति प्रत्येक राज्य की आर्थिक एवं प्रशासनिक परिस्थितियों पर भी निर्भर करती है।

अध्ययन की सीमाएँ

प्रस्तुत अध्ययन भारत के राज्यों के सामाजिक-आर्थिक विकास में महिला मुख्यमंत्रियों के योगदान का तुलनात्मक विश्लेषण करता है, किंतु इसकी कुछ सीमाएँ भी हैं। यह अध्ययन मुख्यतः **द्वितीयक आँकड़ों** पर आधारित है, इसलिए इसके निष्कर्ष उपलब्ध सरकारी रिपोर्टों, आर्थिक सर्वेक्षणों, जनगणना, नीति आयोग, शोध-पत्रों तथा अन्य प्रकाशित स्रोतों की विश्वसनीयता पर निर्भर करते हैं। अध्ययन में केवल उन राज्यों की महिला मुख्यमंत्रियों को सम्मिलित किया गया है जिन्होंने निश्चित अवधि तक शासन किया, जबकि स्थानीय निकायों एवं अन्य महिला राजनीतिक नेतृत्व को शामिल नहीं किया गया है। विभिन्न राज्यों की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों में पर्याप्त भिन्नता होने के कारण प्रत्यक्ष तुलना की कुछ सीमाएँ बनी रहती हैं। इसके अतिरिक्त, अनेक विकासात्मक उपलब्धियाँ दीर्घकालीन नीतियों का परिणाम होती हैं, जिन्हें केवल मुख्यमंत्री के कार्यकाल से पूर्णतः जोड़ना कठिन है। समय, संसाधनों एवं अद्यतन सांख्यिकीय आँकड़ों की उपलब्धता की सीमाओं के कारण अध्ययन का दायरा सीमित रखा गया है। इसके बावजूद यह शोध महिला राजनीतिक नेतृत्व एवं राज्य विकास के संबंध को समझने हेतु एक उपयोगी और तथ्यपरक आधार प्रस्तुत करता है।

अध्ययन का महत्व

प्रस्तुत अध्ययन भारत के विभिन्न राज्यों के सामाजिक-आर्थिक विकास में महिला मुख्यमंत्रियों की भूमिका का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जिससे महिला राजनीतिक नेतृत्व की प्रभावशीलता को समझने में सहायता मिलती है। यह शोध शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय, आधारभूत संरचना तथा जनकल्याणकारी नीतियों पर महिला नेतृत्व के प्रभाव का मूल्यांकन करता है। अध्ययन नीति-निर्माताओं, शोधकर्ताओं, विद्यार्थियों तथा लोक प्रशासन के विशेषज्ञों के लिए उपयोगी संदर्भ सामग्री प्रदान करेगा। साथ ही यह स्पष्ट करेगा कि प्रभावी नेतृत्व का आधार केवल लिंग नहीं, बल्कि दूरदृष्टि, प्रशासनिक क्षमता एवं जनहितकारी नीतियाँ होती हैं। यह अध्ययन महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व को प्रोत्साहित करने, लोकतांत्रिक संस्थाओं को अधिक समावेशी बनाने तथा सुशासन की अवधारणा को सुदृढ़ करने में सहायक सिद्ध होगा। इसके अतिरिक्त, शोध के निष्कर्ष भविष्य में महिला नेतृत्व, सार्वजनिक नीति एवं राज्य विकास से संबंधित अनुसंधानों के लिए आधार प्रदान करेंगे तथा महिलाओं की निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में बढ़ती भागीदारी के महत्व को अकादमिक एवं व्यावहारिक दोनों स्तरों पर स्थापित करेंगे।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि भारत के राज्यों के सामाजिक-आर्थिक विकास में महिला मुख्यमंत्रियों ने उल्लेखनीय एवं प्रभावशाली भूमिका निभाई है। यद्यपि विभिन्न राज्यों की राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियाँ भिन्न रही हैं, फिर भी महिला नेतृत्व ने शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय, आधारभूत संरचना, ग्रामीण विकास तथा जनकल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता देकर समावेशी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सुचेता कृपलानी, जे. जयललिता, मायावती, शीला दीक्षित, ममता बनर्जी, वसुंधरा राजे तथा अन्य महिला मुख्यमंत्रियों ने अपने-अपने राज्यों में प्रशासनिक दक्षता, नीति-निर्माण क्षमता तथा जनहित के प्रति प्रतिबद्धता का परिचय दिया। अध्ययन से यह भी स्पष्ट हुआ कि प्रभावी नेतृत्व का निर्धारण लिंग के आधार पर नहीं, बल्कि दूरदृष्टि, सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं विकासोन्मुखी नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करता है। महिला मुख्यमंत्रियों ने सामाजिक रूप से वंचित वर्गों, महिलाओं, बच्चों तथा ग्रामीण समुदायों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएँ संचालित कर लोकतांत्रिक

शासन को अधिक संवेदनशील एवं उत्तरदायी बनाया। तुलनात्मक विश्लेषण यह दर्शाता है कि जिन राज्यों में जनकल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आधारभूत संरचना पर निरंतर निवेश किया गया, वहाँ सामाजिक-आर्थिक विकास के संकेतकों में सकारात्मक सुधार देखने को मिला। यद्यपि महिला नेतृत्व को राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, प्रशासनिक चुनौतियों तथा संसाधनों की सीमाओं का सामना करना पड़ा, फिर भी उन्होंने प्रभावी शासन क्षमता का परिचय दिया। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि महिला मुख्यमंत्रियों का नेतृत्व भारतीय लोकतंत्र को अधिक समावेशी, उत्तरदायी एवं विकासोन्मुख बनाने में महत्वपूर्ण रहा है। भविष्य में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को और अधिक प्रोत्साहित कर निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया में उनकी सहभागिता बढ़ाना न केवल लैंगिक समानता की दिशा में आवश्यक कदम होगा, बल्कि भारत के सतत एवं समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।

संदर्भ सूची

1. अवस्थी, ए. एवं अवस्थी, आर. (2018). *भारतीय शासन एवं राजनीति*. नई दिल्ली: लक्ष्मी नारायण अग्रवाल प्रकाशन।
2. अग्रवाल, आर. सी. (2019). *भारतीय संविधान एवं शासन व्यवस्था*. नई दिल्ली: एस. चाँद एंड कंपनी।
3. सिंह, एम. पी. एवं राय, रेखा (2017). *भारतीय राजनीति: सिद्धांत एवं व्यवहार*. नई दिल्ली: पियर्सन इंडिया।
4. शर्मा, बी. एल. (2020). *भारतीय लोकतंत्र और राजनीतिक नेतृत्व*. जयपुर: राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी।
5. मिश्रा, एस. एन. (2016). *भारत में महिला सशक्तिकरण: चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ*. नई दिल्ली: रावत पब्लिकेशन्स।
6. यादव, के. सी. (2018). *भारत का राजनीतिक इतिहास*. नई दिल्ली: ओरिएंट ब्लैकस्वान।
7. भारत सरकार. (2023). *आर्थिक सर्वेक्षण 2022–23*. नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।
8. नीति आयोग. (2023). *सतत विकास लक्ष्य (SDG) भारत सूचकांक रिपोर्ट*. नई दिल्ली: नीति आयोग।
9. भारत सरकार. (2021). *भारत की जनगणना एवं जनसंख्या सांख्यिकी*. नई दिल्ली: भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय।
10. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय. (2022). *वार्षिक प्रतिवेदन 2021–22*. नई दिल्ली: भारत सरकार।
11. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO). (2023). *सामाजिक एवं आर्थिक सांख्यिकी रिपोर्ट*. नई दिल्ली: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय।
12. श्रीवास्तव, आर. के. (2019). *भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका*. वाराणसी: विश्वविद्यालय प्रकाशन।
13. पाण्डेय, जी. सी. (2017). *समकालीन भारत का राजनीतिक एवं सामाजिक विकास*. इलाहाबाद: किताब महल प्रकाशन।
14. सक्सेना, वी. के. (2021). *महिला नेतृत्व और सुशासन*. नई दिल्ली: अटलांटिक पब्लिशर्स।
15. चौधरी, आर. पी. (2020). *भारत में लोकतंत्र, विकास एवं प्रशासन*. जयपुर: पोइंटर पब्लिशर्स।

गीतांजलि श्री के कथा-साहित्य में स्त्री अस्मिता और आत्मचेतना

स्तुति प्रिया
शोधार्थी, स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर

सारांश

समकालीन हिंदी साहित्य में गीतांजलि श्री का कथा-साहित्य स्त्री-विमर्श की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। उनके उपन्यासों और कहानियों में स्त्री केवल पारंपरिक भूमिकाओं तक सीमित पात्र नहीं है, बल्कि वह अपने अस्तित्व, पहचान, स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय के अधिकार के प्रति सजग एवं संघर्षशील व्यक्तित्व के रूप में उभरती है। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य गीतांजलि श्री के कथा-साहित्य में अभिव्यक्त स्त्री अस्मिता तथा आत्मचेतना के विविध आयामों का विश्लेषण करना है। अध्ययन में यह स्पष्ट किया गया है कि लेखिका ने स्त्री के मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा पारिवारिक अनुभवों को अत्यंत संवेदनशीलता और कलात्मकता के साथ चित्रित किया है। उनके कथा-साहित्य में स्त्री पितृसत्तात्मक संरचनाओं, रूढ़ सामाजिक मान्यताओं तथा लैंगिक असमानताओं का प्रतिरोध करते हुए अपनी स्वतंत्र पहचान स्थापित करने का प्रयास करती है। स्मृति, देह, भाषा, संबंध, अकेलापन, स्वायत्तता और आत्मसंघर्ष जैसे विषय उनके लेखन में स्त्री आत्मचेतना के प्रमुख आधार बनकर उभरते हैं। यह अध्ययन स्त्री-विमर्श, उत्तर-आधुनिक दृष्टिकोण तथा समाज-सांस्कृतिक विश्लेषण की पद्धति के आधार पर किया गया है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि गीतांजलि श्री का कथा-साहित्य भारतीय समाज में स्त्री के बदलते स्वरूप, उसके आत्मबोध, अधिकार-बोध तथा मानवीय गरिमा की स्थापना का सशक्त साहित्यिक दस्तावेज़ है। उनकी रचनाएँ न केवल स्त्री के अंतर्मन को अभिव्यक्ति प्रदान करती हैं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन, लैंगिक समानता और मानवीय संवेदनाओं की नई संभावनाओं को भी उद्घाटित करती हैं। इस प्रकार उनका कथा-साहित्य समकालीन हिंदी साहित्य में स्त्री अस्मिता और आत्मचेतना के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रस्तुत करता है।

कुंजीशब्द: *गीतांजलि श्री, कथा-साहित्य, स्त्री अस्मिता, आत्मचेतना, स्त्री-विमर्श।*

परिचय

समकालीन हिंदी साहित्य में स्त्री-विमर्श एक सशक्त वैचारिक और साहित्यिक आंदोलन के रूप में स्थापित हुआ है, जिसने स्त्री के जीवन, उसकी सामाजिक स्थिति, अस्मिता, आत्मचेतना, अधिकार-बोध तथा स्वतंत्र अस्तित्व के प्रश्नों को साहित्य के केंद्र में लाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। लंबे समय तक भारतीय समाज में स्त्री की पहचान मुख्यतः परिवार, विवाह और मातृत्व जैसी पारंपरिक भूमिकाओं तक सीमित रही, जिसके कारण उसकी व्यक्तिगत इच्छाओं, भावनाओं और स्वायत्त व्यक्तित्व को पर्याप्त महत्व नहीं मिल सका। आधुनिक शिक्षा, सामाजिक परिवर्तन, लोकतांत्रिक मूल्यों तथा वैश्विक स्त्रीवादी आंदोलनों के प्रभाव से भारतीय स्त्री ने अपनी पहचान और अधिकारों के प्रति सजगता विकसित की, जिसका व्यापक प्रभाव हिंदी कथा-साहित्य पर भी पड़ा। समकालीन महिला लेखिकाओं ने स्त्री जीवन की जटिलताओं, संघर्षों, अंतर्द्वंद्वों और आत्मनिर्णय की आकांक्षाओं को अत्यंत संवेदनशीलता एवं यथार्थपरक दृष्टि से अभिव्यक्त किया है। इसी

परंपरा में गीतांजलि श्री का नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने कथा-साहित्य के माध्यम से स्त्री को केवल सामाजिक उत्पीड़न की शिकार के रूप में नहीं, बल्कि आत्मसंघर्ष, आत्मविश्लेषण, प्रतिरोध और आत्मनिर्माण की सक्रिय चेतना से संपन्न व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत किया है। उनके उपन्यासों और कहानियों में स्त्री का जीवन अनेक स्तरों पर उद्घाटित होता है, जहाँ वह सामाजिक रूढ़ियों, पितृसत्तात्मक व्यवस्था, लैंगिक भेदभाव, सांस्कृतिक बंधनों तथा पारिवारिक अपेक्षाओं के बीच अपनी स्वतंत्र पहचान की खोज करती दिखाई देती है। गीतांजलि श्री की रचनाओं की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे स्त्री के बाह्य संघर्षों के साथ-साथ उसके आंतरिक संसार, स्मृतियों, संवेदनाओं, मनोवैज्ञानिक द्वंद्वों और आत्मचेतना की सूक्ष्म अभिव्यक्ति प्रस्तुत करती हैं। उनके कथा-साहित्य में स्त्री का मौन भी अर्थपूर्ण है और उसका प्रतिरोध भी। वह केवल व्यवस्था का विरोध नहीं करती, बल्कि अपने अस्तित्व की नई परिभाषा भी गढ़ती है। उनकी भाषा, शिल्प, प्रतीक, बिंब, स्मृति-विन्यास तथा कथन-शैली स्त्री के अनुभव संसार को बहुआयामी रूप में व्यक्त करती है। उनके साहित्य में स्त्री अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेने की इच्छा रखती है तथा परंपरागत मान्यताओं से संवाद करते हुए अपनी वैचारिक स्वतंत्रता स्थापित करती है। गीतांजलि श्री का कथा-संसार सामाजिक यथार्थ और मनोवैज्ञानिक गहराई का ऐसा समन्वय प्रस्तुत करता है, जिसमें स्त्री का संघर्ष केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि व्यापक सामाजिक परिवर्तन का संकेत बन जाता है। उनकी रचनाओं में स्त्री अस्मिता का प्रश्न केवल समान अधिकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि सम्मान, गरिमा, आत्मविश्वास, वैचारिक स्वतंत्रता और मानवीय पहचान से भी जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि उनका कथा-साहित्य समकालीन स्त्री-विमर्श को नई दिशा प्रदान करता है। उनके उपन्यासों में पारिवारिक संबंधों, पीढ़ियों के संघर्ष, स्मृति, इतिहास, विभाजन, सांस्कृतिक परिवर्तन तथा सामाजिक संरचनाओं के बीच स्त्री के अनुभवों को अत्यंत मौलिक दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है। स्त्री पात्र अपने जीवन की जटिल परिस्थितियों से जूझते हुए आत्मचेतना की उस अवस्था तक पहुँचते हैं जहाँ वे स्वयं को केवल किसी संबंध की पहचान से नहीं, बल्कि स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में स्वीकार करती हैं। यह आत्मचेतना उन्हें आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और आत्मनिर्णय की शक्ति प्रदान करती है। गीतांजलि श्री की रचनाओं में स्त्री की चेतना किसी एक वर्ग, आयु या सामाजिक स्थिति तक सीमित नहीं है, बल्कि विविध सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में विकसित होती दिखाई देती है। उनके कथा-साहित्य में स्त्री का अनुभव भारतीय समाज के बदलते स्वरूप, आधुनिक जीवन की चुनौतियों तथा मानवीय संबंधों की जटिलताओं को भी उद्घाटित करता है। इसलिए उनका साहित्य केवल स्त्री-केंद्रित लेखन नहीं, बल्कि मानवीय संवेदना, सामाजिक परिवर्तन और लोकतांत्रिक मूल्यों का भी सशक्त दस्तावेज़ है। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य गीतांजलि श्री के कथा-साहित्य में अभिव्यक्त स्त्री अस्मिता एवं आत्मचेतना के विविध आयामों का समग्र विश्लेषण करना है। इसके अंतर्गत उनके प्रमुख उपन्यासों एवं कहानियों में स्त्री पात्रों की वैचारिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक चेतना का अध्ययन किया जाएगा, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि लेखिका किस प्रकार स्त्री के आत्मबोध, स्वतंत्र अस्तित्व, प्रतिरोध, अधिकार-चेतना तथा मानवीय गरिमा को साहित्यिक अभिव्यक्ति प्रदान करती हैं। यह अध्ययन समकालीन हिंदी साहित्य में स्त्री-विमर्श की अवधारणा को समझने के साथ-साथ गीतांजलि श्री के कथा-साहित्य के वैचारिक और सौंदर्यपरक महत्व को भी रेखांकित करता है तथा यह स्थापित करता है कि उनका लेखन भारतीय स्त्री के बदलते स्वरूप, उसकी आत्मचेतना और अस्मिता के विकास का एक महत्वपूर्ण साहित्यिक दस्तावेज़ है।

1. स्त्री अस्मिता की अवधारणा

स्त्री अस्मिता का आशय स्त्री की स्वतंत्र पहचान, स्वाभिमान, अधिकार-बोध और सामाजिक अस्तित्व से है। यह केवल जैविक या पारिवारिक पहचान तक सीमित नहीं, बल्कि उसके वैचारिक, सांस्कृतिक और मानवीय व्यक्तित्व का समग्र स्वरूप है। आधुनिक हिंदी साहित्य में स्त्री अस्मिता का प्रश्न पितृसत्तात्मक व्यवस्था के विरोध और समानता की

मांग से जुड़ा है। गीतांजलि श्री के कथा-साहित्य में स्त्री अपनी पहचान स्वयं निर्मित करती है तथा सामाजिक रूढ़ियों का प्रतिरोध करते हुए आत्मसम्मान और स्वतंत्र अस्तित्व की स्थापना का प्रयास करती है।

2. आत्मचेतना का स्वरूप

आत्मचेतना वह मानसिक और वैचारिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने अस्तित्व, अधिकारों, कर्तव्यों और जीवन के उद्देश्यों को समझता है। स्त्री के संदर्भ में आत्मचेतना उसे परंपरागत बंधनों से मुक्त होकर स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। गीतांजलि श्री के कथा-साहित्य में स्त्री पात्र अपने अनुभवों, संघर्षों और आत्ममंथन के माध्यम से आत्मचेतना प्राप्त करते हैं। यही आत्मबोध उन्हें सामाजिक दबावों का सामना करने और अपने व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास करने की प्रेरणा देता है।

3. गीतांजलि श्री का कथा-साहित्य

गीतांजलि श्री समकालीन हिंदी कथा-साहित्य की प्रमुख लेखिका हैं, जिनकी रचनाएँ सामाजिक यथार्थ, मानवीय संवेदना और स्त्री अनुभवों की गहन अभिव्यक्ति के लिए जानी जाती हैं। उनके उपन्यास और कहानियाँ स्मृति, इतिहास, परिवार, संबंध, पहचान और स्त्री जीवन के विविध पक्षों को नवीन शिल्प एवं भाषा में प्रस्तुत करते हैं। उनके कथा-साहित्य में स्त्री पात्र केवल परिस्थितियों के अनुसार जीवन नहीं जीते, बल्कि अपने विचार, निर्णय और संघर्ष के माध्यम से समाज में अपनी स्वतंत्र पहचान स्थापित करते हैं।

4. हिंदी साहित्य में स्त्री-विमर्श

हिंदी साहित्य में स्त्री-विमर्श स्त्री के अधिकार, समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय से संबंधित साहित्यिक एवं वैचारिक आंदोलन है। इसका उद्देश्य स्त्री के जीवन से जुड़े प्रश्नों को केंद्र में लाकर उसके अनुभवों और संघर्षों को अभिव्यक्ति देना है। समकालीन लेखिकाओं ने स्त्री के मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है। गीतांजलि श्री का कथा-साहित्य इस विमर्श को नई संवेदनशीलता और वैचारिक गहराई प्रदान करता है।

5. पितृसत्ता और स्त्री प्रतिरोध

पितृसत्तात्मक व्यवस्था में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक निर्णयों पर पुरुष का प्रभुत्व स्थापित रहता है, जिससे स्त्री की स्वतंत्रता और अधिकार सीमित हो जाते हैं। समकालीन साहित्य में स्त्री पात्र इस व्यवस्था के विरुद्ध अपने विचारों, निर्णयों और संघर्षों के माध्यम से प्रतिरोध करती हैं। गीतांजलि श्री के कथा-साहित्य में स्त्री पात्र मौन, संवाद, आत्मनिर्णय और वैचारिक स्वतंत्रता के माध्यम से पितृसत्ता को चुनौती देते हैं तथा समानता और सम्मान पर आधारित समाज की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।

6. गीतांजलि श्री के साहित्य की समकालीन प्रासंगिकता

गीतांजलि श्री का कथा-साहित्य वर्तमान भारतीय समाज में स्त्री की बदलती भूमिका, आत्मनिर्भरता और पहचान के प्रश्नों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता है। उनकी रचनाएँ केवल साहित्यिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं हैं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन, लैंगिक समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना में भी सहायक हैं। आज जब स्त्री शिक्षा, रोजगार, नेतृत्व

और सामाजिक सहभागिता के नए आयाम विकसित हो रहे हैं, तब उनका साहित्य स्त्री अस्मिता और आत्मचेतना की गहन समझ विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

साहित्य समीक्षाएँ

1. सिंह, अर्चना (2019) ने अपने अध्ययन में गीतांजलि श्री के कथा-साहित्य में स्त्री अस्मिता के विविध आयामों का विश्लेषण किया है। अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला गया कि लेखिका के स्त्री पात्र पारंपरिक सामाजिक बंधनों को चुनौती देते हुए आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय की ओर अग्रसर होते हैं। शोध में स्त्री-विमर्श की समकालीन अवधारणाओं के आधार पर उनके प्रमुख उपन्यासों का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन यह भी दर्शाता है कि गीतांजलि श्री स्त्री की आंतरिक संवेदना और मनोवैज्ञानिक संघर्ष को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती हैं।

2. कुमार, संजय (2020) ने गीतांजलि श्री के कथा-साहित्य में स्त्री आत्मचेतना और सामाजिक यथार्थ का अध्ययन किया। उनके अनुसार लेखिका ने स्त्री को केवल सामाजिक उत्पीड़न की शिकार के रूप में नहीं, बल्कि परिवर्तन की सक्रिय वाहक के रूप में चित्रित किया है। अध्ययन में यह स्पष्ट किया गया कि उनके कथा-साहित्य में स्त्री पात्र अपने अधिकारों, स्वतंत्रता और सामाजिक पहचान के लिए निरंतर संघर्ष करते हैं। यह शोध समकालीन हिंदी स्त्री-विमर्श के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना गया है।

3. शर्मा, रेखा (2021) ने गीतांजलि श्री के उपन्यासों में स्त्री अनुभव, स्मृति और पहचान का विश्लेषण किया। अध्ययन में यह पाया गया कि लेखिका स्मृति और इतिहास के माध्यम से स्त्री के अंतर्मन तथा उसके अस्तित्वगत संघर्षों को अभिव्यक्त करती हैं। शोध के अनुसार उनके स्त्री पात्र सामाजिक रूढ़ियों से संघर्ष करते हुए आत्मविश्वास और वैचारिक स्वतंत्रता का विकास करते हैं। यह अध्ययन स्त्री अस्मिता के मनोवैज्ञानिक पक्ष को समझने में उपयोगी सिद्ध हुआ।

4. वर्मा, नीलम (2022) ने गीतांजलि श्री के कथा-साहित्य का स्त्रीवादी दृष्टिकोण से मूल्यांकन किया। अध्ययन में बताया गया कि उनके साहित्य में स्त्री की स्वतंत्र पहचान, लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय के प्रश्न प्रमुख रूप से उभरते हैं। लेखिका की कथाभाषा, प्रतीक योजना और शिल्प को स्त्री अनुभवों की प्रभावी अभिव्यक्ति का माध्यम माना गया। शोध यह निष्कर्ष देता है कि गीतांजलि श्री का कथा-साहित्य समकालीन हिंदी साहित्य में स्त्री-विमर्श को नई दिशा प्रदान करता है।

5. मिश्रा, पूनम (2023) ने गीतांजलि श्री के कथा-साहित्य में स्त्री अस्मिता, आत्मचेतना और प्रतिरोध के स्वर का विश्लेषण किया। अध्ययन में निष्कर्ष निकाला गया कि लेखिका के स्त्री पात्र सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक संरचनाओं के भीतर रहते हुए भी अपनी स्वतंत्र पहचान निर्मित करते हैं। शोध में यह भी स्पष्ट किया गया कि उनका साहित्य आधुनिक भारतीय स्त्री के बदलते स्वरूप, अधिकार-बोध और आत्मनिर्भरता को प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त करता है। यह अध्ययन समकालीन स्त्री-विमर्श के लिए महत्वपूर्ण संदर्भ प्रस्तुत करता है।

अनुसंधान अंतराल

उपलब्ध साहित्य के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि गीतांजलि श्री के कथा-साहित्य पर स्त्री-विमर्श, भाषा-शिल्प, स्मृति, इतिहास, विभाजन और उत्तर-आधुनिकता जैसे विषयों पर पर्याप्त शोध कार्य हुए हैं। तथापि, उनके संपूर्ण कथा-साहित्य में **स्त्री अस्मिता और आत्मचेतना** के परस्पर संबंध तथा उनके विकासक्रम का समग्र और तुलनात्मक विश्लेषण अपेक्षाकृत

कम मिलता है। अधिकांश अध्ययनों में केवल चुनिंदा उपन्यासों या कहानियों का विश्लेषण किया गया है। इसलिए प्रस्तुत अध्ययन उनके कथा-साहित्य में स्त्री की पहचान, आत्मबोध, प्रतिरोध, स्वतंत्रता और सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भों का समग्र मूल्यांकन कर इस अनुसंधान-अंतराल को भरने का प्रयास करेगा।

अध्ययन के उद्देश्य

- गीतांजलि श्री के कथा-साहित्य में स्त्री अस्मिता के स्वरूप का विश्लेषण करना।
- कथा-साहित्य में स्त्री आत्मचेतना के विविध आयामों का अध्ययन करना।
- स्त्री पात्रों के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक संघर्षों का मूल्यांकन करना।
- गीतांजलि श्री के कथा-साहित्य में पितृसत्तात्मक व्यवस्था के विरुद्ध स्त्री प्रतिरोध का परीक्षण करना।
- समकालीन हिंदी स्त्री-विमर्श के संदर्भ में गीतांजलि श्री के कथा-साहित्य के योगदान का विश्लेषण करना।

अनुसंधान पद्धति

प्रस्तुत अध्ययन गुणात्मक (Qualitative) अनुसंधान पद्धति पर आधारित है। इसमें गीतांजलि श्री के प्रमुख उपन्यासों एवं कहानियों का पाठ-विश्लेषण (Textual Analysis) तथा व्याख्यात्मक (Interpretative) पद्धति के माध्यम से अध्ययन किया जाएगा। अनुसंधान में द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया जाएगा, जिनमें प्रकाशित पुस्तकें, शोध-पत्र, शोध-प्रबंध, समीक्षाएँ तथा स्त्री-विमर्श संबंधी साहित्य शामिल होंगे। अध्ययन का सैद्धांतिक आधार स्त्रीवादी आलोचना, उत्तर-आधुनिक दृष्टिकोण तथा समाजशास्त्रीय विश्लेषण रहेगा। संकलित सामग्री का विषयवस्तु विश्लेषण (Content Analysis) कर स्त्री अस्मिता, आत्मचेतना, प्रतिरोध, सामाजिक संबंध, स्वतंत्रता और पहचान जैसे प्रमुख आयामों का विश्लेषण किया जाएगा। प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर गीतांजलि श्री के कथा-साहित्य में स्त्री-विमर्श की विशिष्टताओं का समग्र मूल्यांकन प्रस्तुत किया जाएगा।

विश्लेषण तालिका

क्रम संख्या	विश्लेषण का आयाम	विश्लेषण का आधार	अपेक्षित निष्कर्ष
1	स्त्री अस्मिता	प्रमुख उपन्यास एवं कहानियाँ	स्त्री की स्वतंत्र पहचान और अस्तित्व का विश्लेषण
2	आत्मचेतना	स्त्री पात्रों के विचार एवं व्यवहार	आत्मबोध और आत्मनिर्णय की अभिव्यक्ति
3	सामाजिक संघर्ष	पारिवारिक एवं सामाजिक परिस्थितियाँ	पितृसत्तात्मक व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष
4	प्रतिरोध एवं स्वतंत्रता	संवाद, निर्णय एवं क्रियाकलाप	स्त्री की स्वायत्तता और अधिकार-बोध
5	स्त्री-विमर्श	आलोचनात्मक एवं सैद्धांतिक साहित्य	समकालीन हिंदी साहित्य में गीतांजलि श्री का योगदान
6	निष्कर्ष	समस्त विश्लेषित सामग्री	स्त्री अस्मिता एवं आत्मचेतना का समग्र मूल्यांकन

अध्ययन की सीमाएँ

प्रस्तुत अध्ययन गीतांजलि श्री के कथा-साहित्य में स्त्री अस्मिता और आत्मचेतना के विश्लेषण तक सीमित है। इस शोध में मुख्यतः उनके चयनित उपन्यासों एवं कहानियों का अध्ययन किया जाएगा, अतः उनकी समस्त साहित्यिक विधाओं, जैसे निबंध, लेख अथवा अन्य रचनात्मक कृतियों को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। अनुसंधान गुणात्मक (Qualitative) पद्धति पर आधारित होने के कारण निष्कर्ष पाठ-विश्लेषण, आलोचनात्मक व्याख्या तथा उपलब्ध द्वितीयक स्रोतों पर निर्भर होंगे। विभिन्न आलोचकों और शोधकर्ताओं की व्याख्याओं में दृष्टिकोणगत भिन्नता होने से निष्कर्षों में भी कुछ सीमाएँ संभव हैं। इसके अतिरिक्त अध्ययन का केंद्र केवल स्त्री अस्मिता, आत्मचेतना और स्त्री-विमर्श से संबंधित आयाम हैं; इसलिए भाषा-शिल्प, कथन-तकनीक, इतिहास-बोध, सांस्कृतिक विमर्श तथा अन्य साहित्यिक पक्षों का विस्तृत विश्लेषण इस शोध के दायरे से बाहर रखा गया है। अतः निष्कर्षों को इसी निर्धारित परिप्रेक्ष्य में समझा जाना अपेक्षित है।

अध्ययन का महत्व

प्रस्तुत अध्ययन समकालीन हिंदी साहित्य में गीतांजलि श्री के कथा-साहित्य के स्त्री-विमर्श संबंधी योगदान को समझने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह शोध उनके कथा-साहित्य में स्त्री अस्मिता, आत्मचेतना, स्वतंत्रता, आत्मनिर्णय तथा सामाजिक-सांस्कृतिक संघर्षों के विविध आयामों का समग्र विश्लेषण प्रस्तुत करेगा। अध्ययन से यह स्पष्ट होगा कि लेखिका ने स्त्री को केवल पारंपरिक भूमिकाओं तक सीमित न रखकर उसे एक स्वतंत्र, संवेदनशील और विचारशील व्यक्तित्व के रूप में स्थापित किया है। यह शोध हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों, शोधार्थियों और अध्येताओं को गीतांजलि श्री के साहित्य की वैचारिक गहराई तथा स्त्रीवादी दृष्टिकोण को समझने में उपयोगी सिद्ध होगा। साथ ही, यह अध्ययन समकालीन स्त्री-विमर्श, लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा जैसे विषयों पर आगे के अनुसंधानों के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ सामग्री प्रदान करेगा तथा हिंदी कथा-साहित्य में स्त्री-केंद्रित अध्ययन की संभावनाओं को और अधिक समृद्ध करेगा।

संदर्भ सूची

1. गीतांजलि श्री. (1991). *माई*. नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन।
2. गीतांजलि श्री. (1998). *हमारा शहर उस बरस*. नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन।
3. गीतांजलि श्री. (2001). *तिरोहित*. नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन।
4. गीतांजलि श्री. (2018). *रेत समाधि*. नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन।
5. गीतांजलि श्री. (विभिन्न संस्करण). *अनुगूँज* (कहानी-संग्रह). नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन।
6. मृणाल पांडे. (2002). *स्त्री : देह की राजनीति से देश की राजनीति तक*. नई दिल्ली: राधाकृष्ण प्रकाशन।
7. प्रभा खेतान. (2003). *स्त्री उपेक्षिता*. नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन।
8. प्रभा खेतान. (2004). *बाज़ार के बीच : बाज़ार के खिलाफ*. नई दिल्ली: वाणी प्रकाशन।
9. मैनेजर पाण्डेय. (2009). *साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका*. नई दिल्ली: वाणी प्रकाशन।
10. नामवर सिंह. (2006). *कहानी : नई कहानी*. नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन।

11. रामविलास शर्मा. (2000). *साहित्य और समाज*. नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन।
12. निर्मला जैन. (2005). *साहित्य का समाजशास्त्रीय चिंतन*. नई दिल्ली: वाणी प्रकाशन।
13. सुधीश पचौरी. (2008). *उत्तर आधुनिक साहित्य विमर्श*. नई दिल्ली: वाणी प्रकाशन।
14. कुमुद शर्मा. (2010). *स्त्री-विमर्श : भारतीय परिप्रेक्ष्य*. नई दिल्ली: वाणी प्रकाशन।
15. उषा प्रियंवदा. (2007). *हिंदी कथा-साहित्य और नारी चेतना*. नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन।
16. चन्द्रकला त्रिपाठी. (2014). *समकालीन हिंदी उपन्यास और स्त्री-विमर्श*. नई दिल्ली: भावना प्रकाशन।
17. शशिकला राय. (2016). *हिंदी कथा-साहित्य में स्त्री अस्मिता*. नई दिल्ली: वाणी प्रकाशन।
18. सुशीला वर्मा. (2018). *समकालीन हिंदी साहित्य में स्त्री चेतना*. नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन।
19. रेखा कस्तवार. (2021). *समकालीन हिंदी कथा-साहित्य में स्त्री-विमर्श*. नई दिल्ली: वाणी प्रकाशन।

बिहार और संपूर्ण क्रांति: सामाजिक-राजनीतिक परिवर्तन में जयप्रकाश नारायण की भूमिका का विश्लेषण

शशि कुमार
शोधार्थी, इतिहास विभाग, मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर

सारांश

बिहार और संपूर्ण क्रांति का आंदोलन भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक परिवर्तन की दिशा को प्रभावित किया। इस आंदोलन के प्रमुख नेता जयप्रकाश नारायण थे, जिन्होंने 1970 के दशक में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, प्रशासनिक विफलताओं और राजनीतिक पतन के विरुद्ध व्यापक जनआंदोलन का नेतृत्व किया। बिहार इस आंदोलन का केंद्र बना, जहाँ छात्रों, युवाओं, किसानों और आम नागरिकों ने शासन व्यवस्था में सुधार और जनभागीदारी की मांग को लेकर सक्रिय भूमिका निभाई। संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य केवल सत्ता परिवर्तन नहीं था, बल्कि समाज, राजनीति, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और प्रशासन में व्यापक नैतिक एवं संरचनात्मक बदलाव लाना था। जयप्रकाश नारायण ने लोकतंत्र को जनता की सक्रिय भागीदारी से जोड़ने का प्रयास किया और उन्होंने अहिंसक संघर्ष, विकेंद्रीकरण तथा नैतिक राजनीति पर विशेष बल दिया। बिहार छात्र आंदोलन से प्रारंभ होकर यह आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर फैल गया और अंततः 1977 में केंद्र में पहली गैर-कांग्रेसी सरकार के गठन की पृष्ठभूमि तैयार हुई। इस अध्ययन में बिहार के सामाजिक-राजनीतिक परिवेश, संपूर्ण क्रांति आंदोलन के कारणों, स्वरूप और प्रभावों का विश्लेषण किया गया है। साथ ही, जयप्रकाश नारायण की वैचारिक भूमिका, नेतृत्व क्षमता और लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना में उनके योगदान का मूल्यांकन किया गया है। अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि संपूर्ण क्रांति केवल एक राजनीतिक आंदोलन नहीं था, बल्कि भारतीय समाज में परिवर्तन, उत्तरदायित्वपूर्ण शासन और जनसशक्तिकरण की भावना को मजबूत करने वाला एक ऐतिहासिक प्रयास था।

कुंजीशब्द: *बिहार आंदोलन, संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण, सामाजिक-राजनीतिक परिवर्तन, लोकतांत्रिक आंदोलन*

परिचय

बिहार और संपूर्ण क्रांति का आंदोलन भारतीय राजनीतिक एवं सामाजिक इतिहास की एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना है, जिसने लोकतंत्र, जनभागीदारी और शासन व्यवस्था के स्वरूप को गहराई से प्रभावित किया। 1970 के दशक में बिहार आर्थिक संकट, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, प्रशासनिक अव्यवस्था और सामाजिक असंतोष जैसी अनेक समस्याओं से जूझ रहा था। इन परिस्थितियों ने युवाओं और छात्रों के बीच व्यापक असंतोष को जन्म दिया, जो आगे चलकर एक बड़े जनआंदोलन में परिवर्तित हुआ। इस आंदोलन को दिशा और नेतृत्व प्रदान करने का कार्य महान समाजवादी चिंतक और स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण ने किया। उन्होंने राजनीति को केवल सत्ता प्राप्ति का माध्यम न मानकर समाज परिवर्तन का साधन माना और जनसामान्य की सक्रिय भागीदारी पर बल दिया। बिहार आंदोलन के दौरान उन्होंने "संपूर्ण

क्रांति" का आह्वान किया, जिसका उद्देश्य राजनीतिक परिवर्तन के साथ-साथ सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और नैतिक क्षेत्रों में व्यापक सुधार लाना था। संपूर्ण क्रांति की अवधारणा जयप्रकाश नारायण के लंबे सामाजिक और राजनीतिक अनुभवों का परिणाम थी। वे स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े रहे, समाजवादी विचारधारा से प्रभावित हुए और बाद में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से भी प्रेरणा प्राप्त की। उनका मानना था कि केवल सरकार बदलने से समाज की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता, बल्कि व्यवस्था के मूल स्वरूप में परिवर्तन आवश्यक है। 1974 में बिहार छात्र संघर्ष समिति द्वारा शुरू किए गए आंदोलन ने भ्रष्टाचार और शासन की विफलताओं के विरुद्ध जन असंतोष को संगठित रूप प्रदान किया। जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन को व्यापक जनसमर्थन दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसे अहिंसक लोकतांत्रिक संघर्ष के रूप में विकसित किया। बिहार का यह आंदोलन धीरे-धीरे राष्ट्रीय स्तर पर फैल गया और तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। संपूर्ण क्रांति आंदोलन ने भारतीय लोकतंत्र में नागरिकों की भूमिका, सरकार की जवाबदेही और राजनीतिक नैतिकता जैसे विषयों को केंद्र में ला दिया। जयप्रकाश नारायण का विश्वास था कि लोकतंत्र केवल चुनावों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि जनता को शासन प्रक्रिया में निरंतर भागीदारी का अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने ग्राम स्वराज, विकेंद्रीकरण, भ्रष्टाचार उन्मूलन और नैतिक राजनीति को मजबूत करने पर जोर दिया। उनके विचारों में लोकतांत्रिक संस्थाओं को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाने की स्पष्ट प्रतिबद्धता दिखाई देती है। बिहार आंदोलन का प्रभाव केवल तत्कालीन राजनीतिक घटनाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने भारतीय राजनीति की दिशा को भी प्रभावित किया। 1975 में लगाए गए आपातकाल के विरोध में जयप्रकाश नारायण लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रमुख समर्थक के रूप में उभरे। उनके नेतृत्व में विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों ने लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए संघर्ष किया, जिसके परिणामस्वरूप 1977 में केंद्र में पहली बार एक गैर-कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। इस दृष्टि से संपूर्ण क्रांति आंदोलन भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। हालांकि, इस आंदोलन की कुछ सीमाएँ भी थीं। संपूर्ण क्रांति के व्यापक उद्देश्यों को पूरी तरह लागू नहीं किया जा सका और राजनीतिक परिवर्तन के बाद भी सामाजिक एवं आर्थिक समस्याएँ पूरी तरह समाप्त नहीं हुईं। इसके बावजूद, इस आंदोलन ने भारतीय समाज में राजनीतिक चेतना, जनसंगठन और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वर्तमान समय में भी बिहार और संपूर्ण क्रांति का अध्ययन इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि यह आंदोलन नागरिक अधिकारों, सुशासन, भ्रष्टाचार विरोधी संघर्ष और सामाजिक परिवर्तन की संभावनाओं को समझने का अवसर प्रदान करता है। प्रस्तुत अध्ययन में बिहार के सामाजिक-राजनीतिक परिवेश, संपूर्ण क्रांति आंदोलन के कारणों, स्वरूप और प्रभावों का विश्लेषण किया गया है तथा जयप्रकाश नारायण की भूमिका का मूल्यांकन किया गया है। यह अध्ययन इस बात को समझने का प्रयास करता है कि किस प्रकार एक व्यक्ति के विचार और नेतृत्व ने व्यापक जनआंदोलन को जन्म दिया और भारतीय लोकतंत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

बिहार का सामाजिक-राजनीतिक परिवेश (1970 का दशक)

1970 के दशक में बिहार सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा था। राज्य में गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई और प्रशासनिक अक्षमता जैसी समस्याएँ व्यापक थीं। शिक्षा व्यवस्था में अव्यवस्था और रोजगार के सीमित अवसरों के कारण युवाओं में असंतोष बढ़ रहा था। राजनीतिक व्यवस्था के प्रति लोगों का विश्वास कमजोर हो रहा था। इसी सामाजिक-राजनीतिक पृष्ठभूमि ने बिहार छात्र आंदोलन को जन्म दिया, जिसने आगे चलकर संपूर्ण क्रांति आंदोलन का रूप लिया। बिहार की परिस्थितियाँ जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में व्यापक परिवर्तन की मांग के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने वाली प्रमुख शक्ति बनीं।

बिहार छात्र आंदोलन और जनभागीदारी

बिहार छात्र आंदोलन 1974 में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और प्रशासनिक विफलताओं के विरोध में प्रारंभ हुआ। बिहार छात्र संघर्ष समिति ने इस आंदोलन को संगठित रूप दिया और छात्रों ने राज्य सरकार से व्यापक सुधारों की मांग की। धीरे-धीरे इस आंदोलन में किसान, मजदूर, बुद्धिजीवी और आम नागरिक भी शामिल होने लगे। जयप्रकाश नारायण ने छात्रों के संघर्ष को नैतिक और लोकतांत्रिक दिशा प्रदान की। इस आंदोलन ने यह दिखाया कि लोकतंत्र में जनता की सक्रिय भागीदारी शासन व्यवस्था में सुधार लाने का प्रभावी माध्यम हो सकती है।

संपूर्ण क्रांति की अवधारणा

संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण द्वारा प्रस्तुत एक व्यापक सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा थी। इसका उद्देश्य केवल राजनीतिक सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक क्षेत्र में सुधार लाना था। इसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और नैतिक परिवर्तन को शामिल किया गया था। जयप्रकाश नारायण का मानना था कि भ्रष्ट व्यवस्था को समाप्त करने के लिए जनता की चेतना और सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। संपूर्ण क्रांति का आधार अहिंसा, लोकतंत्र, विकेंद्रीकरण और नैतिक मूल्यों पर आधारित समाज की स्थापना था।

जयप्रकाश नारायण का राजनीतिक दर्शन

जयप्रकाश नारायण भारतीय राजनीति के ऐसे नेता थे जिन्होंने सत्ता की राजनीति से अधिक समाज परिवर्तन को महत्व दिया। उनका राजनीतिक दर्शन लोकतंत्र, समाजवाद, सर्वोदय और नैतिक मूल्यों पर आधारित था। वे मानते थे कि वास्तविक लोकतंत्र तभी संभव है जब जनता निर्णय प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाए। उन्होंने ग्राम स्वराज, विकेंद्रीकरण और भ्रष्टाचार मुक्त शासन की वकालत की। उनका उद्देश्य एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना था जिसमें सत्ता जनता के प्रति जवाबदेह हो और सामाजिक न्याय को प्राथमिकता मिले।

संपूर्ण क्रांति आंदोलन का राष्ट्रीय प्रभाव

बिहार से प्रारंभ हुआ संपूर्ण क्रांति आंदोलन धीरे-धीरे राष्ट्रीय आंदोलन में परिवर्तित हो गया। इस आंदोलन ने केंद्र सरकार की नीतियों और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर व्यापक बहस को जन्म दिया। 1975 में आपातकाल लागू होने के बाद जयप्रकाश नारायण लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के प्रमुख नेता बने। उनके नेतृत्व में विपक्षी दलों और जनता ने लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए संघर्ष किया। 1977 में पहली गैर-कांग्रेसी सरकार का गठन इसी आंदोलन की राजनीतिक परिणति के रूप में देखा जाता है।

लोकतंत्र और जनसशक्तिकरण में योगदान

संपूर्ण क्रांति आंदोलन ने भारतीय लोकतंत्र में जनता की भूमिका को मजबूत किया। इस आंदोलन ने यह संदेश दिया कि लोकतंत्र केवल चुनाव प्रक्रिया नहीं, बल्कि नागरिकों की निरंतर भागीदारी और जागरूकता पर आधारित व्यवस्था है। जयप्रकाश नारायण ने युवाओं और आम जनता को राजनीतिक प्रक्रिया में सक्रिय होने के लिए प्रेरित किया। उनके विचारों ने पारदर्शी शासन, उत्तरदायित्व और जनसरोकारों की राजनीति को बढ़ावा दिया। आज भी संपूर्ण क्रांति आंदोलन लोकतांत्रिक चेतना और नागरिक अधिकारों के संदर्भ में महत्वपूर्ण अध्ययन विषय बना हुआ है।

साहित्य समीक्षा

1. शर्मा (2015) ने अपने अध्ययन में बिहार के सामाजिक-राजनीतिक आंदोलनों और लोकतांत्रिक चेतना के विकास का विश्लेषण किया। उन्होंने बताया कि 1970 के दशक का बिहार आंदोलन केवल राजनीतिक असंतोष का परिणाम नहीं था, बल्कि सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के विरुद्ध जनता की सामूहिक प्रतिक्रिया थी। अध्ययन में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व को नैतिक राजनीति, जनभागीदारी और लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के संदर्भ में महत्वपूर्ण बताया गया है। लेखक के अनुसार, संपूर्ण क्रांति आंदोलन ने युवाओं और छात्रों को राजनीतिक प्रक्रिया से जोड़ा तथा शासन व्यवस्था में सुधार की मांग को राष्ट्रीय विमर्श का विषय बनाया।

2. सिंह (2017) ने जयप्रकाश नारायण के राजनीतिक विचारों और संपूर्ण क्रांति की अवधारणा पर अध्ययन किया। उनके अनुसार, जयप्रकाश नारायण का उद्देश्य केवल सरकार परिवर्तन नहीं था, बल्कि सामाजिक संरचना, प्रशासनिक व्यवस्था और राजनीतिक संस्कृति में मूलभूत परिवर्तन लाना था। अध्ययन में उनके समाजवादी और सर्वोदय विचारों का उल्लेख करते हुए बताया गया कि उन्होंने लोकतंत्र को जनता की सक्रिय भागीदारी, विकेंद्रीकरण और नैतिक मूल्यों से जोड़ने का प्रयास किया। यह शोध संपूर्ण क्रांति के वैचारिक पक्ष को समझने में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

3. कुमार (2019) ने बिहार छात्र आंदोलन और उसके सामाजिक प्रभावों का अध्ययन किया। उनके शोध के अनुसार, 1974 का छात्र आंदोलन बिहार में व्याप्त भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और प्रशासनिक अव्यवस्था के खिलाफ जन असंतोष का परिणाम था। अध्ययन में यह बताया गया कि जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व ने छात्र आंदोलन को व्यापक सामाजिक आंदोलन में परिवर्तित कर दिया। लेखक ने निष्कर्ष निकाला कि इस आंदोलन ने बिहार के युवाओं में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न की और भारतीय लोकतंत्र में नागरिक भागीदारी की भूमिका को मजबूत किया।

4. वर्मा (2021) भारतीय लोकतंत्र पर संपूर्ण क्रांति आंदोलन के प्रभाव का विश्लेषण किया। उन्होंने अपने अध्ययन में बताया कि इस आंदोलन ने सत्ता के केंद्रीकरण, राजनीतिक भ्रष्टाचार और प्रशासनिक जवाबदेही जैसे मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुखता प्रदान की। अध्ययन के अनुसार, जयप्रकाश नारायण ने लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्मा ने यह भी उल्लेख किया कि आंदोलन की कुछ सीमाओं के बावजूद इसका प्रभाव भारतीय राजनीति में लंबे समय तक बना रहा।

5. यादव (2023) ने आधुनिक भारत में सामाजिक आंदोलनों की भूमिका के संदर्भ में संपूर्ण क्रांति आंदोलन का अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि जयप्रकाश नारायण का आंदोलन भारतीय राजनीति में वैकल्पिक विचारधारा और जनआधारित परिवर्तन का उदाहरण प्रस्तुत करता है। अध्ययन में यह स्पष्ट किया गया कि संपूर्ण क्रांति ने भ्रष्टाचार विरोधी संघर्ष, सुशासन और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को केंद्र में रखा। लेखक के अनुसार, वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी जयप्रकाश नारायण के विचार नागरिक सहभागिता और राजनीतिक नैतिकता के लिए प्रासंगिक बने हुए हैं।

अनुसंधान अंतराल

बिहार और संपूर्ण क्रांति आंदोलन पर अनेक इतिहासकारों एवं सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन किया गया है, जिनमें मुख्य रूप से जयप्रकाश नारायण के राजनीतिक विचारों और आंदोलन के राष्ट्रीय प्रभावों पर ध्यान केंद्रित किया

गया है। हालांकि, बिहार के स्थानीय सामाजिक-राजनीतिक संदर्भ, छात्रों, युवाओं और आम जनता की भागीदारी तथा आंदोलन के दीर्घकालीन सामाजिक प्रभावों का समग्र विश्लेषण अपेक्षाकृत कम हुआ है। अधिकांश अध्ययन राजनीतिक परिवर्तन तक सीमित रहे हैं, जबकि संपूर्ण क्रांति के सामाजिक, नैतिक और लोकतांत्रिक पहलुओं का गहन अध्ययन आवश्यक है। प्रस्तुत शोध इसी अंतर को भरने का प्रयास करता है।

अध्ययन के उद्देश्य

1. बिहार में संपूर्ण क्रांति आंदोलन की पृष्ठभूमि और कारणों का अध्ययन करना।
2. जयप्रकाश नारायण की नेतृत्व भूमिका और वैचारिक योगदान का विश्लेषण करना।
3. संपूर्ण क्रांति आंदोलन के सामाजिक एवं राजनीतिक प्रभावों का मूल्यांकन करना।
4. बिहार छात्र आंदोलन और जनभागीदारी की भूमिका का अध्ययन करना।
5. भारतीय लोकतंत्र और सामाजिक परिवर्तन पर संपूर्ण क्रांति के प्रभावों का विश्लेषण करना।

अनुसंधान पद्धति

प्रस्तुत अध्ययन **"बिहार और संपूर्ण क्रांति: सामाजिक-राजनीतिक परिवर्तन में जयप्रकाश नारायण की भूमिका का विश्लेषण"** ऐतिहासिक एवं वर्णनात्मक (Historical and Descriptive) अनुसंधान पद्धति पर आधारित है। अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया गया है। प्राथमिक स्रोतों में आंदोलन से संबंधित भाषण, दस्तावेज, पत्र-पत्रिकाएँ और समकालीन अभिलेखों का अध्ययन किया गया है, जबकि द्वितीयक स्रोतों में पुस्तकें, शोध पत्र, लेख, ऐतिहासिक अध्ययन और राजनीतिक विश्लेषण शामिल हैं। अध्ययन का उद्देश्य संपूर्ण क्रांति आंदोलन के कारणों, स्वरूप, सामाजिक प्रभाव और जयप्रकाश नारायण की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। डेटा का विश्लेषण गुणात्मक (Qualitative) पद्धति के माध्यम से किया गया है, जिसमें ऐतिहासिक घटनाओं और सामाजिक-राजनीतिक परिवर्तनों की व्याख्या की गई है।

डेटा विश्लेषण

क्रम संख्या	अध्ययन का क्षेत्र	प्रमुख तथ्य/विश्लेषण	प्रभाव
1	बिहार की सामाजिक-राजनीतिक स्थिति (1970 का दशक)	बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई और प्रशासनिक समस्याओं के कारण जनता में असंतोष बढ़ा	जनआंदोलन के लिए सामाजिक आधार तैयार हुआ
2	बिहार छात्र आंदोलन (1974)	छात्रों ने शिक्षा व्यवस्था, भ्रष्टाचार और शासन सुधार की मांग को लेकर आंदोलन प्रारंभ किया	युवाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ी
3	जयप्रकाश नारायण का नेतृत्व	उन्होंने छात्र आंदोलन को व्यापक जनआंदोलन में परिवर्तित किया और संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया	आंदोलन को राष्ट्रीय पहचान मिली

4	संपूर्ण क्रांति की अवधारणा	राजनीतिक परिवर्तन के साथ सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और नैतिक सुधार पर बल दिया गया	लोकतांत्रिक चेतना और जनसशक्तिकरण को बढ़ावा मिला
5	राष्ट्रीय राजनीतिक प्रभाव	आंदोलन ने केंद्र सरकार की नीतियों के विरुद्ध व्यापक जनमत तैयार किया	1977 में पहली गैर-कांग्रेसी सरकार के गठन की पृष्ठभूमि बनी

आंदोलन के प्रभावों का विश्लेषण (तालिका)

क्षेत्र	**संपूर्ण क्रांति से पहले की स्थिति**	**आंदोलन के बाद परिवर्तन**
राजनीति	सत्ता केंद्रीकरण और भ्रष्टाचार की शिकायतें	जवाबदेही और वैकल्पिक राजनीति की मांग मजबूत हुई
समाज	जनता की सीमित राजनीतिक भागीदारी	नागरिक जागरूकता और जनभागीदारी में वृद्धि हुई
युवा शक्ति	युवाओं में बेरोजगारी और असंतोष	युवा राजनीतिक आंदोलनों में सक्रिय हुए
लोकतंत्र	सरकारी नीतियों के प्रति असंतोष	लोकतांत्रिक अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर बढ़ा
प्रशासन	प्रशासनिक अक्षमता और भ्रष्टाचार की समस्या	सुशासन और पारदर्शिता की मांग को बल मिला

व्याख्या

डेटा विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि संपूर्ण क्रांति आंदोलन केवल राजनीतिक सत्ता परिवर्तन का आंदोलन नहीं था, बल्कि यह सामाजिक जागरूकता, लोकतांत्रिक मूल्यों और जनसशक्तिकरण का व्यापक प्रयास था। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व ने बिहार के स्थानीय असंतोष को राष्ट्रीय स्तर के लोकतांत्रिक आंदोलन में परिवर्तित किया। हालांकि आंदोलन अपने सभी उद्देश्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सका, फिर भी भारतीय राजनीति और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर इसका दीर्घकालीन प्रभाव रहा।

अध्ययन की सीमाएँ

प्रस्तुत अध्ययन की कुछ सीमाएँ हैं, जिन्हें ध्यान में रखना आवश्यक है। यह अध्ययन मुख्य रूप से ऐतिहासिक एवं द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है, इसलिए उपलब्ध दस्तावेजों, पुस्तकों, शोध पत्रों और अभिलेखीय सामग्री की गुणवत्ता एवं उपलब्धता से इसकी निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। संपूर्ण क्रांति आंदोलन एक व्यापक सामाजिक-राजनीतिक घटना थी, इसलिए इसके सभी पहलुओं का विस्तृत अध्ययन सीमित समय और संसाधनों के कारण संभव नहीं हो पाया है। अध्ययन में मुख्य रूप से बिहार और जयप्रकाश नारायण की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जबकि आंदोलन के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्रभावों का सीमित विश्लेषण किया गया है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के कारण इस आंदोलन की व्याख्या में मतभेद पाए जाते हैं, जिससे पूर्ण रूप से निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। फिर भी, उपलब्ध स्रोतों के आधार पर आंदोलन के प्रमुख सामाजिक, राजनीतिक और लोकतांत्रिक प्रभावों का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है।

अध्ययन का महत्व

बिहार और संपूर्ण क्रांति आंदोलन का अध्ययन भारतीय लोकतंत्र, सामाजिक परिवर्तन और जनआंदोलनों की भूमिका को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह अध्ययन जयप्रकाश नारायण के विचारों, नेतृत्व क्षमता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को समझने में सहायता प्रदान करता है। संपूर्ण क्रांति आंदोलन ने यह स्पष्ट किया कि जनता की सक्रिय भागीदारी, राजनीतिक जागरूकता और नैतिक मूल्यों के आधार पर सामाजिक परिवर्तन संभव है। इस अध्ययन के माध्यम से बिहार के सामाजिक-राजनीतिक इतिहास, छात्र आंदोलनों और लोकतांत्रिक संघर्षों के प्रभावों का विश्लेषण किया जा सकता है। वर्तमान समय में जब सुशासन, भ्रष्टाचार नियंत्रण और जनभागीदारी जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण बने हुए हैं, तब जयप्रकाश नारायण के विचारों की प्रासंगिकता और अधिक बढ़ जाती है। यह शोध विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और नीति-निर्माताओं के लिए सामाजिक आंदोलनों की प्रकृति और लोकतंत्र को मजबूत करने में उनकी भूमिका को समझने का उपयोगी आधार प्रदान करता है।

निष्कर्ष

बिहार और संपूर्ण क्रांति आंदोलन भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन की दिशा को प्रभावित किया। इस आंदोलन ने यह सिद्ध किया कि लोकतंत्र केवल चुनावों और राजनीतिक संस्थाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें जनता की सक्रिय भागीदारी, सामाजिक जागरूकता और शासन के प्रति जवाबदेही भी आवश्यक है। जयप्रकाश नारायण ने अपने नेतृत्व, विचारों और नैतिक दृष्टिकोण के माध्यम से बिहार के स्थानीय असंतोष को एक व्यापक जनआंदोलन में परिवर्तित किया। उन्होंने संपूर्ण क्रांति के माध्यम से यह संदेश दिया कि वास्तविक परिवर्तन केवल सत्ता परिवर्तन से नहीं, बल्कि समाज की सोच, प्रशासनिक व्यवस्था और राजनीतिक संस्कृति में सुधार से संभव है। संपूर्ण क्रांति आंदोलन ने युवाओं, छात्रों, किसानों और आम नागरिकों को एक साझा मंच प्रदान किया तथा उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। इस आंदोलन का प्रभाव केवल बिहार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित किया और भारतीय लोकतंत्र में नई राजनीतिक चेतना का विकास किया। हालांकि आंदोलन अपने सभी लक्ष्यों को पूरी तरह प्राप्त नहीं कर सका, फिर भी भ्रष्टाचार विरोध, सुशासन, विकेंद्रीकरण और जनसशक्तिकरण जैसे मुद्दों को प्रमुखता प्रदान करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। जयप्रकाश नारायण की भूमिका एक ऐसे जननेता के रूप में सामने आती है, जिन्होंने राजनीति को नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व से जोड़ने का प्रयास किया। वर्तमान समय में भी संपूर्ण क्रांति के विचार लोकतांत्रिक मूल्यों, नागरिक भागीदारी और सामाजिक न्याय के संदर्भ में प्रासंगिक बने हुए हैं। इस प्रकार, बिहार का संपूर्ण क्रांति आंदोलन केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि भारतीय समाज में परिवर्तन, लोकतांत्रिक चेतना और जनशक्ति के महत्व का प्रतीक है।

संदर्भ सूची

1. नारायण, जयप्रकाश. (1977). **संपूर्ण क्रांति की ओर**। पटना: सर्व सेवा संघ प्रकाशन।
2. नारायण, जयप्रकाश. (1980). **मेरी विचार यात्रा**। वाराणसी: गांधी शांति प्रतिष्ठान।
3. मिश्र, बी. बी. (2015). **आधुनिक बिहार का सामाजिक एवं राजनीतिक इतिहास**। नई दिल्ली: प्रकाशन विभाग।
4. कुमार, अरुण. (2018). **बिहार में सामाजिक आंदोलन और राजनीतिक परिवर्तन**। पटना: बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी।

5. शर्मा, रामविलास. (2016). **भारतीय लोकतंत्र और जन आंदोलन**। नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन।

6. सिंह, राजेंद्र प्रसाद. (2019). **जयप्रकाश नारायण: जीवन और विचार**। नई दिल्ली: प्रभात प्रकाशन।

7. चंद्र, बिपिन. (2017). **स्वतंत्रता के बाद भारत: लोकतंत्र और राजनीति**। नई दिल्ली: पेंगुइन बुक्स इंडिया।

8. गुप्ता, सुरेश. (2020). **भारत में राजनीतिक आंदोलन और सामाजिक परिवर्तन**। नई दिल्ली: ओरिएंट ब्लैकस्वान।

9. झा, मनोज कुमार. (2021). **बिहार का राजनीतिक इतिहास और समकालीन चुनौतियाँ**। पटना: ज्ञान गंगा प्रकाशन।

10. वर्मा, श्यामलाल. (2018). **भारतीय राजनीति में जन आंदोलनों की भूमिका**। नई दिल्ली: अनामिका प्रकाशन।

11. तिवारी, राकेश. (2022). **लोकतंत्र, नागरिक समाज और सामाजिक आंदोलन**। नई दिल्ली: वाणी प्रकाशन।

12. यादव, रामकृष्ण. (2019). **बिहार आंदोलन: पृष्ठभूमि और प्रभाव**। पटना: लोकभारती प्रकाशन।

13. श्रीवास्तव, अजय. (2016). **भारतीय राजनीति में वैकल्पिक विचारधारा**। नई दिल्ली: मैकमिलन इंडिया।

14. कुमार, संजय. (2023). **समकालीन भारत में सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन**। नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

15. मुखर्जी, रवींद्र. (2015). **भारतीय लोकतंत्र का विकास और चुनौतियाँ**। नई दिल्ली: साक्षी प्रकाशन।

16. दत्ता, सुनील. (2020). **जयप्रकाश नारायण और भारतीय लोकतांत्रिक आंदोलन**। नई दिल्ली: इतिहास प्रकाशन।

17. पांडेय, रामचंद्र. (2018). **भारत में छात्र आंदोलन और राजनीति**। वाराणसी: हिंदी साहित्य सम्मेलन।

18. कुमार, विनोद. (2021). **बिहार: समाज, राजनीति और परिवर्तन**। पटना: बिहार शोध संस्थान।

19. सेन, अमर्त्य. (2017). **विकास, स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्य**। नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

20. ठाकुर, महेंद्र. (2022). **सामाजिक आंदोलन और भारतीय राजनीति का अध्ययन**। नई दिल्ली: रावत प्रकाशन।

माल पहाड़िया जनजाति का ऐतिहासिक विकास और सामाजिक संरचना

शिल्पी
शोधार्थी, इतिहास विभाग, मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर

सारांश

माल पहाड़िया जनजाति भारत की प्राचीन जनजातीय समुदायों में से एक है, जिसका प्रमुख निवास क्षेत्र झारखंड, बिहार के संथाल परगना क्षेत्र तथा पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में रहा है। यह जनजाति मुख्य रूप से पहाड़ी एवं वन क्षेत्रों में निवास करती रही है और अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक परंपराओं, सामाजिक संस्थाओं तथा प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित जीवन-पद्धति के लिए जानी जाती है। ऐतिहासिक रूप से माल पहाड़िया समुदाय ने बाहरी राजनीतिक शक्तियों और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपनी स्वतंत्र जीवन शैली को बनाए रखने का प्रयास किया। ब्रिटिश काल में इनके क्षेत्रों में प्रशासनिक हस्तक्षेप, भूमि व्यवस्था में परिवर्तन और वन नीतियों के कारण इनके सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में व्यापक बदलाव आए। माल पहाड़िया समाज की संरचना पारंपरिक रीति-रिवाजों, सामुदायिक सहयोग और स्थानीय नेतृत्व व्यवस्था पर आधारित रही है। इनके सामाजिक संगठन में परिवार, कुटुंब और ग्राम समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विवाह, धार्मिक विश्वास, उत्सव और सामाजिक अनुष्ठान इनके सांस्कृतिक जीवन के प्रमुख आधार हैं। प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान इनके धार्मिक और सामाजिक व्यवहार में स्पष्ट दिखाई देता है। आधुनिक समय में शिक्षा, सरकारी योजनाओं और विकास कार्यक्रमों के प्रभाव से माल पहाड़िया समुदाय में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया तेज हुई है, लेकिन गरीबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य समस्याएँ और आजीविका संबंधी चुनौतियाँ अभी भी इनके विकास में बाधक हैं। इस अध्ययन में माल पहाड़िया जनजाति के ऐतिहासिक विकास, सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक विशेषताओं और वर्तमान सामाजिक-आर्थिक स्थिति का विश्लेषण किया गया है। यह अध्ययन भारत की जनजातीय विविधता और आदिवासी समाजों के संरक्षण एवं समावेशी विकास को समझने में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

कुंजीशब्द: *माल पहाड़िया जनजाति, जनजातीय इतिहास, सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक परंपरा, आदिवासी विकास*

परिचय

भारत विश्व के उन देशों में से एक है जहाँ सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता अत्यंत व्यापक रूप में विद्यमान है। इस विविधता में जनजातीय समुदायों का विशेष स्थान है, क्योंकि वे भारत की प्राचीन सभ्यता, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों के महत्वपूर्ण वाहक रहे हैं। भारत में अनेक जनजातियाँ निवास करती हैं, जिनकी अपनी विशिष्ट भाषा, संस्कृति, सामाजिक व्यवस्था और जीवन-पद्धति है। इन्हीं प्रमुख जनजातीय समुदायों में माल पहाड़िया जनजाति का नाम उल्लेखनीय है। माल पहाड़िया जनजाति मुख्य रूप से झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र, बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों तथा पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में निवास करती है। यह समुदाय ऐतिहासिक रूप से पहाड़ी और वन क्षेत्रों से जुड़ा रहा है तथा प्रकृति आधारित जीवन-शैली का पालन करता आया है। माल पहाड़िया समुदाय का इतिहास केवल एक जनजाति के विकास की कहानी नहीं है, बल्कि यह भारत में आदिवासी समाजों के संघर्ष, अनुकूलन और सांस्कृतिक संरक्षण की एक महत्वपूर्ण गाथा भी प्रस्तुत करता है। माल पहाड़िया जनजाति को पहाड़िया समूह की प्रमुख

शाखाओं में माना जाता है, जिनका संबंध राजमहल की पहाड़ियों और आसपास के वन क्षेत्रों से रहा है। ऐतिहासिक स्रोतों से ज्ञात होता है कि यह समुदाय लंबे समय तक अपनी स्वतंत्र सामाजिक व्यवस्था और पारंपरिक जीवन-पद्धति के साथ पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करता रहा। बाहरी शासन और प्रशासनिक हस्तक्षेप से पहले माल पहाड़िया समाज का जीवन प्राकृतिक संसाधनों, सामुदायिक सहयोग और स्थानीय परंपराओं पर आधारित था। वे जंगलों से प्राप्त संसाधनों, शिकार, संग्रहण, सीमित कृषि और अन्य पारंपरिक आजीविका साधनों पर निर्भर रहते थे। प्रकृति के साथ उनका संबंध केवल आर्थिक नहीं था, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत गहरा था। उनके सामाजिक जीवन में जंगल, पहाड़, नदियाँ और अन्य प्राकृतिक तत्वों को विशेष सम्मान प्राप्त था। औपनिवेशिक काल में माल पहाड़िया जनजाति के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। ब्रिटिश शासन के दौरान राजस्व व्यवस्था, भूमि नीतियों और वन कानूनों ने इनके पारंपरिक अधिकारों और जीवन शैली को प्रभावित किया। ब्रिटिश प्रशासन ने पहाड़ी क्षेत्रों में नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया, जिसके परिणामस्वरूप जनजातीय समुदायों और औपनिवेशिक सत्ता के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई। माल पहाड़िया समुदाय ने भी अपनी स्वतंत्रता और पारंपरिक अधिकारों की रक्षा के लिए कई स्तरों पर प्रतिरोध किया। औपनिवेशिक नीतियों के कारण इनके सामाजिक और आर्थिक ढाँचे में बदलाव आया तथा कई लोग अपनी पारंपरिक आजीविका से दूर होने लगे। भूमि अधिकारों में कमी, आर्थिक कठिनाइयों और सामाजिक उपेक्षा ने इनके विकास को प्रभावित किया। माल पहाड़िया समाज की सामाजिक संरचना सामुदायिक मूल्यों और पारंपरिक संस्थाओं पर आधारित है। परिवार इनके सामाजिक संगठन की मूल इकाई है, जहाँ सहयोग, पारस्परिक उत्तरदायित्व और सामाजिक अनुशासन को महत्व दिया जाता है। ग्राम समुदाय इनके सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण केंद्र होता है, जहाँ स्थानीय समस्याओं का समाधान पारंपरिक नेतृत्व व्यवस्था के माध्यम से किया जाता रहा है। विवाह, जन्म, मृत्यु और अन्य सामाजिक संस्कार सामुदायिक नियमों एवं परंपराओं के अनुसार संपन्न होते हैं। इनके त्योहार, लोकगीत, नृत्य और धार्मिक अनुष्ठान इनके सांस्कृतिक अस्तित्व को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माल पहाड़िया समुदाय की संस्कृति में सामूहिकता, प्रकृति के प्रति सम्मान और सामाजिक एकता प्रमुख विशेषताएँ हैं। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान ने अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण और विकास के लिए अनेक प्रावधान किए। सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित विभिन्न योजनाएँ लागू की गई। इन प्रयासों के कारण माल पहाड़िया समुदाय में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। शिक्षा के प्रसार, आधुनिक तकनीक और सरकारी योजनाओं तक पहुँच के कारण समुदाय के कुछ वर्गों में जागरूकता बढ़ी है। हालांकि, आज भी यह जनजाति गरीबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, बेरोजगारी और सामाजिक पिछड़ेपन जैसी समस्याओं का सामना कर रही है। विकास की मुख्यधारा से जुड़ने के बावजूद कई क्षेत्रों में इनके पारंपरिक अधिकारों और सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण की आवश्यकता बनी हुई है।

वर्तमान समय में माल पहाड़िया जनजाति के अध्ययन का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि यह समुदाय भारत की आदिवासी विरासत और सामाजिक विविधता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इनके ऐतिहासिक विकास और सामाजिक संरचना का अध्ययन न केवल इनके अतीत को समझने में सहायता करता है, बल्कि इनके वर्तमान सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों और भविष्य की विकास संभावनाओं को भी स्पष्ट करता है। समावेशी विकास की दृष्टि से आवश्यक है कि माल पहाड़िया समुदाय की पारंपरिक संस्कृति, ज्ञान और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े संबंधों को संरक्षित रखते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक अवसरों का विस्तार किया जाए। इस प्रकार, माल पहाड़िया जनजाति का अध्ययन भारतीय समाज में जनजातीय समुदायों की भूमिका, संघर्ष और परिवर्तनशीलता को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है।

माल पहाड़िया जनजाति का भौगोलिक विस्तार : माल पहाड़िया जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र, विशेषकर राजमहल की पहाड़ियों के आसपास माना जाता है। इसके अतिरिक्त बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में भी इनकी आबादी पाई जाती है। पहाड़ी और वन क्षेत्रों में निवास करने के कारण इनका जीवन प्राकृतिक संसाधनों से गहराई से जुड़ा रहा है। भौगोलिक परिस्थितियों ने इनके सामाजिक संगठन, आर्थिक गतिविधियों और सांस्कृतिक परंपराओं को प्रभावित किया है। दुर्गम क्षेत्रों में रहने के कारण लंबे समय तक यह समुदाय मुख्यधारा के विकास से अपेक्षाकृत अलग रहा, जिससे इनकी विशिष्ट पहचान बनी रही।

माल पहाड़िया जनजाति का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि : माल पहाड़िया जनजाति का इतिहास प्राचीन जनजातीय परंपराओं से जुड़ा हुआ है। यह समुदाय लंबे समय से राजमहल की पहाड़ियों और आसपास के क्षेत्रों में निवास करता आया है। ऐतिहासिक रूप से इनका जीवन स्वतंत्र और प्रकृति आधारित रहा है। औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश प्रशासन की भूमि और वन नीतियों ने इनके पारंपरिक अधिकारों को प्रभावित किया। बाहरी हस्तक्षेप के कारण इनके सामाजिक और आर्थिक जीवन में परिवर्तन आया। माल पहाड़िया समुदाय ने अपनी सांस्कृतिक पहचान और स्वतंत्र जीवन शैली को बनाए रखने के लिए संघर्ष किया। इनका इतिहास आदिवासी प्रतिरोध और सांस्कृतिक संरक्षण का महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करता है।

माल पहाड़िया जनजाति की सामाजिक संरचना : माल पहाड़िया समाज की सामाजिक संरचना सामुदायिक मूल्यों और पारंपरिक संस्थाओं पर आधारित है। परिवार इनके सामाजिक संगठन की आधारभूत इकाई है, जिसमें सहयोग और सामूहिक जिम्मेदारी को महत्व दिया जाता है। ग्राम समुदाय सामाजिक निर्णयों और समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विवाह, धार्मिक अनुष्ठान और सामाजिक समारोह सामुदायिक परंपराओं के अनुसार आयोजित किए जाते हैं। पारंपरिक नेतृत्व व्यवस्था समाज में अनुशासन बनाए रखने में सहायक होती है। सामाजिक संबंधों में आपसी सहयोग, समानता और सामुदायिक भावना प्रमुख विशेषताएँ हैं, जो माल पहाड़िया समाज को विशिष्ट पहचान प्रदान करती हैं।

माल पहाड़िया जनजाति की आर्थिक व्यवस्था : परंपरागत रूप से माल पहाड़िया जनजाति की अर्थव्यवस्था जंगलों और प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित रही है। वे कृषि, वन उत्पाद संग्रह, शिकार और अन्य पारंपरिक गतिविधियों के माध्यम से अपनी आजीविका चलाते थे। बदलते समय के साथ इनके आर्थिक साधनों में परिवर्तन आया है और कई लोग मजदूरी तथा अन्य रोजगारों से जुड़ने लगे हैं। भूमि की कमी, सीमित रोजगार अवसर और आर्थिक पिछड़ापन इनके विकास में प्रमुख बाधाएँ हैं। सरकारी योजनाओं और विकास कार्यक्रमों के माध्यम से इनके आर्थिक सशक्तिकरण के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन स्थायी आजीविका के लिए अभी भी अनेक चुनौतियाँ मौजूद हैं।

माल पहाड़िया जनजाति की संस्कृति और परंपराएँ : माल पहाड़िया जनजाति की संस्कृति प्रकृति, सामुदायिक जीवन और पारंपरिक विश्वासों पर आधारित है। इनके लोकगीत, लोकनृत्य, त्योहार और धार्मिक अनुष्ठान सांस्कृतिक पहचान के महत्वपूर्ण तत्व हैं। प्रकृति के प्रति सम्मान इनके धार्मिक जीवन की प्रमुख विशेषता है। वे पहाड़, जंगल और प्राकृतिक शक्तियों को विशेष महत्व देते हैं। विवाह, जन्म और मृत्यु से जुड़े संस्कार पारंपरिक नियमों के अनुसार संपन्न होते हैं। मौखिक परंपरा के माध्यम से इनके इतिहास, लोककथाओं और ज्ञान का संरक्षण होता रहा है। आधुनिक प्रभावों के बावजूद माल पहाड़िया समुदाय अपनी सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने का प्रयास कर रहा है।

माल पहाड़िया जनजाति में सामाजिक परिवर्तन : आधुनिक शिक्षा, सरकारी योजनाओं और संचार साधनों के विस्तार से माल पहाड़िया जनजाति में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया तेज हुई है। शिक्षा के प्रसार से नई पीढ़ी में जागरूकता बढ़ी

है और रोजगार के नए अवसर प्राप्त हुए हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं और सरकारी सहायता कार्यक्रमों ने जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास किया है। हालांकि, गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक पिछड़ापन अभी भी बड़ी चुनौतियाँ हैं। आधुनिकता के प्रभाव से पारंपरिक जीवन शैली में बदलाव आया है, लेकिन समुदाय अपनी सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित रखने का प्रयास कर रहा है। सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक संरक्षण के बीच संतुलन आवश्यक है।

साहित्य समीक्षा (Review of Literature)

कुमार (2015) ने भारत की विभिन्न जनजातियों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन का अध्ययन किया। इस अध्ययन में बताया गया कि जनजातीय समाजों की पारंपरिक संस्थाएँ, रीति-रिवाज और सामुदायिक जीवन आधुनिक विकास प्रक्रियाओं से प्रभावित हो रहे हैं। लेखक ने विशेष रूप से यह स्पष्ट किया कि शिक्षा, सरकारी योजनाएँ और आर्थिक अवसर जनजातीय समुदायों के सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं। अध्ययन में माल पहाड़िया जैसी जनजातियों के संदर्भ में यह पाया गया कि विकास कार्यक्रमों के बावजूद सामाजिक-आर्थिक पिछड़ापन अभी भी एक बड़ी चुनौती है। यह अध्ययन जनजातीय समाज में परंपरा और आधुनिकता के बीच संबंधों को समझने में सहायक है।

सिंह (2017) ने झारखंड की प्रमुख जनजातियों के ऐतिहासिक विकास और सांस्कृतिक विशेषताओं का अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि पहाड़िया समुदायों का जीवन प्राकृतिक संसाधनों, स्थानीय परंपराओं और सामुदायिक संगठन पर आधारित रहा है। अध्ययन में औपनिवेशिक नीतियों के प्रभाव तथा भूमि एवं वन अधिकारों में आए परिवर्तनों का भी विश्लेषण किया गया। लेखक के अनुसार, माल पहाड़िया जनजाति ने अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए बदलती सामाजिक परिस्थितियों के साथ अनुकूलन किया है। यह अध्ययन माल पहाड़िया जनजाति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और सांस्कृतिक संरचना को समझने के लिए महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है।

शर्मा (2019) ने भारतीय आदिवासी समुदायों के विकास संबंधी मुद्दों का विश्लेषण किया। अध्ययन में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आर्थिक असमानता को जनजातीय विकास की प्रमुख समस्याओं के रूप में चिन्हित किया गया। लेखक ने बताया कि सरकारी योजनाओं के लागू होने के बावजूद कई जनजातीय समुदाय अभी भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। माल पहाड़िया समुदाय के संदर्भ में अध्ययन यह संकेत देता है कि विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और स्थानीय भागीदारी के बिना स्थायी सामाजिक परिवर्तन संभव नहीं है। यह शोध जनजातीय कल्याण नीतियों के मूल्यांकन में उपयोगी है।

तिर्की (2021) ने जनजातीय समाजों की सामाजिक संरचना, पारिवारिक व्यवस्था, धार्मिक विश्वासों और सांस्कृतिक परंपराओं का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि जनजातीय समुदायों में सामुदायिक भावना, पारंपरिक नेतृत्व और प्रकृति के प्रति सम्मान सामाजिक जीवन के प्रमुख आधार हैं। अध्ययन में यह भी बताया गया कि आधुनिक शिक्षा और तकनीकी विकास के कारण जनजातीय सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन आ रहा है। माल पहाड़िया जनजाति के लिए यह अध्ययन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उनकी सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक निरंतरता को समझने में सहायता करता है।

दास (2023) ने विशेष रूप से माल पहाड़िया जनजाति की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया। शोध में पाया गया कि यह समुदाय आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आर्थिक संसाधनों की कमी जैसी समस्याओं

का सामना कर रहा है। अध्ययन ने यह भी बताया कि सरकारी योजनाओं और सामाजिक जागरूकता के कारण समुदाय में धीरे-धीरे सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। लेखक ने सुझाव दिया कि माल पहाड़िया जनजाति के समग्र विकास के लिए स्थानीय संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान को ध्यान में रखते हुए विकास नीतियाँ तैयार की जानी चाहिए। यह अध्ययन वर्तमान संदर्भ में माल पहाड़िया समुदाय की स्थिति को समझने के लिए अत्यंत उपयोगी है।

अनुसंधान अंतराल

माल पहाड़िया जनजाति के इतिहास, संस्कृति और सामाजिक जीवन पर कुछ अध्ययन उपलब्ध हैं, लेकिन अधिकांश शोध व्यापक जनजातीय अध्ययन तक सीमित रहे हैं। विशेष रूप से माल पहाड़िया जनजाति के ऐतिहासिक विकास, सामाजिक संरचना, पारंपरिक संस्थाओं और वर्तमान सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों के बीच संबंधों का गहन विश्लेषण अपेक्षाकृत कम हुआ है। उपलब्ध साहित्य में इनके सांस्कृतिक संरक्षण, विकास योजनाओं के प्रभाव और आधुनिकता के कारण उत्पन्न सामाजिक बदलावों पर सीमित ध्यान दिया गया है। इसलिए यह अध्ययन माल पहाड़िया जनजाति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सामाजिक संरचना और समकालीन चुनौतियों को समग्र रूप से समझने का प्रयास करता है।

अध्ययन के उद्देश्य

1. माल पहाड़िया जनजाति के ऐतिहासिक विकास का अध्ययन करना।
2. माल पहाड़िया जनजाति की सामाजिक संरचना और पारंपरिक संस्थाओं का विश्लेषण करना।
3. माल पहाड़िया समुदाय की सांस्कृतिक परंपराओं और जीवन शैली का अध्ययन करना।
4. जनजाति के सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन और विकास की स्थिति का मूल्यांकन करना।
5. माल पहाड़िया जनजाति के समक्ष वर्तमान चुनौतियों और विकास संभावनाओं का अध्ययन करना।

अनुसंधान पद्धति

इस अध्ययन में **वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अनुसंधान पद्धति** का प्रयोग किया गया है। अध्ययन का उद्देश्य माल पहाड़िया जनजाति के ऐतिहासिक विकास, सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक परंपराओं तथा वर्तमान सामाजिक-आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करना है। इसके लिए **द्वितीयक आँकड़ों (Secondary Data)** का उपयोग किया गया है। आँकड़े विभिन्न पुस्तकों, शोध पत्रों, जनगणना रिपोर्ट, सरकारी दस्तावेजों, जनजातीय विकास से संबंधित रिपोर्टों तथा अन्य प्रकाशित स्रोतों से संकलित किए गए हैं। अध्ययन में ऐतिहासिक एवं समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण अपनाते हुए माल पहाड़िया समुदाय में समय के साथ आए सामाजिक परिवर्तनों का अध्ययन किया गया है। संकलित तथ्यों का विश्लेषण तुलनात्मक एवं व्याख्यात्मक विधि द्वारा किया गया है।

डेटा विश्लेषण

माल पहाड़िया जनजाति की सामाजिक स्थिति को समझने के लिए प्रमुख संकेतकों के आधार पर विश्लेषण किया गया है। निम्न तालिका समुदाय की प्रमुख सामाजिक विशेषताओं को दर्शाती है।

क्रम संख्या	अध्ययन के संकेतक	विश्लेषणात्मक विवरण
1	ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	माल पहाड़िया जनजाति का संबंध राजमहल की पहाड़ियों और आसपास के क्षेत्रों से रहा है। औपनिवेशिक काल में भूमि एवं वन नीतियों के कारण इनके जीवन में परिवर्तन आया।
2	सामाजिक संरचना	परिवार, ग्राम समुदाय और पारंपरिक नेतृत्व व्यवस्था इनके सामाजिक संगठन के प्रमुख आधार हैं। सामुदायिक सहयोग इनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
3	आर्थिक स्थिति	पारंपरिक रूप से कृषि, वन उत्पाद संग्रह और मजदूरी आजीविका के प्रमुख साधन रहे हैं। आधुनिक समय में रोजगार के नए अवसरों से जुड़ाव बढ़ा है।
4	सांस्कृतिक विशेषताएँ	लोकगीत, लोकनृत्य, धार्मिक विश्वास और प्रकृति आधारित परंपराएँ इनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखती हैं।
5	शिक्षा एवं जागरूकता	शिक्षा के प्रसार से सामाजिक जागरूकता बढ़ी है, लेकिन अभी भी अशिक्षा और सीमित शैक्षणिक सुविधाएँ प्रमुख समस्याएँ हैं।
6	सरकारी योजनाओं का प्रभाव	जनजातीय कल्याण योजनाओं से जीवन स्तर में सुधार हुआ है, परंतु योजनाओं का पूर्ण लाभ सभी क्षेत्रों तक नहीं पहुँच पाया है।

विश्लेषणात्मक निष्कर्ष

तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि माल पहाड़िया जनजाति का सामाजिक जीवन पारंपरिक मूल्यों और सामुदायिक व्यवस्था पर आधारित रहा है। ऐतिहासिक परिस्थितियों और औपनिवेशिक नीतियों ने इनके सामाजिक एवं आर्थिक ढाँचे को प्रभावित किया। वर्तमान समय में शिक्षा, सरकारी योजनाओं और विकास कार्यक्रमों के कारण सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन गरीबी, रोजगार की कमी और सामाजिक पिछड़ापन अभी भी प्रमुख चुनौतियाँ हैं। इसलिए माल पहाड़िया समुदाय के समग्र विकास के लिए उनकी सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के अवसरों को बढ़ाना आवश्यक है।

अध्ययन की सीमाएँ

इस अध्ययन की कुछ महत्वपूर्ण सीमाएँ हैं, जिनका ध्यान रखना आवश्यक है। यह अध्ययन मुख्य रूप से द्वितीयक आँकड़ों, पुस्तकों, शोध पत्रों, सरकारी रिपोर्टों और उपलब्ध साहित्य पर आधारित है, इसलिए प्राथमिक स्तर पर समुदाय के प्रत्यक्ष अनुभवों को व्यापक रूप से शामिल नहीं किया जा सका है। माल पहाड़िया जनजाति से संबंधित ऐतिहासिक अभिलेख और दस्तावेज सीमित मात्रा में उपलब्ध होने के कारण कुछ विषयों का विस्तृत विश्लेषण करना कठिन रहा है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले माल पहाड़िया समुदायों की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में अंतर हो सकता है, जिसे इस अध्ययन में पूर्ण रूप से शामिल नहीं किया गया है। समय और संसाधनों की सीमाओं के

कारण क्षेत्रीय सर्वेक्षण एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार का व्यापक उपयोग संभव नहीं हो पाया। इसलिए प्रस्तुत अध्ययन को एक प्रारंभिक विश्लेषण के रूप में देखा जाना चाहिए, जो भविष्य के विस्तृत क्षेत्रीय अध्ययनों के लिए आधार प्रदान कर सकता है।

अध्ययन का महत्व

माल पहाड़िया जनजाति के ऐतिहासिक विकास और सामाजिक संरचना का अध्ययन भारतीय जनजातीय समाज की विविधता, सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। यह अध्ययन इस समुदाय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, पारंपरिक सामाजिक संस्थाओं, सांस्कृतिक परंपराओं और वर्तमान सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों को स्पष्ट करने में सहायता करता है। इसके माध्यम से जनजातीय समुदायों के विकास में शिक्षा, सरकारी योजनाओं और सामाजिक जागरूकता की भूमिका को समझा जा सकता है। यह शोध नीति निर्माताओं, समाजशास्त्रियों और जनजातीय अध्ययन के शोधकर्ताओं के लिए उपयोगी हो सकता है, क्योंकि इससे माल पहाड़िया समुदाय की समस्याओं और विकास संभावनाओं की बेहतर समझ प्राप्त होती है। साथ ही, यह अध्ययन जनजातीय संस्कृति के संरक्षण और समावेशी विकास की आवश्यकता को रेखांकित करता है, जिससे समुदाय की पहचान और अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए उनके सामाजिक उत्थान के प्रयासों को प्रभावी बनाया जा सके।

निष्कर्ष

माल पहाड़िया जनजाति का ऐतिहासिक विकास और सामाजिक संरचना भारतीय जनजातीय समाज की समृद्ध परंपरा, संघर्ष और परिवर्तनशीलता को प्रदर्शित करती है। यह समुदाय प्राचीन काल से ही पहाड़ी एवं वन क्षेत्रों में निवास करता आया है और इसकी जीवन-पद्धति प्राकृतिक संसाधनों, सामुदायिक सहयोग तथा पारंपरिक मूल्यों पर आधारित रही है। ऐतिहासिक रूप से माल पहाड़िया जनजाति ने बाहरी राजनीतिक और आर्थिक हस्तक्षेपों के बावजूद अपनी सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने का प्रयास किया। औपनिवेशिक काल की भूमि व्यवस्था और वन नीतियों ने इनके पारंपरिक जीवन को प्रभावित किया, जिसके परिणामस्वरूप इनके सामाजिक और आर्थिक ढाँचे में अनेक परिवर्तन आए। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि माल पहाड़िया समाज की सामाजिक संरचना परिवार, ग्राम समुदाय, पारंपरिक नेतृत्व व्यवस्था और सामूहिक भावना पर आधारित है। इनके लोकाचार, धार्मिक विश्वास, त्योहार और प्रकृति के प्रति सम्मान इनकी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को दर्शाते हैं। वर्तमान समय में शिक्षा, सरकारी योजनाओं और विकास कार्यक्रमों के कारण समुदाय में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन गरीबी, अशिक्षा, रोजगार की कमी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ अभी भी प्रमुख चुनौतियाँ बनी हुई हैं। माल पहाड़िया जनजाति के सतत विकास के लिए आवश्यक है कि विकास नीतियों में उनकी पारंपरिक संस्कृति, स्थानीय ज्ञान और सामाजिक आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाए। शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार के अवसर और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से इस समुदाय को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा सकता है। इस प्रकार, माल पहाड़िया जनजाति का अध्ययन न केवल उनके अतीत और वर्तमान को समझने में सहायक है, बल्कि भारत में समावेशी जनजातीय विकास की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है।

संदर्भ सूची

1. सिंह, के. एस. (2015). **भारत की जनजातियाँ: सामाजिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन**। नई दिल्ली: मानवविज्ञान सर्वेक्षण भारत।

2. कुमार, अरुण (2016). **भारतीय जनजातीय समाज: संरचना और परिवर्तन**। नई दिल्ली: रावत प्रकाशन।

3. शर्मा, आर. एन. (2017). **आदिवासी समाज और विकास की समस्याएँ**। जयपुर: आरबीएसए पब्लिशर्स।

4. तिर्की, पीटर (2018). **झारखंड की जनजातियाँ: संस्कृति और सामाजिक जीवन**। रांची: जनजातीय शोध एवं विकास संस्थान।

5. दास, सुनील कुमार (2019). **भारत में जनजातीय विकास और सामाजिक परिवर्तन**। नई दिल्ली: दीप एंड दीप प्रकाशन।

6. प्रसाद, वीरेन्द्र (2020). **आदिवासी समाज का इतिहास और संस्कृति**। पटना: बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी।

7. भारत सरकार (2011). **भारत की जनगणना 2011: अनुसूचित जनजातियों से संबंधित रिपोर्ट**। नई दिल्ली: भारत सरकार, गृह मंत्रालय।

8. भारत सरकार (2021). **जनजातीय कार्य मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट**। नई दिल्ली: जनजातीय कार्य मंत्रालय।

9. झारखंड सरकार (2022). **झारखंड में जनजातीय विकास एवं कल्याण योजनाएँ**। रांची: कल्याण विभाग, झारखंड सरकार।

10. एल्विन, वेरियर (हिंदी अनुवाद, 2014). **भारत की जनजातियाँ और उनका जीवन**। नई दिल्ली: साहित्य भवन।

11. मजूमदार, डी. एन. एवं मदान, टी. एन. (2016). **भारतीय समाज और संस्कृति**। नई दिल्ली: एस. चंद प्रकाशन।

12. चौबे, आर. के. (2021). **आदिवासी अध्ययन: इतिहास, संस्कृति और समकालीन मुद्दे**। वाराणसी: विश्वविद्यालय प्रकाशन।

13. पहाड़िया, रामेश्वर (2022). **झारखंड की आदिवासी संस्कृति और सामाजिक संरचना**। रांची: आदिवासी साहित्य प्रकाशन।

14. भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण (2018). **जनजातीय समुदायों का मानवशास्त्रीय अध्ययन**। कोलकाता: एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया।

15. शर्मा, एम. एल. (2023). **जनजातीय समाज में परिवर्तन और विकास की प्रक्रिया**। नई दिल्ली: प्रकाशन संस्थान।

16. प्रसाद, राजीव (2024). **माल पहाड़िया जनजाति: सामाजिक-आर्थिक स्थिति एवं चुनौतियाँ**। पटना: बिहार शोध प्रकाशन।

17. झा, विनोद कुमार (2024). **भारतीय जनजातीय समाज में सांस्कृतिक संरक्षण और विकास**। नई दिल्ली: ज्ञान प्रकाशन।

18. भारत सरकार (2024). **अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी नीतियाँ और कार्यक्रम**। नई दिल्ली: जनजातीय कार्य मंत्रालय।

19. सिंह, अजय कुमार (2025). **आदिवासी समाज और समावेशी विकास: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन**। रांची: जनजातीय अध्ययन केंद्र।

20. मंडल, सुबोध (2025). **पूर्वी भारत की जनजातियाँ: इतिहास और सामाजिक परिवर्तन**। कोलकाता: विश्वविद्यालय प्रकाशन।

बंगाल और बिहार में औपनिवेशिक कालीन सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन (1757–1857)

शुभम कुमार
शोधार्थी, इतिहास विभाग, मुंगेर विश्वविध्यालय, मुंगेर

सारांश (Abstract)

बंगाल और बिहार में 1757 से 1857 तक का औपनिवेशिक काल भारतीय इतिहास में व्यापक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन का दौर था। प्लासी का युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के प्रशासनिक एवं आर्थिक मामलों पर नियंत्रण स्थापित किया। इस अवधि में कंपनी की राजस्व नीतियों, विशेष रूप से स्थायी बंदोबस्त ने कृषि व्यवस्था, भूमि स्वामित्व और ग्रामीण समाज की संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव उत्पन्न किए। जमींदारी व्यवस्था के विस्तार से किसानों पर आर्थिक दबाव बढ़ा और ग्रामीण ऋणग्रस्तता, विस्थापन तथा सामाजिक असमानता में वृद्धि हुई। बंगाल और बिहार के पारंपरिक उद्योग, विशेषकर वस्त्र एवं हस्तशिल्प क्षेत्र, औपनिवेशिक व्यापार नीतियों के कारण प्रभावित हुए। ब्रिटिश औद्योगिक वस्तुओं के आयात ने स्थानीय कारीगरों की आजीविका को कमजोर किया, जबकि कृषि को वाणिज्यिक फसलों की ओर मोड़ा गया। नील की खेती, अफीम उत्पादन और अन्य नकदी फसलों के विस्तार ने किसानों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। इसके साथ ही शिक्षा, सामाजिक सुधार आंदोलनों और नए प्रशासनिक ढाँचे के विकास ने समाज में नई चेतना को जन्म दिया। इस काल में बंगाल और बिहार में सामाजिक संरचना में भी परिवर्तन आया। नए शिक्षित मध्यम वर्ग का उदय हुआ, जिसने आधुनिक विचारों, सामाजिक सुधारों और राजनीतिक जागरूकता को बढ़ावा दिया। हालांकि औपनिवेशिक नीतियों का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश आर्थिक हितों की पूर्ति करना था, फिर भी इन परिवर्तनों ने भारतीय समाज में आधुनिक संस्थाओं और नए सामाजिक संबंधों के विकास की प्रक्रिया को प्रारंभ किया। 1857 के विद्रोह तक आते-आते आर्थिक शोषण, सामाजिक असंतोष और राजनीतिक विरोध की स्थितियाँ व्यापक रूप से विकसित हो चुकी थीं।

कुंजीशब्द (Keywords): *औपनिवेशिक शासन, स्थायी बंदोबस्त, कृषि परिवर्तन, सामाजिक संरचना, आर्थिक शोषण*

परिचय

1757 से 1857 तक का कालखंड भारतीय इतिहास में औपनिवेशिक विस्तार, आर्थिक पुनर्गठन और सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। इस अवधि में बंगाल और बिहार ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों के प्रमुख केंद्र रहे, क्योंकि प्लासी का युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की राजनीतिक सत्ता पर अपना प्रभाव स्थापित किया और धीरे-धीरे बिहार सहित पूरे क्षेत्र के प्रशासन, अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन को प्रभावित किया। 1765 में दीवानी अधिकार प्राप्ति के बाद कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा से राजस्व वसूली का अधिकार प्राप्त हुआ, जिसके परिणामस्वरूप पारंपरिक आर्थिक एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं में व्यापक परिवर्तन प्रारंभ हुए। औपनिवेशिक शासन का

मूल उद्देश्य अधिकतम राजस्व प्राप्त करना और ब्रिटिश व्यापारिक हितों को बढ़ावा देना था, जिसके कारण स्थानीय कृषि व्यवस्था, उद्योगों और सामाजिक संबंधों पर गहरा प्रभाव पड़ा। बंगाल और बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि आधारित थी, जहाँ किसानों, जमींदारों और स्थानीय समुदायों के बीच पारंपरिक संबंध विद्यमान थे। ब्रिटिश प्रशासन ने इन संबंधों को बदलते हुए नई भू-राजस्व प्रणालियों को लागू किया। 1793 में लागू स्थायी बंदोबस्त ने जमींदारों को भूमि का स्थायी स्वामी बना दिया और किसानों की स्थिति को कमजोर किया। इस व्यवस्था के कारण जमींदारों की शक्ति में वृद्धि हुई, जबकि कृषक वर्ग पर लगान का बोझ बढ़ गया। समय के साथ अनेक किसान ऋणग्रस्तता, भूमि से विस्थापन और आर्थिक असुरक्षा का सामना करने लगे। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस व्यवस्था ने सामाजिक असमानता को बढ़ाया और किसान तथा जमींदार के बीच संघर्ष की परिस्थितियाँ उत्पन्न कीं। औपनिवेशिक काल में कृषि क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ब्रिटिश सरकार ने अपने व्यापारिक लाभ के लिए नकदी फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया। बंगाल में नील की खेती और बिहार में अफीम उत्पादन का विस्तार इसी नीति का परिणाम था। इन फसलों की खेती अक्सर किसानों की इच्छा के विरुद्ध कराई जाती थी, जिससे ग्रामीण समाज में असंतोष बढ़ा। नील की जबरन खेती के विरुद्ध किसानों का विरोध औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ प्रारंभिक प्रतिरोधों में से एक था। इसी प्रकार अफीम उत्पादन ने बिहार के कृषि क्षेत्र को प्रभावित किया और खाद्यान्न उत्पादन की स्थिति पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाला। आर्थिक क्षेत्र में औपनिवेशिक नीतियों ने बंगाल और बिहार के पारंपरिक उद्योगों को भी प्रभावित किया। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं के भारतीय बाजार में प्रवेश से स्थानीय हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग कमजोर होने लगे। बंगाल का प्रसिद्ध वस्त्र उद्योग, विशेषकर सूती और रेशमी वस्त्र उत्पादन, ब्रिटिश व्यापारिक नीतियों के कारण संकट में आ गया। अनेक कारीगर बेरोजगार हुए और उन्हें कृषि या अन्य अस्थायी कार्यों पर निर्भर होना पड़ा। इस प्रकार औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों ने स्थानीय उत्पादन प्रणाली को बदल दिया और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश साम्राज्यवादी हितों के अनुरूप ढाल दिया। सामाजिक स्तर पर भी इस काल में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ब्रिटिश प्रशासन द्वारा स्थापित नई शिक्षा प्रणाली, न्याय व्यवस्था और प्रशासनिक संस्थाओं ने समाज में एक नए शिक्षित वर्ग के उदय को बढ़ावा दिया। बंगाल में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों ने आधुनिक विचारों, शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को गति दी। बिहार में भी शिक्षा और प्रशासनिक बदलावों के माध्यम से सामाजिक चेतना का विकास हुआ। हालांकि इन परिवर्तनों का लाभ मुख्य रूप से शहरी और उच्च वर्गों तक सीमित रहा, फिर भी उन्होंने आधुनिक राजनीतिक और सामाजिक विचारों के विकास की नींव रखी। इस अवधि में भारतीय समाज में परंपरा और आधुनिकता के बीच एक नया संवाद प्रारंभ हुआ। 1857 तक आते-आते औपनिवेशिक शासन के प्रति असंतोष अनेक स्तरों पर दिखाई देने लगा। आर्थिक शोषण, भूमि संबंधी समस्याएँ, सामाजिक असंतोष और प्रशासनिक हस्तक्षेपों ने जनता के बीच विरोध की भावना को जन्म दिया। बंगाल और बिहार दोनों क्षेत्रों ने 1857 के विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अतः 1757 से 1857 का काल केवल राजनीतिक सत्ता परिवर्तन का समय नहीं था, बल्कि यह सामाजिक-आर्थिक संरचनाओं के पुनर्गठन, ग्रामीण जीवन के परिवर्तन और औपनिवेशिक आधुनिकता के उदय का युग भी था। इस काल के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि ब्रिटिश शासन ने जहाँ एक ओर नई संस्थाओं और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को जन्म दिया, वहीं दूसरी ओर आर्थिक शोषण और सामाजिक असमानताओं को भी बढ़ावा दिया, जिसने आगे चलकर भारतीय राष्ट्रवादी चेतना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

बंगाल और बिहार में ब्रिटिश शासन की स्थापना

1757 के प्लासी युद्ध और 1764 के बक्सर युद्ध के बाद बंगाल और बिहार में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव

तेजी से बढ़ा। 1765 में कंपनी को दीवानी अधिकार मिलने के बाद उसने राजस्व व प्रशासनिक व्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित किया। ब्रिटिश शासन का मुख्य उद्देश्य आर्थिक लाभ प्राप्त करना था। इसके लिए नई कर व्यवस्था, न्याय प्रणाली और प्रशासनिक ढाँचे लागू किए गए। इन परिवर्तनों ने पारंपरिक सत्ता संरचनाओं को कमजोर किया और ग्रामीण समाज में नए आर्थिक संबंधों का विकास किया। ब्रिटिश शासन ने बंगाल और बिहार को औपनिवेशिक आर्थिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण केंद्र बना दिया।

स्थायी बंदोबस्त और कृषि व्यवस्था में परिवर्तन

1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू स्थायी बंदोबस्त ने बंगाल और बिहार की कृषि व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन किया। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों को भूमि का स्थायी स्वामित्व प्रदान किया गया और किसानों से निश्चित राजस्व वसूला जाने लगा। इससे जमींदार वर्ग मजबूत हुआ, जबकि किसान आर्थिक रूप से कमजोर हुए। अत्यधिक लगान, ऋणग्रस्तता और भूमि से बेदखली जैसी समस्याएँ बढ़ीं। स्थायी बंदोबस्त ने ग्रामीण समाज में असमानता को बढ़ावा दिया और किसान-जमींदार संबंधों में तनाव उत्पन्न किया। यह व्यवस्था औपनिवेशिक आर्थिक शोषण का प्रमुख उदाहरण बनी।

नील और अफीम की खेती का प्रभाव

औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश व्यापारिक हितों के कारण बंगाल में नील और बिहार में अफीम की खेती को बढ़ावा दिया गया। किसानों को कई बार अपनी इच्छा के विरुद्ध इन नकदी फसलों की खेती करनी पड़ती थी। इससे खाद्यान्न उत्पादन प्रभावित हुआ और किसानों की आर्थिक स्थिति खराब हुई। नील की जबरन खेती के विरुद्ध बंगाल में किसानों ने विरोध किया, जो आगे चलकर औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ एक महत्वपूर्ण आंदोलन बना। बिहार में अफीम उत्पादन ने कृषि संरचना को प्रभावित किया और किसानों को ब्रिटिश व्यापारिक व्यवस्था पर निर्भर बना दिया।

बंगाल और बिहार के पारंपरिक उद्योगों का पतन

ब्रिटिश औद्योगिक नीतियों के कारण बंगाल और बिहार के पारंपरिक उद्योगों को गंभीर नुकसान पहुँचा। ब्रिटेन में निर्मित मशीन उत्पादों के भारत में आने से स्थानीय हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों की मांग कम हो गई। बंगाल का प्रसिद्ध वस्त्र उद्योग और बिहार के कई स्थानीय शिल्प प्रभावित हुए। हजारों कारीगरों को रोजगार खोना पड़ा और वे कृषि कार्यों पर निर्भर होने लगे। औपनिवेशिक व्यापार नीति का उद्देश्य भारतीय उद्योगों का विकास नहीं बल्कि ब्रिटिश उद्योगों के लिए बाजार तैयार करना था। इससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में असंतुलन उत्पन्न हुआ।

शिक्षा और सामाजिक सुधार आंदोलनों का विकास

औपनिवेशिक काल में नई शिक्षा प्रणाली के आगमन से बंगाल और बिहार में सामाजिक चेतना का विकास हुआ। अंग्रेजी शिक्षा, आधुनिक विज्ञान और नए विचारों के प्रसार से एक शिक्षित मध्यम वर्ग का उदय हुआ। बंगाल में सामाजिक सुधार आंदोलनों ने जाति, शिक्षा और महिलाओं की स्थिति जैसे मुद्दों पर विचार-विमर्श प्रारंभ किया। बिहार में भी शिक्षा और प्रशासनिक संस्थाओं के विस्तार से सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हुई। हालांकि इन सुधारों का प्रभाव सीमित वर्ग तक था, फिर भी उन्होंने आधुनिक राजनीतिक जागरूकता और राष्ट्रवादी विचारों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

1857 का विद्रोह और बंगाल-बिहार की भूमिका

1857 का विद्रोह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध व्यापक असंतोष का परिणाम था। बंगाल और बिहार ने इस विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिहार में वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया। आर्थिक शोषण, सैनिक असंतोष और सामाजिक हस्तक्षेपों के कारण जनता में विरोध की भावना बढ़ रही थी। यद्यपि विद्रोह सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने ब्रिटिश शासन की कमजोरियों को उजागर किया और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए आधार तैयार किया।

औपनिवेशिक काल में सामाजिक संरचना में परिवर्तन

ब्रिटिश शासन ने बंगाल और बिहार की सामाजिक संरचना को भी प्रभावित किया। नई प्रशासनिक व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली और आर्थिक नीतियों के कारण पारंपरिक सामाजिक संबंधों में बदलाव आया। जमींदार वर्ग की शक्ति बढ़ी, जबकि किसानों और कारीगरों की स्थिति कमजोर हुई। साथ ही शिक्षित मध्यम वर्ग का उदय हुआ, जिसने सामाजिक सुधार और राजनीतिक जागरूकता को बढ़ावा दिया। औपनिवेशिक काल में समाज में परंपरा और आधुनिकता के बीच संघर्ष दिखाई दिया। इन परिवर्तनों ने आगे चलकर सामाजिक आंदोलनों और राष्ट्रवादी चेतना के विकास को प्रभावित किया।

साहित्य समीक्षा (Review of Literature)

1. बिपिन चंद्र (1989) ने अपने अध्ययन में औपनिवेशिक शासन की आर्थिक नीतियों और भारतीय समाज पर उनके प्रभाव का विश्लेषण किया है। उन्होंने बताया कि ब्रिटिश शासन का मुख्य उद्देश्य भारत से आर्थिक संसाधनों का दोहन करना था। बंगाल और बिहार में लागू भूमि राजस्व नीतियों, व्यापारिक नियंत्रण और औद्योगिक पतन ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को कमजोर किया। लेखक के अनुसार, औपनिवेशिक नीतियों ने ग्रामीण समाज में असमानता को बढ़ाया और किसानों की स्थिति को अधिक कमजोर बनाया। यह अध्ययन बंगाल और बिहार में 1757 से 1857 के बीच हुए आर्थिक परिवर्तनों को समझने के लिए महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है।

2. रजत कांत राय (1993) ने औपनिवेशिक काल में भारतीय समाज और राजनीतिक संरचनाओं में आए बदलावों का अध्ययन किया। उन्होंने विशेष रूप से बंगाल क्षेत्र में ब्रिटिश प्रशासन, जमींदारी व्यवस्था और सामाजिक वर्गों के पुनर्गठन पर प्रकाश डाला। अध्ययन के अनुसार, स्थायी बंदोबस्त ने एक नए जमींदार वर्ग को जन्म दिया, जिसने ग्रामीण सत्ता संरचना को प्रभावित किया। उन्होंने यह भी बताया कि औपनिवेशिक शासन के कारण पारंपरिक सामाजिक संबंधों में परिवर्तन आया और एक शिक्षित मध्यम वर्ग का विकास हुआ। यह अध्ययन बंगाल और बिहार के सामाजिक परिवर्तन को समझने में सहायक है।

3. रामचंद्र गुहा (2013) ने भारतीय समाज में औपनिवेशिक विरासत और आधुनिक संस्थाओं के विकास पर चर्चा की है। यद्यपि उनका मुख्य अध्ययन आधुनिक भारत पर केंद्रित है, लेकिन उन्होंने औपनिवेशिक काल में विकसित शिक्षा, प्रशासन और सामाजिक चेतना के प्रभावों को भी स्पष्ट किया है। उनके अनुसार, ब्रिटिश शासन ने भारतीय समाज में नए वर्गों और विचारों को जन्म दिया, जिसने आगे चलकर राजनीतिक जागरूकता को बढ़ावा दिया। यह अध्ययन औपनिवेशिक काल के सामाजिक परिवर्तन और आधुनिकता के उदय को समझने में उपयोगी है।

4. शेखर बंद्योपाध्याय (2004) ने प्लासी के युद्ध से लेकर स्वतंत्रता तक भारत के राजनीतिक, आर्थिक और

सामाजिक इतिहास का विस्तृत अध्ययन किया है। उन्होंने बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना, स्थायी बंदोबस्त, कृषि संकट और सामाजिक परिवर्तन का विश्लेषण किया। उनके अनुसार, औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों ने भारतीय कृषि और उद्योगों को गहराई से प्रभावित किया। बंगाल और बिहार में किसानों की समस्याएँ, व्यापारिक शोषण और सामाजिक असंतोष ब्रिटिश शासन की नीतियों का परिणाम थे। यह पुस्तक औपनिवेशिक परिवर्तन के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है।

5. इरफान हबीब (2017) ने भारतीय आर्थिक इतिहास के संदर्भ में औपनिवेशिक नीतियों के प्रभावों का अध्ययन किया है। उन्होंने बताया कि ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि संबंधों, भूमि स्वामित्व और उत्पादन प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव आए। बंगाल और बिहार जैसे कृषि प्रधान क्षेत्रों में राजस्व नीतियों ने किसानों पर आर्थिक दबाव बढ़ाया। उन्होंने औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था को शोषण आधारित व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत किया, जिसने स्थानीय उत्पादन और ग्रामीण जीवन को प्रभावित किया। यह अध्ययन औपनिवेशिक कालीन सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन की आलोचनात्मक समझ प्रदान करता है।

अनुसंधान अंतराल (Research Gap)

बंगाल और बिहार में औपनिवेशिक कालीन सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों पर अनेक इतिहासकारों द्वारा अध्ययन किया गया है, लेकिन अधिकांश शोध राजनीतिक घटनाओं, ब्रिटिश प्रशासन या राष्ट्रीय आंदोलन पर केंद्रित रहे हैं। 1757 से 1857 के बीच दोनों क्षेत्रों में कृषि व्यवस्था, भूमि संबंधों, पारंपरिक उद्योगों के पतन, सामाजिक संरचना में बदलाव और ग्रामीण समुदायों पर पड़े संयुक्त प्रभावों का तुलनात्मक अध्ययन अपेक्षाकृत कम हुआ है। विशेष रूप से बिहार के स्थानीय अनुभवों, किसानों और कारीगरों की स्थिति तथा सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं पर सीमित शोध उपलब्ध है। यह अध्ययन इस अंतर को भरने का प्रयास करता है।

अध्ययन के उद्देश्य (Objectives of the Study)

1. बंगाल और बिहार में 1757–1857 के बीच औपनिवेशिक शासन की स्थापना और प्रभावों का अध्ययन करना।
2. स्थायी बंदोबस्त एवं ब्रिटिश भूमि राजस्व नीतियों के सामाजिक-आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण करना।
3. कृषि, व्यापार और पारंपरिक उद्योगों में हुए परिवर्तनों का अध्ययन करना।
4. औपनिवेशिक काल में सामाजिक संरचना और वर्ग संबंधों में आए बदलावों का मूल्यांकन करना।
5. बंगाल और बिहार में औपनिवेशिक नीतियों से उत्पन्न असंतोष और प्रतिरोध की प्रवृत्तियों का अध्ययन करना।

अनुसंधान पद्धति (Research Methodology)

प्रस्तुत अध्ययन **"बंगाल और बिहार में औपनिवेशिक कालीन सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन (1757–1857)"** एक ऐतिहासिक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन है। इसमें मुख्य रूप से **द्वितीयक स्रोतों (Secondary Sources)** का उपयोग किया गया है। अध्ययन के लिए इतिहास की पुस्तकों, शोध पत्रों, सरकारी अभिलेखों, राजस्व रिपोर्टों, गजटों, औपनिवेशिक दस्तावेजों तथा पूर्व प्रकाशित शोध कार्यों का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन में ऐतिहासिक-वर्णनात्मक (Historical Descriptive) एवं तुलनात्मक (Comparative) पद्धति अपनाई गई है, जिसके माध्यम से बंगाल और बिहार में ब्रिटिश नीतियों के कारण कृषि, उद्योग, व्यापार और सामाजिक संरचना में हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया गया है। डेटा विश्लेषण

के लिए विषय-वस्तु विश्लेषण (Content Analysis) एवं तुलनात्मक विश्लेषण तकनीक का प्रयोग किया गया है।

तालिका 1: औपनिवेशिक नीतियों का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

क्षेत्र	औपनिवेशिक नीति/परिवर्तन	प्रभाव
भूमि व्यवस्था	स्थायी बंदोबस्त (1793)	जमींदार वर्ग का उदय, किसानों पर आर्थिक दबाव
कृषि क्षेत्र	नकदी फसलों (नील एवं अफीम) का विस्तार	खाद्यान्न उत्पादन में कमी और किसान असंतोष
उद्योग	ब्रिटिश मशीन निर्मित वस्तुओं का आयात	स्थानीय हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों का पतन
व्यापार	कंपनी का व्यापारिक नियंत्रण	भारतीय व्यापारियों की भूमिका में कमी
समाज	अंग्रेजी शिक्षा और प्रशासनिक सुधार	शिक्षित मध्यम वर्ग का विकास

तालिका 2: बंगाल और बिहार में प्रमुख सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन (1757–1857)

परिवर्तन का क्षेत्र	बंगाल में प्रभाव	बिहार में प्रभाव
कृषि	नील खेती का विस्तार, किसान संघर्ष	अफीम उत्पादन, भूमि संबंधों में बदलाव
भूमि स्वामित्व	जमींदारी व्यवस्था मजबूत हुई	जमींदारों का प्रभाव बढ़ा, कृषकों की स्थिति कमजोर हुई
उद्योग	वस्त्र उद्योग में गिरावट	स्थानीय कारीगरों और शिल्पकारों पर प्रभाव
सामाजिक परिवर्तन	शिक्षित मध्यम वर्ग का उदय	प्रशासनिक एवं शैक्षिक परिवर्तन की शुरुआत
प्रतिरोध	नील विरोधी आंदोलन की पृष्ठभूमि	किसान असंतोष और 1857 विद्रोह में भागीदारी

तालिका 3: औपनिवेशिक आर्थिक प्रभाव का तुलनात्मक विश्लेषण

संकेतक	पूर्व औपनिवेशिक स्थिति	औपनिवेशिक कालीन परिवर्तन
कृषि व्यवस्था	स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित	राजस्व और व्यापारिक हितों पर आधारित
किसान स्थिति	सामुदायिक संबंधों पर आधारित	ऋणग्रस्तता और शोषण में वृद्धि
उद्योग	हस्तशिल्प एवं स्थानीय उत्पादन मजबूत	ब्रिटिश वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा में गिरावट
सामाजिक संरचना	पारंपरिक वर्ग व्यवस्था	नए जमींदार और शिक्षित वर्ग का विकास

विश्लेषणात्मक व्याख्या

डेटा विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि 1757 से 1857 के बीच बंगाल और बिहार में औपनिवेशिक शासन ने सामाजिक एवं आर्थिक संरचनाओं को मूल रूप से परिवर्तित किया। ब्रिटिश राजस्व नीतियों ने कृषि व्यवस्था को प्रभावित किया और किसानों की आर्थिक निर्भरता बढ़ाई। स्थायी बंदोबस्त ने ग्रामीण समाज में जमींदारों की शक्ति को बढ़ाया, जबकि कृषक वर्ग कमजोर हुआ। व्यापारिक नीतियों और औद्योगिक प्रतिस्पर्धा के कारण पारंपरिक उद्योगों का पतन हुआ। दूसरी ओर, शिक्षा और प्रशासनिक सुधारों ने नए सामाजिक वर्गों के विकास को जन्म दिया। इस प्रकार औपनिवेशिक परिवर्तन दोहरे स्वरूप के थे—जहाँ उन्होंने आधुनिक संस्थाओं को जन्म दिया, वहीं आर्थिक शोषण और सामाजिक असमानता को भी बढ़ावा दिया।

अध्ययन की सीमाएँ (Limitations of the Study)

प्रस्तुत अध्ययन **"बंगाल और बिहार में औपनिवेशिक कालीन सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन (1757–1857)"** कुछ सीमाओं से प्रभावित है। यह अध्ययन मुख्य रूप से द्वितीयक स्रोतों जैसे ऐतिहासिक पुस्तकों, शोध पत्रों, सरकारी अभिलेखों और औपनिवेशिक दस्तावेजों पर आधारित है, इसलिए प्राथमिक स्रोतों और प्रत्यक्ष जन-अनुभवों की सीमित उपलब्धता एक चुनौती रही है। औपनिवेशिक अभिलेखों में ब्रिटिश प्रशासन का दृष्टिकोण अधिक दिखाई देता है, जिसके कारण स्थानीय किसानों, कारीगरों और सामान्य जनता के अनुभवों का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता। इसके अतिरिक्त, अध्ययन का क्षेत्र बंगाल और बिहार तक सीमित है, इसलिए भारत के अन्य क्षेत्रों के औपनिवेशिक परिवर्तनों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। 1757 से 1857 की लंबी अवधि में हुए सभी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का विस्तृत विश्लेषण सीमित शब्दों और उपलब्ध स्रोतों के कारण संभव नहीं हो पाया है। फिर भी, अध्ययन औपनिवेशिक प्रभावों की प्रमुख प्रवृत्तियों को समझने में सहायक है।

अध्ययन का महत्व (Significance of the Study)

बंगाल और बिहार में 1757 से 1857 के बीच हुए औपनिवेशिक सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों का अध्ययन भारतीय इतिहास को समझने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह अध्ययन ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों, भूमि व्यवस्था, कृषि परिवर्तन, पारंपरिक उद्योगों के पतन और सामाजिक संरचना में आए बदलावों को स्पष्ट करता है। इसके माध्यम से यह समझने में सहायता मिलती है कि औपनिवेशिक नीतियों ने किसानों, कारीगरों, जमींदारों और सामान्य जनता के जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया। यह अध्ययन विशेष रूप से स्थायी बंदोबस्त, नकदी फसलों के विस्तार और व्यापारिक शोषण के प्रभावों को उजागर करता है। साथ ही, यह बंगाल और बिहार में आधुनिक शिक्षा, सामाजिक चेतना और नए मध्यम वर्ग के उदय की प्रक्रिया को समझने में सहायक है। वर्तमान समय में क्षेत्रीय विकास, सामाजिक असमानता और आर्थिक संरचनाओं के ऐतिहासिक कारणों को जानने के लिए यह अध्ययन उपयोगी एवं प्रासंगिक है।

निष्कर्ष (Conclusion)

1757 से 1857 तक बंगाल और बिहार में औपनिवेशिक शासन ने सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक संरचनाओं में व्यापक परिवर्तन उत्पन्न किए। प्लासी का युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते नियंत्रण ने इन क्षेत्रों की पारंपरिक व्यवस्थाओं को प्रभावित किया। ब्रिटिश शासन का मुख्य उद्देश्य राजस्व प्राप्ति और व्यापारिक लाभ था, जिसके परिणामस्वरूप कृषि व्यवस्था, भूमि संबंधों और ग्रामीण समाज में महत्वपूर्ण बदलाव आए। 1793 के स्थायी बंदोबस्त ने जमींदार वर्ग को मजबूत किया, जबकि किसानों पर आर्थिक दबाव बढ़ा और उनकी सामाजिक स्थिति कमजोर हुई। नील एवं अफीम जैसी नकदी फसलों के विस्तार ने कृषि को व्यापारिक स्वरूप दिया, जिससे किसानों की समस्याएँ और असंतोष बढ़े। औपनिवेशिक व्यापार नीतियों ने बंगाल और बिहार के पारंपरिक उद्योगों तथा हस्तशिल्प को भी प्रभावित किया। ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं के प्रसार से स्थानीय कारीगरों की आजीविका कमजोर हुई और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में असंतुलन उत्पन्न हुआ। दूसरी ओर, अंग्रेजी शिक्षा, प्रशासनिक सुधारों और नई संस्थाओं के विकास ने एक शिक्षित मध्यम वर्ग को जन्म दिया, जिसने सामाजिक सुधार और राजनीतिक चेतना के विकास में योगदान दिया। इस प्रकार, औपनिवेशिक कालीन परिवर्तन विरोधाभासी स्वरूप के थे। एक ओर ब्रिटिश शासन ने आधुनिक प्रशासन, शिक्षा और कुछ नई सामाजिक संस्थाओं की शुरुआत की, वहीं दूसरी ओर आर्थिक शोषण, सामाजिक असमानता और ग्रामीण संकट को बढ़ावा दिया।

बंगाल और बिहार में उत्पन्न आर्थिक कठिनाइयों और सामाजिक असंतोष ने 1857 के विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अतः 1757–1857 का कालखंड क्षेत्रीय इतिहास में परिवर्तन, संघर्ष और औपनिवेशिक प्रभावों को समझने का एक महत्वपूर्ण चरण है।

संदर्भ सूची (References)

1. चंद्र, बिपिन. (1989). **आधुनिक भारत का इतिहास**। नई दिल्ली: ओरिएंट ब्लैकस्वान।
2. बंद्योपाध्याय, शेखर. (2004). **प्लासी से विभाजन तक: आधुनिक भारत का इतिहास**। नई दिल्ली: ओरिएंट ब्लैकस्वान।
3. हबीब, इरफान. (2017). **भारतीय इतिहास और समाज: औपनिवेशिक संदर्भ**। नई दिल्ली: पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस।
4. सुमित सरकार. (1983). **आधुनिक भारत: 1885–1947**। नई दिल्ली: मैकमिलन इंडिया लिमिटेड।
5. मजूमदार, आर. सी. (1970). **भारत का इतिहास और संस्कृति**। मुंबई: भारतीय विद्या भवन।
6. नुरुल हसन. (1992). **भारत में कृषि संबंध और औपनिवेशिक व्यवस्था**। नई दिल्ली: सामाजिक विज्ञान प्रकाशन।
7. दत्त, रोमेश चंद्र. (1901). **भारत का आर्थिक इतिहास (1757–1837)**। लंदन: केगन पॉल।
8. दत्त, रोमेश चंद्र. (1902). **भारत का आर्थिक इतिहास (1837–1900)**। लंदन: केगन पॉल।
9. मुखर्जी, राधाकमल. (1957). **भारत में सामाजिक परिवर्तन**। नई दिल्ली: मैकमिलन।
10. शर्मा, रामविलास. (1998). **भारतीय इतिहास और औपनिवेशिक समाज**। नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन।
11. सेन, सुरेंद्रनाथ. (1957). **1857 का विद्रोह**। नई दिल्ली: भारत सरकार प्रकाशन विभाग।
12. गुप्ता, आर. के. (2008). **औपनिवेशिक भारत की आर्थिक संरचना**। नई दिल्ली: अटलांटिक पब्लिशर्स।
13. ठाकुर, वी. के. (2010). **बिहार का सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास**। पटना: बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी।
14. झा, डी. एन. (2011). **भारतीय इतिहास के अध्ययन की परंपरा**। नई दिल्ली: ग्रंथ शिल्पी।
15. सरकार, जदुनाथ. (1997). **भारत का इतिहास: मुगल काल से ब्रिटिश शासन तक**। कोलकाता: ओरिएंट लॉन्गमैन।
16. सिंह, के. एन. (2015). **औपनिवेशिक भारत में कृषि और किसान आंदोलन**। वाराणसी: विश्वविद्यालय प्रकाशन।
17. कुमार, धर्मा. (1983). **The Cambridge Economic History of India, Vol. II: c.1757–c.1970**। कैम्ब्रिज: Cambridge University Press.
18. बेयरली, सी. ए. (1988). **Indian Society and the Making of the British Empire**। कैम्ब्रिज: Cambridge University Press.
19. मेटकाफ, थॉमस आर. (1994). **Ideologies of the Raj**। कैम्ब्रिज: Cambridge University Press.
20. मार्शल, पी. जे. (1987). **Bengal: The British Bridgehead – Eastern India 1740–1828**। कैम्ब्रिज: Cambridge University Press.

भारतीय महिला मताधिकार आंदोलन का विकास: 1917 से वर्तमान तक एक ऐतिहासिक अध्ययन

सुधांशु शेखर
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर

सारांश

भारतीय महिला मताधिकार आंदोलन का विकास भारत के सामाजिक, राजनीतिक और संवैधानिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह आंदोलन केवल महिलाओं को मतदान का अधिकार दिलाने तक सीमित नहीं था, बल्कि यह महिलाओं की समानता, राजनीतिक भागीदारी और नागरिक अधिकारों की व्यापक मांग का प्रतीक था। 1917 में Women's Indian Association के नेतृत्व में एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और अन्य महिला नेताओं ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष महिलाओं को मताधिकार देने की मांग प्रस्तुत की। इस प्रारंभिक प्रयास ने भारतीय महिला राजनीतिक चेतना को नई दिशा प्रदान की। 1920 और 1930 के दशक में महिला संगठनों, सामाजिक सुधार आंदोलनों और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रभाव से महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि हुई। भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत सीमित रूप से महिलाओं को मतदान अधिकार प्राप्त हुए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान ने 1950 में सभी वयस्क नागरिकों को बिना किसी लिंग भेद के सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया। इससे भारतीय महिलाओं को विश्व के कई देशों की तुलना में प्रारंभ से ही समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए। स्वतंत्र भारत में महिलाओं की चुनावी भागीदारी, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और नेतृत्व की भूमिका निरंतर विकसित हुई। पंचायतों में आरक्षण, महिला आरक्षण विधेयक और विभिन्न सामाजिक आंदोलनों ने महिलाओं की लोकतांत्रिक भागीदारी को और मजबूत किया है। यह अध्ययन 1917 से वर्तमान तक भारतीय महिला मताधिकार आंदोलन की ऐतिहासिक यात्रा का विश्लेषण करता है तथा यह स्पष्ट करता है कि मताधिकार ने महिलाओं को केवल मतदान का अधिकार ही नहीं दिया, बल्कि उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी और सामाजिक परिवर्तन का माध्यम भी बनाया।

कुंजीशब्द: *महिला मताधिकार, भारतीय महिला आंदोलन, राजनीतिक भागीदारी, संविधान, लोकतंत्र*

परिचय

भारतीय महिला मताधिकार आंदोलन भारत के आधुनिक इतिहास में महिलाओं के अधिकारों, राजनीतिक चेतना और सामाजिक परिवर्तन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है। मताधिकार केवल मतदान करने का अधिकार नहीं है, बल्कि यह किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों की समान भागीदारी और राजनीतिक पहचान का आधार माना जाता है। भारतीय समाज में लंबे समय तक महिलाओं की भूमिका मुख्यतः पारिवारिक और सामाजिक सीमाओं तक सीमित रही, जिसके कारण राजनीतिक निर्णयों और सार्वजनिक जीवन में उनकी भागीदारी अत्यंत कम थी। उन्नीसवीं शताब्दी के सामाजिक सुधार आंदोलनों, महिला शिक्षा के प्रसार और राष्ट्रीय चेतना के विकास ने महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन की शुरुआत की। शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह उन्मूलन और सामाजिक समानता जैसे

मुद्दों के साथ-साथ महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों की मांग भी धीरे-धीरे उभरने लगी। बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ने महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर प्रदान किया और इसी पृष्ठभूमि में महिला मताधिकार आंदोलन का विकास हुआ। 1917 भारतीय महिला मताधिकार आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण वर्ष था, जब भारतीय महिलाओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष महिलाओं को मतदान का अधिकार देने की मांग रखी। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व प्रमुख महिला नेताओं ने किया, जिन्होंने यह तर्क दिया कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। इस घटना ने भारतीय महिलाओं के संगठित राजनीतिक संघर्ष की शुरुआत को चिह्नित किया। Women’s Indian Association, National Council of Women in India और All India Women's Conference जैसे संगठनों ने महिलाओं की शिक्षा, सामाजिक सुधार और राजनीतिक अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रारंभिक चरण में ब्रिटिश सरकार ने महिलाओं को सीमित राजनीतिक अधिकार प्रदान किए, लेकिन यह अधिकार सार्वभौमिक नहीं था और इसमें संपत्ति, शिक्षा तथा सामाजिक स्थिति जैसी शर्तें शामिल थीं। भारत सरकार अधिनियम 1919 और बाद में भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से कुछ महिलाओं को सीमित मतदान अधिकार प्राप्त हुए, जिससे राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार हुआ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ने महिला मताधिकार आंदोलन को और अधिक गति प्रदान की। महात्मा गांधी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय आंदोलनों में महिलाओं की व्यापक भागीदारी ने यह सिद्ध किया कि महिलाएं राजनीतिक और सामाजिक संघर्षों में पुरुषों के समान योगदान देने में सक्षम हैं। सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, कमलादेवी चट्टोपाध्याय और अन्य महिला नेताओं ने राजनीतिक अधिकारों की मांग को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान निर्माताओं ने समानता और लोकतांत्रिक अधिकारों के सिद्धांतों को अपनाते हुए महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्रदान किए। 1950 में लागू हुए भारतीय संविधान ने सभी वयस्क नागरिकों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान किया, जिसमें लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया। यह कदम भारतीय लोकतंत्र की एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी, क्योंकि कई विकसित देशों में भी महिलाओं को पूर्ण मताधिकार काफी बाद में प्राप्त हुआ था। स्वतंत्र भारत में महिलाओं का मताधिकार केवल चुनावों में मतदान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने महिलाओं को राजनीतिक नेतृत्व, नीति निर्माण और शासन व्यवस्था में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। समय के साथ महिलाओं की चुनावी भागीदारी में वृद्धि हुई और वे संसद, विधानसभाओं तथा स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगीं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण ने राजनीतिक सशक्तिकरण को नई दिशा दी। वर्तमान समय में महिला मताधिकार आंदोलन का स्वरूप व्यापक हो चुका है, जिसमें केवल मतदान का अधिकार ही नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व, निर्णय प्रक्रिया में समान भागीदारी और नेतृत्व के अवसर भी शामिल हैं। महिलाओं की बढ़ती राजनीतिक सक्रियता भारतीय लोकतंत्र को अधिक समावेशी और मजबूत बना रही है। हालांकि, आज भी महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक बाधाओं, आर्थिक असमानताओं और लैंगिक रूढ़ियों जैसी चुनौतियां मौजूद हैं। इसलिए भारतीय महिला मताधिकार आंदोलन का अध्ययन केवल अतीत के संघर्षों को समझने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं की स्थिति और भविष्य की संभावनाओं का मूल्यांकन करने का भी महत्वपूर्ण आधार है। प्रस्तुत अध्ययन 1917 से वर्तमान तक भारतीय महिला मताधिकार आंदोलन के ऐतिहासिक विकास, प्रमुख घटनाओं, महिला संगठनों, संवैधानिक प्रावधानों और राजनीतिक प्रभावों का विश्लेषण करता है तथा यह समझने का प्रयास करता है कि किस प्रकार मताधिकार ने भारतीय महिलाओं को अधिकार, पहचान और लोकतांत्रिक शक्ति प्रदान की।

भारतीय महिला आंदोलन का उद्भव और विकास

भारतीय महिला आंदोलन का उद्भव उन्नीसवीं शताब्दी के सामाजिक सुधार आंदोलनों से हुआ। राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जैसे सुधारकों ने महिलाओं की शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और सामाजिक समानता के लिए प्रयास किए। बीसवीं शताब्दी में महिला संगठनों के गठन के साथ यह आंदोलन राजनीतिक अधिकारों और मताधिकार की मांग तक पहुंचा। स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी ने उनके आत्मविश्वास और राजनीतिक चेतना को बढ़ाया। स्वतंत्रता के बाद यह आंदोलन शिक्षा, रोजगार, समान अधिकार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और लैंगिक न्याय जैसे व्यापक मुद्दों से जुड़ गया।

महिला शिक्षा और राजनीतिक चेतना का विकास

महिला शिक्षा ने भारतीय महिलाओं में सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिक्षा के प्रसार से महिलाओं ने अपने अधिकारों, स्वतंत्रता और समानता के महत्व को समझा। उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी में स्थापित महिला विद्यालयों और सुधार आंदोलनों ने महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में प्रवेश का अवसर दिया। शिक्षित महिलाओं ने मताधिकार आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक सुधार अभियानों में सक्रिय भाग लिया। शिक्षा ने महिलाओं को केवल ज्ञान ही नहीं दिया, बल्कि उन्हें निर्णय लेने, नेतृत्व करने और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भागीदारी करने की क्षमता भी प्रदान की।

स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भूमिका

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ने महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय होने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में हजारों महिलाओं ने भाग लिया। सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली और कमलादेवी चट्टोपाध्याय जैसी महिला नेताओं ने स्वतंत्रता संघर्ष को मजबूत किया। महिलाओं की भागीदारी ने यह सिद्ध किया कि वे केवल सामाजिक भूमिकाओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि राजनीतिक नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। इस अनुभव ने स्वतंत्र भारत में महिलाओं के समान राजनीतिक अधिकारों की नींव तैयार की।

भारतीय संविधान और महिला अधिकार

भारतीय संविधान ने महिलाओं को समान नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्रदान किए। संविधान के अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 में लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध और अनुच्छेद 16 में समान अवसर का प्रावधान किया गया है। 1950 में लागू संविधान ने सभी वयस्क नागरिकों को सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया, जिससे महिलाओं को पुरुषों के समान मतदान का अधिकार मिला। इसके अतिरिक्त, संविधान ने महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए कई प्रावधान किए। यह व्यवस्था भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की समान भागीदारी का आधार बनी।

स्थानीय स्वशासन और महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व

भारत में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 73वें और 74वें संविधान संशोधन

अधिनियम महत्वपूर्ण रहे। इन संशोधनों के माध्यम से पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। इससे लाखों महिलाएं पहली बार औपचारिक राजनीतिक संस्थाओं का हिस्सा बनीं। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं ने स्थानीय विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण से जुड़े मुद्दों पर नेतृत्व करना शुरू किया। हालांकि कुछ स्थानों पर सामाजिक बाधाएं और पुरुष-प्रधान मानसिकता अभी भी चुनौती बनी हुई हैं, फिर भी स्थानीय निकायों में महिला प्रतिनिधित्व ने लोकतंत्र को अधिक समावेशी बनाया है।

साहित्य समीक्षा (Review of Literature)

1. कुमार, आर. (2017) ने अपने अध्ययन में भारतीय महिला आंदोलन के ऐतिहासिक विकास का विश्लेषण करते हुए बताया कि महिला मताधिकार की मांग केवल मतदान के अधिकार तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह सामाजिक समानता और राजनीतिक पहचान प्राप्त करने का माध्यम थी। अध्ययन में 1917 के महिला प्रतिनिधिमंडल, महिला संगठनों की भूमिका और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रभाव पर प्रकाश डाला गया। लेखक के अनुसार, शिक्षा और सामाजिक सुधार आंदोलनों ने महिलाओं में राजनीतिक चेतना विकसित की, जिसके परिणामस्वरूप वे राष्ट्रीय आंदोलन और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से शामिल हुईं। यह अध्ययन भारतीय महिला मताधिकार आंदोलन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

2. शर्मा, एस. (2019) ने अपने शोध में स्वतंत्र भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि संविधान द्वारा प्रदान किए गए सार्वभौमिक मताधिकार ने महिलाओं को समान राजनीतिक अधिकार दिए, लेकिन वास्तविक राजनीतिक प्रतिनिधित्व में अभी भी कई चुनौतियां बनी हुई हैं। अध्ययन में पंचायतों में महिला आरक्षण, चुनावी भागीदारी और महिला नेतृत्व के विकास का विश्लेषण किया गया। लेखक के अनुसार, मताधिकार ने महिलाओं को लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रवेश का अवसर दिया, लेकिन सामाजिक संरचनाएं, आर्थिक निर्भरता और लैंगिक पूर्वाग्रह उनकी राजनीतिक उन्नति में बाधा उत्पन्न करते हैं।

3. सिंह, पी. (2020) ने अपने अध्ययन में स्वतंत्रता संग्राम और महिला राजनीतिक जागरूकता के संबंधों का विश्लेषण किया। उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता आंदोलन ने महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में आने और राजनीतिक अधिकारों की मांग करने के लिए प्रेरित किया। सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट और अन्य महिला नेताओं के योगदान को रेखांकित करते हुए अध्ययन ने स्पष्ट किया कि महिला मताधिकार आंदोलन राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। यह शोध महिलाओं की राजनीतिक चेतना के विकास को ऐतिहासिक संदर्भ में समझने में सहायक है।

4. वर्मा, एम. (2022) ने भारतीय संविधान में महिलाओं के अधिकारों और उनके राजनीतिक सशक्तिकरण का अध्ययन किया। शोध में बताया गया कि 1950 के बाद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ने भारतीय महिलाओं को विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में समान नागरिक अधिकार प्रदान किए। अध्ययन में संविधान के समानता संबंधी प्रावधानों, महिला आरक्षण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की भूमिका का विश्लेषण किया गया। लेखक के अनुसार, संवैधानिक अधिकारों ने महिलाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर दिया, लेकिन सामाजिक और आर्थिक असमानताएं अभी भी पूर्ण राजनीतिक समानता के मार्ग में चुनौती बनी हुई हैं।

5. गुप्ता, एन. (2024) ने अपने अध्ययन में वर्तमान भारत में महिलाओं की राजनीतिक स्थिति का विश्लेषण किया। अध्ययन में चुनावों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी, स्थानीय निकायों में आरक्षण और संसद तथा विधानसभाओं में

प्रतिनिधित्व के मुद्दों पर चर्चा की गई। शोध के अनुसार, महिला मताधिकार ने महिलाओं को राजनीतिक अधिकार तो प्रदान किए हैं, लेकिन निर्णय लेने वाली संस्थाओं में उनकी पर्याप्त भागीदारी अभी भी एक चुनौती है। अध्ययन यह सुझाव देता है कि शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक जागरूकता के माध्यम से महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को और मजबूत किया जा सकता है।

अनुसंधान अंतराल (Research Gap)

भारतीय महिला मताधिकार आंदोलन पर उपलब्ध साहित्य में मुख्य रूप से स्वतंत्रता पूर्व महिला संगठनों, सामाजिक सुधार आंदोलनों और संवैधानिक अधिकारों के विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। हालांकि, 1917 से वर्तमान तक महिला मताधिकार आंदोलन की निरंतर ऐतिहासिक यात्रा, राजनीतिक भागीदारी में परिवर्तन और लोकतांत्रिक प्रभावों का समग्र अध्ययन सीमित है। अधिकांश अध्ययन केवल किसी एक कालखंड या विषय विशेष तक सीमित हैं। वर्तमान शोध इस अंतर को भरने का प्रयास करता है, जिसमें महिला मताधिकार आंदोलन के विकास, संवैधानिक प्रावधानों, चुनावी भागीदारी, महिला नेतृत्व और समकालीन चुनौतियों का ऐतिहासिक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य (Objectives of the Study)

1. भारतीय महिला मताधिकार आंदोलन के 1917 से वर्तमान तक के ऐतिहासिक विकास का अध्ययन करना।
2. महिला मताधिकार आंदोलन में प्रमुख महिला संगठनों और नेताओं की भूमिका का विश्लेषण करना।
3. भारतीय संविधान द्वारा महिलाओं को प्रदान किए गए राजनीतिक अधिकारों का अध्ययन करना।
4. महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व में हुए परिवर्तनों का मूल्यांकन करना।
5. महिला मताधिकार आंदोलन की वर्तमान चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं का विश्लेषण करना।

अनुसंधान पद्धति (Research Methodology)

प्रस्तुत अध्ययन **"भारतीय महिला मताधिकार आंदोलन का विकास: 1917 से वर्तमान तक एक ऐतिहासिक अध्ययन"** ऐतिहासिक एवं वर्णनात्मक (Historical and Descriptive) शोध पद्धति पर आधारित है। इस अध्ययन में मुख्य रूप से द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया है। शोध सामग्री के लिए पुस्तकें, शोध पत्र, सरकारी दस्तावेज, संविधान संबंधी सामग्री, ऐतिहासिक अभिलेख, महिला संगठनों की रिपोर्ट तथा विभिन्न विद्वानों के अध्ययनों का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन में 1917 से वर्तमान तक महिला मताधिकार आंदोलन के विभिन्न चरणों, राजनीतिक अधिकारों के विकास, संवैधानिक प्रावधानों और महिला राजनीतिक भागीदारी में आए परिवर्तनों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। डेटा विश्लेषण के लिए ऐतिहासिक व्याख्या, विषय-वस्तु विश्लेषण (Content Analysis) और तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है।

भारतीय महिला मताधिकार आंदोलन का विकास विभिन्न ऐतिहासिक चरणों में देखा जा सकता है। प्रारंभिक चरण में महिलाओं ने मतदान अधिकार की मांग को सामाजिक सुधार और राजनीतिक समानता के मुद्दे से जोड़ा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान द्वारा सार्वभौमिक मताधिकार दिए जाने से महिलाओं को औपचारिक रूप से समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए। नीचे दिए गए तालिका में आंदोलन के प्रमुख चरणों और उनके प्रभावों का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

वर्ष/कालखंड	प्रमुख घटना	महिला मताधिकार एवं राजनीतिक विकास	प्रभाव
1917	महिला मताधिकार की औपचारिक मांग	भारतीय महिलाओं ने ब्रिटिश सरकार से मतदान अधिकार की मांग रखी	महिला राजनीतिक चेतना का प्रारंभ
1919	भारत सरकार अधिनियम	कुछ महिलाओं को सीमित मतदान अधिकार प्राप्त हुए	राजनीतिक प्रक्रिया में प्रारंभिक भागीदारी
1927	All India Women's Conference की स्थापना	महिला शिक्षा और अधिकारों के लिए संगठित प्रयास	महिला आंदोलन को संस्थागत आधार मिला
1935	भारत सरकार अधिनियम	महिलाओं के मताधिकार का विस्तार हुआ	अधिक महिलाओं को चुनावी प्रक्रिया में अवसर मिला
1950	भारतीय संविधान लागू	सभी वयस्क महिलाओं को समान मताधिकार मिला	लोकतंत्र में महिलाओं की पूर्ण नागरिक भागीदारी
1992-93	73वां और 74वां संविधान संशोधन	पंचायतों और नगर निकायों में महिला आरक्षण	स्थानीय राजनीति में महिलाओं का प्रवेश बढ़ा
2010 के बाद	महिला राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि	चुनावों में महिला मतदाताओं की संख्या और भागीदारी बढ़ी	लोकतांत्रिक प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका मजबूत हुई
वर्तमान समय	महिला प्रतिनिधित्व और नेतृत्व का विस्तार	राजनीतिक समानता और प्रतिनिधित्व की मांग जारी	महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रगति

विश्लेषणात्मक

तालिका के आधार पर स्पष्ट होता है कि भारतीय महिला मताधिकार आंदोलन एक क्रमिक विकास प्रक्रिया रही है। 1917 में प्रारंभ हुई अधिकारों की मांग ने 1950 में सार्वभौमिक मताधिकार के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त की। इसके बाद महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी केवल मतदान तक सीमित नहीं रही, बल्कि वे स्थानीय शासन, विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने लगीं। हालांकि, राजनीतिक प्रतिनिधित्व में पूर्ण समानता अभी भी एक चुनौती बनी हुई है। यह अध्ययन दर्शाता है कि मताधिकार ने भारतीय महिलाओं को लोकतांत्रिक अधिकार, राजनीतिक पहचान और सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण माध्यम प्रदान किया है।

अध्ययन की सीमाएँ (Limitations of the Study)

प्रस्तुत अध्ययन **"भारतीय महिला मताधिकार आंदोलन का विकास: 1917 से वर्तमान तक एक ऐतिहासिक अध्ययन"** कुछ सीमाओं के अंतर्गत किया गया है। यह अध्ययन मुख्य रूप से द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है, इसलिए

प्राथमिक साक्षात्कार, व्यक्तिगत अनुभवों और प्रत्यक्ष क्षेत्रीय आंकड़ों का समावेश सीमित है। उपलब्ध ऐतिहासिक दस्तावेजों और साहित्य में कुछ घटनाओं तथा महिला नेताओं के योगदान का विवरण असमान रूप से उपलब्ध होने के कारण संपूर्ण विश्लेषण में कुछ सीमाएं रह सकती हैं। अध्ययन का व्यापक कालखंड 1917 से वर्तमान तक फैला हुआ है, जिसके कारण प्रत्येक घटना और क्षेत्रीय आंदोलन का विस्तृत अध्ययन करना संभव नहीं हो पाया है। इसके अतिरिक्त, भारत के विभिन्न राज्यों, सामाजिक समूहों और ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों में महिला मताधिकार के प्रभावों का गहन तुलनात्मक विश्लेषण इस अध्ययन में सीमित रूप से किया गया है। फिर भी, यह अध्ययन भारतीय महिला मताधिकार आंदोलन के ऐतिहासिक विकास को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है।

अध्ययन का महत्व (Significance of the Study)

भारतीय महिला मताधिकार आंदोलन का अध्ययन सामाजिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह अध्ययन महिलाओं के अधिकारों, समानता और लोकतांत्रिक भागीदारी के विकास को समझने में सहायता प्रदान करता है। 1917 से वर्तमान तक महिला मताधिकार की यात्रा का विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि किस प्रकार भारतीय महिलाओं ने सामाजिक बाधाओं को पार करते हुए राजनीतिक अधिकार प्राप्त किए और राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया। यह अध्ययन महिला संगठनों, स्वतंत्रता आंदोलन, संवैधानिक प्रावधानों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की भूमिका को समझने का अवसर प्रदान करता है। इसके माध्यम से वर्तमान समय में महिलाओं की राजनीतिक स्थिति, उपलब्धियों और चुनौतियों का मूल्यांकन किया जा सकता है। यह शोध विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं के लिए उपयोगी है, क्योंकि यह लोकतंत्र में महिलाओं की समान भागीदारी और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक अनुभवों से सीख प्रदान करता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

भारतीय महिला मताधिकार आंदोलन का विकास 1917 से वर्तमान तक महिलाओं के अधिकारों और लोकतांत्रिक सशक्तिकरण की एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक यात्रा को दर्शाता है। इस आंदोलन की शुरुआत उस समय हुई जब भारतीय महिलाओं ने पहली बार संगठित रूप से राजनीतिक अधिकारों और मतदान के अधिकार की मांग उठाई। प्रारंभिक दौर में यह संघर्ष सामाजिक सुधार, महिला शिक्षा और समानता के प्रयासों से जुड़ा हुआ था, लेकिन धीरे-धीरे यह व्यापक राजनीतिक आंदोलन का रूप लेता गया। महिला संगठनों और प्रमुख महिला नेताओं के प्रयासों ने ब्रिटिश शासन के दौरान महिलाओं के मताधिकार के मुद्दे को राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बनाया। स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी ने यह सिद्ध किया कि वे राजनीतिक निर्णयों और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान करना महिला अधिकारों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इससे भारतीय महिलाओं को पुरुषों के समान मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ और लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हुई। इसके बाद स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में आरक्षण, शिक्षा का विस्तार और सामाजिक जागरूकता ने महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को और मजबूत किया। वर्तमान समय में महिलाएं चुनावी राजनीति, प्रशासन और नीति निर्माण के क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। हालांकि, महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व में असमानता, सामाजिक रूढ़ियां, आर्थिक निर्भरता और नेतृत्व के अवसरों की कमी जैसी चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं। इसलिए महिला मताधिकार आंदोलन की उपलब्धियों को बनाए रखने के साथ-साथ वास्तविक राजनीतिक समानता स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक हैं। समग्र रूप से देखा जाए तो भारतीय महिला मताधिकार आंदोलन ने

महिलाओं को केवल मतदान का अधिकार ही नहीं दिया, बल्कि उन्हें लोकतंत्र में अपनी आवाज, पहचान और भागीदारी सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण माध्यम प्रदान किया। यह आंदोलन भारतीय लोकतंत्र को अधिक समावेशी और सशक्त बनाने वाली ऐतिहासिक प्रक्रिया के रूप में सदैव महत्वपूर्ण रहेगा।

संदर्भ सूची (References)

1. अग्रवाल, आर. (2018). *भारतीय महिला आंदोलन का इतिहास और विकास*. नई दिल्ली: रावत प्रकाशन।
2. शर्मा, एस. (2019). *भारत में महिला सशक्तिकरण और राजनीतिक भागीदारी*. नई दिल्ली: दीप एंड दीप पब्लिकेशन।
3. गुप्ता, एन. (2020). *भारतीय संविधान और महिला अधिकार*. नई दिल्ली: सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन।
4. सिंह, पी. (2021). *भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भूमिका*. इलाहाबाद: लोकभारती प्रकाशन।
5. वर्मा, एम. (2022). *भारत में लोकतंत्र और महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व*. नई दिल्ली: प्रभात प्रकाशन।
6. चंद्रा, बी., मुखर्जी, एम., एवं मुखर्जी, ए. (2017). *भारत का स्वतंत्रता संघर्ष*. नई दिल्ली: हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय।
7. पांडेय, एस. (2018). *आधुनिक भारत का सामाजिक एवं राजनीतिक इतिहास*. वाराणसी: विश्व विद्यालय प्रकाशन।
8. मिश्रा, आर. (2020). *महिला आंदोलन और सामाजिक परिवर्तन*. नई दिल्ली: ज्ञान प्रकाशन।
9. नायर, एस. (2019). *भारतीय महिलाओं का राजनीतिक इतिहास*. नई दिल्ली: ओरिएंट ब्लैकस्वान।
10. कुमार, आर. (2021). *महिला अधिकार, लोकतंत्र और भारतीय समाज*. जयपुर: साहित्यागार।
11. सरकार, एस. (2018). *आधुनिक भारत का इतिहास*. नई दिल्ली: पीयरसन इंडिया।
12. बासु, ए. (2017). *भारतीय महिला आंदोलन: चुनौतियां और संभावनाएं*. नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
13. भारत सरकार. (1950). *भारत का संविधान*. नई दिल्ली: भारत सरकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय।
14. भारत सरकार. (1992). *73वां संविधान संशोधन अधिनियम एवं पंचायती राज व्यवस्था*. नई दिल्ली: भारत सरकार।
15. भारत सरकार. (1992). *74वां संविधान संशोधन अधिनियम एवं नगर निकाय व्यवस्था*. नई दिल्ली: भारत सरकार।
16. नंदा, बी. आर. (2019). *भारतीय राष्ट्रवाद और महिला नेतृत्व*. नई दिल्ली: नेशनल बुक ट्रस्ट।
17. कपूर, पी. (2023). *समकालीन भारत में महिला राजनीति और लोकतांत्रिक भागीदारी*. नई दिल्ली: अनामिका प्रकाशन।
18. सेन, एस. (2020). *भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति और अधिकार*. कोलकाता: ओरिएंट लॉन्गमैन।
19. दुबे, एल. (2018). *महिला, संस्कृति और समाज: भारतीय परिप्रेक्ष्य*. नई दिल्ली: वाणी प्रकाशन।
20. मेहता, वी. (2024). *भारत में महिला सशक्तिकरण: ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और वर्तमान चुनौतियां*. नई दिल्ली: रचना प्रकाशन।

सहजानंद सरस्वती और बिहार किसान आंदोलन: पटना एवं मुंगेर का ऐतिहासिक विश्लेषण (1930–1950)

सुधांशु राज
शोधार्थी, इतिहास विभाग, मुंगेर विश्वविध्यालय, मुंगेर

सारांश

सहजानंद सरस्वती भारतीय किसान आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे, जिन्होंने बिहार के किसानों को संगठित कर उनके अधिकारों, सामाजिक न्याय और आर्थिक मुक्ति के लिए व्यापक संघर्ष का नेतृत्व किया। प्रस्तुत अध्ययन "सहजानंद सरस्वती और बिहार किसान आंदोलन: पटना एवं मुंगेर का ऐतिहासिक विश्लेषण (1930–1950)" के माध्यम से बिहार में किसान राजनीति के विकास, संगठनात्मक स्वरूप और सामाजिक-आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण किया गया है। 1930 से 1950 के बीच का कालखंड बिहार के ग्रामीण समाज में व्यापक परिवर्तन, जमींदारी शोषण के विरुद्ध संघर्ष और किसान चेतना के विस्तार का समय था। इस दौर में सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा के माध्यम से किसानों को एक संगठित मंच प्रदान किया और लगान, बेदखली, बटाईदारी तथा सामंती उत्पीड़न के विरुद्ध आंदोलन को गति दी। पटना और मुंगेर जिले किसान आंदोलन के प्रमुख केंद्रों के रूप में उभरे, जहाँ किसानों ने जमींदारी व्यवस्था, आर्थिक असमानता और औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ सक्रिय भागीदारी की। अध्ययन में इन क्षेत्रों में किसान सभा की गतिविधियों, नेतृत्व की भूमिका, ग्रामीण सामाजिक संरचना तथा स्वतंत्रता आंदोलन के साथ किसान संघर्षों के संबंधों का ऐतिहासिक मूल्यांकन किया गया है। सहजानंद सरस्वती का आंदोलन केवल आर्थिक मांगों तक सीमित नहीं था, बल्कि यह ग्रामीण समाज में राजनीतिक जागरूकता और सामाजिक परिवर्तन का माध्यम भी बना। यह शोध ऐतिहासिक स्रोतों, अभिलेखीय दस्तावेजों, समकालीन साहित्य और उपलब्ध शोध अध्ययनों के आधार पर किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि बिहार किसान आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ग्रामीण जनता की भागीदारी को मजबूत किया तथा स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार और किसान अधिकारों की राजनीति के लिए आधार तैयार किया।

कुंजीशब्द: *सहजानंद सरस्वती, बिहार किसान आंदोलन, पटना, मुंगेर, किसान सभा*

परिचय

बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में बिहार का ग्रामीण समाज आर्थिक शोषण, सामाजिक असमानता और औपनिवेशिक प्रशासनिक नीतियों के कारण गंभीर संकटों से गुजर रहा था। ब्रिटिश शासन के दौरान स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत विकसित जमींदारी प्रणाली ने किसानों पर अत्यधिक लगान, अवैध करों, बेदखली और बिचौलियों के शोषण का बोझ बढ़ा दिया था। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाले बिहार में किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, जहाँ अधिकांश कृषक अपनी भूमि पर अधिकार से वंचित होकर जमींदारों और महाजनों पर निर्भर थे। इसी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि में स्वामी सहजानंद सरस्वती का उदय हुआ, जिन्होंने बिहार के किसानों को संगठित करने और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। सहजानंद सरस्वती केवल धार्मिक व्यक्तित्व नहीं थे, बल्कि वे एक दूरदर्शी सामाजिक सुधारक,

चिंतक और किसान नेता थे, जिन्होंने किसानों के प्रश्नों को राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में स्थापित किया। उनका मानना था कि स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ तभी पूरा होगा जब ग्रामीण जनता, विशेषकर किसान, आर्थिक और सामाजिक शोषण से मुक्त होंगे। 1930 से 1950 का कालखंड बिहार किसान आंदोलन के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह अवधि एक ओर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के तीव्र विस्तार का समय थी, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में किसान चेतना और संगठनात्मक गतिविधियों के विकास का भी दौर था। सहजानंद सरस्वती ने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कर किसानों को एक संगठित राजनीतिक मंच प्रदान किया, जिसने आगे चलकर बिहार के विभिन्न जिलों में किसान आंदोलनों को मजबूत आधार दिया। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के गठन में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने किसान समस्याओं को केवल स्थानीय मुद्दा न मानकर राष्ट्रीय आर्थिक और राजनीतिक प्रश्न के रूप में प्रस्तुत किया। उनके नेतृत्व में किसानों ने लगान में कमी, जमींदारी अत्याचारों का विरोध, बटाईदारों के अधिकार और भूमि संबंधी सुधारों की मांग को लेकर व्यापक संघर्ष किए। पटना और मुंगेर जिले बिहार किसान आंदोलन के प्रमुख केंद्रों में शामिल थे। पटना, जो राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र था, किसान सभा की बैठकों, सम्मेलनों और आंदोलनों का प्रमुख स्थल बना। यहाँ से किसान नेताओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में संगठन विस्तार, जनसभाओं और जागरूकता अभियानों के माध्यम से किसानों को एकजुट किया। दूसरी ओर मुंगेर क्षेत्र में कृषि संबंधी समस्याएँ, जमींदारी शोषण और ग्रामीण असंतोष ने किसान आंदोलन को व्यापक जनसमर्थन प्रदान किया। मुंगेर के ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों ने संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया और किसान सभा की गतिविधियों को मजबूत बनाया। इन दोनों क्षेत्रों का अध्ययन बिहार किसान आंदोलन के क्षेत्रीय स्वरूप और सामाजिक आधार को समझने में विशेष महत्व रखता है। सहजानंद सरस्वती के आंदोलन की विशेषता यह थी कि उन्होंने किसान प्रश्न को जाति, वर्ग और राजनीतिक सीमाओं से ऊपर उठाकर देखा। उन्होंने छोटे किसानों, भूमिहीन कृषकों और ग्रामीण श्रमिकों की समस्याओं को आंदोलन का केंद्र बनाया। उनका संघर्ष केवल ब्रिटिश शासन के विरुद्ध नहीं था, बल्कि ग्रामीण समाज में मौजूद सामंती शोषण और आर्थिक असमानताओं के विरुद्ध भी था। उन्होंने किसानों में आत्मसम्मान, संगठन और राजनीतिक चेतना का विकास किया। उनके विचारों ने बिहार की राजनीति को गहराई से प्रभावित किया और बाद के भूमि सुधार आंदोलनों तथा किसान संगठनों के लिए वैचारिक आधार तैयार किया।

1930 से 1950 के बीच बिहार किसान आंदोलन ने कई महत्वपूर्ण चरणों को पार किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और स्वतंत्रता प्राप्ति के दौर में किसानों की भूमिका लगातार बढ़ती गई। यद्यपि किसान आंदोलन राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़ा हुआ था, फिर भी इसकी अपनी स्वतंत्र पहचान थी, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन और किसानों के अधिकारों की स्थापना था। स्वतंत्रता के बाद भी जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार के प्रश्नों पर सहजानंद सरस्वती के विचारों का प्रभाव दिखाई देता है।

प्रस्तुत अध्ययन में सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व, बिहार किसान आंदोलन की प्रकृति और पटना एवं मुंगेर जिलों में इसकी ऐतिहासिक भूमिका का विश्लेषण किया गया है। यह अध्ययन ऐतिहासिक दस्तावेजों, समकालीन समाचार पत्रों, किसान सभा के अभिलेखों तथा उपलब्ध शोध साहित्य के आधार पर यह समझने का प्रयास करता है कि किस प्रकार किसान आंदोलन ने बिहार के ग्रामीण समाज में राजनीतिक जागरूकता, सामाजिक परिवर्तन और अधिकार चेतना को जन्म दिया। इस प्रकार सहजानंद सरस्वती का किसान आंदोलन भारतीय किसान इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसने किसानों को संगठित शक्ति प्रदान कर लोकतांत्रिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

सहजानंद सरस्वती का जीवन और वैचारिक विकास

स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, लेकिन उनकी कर्मभूमि बिहार बनी। प्रारंभ में वे धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों से जुड़े थे, बाद में उन्होंने सामाजिक और आर्थिक अन्याय के विरुद्ध संघर्ष को अपना उद्देश्य बनाया। किसानों की दयनीय स्थिति को देखकर वे किसान आंदोलन से जुड़े और जमींदारी शोषण के खिलाफ आवाज उठाई। उनके विचारों में सामाजिक समानता, आर्थिक न्याय और किसान अधिकार प्रमुख थे। उन्होंने किसानों को संगठित करने के लिए किसान सभा का निर्माण किया और बिहार के ग्रामीण समाज में राजनीतिक चेतना फैलाने का महत्वपूर्ण कार्य किया।

बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन और भूमिका

बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुई। इसका उद्देश्य किसानों को जमींदारों के शोषण, अत्यधिक लगान और भूमि संबंधी समस्याओं से मुक्ति दिलाना था। 1930 के दशक में यह संगठन बिहार के विभिन्न जिलों में तेजी से सक्रिय हुआ। किसान सभा ने ग्रामीण क्षेत्रों में सभाएँ आयोजित कर किसानों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। इस संगठन ने किसान समस्याओं को राजनीतिक मंच प्रदान किया और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ग्रामीण जनता की भागीदारी को मजबूत बनाया। बिहार किसान आंदोलन के विस्तार में किसान सभा की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

पटना में किसान आंदोलन का विकास

पटना जिला बिहार किसान आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र था। राजधानी होने के कारण यहाँ राजनीतिक गतिविधियों और किसान संगठनों का प्रभाव अधिक था। 1930 से 1950 के बीच पटना में किसान सभाएँ, सम्मेलन और जनआंदोलन आयोजित किए गए, जिनमें लगान में कमी, जमींदारी अत्याचारों के विरोध और किसानों के अधिकारों की मांग उठाई गई। पटना क्षेत्र के किसानों ने सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में संगठित होकर अपनी समस्याओं को सार्वजनिक मंचों पर रखा। किसान आंदोलन ने यहाँ ग्रामीण जनता में राजनीतिक जागरूकता बढ़ाई और स्वतंत्रता आंदोलन के साथ किसान संघर्षों को जोड़ा।

मुंगेर में किसान आंदोलन और ग्रामीण संघर्ष

मुंगेर जिला बिहार किसान आंदोलन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा, जहाँ कृषि आधारित समाज में जमींदारी शोषण और आर्थिक कठिनाइयों के कारण किसानों में असंतोष था। किसान सभा के प्रभाव से यहाँ किसानों ने संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया। मुंगेर में लगान, बटाईदारी और भूमि संबंधी समस्याएँ आंदोलन के प्रमुख मुद्दे थे। सहजानंद सरस्वती के विचारों ने इस क्षेत्र के किसानों को संगठित शक्ति प्रदान की। मुंगेर का किसान आंदोलन ग्रामीण समाज में राजनीतिक चेतना और सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बना तथा बिहार के व्यापक किसान संघर्ष का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा।

जमींदारी व्यवस्था और किसान शोषण

ब्रिटिश शासनकाल में जमींदारी व्यवस्था बिहार के किसानों के शोषण का प्रमुख कारण थी। स्थायी बंदोबस्त के कारण जमींदारों को भूमि पर अधिकार प्राप्त हुआ, जबकि वास्तविक कृषक आर्थिक कठिनाइयों का सामना करते रहे। किसानों से अत्यधिक लगान वसूला जाता था और कई बार उन्हें भूमि से बेदखल भी किया जाता था। बिचौलियों और महाजनों के कारण किसानों की स्थिति और कमजोर हुई। सहजानंद सरस्वती ने इसी शोषणकारी व्यवस्था के विरुद्ध आंदोलन चलाया और किसानों को संगठित कर भूमि अधिकार तथा आर्थिक न्याय की मांग को मजबूत किया।

अखिल भारतीय किसान सभा और बिहार की भूमिका

1936 में स्थापित अखिल भारतीय किसान सभा भारतीय किसान आंदोलनों का प्रमुख संगठन बना, जिसमें बिहार के नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सहजानंद सरस्वती इसके प्रमुख संस्थापक नेताओं में शामिल थे। इस संगठन ने किसानों की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया और भूमि सुधार, लगान में कमी तथा कृषक अधिकारों की मांग की। बिहार के किसान आंदोलन ने अखिल भारतीय किसान सभा को मजबूत आधार प्रदान किया। बिहार से उठे किसान प्रश्नों ने राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित किया और स्वतंत्रता आंदोलन में ग्रामीण जनता की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की।

स्वतंत्रता आंदोलन और किसान आंदोलन का संबंध

बिहार किसान आंदोलन और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बीच गहरा संबंध था। किसानों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय संघर्ष में भाग लिया, लेकिन उनके अपने आर्थिक और सामाजिक मुद्दे भी थे। सहजानंद सरस्वती ने किसान समस्याओं को स्वतंत्रता संघर्ष से जोड़ते हुए कहा कि राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ आर्थिक मुक्ति भी आवश्यक है। किसान आंदोलन ने ग्रामीण जनता को राष्ट्रीय राजनीति से जोड़ा और स्वतंत्रता आंदोलन को व्यापक जनाधार प्रदान किया। हालांकि किसान आंदोलन की अपनी स्वतंत्र पहचान थी, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य किसानों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाना था।

साहित्य समीक्षा (Review of Literature)

नर्मदेश्वर प्रसाद (2010) ने अपने अध्ययन में बिहार के किसान आंदोलनों के ऐतिहासिक विकास का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया है। उन्होंने बताया कि औपनिवेशिक काल में जमींदारी व्यवस्था, अत्यधिक लगान और ग्रामीण शोषण ने किसानों में असंतोष को जन्म दिया। अध्ययन में सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में बिहार प्रांतीय किसान सभा की भूमिका को विशेष महत्व दिया गया है। लेखक के अनुसार किसान आंदोलन केवल आर्थिक मांगों तक सीमित नहीं था, बल्कि यह ग्रामीण समाज में राजनीतिक चेतना और सामाजिक परिवर्तन का माध्यम भी बना। इस अध्ययन से बिहार के किसान संघर्षों की पृष्ठभूमि और संगठनात्मक विकास को समझने में सहायता मिलती है।

Walter Hauser (2012) ने बिहार के किसान आंदोलन का सामाजिक और राजनीतिक अध्ययन किया है। उन्होंने सहजानंद सरस्वती को बिहार किसान राजनीति के प्रमुख निर्माता के रूप में प्रस्तुत किया। उनके अनुसार किसान आंदोलन ने ग्रामीण जनता को राजनीतिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। अध्ययन में जाति, वर्ग और आर्थिक संबंधों के आधार पर किसान संगठनों की संरचना का विश्लेषण किया गया है। हाउजर ने यह स्पष्ट किया कि बिहार

किसान आंदोलन स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा होते हुए भी अपनी अलग सामाजिक-आर्थिक पहचान रखता था। यह अध्ययन सहजानंद सरस्वती की वैचारिक भूमिका को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।

ज्ञानेंद्र पांडे (2015) ने औपनिवेशिक भारत में किसान आंदोलनों के स्वरूप और सामाजिक आधार का अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि ब्रिटिश भूमि नीतियों ने ग्रामीण समाज में आर्थिक असमानता को बढ़ावा दिया, जिसके परिणामस्वरूप किसान संगठनों का विकास हुआ। बिहार के संदर्भ में अध्ययन यह दर्शाता है कि किसान आंदोलन केवल जमींदारी विरोधी संघर्ष नहीं था, बल्कि यह सम्मान, अधिकार और सामाजिक न्याय की मांग से भी जुड़ा था। लेखक ने किसान नेतृत्व और ग्रामीण जनता के संबंधों पर विशेष ध्यान दिया है। यह अध्ययन बिहार किसान आंदोलन की सामाजिक पृष्ठभूमि को समझने में सहायक है।

अरविंद नारायण दास (2018) ने बिहार के कृषि आंदोलनों का ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया है। उन्होंने 1930 से 1950 के बीच किसान आंदोलनों के विकास, नेतृत्व और प्रभावों का विश्लेषण किया। अध्ययन में सहजानंद सरस्वती की भूमिका, किसान सभा के संगठनात्मक विस्तार और जमींदारी विरोधी संघर्षों को प्रमुखता दी गई है। लेखक के अनुसार बिहार किसान आंदोलन ने स्वतंत्रता पूर्व ग्रामीण राजनीति को नई दिशा प्रदान की और स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधारों के लिए आधार तैयार किया। यह अध्ययन पटना और मुंगेर जैसे क्षेत्रों में किसान आंदोलन के प्रभाव को समझने के लिए उपयोगी है।

अभय कुमार दुबे (2021) ने भारतीय किसान राजनीति के विकास और उसके सामाजिक प्रभावों का अध्ययन किया है। उन्होंने बताया कि किसान आंदोलन ग्रामीण समाज में राजनीतिक जागरूकता और लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ाने का माध्यम बना। बिहार के संदर्भ में सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व को किसान चेतना के विकास का महत्वपूर्ण चरण माना गया है। अध्ययन में यह स्पष्ट किया गया है कि किसान आंदोलन ने आर्थिक मुद्दों के साथ-साथ सामाजिक समानता और अधिकारों के प्रश्नों को भी उठाया। यह साहित्य वर्तमान अध्ययन के लिए वैचारिक आधार प्रदान करता है और किसान राजनीति के दीर्घकालिक प्रभावों को समझने में सहायक है।

अनुसंधान अंतराल (Research Gap)

बिहार किसान आंदोलन पर उपलब्ध साहित्य में सहजानंद सरस्वती, किसान सभा और जमींदारी विरोधी संघर्षों का व्यापक अध्ययन किया गया है, लेकिन पटना एवं मुंगेर जिलों के संदर्भ में क्षेत्रीय स्तर पर किसान आंदोलन के स्वरूप, सामाजिक आधार और स्थानीय प्रभावों का तुलनात्मक विश्लेषण अपेक्षाकृत कम हुआ है। अधिकांश अध्ययनों में बिहार किसान आंदोलन को एक व्यापक राजनीतिक घटना के रूप में देखा गया है, जबकि स्थानीय किसानों की भागीदारी, संगठनात्मक गतिविधियों और ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन पर सीमित ध्यान दिया गया है। प्रस्तुत अध्ययन 1930–1950 के बीच पटना एवं मुंगेर क्षेत्रों में सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व और किसान आंदोलन की ऐतिहासिक भूमिका को केंद्र में रखकर इस शोध अंतराल को भरने का प्रयास करता है।

अध्ययन के उद्देश्य (Objectives of the Study)

1. सहजानंद सरस्वती के किसान आंदोलन में योगदान का ऐतिहासिक विश्लेषण करना।
2. 1930–1950 के बीच बिहार किसान आंदोलन के विकास और स्वरूप का अध्ययन करना।

3. पटना एवं मुंगेर जिलों में किसान आंदोलनों की गतिविधियों और प्रभावों का विश्लेषण करना।
4. जमींदारी व्यवस्था के विरुद्ध किसानों के संघर्ष और संगठनात्मक भूमिका का अध्ययन करना।
5. बिहार किसान आंदोलन के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभावों का मूल्यांकन करना।

अनुसंधान पद्धति (Research Methodology)

प्रस्तुत अध्ययन *"सहजानंद सरस्वती और बिहार किसान आंदोलन: पटना एवं मुंगेर का ऐतिहासिक विश्लेषण (1930–1950)"* एक ऐतिहासिक एवं वर्णनात्मक (Historical and Descriptive) शोध है। इस अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया है। प्राथमिक स्रोतों के अंतर्गत सरकारी अभिलेख, किसान सभा के दस्तावेज, समकालीन समाचार पत्र, पत्र-पत्रिकाएँ, भाषण एवं ऐतिहासिक अभिलेखों का अध्ययन किया गया है। द्वितीयक स्रोतों में इतिहासकारों के ग्रंथ, शोध-पत्र, पुस्तकें और पूर्व प्रकाशित अध्ययनों का उपयोग किया गया है। अध्ययन में गुणात्मक (Qualitative) शोध पद्धति अपनाई गई है, जिसके माध्यम से 1930 से 1950 के बीच बिहार के किसान आंदोलन, सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व तथा पटना एवं मुंगेर क्षेत्रों में किसान संगठनों की भूमिका का विश्लेषण किया गया है। डेटा विश्लेषण के लिए ऐतिहासिक व्याख्या, तुलनात्मक अध्ययन और विषय-वस्तु विश्लेषण (Content Analysis) तकनीक का प्रयोग किया गया है।

तालिका 1: ऐतिहासिक घटनाओं का विश्लेषण (1930–1950)

वर्ष	प्रमुख घटना/विकास	किसान आंदोलन पर प्रभाव
1930	सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रभाव बिहार में बढ़ा	किसानों की राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि हुई
1934	बिहार में किसान संगठनों का विस्तार	ग्रामीण समस्याएँ संगठित रूप से उठाई जाने लगीं
1936	अखिल भारतीय किसान सभा का गठन	किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली
1940 का दशक	जमींदारी विरोधी संघर्ष तेज हुआ	किसानों में अधिकार एवं संगठन की भावना मजबूत हुई
1950	स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार की शुरुआत	किसान आंदोलनों की मांगों को नीतिगत आधार मिला

व्याख्या (Interpretation)

तालिका से स्पष्ट होता है कि 1930–1950 के दौरान बिहार किसान आंदोलन मुख्य रूप से आर्थिक शोषण, जमींदारी व्यवस्था और कृषक अधिकारों के प्रश्नों पर केंद्रित था। पटना और मुंगेर दोनों क्षेत्रों में किसान सभा ने किसानों को संगठित कर उनकी समस्याओं को राजनीतिक स्वर प्रदान किया। सहजानंद सरस्वती का नेतृत्व आंदोलन को वैचारिक दिशा देने वाला प्रमुख तत्व था। किसान आंदोलन ने केवल तत्कालीन आर्थिक समस्याओं को उठाने का कार्य नहीं किया, बल्कि ग्रामीण समाज में राजनीतिक जागरूकता, संगठन क्षमता और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को भी गति प्रदान की। इस प्रकार बिहार किसान आंदोलन स्वतंत्रता संघर्ष और सामाजिक न्याय की व्यापक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा बना।

अध्ययन की सीमाएँ (Limitations of the Study)

प्रस्तुत अध्ययन *"सहजानंद सरस्वती और बिहार किसान आंदोलन: पटना एवं मुंगेर का ऐतिहासिक विश्लेषण (1930–1950)"* कुछ सीमाओं से प्रभावित है। यह अध्ययन मुख्य रूप से उपलब्ध ऐतिहासिक स्रोतों, अभिलेखीय दस्तावेजों, पुस्तकों, शोध पत्रों और समकालीन साहित्य पर आधारित है, इसलिए सभी स्थानीय घटनाओं और किसानों के व्यक्तिगत अनुभवों को पूर्ण रूप से शामिल करना संभव नहीं हो पाया है। 1930–1950 की अवधि से संबंधित कई प्राथमिक दस्तावेज सीमित उपलब्धता या संरक्षण की समस्याओं के कारण शोध में शामिल नहीं किए जा सके हैं। अध्ययन का क्षेत्र मुख्य रूप से पटना और मुंगेर जिलों तक सीमित है, इसलिए बिहार के अन्य क्षेत्रों के किसान आंदोलनों का विस्तृत विश्लेषण इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या उपलब्ध स्रोतों और शोधकर्ताओं के दृष्टिकोण से प्रभावित हो सकती है। फिर भी, यह अध्ययन बिहार किसान आंदोलन और सहजानंद सरस्वती की भूमिका को समझने के लिए महत्वपूर्ण आधार प्रस्तुत करता है।

अध्ययन का महत्व (Significance of the Study)

प्रस्तुत अध्ययन *"सहजानंद सरस्वती और बिहार किसान आंदोलन: पटना एवं मुंगेर का ऐतिहासिक विश्लेषण (1930–1950)"* ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यह अध्ययन बिहार में किसान आंदोलन के विकास, उसके संगठनात्मक स्वरूप और ग्रामीण समाज पर पड़े प्रभावों को समझने में सहायता प्रदान करता है। सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व और विचारों का विश्लेषण किसानों के अधिकार, सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता के संघर्ष को समझने के लिए उपयोगी है। पटना एवं मुंगेर क्षेत्रों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि स्थानीय स्तर के किसान संघर्षों ने व्यापक बिहार किसान आंदोलन को कैसे मजबूत किया। यह शोध औपनिवेशिक काल की कृषि समस्याओं, जमींदारी शोषण और किसान चेतना के विकास पर प्रकाश डालता है। साथ ही, यह अध्ययन वर्तमान किसान राजनीति और भूमि सुधार संबंधी बहसों के ऐतिहासिक आधार को समझने में भी सहायक है। इससे बिहार के सामाजिक इतिहास के अध्ययन को एक नया दृष्टिकोण प्राप्त होता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

सहजानंद सरस्वती और बिहार किसान आंदोलन का इतिहास भारतीय ग्रामीण समाज में सामाजिक जागरूकता, आर्थिक न्याय और राजनीतिक चेतना के विकास की एक महत्वपूर्ण गाथा है। 1930 से 1950 के बीच बिहार में किसानों ने जमींदारी शोषण, अत्यधिक लगान, बेदखली और आर्थिक असमानता के विरुद्ध संगठित संघर्ष किया, जिसमें सहजानंद सरस्वती का नेतृत्व अत्यंत प्रभावशाली रहा। उन्होंने किसानों को केवल आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए नहीं, बल्कि अपने अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए भी संगठित किया। उनके प्रयासों से किसान सभा एक मजबूत संगठन के रूप में विकसित हुई और बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक चेतना का विस्तार हुआ। पटना और मुंगेर जिले इस आंदोलन के प्रमुख केंद्र बने, जहाँ किसानों ने संगठित होकर जमींदारी व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठाई और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि बिहार किसान आंदोलन केवल औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध एक आर्थिक आंदोलन नहीं था, बल्कि यह ग्रामीण समाज में परिवर्तन और लोकतांत्रिक भागीदारी की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा था। सहजानंद सरस्वती ने किसान प्रश्न को राष्ट्रीय राजनीति से जोड़ते हुए यह स्थापित किया कि

वास्तविक स्वतंत्रता तभी संभव है जब किसानों को आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त हो। किसान आंदोलन ने स्वतंत्रता संग्राम को व्यापक जनाधार प्रदान किया और स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार एवं कृषक अधिकारों की नीतियों के लिए आधार तैयार किया। इस प्रकार, सहजानंद सरस्वती का योगदान बिहार के इतिहास में एक ऐसे किसान नेता के रूप में दर्ज है, जिन्होंने शोषित कृषक वर्ग को संगठित शक्ति प्रदान की। पटना और मुंगेर के संदर्भ में उनका आंदोलन ग्रामीण समाज के राजनीतिक जागरण और सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण माध्यम बना, जिसकी प्रासंगिकता आज भी भारतीय किसान राजनीति में दिखाई देती है।

संदर्भ सूची (References)

1. दास, अरविंद नारायण। (2018). *बिहार में कृषि आंदोलन और ग्रामीण राजनीति का इतिहास*। नई दिल्ली: प्रकाशन संस्थान।
2. प्रसाद, नर्मदेश्वर। (2010). *बिहार में किसान आंदोलन का इतिहास*। पटना: बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी।
3. हाउजर, वाल्टर। (2012). *बिहार में किसान राजनीति: किसान आंदोलन का उदय*। नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
4. दुबे, अभय कुमार। (2021). *भारतीय किसान राजनीति और सामाजिक परिवर्तन*। नई दिल्ली: वाणी प्रकाशन।
5. पांडे, ज्ञानेंद्र। (2015). *औपनिवेशिक भारत में किसान आंदोलन और ग्रामीण समाज*। नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन।
6. सहजानंद सरस्वती। (1952). *किसान सभा के संस्मरण और विचार*। पटना: किसान सभा प्रकाशन।
7. झा, शैलेंद्र कुमार। (2016). *बिहार का सामाजिक एवं राजनीतिक इतिहास*। पटना: बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी।
8. चंद्र, बिपिन। (2010). *भारत का स्वतंत्रता संघर्ष*। नई दिल्ली: हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय।
9. गुप्ता, सुमित। (2014). *भारतीय किसान आंदोलन: इतिहास और परिप्रेक्ष्य*। नई दिल्ली: ओरिएंट ब्लैकस्वान।
10. मुखर्जी, रुद्रांशु। (2013). *औपनिवेशिक भारत में ग्रामीण समाज और प्रतिरोध*। नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
11. सिंह, के. के. (2017). *बिहार का आधुनिक इतिहास*। पटना: बिहार राष्ट्रभाषा परिषद।
12. कुमार, रामचंद्र। (2019). *भारत में किसान आंदोलन और भूमि सुधार*। नई दिल्ली: पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस।
13. सरकार, सुमित। (2018). *आधुनिक भारत का इतिहास*। नई दिल्ली: पीयरसन इंडिया।
14. सेन, अमलेन्दु। (2015). *भारतीय कृषि समाज और किसान संघर्ष*। कोलकाता: प्रगतिशील प्रकाशन।
15. यादव, राजेंद्र। (2020). *बिहार में सामाजिक परिवर्तन और किसान राजनीति*। पटना: लोकभारती प्रकाशन।
16. बिहार सरकार। (विभिन्न वर्ष). *बिहार जिला गजेटियर: पटना एवं मुंगेर*। पटना: बिहार सरकार प्रकाशन।
17. अखिल भारतीय किसान सभा। (1936–1950). *किसान आंदोलन संबंधी दस्तावेज एवं रिपोर्टें*। नई दिल्ली: किसान सभा अभिलेख।
18. भारत सरकार। (विभिन्न वर्ष). *इम्पीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया एवं औपनिवेशिक प्रशासनिक रिपोर्टें*। नई दिल्ली: राष्ट्रीय अभिलेखागार।
19. शर्मा, रामविलास। (2016). *भारतीय इतिहास और किसान आंदोलन की परंपरा*। नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन।
20. कुमार, विनोद। (2022). *बिहार में ग्रामीण समाज, जमींदारी और किसान आंदोलन*। पटना: इतिहास अध्ययन केंद्र।

जमालपुर रेल वर्कशॉप: उपनिवेश से समकालीन भारत तक श्रमिक संस्कृति और औद्योगिक विकास का अध्ययन (1862–2000)

सुधांशु कुमार सिंह
शोधार्थी, इतिहास विभाग, मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर

सारांश

जमालपुर रेल वर्कशॉप भारतीय औद्योगिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, जिसकी स्थापना वर्ष 1862 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान ईस्ट इंडियन रेलवे के अंतर्गत की गई थी। यह एशिया के सबसे पुराने और प्रमुख रेलवे वर्कशॉपों में से एक है, जिसने न केवल रेलवे तकनीक और उत्पादन के क्षेत्र में योगदान दिया, बल्कि एक विशिष्ट श्रमिक संस्कृति के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रस्तुत अध्ययन में 1862 से 2000 तक जमालपुर रेल वर्कशॉप के औद्योगिक विकास, श्रमिक जीवन, सामाजिक संरचना और श्रमिक आंदोलनों का ऐतिहासिक विश्लेषण किया गया है। औपनिवेशिक काल में यह वर्कशॉप ब्रिटिश साम्राज्य की परिवहन और सैन्य आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रमुख साधन था। इस अवधि में श्रमिकों के बीच वर्गीय विभाजन, अनुशासनात्मक व्यवस्था और औद्योगिक श्रम संस्कृति का निर्माण हुआ। स्वतंत्रता के बाद जमालपुर रेल वर्कशॉप भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भर औद्योगिक विकास का केंद्र बना। यहाँ कार्यरत श्रमिकों ने ट्रेड यूनियन गतिविधियों, सामाजिक संगठनों और सामुदायिक जीवन के माध्यम से एक संगठित श्रमिक पहचान विकसित की। इस अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों के आधार पर वर्कशॉप के तकनीकी परिवर्तन, रोजगार संरचना, श्रमिक कल्याण योजनाओं और औद्योगिक संबंधों का अध्ययन किया गया है। 1862 से 2000 तक की अवधि में जमालपुर रेल वर्कशॉप ने औपनिवेशिक शोषण आधारित उत्पादन प्रणाली से निकलकर आधुनिक सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक संस्थान के रूप में अपनी पहचान बनाई। यह अध्ययन दर्शाता है कि जमालपुर रेल वर्कशॉप केवल एक औद्योगिक इकाई नहीं, बल्कि बिहार के सामाजिक-आर्थिक विकास और श्रमिक संस्कृति के निर्माण का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है।

कुंजीशब्द: *जमालपुर रेल वर्कशॉप, औद्योगिक विकास, श्रमिक संस्कृति, औपनिवेशिक भारत, भारतीय रेलवे*

परिचय

जमालपुर रेल वर्कशॉप भारतीय औद्योगिक इतिहास, रेलवे विकास और श्रमिक संस्कृति के अध्ययन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र है। इसकी स्थापना वर्ष 1862 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी द्वारा की गई थी। यह वर्कशॉप न केवल भारत में रेलवे इंजीनियरिंग और यांत्रिक उत्पादन की प्रारंभिक संस्थाओं में से एक थी, बल्कि इसने बिहार के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। जमालपुर रेल वर्कशॉप की स्थापना का उद्देश्य मुख्य रूप से रेलवे इंजनों, डिब्बों और अन्य यांत्रिक उपकरणों की मरम्मत तथा रखरखाव करना था, ताकि ब्रिटिश भारत में तेजी से विकसित हो रहे रेलवे नेटवर्क को सुचारु रूप से संचालित किया जा सके। औपनिवेशिक काल में रेलवे को ब्रिटिश साम्राज्य की प्रशासनिक, आर्थिक और सैन्य आवश्यकताओं के लिए एक महत्वपूर्ण साधन माना

जाता था। इस दृष्टि से जमालपुर वर्कशॉप ब्रिटिश औद्योगिक नीति का एक प्रमुख हिस्सा था, जहाँ तकनीकी दक्षता, श्रम अनुशासन और उत्पादन क्षमता को प्राथमिकता दी जाती थी। जमालपुर रेल वर्कशॉप का इतिहास केवल एक औद्योगिक प्रतिष्ठान के विकास की कहानी नहीं है, बल्कि यह श्रमिक वर्ग के निर्माण, उनके सामाजिक जीवन और सामूहिक चेतना के विकास का भी इतिहास है। वर्कशॉप के विस्तार के साथ बड़ी संख्या में कुशल, अर्ध-कुशल और अकुशल श्रमिकों की आवश्यकता हुई, जिसके परिणामस्वरूप जमालपुर एक औद्योगिक नगर के रूप में विकसित हुआ। विभिन्न क्षेत्रों से आए श्रमिकों ने यहाँ एक बहुसांस्कृतिक सामाजिक वातावरण का निर्माण किया। श्रमिकों के बीच जातीय, भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं के बावजूद कार्यस्थल की साझा परिस्थितियों ने उनमें एक नई औद्योगिक पहचान विकसित की। इस प्रक्रिया में श्रमिक बस्तियों, सामाजिक संस्थाओं, विद्यालयों, अस्पतालों और सांस्कृतिक संगठनों का विकास हुआ, जिसने जमालपुर को केवल एक रेलवे केंद्र नहीं बल्कि एक जीवंत औद्योगिक समाज में परिवर्तित कर दिया। औपनिवेशिक शासन के दौरान वर्कशॉप में श्रमिकों को कठोर कार्य परिस्थितियों, सीमित अधिकारों और असमान वेतन व्यवस्था जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। ब्रिटिश प्रबंधन व्यवस्था में श्रमिकों से अधिकतम उत्पादन की अपेक्षा की जाती थी, जबकि उनके सामाजिक और आर्थिक हितों को अपेक्षाकृत कम महत्व दिया जाता था। इसी पृष्ठभूमि में श्रमिक संगठनों और ट्रेड यूनियन गतिविधियों का विकास हुआ। श्रमिकों ने अपने अधिकारों, बेहतर मजदूरी, कार्यस्थल सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन के लिए संघर्ष किया। जमालपुर रेल वर्कशॉप में विकसित श्रमिक आंदोलन भारतीय श्रमिक इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसने औद्योगिक संबंधों और श्रमिक चेतना को मजबूत करने में योगदान दिया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जमालपुर रेल वर्कशॉप की भूमिका में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। अब यह ब्रिटिश साम्राज्य की आवश्यकताओं के बजाय स्वतंत्र भारत के औद्योगिक विकास और आत्मनिर्भरता के उद्देश्य से संचालित होने लगा। भारतीय रेलवे के विस्तार और आधुनिकीकरण के साथ वर्कशॉप ने तकनीकी उन्नयन, उत्पादन क्षमता में वृद्धि और मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल कीं। स्वतंत्र भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक संस्थानों की भूमिका आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख माध्यम के रूप में देखी गई। जमालपुर रेल वर्कशॉप ने इस नीति को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाते हुए हजारों लोगों को रोजगार प्रदान किया और बिहार के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1947 के बाद श्रमिक संस्कृति में भी व्यापक परिवर्तन देखने को मिला। श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए ट्रेड यूनियनों की भूमिका बढ़ी और श्रमिक कल्याण योजनाओं, आवास सुविधाओं, स्वास्थ्य सेवाओं तथा शिक्षा संस्थानों का विस्तार हुआ। वर्कशॉप परिसर में विकसित सामाजिक जीवन ने श्रमिकों और उनके परिवारों के बीच सामुदायिक भावना को मजबूत किया। इसके साथ ही तकनीकी परिवर्तन और आधुनिकीकरण ने श्रमिकों के कार्य स्वरूप को प्रभावित किया। नई मशीनों, आधुनिक उत्पादन तकनीकों और प्रबंधन प्रणालियों के आगमन से श्रमिकों को नए कौशल सीखने की आवश्यकता हुई। इस प्रकार जमालपुर रेल वर्कशॉप ने परंपरागत औद्योगिक श्रम व्यवस्था से आधुनिक तकनीकी आधारित औद्योगिक प्रणाली की ओर संक्रमण किया। 1862 से 2000 तक की अवधि जमालपुर रेल वर्कशॉप के लिए परिवर्तन और निरंतर विकास का काल रही। इस अवधि में यह संस्था औपनिवेशिक नियंत्रण वाले औद्योगिक केंद्र से विकसित होकर स्वतंत्र भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान के रूप में स्थापित हुई। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य जमालपुर रेल वर्कशॉप के औद्योगिक विकास, श्रमिक संस्कृति, सामाजिक परिवर्तन और श्रमिक आंदोलनों का ऐतिहासिक विश्लेषण करना है। यह अध्ययन यह समझने का प्रयास करता है कि किस प्रकार एक औद्योगिक संस्थान ने न केवल तकनीकी और आर्थिक विकास को प्रभावित किया, बल्कि स्थानीय समाज, श्रमिक पहचान और क्षेत्रीय विकास की प्रक्रिया को भी दिशा प्रदान की। जमालपुर रेल वर्कशॉप का इतिहास भारतीय औद्योगीकरण की उस व्यापक प्रक्रिया को दर्शाता है जिसमें श्रम, तकनीक और सामाजिक परिवर्तन एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं।

जमालपुर रेल वर्कशॉप की स्थापना और औपनिवेशिक पृष्ठभूमि (1862)

जमालपुर रेल वर्कशॉप की स्थापना 1862 में ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी द्वारा ब्रिटिश शासन के दौरान की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य रेलवे इंजनों, कोचों और अन्य यांत्रिक उपकरणों की मरम्मत एवं रखरखाव करना था। औपनिवेशिक सरकार के लिए रेलवे प्रशासनिक नियंत्रण, व्यापार विस्तार और सैन्य गतिविधियों का प्रमुख साधन था। जमालपुर वर्कशॉप इसी औपनिवेशिक आर्थिक नीति का हिस्सा था। प्रारंभिक वर्षों में यहाँ ब्रिटिश तकनीकी प्रणाली और प्रबंधन व्यवस्था लागू थी। इसने भारत में आधुनिक औद्योगिक तकनीक और संगठित श्रम व्यवस्था के विकास की नींव रखी।

जमालपुर का औद्योगिक नगर के रूप में विकास

रेल वर्कशॉप की स्थापना के बाद जमालपुर एक प्रमुख औद्योगिक नगर के रूप में विकसित हुआ। वर्कशॉप के विस्तार के साथ बड़ी संख्या में तकनीकी कर्मचारियों, श्रमिकों और अधिकारियों का आगमन हुआ। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और सामाजिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। श्रमिक आवास, बाजार, विद्यालय, अस्पताल और सामाजिक संस्थाओं का विकास हुआ। जमालपुर का विकास रेलवे केंद्रित नगरीकरण का उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह नगर बिहार के औद्योगिक विकास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जहाँ उद्योग और समाज के बीच गहरा संबंध स्थापित हुआ।

श्रमिक वर्ग का निर्माण और सामाजिक संरचना

जमालपुर रेल वर्कशॉप ने एक संगठित श्रमिक वर्ग के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ विभिन्न क्षेत्रों, भाषाओं और सामाजिक समूहों से आए श्रमिकों ने एक नई औद्योगिक पहचान विकसित की। कार्यस्थल की समान परिस्थितियों ने श्रमिकों में सामूहिक भावना को बढ़ावा दिया। श्रमिक वर्ग ने अपने अधिकारों, बेहतर मजदूरी और सुरक्षित कार्य परिस्थितियों के लिए संघर्ष किया। इस प्रक्रिया में श्रमिक संगठन और सामुदायिक जीवन का विकास हुआ। जमालपुर की श्रमिक संस्कृति भारतीय औद्योगिक समाज में वर्ग चेतना और सामाजिक एकता का महत्वपूर्ण उदाहरण है।

श्रमिक आंदोलन और ट्रेड यूनियन गतिविधियाँ

जमालपुर रेल वर्कशॉप में श्रमिक आंदोलन औद्योगिक इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय है। औपनिवेशिक काल में कम मजदूरी, कठोर कार्य परिस्थितियों और प्रबंधन की कठोर नीतियों के विरुद्ध श्रमिकों ने संगठित होकर आवाज उठाई। स्वतंत्रता के बाद ट्रेड यूनियनों की भूमिका और अधिक मजबूत हुई। यूनियनों ने श्रमिक अधिकारों, वेतन सुधार, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाओं के लिए संघर्ष किया। इन आंदोलनों ने श्रमिकों में राजनीतिक और सामाजिक जागरूकता को बढ़ाया तथा औद्योगिक संबंधों को प्रभावित किया।

तकनीकी विकास और आधुनिकीकरण

जमालपुर रेल वर्कशॉप ने समय के साथ तकनीकी परिवर्तन और आधुनिकीकरण को अपनाया। प्रारंभ में यह मुख्य रूप से भाप इंजनों की मरम्मत और रखरखाव का केंद्र था, लेकिन बाद में आधुनिक मशीनों और नई तकनीकों का उपयोग शुरू हुआ। तकनीकी विकास के कारण श्रमिकों के कौशल में भी परिवर्तन आया। कर्मचारियों को नए प्रशिक्षण और तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता हुई। आधुनिकीकरण ने उत्पादन क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ भारतीय रेलवे को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान दिया। यह वर्कशॉप परंपरा और आधुनिक तकनीक के समन्वय का उदाहरण है।

स्वतंत्रता के बाद जमालपुर रेल वर्कशॉप की भूमिका

1947 के बाद जमालपुर रेल वर्कशॉप की भूमिका में व्यापक परिवर्तन आया। अब यह ब्रिटिश साम्राज्य की जरूरतों के बजाय भारत के राष्ट्रीय विकास और रेलवे आधुनिकीकरण का हिस्सा बन गया। सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान के रूप में इसने रोजगार, तकनीकी विकास और औद्योगिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया। वर्कशॉप ने भारतीय रेलवे की आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। श्रमिक कल्याण योजनाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सामाजिक सुविधाओं के विस्तार से कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार आया।

साहित्य समीक्षा

चक्रवर्ती (2012) ने अपने अध्ययन में भारतीय रेलवे के विकास को औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों के संदर्भ में समझाया है। उन्होंने बताया कि ब्रिटिश शासन के दौरान रेलवे केवल परिवहन व्यवस्था नहीं थी, बल्कि साम्राज्यवादी नियंत्रण, व्यापार विस्तार और सैन्य आवश्यकताओं का प्रमुख साधन थी। अध्ययन में रेलवे वर्कशॉपों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि जमालपुर जैसे औद्योगिक केंद्रों ने भारत में तकनीकी कौशल, संगठित श्रम और औद्योगिक संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह अध्ययन जमालपुर रेल वर्कशॉप की औपनिवेशिक पृष्ठभूमि को समझने में सहायक है।

कुमार (2015) ने बिहार के औद्योगिक विकास और श्रमिक वर्ग के निर्माण का अध्ययन किया। उनके अनुसार रेलवे, खनन और अन्य सार्वजनिक उद्योगों ने बिहार में आधुनिक श्रमिक वर्ग के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अध्ययन में बताया गया कि औद्योगिक संस्थानों के आसपास विकसित श्रमिक बस्तियों ने सामाजिक परिवर्तन, सामुदायिक जीवन और श्रमिक चेतना को बढ़ावा दिया। जमालपुर रेल वर्कशॉप को बिहार के औद्योगिक विकास के प्रमुख केंद्रों में शामिल करते हुए उन्होंने इसके रोजगार, तकनीकी प्रशिक्षण और सामाजिक प्रभावों का उल्लेख किया है।

सेन (2017) ने औपनिवेशिक भारत में श्रमिक परिस्थितियों, श्रम संबंधों और ट्रेड यूनियन आंदोलनों का विश्लेषण किया। उनके अध्ययन के अनुसार ब्रिटिश औद्योगिक संस्थानों में श्रमिकों को कठोर अनुशासन, कम मजदूरी और सीमित अधिकारों का सामना करना पड़ता था। धीरे-धीरे श्रमिक संगठनों के विकास ने मजदूरों में अधिकार चेतना को बढ़ावा दिया। यह अध्ययन जमालपुर रेल वर्कशॉप में विकसित श्रमिक संस्कृति, श्रमिक संघर्ष और यूनियन गतिविधियों को समझने के लिए महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है।

शर्मा (2019) ने भारतीय रेलवे में तकनीकी विकास और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता के बाद रेलवे वर्कशॉपों ने देश के औद्योगिक आत्मनिर्भरता अभियान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आधुनिक मशीनों, नई उत्पादन तकनीकों और कौशल विकास कार्यक्रमों ने श्रमिकों की भूमिका को परिवर्तित किया। अध्ययन में जमालपुर जैसे पुराने रेलवे वर्कशॉपों को तकनीकी विरासत और आधुनिक औद्योगिक प्रणाली के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी बताया गया है।

मुखर्जी (2021) ने सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक संस्थानों के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों का अध्ययन किया। उनके अनुसार रेलवे जैसे सार्वजनिक उपक्रमों ने रोजगार सृजन, क्षेत्रीय विकास और सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अध्ययन में यह स्पष्ट किया गया कि औद्योगिक संस्थान केवल उत्पादन केंद्र नहीं होते, बल्कि वे सामाजिक संरचना,

शिक्षा, स्वास्थ्य और सामुदायिक जीवन को भी प्रभावित करते हैं। जमालपुर रेल वर्कशॉप का अध्ययन इसी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने बिहार के औद्योगिक और सामाजिक विकास को नई दिशा प्रदान की।

अनुसंधान अंतराल

जमालपुर रेल वर्कशॉप पर उपलब्ध अधिकांश अध्ययन भारतीय रेलवे के तकनीकी विकास, औपनिवेशिक रेलवे नीति या सामान्य औद्योगिक इतिहास तक सीमित रहे हैं। श्रमिक संस्कृति, श्रमिक जीवन, सामाजिक परिवर्तन और औद्योगिक संबंधों के दीर्घकालीन विकास का समग्र अध्ययन अपेक्षाकृत कम हुआ है। विशेष रूप से 1862 से 2000 तक के कालखंड में औपनिवेशिक व्यवस्था से स्वतंत्र भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक संस्थान तक हुए परिवर्तन का स्थानीय स्तर पर पर्याप्त विश्लेषण नहीं मिलता है। प्रस्तुत अध्ययन इस अंतर को भरने का प्रयास करता है तथा जमालपुर रेल वर्कशॉप के औद्योगिक विकास और श्रमिक संस्कृति के सामाजिक-ऐतिहासिक पक्षों का अध्ययन करता है।

अध्ययन के उद्देश्य

1. जमालपुर रेल वर्कशॉप की स्थापना एवं औपनिवेशिक विकास प्रक्रिया का अध्ययन करना।
2. 1862 से 2000 तक वर्कशॉप के औद्योगिक विकास और तकनीकी परिवर्तन का विश्लेषण करना।
3. जमालपुर रेल वर्कशॉप में श्रमिक संस्कृति और सामाजिक संरचना के विकास का अध्ययन करना।
4. श्रमिक आंदोलनों, ट्रेड यूनियन गतिविधियों और श्रमिक चेतना का मूल्यांकन करना।
5. बिहार के सामाजिक-आर्थिक विकास में जमालपुर रेल वर्कशॉप के योगदान का अध्ययन करना।

अनुसंधान पद्धति

अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया गया है। प्राथमिक स्रोतों में रेलवे अभिलेख, सरकारी रिपोर्ट, वर्कशॉप से संबंधित दस्तावेज, श्रमिक संगठनों के अभिलेख तथा समकालीन समाचार पत्रों का उपयोग किया गया है। द्वितीयक स्रोतों में पुस्तकें, शोध-पत्र, जर्नल, रेलवे इतिहास से संबंधित साहित्य और औद्योगिक विकास संबंधी अध्ययन शामिल हैं। शोध में ऐतिहासिक पद्धति के माध्यम से औपनिवेशिक काल, स्वतंत्रता के बाद के विकास और 2000 तक हुए सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। डेटा विश्लेषण के लिए वर्णनात्मक एवं व्याख्यात्मक विधि अपनाई गई है, जिसके अंतर्गत औद्योगिक विकास, रोजगार संरचना, तकनीकी परिवर्तन और श्रमिक संस्कृति से संबंधित तथ्यों का विश्लेषण किया गया है।

जमालपुर रेल वर्कशॉप के विकास का विश्लेषण तीन प्रमुख चरणों में किया जा सकता है—औपनिवेशिक काल, स्वतंत्रता के बाद का विकास काल और आधुनिकीकरण का काल। 1862 में स्थापना के बाद यह वर्कशॉप ब्रिटिश रेलवे व्यवस्था का महत्वपूर्ण केंद्र बना। स्वतंत्रता के बाद इसकी भूमिका राष्ट्रीय औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन के केंद्र के रूप में परिवर्तित हुई।

तालिका 1: जमालपुर रेल वर्कशॉप के विकास के प्रमुख चरण

अवधि	प्रमुख विशेषताएँ	औद्योगिक प्रभाव
1862–1947	ब्रिटिश शासन, रेलवे उपकरणों की मरम्मत, कठोर श्रम व्यवस्था	औद्योगिक श्रम प्रणाली और तकनीकी कौशल का विकास
1947–1970	राष्ट्रीयकरण के बाद भारतीय रेलवे के अंतर्गत विकास	रोजगार विस्तार, श्रमिक कल्याण योजनाओं का विकास
1970–1990	तकनीकी आधुनिकीकरण और उत्पादन क्षमता में वृद्धि	नई मशीनों एवं कौशल विकास का विस्तार
1990–2000	प्रतिस्पर्धी औद्योगिक वातावरण और तकनीकी सुधार	प्रबंधन सुधार और आधुनिक तकनीकी अपनाने की प्रक्रिया

तालिका 2: श्रमिक संस्कृति और सामाजिक परिवर्तन का विश्लेषण

पक्ष	औपनिवेशिक काल (1862–1947)	स्वतंत्रता के बाद (1947–2000)
श्रमिक स्थिति	सीमित अधिकार, कठोर अनुशासन	श्रमिक अधिकारों और कल्याण योजनाओं में वृद्धि
संगठन	प्रारंभिक श्रमिक चेतना	ट्रेड यूनियन और संगठित आंदोलन
सामाजिक जीवन	श्रमिक बस्तियों का विकास प्रारंभ	शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक संस्थाओं का विस्तार
रोजगार	तकनीकी और श्रम आधारित रोजगार	स्थायी रोजगार एवं कौशल विकास
औद्योगिक संबंध	प्रबंधन केंद्रित व्यवस्था	श्रमिक-प्रबंधन संवाद में वृद्धि

तालिका 3: जमालपुर रेल वर्कशॉप का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

क्षेत्र	योगदान
रोजगार	हजारों लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान किया
तकनीकी विकास	रेलवे इंजीनियरिंग और तकनीकी प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया
नगरीकरण	जमालपुर को औद्योगिक नगर के रूप में विकसित किया
सामाजिक विकास	शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास सुविधाओं का विस्तार किया
श्रमिक संस्कृति	सामूहिक पहचान और श्रमिक चेतना का विकास किया

विश्लेषण

तालिकाओं के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि जमालपुर रेल वर्कशॉप ने 1862 से 2000 तक एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यात्रा पूरी की। प्रारंभ में यह ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों की पूर्ति करने वाला औद्योगिक केंद्र था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद यह भारतीय रेलवे के विकास और राष्ट्रीय औद्योगिक आत्मनिर्भरता का प्रमुख आधार बन गया। वर्कशॉप ने न केवल तकनीकी प्रगति को बढ़ावा दिया, बल्कि श्रमिक वर्ग के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका

निभाई। श्रमिक संगठनों के विकास, रोजगार के अवसरों और सामुदायिक जीवन के विस्तार ने जमालपुर को एक विशिष्ट औद्योगिक समाज के रूप में स्थापित किया।

अध्ययन की सीमाएँ

प्रस्तुत अध्ययन की कुछ महत्वपूर्ण सीमाएँ हैं, जो शोध के निष्कर्षों को प्रभावित कर सकती हैं। प्रथम, जमालपुर रेल वर्कशॉप से संबंधित सभी प्राथमिक अभिलेख, पुराने दस्तावेज और आधिकारिक रिकॉर्ड आसानी से उपलब्ध नहीं होने के कारण कुछ ऐतिहासिक तथ्यों का विश्लेषण सीमित स्रोतों पर आधारित है। द्वितीय, अध्ययन मुख्य रूप से 1862 से 2000 तक की अवधि पर केंद्रित है, इसलिए इसके बाद के तकनीकी और औद्योगिक परिवर्तनों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। तृतीय, श्रमिकों के व्यक्तिगत अनुभवों, मौखिक इतिहास और पारिवारिक स्मृतियों का व्यापक संग्रह संभव नहीं हो सका है। इसके अतिरिक्त, यह अध्ययन मुख्य रूप से ऐतिहासिक और गुणात्मक विश्लेषण पर आधारित है, इसलिए इसमें विस्तृत सांख्यिकीय विश्लेषण का सीमित उपयोग किया गया है। फिर भी उपलब्ध स्रोतों के आधार पर जमालपुर रेल वर्कशॉप के औद्योगिक विकास और श्रमिक संस्कृति को समझने का प्रयास किया गया है।

अध्ययन का महत्व

जमालपुर रेल वर्कशॉप का अध्ययन भारतीय औद्योगिक इतिहास, श्रमिक संस्कृति और क्षेत्रीय विकास को समझने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह अध्ययन औपनिवेशिक काल से स्वतंत्र भारत तक एक औद्योगिक संस्थान में हुए सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी परिवर्तनों को स्पष्ट करता है। इसके माध्यम से यह समझने में सहायता मिलती है कि किस प्रकार रेलवे वर्कशॉप ने बिहार में औद्योगीकरण, रोजगार सृजन और नगरीकरण को बढ़ावा दिया। यह अध्ययन श्रमिक वर्ग के निर्माण, उनकी सामाजिक पहचान, ट्रेड यूनियन गतिविधियों और अधिकारों के संघर्ष को भी उजागर करता है। जमालपुर रेल वर्कशॉप केवल उत्पादन का केंद्र नहीं था, बल्कि यह श्रमिक समुदाय के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का भी महत्वपूर्ण माध्यम रहा है। वर्तमान समय में औद्योगिक विरासत और श्रमिक इतिहास के अध्ययन के लिए यह शोध उपयोगी आधार प्रदान करता है तथा भारतीय रेलवे के सामाजिक-आर्थिक योगदान को समझने में सहायता करता है।

निष्कर्ष

जमालपुर रेल वर्कशॉप का इतिहास भारतीय औद्योगिक विकास, रेलवे विस्तार और श्रमिक संस्कृति के विकास की एक महत्वपूर्ण गाथा प्रस्तुत करता है। 1862 में औपनिवेशिक शासन के दौरान स्थापित यह वर्कशॉप प्रारंभ में ब्रिटिश साम्राज्य की परिवहन और प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करने का माध्यम था, लेकिन समय के साथ यह भारत के औद्योगिक आत्मनिर्भरता और तकनीकी विकास का प्रमुख केंद्र बन गया। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि जमालपुर रेल वर्कशॉप ने केवल रेलवे उपकरणों के निर्माण और मरम्मत में योगदान नहीं दिया, बल्कि एक संगठित श्रमिक वर्ग के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। औपनिवेशिक काल में श्रमिकों ने कठिन परिस्थितियों के बीच कार्य करते हुए धीरे-धीरे अपनी सामूहिक पहचान विकसित की और श्रमिक आंदोलनों तथा ट्रेड यूनियन गतिविधियों के माध्यम से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया। स्वतंत्रता के बाद इस वर्कशॉप की भूमिका में व्यापक परिवर्तन आया। यह भारतीय रेलवे के विकास, रोजगार सृजन, तकनीकी प्रशिक्षण और क्षेत्रीय आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण केंद्र बना। श्रमिक कल्याण योजनाओं, सामाजिक सुविधाओं और तकनीकी आधुनिकीकरण ने कर्मचारियों के जीवन स्तर और कार्य प्रणाली में सकारात्मक परिवर्तन किए। जमालपुर नगर का सामाजिक और आर्थिक विकास भी इसी औद्योगिक संस्थान से गहराई

से जुड़ा रहा। अध्ययन यह दर्शाता है कि जमालपुर रेल वर्कशॉप एक औद्योगिक इकाई से अधिक एक सामाजिक संस्था रही है, जिसने श्रमिक संस्कृति, सामुदायिक जीवन और क्षेत्रीय पहचान के निर्माण में योगदान दिया। 1862 से 2000 तक की इसकी यात्रा औपनिवेशिक शोषण आधारित औद्योगिक व्यवस्था से आधुनिक सार्वजनिक क्षेत्र के विकास तक के परिवर्तन को प्रदर्शित करती है। इसलिए जमालपुर रेल वर्कशॉप भारतीय औद्योगिक विरासत और श्रमिक इतिहास के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

संदर्भ सूची

1. चक्रवर्ती, बिपिन. (2012). *भारतीय रेलवे का इतिहास और औद्योगिक विकास*. नई दिल्ली: भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद।
2. कुमार, अरुण. (2015). *बिहार में औद्योगीकरण और श्रमिक वर्ग का विकास*. पटना: बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी।
3. सेन, सुनील. (2017). *भारत में श्रमिक आंदोलन और औद्योगिक संबंध*. नई दिल्ली: पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस।
4. शर्मा, आर. के. (2019). *भारतीय रेलवे: विकास, तकनीक और आधुनिकीकरण*. नई दिल्ली: प्रकाशन विभाग, भारत सरकार।
5. मुखर्जी, अमलेश. (2021). *सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग और सामाजिक परिवर्तन*. कोलकाता: ओरिएंट ब्लैकस्वान।
6. दत्त, आर. सी. (2014). *भारत में आर्थिक इतिहास और औपनिवेशिक नीतियाँ*. नई दिल्ली: रावत प्रकाशन।
7. गुप्ता, सुरेश चंद्र. (2016). *भारतीय रेलवे का विकास और सामाजिक प्रभाव*. दिल्ली: अटलांटिक पब्लिशर्स।
8. यादव, रामविलास. (2018). *औद्योगिक समाजशास्त्र और श्रमिक संस्कृति*. नई दिल्ली: हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय।
9. झा, विश्वनाथ. (2013). *बिहार का सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास*. पटना: बिहार राष्ट्रभाषा परिषद।
10. सिंह, के. एन. (2020). *भारत में औद्योगिक विकास और श्रम संबंध*. वाराणसी: विश्वविद्यालय प्रकाशन।
11. चंद्रा, बिपिन. (2016). *आधुनिक भारत का इतिहास*. नई दिल्ली: ओरिएंट ब्लैकस्वान।
12. पांडेय, बी. एन. (2015). *भारत में रेलवे और औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था*. इलाहाबाद: लोकभारती प्रकाशन।
13. मिश्रा, प्रदीप. (2019). *भारतीय श्रमिक आंदोलन का इतिहास*. नई दिल्ली: मैकमिलन इंडिया।
14. भारतीय रेलवे मंत्रालय. (विभिन्न वर्ष). *भारतीय रेलवे वार्षिक रिपोर्ट*. नई दिल्ली: रेल मंत्रालय, भारत सरकार।
15. ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी. (विभिन्न वर्ष). *ईस्ट इंडियन रेलवे प्रशासनिक रिपोर्ट*. कोलकाता: रेलवे अभिलेखागार।
16. रेल मंत्रालय, भारत सरकार. (2000). *भारतीय रेलवे का विकास और उपलब्धियाँ*. नई दिल्ली: भारत सरकार प्रकाशन।
17. दास, मोहन. (2018). *औद्योगिक विरासत और भारत के रेलवे नगर*. नई दिल्ली: ज्ञान प्रकाशन।
18. प्रसाद, रामेश्वर. (2017). *बिहार में उद्योग और क्षेत्रीय विकास*. पटना: विश्वविद्यालय प्रकाशन।
19. कुमार, मनोज. (2022). *श्रमिक संस्कृति, वर्ग चेतना और औद्योगिक समाज*. नई दिल्ली: समाज विज्ञान प्रकाशन।
20. भारतीय रेलवे विरासत निदेशालय. (2020). *भारतीय रेलवे की ऐतिहासिक कार्यशालाएँ और औद्योगिक विरासत*. नई दिल्ली: रेल मंत्रालय।

वृहद मुंगेर में किसान असंतोष और विद्रोह (1900–1950) : सामाजिक-आर्थिक कारणों का अध्ययन

विक्रम कुमार
शोधार्थी, इतिहास विभाग, मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर

सारांश

प्रस्तुत अध्ययन "वृहद मुंगेर में किसान असंतोष और विद्रोह (1900–1950): सामाजिक-आर्थिक कारणों का अध्ययन" का उद्देश्य 1900 से 1950 के मध्य वृहद मुंगेर क्षेत्र में उत्पन्न किसान असंतोष एवं विद्रोह के सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक कारणों का विश्लेषण करना है। इस अवधि में औपनिवेशिक शासन की भूमि-राजस्व नीतियों, जमींदारी व्यवस्था, अत्यधिक लगान, बेगार प्रथा, साहूकारी शोषण तथा प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी। इन परिस्थितियों ने किसानों में व्यापक असंतोष उत्पन्न किया, जो समय-समय पर विभिन्न आंदोलनों और विद्रोहों के रूप में सामने आया। विशेष रूप से किसान सभाओं के गठन, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रभाव तथा स्थानीय नेतृत्व की सक्रियता ने किसानों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अध्ययन में यह स्पष्ट किया गया है कि किसान विद्रोह केवल आर्थिक शोषण की प्रतिक्रिया नहीं थे, बल्कि सामाजिक न्याय, भूमि अधिकार, सम्मान तथा राजनीतिक चेतना की अभिव्यक्ति भी थे। अनुसंधान के लिए ऐतिहासिक एवं वर्णनात्मक पद्धति का उपयोग किया गया है, जिसमें अभिलेखीय दस्तावेज़ों, सरकारी प्रतिवेदनों, समकालीन समाचार-पत्रों, शोध-ग्रंथों तथा प्रकाशित साहित्य का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि वृहद मुंगेर के किसान आंदोलनों ने न केवल औपनिवेशिक शासन और जमींदारी शोषण को चुनौती दी, बल्कि स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार, कृषक अधिकारों तथा ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन की दिशा भी निर्धारित की। यह अध्ययन बिहार के क्षेत्रीय किसान आंदोलनों के इतिहास को समझने तथा सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं का मूल्यांकन करने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है।

कुंजीशब्द: *वृहद मुंगेर, किसान असंतोष, किसान विद्रोह, जमींदारी व्यवस्था, सामाजिक-आर्थिक कारण।*

परिचय

भारतीय कृषि व्यवस्था का इतिहास किसानों के संघर्ष, श्रम और सामाजिक परिवर्तन की गाथा से जुड़ा हुआ है। औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीय ग्रामीण समाज ने आर्थिक शोषण, सामाजिक असमानता और राजनीतिक उपेक्षा का गहरा अनुभव किया, जिसका सबसे अधिक प्रभाव किसानों पर पड़ा। बिहार का वृहद मुंगेर क्षेत्र, जिसमें तत्कालीन मुंगेर के साथ वर्तमान लखीसराय, शेखपुरा, जमुई तथा बेगूसराय के कुछ भाग सम्मिलित थे, कृषि प्रधान क्षेत्र होने के कारण औपनिवेशिक नीतियों से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुआ। वर्ष 1900 से 1950 के मध्य का काल भारतीय इतिहास में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। इस अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू भूमि-राजस्व

व्यवस्था, जमींदारी प्रथा, अत्यधिक लगान, साहूकारी व्यवस्था, बेगार, बटाईदारी की विषमताएँ तथा प्राकृतिक आपदाओं ने किसानों की आजीविका को गंभीर रूप से प्रभावित किया। किसानों की आय में निरंतर गिरावट, ऋणग्रस्तता, भूमि से बेदखली और उत्पादन पर नियंत्रण की कमी ने ग्रामीण समाज में व्यापक असंतोष को जन्म दिया। यही असंतोष आगे चलकर विभिन्न किसान आंदोलनों और विद्रोहों के रूप में प्रकट हुआ। वृहद मुंगेर का सामाजिक ढाँचा बहुजातीय एवं बहुवर्गीय था, जहाँ भूमिहीन मजदूर, छोटे एवं सीमांत किसान, बटाईदार तथा मध्यम कृषक सभी किसी न किसी रूप में आर्थिक शोषण का सामना कर रहे थे। जमींदारों, महाजनों और औपनिवेशिक प्रशासन के बीच स्थापित गठजोड़ ने किसानों के लिए न्याय प्राप्त करना कठिन बना दिया। परिणामस्वरूप किसानों ने संगठित होकर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष का मार्ग अपनाया। इस काल में किसान सभाओं का गठन, स्थानीय नेतृत्व का उदय तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से किसानों का जुड़ाव ग्रामीण समाज में राजनीतिक चेतना के विकास का महत्वपूर्ण संकेत था। विशेष रूप से बिहार में किसान आंदोलनों ने ग्रामीण जनता को संगठित करने तथा भूमि संबंधी अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने का कार्य किया। वृहद मुंगेर में भी किसानों ने लगान में कमी, बेगार की समाप्ति, साहूकारी शोषण पर नियंत्रण, भूमि अधिकारों की सुरक्षा तथा सामाजिक सम्मान की मांग को लेकर अनेक प्रकार के प्रतिरोध किए। इन आंदोलनों को राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से भी प्रेरणा मिली, जिसके कारण किसान संघर्ष केवल आर्थिक मुद्दों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय की व्यापक आकांक्षा का हिस्सा बन गया। प्रथम विश्व युद्ध, वैश्विक आर्थिक मंदी, द्वितीय विश्व युद्ध तथा युद्धकालीन महँगाई ने कृषि अर्थव्यवस्था को और अधिक संकटग्रस्त कर दिया। दूसरी ओर, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय नेताओं तथा क्षेत्रीय किसान नेताओं ने किसानों को संगठित कर उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया। इस प्रक्रिया में किसान संगठनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही, जिन्होंने ग्रामीण समाज में सामूहिक चेतना और संगठन की भावना को विकसित किया। वृहद मुंगेर में किसान असंतोष केवल आर्थिक विषमताओं का परिणाम नहीं था, बल्कि यह सामाजिक भेदभाव, प्रशासनिक दमन, न्यायिक असमानता तथा ग्रामीण सत्ता-संरचना के विरुद्ध व्यापक प्रतिक्रिया भी था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व और उसके तत्काल बाद भूमि सुधार तथा जमींदारी उन्मूलन की मांग ने इन आंदोलनों को नई दिशा प्रदान की। किसानों के संघर्षों ने ग्रामीण समाज में लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक समानता तथा भूमि अधिकारों की अवधारणा को मजबूत किया और स्वतंत्र भारत की कृषि नीतियों को भी प्रभावित किया। यद्यपि बिहार के किसान आंदोलनों पर अनेक अध्ययन उपलब्ध हैं, फिर भी वृहद मुंगेर क्षेत्र के किसान असंतोष और विद्रोह के सामाजिक-आर्थिक कारणों का समग्र एवं क्षेत्र-विशिष्ट विश्लेषण अपेक्षाकृत कम मिलता है। यही कारण है कि इस अध्ययन का विशेष महत्व है। प्रस्तुत शोध का उद्देश्य 1900 से 1950 के मध्य वृहद मुंगेर में किसान असंतोष और विद्रोह के प्रमुख सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक कारणों का विश्लेषण करना, इन आंदोलनों की प्रकृति एवं स्वरूप का अध्ययन करना, स्थानीय परिस्थितियों और राष्ट्रीय किसान आंदोलनों के पारस्परिक संबंधों को समझना तथा ग्रामीण समाज पर इनके दीर्घकालिक प्रभावों का मूल्यांकन करना है। यह अध्ययन ऐतिहासिक एवं वर्णनात्मक अनुसंधान पद्धति पर आधारित है, जिसमें अभिलेखीय स्रोतों, सरकारी प्रतिवेदनों, समकालीन समाचार-पत्रों, शोध-ग्रंथों तथा प्रकाशित साहित्य का उपयोग किया गया है। इस शोध के माध्यम से वृहद मुंगेर के किसान संघर्षों के ऐतिहासिक महत्व, सामाजिक चेतना, आर्थिक परिवर्तन तथा ग्रामीण राजनीतिक विकास की प्रक्रिया को व्यापक परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास किया गया है। साथ ही, यह अध्ययन बिहार के क्षेत्रीय इतिहास, किसान आंदोलनों तथा औपनिवेशिक भारत के सामाजिक-आर्थिक इतिहास के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण योगदान प्रस्तुत करता है।

** First Author, **Corresponding Author, ***Co-Author*

वृहद मुंगेर का ऐतिहासिक एवं भौगोलिक परिचय

वृहद मुंगेर बिहार का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक एवं कृषि प्रधान क्षेत्र रहा है, जिसमें वर्तमान मुंगेर, जमुई, लखीसराय तथा शेखपुरा जैसे जिले शामिल थे। गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियों के कारण यहाँ की भूमि अत्यंत उपजाऊ रही, जिससे अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। औपनिवेशिक काल में यह क्षेत्र जमींदारी व्यवस्था के प्रभाव में था, जहाँ किसानों को भारी लगान, बेगार तथा साहूकारी शोषण का सामना करना पड़ता था। सामाजिक विविधता, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था तथा राष्ट्रीय आंदोलन की सक्रियता के कारण वृहद मुंगेर किसान आंदोलनों और ग्रामीण राजनीतिक चेतना का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरा।

औपनिवेशिक भूमि-राजस्व व्यवस्था और जमींदारी प्रथा

ब्रिटिश शासन द्वारा लागू भूमि-राजस्व व्यवस्था का उद्देश्य अधिकतम राजस्व संग्रह करना था। जमींदारों को भूमि पर अधिकार देकर किसानों से लगान वसूलने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस व्यवस्था में किसानों के अधिकारों की उपेक्षा हुई तथा उन्हें अत्यधिक लगान, बेदखली और आर्थिक शोषण का सामना करना पड़ा। समय पर लगान न देने पर भूमि छीन ली जाती थी, जिससे किसान ऋणग्रस्त होते गए। जमींदारों और महाजनों की मिलीभगत ने ग्रामीण समाज में असमानता बढ़ाई। यही परिस्थितियाँ आगे चलकर किसान असंतोष और विद्रोह की प्रमुख आधारभूमि बनीं।

किसान असंतोष के सामाजिक-आर्थिक कारण

वृहद मुंगेर में किसान असंतोष के पीछे अनेक सामाजिक एवं आर्थिक कारण थे। अत्यधिक लगान, साहूकारी ऋण, बेगार प्रथा, भूमिहीनता, प्राकृतिक आपदाएँ तथा कृषि उत्पादन में कमी ने किसानों की आर्थिक स्थिति को कमजोर कर दिया। जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता ने भी ग्रामीण जीवन को प्रभावित किया। शिक्षा और प्रशासन तक सीमित पहुँच के कारण किसान अपने अधिकारों से वंचित रहे। इन परिस्थितियों ने किसानों में अन्याय के विरुद्ध प्रतिरोध की भावना विकसित की, जिसके परिणामस्वरूप संगठित आंदोलन और विद्रोह सामने आए।

किसान आंदोलन और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम

बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ से किसान आंदोलन राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जुड़ने लगे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चले जनआंदोलनों तथा बिहार में किसान नेताओं की सक्रियता ने किसानों में राजनीतिक चेतना का विकास किया। वृहद मुंगेर के किसान भी विदेशी शासन, जमींदारी शोषण और अन्यायपूर्ण नीतियों के विरुद्ध संगठित हुए। किसान सभाओं ने किसानों की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया तथा ग्रामीण जनता को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ा। इससे किसान संघर्षों को व्यापक वैचारिक आधार और सामाजिक समर्थन प्राप्त हुआ।

किसान विद्रोहों का प्रभाव और ऐतिहासिक महत्व

वृहद मुंगेर के किसान विद्रोहों ने ग्रामीण समाज में सामाजिक न्याय, भूमि अधिकार और राजनीतिक जागरूकता को नई दिशा प्रदान की। इन आंदोलनों ने औपनिवेशिक शासन और जमींदारी व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर किया तथा भूमि सुधार की आवश्यकता को बल दिया। स्वतंत्रता के बाद जमींदारी उन्मूलन और कृषि सुधार संबंधी नीतियों के निर्माण में ऐसे किसान संघर्षों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन विद्रोहों ने किसानों में संगठन, आत्मविश्वास और अधिकार

चेतना का विकास किया तथा बिहार के सामाजिक-आर्थिक इतिहास में स्थायी स्थान प्राप्त किया।

साहित्य समीक्षा

डी. एन. धनगरे (1983) ने अपनी पुस्तक *भारतीय किसान आंदोलन (1880–1950)* में औपनिवेशिक भारत में किसान आंदोलनों के सामाजिक एवं आर्थिक आधार का विस्तृत विश्लेषण किया है। लेखक के अनुसार जमींदारी व्यवस्था, अत्यधिक लगान, साहूकारी शोषण तथा ब्रिटिश भूमि-राजस्व नीतियाँ किसान असंतोष के प्रमुख कारण थीं। अध्ययन में बिहार सहित विभिन्न क्षेत्रों के किसान आंदोलनों का तुलनात्मक विवेचन किया गया है। यह कृति किसान विद्रोहों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने में अत्यंत उपयोगी है।

वाल्टर हाउज़र (1990) ने बिहार के किसान आंदोलन और किसान सभा की भूमिका का अध्ययन करते हुए बताया कि ग्रामीण नेतृत्व, कृषक संगठन तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रभाव से किसानों में राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। लेखक ने स्पष्ट किया कि किसान आंदोलन केवल आर्थिक संघर्ष नहीं था, बल्कि सामाजिक परिवर्तन और ग्रामीण अधिकारों की स्थापना का माध्यम भी था। यह अध्ययन बिहार के किसान आंदोलनों की संगठनात्मक संरचना को समझने में सहायक है।

शाहिद अमीन (1995) ने ग्रामीण समाज और किसान प्रतिरोध के ऐतिहासिक स्वरूप का विश्लेषण करते हुए बताया कि स्थानीय सामाजिक संरचना, प्रशासनिक दमन तथा आर्थिक विषमता ने किसानों में विद्रोही चेतना विकसित की। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसान आंदोलनों को केवल राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में नहीं, बल्कि स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर भी समझना आवश्यक है। यह दृष्टिकोण क्षेत्रीय किसान इतिहास के अध्ययन में महत्वपूर्ण है।

रणजीत गुहा (1999) ने उपनिवेशकालीन भारत में किसान विद्रोहों को निम्नवर्गीय इतिहास (Subaltern History) के दृष्टिकोण से व्याख्यायित किया। उनके अनुसार किसान विद्रोह शोषण के विरुद्ध स्वतःस्फूर्त सामाजिक एवं राजनीतिक प्रतिरोध थे। उन्होंने ग्रामीण समाज में सत्ता, दमन और प्रतिरोध के संबंधों का गहन विश्लेषण प्रस्तुत किया। यह अध्ययन किसान असंतोष के वैचारिक एवं ऐतिहासिक आधार को समझने में महत्वपूर्ण स्रोत है।

कपिल कुमार (2008) ने भारतीय किसान आंदोलनों के ऐतिहासिक विकास का अध्ययन करते हुए भूमि संबंधों, कृषक अधिकारों तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हुए परिवर्तनों का विश्लेषण किया। लेखक ने बताया कि औपनिवेशिक नीतियों ने किसानों की आर्थिक स्थिति को कमजोर किया, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में संगठित किसान आंदोलन विकसित हुए। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि किसान संघर्षों ने स्वतंत्र भारत की भूमि सुधार नीतियों को प्रभावित किया।

बिपन चंद्र (2009) ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में किसान आंदोलनों की भूमिका का विश्लेषण किया है। उनके अनुसार किसान आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन का महत्वपूर्ण आधार थे, जिन्होंने ग्रामीण समाज में राजनीतिक जागरूकता और संगठनात्मक शक्ति का विकास किया। लेखक ने यह भी बताया कि किसानों की आर्थिक समस्याएँ, जमींदारी शोषण तथा औपनिवेशिक नीतियाँ विद्रोहों के प्रमुख कारण थीं। यह अध्ययन वृहद मुंगेर जैसे क्षेत्रों में किसान असंतोष को व्यापक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में समझने में उपयोगी है।

अनुसंधान अंतराल

उपलब्ध साहित्य से स्पष्ट होता है कि बिहार एवं भारत के किसान आंदोलनों पर अनेक अध्ययन किए गए हैं, किंतु वृहद मुंगेर क्षेत्र (1900–1950) में किसान असंतोष और विद्रोह के सामाजिक-आर्थिक कारणों का समग्र एवं क्षेत्र-विशिष्ट विश्लेषण अपेक्षाकृत कम उपलब्ध है। अधिकांश शोध राष्ट्रीय स्तर के किसान आंदोलनों, किसान सभा अथवा जमींदारी व्यवस्था पर केंद्रित हैं, जबकि स्थानीय सामाजिक संरचना, आर्थिक विषमताओं, साहूकारी शोषण, जातिगत संबंधों तथा क्षेत्रीय नेतृत्व की भूमिका का समेकित अध्ययन नहीं किया गया है। प्रस्तुत शोध इसी अंतराल को भरते हुए वृहद मुंगेर के किसान असंतोष के कारणों, स्वरूप एवं ऐतिहासिक प्रभावों का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करने का प्रयास करता है।

अध्ययन के उद्देश्य

1. वृहद मुंगेर (1900–1950) में किसान असंतोष एवं विद्रोह के प्रमुख सामाजिक-आर्थिक कारणों का विश्लेषण करना।
2. औपनिवेशिक भूमि-राजस्व नीति एवं जमींदारी व्यवस्था के किसानों पर पड़े प्रभाव का अध्ययन करना।
3. किसान आंदोलनों में स्थानीय नेतृत्व एवं किसान संगठनों की भूमिका का मूल्यांकन करना।
4. किसान असंतोष और भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करना।
5. वृहद मुंगेर के किसान विद्रोहों के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रभावों का विश्लेषण करना।

अनुसंधान पद्धति

अध्ययन में द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया है, जिनमें राष्ट्रीय अभिलेखागार, बिहार राज्य अभिलेखागार, सरकारी प्रतिवेदन, जनगणना रिपोर्ट, समकालीन समाचार-पत्र, शोध-पत्र, पुस्तकें तथा प्रकाशित शोध-प्रबंध सम्मिलित हैं। उपलब्ध ऐतिहासिक तथ्यों का विषयवस्तु विश्लेषण (Content Analysis) एवं तुलनात्मक विश्लेषण (Comparative Analysis) के माध्यम से अध्ययन किया गया है। अनुसंधान का उद्देश्य वृहद मुंगेर क्षेत्र में किसान असंतोष के सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक कारणों की पहचान करना तथा उनके ऐतिहासिक प्रभावों का विश्लेषण प्रस्तुत करना है।

विश्लेषण

तालिका 1: किसान असंतोष के प्रमुख सामाजिक-आर्थिक कारण

क्रमांक	कारण	प्रभाव
1	अत्यधिक लगान	किसानों की आय में कमी एवं आर्थिक संकट
2	जमींदारी शोषण	बेदखली, उत्पीड़न एवं सामाजिक असंतोष
3	साहूकारी ऋण	ऋणग्रस्तता एवं भूमि का हस्तांतरण
4	बेगार प्रथा	श्रम का शोषण एवं सामाजिक अन्याय
5	प्राकृतिक आपदाएँ	कृषि उत्पादन में गिरावट एवं निर्धनता
6	प्रशासनिक दमन	किसान आंदोलनों एवं विद्रोहों की तीव्रता में वृद्धि

* *First Author, **Corresponding Author, ***Co-Author*

विश्लेषण: तालिका से स्पष्ट होता है कि वृहद मुंगेर में किसान असंतोष का सबसे प्रमुख कारण अत्यधिक लगान एवं जमींदारी शोषण था। साहूकारी व्यवस्था के कारण अधिकांश किसान ऋणग्रस्त हो गए, जबकि प्राकृतिक आपदाओं ने उनकी आर्थिक स्थिति को और कमजोर कर दिया। बेगार प्रथा तथा प्रशासनिक दमन ने किसानों में अन्याय के विरुद्ध प्रतिरोध की भावना को मजबूत किया। इन सभी कारणों ने मिलकर किसान आंदोलनों और विद्रोहों को जन्म दिया।

तालिका 2: किसान विद्रोहों के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

क्षेत्र	प्रमुख प्रभाव
सामाजिक	ग्रामीण चेतना, संगठन एवं अधिकारों के प्रति जागरूकता
आर्थिक	लगान सुधार की मांग एवं भूमि अधिकारों की चेतना
राजनीतिक	किसान सभाओं का विस्तार एवं राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ाव
प्रशासनिक	औपनिवेशिक नीतियों की आलोचना एवं सुधार की आवश्यकता
दीर्घकालिक	स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार एवं जमींदारी उन्मूलन की दिशा में प्रगति

विश्लेषण: उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि वृहद मुंगेर के किसान विद्रोह केवल आर्थिक संघर्ष नहीं थे, बल्कि उन्होंने ग्रामीण समाज में सामाजिक चेतना, राजनीतिक भागीदारी और संगठनात्मक शक्ति को भी विकसित किया। इन आंदोलनों ने भूमि सुधार, कृषक अधिकारों तथा जमींदारी उन्मूलन जैसी नीतियों के लिए आधार तैयार किया। अतः किसान असंतोष को केवल तत्कालीन आर्थिक संकट के रूप में नहीं, बल्कि ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन और राजनीतिक जागरण की ऐतिहासिक प्रक्रिया के रूप में भी देखा जाना चाहिए।

अध्ययन की सीमाएँ

प्रस्तुत अध्ययन वृहद मुंगेर में 1900 से 1950 के मध्य किसान असंतोष और विद्रोह के सामाजिक-आर्थिक कारणों तक सीमित है। अनुसंधान मुख्यतः ऐतिहासिक एवं द्वितीयक स्रोतों, जैसे अभिलेखीय दस्तावेज़ों, सरकारी प्रतिवेदनों, शोध-पत्रों, पुस्तकों तथा समकालीन समाचार-पत्रों पर आधारित है। उपलब्ध अभिलेखों की सीमितता, कुछ स्रोतों की अपूर्णता तथा विभिन्न दस्तावेज़ों में तथ्यों की भिन्न व्याख्याएँ अध्ययन की निष्पक्षता को आंशिक रूप से प्रभावित कर सकती हैं। अध्ययन में प्रत्यक्ष क्षेत्रीय सर्वेक्षण या मौखिक इतिहास (Oral History) का उपयोग नहीं किया गया है, क्योंकि अध्ययन का कालखंड ऐतिहासिक है। इसके अतिरिक्त, शोध का केंद्र केवल वृहद मुंगेर क्षेत्र है, इसलिए इसके निष्कर्षों को बिहार के अन्य क्षेत्रों अथवा संपूर्ण भारत के किसान आंदोलनों पर समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता। इन सीमाओं के बावजूद उपलब्ध ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर अध्ययन विषय का यथासंभव वस्तुनिष्ठ एवं समग्र विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

अध्ययन का महत्व

प्रस्तुत अध्ययन वृहद मुंगेर में 1900 से 1950 के मध्य किसान असंतोष और विद्रोह के सामाजिक-आर्थिक कारणों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में समझने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। यह शोध औपनिवेशिक शासन की भूमि-राजस्व नीतियों,

जमींदारी व्यवस्था, साहूकारी शोषण तथा ग्रामीण सामाजिक संरचना के किसानों पर पड़े प्रभावों का समग्र विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन क्षेत्र-विशिष्ट दृष्टिकोण अपनाकर वृहद मुंगेर के किसान आंदोलनों की विशिष्टताओं को उजागर करता है, जिससे बिहार के क्षेत्रीय इतिहास के अध्ययन को नई दिशा मिलती है। इसके निष्कर्ष इतिहासकारों, शोधार्थियों तथा सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। साथ ही, यह अध्ययन स्वतंत्रता आंदोलन में किसानों की भूमिका, ग्रामीण राजनीतिक चेतना के विकास तथा भूमि सुधार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने में सहायक है। यह शोध भविष्य में किसान आंदोलनों, ग्रामीण विकास, कृषि नीतियों एवं सामाजिक परिवर्तन से संबंधित अध्ययनों के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ सामग्री के रूप में भी उपयोगी सिद्ध होगा।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 1900 से 1950 के मध्य वृहद मुंगेर में किसान असंतोष और विद्रोह केवल आर्थिक कठिनाइयों की प्रतिक्रिया नहीं थे, बल्कि वे औपनिवेशिक शासन, जमींदारी व्यवस्था, साहूकारी शोषण, सामाजिक असमानता तथा प्रशासनिक दमन के विरुद्ध व्यापक जनप्रतिरोध का स्वरूप थे। अत्यधिक लगान, बेदखली, ऋणग्रस्तता, बेगार प्रथा तथा प्राकृतिक आपदाओं ने किसानों की आजीविका को गंभीर रूप से प्रभावित किया, जिससे ग्रामीण समाज में असंतोष निरंतर बढ़ता गया। इस असंतोष ने स्थानीय किसान संगठनों, किसान सभाओं तथा क्षेत्रीय नेतृत्व के माध्यम से संगठित आंदोलनों का रूप लिया। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रभाव ने किसानों में राजनीतिक चेतना का विकास किया और उनके संघर्ष को व्यापक वैचारिक आधार प्रदान किया। अध्ययन से यह भी ज्ञात होता है कि वृहद मुंगेर के किसान आंदोलनों ने केवल तत्कालीन शोषणकारी व्यवस्थाओं को चुनौती नहीं दी, बल्कि स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन तथा कृषक अधिकारों से संबंधित नीतियों के निर्माण के लिए भी अनुकूल वातावरण तैयार किया। इन आंदोलनों ने ग्रामीण समाज में संगठन, आत्मसम्मान, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों की भावना को सुदृढ़ किया। अतः वृहद मुंगेर के किसान विद्रोह भारतीय किसान आंदोलनों के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय हैं, जिन्होंने क्षेत्रीय स्तर पर सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन तथा राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्रता आंदोलन को नई शक्ति प्रदान की। यह अध्ययन क्षेत्रीय इतिहास के संरक्षण के साथ-साथ भविष्य के शोधार्थियों के लिए भी एक उपयोगी एवं प्रामाणिक आधार उपलब्ध कराता है।

संदर्भ सूची

1. चन्द्र, बिपिन. (2009). *आधुनिक भारत का इतिहास*. नई दिल्ली: ओरिएंट ब्लैकस्वान।
2. चन्द्र, बिपिन. (2010). *भारत का स्वतंत्रता संघर्ष*. नई दिल्ली: हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय।
3. गुहा, रणजीत. (2005). *उपनिवेशकालीन भारत में किसान विद्रोह के प्राथमिक पहलू*. नई दिल्ली: ग्रंथ शिल्पी।
4. धनगरे, डी. एन. (1983). *भारत में किसान आंदोलन (1880–1950)*. नई दिल्ली: वाणी प्रकाशन।
5. सिंह, के. के. (2012). *बिहार का किसान आंदोलन*. पटना: बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी।
6. प्रसाद, रामशरण. (2014). *बिहार का सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास*. पटना: जानकी प्रकाशन।
7. शर्मा, रामविलास. (2008). *भारतीय किसान और राष्ट्रीय आंदोलन*. नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन।
8. सिंह, अयोध्या. (2011). *भारतीय किसान आंदोलन का इतिहास*. इलाहाबाद: लोकभारती प्रकाशन।

9. कुमार, कपिल. (2008). *भारतीय किसान आंदोलन: इतिहास और विकास*. नई दिल्ली: ग्रंथ शिल्पी।

10. यादव, शिवपूजन. (2016). *बिहार में किसान संघर्ष और सामाजिक परिवर्तन*. पटना: बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी।

11. मिश्रा, विजय कुमार. (2015). *औपनिवेशिक बिहार की कृषि व्यवस्था*. नई दिल्ली: वाणी प्रकाशन।

12. सिन्हा, बी. पी. (2007). *बिहार का इतिहास*. पटना: बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी।

13. झा, डी. एन. (2009). *प्राचीन से आधुनिक बिहार का इतिहास*. नई दिल्ली: हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय।

14. सिंह, सच्चिदानंद. (2013). *ग्रामीण समाज और किसान आंदोलन*. पटना: जानकी प्रकाशन।

15. प्रसाद, हरिवंश. (2018). *मुंगेर का इतिहास और सांस्कृतिक विरासत*. मुंगेर: स्थानीय प्रकाशन।

16. कुमार, अरविंद. (2019). *बिहार में भूमि व्यवस्था और किसान संघर्ष*. नई दिल्ली: रावत पब्लिकेशन्स।

17. बिहार सरकार. (1952). *बिहार भूमि सुधार संबंधी प्रतिवेदन*. पटना: राजकीय प्रकाशन।

18. भारत सरकार. (1951). *भारत की जनगणना 1951: बिहार राज्य प्रतिवेदन*. नई दिल्ली: भारत सरकार प्रकाशन विभाग।

19. बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी. (2017). *बिहार का इतिहास एवं समाज*. पटना: बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी।

स्वातंत्र्योत्तर भारत की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में 'धर्मपुर लॉज' उपन्यास

पूजा धीमान
शोधार्थी, जम्मू विश्वविद्यालय
प्रो. अंजु शर्मा थापा
शोध निर्देशक, आचार्य, हिंदी विभाग, दूरस्थ शिक्षा निदेशालय, जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू

शोध सार

प्रज्ञा कृत 'धर्मपुर लॉज' समकालीन हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण उपन्यास है, जिसका प्रकाशन वर्ष 2020 में हुआ। यह मुख्यत: दिल्ली की बंद हो चुकी कपड़ा मिलों के इतिहास को केंद्र में रखकर लिखा गया है। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने की नीति के अंतर्गत न्यायालय द्वारा दिल्ली की प्रमुख कपड़ा मिलों तथा कई छोटे-बड़े कारखानों को बंद करने के आदेश दिए गये। परिणामस्वरूप 30 नवंबर 1996 को वहाँ की बिड़ला मिल को भी बंद कर दिया गया, जिससे हज़ारों श्रमिक बेरोज़गारी, आर्थिक असुरक्षा और विस्थापन जैसी गंभीर समस्याओं से जूझने के लिए विवश हुए। उपन्यास में औद्योगिक अवसान के उपरांत श्रमिक वर्ग के जीवन पर पड़े सामाजिक, आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रभावों का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया गया है।

इसके साथ ही इसमें विभाजनोत्तर विस्थापन और पुनर्वास की पीड़ा, 1983 क्रिकेट विश्वकप फाइनल में भारत की ऐतिहासिक जीत, प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी की हत्या और उसका सामाजिक प्रभाव, भोपाल गैस आपदा का उल्लेख तथा बावरी मस्जिद विध्वंस से जुड़ी घटनाओं की भी अभिव्यक्ति मिलती है।

कुंजी शब्द- *बेरोज़गारी, त्रासदी, हत्या, साम्प्रदायिक धर्मनिरपेक्ष, आत्महत्या, ऐतिहासिक, विस्थापन*

मूल आलेख- साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है, क्योंकि इसमें तत्कालीन परिस्थितियाँ,घटनाएँ और सामाजिक चेतना प्रतिबिंबित होती है। अन्य साहित्यिक विधाओं की अपेक्षा उपन्यास अपने व्यापक स्वरूप के कारण इतिहास, धर्म, संस्कृति तथा समाज के विविध आयामों को समाहित करने में अधिक सक्षम सिद्ध होता है। यही कारण है कि अनेक उपन्यास अपने समय के सामाजिक-ऐतिहासिक दस्तावेज़ के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं, जिनमें प्रज्ञा कृत 'धर्मपुर लॉज' उपन्यास भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसके केंद्र में 90 के दशक में बंद हुई दिल्ली की कपड़ा मिलों का इतिहास बंद है। इसके साथ ही इसमें स्वातंत्र्योत्तर भारत की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं तथा जनजीवन पर पड़े उनके प्रभावों का सजीव एवं यथार्थपरक चित्रण मिलता है।

15 अगस्त 1947 में हुआ भारत-विभाजन भारतीय इतिहास की सबसे दर्दनाक और व्यापक त्रासदियों में से एक है। यहाँ साम्प्रदायिक दंगे तो पहले भी होते थे, किंतु विभाजन के उपरांत इनमें और वृद्धि देखने को मिली। इस दौरान कितने

लोग मारे गए, कितने घायल हुए इसका सटीक अनुमान लगाना अत्यंत कठिन है, लेकिन यह तथ्य सर्वविदित है कि लाहौर, रावलपिंडी, सिंध, दिल्ली, गुड़गांव, अमृतसर, लुधियाना तथा जालंधर सहित अनेक क्षेत्रों में भीषण साम्प्रदायिक दंगे हुए, जिसके परिणामस्वरूप लाखों लोगों को मारकाट, लूटपाट, यौन हिंसा, असुरक्षा और विस्थापन जैसी कई समस्याओं से जूझना पड़ा।

नरेन्द्र मोहन के शब्दों में- "दिन-दहाड़े एक धर्म के लोगों ने दूसरे धर्म के लोगों का कत्ल किया। हिन्दुस्तान से पाकिस्तान जानेवाली, लोगों से खचाखच भरी हुई रेलगाड़ियाँ काट डाली गयीं। हिन्दुओं ने भारत में, खास तौर से पंजाब में मुसलमानों के घरों में तथा मुसलमानों ने पाकिस्तान में हिन्दुओं के घरों में आग लगा दी। दोनों ओर के भवन जलकर मलवे के ढेर बन गये। स्त्रियों का अपहरण हुआ, बलात्कार की घटनाएँ घटीं।"1

इस हादसे के बाद कई लोगों को अपना सर्वस्व त्याग कर भारत अथवा पाकिस्तान पलायन करना पड़ा, जिसने उनकी भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जड़ों को भी गहरे स्तर पर प्रभावित किया। नए स्थानों पर जाकर शरणार्थियों को शिक्षा, रोज़गार और सामाजिक स्वीकृति से संबंधित कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। विभाजन की पीड़ा, असुरक्षा की भावना और भय लंबे समय तक लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बने रहे। विवेच्य उपन्यास में भी इसकी मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है-

"पंजाबी मोहल्ले और शोराकोठी में ऐसे अनेक परिवार बरसों से रहते थे जो विभाजन के सदमे को पोटली में दबाकर यहाँ आये थे।... जर-जमीन से लेकर अस्मत की लूट से भरे दिन और बदले की दहाड़ से भरी रातों के गुज़रने के बाद एक ही सवाल बाकी था-उजड़ने के बाद क्या फिर से बस सकेंगे? सैंतालीस ने उन्हें ये सवाल देखकर पाकिस्तान से विदा किया था।"2

भारतीय इतिहास में 31 अक्तूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री की हत्या एक अत्यंत दुखद घटना के रूप में दर्ज है। ऑपरेशन ब्लूस्टार के बाद सिक्ख समुदाय के लोगों में सरकार के प्रति आक्रोश व्याप्त था। इसी के चलते इंदिरा गाँधी के दो सिक्ख अंगरक्षकों बेअन्त सिंह और सतवन्त सिंह ने उनके आधिकारिक आवास पर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। उपन्यास की निम्न पंक्तियों में यह प्रसंग अभिव्यक्त हुआ है-

"प्रधानमंत्री पर उनके दो बॉडीगार्डों ने गोलियाँ दाग दीं। एक झटके में सब-कुछ खत्म हो गया। वैसे भी काफी समय से पंजाब दहक रहा था। वहाँ अकाली दल कांग्रेस का विकल्प बनकर खड़ा हो गया था।... ऑपरेशन ब्लूस्टार से जुड़ी खूनी वारदातें और केन्द्र के आदेश पर फौज के कसते शिकन्जे से दोनों के बीच तनातनी बढ़ती ही गयी।"3

इस घटना के पश्चात् राजधानी दिल्ली सहित देश के कई भागों में भीषण साम्प्रदायिक दंगे भड़क उठे, जिनसे जन-जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। असामाजिक तत्व हथियारबंद होकर निर्दोष सिक्खों के विरुद्ध हिंसात्मक गतिविधियों के उद्देश्य से खुलेआम घूमने लगे। उनके घरों और दुकानों को निशाना बनाया जाने लगा। अनियंत्रित होती भीड़ को काबू में करना अत्यंत कठिन था।

उपन्यास के एक सिक्ख पात्र करतार सिंह की बेटी की शादी थी तो वो मिठाई लेकर मज़दूर नेता गुरु राधाकृष्ण के घर गया था। उसे रास्ते में ही प्रधानमंत्री की हत्या की खबर मिलती है, पर भीड़ में से ही कोई यह कहता है कि उसने मिठाई प्रधानमंत्री की मौत की खुशी में बाँटी।

" कल सालों ने शोराकोठी में लड्डू बाँटे हैं। जश्न मना रहे हैं साले। हरामी- गद्दार एक भी ज़िन्दा न बचने पाये।"4

मज़दूर नेता गुरु राधाकृष्ण भीड़ को समझाते हैं कि मिठाई उन्होंने अपनी बेटी की शादी की खुशी में बाँटी थी, इसलिए इसे मजहबी रंग न दिया जाये। वो करतार सिंह के घर जाकर उसके परिवार को सुरक्षित मुकीमपुरा अपने घर ले आते हैं और अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा थानेदार के साथ मिलकर थाने में ही उसकी बेटी की शादी करवा देते हैं। कर्फ्यू में ढील मिलते ही उन्होंने जल्दी से बेटी को विदा किया। करतार सिंह का दोस्त सुक्खा सिंह गुरु महाराज की दीड़ गुरुद्वारे वापस पहुँचाकर लौट रहा था, तो रास्ते में ही भीड़ ने उन्हें पकड़ लिया। अंधी भीड़ में से कुछ लोग उसे नीचे गिराकर मारने लगे। इतने पर भी जब मन नहीं भरा, तो उन्होंने उसपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी।

"लगभग अचेत हो चुके सुक्खा ने महसूस किया कि उस पर पानी डाला जा रहा है। जब तक वह कुछ समझने पाता उसका शरीर आग के सुपुर्द कर दिया गया था। हवा में अट्टहास के साथ चिराँध फैल गयी।"5

6 दिसंबर 1992 को अयोध्या स्थित बावरी मस्जिद का विध्वंस भारतीय इतिहास की अत्यंत विवादास्पद घटनाओं में से एक है। इस घटना ने भारतीय राजनीति को प्रभावित करने के साथ ही देश की सामाजिक संरचना और साम्प्रदायिक संबंधों पर भी गहरा प्रभाव डाला। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में पहचाना जाता था, जहाँ सभी धर्मो के लोगों को समान अधिकार और सम्मान प्राप्त था। पर इस घटना ने भारतीय धर्मनिरपेक्षता को चुनौती दी और देश की सामाजिक एकता पर प्रश्नचिन्ह खड़ा कर दिया। बावरी मस्जिद विध्वंस के बाद देश के अनेक हिस्सों में साम्प्रदायिक दंगे भड़के, जिनमें कई लोगों ने अपनी जान गवाई। इससे सामाजिक विभाजन की स्थिति उत्पन्न हुई और आर्थिक गतिविधियाँ भी प्रभावित हुई। उस समय की एक घटना का चित्रण करते हुए कुबेर दत्त जी कहते हैं-

"बाकर अली अयोध्या में खड़ाऊँ बनाया करता था। मंदिर जाने वाले भक्त इनका इस्तेमाल करते थे। बाकर अली राम का शुक्रगुज़ार था। अल्लाह भी खुश था कि उनका अनुयायी अपनी रोज़ी कमा रहा है और अयोध्या में इबादत भी कर सकता है। एक दिन उसकी दुकान खड़ाऊँओं समेत जला दी गई... मंदिर जाने वालों का क्या होगा...हे राम__।"6

'धर्मपुर लॉज' उपन्यास में भी बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि विवाद का चित्रण हुआ है। इसका प्रमुख पात्र नंदन कई बार यह सोचता है कि हमारा देश एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है, जो अपनी जड़ताओं में भी बड़ा है। यहाँ धर्म और सम्प्रदाय को देश से भी ऊपर समझा जाता है।

"अँधड़ ने अपने पहले उठान में - 'गर्व से कहो हम हिन्दू हैं' का नारा बुलन्द किया। कार सेवकों की छिड़ी मुहिम बावरी ढांचे को तोड़ने के लिए घर-घर एक ईंट- एक रुपया माँगने लगी।"7

भारतीय इतिहास की भयावह औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक भोपाल गैस त्रासदी है, जो 3 दिसंबर 1984 में मध्य प्रदेश के भोपाल में घटित हुई। कारखाने से निकली विषैली गैस के रिसाव के कारण कई लोगों की तत्काल मृत्यु हो गई, जबकि लाखों लोग इसके दुष्परिणामों के शिकार हुए। इस त्रासदी का प्रभाव इतना व्यापक रहा कि आज भी वहाँ जन्म लेने वाले बच्चों को अनेक स्वास्थ्य संबंधी विकारों का सामना करना पड़ता है।

समकालीन हिंदी लेखिका डॉ इंदिरा दांगी के उपन्यास 'विपश्यना' में इस संदर्भ को बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है-

"जो मर गये वो फ़ायदे में रहे। जो बच गये, उनका जीवन नर्क है।"8

विवेच्य उपन्यास में भी इस घटना का उल्लेख मिलता है। “आज की मीटिंग आगामी चुनावों को ध्यान में रखकर बुलायी गयी थी पर इसमें धर्म के नाम पर साम्प्रदायिकता के खूनी खेल का पुरज़ोर विरोध किया गया और साथ ही हाल ही में घटी अब तक की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना-भोपाल गैस कांड की भर्त्सना भी की गयी।”9

नब्बे के दशक में दिल्ली की कई कपड़ा मिलों तथा छोटी- बड़ी फैक्ट्रियों के बंद होने से हज़ारों मज़दूर बेरोज़गारी और आर्थिक संकट का शिकार हुए। इस परिस्थिति ने श्रमिक वर्ग के जीवन को अत्यंत गहराई से प्रभावित किया। जब मज़दूर कारखानों में काम कर भी रहे थे तब भी उनकी आर्थिक स्थिति शोचनीय ही थी। एक ओर जहाँ महँगाई निरंतर बढ़ रही थी, तो वहीं दूसरी ओर उनकी आय स्थिर बनी हुई थी। विवेच्य उपन्यास में भी मज़दूरों की आर्थिक विपन्नता चित्रित है। इसके एक पात्र मुरारी की दयनीय स्थिति का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसका छोटा बेटा बीमार होता है, पर उसके पास उपचार के लिए पैसे ही नहीं होते। वह मज़दूर नेता गुरु राधाकृष्ण से कहता है-

“गुरुजी! बेटा बहुत दिन से बीमार है। तबीयत दिनोंदिन गिर रही है। इलाज का पैसा कहाँ से लाऊँ? ऊपर से मज़दूरी है कि बढ़ती ही नहीं।”10

बीमार रवीन्दर के इलाज के लिए उसका पिता मुरारी पैसा नहीं जुटा पा रहा था। मिल से निकाल दिए जाने के पश्चात वो और उसका परिवार लिफाफा, गद्दी बनाकर घर चला रहे थे। उसे बार-बार विरोध प्रदर्शन में भी जाना पड़ता था। रवीन्दर जब घर के हालात देखता है और अपने हमउम्र बच्चों को काम पर जाता देखकर खुद को असमर्थ पाता है, तो उसे अपनी ज़िंदगी से नफरत सी हो जाती है और वो आत्महत्या कर लेता है।

“कमरे के रोशनदान से रवीन्दर की लाश उतार ली गयी पर नीचे खड़े सभी लोग उसे फंदे में झूल रहे थे कभी मुक्त न होने के लिए।”11

दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए 30 नवंबर 1996 को वहाँ की बिड़ला मिल को बंद करके हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थानांतरित कर दिया गया। वहाँ मिल की स्थापना एक सीमित क्षेत्र में की गई थी, जिसके कारण मजदूरों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्हें मिल के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा था। सुबह से दोपहर तक वे खाने की तलाश में भटकते रहे, पर न ही उनके खाने और न ही रहने की कोई उचित व्यवस्था की गयी थी। यहाँ तक कि इतनी दूर आने के बाद उनकी ज्वॉइनिंग तक नहीं हो पा रही थी।

“मज़दूरों के रेले पर रेले चले आ रहे थे पर किसी की भी ज्वाइनिंग नहीं हो रही थी।”12

वहाँ रहने का उचित प्रबंध न होने के कारण रात में मज़दूरों को टेंटों में सुलाया गया। ऐसी परिस्थिति में वे अपने परिवारों को यहाँ लाने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। रात में एक मज़दूर की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। कुछ मज़दूर यहाँ-वहाँ दौड़ते हैं, पर उन्हें पास कोई अस्पताल नज़र नहीं आता। वे गार्ड के पास जाकर उससे भी मदद माँगते हैं, परंतु उनके हाथ निराशा ही लगती है और सुबह तक का इंतज़ार करने के सिवाय उनके पास कोई विकल्प नहीं बचता। पर सुबह होने तक उनके मज़दूर साथी भारत की मृत्यु हो जाती है। मैनेजमेंट उसकी मृत्यु का कोई हर्जाना नहीं देता। जब उन्हें कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलती, तो वे सब पैसे इकट्ठा करके लाश को उसके घर तक पहुँचाने का इंतज़ाम करते हैं।

“गुस्सा जब पत्थरों को पिघला न सका तो मजदूरों ने देर करना मुनासिब नहीं समझा। मिलजुलकर चन्दा किया और एम्ब्युलेन्स मँगवाई।”13

1983 में भारत द्वारा क्रिकेट विश्व कप की ऐतिहासिक विजय भारतीय खेल इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। 25 जून 1983 में भारत ने एकदिवसीय क्रिकेट विश्वकप फाइनल मुकाबले में वेस्टइंडीज़ को पराजित कर पहली बार विश्वकप का खिताब अपने नाम दर्ज किया था। इस विजय ने भारतीयों में उत्साह और गौरव की अभूतपूर्व भावना का संचार किया। उपन्यास में भी इस घटना का चित्रण हुआ है।

इसका एक पात्र टिल्लू क्रिकेट का बड़ा शौकीन था। मैच के दौरान वह सदैव अपने साथ एक छोटा ट्रांज़िस्टर रखता था, जिसके माध्यम से वह मैच की प्रत्येक गतिविधि से जुड़ा रहता। विश्वकप फाइनल को लेकर भी वह विशेष उत्साहित था। उसकी इच्छा थी कि वह सभी लोगों के साथ मिलकर टी.वी. पर यह मुकाबला देखे, किंतु आर्थिक रूप से असमर्थ होने के कारण वह अपनी इच्छा भाईजी के समक्ष प्रकट करता है।

"ठाकुर जी! मैच अगर कटरे में हो जाये तो कटरा मरते समय तक आपके पैर धोकर पियेगा। लड़के-आदमी सब क्रिकेट के दीवाने हैं। दिन-रात मैच के सिवा कोई बात नहीं रह गयी है....फिर कटरे में टी.वी. भी कहाँ है?"14

भाई जी टिल्लू की इस बात को स्वीकार कर लेते हैं और यह तय होता है कि वर्ल्ड कप फाइनल मैच का प्रसारण सभी लोग एकत्रित होकर उन्हीं के कटरे में देखेंगे। उनकी दुकान से आगे वाली टी.वी., वी.सी.आर. की दुकान से किराए पर टी.वी मँगवाकर मैच दिखाए जाने का निर्णय लिया गया। भाई जी के कटरे में उस दिन रौनक लग गई।

"कटरे में किसी मेले जैसा माहौल बन गया। क्या लड़के, क्या आदमी, क्या अधेड़ ,क्या बूढ़े, क्या बच्चे... सभी झूमने लगे।"15

भाईजी के कटरे में सभी लोग इकट्ठे होकर मैच देख रहे थे। इस दौरान जब भारतीय खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, तो युवा वर्ग उन्हें सलाह देने लगता, पुरुष टोटकों का सहारा लेते और महिलाएँ उनकी जीत के लिए ईश्वर से प्रार्थना करतीं। अतः सामूहिक उत्साह, विश्वास और शुभकामनाओं के बीच भारत विजय प्राप्त करता है।

"भारत के कप्तान कपिल देव के हाथ में जीत की ट्रॉफी देखकर भाईजी के सारे पैसे वसूल हो गये।"16

अतः कहा जा सकता है कि 'धर्मपुर लॉज' उपन्यास में लेखिका ने स्वातंत्र्योत्तर भारत की प्रमुख घटनाओं को अत्यंत कुशलता के साथ कथा-सूत्र में पिरोया है। इसमें कहीं भी घटनाओं का अनावश्यक आरोपण या विस्तार दिखाई नहीं देता। वे कथा-प्रवाह का स्वाभाविक हिस्सा बनकर उभरती हैं। उपन्यास में चित्रित घटनाओं के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि देश में घटित होने वाली कोई भी घटना किसी एक क्षेत्र, वर्ग या समुदाय तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उसका प्रभाव प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से समूचे राष्ट्र पर पड़ता है। चाहे वो विश्व कप विजय जैसी गौरवपूर्ण उपलब्धि हो, भोपाल गैस त्रासदी जैसी आपदा, साम्प्रदायिक हिंसा, राजनीतिक उथल-पुथल, औद्योगिक अवसान अथवा अन्य कोई भी राष्ट्रीय घटना- जनसामान्य के जीवन,भावनाओं और सामाजिक परिवेश को गहराई से प्रभावित करती है। इस प्रकार यह उपन्यास इतिहास और जनजीवन के अंतर्संबंधों को प्रभावशाली ढंग से उद्घाटित करता है।

संदर्भ-

1. नरेन्द्र मोहन, विभाजन की त्रासदी: भारतीय कथादृष्टि, पृ.22, संस्करण 2010
2. प्रज्ञा, धर्मपुर लॉज, पृ.119, संस्करण 2020

3. वही,पृ.121
4. वही,पृ.122
5. वही,पृ.125
6. राम पुनियानी एवं शरद शर्मा, साम्प्रदायिकता ए ग्राफिक एकाउंट, पृ.17, संस्करण 2011
7. प्रज्ञा, धर्मपुर लॉज, पृ.211, संस्करण 2020
8. इंदिरा दांगी, विपश्यना, पृ.96, संस्करण 2023
9. प्रज्ञा, धर्मपुर लॉज, पृ.136, संस्करण 2020
10. वही, पृ.173
11. वही, पृ.218
12. वही, पृ.228
13. वही, पृ.229
14. वही, पृ.87
15. वही, पृ.87
16. वही,पृ.89

देवगढ़ की जैन कला: ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देवी सरस्वती का सांस्कृतिक महत्त्व

डॉ. छाया यादव
प्राचीन इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग, दीनदयाल उपाध्याय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर
सुमित गुप्ता
प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्त्व विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

सारांश:

भारतीय धार्मिक एवं कलात्मक परम्पराओं में देवी सरस्वती की उपासना ने विभिन्न सम्प्रदायों में विशिष्ट स्वरूप ग्रहण किया। जैन परम्परा में श्रुतदेवता के रूप में प्रतिष्ठित सरस्वती की प्रतिमाएँ ज्ञान, वाणी और आगमिक परम्परा की प्रतीक हैं। देवगढ़ की जैन कला में उपलब्ध सरस्वती प्रतिमाएँ इस सांस्कृतिक विकास और प्रतिमा-विधान की महत्वपूर्ण कड़ी प्रस्तुत करती हैं। प्रस्तुत शोध-पत्र का उद्देश्य देवगढ़ की जैन कला में अंकित देवी सरस्वती के स्वरूप, प्रतिमालक्षण, प्रतीकों तथा उनके धार्मिक एवं सांस्कृतिक आशयों का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करना है। इस शोध में देवगढ़ की जैन मूर्तियों एवं स्थापत्य अवशेषों का ऐतिहासिक, प्रतिमा-वैज्ञानिक एवं तुलनात्मक दृष्टि से विश्लेषण किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि जैन परम्परा में सरस्वती केवल विद्या की देवी नहीं, बल्कि श्रुतज्ञान, आगमिक परम्परा एवं बौद्धिक साधना की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उनकी प्रतिमाओं में पुस्तक, वीणा, हंस एवं मयूर जैसे प्रतीकों का प्रयोग ज्ञान, कला एवं आध्यात्मिक चेतना के समन्वय को व्यक्त करता है। तीर्थंकरों, यक्ष-यक्षियों, उपाध्यायों एवं जैन साधु-परम्परा के साथ उनका अंकन जैन समाज में ज्ञान एवं शिक्षा के महत्त्व को दर्शाता है। देवगढ़ की जैन कला में देवी सरस्वती का स्वरूप प्रतिमा-विज्ञान की दृष्टि से विकसित एवं विशिष्ट दिखाई देता है। यहाँ उनकी उपस्थिति धार्मिक आस्था के साथ-साथ मध्यकालीन जैन समाज की बौद्धिक चेतना, शास्त्रीय परम्परा एवं सांस्कृतिक विकास का प्रमाण प्रस्तुत करती है। प्रस्तुत अध्ययन देवगढ़ को जैन कला में देवी सरस्वती के स्वरूप एवं विकास के अध्ययन का एक महत्त्वपूर्ण केन्द्र स्थापित करता है।

मुख्य शब्दरू देवगढ़, जैन मूर्तिकला, देवी सरस्वती, श्रुतदेवता, प्रतिमा-विज्ञान, जैन ज्ञान-परम्परा, मध्यकालीन कला।

देवगढ़ भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के ललितपुर जनपद में स्थित एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक एवं पुरातात्त्विक स्थल है। यह उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की सीमा के निकट अवस्थित है तथा भौगोलिक दृष्टि से बुंदेलखंड क्षेत्र का अभिन्न अंग है। यह स्थल बेतवा नदी की घाटी में, नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। बेतवा नदी द्वारा तीन ओर से परिवेष्ठित होने के कारण देवगढ़ को प्राकृतिक सुरक्षा प्राप्त थी, जिसने इसके ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।देवगढ़ के भौगोलिक निर्देशांक 24°31'38" उत्तरी अक्षांश तथा 78°14'24" पूर्वी देशांतर हैं। यह स्थल झांसी से लगभग 125 किमी दक्षिण-पूर्व तथा ललितपुर नगर से लगभग 30 किमी की दूरी पर स्थित है। इसके अतिरिक्त, यह

ग्वालियर से लगभग 250 किमी दक्षिण तथा भोपाल से लगभग 230 किमी उत्तर-पूर्व में अवस्थित है। समुद्र तल से इसकी औसत ऊँचाई लगभग 211 मीटर है। स्थल का भू-भाग नदी की ओर क्रमिक ढाल लिए हुए है तथा इसके चारों ओर घने वन क्षेत्र एवं बुंदेलखंड की पहाड़ियाँ विद्यमान हैं।

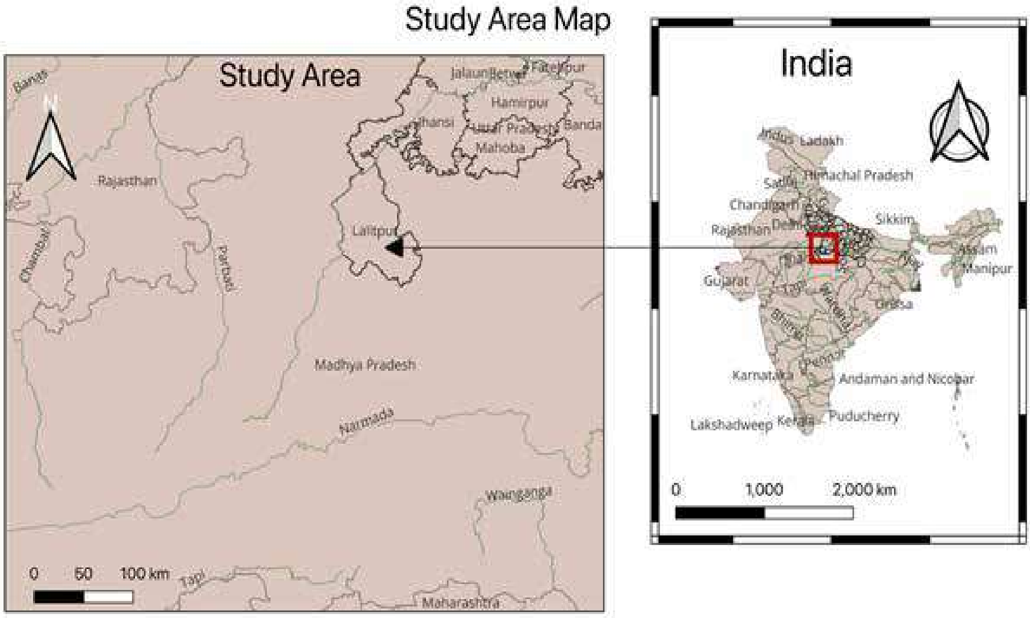

चित्र-1: ललितपुर जनपद का भौगोलिक विस्तार

भारतीय कला परम्परा में देवगढ़ जैन मूर्तिकला का एक प्रमुख केन्द्र है, जहाँ गुप्तोत्तर एवं प्रारम्भिक मध्यकाल में जैन धर्म से सम्बद्ध उत्कृष्ट शिल्पकृतियों का निर्माण हुआ। यहाँ प्राप्त तीर्थंकर प्रतिमाओं के साथ देवी-देवताओं की मूर्तियाँ जैन धार्मिक विचार, कलात्मक परम्परा तथा सांस्कृतिक समन्वय का सशक्त प्रमाण प्रस्तुत करती हैं। इनमें देवी सरस्वती का स्थान विशेष महत्त्व रखता है, जिन्हें जैन परम्परा में श्रुतदेवी अथवा ज्ञान की अधिष्ठात्री के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। यद्यपि भारतीय कला इतिहास में देवी सरस्वती के वैदिक एवं ब्राह्मणीय स्वरूप पर पर्याप्त अध्ययन उपलब्ध हैं, किन्तु देवगढ़ की जैन कला में उनके प्रतिमा-विज्ञान एवं सांस्कृतिक महत्त्व पर अपेक्षाकृत सीमित शोध हुआ है। देवगढ़ से प्राप्त सरस्वती प्रतिमाएँ न केवल जैन धार्मिक दर्शन में ज्ञान और विद्या की अवधारणा को अभिव्यक्त करती हैं, बल्कि वे भारतीय मूर्तिकला के शैलीगत विकास, क्षेत्रीय कलात्मक विशेषताओं तथा धार्मिक-सांस्कृतिक अंतःक्रिया को भी प्रतिबिंबित करती हैं। प्रस्तुत शोध-पत्र का उद्देश्य देवगढ़ की जैन कला के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देवी सरस्वती की प्रतिमाओं का

प्रतिमा-वैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए उनके धार्मिक, सांस्कृतिक एवं कलात्मक महत्त्व का मूल्यांकन करना है। यह अध्ययन देवगढ़ की जैन कला में निहित ज्ञान-परम्परा, प्रतीकात्मकता तथा भारतीय सांस्कृतिक समन्वय की परम्परा को ऐतिहासिक दृष्टि से समझने का एक प्रयास है।

देवगढ़ की कला के ऐतिहासिक, स्थापत्य एवं प्रतिमा-वैज्ञानिक महत्त्व के कारण अनेक विद्वानों ने इसका अध्ययन किया है। इन अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि देवगढ़ केवल धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि उत्तर भारत की मूर्तिकला, स्थापत्य एवं सांस्कृतिक परम्परा का एकप्रमुख केन्द्र रहा है। विद्वानों के मत देवगढ़ की कला के विविध आयामों को समझने में महत्त्वपूर्ण आधार प्रदान करते हैं।

- ए. एल. बाशम के अनुसार, देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्तकालीन भारतीय कला की सर्वश्रेष्ठ कलात्मक उपलब्धियों में से एक है, जो भारतीय मंदिर स्थापत्य के परिपक्व रूपका प्रतिनिधित्व करता है।[1]
- पर्सी ब्राउन ने देवगढ़ के गुप्तकालीन मंदिर को भारतीय स्थापत्य एवं मूर्तिकला की उत्कृष्ट कृति माना है, जिसमें शिल्प-कौशल और कलात्मक परिपक्वता का अद्वितीय समन्वय दिखाई देता है।[2]
- कृष्ण देव के अनुसार, देवगढ़ उत्तर भारत में गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य तथा मूर्तिकला के विकास का एकप्रमुख केन्द्र है, जहाँ स्थापत्य, मूर्तिकला और प्रतिमा-विज्ञान का उत्कृष्ट समन्वय मिलता है।[3]
- क्लाउस ब्रून ने देवगढ़ को उत्तर भारत की जैन प्रतिमा-विज्ञान के अध्ययन का सबसे महत्त्वपूर्ण केन्द्रों में से एक माना है। उनका मत है कि देवगढ़ की जैन प्रतिमाएँ मध्यकालीन जैन कला के विकास को समझने की आधारभूत सामग्री प्रदान करती हैं।[4]

इस प्रकार विभिन्न विद्वानों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि देवगढ़ भारतीय कला इतिहास में एक विशिष्ट स्थान रखता है। यहाँ उपलब्ध जैन प्रतिमाएँ न केवल धार्मिक आस्था का प्रतिनिधित्व करती हैं, बल्कि तत्कालीन सामाजिक, सांस्कृतिक एवं कलात्मक विकास की भी महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति हैं।

देवगढ़ भारतीय कला के इतिहास में एक ऐसे सांस्कृतिक केन्द्र के रूप में प्रतिष्ठित है, जहाँ गुप्तकाल से लेकर मध्यकाल तक कला, स्थापत्य एवं मूर्तिकला का निरन्तर विकास हुआ।5 बेतवा नदी के तट पर स्थित यह स्थल केवल अपने गुप्तकालीन दशावतार मंदिर के कारण ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि यहाँ निर्मित विशाल जैन मंदिर-समूह तथा असंख्य मूर्तियाँ इसे उत्तर भारत की मूर्तिकला परम्परा का एक अद्वितीय केन्द्र बनाती हैं।6 देवगढ़ की कला में गुप्तकालीन शिल्प की कोमलता, संतुलित अनुपात, आध्यात्मिक सौन्दर्य तथा भावाभिव्यक्ति के साथ-साथ मध्यकालीन जैन कला की अलंकरण-प्रधान शैली का भी समन्वय दिखाई देता है। यहाँ की प्रतिमाएँ केवल धार्मिक उपासना का माध्यम नहीं हैं, बल्कि वे तत्कालीन समाज, दर्शन, ज्ञान-परम्परा तथा सांस्कृतिक समन्वय की सशक्त अभिव्यक्ति भी हैं। विशेषतः जैन प्रतिमाओं में आध्यात्मिक शान्ति, वीतरागता और प्रतीकात्मकता का जो उत्कृष्ट स्वरूप अंकित हुआ है, वह भारतीय प्रतिमा-विज्ञान के विकास को समझने की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।7 यही कारण है कि देवगढ़ भारतीय कला इतिहास में एक ऐसे केन्द्र के रूप में स्थापित होता है, जहाँ धर्म, दर्शन और शिल्प-कौशल का अद्भुत समन्वय दृष्टिगोचर होता है तथा जिसने उत्तर भारतीय मूर्तिकला की परम्परा को स्थायी रूप से समृद्ध किया।

देवगढ़ के जैन मंदिरों में देवी सरस्वती का अंकन अनेक मंदिरों के स्तम्भों, द्वार-उत्तरंगों तथा परिकरों में प्राप्त होता है,

जिससे स्पष्ट होता है कि जैन परम्परा में उन्हें ज्ञान एवं विद्या की अधिष्ठात्री देवी के रूप में विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त थी।8 मंदिर संख्या 1 में त्रितीर्थी जिन प्रतिमाओं के साथ चतुर्भुजा सरस्वती का अंकन उल्लेखनीय है। मंदिर संख्या 4, 5, 11, 12, 16, 18, 19, 29 तथा 31 में भी सरस्वती विभिन्न रूपों में उत्कीर्ण हैं। अधिकांश प्रतिमाओं में वे पुस्तक एवं वीणा धारण किए हुए चतुर्भुजा रूप में प्रदर्शित हैं, जबकि कुछ स्थानों पर हंसवाहिनी स्वरूप भी दृष्टिगत होता है। विशेष रूप से मंदिर संख्या 12 (शांतिनाथ मंदिर) के गर्भगृह के द्वार-उत्तरंग पर चक्रेश्वरी, लक्ष्मी एवं अम्बिका के साथ सरस्वती का समावेश जैन देवमण्डल में उनके महत्त्व को स्पष्ट करता है। इसी प्रकार मंदिर संख्या 11 एवं 18 के द्वार-उत्तरंगों तथा मंदिर संख्या 19 की मूर्ति में सरस्वती का उपाध्यायों एवं ज्ञान-परम्परा से सम्बन्धित अंकन यह प्रमाणित करता है कि जैन धर्म में उन्हें केवल एक देवी नहीं, बल्कि शास्त्र, विद्या और आध्यात्मिक ज्ञान की प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। देवगढ़ की सरस्वती प्रतिमाएँ प्रतिहार एवं चन्देल कला-परम्पराओं के प्रभाव, उत्कृष्ट शिल्पकौशल तथा जैन प्रतिमा-विज्ञान के विकास को भी अभिव्यक्त करती हैं।9

मंदिर संख्या 1 में देवी सरस्वती का अंकन

देवगढ़ का मंदिर संख्या 1 वर्तमान में अपने मूल स्वरूप में सुरक्षित नहीं है। इसके केवल अधिष्ठान, कुछ स्तम्भ तथा उन पर उत्कीर्ण मूर्तियाँ ही उपलब्ध हैं। स्थापत्य एवं मूर्तिकला के आधार पर इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी ईस्वी में माना जाता है। यद्यपि मंदिर का अधिकांश भाग नष्ट हो चुका है, तथापि उपलब्ध अवशेष इसकी कलात्मक एवं धार्मिक महत्ता को स्पष्ट करते हैं। मंदिर एवं उसके स्तम्भों से कुल 28 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जो इसके ऐतिहासिक महत्त्व के साथ-साथ तत्कालीन जैन धार्मिक गतिविधियों का भी संकेत देते हैं। स्तम्भों पर सर्वानुभूति, पद्मावती, चक्रेश्वरी, क्षेत्रपाल, अम्बिका तथा सरस्वती के अतिरिक्त विभिन्न तीर्थंकरों एवं उपाध्यायों की आकृतियाँ उत्कीर्ण हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जैन देवमंडल में देवी सरस्वती को एक सम्मानित स्थान प्राप्त था तथा उनका संबंध ज्ञान, शास्त्र एवं धार्मिक परम्परा से स्थापित हो चुका था। मंदिर की पूर्वी एवं पश्चिमी भित्तियों पर उत्कीर्ण त्रितीर्थी प्रतिमाएँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन प्रतिमाओं में एक उदाहरण ऐसा है जिसमें तीर्थंकरों के साथ चतुर्भुजा देवी सरस्वती का अंकन किया गया है। यह अंकन जैन प्रतिमा-विज्ञान की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ज्ञात होता है कि मध्यकालीन जैन कला में सरस्वती केवल विद्या की अधिष्ठात्री देवी के रूप में ही नहीं, बल्कि जैन धार्मिक परम्परा की एक अभिन्न देवी के रूप में भी प्रतिष्ठित थीं। मंदिर में ऋषभनाथ, शांतिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ एवं महावीर की प्रतिमाएँ भी प्राप्त होती हैं। इनके साथ सरस्वती की उपस्थिति इस तथ्य को पुष्ट करती है कि देवगढ़ के जैन मंदिरों में ज्ञान, धर्मोपदेश तथा शास्त्र-परम्परा को विशेष महत्त्व दिया जाता था। अतः मंदिर संख्या 1 में प्राप्त सरस्वती का अंकन जैन धर्म में उनके विकसित स्वरूप तथा मध्यकालीन जैन कला में उनके बढ़ते धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्त्व का सशक्त प्रमाण प्रस्तुत करता है।

मंदिर संख्या 4 में देवी सरस्वती का अंकन

मंदिर संख्या 4 का अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि यह 11वींदृ12वीं शताब्दी ईस्वी का एक महत्वपूर्ण जैन मंदिर है, जिसकी तिथि निर्धारण में संवत् 1207 (1150 ई.) तथा संवत् 1224 (1167 ई.) के स्तम्भलेख महत्वपूर्ण आधार प्रदान करते हैं। मंदिर से प्राप्त 15 अभिलेख इसके ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्त्व को प्रमाणित करते हैं। इस मंदिर के विभिन्न स्तम्भों पर तीर्थंकरों एवं पुस्तकधारी उपाध्यायों के साथ चक्रेश्वरी, अम्बिका, सरस्वती तथा क्षेत्रपाल की प्रतिमाओं का अंकन विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पुस्तकधारी उपाध्यायों के साथ देवी सरस्वती की उपस्थिति यह संकेत करती है कि जैन परम्परा में

उन्हें ज्ञान, विद्या, शास्त्र तथा आगमिक अध्ययन की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त थी। साथ ही, तीर्थंकरों एवं अन्य जैन देवताओं के साथ उनका अंकन जैन देवमण्डल में उनके विशिष्ट स्थान को भी रेखांकित करता है। मंदिर की उत्कृष्ट मूर्तिकला, अलंकृत स्तम्भ तथा द्वार पर लक्ष्मी, अम्बिका, गंगा एवं यमुना का अंकन मध्यकालीन जैन कला में धार्मिक एवं सांस्कृतिक समन्वय का परिचायक है। अतः मंदिर संख्या 4 में अंकित सरस्वती की प्रतिमा मध्यकालीन जैन प्रतिमा-विज्ञान में उनके विकसित स्वरूप तथा जैन ज्ञान-परम्परा में उनके महत्त्वपूर्ण स्थान का सशक्त प्रमाण प्रस्तुत करती है।10

मंदिर संख्या 5 में देवी सरस्वती

देवगढ़ का मंदिर संख्या 5, जिसे स्थानीय परम्परा में श्ह्मघुगुत्ती मंदिरश् तथा शसहस्रकूट चैत्यालयश् के नाम से भी जाना जाता है, जैन स्थापत्य एवं प्रतिमा-विज्ञान की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्मारक है। संवत् 1120 (1063 ई.) के अभिलेख तथा इसकी स्थापत्य शैली के आधार पर इसका निर्माण 11वीं शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्द्ध में माना जाता है।11 यह सर्वतोभद्र योजना पर निर्मित मंदिर है, जिसके गर्भगृह में सहस्रबिम्ब स्तम्भ स्थापित है। इस स्तम्भ पर ध्यानस्थ एवं कायोत्सर्ग मुद्राओं में 1008 जिन प्रतिमाओं का अंकन जैन कला की उत्कृष्ट परम्परा का परिचायक है। मंदिर के विभिन्न भागों में समय-समय पर हुए पुनर्निर्माण के प्रमाण भी प्राप्त होते हैं, जिससे इसकी दीर्घकालीन धार्मिक उपयोगिता स्पष्ट होती है। देवी सरस्वती के संदर्भ में मंदिर संख्या 5 विशेष महत्त्व रखता है। मंदिर के पूर्व एवं पश्चिम दिशा के अलंकृत प्रवेशद्वारों पर गंगा एवं यमुना के साथ अम्बिका, चक्रेश्वरी, सरस्वती तथा नवग्रहों की आकृतियाँ उत्कीर्ण हैं।12 यह अंकन दर्शाता है कि मध्यकालीन जैन मंदिरों में सरस्वती को केवल एक अलंकरणात्मक देवी के रूप में नहीं, बल्कि ज्ञान, विद्या एवं शास्त्र की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त था। जैन परम्परा में सरस्वती का संबंध श्रुत (आगम), अध्ययन एवं ज्ञान से माना जाता है, इसलिए उनका प्रवेशद्वार पर अंकन मंदिर में प्रवेश करने वाले साधकों के लिए ज्ञान एवं धर्म की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति भी माना जा सकता है।13 गर्भगृह के सहस्रबिम्ब स्तम्भ पर विभिन्न दिशाओं में यक्ष-यक्षियों का अंकन भी उल्लेखनीय है। दक्षिण दिशा में पुस्तकधारिणी चतुर्भुजा यक्षी का उल्लेख मिलता है, जो विद्या एवं शास्त्र से संबद्ध प्रतीकात्मक स्वरूप को व्यक्त करती है।14 यद्यपि ग्रंथ में इस यक्षी की स्पष्ट पहचान सरस्वती के रूप में नहीं की गई है, तथापि पुस्तक धारण करने के कारण यह प्रतिमा ज्ञान-परम्परा के प्रतीक रूप में महत्त्वपूर्ण है। अतः इसकी पहचान करते समय ग्रंथ में उपलब्ध विवरण का ही अनुसरण करना अधिक उपयुक्त होगा। इस प्रकार मंदिर संख्या 5 में सरस्वती का अंकन यह प्रमाणित करता है कि 11वीं शताब्दी तक जैन धार्मिक कला में देवी सरस्वती का स्थान सुदृढ़ हो चुका था। अम्बिका एवं चक्रेश्वरी जैसी प्रमुख जैन देवियों के साथ उनका अंकन जैन देवमण्डल में उनकी प्रतिष्ठा को व्यक्त करता है। साथ ही, ज्ञान एवं शास्त्र की अधिष्ठात्री देवी के रूप में उनकी उपस्थिति यह भी स्पष्ट करती है कि मध्यकालीन जैन समाज में धार्मिक शिक्षा, आगमिक अध्ययन तथा विद्या-परम्परा को विशेष महत्त्व प्रदान किया जाता था। इसलिए मंदिर संख्या 5 जैन प्रतिमा-विज्ञान में देवी सरस्वती के विकसित स्वरूप के अध्ययन हेतु एक महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में देखा जा सकता है।

मंदिर संख्या 11 में देवी सरस्वती

देवगढ़ का मंदिर संख्या 11 मध्यकालीन जैन स्थापत्य एवं प्रतिमा-विज्ञान का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। द्वितल (दो-मंजिला) योजना, अलंकृत प्रवेशद्वार तथा खजुराहो के चन्देलकालीन मंदिरों से स्थापत्यगत समानता के कारण यह मंदिर विशेष महत्त्व रखता है। मानस्तम्भ पर उत्कीर्ण संवत् 1116 (1059 ई.) तथा मंदिर से प्राप्त अन्य अभिलेखों के आधार पर इसका निर्माण 11वीं शताब्दी ईस्वी में माना जाता है। मंदिर में प्राप्त कुल 21 अभिलेख इसके ऐतिहासिक विकास तथा धार्मिक गतिविधियों के महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं।15देवी सरस्वती की दृष्टि से मंदिर संख्या 11 अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि मंदिर

के दोनों तलों के प्रवेशद्वारों के उत्तरंग पर उनका अंकन प्राप्त होता है। प्रथम तल के उत्तरंग पर मध्य में सप्तफणी छत्र से युक्त ध्यानस्थ पार्श्वनाथ की प्रतिमा उत्कीर्ण है, जबकि दोनों छोरों पर क्रमशः चतुर्भुजा चक्रेश्वरी तथा वीणा एवं पुस्तकधारिणी सरस्वती का अंकन किया गया है। सरस्वती के हाथों में वीणा एवं पुस्तक का होना उनके ज्ञान, विद्या, संगीत तथा शास्त्र की अधिष्ठात्री देवी होने का स्पष्ट प्रतीक है। जैन प्रतिमा-विज्ञान में यह स्वरूप श्रुतदेवी की अवधारणा से भी सम्बद्ध माना जाता है, जो जैन आगम एवं ज्ञान-परम्परा की संरक्षिका मानी जाती हैं।16 मंदिर के द्वितीय तल के प्रवेशद्वार पर भी मध्य में ध्यानस्थ पार्श्वनाथ तथा दोनों ओर क्रमशः अम्बिका एवं सरस्वती का अंकन किया गया है। दोनों तलों पर सरस्वती की पुनरावृत्ति यह संकेत करती है कि मंदिर की धार्मिक योजना में उन्हें विशिष्ट स्थान प्रदान किया गया था। यह केवल अलंकरण का भाग नहीं है, बल्कि जैन धर्म में ज्ञान एवं शास्त्र की परम्परा को प्रदर्शित करने वाली एक महत्वपूर्ण धार्मिक अभिव्यक्ति भी है। पार्श्वनाथ, चक्रेश्वरी, अम्बिका तथा सरस्वती का संयुक्त अंकन जैन देवमण्डल में देवी सरस्वती की प्रतिष्ठित स्थिति तथा उनके विकसित प्रतिमा-विज्ञान का सशक्त प्रमाण प्रस्तुत करता है।17 इस प्रकार मंदिर संख्या 11 यह प्रमाणित करता है कि 11वीं शताब्दी तक देवगढ़ की जैन कला में देवी सरस्वती को ज्ञान, विद्या एवं आगमिक परम्परा की अधिष्ठात्री देवी के रूप में पूर्ण प्रतिष्ठा प्राप्त हो चुकी थी। वीणा एवं पुस्तकधारिणी रूप में उनका अंकन न केवल उनकी पारम्परिक पहचान को पुष्ट करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि मध्यकालीन जैन समाज में ज्ञान और धर्म के संरक्षण में सरस्वती की भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानी जाती थी।18

मंदिर संख्या 12 में देवी सरस्वती

देवगढ़ का मंदिर संख्या 12, जिसे शांतिनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है, जैन स्थापत्य एवं प्रतिमा-विज्ञान की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्मारक है। यद्यपि यह मंदिर मूलतः शांतिनाथ को समर्पित है, तथापि इसके द्वार-अलंकरण एवं मूर्तिशिल्प में देवी सरस्वती का अंकन विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अभिलेखीय एवं स्थापत्य साक्ष्यों के आधार पर मंदिर का प्रारम्भिक निर्माण आठवींदृनवीं शताब्दी ईस्वी में माना जाता है, जबकि इसके गर्भगृह एवं अर्धमण्डप के प्रवेशद्वारों का निर्माण चन्देल काल में 10वींदृ11वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य सम्पन्न हुआ।

मंदिर के गर्भगृह के प्रवेशद्वार के उत्तरंग पर जैन प्रतिमा-विज्ञान का अत्यंत समृद्ध एवं सुव्यवस्थित अंकन प्राप्त होता है। इसके मध्य भाग में वृषभ-लांछनयुक्त ऋषभनाथ की प्रतिमा, दोनों ओर नवग्रह तथा शीर्ष भाग में चैबीस तीर्थंकरों एवं सोलह मांगलिक स्वप्नों का अंकन किया गया है। इसी उत्तरंग के दाहिने छोर पर पुस्तक एवं वीणा धारण किए हुए चतुर्भुजा सरस्वती की प्रतिमा उत्कीर्ण है, जबकि उनके ऊपर आम्रलुम्बि एवं बालक सहित अम्बिका का अंकन प्राप्त होता है। दूसरी ओर पद्मधारिणी लक्ष्मी तथा उनके ऊपर चक्रेश्वरी का अंकन किया गया है। यह संयोजन स्पष्ट करता है कि चन्देलकालीन जैन मंदिरों में प्रमुख जैन देवियों को एक सुविचारित धार्मिक योजना के अंतर्गत प्रतिष्ठित किया गया था। सरस्वती का पुस्तक एवं वीणा धारण करने वाला चतुर्भुज स्वरूप जैन प्रतिमा-विज्ञान में उनके परिपक्व रूप का द्योतक है। पुस्तक उन्हें ज्ञान, आगम एवं शास्त्र की अधिष्ठात्री देवी के रूप में स्थापित करती है, जबकि वीणा कला, संगीत एवं सांस्कृतिक परिष्कार का प्रतीक है। जैन परम्परा में सरस्वती को श्रुतदेवी के रूप में मान्यता प्राप्त है, अतः उनका यह स्वरूप जैन आगमिक परम्परा, अध्ययन तथा ज्ञान-संरक्षण से उनके घनिष्ठ संबंध को व्यक्त करता है। मंदिर की द्वारशाखाओं पर पुस्तकधारी उपाध्यायों का अंकन भी विशेष उल्लेखनीय है। उपाध्याय एवं सरस्वती का एक ही प्रवेशद्वार पर अंकित होना केवल कलात्मक संयोजन नहीं है, बल्कि यह जैन धर्म में ज्ञान, शिक्षा एवं शास्त्र-अध्ययन की सुदृढ़ परम्परा का प्रतीक है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मध्यकालीन जैन समाज में धार्मिक ज्ञान एवं आगमिक अध्ययन को अत्यधिक महत्त्व दिया जाता था तथा

देवी सरस्वती को उसी ज्ञान-परम्परा की अधिष्ठात्री शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। इस प्रकार मंदिर संख्या 12 में अंकित सरस्वती की प्रतिमा न केवल जैन प्रतिमा-विज्ञान में उनके विकसित स्वरूप का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है, बल्कि यह भी प्रमाणित करती है कि प्रतिहार एवं चन्देल काल तक जैन धार्मिक कला में सरस्वती को ज्ञान, विद्या, शास्त्र एवं कला की अधिष्ठात्री देवी के रूप में विशिष्ट स्थान प्राप्त हो चुका था। देवगढ़ के जैन मंदिरों में उपलब्ध सरस्वती की प्रतिमाओं में मंदिर संख्या 12 का यह अंकन कलात्मक परिपक्वता, धार्मिक प्रतीकवाद तथा प्रतिमा-वैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण माना जा सकता है।

मंदिर संख्या 16 में देवी सरस्वती

देवगढ़ का मंदिर संख्या 16 मध्यकालीन जैन स्थापत्य एवं मूर्तिकला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। स्थापत्य एवं अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर इसका निर्माण 10वींदृ11वीं शताब्दी ईस्वी में माना जाता है, जबकि अर्धमण्डप के एक स्तम्भ पर उत्कीर्ण संवत् 1208 (1151 ई.) का अभिलेख इसके पुनर्निर्माण एवं निरंतर धार्मिक उपयोग का प्रमाण प्रस्तुत करता है। मंदिर में ऋषभनाथ, नेमिनाथ तथा द्वितीर्थी जिन प्रतिमाओं के साथ जैन प्रतिमा-विज्ञान के अनेक महत्वपूर्ण उदाहरण सुरक्षित हैं। विशेष रूप से एक अलंकृत स्तम्भ पर चक्रेश्वरी, अम्बिका, पद्मावती तथा सरस्वती का संयुक्त अंकन प्राप्त होता है। यह अंकन इस तथ्य का द्योतक है कि मध्यकालीन जैन धार्मिक परम्परा में सरस्वती को अन्य प्रमुख जैन देवियों के समान सम्मान एवं प्रतिष्ठा प्राप्त थी। चक्रेश्वरी, अम्बिका एवं पद्मावती जैसी प्रमुख यक्षियों के साथ सरस्वती की उपस्थिति यह स्पष्ट करती है कि जैन देवमण्डल में उनका स्थान केवल ज्ञान की देवी तक सीमित नहीं था, बल्कि वे धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन का भी अभिन्न अंग थीं। इस प्रकार मंदिर संख्या 16 में सरस्वती का अंकन जैन प्रतिमा-विज्ञान में उनके महत्त्वपूर्ण स्थान तथा मध्यकालीन जैन कला में देवी-परम्परा के विकसित स्वरूप का सशक्त प्रमाण प्रस्तुत करता है।20

मंदिर संख्या 18 में देवी सरस्वती

देवगढ़ का मंदिर संख्या 18 मध्यकालीन जैन स्थापत्य एवं मूर्तिकला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। संवत् 1121 (1064 ई.) के अभिलेख के आधार पर इसका निर्माण 11वीं शताब्दी ईस्वी में माना जाता है। स्थापत्य की दृष्टि से यह मंदिर खजुराहो के चन्देलकालीन मंदिरों से साम्यता रखता है तथा इसका अधिकांश भाग आज भी अपने मूल स्वरूप में सुरक्षित है। मंदिर के भीतर एवं बाहर के प्रवेशद्वार अत्यंत अलंकृत हैं, जो तत्कालीन जैन शिल्पकला की उत्कृष्टता का परिचय देते हैं।[1]देवी सरस्वती की दृष्टि से यह मंदिर विशेष महत्त्वपूर्ण है। महामण्डप के अलंकृत प्रवेशद्वार के उत्तरंग पर मध्य में जिन प्रतिमा का अंकन किया गया है, जबकि दोनों ओर क्रमशः पुस्तकधारिणी सरस्वती तथा आम्रलुम्बि एवं पुत्रधारिणी अम्बिका की प्रतिमाएँ उत्कीर्ण हैं। सरस्वती का पुस्तकधारिणी स्वरूप जैन परम्परा में उनके ज्ञान, विद्या एवं आगमिक अध्ययन की अधिष्ठात्री देवी होने का प्रतीक है। जिन प्रतिमा के साथ उनका अंकन यह भी स्पष्ट करता है कि जैन मंदिरों के प्रवेशद्वारों पर सरस्वती को एक महत्वपूर्ण देवी के रूप में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त था। मंदिर की द्वारशाखाओं पर जिन प्रतिमाओं, साधुओं, उपासकों तथा अन्य लौकिक दृश्यों के साथ श्रृंगारिक नायिकाओं एवं मदनिकाओं का अंकन तत्कालीन कला की विविधता को प्रदर्शित करता है। मंदिर के बाहर स्थित मानस्तम्भों पर पुस्तकधारी उपाध्याय की प्रतिमा भी उत्कीर्ण है, जिसके समीप मयूरपीच्छिका एवं कमण्डलु का अंकन प्राप्त होता है। उपाध्याय और पुस्तक का यह अंकन जैन ज्ञान-परम्परा की ओर संकेत करता है, जो सरस्वती के ज्ञान एवं शास्त्र से जुड़े स्वरूप को और अधिक अर्थपूर्ण बनाता है। यद्यपि ग्रंथ में उपाध्याय और सरस्वती के मध्य प्रत्यक्ष संबंध स्थापित नहीं किया गया है, तथापि दोनों का ज्ञान-परम्परा से संबंध जैन धार्मिक-सांस्कृतिक जीवन में विद्या के महत्त्व को रेखांकित करता है। इस प्रकार मंदिर संख्या 18 में अंकित

पुस्तकधारिणी सरस्वती की प्रतिमा मध्यकालीन जैन प्रतिमा-विज्ञान में उनके विकसित स्वरूप का महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करती है। यह अंकन सिद्ध करता है कि 11वीं शताब्दी तक जैन धार्मिक कला में देवी सरस्वती को ज्ञान, शास्त्र एवं शिक्षा की अधिष्ठात्री देवी के रूप में विशिष्ट प्रतिष्ठा प्राप्त थी।

मंदिर संख्या 19 में देवी सरस्वती

देवगढ़ का मंदिर संख्या 19 मध्यकालीन जैन कला एवं प्रतिमा-विज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर इसका निर्माण 11वीं शताब्दी ईस्वी में माना जाता है। यद्यपि मंदिर का मुख्य कक्ष एवं भित्तियाँ मूल रूप में सुरक्षित हैं, किन्तु संलग्न बरामदा बाद के काल में निर्मित प्रतीत होता है। इस मंदिर का अलंकृत प्रवेशद्वार जैन मूर्तिकला का एक विशिष्ट उदाहरण है, जहाँ ऋषभनाथ के साथ उनके दोनों पुत्र भरत एवं बाहुबली का अंकन किया गया है।देवी सरस्वती की दृष्टि से मंदिर संख्या 19 विशेष महत्त्व रखता है। यहाँ 11वीं शताब्दी ईस्वी की सरस्वती की एक स्वतंत्र प्रतिमा प्राप्त होती है। यद्यपि प्रतिमा के चारों हाथ खण्डित हो चुके हैं, तथापि हंसवाहन सुरक्षित होने के कारण उसकी पहचान सरस्वती के रूप में सुनिश्चित होती है। जैन प्रतिमा-विज्ञान में हंसवाहन सरस्वती का एक प्रमुख लक्षण है, जो उन्हें ज्ञान, विद्या एवं विवेक की अधिष्ठात्री देवी के रूप में स्थापित करता है। इसी मंदिर में अष्टभुजी रोहिणी यक्षी की प्रतिमा के परिकर में भी सरस्वती का अंकन प्राप्त होता है। यह तथ्य दर्शाता है कि मध्यकालीन जैन कला में सरस्वती को केवल स्वतंत्र देवी के रूप में ही नहीं, बल्कि जैन देवी-परम्परा के अभिन्न अंग के रूप में भी प्रतिष्ठा प्राप्त थी। विशेष रूप से सरस्वती की प्रतिमा के परिकर में पुस्तकधारी उपाध्यायों का अंकन अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह अंकन जैन ज्ञान-परम्परा, आगमिक अध्ययन तथा शास्त्रीय परम्परा के साथ सरस्वती के घनिष्ठ संबंध को अभिव्यक्त करता है। पुस्तकधारी उपाध्याय और सरस्वती का संयुक्त निरूपण यह संकेत देता है कि मध्यकालीन जैन समाज में ज्ञान एवं शिक्षा को धार्मिक जीवन का आधार माना जाता था तथा सरस्वती को उस ज्ञान-परम्परा की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। इस प्रकार मंदिर संख्या 19 में प्राप्त सरस्वती की प्रतिमा एवं उससे संबंधित प्रतिमा-वैज्ञानिक तत्व जैन कला में उनके विकसित स्वरूप तथा जैन धार्मिक-सांस्कृतिक परम्परा में उनके महत्त्वपूर्ण स्थान के सशक्त प्रमाण हैं।21

मंदिर संख्या 29 एवं 31 में देवी सरस्वती

देवगढ़ के जैन मंदिरों में मंदिर संख्या 29 एवं 31 भी देवी सरस्वती के अंकन की दृष्टि से उल्लेखनीय हैं। यद्यपि इन दोनों मंदिरों में सरस्वती का निरूपण अपेक्षाकृत सीमित रूप में प्राप्त होता है, तथापि जैन प्रतिमा-विज्ञान में उनके स्थान को समझने के लिए ये महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। मंदिर संख्या 29 का निर्माण 12वीं शताब्दी ईस्वी का माना जाता है। इस मंदिर के सम्मुख स्थित मानस्तम्भ के अधिष्ठान पर सरस्वती, अम्बिका, लक्ष्मी तथा जिनों के माता-पिता की प्रतिमाएँ उत्कीर्ण हैं। सरस्वती का अन्य प्रमुख देवियों के साथ अंकन यह स्पष्ट करता है कि मध्यकालीन जैन धार्मिक परम्परा में उन्हें ज्ञान एवं विद्या की अधिष्ठात्री देवी के रूप में सम्मानित स्थान प्राप्त था। मंदिर संख्या 31 प्राचीन अवशेषों से निर्मित एक पुनर्निर्मित मंदिर है, जिसका अलंकृत प्रवेशद्वार प्रतिहारकालीन (9वीं शताब्दी ईस्वी) माना जाता है। इस मंदिर के द्वार-उत्तरंग पर मृग-लांछनयुक्त ध्यानस्थ शांतिनाथ की प्रतिमा के साथ दक्षिणी छोर पर सरस्वती की प्रतिमा उत्कीर्ण है, जबकि बाईं ओर की प्रतिमा वर्तमान में खंडित हो चुकी है। उत्तरंग पर सरस्वती का अंकन यह दर्शाता है कि जैन मंदिरों के प्रवेशद्वारों की धार्मिक योजना में उन्हें एक महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया था। शांतिनाथ के साथ उनका अंकन ज्ञान, धर्म तथा आध्यात्मिक साधना के परस्पर संबंध को भी अभिव्यक्त करता है। इस प्रकार मंदिर संख्या 29 एवं 31 के उपलब्ध साक्ष्य यह प्रमाणित करते हैं कि देवगढ़ के मध्यकालीन जैन मंदिरों में देवी सरस्वती का अंकन एक निरंतर परम्परा का अंग था।

यद्यपि इन मंदिरों में उनका विस्तृत प्रतिमा-वैज्ञानिक स्वरूप उपलब्ध नहीं है, फिर भी अन्य प्रमुख देवियों एवं तीर्थंकरों के साथ उनकी उपस्थिति जैन धार्मिक कला में उनके महत्त्वपूर्ण स्थान तथा ज्ञान-परम्परा से उनके घनिष्ठ संबंध को स्पष्ट रूप से रेखांकित करती है।

देवगढ़ के जैन मंदिरों में देवी सरस्वती का तुलनात्मक अध्ययन

देवगढ़ के जैन मंदिरों में देवी सरस्वती का अंकन विभिन्न स्थापत्य अवयवों, प्रतिमा-विन्यासों तथा धार्मिक संदर्भों में प्राप्त होता है। इन मंदिरों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि सरस्वती को जैन धर्म में केवल ज्ञान एवं विद्या की अधिष्ठात्री देवी के रूप में ही नहीं, बल्कि श्रुत-परम्परा, आगमिक अध्ययन तथा जैन देवमण्डल की एक महत्वपूर्ण देवी के रूप में भी प्रतिष्ठा प्राप्त थी। विभिन्न मंदिरों में उनका अंकन स्तम्भों, द्वार-उत्तरंगों, मानस्तम्भों तथा स्वतंत्र प्रतिमाओं के रूप में मिलता है, जो मध्यकालीन जैन प्रतिमा-विज्ञान के विकास का महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करता है। प्रस्तुत अध्ययन में मंदिर संख्या 4, 5, 11, 12, 16, 18, 19, 29 एवं 31 का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है। इन मंदिरों में देवी सरस्वती के अंकन, प्रतिमा-वैज्ञानिक विशेषताओं, जैन देवमण्डल में उनके स्थान, ज्ञान-परम्परा से उनके संबंध तथा अन्य शोध-योग्य विशेषताओं का सार सारणी 1 में प्रस्तुत किया गया है। यह सारणी देवगढ़ की जैन कला में देवी सरस्वती के स्वरूप एवं विकास को समग्र रूप से समझने में सहायक सिद्ध होती है।

efnj la[;k	fuekZ.kdky	ljLorh dk vadu	çfrekfoKku dh fo'ks"krk,¡	tSu noe.My esa LFkku	Kku ,oa Jqr&i-jEijk	vU; 'kks/k&;ksX; fo'ks"krk,¡
4	11वीं–12वीं शती	स्तम्भ पर सरस्वती	स्वतंत्र अंकन	चक्रेश्वरी, अम्बिका, क्षेत्रपाल के साथ	पुस्तकधारी उपाध्यायों से संबंध	15 अभिलेख, अलंकृत स्तम्भ, धार्मिक समन्वय
5	11वीं शती (संवत्1120/ 1063 ई.)	पूर्व एवं पश्चिम प्रवेश द्वार पर सर. स्वती	अम्बिका, चक्रेश्वरी एवं नवग्रहों के साथय सहस्रबिम्ब स्तम्भ पर पुस्तक धारिणी चतुर्भुजा यक्षी	जैन देवियों के साथ प्रतिष्ठित स्थान	ज्ञान, श्रुत (आगम) एवं अध्ययन–परम्परा का प्रतीक	सर्वतोभद्र योजना, सहस्रकूट चौ. त्यालय, 1008 जिन प्रतिमाओं वाला सहस्रबिम्ब स्तम्भ
11	11वीं शती	प्रथम एवंद्वि तीय तल के उत्तरंग पर	वीणा एवं पुस्तक धारिणी	पार्श्वनाथ, चक्रेश्वरी एवं अम्बिका के साथ	श्रुतज्ञान एवं विद्या का प्रतीक	द्वितल स्थापत्य, 21 अभिलेख

12	8वीं–11वीं शती	गर्भगृह के उत्तरंग पर	चतुर्भुजा, पुस्तक एवंवीणा	लक्ष्मी, चक्रेश्वरी एवं अम्बिका के साथ	पुस्तकधारी उपाध्याय, आगमिक परम्परा	24 यक्षियाँ, नवग्रह, 16 मांगलिक स्वप्न
16	10वीं–11वीं शती	अलंकृत स्तम्भ पर	चक्रेश्वरी, अम्बिका एवं पद्मावती के साथ समूह अंकन	प्रमुख जैन देवियों के साथ	ज्ञान एवं विद्या की अधिष्ठात्री	संवत् 1208 (1151 ई.) का अभिलेख
18	11वीं शती	महामण्डप के उत्तरंग पर पुस्तकधारिणी सरस्वती	पुस्तकधारिणी स्वरूप	जिन एवं अम्बिका के साथ	पुस्तकधारी उपाध्याय, जैन शिक्षा–परम्परा	खजुराहो शैली, अलंकृत द्वार, मानस्तम्भ
19	11वीं शती	स्वतंत्र प्रतिमा तथा रोहिणी यक्षी के परिकर में	हंसवाहन सुरक्षित	स्वतंत्र देवी एवंरोहिणी यक्षी के साथ	पुस्तकधारी उपाध्यायों का अंकन	जैन प्रतिमा–विज्ञान का उत्कृष्ट उदाहरण
29	12वीं शती	मानस्तम्भ के अधिष्ठान पर	देवी रूप में अंकन	अम्बिका, लक्ष्मी एवं जिनों के माता–पिता के साथ	ज्ञान–देवी के रूप में प्रतिष्ठा	मानस्तम्भ का विशेष महत्त्व
31	9वीं शती (प्रवेश द्वार), पुनर्निर्मित मंदिर	द्वार–उत्तरंग पर सरस्वती	उत्तरंग पर अंकित प्रतिमा	शांतिनाथ के साथ	ज्ञान एवं धर्म का प्रतीक	प्रतिहारकालीन प्रवेशद्वार

सारणी- 1 देवगढ़ के जैन मंदिरों में देवी सरस्वती से संबंधित बिंदुओं का तुलनात्मक विश्लेषण

देवगढ़ की जैन मूर्तिकला में देवी सरस्वती का अंकन अत्यंत विकसित एवं विविधतापूर्ण रूप में प्राप्त होता है। यहाँ सरस्वती सामान्यतः चतुर्भुजा रूप में निरूपित हैं, यद्यपि कुछ उदाहरणों में द्विभुज स्वरूप भी दृष्टिगोचर होता है। उनका अंकन स्वतंत्र प्रतिमाओं के अतिरिक्त मंदिरों के द्वार-उत्तरंग, स्तम्भों, मानस्तम्भों तथा त्रितीर्थी प्रतिमाओं में भी हुआ है, जिससे स्पष्ट होता है कि देवगढ़ में सरस्वती को जैन ज्ञान-परम्परा की अधिष्ठात्री देवी के रूप में विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त थी। देवगढ़ की सरस्वती प्रतिमाओं में हंस एवं मयूर दोनों प्रकार के वाहनों का अंकन मिलता है, जो जैन प्रतिमा-विज्ञान की विविध परम्पराओं का परिचायक है। देवी के करों में सामान्यतः पुस्तक, पद्म, अक्षमाला, जलपात्र तथा वीणा का अंकन मिलता है, जबकि कुछ प्रतिमाओं में वरदमुद्रा अथवा अभयमुद्रा का भी प्रदर्शन हुआ है। मंदिर संख्या 12 के अर्धमण्डप के स्तम्भ पर उत्कीर्ण सरस्वती प्रतिमा में जलपात्र के स्थान पर शंख का अंकन एक विशिष्ट प्रतिमा-वैज्ञानिक विशेषता है, जबकि जैन मंदिर परिसर के प्रवेशद्वार के समीप स्थित एक प्रतिमा में देवी को वीणाधारिणी रूप में प्रदर्शित किया गया है । देवगढ़ की सरस्वती प्रतिमाओं में सबसे विशिष्ट उदाहरण मंदिर संख्या 1 की 11वीं शताब्दी ईस्वी की त्रितीर्थी प्रतिमा है, जिसमें कायोत्सर्ग मुद्रा में स्थित अजितनाथ एवं सम्भवनाथ के साथ तीसरी आकृति के रूप में चतुर्भुजा सरस्वती का अंकन हुआ है (चित्र 01)। यह निरूपण जैन कला में अत्यंत विरल है और इससे स्पष्ट होता है कि सरस्वती को यहाँ केवल

विद्या की देवी के रूप में नहीं, बल्कि श्रुतदेवता अर्थात् जिनवाणी की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त थी। प्रतिमा में उनके करों में वरदमुद्रा, सनालपद्म, पुस्तक तथा अन्य आयुधों का अंकन तथा पीठिका पर मयूरवाहन का प्रदर्शन उनकी विकसित प्रतिमा-परम्परा का परिचायक है। देवगढ़ की कुछ प्रतिमाओं में सरस्वती के साथ जैन साधुओं, उपाध्यायों, पुस्तक, मयूरपीच्छिका, अक्षमाला तथा व्याख्यानमुद्रा का अंकन भी प्राप्त होता है (चित्र 02)। इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ सरस्वती का संबंध केवल कला और संगीत तक सीमित नहीं था, बल्कि वे जैन श्रुतज्ञान, आगमिक अध्ययन, शास्त्रार्थ एवं शिक्षण-परम्परा की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित थीं। परिकर में तीर्थंकरों एवं साधु-आकृतियों का समावेश उनके धार्मिक महत्त्व को और अधिक सुदृढ़ करता है। देवगढ़ के मंदिरों में सरस्वती का निरंतर अंकन, उनकी विविध प्रतिमा-वैज्ञानिक विशेषताएँ तथा जैन साधु-परम्परा के साथ उनका घनिष्ठ संबंध इस तथ्य की पुष्टि करता है कि मध्यकालीन काल में देवगढ़ जैन ज्ञान-साधना, आगमिक अध्ययन तथा शास्त्रीय परम्परा का एक प्रमुख केन्द्र था। इसलिए देवगढ़ की सरस्वती प्रतिमाएँ जैन प्रतिमा-विज्ञान, धार्मिक प्रतीकवाद तथा ज्ञान-परम्परा के अध्ययन की दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानी जाती हैं।

निष्कर्ष-

देवगढ़ की जैन मूर्तिकला के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि मध्यकाल (8वींदृ12वीं शताब्दी ई.) में देवी सरस्वती को जैन धर्म में केवल ज्ञान एवं विद्या की देवी के रूप में ही नहीं, बल्कि श्रुतदेवता तथा जैन आगमिक परम्परा की अधिष्ठात्री देवी के रूप में विशिष्ट प्रतिष्ठा प्राप्त थी। मंदिर संख्या 4, 5, 11, 12, 16, 18, 19, 29 एवं 31 में प्राप्त सरस्वती प्रतिमाएँ उनके प्रतिमा-वैज्ञानिक विकास, धार्मिक महत्त्व तथा जैन देवमण्डल में उनके विशिष्ट स्थान का सशक्त प्रमाण प्रस्तुत करती हैं। इन मंदिरों में सरस्वती का अंकन स्तम्भों, द्वार-उत्तरंगों, मानस्तम्भों तथा स्वतंत्र प्रतिमाओं के रूप में प्राप्त होता है, जिससे उनके निरंतर पूजनीय स्वरूप का परिचय मिलता है। प्रतिमा-विज्ञान की दृष्टि से देवगढ़ की सरस्वती प्रतिमाओं में पुस्तक, वीणा, हंस एवं मयूर वाहन, चतुर्भुज स्वरूप तथा पुस्तकधारी उपाध्यायों के साथ अंकन जैसी विशेषताएँ उल्लेखनीय हैं। साथ ही चक्रेश्वरी, अम्बिका, लक्ष्मी तथा तीर्थंकरों के साथ उनका निरूपण यह सिद्ध करता है कि सरस्वती जैन धार्मिक एवं बौद्धिक परम्परा का अभिन्न अंग थीं। इस प्रकार देवगढ़ की जैन मूर्तिकला न केवल देवी सरस्वती के विकसित प्रतिमा-स्वरूप को अभिव्यक्त करती है, बल्कि मध्यकालीन जैन समाज में ज्ञान, शिक्षा, आगमिक अध्ययन तथा सांस्कृतिक चेतना के महत्त्व को भी प्रभावी रूप से उद्घाटित करती है। अतः देवगढ़ भारतीय जैन कला में देवी सरस्वती के स्वरूप, विकास और सांस्कृतिक महत्त्व के अध्ययन के लिए एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण केन्द्र के रूप में स्थापित होता है।

संदर्भ-ग्रंथ

1. Basham, A. L. The Wonder That Was India. London: Sidgwick & Jackson, 1954.
2. Brown, Percy. Indian Architecture (Buddhist and Hindu Periods). Bombay: D. B. Taraporevala.
3. Krishna Deva. "Jaina Temples at Deogarh", in Jaina Art and Architecture, Vol. I, edited by A. Ghosh, New Delhi, 1974.
4. Bruhn, Klaus. The Jina-Images of Deogarh. Leiden: E. J. Brill, 1969.
5. Vats, 1952; Krishna Deva, 1974

6. Krishna Deva, 1974; Sankalia, 1941

7. Bruhn, 1969; Bhagchandra Jain, 1974

8. गचन्द्र जैन, देवगढ़ की जैन कला, वाराणसी: पार्श्वनाथ विद्याश्रम शोध संस्थान, पृ. 11–63।

9. Klaus Bruhn, The Jina Images of Deogarh, Leiden: E. J. Brill, pp. 31–60.

10. तिवारी, मारुति नन्दन प्रसाद एवं सिन्हा, शान्ति स्वरूप, जैन कला तीर्थ रू देवगढ़, द्वितीय संस्करण, श्री देवगढ़ मैनेजिंग दिगम्बर जैन कमेटी, ललितपुर, 2008, पृ. 21–22।

11. वही, पृ. 23–24।

12. वही

13. Shah, U. P., Jaina-Rūpa-Maṇḍana (Jaina Iconography), Abhinav Publications, New Delhi, 1987.

14.वही

15. तिवारी, मारुति नन्दन प्रसाद एवं सिन्हा, शान्ति स्वरूप, जैन कला तीर्थ :देवगढ़, द्वितीय संस्करण, श्री देवगढ़ मैनेजिंग दिगम्बर जैन कमेटी, ललितपुर, 2008, पृ. 25–26।

16. Shah, U. P., Jaina-Rūpa-Maṇḍana (Jaina Iconography), Abhinav Publications, New Delhi, 1987.

17. वही

18. वही

19. तिवारी, मारुति नन्दन प्रसाद एवं सिन्हा, शान्ति स्वरूप, जैन कला तीर्थ :देवगढ़, द्वितीय संस्करण, श्री देवगढ़ मैनेजिंग दिगम्बर जैन कमेटी, ललितपुर, 2008, पृ. 25–26।

20. वहीपृ.29

21. वहीपृ. 30

चित्र फलक

चित्र-2: त्रितीर्थी मूर्ति (सरस्वती मूर्ति सहित), मन्दिर 1/41, देवगढ़, 11वीं शती ई०

चित्र-01: सरस्वती, मन्दिर 19/18, देवगढ़, 11वीं शती ई०

भारत में नवउदारवादी आर्थिक सुधारों का प्रभाव : उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का एक अध्ययन (1991–2020)

डॉ. रंजीत कुमार
राजनीति विज्ञान विभाग, टी. एम. भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर

सारांश (Abstract)

भारत में वर्ष 1991 से प्रारंभ किए गए आर्थिक सुधारों ने देश की आर्थिक संरचना में व्यापक परिवर्तन किया। इन सुधारों का मुख्य आधार उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (LPG) की नीतियाँ थीं, जिनका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को नियंत्रित व्यवस्था से मुक्त बाजार आधारित अर्थव्यवस्था की ओर ले जाना था। इस अध्ययन का उद्देश्य भारत में नवउदारवादी आर्थिक सुधारों के प्रभावों का विश्लेषण करना है, विशेष रूप से आर्थिक विकास, औद्योगिक वृद्धि, विदेशी निवेश, रोजगार, आय असमानता और सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में। 1991 के बाद सरकार ने व्यापार प्रतिबंधों को कम किया, निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ावा दिया तथा विदेशी निवेश के लिए भारतीय बाजार को खोला। इन नीतियों के परिणामस्वरूप सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में वृद्धि, सेवा क्षेत्र का विस्तार, वैश्विक व्यापार में भागीदारी और तकनीकी विकास को गति मिली। हालांकि, नवउदारवादी सुधारों के सकारात्मक प्रभावों के साथ-साथ कुछ चुनौतियाँ भी सामने आईं। रोजगार के अवसरों में अपेक्षित वृद्धि न होना, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बीच आर्थिक असमानता, छोटे उद्योगों पर प्रतिस्पर्धात्मक दबाव तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दे प्रमुख चिंताएँ बनी रहीं। इस अध्ययन में 1991 से 2020 तक की अवधि के दौरान नवउदारवादी नीतियों के आर्थिक एवं सामाजिक प्रभावों का अध्ययन किया गया है। अध्ययन के लिए द्वितीयक आंकड़ों का उपयोग किया गया है, जिसमें सरकारी रिपोर्ट, आर्थिक सर्वेक्षण, शोध पत्र एवं विभिन्न प्रकाशित स्रोत शामिल हैं। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि नवउदारवादी सुधारों ने भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ा और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया, लेकिन समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए संतुलित नीतियों की आवश्यकता बनी हुई है।

कुंजीशब्द (Keywords): *नवउदारवाद, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, भारतीय आर्थिक सुधार*

परिचय

भारत में नवउदारवादी आर्थिक सुधारों का प्रारंभ वर्ष 1991 में एक महत्वपूर्ण आर्थिक संकट की पृष्ठभूमि में हुआ, जिसने देश की आर्थिक नीतियों और विकास की दिशा को पूरी तरह बदल दिया। स्वतंत्रता के बाद भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल को अपनाया था, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र को आर्थिक विकास का प्रमुख आधार माना गया तथा उद्योगों, व्यापार और निवेश पर व्यापक सरकारी नियंत्रण रखा गया। लाइसेंस प्रणाली, आयात प्रतिबंध, विदेशी निवेश पर सीमाएँ और सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख भूमिका उस समय की आर्थिक व्यवस्था की विशेषताएँ थीं। हालांकि, समय

के साथ इस नियंत्रित आर्थिक व्यवस्था में कई समस्याएँ उभरने लगीं, जैसे कम आर्थिक वृद्धि दर, औद्योगिक प्रतिस्पर्धा की कमी, राजकोषीय घाटे में वृद्धि और विदेशी मुद्रा भंडार का संकट। वर्ष 1991 में भारत गंभीर भुगतान संतुलन संकट का सामना कर रहा था, जिसके कारण सरकार को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से सहायता प्राप्त करनी पड़ी और इसके साथ ही आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इन सुधारों का मुख्य आधार उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (Liberalization, Privatization and Globalization - LPG) की नीतियाँ थीं, जिन्हें भारत में नवउदारवादी आर्थिक नीति के रूप में जाना गया। नवउदारवाद एक ऐसी आर्थिक विचारधारा है जो मुक्त बाजार, निजी उद्यम, प्रतिस्पर्धा, विदेशी निवेश और सरकारी हस्तक्षेप को सीमित करने पर बल देती है। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था में बाजार शक्तियों की भूमिका को बढ़ाना और आर्थिक गतिविधियों को अधिक कुशल एवं प्रतिस्पर्धात्मक बनाना है। भारत में नवउदारवादी सुधारों के अंतर्गत औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली को समाप्त किया गया, आयात शुल्कों में कमी की गई, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) को प्रोत्साहित किया गया तथा सार्वजनिक क्षेत्र के कई उपक्रमों में निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया गया। इन नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजार से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उदारीकरण के माध्यम से उद्योगों और व्यापार पर सरकारी नियंत्रण कम किया गया, निजीकरण के माध्यम से निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा मिला तथा वैश्वीकरण के माध्यम से भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश प्रणाली का हिस्सा बना। 1991 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में कई सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिले। आर्थिक विकास दर में वृद्धि हुई, सेवा क्षेत्र विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी (IT), दूरसंचार और वित्तीय सेवाओं का तेजी से विस्तार हुआ। विदेशी निवेश में वृद्धि से औद्योगिक विकास को गति मिली और भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बाजार के रूप में उभरा। प्रतिस्पर्धा बढ़ने से उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद और सेवाएँ उपलब्ध हुईं। बैंकिंग, दूरसंचार, ऑटोमोबाइल और रिटेल जैसे क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन हुए। तकनीकी विकास और वैश्विक कंपनियों के आगमन ने उत्पादन प्रणाली, प्रबंधन तकनीकों और रोजगार के नए अवसरों को भी प्रभावित किया। इसके बावजूद नवउदारवादी सुधारों के प्रभाव पूरी तरह सकारात्मक नहीं रहे। आर्थिक विकास के लाभ सभी वर्गों तक समान रूप से नहीं पहुँच पाए। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच आर्थिक अंतर बढ़ा, छोटे एवं मध्यम उद्योगों को बड़ी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा तथा रोजगार वृद्धि की गति अपेक्षाकृत धीमी रही। कृषि क्षेत्र, जो भारत की बड़ी आबादी की आजीविका का आधार है, कई चुनौतियों से प्रभावित हुआ। आय और संपत्ति के वितरण में असमानता, सामाजिक सुरक्षा की कमी और निजीकरण के कारण कुछ क्षेत्रों में रोजगार की अनिश्चितता जैसी समस्याएँ भी सामने आईं। इस प्रकार नवउदारवाद ने आर्थिक विकास को गति प्रदान की, लेकिन समावेशी और संतुलित विकास की आवश्यकता को भी उजागर किया। वर्ष 1991 से 2020 तक की अवधि भारत के आर्थिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण चरण रही है। इस दौरान भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी स्थिति मजबूत की, लेकिन साथ ही आर्थिक असमानता और सामाजिक चुनौतियों का भी सामना किया। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य भारत में नवउदारवादी आर्थिक सुधारों के प्रभावों का व्यापक विश्लेषण करना है, जिसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के कारण हुए आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाएगा। यह अध्ययन यह समझने का प्रयास करता है कि नवउदारवादी नीतियों ने भारत के विकास मॉडल को किस प्रकार प्रभावित किया तथा भविष्य के लिए अधिक समावेशी आर्थिक नीतियों की आवश्यकता क्यों महत्वपूर्ण है।

1. भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया और आर्थिक परिवर्तन (1991–2020)

भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया वर्ष 1991 के आर्थिक सुधारों का एक प्रमुख हिस्सा थी। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण को कम करना और बाजार शक्तियों को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करना था। उदारीकरण के अंतर्गत

औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली को समाप्त किया गया, व्यापार प्रतिबंधों में कमी की गई तथा निजी एवं विदेशी निवेश के लिए नए अवसर खोले गए। इन नीतियों के परिणामस्वरूप भारतीय उद्योगों को प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण मिला और उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई। उदारीकरण ने सेवा क्षेत्र, विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी, बैंकिंग, दूरसंचार और वित्तीय सेवाओं के विकास को बढ़ावा दिया। विदेशी कंपनियों के प्रवेश से तकनीकी ज्ञान, प्रबंधन कौशल और आधुनिक उत्पादन प्रणालियों का प्रसार हुआ। हालांकि, उदारीकरण के कारण बाजार प्रतिस्पर्धा बढ़ी, जिससे छोटे उद्योगों और कमजोर आर्थिक वर्गों को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कई क्षेत्रों में रोजगार के स्वरूप में परिवर्तन आया और कौशल आधारित रोजगार की मांग बढ़ी। उदारीकरण ने भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन इसके लाभों का समान वितरण एक प्रमुख चुनौती बनी रही। इसलिए उदारीकरण को आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है, परंतु इसके साथ सामाजिक संतुलन और समावेशी विकास की नीतियाँ आवश्यक हैं।

2. निजीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव

निजीकरण नवउदारवादी आर्थिक सुधारों का दूसरा प्रमुख आधार है, जिसके अंतर्गत आर्थिक गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाता है। भारत में 1991 के बाद सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निजी निवेश को प्रोत्साहित किया और कई क्षेत्रों में निजी कंपनियों के प्रवेश को अनुमति दी। निजीकरण का मुख्य उद्देश्य सरकारी संस्थानों की कार्यक्षमता बढ़ाना, प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना और आर्थिक संसाधनों का बेहतर उपयोग करना था। निजीकरण के परिणामस्वरूप बैंकिंग, दूरसंचार, विमानन, ऊर्जा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में तेजी से विकास हुआ। निजी कंपनियों ने नई तकनीक, बेहतर प्रबंधन प्रणाली और उपभोक्ता केंद्रित सेवाओं को बढ़ावा दिया। इससे उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प और बेहतर गुणवत्ता वाली सेवाएँ प्राप्त हुईं। इसके बावजूद निजीकरण को लेकर कई आलोचनाएँ भी सामने आईं। सार्वजनिक क्षेत्र के कमजोर होने, रोजगार सुरक्षा में कमी और आवश्यक सेवाओं के व्यावसायीकरण जैसी चिंताएँ व्यक्त की गईं। कई बार निजी कंपनियों का उद्देश्य सामाजिक कल्याण की अपेक्षा लाभ अर्जित करना अधिक होता है। इसलिए निजीकरण की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सरकार प्रभावी नियामक व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा को किस प्रकार बनाए रखती है। संतुलित निजीकरण आर्थिक दक्षता और सामाजिक हितों के बीच समन्वय स्थापित कर सकता है।

3. वैश्वीकरण और भारत का वैश्विक आर्थिक एकीकरण

वैश्वीकरण नवउदारवादी सुधारों का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसके माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व बाजार से जोड़ा गया। 1991 के बाद भारत ने व्यापार नीतियों में सुधार किए, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के लिए भारतीय बाजार को खोला। वैश्वीकरण ने भारत को वैश्विक उत्पादन, व्यापार और निवेश प्रणाली का हिस्सा बनने में सहायता प्रदान की। वैश्वीकरण के कारण भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन हुआ, जिससे तकनीकी विकास, औद्योगिक विस्तार और रोजगार के नए अवसरों में वृद्धि हुई। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र का विकास वैश्वीकरण का प्रमुख उदाहरण है, जिसने भारत को विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण सेवा प्रदाता बनाया। भारतीय कंपनियों ने भी अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी पहचान स्थापित की। हालांकि, वैश्वीकरण के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिले। घरेलू उद्योगों को विदेशी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी और कुछ छोटे व्यवसाय प्रभावित हुए। वैश्विक आर्थिक उतार-चढ़ाव का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ने लगा। इसके अतिरिक्त आर्थिक लाभों का समान वितरण न होने से असमानता की समस्या बनी रही। इसलिए वैश्वीकरण ने भारत के आर्थिक विकास को गति दी, लेकिन इसके साथ ऐसी नीतियों की आवश्यकता है जो स्थानीय उद्योगों, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाए रखें।

4. नवउदारवादी सुधारों का रोजगार और सामाजिक संरचना पर प्रभाव

नवउदारवादी आर्थिक सुधारों ने भारत के रोजगार क्षेत्र और सामाजिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। 1991 के बाद बाजार आधारित अर्थव्यवस्था के विस्तार से नए उद्योगों और सेवा क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए। सूचना प्रौद्योगिकी, बैंकिंग, दूरसंचार और निजी सेवाओं जैसे क्षेत्रों में कुशल श्रमिकों की मांग बढ़ी। इससे युवाओं के लिए नए करियर विकल्प विकसित हुए और रोजगार के स्वरूप में परिवर्तन आया। हालांकि, नवउदारवादी नीतियों का रोजगार पर प्रभाव मिश्रित रहा। आर्थिक विकास के बावजूद रोजगार वृद्धि अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुँच सकी, जिसे कई बार "रोजगार विहीन विकास" की समस्या के रूप में देखा गया। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा, सामाजिक लाभ और स्थिर आय की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। सामाजिक स्तर पर नवउदारवाद ने उपभोग संस्कृति, जीवनशैली और आर्थिक अवसरों को प्रभावित किया। मध्यम वर्ग का विस्तार हुआ और उपभोक्ता बाजार तेजी से विकसित हुआ। दूसरी ओर, आय असमानता और ग्रामीण-शहरी विभाजन जैसी चुनौतियाँ भी बढ़ीं। इसलिए नवउदारवादी सुधारों के साथ रोजगार सृजन, कौशल विकास और सामाजिक सुरक्षा की नीतियों को मजबूत करना आवश्यक है ताकि आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुँच सके।

5. नवउदारवाद और आर्थिक असमानता की समस्या

नवउदारवादी आर्थिक नीतियों ने भारत में आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया, लेकिन इसके साथ आर्थिक असमानता की समस्या भी महत्वपूर्ण रूप से सामने आई। बाजार आधारित नीतियों ने निवेश, उत्पादन और व्यापार को बढ़ावा दिया, जिससे कुछ क्षेत्रों और वर्गों को तेजी से आर्थिक लाभ प्राप्त हुए। शहरी क्षेत्रों, उच्च कौशल वाले श्रमिकों और बड़े व्यवसायों को नवउदारवादी व्यवस्था से अधिक अवसर मिले। दूसरी ओर, ग्रामीण क्षेत्रों, छोटे किसानों, असंगठित श्रमिकों और निम्न आय वर्गों को विकास के समान लाभ प्राप्त नहीं हो सके। आय और संपत्ति के वितरण में अंतर बढ़ने लगा तथा सामाजिक-आर्थिक विषमताएँ स्पष्ट हुईं। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों में असमानता ने इस समस्या को और बढ़ाया। हालांकि, नवउदारवाद ने गरीबी कम करने और आर्थिक अवसरों को बढ़ाने में योगदान दिया, लेकिन केवल बाजार आधारित विकास से समावेशी विकास सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। सरकार की भूमिका सामाजिक कल्याण योजनाओं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और रोजगार कार्यक्रमों के माध्यम से महत्वपूर्ण बनी रहती है। इसलिए भारत के लिए ऐसी आर्थिक नीति आवश्यक है जो विकास, प्रतिस्पर्धा और निवेश को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ सामाजिक न्याय और समान अवसरों को भी सुनिश्चित करे।

साहित्य समीक्षा (Review of Literature)

1. सेन (Sen, 1999) ने अपनी पुस्तक *Development as Freedom* में आर्थिक विकास को केवल आय और उत्पादन वृद्धि तक सीमित नहीं माना, बल्कि इसे मानव क्षमताओं और सामाजिक स्वतंत्रताओं के विस्तार से जोड़ा। उन्होंने नवउदारवादी विकास मॉडल की आलोचना करते हुए कहा कि बाजार आधारित सुधार तभी प्रभावी हो सकते हैं जब वे शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में समान अवसर प्रदान करें। यह अध्ययन भारत में आर्थिक सुधारों के सामाजिक प्रभावों को समझने में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

2. भगवती (Bhagwati, 2004) ने अपनी पुस्तक *In Defense of Globalization* में वैश्वीकरण और उदारीकरण

को आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण साधन के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने तर्क दिया कि मुक्त व्यापार, विदेशी निवेश और बाजार प्रतिस्पर्धा से उत्पादकता बढ़ती है तथा विकासशील देशों को वैश्विक अर्थव्यवस्था में बेहतर अवसर प्राप्त होते हैं। उनके अनुसार भारत के 1991 के सुधारों ने आर्थिक वृद्धि को गति प्रदान की और गरीबी कम करने में सहायता की।

3. कोठारी (Kohli, 2006) ने भारत के आर्थिक सुधारों का राजनीतिक और संस्थागत दृष्टिकोण से अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि नवउदारवादी सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिक बाजार उन्मुख बनाया, लेकिन सुधारों का प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों और सामाजिक समूहों में अलग-अलग रहा। उनके अध्ययन में इस बात पर जोर दिया गया कि आर्थिक नीतियों की सफलता के लिए मजबूत संस्थागत व्यवस्था आवश्यक है।

4. ड्रेज़ और सेन (Drèze & Sen, 2013) ने अपनी पुस्तक *An Uncertain Glory: India and Its Contradictions* में भारत के आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति के बीच अंतर को स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि उदारीकरण के बाद भारत ने तेज आर्थिक वृद्धि हासिल की, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों में अपेक्षित सुधार नहीं हुए। उनका अध्ययन नवउदारवादी विकास मॉडल की सीमाओं को समझने में सहायक है।

5. पनिक्कर (Panagariya, 2014) ने भारत के आर्थिक सुधारों का विश्लेषण करते हुए बताया कि 1991 के बाद की नीतियों ने निवेश, औद्योगिक विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया। उन्होंने तर्क दिया कि उदारीकरण और वैश्वीकरण ने भारत को उच्च आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करने में सहायता की। हालांकि उन्होंने आगे के विकास के लिए श्रम सुधार और आधारभूत संरचना में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया।

6. रॉड्रिक (Rodrik, 2011) ने वैश्वीकरण और बाजार सुधारों के प्रभावों का अध्ययन करते हुए बताया कि सभी देशों के लिए एक समान नवउदारवादी मॉडल प्रभावी नहीं हो सकता। उन्होंने सुझाव दिया कि विकासशील देशों को अपनी आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार नीतियाँ अपनानी चाहिए। उनका अध्ययन यह समझने में मदद करता है कि भारत जैसे देशों में बाजार सुधारों के साथ राज्य की सक्रिय भूमिका भी आवश्यक है।

अनुसंधान अंतराल (Research Gap)

भारत में नवउदारवादी आर्थिक सुधारों पर अनेक अध्ययन किए गए हैं, जिनमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण किया गया है। हालांकि, अधिकांश शोधों में आर्थिक वृद्धि, विदेशी निवेश और औद्योगिक विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। 1991 से 2020 के बीच नवउदारवादी नीतियों के दीर्घकालीन सामाजिक प्रभाव, रोजगार की गुणवत्ता, आय असमानता और समावेशी विकास के पहलुओं का सीमित अध्ययन किया गया है। इसलिए यह अध्ययन आर्थिक उपलब्धियों के साथ-साथ सामाजिक एवं संरचनात्मक परिवर्तनों का समग्र विश्लेषण करने का प्रयास करता है।

अध्ययन के उद्देश्य (Objectives of the Study)

1. भारत में 1991–2020 के दौरान नवउदारवादी आर्थिक सुधारों की प्रकृति और विकास का अध्ययन करना।
2. उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभावों का विश्लेषण करना।
3. नवउदारवादी नीतियों के औद्योगिक विकास, विदेशी निवेश और आर्थिक वृद्धि पर प्रभाव का अध्ययन करना।

4. नवउदारवादी सुधारों के रोजगार, आय असमानता और सामाजिक परिवर्तन पर प्रभावों का मूल्यांकन करना।
5. भारत में नवउदारवादी आर्थिक नीतियों की उपलब्धियों और चुनौतियों का अध्ययन करना।

अनुसंधान पद्धति (Research Methodology)

प्रस्तुत अध्ययन **"भारत में नवउदारवादी आर्थिक सुधारों का प्रभाव : उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का एक अध्ययन (1991–2020)"** के लिए वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अनुसंधान पद्धति का उपयोग किया गया है। अध्ययन मुख्य रूप से द्वितीयक आंकड़ों (Secondary Data) पर आधारित है। आंकड़ों के संग्रह के लिए आर्थिक सर्वेक्षण, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की रिपोर्ट, विश्व बैंक, नीति आयोग, सरकारी प्रकाशन, शोध पत्रिकाएँ, पुस्तकों एवं विभिन्न आधिकारिक वेबसाइटों का उपयोग किया गया है। अध्ययन की अवधि वर्ष 1991 से 2020 तक निर्धारित की गई है, क्योंकि यह अवधि भारत में आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के प्रमुख प्रभावों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। अध्ययन में आर्थिक विकास दर, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI), सेवा क्षेत्र का योगदान, व्यापार वृद्धि तथा रोजगार संबंधी संकेतकों का विश्लेषण किया गया है। प्राप्त आंकड़ों को तालिकाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है तथा प्रतिशत वृद्धि, तुलनात्मक अध्ययन और व्याख्यात्मक विश्लेषण जैसी तकनीकों का प्रयोग किया गया है।

डेटा विश्लेषण एवं व्याख्या (Data Analysis and Interpretation)

तालिका 1: भारत की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि दर में परिवर्तन

वर्ष	GDP वृद्धि दर (लगभग %)
1991	1.1
2000	4.0
2010	8.5
2015	7.5
2020	-6.6

व्याख्या: तालिका से स्पष्ट है कि 1991 के आर्थिक संकट के बाद सुधारों के प्रभाव से भारत की आर्थिक वृद्धि में धीरे-धीरे सुधार हुआ। 2010 के आसपास भारत ने उच्च आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त की। हालांकि 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण GDP वृद्धि दर में भारी गिरावट दर्ज की गई। इससे स्पष्ट होता है कि नवउदारवादी सुधारों ने दीर्घकाल में आर्थिक विस्तार को बढ़ावा दिया।

तालिका 2: भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) का विकास

वर्ष	FDI प्रवाह (अरब डॉलर लगभग)
1991	0.1
2000	4.0
2010	37.7
2015	44.9
2020	81.7

व्याख्या: 1991 के बाद विदेशी निवेश नीतियों में उदारीकरण के कारण भारत में FDI का प्रवाह तेजी से बढ़ा। विदेशी कंपनियों के प्रवेश से तकनीकी विकास, औद्योगिक विस्तार और रोजगार के नए अवसरों को प्रोत्साहन मिला। यह

नवउदारवादी नीतियों की प्रमुख उपलब्धियों में से एक है।

तालिका 3: भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान

वर्ष	GDP में सेवा क्षेत्र का योगदान (%)
1991	40
2000	48
2010	55
2020	54

व्याख्या: तालिका दर्शाती है कि उदारीकरण के बाद सेवा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार बन गया। सूचना प्रौद्योगिकी, बैंकिंग, दूरसंचार और वित्तीय सेवाओं के विस्तार ने आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

तालिका 4: भारत का विदेशी व्यापार विस्तार

वर्ष	निर्यात (अरब डॉलर लगभग)
1991	18
2000	42
2010	220
2015	267
2020	314

व्याख्या: वैश्वीकरण की नीतियों के कारण भारत का अंतरराष्ट्रीय व्यापार तेजी से बढ़ा। व्यापार उदारीकरण और वैश्विक बाजार से जुड़ाव ने भारतीय उत्पादों एवं सेवाओं के लिए नए अवसर उपलब्ध कराए।

तालिका 5: रोजगार संरचना में परिवर्तन

क्षेत्र	1991 में रोजगार (%)	2020 में रोजगार (%)
कृषि	60	42
उद्योग	16	25
सेवा	24	33

व्याख्या: तालिका से पता चलता है कि नवउदारवादी सुधारों के बाद रोजगार संरचना में परिवर्तन आया। कृषि क्षेत्र पर निर्भरता कम हुई जबकि उद्योग और सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़े। हालांकि रोजगार वृद्धि की गुणवत्ता और स्थायित्व अभी भी एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है।

निष्कर्षात्मक विश्लेषण

डेटा विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि 1991 के बाद नवउदारवादी आर्थिक सुधारों ने भारत की अर्थव्यवस्था को अधिक खुला, प्रतिस्पर्धात्मक और वैश्विक बनाया। GDP वृद्धि, FDI प्रवाह, सेवा क्षेत्र के विस्तार और व्यापार वृद्धि में महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिले। दूसरी ओर, रोजगार असमानता, क्षेत्रीय विकास अंतर और सामाजिक चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं। इसलिए नवउदारवादी नीतियों के लाभों को अधिक समावेशी बनाने के लिए संतुलित आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों की आवश्यकता है।

अध्ययन की सीमाएँ (Limitations of the Study)

प्रस्तुत अध्ययन **"भारत में नवउदारवादी आर्थिक सुधारों का प्रभाव : उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का एक अध्ययन (1991–2020)"** कुछ सीमाओं के अंतर्गत किया गया है। यह अध्ययन मुख्य रूप से द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है, इसलिए इसकी गुणवत्ता उपलब्ध सरकारी रिपोर्टों, आर्थिक सर्वेक्षणों और प्रकाशित स्रोतों की विश्वसनीयता पर निर्भर करती है। अध्ययन में केवल 1991 से 2020 तक की अवधि को शामिल किया गया है, जिसके कारण हाल के आर्थिक परिवर्तनों का विस्तृत विश्लेषण इसमें शामिल नहीं हो पाया है। नवउदारवादी नीतियों के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभावों का विस्तृत अध्ययन इस शोध का मुख्य उद्देश्य नहीं होने के कारण सीमित रूप से किया गया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों पर सुधारों के अलग-अलग प्रभावों का गहन अध्ययन नहीं किया गया है। इसलिए भविष्य के शोध में प्राथमिक आंकड़ों, क्षेत्रीय विश्लेषण और व्यापक सामाजिक पहलुओं को शामिल करके अध्ययन को और अधिक विस्तृत बनाया जा सकता है।

अध्ययन का महत्व (Importance of the Study)

भारत में नवउदारवादी आर्थिक सुधारों का अध्ययन आर्थिक नीतियों और विकास प्रक्रिया को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ष 1991 के बाद उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना में व्यापक परिवर्तन किया। यह अध्ययन यह समझने में सहायता करता है कि इन सुधारों ने आर्थिक वृद्धि, विदेशी निवेश, औद्योगिक विकास, व्यापार विस्तार और सेवा क्षेत्र के विकास को किस प्रकार प्रभावित किया। इसके साथ ही यह अध्ययन नवउदारवादी नीतियों से उत्पन्न चुनौतियों जैसे आय असमानता, रोजगार की समस्या और क्षेत्रीय विकास में अंतर को भी स्पष्ट करता है। नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों के लिए यह अध्ययन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आर्थिक सुधारों के सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों पक्षों का संतुलित विश्लेषण प्रस्तुत करता है। यह अध्ययन भविष्य की आर्थिक नीतियों के निर्माण में समावेशी विकास और सामाजिक संतुलन की आवश्यकता को समझने में सहायक होगा।

निष्कर्ष (Conclusion)

भारत में नवउदारवादी आर्थिक सुधारों का प्रारंभ वर्ष 1991 में आर्थिक संकट के समाधान के रूप में हुआ, जिसने देश की आर्थिक नीतियों की दिशा को व्यापक रूप से बदल दिया। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को नियंत्रित व्यवस्था से मुक्त बाजार आधारित प्रणाली की ओर अग्रसर किया। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि नवउदारवादी सुधारों ने भारत के आर्थिक विकास को गति प्रदान की और देश को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में वृद्धि, औद्योगिक विस्तार, सेवा क्षेत्र का विकास, तकनीकी प्रगति और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि इन सुधारों की प्रमुख उपलब्धियाँ रही हैं। सूचना प्रौद्योगिकी, बैंकिंग, दूरसंचार और अन्य सेवा क्षेत्रों में हुए विकास ने भारत को विश्व स्तर पर एक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित किया।

हालांकि, नवउदारवादी नीतियों के प्रभाव पूरी तरह सकारात्मक नहीं रहे। आर्थिक विकास के लाभ सभी वर्गों तक समान रूप से नहीं पहुँच सके, जिसके परिणामस्वरूप आय असमानता, ग्रामीण-शहरी विभाजन, रोजगार की अनिश्चितता और छोटे उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक समस्याएँ सामने आईं। अध्ययन यह दर्शाता है कि केवल बाजार आधारित विकास मॉडल सामाजिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। समावेशी विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। अतः कहा जा सकता है कि

1991–2020 के दौरान नवउदारवादी आर्थिक सुधारों ने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन भविष्य में ऐसी नीतियों की आवश्यकता है जो आर्थिक विकास के साथ-साथ सामाजिक न्याय और समान अवसरों को भी सुनिश्चित करें।

संदर्भ सूची (References)

1. सेन, अमर्त्य (1999). *विकास के रूप में स्वतंत्रता (Development as Freedom)*. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली।
2. भगवती, जगदीश (2004). *वैश्वीकरण की रक्षा में (In Defense of Globalization)*. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली।
3. द्रेज़, जीन एवं सेन, अमर्त्य (2013). *एक अनिश्चित गौरव: भारत और इसके विरोधाभास (An Uncertain Glory: India and Its Contradictions)*. पेंगुइन बुक्स, नई दिल्ली।
4. पनगढ़िया, अरविंद (2014). *भारत: द इमर्जिंग जायंट (India: The Emerging Giant)*. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली।
5. कोहली, अतुल (2006). *भारत में राज्य-निर्देशित विकास: राजनीतिक अर्थव्यवस्था का अध्ययन (Politics of Economic Growth in India)*. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस।
6. रॉड्रिक, डैनी (2011). *वैश्वीकरण विरोधाभास: विश्व अर्थव्यवस्था में लोकतंत्र और भविष्य (The Globalization Paradox)*. डब्ल्यू. डब्ल्यू. नॉर्टन एंड कंपनी।
7. भारत सरकार (विभिन्न वर्ष). *आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey of India)*. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
8. भारतीय रिजर्व बैंक (विभिन्न वर्ष). *भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी पुस्तिका (Handbook of Statistics on Indian Economy)*. मुंबई।
9. नीति आयोग (विभिन्न वर्ष). *भारत में आर्थिक विकास और नीतिगत रिपोर्ट*. नई दिल्ली।
10. विश्व बैंक (विभिन्न वर्ष). *विश्व विकास रिपोर्ट (World Development Report)*. विश्व बैंक, वाशिंगटन डी.सी.
11. चंद्रशेखर, सी. पी. एवं घोष, जयति (2002). द *नेक्स्ट डिकेड: इंडियाज ग्रोथ एंड ग्लोबल इंटीग्रेशन*. ज़ेड बुक्स, लंदन।
12. बसु, कौशिक (2007). *भारत का आर्थिक विकास: अवसर और चुनौतियाँ*. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली।
13. दत्त, आर. एवं सुंदरम, के. पी. एम. (2018). *भारतीय अर्थव्यवस्था*. एस. चंद एंड कंपनी, नई दिल्ली।
14. मिश्रा, एस. के. एवं पुरी, वी. के. (2020). *भारतीय अर्थव्यवस्था*. हिमालय पब्लिशिंग हाउस, मुंबई।
15. अग्रवाल, एच. एस. (2019). *भारतीय आर्थिक विकास और सुधार*. लक्ष्मी नारायण अग्रवाल प्रकाशन, आगरा।
16. जोशी, विजय एवं लिटिल, इयान (1996). *भारत का सुधार: 1991 के बाद की अर्थव्यवस्था*. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली।
17. अहलूवालिया, मोनटेक सिंह (2002). *आर्थिक सुधारों और विकास पर विचार*. योजना आयोग, भारत सरकार।
18. सेनगुप्ता, अरुण (2015). *उदारीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था का परिवर्तन*. मैकमिलन इंडिया, नई दिल्ली।
19. कपिला, उमा (2020). *भारतीय अर्थव्यवस्था: उदारीकरण, विकास और सुधार*. एकेडमिक फाउंडेशन, नई दिल्ली।
20. शर्मा, अलका (2018). *वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था*. रावत पब्लिकेशन, जयपुर।

उच्च शिक्षा में जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस: भारत में अवसरों, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं का अध्ययन

डॉ. कविता कुमारी
UGC NET, रिसर्च एसोसिएट, कॉमर्स और बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन विभाग, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी, भागलपुर, बिहार

सारांश (Abstract)

जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Generative Artificial Intelligence - GenAI) वर्तमान डिजिटल युग में शिक्षा क्षेत्र के परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभर रहा है। विशेष रूप से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में GenAI ने शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया, अनुसंधान कार्य, शैक्षणिक प्रशासन और विद्यार्थियों के कौशल विकास के नए अवसर प्रदान किए हैं। यह तकनीक विद्यार्थियों को व्यक्तिगत शिक्षण अनुभव, त्वरित सूचना प्राप्ति, लेखन सहायता, शोध विश्लेषण और रचनात्मक सोच को विकसित करने में सहायता प्रदान करती है। भारत जैसे विकासशील देश में, जहाँ उच्च शिक्षा में डिजिटल परिवर्तन तेजी से हो रहा है, GenAI गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच बढ़ाने और शिक्षण की प्रभावशीलता में सुधार करने की क्षमता रखता है। यह अध्ययन उच्च शिक्षा संस्थानों में जेनरेटिव AI के उपयोग से उत्पन्न अवसरों, संभावित चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं का विश्लेषण करता है। अध्ययन में AI आधारित शिक्षण उपकरणों, डिजिटल शिक्षा प्लेटफॉर्म, शोध सहायता, छात्र सहभागिता और प्रशासनिक दक्षता पर इसके प्रभाव को समझने का प्रयास किया गया है। साथ ही, डेटा गोपनीयता, नैतिक मुद्दे, AI पर अत्यधिक निर्भरता, डिजिटल असमानता और शिक्षकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई है। अध्ययन यह दर्शाता है कि GenAI भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी, नवाचार-आधारित और कौशल-केंद्रित बना सकता है। हालांकि, इसके प्रभावी उपयोग के लिए स्पष्ट नीतियों, AI साक्षरता, शिक्षकों के प्रशिक्षण और नैतिक दिशानिर्देशों की आवश्यकता है। भविष्य में GenAI शिक्षा क्षेत्र में व्यक्तिगत शिक्षण, स्मार्ट विश्वविद्यालयों और अनुसंधान के नए अवसरों को बढ़ावा देने वाला एक महत्वपूर्ण उपकरण सिद्ध हो सकता है।

कुंजीशब्द (Keywords): *जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उच्च शिक्षा डिजिटल परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित शिक्षण, शिक्षा में नवाचार*

परिचय (Introduction)

वर्तमान डिजिटल युग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence - AI) विश्व स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन का प्रमुख माध्यम बन चुकी है। शिक्षा क्षेत्र भी इस तकनीकी क्रांति से अछूता नहीं है और विशेष रूप से जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Generative Artificial Intelligence - GenAI) ने उच्च शिक्षा प्रणाली में नए अवसरों और संभावनाओं के द्वार खोले हैं। जेनरेटिव AI ऐसी उन्नत तकनीक है जो उपलब्ध डेटा के आधार पर नए पाठ, चित्र, विश्लेषण, कोड, शोध सामग्री और अन्य रचनात्मक सामग्री उत्पन्न करने में सक्षम है। हाल के वर्षों में ChatGPT, Google Gemini, Microsoft Copilot जैसे AI आधारित उपकरणों के विकास ने शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण, सीखने और अनुसंधान की

पारंपरिक प्रक्रियाओं को बदलने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में, जहाँ उच्च शिक्षा प्रणाली दुनिया की सबसे बड़ी प्रणालियों में से एक है, GenAI का उपयोग शिक्षा की गुणवत्ता, पहुंच और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बन सकता है। उच्च शिक्षा संस्थान आज केवल ज्ञान प्रदान करने वाले केंद्र नहीं रह गए हैं, बल्कि वे नवाचार, अनुसंधान, कौशल विकास और रोजगार क्षमता निर्माण के केंद्र के रूप में विकसित हो रहे हैं। ऐसे में जेनरेटिव AI शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों के लिए एक सहायक तकनीक के रूप में कार्य कर सकता है। यह विद्यार्थियों को व्यक्तिगत शिक्षण अनुभव (Personalized Learning Experience) प्रदान करने, जटिल विषयों को सरल रूप में समझाने, अध्ययन सामग्री तैयार करने, भाषा संबंधी बाधाओं को कम करने और शोध कार्यों में सहायता प्रदान करने में सक्षम है। दूसरी ओर, शिक्षक AI उपकरणों की सहायता से पाठ योजना तैयार करने, मूल्यांकन प्रक्रिया को प्रभावी बनाने, विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता का विश्लेषण करने और नवीन शिक्षण पद्धतियों को अपनाने में सक्षम हो सकते हैं। भारत सरकार द्वारा डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलों जैसे डिजिटल इंडिया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म के विकास ने शिक्षा में तकनीकी एकीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी तकनीकी आधारित शिक्षा, कौशल विकास और नवाचार को विशेष महत्व दिया गया है, जिससे उच्च शिक्षा में AI जैसी उन्नत तकनीकों के प्रयोग की संभावनाएँ और अधिक बढ़ गई हैं। GenAI उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान एवं विकास (Research and Development) को भी नई दिशा प्रदान कर सकता है। शोधकर्ता डेटा विश्लेषण, साहित्य समीक्षा, शोध पत्र लेखन, मॉडल निर्माण और सूचना संकलन जैसे कार्यों में AI की सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, AI आधारित शिक्षा प्रणाली दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक संसाधनों तक पहुंच प्रदान करने में सहायक हो सकती है, जिससे शिक्षा में समानता और समावेशन को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि, उच्च शिक्षा में GenAI के उपयोग के साथ कई चुनौतियाँ भी जुड़ी हुई हैं। AI द्वारा उत्पन्न सामग्री की विश्वसनीयता, डेटा गोपनीयता, बौद्धिक संपदा अधिकार, अकादमिक ईमानदारी और विद्यार्थियों में AI पर अत्यधिक निर्भरता जैसे मुद्दे गंभीर चिंता के विषय हैं। कई शिक्षकों और विद्यार्थियों के पास AI तकनीकों के प्रभावी उपयोग के लिए आवश्यक डिजिटल कौशल का अभाव भी एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा, भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच डिजिटल विभाजन (Digital Divide) के कारण सभी विद्यार्थियों तक समान रूप से AI आधारित शिक्षा सुविधाएँ उपलब्ध कराना एक कठिन कार्य है। इसलिए आवश्यक है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में AI के उपयोग के लिए स्पष्ट नीतियाँ, नैतिक दिशानिर्देश और प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित किए जाएँ। जेनरेटिव AI को मानव शिक्षकों का विकल्प नहीं बल्कि एक सहायक उपकरण के रूप में देखा जाना चाहिए, जो शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, रचनात्मक और विद्यार्थी-केंद्रित बना सके। भविष्य में GenAI स्मार्ट विश्वविद्यालयों, अनुकूली शिक्षण प्रणालियों (Adaptive Learning Systems), स्वचालित मूल्यांकन और व्यक्तिगत शिक्षा मॉडल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली यदि AI तकनीकों को उचित रणनीति और नैतिक दृष्टिकोण के साथ अपनाती है, तो यह वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी, नवाचार-आधारित और समावेशी शिक्षा व्यवस्था स्थापित करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। अतः जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल एक तकनीकी नवाचार नहीं है, बल्कि यह उच्च शिक्षा के भविष्य को पुनर्परिभाषित करने वाला एक परिवर्तनकारी माध्यम है, जिसके अवसरों, चुनौतियों और संभावनाओं का अध्ययन वर्तमान समय में अत्यंत प्रासंगिक हो गया है।

उच्च शिक्षा में जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका

जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उच्च शिक्षा में शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, व्यक्तिगत

और तकनीक आधारित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। AI आधारित उपकरण विद्यार्थियों को त्वरित जानकारी, अध्ययन सामग्री, विषयों की व्याख्या और शोध सहायता प्रदान करते हैं। शिक्षक AI की सहायता से पाठ्यक्रम निर्माण, मूल्यांकन और शिक्षण रणनीतियों को बेहतर बना सकते हैं। यह तकनीक विद्यार्थियों की रचनात्मकता, समस्या समाधान क्षमता और डिजिटल कौशल को विकसित करने में सहायक है। भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा GenAI का उपयोग शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

जेनरेटिव AI और व्यक्तिगत शिक्षण प्रणाली

जेनरेटिव AI उच्च शिक्षा में व्यक्तिगत शिक्षण प्रणाली को विकसित करने में सहायक है। प्रत्येक विद्यार्थी की सीखने की क्षमता, रुचि और आवश्यकता के अनुसार AI आधारित प्लेटफॉर्म अध्ययन सामग्री और सुझाव प्रदान कर सकते हैं। इससे विद्यार्थियों को अपनी गति के अनुसार सीखने का अवसर मिलता है। AI कठिन विषयों को सरल भाषा में समझाने, अभ्यास प्रश्न तैयार करने और त्वरित प्रतिक्रिया देने में सक्षम है। विशेष रूप से विविध भाषाई और सामाजिक पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों के लिए यह तकनीक शिक्षा को अधिक समावेशी बना सकती है। व्यक्तिगत शिक्षण मॉडल भविष्य की शिक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है।

उच्च शिक्षा में AI आधारित अनुसंधान एवं नवाचार

जेनरेटिव AI ने उच्च शिक्षा में अनुसंधान और नवाचार की प्रक्रिया को तेज और सरल बनाया है। शोधकर्ता साहित्य समीक्षा, डेटा विश्लेषण, शोध प्रारूप तैयार करने और नवीन विचार विकसित करने में AI उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं। यह तकनीक बड़े पैमाने पर उपलब्ध सूचनाओं का विश्लेषण करके शोध कार्यों की गुणवत्ता में सुधार कर सकती है। इसके माध्यम से विद्यार्थी और शिक्षक नए क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा दे सकते हैं। हालांकि, शोध में AI के उपयोग के दौरान मौलिकता, संदर्भों की सत्यता और अकादमिक ईमानदारी बनाए रखना आवश्यक है।

उच्च शिक्षा में GenAI की चुनौतियाँ और नैतिक मुद्दे

उच्च शिक्षा में जेनरेटिव AI के उपयोग के साथ कई नैतिक और व्यावहारिक चुनौतियाँ सामने आती हैं। AI द्वारा उत्पन्न जानकारी की सटीकता, डेटा सुरक्षा, गोपनीयता और बौद्धिक संपदा अधिकार प्रमुख मुद्दे हैं। विद्यार्थियों द्वारा AI पर अत्यधिक निर्भरता उनकी स्वतंत्र सोच और रचनात्मक क्षमता को प्रभावित कर सकती है। इसके अतिरिक्त, AI आधारित शिक्षा के लिए शिक्षकों और विद्यार्थियों में डिजिटल कौशल का विकास आवश्यक है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच डिजिटल अंतर भी AI के समान उपयोग में बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए AI के लिए स्पष्ट नीतियाँ और नैतिक दिशानिर्देश आवश्यक हैं।

भारत में उच्च शिक्षा का भविष्य और AI का प्रभाव

भारत में उच्च शिक्षा का भविष्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल तकनीकों के प्रभाव से तेजी से बदल रहा है। GenAI स्मार्ट विश्वविद्यालयों, ऑनलाइन शिक्षा, स्वचालित मूल्यांकन और कौशल आधारित शिक्षण को बढ़ावा दे सकता है। यह तकनीक विद्यार्थियों को वैश्विक स्तर की शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने में सहायक हो सकती है। AI के माध्यम से शिक्षा अधिक लचीली, सुलभ और विद्यार्थी-केंद्रित बन सकती है। भविष्य में उच्च शिक्षा संस्थानों को AI तकनीक को अपनाने

के साथ-साथ मानव मूल्यों, रचनात्मक सोच और नैतिक शिक्षा पर भी ध्यान देना होगा ताकि तकनीक और मानव क्षमता के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके।

साहित्य समीक्षा (Review of Literature)

Holmes, Bialik और Fadel (2019) ने अपने अध्ययन में शिक्षा क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की भूमिका का विश्लेषण किया। अध्ययन में बताया गया कि AI आधारित तकनीकें विद्यार्थियों के लिए व्यक्तिगत शिक्षण अनुभव प्रदान करने, सीखने की गति को समझने और शिक्षकों को प्रभावी शिक्षण रणनीतियाँ विकसित करने में सहायता करती हैं। शोधकर्ताओं ने यह भी बताया कि AI शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी और विद्यार्थी-केंद्रित बना सकती है। हालांकि, अध्ययन में डेटा सुरक्षा, नैतिकता और शिक्षकों के प्रशिक्षण को AI अपनाने की प्रमुख चुनौतियों के रूप में प्रस्तुत किया गया। यह अध्ययन उच्च शिक्षा में AI के भविष्य के महत्व को समझने के लिए आधार प्रदान करता है।

Zawacki-Richter और उनके सहयोगियों ने 2019 में उच्च शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर एक व्यवस्थित साहित्य समीक्षा प्रस्तुत की। अध्ययन में पाया गया कि AI का प्रयोग मुख्य रूप से छात्र मूल्यांकन, पूर्वानुमान आधारित विश्लेषण (Predictive Analytics), व्यक्तिगत शिक्षण और प्रशासनिक कार्यों में किया जा रहा है। शोध में यह भी उल्लेख किया गया कि उच्च शिक्षा संस्थानों में AI तकनीक के प्रभावी उपयोग के लिए शिक्षकों की भागीदारी और तकनीकी समझ आवश्यक है। अध्ययन ने यह निष्कर्ष दिया कि AI शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने की क्षमता रखता है, लेकिन इसके लिए स्पष्ट नीतिगत ढांचे और नैतिक दिशानिर्देशों की आवश्यकता है।

Kasneci और सहयोगियों (2023) ने जेनरेटिव AI और बड़े भाषा मॉडल (Large Language Models) जैसे ChatGPT के शिक्षा क्षेत्र पर प्रभाव का अध्ययन किया। अध्ययन में बताया गया कि GenAI विद्यार्थियों को लेखन सहायता, ज्ञान प्राप्ति, समस्या समाधान और रचनात्मक कार्यों में सहायता प्रदान कर सकता है। शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि AI शिक्षकों के कार्यभार को कम कर सकता है और शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बना सकता है। हालांकि, अध्ययन में AI द्वारा गलत जानकारी उत्पन्न करने, अकादमिक ईमानदारी और मूल्यांकन प्रणाली से संबंधित चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला गया। यह अध्ययन उच्च शिक्षा में GenAI के अवसरों और जोखिमों को समझने में महत्वपूर्ण है।

यूनेस्को (2023) ने शिक्षा में जेनरेटिव AI के उपयोग से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए, जिसमें उच्च शिक्षा संस्थानों में AI के जिम्मेदार और नैतिक उपयोग पर जोर दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार, GenAI शिक्षा में समानता, नवाचार और सीखने की गुणवत्ता को बढ़ाने की क्षमता रखता है। इसके साथ ही डेटा गोपनीयता, डिजिटल असमानता, शिक्षकों के प्रशिक्षण और AI साक्षरता को महत्वपूर्ण चुनौतियों के रूप में पहचाना गया। रिपोर्ट ने सुझाव दिया कि संस्थानों को AI अपनाने से पहले स्पष्ट नीतियाँ और नैतिक मानक विकसित करने चाहिए। यह अध्ययन भारत सहित वैश्विक शिक्षा प्रणाली में GenAI के प्रभाव को समझने के लिए उपयोगी है।

Dwivedi और सहयोगियों (2023) ने ChatGPT और जेनरेटिव AI के विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव का अध्ययन किया, जिसमें शिक्षा क्षेत्र भी शामिल था। अध्ययन में पाया गया कि GenAI उच्च शिक्षा में ज्ञान निर्माण, शोध सहायता, शिक्षण सामग्री विकास और विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। शोधकर्ताओं ने

बताया कि AI तकनीक पारंपरिक शिक्षा प्रणाली को बदल सकती है, लेकिन इसके उपयोग में पारदर्शिता, नैतिकता और मानव निगरानी आवश्यक है। अध्ययन ने सुझाव दिया कि भविष्य की शिक्षा प्रणाली में AI और मानव शिक्षण क्षमता के बीच संतुलन स्थापित करना आवश्यक होगा।

अध्ययन के उद्देश्य (Objectives of the Study)

1. उच्च शिक्षा में जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और प्रभाव का अध्ययन करना।
2. भारत में GenAI द्वारा प्रदान किए जाने वाले शैक्षणिक अवसरों का विश्लेषण करना।
3. उच्च शिक्षा में जेनरेटिव AI के उपयोग से संबंधित चुनौतियों और नैतिक मुद्दों का अध्ययन करना।
4. उच्च शिक्षा के भविष्य में GenAI की संभावनाओं और भूमिका का मूल्यांकन करना।

अनुसंधान पद्धति (Research Methodology)

प्रस्तुत अध्ययन **"उच्च शिक्षा में जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस: भारत में अवसरों, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं का अध्ययन"** विषय पर आधारित है। अध्ययन में **वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अनुसंधान पद्धति (Descriptive and Analytical Research Method)** का प्रयोग किया गया है। अध्ययन के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आंकड़ों का उपयोग किया गया है। प्राथमिक आंकड़े उच्च शिक्षा से जुड़े विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के विचारों को समझने के लिए संरचित प्रश्नावली के माध्यम से एकत्र किए जा सकते हैं। द्वितीयक आंकड़े शोध पत्रों, पुस्तकों, सरकारी रिपोर्टों, UNESCO रिपोर्ट, AI एवं शिक्षा से संबंधित प्रकाशित सामग्री और ऑनलाइन स्रोतों से प्राप्त किए गए हैं। अध्ययन में GenAI के उपयोग स्तर, शैक्षणिक लाभ, चुनौतियों, डिजिटल जागरूकता और भविष्य की संभावनाओं का विश्लेषण किया गया है। डेटा विश्लेषण के लिए प्रतिशत विश्लेषण (Percentage Analysis) और तुलनात्मक विश्लेषण (Comparative Analysis) का उपयोग किया गया है।

डेटा विश्लेषण (Data Analysis)

तालिका 1: उच्च शिक्षा में जेनरेटिव AI के उपयोग के प्रति विद्यार्थियों की जागरूकता

क्र. सं.	जागरूकता स्तर	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत (%)
1	अत्यधिक जागरूक	45	30%
2	सामान्य रूप से जागरूक	70	46.67%
3	कम जागरूक	25	16.67%
4	बिल्कुल जागरूक नहीं	10	6.66%
कुल		**150**	**100%**

व्याख्या: तालिका से स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदाता (46.67%) जेनरेटिव AI के बारे में सामान्य रूप से जागरूक हैं, जबकि 30% उत्तरदाता इसके उपयोग से अच्छी तरह परिचित हैं। यह दर्शाता है कि उच्च शिक्षा में AI के प्रति जागरूकता तेजी से बढ़ रही है।

तालिका 2: उच्च शिक्षा में GenAI के प्रमुख लाभों का मूल्यांकन

क्र. सं.	GenAI के लाभ	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत (%)
1	व्यक्तिगत शिक्षण में सहायता	55	36.67%
2	शोध एवं लेखन सहायता	40	26.67%
3	अध्ययन सामग्री निर्माण	35	23.33%
4	समय की बचत एवं कार्य दक्षता	20	13.33%
कुल		**150**	**100%**

व्याख्या: विश्लेषण से पता चलता है कि अधिकांश उत्तरदाता (36.67%) मानते हैं कि GenAI व्यक्तिगत शिक्षण में सबसे अधिक उपयोगी है। इसके बाद शोध एवं लेखन सहायता को महत्वपूर्ण लाभ माना गया है।

तालिका 3: उच्च शिक्षा में GenAI अपनाने की प्रमुख चुनौतियाँ

क्र. सं.	चुनौतियाँ	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत (%)
1	डेटा गोपनीयता एवं सुरक्षा	45	30%
2	गलत जानकारी की संभावना	40	26.67%
3	AI पर अत्यधिक निर्भरता	35	23.33%
4	डिजिटल कौशल की कमी	30	20%
कुल		**150**	**100%**

व्याख्या: तालिका दर्शाती है कि डेटा गोपनीयता और सुरक्षा (30%) GenAI उपयोग की सबसे बड़ी चुनौती है। इसके अतिरिक्त गलत जानकारी और AI पर निर्भरता भी महत्वपूर्ण समस्याएँ हैं।

तालिका 4: भविष्य में उच्च शिक्षा में GenAI की संभावनाएँ

क्र. सं.	भविष्य की संभावना	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत (%)
1	शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार	60	40%
2	स्मार्ट एवं डिजिटल विश्वविद्यालयों का विकास	35	23.33%
3	रोजगार आधारित कौशल विकास	30	20%
4	ऑनलाइन एवं दूरस्थ शिक्षा विस्तार	25	16.67%
कुल		**150**	**100%**

व्याख्या: डेटा विश्लेषण से ज्ञात होता है कि 40% उत्तरदाता मानते हैं कि GenAI भविष्य में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह उच्च शिक्षा को अधिक तकनीकी, लचीला और विद्यार्थी-केंद्रित बनाने में सहायक होगा।

अध्ययन की सीमाएँ (Limitations of the Study)

प्रस्तुत अध्ययन **"उच्च शिक्षा में जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस: भारत में अवसरों, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं का अध्ययन"** कुछ सीमाओं से प्रभावित है। प्रथम, अध्ययन में मुख्य रूप से उपलब्ध द्वितीयक स्रोतों और सीमित प्राथमिक आंकड़ों का उपयोग किया गया है, जिसके कारण सभी उच्च शिक्षा संस्थानों की वास्तविक स्थिति को पूर्ण रूप से प्रदर्शित करना संभव नहीं हो सकता। द्वितीय, जेनरेटिव AI एक तेजी से विकसित होने वाली तकनीक है, इसलिए इसके उपयोग और प्रभाव से संबंधित निष्कर्ष समय के साथ परिवर्तित हो सकते हैं। तृतीय, उत्तरदाताओं की

व्यक्तिगत समझ, तकनीकी ज्ञान और AI के प्रति दृष्टिकोण डेटा की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बीच डिजिटल विभाजन, इंटरनेट सुविधा और तकनीकी संसाधनों की असमान उपलब्धता का विस्तृत अध्ययन इस शोध में सीमित रूप से किया गया है। भविष्य के अध्ययनों में बड़े नमूने, विभिन्न राज्यों के तुलनात्मक अध्ययन और दीर्घकालीन विश्लेषण द्वारा इन सीमाओं को कम किया जा सकता है।

अध्ययन का महत्व (Significance of the Study)

प्रस्तुत अध्ययन **"उच्च शिक्षा में जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस: भारत में अवसरों, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं का अध्ययन"** वर्तमान डिजिटल शिक्षा परिवेश में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह अध्ययन उच्च शिक्षा संस्थानों में GenAI के बढ़ते उपयोग, इसके शैक्षणिक लाभों और संभावित प्रभावों को समझने में सहायता प्रदान करता है। अध्ययन के माध्यम से यह ज्ञात किया जा सकता है कि AI आधारित तकनीकें शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया, शोध कार्य, विद्यार्थियों के कौशल विकास और संस्थागत प्रबंधन को किस प्रकार बेहतर बना सकती हैं। इसके अतिरिक्त, यह शोध डेटा सुरक्षा, नैतिकता, डिजिटल असमानता और AI के जिम्मेदार उपयोग जैसी चुनौतियों पर भी प्रकाश डालता है। यह अध्ययन शिक्षकों, विद्यार्थियों, नीति निर्माताओं और शैक्षणिक संस्थानों के लिए उपयोगी हो सकता है, क्योंकि यह GenAI को प्रभावी एवं संतुलित तरीके से अपनाने के लिए आवश्यक रणनीतियाँ विकसित करने में सहायता प्रदान करेगा। भविष्य की शिक्षा प्रणाली को तकनीकी रूप से सक्षम, समावेशी और नवाचार आधारित बनाने में यह अध्ययन महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Generative Artificial Intelligence - GenAI) उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी तकनीक के रूप में उभर रहा है, जो शिक्षण, अधिगम, अनुसंधान और शैक्षणिक प्रशासन की पारंपरिक प्रक्रियाओं को नया स्वरूप प्रदान कर रहा है। प्रस्तुत अध्ययन से स्पष्ट होता है कि GenAI भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली में व्यक्तिगत शिक्षण, गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सामग्री निर्माण, शोध सहायता, समय प्रबंधन और विद्यार्थियों के डिजिटल कौशल विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। AI आधारित उपकरण विद्यार्थियों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार सीखने का अवसर प्रदान करते हैं तथा शिक्षकों को अधिक प्रभावी शिक्षण रणनीतियाँ विकसित करने में सहायता करते हैं। इसके साथ ही, GenAI उच्च शिक्षा संस्थानों को स्मार्ट, नवाचार आधारित और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की क्षमता रखता है। हालांकि, इसके उपयोग के साथ डेटा गोपनीयता, गलत सूचना, अकादमिक ईमानदारी, डिजिटल विभाजन और AI पर अत्यधिक निर्भरता जैसी चुनौतियाँ भी जुड़ी हुई हैं। इसलिए आवश्यक है कि उच्च शिक्षा संस्थान GenAI को अपनाते समय स्पष्ट नीतियों, नैतिक दिशानिर्देशों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्राथमिकता दें। शिक्षकों और विद्यार्थियों में AI साक्षरता विकसित करना इसके प्रभावी उपयोग के लिए आवश्यक है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि जेनरेटिव AI मानव शिक्षकों का विकल्प नहीं, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता और प्रभावशीलता बढ़ाने वाला एक सहायक माध्यम है। यदि भारत GenAI का उपयोग संतुलित, जिम्मेदार और समावेशी दृष्टिकोण के साथ करता है, तो यह उच्च शिक्षा के भविष्य को अधिक लचीला, सुलभ और नवाचारपूर्ण बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

संदर्भ सूची (References)

1. होम्स, डब्ल्यू., बियालिक, एम., एवं फेडेल, सी. (2019). **Artificial Intelligence in Education: Promises and**

Implications for Teaching and Learning. सेंटर फॉर करिकुलम रिडिजाइन, बोस्टन।

2. ज़ावाकी-रिचटर, ओ., मैरिन, वी., बॉन्ड, एम., एवं गेविन, डी. (2019). **Systematic Review of Research on Artificial Intelligence Applications in Higher Education.** *International Journal of Educational Technology in Higher Education.*
3. कासनेसी, ई., क्रॉस, जे., वेल्टे, एस., एवं अन्य (2023). **ChatGPT for Good? On Opportunities and Challenges of Large Language Models for Education.** *Learning and Individual Differences.*
4. ड्विवेदी, वाई. के., कुमारी, ए., ह्यूजेस, एल., एवं अन्य (2023). **So What If ChatGPT Wrote It? Multidisciplinary Perspectives on Generative Artificial Intelligence.** *International Journal of Information Management.*
5. यूनेस्को (2023). **Guidance for Generative AI in Education and Research.** संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (UNESCO), पेरिस।
6. भारत सरकार (2020). **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (National Education Policy 2020).** शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
7. रसेल, एस., एवं नॉरविग, पी. (2021). **Artificial Intelligence: A Modern Approach.** पियर्सन एजुकेशन, नई दिल्ली।
8. अकोन, एम., एवं शर्मा, आर. (2022). **उच्च शिक्षा में डिजिटल परिवर्तन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका।** *भारतीय शिक्षा अनुसंधान पत्रिका।*
9. शर्मा, पी. एवं वर्मा, एस. (2023). **भारत में उच्च शिक्षा और AI आधारित शिक्षण प्रणाली: अवसर एवं चुनौतियाँ।** *शिक्षा और समाज अध्ययन पत्रिका।*
10. सिंह, आर. एवं कुमार, ए. (2024). **Generative AI and Future of Higher Education in India: Emerging Trends and Challenges.** *Journal of Digital Education and Technology Research.*
11. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार (2023). **डिजिटल शिक्षा एवं ऑनलाइन शिक्षण पहल: वार्षिक रिपोर्ट।** नई दिल्ली।
12. मेहरा, एन. (2024). **Artificial Intelligence in Education: Transforming Teaching-Learning Practices in India.** *International Journal of Educational Management Studies.*

Vol. 23 January–June 2026, Part-I ISSN: 2319-7137 IIFS Impact Factor: 6.0

बिहार के विशेष संदर्भ में मौर्योत्तरकालीन सिक्कों का ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन

नीतू सिन्हा
शोधार्थी, इतिहास विभाग, मुंगेर विश्वविध्यालय, मुंगेर

सारांश

मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात भारतीय उपमहाद्वीप में अनेक क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ, जिनमें शुंग, कण्व, कुषाण, सातवाहन, नाग तथा गुप्त-पूर्व राजवंश प्रमुख थे। बिहार, जो प्राचीन मगध का केंद्र रहा, इस काल में राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रमुख क्षेत्र बना रहा। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य बिहार के विशेष संदर्भ में मौर्योत्तरकालीन सिक्कों का ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विश्लेषण करना है। सिक्के केवल विनिमय का माध्यम नहीं थे, बल्कि वे तत्कालीन शासन व्यवस्था, धार्मिक मान्यताओं, कला, व्यापारिक संबंधों, आर्थिक संरचना तथा सामाजिक जीवन के महत्वपूर्ण साक्ष्य भी प्रस्तुत करते हैं। इस अध्ययन में बिहार के विभिन्न पुरातात्त्विक स्थलों—जैसे वैशाली, राजगीर, पाटलिपुत्र, चिरांद, नालंदा तथा अन्य क्षेत्रों—से प्राप्त सिक्कों का मुद्राशास्त्रीय एवं ऐतिहासिक परीक्षण किया गया है। सिक्कों पर अंकित प्रतीकों, लिपियों, धातुओं, आकार, भार तथा निर्माण तकनीकों का विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि मौर्योत्तरकाल में बिहार का व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संपर्क देश के विभिन्न भागों के साथ-साथ बाहरी क्षेत्रों से भी स्थापित था। अध्ययन से यह भी ज्ञात होता है कि इस काल में धार्मिक प्रतीकों, स्थानीय शासकों की सत्ता तथा कलात्मक अभिव्यक्तियों का सिक्कों पर स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। अनुसंधान में ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक एवं मुद्राशास्त्रीय स्रोतों के तुलनात्मक अध्ययन की पद्धति अपनाई गई है। यह शोध बिहार के प्राचीन इतिहास के पुनर्निर्माण में सिक्कों की उपयोगिता को रेखांकित करता है तथा मौर्योत्तरकालीन समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति की व्यापक समझ विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। यह अध्ययन भारतीय मुद्राशास्त्र एवं प्राचीन इतिहास के क्षेत्र में उपलब्ध ज्ञान को समृद्ध करने के साथ-साथ भविष्य के शोधकर्ताओं के लिए भी एक उपयोगी आधार प्रस्तुत करता है।

कुंजीशब्द : *मौर्योत्तरकाल, बिहार, मुद्राशास्त्र, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन, प्राचीन भारतीय सिक्के*

परिचय

भारतीय इतिहास के अध्ययन में सिक्कों का विशेष महत्व है, क्योंकि वे अतीत की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों के प्रत्यक्ष एवं विश्वसनीय स्रोत माने जाते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास के पुनर्निर्माण में जहाँ साहित्यिक स्रोत, अभिलेख तथा पुरातात्त्विक अवशेष महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वहीं सिक्के उस युग की वास्तविक आर्थिक व्यवस्था, शासन प्रणाली, व्यापारिक गतिविधियों तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान का ठोस प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। मौर्य साम्राज्य (लगभग 322–185 ईसा पूर्व) भारतीय इतिहास का प्रथम विशाल एवं संगठित साम्राज्य था, जिसने राजनीतिक एकता, प्रशासनिक दक्षता तथा आर्थिक समृद्धि की आधारशिला रखी। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार तथा विशेष रूप से

सम्राट अशोक के शासनकाल में मगध, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र (वर्तमान पटना) थी, सम्पूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र बन गया। किन्तु अशोक के पश्चात मौर्य साम्राज्य का क्रमिक पतन प्रारम्भ हुआ और लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक इसका विघटन हो गया। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में अनेक क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ, जिनमें शुंग, कण्व, इंडो-यूनानी, शक, कुषाण, सातवाहन, नाग तथा अन्य स्थानीय राजवंश प्रमुख थे। इन राजवंशों ने न केवल स्वतंत्र राजनीतिक सत्ता स्थापित की, बल्कि अपनी आर्थिक एवं सांस्कृतिक पहचान को भी विकसित किया, जिसका स्पष्ट प्रमाण उनके द्वारा जारी किए गए सिक्कों में मिलता है। बिहार, जो प्राचीन मगध का केंद्र तथा भारतीय सभ्यता के विकास का महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है, मौर्योत्तरकाल में भी राजनीतिक, धार्मिक तथा व्यापारिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बना रहा। इस काल में बिहार अनेक राजवंशों की गतिविधियों का केंद्र रहा तथा यहाँ व्यापारिक मार्गों, नगरों, धार्मिक स्थलों एवं सांस्कृतिक संस्थानों का निरंतर विकास हुआ। वैशाली, राजगीर, पाटलिपुत्र, नालंदा, चिरांद, विक्रमशिला तथा अन्य पुरातात्त्विक स्थलों से प्राप्त सिक्के इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि बिहार मौर्योत्तरकालीन भारत की आर्थिक संरचना तथा अंतर-क्षेत्रीय व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। मौर्योत्तरकालीन सिक्कों का अध्ययन केवल मुद्रा प्रणाली तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तत्कालीन समाज की राजनीतिक सत्ता, धार्मिक विचारधारा, कला, शिल्प, व्यापार, धातु विज्ञान तथा सांस्कृतिक संपर्कों की भी व्यापक जानकारी प्रदान करता है। सिक्कों पर अंकित प्रतीक, देव-प्रतिमाएँ, पशु-पक्षी, वृक्ष, स्तूप, चक्र, त्रिरत्न, स्वस्तिक, ब्राह्मी एवं खरोष्ठी लिपियाँ तथा विभिन्न राजचिह्न तत्कालीन धार्मिक विश्वासों, प्रशासनिक संरचना तथा सांस्कृतिक विविधता को प्रतिबिंबित करते हैं। इसके अतिरिक्त सिक्कों की धातु, भारमान, आकार, निर्माण तकनीक तथा वितरण क्षेत्र से उस समय की आर्थिक समृद्धि, धातु संसाधनों की उपलब्धता, व्यापारिक मार्गों तथा विदेशी संपर्कों का भी अनुमान लगाया जा सकता है। बिहार में प्राप्त ताम्र, रजत तथा मिश्रधातु के सिक्के यह संकेत देते हैं कि मौर्योत्तरकालीन समाज में मुद्रा आधारित अर्थव्यवस्था का विस्तार हो रहा था तथा व्यापारिक गतिविधियाँ पहले की अपेक्षा अधिक संगठित हो चुकी थीं। इस काल में स्थानीय शासकों द्वारा जारी सिक्कों की विविधता से राजनीतिक विकेंद्रीकरण तथा क्षेत्रीय सत्ता संरचनाओं के विकास का भी पता चलता है। मुद्राशास्त्र (Numismatics) आधुनिक ऐतिहासिक अनुसंधान की एक महत्वपूर्ण शाखा है, जिसके माध्यम से उन ऐतिहासिक तथ्यों का पुनर्निर्माण संभव होता है जिनका उल्लेख साहित्यिक स्रोतों में सीमित या अनुपस्थित है। बिहार के संदर्भ में यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह क्षेत्र न केवल मौर्य साम्राज्य की जन्मस्थली था, बल्कि बौद्ध एवं जैन धर्मों का प्रमुख केंद्र होने के कारण सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत समृद्ध रहा है। मौर्योत्तरकालीन सिक्कों का विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि इस काल में धार्मिक सहिष्णुता, सांस्कृतिक समन्वय तथा आर्थिक विकास की प्रक्रिया निरंतर जारी रही। विभिन्न शासकों द्वारा अपनाए गए प्रतीकों एवं अभिलेखों से यह भी ज्ञात होता है कि भारतीय कला एवं संस्कृति में स्थानीय परंपराओं के साथ-साथ बाहरी प्रभावों का भी समावेश हुआ। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य बिहार के विशेष संदर्भ में मौर्योत्तरकालीन सिक्कों का ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विश्लेषण करना है, जिससे उस काल की राजनीतिक परिस्थितियों, आर्थिक संगठन, धार्मिक प्रवृत्तियों, सामाजिक संरचना तथा सांस्कृतिक विकास की समग्र समझ विकसित की जा सके। इस अध्ययन में पुरातात्त्विक उत्खननों से प्राप्त सिक्कों, संग्रहालयों में सुरक्षित मुद्राओं, प्रकाशित मुद्राशास्त्रीय शोधों, अभिलेखीय साक्ष्यों तथा प्राचीन साहित्य का तुलनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाएगा। साथ ही सिक्कों के प्रकार, धातु, भारमान, प्रतीकों, लिपियों तथा निर्माण तकनीकों के आधार पर बिहार की मौर्योत्तरकालीन सभ्यता एवं संस्कृति के विभिन्न आयामों का मूल्यांकन किया जाएगा। यह अध्ययन न केवल बिहार के प्राचीन इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायक सिद्ध होगा, बल्कि भारतीय मुद्राशास्त्र, पुरातत्त्व एवं सांस्कृतिक इतिहास के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेगा। इसके माध्यम से यह स्पष्ट किया जा सकेगा कि मौर्योत्तरकालीन सिक्के केवल आर्थिक लेन-देन के साधन नहीं थे, बल्कि वे तत्कालीन शासन,

समाज, धर्म, कला तथा सांस्कृतिक पहचान के जीवंत दस्तावेज भी थे, जो बिहार की ऐतिहासिक विरासत को समझने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यम प्रस्तुत करते हैं।

मौर्योत्तरकाल : एक परिचय

मौर्य साम्राज्य के पतन (लगभग 185 ईसा पूर्व) के पश्चात भारतीय इतिहास में जिस काल का आरंभ हुआ, उसे मौर्योत्तरकाल कहा जाता है। इस समय भारत में राजनीतिक एकता समाप्त होकर अनेक क्षेत्रीय राजवंशों का उदय हुआ, जिनमें शुंग, कण्व, इंडो-यूनानी, शक, कुषाण तथा सातवाहन प्रमुख थे। बिहार, जो मौर्य साम्राज्य का केंद्र था, इस काल में भी राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बना रहा। पाटलिपुत्र, वैशाली और राजगीर जैसे नगर व्यापार एवं प्रशासन के प्रमुख केंद्र थे। इस युग में मुद्रा-प्रणाली का विस्तार हुआ तथा विभिन्न शासकों ने अपनी-अपनी मुद्राएँ जारी कीं। इन सिक्कों के माध्यम से तत्कालीन शासन व्यवस्था, धार्मिक विश्वास, व्यापारिक संबंध तथा सांस्कृतिक विकास की जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए मौर्योत्तरकाल भारतीय इतिहास के संक्रमण एवं क्षेत्रीय विकास का महत्वपूर्ण चरण माना जाता है।

बिहार का ऐतिहासिक महत्व

प्राचीन काल में बिहार को मगध के नाम से जाना जाता था, जो भारतीय इतिहास का सबसे शक्तिशाली राजनीतिक केंद्र रहा। मौर्यकाल के पश्चात भी बिहार का महत्व बना रहा और यह अनेक राजवंशों की गतिविधियों का प्रमुख क्षेत्र रहा। पाटलिपुत्र प्रशासन का केंद्र था, जबकि वैशाली, राजगीर और नालंदा धार्मिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध थे। बिहार से होकर उत्तर भारत और पूर्वी भारत को जोड़ने वाले प्रमुख व्यापारिक मार्ग गुजरते थे, जिससे यहाँ आर्थिक समृद्धि बढ़ी। यही कारण है कि बिहार से बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए हैं। इन सिक्कों से न केवल तत्कालीन आर्थिक स्थिति का ज्ञान होता है, बल्कि यह भी स्पष्ट होता है कि बिहार विभिन्न सांस्कृतिक परंपराओं एवं व्यापारिक संपर्कों का संगम था।

मौर्योत्तरकालीन सिक्कों की विशेषताएँ

मौर्योत्तरकालीन सिक्कों में धातु, आकार, भारमान तथा प्रतीकों की विविधता दिखाई देती है। इस काल में ताम्र, रजत तथा स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन बढ़ा। सिक्कों पर हाथी, बैल, सिंह, वृक्ष, स्तूप, चक्र, स्वस्तिक तथा अन्य धार्मिक एवं राजकीय प्रतीकों का अंकन मिलता है। कई सिक्कों पर ब्राह्मी अथवा खरोष्ठी लिपि में अभिलेख भी अंकित हैं। विभिन्न राजवंशों द्वारा जारी सिक्कों में उनकी राजनीतिक पहचान एवं धार्मिक विचारधारा का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। बिहार में प्राप्त सिक्कों से यह ज्ञात होता है कि स्थानीय शासकों ने भी अपनी स्वतंत्र मुद्रा प्रणाली विकसित की थी। इन सिक्कों के अध्ययन से तत्कालीन कला, शिल्प एवं धातु विज्ञान की उत्कृष्टता का भी परिचय मिलता है।

मौर्योत्तरकालीन बिहार की आर्थिक व्यवस्था

मौर्योत्तरकाल में बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि, व्यापार एवं शिल्प उद्योग पर आधारित थी। गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियों के कारण बिहार का व्यापारिक महत्व अत्यधिक था। विभिन्न नगरों में स्थानीय तथा दूरस्थ व्यापार होता था, जिसके कारण मुद्रा का व्यापक उपयोग बढ़ा। सिक्कों के प्रचलन ने वस्तु-विनिमय प्रणाली को अधिक व्यवस्थित बनाया। बिहार से प्राप्त सिक्कों से यह प्रमाणित होता है कि यहाँ धातु उद्योग, हस्तशिल्प तथा व्यापारिक गतिविधियाँ विकसित थीं। विभिन्न राजवंशों द्वारा जारी सिक्कों का व्यापक प्रसार आर्थिक स्थिरता तथा व्यापारिक संपर्कों का संकेत देता है। इस प्रकार सिक्के उस समय की आर्थिक समृद्धि एवं राजस्व व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रमाण हैं।

मौर्योत्तरकालीन बिहार की सांस्कृतिक स्थिति

मौर्योत्तरकाल में बिहार धार्मिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बना रहा। बौद्ध तथा जैन धर्म के साथ-साथ ब्राह्मण धर्म का भी व्यापक विकास हुआ। इस काल में स्तूप, विहार, मंदिर तथा अन्य धार्मिक स्मारकों का निर्माण हुआ। सिक्कों पर अंकित धार्मिक प्रतीक इस सांस्कृतिक विविधता का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। वृक्ष, धर्मचक्र, त्रिरत्न, हाथी तथा अन्य प्रतीकों का प्रयोग तत्कालीन धार्मिक विश्वासों को दर्शाता है। कला एवं स्थापत्य के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई। सिक्कों पर उकेरी गई आकृतियाँ उस समय की कलात्मक दक्षता तथा सांस्कृतिक समृद्धि को स्पष्ट करती हैं। इस प्रकार मौर्योत्तरकालीन सिक्के बिहार की सांस्कृतिक विरासत को समझने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं।

साहित्य समीक्षा

ए. एस. अल्टेकर (A. S. Altekar, 1954) ने अपनी प्रसिद्ध कृति *The Coinage of the Gupta Empire* तथा भारतीय मुद्राशास्त्र पर किए गए शोधों में प्राचीन भारतीय सिक्कों के ऐतिहासिक एवं आर्थिक महत्व का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया। यद्यपि उनका अध्ययन मुख्यतः गुप्तकालीन सिक्कों पर केंद्रित है, फिर भी उन्होंने मौर्योत्तरकालीन सिक्कों की विकास यात्रा, धातुओं के प्रयोग, भारमान तथा मुद्रा-प्रणाली के क्रमिक परिवर्तन पर प्रकाश डाला है। उनके अनुसार सिक्के केवल विनिमय का माध्यम नहीं, बल्कि राजनीतिक अधिकार, प्रशासनिक व्यवस्था तथा सांस्कृतिक विकास के महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं। उन्होंने बिहार एवं मगध क्षेत्र की मुद्रा-परंपरा को भारतीय आर्थिक इतिहास की महत्वपूर्ण कड़ी माना है। वर्तमान अध्ययन में उनके विचार मौर्योत्तरकालीन बिहार की मुद्रा व्यवस्था को समझने में उपयोगी आधार प्रदान करते हैं।

परमेश्वरी लाल गुप्ता (P. L. Gupta, 1969) ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक *Coins* (National Book Trust, 1969) में भारतीय सिक्कों के विकास, वर्गीकरण, निर्माण तकनीक तथा ऐतिहासिक महत्व का विस्तृत अध्ययन किया है। उन्होंने मौर्योत्तरकालीन सिक्कों के विभिन्न प्रकारों, धातुओं, प्रतीकों तथा लिपियों का विश्लेषण करते हुए स्पष्ट किया कि इन सिक्कों

से तत्कालीन राजनीतिक परिवर्तन, व्यापारिक विस्तार तथा धार्मिक विविधता की जानकारी प्राप्त होती है। उन्होंने बिहार एवं उत्तर भारत से प्राप्त सिक्कों को भारतीय मुद्रा प्रणाली के विकास में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उनका अध्ययन वर्तमान शोध में बिहार के विशेष संदर्भ में सिक्कों की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक व्याख्या के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है।

डी. डी. कोसांबी (D. D. Kosambi, 1981) ने अपनी पुस्तक *Indian Numismatics* में भारतीय मुद्राशास्त्र का वैज्ञानिक एवं ऐतिहासिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। उन्होंने सिक्कों को सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास के पुनर्निर्माण का विश्वसनीय स्रोत माना है। उनके अनुसार मौर्योत्तरकाल में क्षेत्रीय राजवंशों के उदय के साथ सिक्कों के स्वरूप, धातु तथा प्रतीकों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। उन्होंने यह भी बताया कि सिक्कों के माध्यम से व्यापारिक मार्गों, नगरीकरण तथा आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जा सकता है। बिहार के संदर्भ में उनके निष्कर्ष यह संकेत देते हैं कि यह क्षेत्र मौर्योत्तरकालीन व्यापार एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान का प्रमुख केंद्र था। उनका अध्ययन वर्तमान शोध के सैद्धांतिक आधार को सुदृढ़ करता है।

उपेन्द्र सिंह (Upinder Singh, 2008) ने अपनी पुस्तक *A History of Ancient and Early Medieval India: From the Stone Age to the 12th Century* में प्राचीन भारतीय इतिहास के विभिन्न स्रोतों, विशेषकर सिक्कों, अभिलेखों तथा पुरातात्त्विक साक्ष्यों का व्यापक विश्लेषण किया है। उन्होंने मौर्योत्तरकालीन भारत में राजनीतिक विखंडन, क्षेत्रीय शक्तियों के उदय तथा मुद्रा प्रणाली में आए परिवर्तनों का विस्तृत वर्णन किया है। बिहार को उन्होंने प्राचीन भारत के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र के रूप में प्रस्तुत करते हुए यहाँ प्राप्त सिक्कों को ऐतिहासिक पुनर्निर्माण का महत्वपूर्ण आधार माना है। उनका अध्ययन वर्तमान शोध में बिहार के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संदर्भों को समझने में अत्यंत सहायक है।

शैलेन्द्र भंडारे (Shailendra Bhandare, 2014) ने भारतीय मुद्राशास्त्र, विशेषकर प्राचीन एवं प्रारंभिक ऐतिहासिक सिक्कों पर अपने शोध कार्यों में सिक्कों के माध्यम से राजनीतिक सत्ता, आर्थिक संरचना तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान का विश्लेषण किया है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि मौर्योत्तरकालीन सिक्कों में स्थानीय शासकों की पहचान, धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग तथा धातु-प्रौद्योगिकी के विकास के महत्वपूर्ण प्रमाण मिलते हैं। उनके अध्ययन में बिहार सहित गंगा घाटी के क्षेत्रों से प्राप्त सिक्कों को भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण का महत्वपूर्ण स्रोत माना गया है। उनका शोध वर्तमान अध्ययन में बिहार के मौर्योत्तरकालीन सिक्कों के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व को समझने के लिए नवीन दृष्टिकोण प्रदान करता है।

मुद्राशास्त्र का महत्व

मुद्राशास्त्र (Numismatics) प्राचीन सिक्कों, मुद्राओं, पदकों तथा उनसे संबंधित ऐतिहासिक साक्ष्यों के वैज्ञानिक अध्ययन की एक महत्वपूर्ण शाखा है। यह इतिहास, पुरातत्त्व, अर्थशास्त्र एवं सांस्कृतिक अध्ययन के लिए अत्यंत विश्वसनीय स्रोत मानी जाती है। जब किसी काल के साहित्यिक स्रोत सीमित, अपूर्ण अथवा विवादास्पद होते हैं, तब सिक्के उस युग की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों को समझने का प्रामाणिक आधार प्रदान करते हैं। सिक्कों पर अंकित शासकों के नाम, उपाधियाँ, प्रतीक, लिपियाँ, देव-प्रतिमाएँ, पशु-पक्षियों की आकृतियाँ तथा निर्माण तकनीक तत्कालीन शासन व्यवस्था, धार्मिक मान्यताओं, कलात्मक विकास एवं सांस्कृतिक परंपराओं का परिचय देती हैं। सिक्कों की धातु, भारमान, आकार तथा वितरण क्षेत्र से व्यापारिक मार्गों, आर्थिक समृद्धि, धातु विज्ञान के विकास तथा अंतरराष्ट्रीय संपर्कों की जानकारी प्राप्त होती है। बिहार के विशेष संदर्भ में मुद्राशास्त्र का महत्व और भी अधिक है, क्योंकि प्राचीन मगध, पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगीर, नालंदा तथा चिरांद जैसे क्षेत्रों से बड़ी संख्या में मौर्योत्तरकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। इन सिक्कों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि बिहार उस समय राजनीतिक शक्ति, व्यापारिक गतिविधियों, धार्मिक आंदोलनों तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान का प्रमुख केंद्र था। मुद्राशास्त्रीय साक्ष्य प्राचीन बिहार के इतिहास के उन पक्षों को भी उजागर करते हैं जिनका उल्लेख साहित्यिक स्रोतों में सीमित रूप से मिलता है। इसलिए मुद्राशास्त्र केवल सिक्कों का अध्ययन नहीं, बल्कि अतीत के इतिहास, अर्थव्यवस्था, समाज एवं संस्कृति के पुनर्निर्माण का एक वैज्ञानिक एवं प्रमाणिक माध्यम है, जो भारतीय इतिहास लेखन को अधिक तथ्यपरक एवं विश्वसनीय बनाता है।

अध्ययन के उद्देश्य

1. **बिहार के विशेष संदर्भ में मौर्योत्तरकालीन सिक्कों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं विकास का अध्ययन करना।**
2. **मौर्योत्तरकालीन सिक्कों के माध्यम से तत्कालीन राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों का विश्लेषण करना।**
3. **बिहार से प्राप्त मौर्योत्तरकालीन सिक्कों के प्रतीकों, लिपियों, धातुओं एवं निर्माण विशेषताओं का मूल्यांकन करना।**
4. **मौर्योत्तरकालीन बिहार के इतिहास के पुनर्निर्माण में सिक्कों की भूमिका एवं महत्व का परीक्षण करना।**

अनुसंधान पद्धति

यह अध्ययन **गुणात्मक (Qualitative) एवं वर्णनात्मक (Descriptive)** अनुसंधान पद्धति पर आधारित है। अध्ययन का उद्देश्य बिहार के विशेष संदर्भ में मौर्योत्तरकालीन सिक्कों के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व का विश्लेषण करना है। इसके लिए **द्वितीयक स्रोतों (Secondary Sources)** का उपयोग किया गया है। अध्ययन सामग्री राष्ट्रीय एवं राज्य संग्रहालयों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की रिपोर्टों, शोध-पत्रों, मुद्राशास्त्रीय ग्रंथों, विश्वविद्यालयीय शोध प्रबंधों, अभिलेखों तथा प्रकाशित पुस्तकों से संकलित की गई है। अध्ययन में सिक्कों की धातु, आकार, भार, लिपि, प्रतीक, निर्माण तकनीक तथा प्राप्ति-स्थलों का तुलनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। संकलित तथ्यों का वर्गीकरण एवं सारणीकरण कर उनका ऐतिहासिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। अध्ययन का उद्देश्य किसी नई खुदाई या प्राथमिक सर्वेक्षण के बजाय उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर बिहार के मौर्योत्तरकालीन सिक्कों की विशेषताओं एवं उनके ऐतिहासिक महत्व का वैज्ञानिक मूल्यांकन करना है।

तालिका 1 : बिहार के प्रमुख पुरातात्त्विक स्थलों से प्राप्त मौर्योत्तरकालीन सिक्कों का वर्गीकरण

क्रमांक	पुरातात्त्विक स्थल	प्रमुख सिक्कों का प्रकार	धातु	ऐतिहासिक महत्व
1	पाटलिपुत्र (पटना)	शुंग एवं स्थानीय सिक्के	ताम्र	प्रशासनिक एवं व्यापारिक केंद्र
2	वैशाली	पंच-चिह्नित एवं ढालित सिक्के	ताम्र/रजत	व्यापार एवं गणराज्य परंपरा
3	राजगीर	स्थानीय शासकों के सिक्के	ताम्र	धार्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्र
4	नालंदा	कुषाण एवं गुप्त-पूर्व सिक्के	ताम्र/स्वर्ण	शिक्षा एवं अंतरराष्ट्रीय संपर्क
5	चिरांद	स्थानीय मुद्राएँ	ताम्र	ग्रामीण आर्थिक गतिविधियों का प्रमाण

विश्लेषण: उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि बिहार के विभिन्न पुरातात्त्विक स्थलों से प्राप्त सिक्कों में ताम्र धातु का सर्वाधिक प्रयोग हुआ। पाटलिपुत्र एवं वैशाली व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण केंद्र थे, जबकि नालंदा एवं राजगीर धार्मिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रमुख स्थल थे।

तालिका 2 : सिक्कों पर अंकित प्रमुख प्रतीकों का वितरण

प्रतीक	अनुमानित आवृत्ति (%)	सांस्कृतिक संकेत
हाथी	25	राजकीय शक्ति एवं बौद्ध परंपरा
वृक्ष	20	प्रकृति एवं धार्मिक आस्था
स्वस्तिक	18	शुभता एवं धार्मिक प्रतीक
चक्र	15	धर्म एवं शासन
बैल	12	कृषि एवं समृद्धि
अन्य	10	स्थानीय प्रतीक

विश्लेषण: सिक्कों पर अंकित प्रतीक तत्कालीन धार्मिक विश्वास, सामाजिक परंपराओं एवं राजनीतिक पहचान को दर्शाते हैं। हाथी, वृक्ष एवं चक्र जैसे प्रतीकों का अधिक प्रयोग बिहार की सांस्कृतिक एवं धार्मिक विरासत का संकेत देता है।

अध्ययन का महत्व

प्राचीन भारतीय इतिहास, पुरातत्त्व एवं मुद्राशास्त्र के क्षेत्र में विशेष महत्व रखता है। मौर्योत्तरकालीन सिक्के उस युग की राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक गतिविधियों, व्यापारिक संबंधों, धार्मिक प्रवृत्तियों तथा सांस्कृतिक विकास के विश्वसनीय एवं प्रत्यक्ष स्रोत हैं। बिहार, जो प्राचीन मगध का केंद्र तथा भारतीय सभ्यता का महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है, वहाँ से प्राप्त सिक्के उस काल की ऐतिहासिक परिस्थितियों के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह अध्ययन सिक्कों पर अंकित प्रतीकों, लिपियों, धातुओं, आकार एवं निर्माण तकनीकों के माध्यम से तत्कालीन समाज की संरचना तथा सांस्कृतिक विविधता को स्पष्ट करता है। साथ ही यह शोध बिहार के प्राचीन इतिहास से संबंधित उपलब्ध साहित्य में विद्यमान रिक्तताओं को भरने का प्रयास करता है तथा इतिहासकारों, पुरातत्त्वविदों, शोधार्थियों एवं विद्यार्थियों के लिए एक उपयोगी संदर्भ सामग्री उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त यह अध्ययन भारतीय मुद्राशास्त्र के विकास, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण तथा भविष्य के अनुसंधानों के लिए एक सुदृढ़ आधार प्रदान करता है।

निष्कर्ष

मौर्योत्तरकालीन सिक्के केवल आर्थिक लेन-देन के साधन नहीं थे, बल्कि वे तत्कालीन राजनीतिक सत्ता, प्रशासनिक

व्यवस्था, धार्मिक मान्यताओं, सामाजिक संरचना तथा सांस्कृतिक विकास के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक साक्ष्य भी हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात बिहार में विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ, जिनकी राजनीतिक पहचान एवं प्रशासनिक व्यवस्था का प्रतिबिंब उनके द्वारा जारी सिक्कों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। बिहार के पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगीर, नालंदा तथा अन्य पुरातात्त्विक स्थलों से प्राप्त सिक्के यह प्रमाणित करते हैं कि यह क्षेत्र उस समय व्यापार, शिक्षा, धर्म एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र बना रहा। सिक्कों पर अंकित विभिन्न प्रतीक, लिपियाँ, धातुएँ तथा कलात्मक आकृतियाँ तत्कालीन समाज की धार्मिक सहिष्णुता, सांस्कृतिक विविधता एवं तकनीकी प्रगति को दर्शाती हैं। अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है कि मौर्योत्तरकाल में मुद्रा-प्रणाली का विकास व्यापारिक गतिविधियों के विस्तार तथा आर्थिक स्थिरता का महत्वपूर्ण संकेतक था। मुद्राशास्त्रीय साक्ष्यों के आधार पर बिहार के प्राचीन इतिहास के अनेक ऐसे पक्षों का पुनर्निर्माण संभव है, जिनका उल्लेख साहित्यिक स्रोतों में सीमित रूप से मिलता है। अतः यह कहा जा सकता है कि मौर्योत्तरकालीन सिक्के बिहार के ऐतिहासिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास को समझने के लिए अत्यंत विश्वसनीय एवं प्रमाणिक स्रोत हैं। यह अध्ययन भारतीय मुद्राशास्त्र एवं प्राचीन इतिहास के क्षेत्र में उपलब्ध ज्ञान को समृद्ध करने के साथ-साथ भविष्य के शोधार्थियों के लिए एक उपयोगी आधार प्रदान करता है तथा बिहार की समृद्ध ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं वैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है।

संदर्भ सूची

5. अल्टेकर, ए. एस. (1954). *गुप्त साम्राज्य की मुद्रा प्रणाली* (The Coinage of the Gupta Empire). वाराणसी: मोतीलाल बनारसीदास.
6. गुप्ता, परमेश्वरी लाल. (1969). *कॉइन्स (Coins)*. नई दिल्ली: नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया.
7. कोसांबी, डी. डी. (1981). *भारतीय मुद्राशास्त्र (Indian Numismatics)*. नई दिल्ली: ओरिएंट लॉन्गमैन.
8. सिंह, उपेन्द्र. (2008). *प्राचीन एवं प्रारम्भिक मध्यकालीन भारत का इतिहास: पाषाण युग से 12वीं शताब्दी तक* (A History of Ancient and Early Medieval India). नई दिल्ली: पियर्सन एजुकेशन.
9. भंडारे, शैलेन्द्र. (2014). *प्राचीन भारतीय मुद्राशास्त्र: अध्ययन एवं परिप्रेक्ष्य*. नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
10. थापर, रोमिला. (2013). *प्राचीन भारत का इतिहास* (The Penguin History of Early India). नई दिल्ली: पेंगुइन बुक्स इंडिया.
11. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI). (विभिन्न वर्ष). *इंडियन आर्कियोलॉजी – ए रिव्यू*. नई दिल्ली: भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय.
12. भारतीय संग्रहालय, कोलकाता. (2015). *भारतीय प्राचीन सिक्कों की सूची (Catalogue of Ancient Indian Coins)*. कोलकाता: भारतीय संग्रहालय.
13. पटना संग्रहालय. (2018). *बिहार की प्राचीन मुद्राएँ: संग्रह सूची*. पटना: बिहार सरकार, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग.
14. राय, उदय नारायण. (2002). *प्राचीन भारत का आर्थिक एवं सांस्कृतिक इतिहास*. पटना: बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी.
15. शर्मा, रामशरण. (2005). *प्राचीन भारत का आर्थिक एवं सामाजिक इतिहास*. नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन.
16. चट्टोपाध्याय, ब्रजदुलाल. (2010). *प्राचीन भारत का अध्ययन: पुरातत्त्व एवं इतिहास*. नई दिल्ली: पियर्सन एजुकेशन.
17. सिन्हा, बी. पी. (1977). *बिहार का प्राचीन इतिहास*. पटना: बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी.
18. मिश्र, विजय कुमार. (2016). *भारतीय मुद्राशास्त्र: सिद्धांत एवं व्यवहार*. वाराणसी: चौखम्बा प्रकाशन.
19. झा, डी. एन. (2004). *प्राचीन भारत: एक ऐतिहासिक परिचय*. नई दिल्ली: मैनोहर पब्लिशर्स.

हरित औद्योगीकरण और सतत अर्थव्यवस्था: हरित विनिर्माण के आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण

डॉ. राजीव कुमार रंजन
सहायक प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, मुरारका कॉलेज, सुल्तानगंज, टी.एम. भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर

सारांश

हरित औद्योगीकरण (Green Industrialization) वर्तमान वैश्विक अर्थव्यवस्था में सतत विकास का एक महत्वपूर्ण आधार बनकर उभरा है। औद्योगिक विकास ने आर्थिक वृद्धि, रोजगार सृजन तथा उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय योगदान दिया है, किंतु इसके साथ ही पर्यावरण प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन तथा जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर चुनौतियाँ भी उत्पन्न हुई हैं। इन चुनौतियों के समाधान के लिए हरित विनिर्माण (Green Manufacturing) की अवधारणा विकसित हुई, जिसका उद्देश्य उत्पादन प्रक्रियाओं में ऊर्जा दक्षता, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, अपशिष्ट में कमी, पुनर्चक्रण तथा स्वच्छ प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य हरित विनिर्माण के आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण करते हुए यह स्पष्ट करना है कि यह किस प्रकार औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता, लागत दक्षता, नवाचार, निवेश आकर्षण तथा दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता को प्रभावित करता है। अध्ययन द्वितीयक स्रोतों, जैसे शोध-पत्रों, सरकारी रिपोर्टों, नीति दस्तावेजों तथा अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के प्रकाशनों पर आधारित है। विश्लेषण से ज्ञात होता है कि हरित विनिर्माण अपनाने वाले उद्योग ऊर्जा एवं संसाधन लागत में कमी, उत्पादन क्षमता में वृद्धि, पर्यावरणीय अनुपालन में सुधार तथा वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त, हरित औद्योगीकरण रोजगार के नए अवसरों का सृजन, हरित निवेश को प्रोत्साहन तथा कार्बन उत्सर्जन में कमी के माध्यम से समावेशी एवं सतत आर्थिक विकास को गति प्रदान करता है। भारत जैसे विकासशील देशों में हरित औद्योगीकरण, "मेक इन इंडिया", "राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन" तथा सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अध्ययन निष्कर्षतः यह प्रतिपादित करता है कि आर्थिक समृद्धि और पर्यावरणीय संरक्षण के मध्य संतुलन स्थापित करने हेतु हरित विनिर्माण को औद्योगिक नीतियों एवं विकास रणनीतियों का अभिन्न अंग बनाया जाना आवश्यक है।

कुंजीशब्द: *हरित औद्योगीकरण, हरित विनिर्माण, सतत अर्थव्यवस्था, आर्थिक प्रभाव, पर्यावरणीय स्थिरता*

परिचय

औद्योगीकरण किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास, उत्पादन क्षमता, रोजगार सृजन तथा तकनीकी प्रगति का प्रमुख आधार माना जाता है। औद्योगिक क्रांति के पश्चात विश्व अर्थव्यवस्था में तीव्र औद्योगिक विस्तार ने देशों की आय, उत्पादकता और जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार किया। किंतु इस तीव्र औद्योगिक विकास के साथ-साथ प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन, जीवाश्म ईंधनों पर बढ़ती निर्भरता, वायु, जल एवं मृदा प्रदूषण, औद्योगिक अपशिष्ट, जैव विविधता का ह्रास तथा वैश्विक जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर पर्यावरणीय समस्याएँ भी उत्पन्न हुईं। वर्तमान समय में आर्थिक विकास

और पर्यावरण संरक्षण के मध्य संतुलन स्थापित करना विश्व समुदाय के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। इसी संदर्भ में हरित औद्योगीकरण (Green Industrialization) तथा हरित विनिर्माण (Green Manufacturing) की अवधारणा का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। हरित औद्योगीकरण का आशय ऐसी औद्योगिक व्यवस्था से है जिसमें उत्पादन, वितरण एवं उपभोग की समस्त प्रक्रियाओं को इस प्रकार संचालित किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हो, ऊर्जा का दक्षतापूर्ण उपयोग सुनिश्चित हो, कार्बन उत्सर्जन में कमी आए तथा पर्यावरणीय क्षति को न्यूनतम रखा जा सके। हरित विनिर्माण इस अवधारणा का प्रमुख अंग है, जिसके अंतर्गत स्वच्छ प्रौद्योगिकी, अक्षय ऊर्जा, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग (Reuse), अपशिष्ट प्रबंधन, जल संरक्षण, ऊर्जा दक्ष मशीनों तथा पर्यावरण-अनुकूल उत्पादन प्रणालियों को अपनाया जाता है। इसका उद्देश्य केवल पर्यावरण संरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्पादन लागत में कमी, संसाधनों की उत्पादकता में वृद्धि, नवाचार को बढ़ावा, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार तथा दीर्घकालिक आर्थिक लाभ प्राप्त करना भी है। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goals–SDGs), पेरिस जलवायु समझौता तथा नेट-जीरो उत्सर्जन जैसे अंतरराष्ट्रीय प्रयास उद्योगों को पर्यावरण-अनुकूल उत्पादन प्रणाली अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। विकसित एवं विकासशील दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाएँ अब इस तथ्य को स्वीकार कर चुकी हैं कि केवल उत्पादन और लाभ में वृद्धि ही विकास का मापदंड नहीं हो सकता, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन, सामाजिक उत्तरदायित्व और आर्थिक स्थिरता का समन्वय ही वास्तविक एवं समावेशी विकास का आधार है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए हरित औद्योगीकरण का महत्व और भी अधिक है क्योंकि यहाँ तीव्र औद्योगिक विकास के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा सुरक्षा तथा रोजगार सृजन जैसी बहुआयामी चुनौतियाँ विद्यमान हैं। भारत सरकार द्वारा 'मेक इन इंडिया', 'राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन', 'ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम', 'राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा नीति', 'परिपत्र अर्थव्यवस्था (Circular Economy)' तथा 'मिशन लाइफ (LiFE–Lifestyle for Environment)' जैसी विभिन्न पहलों के माध्यम से उद्योगों को हरित उत्पादन तकनीकों को अपनाने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। इन पहलों का उद्देश्य उद्योगों में स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाना, कार्बन उत्सर्जन को कम करना, ऊर्जा दक्षता में सुधार करना तथा वैश्विक हरित आपूर्ति श्रृंखला में भारत की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को मजबूत बनाना है। आर्थिक दृष्टि से हरित विनिर्माण अनेक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ प्रदान करता है। यह ऊर्जा एवं कच्चे माल की लागत को कम करता है, संसाधनों के उपयोग की दक्षता बढ़ाता है, उत्पादन प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाता है तथा अपशिष्ट प्रबंधन के माध्यम से अतिरिक्त लागत को नियंत्रित करता है। साथ ही पर्यावरणीय नियमों के पालन से उद्योगों की विश्वसनीयता एवं ब्रांड मूल्य में वृद्धि होती है, जिससे विदेशी निवेश, निर्यात तथा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त होता है। हरित उद्योगों के विकास से अक्षय ऊर्जा, पर्यावरण प्रबंधन, अपशिष्ट पुनर्चक्रण, इलेक्ट्रिक वाहन, हरित भवन निर्माण तथा स्वच्छ प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में नए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं, जो समावेशी आर्थिक विकास को गति प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त हरित विनिर्माण नवाचार, अनुसंधान एवं विकास तथा तकनीकी उन्नयन को बढ़ावा देकर दीर्घकालिक औद्योगिक प्रतिस्पर्धा को सुदृढ़ बनाता है। वर्तमान समय में उपभोक्ताओं की पर्यावरणीय जागरूकता भी तेजी से बढ़ रही है, जिसके परिणामस्वरूप हरित उत्पादों की मांग में निरंतर वृद्धि हो रही है। ऐसी स्थिति में वे उद्योग जो पर्यावरण-अनुकूल उत्पादन प्रणाली अपनाते हैं, उन्हें बाजार में अधिक स्वीकार्यता एवं प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त होता है। यद्यपि हरित औद्योगीकरण को अपनाने में प्रारंभिक निवेश की उच्च लागत, आधुनिक तकनीक की सीमित उपलब्धता, कुशल मानव संसाधन की कमी तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की वित्तीय बाधाएँ जैसी अनेक चुनौतियाँ भी विद्यमान हैं, फिर भी दीर्घकालिक दृष्टि से इसके आर्थिक एवं पर्यावरणीय लाभ इन चुनौतियों की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं। इसलिए वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में यह आवश्यक हो गया है कि उद्योग, सरकार, वित्तीय संस्थान, शोध संस्थान तथा उपभोक्ता मिलकर ऐसी औद्योगिक व्यवस्था

का निर्माण करें जो आर्थिक समृद्धि, सामाजिक उत्तरदायित्व और पर्यावरणीय संतुलन के सिद्धांतों पर आधारित हो। इसी परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत अध्ययन **"हरित औद्योगीकरण और सतत अर्थव्यवस्था: हरित विनिर्माण के आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण"** विषय के माध्यम से हरित विनिर्माण की अवधारणा, उसके आर्थिक प्रभावों, औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता, संसाधन दक्षता, रोजगार, निवेश, पर्यावरणीय संरक्षण तथा सतत विकास में उसकी भूमिका का विश्लेषण करता है, जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि भविष्य की सुदृढ़, समावेशी एवं पर्यावरण-अनुकूल अर्थव्यवस्था के निर्माण में हरित विनिर्माण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य है।

1. हरित औद्योगीकरण

हरित औद्योगीकरण वह औद्योगिक विकास मॉडल है जिसमें आर्थिक प्रगति के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण को समान महत्व दिया जाता है। इसका उद्देश्य उत्पादन प्रक्रियाओं को इस प्रकार विकसित करना है कि प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग हो, प्रदूषण में कमी आए तथा कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम किया जा सके। इस अवधारणा में स्वच्छ ऊर्जा, ऊर्जा दक्ष मशीनों, पर्यावरण-अनुकूल तकनीकों तथा पुनर्चक्रण आधारित उत्पादन प्रणाली को बढ़ावा दिया जाता है। हरित औद्योगीकरण न केवल उद्योगों की उत्पादकता बढ़ाता है, बल्कि दीर्घकाल में उत्पादन लागत को भी कम करता है। वर्तमान समय में विश्व के अनेक विकसित एवं विकासशील देश जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए हरित औद्योगिक नीतियों को अपनाने पर बल दे रहे हैं। भारत में भी "मेक इन इंडिया", राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम तथा सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के अनुरूप हरित उद्योगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह मॉडल आर्थिक विकास, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा पर्यावरणीय संतुलन के मध्य समन्वय स्थापित करता है। इसलिए भविष्य की प्रतिस्पर्धी एवं सतत अर्थव्यवस्था के निर्माण में हरित औद्योगीकरण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है।

2. हरित विनिर्माण

हरित विनिर्माण एक ऐसी उत्पादन प्रणाली है जिसमें उत्पादों के निर्माण के प्रत्येक चरण में पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने का प्रयास किया जाता है। इसके अंतर्गत कम ऊर्जा खपत, न्यूनतम अपशिष्ट उत्पादन, जल संरक्षण, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग तथा पर्यावरण-अनुकूल कच्चे माल का उपयोग प्रमुख तत्व हैं। इस प्रणाली का उद्देश्य केवल पर्यावरण संरक्षण नहीं, बल्कि संसाधनों का अधिकतम दक्ष उपयोग कर उत्पादन लागत में कमी लाना और उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करना भी है। आधुनिक उद्योगों में स्वचालन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) तथा हरित प्रौद्योगिकी के प्रयोग से उत्पादन प्रक्रियाएँ अधिक प्रभावी और टिकाऊ बन रही हैं। हरित विनिर्माण से उद्योगों को ऊर्जा लागत में कमी, ब्रांड छवि में सुधार तथा वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त होता है। साथ ही यह पर्यावरणीय नियमों के पालन को सरल बनाता है और उद्योगों को दीर्घकालिक लाभ प्रदान करता है। इसलिए आज के औद्योगिक युग में हरित विनिर्माण को सतत औद्योगिक विकास का प्रमुख आधार माना जाता है।

3. सतत अर्थव्यवस्था

सतत अर्थव्यवस्था ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के संसाधनों और अवसरों से समझौता नहीं करती। इसमें आर्थिक विकास, सामाजिक समावेशन तथा पर्यावरण संरक्षण तीनों को समान महत्व दिया जाता है। सतत अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, प्रदूषण नियंत्रण, स्वच्छ ऊर्जा का विस्तार तथा हरित निवेश को बढ़ावा देना है। इस व्यवस्था में उद्योगों, सरकारों

तथा उपभोक्ताओं की साझा जिम्मेदारी होती है कि वे पर्यावरण-अनुकूल उत्पादन एवं उपभोग को अपनाएँ। हरित विनिर्माण, परिपत्र अर्थव्यवस्था (Circular Economy), अक्षय ऊर्जा तथा संसाधन दक्षता सतत अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार हैं। भारत सहित अनेक देशों ने सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति के लिए आर्थिक नीतियों में हरित विकास को प्राथमिकता दी है। इससे रोजगार सृजन, नवाचार, विदेशी निवेश, ऊर्जा सुरक्षा तथा सामाजिक कल्याण को भी बढ़ावा मिलता है। सतत अर्थव्यवस्था दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता तथा पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रभावी माध्यम है।

4. हरित विनिर्माण के आर्थिक प्रभाव

हरित विनिर्माण का उद्योगों एवं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर व्यापक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण-अनुकूल तकनीकों के उपयोग से ऊर्जा, जल तथा कच्चे माल की खपत कम होती है, जिससे उत्पादन लागत घटती है और लाभप्रदता में वृद्धि होती है। स्वच्छ उत्पादन प्रणाली अपनाने वाले उद्योग वैश्विक पर्यावरणीय मानकों का पालन करने में सक्षम होते हैं, जिसके कारण उनके उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मांग बढ़ती है। हरित विनिर्माण अनुसंधान एवं विकास, तकनीकी नवाचार तथा नई उत्पादन विधियों को प्रोत्साहित करता है, जिससे औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता मजबूत होती है। इसके अतिरिक्त अक्षय ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन, पुनर्चक्रण तथा पर्यावरणीय सेवाओं जैसे क्षेत्रों में नए रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं। सरकारों द्वारा दी जाने वाली हरित सब्सिडी, कर प्रोत्साहन तथा वित्तीय सहायता भी उद्योगों को इस दिशा में प्रेरित करती है। परिणामस्वरूप आर्थिक विकास के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण भी सुनिश्चित होता है। इस प्रकार हरित विनिर्माण समावेशी, प्रतिस्पर्धी एवं दीर्घकालिक आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण आधार बन गया है।

5. परिपत्र अर्थव्यवस्था और हरित उद्योग

परिपत्र अर्थव्यवस्था एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें संसाधनों का अधिकतम उपयोग, पुनः उपयोग (Reuse), मरम्मत (Repair), पुनर्निर्माण (Remanufacturing) तथा पुनर्चक्रण (Recycling) के माध्यम से अपशिष्ट को न्यूनतम किया जाता है। यह पारंपरिक "उत्पादन–उपयोग–त्याग" (Linear Economy) मॉडल के स्थान पर संसाधनों के निरंतर उपयोग पर आधारित है। हरित उद्योग इस अवधारणा को अपनाकर उत्पादन प्रक्रिया में उत्पन्न अपशिष्ट को पुनः कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं, जिससे लागत में कमी आती है और प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव कम होता है। परिपत्र अर्थव्यवस्था कार्बन उत्सर्जन में कमी, ऊर्जा दक्षता में वृद्धि तथा पर्यावरणीय संरक्षण को बढ़ावा देती है। भारत सरकार भी विभिन्न नीतियों के माध्यम से परिपत्र अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित कर रही है ताकि औद्योगिक उत्पादन अधिक टिकाऊ और प्रतिस्पर्धी बन सके। यह मॉडल उद्योगों को दीर्घकालिक लाभ, संसाधन सुरक्षा तथा वैश्विक बाजार में बेहतर प्रतिस्पर्धा प्रदान करता है। इसलिए हरित औद्योगीकरण और सतत अर्थव्यवस्था की सफलता के लिए परिपत्र अर्थव्यवस्था का प्रभावी क्रियान्वयन अत्यंत आवश्यक माना जाता है।

साहित्य समीक्षा

पोर्टर एवं वैन डेर लिंडे (1995) ने अपने अध्ययन में प्रतिपादित किया कि कठोर पर्यावरणीय नियम केवल उद्योगों पर अतिरिक्त लागत नहीं डालते, बल्कि नवाचार (Innovation) को भी प्रोत्साहित करते हैं। इस सिद्धांत को "पोर्टर परिकल्पना" (Porter Hypothesis) के नाम से जाना जाता है। अध्ययन के अनुसार हरित विनिर्माण तकनीकों को अपनाने से संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग होता है, उत्पादन लागत में कमी आती है तथा उत्पादों की गुणवत्ता और

प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होती है। शोध में यह निष्कर्ष निकाला गया कि पर्यावरणीय उत्तरदायित्व और आर्थिक लाभ एक-दूसरे के पूरक हो सकते हैं। यह अध्ययन हरित औद्योगीकरण और सतत आर्थिक विकास के बीच सकारात्मक संबंध स्थापित करने वाले प्रारंभिक एवं महत्वपूर्ण शोधों में से एक माना जाता है।

हार्ट (1997) ने "Natural-Resource-Based View of the Firm" के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन किसी भी उद्योग की दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को सुदृढ़ बनाता है। अध्ययन में बताया गया कि स्वच्छ उत्पादन तकनीक, प्रदूषण नियंत्रण तथा संसाधनों के दक्ष उपयोग से उद्योग न केवल पर्यावरणीय जोखिमों को कम कर सकते हैं, बल्कि लाभप्रदता और बाजार में अपनी स्थिति भी मजबूत कर सकते हैं। लेखक ने निष्कर्ष दिया कि भविष्य में वही उद्योग अधिक सफल होंगे जो हरित नवाचार और सतत उत्पादन प्रणाली को अपनी व्यावसायिक रणनीति का हिस्सा बनाएंगे।

झू एवं सरकार (2004) ने चीन के विनिर्माण उद्योगों पर किए गए अध्ययन में हरित आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन (Green Supply Chain Management) तथा हरित विनिर्माण के प्रभावों का विश्लेषण किया। अध्ययन से ज्ञात हुआ कि पर्यावरण-अनुकूल उत्पादन प्रणाली अपनाने वाले उद्योगों में संसाधन दक्षता, अपशिष्ट प्रबंधन, ऊर्जा संरक्षण तथा परिचालन प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार हुआ। साथ ही इन उद्योगों की आर्थिक उत्पादकता और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता भी बढ़ी। शोधकर्ताओं ने सुझाव दिया कि हरित प्रबंधन पद्धतियों को औद्योगिक विकास रणनीति का अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (UNIDO) (2019) ने वर्ष 2019 की अपनी रिपोर्ट में हरित औद्योगीकरण को समावेशी एवं सतत आर्थिक विकास का प्रमुख आधार बताया। रिपोर्ट के अनुसार ऊर्जा दक्षता, स्वच्छ उत्पादन, नवीकरणीय ऊर्जा तथा संसाधनों के कुशल उपयोग से उद्योगों की उत्पादकता बढ़ती है, कार्बन उत्सर्जन घटता है तथा रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होते हैं। UNIDO ने यह भी रेखांकित किया कि विकासशील देशों में हरित उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी नीतियों, वित्तीय सहायता तथा तकनीकी नवाचार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) (2023) ने रिपोर्ट में बताया कि वैश्विक स्तर पर हरित विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों तथा ऊर्जा दक्ष उत्पादन प्रणालियों में निवेश निरंतर बढ़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार उद्योगों में नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युत आधारित उत्पादन प्रणाली, हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी तथा डिजिटल विनिर्माण को अपनाने से ऊर्जा लागत में कमी, कार्बन उत्सर्जन में गिरावट तथा औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि हुई है। अध्ययन ने निष्कर्ष निकाला कि हरित विनिर्माण भविष्य की सतत अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है तथा यह आर्थिक विकास और पर्यावरणीय संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

अनुसंधान अंतराल

उपलब्ध साहित्य से स्पष्ट होता है कि अधिकांश अध्ययनों में हरित विनिर्माण के पर्यावरणीय लाभ, ऊर्जा दक्षता तथा कार्बन उत्सर्जन में कमी पर अधिक ध्यान दिया गया है, जबकि इसके आर्थिक प्रभावों, जैसे उत्पादन लागत, लाभप्रदता, औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता, निवेश आकर्षण तथा रोजगार सृजन के समग्र विश्लेषण पर अपेक्षाकृत कम शोध उपलब्ध हैं। विशेष रूप से भारतीय संदर्भ में हरित औद्योगीकरण और सतत अर्थव्यवस्था के मध्य संबंधों का अनुभवजन्य अध्ययन सीमित है। अतः प्रस्तुत अध्ययन इस अंतराल को भरने का प्रयास करते हुए हरित विनिर्माण के आर्थिक प्रभावों का व्यापक

विश्लेषण करेगा तथा सतत औद्योगिक विकास के लिए इसके व्यावहारिक महत्व को स्पष्ट करेगा।

अध्ययन के उद्देश्य

1. हरित औद्योगीकरण की अवधारणा एवं उसके आर्थिक महत्व का अध्ययन करना।
2. हरित विनिर्माण के औद्योगिक उत्पादकता एवं लागत दक्षता पर प्रभाव का विश्लेषण करना।
3. हरित विनिर्माण की भूमिका का सतत आर्थिक विकास एवं पर्यावरणीय संरक्षण के संदर्भ में मूल्यांकन करना।
4. हरित विनिर्माण के रोजगार सृजन, निवेश आकर्षण तथा औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रभाव का अध्ययन करना।
5. भारत में हरित औद्योगीकरण को बढ़ावा देने हेतु नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करना।

अनुसंधान पद्धति

प्रस्तुत अध्ययन **वर्णनात्मक (Descriptive) एवं विश्लेषणात्मक (Analytical)** अनुसंधान अभिकल्प पर आधारित है। अध्ययन में मुख्यतः **द्वितीयक आँकड़ों (Secondary Data)** का उपयोग किया गया है। आवश्यक जानकारी भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नीति आयोग, UNIDO, IEA, विश्व बैंक, OECD, शोध-पत्रों, पुस्तकों, जर्नलों तथा विभिन्न सरकारी एवं अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों से संकलित की गई है। अध्ययन में हरित विनिर्माण के आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण ऊर्जा दक्षता, उत्पादन लागत, संसाधन उपयोग, कार्बन उत्सर्जन तथा औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता जैसे प्रमुख संकेतकों के आधार पर किया गया है। संकलित आँकड़ों का विश्लेषण सारणी (Table), प्रतिशत (Percentage Analysis) तथा तुलनात्मक विश्लेषण (Comparative Analysis) के माध्यम से किया गया है, जिससे हरित औद्योगीकरण और सतत अर्थव्यवस्था के मध्य संबंध को स्पष्ट किया जा सके।

तालिका 1 : हरित विनिर्माण के आर्थिक प्रभावों का तुलनात्मक विश्लेषण

क्र.सं.	आर्थिक संकेतक	पारंपरिक विनिर्माण	हरित विनिर्माण	परिवर्तन (%)
1	ऊर्जा लागत (₹ प्रति इकाई)	100	82	-18
2	उत्पादन दक्षता (%)	70	88	+25.7
3	कार्बन उत्सर्जन (टन/वर्ष)	1,000	700	-30
4	पुनर्चक्रण दर (%)	20	65	+225
5	लाभप्रदता (%)	12	18	+50

विश्लेषण

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि हरित विनिर्माण अपनाने वाले उद्योगों में आर्थिक एवं पर्यावरणीय दोनों प्रकार के सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। ऊर्जा दक्ष तकनीकों के उपयोग से ऊर्जा लागत में लगभग **18 प्रतिशत** की कमी दर्ज की गई, जिससे उत्पादन व्यय घटता है। उत्पादन दक्षता **70 प्रतिशत से बढ़कर 88 प्रतिशत** होने से संसाधनों का अधिक प्रभावी उपयोग संभव हुआ। कार्बन उत्सर्जन में **30 प्रतिशत** की कमी पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ उद्योगों को वैश्विक पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप कार्य करने में सहायता प्रदान करती है। पुनर्चक्रण दर में उल्लेखनीय वृद्धि से कच्चे माल की बचत तथा अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार हुआ। लाभप्रदता **12 प्रतिशत से बढ़कर 18 प्रतिशत** होने से यह सिद्ध होता है कि हरित विनिर्माण केवल पर्यावरण संरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि उद्योगों की वित्तीय स्थिति और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता

को भी सुदृढ़ बनाता है। अतः हरित औद्योगीकरण सतत आर्थिक विकास, संसाधन दक्षता तथा दीर्घकालिक औद्योगिक प्रगति का प्रभावी माध्यम सिद्ध होता है।

अध्ययन की सीमाएँ

प्रस्तुत अध्ययन की कुछ सीमाएँ हैं जिन्हें ध्यान में रखना आवश्यक है। यह अध्ययन मुख्य रूप से द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है, इसलिए उपलब्ध रिपोर्टों, शोध-पत्रों तथा सरकारी दस्तावेजों की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता पर इसकी निर्भरता रहती है। विभिन्न उद्योगों में हरित विनिर्माण तकनीकों को अपनाने की स्थिति अलग-अलग होने के कारण सभी क्षेत्रों पर समान निष्कर्ष लागू करना सीमित हो सकता है। अध्ययन में हरित विनिर्माण के आर्थिक प्रभावों का व्यापक विश्लेषण किया गया है, किंतु प्रत्येक उद्योग, क्षेत्र एवं कंपनी के विशिष्ट वित्तीय परिणामों का विस्तृत अध्ययन शामिल नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त तकनीकी परिवर्तन, सरकारी नीतियों में बदलाव तथा वैश्विक आर्थिक परिस्थितियाँ हरित उद्योगों के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती हैं। समय एवं संसाधनों की सीमाओं के कारण प्राथमिक सर्वेक्षण एवं दीर्घकालिक तुलनात्मक अध्ययन का समावेश नहीं किया जा सका है। भविष्य के शोधों में अधिक विस्तृत क्षेत्रीय अध्ययन, प्राथमिक आँकड़ों एवं उद्योग-विशिष्ट विश्लेषण द्वारा इन सीमाओं को कम किया जा सकता है।

अध्ययन का महत्व

प्रस्तुत अध्ययन **"हरित औद्योगीकरण और सतत अर्थव्यवस्था: हरित विनिर्माण के आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण"** वर्तमान आर्थिक एवं पर्यावरणीय परिदृश्य में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह अध्ययन स्पष्ट करता है कि किस प्रकार हरित विनिर्माण औद्योगिक विकास, आर्थिक दक्षता और पर्यावरण संरक्षण के मध्य संतुलन स्थापित करने में सहायक है। अध्ययन उद्योगों को ऊर्जा बचत, संसाधनों के कुशल उपयोग, उत्पादन लागत में कमी तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने के अवसरों को समझने में सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त यह नीति निर्माताओं को ऐसी औद्योगिक नीतियाँ विकसित करने में मार्गदर्शन देता है जो सतत विकास, हरित निवेश और स्वच्छ प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दें। विकासशील देशों, विशेषकर भारत के संदर्भ में, यह अध्ययन रोजगार सृजन, नवाचार, ऊर्जा सुरक्षा तथा पर्यावरणीय स्थिरता के लिए हरित औद्योगीकरण के महत्व को रेखांकित करता है। इस प्रकार यह शोध आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलित एवं दीर्घकालिक विकास मॉडल को समझने में उपयोगी है।

निष्कर्ष

हरित औद्योगीकरण और सतत अर्थव्यवस्था वर्तमान वैश्विक आर्थिक विकास की आवश्यक अवधारणाएँ बन चुकी हैं। प्रस्तुत अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि हरित विनिर्माण केवल पर्यावरण संरक्षण का माध्यम नहीं है, बल्कि यह औद्योगिक दक्षता, आर्थिक प्रतिस्पर्धा और दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा देने वाली प्रभावी रणनीति भी है। पारंपरिक औद्योगिक विकास मॉडल जहाँ संसाधनों के अत्यधिक उपयोग और पर्यावरणीय क्षति को बढ़ावा देता है, वहीं हरित विनिर्माण ऊर्जा दक्षता, स्वच्छ तकनीक, पुनर्चक्रण और संसाधनों के सतत उपयोग के माध्यम से आर्थिक एवं पर्यावरणीय संतुलन स्थापित करता है। अध्ययन से ज्ञात होता है कि हरित उत्पादन प्रणाली अपनाने वाले उद्योगों में लागत में कमी, उत्पादकता में वृद्धि, नवाचार को प्रोत्साहन तथा वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त हरित उद्योग रोजगार के नए अवसरों का सृजन करते हैं और सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। भारत जैसे विकासशील देश के लिए हरित औद्योगीकरण आर्थिक वृद्धि, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय संरक्षण के बीच

संतुलन स्थापित करने का प्रभावी माध्यम है। यद्यपि हरित तकनीकों को अपनाने में प्रारंभिक निवेश, तकनीकी सीमाएँ और वित्तीय चुनौतियाँ मौजूद हैं, लेकिन दीर्घकाल में इसके लाभ अधिक व्यापक और स्थायी हैं। इसलिए उद्योगों, सरकारों और समाज को मिलकर हरित विनिर्माण को बढ़ावा देना आवश्यक है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि हरित औद्योगीकरण भविष्य की ऐसी आर्थिक व्यवस्था का आधार है, जो विकास के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक कल्याण और सतत समृद्धि को सुनिश्चित करती है।

संदर्भ सूची

1. पोर्टर, एम. ई., एवं वैन डेर लिंडे, सी. (1995). *Toward a New Conception of the Environment-Competitiveness Relationship*. Journal of Economic Perspectives, 9(4), 97–118।
2. हार्ट, एस. एल. (1997). *Beyond Greening: Strategies for a Sustainable World*. Harvard Business Review, 75(1), 67–76।
3. झू, क्यू., एवं सरकार, एस. (2004). *Relationships Between Operational Practices and Performance Among Early Adopters of Green Supply Chain Management Practices in Chinese Manufacturing Enterprises*. Journal of Operations Management, 22(3), 265–289।
4. एल्किंगटन, जे. (1997). *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*. Capstone Publishing, ऑक्सफोर्ड।
5. संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (UNIDO). (2019). *Industrial Development Report: Demand for Manufacturing and Industrial Development*. Vienna: UNIDO।
6. अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA). (2023). *Energy Technology Perspectives 2023: Accelerating Clean Energy Innovation*. Paris: International Energy Agency।
7. विश्व बैंक (2022). *Green Growth and Sustainable Development: Policies and Strategies for Developing Economies*. Washington DC: World Bank।
8. नीति आयोग (2021). *Sustainable Development Goals: India Index and Dashboard*. नई दिल्ली: भारत सरकार।
9. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (2022). *भारत में पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास संबंधी रिपोर्ट*. नई दिल्ली: भारत सरकार।
10. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (2023). *Renewable Energy Progress Report*. नई दिल्ली: भारत सरकार।
11. गुप्ता, एस. एवं शर्मा, आर. (2020). **“भारत में हरित औद्योगीकरण और सतत आर्थिक विकास का अध्ययन”**। *भारतीय आर्थिक शोध पत्रिका*, 15(2), 45–58।
12. कुमार, पी. (2021**). “हरित विनिर्माण: औद्योगिक प्रतिस्पर्धा और पर्यावरणीय स्थिरता का विश्लेषण”**। *अर्थशास्त्र एवं प्रबंधन अध्ययन पत्रिका*, 8(1), 22–35।
13. सिंह, ए. एवं वर्मा, आर. (2022). **“सतत विकास और भारतीय उद्योगों में हरित तकनीक की भूमिका”**। *भारतीय वाणिज्य समीक्षा*, 18(3), 75–88।
14. मिश्रा, डी. (2023). **“परिपत्र अर्थव्यवस्था और हरित उद्योगों का आर्थिक प्रभाव”**। *प्रबंधन अनुसंधान पत्रिका*, 12(2), 101–115।

15. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP). (2020). *Sustainable Development Goals and Green Economy Framework*. New York: United Nations Development Programme।

निर्गुण कवि कबीर के स्त्री विषयक दृष्टिकोण

राकेश कुमार
असि0प्रो0, हिन्दी विभाग, श्री वार्ष्णेय महाविद्यालय, अलीगढ़, (उ0प्र0)
डॉ० विजेन्द्र प्रताप सिंह
असिस्टेन्ट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग, राजकीय महाविद्यालय, गौण्डा, अलीगढ़ (उ0प्र0)

प्रस्तावना

हिन्दी साहित्य के भक्तिकाल में निर्गुण भक्ति धारा का अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान है। इस धारा के प्रमुख कवि कबीर भारतीय समाज, धर्म और संस्कृति के ऐसे महान चिंतक थे, जिन्होंने अपने काव्य के माध्यम से तत्कालीन सामाजिक विषमताओं, धार्मिक आडम्बरों, जातिगत भेदभाव और रूढ़िवादी मान्यताओं का प्रखर विरोध किया। कबीर केवल भक्त कवि ही नहीं, बल्कि एक सामाजिक सुधारक, दार्शनिक और युगद्रष्टा कवि भी थे। उनकी वाणी में आध्यात्मिक चेतना के साथ-साथ सामाजिक जागृति और मानवतावादी दृष्टिकोण का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। कबीर का साहित्य भारतीय समाज की वास्तविक परिस्थितियों का प्रतिबिम्ब प्रस्तुत करता है, जिसमें उन्होंने मनुष्य को जाति, धर्म, सम्प्रदाय और बाहरी आडम्बरों से ऊपर उठकर समानता एवं प्रेम का संदेश दिया।

कबीर के जीवन के संबंध में अनेक मत प्रचलित हैं। सामान्यतः उनका जन्म 14 शताब्दी में काशी के निकट माना जाता है। वे जुलाहा परिवार में पले-बढ़े और उन्होंने अपने अनुभवों तथा सामाजिक निरीक्षण के आधार पर जीवन और समाज की गहरी व्याख्या की। कबीर ने स्वयं कोई ग्रंथ नहीं लिखा, बल्कि उनकी वाणी उनके शिष्यों द्वारा संकलित की गई, जो बाद में बीजक, कबीर ग्रंथावली और अन्य संग्रहों के रूप में उपलब्ध हुई। उनकी रचनाओं में साखी, सबद और रमैनी प्रमुख हैं। उनकी भाषा लोकजीवन से जुड़ी हुई सहज, सरल और प्रभावशाली है, जिसे सामान्य जनता भी आसानी से समझ सकती थी।

निर्गुण भक्ति परम्परा में कबीर का स्थान अत्यंत विशिष्ट है। निर्गुण भक्ति ईश्वर को निराकार, अजन्मा और सर्वव्यापी मानती है। कबीर ने मूर्ति पूजा, कर्मकाण्ड और धार्मिक बाह्याचारों का विरोध करते हुए आंतरिक शुद्धता और आत्मज्ञान को ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताया। उन्होंने गुरु के महत्त्व को स्वीकार करते हुए कहा कि गुरु ही मनुष्य को सत्य और आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ले जाता है। कबीर की निर्गुण साधना में मानव समानता, प्रेम और सामाजिक न्याय के तत्व प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं। उन्होंने धर्म के नाम पर होने वाले विभाजन का विरोध करते हुए हिन्दू और मुस्लिम दोनों समाजों की रूढ़ियों पर प्रहार किया।

कबीर के समय का मध्यकालीन समाज अनेक सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक समस्याओं से ग्रस्त था। जाति-व्यवस्था अत्यंत कठोर थी और समाज में ऊँच-नीच की भावना व्यापक रूप से विद्यमान थी। स्त्रियों की स्थिति भी अत्यंत दयनीय थी। पितृसत्तात्मक व्यवस्था के कारण स्त्रियों को शिक्षा, स्वतंत्रता और सामाजिक निर्णयों में समान अधिकार प्राप्त नहीं थे। धार्मिक और सामाजिक रूढ़ियों ने स्त्री जीवन को अनेक बंधनों में बाँध रखा था। ऐसे समय में कबीर की वाणी सामाजिक परिवर्तन की चेतना लेकर सामने आई। उन्होंने मनुष्य की पहचान जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्म और ज्ञान से मानी।

कबीर के स्त्री-विषयक चिंतन का अध्ययन इसलिए आवश्यक है क्योंकि उनकी वाणी में स्त्री के प्रति अनेक स्तरों पर विचार दिखाई देते हैं। एक ओर वे मध्यकालीन सामाजिक संदर्भों के प्रभाव में कुछ स्थानों पर स्त्री को माया और मोह के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करते हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी व्यापक मानवतावादी दृष्टि स्त्री-पुरुष समानता की भावना को भी प्रकट करती है। कबीर के स्त्री संबंधी विचारों को केवल एक दृष्टिकोण से नहीं समझा जा सकता, बल्कि उन्हें उनके समय, समाज और आध्यात्मिक दर्शन के संदर्भ में देखना आवश्यक है। वर्तमान नारी-विमर्श के परिप्रेक्ष्य में कबीर के विचारों का पुनर्मूल्यांकन सामाजिक समानता, लैंगिक न्याय और मानव गरिमा के प्रश्नों को समझने में सहायक सिद्ध होता है। अतः कबीर का स्त्री-विषयक दृष्टिकोण भारतीय साहित्य और समाज अध्ययन की दृष्टि से एक महत्त्वपूर्ण शोध विषय है।

1. कबीर की निर्गुण भक्ति और स्त्री-दृष्टि

(I) निर्गुण दर्शन की मूल अवधारणा

निर्गुण भक्ति भारतीय भक्तिकाल की एक प्रमुख आध्यात्मिक एवं सामाजिक विचारधारा है, जिसका मूल आधार ईश्वर को निराकार, निर्गुण और सर्वव्यापी मानना है। इस परम्परा के अनुसार परमात्मा किसी विशेष रूप, मूर्ति या बाहरी आडम्बर में सीमित नहीं है, बल्कि वह प्रत्येक जीव के भीतर विद्यमान है। निर्गुण संतों ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए बाहरी कर्मकाण्डों, धार्मिक रूढ़ियों और सामाजिक भेदभावों के स्थान पर आत्मज्ञान, प्रेम, सत्य और आंतरिक शुद्धता को अधिक महत्त्व दिया। कबीर इसी निर्गुण परम्परा के सबसे प्रभावशाली कवि हैं, जिन्होंने धर्म के बाह्य स्वरूपों का विरोध करते हुए मानवता और समानता को अपने चिंतन का आधार बनाया।

कबीर का निर्गुण दर्शन केवल आध्यात्मिक चिंतन तक सीमित नहीं था, बल्कि उसमें सामाजिक परिवर्तन की चेतना भी विद्यमान थी। उन्होंने जाति-व्यवस्था, धार्मिक पाखण्ड, ऊँच-नीच और सामाजिक अन्याय का विरोध किया। उनके लिए मनुष्य की वास्तविक पहचान उसकी जाति, कुल या धर्म से नहीं बल्कि उसके ज्ञान, आचरण और आत्मिक चेतना से होती है। कबीर का यह मानवतावादी दृष्टिकोण स्त्री-पुरुष दोनों को समान आध्यात्मिक सत्ता के रूप में देखने की संभावना उत्पन्न करता है। उनके अनुसार आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, इसलिए ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में स्त्री और पुरुष के बीच कोई भेद नहीं होना चाहिए।

(II) कबीर की आध्यात्मिक दृष्टि में स्त्री का स्थान

कबीर के स्त्री संबंधी विचारों को समझने के लिए उनके समय की सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखना आवश्यक है। मध्यकालीन समाज पितृसत्तात्मक व्यवस्था से संचालित था, जिसमें स्त्रियों की स्वतंत्रता सीमित थी। धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं में स्त्री को प्रायः बंधनों और नियंत्रणों के भीतर रखा जाता था। कबीर ने अपने काव्य में अनेक सामाजिक रूढ़ियों का विरोध किया, लेकिन स्त्री के संबंध में उनके विचार जटिल दिखाई देते हैं।

कबीर की वाणी में एक ओर सांसारिक मोह, कामना और माया के संदर्भ में स्त्री को प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, वहीं दूसरी ओर आध्यात्मिक दृष्टि से उन्होंने स्त्री को आत्मा के रूप में स्वीकार किया है। कबीर की साधना में आत्मा को प्रायः विरहिणी नारी और परमात्मा को प्रियतम के रूप में चित्रित किया गया है। इस प्रतीकात्मक प्रयोग में स्त्री दुर्बलता का नहीं बल्कि प्रेम, समर्पण और आध्यात्मिक उत्कंठा का प्रतीक बनती है।

कबीर के लिए भक्ति का मार्ग प्रेम और समर्पण का मार्ग है। जिस प्रकार एक विरहिणी अपने प्रियतम के मिलन के लिए व्याकुल रहती है, उसी प्रकार साधक आत्मा परमात्मा के मिलन के लिए लालायित रहती है। इस दृष्टि से स्त्री-भाव कबीर की आध्यात्मिक अनुभूति का महत्त्वपूर्ण माध्यम बन जाता है। यह दृष्टिकोण स्त्री को केवल सामाजिक भूमिका तक सीमित नहीं करता, बल्कि उसे आध्यात्मिक अनुभव की वाहक के रूप में प्रतिष्ठित करता है।

(III) आत्मा-परमात्मा संबंध और स्त्री प्रतीक

कबीर के काव्य में आत्मा-परमात्मा संबंध को व्यक्त करने के लिए स्त्री प्रतीक का व्यापक प्रयोग मिलता है। निर्गुण भक्ति में आत्मा को जीव और परमात्मा को परम पुरुष माना गया है। इस संबंध को स्पष्ट करने के लिए संत कवियों ने पति-पत्नी या प्रेमी-प्रेमिका के संबंधों का सहारा लिया। कबीर के यहाँ आत्मा को विरहिणी नारी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो अपने प्रियतम परमात्मा से मिलन की आकांक्षा रखती है। यह प्रतीक केवल काव्य सौन्दर्य का साधन नहीं है, बल्कि गहरी आध्यात्मिक अनुभूति का संकेत है। कबीर के अनुसार मनुष्य का वास्तविक लक्ष्य परम सत्य की प्राप्ति है और इसके लिए अहंकार, मोह तथा सांसारिक बंधनों का त्याग आवश्यक है। आत्मा का परमात्मा के प्रति समर्पण उसी प्रकार है जैसे प्रेमिका अपने प्रिय के प्रति पूर्ण समर्पित होती है।

कबीर की आध्यात्मिक दृष्टि में स्त्री प्रतीक प्रेम, भक्ति, धैर्य और समर्पण का प्रतीक बनकर सामने आता है। इस प्रकार कबीर का स्त्री-विषयक चिंतन केवल सामाजिक दृष्टि से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक स्तर पर भी महत्त्वपूर्ण है। उनकी निर्गुण भक्ति स्त्री को आत्मिक समानता प्रदान करती है और यह स्थापित करती है कि ईश्वर की प्राप्ति का अधिकार प्रत्येक मनुष्य को समान रूप से प्राप्त है। इस दृष्टि से कबीर का चिंतन मध्यकालीन समाज की रूढ़ धारणाओं से आगे बढ़कर मानव समानता और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का संदेश देता है।

2. कबीर काव्य में स्त्री की अवधारणा

(I) स्त्री के प्रति कबीर का सकारात्मक दृष्टिकोण

कबीर के काव्य में स्त्री की अवधारणा अत्यंत व्यापक और बहुआयामी रूप में दिखाई देती है। यद्यपि कबीर की वाणी में कुछ स्थानों पर स्त्री को माया, मोह और सांसारिक आकर्षण के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, परन्तु उनके समग्र चिंतन को देखने पर स्पष्ट होता है कि वे स्त्री को केवल भोग-वस्तु या सामाजिक बंधन के रूप में स्वीकार नहीं करते। कबीर का मूल उद्देश्य मनुष्य को बाहरी आडम्बरों, अज्ञान और सामाजिक रूढ़ियों से मुक्त कर आध्यात्मिक चेतना की ओर ले जाना था। इसलिए उनके स्त्री संबंधी विचारों को उनके व्यापक मानवतावादी और आध्यात्मिक दृष्टिकोण के संदर्भ में समझना आवश्यक है। कबीर ने मध्यकालीन समाज में व्याप्त जातिगत और लैंगिक असमानताओं का विरोध किया। उनके लिए मनुष्य की श्रेष्ठता जन्म, जाति, कुल या लिंग से निर्धारित नहीं होती, बल्कि उसके ज्ञान, कर्म और आत्मिक गुणों से होती है। इस दृष्टि से कबीर स्त्री को भी पुरुष के समान आध्यात्मिक अधिकारों से युक्त मानते हैं। उनकी दृष्टि में आत्मा न तो पुरुष है और न स्त्री, बल्कि वह परमात्मा का अंश है। इसलिए ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में स्त्री और पुरुष के बीच कोई भेदभाव नहीं हो सकता। कबीर की वाणी में स्त्री के सकारात्मक रूप का सबसे महत्त्वपूर्ण पक्ष यह है कि उन्होंने स्त्री को प्रेम और समर्पण की शक्ति के रूप में देखा। आत्मा-परमात्मा संबंध को व्यक्त करने के लिए उन्होंने स्त्री भाव का प्रयोग किया। विरहिणी नारी के माध्यम से उन्होंने साधक की उस स्थिति को व्यक्त किया जिसमें वह परमात्मा के मिलन के लिए व्याकुल

रहता है। इस प्रकार स्त्री उनके काव्य में केवल सामाजिक पात्र नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अनुभूति का प्रतीक बन जाती है।

(II) स्त्री को साधना एवं आध्यात्मिक चेतना के संदर्भ में देखना

कबीर के आध्यात्मिक चिंतन में साधना का आधार बाहरी कर्मकाण्ड नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता और आत्मज्ञान है। इस साधना मार्ग में स्त्री और पुरुष दोनों को समान स्थान प्राप्त है। कबीर ने कभी भी ईश्वर प्राप्ति को केवल पुरुषों का अधिकार नहीं माना, बल्कि प्रत्येक जीव को परम सत्य की खोज करने वाला साधक स्वीकार किया। कबीर की काव्य-भाषा में स्त्री प्रतीक का प्रयोग साधना की गहराइयों को व्यक्त करने के लिए हुआ है। आत्मा को स्त्री और परमात्मा को प्रियतम के रूप में चित्रित करके उन्होंने भक्त और भगवान के संबंध को प्रेमपूर्ण बनाया। यह प्रतीक भारतीय भक्ति परम्परा में अत्यंत प्रभावशाली रहा है। यहाँ स्त्री दुर्बलता का प्रतीक नहीं है, बल्कि प्रेम, धैर्य, विश्वास और पूर्ण समर्पण की प्रतीक है। कबीर के अनुसार सच्ची साधना मन की निर्मलता, अहंकार के त्याग और प्रेम की अनुभूति में निहित है। इस संदर्भ में स्त्री का स्वरूप आध्यात्मिक शक्ति के रूप में सामने आता है। जिस प्रकार एक प्रेमिका अपने प्रिय के लिए सभी सांसारिक बंधनों को पार करने की क्षमता रखती है, उसी प्रकार साधक को भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए पूर्ण समर्पण की आवश्यकता होती है। इस प्रकार कबीर के यहाँ स्त्री प्रतीक आध्यात्मिक उत्कर्ष का माध्यम बनता है।

(III) स्त्री-पुरुष समानता की भावना

कबीर के चिंतन का मूल आधार मानव समानता है। उन्होंने समाज में व्याप्त सभी प्रकार के भेदभावों का विरोध किया। उनकी दृष्टि में जाति, धर्म, वर्ग और लिंग के आधार पर किसी मनुष्य को श्रेष्ठ या निम्न नहीं माना जा सकता। यही विचार स्त्री-पुरुष संबंधों पर भी लागू होता है। मध्यकालीन समाज में स्त्रियों की स्थिति अत्यंत सीमित थी। उन्हें शिक्षा, स्वतंत्र निर्णय और धार्मिक अधिकारों से वंचित रखा जाता था। कबीर ने अपने व्यापक सामाजिक चिंतन के माध्यम से ऐसी रूढ़ियों को चुनौती दी। वे मानते थे कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर एक ही परम चेतना विद्यमान है, इसलिए स्त्री और पुरुष दोनों समान रूप से सम्मान के अधिकारी हैं। कबीर की समानतावादी दृष्टि उनके निर्गुण दर्शन से जुड़ी हुई है। निर्गुण ईश्वर किसी विशेष जाति, वर्ग या लिंग का नहीं है, बल्कि सम्पूर्ण मानवता का है। इसलिए उसकी भक्ति का अधिकार भी सभी को समान रूप से प्राप्त है। कबीर का यह विचार मध्यकालीन सामाजिक व्यवस्था में एक क्रांतिकारी चेतना के रूप में सामने आया। इस प्रकार कबीर काव्य में स्त्री की अवधारणा केवल सामाजिक भूमिका तक सीमित नहीं है, बल्कि वह आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और मानवीय स्तर पर प्रतिष्ठित है। कबीर ने स्त्री को प्रेम, साधना और चेतना के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करते हुए स्त्री-पुरुष समानता की भावना को मजबूत आधार प्रदान किया। उनका स्त्री-विषयक चिंतन आज भी सामाजिक न्याय और लैंगिक समानता के संदर्भ में प्रासंगिक बना हुआ है।

3 कबीर की वाणी में स्त्री-आलोचना और सामाजिक संदर्भ

(I) नारी-निन्दा से जुड़े पदों का विश्लेषण

कबीर की वाणी में स्त्री संबंधी विचारों का अध्ययन करते समय यह तथ्य सामने आता है कि उनके काव्य में स्त्री के प्रति दो प्रकार के दृष्टिकोण दिखाई देते हैं। एक ओर वे स्त्री को प्रेम, भक्ति, समर्पण और आध्यात्मिक चेतना के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ पदों में स्त्री को मोह, माया और सांसारिक बंधनों के प्रतीक के रूप में चित्रित करते हैं। कबीर की इन उक्तियों को कई विद्वानों ने नारी-निन्दा के रूप में देखा है। किंतु इन पदों का मूल्यांकन करते समय

उनके आध्यात्मिक उद्देश्य और मध्यकालीन सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखना आवश्यक है। कबीर मूल रूप से वैराग्य और आत्मसंयम के साधक थे। उनकी आलोचना का मुख्य लक्ष्य स्त्री नहीं, बल्कि वह काम-वासना और आसक्ति थी जो मनुष्य को आध्यात्मिक मार्ग से विचलित करती है। कबीर ने जिस प्रकार धन, जाति, पाखण्ड और धार्मिक आडम्बरों की आलोचना की, उसी प्रकार उन्होंने सांसारिक मोह और इन्द्रिय आकर्षण की भी आलोचना की। कई स्थानों पर स्त्री इसी मोह का प्रतीक बनकर सामने आती है। इसलिए इन पदों को स्त्री-विरोध के रूप में देखने के बजाय आध्यात्मिक साधना में बाधक आसक्तियों के विरोध के रूप में समझना अधिक उचित होगा। कबीर की भाषा प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक है। वे अपने समय की सामाजिक और धार्मिक कमजोरियों पर तीखा प्रहार करते हैं। उनके द्वारा प्रयुक्त स्त्री-प्रतीक कई बार साधक को सावधान करने के उद्देश्य से आते हैं। जैसे माया, कामना और मोह को स्त्री रूपक में प्रस्तुत करना भारतीय संत परम्परा में पहले से प्रचलित था। अतः कबीर की नारी-आलोचना को उनके व्यापक आध्यात्मिक चिंतन से जोड़कर देखना चाहिए।

(II) मध्यकालीन सामाजिक मान्यताओं का प्रभाव

कबीर के स्त्री संबंधी विचारों पर मध्यकालीन समाज की परिस्थितियों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जिस समय कबीर का प्रादुर्भाव हुआ, उस समय भारतीय समाज पितृसत्तात्मक व्यवस्था, धार्मिक रूढ़ियों और सामाजिक असमानताओं से प्रभावित था। स्त्रियों की सामाजिक स्वतंत्रता सीमित थी और उन्हें मुख्यतः पारिवारिक भूमिकाओं तक सीमित रखा जाता था। मध्यकालीन धार्मिक और सामाजिक विचारधाराओं में स्त्री को कई बार सांसारिक मोह और पतन के कारण के रूप में प्रस्तुत किया गया था। संत परम्परा भी इस वातावरण से पूरी तरह अलग नहीं थी। कबीर ने भी अपने समय की कुछ मान्यताओं को ग्रहण किया, लेकिन साथ ही उन्होंने अनेक रूढ़ धारणाओं का विरोध भी किया। उनका मुख्य उद्देश्य मनुष्य को बाहरी बंधनों से मुक्त कर आत्मिक स्वतंत्रता प्रदान करना था। कबीर की सामाजिक चेतना अपने समय से आगे थी। उन्होंने जाति-भेद, धार्मिक कट्टरता और सामाजिक शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई। यदि वे केवल स्त्री-विरोधी होते तो आत्मा को स्त्री रूप में प्रस्तुत करके परमात्मा के प्रति प्रेम और समर्पण की व्याख्या नहीं करते। इसलिए उनके स्त्री संबंधी विचारों को उस समय की सामाजिक संरचना और उनके आध्यात्मिक दृष्टिकोण दोनों के संदर्भ में समझना आवश्यक है।

(III) कबीर के विचारों में विरोधाभास का अध्ययन

कबीर के स्त्री-विषयक चिंतन में एक प्रकार का विरोधाभास दिखाई देता है। एक ओर वे स्त्री को माया और मोह के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करते हैं, वहीं दूसरी ओर आत्मा-परमात्मा संबंध को व्यक्त करने के लिए स्त्री भाव को अपनाते हैं। यह विरोधाभास वास्तव में कबीर के चिंतन की जटिलता को दर्शाता है। कबीर के लिए स्त्री का नकारात्मक रूप वास्तविक स्त्री नहीं, बल्कि सांसारिक आसक्ति और भौतिक मोह का प्रतीक है। दूसरी ओर स्त्री का सकारात्मक रूप प्रेम, भक्ति और आध्यात्मिक समर्पण का प्रतीक है। इसलिए कबीर की दृष्टि में स्त्री के दो अलग-अलग रूप दिखाई देते हैं—एक सांसारिक बंधन का प्रतीक और दूसरा आध्यात्मिक मुक्ति का माध्यम। कबीर का यह द्वंद्व उनके युगीन संस्कारों और उनके क्रांतिकारी चिंतन के बीच संघर्ष को भी दर्शाता है। वे मध्यकालीन समाज के सदस्य थे, इसलिए कुछ स्थानों पर उस समय की रूढ़ धारणाओं का प्रभाव दिखाई देता है, लेकिन उनका मूल चिंतन मानव समानता और आध्यात्मिक स्वतंत्रता पर आधारित है। अतः कबीर की वाणी में स्त्री-आलोचना को केवल नारी-विरोध के रूप में देखना उचित नहीं होगा। उनके विचारों में मौजूद विरोधाभासों को समझने के लिए उनके समय, उनकी साधना पद्धति और उनके सामाजिक उद्देश्य को ध्यान में रखना आवश्यक है। कबीर का अंतिम लक्ष्य स्त्री या पुरुष किसी एक वर्ग की आलोचना नहीं, बल्कि मनुष्य को अज्ञान, मोह और सामाजिक बंधनों से मुक्त करना था।

4. कबीर और स्त्री-विमर्श

(I) पितृसत्तात्मक व्यवस्था पर कबीर की दृष्टि

कबीर का काव्य मध्यकालीन भारतीय समाज की विसंगतियों और रूढ़ियों के विरुद्ध एक सशक्त आवाज के रूप में सामने आता है। उन्होंने जाति-व्यवस्था, धार्मिक पाखण्ड, सामाजिक भेदभाव और बाह्य आडम्बरों का विरोध करते हुए मानव समानता का संदेश दिया। इसी व्यापक सामाजिक दृष्टिकोण के अंतर्गत कबीर की स्त्री संबंधी दृष्टि को भी समझना आवश्यक है। यद्यपि कबीर ने प्रत्यक्ष रूप से आधुनिक अर्थों में पितृसत्ता की आलोचना नहीं की, लेकिन उनके मानवतावादी चिंतन में ऐसी चेतना विद्यमान है जो स्त्री-पुरुष असमानता को चुनौती देती है। मध्यकालीन समाज में स्त्री को पुरुष के अधीन माना जाता था। उसके जीवन के निर्णय परिवार और समाज द्वारा नियंत्रित किए जाते थे। धार्मिक और सामाजिक संस्थाएँ भी पुरुष प्रधान थीं, जिसके कारण स्त्री की स्वतंत्र पहचान सीमित थी। कबीर ने अपने समय की अनेक सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार किया। उनका यह विचार कि मनुष्य की श्रेष्ठता जन्म, जाति और बाहरी पहचान से नहीं बल्कि उसके ज्ञान और कर्म से निर्धारित होती है, पितृसत्तात्मक सोच के आधार को कमजोर करता है। कबीर के निर्गुण दर्शन में ईश्वर सभी के लिए समान है। उनके अनुसार आत्मा किसी जाति, धर्म या लिंग से बंधी हुई नहीं है। इस आध्यात्मिक समानता के आधार पर स्त्री भी पुरुष के समान परमात्मा की प्राप्ति की अधिकारी है। इस प्रकार कबीर का चिंतन अप्रत्यक्ष रूप से उस सामाजिक व्यवस्था का विरोध करता है जो स्त्री को निम्न या आश्रित मानती थी।

(II) स्त्री की स्वतंत्रता एवं सामाजिक स्थिति

कबीर के समय स्त्रियों की सामाजिक स्थिति अत्यंत जटिल थी। एक ओर उन्हें धार्मिक और सामाजिक बंधनों में रखा जाता था, वहीं दूसरी ओर भक्ति आंदोलन ने उन्हें अपनी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान किया। कबीर की विचारधारा ने भी इस समानतावादी वातावरण को मजबूत किया। कबीर के लिए वास्तविक स्वतंत्रता बाहरी बंधनों से अधिक आंतरिक चेतना से जुड़ी थी। वे मनुष्य को अज्ञान, भय और रूढ़ियों से मुक्त होने का संदेश देते हैं। इस दृष्टि से स्त्री की स्वतंत्रता भी केवल सामाजिक अधिकारों तक सीमित नहीं थी, बल्कि आत्मिक स्वतंत्रता और आत्मसम्मान से संबंधित थी। कबीर ने स्त्री को केवल गृहस्थ जीवन की भूमिका तक सीमित नहीं माना। उनके काव्य में स्त्री आत्मा, साधक और प्रेम की प्रतीक के रूप में उपस्थित होती है। आत्मा-परमात्मा संबंध की व्याख्या करते हुए कबीर ने स्त्री भाव को अपनाया, जिससे स्त्री की आध्यात्मिक गरिमा स्थापित होती है। हालाँकि, कबीर की वाणी में कुछ ऐसे पद भी मिलते हैं जहाँ स्त्री को मोह या माया के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह उनके युगीन सामाजिक संस्कारों और साधना-परम्परा का प्रभाव था। फिर भी उनके समग्र चिंतन में स्त्री को केवल नकारात्मक रूप में नहीं देखा जा सकता। उनकी मूल दृष्टि मनुष्य की मुक्ति और समानता पर आधारित है।

(III) आधुनिक नारी-विमर्श के संदर्भ में कबीर

आधुनिक नारी-विमर्श स्त्री की स्वतंत्रता, समान अधिकार, आत्मसम्मान और सामाजिक न्याय के प्रश्नों को केंद्र में रखता है। इस दृष्टि से कबीर के विचारों का पुनर्मूल्यांकन अत्यंत महत्त्वपूर्ण हो जाता है। कबीर ने आधुनिक अर्थों में नारी मुक्ति का कोई व्यवस्थित सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किया, लेकिन उनकी समानतावादी और रूढ़ि-विरोधी चेतना आधुनिक नारी-विमर्श के कई पक्षों से जुड़ती है। कबीर का विरोध केवल किसी एक वर्ग या समुदाय के विरुद्ध नहीं था, बल्कि वे हर प्रकार के शोषण और असमानता के विरोधी थे। उन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्र चेतना को महत्त्व दिया। यह विचार आधुनिक

नारीवादी चिंतन के उस पक्ष से जुड़ता है जो स्त्री को स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में स्वीकार करता है। आधुनिक नारी-विमर्श कबीर की आलोचनात्मक दृष्टि को दो स्तरों पर देखता है। पहला, उनके द्वारा सामाजिक रूढ़ियों और भेदभाव का विरोध स्त्री समानता के लिए आधार तैयार करता है। दूसरा, उनके कुछ पदों में दिखाई देने वाली स्त्री-आलोचना को मध्यकालीन पितृसत्तात्मक संदर्भों में समझने की आवश्यकता है। कबीर का सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने मनुष्य को उसकी बाहरी पहचान से ऊपर उठाकर देखा। उनकी यह दृष्टि आधुनिक लोकतांत्रिक और समानतावादी मूल्यों के निकट दिखाई देती है। इसलिए आधुनिक नारी-विमर्श के संदर्भ में कबीर का अध्ययन हमें यह समझने में सहायता करता है कि सामाजिक परिवर्तन की चेतना केवल आधुनिक युग की देन नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें मध्यकालीन संत परम्परा में भी मौजूद थीं।

5. कबीर काव्य में स्त्री-प्रतिनिधित्व का विश्लेषण

(I) पत्नी, माता और साधिका के रूप में स्त्री

कबीर के काव्य में स्त्री का प्रतिनिधित्व अनेक रूपों में दिखाई देता है। यद्यपि कबीर का मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक चेतना और सामाजिक सुधार था, फिर भी उनकी वाणी में स्त्री जीवन के विभिन्न रूपों की अभिव्यक्ति मिलती है। पत्नी, माता और साधिका के रूप में स्त्री उनके काव्य में केवल सामाजिक संबंधों की प्रतीक नहीं है, बल्कि वह मानवीय संवेदना और आध्यात्मिक अनुभव की वाहक भी बनती है। पत्नी के रूप में स्त्री का चित्रण कबीर की आध्यात्मिक प्रतीक योजना में विशेष महत्त्व रखता है। कबीर ने आत्मा और परमात्मा के संबंध को पति-पत्नी या प्रेमी-प्रेमिका के संबंध के माध्यम से व्यक्त किया है। इस रूपक में आत्मा को विरहिणी पत्नी और परमात्मा को प्रियतम पति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आत्मा अपने प्रिय परमात्मा के मिलन के लिए व्याकुल रहती है। इस प्रकार पत्नी का रूप सांसारिक संबंध तक सीमित न रहकर आध्यात्मिक प्रेम और समर्पण का प्रतीक बन जाता है। माता के रूप में स्त्री का स्वरूप करुणा, ममता और सृजन शक्ति से जुड़ा हुआ है। कबीर ने प्रत्यक्ष रूप से मातृत्व का विस्तृत वर्णन नहीं किया है, लेकिन उनकी मानवतावादी दृष्टि में जीवन और सृष्टि के प्रति सम्मान का भाव दिखाई देता है। माता का रूप जीवन देने वाली शक्ति के रूप में देखा जा सकता है। यह दृष्टिकोण स्त्री को केवल सामाजिक भूमिका में सीमित न करके उसकी रचनात्मक क्षमता को स्वीकार करता है। साधिका के रूप में स्त्री कबीर के निर्गुण दर्शन का अत्यंत महत्त्वपूर्ण पक्ष है। कबीर के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति के लिए जाति, वर्ग या लिंग कोई बाधा नहीं है। स्त्री भी पुरुष की तरह साधना, ज्ञान और आत्मबोध के मार्ग पर आगे बढ़ सकती है। भक्ति परम्परा में अनेक महिला संतों की उपस्थिति इस विचार को प्रमाणित करती है कि आध्यात्मिक चेतना पर किसी एक वर्ग का अधिकार नहीं है।

(II) माया और शक्ति के रूप में स्त्री-प्रतीक

कबीर के काव्य में स्त्री का एक अन्य रूप माया और शक्ति के प्रतीक के रूप में दिखाई देता है। निर्गुण संत परम्परा में संसार को कई बार माया के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो मनुष्य को परम सत्य से दूर करती है। कबीर भी सांसारिक मोह, कामना और आसक्ति को साधना के मार्ग में बाधक मानते हैं। इसी संदर्भ में कई स्थानों पर स्त्री को माया के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि कबीर की माया संबंधी अवधारणा वास्तविक स्त्री के विरोध में नहीं है, बल्कि सांसारिक आकर्षण और मनुष्य की इच्छाओं का प्रतीकात्मक रूप है। कबीर धन, पद, प्रतिष्ठा और अन्य भौतिक आकर्षणों की तरह काम-वासना और मोह को भी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक मानते हैं। इसलिए स्त्री-प्रतीक का प्रयोग उनके यहाँ साधक को सावधान करने के लिए किया गया है। इसके साथ ही कबीर के काव्य में स्त्री

शक्ति का रूप भी दिखाई देता है। स्त्री प्रेम, धैर्य, त्याग और समर्पण की शक्ति का प्रतीक है। आत्मा के रूप में स्त्री परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण करती है और इसी समर्पण के माध्यम से आध्यात्मिक उपलब्धि प्राप्त करती है। इस प्रकार कबीर के यहाँ स्त्री केवल बंधन का प्रतीक नहीं बल्कि शक्ति और चेतना का स्रोत भी है।

(III) आध्यात्मिक चेतना की वाहक स्त्री

कबीर के काव्य में स्त्री का सबसे महत्त्वपूर्ण रूप आध्यात्मिक चेतना की वाहक के रूप में सामने आता है। निर्गुण भक्ति में आत्मा और परमात्मा के संबंध को व्यक्त करने के लिए स्त्री भाव का प्रयोग किया गया है। यह भाव भक्त और भगवान के बीच प्रेम, विश्वास और समर्पण की गहरी अनुभूति को व्यक्त करता है। कबीर के अनुसार प्रत्येक मनुष्य के भीतर परमात्मा का निवास है। इसलिए स्त्री भी आत्मज्ञान और ईश्वर प्राप्ति की समान अधिकारी है। उनकी दृष्टि में भक्ति किसी विशेष जाति, धर्म या लिंग तक सीमित नहीं है। यह विचार मध्यकालीन सामाजिक व्यवस्था के लिए अत्यंत क्रांतिकारी था, क्योंकि उस समय स्त्रियों को धार्मिक अधिकारों से वंचित रखा जाता था। कबीर की आध्यात्मिक दृष्टि में स्त्री प्रेम और भक्ति की सर्वोच्च अवस्था का प्रतीक है। विरहिणी नारी की व्याकुलता के माध्यम से वे साधक की उस स्थिति को व्यक्त करते हैं जिसमें वह परमात्मा के मिलन के लिए बेचैन रहता है। यह विरह केवल व्यक्तिगत प्रेम नहीं बल्कि आत्मा की परम सत्य की खोज है। कबीर काव्य में स्त्री का प्रतिनिधित्व बहुआयामी है। वह कभी पत्नी के रूप में प्रेम और समर्पण की प्रतीक है, कभी माया के रूप में सांसारिक आकर्षण का संकेत देती है और कभी साधिका के रूप में आध्यात्मिक चेतना की वाहक बनती है। कबीर की दृष्टि में स्त्री केवल सामाजिक अस्तित्व नहीं, बल्कि मानवीय और आध्यात्मिक अनुभव का महत्त्वपूर्ण माध्यम है। उनके काव्य में स्त्री-प्रतिनिधित्व मध्यकालीन समाज की जटिलताओं के साथ-साथ मानव समानता और आध्यात्मिक स्वतंत्रता की भावना को भी व्यक्त करता है।

6. कबीर के स्त्री-विषयक विचारों की समकालीन प्रासंगिकता

(I) वर्तमान समाज में कबीर की नारी-दृष्टि

कबीर का स्त्री-विषयक चिंतन मध्यकालीन संदर्भों से जुड़ा होने के बावजूद वर्तमान समाज में भी अत्यंत प्रासंगिक दिखाई देता है। आज जब समाज लैंगिक समानता, स्त्री स्वतंत्रता और महिला अधिकारों के प्रश्नों से जूझ रहा है, तब कबीर की मानवतावादी दृष्टि हमें नई दिशा प्रदान करती है। कबीर ने अपने समय में जाति, धर्म, पाखण्ड और सामाजिक असमानताओं का विरोध किया था। उनकी यही समानतावादी चेतना आधुनिक समाज में स्त्री-पुरुष संबंधों को अधिक न्यायपूर्ण बनाने में सहायक हो सकती है। कबीर की मूल दृष्टि मनुष्य को उसकी बाहरी पहचान से ऊपर उठाकर देखने की थी। उनके अनुसार मनुष्य की श्रेष्ठता जन्म, जाति, वर्ग या लिंग से निर्धारित नहीं होती, बल्कि उसके ज्ञान, आचरण और आध्यात्मिक चेतना से होती है। इस विचार को वर्तमान नारी विमर्श के संदर्भ में देखा जाए तो यह स्त्री को स्वतंत्र और सम्मानित व्यक्ति के रूप में स्वीकार करने का आधार प्रदान करता है। आज भी समाज में स्त्रियों के प्रति अनेक प्रकार की असमानताएँ और भेदभाव मौजूद हैं। शिक्षा, रोजगार, सामाजिक निर्णयों और स्वतंत्र जीवन के अधिकारों में समान अवसर की आवश्यकता बनी हुई है। ऐसे समय में कबीर का यह विचार कि प्रत्येक जीव में एक ही परम चेतना विद्यमान है, स्त्री के प्रति सम्मान और समानता की भावना को मजबूत करता है। कबीर की नारी-दृष्टि का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि वे बाहरी आडम्बरों के स्थान पर आंतरिक चेतना को महत्त्व देते हैं। यह दृष्टिकोण आज भी उन सामाजिक रूढ़ियों को चुनौती देता है जो स्त्री की स्वतंत्रता को सीमित करती हैं।

(II) लैंगिक समानता के संदर्भ में कबीर

लैंगिक समानता आधुनिक लोकतांत्रिक समाज का एक प्रमुख मूल्य है। कबीर ने अपने समय में सीधे तौर पर लैंगिक समानता का आधुनिक सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किया था, लेकिन उनकी विचारधारा में ऐसे अनेक तत्व मौजूद हैं जो इस अवधारणा को समर्थन प्रदान करते हैं। कबीर की निर्गुण भक्ति में ईश्वर किसी विशेष वर्ग, जाति या लिंग तक सीमित नहीं है। इस कारण भक्ति और आध्यात्मिक उपलब्धि का अधिकार सभी मनुष्यों को समान रूप से प्राप्त है। कबीर का सामाजिक चिंतन भेदभाव के विरोध पर आधारित है। उन्होंने जाति-व्यवस्था और ऊँच-नीच की भावना का विरोध करते हुए कहा कि मनुष्य का मूल्य उसके कर्म और ज्ञान से निर्धारित होता है। यही विचार स्त्री-पुरुष संबंधों में भी समानता की स्थापना का आधार बन सकता है। कबीर की वाणी में आत्मा को स्त्री और परमात्मा को प्रियतम के रूप में प्रस्तुत करने की परम्परा भी लैंगिक समानता की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। यहाँ स्त्री केवल सांसारिक भूमिका में नहीं है, बल्कि वह आध्यात्मिक अनुभव की केंद्रबिन्दु बनती है। इससे स्त्री के अस्तित्व को उच्च आध्यात्मिक गरिमा प्राप्त होती है।

हालाँकि, कबीर के कुछ पदों में स्त्री को माया और मोह के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसे आधुनिक दृष्टि से आलोचनात्मक रूप में देखा जा सकता है। लेकिन इन पदों को उनके आध्यात्मिक संदर्भ में समझना आवश्यक है। कबीर का मुख्य विरोध स्त्री नहीं, बल्कि आसक्ति और अज्ञान से था। इसलिए उनके समग्र चिंतन में समानता और मानव गरिमा का भाव अधिक महत्त्वपूर्ण है।

(III) सामाजिक सुधार में कबीर की भूमिका

कबीर भारतीय समाज सुधार की परम्परा के प्रमुख चिंतक माने जाते हैं। उन्होंने धार्मिक कट्टरता, सामाजिक रूढ़ियों और मानवीय विभाजन के विरुद्ध आवाज उठाई। उनका उद्देश्य केवल धार्मिक सुधार नहीं था, बल्कि एक ऐसे समाज की स्थापना करना था जिसमें मनुष्य को उसकी मानवता के आधार पर सम्मान प्राप्त हो। स्त्री के संदर्भ में भी कबीर की भूमिका महत्त्वपूर्ण है क्योंकि उनकी विचारधारा सामाजिक समानता की समर्थक थी। उन्होंने उन सभी व्यवस्थाओं का विरोध किया जो मनुष्य को स्वतंत्र सोच और आत्मसम्मान से वंचित करती थीं। उनकी दृष्टि में मुक्ति केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और मानसिक भी थी। कबीर की वाणी आज भी सामाजिक सुधार के लिए प्रेरणा देती है। वर्तमान समय में जब समाज लैंगिक भेदभाव, रूढ़िवादिता और असमानता जैसी समस्याओं से जूझ रहा है, तब कबीर का मानवतावादी संदेश अत्यंत उपयोगी है। उनकी शिक्षा हमें यह समझने में सहायता करती है कि किसी भी समाज की प्रगति तभी संभव है जब उसमें प्रत्येक व्यक्ति को समान सम्मान और अवसर प्राप्त हो।

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि निर्गुण भक्ति परम्परा के प्रमुख कवि कबीर का स्त्री-विषयक चिंतन अत्यंत व्यापक, जटिल और बहुआयामी है। कबीर ने अपने समय की सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विसंगतियों के विरुद्ध जिस प्रकार आवाज उठाई, उसी व्यापक मानवतावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत उनके स्त्री संबंधी विचारों को भी समझना आवश्यक है। कबीर का मुख्य उद्देश्य किसी वर्ग विशेष की आलोचना करना नहीं था, बल्कि मनुष्य को अज्ञान, रूढ़ियों, पाखण्ड और सामाजिक बंधनों से मुक्त करना था। कबीर की वाणी में स्त्री के अनेक रूप दिखाई देते हैं। कहीं वह पत्नी के रूप में प्रेम, समर्पण और आध्यात्मिक साधना की प्रतीक है, तो कहीं आत्मा के रूप में परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण का माध्यम बनती है। कबीर ने आत्मा-परमात्मा संबंध को व्यक्त करने के लिए स्त्री भाव का प्रयोग किया, जिससे

स्त्री की आध्यात्मिक गरिमा स्थापित होती है। उनके निर्गुण दर्शन में ईश्वर की प्राप्ति का अधिकार सभी मनुष्यों को समान रूप से प्राप्त है, इसलिए स्त्री भी पुरुष के समान आध्यात्मिक चेतना और मुक्ति की अधिकारी है। शोध से यह भी स्पष्ट होता है कि कबीर की वाणी में स्त्री के प्रति कुछ आलोचनात्मक दृष्टिकोण भी दिखाई देते हैं। उनके कुछ पदों में स्त्री को माया, मोह और सांसारिक बंधन के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। किंतु इन पदों को स्त्री-विरोध के रूप में देखने के बजाय आध्यात्मिक साधना में बाधक आसक्ति और कामना के विरोध के रूप में समझना अधिक उचित होगा। कबीर का वास्तविक विरोध स्त्री नहीं, बल्कि वह मानसिकता थी जो मनुष्य को आत्मज्ञान से दूर ले जाती है।

कबीर के स्त्री-विषयक दृष्टिकोण का मूल्यांकन करते समय उनके युगीन संदर्भों को ध्यान में रखना आवश्यक है। मध्यकालीन समाज पितृसत्तात्मक व्यवस्था, धार्मिक रूढ़ियों और सामाजिक असमानताओं से प्रभावित था। ऐसे समय में कबीर ने जाति, धर्म और सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध आवाज उठाकर मानव समानता का संदेश दिया। उनकी यह दृष्टि अप्रत्यक्ष रूप से स्त्री समानता के विचार को भी समर्थन प्रदान करती है। कबीर आधुनिक अर्थों में नारीवादी चिंतक नहीं थे, लेकिन उनकी विचारधारा में ऐसे अनेक तत्व मौजूद हैं जो आधुनिक नारी-विमर्श से जुड़े हुए हैं। उन्होंने मनुष्य को उसकी जाति, धर्म, वर्ग और बाहरी पहचान से ऊपर उठाकर देखा। इसी कारण उनकी दृष्टि में स्त्री भी एक स्वतंत्र आध्यात्मिक सत्ता के रूप में स्वीकार की जा सकती है। कबीर के चिंतन का मूल्यांकन करते हुए यह भी स्वीकार करना होगा कि उनके विचारों में कुछ अंतर्विरोध मौजूद हैं। एक ओर वे स्त्री को आध्यात्मिक चेतना और प्रेम की प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ स्थानों पर स्त्री को मोह और माया के रूप में चित्रित करते हैं। यह विरोधाभास उनके व्यक्तिगत विचारों से अधिक मध्यकालीन धार्मिक और सामाजिक परिवेश का परिणाम था। समग्र रूप से देखा जाए तो कबीर की स्त्री-दृष्टि मानवतावादी और आध्यात्मिक समानता पर आधारित है। वे स्त्री को केवल सामाजिक भूमिका तक सीमित नहीं करते, बल्कि उसे आत्मिक अनुभव और चेतना के स्तर पर महत्त्व प्रदान करते हैं। यही कारण है कि कबीर का स्त्री-विषयक चिंतन आज भी साहित्यिक और सामाजिक विमर्श में प्रासंगिक बना हुआ है।

कबीर के स्त्री-विषयक विचारों पर अभी भी अनेक शोध संभावनाएँ विद्यमान हैं। भविष्य में कबीर की वाणी का अध्ययन स्त्री-विमर्श, दलित विमर्श और सामाजिक न्याय के व्यापक संदर्भों में किया जा सकता है। विशेष रूप से कबीर के स्त्री संबंधी प्रतीकों, आत्मा-परमात्मा संबंध में स्त्री भाव की भूमिका तथा उनकी वाणी में स्त्री की सामाजिक स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन उपयोगी हो सकता है। इसके अतिरिक्त कबीर और अन्य निर्गुण संत कवियों जैसे रैदास, दादू दयाल तथा संत कवयित्रियों जैसे सहजोबाई और मीरा बाई के स्त्री संबंधी विचारों का तुलनात्मक अध्ययन भी नए निष्कर्ष प्रस्तुत कर सकता है। आधुनिक नारीवादी सिद्धांतों के संदर्भ में कबीर की पुनर्व्याख्या भी एक महत्त्वपूर्ण शोध क्षेत्र हो सकता है। आज के समय में जब लैंगिक समानता, महिला स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय जैसे प्रश्न महत्वपूर्ण बने हुए हैं, तब कबीर की मानवतावादी दृष्टि का पुनर्पाठ आवश्यक है। कबीर का चिंतन हमें यह समझने में सहायता करता है कि किसी भी समाज की वास्तविक प्रगति तभी संभव है जब उसमें प्रत्येक व्यक्ति को समान सम्मान, स्वतंत्रता और गरिमा प्राप्त हो। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि कबीर का स्त्री-विषयक चिंतन विरोधाभासों के बावजूद सामाजिक समानता, आध्यात्मिक स्वतंत्रता और मानवीय गरिमा की स्थापना की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण वैचारिक आधार प्रस्तुत करता है। उनका काव्य केवल भक्ति साहित्य की धरोहर नहीं है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन और मानवीय चेतना का भी सशक्त दस्तावेज है।

संदर्भ सूची

1. कबीर, कबीर ग्रंथावली, संपादक–श्यामसुन्दर दास, नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी, 1928।

2. कबीर, बीजक, संपादक–अयोध्या सिंह उपाध्याय 'हरिऔध', साहित्य भवन, इलाहाबाद, 1955।
3. शुक्ल, रामचन्द्र, हिन्दी साहित्य का इतिहास, नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी, 1929।
4. द्विवेदी, हजारीप्रसाद, कबीर, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 1955।
5. नामवर सिंह, हिन्दी के विकास में अपभ्रंश का योग, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 1952।
6. अग्रवाल, पुरुषोत्तम, अकथ कहानी प्रेम की : कबीर की कविता और उनका समय, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2009।
7. शर्मा, रामविलास, परम्परा का मूल्यांकन, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 1981।
8. त्रिपाठी, विश्वनाथ, लोकवादी तुलसीदास, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2008।
9. द्विवेदी, हजारीप्रसाद, हिन्दी साहित्य : उद्भव और विकास, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 1952।
10. पाण्डेय, मैनेजर, साहित्य और इतिहास-दृष्टि, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2000।
11. यादव, चौथीराम, भक्ति आन्दोलन और लोकचेतना, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2011।
12. भारती, अनिता, समकालीन नारीवाद और दलित स्त्री का प्रतिरोध, सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली, 2012।
13. राजे, सुमन, हिन्दी साहित्य का आधा इतिहास, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, 2003।
14. चतुर्वेदी, परशुराम, उत्तरी भारत की सन्त परम्परा, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, 1972।
15. शुक्ल, रामचन्द्र, चिन्तामणि (भाग–1), नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी, 1939।
16. मिश्र, शिवकुमार, भक्ति आन्दोलन और भक्ति काव्य, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 1994।
17. गुप्ता, सुनीता, मध्यकालीन हिन्दी साहित्य में स्त्री चेतना, साहित्य अकादमी, नई दिल्ली, 2015।
18.. नाथ, रमेशचन्द्र, कबीर का समाज दर्शन, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, 1998।
19. सिंह, बच्चन, हिन्दी साहित्य का दूसरा इतिहास, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, 1996।
20. वर्मा, रामकुमार, हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, साहित्य भवन, इलाहाबाद, 1978।

प्रेमचन्द युगीन साहित्य में आंचलिकता का प्रभाव

डॉ. विकास कुमार
सहायक आचार्य, हिन्दी विभाग, लाजपत राय महाविद्यालय साहिबाबाद, गाजियाबाद, उ0प्र0

इस काल के कथा साहित्य में सामाजिक एवं राजनीतिक प्रवृत्ति का अभ्युत्थान हुआ। प्रेमचन्द पूर्व के कहानी और उपन्यास आगे अवश्य बढ़ रहे थे पर मानवीय धरातल से दूर मानवीय अनुभूतियों से परे। प्रेमचन्द के कथा साहित्य का आधार सामाजिक गुत्थियाँ ही थी। कारण यह है कि प्रेमचन्द रचित कई उपन्यास ग्राम जीवन एवं ग्रामीण समाज के चित्र उपस्थित करते हैं। उदाहरण के लिए वरदान, प्रेमाश्रय, रंगभूमि आदि लिये जा सकते हैं। इसमें आंचलिकता पूर्णरूप से प्राप्त नहीं होती। परन्तु गोदान का सारा कथानक ग्राम जीवन पर आधारित है। होरी लघु मानव के रूप में निर्माण काल से लेकर आज तक जीवित रहेगा। ’गोदान’ को भी पूर्णरूप से आंचलिक नहीं कहा जा सकता। गाँवों के सांस्कृतिक आधार पर ही नहीं, बल्कि भारतीय समाज के आधार पर। प्रेमचन्द ने वर्ग संघर्ष की कथा को गोदान में प्रस्तुत किया है। यथार्थवाद के धरातल पर ’गोदान’ मील का पत्थर बनकर आज भी जीवित है।

प्रसाद जी के कथा साहित्य में भी आंचलिकता का समावेश किसी न किसी रूप में है ही प्रसाद जी अपने उपन्यास ’तितली’ में प्रेमचन्द के मार्ग का ही अनुसरण करते दिखाई पड़ते हैं।

शिव नारायण श्रीवास्तव के अनुसार- ’’इस उपन्यास में प्रसाद ने प्रेमचन्द के मार्ग को अपनाया है और जमींदार के कर्मचारियों की कूटनीति एवं धाधली, ग्रामीण जनता की सरलता एवं घोर स्वार्थ- वृति, गाँवों की राजनीति, त्यौहार उत्सव मनाने के ढंग, सम्मिलित कुटुम्ब की दुर्बलता आदि की झलक दिखाने का प्रयत्न किया है।’’1

वृन्दावन लाल वर्मा की कृतियों में आंचलिकता का समावेश कथावस्तु में न होकर अन्य तत्वों में प्राप्त होता है। इस युग की कहानियों में सामाजिक समस्याओं की प्रधानता मिलती है। उनके सफल सामाजिक कहानियों में ’शरणागत’ कटा-फटा झंडा, तिरंगे वाली राखी और ’हमीदा’ में यह प्रमुखता से उठाया गया है। वृन्दावन लाल वर्मा की ऐतिहासिक कहानियों- कलाकार का दण्ड जैनावादी बेगम और ’शेरशाह का न्याय’ में आंचलिकता का पुट दिखाई देता है।

प्रेमचन्द युग की सबसे बड़ी विशेषता है मध्य वर्ग एवं निम्न वर्ग के पात्र का निरूपण। संघर्षरत मध्य वर्ग के पात्रों के साथ प्रेमचन्द की सहानुभूति सदैव रही होरी, धनिया (गोदान) अधूत गूदड़ (कर्मभूमि) आदि ऐसे ही पात्र है। उनके कहानी कफन में भी माधव की पत्नी यह सहानुभूति दिखाई देती है।

इस युग के साहित्यकार वातावरण के चित्रण पर भी अधिक ध्यान देने लगे। गाँवों का रहन-सहन, जीवनयापन एवं संस्कृति को स्वाभाविक रूप में चित्रण करने के लिए सशक्त एवं स्वाभाविक वातावरण की आवश्यकता थी। वातावरण को चित्रमयता प्रदान करने के लिए कल्पना तथा अलंकारिक शैली का प्रयोग भी धड़ल्ले से शुरू हो गया। प्रसाद और प्रेम के कथा साहित्य में इसे देखा जा सकता है। माघ के दिन थे। मघावट लगी हुई थी, घटाटोप अंधेरा छाया हुआ था, एक ओर तो जाड़े की रात, दूसरे माघ की वर्षा मौत सा सन्नाटा छाया हुआ था।2

प्रेमचन्द की कहानी कफन में भी इसका चित्रण अनायास ही दिख पड़ा- ''झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुये हैं और अन्दर बेटे की जवान बीबी बुधिया प्रसव पीड़ा से पछाड़ खा रही थी। रह-रहकर उसके मुँह से दिल-दहला देने वाली आवाज निकल रही थी कि दोनों कलेजा थाम लेते हैं। जाड़े की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई। सारा गाँव अन्धकार में लय हो गया था।''3

वृन्दावन लाल वर्मा के उपन्यासों में भी प्रकृति के रमणीय रूप का सुन्दर वर्णन मिलता है। चाहे ऐतिहासिक उपन्यास हो या सामाजिक उपन्यास वर्मा जी ने जन जीवन का बड़ा ही सुन्दर चित्र उपस्थित किया है। उदाहरणार्थ- ''पहाड़ों में करघई, घूमरे बैगनी रंग की छायी थी। बीच-बीच में कटवर तेन्दू और आचार की हरी-भरी झुरमुटे। बड़े-बड़े छपाकों जैसी। पहाड़ों की उपत्यका में साख, महुआ, अचार और सागौन के दीर्घकाय हरे वृक्ष की कतारें मानों उसका कहीं अन्त न हो। काहे के वृक्ष नदी के दोनों और झुके हुये मानों विभूतिमयी धसान की निःशब्द वन्दना कर रहे हों।4

प्रसाद जी की कहानियों में भी प्रेमचन्द युगीन परम्परा का समावेश दिखायी देता है उदाहरणार्थ- ''सुख जीने में है बलराज! ऐसी हरी भरी दुनिया, फूलों-बेलों से सजे हुये नदियों के सुन्दर किनारे, सुनहरा सबेरा चाँदी की राते। इन सबों से मुँह मोड़कर आँखे बन्द कर लेना। कभी नहीं, सबसे बढ़कर हो इसमें हम लोगों की उछल-कूद का तमाशा है। मैं तुम्हें मरने नहीं दूँगा।''5 वातावरण के साथ-साथ भाषा शैली में भी आंचलिकता का समावेश इस युग में होने लगा था। प्रेमचन्द भी भाषा शैली को जन भाषा रूप देने लगे थे। पात्रानुकूल भाषा का प्रयोग इसी काल से प्रारम्भ होता है और यही कारण है कि प्रवाह के साथ-साथ भाषा में चित्रात्मकता प्रवृत्ति भी मुखर हो उठी थी।

हिन्दी कथा साहित्य में आंचलिकता की प्रवृत्ति या आंचलिक उपन्यासों का व्यवस्थित रूप सन् 1950 के बाद देखने को मिलता है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हिन्दी कथा साहित्य में नये विचारों को स्थान मिला। नयी दृष्टि एवं नये विचारों के कारण हिन्दी कथा साहित्य में व्यापकता आयी। प्रेमचन्द के गोदान में ही ग्रामीण अंचलों को प्रभावी ढंग से चित्रित किया गया। परन्तु इस समय के लेखक सामाजिक यथार्थ मनोवैज्ञानिक यथार्थ एवं ऐतिहासिक यथार्थ से अपने को ऊपर नहीं उठा सके। डा0 ज्ञान अस्थाना भी इससे सहमत है- ''अपनी सीमित मान्यताओं एवं कुण्ठाओं से ऊपर न उठ सके। इस व्यक्तिवाद के विरोध में और विद्रोह स्वरूप ही हिन्दी कथा साहित्य में एक ऐसी चेतना लहर उठी जो जीवन की स्वाभाविक दुर्बलता एवं सफलता के साथ देश के नवोन्मेष के स्वागतार्थ उत्सुक थी। विलक्षण समाज की ओर आकर्षित किया यही उपन्यास आगे चलकर आंचलिक उपन्यासों की संज्ञा ग्रहण किये।6

पे्रमचन्दोत्तर कहानियों में पिछले पन्द्रह-बीस वर्षो से शहरी मध्य-वर्ग अथवा निम्न वर्ग मध्य-वर्गीय जीवन का चित्रण हो रहा था। तत्पश्चात बदलते हुए संदर्भों में कुछ कहानीकारों ने अनुभव किया कि स्वस्थ और जीवन्त चित्र शहरों में नहीं गाँव में है। साथ ही जीवन जिस तेजी से शहर में बदल रहा था, उससे कहीं अधिक तेजी के साथ गाँवों में। इस नये बोध के साथ कहानीकार शहरी जीवन की एकरसता छोड़कर गाँव की ओर गया। कस्बों में गया और यही अछूत टोली, डोमों, मुसहरों, सपेरों और दीर्घकाल से उपेक्षित जीवन की भार ढोने वाली जातियों को उसने अपनी कहानी का विषय बनाया। इन कहानीकारों ने ग्रामीण जीवन के अछूते धरातल का संस्पर्श किया और गतिशील यथार्थ को व्यक्त करने का प्रयत्न किया। प्रेमचन्द ने जहाँ गाँवों में कुरूपता और नग्न वीभत्सता देखी थी, इन कहानीकारों ने उसी जमीन में रोमांटिक और रंगीन जीवन की तस्वीरे देखी। इन कहानियों में आये चरित्र पहले की कहानियों के सड़े-गले मनोविकार ग्रस्त पात्रों की तुलना से अधिक जीवन्त और संघर्षशील है।

महेन्द्र चतुर्वेदी ने भी इसकी पुष्टि की है- ''यों तो हिन्दी उपन्यासों में आंचलिकता का पुट पहले भी रहा है, उसके

कुछ बीज रूप में विद्यमान रहे हैं, किन्तु उनका पूर्ण विकास हिन्दी उपन्यास की अभिनव सिद्धि ही है।7

श्री मधुकर गंगाधर ने भी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही माना है- उत्तरार्द्ध बीसवीं सदी के प्रवेश के साथ हिन्दी में आंचलिकता का अभ्युदय हुआ, जबकि आजादी के बाद राष्ट्रीय चेतना ने विश्व-मंच पर अपने 'अहम'को प्रतिष्ठित करने की बातें सोची।

सन् 1936 से 1947 तक की अवधि राष्ट्रीय आन्दोलनों के कारण बहुत जटिल हो गयी थी। वातावरण एवं आर्थिक परिस्थितियों के कारण साहित्य में भी उथल-पुथल मची अनेक धाराओं के विकास के द्वारा सामाजिक सत्य को उद्घाटित करने का प्रयास होने लगा यही कारण है कि विभिन्न धारायें प्रेमचन्द के जीवन काल में ही साहित्य में प्रश्रय पाने लगी। जैसे- यथार्थवाद, प्राकृतवाद, सामाजिक और राजनैतिक यथार्थवाद, मनोविश्लेषणात्मक यथार्थवाद आदि। प्रेमचन्द के जीवन काल में ही यथार्थवाद का विभिन्न रूप होने के कारण ही साहित्यिक मानदण्डों में अन्तर पड़ने लगा और गाँव प्रदेश, भूखण्ड, मुहल्ला, जाति, संस्कृति आदि को साहित्य में मुख्य रूप दिया जाने लगा।

राष्ट्रीय विचारों वाले लेखक विचार-विमर्श की महत्ता को ही सर्वोपरि समझ राष्ट्रीय समस्याओं की ओर भी उन्मुख होने लगे थे। पिछड़े क्षेत्रों और जनजातियों के प्रति एवं उनकी समस्याओं की ओर लेखकों का ध्यान आकर्षित होने लगा। युगों से पीड़ित, त्रस्त शोषित व्यक्तियों के जीवन का चित्रण आपेक्षित माना गया। डॉ0 रांगेय राघव के शब्दों में- ''प्रेमचन्द के समय में राष्ट्रीय आंदोलन विदेशी के विरूद्ध था उस समय राष्ट्रीयता का महत्व उनके कथा-साहित्य में मिलता है। प्रेमचन्द आदर्शवादी भी थे। गाँव की बहुत सी असलियत वे इसी से स्पष्ट नहीं लिख सके थे क्योंकि उस समय उनकी समस्या राष्ट्रीय आन्दोलन को बल देने की थी। किन्तु अब युग प्रेमचन्द से आगे हैं और केवल शोषण के आर्थिक पहलू को देखना काफी नहीं है, शहरों में रहने वाले आधुनिकता नजरिये से सब कुछ देख डालते हैं। पर असली भारत गाँवों में है जो अब भी मध्यकालीन आर्थिक व्यवस्था से नियंत्रित है।''8 श्री माखन लाल चतुर्वेदी तो नगर के बाह्याडम्बर का आधार गाँव को मानते हैं- ''कला गाँवों में पनपती है, शहरों में नहीं।''

"हम पकवान खाकर रसोइये पर प्रसन्न होते हैं- काश, किसान पर रिझते तो कितना अच्छा होता। जिस समय सिर पर से पानी बहता हो, गले में साँप सोने न दे रहा हो, बदन पर चिथड़ा लिपटा हो, पास में पार्वती-पर्वत पुत्री पसीना पोछ रही भी, जब उस गरीब मस्तक पर झुके तभी कला सच्ची पूजा है''-

शंकर पूजा है। वह किसान तो हमारा शंकर है। साँप टैक्स है- चिथड़े गरीबी है- साहित्यकार कहता है मेरी कविता में अलंकार है, मेरी कला सुन्दर है। मुझे उस किसान से क्या सम्बंध।' भाड़ में जाय तेरा अलंकार और तेरी कला, तीस करोड़ अलंकार और कला को चिल्ला रहा है। मानव के इतने बड़े दुश्मन तुम्हें साहित्य कहे।9

सम्भवतः इन्हीं आह्वानों पर कथाकारों ने जनजीवन को किसान वर्ग को मजदूर वर्ग, अज्ञात स्थानों को अपने उपन्यास का आधार बनाया और यथार्थवाद की ओर उन्मुख हुए। पाश्यात्य औपन्यासिक प्रणाली की छाप परोक्ष रूप से भारतीय कथाकारों पर पड़ने लगी। परिणाम स्वरूप मछुओं के जीवन को, नाटों के जीवन को, बस्तर के गोड़ो को भी महत्ता मिलने लगी। मानवतावादी को गति मिली। यहीं कारण कि सन् 1947 के बाद अंचल जो अब तक अनभिज्ञ थे, अंकित होने लगे।

नगर के व्यस्त जीवन एवं घुटन से उब कर साहित्यकार गाँवों की स्वाभाविकता की ओर उन्मुख हुए। गाँवों की सरलता स्वाभाविकता ने उन्हें नवीन प्रयोग के लिए प्रोत्साहन दिया। प्रयोगवाद या नई कविता की भाँति उपन्यास और कहानी क्षेत्र में भी दशक (1952-1962) के पाँच पात्र बड़े प्रसिद्ध हुए- लघु उपन्यास, आंचलिक उपन्यास, नायक हीन उपन्यास, सहकारी उपन्यास एवं कथाहीन उपन्यास प्रेमचन्द युग या प्रेमचन्दोत्तर युग में सामाजिक कहानियों के अतिरिक्त

ऐतिहासिक कहानी समाजवादी कहानी, व्यक्तिवादी कहानी मनोवैज्ञानिक कहानी आदि अनेक नाम आ गये थे, किन्तु इधर जो नवीनता आयी है वह उस समय के कथा साहित्य में नहीं पायी जाती है।10

मोहन राकेश में भी समसामयिक आत्मा को ठीक-ठीक अभिव्यक्त कर सतत् एक पुर्नगठन की प्रक्रिया मिलती है। इस प्रक्रिया को उसकी ''मलवे का मालिक'' तथा 'मलावी' नामक कहानियों में देखा जा सकता है। परिवर्तन की बलवती आकांक्षा वर्तमान में जीने का दर्शन तथा साहित्य और समाज की थोथी मर्यादाओं को नकारने की उससे मुक्ति पाने की प्यास मोहन राकेश की कहानियों में मिलती है वे अपने ही पात्रों के बीच कोई ऐसा माध्यम ढूढ़ लेते हैं जो कहानी की सारी अन्तर वेदना को मुखर कर देता है संवेदना और सूक्ष्म निरीक्षण की जो प्रवृत्ति मोहन राकेश में देखने को मिलती है, उसका और सशक्त रूप 'रेणु' में देखने को मिला पर उन्होंने अपनी कहानियों का धरातल बदल दिया। 'रेणु' का आगमन हिन्दी साहित्य में विलक्षण घटना है जिसने उन्हें कहानीकारों की अगली पंक्ति में खड़ा कर दिया, इसका मुख्य कारण नये अंचल की तलाश थी। यह तलाश केवल वस्तु के क्षेत्र में भी थी। इसके पूर्व की ग्राम कथाएँ हिन्दी कहानियों में लोकप्रिय थी और प्रेमचन्द ने अपनी कथा-यात्रा को इस तरफ मोड़ा भी था, पर रेणु उस परम्परा की अगली कड़ी है और कुछ क्षेत्रों में वे प्रेमचन्द से आगे बढ़े हुए हैं। ग्रामीण जीवन को यथार्थ चित्रों में प्रेमचन्द केवल ग्राम जीवन को सहानुभूति ही दे पाये थे, परन्तु रेणु ने उन्हें आत्मीयता प्रदान कर उससे तादात्म्य स्थापित कराया। 'रेणु' में जमीन की गहराई में पैठने की शक्ति है जिससे वे उस जीवन की समस्याओं तथा उसके सम्पूर्ण और समग्र व्यक्तित्व को उभार कर देखने में सफल हुए। रेणु अपनी आंचलिक कहानियों में केवल तटस्थ दर्शक के रूप में नहीं बल्कि एक भोक्ता के रूप में प्रकट हुए हैं। उनकी कहानियों के पात्र उनकी कल्पना की निर्मित ही नहीं बल्कि वे उन्हीं में एक है।

'रेणु' तक आते-आते प्रेमचन्द के गाँव काफी बदल चुके थे, वे अब केवल शहरों में बसने वाले लोगों के लिए 'पिकनिक' मानने के स्थान नहीं रह गये थे। उनमें अच्छाइयों और बुराइयों के साथ कुछ आत्म विश्वास भी आ गया था, गाँव में रहने वाले शहरी जिन्दगी की ओर ललचाई आँखों से देखने लगे थे। शहर और गाँवों की भेदक रेखा छोटी हो गयी थी और मजदूरों के घर में भी सिनेमा के गीत गाये जाने लगे थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो देश चट्टान की भाँति एक हो गया थां वह अब अंचल में विभक्त हो गया था सभी अंचल स्तवंत्रता का उपयोग अपने हित में अधिकाधिक करना चाहते थे। उन्हीं परिस्थितियों में रेणु जैसा कथाकार ग्रामीण अथवा आंचलिक कहानियों में जीवन के आन्तरिक पर्तों को उद्घाटित करने की शक्ति रखता था। इन कहानियों की बुनावट, वस्तुगत, कथातत्व प्रतीक और उद्देश्य सभी कुछ बदलते हुए नजर आते हैं। यही कारण है कि ये कहानियाँ जीवन की जटिलता को समग्रतः अपने में समेट सकी है, इसके द्वारा भाषा का शब्द भण्डार और अभिव्यंजना शक्ति पर्याप्त समृद्ध हुई है विशेषतः गाँवों में प्रयुक्त होने वाली ठेठ शब्दावली द्वारा इन कहानियों में शब्द प्रयोग का ढंग अर्थात बनावट का तौर तरीका बदला है। कहानी के कथ्य को प्रभावशाली बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाली अलंकृति, बिम्ब और सांकेतिकता आदि को नये संदर्भ दिये गये हैं। इन कहानियों में मिट्टी की सोधी गंध आती है। अछूते वातावरण में स्वच्छन्द रोमानी जिन्दगी इन कहानियों में झूम गयी है। मानव मन की आदिम सारसता 'रेणु' की कहानियों में धान की बालियों की भाँति मधुर लोरी बन गयी है।

मार्कण्डेय की कहानी 'गुलरा बाबा' और 'हंसा जाई अकेला' प्रेमचन्द की कहानियों की परम्पराओं में होते हुए भी उनसे भिन्न है। 'गुलरा बाबा' आदर्शवादी कहानी होते हुए भी किसी न किसी रूप में भोगे हुए जीवन की अभिव्यक्ति है जिसका प्रेमचन्द में अभाव था। 'हंसा जाई अकेला' कहानी की भूमि तो यथार्थवादी है, पर वह यथार्थ प्रेमचन्द का आदर्शवादी न होकर रोमांटिक यथार्थ है। कहानी को जीवन्त बनाने के लिए मार्कण्डेय की कहानियों में गंवारू शब्दों और

मुहावरों का प्रयोग भी मिलता है। ग्राम कथा के क्षेत्र में शिवप्रसाद जी का आगमन 'रेणु' के पूर्व ही हो गया था। ग्रामीण जन-जीवन में अत्यन्त गहरी पैठ और सूक्ष्माति-सूक्ष्म रेखाओं को भी उभारने की शक्ति शिवप्रसाद सिंह में थी।

शिवप्रसाद सिंह ने ''दादी माँ' कहानी में पारिवारिक सम्बंधों की जटिलता को बड़ी सार्थकता के साथ प्रस्तुत किया है। वे ग्रामीण जीवन को अनेक भिन्न चित्रों के माध्यम से उसे उनकी पूर्णता में चित्रित करना चाहते हैं, यही कारण है कि- ''दादी माँ, वशीकरण, शंखामृग और 'खैरा पीपल कभी न डोले' में उनके दृष्टिकोण का वैषम्य बड़ी आसानी से देखने को मिलता है। इनकी कहानियों में परिस्थितिजन्य पारिवारिक एवं सामाजिक वेदना, तनाव, विवशता, हार तथा लाचारी के बड़े ही प्रभावोत्पादक चित्र देखने को मिल जाते हैं। इनकी कहानियों में भाषा का जैसा संयमित प्रयोग शिवप्रसाद जी की कहानियों में मिलता है, वैसा कम लोगों में पाया जाता है।

इस युग की कहानियाँ न केवल ग्रामों के सामाजिक जीवन के धरातल को छू रही थी, बल्कि गाँवों की अन्तरात्मा के आताल-पाताल में जाकर उन अन्तःधाराओं का पता भी लगा रही थी, जिनके चलते गाँव की धरती पर लहलहाते फूल और पंखुड़ियों वाले काँटे प्राण-रस पा रहे थे।

आंचलिक कथा साहित्य का विकास अचानक ही नहीं हो गया है। नामकरण में भले ही नवीनता हो परन्तु इसके पहले की रचना भी प्राप्त होती है जिसे आंचलिक कथा साहित्य के अन्तर्गत ही माना जाता है। उदाहरण-स्वरूप नागार्जुन की कुछ पुस्तके ली जा सकती हैं। जैसे-रतिनाथ की चाची (1948), बलचनमा (1952), नई पौध (1953), रूद्र की पुस्तक, बहती गंगा की (1935) में ही पूर्ण हो चुकी थी। संभवतः 1954 के पूर्व आंचलिक शब्द का प्रयोग हुआ ही नहीं है। यही कारण है कि नागार्जुन जैसे लेखक को 'साम्यवादी कथाकार' की श्रेणी में रखा गया है। 'रेणु जी' के 'मैला आँचल' के प्रकाशन के बाद ही आंचलिक विधा का नाम हिन्दी कथा साहित्य में आया। श्री हीरा प्रसाद त्रिपाठी के शब्दों में- ''प्रेमचन्द के बाद हिन्दी गद्य साहित्य एक तरह से मनोवैज्ञानिक कुहासे से ढक गया था उपन्यास और कहानी दोनों ही क्षेत्रों में मनो-विश्लेषण के अन्तश्चेतनावाद का एकाधिपत्य सा हो गया था, फ्रायड, युग, एडलर आदि ने नवीन सिद्धान्तों द्वारा मानव मन की रहस्यमयी परतों में छिपी हुई असंख्य संभावनाओं का द्वार खोल दिया- हिन्दी में विशेष रूप से जैनेन्द्र, अज्ञेय, इलाचन्द्र जोशी ने इस दिशा में सराहनीय कार्य किया। किन्तु व्यक्ति को ही केन्द्र बिन्दु बनाकर साहित्य सृजन करने में बड़ा खतरा उस साहित्य के समाज निरपेक्ष और एकांगी हो जाने से हुआ था ऐसा हुआ भी कृकृकृ। साहित्य का यह एकांगीपन विद्वानों ने अनुभव किया और कि हिन्दी साहित्य में गतिरोध आ गया है। आंचलिक विधा से कथा साहित्य का गतिरोध हट सा गया है।11

अनेकता में एकता का भावात्मक स्वरूप ही आंचलिकता को उभारने में सहयोग देता है। आंचलिकता में जन जीवन की समग्रता वर्तमान रहती है। आंचलिक कथा साहित्य मिट्टी की सोधी गंध लिये हुए होती है। यही कारण है कि पाश्चात्य प्रभाव से अनुप्रमाणित नहीं है। लोक भाषा, लोक गीत आदि के साथ-साथ गाँवों के यथार्थ जीवन को भी आंचलिक साहित्य में स्थान मिला।

अंचल विशेष की स्थिति एवं समस्याओं का चित्रण अपने आप में विशिष्ट होता है। समस्याग्रस्त आंचलिक जीवन की एक विशेषता होती है- संघर्ष जीवन में प्रगतिशीलता।

अतः स्पष्ट है कि आंचलिकता की शुरूआत कथा साहित्य में प्रेमचन्द युग से पूर्व ही विद्यमान थी, परन्तु उसका विकास प्रेमचन्दोत्तर युग में फणीश्वर नाथ रेणु उपन्यास, कहानियों में मिलता है।

संदर्भ सूची:

1. शिव नारायण श्रीवास्तव, हिन्दी उपन्यास, पृ0 123
2. प्रेमचन्दः गोदान, पृ0 206
3. प्रेमचन्दः कफन, पृ0 1
4. वृन्दावन लाल वर्मा- कचनार, पृ0 7
5. जयशंकर प्रसादः दासी, पृ0 1
6. ज्ञान अस्थाना, हिन्दी के आंचलिक उपन्यासः रसवन्ती, जनवरी, 1967
7. महेन्द्र चतुर्वेदीः हिन्दी उपन्यासः एक सर्वेक्षण, पृ0 188
8. रांगेय राघव-कब तक पुकारू, भूमिका, 1960
9. माखन लाल चतुर्वेदी, नया जीवन, पृ0 48
10. डॉ0 ओमानन्द सारस्वतः हिन्दी उपन्यास मूल्यांकन, विशेषांक, पृ0 77
11. हीरा प्रसाद त्रिपाठीः आंचलिक उपन्यास मध्यवर्ग, पृ0 47-48

बिहार में सामाजिक न्याय का ऐतिहासिक विश्लेषण: 1990 से 2005 के परिपेक्ष में।

संजय कुमार
स्नातकोत्तर, राजनीति विज्ञान विभाग मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर
डॉ. मिथिलेश कुमार
राजनीति विज्ञान विभाग, आर.डी. एंड डी.जे. कॉलेज, मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर

सारांश

बिहार में सामाजिक न्याय की राजनीति का विकास भारतीय लोकतंत्र के सामाजिक परिवर्तन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया रही है। 1990 से 2005 का कालखंड राज्य की राजनीति, समाज और सत्ता संरचना में व्यापक बदलाव का दौर रहा है। इस अवधि में सामाजिक रूप से वंचित ,दलित ,पिछड़े एवं अल्पसंख्यक वर्गों की राजनीतिक भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिलती है। मंडल आयोग की सिफारिश का क्रियान्वयन और सामाजिक न्याय आधारित राजनीतिक आंदोलन ने कई दशकों से चली आ रही अभिजात्य वर्ग के वर्चस्व को चुनौती दी और सत्ता संरचना एवं शासन के प्रकृति को बदलकर रख दिया। इस अवधि में पिछड़े, दलित और वंचित वर्गों का राजनीतिक सामाजिक एवं प्रशासनिक सशक्तिकरण बढ़ा , जिसने भारतीय समाज और लोकतंत्र को अधिक समावेशी और सहभागी बनाया। शासन और प्रशासन में दलित, पिछड़े और वंचित समुदायों की भागीदारी बढ़ने से हमारे लोकतंत्र का स्वरूप बदलकर एक वास्तविक लोकतंत्र का रूप धारण किया। यह आलेख बिहार में सामाजिक न्याय की ऐतिहासिक यात्रा का विश्लेषण करते हुए विशेष रूप से 1990 से 2005 के बीच हुए राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक परिवर्तनों का मूल्यांकन करता है तथा यह स्पष्ट करता है कि इस अवधि में सामाजिक न्याय केवल एक राजनीतिक नारा नहीं रहा बल्कि उसने सामाजिक प्रतिनिधित्व, राजनीतिक सशक्तीकरण और पहचान आधारित राजनीति को नई दिशा प्रदान की।

मुख्य शब्द - लोकतंत्र, सामाजिक न्याय ,दलित, पिछड़े ,सामाजिक, राजनीतिक, भागीदारी, समावेशी, सहभागी ।

परिचय

बिहार की राजनीति में सामाजिक न्याय केवल एक वैचारिक अवधारणा नहीं रही बल्कि यह एक व्यापक सामाजिक, राजनीतिक आंदोलन के रूप में उभरी। विशेष रूप से 1990 से 2005 का समय इस सामाजिक न्याय की लड़ाई के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। क्योंकि इस कालखंड में सामाजिक न्याय की राजनीति ने राज्य की सत्ता संरचना एवं सामाजिक, राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था को परिवर्तित कर दिया। इस अवधि में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों की सामाजिक एवं राजनीतिक भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इस भागीदारी ने बिहार में कई दशकों से चली आ रही सत्ता संरचना को ही बदल कर रख दिया। इस बदलाव ने पिछड़े, दलित और हसीए पर खड़े लोगों को राजनीति के मुख्य धारा में लाकर खड़ा कर दिया (यादव, 2012,पृष्ठ 45)।

सामाजिक न्याय का अर्थ

सामाजिक न्याय एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें समाज की प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर ,समान अधिकार और सम्मानजनक जीवन प्राप्त हो। इसका उद्देश्य समाज में व्याप्त असमानता, शोषण, भेदभाव तथा अन्याय को समाप्त करना है। सामाजिक न्याय केवल कानूनी सामानता तक सीमित नहीं है बल्कि यह आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक समानता की स्थापना पर भी बल देता है। भारतीय संदर्भ में सामाजिक न्याय का संबंध विशेष रूप से दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों महिलाओं तथा अन्य वंचित समुदायों के उत्थान से जुड़ा हुआ है।

सामाजिक न्याय की अवधारणा का आधार यह है कि समाज के सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्राप्त हो और किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, भाषा क्षेत्र या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव ना किया जाए।

राजनीतिक चिंतक जॉन राल्स ने अपनी पुस्तक 'ए थ्योरी ऑफ जस्टिस' में न्याय को "निष्पक्षता के रूप में न्याय" बताया है इसके अनुसार समाज की संस्थाओं का निर्माण इस प्रकार होना चाहिए कि समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति को अधिकतम लाभ प्राप्त हो (राल्स,1971 ,पृष्ठ 3)।

बी0 आर0 अंबेडकर के अनुसार सामाजिक न्याय को समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व से जोड़ा, उन्होंने कहा कि जब तक समाज में जातिगत भेदभाव समाप्त नहीं होगा, तब तक वास्तविक सामाजिक न्याय स्थापित नहीं हो सकता (अंबेडकर , 1945, पृष्ठ 57)। डॉ भीमराव अंबेडकर के अनुसार सामाजिक न्याय का अर्थ समाज में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की स्थापना से है (अंबेडकर ,1945,पृष्ठ 61)। राम मनोहर 'लोहिया' ने सामाजिक न्याय को पिछड़े वर्गों और महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जोड़ा उनका मानना था कि सामाजिक न्याय के बिना लोकतंत्र अधूरा है (लोहिया, 1963 ,पृष्ठ 115)। 'लोहिया' के अनुसार सामाजिक न्याय का उद्देश्य समाज के दबे कुचले वर्गों को सम्मान ,अवसर और सत्ता में भागीदारी दिलाना है (लोहिया, 1963, पृष्ठ 115)। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार सामाजिक न्याय समाज में धन, अवसर और विशेषाधिकारों का न्याय पूर्ण वितरण है (ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, 2010)।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

बिहार में सामाजिक न्याय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मूल रूप से सदियों पुरानी जातिगत असमानता और शोषण के खिलाफ एक संघर्ष की कहानी है, जो कि 20वीं सदी में एक मजबूत राजनीतिक आंदोलन का रूप ले लिया। यह आंदोलन मुख्य रूप से पिछड़े, दलित एवं शोषित वर्गों को सामाजिक समानता, सम्मान और राजनीतिक एवं प्रशासनिक भागीदारी के लिए शुरू हुआ था (ओम वेदत 2010 पृष्ठ 88)। बिहार में सामाजिक न्याय के आंदोलन के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हम निम्न चरणों में बांट सकते हैं

1 प्रारंभिक चरण (1920 से 1950 तक)- यह चरण सामाजिक चेतना और संगठन का था इस कालखंड में सामाजिक न्याय की लड़ाई हेतु संगठनात्मक लामबंदी दिखाई देती है जैसे -

1.1 जातिगत लामबंदी (1920 से 1930)-1920 और 1930 के दशक में यादव, कुर्मी और कोयरी जैसी जातियों ने सामाजिक और राजनीतिक उत्थान हेतु जन आंदोलन शुरू किया इस जन आंदोलन ने बिहार में पिछड़े और दलित को आपसी भाईचारे में बदला (सिंह 2011 ,पृष्ठ- 67) ।

1.2 त्रिवेणी संघ- 1933 को अस्तित्व में आई त्रिवेणी संघ जो की कुर्मी, कोयरी और यादव जातियों की एकजुटता के लिए बनाई गई इसके संस्थापक यदुनंदन प्रसाद मेहता (कुशवाहा), पूजन सिंह (कुर्मी) और सरदार जगदेव सिंह (यादव) थे। यह पिछड़ी जातियों के हितों की रक्षा और शोषक तत्वों के खिलाफ सामाजिक-राजनीतिक एकता हेतु बनाई गई थी (प्रसाद, 2008, पृष्ठ 52)।

1.3 किसान आंदोलन-स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में किसान सभाओं ने जमींदारी प्रथा के खिलाफ संघर्ष किया, जिसे बाद में सामाजिक न्याय आंदोलन के लिए जमीनी स्तर तैयार किया (शर्मा, 2006 ,पृष्ठ 103)।

2 मध्य चरण (1950 से 1980)-इस चरण में बिहार में मुख्य रूप से भूमि सुधार , राम मनोहर लोहिया और कर्पूरी ठाकुर जैसे नेताओं का प्रभाव देखने को मिलता है जिसे हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से दर्शा सकते हैं।

2.1. भूमि सुधार की असफलता-1950 के दशक में भूमि सुधारो के आंशिक रूप से लागू होने से भूमिहीन दलित और पिछड़ों में असंतोष पैदा हुआ, जिसने सामाजिक न्याय की लड़ाई को मजबूत किया (दत्त, 2001 ,पृष्ठ 94)।

2.2. राम मनोहर लोहिया का प्रभाव-राम मनोहर लोहिया के सामानता की लड़ाई और विशेष अवसर की सुविधा प्रदान करने हेतु आरक्षण व्यवस्था की लड़ाई, बिहार के समाजवादी नेताओं के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। लोहिया का नारा" संसोपा ने बांधी गांठ पिछड़ा पावे सौ में साठ",ने पिछड़े वर्ग के नेताओं को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया (लोहिया, 1967 ,पृष्ठ 121)।

2.3. जननायक कर्पूरी ठाकुर का प्रभाव- जननायक कर्पूरी ठाकुर ने पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए मुंगेरीलाल आयोग की सिफारिश को लागू कर बिहार में सामाजिक न्याय की नींव को मजबूत किया हालांकि इसके कारण उन्हें उच्च वर्गों के आक्रोश को झेलना पड़ा मुंगेरी लाल की रिपोर्ट को मंडल आयोग की प्रस्तावना में देखा जाता है। कर्पूरी ठाकुर ने जो आरक्षण का फार्मूला लागू किया था उसमें कुल 26ः आरक्षण दिया गया था, जिसमें पिछड़े वर्ग को 12ःए अति पिछड़े को 8ःए महिलाओं को 3ः और आर्थिक रूप से पिछड़े स्वर्ण को भी 3ः आरक्षण की व्यवस्था थी (कुमार, 2015, पृष्ठ 77)।

3 मंडल कमीशन और सामाजिक राजनीतिक सशक्तीकरण का कल (1990 से 2005)

इस कल को हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं -

3.1. मंडल आयोग का क्रियान्वयन-मंडल आयोग जो की सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थानों में 27 प्रतिशत आरक्षण देने की सिफारिश की रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत किया इस आयोग का गठन 1 जनवरी 1979 को मुरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार द्वारा किया गया था। इसके अध्यक्ष बी.पी. मंडल थे। इस आयोग ने यह पाया कि देश की जनसंख्या का लगभग 52ःः हिस्सा पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आता है (मंडल ,मंडल आयोग रिपोर्ट,1980 ,पृष्ठ 31)। इस आयोग की सिफारिश को बी.पी. सिंह की सरकार ने 7 अगस्त 1990 को लागू करने की घोषणा की। इस आयोग को भारतीय राजनीति और सामाजिक संरचना में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है, जिसने पिछड़ी जातियों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाया और उन्हें अपने अधिकारों के लिए एकजुट होना सिखाया।

3.2. लालू युग (1990-2005)-लालू युग में सामाजिक न्याय का मुद्दा राजनीति के केंद्र में था जिसने पारंपरिक रूप से

शासन करने वाली अभिजात्य वर्ग के वर्चस्व को चुनौती दी और पिछड़े एवं दलितों को सत्ता की मुख्य धारा में लाकर खड़ा किया। इन्होंने दलित, शोषितों तथा वंचित वर्गों में आत्म विश्वास को जगाया कि वे भी शासन कर सकते हैं तथा उन्हें भी सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार है (चैधरी ,2014 ,पृष्ठ 98)। इनके द्वारा ही जगाई गई राजनीतिक चेतना का परिणाम है कि 1990 के बाद से वर्तमान तक बिहार की सत्ता की बागडोर पिछड़े के हाथों में रही लालू युग का सामाजिक न्याय बिहार में एक ऐतिहासिक बदलाव के रूप में जाना जाता है जिसने पिछड़ों को सत्ता के केंद्र में रखा इसी काल में रामविलास पासवान जैसे दलित नेता ने दलितों की आवाज को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत किया। इस प्रकार लालू प्रसाद यादव ने सामाजिक न्याय को जन आंदोलन का रूप दिय। उनकी राजनीति के मुख्य तत्व थे ।

3.2.1. जातीय पहचान की स्वीकृति- लालू प्रसाद यादव ने जातिगत पहचान को खत्म करने के बजाय उसे स्वीकार किया तथा पिछड़े वर्ग और दलित समुदायों में आत्म सम्मान की भावना का विकास किया। उन्होंने लोगों को यह एहसास दिलाया कि यह जो सरकार है यह गरीबों ,दलितों, पिछड़ों की सरकार है इस रणनीति से सामाजिक न्याय आंदोलन को भावनात्मक और सांस्कृतिक आधार प्रदान हुआ (सिंह, 2013, पृष्ठ 118)। रजनी कोठारी ने भी भारतीय राजनीति में जाति के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा है कि ''जाति भारतीय राजनीति की धूरी हैं (कोठारी, 1970, पृष्ठ-04-08)।

3.2.2पिछड़े और दलित वर्गों का सशक्तिकरण- इन्होंने पिछड़े ,दलित और हाशिए पर खड़े वर्गों को राजनीति की मुख्य धारा में लाकर उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया। इसका परिणाम यह हुआ कि नई राजनीतिक नेतृत्व का उदय हुआ। दलित, पिछड़े वर्ग से बहुत सारे नेतृत्व उभर कर सामने आए और लोकतंत्र अधिक सहभागी और समावेशी बना।

3.2.3. भाषा और शैली के माध्यम से जनसंपर्क- लालू प्रसाद यादव की ठेठ गंवई अंदाज ने उन्हें आम जनता से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लोक भाषा और मुहावरों का प्रयोग ने लालू प्रसाद यादव को आम जनता में एक अपनेपन का एहसास कराया जिससे दलित और पिछड़े तथा गरीब तबके के लोगों का झुकाव लालू प्रसाद की ओर हुआ और सामाजिक न्याय की लड़ाई को मजबूती मिली (मिश्रा, 2011, पृष्ठ 133)।

3.2.4. सामाजिक पद सोपान को चुनौती -लालू प्रसाद यादव ने सामाजिक पदानुक्रम को खुलकर चुनौती दी। सामाजिक समानता पर जोर देते हुए उच्च-नीच की मानसिकता का विरोध किया और सार्वजनिक मंचों पर सामाजिक बराबरी का प्रदर्शन किया तथा हर वर्ग और समुदाय के लोगों को मंच पर स्थान दिया। ,लालू प्रसाद के इस पहल ने सामाजिक न्याय आंदोलन को एक क्रांतिकारी स्वरूप प्रदान किया ।

3.2.5. शासन और प्रशासन में उचित प्रतिनिधित्व- लालू प्रसाद यादव ने राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदों पर पिछड़े एवं दलित वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित कर सामाजिक न्याय को स्थापित किया एवं पारंपरिक उच्च जातीय प्रभुत्व को चुनौती दिया। यह प्रक्रिया प्रतीकात्मक नहीं बल्कि संरचनात्मक परिवर्तन की दिशा में एक प्रमुख पहल थी, जिसने सामाजिक न्याय आंदोलन को ठोस आधार प्रदान किया (बर्मा, 2016, पृष्ठ 156)।

3.2.6. सत्ता का उपयोग सामाजिक न्याय के लिए -लालू प्रसाद यादव ने सत्ता का उपयोग सामाजिक न्याय के लक्ष्य को

प्राप्त करने के लिए किया जैसे - मंडल आयोग की सिफारिश का क्रियान्वयन, आरक्षण को अधिकार के रूप में स्थापित करना , पुलिस और प्रशासन में पिछड़े, दलित एवं शोषित वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करना।

इस प्रकार हम देखते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने सामाजिक न्याय आंदोलन को एक जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित किया और भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में स्थापित कर सामाजिक न्याय को व्यावहारिक राजनीति के रूप में परिवर्तित किया तथा पिछड़े, दलित और वंचित वर्गों को सशक्त बनाया।

4. समकालीन दौर-यह दौर विकास के साथ सामाजिक न्याय का काल माना जाता है। इस दौरान नीतीश कुमार जैसे नेता ने सामाजिक न्याय को सुशासन के साथ जोड़कर एक नई राजनीतिक व्यवस्था को जन्म दिया। इन्होंने पिछड़ों में अतिपिछड़ा और दलितों में महादलित के लिए विशेष नीतियां बनाया, जिससे की सामाजिक न्याय को विशेष मजबूती मिले तथा वास्तविक सामाजिक न्याय की स्थापना हो। नीतीश कुमार के द्वारा कराई गई जाति जनगणना जो भविष्य में सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए मिल का पत्थर साबित होगा इसके साथ ही बिहार स्वतंत्रता के बाद ऐसा पहला राज्य बन गया जिसने जाति जनगणना कराया। जिससे पता लगाया जा सके कि सत्ता और शासन में किस जाति की कितनी भागीदारी है, क्या वास्तव में सामाजिक न्याय की स्थापना हो सकी है या यह केवल एक राजनीतिक फायदे का नारा है। इस जाति आधारित जनगणना का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक आंकड़ों के आधार पर नीतियां बनाना है तथा यह भी पता किया जा सके कि सत्ता और शासन में किसकी भागीदारी कितनी है (कुमार, 2021, पृष्ठ 201)। वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी ने भी बिहार में सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए ही सम्राट चैधरी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया है जो कि पिछड़े वर्ग से आते हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि पक्ष हो या विपक्ष सभी सामाजिक न्याय को महत्व दे रहे हैं।

सामाजिक न्याय का शासन और प्रशासन पर प्रभाव (1990 से 2005)

1990 से 2005 के बीच बिहार में सामाजिक न्याय का दौर केवल एक राजनीतिक परिवर्तन नहीं था बल्कि इसने राज्य के शासन और प्रशासन की संरचना को बुनियादी तौर पर प्रभावित किया इसके प्रभाव के विश्लेषणात्मक विवरण को निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है।

सकारात्मक प्रभाव

1. शासन का लोकतंत्रीकरण-1990 से 2005के काल में शासन का केंद्र अभिजात्य वर्ग से हटकर दलित, पिछड़ा, शोषित और वंचित वर्गों की ओर मुड़ा इसे हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं (पांडे, 2018, पृष्ठ 93)।

1.1. सत्ता का विकेंद्रीकरण-इस कालखंड का शासन अब ड्राइंग रूम से निकल कर गांव के चैपाल तक पहुंचा मुख्यमंत्री का आम लोगों से सीधा संवाद जैसे जनता दरबार ने शासन को एक नया रूप दिया। स्थानीय स्तर पर पंचायत तथा नगर निकायों के अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया गया।

1.2. प्रतिनिधित्व पर जोर - शासन में उन लोगों की भागीदारी बढ़ी जो अब तक निर्णय लेने की प्रक्रिया से बाहर थे।

पिछड़े, दलित तथा वंचित समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व बढ़ा चाहे वह विधायिका हो, कार्यपालिका हो या व्यवस्थापिका हो। इसका प्रभाव यह हुआ कि अब नीतियां उच्च वर्गों के बजाय पिछड़े, दलित और वंचित समूहों को ध्यान में रखकर बनाई जाने लगी।

2. प्रशासन के स्वरूप और सामाजिक संरचना में बदलाव-1990 से 2005 के कालखंड में प्रशासन के स्वरूप में काफी बदलाव देखने को मिला अब तक जिस शासन का ध्यान ज्यादातर एलिट आधारित था अब वह जन आधारित हो गया पहले प्रशासनिक निर्णय में उच्च जातियों एवं प्रभावशाली वर्गों का वर्चस्व था, लेकिन सामाजिक न्याय की राजनीति ने अब गरीब, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों को प्रशासनिक तथा राजनीतिक निर्णय के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। आरक्षण के प्रभाव से नौकरशाही में सामाजिक विविधता बढ़ी ,प्रशासन पर राजनीतिक नेतृत्व का प्रभाव बढ़ा और नौकरशाही की मनमानी पर लगाम लगा (अली ,2017, पृष्ठ 141)।
3. वंचित वर्गों में सम्मान और आत्मविश्वास की वृद्धि- इस दौर में पहली बार पिछड़े दलित एवं वंचित वर्गों में यह भावना जागृत हुई कि वह भी सत्ता में भागीदार हो सकते हैं और सम्मानपूर्वक जी सकते हैं। इस आत्मविश्वास ने दलित, पिछड़ों को एक नई आवाज और इज्जत दी और उन्हें एक गरिमामय जीवन की अनुभूति प्रदान किया (नारायण, 2019, पृष्ठ 172)।

नकारात्मक प्रभाव

सामाजिक न्याय की राजनीति ने इस दौर में सकारात्मक प्रभाव से तो पूरे सामाजिक राजनीतिक ढांचे को बदल दिया लेकिन इसका नकारात्मक प्रभाव भी व्यापक रहा जो निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट होता है।

(1) जातीय संघर्ष में वृद्धि - पिछड़े, दलित एवं वंचित वर्गों की लामबंदी ने ऊंची जातियों के साथ तनाव को बढ़ाया जिसने विभिन्न जातीय गुटों को जन्म दिया जैसे रणवीर सेना ,एम. सी.सी., आदि इन जातीय संघर्ष के कारण विभिन्न नरसंहार हुए।

लक्ष्मणपुर बाथें नरसंहार (1997) अरवल जिले के इस गांव में 1 दिसंबर 1997 की रात रणवीर सेना ने 58 दलितों की हत्या की जिसे तत्कालीन राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय शर्म कहा। बथानी टोला नरसंहार (1996) भोजपुर जिले में रणवीर सेना ने 21 दलित और मुसलमान की हत्या की जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे यह नरसंहार जातीय संघर्ष का ही परिणाम था। सेनारी नरसंहार (1999) जहानाबाद के सेनारी में 34 स्वर्ण की गला रेत कर हत्या कर दी गई। बेछली नरसंहार (1997) पटना जिले के बेछली में 14 लोगों को जिंदा जला दिया गया। बारा नरसंहार (1992) गया के बारा में 35 स्वर्ण की हत्या कर दी गई इसके अलावा शंकर बीघा नरसंहार ,मियांपुर नरसंहार इत्यादि शामिल हैं, यह सभी जातीय संघर्ष के दुष्परिणाम थे (झा ,2009 ,पृष्ठ 211)।

(2) प्रशासन का राजनीतिकरण-सामाजिक न्याय की राजनीति ने प्रशासनिक निष्पक्षता का क्षरण किया। जाति, समुदाय आदि को देखकर राजनीतिक दबाव प्रशासन पर दिया जाने लगा कि वे समूह विशेष के हित में कार्य करें। राजनीतिकरण का स्पष्ट रूप से प्रभाव ट्रांसफर और पोस्टिंग में दिखता है। योग्यता और अनुभव के बजाय राजनीतिक निष्ठा को प्राथमिकता दी जाने लगी। राजनीति और प्रशासन के बीच ऐसा संबंध विकसित होने लगा जिसमें अधिकारी

राजनीतिक संरक्षण के बदले में विशेष लाभ या सुविधा प्रदान करते हैं (लोहिया 1967,पृष्ठ 52)।

(3) नीति निर्माण में पक्षपात-सरकार नीतियां जनहित की बजाय विशेष सामाजिक समूहों को खुश करने के उद्देश्य से बनती है जिससे कि उनका वोट बैंक बना रहे।

(4) योग्यता और क्षमता की अनदेखी-सामाजिक न्याय योग्यता की जगह समानता पर ज्यादा बल देता है आलोचकों का कहना है कि 1990 के बाद नियुक्तियों में योग्यता की बजाय जातीय पहचान को प्राथमिकता दी गई जिसमें योग्य उम्मीदवारों की अनदेखी की गई है, जिससे कि समाज में असंतोष बढ़ा है।

(5) जातिवाद और पहचान की राजनीति को बढ़ावा-सामाजिक न्याय के नाम पर राजनीति जाति आधारित हो गई समाज में जातीय धुरवीकरण बढ़ा और हम की जगह वे की भावना मजबूत हुई। इसके साथ ही इसमें वोट बैंक की राजनीति होती है। राजनीतिक दल विशेष जातियों को अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश करते हैं तथा चुनावी रणनीतियां भी जातीय गणित पर आधारित हो जाती है। इससे वास्तविक मुद्दों की जगह पहचान का महत्व बढ़ जाता है (यादव, 2002, पृष्ठ 118)।

(6) भ्रष्टाचार और सरकारी संस्थानों में गिरावट-सामाजिक न्याय की राजनीति के कारण प्रशासनिक निर्णय में नेताओं का हस्तक्षेप बढ़ा फल स्वरुप स्थानांतरण और प्रमोशन सामाजिक संतुलन के नाम पर किए जाने लगे जिसके कारण प्रशासनिक स्वायत्तता घटती है ,और निर्णय की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं हो पाती। विभिन्न प्रकार की संस्थाएं अपनी निष्पक्षता और पेशेवर क्षमता खोने लगी (अंबेडकर ,1945 ,पृष्ठ 87)।

(7) विकास कार्यों की उपेक्षा-सामाजिक न्याय के नाम पर बजट का बड़ा हिस्सा विशेष समूहों के लिए आवंटित कर दिया जाता है और बुनियादी ढांचे जैसे सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे दीर्घकालिक विकास के मुद्दे पीछे छूट जाते हैं समाज में आपसी सहयोग काम हो जाता है, इसलिए विकास परियोजनाओं पर सामाजिक सहमति बनाना कठिन हो गया (फ्रैंकल, 1989, पृष्ठ 211)।

(8) कानून व्यवस्था और अपराध की समस्या-सामाजिक न्याय की राजनीति ने पुलिस और प्रशासन का राजनीतिकरण कर दिया पुलिस और प्रशासन पर राजनीतिक दबाव बढ़ा सरकार अपने समर्थक वर्ग के खिलाफ कठोर कार्रवाई से बचने लगी जिससे अपराध नियंत्रण में ढिलाई और अपराध की दर में वृद्धि हुई।

निष्कर्ष

1990 से 2005 का कालखंड बिहार में सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन का ऐतिहासिक मोड़ माना जाता है। जहां सामाजिक न्याय की अवधारणा ने न केवल वैचारिक स्तर पर परिवर्तन किया बल्कि सत्ता संरचना और शासन के प्रकृति को भी बदल कर रख दिया। इस अवधि में पिछड़े, दलित और वंचित वर्गों का राजनीतिक सशक्तीकरण अपने चरम पर पहुंचा, जिसने पारंपरिक प्रभुत्वशाली वर्ग के वर्चस्व की नींव हिला दी ,और लोकतंत्र का सामाजिक आधार मजबूत हुआ यह परिवर्तन बिहार ही नहीं भारतीय समाज और लोकतंत्र को अधिक समावेशी और सहभागी बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। शासन और प्रशासन में दलित, पिछड़े और वंचित समुदायों की भागीदारी बढ़ी और हमारा लोकतंत्र वास्तविक लोकतंत्र में बदला। लेकिन इन सकारात्मक परिवर्तनों ने कई जटिलताओं को भी जन्म दिया क्योंकि सामाजिक

न्याय की राजनीति कई बार पहचान आधारित लामबंदी और वोट बैंक तक सीमित रह गई। जिसने प्रशासनिक दक्षता, संस्थागत निष्पक्षता और विकासोन्मुख नीतियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला । इसके साथ ही शासन में पारदर्शिता की कमी, भ्रष्टाचार में वृद्धि और विकास कार्यों की गति धीमी हुई ।,परिणाम स्वरुप सामाजिक न्याय का लक्ष्य कुछ हद तक पूरा तो हुआ लेकिन व्यापक रूप से सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन नहीं हो पाया। ऐसे तो इस कालखंड को संक्रमण काल माना जाता है जिसमें सत्ता का लोकतांत्रिककरण तो हुआ परंतु संस्थागत सुदृढ़ीकरण और विकासात्मक संतुलन का अभाव रहा।

अतः सामाजिक न्याय के ऐतिहासिक अनुभव से यह निष्कर्ष निकलता है कि सामाजिक न्याय को केवल राजनीतिक सशक्तिकरण तक सीमित न रखकर इसे सुशासन, आर्थिक विकास, शिक्षा, संस्थागत पारदर्शिता के साथ संबंधित किया जाना चाहिए तभी टिकाऊ और मजबूत लोकतंत्र की स्थापना होगी।

अंततः हम देखें तो 1990 से 2005 का यह कालखंड सामाजिक चेतना के जागरण और राजनीतिक पुनर्संरचना का प्रतीक रहा। जिसने सोए हुए दलित, पिछड़े और वंचित वर्गों को अपने अधिकार और आत्म सम्मान के प्रति जागरूक किया।

संदर्भ सूची

1. यादव, राजेश (2012)," बिहार की राजनीति और सामाजिक न्याय" नई दिल्ली: वाणी प्रकाशन।
2. रॉल्स, जॉन (1971)," ए थ्योरी ऑफ जस्टिस" कैम्ब्रिज: हर्वड यूनिवर्सिटी प्रेस।
3. अंबेडकर, भीमरांव (1945)," जाति का विनाश'' नई दिल्ली: गौतम बुक संटर।
4. लोहिया, राममनोहर (1963)," मार्क्स, गाँधी और समाजवाद " हैदराबाद: नवहिंद प्रकाशन।
5. ओमवेद्त, गेल (2010),"दलित और लोकतांत्रिक क्रांति" नई दिल्ली: ग्रंथ शिल्पी।
6. सिंह ,अवधेश (2011)," भारतीय राजनीति में पिछड़ा वर्ग आंदोलन" पटना: ज्ञान प्रकाशन।
7. प्रसाद, अरुण कुमार (2008)," बिहार में त्रिवेणी संघ का इतिहास" पटना: बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी।
8 . शर्मा, रामविलास (2006),"भारतीय किसान आंदोलन का इतिहास" इलाहाबाद: लोक भारती प्रकाशन।
9. दत्त, बी.एन. (2001),"भूमि सुधार और भारतीय समाज" नई दिल्ली: रावत पब्लिकेशन।
10. लोहिया, राम मनोहर (1967),"समता और समाजवाद" इलाहाबाद: लोक भारती प्रकाशन।
11. कुमार ,संजय (2015)," कर्पूरी ठाकुर और सामाजिक न्याय" पटना: जनशक्ति प्रकाशन।
12. मंडल ,बी.पी. (1980)," मंडल आयोग रिपोर्ट" नई दिल्ली: भारत सरकार प्रशासन विभाग।
13. चैधरी, शशिभूषण (2014)," लाल युग की राजनीति" पटना: प्रभात प्रकाशन।
14. सिंह, दिनेश कुमार (2013)," बिहार में सामाजिक परिवर्तन" नई दिल्ली: ओरिएंट ब्लैकस्वान।
15. कोठारी, रजनी (1970) '' कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स'' हैदराबाद: ओरिएंट लॉन्गमैन्स।
16. मिश्रा ,अरविंद (2011)," लोक राजनीति और बिहार" पटना: साहित्य सदन।
17. बर्मा,आर.के. (2016)," भारतीय प्रशासन और सामाजिक न्याय" नई दिल्ली: अटलांटिक पब्लिशर्स।
18. कुमार, नीरज (2021),"सुशासन और बिहार मॉडल" नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन।

19. पांडे, मनोज (2018)," लोकतांत्रिकरण और बिहार की राजनीति" पटना: ज्ञानदीप प्रकाशन।

20. अली ,एस. एम. (2017)," भारतीय प्रशासन में सामाजिक प्रतिनिधित्व" नई दिल्ली: सेज पब्लिकेशंस।

21. नारायण, विजय (2019)," दलित चेतना और राजनीति" नई दिल्ली: वाणी प्रकाशन।

22. झा, प्रभात (2009)," बिहार में जातीय संघर्ष" पटना: जनवाणी प्रकाशन ।

23. यादव ,योगेंद्र (2002),"भारतीय राजनीति और सामाजिक न्याय" नई दिल्ली: सेज पब्लिकेशन ।

24. अंबेडकर, भीमराव (1945),"जाति का विनाश" नई दिल्ली: गौतम बुक सेंटर।

25. फ्रैंकल फ्रांसिस (1989)," भारत में राजनीतिक अर्थव्यवस्था" नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

औद्योगिक संबंधों में श्रमिक संघों की भूमिका एवं महत्व

डॉ. मनोज कुमार चौधरी
सहायक प्राध्यापक, पी.एम.आई.आर./एल.एस.डब्ल्यू. विश्वविद्यालय विभाग, बी.एन.एम.यू., मधेपुरा

सारांश

प्रस्तुत शोधपत्र औद्योगिक संबंधों की स्थापना, संचालन एवं संतुलन में श्रमिक संघों (ट्रेड यूनियनों) की भूमिका का विश्लेषण करता है। औद्योगीकरण के साथ श्रमिक और नियोक्ता के मध्य हितों का टकराव स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हुआ, जिसके समाधान हेतु श्रमिक संघों का उदय एक ऐतिहासिक आवश्यकता के रूप में हुआ। अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि औद्योगिक शांति, श्रमिक कल्याण एवं संतुलित औद्योगिक विकास हेतु सशक्त एवं जिम्मेदार श्रमिक संघ अनिवार्य हैं। यह शोधपत्र श्रमिक संघों की अवधारणा, कार्यों, सामूहिक सौदेबाजी में उनकी भूमिका, उनके ऐतिहासिक विकास, भारत में उनसे संबंधित विधिक ढांचे तथा वर्तमान समय में उनके समक्ष उपस्थित चुनौतियों का विवेचन करता है।

मुख्य शब्द: श्रमिक संघ, औद्योगिक विवाद, श्रम कानून, औद्योगिक संबंध, सामूहिक सौदेबाजी

1. प्रस्तावना

औद्योगिक क्रांति के पश्चात उत्पादन प्रणाली में व्यापक परिवर्तन आया। कुटीर एवं हस्तशिल्प आधारित उत्पादन का स्थान बड़े कारखानों तथा मशीनीकृत उद्योगों ने ले लिया। इस प्रक्रिया में श्रमिक वर्ग नियोक्ताओं पर आर्थिक दृष्टि से आश्रित हो गया, असुरक्षित कार्य-परिस्थितियों, जिससे श्रमिकों के शोषण, अत्यधिक कार्य-घंटों तथा अपर्याप्त मजदूरी जैसी समस्याएँ उत्पन्न हुईं। इसी असंतुलन को दूर करने तथा श्रमिकों के सामूहिक हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से श्रमिक संघों (Trade Unions) का जन्म हुआ।

औद्योगिक संबंध (Industrial Relations) से आशय नियोक्ता, श्रमिक तथा सरकार के मध्य स्थापित उन संबंधों से है जो कार्य-परिस्थितियों, मजदूरी, सेवा-शर्तों तथा औद्योगिक विवादों के समाधान से संबंधित होते हैं। व्यक्तिगत रूप से एक श्रमिक की सौदेबाजी क्षमता नियोक्ता की तुलना में अत्यंत सीमित होती है। इन संबंधों को संतुलित एवं सौहार्दपूर्ण बनाए रखने में श्रमिक संघ एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में कार्य करते हैं। बल्कि औद्योगिक शांति स्थापित करने, वे न केवल श्रमिकों की मांगों को संगठित रूप में नियोक्ता के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, उत्पादकता बढ़ाने तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में भी योगदान देते हैं।

2. औद्योगिक संबंध: अवधारणा

औद्योगिक संबंध एक बहुआयामी अवधारणा है जिसमें तीन प्रमुख पक्ष सम्मिलित होते हैं — श्रमिक (एवं उनके संगठन), नियोक्ता (एवं उनके संगठन) तथा सरकार। स्वस्थ औद्योगिक संबंध वे कहलाते हैं जिनमें उत्पादन प्रक्रिया निर्बाध

रूप से चलती रहे, विवादों का समाधान बातचीत एवं सौदेबाजी के माध्यम से हो तथा दोनों पक्षों के हितों में संतुलन बना रहे। इन तीनों पक्षों के मध्य पारस्परिक क्रिया-प्रतिक्रिया से ही औद्योगिक संबंधों की प्रकृति निर्धारित होती है।

औद्योगिक संबंधों के अध्ययन में मुख्यतः निम्नलिखित पहलू सम्मिलित किए जाते हैं सामूहिक सौदेबाजी, श्रम कल्याण, औद्योगिक विवाद एवं उनका निपटारा, श्रम कानून, तथा प्रबंधन एवं श्रमिकों की भागीदारी। इन सभी पहलुओं में श्रमिक संघों की भूमिका केंद्रीय होती है क्योंकि वे श्रमिकों के संगठित प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं।

3. श्रमिक संघ: अर्थ एवं परिभाषा

श्रमिक संघ श्रमिकों का एक स्वैच्छिक संगठन है जो अपने सदस्यों के आर्थिक एवं सामाजिक हितों की रक्षा तथा संवर्द्धन हेतु स्थापित किया जाता है। भारत में श्रमिक संघों को विधिक मान्यता ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 (Trade Unions Act, 1926) के अंतर्गत प्राप्त है।

इस अधिनियम की धारा 2(h) के अनुसार, श्रमिक संघ ऐसा कोई भी संयोजन (combination) है, चाहे वह अस्थायी हो या स्थायी, जो मुख्यतः निम्न उद्देश्यों हेतु गठित किया गया हो —

- श्रमिकों एवं नियोक्ताओं के मध्य,
- श्रमिकों एवं श्रमिकों के मध्य, अथवा
- नियोक्ताओं एवं नियोक्ताओं के मध्य संबंधों को विनियमित करना, तथा किसी व्यापार अथवा व्यवसाय के संचालन पर प्रतिबंधात्मक शर्तें अधिरोपित करना।

संक्षेप में, श्रमिक संघ श्रमिकों की सामूहिक शक्ति का वह संगठित रूप है जिसके माध्यम से वे अपनी मजदूरी, सेवा-शर्तों, कार्य-परिस्थितियों तथा अन्य हितों से संबंधित मांगों को नियोक्ता के समक्ष प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करते हैं।

4. भारत में श्रमिक संघ आंदोलन का ऐतिहासिक विकास

भारत में श्रमिक संघ आंदोलन की शुरुआत उन्नीसवीं सदी के अंत तथा बीसवीं सदी के प्रारंभ में औद्योगीकरण के साथ हुई। सन् 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC) की स्थापना हुई, जो देश का पहला राष्ट्रीय स्तर का श्रमिक संघ महासंघ था। सन् 1918 में मद्रास में स्थापित 'मद्रास लेबर यूनियन' को भारत का पहला संगठित श्रमिक संघ माना जाता है।

स्वतंत्रता के पश्चात भारत में श्रमिक संघ आंदोलन ने राजनीतिक दलों से जुड़ाव के साथ विस्तार पाया — जैसे भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (INTUC), हिंद मजदूर सभा (HMS), सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (CITU) आदि। वर्तमान में भारत में सैकड़ों पंजीकृत श्रमिक संघ विभिन्न उद्योगों में सक्रिय हैं, यद्यपि उनकी सदस्यता संगठित क्षेत्र तक सीमित रहने की प्रवृत्ति देखी जाती है।

5. श्रमिक संघों के प्रकार

5.1 शिल्प संघ (Craft Union)

यह संघ एक विशेष कौशल अथवा शिल्प से जुड़े श्रमिकों को संगठित करता है, चाहे वे किसी भी उद्योग में कार्यरत हों।

5.2 उद्योग संघ (Industrial Union)

इसमें किसी विशेष उद्योग में कार्यरत सभी श्रमिक, चाहे उनका कौशल स्तर कुछ भी हो, एक ही संघ के सदस्य होते हैं। जैसे — वस्त्र उद्योग संघ, खनन श्रमिक संघ।

5.3 सामान्य संघ (General Union)

यह विभिन्न उद्योगों तथा व्यवसायों के अकुशल एवं अर्द्धकुशल श्रमिकों को एक साथ संगठित करता है।

5.4 श्वेत-कॉलर संघ (White-Collar Union)

यह लिपिक, पर्यवेक्षक तथा प्रशासनिक कर्मचारियों जैसे गैर-शारीरिक श्रमिकों का संगठन है।

6. औद्योगिक संबंधों में श्रमिक संघों की भूमिका

6.1 सामूहिक सौदेबाजी (Collective Bargaining)

सामूहिक सौदेबाजी श्रमिक संघों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इसके माध्यम से श्रमिक संघ, नियोक्ता के साथ मजदूरी दरों, कार्य-घंटों, अवकाश, बोनस तथा अन्य सेवा-शर्तों पर वार्ता करते हैं। व्यक्तिगत श्रमिक की तुलना में संगठित श्रमिक संघ की सौदेबाजी क्षमता अधिक प्रभावी होती है, जिससे न्यायसंगत समझौते संभव हो पाते हैं।

6.2 औद्योगिक विवादों का निवारण

श्रमिक संघ, श्रमिकों की शिकायतों को व्यवस्थित रूप में एकत्र कर उन्हें प्रबंधन के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तथा बातचीत, मध्यस्थता एवं समझौते के माध्यम से विवादों का शांतिपूर्ण समाधान सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, जिससे हड़ताल तथा तालाबंदी जैसी स्थितियों से बचा जा सकता है।

6.3 श्रमिक कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा

श्रमिक संघ भविष्य निधि, बीमा, स्वास्थ्य सुविधाएँ, आवास तथा शिक्षा जैसी कल्याणकारी योजनाओं हेतु नियोक्ता एवं सरकार पर दबाव बनाते हैं, जिससे श्रमिकों का सामाजिक-आर्थिक स्तर सुधरता है।

6.4 कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य

श्रमिक संघ कार्यस्थल की सुरक्षा मानकों की निगरानी करते हैं तथा दुर्घटना-निवारण उपायों एवं सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रबंधन के साथ संवाद करते हैं।

6.5 राजनीतिक एवं विधायी भूमिका

श्रमिक संघ श्रम कानूनों के निर्माण एवं संशोधन में सरकार के समक्ष श्रमिकों के हितों की पैरवी करते हैं, जिससे

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, कारखाना अधिनियम जैसे संरक्षणात्मक कानून अस्तित्व में आते हैं।

6.6 श्रमिकों की भागीदारी एवं प्रबंधन में सहभागिता

अनेक संस्थानों में श्रमिक संघों को कार्य-समितियों तथा प्रबंधन परिषदों में प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है, जिससे निर्णय-प्रक्रिया में श्रमिकों की आवाज़ शामिल हो पाती है। इससे पारस्परिक विश्वास तथा सहयोग की भावना विकसित होती है।

7. श्रमिक संघों का महत्व

श्रमिक संघों के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है

- औद्योगिक शांति एवं स्थिरता की स्थापना में सहायक।
- श्रमिकों की सौदेबाजी शक्ति में वृद्धि तथा शोषण से सुरक्षा।
- श्रमिकों में सामूहिक चेतना एवं आत्मसम्मान का विकास।
- लोकतांत्रिक मूल्यों का कार्यस्थल पर विस्तार, क्योंकि श्रमिकों को निर्णय-प्रक्रिया में सहभागिता मिलती है।
- सरकार एवं नियोक्ता वर्ग के मध्य श्रमिकों की सामूहिक आवाज़ के रूप में कार्य।
- न्यायसंगत मजदूरी एवं बेहतर सेवा-शर्तों की प्राप्ति।
- उत्पादकता एवं गुणवत्ता में सुधार हेतु सकारात्मक कार्य-संस्कृति का निर्माण।

8. भारत में श्रमिक संघों से संबंधित विधिक ढांचा

भारत में श्रमिक संघों के गठन, पंजीकरण एवं कार्य-प्रणाली को नियंत्रित करने हेतु अनेक कानून बनाए गए हैं —

8.1 ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926

यह अधिनियम श्रमिक संघों के पंजीकरण, अधिकारों, दायित्वों तथा उनकी विधिक स्थिति को विनियमित करता है। पंजीकृत संघ को विधिक व्यक्तित्व (legal entity) प्राप्त होता है तथा उसे संपत्ति रखने एवं वाद दायर करने का अधिकार मिलता है।

8.2 नई श्रम संहिताएँ

हाल के वर्षों में भारत सरकार ने पूर्ववर्ती श्रम कानूनों को संहिताबद्ध करते हुए चार नई श्रम संहिताएँ प्रस्तुत की हैं — वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, तथा व्यावसायिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा संहिता, स्वास्थ्य एवं कार्य-दशा संहिता। इन संहिताओं का उद्देश्य श्रम कानूनों को सरल एवं प्रभावी बनाना है, यद्यपि श्रमिक संगठनों की ओर से इनके कुछ प्रावधानों पर चिंता भी व्यक्त की गई है।

8.3 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

यह अधिनियम औद्योगिक विवादों की जांच एवं निपटारे हेतु प्रक्रिया निर्धारित करता है, जिसमें सुलह, मध्यस्थता तथा न्यायाधिकरण जैसे तंत्र सम्मिलित हैं।

9. श्रमिक संघों के समक्ष चुनौतियाँ

- असंगठित एवं ठेका श्रमिकों की बढ़ती संख्या, जिन तक संघों की पहुँच सीमित है।
- सदस्यता में निरंतर गिरावट तथा वित्तीय संसाधनों की कमी।
- प्रबंधन का श्रमिक संघों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण।
- श्रमिक संघों में राजनीतिक हस्तक्षेप एवं गुटबाजी।
- बहु-संघवाद (multiple unionism) के कारण श्रमिकों की एकता का कमजोर पड़ना।
- वैश्वीकरण एवं स्वचालन (automation) के कारण रोजगार संरचना में परिवर्तन।

10. निष्कर्ष

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि श्रमिक संघ औद्योगिक संबंधों की एक अपरिहार्य संस्था हैं। वे न केवल श्रमिकों के आर्थिक एवं सामाजिक हितों की रक्षा करते हैं, बल्कि औद्योगिक शांति, उत्पादकता तथा सामाजिक न्याय की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संतुलित एवं सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाकर ही श्रमिक संघ नियोक्ता तथा श्रमिक दोनों के हितों में सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं तथा एक स्वस्थ औद्योगिक वातावरण के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। परिवर्तनशील आर्थिक परिवेश, वैश्वीकरण तथा तकनीकी परिवर्तनों के इस युग में श्रमिक संघों को अपनी कार्य-प्रणाली में लचीलापन लाने, असंगठित एवं ठेका श्रमिकों तक अपनी पहुँच बढ़ाने तथा राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त होकर रचनात्मक सौदेबाजी की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है।

संदर्भ सूची

1. ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926, भारत सरकार।
2. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, भारत सरकार।
3. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार — वार्षिक रिपोर्ट।
4. Sharma, A.M. — 'Industrial Relations: Conceptual and Legal Framework', Himalaya Publishing House.
5. Mamoria, C.B. and Mamoria, S. — 'Dynamics of Industrial Relations', Himalaya Publishing House.
6. श्रम संहिता संबंधी सरकारी दस्तावेज़ एवं अधिसूचनाएँ, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय।

समानांतर और व्यवसायिक हिंदी सिनेमा : नसीरुद्दीन शाह की चुनिंदा फ़िल्मों में पर्दे के व्यक्तित्व, अभिनय शैली और किरदारों के चित्रण का तुलनात्मक अध्ययन

डॉ राघवेन्द्र दीक्षित
शिक्षण सहायक, भास्कर जनसंचार एवं पत्रकारिता संस्थान, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

सार

हिंदी सिनेमा का विकास दो अलग-अलग सिनेमाई परंपराओं के साथ-साथ चलने से काफ़ी हद तक प्रभावित हुआ है: समानांतर सिनेमा, जो यथार्थवाद, सामाजिक आलोचना और कलात्मक प्रयोग पर ज़ोर देता है, और व्यवसायिक सिनेमा, जो मनोरंजन, भव्यता और बड़े पैमाने पर लोगों को आकर्षित करने को प्राथमिकता देता है। बहुत कम अभिनेताओं ने नसीरुद्दीन शाह की तरह लगातार और बहुमुखी प्रतिभा के साथ दोनों परंपराओं में सफलता हासिल की है। हालाँकि भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को व्यापक रूप से सराहा गया है, लेकिन विद्वानों का ध्यान मुख्य रूप से या तो उनकी अभिनय तकनीकों पर या समानांतर सिनेमा के व्यापक इतिहास पर केंद्रित रहा है। बहुत कम शोध में यह देखा गया है कि अलग-अलग सिनेमाई संदर्भों में उनका पर्दे के व्यक्तित्व (स्क्रीन पर्सोना), अभिनय शैली और किरदारों का चित्रण कैसे बदलता है।

यह अध्ययन नसीरुद्दीन शाह की स्क्रीन पहचान के विकास की जाँच करने के लिए समानांतर और व्यवसायिक हिंदी सिनेमा की चुनिंदा फ़िल्मों का गुणात्मक तुलनात्मक विश्लेषण करता है। उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण (परपज़िव सैंपलिंग) का उपयोग करते हुए, प्रत्येक सिनेमाई परंपरा से छह फ़िल्में चुनी गई हैं ताकि अभिनय, किरदारों के चित्रण, कहानी में भूमिका, यथार्थवाद, संवाद अदायगी, शारीरिक भाषा, भावनात्मक अभिव्यक्ति और दर्शकों के नज़रिए में अंतर का विश्लेषण किया जा सके।

निष्कर्ष बताते हैं कि नसीरुद्दीन शाह के अभिनय को केवल अभिनय की उत्कृष्टता के प्रदर्शन के रूप में नहीं समझा जा सकता है; बल्कि, वे अलग-अलग सिनेमाई परंपराओं के साथ तालमेल बिठाने के प्रयास को दर्शाते हैं। समानांतर सिनेमा में उनका अभिनय मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद, नैतिक अस्पष्टता और सामाजिक-राजनीतिक चेतना को उजागर करता है, जबकि व्यवसायिक सिनेमा में उनका अभिनय अधिक लचीलापन, शैली के अनुसार ढलने की क्षमता और दर्शकों को ध्यान में रखकर किरदारों के चित्रण को प्रदर्शित करता है।

यह अध्ययन अलग-अलग सिनेमाई परंपराओं में किसी अभिनेता की बदलती स्क्रीन पहचान का विश्लेषण करने के लिए एक तुलनात्मक ढाँचा प्रस्तावित करके भारतीय फ़िल्म अध्ययन में योगदान देता है और यह दिखाता है कि कैसे अभिनय कलात्मक अभिव्यक्ति और औद्योगिक अपेक्षाओं के बीच एक कड़ी का काम करता है।

मुख्य शब्द : *हिंदी सिनेमा, समानांतर सिनेमा, व्यवसायिक सिनेमा, स्क्रीन पर्सोना, अभिनय, चरित्र-चित्रण, नसीरुद्दीन*

शाह, स्टार शोध ज़, फ़िल्म शोध ज़।

1. परिचय

भारतीय सिनेमा दुनिया की सबसे बड़ी और सांस्कृतिक रूप से सबसे प्रभावशाली फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ में से एक है। आज़ादी के बाद से, हिंदी सिनेमा कई कलात्मक, औद्योगिक और वैचारिक दौर से गुज़रा है, जिसमें बदलती सामाजिक सच्चाइयाँ, तकनीकी विकास और दर्शकों की उम्मीदें झलकती हैं। इन बदलावों के बीच, 1960 के दशक के आखिर और 1970 के दशक में 'समानांतर सिनेमा' (समानांतर सिनेमा) का उदय हुआ। इसने फ़िल्म बनाने की एक ऐसी वैकल्पिक शैली पेश की जिसने मुख्यधारा के व्यवसायिक सिनेमा के पारंपरिक तौर-तरीकों को चुनौती दी। यथार्थवाद, सामाजिक आलोचना, क्षेत्रीय सच्चाई और मनोवैज्ञानिक रूप से जटिल किरदारों वाली समानांतर सिनेमा ने कहानी कहने और दृश्य दिखाने का एक अलग अंदाज़ पेश किया, जो व्यवसायिक हिंदी फ़िल्मों के घिसे-पिटे फ़ॉर्मूले से काफ़ी अलग था।

व्यवसायिक हिंदी सिनेमा, जिसे अक्सर मुख्यधारा या लोकप्रिय सिनेमा कहा जाता है, आम दर्शकों को लुभाने के लिए ऐतिहासिक रूप से मेलोड्रामा, संगीत, रोमांस, एक्शन और स्टार पावर पर निर्भर रहा है। हालाँकि मनोरंजन के फ़ॉर्मूलों पर निर्भरता के कारण इसकी अक्सर आलोचना होती रही है, लेकिन व्यवसायिक सिनेमा ने बदलती सामाजिक चिंताओं, तकनीकी इनोवेशन और दर्शकों की बदलती पसंद को अपनाकर ज़बरदस्त लचीलापन भी दिखाया है। नतीजतन, समानांतर और व्यवसायिक सिनेमा पूरी तरह से अलग-थलग परंपराओं के तौर पर रहने के बजाय लगातार एक-दूसरे के संपर्क में रहे हैं और कहानी कहने के तरीके, एक्टिंग स्टाइल और फ़िल्मी प्रस्तुति में एक-दूसरे को प्रभावित करते रहे हैं।

बदलते हुए इस दौर में, कलाकारों ने सिनेमाई चर्चा को आकार देने में अहम भूमिका निभाई है। इनमें नसीरुद्दीन शाह का स्थान खास है क्योंकि उनका करियर समानांतर (समानांतर) और व्यवसायिक , दोनों तरह के हिंदी सिनेमा के बीच एक सफल कड़ी का काम करता है। कई ऐसे कलाकारों के उलट जिनका करियर सिर्फ़ एक ही तरह की सिनेमाई परंपरा तक सीमित रहा, शाह ने अपनी कलात्मक साख बनाए रखते हुए लगातार आर्ट-हाउस फ़िल्मों और मुख्यधारा की व्यवसायिक फ़िल्मों के बीच काम किया। उनकी फ़िल्मों की सूची उनकी ज़बरदस्त विविधता को दिखाती है; इसमें मनोवैज्ञानिक रूप से जटिल मुख्य किरदार, नैतिक रूप से अस्पष्ट चरित्र, कॉमेडी रोल, पुलिस अफ़सर, विलेन, बुद्धिजीवी और अलग-अलग सामाजिक सच्चाइयों को दिखाने वाले आम लोग शामिल हैं।

अलग-अलग सिनेमाई परंपराओं में अभिनय करने की यह क्षमता किसी कलाकार की 'स्क्रीन पर्सोना' (पर्दे पर उनकी छवि) के निर्माण को लेकर महत्वपूर्ण अकादमिक सवाल खड़े करती है। स्क्रीन पर्सोना सिर्फ़ अभिनय की क्षमता से कहीं ज़्यादा है; यह बार-बार किए गए अभिनय, दर्शकों की उम्मीदों, मीडिया की चर्चाओं और सिनेमाई प्रस्तुति से बनी मिली-जुली छवि को दिखाता है। रिचर्ड डायर का तर्क है कि स्टार सांस्कृतिक टेक्स्ट (सांस्कृतिक संदेशों) की तरह काम करते हैं, जिनके अर्थ फ़िल्मों, प्रचार, इंटरव्यू और दर्शकों की समझ से बनते हैं। इस नज़रिए से देखें तो नसीरुद्दीन शाह का महत्व सिर्फ़ उनकी तकनीकी अभिनय क्षमता में ही नहीं, बल्कि इस बात में भी है कि कैसे उनका अभिनय अलग-अलग सिनेमाई विचारधाराओं के बीच तालमेल बिठाता है।

समानांतर सिनेमा में आम तौर पर असलियत पर आधारित संयमित अभिनय, भावनाओं का बारीक इज़हार और सामाजिक-राजनीतिक सच्चाई की ज़रूरत होती है। इसके उलट, व्यवसायिक सिनेमा में अक्सर ज़्यादा बड़े स्तर पर भावनाओं को दिखाने, जॉनर के हिसाब से तय तौर-तरीकों, ज़्यादा नाटकीय स्थितियों और दर्शकों के साथ मज़बूत जुड़ाव की ज़रूरत

होती है। इसलिए, जो एक्टर दोनों तरह की फ़िल्मों में कामयाब होता है, उसे अपनी कलात्मक निरंतरता से समझौता किए बिना लगातार अपने अभिनय के तरीकों में बदलाव करना पड़ता है। नसीरुद्दीन शाह ऐसा कैसे कर पाते हैं, इसे समझने से एक्टिंग, कहानी कहने के तरीके, जॉनर और सिनेमाई संस्कृति के बीच के रिश्ते के बारे में अहम जानकारी मिलती है।

मौजूदा शोध में समानांतर सिनेमा के ऐतिहासिक विकास, व्यवसायिक हिंदी सिनेमा के बदलाव और भारत के बेहतरीन एक्टर्स में से एक के तौर पर नसीरुद्दीन शाह के योगदान के बारे में काफ़ी जानकारी दी गई है। हालाँकि, इस बात पर बहुत कम व्यवस्थित शोध हुई है कि इन अलग-अलग तरह के सिनेमाई माहौल में उनका स्क्रीन पर दिखने वाला व्यक्तित्व, अभिनय का अंदाज़ और किरदारों को निभाने का तरीका कैसे बदलता है। ज़्यादातर चर्चाएँ सिर्फ़ जानकारी देने वाली होती हैं, जिनमें अलग-अलग फ़िल्मों या उनके अभिनय की उपलब्धियों की तारीफ़ की जाती है, न कि उन तरीकों का विश्लेषण किया जाता है जिनसे अलग-अलग सिनेमाई परंपराएँ अभिनय की अलग-अलग पहचान बनाती हैं।

यह शोध समानांतर और व्यवसायिक हिंदी सिनेमा की चुनिंदा फ़िल्मों का तुलनात्मक विश्लेषण करके उस कमी को पूरा करने की कोशिश करती है। यह पता लगाने के बजाय कि कौन सी सिनेमाई परंपरा एक्टर की काबिलियत को बेहतर ढंग से दिखाती है, यह शोध इस बात की पड़ताल करती है कि परफ़ॉर्मेंस खुद कैसे एक ऐसा ज़रिया बन जाती है जिसके ज़रिए सिनेमाई तौर-तरीकों, वैचारिक उम्मीदों और दर्शकों के जुड़ाव को समझा और साधा जाता है। इसमें कुछ खास पहलुओं पर ध्यान दिया गया है, जैसे कि किरदारों को गढ़ना, बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग बोलने का अंदाज़, भावनाओं का इज़हार, असलियत, कहानी में अहमियत और सामाजिक चित्रण।

इस शोध का महत्व सिर्फ़ एक एक्टर के अध्ययन से कहीं ज़्यादा है। यह शोध इस बात की पड़ताल करती है कि कैसे एक कलाकार कई सिनेमाई परंपराओं के बीच काम करता है, और इस तरह यह फ़िल्म शोध ज़ में स्टारडम, परफ़ॉर्मेंस, चित्रण, असलियत और इंडस्ट्री में बदलाव से जुड़ी व्यापक बहसों में योगदान देती है। यह यह भी दिखाती है कि एक्टिंग सिर्फ़ एक कलात्मक काम नहीं है, बल्कि बातचीत का एक ज़रिया भी है जिसके ज़रिए सिनेमा सांस्कृतिक अर्थ और सामाजिक पहचान बनाता है।

नतीजतन, यह शोध नसीरुद्दीन शाह को न केवल एक मंझे हुए कलाकार के तौर पर, बल्कि समकालीन हिंदी सिनेमा में परफॉर्मेंस, सिनेमाई रूप और सांस्कृतिक विमर्श के बीच के गतिशील रिश्ते को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण केस शोध के तौर पर भी प्रस्तुत करती है।

2. साहित्य की समीक्षा

समानांतर सिनेमा की अवधारणा को आशीष राजाध्यक्ष और पॉल विलेमेन जैसे विद्वानों ने विस्तार से समझा है। वे इसे एक ऐसे आंदोलन के रूप में बताते हैं जिसकी खासियत यथार्थवाद, सामाजिक प्रतिबद्धता, क्षेत्रीय विविधता और मुख्यधारा की सिनेमाई परंपराओं का विरोध है। 1970 के दशक में प्रमुखता से उभरे समानांतर सिनेमा का मकसद आम लोगों की जिंदगी, संरचनात्मक असमानताओं और जटिल सामाजिक सच्चाइयों को कम से कम नाटकीयता (मेलोड्रामा) के साथ पेश करना था। श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी, सईद अख्तर मिर्जा और केतन मेहता जैसे निर्देशकों ने कहानी कहने के तरीके, लोकेशन पर शूटिंग और अभिनय शैली में असलियत पर जोर दिया।

दूसरी ओर, व्यवसायिक हिंदी सिनेमा ने पॉपुलर कल्चर, राष्ट्रवाद, उपभोक्तावाद और वैश्वीकरण के साथ अपने

संबंधों के कारण विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया है। माधव प्रसाद (1998), रेचल ड्वायर (2006), तेजस्विनी गंटी (2012) और एम. के. राघवेन्द्र (2008) जैसे विद्वानों का तर्क है कि मुख्यधारा का हिंदी सिनेमा केवल मनोरंजन नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक संस्थान है जो सामाजिक आकांक्षाओं, राजनीतिक विचारधाराओं और राष्ट्रीय पहचान को दर्शाता है और उन्हें आकार देता है।

जेम्स नरेमोर (1988) अपनी पुस्तक 'एक्टिंग इन द सिनेमा' में तर्क देते हैं कि फिल्म परफॉर्मेंस का विश्लेषण न केवल एक व्यक्तिगत कलात्मक उपलब्धि के रूप में किया जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी सिनेमैटिक रचना के रूप में भी किया जाना चाहिए जिसे एडिटिंग, सिनेमैटोग्राफी, मिज़-एन-सीन (दृश्य-सज्जा), साउंड और कहानी के संदर्भ से आकार दिया गया हो। इसी तरह, रिचर्ड शेचनर की 'परफॉर्मेंस थ्योरी' इस बात पर ज़ोर देती है कि परफॉर्मेंस एक सांस्कृतिक गतिविधि है जिसमें कलाकार, टेक्स्ट, दर्शकों और सामाजिक परिवेश के बीच बातचीत से अर्थ निकलता है।

रिचर्ड डायर (1979, 1998) ने स्टार्स को सिर्फ़ लोकप्रिय कलाकार नहीं, बल्कि सांस्कृतिक टेक्स्ट (cultural texts) के तौर पर देखते हैं। डायर के अनुसार, किसी स्टार की स्क्रीन पर्सोना (screen persona) फ़िल्मों, इंटरव्यू, प्रचार सामग्री, मीडिया की चर्चाओं और दर्शकों की समझ से बनती है। इसलिए, स्क्रीन पर्सोना स्थिर नहीं, बल्कि बदलती रहती है; यह इंडस्ट्री के तौर-तरीकों और सांस्कृतिक उम्मीदों के साथ लगातार विकसित होती है।

भारतीय सिनेमा में, जानकारों ने अक्सर 'न्यू इंडियन सिनेमा' आंदोलन से जुड़े कलाकारों—जैसे ओम पुरी, स्मिता पाटिल, शबाना आज़मी और नसीरुद्दीन शाह—के उभरने पर चर्चा की है। हालाँकि, इस बारे में ज़्यादातर जानकारी या तो उनकी यथार्थवादी एक्टिंग (realistic acting) में योगदान या समानांतर सिनेमा (parallel cinema) के संस्थागत विकास पर केंद्रित है, न कि अलग-अलग फ़िल्मी परंपराओं में उनके अभिनय की व्यवस्थित तुलना पर।

नसीरुद्दीन शाह के बारे में अब तक जो कुछ भी लिखा गया है, उसमें मुख्य रूप से इंटरव्यू, अपनी ज़िंदगी से जुड़ी बातें, आलोचनात्मक लेख, अख़बारों में छपी समीक्षाएं और उनकी अलग-अलग फ़िल्मों पर चर्चाएं शामिल हैं। उनकी आत्मकथा, 'एंड देन वन डे: अ मेमॉयर' (2014), उनकी कलात्मक सोच, थिएटर की पृष्ठभूमि और आर्ट-हाउस व व्यवसायिक सिनेमा, दोनों में उनके अनुभवों के बारे में अहम जानकारी देती है। फिर भी, आत्मकथाओं में स्वाभाविक रूप से फ़िल्मी अभिनय की विश्लेषणात्मक तुलना के बजाय निजी अनुभवों पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है।

सिनेमा किस तरह किरदारों, कहानियों और विज़ुअल कोड्स के ज़रिए अर्थ गढ़ता है, इसका विश्लेषण करने के लिए अक्सर स्टुअर्ट हॉल के प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का इस्तेमाल किया गया है। हालाँकि, इस बात पर बहुत कम ध्यान दिया गया है कि कैसे एक ही अभिनेता अलग-अलग तरह की फ़िल्मी प्रणालियों में काम करते हुए परस्पर विरोधी विचारधाराओं को अपनाता है। यह तुलनात्मक शोध के लिए एक अहम मौका है।

इसके अलावा, कई विद्वानों ने आंद्रे बाज़िन की लेखनी और इटैलियन नियो-रियलिज़्म के ज़रिए भारतीय सिनेमा में यथार्थवाद (realism) की पड़ताल की है। ये अध्ययन असलियत, लोकेशन पर शूटिंग, गैर-नाटकीय अभिनय और मनोवैज्ञानिक गहराई को यथार्थवादी सिनेमा की मुख्य विशेषताओं के तौर पर रेखांकित करते हैं।

यह अध्ययन नसीरुद्दीन शाह की चुनिंदा फ़िल्मों के तुलनात्मक विश्लेषण के ज़रिए उस कमी को दूर करने का प्रयास करता है।

3. शोध अंतराल

पहला, अधिकांश शोध समानांतर सिनेमा और व्यावसायिक सिनेमा का अलग-अलग विश्लेषण करते हैं, और व्यक्तिगत अभिनेताओं के कार्यों के माध्यम से इन दोनों परंपराओं के अंतर्संबंधों पर बहुत कम ध्यान दिया गया है।

दूसरा, नसीरुद्दीन शाह पर विद्वानों की चर्चाएँ आम तौर पर उन्हें भारत के सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में से एक बताती हैं, लेकिन इस बात की पड़ताल कम ही करती हैं कि विभिन्न सिनेमाई संदर्भों में उनका परदे पर व्यक्तित्व कैसे बदलता है।

तीसरा, मौजूदा साहित्य चरित्र चित्रण, शारीरिक भाषा, भावनात्मक अभिव्यक्ति, कथात्मक कार्य, यथार्थवाद और दर्शक स्थिति जैसे विशिष्ट प्रदर्शन आयामों का विश्लेषण करने के बजाय अभिनय की गुणवत्ता का मूल्यांकन करता है।

चौथा, बहुत कम अध्ययनों में अभिनेता की विकसित होती स्क्रीन पहचान का विश्लेषण करने के लिए स्टार थ्योरी, परफॉर्मेंस थ्योरी और रिप्रेजेंटेशन थ्योरी को मिलाकर एक तुलनात्मक विश्लेषणात्मक ढांचा अपनाया गया है।

अंततः, शाह की लगभग पांच दशकों तक फैली व्यापक फिल्मोग्राफी के बावजूद, समानांतर और व्यावसायिक हिंदी सिनेमा दोनों की चुनिंदा फिल्मों में उनके प्रदर्शन का विश्लेषण करने वाला कोई व्यापक तुलनात्मक अध्ययन मौजूद नहीं है।

वर्तमान शोध सिनेमाई परंपराओं द्वारा अभिनेता के स्क्रीन व्यक्तित्व और प्रदर्शन रणनीतियों को आकार देने के तरीके का विश्लेषण करने के लिए एक व्यवस्थित ढांचा विकसित करके इन कमियों को दूर करता है।

4. उद्देश्य

- चुनिंदा समानांतर और व्यवसायिक हिंदी फ़िल्मों में नसीरुद्दीन शाह के स्क्रीन पर्सोना की विशेषताओं की जाँच करना।
- दोनों तरह की फ़िल्मी शैलियों में उनकी अभिनय शैली और चरित्र-चित्रण की तुलना करना।
- कहानी कहने का तरीका और फ़िल्मी तौर-तरीके उनके स्क्रीन पर्सोना को प्रभावित करने का विश्लेषण करना।
- यथार्थवाद, भावनाओं की अभिव्यक्ति, बॉडी लैंग्वेज, संवाद बोलने के अंदाज़ और चरित्र को पेश करने के तरीकों में समानता और अंतर की पहचान करना।
- यह समझना कि ये अभिनय, एक्टिंग, फ़िल्मी परंपरा और दर्शकों की उम्मीदों के बीच के रिश्ते को समझने में कैसे योगदान देते हैं।
- कलाकार के प्रदर्शन के संदर्भ में उसके अभिनय, सिनेमाई परंपरा और दर्शकों की अपेक्षाओं के बीच के संबंध को समझने में उसके योगदान का मूल्यांकन करना।

5. सैद्धांतिक ढांचा

यह अध्ययन स्टार शोध अध्ययन, परफ़ॉर्मेंस शोध अध्ययन, रिप्रेजेंटेशन थ्योरी और फ़िल्म नैरेटिव थ्योरी की अवधारणाओं को मिलाकर एक अंतर-विषयक सैद्धांतिक ढांचा अपनाता है।

6. शोध प्रविधि

6.1 शोध अभिकल्प यह अध्ययन हिंदी सिनेमा की दो अलग-अलग परंपराओं—समानांतर सिनेमा और व्यवसायिक सिनेमा—में नसीरुद्दीन शाह की स्क्रीन पर्सनैलिटी, एक्टिंग स्टाइल और किरदारों को निभाने के तरीके में आए बदलावों को समझने के लिए 'गुणात्मक तुलनात्मक शोध रूपरेखा' का इस्तेमाल करता है। क्वालिटेटिव शोध इसलिए खास तौर पर सही है क्योंकि इसका मकसद एक्टिंग को आंकड़ों के ज़रिए मापना नहीं, बल्कि सिनेमाई अर्थों, एक्टिंग की तकनीकों, कहानी कहने के तरीकों और किरदारों को दिखाने की रणनीतियों को उनके सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भों में समझना है। तुलनात्मक फ़िल्म विश्लेषण से अलग-अलग सिनेमाई परंपराओं में एक्टिंग की समानता और अंतर की व्यवस्थित जांच हो पाती है। अलग-अलग फ़िल्मों का अकेले-अकेले मूल्यांकन करने के बजाय, यह अध्ययन इस बात का विश्लेषण करता है कि वही एक्टर अलग-अलग कलात्मक परंपराओं, प्रोडक्शन कल्चर और दर्शकों की उम्मीदों के बीच कैसे तालमेल बिठाता है। यह तुलनात्मक तरीका एक्टिंग और सिनेमाई विचारधारा के बीच के रिश्ते की गहरी समझ देता है।

6.2 शोध विधि

इस अध्ययन में मुख्य रूप से टेक्स्ट के विश्लेषण और फ़िल्मों के तुलनात्मक विश्लेषण का इस्तेमाल किया गया है।

टेक्स्ट के विश्लेषण में विज़ुअल कंपोज़िशन, डायलॉग, किरदारों के चित्रण, सीन की सजावट (mise-en-scène), कहानी के विकास और परफ़ॉर्मेंस की व्याख्या करके फ़िल्मी टेक्स्ट की जाँच की जाती है। तुलनात्मक विश्लेषण से समानांतर और व्यवसायिक हिंदी सिनेमा के बीच बार-बार दिखने वाले पैटर्न और अहम अंतरों को पहचानने में मदद मिलती है।

यह विश्लेषण मूल्यांकन करने के बजाय व्याख्या करने पर केंद्रित है। इसका मकसद यह तय करना नहीं है कि कौन सी फ़िल्मी परंपरा बेहतर है, बल्कि यह समझना है कि अलग-अलग फ़िल्मी माहौल के हिसाब से परफ़ॉर्मेंस कैसे बदलती है।

6.3 प्रतिदर्श

इसमें 'उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण चयन' (परपज़िव सैंपलिंग) तरीका अपनाया गया है क्योंकि चुनी गई फ़िल्में नसीरुद्दीन शाह के करियर के अहम पड़ाव हैं और दोनों तरह की सिनेमाई परंपराओं को अच्छी तरह दिखाती हैं।

फ़िल्मों का चुनाव इन आधारों पर किया गया:

- आलोचकों से मिली पहचान और ऐतिहासिक महत्व।
- समानांतर (समानांतर) या व्यवसायिक हिंदी सिनेमा का प्रतिनिधित्व।
- किरदारों की विविधता।
- पर्याप्त विद्वतापूर्ण चर्चा की उपलब्धता।
- शाह के करियर के अलग-अलग दशकों का प्रतिनिधित्व।

चुनी गई फ़िल्में

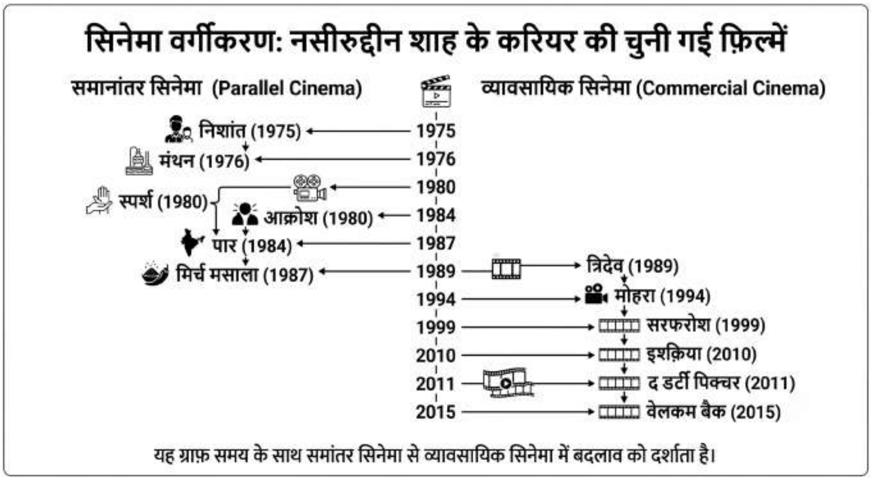

ये फ़िल्में लगभग चार दशकों में फैली हुई हैं, जिससे इस अध्ययन में समय के साथ शाह की परफ़ॉर्मेंस में निरंतरता और बदलाव का विश्लेषण किया जा सकता है।

6.4 विश्लेषण की इकाई

विश्लेषण की प्राथमिक इकाई प्रत्येक चयनित फिल्म में नसीरुद्दीन शाह द्वारा अभिनीत चरित्र है। निम्नलिखित विश्लेषणात्मक घटकों की जांच की जाती है:

विश्लेषणात्मक घटक			
चरित्र और व्यक्तित्व	**प्रदर्शन और अभिनय तकनीक**	**कथात्मक-शैलीगत तत्व**	**वैचारिक और प्रभाव सम्बन्धी तत्व**
स्क्रीन व्यक्तित्व चरित्र चित्रण	अभिनय शैली संवाद प्रस्तुति शारीरिक भाषा चेहरे के भाव	भावनात्मक अभिव्यक्ति कथात्मक कार्य यथार्थवाद	वैचारिक प्रस्तुति दर्शक स्थिति निर्धारण

6.5 आकंड़ा स्रोत

यह शोध मुख्य रूप से द्वितीयक गुणात्मक डेटा पर आधारित है, जिसमें शामिल हैं:

चुनिंदा फ़िल्में, भारतीय सिनेमा की पुस्तकें, पीयर-रिव्यू किए गए जर्नल आर्टिकल, फ़िल्म समीक्षा, प्रकाशित साक्षात्कार परफ़ॉर्मेंस शोध ज़ पर विद्वानों के लेख, समानांतर सिनेमा और व्यवसायिक हिंदी सिनेमा पर अध्ययन।

इन सामग्रियों की व्याख्या फ़िल्म अध्ययन और सांस्कृतिक अध्ययन के स्थापित सिद्धांतों का उपयोग करके की जाती है।

7. तुलनात्मक विश्लेषण

7.1 पर्दे के व्यक्तित्व (स्क्रीन पर्सोना): असलियत और लोगों के बीच लोकप्रियता के बीच

स्क्रीन पर्सोना का कॉन्सेप्ट सिर्फ़ किसी एक परफ़ॉर्मेंस से कहीं ज़्यादा है; यह बार-बार फ़िल्मों में दिखने से बनी एक मिली-जुली पब्लिक इमेज है।

समानांतर सिनेमा में, शाह का स्क्रीन पर्सोना बौद्धिक गहराई, मनोवैज्ञानिक असलियत, नैतिक जटिलता और सामाजिक चेतना के इर्द-गिर्द बनता है। उनके किरदार शायद ही कभी पारंपरिक हीरो के तौर पर दिखते हैं। इसके बजाय, वे अक्सर ऐसे आम लोगों की भूमिका निभाते हैं जो संरचनात्मक अन्याय, सामाजिक असमानता, संस्थागत दमन या व्यक्तिगत दुविधाओं का सामना कर रहे होते हैं।

उदाहरण के लिए, 'आक्रोश' में कहानी वीरतापूर्ण हस्तक्षेप के बजाय प्रणालीगत अन्याय के इर्द-गिर्द घूमती है। शाह की संयमित परफ़ॉर्मेंस बिना किसी नाटकीय हाव-भाव के निराशा, सहानुभूति और नैतिक ज़िम्मेदारी को व्यक्त करती है। इसी तरह, 'स्पर्श' में भावनात्मक तीव्रता साफ़-साफ़ शब्दों में कहने के बजाय खामोशी, हिचकिचाहट और आंतरिक संघर्ष के ज़रिए सामने आती है।

इसके विपरीत, शाह का व्यवसायिक सिनेमा पर्सोना कहानी को ज़्यादा आसानी से समझने लायक बनाता है। 'मोहरा', 'सरफ़रोश' और 'वेलकम बैक' जैसी फ़िल्मों के किरदार ऐसी शैलियों (जॉनर) के नियमों के भीतर काम करते हैं जो मनोरंजन, नाटकीय उतार-चढ़ाव और दर्शकों की भागीदारी को प्राथमिकता देते हैं। यहाँ, एक्टर अक्सर ऐसी भूमिकाएँ निभाते हैं जिनमें संस्थागत अधिकार, रणनीतिक बुद्धिमत्ता, कॉमिक टाइमिंग या करिश्माई प्रभाव होता है।

फिर भी, व्यवसायिक सिनेमा में भी शाह बहुत ज़्यादा नाटकीयता से बचते हैं। उनकी परफ़ॉर्मेंस में असलियत का एक ऐसा स्तर बना रहता है जो मुख्यधारा के कलाकारों में कम ही देखने को मिलता है। यह संतुलन उन्हें अपनी स्थापित कलात्मक पहचान को छोड़े बिना जॉनर की उम्मीदों को पूरा करने की अनुमति देता है।

नतीजतन, उनका स्क्रीन पर्सोना विरोधाभास के बजाय निरंतरता दिखाता है। समानांतर सिनेमा आत्म-विश्लेषणात्मक असलियत पर ज़ोर देता है, जबकि व्यवसायिक सिनेमा अनुकूलन क्षमता, आत्मविश्वास और कहानी की उपयोगिता को उजागर करता है। दोनों परंपराएँ एक बहुआयामी पब्लिक इमेज बनाने में योगदान देती हैं जो पारंपरिक स्टार श्रेणियों से कहीं आगे है।

7.2 अभिनय शैली: सिनेमाई परंपराओं में यथार्थवाद

नसीरुद्दीन शाह के करियर की एक प्रमुख विशेषता उनका यथार्थवादी अभिनय के प्रति समर्पण है तथा उन कलाकारों से हटके अपने अभिनय में एक जैसे दोहराव से बचने का प्रयास रहता है।

समांतर सिनेमा में, यथार्थवाद न्यूनतम अभिव्यक्ति के माध्यम से प्रकट होता है। संवाद संक्षिप्त होते हैं, हाव-भाव

संयमित रहते हैं, और भावनात्मक परिवर्तन धीरे-धीरे होते हैं। अभिनेता अक्सर चेहरे के भाव, ठहराव, मौन और नियंत्रित शारीरिक हाव-भाव के माध्यम से आंतरिक संघर्ष को व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए, 'पार' फिल्म में बिना नाटकीयता के असाधारण भावनात्मक तीव्रता प्रस्तुत करता है। उनका चित्रण पीड़ा को सिनेमाई तमाशे के बजाय जीवंत अनुभव में बदल देता है।

इसी प्रकार, 'मिर्च मसाला' उनकी उपस्थिति प्रभुत्व, संयम लेकिन क्रूरता के माध्यम से मूर्त रूप देने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। चरित्र की शक्ति नियंत्रित वाणी, सुनियोजित हाव-भाव और अटूट आत्मविश्वास से उभरती है।

सरफरोश में, उनकी बुद्धिमत्ता, संयम और रणनीतिक सोच का चित्रण खलनायक को रूढ़िवादी खलनायकों से अलग करता है। इसी प्रकार, इश्किया में उल्लेखनीय हास्य परिष्कार दिखाई देता है। इस प्रकार, तुलनात्मक विश्लेषण से पता चलता है कि शाह सिनेमाई परंपराओं में अपनी अभिनय शैली को मौलिक रूप से नहीं बदलते हैं। इसके बजाय, वे यथार्थवाद को अपनी अभिनय शैली का केंद्रीय सिद्धांत बनाए रखते हुए, शैली की आवश्यकताओं के अनुसार इसकी तीव्रता को बदलते हैं।

7.3 चरित्र-चित्रण: रूढ़ियों से परे विविधता

चरित्र-चित्रण शाह की कलात्मक बहुमुखी प्रतिभा के सबसे मज़बूत संकेतों में से एक है। अपने पूरे करियर में, उन्होंने अलग-अलग सामाजिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि वाले किरदारों को निभाकर खुद को एक ही तरह के रोल में बंधने से बचाया है।

समानांतर सिनेमा (समानांतर सिनेमा) में, चरित्र-चित्रण का गहरा संबंध सामाजिक यथार्थवाद से होता है। इसमें किरदार न तो पूरी तरह से नायक होते हैं और न ही पूरी तरह से खलनायक। इसके बजाय, वे आर्थिक असमानता, जाति व्यवस्था, संस्थागत शक्ति और व्यक्तिगत कमज़ोरियों से बनी नैतिक रूप से अस्पष्ट स्थितियों में होते हैं। 'निशांत', 'मंथन' और 'पार' जैसी फ़िल्में इस जटिलता को दिखाती हैं।

व्यवसायिक सिनेमा में शैलियों की ज़्यादा विविधता देखने को मिलती है। यहाँ, शाह पुलिस अफ़सर, राजनेता, अपराधी, पत्रकार, व्यवसायी, रईस और हास्य पात्रों की भूमिकाएँ निभाते हैं।

उदाहरण के लिए, 'सरफ़रोश' फ़िल्म का विलेन पारंपरिक रूप से बुरे व्यक्ति के बजाय बौद्धिक रूप से परिष्कृत है। इसी तरह, 'इश्किया' एक ऐसे व्यक्ति को पेश करती है जो नैतिक रूप से अस्पष्ट है और जिसमें हास्य, कमज़ोरी और अवसरवाद एक साथ मौजूद हैं। ऐसी भूमिकाएँ नायकत्व और खलनायकत्व के बीच के स्पष्ट अंतर को चुनौती देती हैं।

इसलिए, शाह का चरित्र-चित्रण सिनेमाई संदर्भ में बदलाव के बावजूद जटिलता में निरंतरता दिखाता है। चाहे वे यथार्थवादी ड्रामा में काम कर रहे हों या व्यवसायिक मनोरंजन में, उनके किरदार हमेशा भावनात्मक गहराई, मनोवैज्ञानिक विश्वसनीयता और व्यक्तिगत विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं।

7.4 कहानी में भूमिका: कहानी कहने के ज़रिया के तौर पर परफ़ॉर्मेंस

सिनेमा में एक एक्टर की अहमियत सिर्फ़ उसकी अपनी परफ़ॉर्मेंस तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि स्क्रीनप्ले से तय होने वाले नैरेटिव फ़ंक्शन (कहानी में भूमिका) तक भी होती है। नैरेटिव फ़ंक्शन का मतलब है कि कोई किरदार कहानी को

आगे बढ़ाने, थीम को विकसित करने और वैचारिक संदेश देने में कैसे योगदान देता है।

उदाहरण के लिए, 'मंथन' (1976) में कहानी सहकारी आंदोलन और ग्रामीण सशक्तिकरण के इर्द-गिर्द घूमती है। हालाँकि शाह का किरदार कहानी को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन फ़िल्म जानबूझकर उन्हें सर्वशक्तिमान हीरो के तौर पर पेश करने से बचती है। इसके बजाय, कहानी सामूहिक भागीदारी, लोकतांत्रिक बातचीत और सामुदायिक विकास को अहमियत देती है। इसी तरह, 'आक्रोश' (1980) कहानी के केंद्र में संस्थागत दमन को रखती है।

'पार' (1984) में, शाह सम्मान और अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे एक हाशिए पर पड़े ग्रामीण का किरदार निभाते हैं। कहानी को अपनी भावनात्मक ताकत शानदार एक्शन से नहीं, बल्कि मुख्य किरदार के धैर्य, सहनशक्ति और इंसानियत से मिलती है। उनका किरदार शोषण और गरीबी का सामना कर रहे हाशिए के समुदायों का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व बन जाता है। इसी तरह, 'स्पर्श' (1980) एक गहरी आत्म-चिंतन वाली कहानी के ज़रिए विकलांगता, भावनात्मक कमज़ोरी और आपसी रिश्तों की पड़ताल करती है, जिसमें बाहरी टकराव की जगह मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद ले लेता है।

इसके विपरीत, व्यवसायिक हिंदी सिनेमा शाह को ज़्यादा जॉनर-आधारित नैरेटिव भूमिकाएँ देता है। उनके किरदार सस्पेंस, एक्शन, रोमांस, क्राइम या कॉमेडी पर आधारित कहानियों का हिस्सा होते हैं। मुख्य रूप से सामाजिक प्रतीकों के तौर पर काम करने के बजाय, ये किरदार अक्सर मनोरंजन, ड्रामैटिक टकराव या कहानी के समाधान के लिए उत्प्रेरक का काम करते हैं। उदाहरण के लिए, 'सरफ़रोश' (1999) में शाह का किरदार मुख्य वैचारिक और नाटकीय विलेन (antagonist) के तौर पर सामने आता है।

इसी तरह, 'इश्किया' (2010) में शाह को एक ऐसा किरदार दिया गया है जो नैतिक रूप से अस्पष्ट है और हास्य, अपराध, दोस्ती और धोखे के बीच झूलता रहता है। हालाँकि, 'वेलकम बैक' (2015) में कहानी की प्राथमिकताएँ मनोरंजन और कॉमेडी की ओर मुड़ जाती हैं।

यह तुलना बताती है कि समानांतर सिनेमा में शाह के किरदारों का इस्तेमाल मुख्य रूप से सामाजिक पड़ताल के ज़रिया के तौर पर किया जाता है, जबकि व्यवसायिक सिनेमा में उन्हें कहानी को आगे बढ़ाने और दर्शकों को जोड़े रखने वाले एजेंट के तौर पर पेश किया जाता है।

7.5 यथार्थवाद और भावनात्मक अभिव्यक्ति

नसीरुद्दीन शाह के अभिनय करियर की एक खास बात यथार्थवाद के प्रति उनकी प्रतिबद्धता है। वह बारीकी से की गई भावनात्मक अभिव्यक्ति पर भरोसा करते हैं, जो अवलोकन और मनोवैज्ञानिक समझ पर आधारित होती है। उनकी यह प्रतिबद्धता किसी बड़े एक्टिंग स्कूल के अनुशासित सिपाही की तरह दिखती है।

'स्पर्श' में, भावनात्मक आत्मीयता खुलकर इज़हार करने के बजाय संयमित बातचीत के ज़रिए धीरे-धीरे विकसित होती है। शाह अकेलेपन, असुरक्षा, गरिमा और स्नेह को अद्भुत बारीकी से दिखाते हैं, जिससे दर्शक स्पष्ट संवाद के बजाय व्यवहार से भावनात्मक अर्थ समझ पाते हैं। 'मिर्च मसाला' आक्रामकता के बजाय संयम के ज़रिए अधिकार को दिखाकर यथार्थवाद का एक और पहलू पेश करता है।

व्यवसायिक सिनेमा अलग-अलग सौंदर्य अपेक्षाओं के भीतर काम करता है। 'सरफरोश' में, विलेन के रूप में उनका

अभिनय भावनात्मक अनुशासन को दर्शाता है। पात्र शायद ही कभी अपना संयम खोता है, फिर भी चेहरे के सूक्ष्म भाव और सावधानीपूर्वक मापे गए संवाद आंतरिक संघर्ष, वैचारिक दृढ़ विश्वास और रणनीतिक गणना को व्यक्त करते हैं। यह संयमित अभिनय दर्शकों को केवल स्पष्ट कहानी-व्याख्या पर निर्भर रहने के बजाय मनोवैज्ञानिक प्रेरणाओं की व्याख्या करने के लिए प्रोत्साहित करके सस्पेंस को बढ़ाता है। इसी तरह, 'इश्किया' एक कॉमिक-क्राइम कहानी के भीतर यथार्थवादी अभिनय की बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित करता है। शाह बढ़ा-चढ़ाकर किए गए कॉमिक हाव-भाव के बजाय बातचीत की टाइमिंग, विडंबना और संयमित प्रतिक्रियाओं के ज़रिए हास्य पैदा करते हैं लेकिन उनकी अदाकारी में हमेशा दिखावे के बजाय असलियत को प्राथमिकता दी गई है। यही निरंतरता अलग-अलग तरह की फ़िल्मों में उनकी स्क्रीन-पर्सनैलिटी को एक स्थिरता देती है।

7.6 संवाद अदायगी और शारीरिक हावभाव

डायलॉग डिलीवरी और बॉडी लैंग्वेज स्क्रीन पर परफॉर्मेंस के ज़रूरी हिस्से हैं क्योंकि ये किरदार की सोच और दर्शकों की समझ के बीच संबंध बनाते हैं। सिनेमा में, मतलब सिर्फ़ बोली जाने वाली भाषा से ही नहीं, बल्कि रुकने (पॉज़), लय, बैठने-खड़े होने के तरीके (पोस्चर), इशारों, हरकत और चेहरे के भावों से भी पता चलता है। नसीरुद्दीन शाह की इन परफॉर्मेंस वाले तत्वों पर महारत उन्हें उनके कई समकालीनों से अलग बनाती है।

समानांतर सिनेमा में, डायलॉग आम तौर पर कम और स्वाभाविक होते हैं। शाह बनावटी ज़ोर देने से बचते हैं, जिससे बातचीत किरदार और स्थिति से स्वाभाविक रूप से निकलती है। अक्सर रुकने (पॉज़) का मतलब भी बोले गए शब्दों जितना ही गहरा होता है। खामोशी एक असरदार ज़रिया बन जाती है, जो अनिश्चितता, भावनात्मक उलझन या नैतिक सोच को दिखाती है।

उदाहरण के लिए, 'मंथन' में शाह का बैठने-खड़े होने का तरीका, हरकत और ग्रामीण समुदायों के साथ बातचीत अपनापन और सामाजिक जुड़ाव दिखाती है। 'पार' में शारीरिक थकान किरदार को गढ़ने का एक अहम हिस्सा बन जाती है, जिसमें शारीरिक हरकतें डायलॉग से ज़्यादा असरदार ढंग से मुश्किलों को दिखाती हैं।

व्यवसायिक सिनेमा में परफॉर्मेंस में ज़्यादा लचीलेपन की ज़रूरत होती है। एक्शन, थ्रिलर और कॉमेडी जैसी शैलियों में अक्सर तेज़ आवाज़, बातचीत की तेज़ लय और ज़्यादा ज़ोरदार शारीरिक हरकत की ज़रूरत होती है। 'सरफरोश' में डायलॉग डिलीवरी रणनीतिक और बौद्धिक हो जाती है। शांत और नपे-तुले लहजे से किरदार का दबदबा और वैचारिक पक्कापन बढ़ता है। इसके उलट, 'इश्किया' बातचीत के दौरान रुकने, आवाज़ में हल्के उतार-चढ़ाव और चेहरे के भावों के ज़रिए बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग दिखाता है।

'वेलकम बैक' में शाह अपनी खास एक्टिंग शैली से समझौता किए बिना कई कलाकारों वाली कॉमेडी में हिस्सा लेकर अपनी अनुकूलन क्षमता दिखाते हैं। बहुत ज़्यादा व्यवसायिक कहानियों में भी, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा नाटकीय होने के बजाय नियंत्रित और किरदार के हिसाब से होती है।

तुलनात्मक विश्लेषण से पता चलता है कि शाह डायलॉग और हरकत का इस्तेमाल सजावटी परफॉर्मेंस तकनीकों के बजाय अर्थ समझाने वाले साधनों के तौर पर करते हैं। सिनेमाई संदर्भ के अनुसार आवाज़ और शारीरिक व्यवहार को ढालने की उनकी क्षमता उनकी परफॉर्मेंस की विश्वसनीयता में काफी योगदान देती है।

7.7 वैचारिक प्रतिनिधित्व: सिनेमा, समाज और पहचान के बीच तालमेल

सिनेमा सिर्फ़ मनोरंजन का ज़रिया नहीं है, बल्कि यह विचारधारा को बनाने और फैलाने का एक मज़बूत मंच भी है। कहानियों, किरदारों और अभिनय के ज़रिए फ़िल्में क्लास, जेंडर, सत्ता, नैतिकता और राष्ट्रीय पहचान के बारे में लोगों की समझ को आकार देती हैं। स्टुअर्ट हॉल (1997) के अनुसार प्रतिनिधित्व एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसके ज़रिए अर्थ गढ़े जाते हैं, न कि वे बस दिखाए जाते हैं।

समानांतर सिनेमा में, शाह के किरदार अक्सर हाशिए पर मौजूद लोगों की आवाज़ उठाते हैं और सत्ता के दबदबे वाले ढांचों को चुनौती देते हैं। 'मंथन', 'आक्रोश', 'पार' और 'निशांत' जैसी फ़िल्में जातिगत उत्पीड़न, ग्रामीण शोषण, सामंती सत्ता, सामाजिक असमानता और संस्थागत अन्याय जैसे मुद्दों को उठाती हैं। ये कहानियाँ नैतिकता के सरल और दो-टूक फ़ैसले पेश करने के बजाय दर्शकों को भारतीय समाज में मौजूद ढांचागत असमानताओं की आलोचनात्मक जाँच करने के लिए प्रेरित करती हैं।

शाह का अभिनय संयम और मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद के ज़रिए इन वैचारिक हस्तक्षेपों को मज़बूत करता है। उनके किरदार शायद ही कभी नायक या रक्षक की भूमिका निभाते हैं; इसके बजाय, वे आम लोगों द्वारा महसूस की जाने वाली कमज़ोरियों, विरोधाभासों और नैतिक दुविधाओं को दर्शाते हैं। नतीजतन, विचारधारा भाषणों या साफ़-साफ़ राजनीतिक संदेशों के ज़रिए नहीं, बल्कि वास्तविक अनुभवों और रोज़मर्रा के संघर्षों के ज़रिए उभरती है।

इसके विपरीत, व्यवसायिक सिनेमा दर्शकों की व्यापक उम्मीदों और बाज़ार की ज़रूरतों के दायरे में काम करता है। वैचारिक मुद्दे अक्सर एक्शन, क्राइम, थ्रिलर या कॉमेडी जैसी शैलियों में शामिल होते हैं। फिर भी, शाह का अभिनय अक्सर उन किरदारों में जटिलता लाता है जो अन्यथा पारंपरिक बने रह सकते थे।

उदाहरण के लिए, 'सरफ़रोश' राष्ट्रवाद, आतंकवाद, सांस्कृतिक पहचान और सीमा-पार संघर्ष के सवालों से जुड़ती है। शाह द्वारा निभाया गया गुलफ़ाम हसन का किरदार एक पढ़े-लिखे, सभ्य और भावनात्मक रूप से कई परतों वाले विलेन के तौर पर पेश किया जाता है, जिससे वह घिसे-पिटे विलेन वाली छवि से बचता है। उनका अभिनय दर्शकों को संघर्ष को सरल विरोधों में सीमित करने के बजाय पहचान, वफ़ादारी और राजनीतिक हिंसा की वैचारिक जटिलता पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है।

इसी तरह, 'इश्क़िया' लालच, मर्दानगी, इच्छा, धोखे और अस्तित्व की लड़ाई जैसे विषयों को खंगालती है। हालाँकि इसे क्राइम-कॉमेडी के ढांचे में पेश किया गया है, लेकिन शाह का किरदार भरोसे, नैतिकता और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से जुड़ी व्यापक सामाजिक चिंताओं को दर्शाता है। यहाँ तक कि 'वेलकम बैक' में भी, जहाँ कहानी के ढांचे में कॉमेडी हावी रहती है, उनका अभिनय दिखाता है कि कैसे सत्ता, मर्दानगी और सामाजिक रुतबा किरदारों के रिश्तों को आकार देते रहते हैं।

8. मुख्य परिणाम

तुलनात्मक विश्लेषण से कई महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं:

i. विविधता के बीच निरंतरता

दो बिल्कुल अलग तरह की सिनेमाई परंपराओं में काम करने के बावजूद, नसीरुद्दीन शाह ने स्वाभाविक अभिनय के

प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बहुत अच्छे से बनाए रखा है। उनके अभिनय की खासियत है मनोवैज्ञानिक सच्चाई, भावनाओं पर नियंत्रण और इंसानी व्यवहार की बारीकी से समझ।

ii. पूरी तरह बदलने के बजाय ढलना

अभिनय की बिल्कुल अलग शैलियों को अपनाने के बजाय, शाह फिल्म की शैली (जॉनर) के हिसाब से अपने अभिनय की तीव्रता और प्रस्तुति में बदलाव करते हैं। कहानी की अलग-अलग ज़रूरतों को पूरा करते हुए भी उनकी कलात्मक सोच मूल रूप से एक जैसी बनी रहती है।

iii. स्क्रीन पर अलग-अलग तरह की छवि बनाना

समानांतर सिनेमा में शाह की स्क्रीन छवि यथार्थवाद, बौद्धिक गहराई, सामाजिक चेतना और नैतिक दुविधाओं के इर्द-गिर्द बनती है। व्यवसायिक सिनेमा में यथार्थवाद को पूरी तरह छोड़े बिना विविधता, करिश्मा, अधिकार और दर्शकों को जोड़े रखने पर ज़ोर दिया जाता है।

iv. जटिल चरित्र-चित्रण

दोनों तरह की सिनेमाई परंपराओं में, शाह हमेशा घिसे-पिटे या स्टीरियोटाइपिकल चरित्र-चित्रण से बचते हैं। व्यवसायिक कहानियों में भी उनके अभिनय में मनोवैज्ञानिक बारीकियां देखने को मिलती हैं, जो उनकी बेहतरीन व्याख्यात्मक क्षमता को दिखाती हैं।

v. कहानी में लचीलापन

समानांतर सिनेमा में, उनके किरदार अक्सर सामूहिक सामाजिक वास्तविकताओं के प्रतिनिधि के तौर पर काम करते हैं। व्यवसायिक सिनेमा में, वे कहानी को आगे बढ़ाने, मनोरंजन और शैली को आगे ले जाने का काम करते हैं।

vi. संवाद के माध्यम के रूप में अभिनय

यह अध्ययन दिखाता है कि अभिनय को संवाद अदायगी, बॉडी लैंग्वेज, भावनाओं की अभिव्यक्ति, खामोशी और दृश्य प्रस्तुति से जुड़ी एक संवाद प्रक्रिया के रूप में समझा जाना चाहिए। शाह का अभिनय दिखाता है कि अभिनेता, चरित्र और कहानी के बीच सूक्ष्म तालमेल से सिनेमाई अर्थ कैसे उभरता है।

vii. भारतीय सिनेमा में योगदान

नसीरुद्दीन शाह का करियर आर्ट सिनेमा और व्यवसायिक सिनेमा के बीच पारंपरिक अंतर को चुनौती देता है। उनका अभिनय दिखाता है कि कलात्मक ईमानदारी और आम लोगों तक पहुंच एक साथ हो सकते हैं, जिससे भारतीय सिनेमा में अभिनय की संभावनाएं बढ़ती हैं।

9. निष्कर्ष

चुनिंदा फ़िल्मों में नसीरुद्दीन शाह के अभिनय का तुलनात्मक विश्लेषण यह दिखाता है कि भारतीय सिनेमा में उनका महत्व केवल बेहतरीन अभिनय क्षमता तक ही सीमित नहीं है। उनका करियर समानांतर सिनेमा और व्यवसायिक हिंदी सिनेमा के बीच एक अनोखा संगम है, जिससे यह समझने का मौका मिलता है कि अलग-अलग तरह की फ़िल्मी परंपराओं

में स्क्रीन पर उनकी छवि, अभिनय और किरदारों को गढ़ने का तरीका कैसे विकसित होता है।

अध्ययन से पता चलता है कि समानांतर सिनेमा शाह को एक ऐसे कलाकार के तौर पर पेश करता है जो मानसिक रूप से जटिल और सामाजिक मुद्दों से जुड़ा हुआ है; उनके किरदार असलियत, नैतिक दुविधा और संस्थागत आलोचना को दर्शाते हैं। उनका संयमित अभिनय, भावनाओं का नियंत्रित इज़हार और सहज बॉडी लैंग्वेज यथार्थवादी फ़िल्म निर्माण के सौंदर्य सिद्धांतों से मेल खाते हैं। ये अभिनय दर्शकों को फ़िल्म के अर्थ को केवल ग्रहण करने के बजाय उसकी व्याख्या करने के लिए प्रेरित करते हैं।

व्यवसायिक हिंदी सिनेमा की औद्योगिक और कहानी कहने की उम्मीदें अलग होती हैं। यहाँ, शाह एक्शन, क्राइम, थ्रिलर और कॉमेडी जैसी शैलियों में यथार्थवाद को शामिल करके अद्भुत अनुकूलन क्षमता दिखाते हैं। उनके किरदार कहानी में ज़्यादा दिखाई देते हैं, शैली के हिसाब से लचीले होते हैं और दर्शकों तक आसानी से पहुँचते हैं, साथ ही वे भावनात्मक सच्चाई और मानसिक गहराई भी बनाए रखते हैं। अपनी कलात्मक ईमानदारी से समझौता किए बिना फ़िल्म निर्माण के अलग-अलग तौर-तरीकों को अपनाने की यह क्षमता उनके करियर की एक अहम विशेषता है।

खास बात यह है कि यह शोध बताती है कि शाह की स्क्रीन पर्सनैलिटी न तो फिक्स्ड है और न ही बिखरी हुई। बल्कि, यह सिनेमाई रूप, इंडस्ट्री के माहौल और सांस्कृतिक चर्चाओं के बीच लगातार बातचीत से विकसित होती है। रिचर्ड डायर की 'स्टार थ्योरी' यह समझने में मदद करती है कि कैसे बार-बार दिखने वाली परफॉर्मेंस की खूबियां, किरदारों और जॉनर में बदलाव के बावजूद एक जैसी पब्लिक इमेज बनाती हैं। इसी तरह, 'परफॉर्मेंस थ्योरी' और 'रिप्रेजेंटेशन थ्योरी' यह दिखाती हैं कि एक्टिंग एक कलात्मक प्रैक्टिस और बातचीत का ज़रिया, दोनों है, जिसके ज़रिए सिनेमा सामाजिक अर्थ बनाता है।

यह शोध भारतीय फिल्म स्कॉलरशिप में तीन अहम तरीकों से योगदान देती है। पहला, यह कई सिनेमाई परंपराओं में किसी एक्टर की परफॉर्मेंस का एनालिसिस करने के लिए एक व्यवस्थित तुलनात्मक ढांचा देती है। दूसरा, यह सिर्फ़ सेलिब्रिटी के बजाय स्क्रीन पर्सनैलिटी पर ज़ोर देकर भारतीय सिनेमा के संदर्भ में 'स्टार थ्योरी' के इस्तेमाल का दायरा बढ़ाती है। तीसरा, यह मीडिया और कम्युनिकेशन शोध में एक एनालिटिकल अप्रोच के तौर पर परफॉर्मेंस शोध ज़ की अहमियत को उजागर करती है।

इसके नतीजों का भारतीय सिनेमा को समझने के लिए व्यापक महत्व भी है। ये बताते हैं कि समानांतर और व्यवसायिक सिनेमा के बीच पारंपरिक बंटवारे को पूरी तरह से विरोधी नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि इसे एक ऐसे गतिशील क्रम के रूप में देखा जाना चाहिए जिसमें एक्टर्स अलग-अलग कलात्मक और इंडस्ट्री से जुड़ी उम्मीदों के बीच तालमेल बिठाते हैं। नसीरुद्दीन शाह का करियर दिखाता है कि परफॉर्मेंस एक ही समय में यथार्थवाद, मनोरंजन, बौद्धिक गहराई और लोगों के बीच लोकप्रियता हासिल कर सकती है।

भविष्य की शोध में इस तुलनात्मक ढांचे को ओम पुरी, शबाना आज़मी, स्मिता पाटिल, इरफ़ान खान, मनोज बाजपेयी और पंकज कपूर जैसे अन्य कलाकारों तक बढ़ाया जा सकता है। क्षेत्रीय सिनेमा, डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म या ट्रांसनेशनल प्रोडक्शंस से जुड़ी तुलनात्मक शोध ज़, समकालीन भारतीय विज़ुअल कल्चर में स्क्रीन पर्सोना और परफ़ॉर्मेंस की समझ को और बेहतर बनाएंगी।

आखिरकार, नसीरुद्दीन शाह का अहम योगदान सिर्फ़ उनके निभाए यादगार किरदारों की संख्या में ही नहीं, बल्कि

अभिनेता, किरदार और सिनेमाई परंपरा के बीच के रिश्ते को नए सिरे से परिभाषित करने की उनकी क्षमता में भी है। उनकी परफ़ॉर्मेंस यह साबित करती रहती हैं कि सार्थक अभिनय जॉनर की सीमाओं से परे होता है और सिनेमा की संवाद क्षमता के केंद्र में बना रहता है।

संदर्भ

1. Bazin, A. (2005). What Is Cinema? University of California Press.
2. Bordwell, D. (1985). Narration in the Fiction Film. University of Wisconsin Press.
3. Bordwell, D., & Thompson, K. (2019). Film Art: An Introduction (12th ed.). McGraw-Hill.
4. Dwyer, R. (2006). Filming the Gods: Religion and Indian Cinema. Routledge.
5. Dyer, R. (1979). Stars. British Film Institute.
6. Dyer, R. (1998). Stars (2nd ed.). British Film Institute.
7. Ganti, T. (2012). Producing Bollywood: Inside the Contemporary Hindi Film Industry. Duke University Press.
8. Hall, S. (1997). Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. Sage.
9. Mishra, V. (2002). Bollywood Cinema: Temples of Desire. Routledge.
10. Naremore, J. (1988). Acting in the Cinema. University of California Press.
11. Prasad, M. M. (1998). Ideology of the Hindi Film: A Historical Construction. Oxford University Press.
12. Rajadhyaksha, A., & Willemen, P. (1999). Encyclopaedia of Indian Cinema (2nd ed.). Oxford University Press.
13. Raghavendra, M. K. (2008). Seduced by the Familiar: Narration and Meaning in Indian Popular Cinema. Oxford University Press.
14. Schechner, R. (2013). Performance Studies: An Introduction (3rd ed.). Routledge.
15. Shah, N. (2014). And Then One Day: A Memoir. Hamish Hamilton.
16. Vasudevan, R. (Ed.). (2000). Making Meaning in Indian Cinema. Oxford University Press.
17. डॉ राघवेन्द्र दीक्षित,
18. शिक्षण सहायक,
19. भास्कर जनसंचार एवं पत्रकारिता संस्थान,
20. बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

निराला का साहित्यिक वैविध्य

डॉ. कमलेश कुमार मौर्य
सहायक प्राध्यापक, हिंदी, शासकीय कला महाविद्यालय, पनागर, जबलपुर

सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' हिन्दी साहित्य के उन साहित्यकारों अग्रणीय हैं, जिनके उपकृत्यों ने हिन्दी साहित्य को काफी दूर तक गौरवान्वित किया है। हिन्दी साहित्य में निराला का पदार्पण क्रांति का ऐसा बिगुल है, जिसने हिन्दी साहित्य की दिशा और दशा दोनों ही बदल दी। आज के अधिकाधिक साहित्यकारों का भाग्य कहीं न कहीं निराला से जुड़ा हुआ है। निराला जी मुक्तछंद रूपी ऐसा गुरु मंत्र अपने बाद के साहित्यकारों को दे गए है। जो आज हिन्दी कविता का भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों बना बैठा है। जिस पर चलकर आज हिन्दी कवि और कविता दोनों ही अपने भाग्य पर इतराते नहीं बन रहे हैं। कैसी विडम्बना है जिस कवि और उसकी कविता (मुक्त छन्द की कविताएँ) को पागल का प्रलाप कहा गया, उसके छंदों को रबड़ तथा केचुआ छंद कहकर उसका मजाक उड़ाया गया, हँसी का पात्र समझा गया, आज वहीं हिन्दी का भाग्य विधाता बना बैठा है। कहां है आज छन्दबद्ध रचनाएं?, कहाँ है वह छंदों का जाल ?, कहाँ हैं छंदों पर काव्य प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाले कविगण ?, आाज छंदबद्ध रचनाएं कितनी लिखी जा रही हैं? आज की कविता तो निरालामय है, और कवि निराला।

निराला विद्रोही चेतना के ऐसे साहित्यकार है जो हर प्रकार की रूढ़ि और परम्परावादिता का विरोध करते हैं। वे तो स्वच्छन्द प्रवाह के कवि हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का बंधन स्वीकार्य नहीं। जानकीवल्लभम शास्त्री लिखते हैं- "जिन कवियों ने हिन्दी को पुरानी रूढ़ियों के बंधन से मुक्त किया है और उसे अपने आस-पास की दुनिया को अपनी आँखों से देखने की दृष्टि प्रतिष्ठित की है, उनमें निराला जी अग्रगण्य हैं।"१ निराला जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार है। उनके सम्पूर्ण कृतित्व में एक विद्रोही, क्रांतिकारी, युग प्रवर्तक लेखक मुखरित हुआ है। उनके साहित्य में हमें ऐसी मानवता के दर्शन होते हैं जिसे काल-विशेष, राष्ट्र-विशेष और जाति-विशेष की सीमाओं में बाँधा नहीं जा सकता। निराला मानवता के ऐसे साहित्यकार हैं। जिन्होंने साहित्य और मानवता पर स्वयं को सदैव न्योछावर किया है। निराला जी ने कभी भी अपने साहित्य को अपने जीने का साधन नहीं बनाया, बल्कि अपना सम्पूर्ण जीवन ही वाग्देवी के चरणों में निष्काम भाव से समर्पित किया है। एक बार किसी सम्पादक से उन्होंने कहा था "साहित्य मेरे जीवन का उद्देश्य है, जीने का नहीं। यह सच है कि मैं जीता भी अपने साहित्य में हूँ, किन्तु वह मेरे जीने का साधन मात्र नहीं।"२ निराला ने कभी भी अपनी कला से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया। कभी भी अपनी कला को नीचे गिराकर पैसा कमाने की नहीं सोची। यद्यपि निराला एक विद्रोही कवि के रूप में जाने जाते हैं पर वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार हैं। जिसने हिन्दी की उपलब्ध सभी विधाओं में लिखा और खूब लिखा, जो किसी भी मायने में विधा विशेषज्ञ साहित्यकारों के लेखन से उन्नीस नहीं है। उनकी इस बहुमुखी प्रतिभा पर विचार व्यक्त करते हुए सुधाकर पाण्डेय ने निराला साहित्य-सन्दर्भ में लिखा है- "महाकवि निराला आधुनिक हिन्दी साहित्य के युग प्रवर्तक कवि, निबंधकार, कहानीकार, उपन्यासकार रेखाचित्रकार और पत्रकार के रूप में विरस्मरणीय रहेंगे। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व महान था। उनकी प्रतिभा का वरदान पाकर हिन्दी साहित्य गर्योन्नत हुआ है। उनके बहुमुखी कृतित्व और अदम्य व्यक्तित्व को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि 'तं वेधा विदधे नूनं महाभूत समाधिना'।"३ आचार्य नलिन

विलोचन शर्मा लिखते है- "निराला जी जानसन की तरह कर्मठ और अध्यावसायी, लार्डवायस से उद्धृत प्रलोचक? कीट्स और टैगोर की तरह सुकवि और टालस्टाय, ह्यूगो और शॉ की तरह निर्भीक क्रांतिकारी औपन्यासिक हैं।"

हिन्दी साहित्य में निराला का पदार्पण कवि के रूप में होता है। वे छायावादी कविता के चतुष्ट्य रचनाकारों में से एक है, और सर्वाधिक महत्वपूर्ण भी,– "छायावाद के अभिमन्यु थे निराला लेकिन इस अन्तर के साथ कि चक्रव्यूह भेदने के बाद वे पराजित नहीं हुए" और इस अपराजेय निराला ने अपनी साहित्यिक प्रतिभा के बलबूते हिन्दी साहित्य में क्रान्ति पैदा कर दी । तत्कालीन हिन्दी साहित्य की प्रचलित रूढ़ियों और परम्पराओं को तोड़ते हुए निराला जी ने अपनी काव्य रचनाओं के माध्यम से हिंदी कविता को विविध आयाम प्रदान किए। उनके काव्य लेखन की भाव भूमि काफी विस्तृत है, रचनाओं के चयन में विविधता है। उसमें प्रकृति के पौरुष रुप, कोमल रुप, प्रेरक रुप के साथ ही प्रकृति का मानोग्राही चित्रों को प्रस्तुत किया गया है। उसमें प्रेम और सौंदर्य, देशभक्ति, जनसाधारण के प्रति अपार श्रद्धा, स्नेह और करुणा का भाव, अतीत के महामानवों की स्फूर्तिप्रद जीवन गाथा, वेदांतपरक भावचित्र, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक विकृतियों पर व्यंग्योक्ति आदि, उनकी कविताओं के वर्ण विषय रहे हैं। जहां एक ओर उन्होंने संध्या सुंदरी, वसंत आया, बादल राग, बनबेला आदि कविताओं में प्रकृति के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त किया है। वहीं दूसरी ओर 'तोड़ती पत्थर', 'दीन' और 'भिक्षुक, जैसी रचनाओं में पद्दलितों का बड़ा ही मर्मस्पर्शी चित्रण किया है। एक ओर 'प्रेयसी' के चित्रण में उन्होंने सौंदर्य और प्रेम भावना को चरम सीमा तक पहुंचा दिया है। तो 'कुकुरमुत्ता' के माध्यम से शोषकों की धज्जियां उड़ा दी है। दूसरी तरफ 'राम की शक्ति पूजा', 'शिवाजी का पत्र' आदि कविताओं में आख्यानबद्ध नाटकीयता का प्राधान्य है, तो 'गरम पकौड़ी' में ठेठ यथार्थवादिता का।

निराला एक विद्रोही एवं क्रांतिकारी चेतना के साहित्यकार है। वे हर प्रकार की रूढ़ि और परंपरावादिता का विरोध करते हैं। यह उनकी कविताओं में भाव, भाषा, छंद आदि प्रत्येक स्तर पर देखा जा सकता है। इन्होंने रीतिकालीन कवियों के छंदों की एकंगिकता और विचारों की संक्रिणता का खुलकर विरोध किया। छंद संबंधी प्राचीन मान्यताओं में आमूल-चूल परिवर्तन कर निराला जी ने हिंदी काव्य में मुक्तछंद का श्री गणेश किया। उनका मानना था कि "मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति कर्मो के बंधन से छुटकारा पाना है, कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है।" मुक्त छंद को परिभाषित करते हुए उन्होंने लिखा-

"मुक्त छंद,

सहज प्रकाशन वह मन का

निजी भावोंका अप्रकट अकृतिमचित्र"

निराला जी ने काव्य में युगांतरकारी परिवर्तन लाते हुए मुक्तछंद में अबाध गति से कविताएं लिखी। मुक्त छंद में लिखी गई कविताओं के लिए निराला जी को आलोचकों के मुखर विरोध का सामना भी करना पड़ा। उनके छंदों को रबर और केंचुआ छंद कहकर पुकारा गया। उन पर तरह-तरह के व्यंग किए गए।

"पिंगल जाल भावशत्रु है, इनको गोली मार।

करो धड़ाधड़ खड़ में, कविता का विस्तार।"४

लेकिन निराला जी विचलित होने वाले जीव न थे, निडरता से डटे रहे। सहृदय पाठकों के सम्मुख सम्मेलनों में मुक्तछंद वाली कविताएं सुना कर उन्हें मंत्र मुग्ध कर देते थे, उनका स्पष्ट मानना था कि मुक्त काव्य कभी साहित्य के लिए अनर्थकारी नहीं हो सकता, बल्कि उससे साहित्य में एक प्रकार की स्वाधीन चेतन फैलती है, जो साहित्य के कल्याण के मूल में है। उन्होंने हिंदी में नवीन प्रकार के साहित्य की रचना का मार्ग प्रशस्त किया। निराला जी की छायावादी कविताओं को मुक्तछंद की संज्ञा दी गयी और इन्हें मजाक का पात्र समझा गया, लेकिन कुछ ऐसे भी साहित्यकार थे जो निराला जी की कविता में समाहित दूरदर्शिता को देख और समझ रहे थे। महापंडित राहुल सांकृत्यायन लिखते हैं- आज निराला को न मानने वाला नास्तिक समझा जायेगा। आने वाली पीढ़ियां इस महान कलाकार की प्रतिमा के बारे में कितनी ही कल्पनाए करेगी, किन्तु वह उसके सरल, निष्कपट, उदार, जीवन की झौंकी कहाँ पा सकेंगी। निराला जैसी विभूति दुर्लभ है। उनकी साहित्यिक प्रतिभा की भांति उनकी महानता भी साधारण मापदण्ड के बाहर की चीज हैं।"५ निराला जी के काव्य साहित्य पर विचार करते हुए आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री लिखते हैं- "निराला में जो क्रांति का स्वर है, वह रविन्द्र में नहीं है. जागो फिर एक बार, बादल राग, निराला की अपनी चीज हैं…... वे भारतीय नवजागरण के अन्यतम कवि थे। उनका काव्य राष्ट्रोन्नति के लिए महत्वपूर्ण है... निराला जी की तरह अनेक रसों और भाव स्तरों की काव्य सृष्टि इस युग में किसी ने नहीं की है।"६ निराला जी हिन्दी साहित्य के युग प्रवर्तक कवि हैं।

जैसा कि हम पहले भी कह आये हैं निराला बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार हैं। उन्होंने लगभग हिन्दी की सभी विधाओं में साहित्य रचना की है- उनका निबंधकार रूप भी काफी प्रखर रहा है। इनके निबंध काफी वैविध्य पूर्ण है। इनमें साहित्य की विवेचना है। कला की व्याख्या है। साहित्य के अंगों का निरूपण किया गया है। भाषा तथा साहित्य सम्बन्धी प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। साहित्य का आदर्श, साहित्य का विकास, हमारा वर्तमान काव्य, साहित्य और जनता, समस्या मूलक साहित्य, साहित्य का चरित्र आदि निबंधों में अपने साहित्य संबंधी मान्यताओं और उससे संबंधित प्रश्नों पर निराला जी यहां गहनता से विचार करते हैं। साहित्य में सत्य की प्रतिष्ठा का महत्व प्रतिपादित करते हुए उन्होंने लिखा- "सत्य वहीं है जो मनुष्य मात्र में है। ज्ञान में हिंदू- मुसलमान नहीं। विस्तार ही जीवन है। फैलकर अपनी प्रतिभा, कर्म, अध्ययन, उदारता से समस्त ब्रह्मांड को अपनाना चाहिए। साहित्यिक उत्कर्ष और मुक्ति का यही मार्ग है।"७ उपर्युक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि निराला जी साहित्य में पूर्णता और सत्य को स्थापित करना चाहते हैं। यह सत्य और पूर्णता ही मनुष्य का यथार्थ है। इस मनुष्यता का दायरा इतना बड़ा है कि देश और काल की सीमाओं से उत्पन्न सारे भेद यहां समाप्त हो जाते हैं। निराला जी अपने विचारों को विस्तार देते हुए आगे लिखते हैं- "काव्य कला ही सौंदर्य है वह केवल वर्ण, शब्द, छंद, रस, अलंकार या ध्वनि के पृथक सौंदर्य में सीमित नहीं हो सकती। उसका सौंदर्य इन सभी के सामंजस्य में है। जैसे फूल की पूरी कला के लिए जड़, तना, डाल, पल्लव और रंग-रेणु आवश्यक है।"८ प्रायः सभी कलाओं के लिए पूर्ण मूर्ति आवश्यक होती है। अप्रतिहत मूर्ति-प्रेम ही कला की जन्मदातरी है। जो भावना पूर्ण सर्वांग सुंदर मूर्ति खींचने में जितना सिद्धहस्त है वह उतना ही बड़ा कलाकार है।

निराला के सस्मरण, रेखाचित्र, संवाद, इन्टरव्यू आदि विधाओं में लिखी गई रचनाओं को भी निबंधों के अन्तर्गत ही समाविष्ट किया जा सकता है। ये निबंध तत्कालीन समय में किसी योजना को आधार बनाकर नहीं लिखे गये थे। ये अलग बात है कि आज सभी साहित्य की अलग-अलग विधाएँ है। गद्य विधाओं की मर्यादा के अनुसार इन्हें उपरोक्त विधाओं में विभाजित भी किया जा सकता है। निराला के निबंधों में साहित्यकार की प्रतिष्ठा और सामाजिक रूढ़ियों का तिरस्कार है। इनके निबंधों में हिन्दी भाषा का प्रबल समर्थन है। यह समर्थन इसके निबंधों मुद्दा बनकर उभरा है। हिंदी भाषा के प्रश्न पर निराला जी किसी से भी भीड़ जाते थे। 'एक बार महात्मा गांधी जी ने अपने भाषण में कहा था, कि हिन्दी में कोई बड़ा

लेखक नहीं है। जब निराला जी ने यह सुना तो तुरन्त गांधी जी से मिलने जा पहुंचे। गांधी जी से जब उनका साक्षात्कार हुआ, तो प्रथम प्रश्न निराला ने यही पूछा की उन्होंने हिन्दी के किस लेखक की रचना पढ़ीं है, उत्तर में जब गांधी जी ने हिन्दी साहित्य के प्रति अनभिज्ञता प्रकट की तो उन्होंने मुँह तोड़ उत्तर देते हुए कहा, कि तब उन्हें यह कहने का कोई अधिकार नहीं था। कि हिन्दी में कोई अच्छी रचना नहीं है।' निराला जी के निबंध मूलतः विचारात्मक है। इनमें निराला का व्यक्तित्व पूर्णता से व्यंजित हुआ है, किंतु इनमें भावचित्रात्मकता और अलंकारिकता का भी प्रधान्य कम नहीं है। इन पर छायावादी भाषा वृत्तियों का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। इन निबंधों की मुख्य विशेषता है, निराला की दृढ़ता का इनमें दृष्टिगोचर होना। उनकी निर्भीकता, मुक्तता, उनका कलानुराग, उनकी दर्शनिकता, आदि विचार मिलकर उनके चिंतन, मनन, को आकर्षक और विश्वसनीय बना देते हैं।

हिन्दी के महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचन्द को चुनौती देते हुए निराला जी ने हिन्दी कथा-साहित्य में पदार्पण किया। निराला के उपन्यास मूलतः स्वच्छन्दतावादी भावभूमि पर लिखे गये हैं। किन्तु उसमें प्रगतिशील विचार धारा के सूत्र भी बिखरे हुए हैं। उनके उपन्यास 'कुल्लीभाट' और 'बिल्लेसुर बकरिहा' में उनका सामाजिक यथार्थ की ओर स्पष्ट झुकाव लक्षित होता है, और यहीं पर आकर निराला जी प्रेमचन्द को दी गयी चुनौती को पूरा करते हुए प्रतीत होते हैं। इन उपन्यासों में निराला प्रेमचन्द से भी आगे की चीज दे गये हैं। "यदि सच पूछा जाए तो यथार्थवादी उपन्यासों में ही निराला जी की प्रतिभा अपने पूर्ण यौवन में है। यहां आकर वे प्रेमचंद की उपन्यास-कला को भी हुई अपनी चुनौती पूरा कर सके हैं।"९ यहाँ कुल्ली और बिल्लेसुर की लघुता पर दृष्टिपात ही नहीं किया गया है, बल्कि उनकी लघुता को महत्व प्रदान करते हुए स्थापित भी किया गया है। निराला का उपन्यास साहित्य काफी समृद्ध है। 'कुल्लीभाट' तथा 'बिल्लेसुर बकरिहा' हिंदी साहित्य में अपने ढंग की एक अनूठी रचना है। निराला जी ने इनकी रचना करके हिंदी साहित्य को समृद्ध करने का कार्य किया है।

निराला जी के उपन्यास और कहानियाँ एक प्रकार से सामाजिक दस्तावेज हैं। 'अप्सरा' में जहाँ वेश्याओं की समस्या को उठाया गया है। वहीं 'अलका' में जमीदारों की वासना, अत्याचार, नारी की विवशता, किसानों की निरीहता और मजदूरों का दैन्य सभी कुछ साकार हो उठा है। निराला जी अपनी प्रसिद्ध कविता "महंगू महंगा रहा" में जो विवरण देते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि वहां 'अलका' उपन्यास का गांव ही साक्षात सामने उतर आया हो -

"गांव के अधिक जन कुली या किसान है,
कुछ पुराने, परजे जैसे धोबी, तेली, बढई,
नाई, लोहार, वारी, तरकिहार, चुड़िहार,
बेहना, कुम्हार, डोम, कोरी, पासी, चमार,
गंगापुत्र, पुरोहित, महाब्राह्मण, चौकीदार....
जमीदार के वाहन।
बाकी परदेश में कौड़ियों के नौकर हैं
महाजनों की डबैल,
स्वत्व बेचकर विदेशी माल बेचनेवाले।"

वहीं 'निरूपमा' में बेकारी की समस्या, जीवन की संकीर्णता, सामाजिक रूढ़िया, ब्रह्मसमाज का उदार दृष्टिकोण, विवाह की समस्या, जमीदारों का अत्याचार आदि सभी कुछ पूरी सहृदयता के साथ दिखाया गया है। तो 'प्रभावती' ऐतिहासिक रोमांस है।

निराला की कहानियाँ कल्पना प्रधान होकर भी समाज का वास्तविक स्वरूप प्रस्तुत करती हैं। निराला के कथा-साहित्य के आरम्भिक दौर में जहाँ कल्पना-विलास, चमत्कार पूर्ण अलंकृति और किशोर स्वप्नों की रंगीनियां थीं. वहीं दूसरे दौर के कथा-साहित्य में यथार्थ जीवन की वास्तविकताएं और गहरी संवेदनाएं व्यक्त हुई हैं। वे रेखाचित्र, जीवनी और निबंध सभी को कथावस्तु में मिलाकर कथारूप के ढाँचे को तोड़ देते हैं और कथात्मक रेखाचित्र का एक घुला-मिला ढाँचा सामने रख देते हैं। उनके प्रारम्भिक कथा-साहित्य में कथानुवर्ती कल्पनातिरेक और भावातिशयता है। तो परवर्ती गद्य रचनाओं में व्यंग्यविनोद और बोलचाल की भाषा का सहज आकर्षण है। निराला जी का कथा-साहित्य उनके व्यक्तित्व की दोहरी चेतना का प्रतिनिधित्व करता है। निराला कवि हैं। स्वच्छंद है। मुक्त जीवन के अभिलाषी हैं। सामाजिक जीवन की रुढ़ीगत नैतिकता के प्रति विद्रोही हैं। उनकी कला चेतना रोमांटिक है, यह उनके व्यक्तित्व का एक पटल है। उनके व्यक्तित्व का दूसरा पटल संघर्षशील और यथार्थवादी वृत्तियों को महत्व देता है। वे क्रमशः रोमांस प्रियता से चलकर यथार्थ की ओर उन्मुख हैं। गंगा प्रसाद पांडे ने उचित ही लिखा है- "अप्सरा से अलका में और प्रभावती से निरुपमा में पहुंचते-पहुंचते निराला की कवित्तमय वृत्ति बहुत क्षीण पड़ती गई है और वह भाव कल्पना जगत को छोड़कर जीवन की सहज व्यावहारिक धरातल पर अरुढ़ हो गए हैं।"१०

'निराला जी 'रविन्द्र कविता कानन' एवं 'पंतजी और पल्लव' अपनी इन दो कृतियों के माध्यम से एक कुशल आलोचक के रूप सामने आते है। इसके अतिरिक्त उनके अनेक समीक्षात्मक निबंध है, जिनमें उनका आलोचक रूप लक्षित होता है। निराला जी एक प्रखर आलोचक हैं। निराला में कला के मर्म को समझने की अद्भुत क्षमता है। वे भाव, भाषा, छंद, लय, संगीत तथा इसके सामन्जस्य से घटित सौंदर्य सृष्टि के मूल्य और प्रभाव को लक्षित करने में प्रवीण हैं। रविन्द्र की कविता को मूल बंगला में पढ़कर उसका आश्वादन करने वालों में निराला अग्रणीय थे। रविन्द्र के काव्य सौंदर्य को उन्होंने पूर्णतः परखा है। वे उनके महत्व को सहज भाव से स्वीकार करते हुए भी उनकी दुर्बलताओं की ओर इंगित करते हैं।

पंत जी की आलोचना उन्होंने क्षुब्ध मन से की है। यहीं कारण है कि निराला सन् 1934 ई0 में पंत जी की 'ज्योत्स्ना' के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करते हुए लिखते हैं – "श्री सुमित्रानंदन पंत की ज्योत्स्ना भी मैंने देखी है। वे जैसे प्रतिभाशाली सुकुमार कवि हैं, 'ज्योत्स्ना' उनके अनुरूप ही है। काव्य और विचार दोनों का उत्कृष्ट सामन्जस्य इसमें है।"११ वहीं निराला 'पंत जी और पल्लव' में लिखते हैं "यह दोष पंत जी की तमाम कविताओं में है, और यह केवल इसलिए कि वह पंक्ति चोर हैं, भाव-भण्डार को लूटने वाले डाकू नहीं। छकने के लिए चुल्लू से ज्यादा नहीं चाहते, शायद हज्म न कर सकने का खौफ करते हैं।" आलोचक के रूप में निराला का यह असंतुलन स्थाई नहीं है। जहां कहीं भी वे स्वस्थ चित्र होकर काव्य सौंदर्य का उद्घाटन करते हैं, वहां उनका सजग संवेदनशील आलोचक मन हमें परिणाम से चकित कर देता है। गोस्वामी तुलसीदास और कवि सम्राट रविंद्रनाथ टैगोर जी की तुलना को यहां उदाहरण रूप में देखा जा सकता है- "गोस्वामी जी का काव्य-चमत्कार भक्ति के भीतर से है, वह भक्त कवि हैं। कवीन्द्र रविंद्रनाथ मानवी स्फूर्ति के भीतर से गुजरते हैं, वह केवल कवि हैं। भक्ति के भीतर से गोस्वामी तुलसीदास का जो लक्ष्य रहा, मानवीय स्फूर्ति, सौंदर्य और भावनाओं के भीतर से वही रवींद्रनाथ का। भक्तिरस से परिपल्वित लोकोत्तरान्द दायक चित्रों के खींचने में तुलसीदास अद्वितीय हैं, आपार सौंदर्य और विराट चित्रण के भीतर से काव्य और दर्शन का रंगचढ़ा चित्रांकन करते हुए सत्य के द्वार तक ले जाने में रवींद्रनाथ अद्वितीय हैं।"१३ 'कहना न होगा कि गोस्वामी तुलसीदास और रविंद्र नाथ के काव्य के केंद्रीय चेतना का यह विश्लेषण अत्यंत सटीक और सारगर्भित है। यद्यपि निराला जी ने आलोचना विधा को अपने पूर्ण मन से स्वीकार नहीं किया अन्यथा वे छायावाद के प्रमुख आलोचक होने के सभी गुण रखते थे। 'पंत जी और पल्लव' जिसने पढ़ा है। वह निराला जी की उत्तेजक और तिखि आलोचना शैली को भूल नहीं सकता। जहां कहीं भी निराला जी ने स्वस्थ मन से पंत की आलोचना

की है। वहां उनके सुझाव मार्मिक है।'१४

कवि, कहानीकार, निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक होने के साथ ही साथ निराला जी एक यशस्वी पत्रकार भी थे- उन्होंने 'समन्वय', 'मतवाला', 'रंगीला', 'सुधा आदि' पत्रिकाओं का संपादन किया है। 'मतवाला' और 'समन्वय के लिए लिखी गयी उनकी सम्पादकीय 'चाबुक' और 'कसौटी' स्तम्भों का नियमित लेखन उनके सशक्त पत्रकार होने का प्रमाण प्रस्तुत करने वाला है। सुधा' पत्रिका में लिखित उनकी सम्पादकीय टिप्पणियां उनके सामाजिक, राजनीतिक विवेक और प्रगतिशील जीवन दृष्टि के साक्षी है। इन टिप्पणियों का संबंध विविध संदर्भों से है। शायद ही जीवन का कोई ऐसा पक्ष हो जो निराला की दृष्टि में ना आया हो। 'साड़ी की महिमा', 'क्रीडा', 'जहरीला घी और तेल', 'विवाह की उम्र' जैसे सामान्य विषयों से लेकर 'इंग्लैंड और भारत का संबंध', 'समाज और मनुष्य', 'राजा और प्रजातंत्र', 'साम्राज्यवाद और सत्याग्रह', 'विज्ञान और वैज्ञानिक पत्रकला', 'राष्ट्रसंघ में रूस,' 'शिक्षादर्श पर रविंद्रनाथ', 'साहित्य तथा लेखकों का संकट,' 'हमारे हिंदू और मुसलमान', 'किसान और उसका साहित्य', 'राजनीति के लिए सामाजिक योग्यता' जैसे राजनीति, सामाज, शिक्षा और संस्कृति से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विषयों पर निराला जी ने समान अधिकार से लेखनी चलाई है।

'शिक्षा और वैज्ञानिक पत्र कला' शीर्षक टिप्पणी में निराला जी लिखते हैं- "यह निर्विवाद है कि समाचार पत्र शिक्षा के सबसे सुगम और सरल साधन है। इसके आश्रय में न व्यय अधिक है, ना विवाद की आशंका। इसके द्वारा ज्ञान की उपलब्धि में न कटुता होती है, न कठोरता, न नियंत्रण होता है न स्वातंत्र्य-हानि, न डंडे का डर रहता है, न डांट-डपटों का त्रास। ये सभी गुण पुस्तकों में भी उपस्थित रहते हैं परंतु समाचार पत्रों में पुस्तकों से अधिक विशेषता है। पुस्तक-प्राप्त ज्ञान पूराना भी पढ़ सकता है, परंतु समाचार पत्रों द्वारा उपलब्ध विद्या में यह अड़चन नहीं है।" समाचार पत्रों की उपयोगिता का यह एक सामान्य निदर्शन है। निराला ने अपनी टिप्पणियों के माध्यम से न केवल जनता को शिक्षित किया वरन उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सचेत भी किया। वे शासन के अनीति और अत्याचार का विरोध करते हैं। सामाजिक न्याय के पक्ष में आवाज उठाते हैं। समाज के सभी वर्गों, जातियों और धर्मों की एकता का संदेश देते हैं। निराला जी 'किसान और उसका साहित्य' शीर्षक टिप्पणी में लिखते हैं- "देश की सच्ची शक्ति इसी जगह है। जब तक किसानों और मजदूरों का उत्थान न होगा, तब तक सुख और शांति का केवल स्वप्न देखना है। परंतु यह कार्य जितना सीधा दिखाई देता है, इसका करण उतना ही कठिन है। यहां उन कार्यकर्ताओं का त्याग है, जो अखबारों में नाम छपवाने के भूखे नहीं, उन पक्के सिद्धांत वालों का काम है जो सत्य ही अपने गरीब भाइयों को प्यार करते हैं उन समझदारों की आवश्यकता है, जो जातिवर्ण के अज्ञान को शिक्षा की अग्नि से जल कर शुद्ध तथा समदर्शी हो गए हैं; उन सच्चरित्रों की जरूरत है जिनकी महत्ता की छाप शिक्षा लेने वालों पर पड़े। तात्पर्य यह है कि एक पत्रकार के रूप में निराला जी ने अपनी विवेकशीलता, सतर्क न्यायनिष्ठा एवं कर्मठ व्यक्तित्व तथा प्रगतिशील जीवन दृष्टि का परिचय देते हैं। उस समय प्रेमचंद जो कार्य अपने कथा-साहित्य के माध्यम से कर रहे थे वहीं कार्य निराला जी अपनी पत्रकारिता के माध्यम से कर रहे थे।"१५

हम देखते हैं कि निराला जी एक निडर और निष्ठावान पत्रकार के रूप में अपने समसामयिक दायित्वों का निर्वाह पूरी ईमानदारी से कर रहे थे। उनके पत्र एवं सम्पादकीय टिप्पणियां तत्कालीन युग तथा उसके व्यक्तित्व की प्रमाणिक झांकी प्रस्तुत करते हैं। डॉ रामविलास शर्मा ने निराला के पात्रों का संग्रह निराला की साहित्य साधना भाग- 3 के नाम से किया है।

निहितार्थ यह है कि निराला जी हिन्दी के सभी विधाओं के मर्मज्ञ साहित्यकार हैं। उसका साहित्य वैविध्य पूर्ण है। जिस सहज भाव से वे कविताएं लिखते हैं, उसी सहज भाव से कहानियां और उपन्यास भी। निबंध हो या आलोचना सभी कुछ उनकी लेखनी से उसी सहजता से प्रस्फुटित होता है। जानकी वल्लभ शास्त्री लिखते हैं- "निराला का अध्ययन बड़ा विशाल

है, परन्तु कभी उन्होंने पुराने और आधुनिक बड़े साहित्यकारों का अनुसरण नहीं किया। वे नख से शिख तक मौलिक हैं। वे किसी से हुबहू नहीं मिलते, उनका निराला उपनाम बिल्कुल सार्थक है. क्या काव्य, कथा कहानी, क्या निबंध निराला जी का व्यक्तित्व सर्वत्र ही अत्यन्त मुखर होता है। इतना उद्भूत व्यक्तित्व हिन्दी कवियों की वर्तमान दुनिया में है ही नहीं।"१६

सन्दर्भ सूची

1. महाकवि निराला- जानकीवल्लभ शास्त्री
2. निराला की साहित्य साधना भाग 2- डॉ० राम विलास शर्मा
3. निराला साहित्य सन्दर्भ- सं० सुधाकर पाण्डेय
4. क्रांतिकारी कवि निराला- बच्चन सिंह
5. 'आज' विशेषांक, निराला स्मृति अंक, 18 अक्टूबर 1961
6. महाकवि निराला- जानकीवल्लभ शास्त्री
7. निराला रचनावली भाग 5- सं० नंदकिशोर नवल
8. प्रबंध प्रतिमा- निराला
9. निराला साहित्य सन्दर्भ- सं० सुधाकर पाण्डेय
8. निराला साहित्य सन्दर्भ- सं० सुधाकर पाण्डेय
9. संस्मरणों के बीच निराला- शंकर सुल्तानपुरी
10. हिंदी-कथा-साहित्य, 1951ई.
11. सरस्वती- हीरक जयंती अंक
12. पंत जी और पल्लव- सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला,
13. निराला रचनावली भाग 5- सं० नंदकिशोर नवल
14. हिन्दी का गद्य-साहित्य (सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला') मूल्यांकन लेख, डॉ रामचंद्र तिवारी
15. हिन्दी का गद्य-साहित्य (सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला') मूल्यांकन लेख, डॉ रामचंद्र तिवारी
16. महाकवि निराला- जानकीवल्लभ शास्त्री

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लचीली अवसंरचना: भागलपुर जिले के दियारा और तटीय क्षेत्रों में PMGSY के तहत 'हरित तकनीक' का मूल्यांकन

कुमार मन्नू
शोधार्थी, ग्रामीण अर्थशास्त्र सहकारी प्रबंधन विभाग, तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर

शोध सार (Abstract)

ग्रामीण सड़क अवसंरचना किसी भी क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक एवं कृषि विकास की आधारशिला होती है। बिहार का भागलपुर जिला, विशेष रूप से इसके दियारा एवं तटीय क्षेत्र, प्रतिवर्ष बाढ़, तट कटाव एवं जलभराव जैसी प्राकृतिक चुनौतियों का सामना करते हैं, जिसके कारण पारंपरिक सड़क निर्माण तकनीकें दीर्घकालिक रूप से प्रभावी सिद्ध नहीं हो पाती हैं। इस अध्ययन का उद्देश्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के अंतर्गत उपयोग की जा रही हरित तकनीकों का तकनीकी, आर्थिक एवं पर्यावरणीय मूल्यांकन करना है।

अध्ययन में अपशिष्ट प्लास्टिक आधारित बिटुमिनस सड़कें, फ्लाई ऐश आधारित मृदा सुदृढ़ीकरण, जियोपॉलीमर कंक्रीट तथा वेटिवर (कटारा) घास आधारित बायो-इंजीनियरिंग तकनीकों का विश्लेषण किया गया है। परिणामों से स्पष्ट होता है कि ये तकनीकें न केवल सड़कों की टिकाऊपन और बाढ़ प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं, बल्कि कार्बन उत्सर्जन में कमी, अपशिष्ट प्रबंधन तथा स्थानीय संसाधनों के उपयोग को भी प्रोत्साहित करती हैं। अध्ययन यह भी इंगित करता है कि नीतिगत समन्वय की कमी, परियोजना क्रियान्वयन में विलंब तथा स्थानीय सामग्रियों के सीमित उपयोग जैसी चुनौतियाँ इनके व्यापक प्रसार में बाधक हैं।

अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि भागलपुर के दियारा क्षेत्रों में जलवायु-अनुकूल, हरित एवं आपदा-प्रतिरोधी सड़क अवसंरचना के विकास के लिए फ्लाई ऐश, अपशिष्ट प्लास्टिक एवं वेटिवर आधारित तकनीकों का व्यापक स्तर पर समावेशन आवश्यक है। इससे ग्रामीण संपर्क, कृषि विपणन, सामाजिक सेवाओं की उपलब्धता तथा क्षेत्रीय संतुलित विकास को नई गति प्राप्त होगी।

मुख्य शब्द (Keywords) बाढ़-लचीली अवसंरचना, पीएमजीएसवाई, हरित तकनीक, दियारा क्षेत्र, भागलपुर, फ्लाई ऐश, अपशिष्ट प्लास्टिक सड़क, जियोपॉलीमर कंक्रीट, वेटिवर घास, ग्रामीण संपर्कता।

प्रस्तावना एवं भौगोलिक संवेदनशीलता

सड़क अवसंरचना को किसी भी राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक विकास की जीवनरेखा माना जाता है, क्योंकि यह कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सेवाओं तक पहुँच को सुगम बनाती है। भारत जैसी एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था में, जहाँ ग्रामीण आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर है, ग्रामीण सड़कों का विकास समावेशी

संवृद्धि का मूल स्तंभ बन जाता है। इस संदर्भ में, बिहार राज्य का भागलपुर जिला अपनी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक विविधताओं के कारण एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्ययन क्षेत्र प्रस्तुत करता है। भागलपुर का एक बड़ा हिस्सा गंगा नदी के प्रवाह क्षेत्र से घिरा हुआ है, जिसके कारण इसके कछार और दियारा (नदी के बीच विकसित होने वाले बाढ़ के मैदान) क्षेत्र प्रतिवर्ष गंभीर बाढ़ और मृदा अपरदन का सामना करते हैं।

दियारा और तटीय क्षेत्रों में पारंपरिक सड़क निर्माण तकनीकों की विफलता का मुख्य कारण वहाँ की अत्यंत कमजोर उपमृदा (subgrade soil) और निरंतर जलभराव है। जब पारंपरिक डामर (bitumen) सड़कें लंबे समय तक बाढ़ के पानी में डूबी रहती हैं, तो पानी डामर और पत्थरों (aggregates) के बीच के आबंध को कमजोर कर देता है, जिससे 'स्ट्रिपिंग' (stripping) की समस्या उत्पन्न होती है और पूरी सड़क समय से पहले टूट जाती है। इस विभीषिका से निपटने के लिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के विभिन्न चरणों, विशेष रूप से उभरती प्राथमिकताओं के साथ विकसित हो रहे PMGSY-V के तहत, पर्यावरण-अनुकूल और जलवायु-उत्थानशील (climate-resilient) "हरित तकनीकों" (Green Technologies) के मूल्यांकन और व्यावहारिक अनुप्रयोग पर विशेष बल दिया जा रहा है।

पीएमजीएसवाई और बिहार में ग्रामीण विकास का अवसंरचनात्मक ढांचा

दिसंबर २००० में अपनी स्थापना के बाद से, पीएमजीएसवाई ने भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की परिभाषा को पूरी तरह से बदल दिया है। आरंभिक चरणों में इसका प्राथमिक उद्देश्य केवल बारहमासी एकल सड़क संपर्क प्रदान करना था, लेकिन समय के साथ इसके उद्देश्यों में गुणात्मक सुधार हुआ है। बिहार ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (BRRDA) और ग्रामीण कार्य विभाग (RWD) ने इस योजना के तहत राज्य के सुदूर कोनों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राज्य की कुल सड़कों में ग्रामीण सड़कों की हिस्सेदारी लगभग ८३% है, जो राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कृषि अर्थव्यवस्था को सहारा देती हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी अवसंरचना के विकास को गति देने के लिए बिहार सरकार ने एशियाई विकास बैंक (ADB) और न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) से वित्तीय साझेदारी की है। जहाँ विश्व बैंक समर्थित "बिहार ग्रामीण सड़क परियोजना" ने लगभग २,५०० किलोमीटर ग्रामीण संपर्कों के लिए जलवायु-लचीले डिजाइनों और स्थानीय सामग्रियों को अपनाने पर जोर दिया है, वहीं न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) का $६३८.१२ मिलियन का हालिया चरण-२ ऋण मुख्य मंत्री ग्राम संपर्क योजना (MMGSY) के तहत शेष छोटी बस्तियों को जोड़ने के लिए आरक्षित किया गया है।

योजना / विकास चरण	मुख्य उद्देश्य और वित्तीय संरचना	लक्षित और पूर्ण की गई सड़क लंबाई (राष्ट्रीय / राज्य)	नवीन तकनीकी और परिचालन संबंधी दृष्टिकोण
PMGSY-I (वर्ष २०००)	५००+ (मैदानी) और २५०+ (विशेष श्रेणियों) आबादी वाले असंबद्ध गांवों को बारहमासी सड़क से जोड़ना।	स्वीकृत: ८,२५,११४ किमी; पूर्ण: ७,८७,५२० किमी (दिसंबर २०२५ तक लगभग ९५% भौतिक प्रगति)।	मानक विनिर्देशों और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए त्रि-स्तरीय गुणवत्ता निगरानी प्रणाली की स्थापना।
PMGSY-II (वर्ष २०१३)	ग्रामीण परिवहन नेटवर्क की दक्षता और आर्थिक उपयोगिता बढ़ाने के लिए ५०,००० किमी मौजूदा सड़कों का उन्नयन।	स्वीकृत: ४९,८७२ किमी; पूर्ण: ४७,१६९ किमी (मार्च २०२२ तक की स्थिति)।	हरित प्रौद्योगिकियों और सड़क सुरक्षा ऑडिट को डिजाइन स्तर पर ही शामिल करने का अधिदेश।

PMGSY-III (वर्ष २०१९)	ग्रामीण कृषि बाजारों (GrAMs), माध्यमिक विद्यालयों और स्वास्थ्य केंद्रों को जोड़ने वाले मुख्य संपर्क मार्गों का सुदृढीकरण।	स्वीकृत: १,२२,३९३ किमी; पूर्ण: १,०१,६२३ किमी (दिसंबर २०२५ तक लगभग ८३% कार्य पूर्ण)।	अपशिष्ट प्लास्टिक, फुल डेप्थ रिक्लेमेशन (FDR) और कोल्ड मिक्स तकनीकों के सघन प्रयोग को बढ़ावा।
PMGSY-IV (२०२४-२९)	आबादी में वृद्धि के आधार पर नई २५,००० योग्य बस्तियों को जोड़ना; कुल स्वीकृत वित्तीय बजट ₹७०,१२५ करोड़।	देश भर में ६२,५०० किलोमीटर नई बारहमासी सड़कों का निर्माण प्रस्तावित।	जीपीएस ट्रैकिंग, जियो-टैगिंग, ई-मार्ग (e-MARG) और ऑनलाइन ओएमएमएएस (OMMAS) प्लेटफॉर्मों द्वारा वास्तविक समय डिजिटल निगरानी।
PMGSY-V (उभरती अर्थव्यवस्था)	बाढ़ प्रवण और नाजुक पारिस्थितिकी वाले क्षेत्रों में अति-लचीली और शून्य-कार्बन हरित अवसंरचना का विकास करना।	बिहार में ६०,८८२ किमी शेष ग्रामीण नेटवर्क का चरणबद्ध निर्माण (MMGSY और राज्य निधि के साथ अभिसरण)।	जलोढ़ रेत संचय का उपयोग, पूर्णतः सीमेंट-मुक्त कंक्रीट और विस्तृत आपदा जोखिम-संवेदी इंजीनियरिंग डिजाइनों का एकीकरण।

दियारा और तटीय क्षेत्रों में सड़क निर्माण की विशेष भौगोलिक चुनौतियाँ

भागलपुर जिले के दियारा क्षेत्र, जैसे पीरपैंती, बिहपुर और नवगछिया प्रखंड, बाढ़ प्रवण कोसी और गंगा नदियों की विनाशकारी धाराओं के बीच बसे हुए हैं। मानसून के दौरान ये क्षेत्र बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाते हैं। बाढ़ का पानी निकलने के बाद भी इन क्षेत्रों में सड़कों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और गहरे गड्ढों का निर्माण होता है, जिससे सामान्य परिचालन पूरी तरह बाधित हो जाता है। इन नदीय क्षेत्रों में सड़क निर्माण के मार्ग में आने वाली प्रमुख भू-तकनीकी और संरचनात्मक बाधाएँ निम्नलिखित हैं:

- **अत्यंत कमजोर उपमृदा की भार वहन क्षमता:** दियारा क्षेत्रों की उपमृदा मुख्य रूप से गैर-सामंजस्यपूर्ण (non-cohesive) गाद और नदीय रेत से बनी होती है। ऐसी संस्तर मिट्टी का प्राकृतिक कैलिफ़ोर्निया बेयरिंग रेशियो (CBR) अक्सर १\% से ३\% के बीच होता है, जिससे यह भारी वाहनों का भार सहने में सर्वथा असमर्थ हो जाती है।
- **जलभराव और आयतनात्मक संकुचन-प्रसार:** वर्षा ऋतु में पानी के रिसाव के कारण उपमृदा संतृप्त हो जाती है, जिससे उपमृदा के कण बिखर जाते हैं। सूखा पड़ने पर मिट्टी में अत्यधिक संकुचन होता है और दरारें पड़ जाती हैं, जिससे सड़क की ऊपरी कोलतार परत में दरारें (alligator cracking) और धंसाव होने लगता है।
- **तटबंधों का कटाव और एप्रोच सड़कों का बह जाना:** दियारा में नदियों की सहायक धाराओं पर बने पुलों को जोड़ने वाली 'एप्रोच सड़कें' बाढ़ के तीव्र वेग में सबसे पहले बह जाती हैं। इसके कारण करोड़ों रुपये की लागत से बने पुल अलग-थलग पड़ जाते हैं और किसान अपनी मनचाही फसलें बाजारों तक नहीं पहुँचा पाते।
- **पारंपरिक निर्माण सामग्रियों की अत्यधिक दूरी:** बिहार के मैदानी इलाकों में सड़क निर्माण के लिए उपयुक्त कड़े पत्थर उपलब्ध नहीं हैं। कंक्रीट और सब-बेस के लिए पत्थर झारखंड के पाकुड़ या अन्य राज्यों से मंगाने पड़ते हैं, जिससे परिवहन दूरी (lead distance) २००\text{ km} से ४००\text{ km} तक बढ़ जाती है, और अंततः निर्माण लागत बहुत उच्च हो जाती है।

हरित तकनीकों का तकनीकी मूल्यांकन एवं व्यावहारिक अनुप्रयोग

भौगोलिक प्रतिकूलताओं को देखते हुए, पीएमजीएसवाई के तकनीकी विनिर्देशों के तहत पारंपरिक डिजाइनों को संशोधित कर आधुनिक हरित तकनीकों को लागू किया जा रहा है। इन तकनीकों का उद्देश्य निर्माण लागत को कम करना, कार्बन उत्सर्जन घटाना और बाढ़ प्रतिरोधी संरचनाओं का निर्माण करना है।

अपशिष्ट प्लास्टिक का बिटुमिनस सड़कों में अनुप्रयोग (शुष्क प्रक्रिया)

पर्यावरण संरक्षण और डामर मार्गों के स्थायित्व को बढ़ाने के लिए एकल-उपयोग अपशिष्ट प्लास्टिक (Single-Use Waste Plastic) का बिटुमिनस मिश्रणों में अनुप्रयोग एक अत्यंत व्यवहार्य समाधान बनकर उभरा है। भारत सरकार और राज्य के ग्रामीण कार्य विभाग ने "लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान" (LSBA) के तहत एकत्रित ग्रामीण प्लास्टिक कचरे को सड़क निर्माण में उपयोग करने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

इस शुष्क प्रक्रिया (Dry Process) के तहत कतरे गए प्लास्टिक को गिट्टी के साथ मिश्रित किया जाता है :

- सर्वप्रथम, अनुपयोगी प्लास्टिक सामग्री (जैसे पॉलीथीन कैरी बैग, पीईटी बोतलें) को एकत्रित कर साफ किया जाता है और फिर उन्हें कतरन मशीन (shredder) में २.३६\text{ mm} के आकार में काटा जाता है।
- कंक्रीट मिक्सिंग प्लांट में प्राकृतिक गिट्टी (aggregates) को लगभग १६०^\circ\text{C} से १७०^\circ\text{C} के तापमान पर गर्म किया जाता है।
- इस गर्म गिट्टी में कतरे गए प्लास्टिक कचरे को शुष्क रूप में मिलाया जाता है। प्लास्टिक तुरंत पिघलकर गिट्टी के चारों ओर एक समान और अत्यंत पतली सुरक्षात्मक परत (coating) बना लेता है।
- इसके पश्चात, इस प्लास्टिक-लेपित गिट्टी में गर्म डामर मिलाया जाता है। चूंकि प्लास्टिक और बिटुमेन दोनों ही हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के पेट्रोलियम उत्पाद हैं, इसलिए इनके बीच का अंतर-आणविक आबंध (intermolecular bond) अत्यंत सुदृढ़ हो जाता है।

यह कोटिंग गिट्टी की जल अवशोषण क्षमता को शून्य कर देती है, जिससे मानसून के दौरान पानी के जमाव से होने वाली 'स्ट्रिपिंग' रुक जाती है। डामर सड़कों में प्लास्टिक मिलाने से मिश्रण की मार्शल स्थिरता (Marshall Stability) काफी बढ़ जाती है, जिससे भारी वाहनों के चलने पर भी सड़क पर टायर के निशान या पहियों के धंसने (rutting) की समस्या नहीं होती। राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार, जुलाई २०२५ तक देश में १.२४ लाख किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कें इस तकनीक और अन्य हरित विधियों से बनाई जा चुकी हैं।

जिला (बिहार)	निर्मित प्लास्टिक सड़क की लंबाई (किमी)	उपभोग किया गया अपशिष्ट प्लास्टिक (मीट्रिक टन)	डामर में प्लास्टिक का मिश्रण अनुपात	प्रमुख प्रेक्षित परिणाम एवं अवसंरचनात्मक लाभ
पूर्णिया	४.० किमी से अधिक	३.० मीट्रिक टन से अधिक	कुल डामर भार का लगभग ७%	जलभराव के प्रति असाधारण प्रतिरोधात्मकता; डामर की भारी बचत और समय-पूर्व गड्ढों के निर्माण में कमी।
खगड़िया	१.० किमी	१.० मीट्रिक टन	कुल डामर भार का लगभग ७%	दियारा क्षेत्र के लगातार दलदली होने वाले खंडों में डामर की कोटिंग का बेहतर टिकाऊपन।
औरंगाबाद	५.० किमी	३.५ मीट्रिक टन	कुल डामर भार का लगभग ७%	भारी मालवाहक गाड़ियों के आवागमन के बावजूद उच्च मार्शल स्थिरता और न्यूनतम दरारें।

फ्लाई ऐश आधारित मृदा सुदृढ़ीकरण और जियोपॉलीमर कंक्रीट

भागलपुर के कहलगांव में स्थित NTPC का २,३४० MW क्षमता का सुपर थर्मल पावर स्टेशन प्रतिवर्ष लगभग ६,००,००० मीट्रिक टन शुष्क फ्लाई ऐश उत्पन्न करता है। कोयले के दहन से प्राप्त होने वाला यह महीन पाउडर सिलिका और एलुमिना का एक प्रचुर पूज़ोलोनिक (pozzolanic) स्रोत है, जो मिट्टी की वहन क्षमता बढ़ाने के लिए सीमेंट के स्थान पर एक उत्कृष्ट विकल्प है।

जब कमजोर और कछारी चिकनी मिट्टी (clayey subgrade) में १०% से ३०% तक फ्लाई ऐश मिलाया जाता है, तो पानी की उपस्थिति में फ्लाई ऐश में मौजूद मुक्त चूना (CaO) रासायनिक क्रियाएं शुरू करता है। इन क्रियाओं को निम्नलिखित वैज्ञानिक सूत्रों द्वारा समझा जा सकता है:

यह जेल समय के साथ कठोर होकर मिट्टी के सूक्ष्म कणों के बीच के रिक्त स्थानों को भर देता है और उन्हें एक ठोस अखंड संरचना में बदल देता है, जिससे मिट्टी का सिकुड़ना और फैलना पूरी तरह नियंत्रित हो जाता है।

इसके अलावा, कहलगांव से मिलने वाले फ्लाई ऐश का उपयोग कंक्रीट सड़कों के निर्माण में भी किया जा रहा है। NTPC की तकनीकी शाखा NETRA द्वारा विकसित और हाईवे रिसर्च बोर्ड (IRC) द्वारा जनवरी २०१८ में मान्यता प्राप्त 'जियोपॉलीमर कंक्रीट' (Geopolymer Concrete - GPC) इसका प्रमुख उदाहरण है। इस कंक्रीट में सीमेंट का बिल्कुल प्रयोग नहीं होता, और पानी से तराई करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। यह केवल ७ दिनों में M40 ग्रेड जैसी अत्यधिक संपीड़न सामर्थ्य प्राप्त कर लेती है, जिससे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित यातायात बहाली में मदद मिलती है।

बायो-इंजीनियरिंग और वेटिवर (कटारा) घास तकनीक

तटीय और दियारा क्षेत्रों में बाढ़ के तेज बहाव और लहरों के थपेड़ों से सड़क के किनारे मिट्टी के तटबंध (embankments) निरंतर कटते रहते हैं। इस समस्या के जैविक समाधान के रूप में वेटिवर घास (*Chrysopogon zizanioides*) तकनीक, जिसे स्थानीय स्तर पर 'कटारा' घास के नाम से जाना जाता है, का प्रयोग किया जा रहा है। उत्तरी बिहार के मिथिलांचल और गंगा के मैदानी इलाकों में कटारा घास प्राकृतिक रूप से बहुतायत में पाई जाती है।

वेटिवर एक बारहमासी पौधा है जिसकी जड़ें अत्यधिक घनी, मजबूत और रेशेदार होती हैं, जो एक वर्ष के भीतर मिट्टी में ३\text{ मीटर} की गहराई तक लंबवत प्रवेश कर जाती हैं। यह सघन जड़ जाल मिट्टी की परतों को आपस में कसकर बांध देता है, जिससे मिट्टी की आंतरिक कतरनी सामर्थ्य (shear strength) बढ़ जाती है। सड़क के ढलान वाले तटबंधों पर वेटिवर की क्यारियां (hedges) लगाने से बाढ़ के पानी का वेग धीमा हो जाता है, जिससे मिट्टी का कटाव रुक जाता है। इसके अतिरिक्त, यह जड़ों के माध्यम से वायुमंडलीय कार्बन को लंबे समय तक जमीन के भीतर संचित (carbon sequestration) रखती है, जिससे सड़कें प्राकृतिक कार्बन सिंक की तरह काम करने लगती हैं।

नीतिगत अड़चनें, प्रशासनिक चुनौतियाँ और मूल्यांकन

यद्यपि पीएमजीएसवाई और विश्व बैंक पोषित कार्यक्रमों के तहत हरित तकनीकों की उपयोगिता प्रमाणित हो चुकी है, परंतु जमीनी स्तर पर इनके क्रियान्वयन में कई नीतिगत, प्रशासनिक और ढांचागत अड़चनें विद्यमान हैं :

- **स्थानीय सामग्रियों के प्रयोग में शिथिलता:** केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (CRRI) ने बिहार के भागलपुर और दरभंगा जिलों का विस्तृत सर्वेक्षण कर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कचरे, मिट्टी और नदीय रेत का उपयोग करने के लिए एक व्यापक डेटाबेस तैयार किया था। इसके बावजूद, ग्रामीण कार्य विभाग (RWD) के स्थानीय प्रभागों ने प्रारंभ में इन सामग्रियों का उपयोग करने के प्रस्ताव नहीं भेजे। यहाँ तक कि कंक्रीट और सब-बेस (WBM/GSB) परतों के निर्माण में स्थानीय तौर पर प्रचुर मात्रा में मिलने वाले ईंट के रोड़ों (brick-bats) और जलोढ़ रेत के उपयोग की सिफारिशों को भी लंबे समय तक अनदेखा किया गया।

- **थर्मल पावर प्लांटों के साथ समन्वय का अभाव:** कहलगांव पावर प्लांट से मिलने वाले फ्लाई ऐश का निःशुल्क परिवहन ३००\text{ km} तक सरकारी अवसंरचना निर्माण परियोजनाओं के लिए अनिवार्य है। इसके बावजूद, ठेकेदारों और अधिकारियों के बीच उचित समन्वय न होने के कारण फ्लाई ऐश का ग्रामीण सड़कों के उप-आधार परतों में वांछित स्तर पर उपयोग नहीं हो पाया है।

- **परियोजनाओं के क्रियान्वयन में अत्यधिक विलंब और अनुबंध संबंधी कमियाँ:** विश्व बैंक समर्थित बिहार ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत २,५०० किलोमीटर मार्गों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था। परंतु, विभाग की धीमी कार्यप्रणाली और भूमि विवादों के कारण परियोजना के छठे वर्ष तक केवल ५१% कार्य ही पूरा हो पाया था। इस अत्यधिक विलंब के कारण बैंक को अपनी नीतियों में संशोधन करना पड़ा। इसके तहत जलवायु संवेदनशीलता मूल्यांकन (vulnerability assessment) के दायरे को ५०० किलोमीटर कम करना पड़ा और कई महत्वपूर्ण पायलट परियोजनाएं, जैसे नए कंक्रीट पुलों का निर्माण और पुराने पुलों का रेट्रोफिटिंग कार्य, समय की कमी के कारण बीच में ही छोड़ने पड़े।

- **गुणवत्ता नियंत्रण और वित्तीय बंदीकरण की चुनौतियाँ:** पीएमजीएसवाई के दिशा-निर्देशों के अनुसार पुरानी और पूरी हो चुकी परियोजनाओं का वित्तीय और भौतिक रूप से बंद (financial closure) किया जाना आवश्यक होता है। परंतु, बिहार में सैकड़ों पुरानी पूर्ण हो चुकी सड़कों के खाते लंबे समय तक खुले रहे, जिससे नए वित्तीय आवंटन प्राप्त करने और रखरखाव के काम में कठिनाई आई। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण इलाकों में भार क्षमता से अधिक चलने वाले वाहनों (overloading) के नियमन के लिए कोई प्रभावी तंत्र नहीं है, जिससे मजबूत कंक्रीट सड़कें भी समय से पहले टूट जाती हैं।

उभरती अर्थव्यवस्था में सशक्तिकरण, आर्थिक गतिशीलता और क्षेत्रीय संतुलन

बाढ़-लचीली हरित ग्रामीण अवसंरचना का विकास केवल एक इंजीनियरिंग समाधान नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण जीवन के हर पहलू को गहराई से प्रभावित करता है :

आर्थिक गतिशीलता और कृषि सुधार

दियारा और कछारी क्षेत्रों में सड़कों के बारहमासी सुदृढ़ीकरण से परिवहन लागत में काफी गिरावट आती है। पहले जहाँ किसानों को अपनी फसलें नाव या चचरी (बाँस के अस्थाई पुल) के सहारे बाजार ले जानी पड़ती थीं, जिससे उनकी फसलें रास्ते में ही सड़ जाती थीं, अब वे पक्की सड़कों के माध्यम से अपनी उपज समय पर भागलपुर और अन्य बड़े बाजारों तक पहुँचा सकते हैं। बाढ़ सहने में सक्षम विशेष धान की किस्मों (जैसे Swarna Sub-1) और मक्के की खेती का विस्तार अब सुगम परिवहन के कारण व्यावहारिक हो गया है, जिससे किसानों की आय दोगुनी करने में मदद मिल रही है।

सामाजिक सशक्तिकरण और नागरिक सेवाएँ

जल प्रतिरोधी सड़कों के कारण मानसून के दौरान भी स्कूलों और प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों का संपर्क जिला मुख्यालय से बना रहता है। इससे विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं और वृद्धों को समय पर आपातकालीन चिकित्सा सुविधाएं मिल पाती हैं, जिससे मातृ मृत्यु दर में कमी आई है। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में "लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान" के तहत चलने वाले महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को सूखा और गीला कचरा एकत्र करने के काम में लगाया गया है। इस कचरे से प्लास्टिक को अलग कर सड़क निर्माण के लिए बेचने से ग्रामीण महिलाओं को नियमित आय प्राप्त हो रही है, जिससे उनका आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण सुनिश्चित हो रहा है।

पर्यावरण और पारिस्थितिकी संतुलन

थर्मल पावर प्लांट के फ्लाई ऐश और घरेलू प्लास्टिक कचरे के बड़े पैमाने पर उपयोग से भागलपुर जिले के संवेदनशील पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद मिली है। इसके अलावा, सुलतानगंज से कहलगांव के बीच गंगा नदी के ६० किलोमीटर लंबे प्रवाह क्षेत्र में फैला "विक्रमशिला गांगेय डॉल्फ़िन अभयारण्य" इस जिले का एक प्रमुख पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र है। तटबंधों पर वेटिवर घास और पेड़ लगाने जैसी पर्यावरण-अनुकूल हरित अवसंरचना से नदीय पारिस्थितिकी तंत्र में मानवीय हस्तक्षेप से होने वाला नुकसान काफी कम हो जाता है, जिससे दुर्लभ गांगेय डॉल्फ़िन के प्राकृतिक आवास का संरक्षण होता है।

निष्कर्ष एवं भविष्योन्मुखी अनुशंसाएँ

पीएमजीएसवाई और राज्य की अन्य सड़क विकास पहलों के तकनीकी मूल्यांकन से यह स्पष्ट होता है कि भागलपुर जिले के दियारा और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में टिकाऊ अवसंरचना के निर्माण के लिए पारंपरिक तकनीकों को पूरी तरह बदलना होगा। कचरा प्लास्टिक का डामर के साथ संमिश्रण और कहलगांव के विशाल तापीय कोयला अपशिष्ट (fly ash) का कंक्रीट सड़कों में उपयोग इस क्षेत्र को एक स्थायी और आपदा-प्रतिरोधी मार्ग प्रदान कर सकता है।

सड़कों के स्थायित्व और निवेश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित व्यावहारिक अनुशंसाओं को लागू

किया जाना चाहिए:

- **अनिवार्य हरित और नवीकरणीय कोटा का निर्धारण:** ग्रामीण कार्य विभाग को भागलपुर जिले के प्रत्येक संभाग में स्वीकृत की जाने वाली नई सड़कों की कुल लंबाई का कम से कम ३०% हिस्सा अनिवार्य रूप से फ्लाई ऐश, अपशिष्ट प्लास्टिक, या कोल्ड मिक्स जैसी हरित तकनीकों के लिए आरक्षित करना चाहिए, जिससे २०१३ की पुरानी तकनीक नीतियों के १५% के लक्ष्य को दोगुना किया जा सके।
- **मृदा सुदृढ़ीकरण के लिए स्थानीय रोड़े और रेत का उपयोग:** निर्माण लागत में कमी लाने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) स्तर पर ही झारखंड के पत्थरों के बजाय स्थानीय स्तर पर उपलब्ध ईंट के रोड़ों (brick-bats) और नदियों की तलछट से प्राप्त रेत को सब-बेस परत में उपयोग करने का कानूनी प्रावधान सुनिश्चित किया जाए, जिससे २५% तक बजटीय बचत हो सके।
- ** फ्लाई ऐश परिवहन और आपूर्ति श्रृंखला का सुदृढ़ीकरण:** NTPC कहलगांव और ग्रामीण कार्य विभाग के बीच एक एकीकृत आपूर्ति पोर्टल बनाया जाना चाहिए। इसके तहत ठेकेदारों को शून्य लागत पर फ्लाई ऐश की सुगम आपूर्ति सीधे साइट तक सुनिश्चित की जाए, और इस प्रक्रिया में होने वाले किसी भी विलंब की निगरानी त्रि-स्तरीय प्रशासनिक समिति द्वारा की जाए।
- **सड़कों के किनारे वेटिवर बायो-इंजीनियरिंग का व्यापक रोपण:** दियारा क्षेत्र में निर्मित होने वाली प्रत्येक सड़क के दोनों ओर ढलानों (sideslopes) पर कटाव रोकने के लिए कटारा (वेटिवर) घास की सघन क्यारियां लगाना अनिवार्य किया जाए, और इसके रखरखाव की जिम्मेदारी स्थानीय ग्राम पंचायतों और मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों को सौंपी जाए।
- **डेटा-आधारित आपदा योजना का उपयोग:** बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए "इंटेलेंट डेटा सोल्यूशन फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन" (IDS-DRR) के रिस्क स्कोरिंग मॉडल का उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि संवेदनशील कछारी खंडों में पहले से ही कंक्रीट पैचवर्क या जियोपॉलीमर सड़कों का चयन किया जा सके। इससे बाढ़ के पानी से घिरने पर भी सड़कें नष्ट नहीं होंगी।

संदर्भ सूची

1. भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय. (2025). **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना : 25 वर्षों की उपलब्धियाँ**. प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB), नई दिल्ली।
2. बिहार ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण (BRRDA). **ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार**. पटना: बिहार सरकार।
3. न्यू डेवलपमेंट बैंक (2024). **बिहार ग्रामीण सड़क परियोजना (चरण-II)**. शंघाई: न्यू डेवलपमेंट बैंक।
4. एशियाई विकास बैंक (2024). **बिहार सड़क परियोजना में संपर्कता एवं स्थिरता संवर्धन: जलवायु जोखिम एवं अनुकूलन मूल्यांकन**. मनीला: एशियाई विकास बैंक।
5. विश्व बैंक (2023). **बिहार ग्रामीण सड़क परियोजना (P155522)**. वाशिंगटन डी.सी.: विश्व बैंक।
6. केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-सीआरआरआई). (2024). **सतत ग्रामीण सड़कों हेतु अनुसंधान एवं विकास पहल**. नई दिल्ली।

7. एनटीपीसी लिमिटेड. (2024). **फ्लाई ऐश आधारित जियोपॉलीमर कंक्रीट सड़क निर्माण प्रौद्योगिकी**. नेट्रा तकनीकी प्रतिवेदन।

8. पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (EPA). (2022). **कोमल उपमृदा के स्थिरीकरण में क्लास-C फ्लाई ऐश का उपयोग।**

9. आइरिस पब्लिशर्स. (2024). **सतत लचीले सड़क निर्माण हेतु प्लास्टिक-लेपित एग्रीगेट्स की मार्शल स्थिरता का मूल्यांकन।**

10. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्रिएटिव रिसर्च थॉट्स (IJCRT). (2023). **प्लास्टिक मिश्रित सड़क का प्रायोगिक प्रदर्शन एवं विश्लेषण।**

11. रिसर्चगेट. (2022). **फ्लाई ऐश द्वारा प्रसारी उपमृदा का स्थिरीकरण।**

12. रिसर्चगेट. (2022). **वेटिवर पौधे द्वारा वर्षा-प्रेरित ढलान स्थिरीकरण का अध्ययन।**

13. कैनेडियन सेंटर ऑफ साइंस एंड एजुकेशन. (2024). **वेटिवर के कृषि, औद्योगिक एवं आर्थिक महत्व का अवलोकन।**

14. ओपन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टनरशिप. (2025). **बिहार एवं उत्तर प्रदेश में बाढ़ प्रबंधन हेतु डेटा-आधारित निर्णय प्रणाली का सुदृढ़ीकरण।**

15. टाइम्स ऑफ इंडिया. (2025). **बिहार में प्लास्टिक अपशिष्ट से ग्रामीण सड़कों का निर्माण।**

16. हिन्दुस्तान समाचार. (2024–2025). **बिहार के दियारा क्षेत्रों में सड़क एवं एप्रोच मार्ग निर्माण से संबंधित समाचार प्रतिवेदन।**

17. आज तक समाचार. (2024). **भागलपुर में गंगा बाढ़ एवं सड़क अवसंरचना पर उसका प्रभाव।**

18. राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास अभिकरण (NRIDA). (2022). **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वार्षिक प्रतिवेदन 2021–22**. नई दिल्ली: भारत सरकार।

19. ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार. (2025). **बिहार में सर्व मौसमीय ग्रामीण सड़क संपर्क कार्यक्रम**. पटना।

20. केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सीआरआरआई). (2024). **बिहार में स्थानीय निर्माण सामग्री एवं हरित सड़क प्रौद्योगिकी पर अध्ययन रिपोर्ट**. नई दिल्ली।

मुक्तिबोध के काव्य में जन पक्षधरता के मायने

आशुतोष सिंह
शोध छात्र, हिंदी और अन्य भारतीय भाषा विभाग, मानविकी संकाय महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

सारांश :

मुक्तिबोध की कविता का मूलतः वंचित समाज की कविता है । इसमें बहुसंख्यक शोषित और मुख्य धारा से कटे समाज को कविता के केंद्र में कवि लाता है । मुख्य रूप से मध्यवर्ग की अवसरवादिता, पूंजीपति वर्ग की मुनाफाखोर प्रवृत्ति एवं पूंजीवादी समाज के ध्वंस की बात मुक्तिबोध अपने काव्य में करते है । मेहनतकश जनता, स्त्री और वंचित समाज के कल्याण के साथ ही मुक्तिबोध दिशाहीन आम जनता के प्रति सहानुभूति रखते है । मुक्तिबोध के काव्य को समझने के लिए मार्क्सवाद के समाज दर्शन से जुड़ कर ही समझा जा सकता है । जिसमें मार्क्स पूंजीवादी समाज के ध्वंश की बात करते है तथा शोषित वर्ग को समाज की मुख्यधारा से जोड़ते हुए सामाजिक कल्याण की भावना और साम्यवाद की स्थापना करना चाहते है । छायावाद के रूमानी भावबोध और कल्पना प्रवण दृष्टि मुक्तिबोध के काव्य का विषय नहीं है । वह प्रगतिवाद के समाज दर्शन से प्रभावित प्रगतिशील चेतना की वाहक है । भाषा और शिल्प के आधार पर मुक्तिबोध ने खड़ी बोली के उसरूप को नहीं चुना जो अत्यधिक अलंकारिक और लाक्षणिक है बल्कि भाषा के उस रूप का चयन किया जो वास्तव में उनके जटिल विचारोत्तेजक भाव को अभिव्यक्त कर सके । इसके साथ ही मुक्तिबोध ने फैंटेसी का प्रयोग किया है; जो अवचेतन मन की बिम्ब को समाज से जोड़ कर उसे तार्किक आधार प्रदान करता है ।

बीज शब्द –

छायावाद, प्रगतिवाद, प्रगतिशील, मार्क्सवाद, पूंजीवाद, मध्यवर्ग, सांस्कृतिक मूल्य, समाज दर्शन, क्रांति चेतना, साम्यवाद, सामाजिक कल्याण, वर्ग, ज्ञानात्मक संवेदना, संवेदनात्मक ज्ञान

मूल आलेख :

मुक्तिबोध की आरंभिक रचनाएँ छायावादी भावधारा से प्रभावित रही है । धीरे-धीरे उनका रुझान छायावाद से प्रगतिवाद, जो मार्क्सवाद से प्रेरित है कि ओर हुआ । मुक्तिबोध ने दार्शनिक बर्गेस के 'व्यक्तिवादी स्वतंत्र क्रियामाण जीवन शक्ति के सिद्धांत' को त्यागकर 'मार्क्सवाद के यथार्थवादी' चिंतन को अपनाया । मुक्तिबोध मूलतः साहित्यकार थे, न कि राजनीतिक कार्यकर्त्ता । मार्क्सवाद से उन्होंने अपने रचनात्मक पक्ष के दृष्टिकोण के विस्तार किया । जिससे उनका साहित्य व्यापक हो सके ।

'नयी कविता का आत्मसंघर्ष एवं अन्य निबंध' पुस्तक में कविता पर उन्होंने मार्क्सवादी दृष्टिकोण से विचार किया है-"काव्य रचना केवल व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं वह एक सांस्कृतिक प्रक्रिया है । और फिर भी वह एक आत्मिक प्रयास है । उसमें जो सांस्कृतिक मूल्य परिलक्षित होते है, वे व्यक्ति की अपनी देन नहीं, समाज की या वर्ग की देन है ।" (1)

मुक्तिबोध की सामाजिक चेतना मूलतः व्यक्ति के साथ समाज के बहुसंख्यक लोगों के सरोकारों से जुड़ी है, जो अपने वर्गीय चरित्र को प्रदर्शित करती है l जो मार्क्सवाद से प्रभावित होते हुए भी कवि की संवेदना और विचारधारा के कारण भिन्नता का स्पर्श करती हैं l तारसप्तक के व्यक्तव्य में मुक्तिबोध लिखते है- "क्रमशः मेरा झुकाव मार्क्सवाद की ओर हुआ l अधिक वैज्ञानिक अधिक मूर्त और अधिक तेजस्वी दृष्टिकोण मुझे प्राप्त हुआ l"(2) मुक्तिबोध मार्क्स के ऐतिहासिक विश्लेषण, समाज दर्शन, क्रांति चेतना और उसके लक्ष्य को लेकर सृजन में प्रविष्ट हुए l मार्क्स ने समाज के विकास के इतिहास को वर्ग संघर्ष का इतिहास कहा है l समाज में दो वर्ग है- एक शोषक और दूसरा शोषित l शोषक वर्ग पूंजीपति है, जबकि कि शोषित आम जन है l मुक्तिबोध के काव्य में शोषित वर्ग के प्रति गहरी सहानुभूति है l मुक्तिबोध के काव्य नायक का स्वरूप स्पष्ट करते हुए अशोक वाजपेयी ने लिखते हैं –"मुक्तिबोध का नायक साधारण व्यक्ति है, बल्कि महानायकों के उत्थानपतन के युग में पराजित न होने वाला, हिम्मत न हारने वाला, दुनिया को बेहतर बनाने की इच्छा रखने और लगातार संघर्ष करने वाला प्रतिनायक l नायकों की चिकनी-चुपड़ी सुसंगठित व्यवस्था का प्रतिरोध करने वाली खुरदरी धूसर अराजक कविता का प्रतिनायक l पर यह प्रतिनायक व्यक्तित्व हिन् इकाई नहीं है l मुक्तिबोध की कविता में दृढ़ व्यक्तित्व है, पर अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझने, दूसरों से खुलकर मिलने और उसके साथ मिलकर संघर्ष करने वाला व्यक्तित्व l उसके अंतः करण का आयतन संक्षिप्त नहीं है l वह अपनी जिम्मेदारी और शिरकत को बेझिझक स्वीकार करता है, दूसरों पर दोषारोपण करना उसका स्वभाव नहीं है l इसलिए मुक्तिबोध की कविता गहरे नैतिक बोध से अनुप्राणित है l"(3)

मुक्तिबोध की सामाजिक दृष्टि वर्गीय चेतना एवं मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित है l वह शोषकों के प्रति आक्रोश, खीझ और घृणा का भाव संजोये है l जबकि मजदूरों, दलितों, स्त्रियों के साथ ही समाज के दबे-कुचले वर्ग के प्रति गहरी सहानुभूति रखते है l इस प्रकार से ये दोनों वर्गों के प्रति दो विरोधी भाव उनकी वर्गीय चेतना और चिंतनधारा के महत्वपूर्ण पक्ष है l इसके साथ ही मुक्तिबोध के काव्य में मध्यवर्ग की भी उपस्थिति भी है l जिससे एक तरफ जहाँ उन्हें उसकी लाचारी और विवशता पर छोभ है वही दूसरी तरफ उसके नक्कारेपन, काहिली, शोषक वर्ग के साथ उसकी भूमिका को लेकर कवि में गहरा असंतोष भी हैं l मुक्तिबोध के काव्य में मार्क्स के विचारों और मध्यवर्ग की भूमिका पर नंद किशोर नवल की टिप्पणी ध्यानदेने योग्य है-

"राजनीति के बाद मुक्तिबोध की कविता का दूसरा मुख्य विषय मध्यवर्ग है l जिसके वे स्वंय सदस्य भी थे l अन्य प्रगतिशील कवियों ने जहाँ मार्क्सवाद की प्रचलित मान्यता के अनुरूप मजदूरों और किसानों को अधिक महत्व दिया है, वहाँ उन्होंने मध्यवर्गीय बुध्दिजीवियों और दफ्तर के कर्मचारियों को l कारण यह है कि पूंजीवाद के विकास के कारण भारत में मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों और दफ्तर के कर्मचारियों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है, जिससे समाज में और सामाजिक संघर्ष में उनका महत्व भी बढ़ गया है l मुक्तिबोध ने इस बात को समझा और मध्यवर्ग को उसके दायित्व का बोध कराने का भरसक प्रयास किया l निश्चय ही यह मध्यवर्ग निम्न मध्यमवर्ग है, जिसकी मानसिकता निम्न-पूंजीवादी होती है l इसी कारण उससे आने वाले लोग पूंजीपति वर्ग की तरफ भी जाते हैं और मजदूर वर्ग की तरफ भी और राजनीतिक दृष्टि के उनमें एक अस्थिरता होती है l मुक्तिबोध का आत्मसंघर्ष भी मध्यवर्ग की देन है l"(4)

'नयी कविता और आत्मसंघर्ष एवं अन्य निबंध' पुस्तक में मुक्तिबोध मध्यवर्ग के दो रूपों की चर्चा की है जो देखने लायक है l मुक्तिबोध कहते हैं - "हिंदी में इन दिनों दो प्रकार का वर्ग काम कर रहा है l एक उच्च मध्यवर्गीय जन, दूसरे निम्न मध्यवर्गीय जन l इन दोनों के बीच खाई लगातार बढ़ती जा रही है l"(5)

कहने का आशय यह है कि मुक्तिबोध की कविता के केंद्र में मध्यवर्ग है l इस वर्ग की संख्या अधिक होने के साथ इसकी भूमिका निर्णय लेने में महत्वपूर्ण है l मुक्तिबोध की कविताओं में जन मानस की वास्तविक मनोवृत्ति विशेषकर मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी की मानसिकता को विशेष रूप से आधार बनाया है l उनकी अनेकों कविताएँ मूलतः इसी वर्ग की यथार्थ स्थिति एवं स्वभाव को चरितार्थ करती है l 'हे प्रखर सत्य दो' कविता में मध्यवर्ग की वास्तविकता का चित्रण है l जो मध्यवर्गीय मनोवृत्ति की कविता है l प्रस्तुत कविता में मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों पर तीक्ष्ण व्यंग्य किया गया है, उसके प्रति कवि के विचार निरंतर विवशता में रहते हैं-

"किन्तु सह जाते बेचारे / साक्षर उदरम्भरि ये मानव / चिंताग्रस्त रात के व्यापक सूनेपन में / दहशत भरी रूह लेकर के सुनते रहते l"(6)

कवि की दृष्टि में मध्यवर्ग की 'उदरम्भरि' ज़िन्दगी के कोई मायने नहीं है l कवि इनकी विचित्र मानसिकता पर प्रहार करता है l उन बुद्धिजीवियों मध्यवर्गीय लोगों का उल्लेख भी करता हैं जो वास्तव में शोषकों के दलाल है यही कारण है कि कवि की दृष्टि में मध्यवर्ग की उदरम्भरी ज़िन्दगी बेमानी है-

"अवसरवादी पराक्रमों के / घोर जन्तुओं में वंदनीय है / महाशोषकों को शोषण-अपराधों में रहते-सु-सहायक / उसकी या उसकी संस्थाओं के दासानुदास ये भावुक / यद्यपि बड़बड़ाते रहते अपनी शिकायतें / किन्तु बुदबुदाते शोषक के ही कुरान की / उसी फलसफे की गीता की श्लोक आयते"l (7)

उपर्युक्त पंक्तियों में कवि ने 'वंदनीय' संबोधन से स्थिति को गहरा किया है और कवि 'भावुक' शब्द के माध्यम से मध्यवर्गीय लेखकों पर तीक्ष्ण व्यंग्य करते हैं, महाशोषकों के सहायक 'दासानुदास भावुक' शोषण के विरुद्ध भाषण भी देते है पर मूलतः इनकी प्रवृत्ति अवसरवादिता और चाटुकारिता तथा अपने वर्ग हित की ओर रही है l

एक अन्य कविता 'मेरे मित्र सहचर' के माध्यम से कवि ने वर्गीय चेतना के अनेक पक्ष को व्यक्त किया है l कवि शोषक वर्ग व् नेतागण पर व्यंग्य प्रहार भी करता है लेकिन एक अन्य वर्ग है जिसे वह मध्यवर्ग का मानते है जो शोषक वर्ग का दलाल और चाटुकार हैं-

"समाज के हास-ग्रस्त भवनों के पहरेदार / शोषकों के दलों के स्निग्धु-मृदु चेहरों को देखकर / उन्हीं कैम्प में ही अपनी ख़ैर सलामत मानने वाले / सज्जनों के सांस्कृतिक आकारों को देखकर / निहार उस क्रोध को / जो मात्र एकांत में ही / शोषकों के अत्याचारी जाल पर गरजता है"l (8)

कवि ने शोषक वर्ग का समर्थन करने वाले मध्यवर्ग को 'स्निग्धु-मृदु' चेहरों से संबोधित किया है l ये लोग ऊपर से बड़े भोले-सज्जन एवं ईमानदार दिखाई देते है और शोषक वर्ग में अपनी सुरक्षा पाते हैं l कवि ऐसे दलाल, स्वार्थी, अवसरवादी वर्ग से लोगों को सचेत किया है l

मुक्तिबोध की कविता में समाज के उच्च्च वर्ग अर्थात शोषक या पूंजीपति वर्ग की तीव्र आलोचना हुयी है l 'पूंजीवादी समाज के प्रति' कविता का अंश उद्धृत है –

"तेरी रेशमी वह शब्द-संस्कृति अंध / देती क्रोध मुझको, खूब जलता क्रोध / तेरे रक्त में भी सत्य का अवरोध / तेरे रक्त में भी घृणा आती तीव्र /.../ तू है मरण, तू है रिक्त, तू है व्यर्थ / तेरा ध्वंस केवल एक

तेरा अर्थ"। (9)

उस समाज के प्रति कवि को घृणा ही नहीं है बल्कि उसका ध्वंस ही कविता का ध्येय है। एक अन्य कविता में मुक्तिबोध पूंजीवादी वर्ग के प्रति अपना रोष व्यक्त करते हुए कहते हैं-

"राजनीतिक, साहित्य और कला के प्रतिष्ठित महासूर्य / बड़े-बड़े मसीहा / सरकस के जोकर से रिझाते हैं निरंतर

नाचते हैं कूदते हैं / शोषण में सिद्धहस्त स्वामियों के आगे" । (10)

'शोषण में सिद्धहस्त' पूंजीपति वर्ग ही है; जिसके नियंत्रण में कलाकार, साहित्यकार और राजनीतिज्ञ सभी है। कविता में 'नाचते हैं' के माध्यम से कवि उच्च मध्यवर्गीय लोगों पर व्यंग्य करता हैं।

मुक्तिबोध की सामाजिक दृष्टि पर टिप्पणी करते हुए अशोक वाजपेयी कहते हैं-

"उनकी कविता का सामाजिक दृश्य सिर्फ एक पीड़ा भरा वाह्य नहीं, वैसा ही पीड़ा एक अंतस भी है और इसलिए अत्यंत सामाजिक होते हुए भी अत्यंत निजी है" । (11)

मुक्तिबोध के सामाजिक चेतना की विशेषता यह है कि समाज के पीड़ित वर्ग के सहानुभूति रखने के साथ ही समाज के शोषक वर्ग के प्रति तीव्र आक्रोश है साथ ही आम जन मानस की नैतिकता पर भी वह बातचीत करते है। इसके साथ ही उनके काव्य में जनक्रांति की भावना, अवसरवाद की भर्त्सना, दुःख और दारिद्र्य के प्रति क्षोभ, मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों के प्रति खीझ तथा जन क्रांति के माध्यम से वर्ग विहीन समाज की स्थापना का उद्देश्य निहित हैं। मुक्तिबोध की विश्वदृष्टि पर बात करते हुए नंद किशोर नवल कहते हैं-

"मुक्तिबोध की विश्वदृष्टि की विशेषता यह है कि वह जितनी अर्जित है, उतनी ही अनुभवप्रसूत भी। यही वे हिंदी के केदार, नागार्जुन और त्रिलोचन-जैसे प्रगतिशील कवियों से अलग हो जाते हैं। इन कवियों ने जहाँ मार्क्सवाद को बनी-बनाई चीज के रूप में ग्रहण किया है, वहाँ मुक्तिबोध ने उसे अपने ज्ञान और अनुभव के योग से एक आत्मसंघर्ष के द्वारा उपलब्ध किया था" । (12)

मुक्तिबोध का समाज दर्शन मार्क्सवाद के प्रभावित जरुर है लेकिन वह अन्य प्रगतिशील कवियों की तरह भावुक नहीं है बल्कि उनके काव्य में एक तरह का आत्मसंघर्ष देखने को मिलता हैं। जो अनुभव के आधार पर अनुभूति के पैमाने पा ढला हुआ है। मुक्तिबोध के काव्य में आम जन की पीड़ा, दुःख-दर्द और उससे निजात पाने की छटपटाहट दिखती। मसलन 'अँधेरे में' कविता का नायक कहता है-

"मैं परिणत हूँ / कविता में कहने की आदत नहीं, पर कह दूँ / वर्तमान समाज चल नहीं सकता।

पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता, / स्वातन्त्र्य व्यक्ति का वादी / छल नहीं सकता मुक्ति के मन को

जन को" । (13)

'पूंजी से जड़ा हुआ' कौन है? पूंजीपति है, जो समाज के बहुसंख्य लोगों को छलने का उद्द्योग करता हैं। साथ ही, कवि 'वर्तमान समाज चल नहीं सकता' के माध्यम से पूंजीवादी समाज के प्रति अपने शंका को भी व्यक्त करता हैं। एक अन्य कविता 'मैं उनका ही होता' के माध्यम से कवि जिस जन को छलने की बात पूंजीवादी व्यवस्था करती है उस जन

के प्रति कवि के मन में अपार करुणा है-

"मैं उनका ही होता, जिनसे / मैने रूप-भाव पाए हैं l
वे मेरे ही हिये बंधे हैं
जो मर्यादाएँ लाए हैं" l (14)

मुक्तिबोध को आम जन से गहरी सहानुभूति है l जिसके बारे में बताते हुए कवि कहता है कि मैने अपने जीवन का रूप उन्हीं से लिए है l

इसके साथ ही समाज की उपेक्षिता स्त्री का चित्रण भी मुक्तिबोध के काव्य में हुआ है l कवि ने 'एक भूतपूर्व विद्रोही के आत्मकथन' कविता में नारी के शोषित स्थिति का वीभत्स वर्णन इस प्रकार किया है-

"खूबसूरत कमरों में कई बार
हमारी आँखों के सामने
हमारे विद्रोह के बावजूद
बलात्कार किये गये
नक्षीदार कमरों में l
भोले निव्यीज नयन हिरनी से
मासूम चेहरे
निर्दोष तन बदन
दैत्यों की बाँहों के शिकंजो में
इतने अधिक जकड़े गये
सिकुड़ते हुए घेरे में वे तन-मन
दबते पिघलते हुए भाप बन गये" l (15)

उपर्युक्त पक्तियों में नारी के शोषित होने का वीभत्स और भयावह चित्रण मुक्तिबोध ने किया है l यहाँ पूंजीवादी व्यवस्था के चरित्र का वर्णन किया, जहाँ बड़े-बड़े मनीषी, चिंतक, नेता देखते रह जाते है और नारी का शोषण होता रहता है l मुक्तिबोध ने 'ओं काव्यात्मन फणिधर' कविता में नारी की दयनीय स्थिति का वर्णन किया है l उसकी अभावग्रस्तता का वह रूप प्रस्तुत किया है जिससे वह विश्रृंन्खल एवं ऊत्श्रृंखल समाज द्वारा वासना की शिकार बनती है l कवि का चित्रण बेहद मार्मिक हो चला है यथा-

"वह पागल युवती सोयी है
मैली दरिद्र अस्त-व्यस्त
उसके बिखरे है बाल व स्तन लटका सा
अनगिनत वासनाग्रस्तों का मन अटका था l
उनमें जो ऊत्श्रृंखल था, विश्रृंन्खल भी था ;
उसके काले पल में स्त्री को गर्भ दिया
शोषिता और व्यभिचारिता आत्मा को पुत्र हुआ

स्तन मुँह में डाल, मरा हुआ बालक उसकी साई,
अब तक लेती है पास उसकी परछाई" l (16)

उपर्युक्त पक्तियों में कवि ने आधुनिक सभ्यता के विघटन और विद्रूपता को पागल स्त्री के समान मैली और दरिद्र तथा अभावों से ग्रस्त बताया है l यहाँ फैंटेसी के माध्यम से उन्होंने आधुनिक सभ्यता के संकट को प्रतीकात्मक रूप में रेखांकित किया है l पागल स्त्री अपने स्तन से बालक को झाई की तरह चिपकाई रहती है l जिसे समाज द्वारा अपनी वासना की पूर्ति के लिए उपयोग किया जाता है l

मुक्तिबोध की कविता में मेहनतकस लोगों के प्रति एक करुना है l श्रमशील जनता के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण है वह उनके इस कथन से स्पष्ट होता है-

"मैं तो सिर्फ मेहनत पर अकारथ मेहनत पर, उस मेहनत पर जो अपना पेट भी नहीं भर सकती, उस मेहनत पर जो बहुत सजग है, उस सहनशील श्रम पर लिखने वाला हूँ l मै श्रम का चित्रण करना चाहता हूँ, जिसका बदलाव कभी नहीं मिलता और जिसे आए दिन आत्म बलिदान और त्याग की नसीहत दी जाती है" l (17)

मुक्तिबोध को शोषित वर्ग के प्रति गहरी सहानुभूति है l जिसमें किसान, मजदूर तथा अन्य श्रमशील वर्ग के मानव ही उन्हें प्रिय हैं l उनके काव्य और अन्य लेखन में इस बात को देखा जा सकता हैं l मुक्तिबोध को शोषण से मुक्त समाज की आकांक्षा थी l उनकी कविता में इसी बात का उल्लेख हुआ है-

"समस्या एक –
मेरे सभ्य नगरों और ग्रामों में
सभी मानव
सुखी, सुंदर व शोषण मुक्त, कब होंगे ?" (18)

सभी मानव को शोषण से मुक्त करने की यह आकांक्षा कवि ने उपर्युक्त पक्तियों में की है l मुक्तिबोध का काव्य तीव्र सामाजिक चेतना और यथार्थ दृष्टि का परिचायक है l वह एक जर्जर और पतनशील व्यवस्था से नवीन सामाजिक व्यवस्था में संचरण करना चाहते है ; जिसका आधार उनका मार्क्सवादी दृष्टिकोण है l भूल-गलती, ओ काव्यात्मन फणिधर और एक भूतपूर्व विद्रोही का आत्मकथन जैसी कविताएँ उनकी इसी चेतना की अभिव्यक्ति है l

मुक्तिबोध ने सामाजिक यथार्थ पर कहा है-

"रचना का अपना कोई निजी यथार्थ, निरपेक्ष, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता l वह सामाजिक यथार्थ का प्रतिबिम्बन होती है"l (19)

दूसरी तरफ मुक्तिबोध मध्यवर्ग के उस चारित्रिक और वैचारिक संकट को लेकर चिंतित है जो लगातार व्यवस्था को खोखला बनाये जा रहा है l मुक्तिबोध की कविताएँ जहाँ व्यवस्था के अंतर्द्वंद्व को प्रस्तुत करती है वही व्यवस्था के पतनशील स्वरूप में बदलाव की आकांक्षी भी है l

अंत में शमशेर बहादुर सिंह की यह टिप्पणी ध्यान देने योग्य है-

"मुक्तिबोध ने छायावाद की सीमाएँ लाँघकर, प्रगतिवाद से मार्क्सी दर्शन ले, प्रयोगवाद से अधिकांश हथियार संभल और उसकी स्वतंत्रता महसूस कर, स्वतंत्र कवि-रूप से, सब वादों और पार्टियों से ऊपर उठकर, निराला की सुथरी और खुली मानवतावादी परम्परा को बहुत आगे बढ़ाया" l (20)

निष्कर्ष

जन पक्षधरता मुक्तिबोध के काव्य का बीज रूप है l जनता के साथ जुड़ाव को कवि अपने गहरे पीढ़ा बोध के साथ अभिव्यक्त करता है l जन पक्षधरता का आशय जनता के साहित्य से जुड़ा है l ऐसा साहित्य जो दिशाहिन आम जन की संवेदना कवि की संवेदना से जुड़ी हो l मुक्तिबोध अपनी कविताओं में अपने फैंटेसी के माध्यम से दोहरा काम लेते है l इनकी कविता में फैंटेसी ज्ञानात्मक संवेदना जगाने के साथ ही सामाजिक यथार्थ को भी स्पष्ट करती है l कविता में यह विचार कभी-कभी विषय को जटिल बना देता है l मुक्तिबोध की कविता संवेदनात्मक ज्ञान से भावात्मक ज्ञान की यात्रा है l इसके साथ ही कवि समाज के अमूर्त रूप को भी अपनी लेखनी में मूर्त करते है l इतिहास, सभ्यता और संस्कृति की सामाजिक भूमिका मुक्तिबोध के लिए जन सापेक्ष ही है l अर्थात् वह साहित्य को जन सामान्य के बेहतरी के लिए प्रयोग करते है l जिसमें समाज के सामान्य जन के कल्याण की भावना निहित है l मुक्तिबोध की कवितायें जटिल होते हुए भी अनुभूतिप्रवण है l

संदर्भ ग्रन्थ सूची :

1. मुक्तिबोध, नयी कविता का आत्मसंघर्ष एवं अन्य निबंध, राजकमल प्रकाशन 2012, पृष्ठ 5
2. मुक्तिबोध, व्यक्तव्य, संपा. अज्ञेय, तारसप्तक, भारतीय ज्ञानपीठ 2021, पृष्ठ 22
3. मुक्तिबोध, प्रतिनिधि कविताएँ, राजकमल प्रकाशन 2007, पृष्ठ 6-7
4. नवल, नंदकिशोर, आधुनिक कविता का इतिहास, भारतीय ज्ञानपीठ 2019, पृष्ठ 392-393
5 .मुक्तिबोध, नयी कविता का आत्मसंघर्ष एवं अन्य निबंध, राजकमल प्रकाशन 2012, पृष्ठ 28-29
6. मुक्तिबोध, मुक्तिबोध रचनावली, संपा. नेमिचंद्र जैन, राजकमल प्रकाशन 2011, पृष्ठ 223
7. वही, पृष्ठ 222
8. वही, पृष्ठ 318
9. मुक्तिबोध, प्रतिनिधि कविताएँ, संपा. अशोक वाजपेयी, राजकमल 2007, पृष्ठ 11
10. मुक्तिबोध, भूरी-भूरी खाक-धूल, राजकमल प्रकाशन 2019, पृष्ठ 187
11. वाजपेयी, अशोक, फिलहाल, राजकमल प्रकाशन 2021, पृष्ठ 127
12. नवल, नंदकिशोर, मुक्तिबोध की कविताएँ : बिम्ब प्रतिबिम्ब, प्रकाशन संस्थान 2016, पृष्ठ 137
13. मुक्तिबोध, प्रतिनिधि कविताएँ, राजकमल प्रकाशन 2007, पृष्ठ 164-165
14. वही, पृष्ठ 12
15. मुक्तिबोध, चाँद का मुँह टेढ़ा है, राजकमल प्रकाशन 2021, पृष्ठ 81
16. वही, पृष्ठ 143
17. मुक्तिबोध, एक साहित्यिक की डायरी, स्पेस पब्लिशिंग हाउस 2017, पृष्ठ 49

18. मुक्तिबोध, चाँद का मुँह टेढ़ा है, राजकमल प्रकाशन 2021, पृष्ठ 168

19. मुक्तिबोध, नयी कविता का आत्मसंघर्ष एवं अन्य निबंध, राजकमल प्रकाशन 2012, पृष्ठ 57

20. मुक्तिबोध, चाँद का मुँह टेढ़ा है, एक विलक्षण प्रतिभा, शमशेर बहादुर सिंह, राजकमल प्रकाशन 2021, पृष्ठ 25-26

21वीं शताब्दी में विश्व बैंक की भूमिका: एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण

मृगेन्द्र अंशु
विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान, मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर
डॉ. मिथिलेश कुमार
राजनीति विज्ञान विभाग, आर. डी. एण्ड डी. जे. कॉलेज, मुंगेर

सारांश:

विश्व बैंक दुनिया की उन संस्थाओं में गिना जाता है जिन्होंने पिछले लगभग अस्सी सालों में वैश्विक अर्थव्यवस्था को गहरे तरीके से प्रभावित किया है। इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के पुनर्निर्माण और दुनिया में वित्तीय स्थिरता कायम करने के लिए बनाया गया था। धीरे-धीरे इसका काम सिर्फ पुनर्निर्माण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने विकासशील देशों में गरीबी हटाने, स्कूल-अस्पताल बनवाने, खेती को बेहतर बनाने और जलवायु परिवर्तन से निपटने में भी अहम भूमिका निभानी शुरू कर दी। इस आलेख में हम विश्व बैंक के इतिहास, उसकी संरचना और उसकी नीतियों के अच्छे-बुरे पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। कई विद्वान मानते हैं कि बैंक ने विकास को तेज़ किया है, लेकिन बहुत से लोग उसके संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों, निजीकरण की शर्तों और विकसित देशों के दबदबे की भी कड़ी आलोचना करते हैं। वर्तमान में विश्व बैंक जलवायु वित्त, डिजिटल विकास और सतत विकास लक्ष्यों पर काम कर रहा है। इस पक्ष को विशेष रूप से देखने प्रयास इस आलेख के माध्यम से करेंगे।

मुख्य शब्द: विश्व बैंक, ब्रेटन वुड्स, गरीबी उन्मूलन, संरचनात्मक समायोजन, सतत् विकास।

1. परिचय:

अगर हम आज के वैश्विक आर्थिक शासन की बात करें तो विश्व बैंक का नाम सबसे ऊपर आता है। यह सिर्फ एक बैंक नहीं है, बल्कि विकास नीतियाँ, तकनीकी मदद और शोध का एक बड़ा केंद्र है (गोल्डस्टीन, 2017, पृ. 45)। इसकी नींव जुलाई 1944 में अमेरिका के ब्रेटन वुड्स शहर में एक सम्मेलन के दौरान रखी गई थी। तब इसे "अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक" (IBRD) का नाम दिया गया (कपूर एवं अन्य, 1997, पृ. 12)। शुरू में यह युद्ध से तबाह हुए यूरोपीय देशों को संभालने के लिए बना था-

उदाहरण के लिए, 1947 में फ्रांस को दिया गया पहला ऋण इसी मिशन का हिस्सा था (मल्लबी, 2004, पृ. 34)। जैसे-जैसे दुनिया बदली, उपनिवेश खत्म हुए और शीत युद्ध शुरू हुआ, विश्व बैंक का ध्यान भी विकासशील और गरीब देशों की तरफ मुड़ गया (कपुर एवं अन्य, 1997, पृ. 28)।

आज इसके 189 सदस्य देश हैं। यह ब्याज पर कर्ज देता है, कभी-कभी अनुदान भी देता है, और नीतियों पर सलाह देता है। भारत, बांग्लादेश और कई अफ्रीकी देशों में सड़कें, बिजली संयंत्र, सिंचाई की परियोजनाएँ और स्कूल-अस्पताल

विश्व बैंक के सहयोग से निर्माण हुआ है (विश्व बैंक, 2023)। पिछले दो दशकों में विश्व बैंक महिला सशक्तिकरण, जलवायु परिवर्तन और डिजिटल समावेशन जैसे मुद्दों पर भी काम कर रहा है (ड्रीज़ एवं सेन, 2013, पृ. 88)।

लेकिन 1980 और 1990 के दशक में इसने "संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम" (SAPs) लागू किए, जिससे काफी विवाद हुआ। जैसा कि विलियमसन (1990, पृण् 11) ने "वाशिंगटन सहमति" के नाम से लिखा, इन कार्यक्रमों के तहत गरीब देशों को कर्ज देने के बदले उन्हें सरकारी खर्च काटने, सब्सिडी हटाने, उद्योगों का निजीकरण करने और व्यापार खोलने के लिए मजबूर किया गया। स्टिग्लिट्ज़ (2002, पृ. 73) के मुताबिक, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में इन नीतियों ने बेरोजगारी, महंगाई और असमानता को और बढ़ा दिया। इस आलेख के माध्यम से हम इन सब बातों को विस्तार से समझेंगे और यह भी देखेंगे कि क्या विश्व बैंक आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले था।

2. विश्व बैंक समूह की संरचना:

अक्सर लोग "विश्व बैंक" कहते हैं, लेकिन यह असल में पाँच अलग-अलग संस्थाओं का एक समूह है। यह समझना भी ज़रूरी है क्योंकि हर संस्था का अपना अलग-अलग काम अलग है (गोल्डस्टीन, 2017, पृ. 52)।

- पहली: अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (IBRD) इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। यह मध्यम आय वाले देशों और उन गरीब देशों को कर्ज देता है जो अभी कर्ज चुका सकते हैं। यह पैसा अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुटाकर कम ब्याज पर देता है (कपुर एवं अन्य, 1997, पृ. 40)।

- दूसरी: अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (IDA) 1960 में बना। यह दुनिया के सबसे गरीब देशों को बिना ब्याज या बहुत कम ब्याज पर कर्ज और अनुदान देता है। इसका लक्ष्य शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और ग्रामीण विकास में मदद करना है (मल्लबी, 2004, पृ. 112)।

- तीसरी: अंतर्राष्ट्रीय वित निगम (IFC) 1956 में स्थापित हुआ। यह विकासशील देशों के निजी क्षेत्र को बढ़ावा देता है। यह सीधे कंपनियों में निवेश करता है, जिससे रोजगार पैदा होते हैं (गोल्डस्टीन, 2017, पृ. 58)।

- चैथी: बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी (MIGA) 1988 में बनी। यह विदेशी निवेशकों को राजनीतिक जोखिम (जैसे युद्ध, अशांति, करेंसी गिरना) से बचाती है (विश्व बैंक, 2023)।

- पाँचवीं: निवेश विवाद निपटान हेतु अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (ICSID) 1966 में स्थापित किया गया। यह निवेशकों और सरकारों के बीच झगड़े सुलझाने के लिए मध्यस्थता करता है (बब्ब, 2009, पृ. 95)।

मल्लबी (2004, पृ. 145) के अनुसार, ये पाँचों मिलकर एक मजबूत तंत्र बनाते हैंः IBRD और IDA पैसा देते हैं, IFC निजी निवेश करता है, MIGA जोखिम कम करती है, और करता है कि जाम और ICSID कानूनी सुरक्षा देता है।

विश्व बैंक की समूह तथा उद्देश्य

संस्थान (वर्ष)	मुख्य उद्देश्य
i. अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (IBRD)-1944	• मध्यम आय वाले और ऋण चुकाने में सक्षम देशों को ऋण प्रदान करना। विकास परियोजनाओं को वितीय सहायता देना।
ii. अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (IDA)-1960	• सबसे गरीब देशों को बहुत ही कम या बिना ब्याज के दीर्घकालिक ऋण देना। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास और सामाजिक कल्याणकारी परियोजनाओं को समर्थन प्रदान करना।
iii. अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC)-1956	• विकासशील देशों के निजी क्षेत्र में निवेश बढ़ाना। रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास और आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करना।
iv. बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी (MIGA)-1988	• विदेशी निवेशकों को राजनीतिक और आर्थिक जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करना। विकासशील देशों में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना।
v. निवेश विवाद निपटान हेतु अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (ICSID) -1966	• विदेशी निवेशकों एवं सदस्य देशों की सरकारों के बीच निवेश संबंधी विवादों का समाधान

स्रोत: विश्व बैंक

3. विश्व बैंक का ऐतिहासिक सफर:

विश्व बैंक का इतिहास दुनिया के बदलते हालात को बयान करता है। कपुर एवं अन्य (1997) ने इसे चार चरणों में बांटा है। मैं यहाँ उन चरणों को सरल भाषा में अपनी बातों पर रख रहा हूँ।

3.1 पुनर्निर्माण का दौर (1944-1960):

द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद यूरोप के अनेक देश गंभीर आर्थिक संकट और व्यापक भौतिक विनाश का सामना कर रहे थे। ऐसे समय में विश्व बैंक का प्रमुख उद्देश्य युद्ध से प्रभावित देशों के आर्थिक पुनर्निर्माण में सहयोग देना था। इस अवधि में बैंक में विशेष रूप से फ्रांस, नीदरलैंड तथा जापान जैसे देशों को ऋण उपलब्ध कराया जिनका उपयोग सड़कों, पुलों, विद्युत उत्पादन, बंदरगाह तथा अन्य आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में किया गया। (मल्लबी, 2004, पृ. 62)।

मार्शल योजना (The Marshall Plan) : वर्ष 1948 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रारंभ की गई मार्शल योजना जिससे यूरोपीय पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम (European Recovery Program) भी कहा जाता है, जिसका उद्देश्य पश्चिमी यूरोप की युद्धग्रस्त अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्जीवित करना था। इसी अवधि में विश्व बैंक ने भी अपने ऋण कार्यक्रमों के माध्यम से पुनर्निर्माण कार्यों को गति प्रदान की। विष्व बैंक की वित्तीय सहायता और मार्शल योजना के प्रयास एक दूसरे के पूरक सिद्ध हुए तथा बुनियादी ढ़ांचे को दोबारा खड़ा करने और सोवियत संघ के बढ़ते राजनीतिक व आर्थिक प्रभाव (शीत युद्ध की शुरुआत) के बीच यूरोप में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में मार्शल योजना के पूरक के रूप में काम कर रहे (बब्ब,

2009, पृ. 41)।

3.2 विकास और गरीबी हटाने का चरण (1960-1980)

1960 में अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (IDA) की स्थापन हुआ, इसके साथ विश्व बैंक ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देशों पर ध्यान देना शुरू किया (कपूर एवं अन्य, 1997, पृ. 182)। रॉबर्ट मैकनामारा (1968-1981) के नेतृत्व में "विकास के जरिए शांति" का नारा दिया गया। शिक्षा, परिवार नियोजन, ग्रामीण विकास और खेती सुधारों पर जोर दिया गया (मल्लबी, 2004, पृ. 204)।

3.3 संरचनात्मक समायोजन और उदारीकरण (1980-1990)

यह वह समय था जब विश्व बैंक की सबसे ज्यादा आलोचना हुई। 1980 के कर्ज संकट के बाद विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने मिलकर संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम (SAPs) लागू किए।

वाशिंगटन सहमति (Washington Consensus) का विस्तृत विवरण:

यह नीतिगत आर्थिक सुधारों का एक ऐसा समूह था जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं (जैसे विश्व बैंक, आईएमएफ और अमेरिकी ट्रेजरी) द्वारा संकटग्रस्त विकासशील देशों अर्थशास्त्री जॉन विलियमसन ने वर्ष 1990 में "वाशिंगटन सहमति" **(Washington Consensus)** शब्द का प्रयोग उन आर्थिक सुधारों के समूह के लिए किया, विशेषकर-विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोश (IBRD) तथा अमेरिकी कोशागार द्वारा आर्थिक संकट से जूझ रहे विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से अफ्रीकी महाद्वीप के देशों, पर कर्ज की आवश्यक शर्त के रूप में थोपा गया। इसके प्रमुख स्तंभ निम्नलिखित थे:

- राजकोशीय अनुशासन: सरकारी बजट के घाटे को कड़ाई से कम करना।
- सार्वजनिक खर्चों में कटौती: शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा पर दी जाने वाली सरकारी सब्सिडी को बंद करना या कम करना।
- निजीकरण: सरकारी उद्योगों और सार्वजनिक संपत्तियों को निजी कंपनियों को बेचना।
- बाजार का उदारीकरण: व्यापार पर लगे प्रतिबंधों को हटाना, विदेशी निवेश के लिए दरवाजे खोलना और आयात-निर्यात शुल्क कम करना।
- मुद्रा का अवमूल्यन: अपनी मुद्रा को अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अनुसार सस्ता करना ताकि देश का निर्यात प्रतिस्पर्धी बन सके।

3.4 सतत विकास और साझेदारी (2000-वर्तमान):

इक्कीसवीं सदी में विश्व बैंक ने अपनी विकास रणनीति को अधिक व्यापक और समावेशी बनाया। इस अवधि में बैंक में सहस्राब्दी विकास लक्ष्य ;डक्ळेद्ध तथा बाद में सतत विकास लक्ष्य ़;क्ळेद्ध के अनुरूप गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल विकास और लैंगिक समानता जैसे क्षेत्र पर विशेष ध्यान केंद्रित किया। कोविद-19 महामारी के दौरान विश्व बैंक ने 100 अधिक देशों को लगभग 157 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की मदद की (विश्व

बैंक, 2023)। इस तरह विश्व बैंक समय के साथ बदलता रहा है।

विश्व बैंक: 2000 के दशक से वर्तमान तक के कार्य:

vi. **गरीबी उन्मूलन को प्रमुख लक्ष्य बनान:** 21वीं सदी के आरम्भ के साथ विश्व बैंक ने गरीबी उन्मूलन और समावेशी विकास को अपनी नीतियों का मुख्य आधार बनाया। विकासशील देशों में आर्थिक असमानता को कम करने तथा कमजोर वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए विभिन्न योजनाओं के लिए लगभग एक अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। विशेष रूप से अफ्रीका, दक्षिण एशिया और लैटिन अमेरिका में रोजगार, खाद्य सुरक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों पर बल दिया गया (विश्व बैंक, 2001, पृ. 15)।

vii. **शिक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण पर बल:** विश्व बैंक ने शिक्षा को आर्थिक विकास का प्रमुख साधन मानते हुए सर्व शिक्षा अभियान, तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (TEQIP), "राज्यों में शिक्षण अधिगम एवं शैक्षिक परिणामों के सुदृढ़ीकरण हेतु कार्यक्रम" (STARS) के लिए क्रमशः लगभग 1.3 अरब अमेरिकी डॉलर, 755 मिलियन अमेरिकी डॉलर तथा 500 मिलियन अमेरिका डॉलर की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई। इस निवेश का उपयोग विद्यालय भवनों के निर्माण, डिजिटल शिक्षण संसाधनों के विकास, शिक्षक प्रशिक्षण, तकनीकी शिक्षा के सुदृढ़ीकरण तथा राज्य में विद्यालय की शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए किया गया बालिका शिक्षा, डिजिटल शिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा ग्रामीण शिक्षा सुधार कार्यक्रमों को आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया। भारत सहित अनेक देशों में विद्यालय संरचना के विकास तथा शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु परियोजनाएँ संचालित की गई (जोन्स, 2012, पृ. 42)।

viii. स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक निवेश: वर्ष 2000 के बाद विश्व बैंक ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए व्यापक विद्या सहायता प्रदान की। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, कॉविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी परियोजना तथा आयुष्मान भारत से संबंधित स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण कार्यक्रमों के लिए लगभग चार अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई। इस निवेश से स्वास्थ्य अवसंरचना, चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ (विश्व बैंक, 2021, पृ. 27)।

ix. जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय संरक्षण: बढ़ते पर्यावरणीय संकट को देखते हुए विश्व बैंक ने हरित विकास की अवधारणा को प्रोत्साहन दिया। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, स्वच्छ जल परियोजनाएँ तथा कार्बन उत्सर्जन में कमी से संबंधित कार्यक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। वर्ष 2000 के बाद भारत में विश्व बैंक द्वारा समर्थित विभिन्न पर्यावरणीय एवं जलवायु परियोजनाओं पर निवेश किया गया। राज्यवार दृष्टि से राजस्थान में सौर ऊर्जा परियोजनाओं हेतु लगभग 4,500 करोड़ रुपये, गुजरात में नवीकरणीय ऊर्जा एवं तटीय संरक्षण कार्यक्रमों हेतु लगभग 3,800 करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा एवं वन संरक्षण परियोजनाओं हेतु लगभग 2,700 करोड़ रुपये, उत्तर प्रदेश में स्वच्छ जल एवं गंगा संरक्षण कार्यक्रमों हेतु लगभग 4,000 करोड़ रुपये, तथा बिहार में जल संसाधन प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण एवं जलवायु अनुकूलन परियोजनाओं हेतु लगभग 1,500 करोड़ रुपये व्यय किए गए। इसके अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन से प्रभावित राज्यों को विशेष ऋण, अनुदान एवं तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराई गई। इन निवेशों के परिणामस्वरूप नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि, कार्बन उत्सर्जन में कमी तथा पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा मिला (स्टर्न, 2007, पृ. 103; विश्व बैंक 2023)।

x. डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा: डिजिटल क्रांति के विस्तार के साथ विश्व बैंक ने सूचना प्रौद्योगिकी तथा डिजिटल अवसंरचना के विकास में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया। ई-गवर्नेंस, डिजिटल भुगतान प्रणाली, ब्रौडबैंड नेटवर्क विस्तार तथा इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए विकासशील देशों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई गई। वर्ष 2000 के बाद डिजिटल अर्थव्यवस्था एवं डिजिटल अवसंरचना से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं हेतु विश्व बैंक द्वारा लगभग 2.3 अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग 19,000 करोड़ रुपये) की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई। इस राशि का उपयोग सरकारी सेवाओं के डिजिटलीकरण, डिजिटल भुगतान प्रणालियों के विस्तार, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने, डेटा प्रबंधन प्रणालियों के विकास तथा डिजिटल कौशल संवर्धन कार्यक्रमों पर किया गया। परिणामस्वरूप प्रशासनिक पारदर्शिता, सेवा वितरण की दक्षता, वित्तीय समावेशन तथा आर्थिक गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई (विश्व बैंक रिपोर्ट, 2018, पृ. 61; विश्व बैंक, 2021).

xi. महिला सशक्तिकरण और सामाजिक समानता: विश्व बैंक ने महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएँ संचालित कीं। स्वयं सहायता समूहों, सूक्ष्म वित्त, महिला उद्यमिता तथा ग्रामीण महिलाओं के कौशल विकास कार्यक्रमों को विशेष महत्व दिया गया। वर्ष 2000 के बाद महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों के लिए विश्व बैंक द्वारा लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग 25,000 करोड़ रुपये) से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। इस राशि का उपयोग स्वयं सहायता समूहों के गठन, महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन, कौशल विकास प्रशिक्षण, वित्तीय समावेशन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार तथा ग्रामीण महिलाओं की आजीविका सुदृढ़ करने पर किया गया। इन प्रयासों का उद्देश्य लैंगिक समानता स्थापित करना तथा महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना था। परिणामस्वरूप महिलाओं की श्रम भागीदारी, आय सृजन क्षमता तथा निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में सहभागिता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई (कबीर, 2015, पृ. 88; विश्व बैंक, 2021)।

xii. आधारभूत संरचना का विकास: विश्व बैंक ने सड़क, परिवहन, बिजली, जलापूर्ति और शहरी विकास जैसी आधारभूत परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर निवेश किया। एशिया और अफ्रीका के कई देशों में ग्रामीण सड़क निर्माण, ऊर्जा उत्पादन, विद्युत वितरण, शहरी परिवहन तथा जलापूर्ति परियोजनाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की गई। वर्ष 2000 के बाद आधारभूत संरचना विकास से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं हेतु विश्व बैंक द्वारा लगभग 50 अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग 4.15 लाख करोड़ रुपये) से अधिक की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई। इस राशि का उपयोग राष्ट्रीय एवं ग्रामीण सड़कों के निर्माण, पुलों के विकास, विद्युत उत्पादन एवं वितरण नेटवर्क के विस्तार, शहरी परिवहन प्रणालियों के आधुनिकीकरण तथा स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने वाली परियोजनाओं पर किया गया। इन निवेशों के परिणामस्वरूप रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई, व्यापारिक गतिविधियों को गति मिली तथा आर्थिक विकास को मजबूत आधार प्राप्त हुआ (विश्व बैंक रिपोर्ट, 2019, पृ. 74)।

xiii. कृषि और ग्रामीण विकास कार्यक्रम: कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए विश्व बैंक ने सिंचाई, खाद्य सुरक्षा, कृषि तकनीक तथा ग्रामीण वित्त योजनाओं को प्रोत्साहन दिया। छोटे किसानों को आधुनिक तकनीक, उन्नत बीज, उर्वरक तथा ऋण सुविधाएँ उपलब्ध कराने में विश्व बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वर्ष 2000 के बाद कृषि एवं ग्रामीण विकास से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं हेतु विश्व बैंक द्वारा लगभग 35 अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग 2.90 लाख करोड़ रुपये) से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। इस राशि का उपयोग सिंचाई अवसंरचना के विकास, कृषि अनुसंधान एवं नवाचार, ग्रामीण सड़कों के निर्माण, कृषि विपणन सुविधाओं के विस्तार, जल

संरक्षण परियोजनाओं तथा किसानों के लिए वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाने पर किया गया। इन निवेशों के परिणामस्वरूप कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई, खाद्य सुरक्षा को मजबूती मिली तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार एवं आय के अवसरों का विस्तार हुआ (एफ. ए. ओ. 2014 पृ. 39 और विश्व बैंक, 2014, पृ. 39)।

xiv. आर्थिक सुधार और सुशासन: विश्व बैंक ने विकासशील देशों में आर्थिक उदारीकरण, प्रशासनिक सुधार तथा वित्तीय पारदर्शिता को बढ़ावा दिया। सार्वजनिक क्षेत्र के सुधार, कर प्रशासन के आधुनिकीकरण, वित्तीय प्रबंधन प्रणालियों के विकास तथा भ्रष्टाचार नियंत्रण से संबंधित नीतियों के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान की गई। वर्ष 2000 के बाद आर्थिक सुधार एवं सुशासन से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों और नीतिगत सहायता परियोजनाओं हेतु विश्व बैंक द्वारा लगभग 20 अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग 1.66 लाख करोड़ रुपये) से अधिक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई। इस राशि का उपयोग प्रशासनिक क्षमता निर्माण, ई-गवर्नेंस प्रणालियों के विकास, सार्वजनिक वित्त प्रबंधन में सुधार, कर संग्रह व्यवस्था के आधुनिकीकरण तथा संस्थागत सुधार कार्यक्रमों पर किया गया। इन प्रयासों से सरकारी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही तथा दक्षता में वृद्धि हुई और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण हुआ। हालांकि इन नीतियों की आलोचना भी हुई कि कई बार इनके कार्यान्वयन से विकासशील देशों पर आर्थिक दबाव बढ़ा तथा नीतिगत स्वायत्तता प्रभावित हुई (स्टिग्लिट्ज़, 2002, पृ. 121)।

xv. आपदा प्रबंधन और मानवीय सहायता: प्राकृतिक आपदाओं और वैश्विक संकटों के दौरान विश्व बैंक ने राहत, पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी नेपाल भूकंप (2015), अफ्रीकी खाद्य संकट, कोविड-19 महामारी तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय आपातकालीन सहायता पैकेज जारी किए गए। वैश्विक स्तर पर वर्ष 2000 के बाद आपदा प्रबंधन, आपातकालीन राहत एवं पुनर्वास कार्यक्रमों के लिए विश्व बैंक द्वारा लगभग 70 अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग 5.80 लाख करोड़ रुपये) से अधिक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई। इस राशि का उपयोग आपदा प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने में किया गया। भारत के संदर्भ में, विश्व बैंक ने कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया, चक्रवात प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण, भूकंप पुनर्वास तथा आपदा जोखिम न्यूनीकरण परियोजनाओं के लिए लगभग 8 अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग 66,000 करोड़ रुपये) से अधिक की सहायता प्रदान की। इस वित्तीय सहायता का उपयोग स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत बनाने, आपदा प्रभावित समुदायों के पुनर्वास, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के विस्तार तथा आपदा प्रबंधन क्षमता निर्माण पर किया गया। इन प्रयासों से आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास कार्यों को गति मिली तथा मानवीय संकटों के प्रभा को कम करने में सहायता प्राप्त हुई (विश्व बैंक वार्षिकी रिपोर्ट 2022, पृ. 33)।

xvi. भारत में विश्व बैंक की भूमिका: भारत में विश्व बैंक ने स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास तथा जल प्रबंधन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वर्ष 2000 के बाद भारत में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक द्वारा लगभग 100 अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग 8.30 लाख करोड़ रुपये) की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई।

इस सहायता का क्षेत्रवार वितरण निम्न प्रकार रहा-

क्षेत्र	विश्व बैंक द्वारा अनुमानित वितीय सहायता
स्वास्थ्य क्षेत्र	लगभग 15 अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपये)
शिक्षा क्षेत्र	लगभग 12 अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग 1.00 लाख करोड़ रुपये)
ग्रामीण विकास एवं आजीविका	लगभग 20 अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग 1.66 लाख करोड़ रुपये)
कृषि एवं सिंचाई	लगभग 18 अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग 1.50 लाख करोड़ रुपये)
जलापूर्ति एवं स्वच्छता	लगभग 10 अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग 83,000 करोड़ रुपये)
सड़क एवं परिवहन अवसंरचना	लगभग 15 अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपये)
ऊर्जा एवं विद्युत क्षेत्र	लगभग 10 अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग 83,000 करोड़ रुपये)

स्रोत: विश्व बैंक

इन निवेशों का उपयोग ग्रामीण एवं शहरी आधारभूत संरचना के विकास, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, कृषि उत्पादकता बढ़ाने, पेयजल एवं स्वच्छता सुविधाओं के विस्तार तथा ग्रामीण आजीविका कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाने में किया गया। बिहार, झारखंड एवं उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में सड़क निर्माण, कृषि विकास, जल संसाधन प्रबंधन तथा ग्रामीण आजीविका परियोजनाओं को विशेष प्राथमिकता दी गई। परिणामस्वरूप रोजगार के अवसरों में वृद्धि, गरीबी में कमी तथा सामाजिक एवं आर्थिक विकास को नई गति प्राप्त हुई (भारत सरकार पृ. 58-विश्व बैंक 2020, पृ. 58)।

4. समालोचनात्मक मूल्यांकन:

4.1 सहयोगात्मक भूमिका में:

विश्व बैंक ने सचमुच कई देशों में पक्की सड़कें, बिजली, पानी, स्कूल और अस्पताल बनाने में मदद की है। गोल्डस्टीन (2017, पृ. 74) उदाहरण देते हैं भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम, बांग्लादेश का ग्रामीण विद्युती-करण, अफ्रीका में मलेरिया उन्मूलन अभियान। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ का अब तक का लोन और अनुदान 500 अरब डॉलर से ज्यादा हो चुका है (विश्व बैंक, 2023)। 2008 के वित्तीय संकट और कोविड-19 में भी बैंक ने तुरंत दखल दिया (बब्ब, 2009, पृ. 118)।

4.2 शासन में पक्षपात:

सबसे बड़ी आलोचना यह है कि विश्व बैंक में वोट देने की शक्ति उस देश के पैसे पर निर्भर करती है। अमेरिका के पास करीब 16ः वोट हैं जो सबसे ज्यादा हैं। कई अफ्रीकी देशों को मिलाकर भी उतने वोट नहीं मिलते (गोल्डस्टीन, 2017,

पृ. 82)। परंपरा से बैंक का अध्यक्ष अमेरिकी होता है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अध्यक्ष यूरोपीय। मल्लबी (2004, च. 289) कहते हैं कि इससे विकासशील देशों की आवाज दब जाती है और नीतियाँ पश्चिमी देशों के हित में बनती हैं।

4.3 संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों की नाकामी:

ये कार्यक्रम एक जैसी शर्तें सब पर थोपते थे, चाहे वहाँ के हालात कुछ भी हों। स्टिग्लिट्ज़ (2002, पृ. 112) ने अपनी किताब में लिखा है कि ज़ाम्बिया जैसे देश में खाद्य सब्सिडी हटाने से गरीब और भूखे हो गए। लैटिन अमेरिका में स्वास्थ्य और शिक्षा का बजट काटने से लोग बेहाल हो गए। उनके मुताबिक, जिन देशों ने ये नीतियाँ अपनाई, उनकी विकास दर उन देशों से कम रही जिन्होंने नहीं अपनाई। (विलियमसन 1990, पृ. 25) ने बाद में खुद माना कि उनकी "वाशिंगटन सहमति" को हर जगह आँख बंद करके लागू नहीं करना चाहिए था।

4.4 पर्यावरण और समाज पर नुकसान

विश्व बैंक के पैसे से बने बड़े-बड़े बाँधों (जैसे भारत का सरदार सरोवर) और खानों ने आदिवासी समुदायों को उखाड़ फेंका और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया (बब्ब, 2009, पृ. 156)। बाद में बैंक ने पर्यावरणीय सुरक्षा नियम बनाए, लेकिन ड्रीज़ एवं सेन (2013, पृ. 210) के अनुसार उनका पालन अब भी ठीक से नहीं होता।

5. आज की चुनौतियाँ और विश्व बैंक:

विश्व बैंक के सामने आज कई नई समस्याएँ हैं:-

xvii. जलवायु परिवर्तन: वैश्विक विकास के समक्ष गंभीर चुनौती बन चुका है। इस दिशा में विश्व बैंक स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु अनुकूलन तथा आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। फिर भी स्टिग्लिट्ज़ (2002, पृ. 245) के अनुसार बैंक की कुछ वित्तीय सहायता अभी भी जीवाश्म ईंधन आधारित परियोजनाओं तक पहुँचती है। वर्तमान समय में इस चुनौती से निपटने के लिए विश्व बैंक ने हरित वित्त (Green Finance) को बढ़ावा देते हुए ग्रीन बॉण्ड जारी किए हैं तथा जलवायु अनुकूलन एवं शमन परियोजनाओं में निवेश बढ़ाया है। वर्ष 2021 में विश्व बैंक ने जलवायु संबंधी परियोजनाओं के लिए लगभग 26 अरब अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की (विश्व बैंक, 2023)।

xviii. डिजिटल असमानता: कोविड-19 ने दिखाया कि गरीब देशों में इंटरनेट और कंप्यूटर की कमी है। विश्व बैंक डिजिटल समावेशन पर काम तो कर रहा है, लेकिन रफ्तार धीमी है (ड्रीज़ एवं सेन, 2013, पृ. 255)।

xix. कर्ज का बोझ: कई गरीब देश चीन, विश्व बैंक और अन्य ऋणदाताओं के कर्ज में दबे हैं। मल्लबी (2004, पृ. 321) के अनुसार कि विश्व बैंक को एक पारदर्शी तंत्र बनाना होगा ताकि कर्ज का पुनार्गठन हो सके।

xx. भविष्य की महामारियाँ: कोविड-19 में बैंक ने त्वरित मदद दी, लेकिन गोल्डस्टीन (2017, पृ. 135) के अनुसार आने वाली महामारियों के लिए अभी कोई ठोस वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा जाल नहीं बन पाया है।

6. निष्कर्ष:

विश्व बैंक ने आधुनिक वैश्विक विकास प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली संस्था के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद युद्धग्रस्त देशों के पुनर्निर्माण और आर्थिक स्थिरता के उद्देश्य से स्थापित

यह संस्था समय के साथ वैश्विक विकास, सामाजिक कल्याण, सतत विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रमुख केंद्र बन गई। इक्कीसवीं सदी में विश्व बैंक ने केवल आर्थिक विकास पर ही नहीं, बल्कि समावेशी विकास, सामाजिक न्याय, मानव संसाधन विकास और पर्यावरणीय संतुलन पर भी विशेष बल दिया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, जल प्रबंधन तथा आधारभूत संरचना से संबंधित परियोजनाओं में इसके निवेश ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अनेक देशों की आर्थिक एवं सामाजिक संरचना को प्रभावित किया है। भारत में भी ग्रामीण विकास, स्वच्छता, जल संरक्षण, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, कौशल विकास तथा डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़ी योजनाओं में इसके आर्थिक और तकनीकी सहयोग ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विशेष रूप से ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में आधारभूत संरचना और आजीविका कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाने में विश्व बैंक समर्थित परियोजनाएँ उपयोगी सिद्ध हुई हैं।

हालाँकि, विश्व बैंक की नीतियों और कार्यप्रणाली को लेकर विभिन्न स्तरों पर आलोचनाएँ भी की जाती रही हैं। संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों, उदारीकरण, निजीकरण और मुक्त बाजार आधारित सुधारों के कारण कई विकासशील देशों में सामाजिक असमानता तथा आर्थिक निर्भरता बढ़ने की आशंकाएँ व्यक्त की गई हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा पर सरकारी व्यय में कटौती के प्रभाव भी अनेक देशों में देखे गए। इसके अतिरिक्त, प्रशासनिक संरचना में विकसित देशों के प्रभाव तथा निर्णय प्रक्रिया में असमान प्रतिनिधित्व को लेकर भी प्रश्न उठते रहे हैं। पर्यावरणीय दृष्टि से कुछ परियोजनाएँ विस्थापन और पारिस्थितिक क्षति के कारण विवादों में रहीं, किन्तु हाल के वर्षों में विश्व बैंक ने जलवायु परिवर्तन, हरित ऊर्जा, सतत विकास लक्ष्यों और पर्यावरण संरक्षण पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। कोविड-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य अवसंरचना, वैक्सीन वितरण और आर्थिक सहायता में इसकी भूमिका भी उल्लेखनीय रही। समग्र रूप से विश्व बैंक ने वैश्विक आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, यद्यपि इसके समक्ष पारदर्शिता, सामाजिक न्याय और पर्यावरणीय संतुलन जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। भविष्य में इसकी प्रासंगिकता इस बात पर निर्भर करेगी कि यह समावेशी, न्यायपूर्ण और सतत विकास को किस सीमा तक प्रभावी रूप से आगे बढ़ा पाता है। भविष्य में विश्व बैंक तभी प्रासंगिक रहेगा,

जबः- 1. वह अपनी मतदान प्रणाली को और लोकतांत्रिक बनाए, विकासशील देशों को ज्यादा आवाज दे।

2. वह पर्यावरणीय और सामाजिक मानकों को सख्ती से लागू करे।

3. वह चीन और नए विकास बैंकों (जैसे-।प्प्ठ) के बीच अपनी अलग पहचान बनाए रखे।

संदर्भ सूची:

- एफ.ए.ओ. (2014). कृषि एवं ग्रामीण विकास प्रतिवेदन। रोम
- कपूर, डी., लुईस, जे. पी., एवं वेब, आर. (1997). द वर्ल्ड बैंक: इट्स फर्स्ट हाफ सेंचुरी।
- कबीर, एन. (2015). लैंगिक समानता और विकास।
- गोल्डस्टीन, जे. एल. (2017). इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन्स।
- जोन्स, पी. (2012). विश्व बैंक द्वारा शिक्षा क्षेत्र का वित्त पोषण।
- ड्रीज़, जे., एवं सेन, ए. (2013). एन अनसर्टेन ग्लोरी।
- भारत सरकार (2020). भारत विकास सहभागिता प्रतिवेदन।
- बब्ब, एस. (2009). बियॉण्ड द डेवलपमेंट बिजनेस।

- मलाबी, एस. (2004). द वर्ल्ड्स बैंकर।
- स्टर्न, एन. (2007). जलवायु परिवर्तन का अर्थशास्त्र।
- स्टिग्लिट्ज़, जे. ई. (2002). ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिस्कॉन्टेंट्स।
- विलियमसन, जे. (1990). व्हाट वॉशिंगटन मीन्स बाय पॉलिसी रिफॉर्म।
- विश्व बैंक (2001). विष्व विकास प्रतिवेदन।
- विश्व बैंक (2014). कृषि एवं ग्रामीण विकास प्रतिवेदन।
- विश्व बैंक (2019). आधारभूत संरचना और विकास।
- विश्व बैंक (2020). भारत विकास सहभागिता प्रतिवेदन।
- विश्व बैंक (2021). कोविड-19 संकट प्रतिक्रिया प्रतिवेदन।
- विश्व बैंक (2022). विश्व बैंक वार्षिक प्रतिवेदन।
- विश्व बैंक (2023). विश्व बैंक का इतिहास।

लोक द्वय साधक, आदर्श कर्म पुरुष: प्रो. चक्रधर त्रिपाठी

डॉ. अरुण कुमार मिश्र
हिन्दी विभाग, एम.डी.पी.जी. कॉलेज, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश,

'ब्रह्मा विलोक्यधिसनं मुदामपदेवः' व्यास के इस कथन के अनुसार- इस जगत् में मानव स्रष्टा की सर्वोत्कृष्ट संरचना है। परमरमणीय अखिल ऐश्वर्य से परिपूर्ण संसार की सृष्टि करके भी उद्विग्न ब्रह्मा हृदय एवं मस्तिष्क से सम्पन्न मनुष्य का सृजन कर हर्षातिरेक में खिलखिलाकर हंस उठे थे। आत्म-कल्याण का स्वार्थ और लोक कल्याण का परमार्थ मनुष्य सही दिशा अपना कर इसी जन्म में पूर्ण कर सकता है। वह इतना बलिष्ठ, समर्थ एवं आत्म निर्भर है कि अपनी क्षमताओं का उपयुक्त उपयोग करके विश्व-वन्य एवं देव स्पृहणीय बन सकता है। सांसारिक प्रगति के साथ पारलौकिक उपलब्धि भी उसका वास्तविक लक्ष्य हुआ करती है। पुरुषार्थ चतुष्टय में प्रमुख धर्म भी 'यतो अभ्युदय निः श्रेयस्सि स धर्मः' की उक्ति भी उभयार्थ ऐहिक पारलौकिक सिद्धि को ही ध्वनित करता है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, ज्यादातर लोग या तो भ्रष्ट हैं या अंतर्मुखी हैं, मूल दुनिया की चमक-दमक को ही सब कुछ माननें लगे हैं। वास्तव में, 'या लोकद्वय साधिनी तनुभृतम् या चतुर्य चतुरी' उस गंभीरता और सरलता की प्रशंसा है जो लोक और परलोक दोनों को पूर्ण करती है। इस नश्वर संसार में व्यापक कर्म करके, परलोक के चिंतन में समर्पित होकर अक्षय-यश स्थापित करने वाले उदार-चित्त लोग न केवल एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं, बल्कि 'अमर पुत्रों' की अमरता की भावना भी स्थापित करते हैं। ऐसे यशस्वी लोक साधक प्रो चक्रधर त्रिपाठी जी हैं, जो वर्तमान में कुलपति पद पर आसीन होने के बावजूद भी सहजता, सरलता, कर्मनिष्ठता की प्रतिमूर्ति है।

आज से पैसठ वर्ष पूर्व चैत्य माह के शुक्ल पक्ष द्वादशी, दिन शुक्रवार, विक्रम संवत 2017 में भारत के हृदय में वैतरणी नदी जिसे गुप्त गंगा या गुप्त वैतरिणी भी कहते है, के समीपस्थ क्योंझर जिले के अन्तर्गत जगन्नाथपुर गाँव में भाग्यशाली दम्पति श्रीयुत स्व. श्री अगणि चरण तिआड़ी और श्रीमती सावित्री पंडा के घर प्रो. चक्रधर त्रिपाठी जी का जन्म हुआ। सबसे भाग्यशाली पिता ने, उनके गुणों के अनुसार, उन्हें चक्रधर, भगवान विष्णु, मुरारी के पर्याय का नाम दिया। पैतृक संस्कार ने पुराणों और शास्त्रों के सार में उन्हें डुबो दिया था। शैशवावस्था में नाम की विशेषताएँ प्रसारित होती रहीं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था में भी व्यक्तित्व की विशेषताएँ धीरे-धीरे परिलक्षित होती गईं, प्रभुत्व उभरता गया, पात्रता बढ़ती गई। घर, गाँव के निवासियों, रिश्तेदारों और सहपाठियों के बीच आपका स्थान ऊँचा हो गया, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ गई, आपकी प्रतिष्ठा के साथ-साथ तर्क और चिंतन की क्षमता भी अग्रसर होती रही।

विभिन्न भारतीय मनीषियों द्वारा समय-समय पर अभिव्यक्त की गई सज्जनता-महापुरुषत्व की परिभाषा का एक-एक अक्षर प्रो0 चक्रधर जी की शारीरिक कान्ति, सम्मोहक-वचोविभूति, हृदय-गंभीरता तथा अतन्द्रिल कर्म-निष्ठा के रूप में स्वतः प्रतिबिंबित होता है। मन बचन एवं कर्म की एकता ही उनकी कार्य-पद्धति की आधारशिला बनी है। सज्जन व्यक्ति वही है, जो मन में सोची गई बातों को वचन से यथार्थतया व्यक्त कर सके तथा अन्ततः क्रिया-रूप में परिणत कर दे-

'मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम्।' - (हितोपदेश)

त्रिपाठी जी के जीवन-महासमर में आज भी अगणित भयावह, चिन्ताजनक परिस्थितियाँ आलोड़ित-विलोड़ित हो रहीं है, पर आपका मन इन असह्य-दारुण परिस्थितियों में भी अविचलित, शान्त एवं गम्भीर बना रहता है। जिन विषम समस्याओं में ऊँचे-से-ऊँचे विवेकी राजनीतिज्ञ तथा शिखरस्थ मनीषी जन अपना विवेक खो बैठते है, वहीं त्रिपाठी जी का विवेक-विभाकर प्रखर प्रताप-पुंज से प्रकाशित दीख पड़ता है। उदय-काल में जो लालिमा सूर्यमण्डल में परिलक्षित होती है, अस्तङ्गमनकाल में भी पूर्ववत वही लालिमा बनी रहती है। त्रिपाठी जी अपने विद्यार्थी जीवन काल में जैसे निश्छल, निश्चल तथा गम्भीर रहते थे, वैसे ही इस उच्चतम पद पर प्रतिष्ठत होने पर भी प्रशासनिक दायित्वों के भीषण झंझावातों में भी वे अडिग है। सम्पत्ति तथा विपत्ति के समय एक ही तटस्थ रूप को अपनाना ही तो महामानवता है। भगवान् राम अपने राज्याभिषेक समारोह का समाचार सुनकर जैसे सहज प्रसन्न दीख पड़े थे, वैसे ही प्रातः राज्याभिषेक के स्थान पर वन-प्रयाण के जहरीले आदेश-स्वरों का सानन्द स्वीकृत करने पर भी प्रमुदित ही रहे-

''प्रसन्नतां या न गताऽभिषेकत स्तथा न मम्ले वन-वास-दुःखतः।
मुखाम्बुज-श्रीः रघुनन्दनस्य में सदाऽतु सा मंजुल मंगल-प्रदा।।''
- ('मानस' तुलसीदास, अयोध्याकाण्ड)

''उदेति सविता ताम्रस्ताम् एवास्तमेति च।
सम्पत्तौ च विपत्तौ च महतामेकरूपता।।'' - (हितोपदेश)

अकादमिक क्षेत्र:

'नई कविता में युगबोध' विषय पर आपने विश्व-भारती शांतिनिकेतन विश्वविद्यालय से 1991 में पीएच.डी. की डिग्री प्राप्त की, परंतु उसके 4 वर्ष पूर्व ही खड़गपुर कॉलेज, खड़गपुर, पश्चिम बंगाल में लेक्चरर हो चुके थे, जहाँ पर 4.3 वर्ष की सेवा अवधि के दौरान अपने वहाँ के हिंदी के विद्यार्थियों को हिंदी विषय के ककहरा से लेकर हिंदी वर्णमाला की वैज्ञानिकता तक का युगबोध कराया। जिन विद्यार्थियों में पढ़ने की जिजीविषा थी, उन्हें आपने हिंदी में प्रवीण किया। हिंदी और बांग्ला दोनों भाषाओं में आपकी प्रवीणता ने वहाँ के हिंदी के विद्यार्थियों में आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रति अत्यधिक रूचि बढ़ाया। यह आपके लिए ही नहीं, अपितु विश्व-भारती शांतिनिकेतन विश्वविद्यालय के लिए भी संयोग का क्षण था, जब आपने पी-एच.डी. की उपाधि के उपरांत वहाँ पर लेक्चरर पद से अध्यापन कार्य शुरू किया। 1991 में शांतिनिकेतन में आप लेक्चरर बने, तदुपरांत 1998 से 2006 तक रीडर पद पर और 2006 से लेकर 30 अप्रैल 2025 तक प्रोफेसर पद पर कार्यरत रहे हैं। अध्यापन के इन 37 वर्ष 11 माह 22 दिन (4 वर्ष 6 माह 13 दिन, खड़गपुर कॉलेज, खड़गपुर तथा 33 वर्ष 5 माह 9 दिन विश्वभारती, शांति-निकेतन) के कार्यकाल में अपने उच्चकोटि के प्रशासनिक दायित्वों का भी निर्वाह किया। शांति निकेतन में ही आप निदेशक, शारीरिक-शिक्षा, खेल, राष्ट्रीय सेवा योजना, छात्र-कल्याण अधिष्ठाता पद पर भी रहे। नई शिक्षा नीति पर आपने अंतरराष्ट्रीय सहयोग का संयोजकत्व भी किया।

हिंदी विभाग में विभागाध्यक्ष पद पर रहते हुए आपने अनेक नए-नए कार्यों को करने पर बल दिया। बोर्ड ऑफ स्टडी के अध्यक्ष रहे, राजभाषा के मानद निदेशक रहे, यही नहीं 'टैगोर इंस्टीट्यूट आफ आर्ट एंड एजुकेशन' में हिंदी शिक्षण के भी निदेशक रहे। शिक्षकों के बीच भी आपकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा थी, कि विश्वभारती विश्वविद्यालय शांतिनिकेतन में 8 वर्ष तक शिक्षक संघ के अध्यक्ष भी रहे। 25 से अधिक कार्यों संस्थाओं राष्ट्रीय- अंतरराष्ट्रीय संगठनों में आप सदस्य रहे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था विजिटर के रूप में सिलेक्शन कमेटी में आपका होना और अनेक होनहारों के भविष्य को

सजाने और संवारने का दायित्व आप पर था और आपके द्वारा ही अनेक विद्यार्थियों का चयन सहायक प्रोफेसर, सह प्रोफेसर और प्रोफेसर के रूप में किया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वित्तीय, शैक्षणिक व अन्य अनुदानों में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, क्योंकि आप उसके सदस्य के रूप में कार्यरत रहे। विश्व की सबसे बड़ी संस्था राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन में बुक सिलेक्शन कमेटी एवं फाउंडेशन ग्रांट कमेटी में आपका होना ही आपको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाता है।

प्रशासनिक दायित्व के साथ-साथ आपका शिक्षण प्रशिक्षण और पुस्तक लेखन का कार्य भी चलता रहा। आपकी महत्वपूर्ण कृतियों में 'नई कविता का प्रतिपाद्य', 'कबीर की भक्ति', 'सियाराम तिवारी व्यक्तित्व एवं कृतित्व', 'विश्व-भारती पत्रिका सार संदर्भिका', 'ए नोटेड एंड डिस्क्रिप्टिव केटेलॉग ऑफ विश्वभारती', 'हिन्दी त्रैमासिक'। आपकी संपादित पुस्तकों में 'चिंतामणि संचयन', 'कृष्ण चन्दर की प्रतिनिधि कहानियाँ', 'आत्मनिर्भर भारत', 'जैनेंद्र कुमार विविध वातायनों' में प्रमुख है।

पुस्तक अनुवाद कार्य में 'मेजर ट्रेंड इन ओडिशा फिलॉसफी', 'जन्मदिन' (रवीन्द्रनाथ टैगोर जन्मदिन के अवसर पर), 'आरएसएस एक दृष्टिकोण' का हिन्दी से बांग्ला में अनुवाद किया। आपका सर्वोत्तम कार्य 'गोपबंधु रचनावली' (आठ भाग) है, जो नेशनल बुक ट्रस्ट (शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा) से ओड़िया और हिन्दी दोनों में प्रकाशनाधीन है, 'उड़ीसा में संघ का इतिहास' पुस्तक हिन्दी ओड़िया दोनों भाषाओं में लिखा। आपने 27 से अधिक

पी-एच.डी. की थीसिस का मूल्यांकन किया और उतने ही शोध लेख प्रकाशित हुए हैं। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपने 35 से अधिक संस्थानों में व्याख्यान दिया है। आप कई विश्वविद्यालयों में विजिटर नॉमिनी भी रहे साथ ही साथ चयन समितियों में भी रहे। एक शिक्षक के रूप में आपने गुरूतर दायित्वों का उदात्त रूप में निर्वहन किया है, आपके छात्र आपसे सदैव सीखने की प्रक्रिया में संलग्न रहते है।

आपके सानिध्य में चार से अधिक छात्रों ने एम0फिल्0 की डिग्री तथा 16 से अधिक छात्रों ने पी-एच.डी. की डिग्री प्राप्त की। आपको विभिन्न प्रांतों ओड़िशा (भुवनेश्वर), असम, उत्तर प्रदेश (मुनीश्वर दत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय, प्रतापगढ़), दिल्ली, पटना, राजस्थान इत्यादि की बड़ी-बड़ी संस्थाओं, सरकारी, गैर संस्कारी संस्थाओं द्वारा पुरस्कृत भी किया गया।

उच्छृंखलता, उद्दण्डता, अनुशासनहीनता त्रिपाठी जी को असह्य है। आपकी अनुशासन प्रियता, प्रशासनिक क्षमता, औचित्यबोध, अप्रतिम एवं अनुकरणीय हैं। आज भी आपकी अनुशासनिक गरिमा तथा व्याप्त वर्चस्व के कारण भव्याति-भव्य गौरवान्वित व्यक्तियों तथा अन्तरंगों को भी त्रिपाठी जी से मिलने में प्रकम्पन होता है, वे सहमते हैं। वरेण्य उक्त विवेचन के आधार पर त्रिपाठी जी सर्वथा अनुकरणीय एवं आदर्श हैं। शिक्षण क्षेत्र की उच्चतम पद की प्रतिष्ठा और सफलता प्राप्त करने पर भी वही कर्मठता, सक्रियता, अध्ययन-अध्यापन तथा वैचारिक शृंखला बनी हुई है ।

गरिमा तथा व्याप्त वर्चस्व के कारण भव्याति-भव्य गौरवान्वित व्यक्तियों तथा अन्तरंगों को भी त्रिपाठी जी से मिलने में प्रकम्पन होता है, वे सहमते हैं। वरेण्य उक्त विवेचन के आधार पर त्रिपाठी जी सर्वथा अनुकरणीय एवं आदर्श हैं। शिक्षण क्षेत्र की उच्चतम पद की प्रतिष्ठा और सफलता प्राप्त करने पर भी वही कर्मठता, सक्रियता, अध्ययन-अध्यापन तथा वैचारिक शृंखला बनी हुई है। ये ज्ञान, क्रिया, प्रेम और सद्भाव को अत्यावश्यक बताते हैं। नैतिकता के लिये वे स्वतन्त्रता और नियन्त्रण दोनों को पूरक मानते हैं। त्रिपाठी जी चरित्र-प्रधान व्यक्ति है। ये चरित्रवान व्यक्तियों का समादर करते हैं, किन्तु दुष्चरित-व्यक्ति को इनके यहाँ कोई स्थान नहीं है। ये चरित्र को संस्कारों के फल की संज्ञा देते हैं। अपने चरित्रबल के

कारण ही वे कुर्सी की राजनीति में कभी नहीं फंसे। इन्होंने दैनिक जीवन में प्रेम को उत्कृष्ट स्थान दिया हैं। इनका विचार है कि प्रेम ही मनुष्य तथा ईश्वर के बीच सम्बन्धों को प्रगाढ़ करने का एक मात्र साधन है इसलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिये कि वह दूसरे के प्रति प्रेमपूर्वक कार्य का निर्वाह करे। यहाँ इनका यह विचार पंडित रामनरेश त्रिपाठी की अधोलिखित पंक्तियों को साकार करता प्रतीत होता है कि-

''सच्चा प्रेम वही है, जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर।
त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर।।''

आदरणीय त्रिपाठी जी मानव को ईश्वर का स्वरूप मानते हैं। इनके अनुसार मानव और ईश्वर में प्रेम तथा आनन्द का सम्बन्ध है। यहाँ ये टैगोर की मानवतावादी विचारधारा के पोषक प्रतीत होते हैं। जिनके विद्यामन्दिर मानव तथा मानवता के उद्धार एवं मानव जीवन के ब्रह्मानन्द की खोज के लिये खोले गये हैं।

आप शरणागत-भक्त हैं। आपमें यह भावना अपने पूज्य पिता जी के क्रिया-कलापों द्वारा आयी थी। इन्हीं संस्कारों से पंडित जी में भी शरणागत सेवा भाव आया है। आज तक जो भी आपकी शरण में आया उसे इन्होंने कभी निराश नहीं किया है। आपकी इस प्रवृत्ति से अनेक लोगों का उद्धार हुआ है। कोरापुट विश्वविद्यालय में कुलपति पद पर रहते हुए 70 से अधिक चयन सहायक प्रोफेसर, सह प्रोफेसर और प्रोफेसर पद पर किया, जो कि आपके लोक कल्याण भावना को व्यक्त करती है।

आप जन्म से ही भारतीय संस्कृति और संस्कारों के पोषक रहे हैं। आप एक सांस्कृतिक-पुरुष है। भारतीय संस्कृति में आपका विश्वास है कि हमारी संस्कृति ही श्रेष्ठ है और हमें गर्व है कि हमारे पूर्वजों ने ही संसार के लोगों को संस्कृति और सभ्यता का प्रथम पाठ पढ़ाया था। आपके शब्दों में 'संस्कृति पूर्वजों से प्राप्त वह विरासत है जिसमें उनके प्रयास का सारा इतिहास छिपा हुआ है।' इसके अतिरिक्त आप आध्यात्मिक एवं नैतिक व्यवहारों को ही मूल्य की संज्ञा देते हैं। मानव जीवन में आप मूल्यों को बहुत ही उपयोगी मानते हैं। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में ही प्रोफेसर चक्रधर त्रिपाठी को 'लोक द्वय-साधक: आदर्श कर्म पुरुष' के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया गया है। व्यक्ति जन्म से नहीं कर्मों से ही अपनी महत्ता पाता है। संयम, उदारता, धैर्य, धर्म, नैतिकता, चरित्र-निर्माण के आवश्यक अवयव है, जो इन्हें आध्यात्मिक और मानसिक रूप से सबल बनाते हैं।

1857 की क्रांति के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश में ब्रिटिश प्रशासनिक बदलाव और स्थानीय प्रतिरोध

प्रो० डा० रामकुमार यादव
शोध निदेशक, मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास विभाग, राजकीय डिग्री कॉलेज, बहुआ देहात फतेहपुर

अखिलेश कुमार यादव
शोध छात्र, मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास विभाग

सार

प्रस्तुत शोध-पत्र 1857 की क्रांति के पश्चात पूर्वी उत्तर प्रदेश — जिसमें आज़मगढ़, गोरखपुर, बनारस, बलिया, जौनपुर और देवरिया जैसे ज़िले सम्मिलित हैं — में ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा लागू किए गए संरचनात्मक परिवर्तनों और उसके विरुद्ध उभरे स्थानीय प्रतिरोध के विविध रूपों का विश्लेषण करता है। 1857 के विद्रोह ने जहाँ एक ओर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया, वहीं दूसरी ओर इस क्षेत्र में कृषि, प्रशासन, न्याय-व्यवस्था एवं सामाजिक नियंत्रण के क्षेत्र में दूरगामी प्रभाव डालने वाले बदलाव आए। शोध में उपनिवेशवादी नीतियों के परिणामस्वरूप जन-असंतोष, सशस्त्र प्रतिरोध, धार्मिक आंदोलन और बौद्धिक प्रतिक्रियाओं का सूक्ष्म अध्ययन किया गया है। प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का यह क्षेत्र कभी भी औपनिवेशिक आधिपत्य के सामने पूर्णतः निष्क्रिय नहीं रहा — यहाँ की जनता ने अपने-अपने तरीकों से उपनिवेशवाद को चुनौती दी।

मुख्य शब्द: *1857 की क्रांति, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ब्रिटिश प्रशासन, स्थानीय प्रतिरोध, भू-राजस्व, उपनिवेशवाद, जन-आंदोलन, कृषक विद्रोह*

1. प्रस्तावना

1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास का एक ऐसा जलविभाजक है जिसने न केवल ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों को, बल्कि भारतीय समाज की राजनीतिक चेतना को भी एक नया आयाम दिया। इसे 'सिपाही विद्रोह', 'भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम', 'महा विद्रोह' और 'जन-क्रांति' जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। इतिहासकारों में इसकी प्रकृति और परिणामों को लेकर दशकों से बहस चलती आई है। परंतु इस बहस के केंद्र में अधिकांशतः दिल्ली, लखनऊ और कानपुर जैसे बड़े केंद्रों की चर्चा होती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश — जो इस विद्रोह का एक महत्त्वपूर्ण रंगमंच था — की स्थिति प्रायः उपेक्षित रह जाती है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध रहा है। गंगा और घाघरा के तटों पर बसे इस क्षेत्र में अवध के नवाबों, मुगल सूबेदारों और स्थानीय राजाओं का प्रभाव रहा था। 1857 की क्रांति के बाद यहाँ ब्रिटिश प्रशासन का जो नया ढाँचा स्थापित हुआ, उसने इस क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने को गहराई से

प्रभावित किया। इस ढाँचे के विरुद्ध जो प्रतिरोध उभरा, वह भी उतना ही विविधतापूर्ण और जटिल था।

प्रस्तुत शोध-पत्र इन्हीं प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास करता है: 1857 के बाद ब्रिटिश प्रशासन ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में कौन-कौन से संरचनात्मक परिवर्तन किए? इन परिवर्तनों के विरुद्ध स्थानीय जनता का प्रतिरोध किस रूप में सामने आया? और इस प्रतिरोध की ऐतिहासिक विरासत क्या है?

2. शोध पद्धति एवं स्रोत

यह शोध मूलतः एक ऐतिहासिक-विश्लेषणात्मक अध्ययन है जो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के स्रोतों पर आधारित है। प्राथमिक स्रोतों में उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार (लखनऊ), राष्ट्रीय अभिलेखागार (नई दिल्ली) और ब्रिटिश लाइब्रेरी (लंदन) में संरक्षित प्रशासनिक प्रतिवेदन, भू-बंदोबस्त अभिलेख, ज़िला गज़ेटियर, विधायी दस्तावेज़ और समकालीन हिंदी-उर्दू पत्र-पत्रिकाओं के अंक सम्मिलित हैं।

द्वितीयक स्रोतों में भारतीय और विदेशी इतिहासकारों की प्रामाणिक कृतियाँ, शोध-पत्रिकाओं के लेख और विश्वविद्यालयीय शोध-प्रबंध शामिल हैं। इस शोध में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों विश्लेषण विधियों का उपयोग किया गया है। राजस्व आँकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन, ज़िलावार प्रतिरोध की घटनाओं का वर्गीकरण और औपनिवेशिक कानूनों का आलोचनात्मक विश्लेषण — ये इस शोध के प्रमुख उपकरण हैं।

शोध की भौगोलिक सीमा आज़मगढ़, गोरखपुर, बनारस (वाराणसी), बलिया, जौनपुर और देवरिया ज़िलों तक निर्धारित की गई है, जबकि कालखंड 1857 से 1885 तक का है — अर्थात विद्रोह के तत्काल बाद से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तक।

3. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: 1857 से पूर्व पूर्वी उत्तर प्रदेश

3.1 सामाजिक-आर्थिक संरचना

1857 की क्रांति से पूर्व पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र बहुस्तरीय सामाजिक और आर्थिक संरचना से युक्त था। यहाँ के गाँवों में कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था प्रचलित थी जिसमें ज़मींदार, किसान और भूमिहीन श्रमिक — तीनों की भूमिका निर्धारित थी। ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और कायस्थ जातियाँ भूमि-स्वामित्व में अग्रणी थीं, जबकि कुर्मी, यादव और चमार जातियाँ मुख्यतः कृषि-श्रम में संलग्न थीं (मिश्र, 1987)।

अवध के नवाबों का प्रभाव इस क्षेत्र पर गहरा था। गोरखपुर और बस्ती जैसे ज़िले उनके प्रशासनिक क्षेत्र में आते थे, जबकि बनारस और जौनपुर का क्षेत्र पहले से ही कंपनी के नियंत्रण में था। नवाबी काल में स्थानीय शासन, राजस्व-वसूली और न्याय-व्यवस्था में एक निश्चित लचीलापन था जो औपनिवेशिक शासन के तहत कठोर नौकरशाही में बदल गया।

3.2 कंपनी शासन में बढ़ता तनाव

1801 से 1857 के बीच कंपनी के विस्तारवादी शासन ने इस क्षेत्र में गहरा असंतोष पैदा किया। स्थायी बंदोबस्त और उसके बाद की नीतियों ने पारंपरिक भूमि-सम्बन्धों को छिन्न-भिन्न कर दिया। कंपनी की कराधान नीतियाँ इतनी कठोर

थीं कि छोटे किसान और ज़मींदार दोनों ही उनसे त्रस्त थे। धार्मिक हस्तक्षेप — चाहे वह ईसाई मिशनरियों का हो या नई शिक्षा नीति का — ने सामाजिक चिंता को और गहरा किया (गुहा, 1983)।

चर्बी वाले कारतूसों का विवाद केवल एक तात्कालिक कारण था; इसके पीछे दशकों का संचित आक्रोश था। 1857 की क्रांति जब भड़की, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के सिपाहियों, किसानों और नवाबों ने एक साथ इस विद्रोह में भाग लिया। आज़मगढ़ के कुँवर सिंह के सहयोगियों से लेकर गोरखपुर के स्थानीय तालुकेदारों तक — सभी ने इस संघर्ष में अपनी भूमिका निभाई।

4. 1857 के बाद ब्रिटिश प्रशासनिक परिवर्तन

4.1 शासन-व्यवस्था का पुनर्गठन

1858 के भारत सरकार अधिनियम ने कंपनी के शासन को समाप्त कर ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया। पूर्वी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इसका अर्थ था — पुराने नवाबी और तालुकेदारी ढाँचे को तोड़कर एक केंद्रीकृत, सैन्य-नौकरशाही तंत्र स्थापित करना। नए कलेक्टरों और जिला मजिस्ट्रेटों को व्यापक अधिकार दिए गए। स्थानीय भाषाओं और परंपराओं से परिचित अधिकारियों की जगह अब अधिकांशतः ऐसे अंग्रेज़ अधिकारी नियुक्त किए गए जो यहाँ की सामाजिक वास्तविकताओं से अनभिज्ञ थे (स्टोक्स, 1978)।

प्रशासनिक पुनर्गठन के तहत पुराने 'परगना' की जगह नए 'तहसील' और 'ज़िला' व्यवस्था को मज़बूत किया गया। पुलिस का नया ढाँचा बनाया गया जो सीधे ज़िला मजिस्ट्रेट के अधीन था। न्यायालयों में फ़ारसी की जगह अंग्रेज़ी और हिंदी को धीरे-धीरे स्वीकार किया गया, परंतु इस प्रक्रिया में स्थानीय कानूनी परंपराओं को नज़रअंदाज़ किया गया।

4.2 भू-राजस्व नीति और उसके प्रभाव

1857 के बाद की भू-राजस्व नीति पूर्वी उत्तर प्रदेश के जन-जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला कारक सिद्ध हुई। 1859 के भूमि-बंदोबस्त कानूनों ने ज़मींदारों को कानूनी संरक्षण दिया, परंतु छोटे किसानों और काश्तकारों की स्थिति को और कमज़ोर कर दिया। राजस्व का बोझ निरंतर बढ़ता गया — 1855 से 1870 के बीच इस क्षेत्र में भू-राजस्व में औसतन 74.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई (नारायण, 2003)।

नील की खेती को लेकर भी एक विशेष नीति थी जिसमें किसानों को अपनी इच्छा के विरुद्ध नील उगाने के लिए बाध्य किया जाता था। आज़मगढ़ में 1859-60 में इसी के विरुद्ध व्यापक प्रतिरोध हुआ। तालुकेदारों को एक नई कानूनी स्थिति दी गई — उन्हें स्थायी ज़मींदार के रूप में मान्यता मिली, परंतु उन्हें औपनिवेशिक व्यवस्था के प्रति निष्ठावान रहना अनिवार्य था।

तालिका 1: प्रमुख ब्रिटिश प्रशासनिक परिवर्तन एवं उनका पूर्वी उत्तर प्रदेश पर प्रभाव

वर्ष	प्रशासनिक परिवर्तन	पूर्वी उत्तर प्रदेश पर प्रभाव
1858	भारत सरकार अधिनियम — कंपनी शासन समाप्त, ताज का शासन आरंभ	स्थानीय शासन ढाँचे में आमूल परिवर्तन; नवाबी अधिकार समाप्त
1859	भू-राजस्व पुनर्निर्धारण और बंदोबस्त कानून	किसानों पर कर का बोझ बढ़ा; ज़मींदारों को संरक्षण मिला
1861	भारतीय परिषद अधिनियम	स्थानीय प्रतिनिधित्व न्यूनतम; नौकरशाही सुदृढ़
1864	उत्तर-पश्चिमी प्रांत में पुलिस सुधार	गाँव-स्तरीय निगरानी कड़ी; जासूसी तंत्र विस्तृत
1871	आपराधिक जनजाति अधिनियम	कई स्थानीय समूहों को 'अपराधी जाति' घोषित — विरोध का कारण बना
1878	वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम	हिंदी-उर्दू पत्रकारिता पर प्रतिबंध; जन-संचार बाधित
1882	भूमि अधिग्रहण और स्थानांतरण प्रतिबंध	किसान वर्ग की ज़मीन से बेदखली; असंतोष गहरा

स्रोत: उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार, लखनऊ; ब्रिटिश भारतीय विधायी रिकॉर्ड (1858-1882)

4.3 सैन्य और पुलिस व्यवस्था में परिवर्तन

1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश शासन को यह स्पष्ट कर दिया कि स्थानीय सैनिकों पर अंधाधुंध विश्वास करना खतरनाक हो सकता है। परिणामस्वरूप, सेना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया और 'बफर जातियों' — जैसे गोरखा, पंजाबी और सिख — को प्राथमिकता दी गई। पूर्वी उत्तर प्रदेश के उच्च जाति के सिपाहियों की संख्या में कमी की गई जो कि 1857 के विद्रोह में अग्रणी रहे थे।

पुलिस सुधारों के तहत प्रत्येक ज़िले में एक केंद्रीय पुलिस व्यवस्था स्थापित की गई। 1861 के पुलिस अधिनियम ने जिला पुलिस को एक संगठित रूप दिया। ग्रामीण स्तर पर 'चौकीदारी कर' लागू किया गया जिसके अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण को गाँव की सुरक्षा के लिए कर देना अनिवार्य था — यह कर स्थानीय जनता में अत्यंत अलोकप्रिय रहा।

5. स्थानीय प्रतिरोध के विविध रूप

5.1 कृषक विद्रोह और भूमि-संघर्ष

1857 के तत्काल बाद के वर्षों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में कृषक प्रतिरोध सबसे व्यापक और तीव्र था। बलिया में 1858-1860 के बीच भूमिहार किसानों ने नए राजस्व निर्धारण के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष किया। इस प्रतिरोध में राजा देवी बक्श का नेतृत्व उल्लेखनीय था जिन्होंने ब्रिटिश करारोपण के विरुद्ध किसानों को संगठित किया। ब्रिटिश सेना को इसे दबाने के लिए कई सप्ताह का सैनिक अभियान चलाना पड़ा, और इस प्रक्रिया में अनेक गाँव जलाए गए तथा सैकड़ों किसानों को कारागार में डाला गया (मुखर्जी, 2001)।

आज़मगढ़ में नील की खेती के विरुद्ध प्रतिरोध एक विशेष ऐतिहासिक महत्त्व रखता है। यहाँ के किसानों ने सामूहिक रूप से नील उगाने से इनकार किया और स्थानीय ज़मींदारों ने भी उनका समर्थन किया। इस प्रकार एक ऐसा असामान्य गठबंधन बना जिसमें किसान और ज़मींदार — जो प्रायः परस्पर विरोधी हितों के प्रतिनिधि होते हैं — एक साथ आए।

जौनपुर में 1861 में मालगुज़ारी देने से सामूहिक इनकार की घटना भी इसी प्रकार की एकजुटता का उदाहरण है, जहाँ स्त्रियों की भूमिका विशेष रूप से उल्लेखनीय रही।

5.2 धार्मिक एवं सांस्कृतिक प्रतिरोध

धर्म और संस्कृति के माध्यम से प्रतिरोध का एक विशिष्ट और महत्त्वपूर्ण रूप इस क्षेत्र में देखने को मिलता है। गोरखपुर में 1870 के दशक में गोरक्षा आंदोलन ने एक सामाजिक-धार्मिक प्रतिरोध का रूप लिया। गोरक्षा संगठनों ने न केवल गाय-वध के विरुद्ध आवाज़ उठाई, बल्कि औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध एक सांस्कृतिक पहचान को भी सुदृढ़ किया। हालाँकि यह आंदोलन कभी-कभी सांप्रदायिक तनाव का कारण भी बना, परंतु इसकी मूल प्रेरणा औपनिवेशिक हस्तक्षेप के विरुद्ध थी (पांडे, 1990)।

बनारस में ब्राह्मण पुजारियों और पंडितों द्वारा ब्रिटिश कर-व्यवस्था को अस्वीकार करना एक सांस्कृतिक-धार्मिक विरोध का रूप था। 1867 में विभिन्न मंदिरों पर लगाए गए करों के विरुद्ध पंडितों ने एकजुट होकर पत्रक वितरित किए और जन-सभाएँ आयोजित कीं। ब्रिटिश प्रशासन ने इसे 'धार्मिक उन्माद' कहकर दरकिनार करने की कोशिश की, परंतु इसके पीछे एक गहरी राजनीतिक चेतना थी।

इसी काल में देवरिया और आसपास के वन-क्षेत्रों में आदिवासी और वन-निवासी समुदायों ने वन-अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया। ब्रिटिश वन-नीतियों ने पारंपरिक वन-उपयोग के अधिकारों को छीन लिया था — इसके विरुद्ध किसान और आदिवासी एकजुट हुए जो एक असाधारण सामाजिक-राजनीतिक घटना थी।

तालिका 2: ज़िलावार प्रतिरोध की प्रमुख घटनाएँ एवं उनकी विशेषताएँ (1857-1885)

ज़िला	प्रतिरोध का रूप	प्रमुख घटनाएँ एवं नेतृत्व	ब्रिटिश प्रतिक्रिया
	कृषक विद्रोह	1859 — नील की खेती से इनकार; स्थानीय ज़मींदारों का समर्थन	सामूहिक गिरफ्तारी, गाँव जलाए गए
गोरखपुर	धार्मिक प्रतिरोध	1870 के दशक — गोरक्षा आंदोलन; स्थानीय पुजारियों की भूमिका	सभाओं पर प्रतिबंध; नेताओं को निर्वासन
बनारस	बौद्धिक-सांस्कृतिक प्रतिरोध	1867 — ब्राह्मण पंडितों द्वारा कर अस्वीकृति; पत्रक वितरण	छापेखाने बंद; प्रमुख लेखक गिरफ्तार
बलिया	सशस्त्र संघर्ष	1858-60 — भूमिहार किसानों का विद्रोह; राजा देवी बक्श का नेतृत्व	सैनिक अभियान; जमींदारी जब्त
जौनपुर	राजस्व अस्वीकृति	1861 — मालगुज़ारी देने से सामूहिक इनकार; स्त्री-नेतृत्व भी उल्लेखनीय	नए करारोपण; ग्राम मुखिया बदले गए
देवरिया	वन-अधिकार संघर्ष	1870-80 — वन-भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध; आदिवासी-किसान एकजुटता	वन विभाग का कड़ा नियंत्रण; दंड अभियान

स्रोत: ज़िला गज़ेटियर, उत्तर प्रदेश; राष्ट्रीय अभिलेखागार रिपोर्ट; गुहा (1983); पांडे (1990)

5.3 बौद्धिक एवं साहित्यिक प्रतिरोध

पूर्वी उत्तर प्रदेश के बौद्धिक वर्ग ने भी औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध एक सशक्त प्रतिरोध विकसित किया। बनारस और आज़मगढ़ के लेखकों, कवियों और पत्रकारों ने हिंदी और उर्दू साहित्य के माध्यम से जन-चेतना जगाने का प्रयास किया। यहाँ की पत्र-पत्रिकाओं में ब्रिटिश नीतियों की आलोचना एक सामान्य विषय थी। 1878 के वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम के बावजूद — जिसने हिंदी-उर्दू पत्रकारिता पर गंभीर प्रतिबंध लगाए — लेखकों ने सांकेतिक और रूपकात्मक भाषा में अपना विरोध जारी रखा।

भारतेंदु हरिश्चंद्र जो बनारस के थे, उनकी रचनाएँ इस बौद्धिक प्रतिरोध का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण हैं। उनकी नाटक-रचनाओं और निबंधों में औपनिवेशिक शोषण की तीखी आलोचना है जो सामान्य पाठक को भी सुगमता से समझ आती थी। इसी परंपरा में आगे चलकर महावीर प्रसाद द्विवेदी और अन्य लेखकों ने हिंदी साहित्य को एक राष्ट्रीय-सांस्कृतिक आंदोलन का माध्यम बनाया (चटर्जी, 1993)।

5.4 महिलाओं की भूमिका

1857 के बाद के प्रतिरोध में महिलाओं की भूमिका पर पर्याप्त शोध नहीं हुआ है, परंतु उपलब्ध साक्ष्य बताते हैं कि जौनपुर और आज़मगढ़ में महिलाओं ने राजस्व-अस्वीकृति और सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों में सक्रिय भाग लिया। ग्रामीण महिलाएँ सूचना-प्रसार और विद्रोहियों को सहायता पहुँचाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। उनकी सहभागिता प्रायः ब्रिटिश अभिलेखों में दर्ज नहीं हुई क्योंकि औपनिवेशिक प्रशासन उन्हें राजनीतिक अभिकर्ता नहीं मानता था (सरकार, 1993)।

6. राजस्व आँकड़े और आर्थिक दोहन का विश्लेषण

ब्रिटिश प्रशासनिक परिवर्तनों के आर्थिक प्रभावों को समझने के लिए राजस्व आँकड़ों का विश्लेषण अनिवार्य है। नीचे प्रस्तुत तालिका 1855 से 1870 के बीच पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रमुख ज़िलों में भू-राजस्व की वृद्धि को दर्शाती है।

तालिका 3: पूर्वी उत्तर प्रदेश में भू-राजस्व वृद्धि (1855-1870)

क्षेत्र	1855 में राजस्व (₹ लाख में)	1870 में राजस्व (₹ लाख में)	वृद्धि प्रतिशत
आज़मगढ़	18.4	31.7	72.3%
गोरखपुर	22.1	38.9	76.0%
बनारस	34.6	57.2	65.3%
बलिया	9.8	19.1	94.9%
जौनपुर	15.3	27.8	81.7%
कुल क्षेत्र	100.2	174.7	74.4%

स्रोत: भू-बंदोबस्त रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार; नारायण (2003) के आँकड़ों पर आधारित

इन आँकड़ों से स्पष्ट है कि 1857 के बाद मात्र 15 वर्षों में ही इस क्षेत्र में भू-राजस्व में औसतन 74 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई। बलिया जैसे छोटे ज़िले में यह वृद्धि लगभग 95 प्रतिशत थी जो कि अत्यंत कठोर थी। यह वृद्धि उस काल की मूल्य-स्तर वृद्धि से कहीं अधिक थी, जो बताती है कि किसानों पर वास्तविक आर्थिक बोझ बेतहाशा बढ़ा।

इस आर्थिक दोहन के परिणाम दूरगामी थे। भूख और ऋण-ग्रस्तता बढ़ी। छोटे किसान महाजनों के चंगुल में फँसते गए। भूमि-हस्तांतरण बढ़ा जिसमें किसान अपनी ज़मीनें महाजनों और साहूकारों को देने पर विवश हुए। इस प्रक्रिया ने कृषक-असंतोष को और गहरा किया जो आगे चलकर 1857 के बाद के प्रतिरोध आंदोलनों का आर्थिक आधार बना।

7. औपनिवेशिक कानूनी ढाँचा और स्थानीय न्याय-व्यवस्था पर प्रभाव

7.1 नए कानूनी संस्थान

1857 के बाद ब्रिटिश प्रशासन ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक नई न्याय-व्यवस्था स्थापित की जो पुरानी मुगल-अवधी कानूनी परंपराओं से मूलतः भिन्न थी। नए ज़िला न्यायालय, सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय (इलाहाबाद) की श्रेणीबद्ध व्यवस्था बनाई गई। इस व्यवस्था में न्याय की भाषा, प्रक्रिया और सिद्धांत — सभी औपनिवेशिक मूल्यों पर आधारित थे।

पारंपरिक पंचायती न्याय को कानूनी मान्यता तो मिली, परंतु उसे आधिकारिक न्यायिक तंत्र के अधीन कर दिया गया। 1871 के आपराधिक जनजाति अधिनियम ने कई स्थानीय समुदायों को 'जन्मजात अपराधी' घोषित किया — यह न केवल सामाजिक कलंक का कारण बना, बल्कि उन समुदायों के लिए आजीविका और स्वतंत्र आवागमन पर भी गंभीर प्रतिबंध लगा दिए।

7.2 भूमि-कानूनों का जटिल जाल

1859, 1868 और 1882 के भूमि-कानूनों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश की भूमि-व्यवस्था को मौलिक रूप से बदल दिया। इन कानूनों के तहत भूमि-स्वामित्व को एक कानूनी दस्तावेज़-आधारित व्यवस्था में बदल दिया गया। जो किसान पारंपरिक रूप से भूमि पर खेती करते आए थे, उन्हें अब अपने अधिकार साबित करने के लिए कागज़ात प्रस्तुत करने पड़ते थे — एक ऐसी प्रक्रिया जो अधिकांश निरक्षर किसानों के लिए असंभव थी (चंद्रा, 2000)।

भूमि-हस्तांतरण पर नए प्रतिबंधों ने ज़मींदारों और महाजनों को लाभ पहुँचाया, जबकि साधारण किसान उपेक्षित होते गए। 1882 के भूमि-अधिग्रहण कानून ने सरकार को सार्वजनिक हित के नाम पर किसी भी भूमि का अधिग्रहण करने का अधिकार दिया — इसका उपयोग रेलवे, नहर निर्माण और सैनिक छावनियों के लिए खुलकर हुआ, और किसानों को उचित मुआवज़ा शायद ही मिला।

8. औपनिवेशिक नीतियों के सामाजिक परिणाम

8.1 जातीय संरचना पर प्रभाव

ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियों का जातीय संरचना पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। 'सहायक जातियों' और 'युद्धप्रिय जातियों' की अवधारणा ने जातिगत पहचान को एक नया आयाम दिया। ब्रिटिश प्रशासन ने जनगणना (1881 से) के माध्यम से जातियों का वर्गीकरण किया, जिसने पहले से मौजूद जातीय विभाजनों को और कठोर बना दिया।

उच्च जातियों — विशेषकर ब्राह्मण और राजपूत — के लिए नौकरशाही में प्रवेश अपेक्षाकृत सहज था, परंतु पारंपरिक भूमि-अधिकारों के ह्रास ने उनके आर्थिक आधार को कमज़ोर किया। निम्न जातियों के लिए स्थिति और भी कठिन थी — उन्हें न तो भूमि-अधिकार मिले और न ही सरकारी सेवाओं में प्रवेश। इस दोहरे उत्पीड़न ने जातीय-वर्गीय

चेतना को एक नया स्वरूप दिया जो बाद के आंदोलनों में प्रकट हुआ (आंबेडकर, 1936)।

8.2 शिक्षा और भाषा नीति

मैकाले की शिक्षा नीति (1835) के दीर्घकालिक प्रभाव 1857 के बाद इस क्षेत्र में और स्पष्ट हुए। अंग्रेज़ी माध्यम की शिक्षा ने एक नए 'शिक्षित वर्ग' को जन्म दिया जो औपनिवेशिक सेवाओं के लिए उपयुक्त था, परंतु अपनी जड़ों से कटता भी जा रहा था। दूसरी ओर, हिंदी और संस्कृत की पारंपरिक शिक्षा — जो पाठशालाओं और गुरुकुलों में दी जाती थी — को हाशिये पर धकेला गया।

बनारस में हिंदी आंदोलन 1860-70 के दशक में एक सांस्कृतिक प्रतिरोध के रूप में उभरा। 1893 में 'नागरी प्रचारिणी सभा' की स्थापना इसी चेतना की परिणति थी। हिंदी को कचहरी और प्रशासनिक भाषा के रूप में मान्यता दिलाने का आंदोलन एक सांस्कृतिक-राजनीतिक प्रतिरोध था जो इस क्षेत्र की विशेष देन है।

9. तुलनात्मक विश्लेषण: पूर्वी उत्तर प्रदेश बनाम अन्य क्षेत्र

1857 के बाद ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन और उसके विरुद्ध प्रतिरोध का अनुभव पूर्वी उत्तर प्रदेश में अन्य क्षेत्रों से कुछ महत्त्वपूर्ण पहलुओं में भिन्न था। बंगाल में 1859-60 का नील विद्रोह इस क्षेत्र से पहले का है, परंतु पूर्वी उत्तर प्रदेश में नील-विरोधी आंदोलन की अपनी विशेषताएँ थीं — यहाँ किसान-ज़मींदार गठबंधन असामान्य रूप से मज़बूत था।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट और अहीर किसानों के प्रतिरोध की तुलना में पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रतिरोध अधिक विखंडित और विविधतापूर्ण था — यहाँ जाति, धर्म, भाषा और वर्ग — सभी आयाम प्रतिरोध में मिले-जुले रूप में प्रकट हुए। यही विविधता इस क्षेत्र के प्रतिरोध को इतिहास में एक विशेष स्थान दिलाती है।

महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज और बंगाल में ब्रह्म समाज जैसे सुधार आंदोलनों की तुलना में पूर्वी उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक-धार्मिक प्रतिरोध अधिक पारंपरिक था और उसमें आधुनिकतावादी सुधार का तत्त्व अपेक्षाकृत कम था। यह इस क्षेत्र की रूढ़िवादी-धार्मिक पहचान और यहाँ के बौद्धिक वर्ग की भूमिका को समझने की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है।

10. दीर्घकालिक प्रभाव और राष्ट्रीय आंदोलन से सम्बन्ध

पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1857 के बाद उभरा प्रतिरोध केवल एक स्थानीय घटना नहीं था — यह आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव बनने वाला था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय इस क्षेत्र के कई बौद्धिकों और राजनेताओं ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। बनारस की राजनीतिक और बौद्धिक परंपरा ने आगे चलकर बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और महात्मा गांधी के आंदोलनों को एक उर्वर भूमि प्रदान की।

1857-1885 के बीच के इन तीन दशकों में जो प्रतिरोध-परंपरा इस क्षेत्र में विकसित हुई, उसने एक ऐसी राजनीतिक चेतना को जन्म दिया जो बाद के असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में स्पष्ट रूप से दिखाई दी। पूर्वी उत्तर प्रदेश — जो कभी 1857 के विद्रोह का केंद्र था — बाद के राष्ट्रीय आंदोलनों में भी अग्रणी रहा।

गाँधीजी के 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान इस क्षेत्र में जो जन-उभार आया, उसकी जड़ें 1857 के बाद के प्रतिरोध में तलाशी जा सकती हैं। किसान-आंदोलन, धार्मिक-सांस्कृतिक चेतना और बौद्धिक प्रतिरोध — तीनों धाराएँ

इस क्षेत्र में एकीकृत होकर एक व्यापक राष्ट्रीय चेतना में रूपांतरित हुईं (गुहा, 2007)।

11. निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध से यह स्पष्ट होता है कि 1857 की क्रांति के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश में ब्रिटिश प्रशासनिक परिवर्तन केवल प्रशासनिक पुनर्गठन तक सीमित नहीं थे — वे एक समग्र औपनिवेशिक परियोजना के अंग थे जिसने इस क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन को मौलिक रूप से प्रभावित किया। भू-राजस्व में 74 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि, नए कानूनी संस्थानों का निर्माण, सैन्य और पुलिस तंत्र का विस्तार — ये सभी उस व्यापक औपनिवेशिक परियोजना के उपकरण थे।

परंतु इस क्षेत्र की जनता ने कभी भी इस परियोजना के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। बलिया के किसानों का सशस्त्र प्रतिरोध, आज़मगढ़ में नील-विरोधी आंदोलन, गोरखपुर का गोरक्षा आंदोलन, बनारस की बौद्धिक-सांस्कृतिक प्रतिक्रिया और जौनपुर का राजस्व-अस्वीकरण — ये सभी इस बात के प्रमाण हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का समाज उपनिवेशवाद के विरुद्ध निरंतर सक्रिय और सजग रहा।

इस शोध का एक महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष यह भी है कि इस क्षेत्र का प्रतिरोध एक रैखिक, संगठित राजनीतिक आंदोलन नहीं था — यह बहुस्तरीय, बहुमुखी और सामाजिक विविधता से परिपूर्ण था। जाति, वर्ग, धर्म और भाषा — सभी आयाम इस प्रतिरोध में उपस्थित थे। यही विविधता इस क्षेत्र के ऐतिहासिक अध्ययन को और भी समृद्ध और चुनौतीपूर्ण बनाती है।

भविष्य के शोधार्थियों के लिए यह क्षेत्र अभी भी बहुत कुछ छुपाए हुए है — महिलाओं की भूमिका, दलित और आदिवासी समुदायों का प्रतिरोध, मौखिक इतिहास की परंपरा — ये सभी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ और गहन शोध की आवश्यकता है। इस प्रकार, 1857 के बाद का पूर्वी उत्तर प्रदेश न केवल औपनिवेशिक इतिहास का, बल्कि भारतीय प्रतिरोध और जन-चेतना के इतिहास का भी एक अमूल्य अध्याय है।

संदर्भ सूची

- आंबेडकर, भीमराव रामजी. जाति का विनाश. भारतीय दलित साहित्य अकादमी, 1936.
- उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार. भू-बंदोबस्त रिपोर्ट, आज़मगढ़ एवं गोरखपुर ज़िले. लखनऊ, 1862-1875.
- कुमार, रवींद्र. "1857 के बाद उत्तर भारत में कृषि-संरचना और किसान विद्रोह." भारतीय इतिहास अनुसंधान पत्रिका, खंड 14, 1989, पृष्ठ 47-73.
- चंद्रा, बिपिन. भारत का स्वतंत्रता संग्राम. हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, 2000.
- चटर्जी, पार्थ. राष्ट्रवाद और औपनिवेशिक विश्व. अनुवाद: धर्मेंद्र कुमार, वाणी प्रकाशन, 1993.
- गुहा, रणजीत. उपनिवेशवाद और उत्तर-औपनिवेशिक भारत. अनुवाद: सुरेश शर्मा, राजकमल प्रकाशन, 2007.
- गुहा, रणजीत, संपादक. सबाल्टर्न स्टडीज़: भारतीय इतिहास और समाज पर लेखन, खंड 1. ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1983.
- नारायण, बद्री. पूर्वी उत्तर प्रदेश में कृषि आंदोलन. हिंदी ग्रंथ अकादमी, 2003.
- पांडे, ज्ञानेंद्र. उत्तर भारत में किसान, जनजातीय और राष्ट्रवादी आंदोलन. अनुवाद: अरविंद मोहन, राजकमल प्रकाशन, 1990.

- भारत सरकार. भारत शासन अधिनियम, 1858. भारतीय विधायी विभाग, 1858.
- मिश्र, गिरीश. 1857 और भारतीय समाज. मनोहर प्रकाशन, 1987.
- मुखर्जी, रुद्रांशु. अवध में विद्रोह: 1857 का क्रांति. अनुवाद: उमेश कुमार, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, 2001.
- राजस्व विभाग, उत्तर-पश्चिमी प्रांत. ज़िला गज़ेटियर: बनारस, जौनपुर, बलिया. इलाहाबाद सरकारी प्रेस, 1870.
- सरकार, सुमित. आधुनिक भारत: 1885-1947. मैकमिलन, 1993.
- स्टोक्स, एरिक. किसान और ब्रिटिश राज: उत्तर भारत में परिवर्तन और कृषि समाज. अनुवाद: सुधीर कुमार, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1978.
- हरिश्चंद्र, भारतेंदु. भारत दुर्दशा एवं अन्य नाटक. भारतेंदु मंडल, वाराणसी, 1880.

अलीगढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 2024 में मतदान व्यवहार के सामाजिक-आर्थिक निर्धारक

बौबी कुमार सिंह
शोधार्थी (राजनीति विज्ञान), श्री वार्ष्णेय महाविद्यालय, अलीगढ़, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
प्रो. ऋचा बजाज
राजनीति विज्ञान विभाग, श्री वार्ष्णेय महाविद्यालय, अलीगढ़

सार (Abstract)

वर्तमान शोध पत्र ''अलीगढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 2024 में मतदान व्यवहार के सामाजिक-आर्थिक निर्धारक विषय'' पर आधारित एक गहन समाजशास्त्रीय और राजनीतिक अध्ययन है। यह शोध पूरी तरह से प्राथमिक आंकड़ों (Primary Data) पर आधारित है, जिसके अंतर्गत अलीगढ़ निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से स्तरित यादृच्छिक प्रतिचयन (Stratified Random Sampling) विधि द्वारा कुल 60 मतदाताओं (30 ग्रामीण और 30 शहरी) का साक्षात्कार लिया गया है। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य 2024 के आम चुनावों में मतदाताओं के निर्णय को प्रभावित करने वाले पारंपरिक कारकों (जाति और धर्म) तथा आधुनिक आर्थिक निर्धारकों (जैसे लाभार्थी वर्ग, बेरोजगारी, और कृषि संकट) के अंतःसंबंधों का विश्लेषण करना है।

प्राथमिक सर्वेक्षण के निष्कर्ष दर्शाते हैं कि अलीगढ़ में मतदान व्यवहार पहचान की राजनीति (Identity Politics) और कल्याणकारी अर्थशास्त्र (Welfare Economics) का एक जटिल मिश्रण है। जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में जातिगत गोलबंदी (73.3%) और शहरी क्षेत्रों में धार्मिक ध्रुवीकरण (60%) आज भी प्राथमिक निर्धारक बने हुए हैं, वहीं दूसरी ओर मुफ्त राशन और किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं से निर्मित लाभार्थी वर्ग ने पारंपरिक जातीय बंधनों को कमजोर किया है। इसके अतिरिक्त, युवाओं में पेपर लीक व बेरोजगारी को लेकर असंतोष और ग्रामीण किसानों में ''आवारा पशुओं की समस्या'' जैसे व्यावहारिक आर्थिक मुद्दों ने भी मतदान व्यवहार को गहराई से प्रभावित किया है। यह अध्ययन निष्कर्ष निकालता है कि समकालीन मतदाता अपनी सामाजिक पहचान के प्रति जागरूक रहते हुए भी अपने आर्थिक हितों के प्रति अधिक गणनात्मक (Calculative) हो गया है।

*मुख्य शब्द **(Keywords)** : मतदान व्यवहार, सामाजिक-आर्थिक निर्धारक, अलीगढ़ लोकसभा 2024, लाभार्थी वर्ग, जाति और धर्म, ग्रामीण-शहरी विभाजन।*

1. प्रस्तावना (Introduction)

लोकतांत्रिक समाजों में मतदान व्यवहार (Voting Behavior) एक अत्यंत जटिल और बहुआयामी परिघटना है। यह केवल मतपेटी या ईवीएम (EVM) तक जाने की क्रिया नहीं है, बल्कि यह मतदाता की सामाजिक पहचान, आर्थिक स्थिति, मनोवैज्ञानिक झुकाव और समकालीन राजनीतिक विमर्शों के अंतःसंबंधों का परिणाम है[1]। भारतीय चुनावी

राजनीति के संदर्भ में, उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हमेशा से राजनीतिक विश्लेषकों के लिए एक सूक्ष्म जगत (Microcosm) रहा है। यह क्षेत्र न केवल अपने पारंपरिक उद्योगों (ताला और हार्डवेयर) के लिए जाना जाता है, बल्कि ऐतिहासिक शैक्षणिक संस्थान (अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय) और अपनी विशिष्ट जनसांख्यिकीय संरचना के कारण भी राजनीतिक रूप से अत्यंत संवेदनशील रहा है।

2024 के आम चुनावों में, भारतीय राजनीति में कई विरोधाभासी प्रवृत्तियाँ एक साथ काम कर रही थीं। एक तरफ राष्ट्रवाद, मजबूत नेतृत्व, और कल्याणकारी योजनाओं ॅ;मसंतिमै बीमउमेद्ध का राष्ट्रीय नैरेटिव था, तो दूसरी तरफ संवैधानिक सुरक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, और स्थानीय जातिगत अस्मिता के क्षेत्रीय और जमीनी मुद्दे थे(2)। अलीगढ़ निर्वाचन क्षेत्र इन दोनों धाराओं के टकराव का एक प्रमुख गवाह बना। इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य यह जानना है कि अलीगढ़ के मतदाताओं ने 2024 के चुनाव में अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं को तय करते समय किन सामाजिक और आर्थिक निर्धारकों को सर्वोपरि माना। क्या पारंपरिक कारक (जैसे जाति और धर्म) आज भी चुनावी निर्णयों को नियंत्रित करते हैं, या फिर 'लाभार्थी वर्ग' और 'शहरी-ग्रामीण विभाजन' जैसे नए आयामों ने इस व्यवस्था को बदल दिया है?

2. साहित्य की समीक्षा (Review of Literature)

भारतीय चुनावी राजनीति में मतदान व्यवहार के निर्धारकों को समझने के लिए समाजशास्त्रियों और राजनीति विज्ञानियों ने विभिन्न दृष्टिकोण अपनाए हैं। पॉल लेजर्सफेल्ड (1948) का समाजशास्त्रीय मॉडल यह स्थापित करता है कि मतदाता सामाजिक समूहों (वर्ग, धर्म, निवास स्थान) से प्रभावित होकर मतदान करते हैं(3)। भारत के संदर्भ में, इस विचार को रजनी कोठारी (1970) ने आगे बढ़ाया। कोठारी का प्रसिद्ध कथन है कि भारत में राजनीति का जातिकरण हो रहा है और जाति का राजनीतिकरण(4)। उनके अनुसार, भारतीय मतदाता अपनी जातिगत पहचान को राजनीतिक सौदेबाजी और सत्ता में हिस्सेदारी का मुख्य जरिया मानता है।

क्रिस्टोफ जैफ्रलॉट (2003) ने उत्तर भारत की राजनीति में ''मूक क्रांति''(Silent Revolution) का विश्लेषण करते हुए दिखाया कि कैसे पिछड़ी और अनुसूचित जातियों ने संगठित होकर उच्च जातियों के राजनीतिक वर्चस्व को चुनौती दी(5)। उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह बदलाव विशेष रूप से 1990 के दशक के बाद स्पष्ट हुआ। हालांकि, 2014 के बाद के चुनावों पर किए गए अध्ययनों में एक नया मोड़ देखा गया। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज (CSDS - Lokniti) के शोध बताते हैं कि समकालीन राजनीति में ''कल्याणवाद'' (Welfare Politics) या नियो-कल्याणवाद ने जन्म लिया है, जिसने एक नया लाभार्थी (Beneficiary Class) तैयार किया है(6)। यह वर्ग जाति और धर्म की सीमाओं को लांघकर उन दलों के पक्ष में मतदान करता है जिनसे उन्हें प्रत्यक्ष आर्थिक या सामाजिक लाभ (जैसे मुफ्त राशन, आवास, नकद हस्तांतरण) मिलता है।

अलीगढ़ के विशिष्ट संदर्भ में, जोया हसन (2014) और अन्य विश्लेषकों ने पाया है कि यहाँ की राजनीति में सांप्रदायिक ध्रवीकरण और औद्योगिक ताने-बाने की स्थिति हमेशा से महत्वपूर्ण रही है(7)। शहरी क्षेत्रों में सांप्रदायिक पहचान और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि संकट एवं जातिगत गठजोड़ मतदान व्यवहार को आकार देने वाले प्रमुख कारक रहे हैं। वर्तमान शोध इन्हीं स्थापित सिद्धांतों की रोशनी में 2024 के विशिष्ट संदर्भ का विश्लेषण करता है।

3. शोध कार्यप्रणाली (Research Methodology)

यह अध्ययन पूरी तरह से प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित एक वर्णात्मक और विश्लेषणात्मक शोध है। द्वितीयक आंकड़ों का उपयोग केवल संदर्भ और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने के लिए किया गया है।

अध्ययन क्षेत्रः अलीगढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र (जिसमें पांच विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं, खैर, बरौली, अतरौली, कोल, और अलीगढ़ शहर)।

प्रतिदर्श का आकार **(Sample Size):** शोध की सीमाओं और सटीकता को बनाए रखने के लिए कुल 60 मतदाताओं का चयन किया गया।

प्रतिचयन विधि **(Sampling Technique):** इस शोध में स्तरित यादृच्छिक प्रतिचयन (Stratified Random Sampling) पद्धति का उपयोग किया गया। इसके तहत भौगोलिक और सामाजिक-आर्थिक विविधता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिदर्श को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गयाः

ग्रामीण क्षेत्र **(Rural Segment):** 30 उत्तरदाता (बरौली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गाँव, जहाँ कृषि मुख्य आजीविका है)।

शहरी क्षेत्र **(Urban Segment):** 30 उत्तरदाता (अलीगढ़ शहर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न वार्ड, जिनमें मिश्रित आबादी, व्यापारिक क्षेत्र और शैक्षणिक क्षेत्र शामिल हैं)।

डेटा संग्रहण का उपकरण: शोध के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक विस्तृत ''संरचित प्रश्नावली''(Structured Questionnaire) तैयार की गई। इसमें उत्तरदाताओं की जनसांख्यिकीय जानकारी (आयु, लिंग, शिक्षा, आय) के साथ-साथ उनके राजनीतिक झुकाव, प्राथमिक मुद्दों और मतदान के निर्णय को प्रभावित करने वाले कारकों से संबंधित प्रश्न शामिल थे। डेटा संग्रह व्यक्तिगत साक्षात्कार (Personal Interview) विधि द्वारा किया गया।

4. सामाजिक-आर्थिक निर्धारकों का विश्लेषण (Analysis of Socio-Economic Determinants)

प्राथमिक सर्वेक्षण से प्राप्त 60 उत्तरदाताओं के आंकड़ों का वर्गीकरण और विश्लेषण निम्नलिखित प्रमुख सामाजिक-आर्थिक चरों के आधार पर किया गया हैः

4.1 जाति और धार्मिक संबंधता (Caste and Religion)

अलीगढ़ निर्वाचन क्षेत्र सामाजिक रूप से अत्यंत विविधतापूर्ण है। यहाँ हिंदू आबादी में लोध-राजपूत, जाट, ब्राह्मण, ठाकुर और जाटव (अनुसूचित जाति) की महत्वपूर्ण संख्या है, जबकि मुस्लिम आबादी (लगभग 34ः) भी चुनावी गणित में निर्णायक भूमिका निभाती है।

सर्वेक्षण के दौरान, जब उत्तरदाताओं से पूछा गया कि ''क्या उम्मीदवार या दल चुनते समय आपकी धार्मिक या जातिगत पहचान प्राथमिक कारक होती है?'', तो निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुएः

धार्मिक ध्रुवीकरण (Religious Polarization): शहरी क्षेत्र के 30 उत्तरदाताओं में से 18 (60ः) ने स्वीकार

किया कि राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक विमर्श और सुरक्षा की भावना ने उनके मतदान व्यवहार को प्रभावित किया। शहरी मुस्लिम मतदाताओं (10 उत्तरदाता) में 'सामूहिक असुरक्षा' और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा मुख्य चिंता थी, जिसके कारण उनका झुकाव विपक्षी गठबंधन (INDIA bloc) की तरफ हुआ[8]। वहीं, शहरी हिंदू मतदाताओं (विशेषकर उच्च और मध्यम वर्ग) में 'बहुसंख्यक अस्मिता' और 'सांस्कृतिक पुनरुत्थान' के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण देखा गया, जिसने उन्हें सत्ताधारी दल (NDA) के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित किया।

जातिगत समीकरण **(Caste Equations):** ग्रामीण क्षेत्र (30 उत्तरदाता) में जाति का प्रभाव अत्यधिक गहरा पाया गया। ग्रामीण क्षेत्र के 22 उत्तरदाताओं (73.3ः) ने माना कि उनके गाँव या बिरादरी के सामूहिक निर्णय (चैपाल बैठकों) ने उनके अंतिम निर्णय को प्रभावित किया। उदाहरण के लिए, जाट और जाटव बहुल क्षेत्रों में स्थानीय उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि और उनकी जातियों के प्रति दलों के रुख को लेकर गहरा विमर्श था।

4.2 आर्थिक स्थिति और कल्याणकारी योजनाएं (Economic Class and Welfare Schemes)

आर्थिक कारक मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले सबसे गतिशील तत्वों में से एक बनकर उभरे हैं। शोध में उत्तरदाताओं को तीन आय वर्गों में विभाजित किया गया उच्च-मध्यम आय वर्ग, निम्न-मध्यम वर्ग, और गरीबी रेखा के नीचे (BPL) का वर्ग।

(60 उत्तरदाताओं का आय वर्ग)

उच्च-मध्यम वर्ग (15 मतदाता) — (कानून-व्यवस्था/व्यापार)

निम्न-मध्यम वर्ग (20 मतदाता) — (महंगाई/रोजगार)

BPL/श्रमिक वर्ग (25 मतदाता) — (मुफ्त राशन/कल्याण)

लाभार्थी वर्ग **(The Beneficiary Factor):** कुल 60 उत्तरदाताओं में से 28 (46.6%) ऐसे थे जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' (मुफ्त राशन), 'पीएम किसान सम्मान निधि' या 'आयुष्मान भारत' योजना का लाभ मिल रहा था।

ग्रामीण लाभार्थियों का व्यवहार: ग्रामीण क्षेत्र के 30 में से 14 उत्तरदाताओं ने स्पष्ट रूप से कहा कि 'नमक और अनाज का हक' अदा करना उनके लिए नैतिक जिम्मेदारी थी। इस आर्थिक सहायता ने कई गरीब परिवारों को उनकी पारंपरिक जातिगत प्राथमिकताओं से अलग हटकर मतदान करने के लिए मजबूर किया[9]।

शहरी आर्थिक मुद्दे: शहरी क्षेत्र के मध्यम वर्ग और व्यापारियों (12 उत्तरदाता) के लिए जीएसटी (GST), स्थानीय कर, और 'व्यापारिक सुगमता' (Ease of Doing Business) मुख्य मुद्दे थे। अलीगढ़ के ताला उद्योग से जुड़े 5 छोटे उद्यमियों ने शिकायत की कि कच्चे माल की बढ़ती कीमतों और तकनीकी सहायता की कमी के कारण वे संकट में हैं, जिसने उनके मतदान व्यवहार को सरकार विरोधी (Anti&incumbency) बनाने में भूमिका निभाई।

4.3 शिक्षा, युवा वर्ग और रोजगार का संकट (Education, Youth and Employment)

2024 के चुनाव में शिक्षा और आयु वर्ग (विशेष रूप से 18-35 वर्ष के युवा) एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्धारक के रूप में सामने आए। हमारे प्रतिदर्श (Sample) में 20 उत्तरदाता इस आयु वर्ग के थे।

पेपर लीक और बेरोजगारी: अलीगढ़ के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के शिक्षित बेरोजगार युवाओं में उत्तर प्रदेश में हुई हालिया ''पुलिस भर्ती परीक्षा'' और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने की घटनाओं को लेकर तीव्र आक्रोश था[(10)]। 20 में से 14 युवाओं (70%) ने कहा कि उनके लिए 'जाति' या 'राष्ट्रवाद' से बड़ा मुद्दा 'रोजगार की सुरक्षा' और 'पारदर्शी परीक्षा प्रणाली' था।

शिक्षण संस्थानों का प्रभाव: अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ;।डन्द्ध और राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के आस-पास के क्षेत्रों में रहने वाले शिक्षित मतदाताओं में वैचारिक विमर्श अधिक देखा गया। यहाँ के मतदाताओं ने लोकतंत्र की स्थिति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और प्रेस की आजादी जैसे समकालीन राष्ट्रीय मुद्दों को अपने मतदान का आधार बनाया।

5. ग्रामीण बनाम शहरी मतदान व्यवहार: एक तुलनात्मक विश्लेषण (Rural - Urban Voting Behavior)

अलीगढ़ लोकसभा क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जीवनशैली, आर्थिक निर्भरता और सामाजिक ताने-बाने में अंतर होने के कारण उनके राजनीतिक निर्णयों में भी स्पष्ट अंतर ;त्नतंस.न्तइंद क्पअपकमद्ध देखा गया।

5.1 प्राथमिक मुद्दों में भिन्नता:

सर्वेक्षण के आधार पर ग्रामीण और शहरी मतदाताओं की प्राथमिकताओं को निम्नलिखित सारणी ;ज्ंइसमद्ध के माध्यम से समझा जा सकता हैः

प्राथमिक निर्धारक तत्व	ग्रामीण मतदाता (N=30)	शहरी मतदाता (N=30)
कृषि संकट एवं आवारा पशु,	अत्यधिक उच्च (80ः मतदाता प्रभावित)	नगण्य (0ः)
कानून-व्यवस्था और सुरक्षा	मध्यम (40ः मतदाता संतुष्ट)	अत्यधिक उच्च (75ः मतदाता संतुष्ट)
स्थानीय बुनियादी ढांचा बिजली-पानी की स्थिति	बेहतर (60ः)	जलभराव और ट्रैफिक जाम से असंतोष (65%)
सूचना और नैरेटिव का स्रोत	स्थानीय नेता, व्हाट्सएप ग्रुप, ग्रामीण बैठकें	मुख्यधारा का मीडिया, यूट्यूब चैनल्स, सोशल मीडिया

5.2 महिला मतदाताओं का स्वतंत्र व्यवहार ;ॅवउमद टवजमतेष् ।हमदबलद्ध

इस शोध में शामिल 22 महिला मतदाताओं (12 ग्रामीण, 10 शहरी) के विश्लेषण से एक अत्यंत रोचक तथ्य सामने

आया।

ग्रामीण महिलाएंः ग्रामीण क्षेत्रों की महिला उत्तरदाताओं में से 58ः ने माना कि उन्होंने वोट डालने का निर्णय अपने परिवार के पुरुष मुखिया के परामर्श या निर्देश पर लिया। हालांकि, उनमें से कुछ ने दबी जुबान में यह भी स्वीकार किया कि ‘उज्ज्वला योजना’ (गैस सिलेंडर) और ‘सुरक्षित माहौल’ के कारण उनका व्यक्तिगत झुकाव एक विशिष्ट दल की ओर था।

शहरी महिलाएंः इसके विपरीत, शहरी क्षेत्र की 10 में से 8 महिलाओं (80ः) ने पूरी तरह से स्वतंत्र होकर मतदान किया। उनके लिए ‘शहरी सुरक्षा’, ‘महंगाई’ (रसोई गैस और खाद्य पदार्थों की कीमतें) और ‘बच्चों की शिक्षा’ सबसे बड़े निर्धारक कारक थे(11)।

6. समकालीन राजनीतिक विमर्श और स्थानीय कारक (2024 के विषिष्ट संदर्भ)

2024 का चुनाव अलीगढ़ में केवल सामाजिक-आर्थिक सिद्धांतों तक सीमित नहीं था, बल्कि कुछ अत्यंत विशिष्ट और तात्कालिक स्थानीय कारकों ने भी मतदाताओं के व्यवहार को अंतिम समय में प्रभावित किया:

आवारा पशुओं की समस्या (The Stray Cattle Menace): ग्रामीण क्षेत्रों में आवारा पशुओं (सांड और गायों) द्वारा फसलों को नष्ट किए जाने की समस्या एक गंभीर आर्थिक संकट बन चुकी थी। सर्वेक्षण में शामिल 30 में से 18 ग्रामीण किसानों ने गहरी हताशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि रात-भर खेतों की रखवाली करने की मजबूरी ने उन्हें वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था के खिलाफ सोचने पर मजबूर किया(12)। यह एक ऐसा विशुद्ध आर्थिक और व्यवहारिक मुद्दा था, जिसने कई पारंपरिक हिंदू मतदाताओं को अपनी जातिगत संबद्धता से ऊपर उठने के लिए प्रेरित किया।

स्थानीय उम्मीदवार के प्रति असंतोष (Anti-Candidate Sentiment): कई बार मतदाता राष्ट्रीय नेतृत्व से संतुष्ट होते हुए भी स्थानीय उम्मीदवार के ‘‘अकर्मण्य व्यवहार’’ या ‘‘जनता से दूरी’’ के कारण नाराज होते हैं। हमारे सर्वेक्षण में 60 में से 22 मतदाताओं (36.6%) ने माना कि स्थानीय सांसद की सुलभता (Accessibility) न होना उनके लिए एक नकारात्मक बिंदु था, जिसके कारण उन्होंने विकल्प की तलाश की।

7. निष्कर्ष (Conclusion)

अलीगढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 2024 में मतदान व्यवहार के सामाजिक-आर्थिक निर्धारकों का यह प्राथमिक अध्ययन इस बात की पुष्टि करता है कि भारतीय मतदाता अब एक रुढ़िवादी लीक पर नहीं चल रहा है। वह अत्यंत जागरूक, रणनीतिक और गणनात्मक ;बंसबनसंजपअमद्ध हो गया है।

इस शोध के मुख्य निष्कर्षों को निम्नलिखित बिंदुओं में संक्षेपित किया जा सकता है:

पारंपरिक कारकों का निरंतर प्रभुत्वः जाति और धर्म आज भी अलीगढ़ की राजनीति की आधारशिला बने हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जातिगत गोलबंदी और शहरी क्षेत्रों में धार्मिक ध्रुवीकरण मतदान प्रतिमानों को तय करने वाले सबसे शक्तिशाली कारक हैं।

आर्थिक ‘लाभार्थीवाद’ का प्रभाव: सरकार की प्रत्यक्ष लाभ योजनाओं ने एक नया सामाजिक वर्ग तैयार किया है जो पारंपरिक जातिगत बंधनों को तोड़कर मतदान करने की क्षमता रखता है। यह वर्ग आर्थिक सुरक्षा को अपनी राजनीतिक

प्राथमिकता मानता है।

युवाओं और किसानों का मोहभंगः बेरोजगारी, पेपर लीक और आवारा पशुओं जैसी जमीनी समस्याओं ने 2024 के चुनाव में सत्ता पक्ष के खिलाफ एक मूक असंतोष पैदा किया, जिसने मतदान व्यवहार में एक बड़ा संतुलन स्थापित करने का काम किया।

अंततः, अलीगढ़ का यह अध्ययन दर्शाता है कि आधुनिक दौर में मतदान व्यवहार किसी एक कारक की जीत नहीं है, बल्कि यह पहचान की राजनीति (Identity Politics) और विकास/कल्याण की राजनीति (Welfare Politics) के बीच का एक निरंतर चलने वाला द्वंद्वात्मक संघर्ष है(13)।

8. सन्दर्भ सूची (References)

1. Center for the Study of Developing Societies (CSDS-Lokniti)- (2024)- Post-Poll Survey Analysis: Uttar Pradesh and the 2024 Verdict. [Online]. Available: https://www.lokniti.org/
2. Verma, A. K. (2024). "The Changing Dimensions of Electoral Politics in Western Uttar Pradesh". Journal of Political Sociology, 18(2), 45-62.
3. Lazarsfeld, P. F., Berelson, B., & Gaudet, H. (1948). The People's Choice: How the Voter Makes Up His Mind in a Presidential Campaign. Columbia University Press.
4. Kothari, R. (1970). Caste in Indian Politics. Orient Blackswan.
5. Jaffrelot, C. (2003). India's Silent Revolution: The Rise of the Lower Castes in North India. Columbia University Press.
6. Kumar, S. (Ed.). (2022). Politics and Elections in Contemporary India. Routledge.
7. Hasan, Z. (2014). Politics of Inclusion: Castes, Minorities, and Affirmative Action. Oxford University Press.
8. Rai, P. (2021). "Understanding Voting Behaviour in India: Paradoxes and Patterns". Economic and Political Weekly, 56(8), 32-38.
9. Deshpande, R. (2019). "The New Electorate and the Rise of the 'Welfare Class' in Indian Elections". Indian Journal of Political Science, 80(3), 215-228.
10. Election Commission of India. (2024). Statistical Report on General Elections, 2024 to the 18th Lok Sabha. [Online]. Available: https://eci.gov.in/
11. Pai, S. (2007). Political Process in Uttar Pradesh: Identity, Economic Reforms, and Governance. Pearson Education India.
12. Yadav, Y. (2020). Making Sense of Indian Democracy: Electoral Politics in Post-Independent India. Permanent Black.
13. Shani, O. (2007). Communalism, Caste and State on the Edge. Cambridge University Press.

भारतीय समाज में लैंगिक असमानता और महिला सशक्तिकरण: एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण

डॉ. डिम्पल बंजारा

अतिथि व्याख्याता, समाजशास्त्र विभाग, नवीन शासकीय कन्या महाविद्यालय, मुंगेली (छ.ग.)

सारांश

भारतीय समाज में लैंगिक असमानता एक जटिल सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्या है, जो ऐतिहासिक रूप से पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था में निहित रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय संविधान ने महिलाओं एवं पुरुषों को समान अधिकार प्रदान किए तथा महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, राजनीतिक सहभागिता एवं सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अनेक विधिक एवं नीतिगत उपाय किए गए। इसके बावजूद शिक्षा, श्रम बाज़ार, संपत्ति के अधिकार, निर्णय-निर्माण, राजनीतिक प्रतिनिधित्व तथा सामाजिक प्रतिष्ठा जैसे क्षेत्रों में महिलाओं को आज भी अनेक प्रकार की असमानताओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रस्तुत शोध-पत्र में भारतीय समाज में लैंगिक असमानता की प्रकृति, उसके प्रमुख कारणों, महिला सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों तथा संवैधानिक एवं नीतिगत प्रयासों का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से विश्लेषण किया गया है। अध्ययन द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है तथा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय शोध, सरकारी प्रतिवेदनों तथा समाजशास्त्रीय साहित्य का उपयोग किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि शिक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक जागरूकता एवं लैंगिक न्याय पर आधारित नीतियाँ महिला सशक्तिकरण की आधारशिला हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि केवल विधिक सुधार पर्याप्त नहीं हैं; सामाजिक मानसिकता एवं संस्थागत व्यवहार में परिवर्तन भी आवश्यक है।

कुंजी शब्द: लैंगिक असमानता, महिला सशक्तिकरण, पितृसत्ता, लैंगिक समानता, सामाजिक परिवर्तन, भारतीय समाज।

भूमिका

समाज का विकास केवल आर्थिक प्रगति का परिणाम नहीं होता, बल्कि वह सामाजिक न्याय, समान अवसर तथा मानवीय गरिमा पर भी आधारित होता है। किसी भी राष्ट्र की उन्नति तभी संभव है जब उसकी आधी आबादी अर्थात् महिलाएँ विकास प्रक्रिया में समान रूप से सहभागी हों। भारतीय संस्कृति में महिलाओं को शक्ति, ज्ञान एवं समृद्धि का प्रतीक माना गया है, किन्तु सामाजिक व्यवहार में लंबे समय तक उन्हें पुरुषों की अपेक्षा गौण स्थान प्राप्त रहा। सामाजिक संस्थाओं, धार्मिक मान्यताओं, आर्थिक संरचनाओं तथा सांस्कृतिक परंपराओं ने महिलाओं की भूमिकाओं को सीमित किया, जिसके परिणामस्वरूप लैंगिक असमानता भारतीय समाज की एक स्थायी सामाजिक समस्या बन गई।

वैश्वीकरण, औद्योगीकरण, शिक्षा के विस्तार, सूचना प्रौद्योगिकी तथा लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास ने महिलाओं की स्थिति में उल्लेखनीय परिवर्तन किए हैं। आज महिलाएँ प्रशासन, न्यायपालिका, शिक्षा, विज्ञान, खेल, रक्षा, उद्योग

तथा राजनीति सहित लगभग प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। इसके बावजूद महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, वेतन असमानता, कम श्रम भागीदारी, निर्णय-निर्माण में सीमित भूमिका तथा सामाजिक रूढ़ियाँ अभी भी व्यापक रूप से विद्यमान हैं। अतः लैंगिक असमानता एवं महिला सशक्तिकरण का अध्ययन समकालीन समाजशास्त्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है।

समस्या का प्रतिपादन

भारतीय संविधान द्वारा समानता के अधिकार तथा अनेक कल्याणकारी नीतियों के बावजूद महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति अपेक्षित स्तर तक सुदृढ़ नहीं हो सकी है। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सूचकांक यह संकेत करते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आय, नेतृत्व तथा सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में लैंगिक अंतर अब भी मौजूद है। यह स्थिति इस प्रश्न को जन्म देती है कि संवैधानिक प्रावधानों और सरकारी योजनाओं के बावजूद लैंगिक असमानता क्यों बनी हुई है तथा महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए किन सामाजिक एवं नीतिगत परिवर्तनों की आवश्यकता है।

अध्ययन के उद्देश्य

1. भारतीय समाज में लैंगिक असमानता की अवधारणा एवं स्वरूप का विश्लेषण करना।
2. लैंगिक असमानता के प्रमुख सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक कारणों का अध्ययन करना।
3. महिला सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करना।
4. संवैधानिक प्रावधानों एवं सरकारी योजनाओं की भूमिका का मूल्यांकन करना।
5. लैंगिक समानता स्थापित करने हेतु व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध पद्धति

प्रस्तुत अध्ययन पूर्णतः **द्वितीयक (Secondary Data Based)** शोध पर आधारित है। अध्ययन के लिए समाजशास्त्र संबंधी पुस्तकों, शोध-पत्रों, सरकारी प्रतिवेदनों, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS), आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS), राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB), महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नीति आयोग तथा अन्य आधिकारिक प्रकाशनों से प्राप्त आँकड़ों एवं तथ्यों का उपयोग किया गया है। अध्ययन में **वर्णनात्मक (Descriptive)** तथा **विश्लेषणात्मक (Analytical)** शोध पद्धति का प्रयोग किया गया है।

साहित्य समीक्षा

भारतीय समाज में लैंगिक असमानता पर अनेक समाजशास्त्रियों एवं नारीवादी विचारकों ने अध्ययन किया है। सिमोन द बोउवार ने अपनी प्रसिद्ध कृति *द सेकेंड सेक्स* में यह प्रतिपादित किया कि स्त्री की सामाजिक स्थिति जैविक नहीं, बल्कि सामाजिक निर्माण का परिणाम है। सिल्विया वाल्बी ने पितृसत्ता को महिलाओं के दमन की प्रमुख संरचना माना। भारतीय संदर्भ में एम. एन. श्रीनिवास, योगेन्द्र सिंह तथा अमर्त्य सेन सहित अनेक विद्वानों ने सामाजिक परिवर्तन, विकास

तथा लैंगिक समानता के मध्य संबंधों का विश्लेषण किया है। उपलब्ध साहित्य यह स्पष्ट करता है कि महिला सशक्तिकरण केवल विधिक सुधारों से संभव नहीं है; इसके लिए सामाजिक चेतना, शिक्षा एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता अनिवार्य है।

सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य

लैंगिक असमानता की व्याख्या विभिन्न समाजशास्त्रीय सिद्धांतों द्वारा की गई है। उदारवादी नारीवाद समान अवसर एवं समान अधिकारों पर बल देता है। मार्क्सवादी नारीवाद महिलाओं की आर्थिक निर्भरता को असमानता का मूल कारण मानता है। रेडिकल नारीवाद पितृसत्ता को महिलाओं के शोषण का आधार बताता है, जबकि समाजवादी नारीवाद आर्थिक एवं सामाजिक दोनों संरचनाओं को उत्तरदायी मानता है। भारतीय समाज के संदर्भ में इन सभी दृष्टिकोणों का समन्वित अध्ययन लैंगिक संबंधों की वास्तविक स्थिति को समझने में सहायक है।

तलिका–1 : भारत में लैंगिक असमानता के प्रमुख आयाम

क्रमांक	क्षेत्र	वर्तमान प्रमुख स्थिति	सामाजिक प्रभाव
1	शिक्षा	उच्च शिक्षा में सुधार, किंतु क्षेत्रीय असमानता	अवसरों में अंतर
2	रोजगार	महिला श्रम भागीदारी पुरुषों से कम	आर्थिक निर्भरता
3	वेतन	समान कार्य के लिए कई क्षेत्रों में वेतन अंतर	आय असमानता
4	राजनीतिक प्रतिनिधित्व	स्थानीय निकायों में सुधार, उच्च स्तर पर सीमित भागीदारी	निर्णय-निर्माण में असमानता
5	स्वास्थ्य	मातृ स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार, किंतु ग्रामीण चुनौतियाँ	मानव विकास प्रभावित
6	सुरक्षा	महिलाओं के विरुद्ध अपराध चिंता का विषय	सामाजिक असुरक्षा

स्रोत: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS), आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS), राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB), महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की विभिन्न रिपोर्टों पर आधारित संकलन।

तालिका–1 का विश्लेषण

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि भारत में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति होने के बावजूद शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, राजनीतिक प्रतिनिधित्व एवं सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में लैंगिक असमानता अभी भी विद्यमान है। विशेष रूप से आर्थिक भागीदारी एवं निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया में महिलाओं की सीमित उपस्थिति सामाजिक एवं आर्थिक विकास को प्रभावित करती है। इससे स्पष्ट है कि महिला सशक्तिकरण को केवल कल्याणकारी योजनाओं तक सीमित न रखकर उसे सामाजिक परिवर्तन की व्यापक प्रक्रिया से जोड़ना आवश्यक है।

भारतीय समाज में लैंगिक असमानता : वर्तमान परिदृश्य एवं समाजशास्त्रीय विश्लेषण

भारतीय समाज में लैंगिक असमानता के प्रमुख कारण

भारतीय समाज में लैंगिक असमानता किसी एक कारण का परिणाम नहीं है, बल्कि यह ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीतिक कारकों के सम्मिलित प्रभाव से निर्मित सामाजिक संरचना है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से यह असमानता समाजीकरण (Socialization), सामाजिक नियंत्रण (Social Control) तथा शक्ति संरचना (Power Structure) की प्रक्रिया के माध्यम से पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित होती रही है। आधुनिक शिक्षा, संवैधानिक प्रावधान एवं वैश्वीकरण के प्रभाव से महिलाओं की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, फिर भी लैंगिक समानता का लक्ष्य अभी पूर्णतः प्राप्त नहीं हो सका है।

(1) पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था

भारतीय समाज का अधिकांश भाग पितृसत्तात्मक (Patriarchal) व्यवस्था पर आधारित है। इस व्यवस्था में परिवार की सत्ता, उत्तराधिकार, संपत्ति तथा निर्णय लेने की शक्ति मुख्यतः पुरुषों के हाथों में केंद्रित रहती है। परिणामस्वरूप महिलाओं की भूमिका घरेलू कार्यों तक सीमित मानी जाती है और उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक निर्णयों में अपेक्षित स्थान नहीं मिल पाता।

नारीवादी समाजशास्त्रियों का मत है कि पितृसत्ता केवल पारिवारिक व्यवस्था नहीं, बल्कि एक व्यापक सामाजिक संरचना है जो शिक्षा, धर्म, राजनीति तथा अर्थव्यवस्था जैसी संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं की अधीनता को बनाए रखती है। भारतीय समाज में यह व्यवस्था आज भी अनेक सामाजिक व्यवहारों एवं सांस्कृतिक मान्यताओं में परिलक्षित होती है।

(2) शिक्षा में लैंगिक असमानता

शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्रभावी माध्यम है, किन्तु लंबे समय तक भारतीय समाज में बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता नहीं दी गई। वर्तमान समय में महिला साक्षरता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा कुछ सामाजिक समूहों में बालिकाओं की शिक्षा अनेक चुनौतियों का सामना कर रही है।

उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने के बावजूद विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में उनका प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत कम है। यह स्थिति रोजगार एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता को भी प्रभावित करती है।

तालिका– 2 : भारत में शिक्षा एवं रोजगार से संबंधित लैंगिक स्थिति

क्रमांक	संकेतक	महिला (%)	पुरुष (%)
1	साक्षरता दर	74.6	87.2
2	उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (GER)	31.2	28.9
3	श्रम शक्ति भागीदारी दर (LFPR)	41.7	78.8
4	कार्यशील जनसंख्या अनुपात (WPR)	40.3	76.3

स्रोत: भारत सरकार की शिक्षा एवं श्रम संबंधी विभिन्न आधिकारिक रिपोर्टों का संकलित विश्लेषण।

तालिका–2 का विश्लेषण

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि महिला शिक्षा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, किन्तु इसका समान अनुपात रोजगार में दिखाई नहीं देता। यह स्थिति दर्शाती है कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी महिलाओं को श्रम बाजार में समान अवसर प्राप्त नहीं हो पाते। सामाजिक उत्तरदायित्व, पारिवारिक अपेक्षाएँ, असमान वेतन तथा कार्यस्थल की चुनौतियाँ महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को प्रभावित करती हैं।

(3) आर्थिक निर्भरता

आर्थिक आत्मनिर्भरता महिला सशक्तिकरण का प्रमुख आधार है। भारतीय समाज में बड़ी संख्या में महिलाएँ घरेलू कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, किन्तु उनके इस श्रम का आर्थिक मूल्यांकन नहीं किया जाता। परिणामस्वरूप वे आर्थिक रूप से आश्रित बनी रहती हैं।

असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा, मातृत्व लाभ, समान वेतन तथा कार्यस्थल सुरक्षा जैसी सुविधाएँ पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं हो पातीं। इससे उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर बनी रहती है।

तालिका–3 : भारत में श्रम शक्ति भागीदारी दर (15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु)

क्रमांक	वर्ग	प्रतिशत (%)
1	महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर	41.7
2	पुरुष श्रम शक्ति भागीदारी दर	78.8

स्रोत: आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) 2023–24, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI), भारत सरकार।

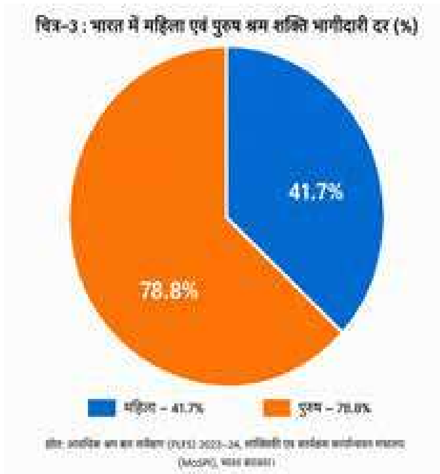

(4) सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूढ़ियाँ

लैंगिक असमानता का एक प्रमुख कारण सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूढ़िवादिता है। पुत्र को परिवार का उत्तराधिकारी तथा पुत्री को पराया धन मानने जैसी धारणाएँ आज भी अनेक क्षेत्रों में प्रचलित हैं। विवाह, दहेज, घरेलू उत्तरदायित्व तथा पारिवारिक निर्णयों से जुड़ी पारंपरिक सोच महिलाओं की स्वतंत्रता एवं विकास को प्रभावित करती है।

समाजीकरण की प्रक्रिया में बालकों एवं बालिकाओं के लिए अलग-अलग भूमिकाएँ निर्धारित कर दी जाती हैं, जिसके कारण लैंगिक असमानता बचपन से ही विकसित होने लगती है।

(5) महिलाओं के विरुद्ध हिंसा

महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, दहेज हत्या, बाल विवाह, मानव तस्करी तथा साइबर अपराध जैसी समस्याएँ महिला सशक्तिकरण के समक्ष गंभीर चुनौती हैं। हिंसा का भय महिलाओं की शिक्षा, रोजगार, स्वतंत्र आवागमन तथा सामाजिक भागीदारी को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है।

तालिका– 4 : भारत में महिलाओं के विरुद्ध प्रमुख अपराधों का प्रतिशत वितरण

क्रमांक	अपराध का प्रकार	प्रतिशत (%)
1	पति/रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता	31.4
2	अपहरण एवं भगाकर ले जाना	19.2
3	शीलभंग	18.7
4	बलात्कार	7.1
5	अन्य अपराध	23.6

स्रोत: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB), *Crime in India* (नवीनतम उपलब्ध रिपोर्ट)।

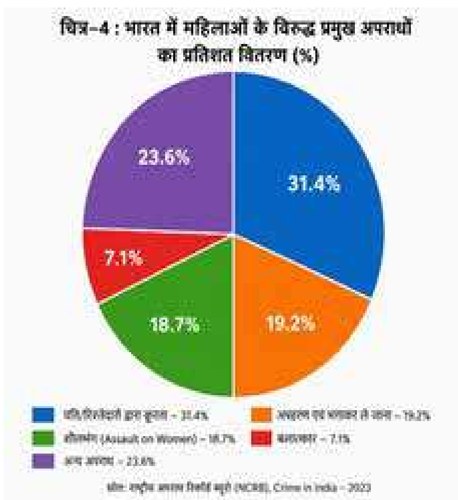

समाजशास्त्रीय विवेचना

संरचनात्मक-कार्यात्मक दृष्टिकोण परिवार में लैंगिक भूमिकाओं को सामाजिक स्थिरता से जोड़ता है, जबकि संघर्षवादी एवं नारीवादी दृष्टिकोण इन्हें शक्ति एवं संसाधनों के असमान वितरण का परिणाम मानते हैं। समकालीन समाजशास्त्र का मत है कि लैंगिक समानता केवल सामाजिक न्याय का प्रश्न नहीं, बल्कि सतत विकास (Sustainable Development) की अनिवार्य शर्त है। इसलिए महिला सशक्तिकरण को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, डिजिटल समावेशन, राजनीतिक प्रतिनिधित्व एवं सामाजिक सुरक्षा के साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए।

महिला सशक्तिकरण : आयाम, नीतिगत पहल एवं समकालीन चुनौतियाँ

भारतीय समाज में महिला सशक्तिकरण केवल महिलाओं के अधिकारों का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह लोकतांत्रिक शासन, सामाजिक न्याय, समावेशी विकास तथा मानवाधिकारों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ विषय है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित **सतत विकास लक्ष्य (SDGs)** में भी लैंगिक समानता (SDG-5) को वैश्विक विकास की आधारशिला माना गया है। भारत में पिछले कुछ दशकों में महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक भागीदारी तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व में उल्लेखनीय सुधार हुए हैं, तथापि सामाजिक संरचना में निहित लैंगिक पूर्वाग्रह अभी भी पूर्णतः समाप्त नहीं हुए हैं।

समाजशास्त्रीय दृष्टि से महिला सशक्तिकरण एक निरंतर सामाजिक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से महिलाएँ संसाधनों पर नियंत्रण, निर्णय-निर्माण में भागीदारी, आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करती हैं। यह प्रक्रिया केवल सरकारी योजनाओं पर निर्भर नहीं करती, बल्कि परिवार, शिक्षा, मीडिया, नागरिक समाज तथा राज्य की संयुक्त भूमिका पर आधारित होती है।

महिला सशक्तिकरण के प्रमुख आयाम

महिला सशक्तिकरण को समाजशास्त्रीय दृष्टि से पाँच प्रमुख आयामों में समझा जा सकता है—

(1) शैक्षिक सशक्तिकरण

शिक्षा महिलाओं को ज्ञान, कौशल, आत्मविश्वास तथा निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। शिक्षित महिलाएँ स्वास्थ्य, पोषण, परिवार नियोजन, बाल शिक्षा तथा आर्थिक गतिविधियों में अधिक प्रभावी भूमिका निभाती हैं। महिला शिक्षा का प्रत्यक्ष संबंध सामाजिक परिवर्तन एवं मानव विकास से है।

(2) आर्थिक सशक्तिकरण

महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता उन्हें परिवार एवं समाज में निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। स्वरोजगार, उद्यमिता, स्वयं सहायता समूह, डिजिटल बैंकिंग तथा कौशल विकास कार्यक्रम इस दिशा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

(3) सामाजिक सशक्तिकरण

सामाजिक सशक्तिकरण का उद्देश्य महिलाओं को भेदभाव, हिंसा एवं सामाजिक बहिष्कार से मुक्त कर सम्मानजनक

जीवन उपलब्ध कराना है। इसके लिए सामाजिक जागरूकता, लैंगिक संवेदनशील शिक्षा तथा सामुदायिक सहभागिता आवश्यक है।

(4) राजनीतिक सशक्तिकरण

राजनीतिक प्रतिनिधित्व लोकतांत्रिक सशक्तिकरण का आधार है। स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी ने ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन में सकारात्मक योगदान दिया है।

तालिका–5 : भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

क्रमांक	प्रतिनिधित्व	प्रतिशत (%)
1	महिलाएँ	46.0
2	पुरुष	54.0

स्रोत: पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार (नवीनतम उपलब्ध आँकड़े, 2024–25)।

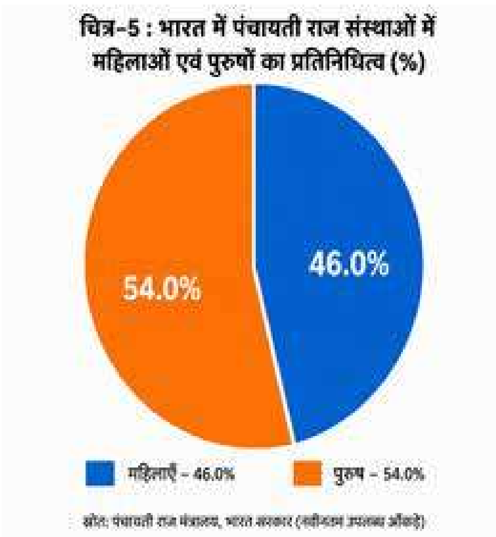

चित्र–5 : भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं एवं पुरुषों का प्रतिनिधित्व (%)

(5) विधिक सशक्तिकरण

संवैधानिक अधिकारों तथा कानूनी सुरक्षा के प्रति जागरूकता महिलाओं को शोषण एवं भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष करने की शक्ति प्रदान करती है। कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन महिला सशक्तिकरण की अनिवार्य शर्त है।

तालिका–6 : महिला सशक्तिकरण के प्रमुख आयाम एवं अपेक्षित परिणाम

आयाम	प्रमुख उद्देश्य	अपेक्षित सामाजिक परिणाम
शैक्षिक	गुणवत्तापूर्ण शिक्षा	जागरूकता एवं आत्मनिर्भरता
आर्थिक	रोजगार एवं उद्यमिता	आय वृद्धि एवं निर्णय क्षमता
सामाजिक	समान अवसर	सामाजिक सम्मान एवं सुरक्षा
राजनीतिक	प्रतिनिधित्व	लोकतांत्रिक सहभागिता
विधिक	अधिकारों की सुरक्षा	न्याय एवं लैंगिक समानता

स्रोत: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नीति आयोग तथा विभिन्न समाजशास्त्रीय अध्ययनों का संकलित विश्लेषण।

तालिका–6 का विश्लेषण

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि महिला सशक्तिकरण केवल आर्थिक विकास का विषय नहीं है, बल्कि शिक्षा, सामाजिक सम्मान, राजनीतिक भागीदारी एवं विधिक सुरक्षा जैसे विभिन्न आयामों का समन्वित परिणाम है। यदि इनमें से किसी एक आयाम की उपेक्षा होती है, तो महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया अधूरी रह जाती है।

संवैधानिक एवं विधिक आधार

भारतीय संविधान महिलाओं को समानता एवं गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार प्रदान करता है। संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 39, 42 एवं 51(क)(ई) महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न विधिक प्रावधान महिलाओं की सुरक्षा एवं समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाए गए हैं।

तालिका–7 : महिलाओं से संबंधित प्रमुख संवैधानिक एवं विधिक प्रावधान

प्रावधान	उद्देश्य	प्रमुख विशेषता
अनुच्छेद 14	समानता का अधिकार	कानून के समक्ष समानता
अनुच्छेद 15	भेदभाव का निषेध	महिलाओं हेतु विशेष प्रावधान
अनुच्छेद 16	समान अवसर	सरकारी सेवाओं में समान अवसर
अनुच्छेद 39	समान वेतन	सामाजिक एवं आर्थिक न्याय
अनुच्छेद 42	मातृत्व संरक्षण	मानवीय कार्य दशाएँ

प्रमुख कानून	उद्देश्य
दहेज निषेध अधिनियम, 1961	दहेज प्रथा पर रोक
घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005	घरेलू हिंसा से सुरक्षा
कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम, 2013	सुरक्षित कार्यस्थल
बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006	बाल विवाह पर रोक

स्रोत: भारत का संविधान एवं भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय के प्रकाशन।

तालिका–7 का विश्लेषण

भारतीय विधिक व्यवस्था महिलाओं को व्यापक संवैधानिक संरक्षण प्रदान करती है। फिर भी अनेक मामलों में कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन, न्यायिक प्रक्रिया में विलंब तथा सामाजिक जागरूकता के अभाव के कारण अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो पाते। इसलिए कानूनी सुधारों के साथ सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन भी आवश्यक है।

सरकारी योजनाएँ एवं उनका सामाजिक प्रभाव

महिला सशक्तिकरण को गति देने के उद्देश्य से केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा अनेक योजनाएँ संचालित की जा रही हैं।

तालिका–8 : महिला सशक्तिकरण हेतु प्रमुख सरकारी योजनाएँ

योजना	उद्देश्य	संभावित प्रभाव
बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ	बालिका शिक्षा एवं संरक्षण	लिंगानुपात एवं शिक्षा में सुधार
सुकन्या समृद्धि योजना	बालिकाओं की वित्तीय सुरक्षा	आर्थिक सशक्तिकरण
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	मातृ स्वास्थ्य	मातृ एवं शिशु कल्याण
वन स्टॉप सेंटर	हिंसा से पीड़ित महिलाओं की सहायता	सामाजिक सुरक्षा
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	स्वयं सहायता समूह	महिला उद्यमिता एवं रोजगार

स्रोत: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

तालिका–8 का विश्लेषण

सरकारी योजनाओं ने महिला शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय समावेशन एवं सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने में सकारात्मक योगदान दिया है। तथापि योजनाओं की प्रभावशीलता राज्यवार भिन्न है। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी, प्रशासनिक बाधाएँ तथा संसाधनों की सीमाएँ इनके प्रभाव को प्रभावित करती हैं।

समकालीन चुनौतियाँ

महिला सशक्तिकरण की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद निम्न चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं—

- श्रम बाज़ार में सीमित भागीदारी।
- डिजिटल लैंगिक विभाजन।
- साइबर अपराध एवं ऑनलाइन उत्पीड़न।
- असंगठित क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा का अभाव।
- लैंगिक रूढ़िवादिता।
- निर्णयकारी पदों पर महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व।
- ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बीच अवसरों की असमानता।

समाजशास्त्रीय दृष्टि से ये चुनौतियाँ संकेत करती हैं कि महिला सशक्तिकरण केवल नीति का प्रश्न नहीं है, बल्कि सामाजिक संरचना में परिवर्तन की दीर्घकालिक प्रक्रिया है।

निष्कर्ष

भारतीय समाज में लैंगिक असमानता एक बहुआयामी सामाजिक चुनौती है, जिसकी जड़ें ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक संरचनाओं में निहित हैं। स्वतंत्रता के पश्चात संवैधानिक प्रावधानों, विधिक सुधारों, शिक्षा के प्रसार तथा सरकारी योजनाओं ने महिलाओं की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार किया है। इसके बावजूद सामाजिक मानसिकता, आर्थिक अवसरों की असमानता तथा निर्णयकारी संस्थाओं में सीमित भागीदारी जैसी चुनौतियाँ आज भी विद्यमान हैं।

महिला सशक्तिकरण का वास्तविक उद्देश्य महिलाओं को केवल संरक्षण प्रदान करना नहीं, बल्कि उन्हें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं बौद्धिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। जब महिलाएँ संसाधनों, अवसरों एवं निर्णय-निर्माण में समान भागीदारी प्राप्त करेंगी, तभी लोकतांत्रिक समाज की अवधारणा सार्थक होगी।

अतः आवश्यक है कि महिला सशक्तिकरण को केवल कल्याणकारी नीति न मानकर सामाजिक परिवर्तन की व्यापक प्रक्रिया के रूप में देखा जाए। शिक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता, विधिक संरक्षण, सामाजिक जागरूकता तथा लैंगिक न्याय पर आधारित विकास मॉडल ही एक समतामूलक एवं समावेशी भारतीय समाज के निर्माण का आधार बन सकता है।

संदर्भ सूची

1. **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार.** (2024). *वार्षिक प्रतिवेदन 2023–24*. नई दिल्ली: भारत सरकार।
2. **राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB).** (2024). *Crime in India 2023*. गृह मंत्रालय, भारत सरकार।
3. **राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5).** (2022). *National Family Health Survey (2019–21), India Report*. मुंबई: IIPS एवं MoHFW.

4. **नीति आयोग.** (2024). *SDG India Index 2023–24*. नई दिल्ली: भारत सरकार।

5. **भारत सरकार.** (2024). *भारतीय संविधान* (नवीनतम संशोधित संस्करण). नई दिल्ली: विधि एवं न्याय मंत्रालय।

6. **Anthony Giddens.** (2021). *Sociology* (9th ed.). Polity Press.

छात्रों के बीच स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता का सर्वेक्षणात्मक अध्ययन

प्रतिमा वर्मा
गृह विज्ञान
माँ वैष्णों देवी स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय
सियाराम नगर (देवराकोट), पो. गोंड़वा, अयोध्या (उ.प्र.)

सारः- *उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर बॉयज अयोध्या के छात्रों में पोषण जागरूकता पर शोधकर्ता द्वारा एक अध्ययन किया गया। लड़कों के अयोध्या, उत्तर प्रदेश के लिए सरकारी डिग्री कॉलेज के विभिन्न विभागों के 100 छात्रों का नमूना यादृच्छिक रूप से चुना गया था। डॉ. श्वेता द्वारा विकसित प्रश्नावली द्वारा छात्रों की पोषण जागरूकता को मापा गया। रोकथाम, भावनात्मक भलाई, व्यक्तिगत सुरक्षा, पर्यावरणीय स्वास्थ्य और सुरक्षा। वर्णनात्मक सांख्यिकी (पाई आलेख और प्रतिशत) का उपयोग उस डेटा का आकलन करने के लिए किया गया था। जिसे हम पाई आरेख के माध्यम से डेटा की व्याख्या करते हैं। लड़कों के लिए सरकारी डिग्री कॉलेज के छात्रों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर पोषण जागरूकता और स्वास्थ्य की स्थिति से संबंधित 9 चरों का अध्ययन किया। इससे पता चला कि 21% छात्र उत्कृष्ट श्रेणी में, 55% छात्र अच्छी श्रेणी में तथा 24% छात्र पोषण जागरूकता में आवश्यकता सुधार श्रेणी के अंतर्गत पाए गए।*

***मुख्य शब्द*—** *पोषण, जागरूकता, विद्यार्थी*

परिचयः- पोषण भोजन का अध्ययन है और शरीर इसका उपयोग कैसे करता है। यह न केवल खाने वाले भोजन की मात्रा और गुणवत्ता से संबंधित है, बल्कि उन प्रक्रियाओं से भी संबंधित है जिनके द्वारा शरीर में वृद्धि और नवीनीकरण के साथ-साथ शरीर के विभिन्न कार्यों के रखरखाव के लिए शरीर में भोजन प्राप्त करता है और उपयोग करता है। पोषण का अर्थ महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ आहार की बात नहीं है। तकनीकी रूप से पोषण का अर्थ यह है कि यह एक निवेश है।

यदि आप अपने शरीर में सही चीजें डालते हैं तो यह शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देने और बीमारी को रोकने में मदद कर सकता है। अच्छा पोषण बीमारी को रोकने और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। इसे पूरा करने के लिए शरीर को छः प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और पानी शामिल हैं। पोषक कोशिकाओं और जीवों को जीवन का सहारा देने के लिए आवश्यक सामग्री का प्रावधान है। एक जीव का आहार वह है जो वह खाता है, जो काफी हद तक खाद्य पदार्थों के अनुभव से निर्धारित होता है।

खराब आहार स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डाल सकता है, जिससे कमी से होने वाले रोग हो सकते हैं। पोषण वह विज्ञान है जो शरीर द्वारा भोजन और उसके उपयोग से संबंधित है। अन्य जीवित चीजों की तरह हमें भी जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन वह सामग्री प्रदान करता है जिसकी हमारे शरीर को अपने ऊतकों के निर्माण

और मरम्मत और अपने अंगों और प्रणालियों के कार्यों के निर्वहन करने के लिए आवश्यकता होती है। संतुलित आहार शरीर की कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों के रखरखाव के लिए पोषण और ऊर्जा की आपूर्ति करने और सामान्य वृद्धि और विकास का समर्थन करने के लिए उचित प्रकार और पर्याप्त मात्रा में खाद्य पदार्थों और पेय का सेवन है। संतुलित आहार वह है जिसमें प्रत्येक पोषक तत्व की उचित मात्रा हो। भोजन में सौ पोषक तत्व होते हैं।

गुप्ता एन. और कोचर जी. (2009) किशोर पोषण संबंधी समस्या पर अध्ययन पूरे देश में आम है, कुछ लोगों के पास पर्याप्त भोजन की कमी है जबकि कुछ लोगों ने सोचा कि पर्याप्त मात्रा में भोजन हैं, फिर भी इसके खराब विकल्प हैं। इन कारणों से, पोषण संबंधी समस्याएँ न केवल उनकी वृद्धि और विकास को प्रभावित करती हैं, बल्कि भविष्य में वयस्कों के रूप में उनके आजीवन स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। पोषण की कमी, एनीमिया, विटामिन ए की कमी, आयोडीन की कमी और अधिक वजन या मोटापा जैसी पोषण संबंधी समस्याओं की श्रृंखलाओं भी उनमें विकसित हो सकती हैं।

कमला-राज (2011) ने ग्रामीणों पर पहाड़ी महिलाओं की पोषण स्थिति और ज्ञान पर अध्ययन किया। इस प्रकार वर्तमान अध्ययन ग्रामीण पहाड़ी महिलाओं की पोषण स्थिति का आकलन करने और पोषण संबंधी ज्ञान के बारे में पहाड़ी महिलाओं के ज्ञान का अध्ययन करने के उद्देश्य से किया गया था। इसके अलावा, पहाड़ी महिलाओं की पोषण संबंधी ज्ञान संबंधी ज्ञान पर विभिन्न सामाजिक-आर्थिक और जनसांख्यिकीय कारकों का प्रभाव। नैनीताल जिले, उत्तराखंड के तीन गांवों में क्रॉस सेक्शनल अध्ययन किया गया था। अध्ययन 18–45 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं तक ही सीमित था। कुल 223 महिलाओं को यादृच्छिक रूप से चुना गया था। उनके ज्ञान का परीक्षण किया गया और सामाजिक-जनसांख्यिकीय और पोषण संबंधी प्रोफाइल दर्ज की गई। अध्ययन के परिणाम से यह देखा गया कि विषयों का औसत प्रतिशत ज्ञान स्कोर 23.28 था। कम उम्र के साथ ज्ञान के अंक बढ़ते हुए पाए गए और वे शैक्षिक स्थिति के साथ महत्वपूर्ण रूप से जुड़े हुए थे। समस्या के उपरोक्त परिचय को देखते हुए, जिस अंतर को पूरा करने की आवश्यकता है, वह है लोगों में अपने पोषण के प्रति जागरूकता, ताकि वे अपने जीवन को समृद्ध करने के लिए स्वस्थ आदतों को प्राप्त कर सकें।

अध्ययन का महत्व

1. वर्तमान अध्ययन से विद्यार्थियों में पोषण संबंधी जागरूकता का सर्वेक्षण करने में मदद मिलेगी।
2. यह अध्ययन विद्यार्थियों को पोषण (आहार) के ज्ञान के बारे में सहायक होगा।

अध्ययन का उद्देश्य

- विद्यार्थियों में पोषण संबंधी जागरूकता का निर्धारण करना।

विधि और प्रक्रिया — इस अध्ययन के लिए सरकारी डिग्री कॉलेज फॉर बॉयज अयोध्या, उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों के 100 छात्रों के लिए एक समूह डिजाइन का उपयोग किया गया था। जो इस अध्ययन के लिए विषय के रूप में कार्य करते हैं। विद्यार्थियों की आयु 18–28 वर्ष की थी। सर्वेक्षण प्रश्नावली द्वारा द्वारा प्राप्त की गई है।

उपकरण — व्यक्तिगत हेल्थ चार्ट छात्रों के जनसांख्यिकीय, व्यक्तिगत और प्रदर्शन प्रोफाइल के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए प्रश्नावली का उपयोग हेल्थ चार्ट तैयार की गई थी।

प्रश्नावली का विवरण

पोषण जागरूकता — यह प्रश्नावली 2011 सत्रांक में होटल प्रबंधन विभाग के प्रो. डॉ. श्वेता द्वारा विकसित की गई थी। इस प्रश्नावली में 20 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न में 5–5 अंकित हैं। यह प्रश्नावली 5 मिनट में भरने वाली है। स्कोरिंग विषयों की प्रतिक्रियाओं के अनुसार किया जाता है।

परिणाम और निष्कर्ष

स्कोर	श्रेणी
0–33	उत्कृष्ट
34–66	अच्छा
67–100	सुधार की आवश्यकता

संपूर्ण पोषण जागरूकता — शोधकर्ता ने विद्यार्थियों की समग्र पोषण जागरूकता का भी अध्ययन किया। इसके उपरांत चार श्रेणियों के आँकड़ों की क्रमशः संख्या 100 विद्यार्थियों के डेटा का विश्लेषण किया गया। पाई चार्ट पर पोषण जागरूकता के अनुसार 21% विद्यार्थी उत्कृष्ट श्रेणी में, 55% विद्यार्थी अच्छी श्रेणी में तथा 24% विद्यार्थी आवश्यकता सुधार श्रेणी में पाए गए।

संदर्भ

1. कमला-राज, 2011 "पोषण की स्थिति और ग्रामीणों पर पहाड़ी महिलाओं का ज्ञान: विभिन्न सामाजिक जनसांख्यिकीय कारकों का प्रभाव", क्षेत्र अध्ययन, उत्तराखण्ड, तीन विश्व स्वास्थ्य, तीन गांवों में क्रॉस सेक्शनल अध्ययन, रिसर्च एंड जर्नल्स ऑफ होम साइंस, वॉल्यूम 26 अंक 145, पृष्ठ संख्या 263145, Success, भारत। 2011, 33(1):29–34.
2. गुप्ता, कोचर, 2009, "किशोरों के बीच पोषण संबंधी समस्याओं में सुधार", रिसर्च शिक्षा की भूमिका, पोषण और स्वास्थ्य के संदर्भ में अध्ययन, 7.
3. मिश्रा, की. और रेखाचंद्र, आरडी (2000) "महिला शिक्षा भारत में बाल पोषण में सुधार कर सकती है", राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण बुलेटिन, (15), 1–4।
4. अग्रवाल, सरस्वती, (1999) "डेवलपमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल इन इंडेक्स: सेलेक्टेड इम्प्लीमेंटेशन 1995–1997", जर्नल (5), कंसेप्ट पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली, पृष्ठ 85–87।
5. सर्व शिक्षा अभियान की ऑनलाइन उपलब्ध: http://mhrd.gov.in/sarva-shiksha-abhiyan/1, 08.04.2016 को देखा गया।
6. मेहता, वी. ग्रामीण भारत में महिला शिक्षा: आवश्यकता या आशीर्वाद। http://www.yourarticlelibrary.com/essay/women-education-in-rural-indiameaning-need-and-barriers/34972/ पर ऑनलाइन उपलब्ध, 25.04.2017 तक। प्राप्त।

काशीनाथ सिंह के उपन्यास ‘काशी का अस्सी’ में सामाजिक दर्शन

डॉ. सुरेन्द्र पाण्डेय
असिसटेन्ट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, कूबा पी0जी0 कॉलेज, दरियापुर, नेवादा, आजमगढ़ (उ0प्र0)

शोध-सार

आधुनिक हिन्दी उपन्यास के प्रमुख लेखक काशीनाथ सिंह हिन्दी साहित्य के कार्ल मार्क्स हैं। आपके उपन्यासों में समाज का जीवंत परिदृश्य परिलक्षित होता है। काशी का अस्सी जिसे आदिकाल से ही महाश्मशान, मुर्दों का नगर कहा जाता है आज भूमण्डल के केन्द्र में स्थापित हो गया है। सामाजिक तौर पर देखें तो ‘काशी का अस्सी’ उपन्यास भारतीय संस्कृति, रीति-रिवाज का सजीव चित्रांकन है।

की-वर्ड- जीवन-दर्शन, परम्, भाषाविद्, खड़ाऊँ, बनारस, वर्गहीन, भाष्य, बोधिवृक्ष, भोगा यथार्थ, जजमान, काशी, मार्क्सवाद, समाजवाद, भूमण्डलीकरण, अस्सी घाट।

लेखक काशीनाथ सिंह ने बनारस की संस्कृति को भारतीय समाज का केन्द्र बिन्दु कहा है। सभी भारतीय बनारस आकर गंगा घाट में मोक्ष प्राप्त करते हैं। यह महाकाल की नगरी है, शमशान के बीच में बसा शहर। जिसने बनारस का काशी नहीं देखा उसने दुनिया में कुछ नहीं देखा। यहाँ की संस्कृति और समाज सबसे अलग है। यहाँ की भाषा और प्राकृतिक वातावरण भी अन्य शहरों से अलग है, यहाँ की भाषा में व्यंग्य और प्रकृति में भांग अलग प्रकार के वातावरण को निमित्त करते हैं।

काशी का अस्सी में सामाजिक जीवन दर्शन

समाज लोगों का समूह है, जब तक समाज में विभिन्न वर्गों, समुदाय का मिश्रण नहीं होता है तब तक समाज में निखार नहीं आता है। लेखक ने बनारस की भूमि में जो सामाजिक जीवन का अनुभव किया है वह यथार्थ रूप में चित्रित किया है। ‘‘जो मना बनारस में, न पेरिस में, न फारस में- इश्तहार है इसका।

यह इश्तहार दीवारों पर नहीं, लोगों की आँखों में और ललाटों पर लिखा रहता है।
‘गुरु’ यहाँ की नागरिकता का सरनेम है।
न कोई सिंह, न पांडे, न जादो, न राम। सब गुरू!
जो पैदा भया, वह भी गुरू जो मरा, वह भी गुरू।
वर्गहीन समाज का सबसे बड़ा जनतंत्रा है यह।’’[1]

लेखक ने काशी की भूमि को मानवीय जगत का सबसे बड़ा जनतंत्र घोषित किया है। यहाँ लोग जाति, धर्म के नाम से नहीं पहचाने जाते हैं, नाम कुछ भी हो लेकिन सभी का सरनेम ‘गुरू’ ही होता है। ‘गुरू’ एक विशेष प्रकार की उपाधि है जो अपढ़-शिक्षित लोगों में अन्तर नहीं करती है। काशी की भूमि पर जो भी आता है, वह गुरु हो जाता है। गुरू ही सबकी पहचान है। ‘काशी का अस्सी’ सामाजिक बंधनों से रहित समाज है जिसमें वर्ण भेद तो है लेकिन जाति भेद कदापि नहीं है। साधु-संतों की नगरी में पढे-लिखे समाज का भी किरदार है लेकिन सब एक ही आइने से दृश्यमान है।

राजनीतिक दर्शन

काशीनाथ सिंह ने नब्बे के दशक का माहौल उपन्यास में तैयार किया है। बाबरी मस्जिद को ढ़हाने के समय भारतीय समाज हिन्दू-मुस्लिम दो सम्प्रदाय में विभाजित होकर साम्प्रदायिकता की आग में जलने लगा था। मंदिर-मस्जिद के मामले ने आम जनता के मन में भय उत्पन्न कर दिया था। रामवचन पाण्डे कहते हैं कि- ''पूरा देश एक भयानक हादसे से गुजर रहा है। आप यहाँ खड़े हैं और कौन जाने, कोई आतंकवादी आपकी ताक में कहीं छिपा हो। आप यहाँ बैठे हुए हैं, कौन जाने आपकी सीट के नीचे बम रखा हो। आप यादव के समर्थन में बोलिए, बाभन मार देगा। बाभन के समर्थन में बोलिए, यादव मार सकता है; आप दाढ़ी रखो हुए हैं, हो सकता है मदनपुरा या नई सड़क से गुजरते हुए बच जाएँ, मगर हिन्दू मुहल्ले से भी बच निकलेंगे- इसकी कोई गारंटी नही है।''[2] काशीनाथ सिंह ने स्पष्ट किया कि कैसे मंदिर-मस्जिद के नाम पर समाज दो भागों में बंट रहा है। मूल्यहीन राजनीति के कारण आपसी सामाजिक सौहार्द खत्म किया जा रहा है। मंदिर-मस्जिद को हिन्दू-मुस्लिम में बाँटकर राजनीति का मार्ग प्रशस्त किया गया है। राजनीति में अर्थ, दण्ड, काम, भेद सबका प्रयोग किया जा रहा है। धार्मिक भावनाओं को भड़काकर सीधे-साधे लोगों को चरमपंथी बनाया जा रहा है। राजनीति के इस खेल में धर्म को हथियार के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। आपसी सौहार्द पर प्रहार किया जा रहा है।

धर्म और कर्म का समाज

काशीनाथ सिंह का साहित्य परम्पराओं और संस्कृति को मानवीय दृष्टिकोण से देखता है, उसमें किसी भी प्रकार की बनावटीपन और दिखावटीपन नहीं है।

''आज से पचास साल पहले शंकराचार्य के अवतार कहे जाने वाले स्वामी करपात्री जी जब नगवां-अस्सी पर यज्ञ करके दिग्विजयी हो रहे थे तो किसी ने धीरे से बुदबुदाकर किसी के कान में कहा- ''अयं महात्मा करपात्रा दंडी, यदा-कदा गच्छति दालमंडी!'' दालमंडी यानी वेश्यालय, चौक के पास रंडियो का मुहल्ला। यह महात्मा करपात्री जदा-कदा दालमंडी जाता है। अनर्थ! घोर अनर्थ। सनातन धर्म का यह सुप्रीम कोर्ट भदैनी-अस्सी, पंडों-पुरोहितों, कर्मकंडियों और ज्योतिषियों का जूरी समाज।''[3]

लेखक ने धार्मिक विसंगतियों को भी सामाजिक-जीवन दर्शन के रूप में स्वीकार किया है। सनातन धर्म और संस्कृति का अखाड़ा अस्सी में पंडितों का नैतिक पतन बुराई के रूप में कुख्यात है। पंडितों का काम धर्म की रक्षा करना है किन्तु वे वेश्या गमन कर रहे हैं। पंडों-पुरोहितों के नगर में एक से एक प्रख्यात-ख्यातिप्राप्त ज्योतिष और पंडित हैं, यहाँ वेश्यालय का क्या काम है। किन्तु वेश्यागमन सामाजिक जीवन में एक अनोखा आचरण है कभी वेश्या साधु-संतों से प्रभावित होकर सदाचारी बन जाती थी, अब साधु-संत वेश्यालय में जाकर अपनी शारीरिक भूख शांत करने में तृप्त हो रहे हैं, यही कलयुग है।

लेखक काशीनाथ सिंह स्पष्ट करते हैं कि काशी वासियों का व्यवहार अजीब है। यहाँ के लोग साधु-संतों की बातों को नहीं समझते हैं। उनके लिए तो यह जगह शरारत और मस्ती करने की है। वे अपनी मस्ती में ही मस्त रहते हैं। ''जब तुलसी बाबा अस्सी घाट पर आए और डेरा-डंडा जमाया। बड़ी मुश्किलें झेलनी पड़ीं उन्हें, कभी लंगोटी गायब होती, कभी धोंकरा, कभी लुटिया, कभी कमंडल, कभी पोथी। वे भागते फिरे यहाँ से वहाँ- कभी गोपाल मंदिर, कभी हनुमान फाटक, कभी राजा दरवाजा, कभी बिंदुमाधव मंदिर, बड़ा दिक्कत किया मुहल्ले वालों ने। 'छिनरों' के रहेंगे काशी में और लिखेंगे भाखा में।'' आखिरकार चौधरी टोडर और मधुसूदन सरस्वती ने बीच-बचाव किया तो बाबा जम सके यहाँ ऐसे भी जिसने अस्सीघाट का पानी पी लिया उसके लिए दुनिया-जहान का पानी खारा है।''[4]

इस घाट में रहने वाले लोग अपने संस्कारों से पहचाने जाते हैं। जबरन किसी से लड़ना और गाली देना यहाँ की संस्कृति है। कोई इस बात को बुरा मानता है तो माने यहाँ के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुलसी बाबा को भी यहाँ के लोगों ने काफी परेशान किया, किन्तु वे हार नहीं माने। जिसने यहाँ की संस्कृति को समझ लिया तो मानों उसका जीवन उद्धार हो गया।

भाषा और संस्कृति अस्सी की पहचान

काशीनाथ सिंह ने अस्सी के जीवन को अंगीकार किया है। वे जब से यहाँ आये हैं तभी से वे यहाँ के आबोहवा, भांग, पानी, भाषा, गाली-गलौज की संस्कृति के गुलाम हो गये हैं। तुलसी को भी आत्मसात काशी में ही प्राप्त हुआ और काशीनाथ सिंह की कर्मस्थली भी अस्सी घाट रही है। इसीलिए काशीनाथ सिंह के साहित्य में बोली और भाषा में गाली-गलौज अत्यंत ही सहज रूप से वर्णित हुई है, उन्हें स्थानीय बोली का ज्ञान था और उसी बोली को आप काशी की संस्कृति कहते हैं। काशी में सब एक ही भाषा का प्रयोग करते हैं, किसी को बुरा बोलना और गाली देना भले ही गलत हो किन्तु यहाँ के लोग इसे अपना बड़प्पन मानते हैं।

काशीनाथ सिंह स्पष्ट करते हैं कि- ''धक्के देना और धक्के खाना, जलील करना और जलील होना, गालियाँ देना और गालियाँ पाना औघड़ संस्कृति है। अस्सी की नागरिकता के मौलिक अधिकार और कर्त्तव्य। इसके जनक संत कबीर रहे हैं और संस्थापक औघड़ कीनाराम। चन्दौली के एक गाँव से नगर आए एक अप्रवासी संत। अस्सीवासी उसी औघड़ संस्कृति की जायज-नाजायज औलादें हैं। गालियाँ इस संस्कृति की राष्ट्रभाषा है जिसमें प्यार और आशीर्वाद का लेन-देन होता है।''[5]

काशीनाथ सिंह ने काशी के अस्सी घाट की भाषा और संस्कृति का सूक्ष्मावलोकन किया है। वे यहाँ के परिवेश को काफी करीब से महसूस करते हैं। आपके इस उपन्यास में स्थानीय भाषा और गाली-गलौज का जितनी सहजता के साथ प्रयोग हुआ है, ऐसा लगता है कि यह आपकी आत्मीय भाषा है। भाषा से ही रीति-रिवाज, विश्वास और संस्कृति का विकास होता है। भाषा केवल संवाद नहीं है अपितु भाषा में ही सामाजिक जीवन के दर्शन होते हैं और रहन-सहन का पता चलता है। काशी के घाट में सभी प्रजाति के लोग मिलते हैं, यहाँ कोई किसी का स्थायी मित्रा नहीं होता है, सब अपनी-अपनी आवश्यकतानुसार मिलते हैं और बिछुड़ते हैं। यहाँ कोई किसी का अपना नहीं है, बल्कि अपनों का अंतिम संस्कार करने आता है और गाली खाकर, बेइज्जत होकर चला जाता है।

काशीनाथ सिंह ने काशी के घाट में रहने वाले औघड़ का भी सुंदर चित्रांकन किया है। जब कई वर्षों तक ग्वालिन को बच्चा नहीं हुआ तो वह बाबा के पास गई, बाबा हनुमान के पास, हनुमान जी ने भगवान राम से पूछा। भगवान राम ने बच्चा नहीं होने का योग बताया। वह व्यथित होकर औघड़ के पास गई। ''औघड़ उसका दुख सुना तो पहले धुंआधार गालियाँ दी, क्रोध में मटका फेंक दिया और चूतड़ पर चार चिमटा जमाया- 'जा भाग हियाँ से'। ग्वालिन रोती गाती लौट आई। जब एक-एक करके चार बेटे हो गए तो उनके साथ बाबा के पास आई। बाबा चकित! उन्होंने हनुमान से पूछा। हनुमान ने राम से पूछा। राम ने हनुमान को बताया- ''भई, प्रारब्ध में तो नहीं था लेकिन महादेव की इच्छा। कोई क्या कर सकता है? एक औघड़ के आगे भक्ति भी धरी रह गई और राम की भगवानी भी।''[6]

काशीनाथ सिंह के द्वारा इस किस्से को उजागर करने का एकमात्र कारण यह था कि कर्म-धर्म से बढ़कर भक्ति है। इस महाकाल की नगरी में भक्तों की महाकाल तुरंत मनोकामना पूर्ण करते हैं।

सामाजिक-साम्प्रदायिक परिवर्तन

लेखक ने नईम की दुकान के माध्यम से सामाजिक-साम्प्रदायिक परिवर्तन का यथार्थ प्रस्तुत किया है। किस प्रकार नईम अकेले हिन्दुओं का मक्का कहे जाने वाले लोलार्क कुंड के चौराहे पर अकेला मुसलमान दुकानदार हैं। वह अपने भाईयों के साथ दुकान लगाता है। पहले उसके पिता दुकान लगाते थे, सब्जी की, ताजा हरी सब्जियाँ बेचते थे वे। हिन्दू-मुसलमान सभी उनके यहाँ सब्जी लेने आते थे क्योंकि वह ताजी और सस्ती सब्जी बेचते थे। जब से देश में हिन्दू-मुस्लिम दंगे शुरू हो गये और मस्जिद-मंदिर तक आदमी सिमट कर रह गया तब से लोगों ने नईम की दुकान पर आना बंद कर दिया। कई बार लोग नईम से पूछते भी थे कि तुम्हें हिन्दुओं के मुहल्ले में डर नहीं लगता। अब वह क्या जवाब देता उसने सब्जी की जगह आलू बेचना प्रारम्भ कर दिया।

''नईम ने तय किया कि वह आलू- सिर्फ आलू बेचेगा। मौसम के हिसाब से कभी आलू, कभी प्याज, कभी तरबूज-खरबूज। थोक में, पसेरी के भाव। ग्राहक जिस भाव के लिए सट्टी जाते हों, वह भाव यहीं लें। घर बैठे। आलू-प्याज में हिन्दू, मुसलमान जैसी कोई चीज नहीं।''[7]

लेखक ने अत्यंत ही भावुकता और सहजता के साथ वर्णित किया है कि जिस प्रकार गाय हिन्दुओं की माता है, बकरी मुसलमानों के लिए कामधेनू है। जानवरों का बँटवारा हिन्दू-मुसलमानों ने कर लिया उसी तरह हरी सब्जियाँ मुसलमान हो गई और नारंगी सब्जियाँ हिन्दू।

नईम अपना पुश्तैनी धन्धा नहीं छोड़ना चाहता था किन्तु वह घाटे में अधिक दिन तक यह धन्धा नहीं कर सकता था। हरी सब्जियाँ एक दिन में ही बासी हो जाती थी और उसे कोई नहीं खरीदता था। नईम ने फैसला किया कि वह अब सब्जियाँ नहीं बेचेगा, वह आलू, प्याज, तरबूज जैसी सब्जियाँ बेचेगा। इसमें हिन्दू-मुस्लिम जैसी कोई बात नहीं है और इसे अधिक दिन रखा भी जा सकता है। लोग एक-दो किलो आलू-प्याज लेने के लिए मण्डी नहीं जायेंगे। इस प्रकार एक शहर का माहौल साम्प्रदायिक की आग में मानवता को समाप्त कर गया।

सामाजिक रीति-रिवाज और व्यवस्थाएँ

काशीनाथ सिंह कहते हैं कि भांग काशी की संस्कृति है, यहाँ के आबोहवा में भांग लोगों को स्वस्थ रखने का काम करता है। लेकिन जब से देश में देशी-अंग्रेजी दारू का प्रचलन बढ़ा है, लोगों का रूझान भांग की तरफ से कम हो गया है, भांग बनाने के लिए धै्र्य चाहिए। अब लोगों के पास समय और धैर्य बचा कहाँ है।

काशीनाथ सिंह ने अस्सी की संस्कृति को मानवीयता,. परिवेश, देश की नैतिकता, मूल्य और खान-पान के अनुरूप बताया है। वे बताते हैं कि, ''कार्यक्रम माने दारू। बोतल खोलिए, गिलास में डालिए, चुस्की मारिए। कार्यक्रम चलाइए- देश को अस्थिर, अव्यवस्थित और तबाह कीजिए। अगर मुल्क को व्यवस्थित और स्थिर रखना हो, तबाही और बर्बादी से बचाना हो तो भांग लीजिए। भांग, दारू की तरह तैयार माल नहीं है कि खोली, ढाला और पिया। व्यवस्था करनी पड़ती है इसकी! भिंगोने-धोने की, छानने-घोटने की, सिलबट्टे की। घंटों लगते हैं। इसलिए व्यवस्था माने भांग! भांग के लिए समय और इत्मीनान चाहिए।''[8]

समय के अभाव के कारण अब रीति-रिवाजों में भी परिवर्तन हो रहा है, महीनों तक चलने वाले त्यौहार सिमटकर एक-दो दिन में पूरे हो रहे हैं। लोग व्यवस्थाओं के लिए समय ही नहीं निकाल पा रहे हैं। गली-मुहल्लों में लोग बोतल लेकर

खड़े हैं और अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं।

शास्त्रों में वर्णित है कि भांग जड़ी-बूटी द्वारा निर्मित दवा है जिसका सही समय पर सेवन करने से शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान बना रहता है। भांग में कई गुण विद्यमान होते हैं। ''शास्त्रों का मत है कि काल दुनिया का चक्कर मारकर यहीं विश्राम करता है- भांग-बूटी छानकर। बल्कि यूँ कहिए कि वह अपने नौकरों-चाकरों को चक्कर मारने के लिए छोड़ देता है और खुद लेटा रहता है घाट की किसी पटिया या चौतरे पर, इसीलिए जहाँ दूसरे नगरों को 'राम' का नाम लेने के लिए फुर्सत निकालनी पड़ती है वहीं अस्सीवालों को 'काम' के लिए फुर्सत का समय देखना पड़ता है। 'राम' के लिए तो फुर्सत-ही-फुर्सत है।''[9]

लेखक का मत है कि ग्लोबलाइजेशन, व्यापारवाद, उपभोगवाद के कारण हम अपनी संस्कृति, स्वास्थ्य, जीवन-दर्शन से दूर होते जा रहे हैं जो कि एक चिंता का विषय है। सम्पूर्ण विश्व भारतीय परम्परा और प्राचीन संस्कृति का लोहा मान रहा है और हम भौतिकतावाद की ओर तेजी से भाग रहे। राम नाम से ही असली आनंद की प्राप्ति होती है। भांग का घोल अब शराब के जाम में दिखने लगा है। भारतीय समाज अपने उत्कर्ष को छोड़कर निष्काम में लगा हुआ है। हमारा देश साधु-संतों और औघड़ों की संस्कृति से बना है, काशी में महाकाल का निवास है और हम अपने संस्कारों को छोड़कर विदेशी परम्पराओं को अपना रहे हैं। जो कुछ भी प्राप्त करना है वो 'राम' नाम में ही निहित है।

मनोवैज्ञानिक दर्शन

लेखक ने गंगा की महिमा का वर्णन करते हुए लिखा है कि गंगा सम्पूर्ण भारतवर्ष की जीवन-दायिनी माँ हैं।

''संतों, जहाँ पानी, वहाँ प्रानी। जहाँ घाट, वहीं हाट। इतिहास यही कहता है। इतिहास कहता है कि गंगा के गर्भ से पैदा हुआ है यह नगर? वह इसकी माँ है। माँ इसलिए है कि नगर की तीन-चौथाई आबादी उसी के सहारे है। पंडे, पुरोहित, नाई, धोबी, मल्लाह, मछुआरे, बढ़ई, माली, डोम, मेहतर, बिसाती, साधु, सन्त, भीखमंगे, गाइड, मालिशिए- जाने कितने पेशे और कितनी जाति के लोग उसी के सहारे सदियों से जी-खा रहे हैं।''[10]

काशीनाथ सिंह ने काशी के जीवन को भोगा है और यहाँ की पौराणिक-मिथक उनके साहित्य के जीवन-दर्शन है। माँ किसी में भी भेदभाव नहीं करती है। गंगा माँ से ही काशी का उद्गम हुआ है। उसके लिए यहाँ के निवासी पुत्रवत् है। गंगा शहर की जीवनदायिनी है। लोगों के जीवन-मरण का चक्र यहीं आकर पूर्ण होता है।

निष्कर्ष

काशीनाथ सिंह ने भारतीय परिवेश के जीवन को सामाजिक-दर्शन के रूप में व्याख्यायित किया है। हमारा समाज और संस्कृति प्राचीन परम्पराओं और रीतियों का परिष्कृत रूप है। हम अपने रंग-रूप से अधिक अपनी संस्कृति और समाज से पहचाने जाते हैं। हमारा समाज ही हमारी परम्परा और दर्शन है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. सिंह, काशीनाथ- काशी का अस्सी, राजकमल पेपरबैक्स, दिल्ली, प्रथम संस्करण- 2006, पृ0 12
2. सिंह, काशीनाथ- काशी का अस्सी, पृ0 27

3. सिंह, काशीनाथ- काशी का अस्सी, पृ0 36
4. सिंह, काशीनाथ- काशी का अस्सी, पृ0 37
5. सिंह, काशीनाथ- काशी का अस्सी, पृ0 38
6. सिंह, काशीनाथ- काशी का अस्सी, पृ0 38
7. सिंह, काशीनाथ- काशी का अस्सी, पृ0 49
8. सिंह, काशीनाथ- काशी का अस्सी, पृ0 74
9. सिंह, काशीनाथ- काशी का अस्सी, पृ0 75
10. सिंह, काशीनाथ- काशी का अस्सी, पृ0 99

प्रवासी साहित्य में राम : परंपरा और आधुनिकता के संदर्भ में

अंकिता मिश्रा
शोधार्थी, हिंदी विभाग,
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

प्रवासी साहित्य आधुनिक हिन्दी साहित्य का वह संवेदनशील और जटिल क्षेत्र है जहाँ व्यक्ति का जीवन- अनुभव भूगोल, इतिहास, स्मृति और संस्कृति के साथ गहरे रूप में जुड़ता है। प्रवास केवल स्थान का परिवर्तन नहीं है, बल्कि वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी जन्मभूमि से दूर जाकर नए सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषिक परिवेश में स्वयं को बार-बार परिभाषित करता है। इस प्रक्रिया में उसके भीतर परंपरा और आधुनिकता के बीच एक सतत संवाद चलता रहता है। यही संवाद प्रवासी साहित्य की आत्मा है और इसी संवाद में राम का पुनर्पाठ, पुनर्स्मरण और पुनर्सृजन एक केंद्रीय सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में उभरता है।

भारतीय संदर्भ में प्रवासी अनुभव कोई नई परिघटना नहीं है। औपनिवेशिक काल में गिरमिटिया मज़दूरों के रूप में गए लोग हों, खाड़ी देशों में श्रम करने वाले मजदूर हों, या पश्चिमी देशों में बेहतर जीवन की तलाश में गए शिक्षित मध्यवर्गीय लोग- सभी के अनुभवों में विस्थापन, असुरक्षा, स्मृति और पहचान का संकट साझा है। इन अनुभवों ने प्रवासी साहित्य को जन्म दिया। पराये देश में पराया होने की अनुभूति, अपने देश की स्मृतियों से जुड़ा नॉस्टेल्जिया और नए समाज में स्वीकार्यता की जद्दोजहद इस साहित्य की मूल संवेदनाएँ हैं। इन्हीं संवेदनाओं के बीच राम का चरित्र एक ऐसे सांस्कृतिक सूत्र के रूप में सामने आता है जो प्रवासी मन को परंपरा से जोड़े रखता है।

राम भारतीय सांस्कृतिक चेतना में केवल एक पौराणिक या धार्मिक चरित्र मात्र नहीं हैं, बल्कि वे मर्यादा, नैतिकता, त्याग, संघर्ष और धैर्य के प्रतीक हैं। प्रवासी साहित्य में राम का स्मरण विशेष रूप से उनके वनवास के प्रसंग से जुड़ता है। राम का वनवास प्रवास का एक सशक्त और आदर्श रूपक बन जाता है। जिस प्रकार राम को अयोध्या छोड़कर अज्ञात वनों में जाना पड़ा, उसी प्रकार प्रवासी को अपनी जन्मभूमि छोड़कर एक अनजान देश की ओर प्रस्थान करना पड़ता है। दोनों ही स्थितियों में विस्थापन, पीड़ा और भविष्य को लेकर अनिश्चितता निहित है। इसी समानता के कारण राम प्रवासी चेतना में एक जीवंत प्रतीक के रूप में उपस्थित दिखाई देते हैं।

मॉरीशस के प्रसिद्ध विद्वान डॉ० ठाकुर दत्त पांडेय ने इसी संदर्भ में उल्लेख किया है कि उनके भारतीय पूर्वज तुलसीकृत '*रामचरितमानस*' तथा '*हनुमान चालीसा*' के माध्यम से प्रभु राम का गुणगान करते हुए अपने समस्त कष्टों और पीड़ाओं को धैर्य के अश्रुओं से शांत करते थे। इस प्रकार की चौपाइयों से वे भौतिक और आध्यात्मिक- दोनों प्रकार का उद्बोधन प्राप्त करते थे, जैसे- *"अब कह नाथ न चाहिए मेरे, दीनदयाल अनुग्रह तोरे।"* प्रवासी साहित्य में राम का स्वरूप परंपरागत श्रद्धा तक सीमित नहीं रह जाता, बल्कि वह आधुनिक जीवन की जटिलताओं से संवाद करता हुआ दिखाई देता है। आधुनिक प्रवासी राम को केवल एक आदर्श पुरुष के रूप में नहीं, बल्कि एक संघर्षशील और संवेदनशील मानव के रूप में देखता है। वनवास काल में राम का धैर्य, सीता का साहस और लक्ष्मण की निष्ठा प्रवासी जीवन की कठिन परिस्थितियों से जूझते व्यक्ति को मानसिक संबल प्रदान करते हैं। इस प्रकार राम की कथा प्रवासी के लिए आत्मबल, नैतिक दिशा और

जीवन-संघर्ष में स्थिरता का स्रोत बन जाती है।

परंपरा और आधुनिकता के बीच निरंतर चलने वाला संवाद प्रवासी साहित्य की एक विशिष्ट और केंद्रीय पहचान है। आधुनिकता जहाँ व्यक्ति को नए अवसर, भौतिक सुविधाएँ और वैश्विक पहचान प्रदान करती है, वहीं दूसरी ओर वह सांस्कृतिक जड़ों से कट जाने की आशंका भी उत्पन्न करती है। प्रवासी जीवन में यह द्वंद्व अत्यंत तीव्र रूप में उपस्थित होता है। ऐसे में राम की स्मृति प्रवासी को उसकी सांस्कृतिक, नैतिक और भावनात्मक जड़ों से जोड़े रखने का कार्य करती है। यह स्मृति केवल अतीत का बोझ नहीं होती, बल्कि वर्तमान जीवन को अर्थ, संतुलन और दिशा प्रदान करने वाला आधार बन जाती है।

प्रवासी लेखक राम को परंपरागत धार्मिक प्रतीक के रूप में नहीं, बल्कि नए संदर्भों में पुनर्परिभाषित करता है। कभी राम स्मृति के सहारे बनते हैं, जो विस्थापन की पीड़ा में संबल देते हैं; कभी वे नैतिक द्वंद्व के समाधान के रूप में उपस्थित होते हैं; और कभी घर लौटने की आकांक्षा तथा आत्मिक शांति के प्रतीक बन जाते हैं। इस प्रक्रिया में रामकथा आधुनिक जीवन की जटिलताओं से संवाद करती हुई दिखाई देती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि परंपरा कोई जड़ संरचना नहीं है, बल्कि वह समय, स्थान और अनुभव के अनुसार नए अर्थ ग्रहण करती रहती है। इसी संदर्भ में फिजी के प्रवासी भारतीय कवि जैनन प्रसाद की कविता *'रावण या राम'* विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस कविता में कवि राम और रावण को बाह्य पात्रों के रूप में नहीं, बल्कि मानव के आंतरिक नैतिक संघर्ष के प्रतीकों के रूप में प्रस्तुत करता है। कवि यह स्पष्ट करता है कि राम और रावण दोनों ही मनुष्य के भीतर विद्यमान हैं-

"याद रहे! रावण और राम
दोनों हैं तुम्हारे अंदर।
स्वर्ण दंभ की लंका गढ़ लो
या पवित्र वह अवध नगर।"

यहाँ 'लंका' अहंकार, दंभ, ईर्ष्या और भौतिक लालसा का प्रतीक बन जाती है, जबकि 'अवध' नैतिकता, करुणा और आत्मसंयम का पर्याय है। कवि 'अवध' को एक भौगोलिक या पौराणिक नगर के रूप में नहीं, बल्कि एक आदर्श नैतिक अवस्था के रूप में व्याख्यायित करता है-

"अ! वध! अवध! जहाँ न हो किसी का वध
तुम वह नगर बनाओ।
ईर्ष्या, जलन और द्वेष को अब दूर भगाओ।"

इस प्रकार 'अवध' एक ऐसी मानवीय चेतना का प्रतीक बन जाती है, जहाँ हिंसा, द्वेष और ईर्ष्या के लिए कोई स्थान नहीं है। यह अवध वस्तुतः वह आंतरिक संसार है, जिसे प्रवासी व्यक्ति आधुनिक भौतिक जीवन के दबावों के बीच भी सुरक्षित रखना चाहता है। जैनन प्रसाद की यह कविता प्रवासी साहित्य की उस आधुनिक प्रवृत्ति को रेखांकित करती है, जिसमें *रामायण* के पात्र आधुनिक नैतिक संदर्भों में पुनर्सृजित होते हैं। यहाँ राम केवल पूजनीय देवता नहीं, बल्कि विवेक, आत्मसंयम और नैतिक साहस के प्रतीक बन जाते हैं, जबकि रावण व्यक्ति के भीतर छिपी नकारात्मक प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो प्रवासी साहित्य में रामकथा आत्ममंथन, आत्मसंघर्ष और आत्मनिर्माण की प्रक्रिया का सशक्त माध्यम बन जाती है।

प्रवासी साहित्य में राम का पुनर्सृजन यह स्पष्ट करता है कि परंपरा कोई स्थिर या जड़ संरचना नहीं होती, बल्कि वह समय, स्थान और अनुभव के अनुसार निरंतर नए अर्थ ग्रहण करती रहती है। विदेश में रहने वाला भारतीय जब राम का स्मरण करता है, तो वह उन्हें केवल मंदिर, पूजा या ग्रंथ तक सीमित नहीं रखता, बल्कि अपने दैनिक जीवन-संघर्षों में उनका अनुभव करता है। इस अनुभव में राम आधुनिक प्रवासी जीवन के नैतिक संदर्भ बन जाते हैं, जहाँ सफलता और असफलता, अपनापन और परायापन- सभी एक साथ उपस्थित रहते हैं।

भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में राम का व्यक्तित्व आदर्श पुरुष, मर्यादा, करुणा और कर्तव्यबोध का प्रतीक रहा है। रामकथा भारतीय मानस में केवल एक धार्मिक आख्यान नहीं, बल्किजीवन-दर्शन के रूप में प्रतिष्ठित रही है। यही कारण है कि जब ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण भारतीय समाज का एक बड़ा वर्ग देश से बाहर गया, तो वह अपने साथ केवल श्रमशक्ति या भाषा ही नहीं ले गया, बल्कि सांस्कृतिक स्मृतियों का एक समृद्ध कोष भी साथ ले गया। उन्नीसवीं शताब्दी में गिरमिटिया प्रथा के अंतर्गत मॉरीशस, फिजी, त्रिनिदाद, गुयाना और सूरीनाम जैसे देशों में पहुँचे भारतीय मजदूरों के लिए *रामचरितमानस* और *हनुमान चालीसा* केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं थे, बल्कि वे उनकी सांस्कृतिक जीवनरेखा बन गए। इन ग्रंथों के माध्यम से उन्होंने न केवल अपनी भाषा और परंपरा को सुरक्षित रखा, बल्कि अपने कठिन जीवन-संघर्षों को अर्थ और संबल भी प्रदान किया। वस्तुतः प्रवासी साहित्य की जड़ें इसी सामूहिक अनुभव में निहित हैं।

इस सांस्कृतिक चेतना को कैरिबियन क्षेत्र में सशक्त रूप देने वालों में बाबू महाल सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जो त्रिनिदाद, ब्रिटिश गयाना और सूरीनाम में भारतीय सांस्कृतिक अधिकारी के रूप में कार्यरत रहे। हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति के प्रचार-प्रसार के लिए उन्होंने तन, मन और धन- तीनों से योगदान दिया। उनकी प्रेरणा से सूरीनाम के प्रवासी कवि **अमर सिंह रमण** (जन्म: 1932) ने सरनामी हिंदी और मानक हिंदी में अपने पूर्वजों के भारत से सूरीनाम प्रवास के अनुभवों को कविता के माध्यम से अभिव्यक्त किया। उनके प्रवास-विरह गीत आज भी सामूहिक स्मृति में जीवित हैं-

'छोड़ अइली हिन्दुस्तानवा बबुआ पेटवा के लिए
छोड़ली मइया, बप्पा, बंधु सारा परिवारवा...
घूट गइले प्यारी गंगा मइया के अंचरवा...
राम धाम छूट गइले मिला बन बसवा...'

यह कविता केवल व्यक्तिगत पीड़ा का चित्रण नहीं है, बल्कि वह सामूहिक विस्थापन की त्रासदी और सांस्कृतिक विछोह को स्वर देती है। यहाँ 'राम धाम' का छूट जाना केवल भौगोलिक दूरी नहीं, बल्कि सांस्कृतिक-आध्यात्मिक विच्छेद का संकेत है। अमर सिंह रमण की एक अन्य हिंदी कविता में प्रवासी पहचान का नया रूप सामने आता है, जहाँ कवि स्वयं को 'सरनामी' कहता है-

'कलकत्ते से पुरखे आये डापू में नाम लिखाय के...
अब तो मेरा देश यही है कहूंगा मैं गोहराय के...
यहीं पे बचपन खेला-कूदा, अब तो आयी जवानी है।'

यहाँ प्रवास केवल पीड़ा नहीं रह जाता, बल्कि नई जड़ों, नई पहचान और नए अपनत्व का निर्माण भी करता है। प्रवासी साहित्य इसी द्वैत को अभिव्यक्त करता है- जहाँ स्मृति और वर्तमान, विरह और स्वीकार, साथ-साथ चलते हैं।

प्रवासी संदर्भ में राम का सबसे सशक्त रूप निर्वासन के प्रतीक के रूप में उभरता है। राम का वनवास और प्रवासी

भारतीय का देशत्याग- दोनों भिन्न ऐतिहासिक परिस्थितियों में घटित होते हुए भी भावात्मक स्तर पर एक-दूसरे से जुड़ जाते हैं। राम को अन्यायपूर्ण परिस्थितियों के कारण अयोध्या छोड़नी पड़ी; उसी प्रकार औपनिवेशिक सत्ता और आर्थिक विवशताओं के कारण भारतीयों को अपना देश छोड़ना पड़ा। प्रवासी साहित्य में यह समानता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बार-बार उभरती है। राम का वनवास यहाँ अतीत की कथा न रहकर वर्तमान जीवन की व्याख्या का माध्यम बन जाता है। राम की तरह प्रवासी भी यह विश्वास बनाए रखता है कि निर्वासन स्थायी नहीं है- कि किसी न किसी रूप में पुनरागमन संभव है। यह पुनरागमन भौगोलिक हो या सांस्कृतिक, मानसिक हो या स्मृतिगत- प्रवासी साहित्य में यह आकांक्षा निरंतर विद्यमान रहती है।

आधुनिक प्रवासी साहित्य में राम की उपस्थिति केवल गिरमिटिया युग तक सीमित नहीं है। वैश्वीकरण के दौर में स्वैच्छिक प्रवास के अंतर्गत विदेशों में बसे लेखकों के यहाँ राम एक अधिक जटिल और बहुअर्थी सांस्कृतिक संदर्भ बनकर उभरते हैं। आधुनिकता व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता, भौतिक समृद्धि और बहुसांस्कृतिक पहचान देती है, जबकि परंपरा नैतिक अनुशासन और सामूहिक स्मृति पर बल देती है। प्रवासी साहित्य में राम इन दोनों के बीच सेतु का कार्य करते हैं- वे परंपरा की जड़ों को आधुनिक अनुभवों से जोड़ते हैं।

प्रवासी साहित्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि उसमें रामकथा का पुनर्पाठ स्थानीय और सांस्कृतिक संदर्भों के अनुसार होता है। दक्षिण-पूर्व एशिया में विकसित रामायण परंपराएँ- जैसे थाईलैंड की *रामकियेन*, इंडोनेशिया की *काकावीन रामायण* और मलेशिया की *हिकायत सेरीराम*- यह प्रमाणित करती हैं कि रामकथा एक स्थिर आख्यान नहीं, बल्कि एक जीवंत सांस्कृतिक परंपरा है। यही प्रवृत्ति प्रवासी हिंदी साहित्य में भी दिखाई देती है, जहाँ राम भारतीय सांस्कृतिक स्मृति के प्रतिनिधि होते हुए भी नए सामाजिक-सांस्कृतिक अनुभवों से प्रभावित दिखाई देते हैं।

अंततः प्रवासी साहित्य में राम का एक महत्वपूर्ण पक्ष नैतिक द्वंद्व से जुड़ा है। परिवार और करियर, परंपरा और आधुनिकता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामूहिक उत्तरदायित्व- इन सभी संघर्षों में राम एक नैतिक संदर्भ-बिंदु के रूप में उपस्थित रहते हैं। कभी वे आदर्श बनते हैं, तो कभी उनके आदर्शों की प्रासंगिकता पर प्रश्न उठते हैं। यही प्रश्न प्रवासी साहित्य को जीवंत, संवादधर्मी और विचारोत्तेजक बनाते हैं।

प्रवासी साहित्य में राम केवल एक पुरुष चरित्र के रूप में नहीं, बल्कि एक व्यापक सांस्कृतिक संरचना के रूप में उपस्थित हैं। रामकथा के अन्य पात्र- सीता, लक्ष्मण, हनुमान आदि- भी प्रवासी अनुभवों के विविध आयामों के प्रतीक बन जाते हैं। सीता का वनवास और अग्निपरीक्षा प्रवासी स्त्री के संघर्षों से जुड़ जाती है, जो दो संस्कृतियों, परंपरा और आधुनिकता, तथा निजी आकांक्षाओं और सामाजिक अपेक्षाओं के बीच अपनी पहचान तलाशती है। हनुमान प्रवासी समुदाय की सामूहिक चेतना, साहस और सांस्कृतिक स्मृति के वाहक के रूप में उभरते हैं, जबकि लक्ष्मण त्याग, निष्ठा और सहचर्य के प्रतीक बनते हैं। इस प्रकार रामकथा के पात्र प्रवासी साहित्य में पारंपरिक सीमाओं से बाहर निकलकर नए सामाजिक-सांस्कृतिक अर्थ ग्रहण करते हैं।

प्रवासी हिंदी साहित्य में राम की उपस्थिति भाषा के संरक्षण और विकास से भी गहराई से जुड़ी हुई है। गिरमिटिया समाजों में हिंदी और भोजपुरी जैसी भाषाओं को जीवित रखने में *रामचरितमानस* की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। सामूहिक पाठ, कीर्तन और रामलीला के माध्यम से भाषा केवल संप्रेषण का साधन नहीं रही, बल्कि सांस्कृतिक पहचान और सामूहिक स्मृति का आधार बन गई। आधुनिक प्रवासी साहित्यकार जब हिंदी में सृजन करते हैं, तो वे इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। इस संदर्भ में रामकथा भाषा की सांस्कृतिक शक्ति और निरंतरता का प्रतीक बन जाती है।

आधुनिक प्रवासी साहित्य में राम का स्वरूप कभी-कभी विडंबनात्मक भी दिखाई देता है। आधुनिक जीवन की जटिलताओं और बहुसांस्कृतिक दबावों के बीच राम के आदर्शों को पूर्णतः अपनाना संभव नहीं लगता, किंतु उनसे पूरी तरह विमुख होना भी संभव नहीं होता। यही द्वंद्व प्रवासी साहित्य की आत्मा है। यहाँ राम कोई स्थिर और निर्विवाद आदर्श नहीं रह जाते, बल्कि एक संवादात्मक प्रतीक बन जाते हैं- ऐसे प्रतीक जिनसे लेखक तर्क करता है, प्रश्न करता है और कभी-कभी असहमति भी व्यक्त करता है। यह असहमति परंपरा को तोड़ती नहीं, बल्कि उसे अधिक जीवंत और प्रासंगिक बनाती है।

बीसवीं शताब्दी के तीसरे दशक तक प्रवासी समाजों में भारतीय सांस्कृतिक चेतना को साकार रूप देने के लिए नाट्य प्रस्तुतियों और लोकनाट्यों का सहारा लिया गया। 1930 ई. के आसपास जिन क्षेत्रों में प्रवासी भारतीय बड़ी संख्या में रहते थे, वहाँ *इंदर सभा*, *रूप बसंत*, *राजा हरिश्चंद्र*, *श्रवण कुमार*, *दशावतार*, *आल्हा खंड*, *राजा नल*, *भक्त प्रह्लाद*, *कृष्ण अवतार*, *वीर हकीकत राय* और *पृथ्वीराज चौहान* जैसे नाटकों का मंचन किया गया। प्रवासी भारतीयों द्वारा रामलीला का आयोजन भी इसी सांस्कृतिक प्रयास का हिस्सा था। इसका उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक विरासत और पूर्वजों की जड़ों को पुनः स्मरण करना और सामूहिक चेतना में जीवित रखना था।

इस दौर में हिंदू-मुस्लिम समुदायों के बीच आपसी सहयोग और सांस्कृतिक सहअस्तित्व भी देखने को मिलता है। इस सामूहिकता को कवि रहमान खान ने अपनी रचना में इस प्रकार व्यक्त किया है-

दुई जाति भारत से आय,
हिन्दु मुसलमान कहलाये।
रही प्रीति दोनों में भारी,
जैसे दुई बंधु एक महतारी।

प्रवासी साहित्य में राम की अवधारणा 'वसुधैव कुटुंबकम्' के विचार से भी गहराई से जुड़ी हुई है। प्रवासी अनुभव व्यक्ति को बहुसांस्कृतिक परिवेश में जीना सिखाता है, जहाँ विविध भाषाएँ, धर्म और संस्कृतियाँ सहअस्तित्व में रहती हैं। रामकथा का वैश्विक प्रसार और विभिन्न संस्कृतियों में उसका स्वीकार इस तथ्य को रेखांकित करता है कि भारतीय सांस्कृतिक परंपरा संकीर्ण नहीं, बल्कि मूलतः समावेशी है। प्रवासी साहित्य इस समावेशिता को आधुनिक संदर्भों में पुनर्स्थापित करता है।

प्रवासी साहित्य में राम की उपस्थिति को केवल अतीत की स्मृति के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा। यह उपस्थिति भविष्य की दिशा का भी संकेत देती है। राम परंपरा के प्रतीक हैं, किंतु उनकी कथा निरंतर परिवर्तनशील है। प्रवासी साहित्य इस परिवर्तनशीलता को स्वीकार करता है और उसे अपनी रचनात्मक ऊर्जा का स्रोत बनाता है। राम यहाँ स्मृति भी हैं और संभावना भी- वे अतीत की जड़ों को वर्तमान के अनुभवों और भविष्य की आकांक्षाओं से जोड़ते हैं।

इस प्रकार प्रवासी साहित्य में राम की उपस्थिति परंपरा और आधुनिकता के बीच एक सजीव सेतु का निर्माण करती है। राम न तो केवल धार्मिक आस्था का विषय हैं और न ही केवल सांस्कृतिक स्मृति का अवशेष। वे प्रवासी जीवन की जटिलताओं को समझने और अभिव्यक्त करने का एक सशक्त प्रतीक हैं। प्रवासी साहित्य में राम का यह बहुआयामी रूप हिंदी साहित्य को न केवल वैश्विक संदर्भ प्रदान करता है, बल्कि उसे गहन वैचारिक और मानवीय संवेदना भी देता है। यही राम की आधुनिक प्रासंगिकता है और यही प्रवासी साहित्य की सबसे बड़ी उपलब्धि भी।

संदर्भ सूची

1. बसंत-त्रैमासिक, महात्मा गांधी संस्थान, मॉरीशस की पत्रिका, अप्रवासी विशेषांक, अंक 41, 1984, पृष्ठ संख्या 50-51

2. **प्रसाद, जैनन.** "राम या रावण." *भारत दर्शन*, 29 दिसंबर 2025, https://bharatdarshan.co.nz/sanklan/1139/ram-ya-ravan-jainan-prasad. Accessed 29 Dec. 2025.

3. **प्रसाद, जैनन.** "राम या रावण." *भारत दर्शन*, 29 दिसंबर 2025, https://bharatdarshan.co.nz/sanklan/1139/ram-ya-ravan-jainan-prasad. Accessed 29 Dec. 2025.

4. **रमण, अमर सिंह.** *फूलों के पंछी*. सनातन धर्म महामंडल, पारामारिबो, सूरिनाम, 1984.

5. **रमण, अमर सिंह.** *फूलों के पंछी*. सनातन धर्म महामंडल, पारामारिबो, सूरिनाम, 1984.

6. **खान, मुंशी रहमान.** *जीवन प्रकाश*. भाग 4, पांडुलिपि, पारामारिबो, सूरीनाम, 1943.